

ॐ अहं

जिनागम-ग्रन्थमाला : घन्याङ्क—३२ अ

[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जोरावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति में आयोजित]

निशीथसूत्र

[मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद-विवेचन-टिप्पण युक्त]

□

प्रेरणा

(स्व.) उपप्रवर्तक शासनसेवी स्वामी श्री अजन्तालजी महाराज

□

आद्य संयोजक तथा प्रधान सम्पादक
(स्व०) मुवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर'

□

अनुवादक-विवेचक-सम्पादक
अनुयोग-प्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० 'कमल'
गोताय श्री तिलोक मुनिजी म०

□

प्रकाशक

श्री आगमप्रकाशन समिति, ब्याबर (राजस्थान)

- निर्देशन
साध्वी श्री उमरावकुंवर 'अचंना'
- सम्पादकमण्डल
अनुयोगप्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल'
उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री
श्री रतनमुनि
- सम्प्रेरक
मुनि श्री विनयकुमार 'भीम'
श्री महेन्द्रमुनि 'दिनकर'
- प्रथम संस्करण
वीर निर्वाण सं० २५१७
विक्रम सं० २०४८
जुलाई १९९१ ई०
- प्रकाशक
श्री आगमप्रकाशन समिति
श्री राज-मधुकर स्मृति भवन,
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान)
पिन—३०५९०१
- मुद्रक
सतीशचन्द्र शुक्ल
वैदिक यंत्रालय,
केसरगंज, अजमेर—३०५००१
- मूल्य : ~~₹ 100/-~~ ₹ 100/-

Published at the Holy Remembrance occasion
of
Rev. Guru Shri Joravarmalji Maharaj

NISHITHA SŪTRA

[Original Text with Variant Readings, Hindi Version,
Notes, and Annotations etc.]

□

Proximity

(Late) Up-pravartaka Shasansevi Rev. Swami Sri Brijlalji Maharaj

□

Convener & Founder Editor

(Late) Yuvacharya Sri Mishrimalji Maharaj 'Madhukar'

□

Translator-Annotator-Editor

Anuyoga Pravartaka Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'

Geetarth Shri Tilokmuniji

Publishers

Shri Agam Prakashan Samiti

Beawar (Raj.)

- Direction*
Sadhwi Shri Umrav Kunwar 'Archana'

- Board of Editors*
Anuyoga-pravartaka Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'
Upacharya Sri Devendra Muni Shastri
Sri Ratan Muni

- Promotor*
Muni Sri Vinayakumar 'Bhima'
Sri Mahendra Muni 'Dinakar'

- First Edition*
Vir-Nirvana Samvat 2517
Vikram Samvat 2048, July 1991.

- Publishers*
Sri Agam Prakashan Samiti,
Brij-Madhukar Smriti Bhawan,
Pipalia Bazar, Beawar (Raj.)
Pin 305 901

- Printer*
Satish Chandra Shukla
Vedic Yantralaya
Kaiserganj, Ajmer

- Price* : ~~₹ 100/-~~ ₹ 100/-

समर्पण

गिरतिघार संयम साधना में
सतत संलछन रहणे घाले
अतीत अनागत और वर्तमान
के सभी श्रुतघर रयदिरों के
कर कमलों में

समर्पक

अनुयोग-प्रवर्तक, मुनि फरहेयालाल 'कमल'
गीतार्य तिलोकमुनि

श्री आगम प्रकाशन समिति, ठ्यावर

(कार्यकारिणी समिति)

अध्यक्ष	श्री किशनलालजी वंताला	मद्रास
कार्यवाहक अध्यक्ष	श्री रतनचन्दजी मोदी	ब्यावर
उपाध्यक्ष	श्री धनराजजी विनायकिया	ब्यावर
	श्री पारसमलजी चोरडिया	मद्रास
	श्री हुक्मीचन्दजी पारख	जोधपुर
	श्री एस. किशनचन्दजी चोरडिया	मद्रास
	श्री जसराजजी पारख	दुर्ग
महामंत्री	श्री जी० सायरमलजी चोरडिया	मद्रास
मंत्री	श्री अमरचन्दजी मोदी	ब्यावर
	श्री ज्ञानराजजी मूथा	पाली
सहमंत्री	श्री ज्ञानचन्दजी विनायकिया	ब्यावर
कोषाध्यक्ष	श्री जंबरीलालजी शिशोदिया	ब्यावर
	श्री अमरचन्दजी बोहरा	मद्रास
सदस्य	श्री एस. बादलचन्दजी चोरडिया	मद्रास
	श्री मूलचन्दजी सुराणा	नागौर
	श्री दुलोचन्दजी चोरडिया	मद्रास
	श्री प्रकाशचन्दजी चौपड़ा	ब्यावर
	श्री मोहनसिंहजी लोड़ा	ब्यावर
	श्री सागरमलजी वंताला	इन्दौर
	श्री जतनराजजी मेहता	मेड़तासिटी
	श्री मंवरलालजी श्रीश्रीमाल	दुर्ग
	श्री चन्दनमलजी चोरडिया	मद्रास
	श्री सुमेरमलजी मेड़तिया	जोधपुर
	श्री आसूलालजी बोहरा	जोधपुर
परामर्शदाता	श्री जालमसिंहजी मेड़तवाल	ब्यावर
	श्री प्रकाशचन्दजी जैन	नागौर

अहम्

अप्रकाश्यों का प्रकाशन

प्रायश्चित्त प्ररूपक भागमों को अप्रकाश्य मानने का एवं रखने का प्रमुख कारण था, उन्हें अपात्र या कुपात्र न पड़े, क्योंकि वे उसका अनुचित उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। अतः उन्हें अप्रकाश्य रखना सर्वथा उचित था।

आगमों की वाचना के आदान-प्रदान में जब तक श्रुत-परम्परा प्रचलित रही तब तक सभी आगम अप्रकाश्य रहे।

चाणक्य ने स्वरचित सूत्र में कहा है—“न लेख्या गुप्तवातां” जिस बात को गुप्त रखना चाहते हो उसे लिखो मत। तात्पर्य यह है कि जो रहस्य लिखा जाता है वह रहस्य नहीं रहता, किसी न किसी प्रकार से प्रकट हो ही जाता है।

पट्टकणों भिद्यते मंत्र—जो बात छः कानों में चली जाती है वह बात भी सब जगह फैल जाती है। कहने वाला एक और सुनने वाला भी एक हो, इस प्रकार जब बात दो तक सीमित रहती है तब तक वह गुप्त रहती है। जब कहने वाला एक हो और सुनने वाले दो हों या दो से अधिक हों तब कहने वाले की बात गुप्त नहीं रह पाती है, गुप्त रखने के लिये चाहे जितने प्रयास करें सफल नहीं होते।

जैनों में और वैदिकों में जब तक श्रुत परम्परा प्रचलित रही तब तक भी अप्रकाश्य आगम अप्रकाश्य नहीं रहे थे। क्योंकि उस समय भी स्व-सिद्धान्त और पर (अन्य) सिद्धान्त के ज्ञाता होते थे।

जैन, जैनेतर दर्शनों का अध्ययन करते थे और जैनेतर, जैनदर्शन का अध्ययन करते थे। अतः यह स्पष्ट है कि जैनो और जैनेतरों में श्रुत परम्परा प्रचलित थी। उस समय भी आगम अप्रकाश्य नहीं रहे थे।

अवसर्पिणी काल के प्रभाव से धारणा शक्ति या स्मरण शक्ति शनैः शनैः क्षीण होने लगी तो भागमों और ग्रन्थों का लेखन प्रारम्भ हो गया। ज्यों-ज्यों आगमों का लेखन कार्य प्रगति करने लगा तो प्रायश्चित्त प्रतिपादक आगम भी लिखे जाने लगे, इस प्रकार अप्रकाश्य आगम प्रकाश्य हो गए। मुद्रण युग की प्रगति होने पर तो अप्रकाश्य आगम और अधिक प्रकाश्य हो गए।

संस्कृत या प्राकृत में रचित प्रायश्चित्त विषयक भागमों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित न करवाने का प्रमुख कारण यही है कि उन्हें सर्व साधारण से गुप्त रखा जाए। किन्तु जिसकी जिज्ञासा उत्कट होती है वह तो प्रयत्न करके अपनी जिज्ञासा जैसे-तैसे पूरा कर ही लेता है।

अद्यावधि प्रकाशित निशीवादि चारों भागमों के हिन्दी अनुवाद महिन संस्करण वर्तमान में अनुपलब्ध होने से स्वर्गीय मुख्याचार्य श्री मिश्रीमतजी म. सा. “मधुकरजी” की प्रेरणा से धार्योजित भागम प्रकाशन मर्मिति द्वारा चारों आगम प्रकाशित किए गए हैं।

मुवाचार्यश्री ने मेरे द्वारा सम्पादित दसा, कल्प, व्यवहार को देखकर निशीयादि चारों भागों का पुनः सम्पादन करने के लिए मन्देश भेजा था किन्तु बहुत लम्बे समय से मेरा स्वास्थ्य अनुकूल न रहने से मैंने श्री तिलोकमुनिजी म. से चारों भागों का अनुवाद एवं विवेचन लिखने के लिए कहा—आपने उदार हृदय से अनुवाद एवं विवेचन स्वयं की भाषा में लिखा है—साधारण पढ़े लिखे भी इनका स्वाध्याय करके प्रायश्चित्त विधानों को आसानी से समझ सकते हैं ।

उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी की शारीरिक सेवा में अहंनिष्ठ व्यस्त रहते हुए भी उपाचार्य श्री ने निशीय की भूमिका लिखकर के जो अनुपम श्रुतसेवा की है, उसके लिए सभी मुज पाठक तथा आगम समिति के सभी कार्यकर्ता हृदय से आभारी हैं ।

निशीय आदि चारों भागों के संशोधन, सम्पादन कार्यों में श्री विनयमुनिजी तथा महासतोजी श्री मुक्तिप्रभाजी आदि का निरन्तर यथेष्ट सहयोग प्राप्त होता रहा । अतः इन सबका मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ ।

अक्षय तृतीया, २०४८
आश्व पर्वत

—अनुयोग प्रवर्तक मुनि कन्हैयालाल “कमल”

प्राक्तथन

निशीथसूत्र का स्थान—आगमों में

उपलब्ध आगमों में चार आगमों को छेदसूत्र की संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा आगमकालीन नहीं है अर्थात् नन्दीसूत्र आदि किसी भी आगम में यह संज्ञा, यह नामकरण नहीं मिलता है। अतः यह संज्ञा देवद्विगणी दशमश्रमण के बाद अर्थात् वीर निर्वाण के हजार वर्ष बाद दी गई है, जो परम्परा से आज तक चली आ रही है।

इन छेदसूत्रों के क्रम में कई विभिन्नताएँ प्रचलित हैं। कहीं दशाश्रुतस्कंध को तो कहीं व्यवहारसूत्र को प्रथम स्थान दिया जाता है।

व्यवहारसूत्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन चार छेदसूत्रों में निशीथसूत्र का स्थान अध्ययन की अपेक्षा प्रथम है, उसके बाद क्रम से दत्ता-कल्प-व्यवहार का स्थान है।

आगम पुरुष की रचना करने वाले प्राचार्यों ने एवं ४५ आगमों का संक्षिप्त परिचय लिखने वाले विद्वानों ने भी निशीथसूत्र को छेदसूत्र में प्रथम स्थान दिया है।

निशीथसूत्र की उत्पत्ति का निर्णय—आगमाधार से

रचनाकाल या रचनाकार की अपेक्षा दशाश्रुतस्कंध, बृहत्कल्प और व्यवहारसूत्र के रचयिता (निर्युद्धकर्ता) चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहुस्वामी हैं, किन्तु निशीथसूत्र की रचना के विषय में अनेक विकल्प हैं। जो इतिहासज्ञों और चिंतकों के अमकारक वातावरण का परिणाम है। उस ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर आज तक भी अन्वेषक विद्वान् निश्चित रूप से कहने का अधिकार नहीं रखते कि "निशीथसूत्र अमुक प्राचार्य की ही रचना है।"

वस्तुस्थिति कुछ और ही है। इतिहास-परंपरा से अलग होकर यदि आगमपाठों के चिंतन से निर्णय किया जाय तो वह ठोस एवं प्रामाणिक निर्णय हो सकता है।

इस सूत्र को पूर्वो से उद्धृत कहने की परंपरा सूत्रानुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि चौदह पूर्वी भद्रबाहुस्वामी ने व्यवहारसूत्र की रचना की है, यह निर्विवाद है। उस सूत्र में उन्होंने एक बार भी 'निशीथसूत्र' यह नाम नहीं दिया है। आचारप्रकल्प या आचारप्रकल्प-अध्ययन यह नाम सोलह बार दिया है। जिसका अध्ययन करना एवं कण्ठस्थ धारण करना प्रत्येक योग्य साधु-साध्वी के लिए आवश्यक है। इसे कंठस्थ धारण नहीं करने वाले साधु-साध्वी को संघाडाप्रमुख या आचार्य, उपाध्याय आदि पदों की प्राप्ति का निषेध किया है और उसे भूल जाने वाले युवक संत-सतियों को प्रायश्चित्त का पात्र बताया है।

आगम के अनेक वर्णनों से यह स्पष्ट है कि साध्वियों को पूर्वश्रुत का अध्ययन नहीं कराया जाता है। जब कि आचारप्रकल्प साध्वियों को कंठस्थ धारण करने का एवं याद रखने का आचार्य भद्रबाहुस्वामी ने व्यवहारसूत्र में स्पष्ट विधान किया है।

इससे स्पष्ट है कि चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहुस्वामी के पहले भी यह "आचारप्रकल्प" या आचारप्रकल्प-अध्ययन नाम, जो पूर्वी में नहीं किन्तु अंगसूत्रों में था और साध्वियों को कठिन रखना भी आवश्यक था। भूल पर उन्हें भी प्रायश्चित्त आता था।

अतः इस सूत्र का गणधरप्रणित आचारांग के अध्ययन होने का जो-जो वर्णन सूत्रों में, उनकी व्याख्या में और ग्रन्थों में मिलता है, उसे ही सत्य समझना उचित है। अन्य ऐतिहासिक विकल्पों को महत्व देना आग सम्मत नहीं है।

आगमों में आचारप्रकल्प

चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहुस्वामी से पूर्व भी जिनशासन के प्रत्येक साधु-साध्वी के लिए आचारप्रकल्प अध्ययन को कठिन धारण करना आवश्यक था, उस आचारप्रकल्प-अध्ययन का परिचय सूत्रों एवं उनकी व्याख्या में जो मिलता है, वह वर्तमान में उपलब्ध इस निशीथसूत्र का ही परिचायक है, यथा—

(१) पंचविहे ध्यायारपकल्पे पण्णत्ते, तं जहा—१. मासिण उग्घाइए, २. मासिण अणुग्घाइए, ३. चाउमासिण उग्घाइए, ४. चाउमासिण अणुग्घाइए, ५. आरोवणा।

टीका—आचारस्य प्रथमांगस्य पदविभागसमाचारी लक्षणप्रकृत्याऽभिधायकत्वात्प्रकल्प आचारप्रकल्प निशीथाध्ययनम्। स च पंचविधः, पंचविधप्रायश्चित्ताभिधायकत्वात्। —स्थाता.

२. आचारः प्रथमांग. तस्य प्रकल्पो अध्ययनविशेषो, निशीथम् इति धरराभिधानस्य

—समवायांग २

३. भट्टाविशतिविधः आचारप्रकल्पः, निशीथाध्ययनम् आचारांगम्, इत्यर्थः। स च एवं—(१) सत्पट्टादिण जाव (२५) विमुत्ती (२६) उग्घाइ (२७) अणुग्घाइ (२८) आरोवणा तिविहमो निसोहं तु, इति अट्टावीसविहो आचारपकल्पनामोति।

—राजेंद्र कोश भा. २ पृ. ३४९ "आचारपकल्प शास्त्र"

—प्रश्नव्याकरण सूत्र अ. १

(४) आचारः आचारांगम्, प्रकल्पो—निशीथाध्ययनम्, तस्यैव पंचमसूता। आचारेण सहितः प्रकल्प आचारप्रकल्प, पंचविशति अध्ययनात्मकत्वात् पंचविशति विधः आचारः १. उद्घातिम् २. अनुद्घातिम् ३. आरोवणा इति त्रिधा प्रकल्पोमीतने अट्टाविशतिविधः।

—धाभि. रा. को. भाग २, पृ. ३५० आचारपकल्प शास्त्र

यहां समवायांगसूत्र एवं प्रश्नव्याकरणसूत्र के मूल पाठ में अट्टाईस प्रकार के आचारप्रकल्प का कथन किया गया है, जिसमें संपूर्ण आचारांगसूत्र के २५ अध्ययन और निशीथसूत्र के तीन विभाग का समावेश करने पर अट्टाईस का योग बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि आगमों में निशीथ को आचारांगसूत्र का ही विभाग या अध्ययन बताया गया है।

निष्कर्ष यह है कि आगमिक वर्णनों को प्रमुञ्जता देकर ऐतिहासिक उल्लेखों को गौण किया जाय तो यह सहज सम्भव हो आ सकता है—"निशीथ-अध्ययन" आचारांगसूत्र के एक अध्ययन का नाम था। उसमें भीत उद्घातन

१. आगम वर्णन से जो निर्णय स्पष्ट हो जाता हो, उस विषय में इतिहास या परम्परा से उदात्तनाम वैज्ञानिक नहीं होता है। आगमवर्णित विषय के पीछे तत्त्वों से सुलभता ही उपयुक्त होता है।

अपेक्षा तीन विभाग थे—(१) लघु (२) गुरु (३) आरोपण ।

इन तीन को आचारांग के २५ अध्ययन के साथ जोड़कर ही समवायांगसूत्र में २८ आचारप्रकल्प कहे हैं ।

जब इसे अलग किया गया तब आचारांग से अलग किया हुआ होने से इसका नाम आचारप्रकल्प रखा गया । यही नाम आचार्य भद्रबाहु के समय प्रसिद्ध था, इसीलिए उन्होंने व्यवहारसूत्र में अनेको विधान आचार-प्रकल्प के नाम से किए हैं । समवायांग, प्रश्नव्याकरण आदि अंग आगमों में भी "आचारप्रकल्प" के नाम से वर्णन उपलब्ध है ।

आचारप्रकल्प और निशोयः नामपरिवर्तन

नंदीसूत्र में जो आगम गणना दी गई है, उसमें आचारप्रकल्प का नाम नहीं है, किन्तु निशोय का नाम है और व्यवहारसूत्र में निशोय का नाम ही नहीं किन्तु आचारप्रकल्प नाम अनेक बार है । व्यवहारसूत्र की रचना पहले हुई है और नंदीसूत्र की मंकाई (८००) वर्ष बाद रचना हुई है । इससे यह स्पष्ट होता है कि भद्रबाहुस्वामी के सामने यह सूत्र आचारप्रकल्प नाम से था और उनके बाद देव्याधिगणी तक उस सूत्र का आचारप्रकल्प नाम प्रसिद्धि में नहीं रह सका किन्तु आचारांग के अध्ययन का जो मौलिक नाम निशोय अध्ययन था, वही नाम निशोय-सूत्र इस रूप से प्रसिद्धि में आया और नंदी-रचनाकार श्री देववाचक पराविभूषित देव्याधिगणी क्षमाश्रमण ने उसी प्रसिद्ध नाम को स्थान दिया ।

तात्पर्य यह है कि प्रारम्भ में यह आचारांग का अध्ययन "निशोय-अध्ययन" इस नाम से था । भद्रबाहु-स्वामी के सामने आचारप्रकल्प या आचारप्रकल्प-अध्ययन के नाम से था और उनके बाद कभी यह निशोयसूत्र के नाम से प्रसिद्धि पाया । फिर भी व्यवहारसूत्र के मूलपाठ में आज भी आचारप्रकल्प के नाम से किये गये अनेक विधान उसी रूप में विद्यमान हैं और उसी के आधार पर निर्युक्ति, भाष्य, टीका भी विद्यमान हैं ।

निर्युक्ति, भाष्य, टीका आदि व्याख्याकारों ने निशोयसूत्र को अथवा आचारांग सहित निशोय-अध्ययन को "आचारप्रकल्प" नाम से ग्रहण किया है ।

वैकल्पिक पांच नाम

इसे आचारांगसूत्र का अध्ययन कहो, आचारप्रकल्प कहो या आचारप्रकल्प-अध्ययन अथवा निशोयसूत्र कहो, सभी निशोयसूत्र के पर्यायवाची नाम हैं । इनकी संख्या पांच है, यथा—

१. आचारांगसूत्र का अध्ययन—“निशोय-अध्ययन,” २. आचारप्रकल्प-अध्ययन, ३. आचारप्रकल्प (सूत्र), ४. निशोयसूत्र, ५. आचारांगसूत्र की पंचम चूला ।

इस प्रकार समय-समय पर परिवर्तित नाम वाला यह शास्त्र है । नंदीसूत्र की रचना के बाद इसका नाम "निशोयसूत्र" यह निश्चित हो गया, जो आज तक चल रहा है ।

व्याख्याएं—व्याख्याकार और व्याख्याकाल

इस सूत्र पर द्वितीय भद्रबाहुस्वामी ने निर्युक्ति नामक व्याख्या की है । सूत्र और निर्युक्ति के आधार पर भाष्य नामक व्याख्या आचार्य सिद्धसेनगणी ने की, ऐसा चूणिकार ने अनेक बार निर्देश किया है । मतांतर से आचार्य सपदासगणी भी कहे जाते हैं, किन्तु यह कथन चूणि के अनुसार इतना महत्वपूर्ण नहीं है ।

सूत्र धीर निर्युक्ति एवं भाष्य गायार्थों के आधार पर चूणि नामक व्याख्या प्राचायं जिनदासगणी महत्तर ने की है। इस निधीयसूत्र का चूणि सहित भाष्य, निर्युक्ति का प्रकाशन आगरा से हुआ, जिसके सम्पादक उपाध्याय कवि पं. रत्न श्री अमरमुनिजी म. सा. एवं पं. रत्न श्री कन्हैयालालजी म. सा. "कमल" हैं। उक्त तीनों व्याख्याएं प्राकृत भाषा में हैं। जिसमें चूणि गद्यमय व्याख्या है और भाष्य, निर्युक्ति गायामय व्याख्या है।

निर्युक्तिकार वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी में हुए हैं। इन निर्युक्तिकार के भाई वराहमिहिर थे। उन्होंने "वराहीसंहिता" ग्रन्थ की रचना की, जिसमें उसका रचना समय अज्ञित है। उसी संवत् के आधार से इन महर्षिहस्तामयी धीर वराहमिहिर का समय ज्ञात होता है, जो विक्रम की छठी शताब्दी का और वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी का अर्थात् देवधिगणी क्षमाश्रमण के ३०-४० वर्ष बाद का समय था, जो कि विक्रम संवत् ५६२ का समय है। तदनन्तर विक्रम की सातवीं सदी में भाष्यकार एवं करीब आठवीं सदी में चूणिकार के होने का समय है।

इस प्रकार इस सूत्र का व्याख्यासाहित्य भी कम से कम १३०० वर्ष प्राचीन है।

इस सूत्र पर संस्कृत व्याख्या इसी दशकीसवीं शताब्दी में श्रीमञ्जनाचार्य आगमोद्धारक पं. रत्न श्री पासीलालजी म. सा. ने की है।

मूलस्पर्शी हिन्दी, गुजराती अनुवाद श्रीमञ्जनाचार्य आगमोद्धारक पं. रत्न श्री अमोलकान्धपित्री म. सा. आदि अनेक विद्वानों द्वारा समय-समय पर हुआ है। किन्तु हिन्दी भाषा में व्याख्या-विवेचन सहित मूल एवं अनुवाद के सम्पादन का यह प्रथम प्रयास है।

विवेचन का आधार एवं उससे अतिरिक्त कथन

निधीयसूत्र का यह संपादन निर्युक्ति, भाष्य, चूणि के आधार से या प्रमुखता से किया गया है। मूलपाठ के संपादन में एवं सूत्र की अर्थरचना में उपलब्ध अनेक प्रतियों को गौण करके निर्युक्ति, भाष्य, चूणि के आधार को प्रमुखता दी गई है। विवेचन करने में भी उक्त व्याख्याओं को प्रमुखता दी गई है, तथापि कुछ स्थानों में आगम-आशयों को प्रमुखता देकर इन व्याख्याओं से भिन्न या विपरीत विवेचन भी किया गया है। इस निधीयसूत्र के अतिरिक्त व्यवहारसूत्र में भी कुछ स्थानों में ऐसा किया गया है, वे सभी स्थल निम्न हैं—

(१) निधीयसूत्र उ.	२	मू.	१	"पादप्रोक्षण"
(२) निधीयसूत्र उ.	२	मू.	८	"विमूपावेद"
(३) निधीयसूत्र उ.	३	मू.	७३	"गोलेहणियासु"
(४) निधीयसूत्र उ.	३	मू.	८०	"अणुगण मूरिण"
(५-६) निधीयसूत्र उ.	१९	मू.	१ धीर ६	"विषड" धीर "गालेइ"
(७) व्यवहार उ.	२	मू.	१७	"अट्टजाम"
(८) व्यवहार उ.	३	मू.	१-२	"गणधारण"
(९) व्यवहार उ.	३१	मू.	३१	"सोडियसासा"
(१०) व्यवहार उ.	१०	मू.	२२	"तिवातपरियाए"
(११) व्यवहार उ.	२	मू.	१०	"पन्नामर्गति"
(१२-१३) व्यवहार उ.	३	मू.	९-१०	"निन्द्य परियाए, निन्द्यवात परियाए"

इन शब्दों के अर्थ एवं विवेचन को प्राचीन व्याख्याओं से भिन्न करने का प्रमुख कारण आगम-आशय को सही समझना ही रहा है। विशेष जानकारी के लिए अंकित स्थलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वहाँ विषय और आशय को हेतु एवं आगम-प्रमाणों से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

आचारप्रकल्प एवं प्रायश्चित्त की आरोपणा

समवायामग्नू में छट्टाईस प्रकार की प्रायश्चित्त आरोपणा को भी आचारप्रकल्प कहा गया है। उसका कारण भी यही है कि वह २८ प्रायश्चित्त आरोपणा भी आचारप्रकल्प-अध्ययन से ही सम्बन्धित है, अतः उसे आचार-प्रकल्प कह दिया गया है।

२८ प्रकार की आरोपणा के मूलपाठ में वहाँ लिपिदोष से कुछ विकृति हुई है, जिसकी व्याख्याकारों ने भी चर्चा नहीं की है।

वहाँ आरोपणा का प्रारम्भ एक मास और पाच दिन से करके चार मास २५ दिन पर उसका अंत किया गया है, इस तरह बीच से प्रारम्भ कर बीच ही में पूर्ण करना संगत प्रतीत नहीं होता है।

वास्तव में पांच रात्रि के प्रायश्चित्त-आरोपणा से प्रारम्भ कर एक मास तक ६ विकल्प और चार मास तक २४ विकल्प करने चाहिए। यही प्रायश्चित्त देने की आरोपणा की विधि एवं क्रम भाष्यादि से भी स्पष्ट सिद्ध होता है। किन्तु एक मास पांच दिन से प्रारम्भ करके ४ मास २५ दिन तक ही ले जाकर २४ भंग करने की संगति का कोई भी आधार नहीं है एवं उसके कारण का स्पष्टीकरण भी नहीं हो सकता है। अतः पांच दिन से लेकर चार मास तक के २४ विकल्प करना ही उचित है। निशोष में भी चार मास तक के ही प्रायश्चित्तस्थान कहे गये हैं और व्याख्याओं में पांच दिन से ही आरोपणा प्रारम्भ की जाती है। २४ विकल्प के बाद के अंतिम चार विकल्प तो निर्विवाद हैं—(१) लघु (२) गुरु (३) संपूर्ण (४) अपूर्ण। यों कुल अट्टाईस आचारप्रकल्प कहे हैं। अपेक्षा से आचारारंग और निशोषसूत्र के अध्ययन एवं विभागों की जोड़ को भी अट्टाईस आचारप्रकल्प कहा जाता है।

निशोषसूत्र का प्रमुख विषय

अनिवार्य कारणों से या कारणों के बिना संयम की मर्यादाओं को भंग करके यदि कोई स्वयं आलोचना करे तब किस दोष का कितना प्रायश्चित्त होता है, यह इस छेदसूत्र का प्रमुख विषय है। जो बीस उद्देशों में इस प्रकार विभक्त है—

पहले उद्देशक में गुरुमासिक प्रायश्चित्त योग्य दोषों का प्ररूपण है।

उद्देशक २ से ५ तक में लघुमासिक प्रायश्चित्त योग्य दोषों का प्ररूपण है।

उद्देशक ६ से ११ तक में गुरुचौमासी प्रायश्चित्त योग्य दोषों का प्ररूपण है।

उद्देशक १२ से १९ तक में लघुचौमासी प्रायश्चित्त योग्य दोषों का प्ररूपण है।

बीसवें उद्देशक में प्रायश्चित्त देने एवं उसे बहन करने की विधि कही गई है।

अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार की शुद्धि आलोचना और मिच्छामि दुक्कटं के अल्प प्रायश्चित्त से हो जाती है। अनाचार दोष के सेवन का ही निशोषसूत्रोक्त प्रायश्चित्त होता है। यह स्वविरकल्पी सामान्य साधुओं की मर्यादा है।

जिनकल्पी या प्रतिमाधारी आदि विशिष्ट साधनावालों को अतिक्रम आदि का भी निशोषसूत्रोक्त गुरु प्रायश्चित्त प्राप्ता है।

१. लघुमासिक प्रायश्चित्त जघन्य एक एकासना, उत्कृष्ट २७ उपवास है।
२. गुरुमासिक प्रायश्चित्त जघन्य एक निवी (दो एकासना), उत्कृष्ट ३० उपवास है।
३. लघुचौमासी प्रायश्चित्त जघन्य एक आयम्बिल (या एक एकासना), उत्कृष्ट १०८ उपवास है।
४. गुरुचौमासी प्रायश्चित्त जघन्य एक उपवास (चार एकासना), उत्कृष्ट १२० उपवास है।
५. उक्त दोषों के प्रायश्चित्तस्नानों का बारम्बार सेवन करने पर अथवा उनका सेवन सम्ये समय तद्रूप बनता रहने पर तप-प्रायश्चित्त की सीमा बड़ जाती है, जो कभी दीक्षाछेद तक भी बढ़ा दी जा सकती है।
६. कोई साधक बड़े दोष को गुप्त रूप में सेवन करके छिपाना चाहे और दूसरा ध्यति उस दोष को प्रबट पर निद्र करके प्रायश्चित्त दिलवावे तो उसे दीक्षाछेद का ही प्रायश्चित्त आता है।
७. दूसरे के द्वारा सिद्ध करने पर भी अत्यधिक झूठ-कपट करके विपरीत आचरण करे अथवा उल्टा पोर कोतवाल को ढांढने का काम करे किन्तु मजबूर करने पर फिर सरलता स्वीकार करके प्रायश्चित्त लेने के लिए तैयार होवे तो उसे नई दीक्षा का प्रायश्चित्त दिया जाता है।
८. यदि उस दुराग्रह में ही रहे एवं सरलता स्वीकार करे ही नहीं तो उसे मन्त्र से निकाल दिया जाता है।

सूत्रों की गोपनीयता

कोई भी ज्ञान या आगम एकान्त गोपनीय नहीं होता है, किन्तु उसको भी अपनी कोई सीमा प्रथम होती है।

मूल आगमों में कहीं भी किसी भी सूत्र को गोपनीय नहीं कहा गया है। केवल इतना प्रथम कहा गया है कि योग्यताप्राप्त शिष्य को क्रम से ही सूत्र एवं उनके अर्थ परमायं का अध्ययन कराना चाहिए।

अयोग्य को या क्रम-अप्राप्त को किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उते अध्ययन कराने पर अध्यापन कराने वाले को निगीयसूत्र उद्देशक १९ के अनुसार प्रायश्चित्त आता है, साथ ही योग्यताप्राप्त और विनीत शिष्यों को यथाक्रम से अध्ययन नहीं कराने पर भी उन्हें सूत्रोक्त प्रायश्चित्त प्राता है।

इस प्रकार यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि योग्य साधु-साध्वियों की अपेक्षा कोई भी आगम गोपनीय नहीं होता है।

आगमों में १२ अंगसूत्रों में से साध्वियों को ग्यारह अंगसूत्रों का अध्ययन करने का वर्णन आता है। साधुओं को १२ ही अंगों का अध्ययन करने का वर्णन आता है एवं श्रावकों को भी श्रुत का अध्ययन एवं श्रुत के उपधान का वर्णन प्राता है। तीर्थंकरों की मौजूदगी में द्वादशांगी श्रुत ही था, शेष सूत्रों की संकलना कालांतर में हुई यह निर्विवाद है।

इस प्रकार आगम गोपनीय होते हुए भी तीर्थंकरों के समय भी अंग शास्त्रों का साधु, साध्वी, धावर, श्राविका चतुर्विध संघ अध्ययन करता था।

चौदहपूर्व भद्रबाहु-रचित व्यवहारसूत्र में भी प्राचारप्रवरण के अध्ययन-अध्यापन की अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक युवक संत सती को इतना कठोर्य होना आवश्यक कहा है, इससे इसकी अतिगोपनीयता का जो दाता-परण है, वह आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार निगीयसूत्र या अन्य सूत्रों का अध्ययन भी चतुर्विध संघ में प्राचीनकाल से प्रचलित था।

कालांतर में आगमलेखन-युग एवं फिर व्याकरणलेखन-युग और धव प्रमाणनयुग आया है। आगमों का लेखन और प्रमाणन समय-समय पर हुआ और हो रहा है। देन-विदेश में भी इनकी लिखित और प्रकाशित प्रतिमें

का प्रकार हुआ है। अतः गोपनीयता का प्रचलित हुआ कथन अथ केवल कथनमात्र रह गया है।

योग साधु-साध्वी के लिए अन्य आगम तो क्या छेदसूत्र भी गोपनीय नहीं है; प्रपितु यह कहा जाय तो कोई प्रतिशयोक्ति नहीं है कि छेदसूत्रों का अध्ययन किए बिना या उनके अर्थ परमार्थ को समझे बिना साधक की साधना अधूरी है, पंगु है, परवश है तथा इनके सूक्ष्मतम अध्ययन के बिना संपन्नव्यवस्था तो परिपूर्ण अंधकारमय ही होती है।

छेदसूत्रों के अर्थ परमार्थ के अध्ययन के बिना श्रमण श्रमणी जपन्य बहुश्रुत भी नहीं बन सकते और जपन्य बहुश्रुत के बिना वे हमेशा परवश ही विचरण कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकार की प्रमुखता धारण नहीं कर सकते हैं, स्वतन्त्र विचरण एवं गौचरी भी नहीं कर सकते, सदा दूसरों के निर्णय और आधार पर ही जीवन जीते हैं। संपन्नव्यवस्था का भार वहन करने वालों के लिए तो ये छेदसूत्र और इनका अर्थ परमार्थ समझना नितान्त आवश्यक है।

इन्हीं अनेक दृष्टिकोणों को नजर में रखते हुए छेदसूत्रों का यह हिन्दी विवेचनयुक्त संपादन कार्य किया गया है। आशा है इससे सामान्य साधकों को और विशेष कर सिपाडाप्रमुख आदि पदवीधरों को बहुमुखी मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

परम पूज्य श्रद्धेय श्री कन्हैयालालजी म. मा. "कमल" ने अपने इस महत्त्वशील छेदसूत्रों के संपादनकार्य में मेरा सहयोग लिया और मुझे आगमसेवा का अनुभव अवसर दिया, उसके लिए मैं अंतःकरण से उनका महान उपकार मानता हूँ। उनके इस उपकार को जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता है।

अंत में इन संपादन-सहयोग में धनजान में या समझभ्रम से किसी भी प्रकार की भाषा या प्ररूपणा की स्थलना हुई हो तो अन्तःकरण से "मिच्छामि दुःखद" देता हूँ। विद्वान् पाठकों से भी आशा करता हूँ कि वे "धृदस्थमात्र भूल का पात्र है" यह मान कर उन भूलों के लिये मुझे क्षमा प्रदान करेंगे एवं सही तत्त्व का आगमानुसार निर्णय कर उसे ही स्वीकार करेंगे।

श्री महेश्वरकेसरी पावनघाम
जंतरण

—तिलोकमुनि



निशीथसूत्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन

—उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनि

भारतीय साहित्य में जैन आगम साहित्य का अपना विशिष्ट स्थान है। आगम शब्द 'आ' उपसर्ग एवं गम् धातु से निर्मित हुआ है। 'आ' का अर्थ पूर्ण और गम् का अर्थ गति या प्राप्ति है। आचारांगसूत्र^१ में आगम शब्द जानने के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। भगवती^२ अनुयोगद्वार^३ और स्थानांग^४ में आगम शब्द शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भूधन्य महामनीषियों ने आगम शब्द की विविध परिभाषाएँ लिखी हैं। उन सभी परिभाषाओं को यहाँ पर उद्धृत करना सम्भव नहीं है। स्याद्वादमञ्जरी^५ की टीका में आगम की परिभाषा इस प्रकार की है— 'आप्तवचन आगम है। उपचार से आप्तवचन-समुत्पन्न अर्थज्ञान भी आगम है।' आचार्य मलयगिरि^६ ने लिखा है— 'जिससे पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान हो वह आगम है।' रत्नाकरावतारिका^७ वृत्ति में आगम की परिभाषा यह है— 'जिससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह आगम है।' जिनभद्रगण क्षमाश्रमण ने आगम की परिभाषा देते हुए लिखा है जिससे सही शिक्षा प्राप्ति होती है, वह शास्त्र आगम या श्रुतज्ञान कहलाता है।

आगम साहित्य सर्वज्ञ-सर्वदर्शी महापुरुषों के विचारों का नवनीत है। यह आगमसाहित्य अक्षरदेह से जितना विशाल और विराट है उससे भी अधिक अर्थगहरिमा से मण्डित है। उसमें जहाँ दार्शनिक चिन्तन का प्राधान्य है, द्रव्यानुयोग का गम्भीर विश्लेषण है वहीं उसमें श्रमणों और श्रावकों के आचार-विचार, व्रत-संयम, त्याग-तपस्या, उपवास, प्रायश्चित्त आदि का भी विस्तार से निरूपण किया गया है। धर्म और दर्शन के गुरु-गम्भीर रहस्यों को स्पष्ट करने हेतु कथाओं का भी समुचित उपयोग हुआ है। इनके अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन के जीते-जागते

१. (क) "आगमेत्ता आणवेज्जा"—आचारांगसूत्र १।५।४

(ख) "त्तापवं आगममाणे"—आचारांगसूत्र १।६।३

२. भगवतीसूत्र ५।३।१९२

३. अनुयोगद्वारसूत्र ४२

४. स्थानांगसूत्र ३३८

५. "आप्तवचनादाविभूतमर्थसवेदनमागमः, उपचारादाप्तवचनं च।" —स्याद्वादमञ्जरी टीका श्लोक ३८

६. "आ—अभिविधिना सकलश्रुतविययव्याप्तिरूपेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणारूपया गम्यन्ते—

परिच्छिद्यन्ते अर्थाः येन सः आगमः।" —आवश्यक (वृत्ति) मलयगिरि

७. "आगम्यन्ते मर्यादयाऽवबुद्धयन्तेऽर्थाः अनेनेत्यागमः

—रत्नाकरावतारिकावृत्ति

८. "सात्तिज्जइ जेण तयं सत्थं तं वा विवेसियं नाणं।

आगम एव य सत्थं आगम सत्थं तु सुवनारणं ॥

—विशेषावश्यकभाव्य भा. ५५९

प्रतीक श्रमण भगवान् महावीर प्रभृति तीर्थंकरों के जन्म, तपस्या, उपदेश और विहारचर्या, शिष्यपरम्परायें, प्राण और अनायें दोष की सीमायें, तात्कालिक राजा, राजकुमार और भक्त-मतान्तरों का विशेष गिरूपण है। प्राण साहित्य ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिन्न चेतना का संचार किया। जीवन का सजीव और यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जीवन का लक्ष्य विषयवासना के दल-दल में फंसने का नहीं, अपितु त्याग, वैराग्य और संयम से जीवन को चमकाना है। यही कारण है जैन आगमसाहित्य में सर्वत्र साधक को संयम-साधना तथा धाराधना और मनोमन्यन की पावन प्रेरणा प्रदान की गई है।

आचार्य देववाचक ने नन्दीसूत्र में आगमसाहित्य को दो भागों में विभक्त किया है^१—अंगप्रवृत्त और अंगवाह्य। छेदसूत्र अंगवाह्य आगम है। छेदसूत्रों में जैन श्रमण और श्रमणियों के जीवन से सम्बन्धित आचार्य विषयक नियमोपनियम का विशद विश्लेषण है। यह विश्लेषण स्वयं भ. महावीर के द्वारा निरूपित है। जो बहुत ही अद्भुत और घनूटा है।

उसके पश्चात् उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी उसको विकसित किया। छेदसूत्रों में नियम भंग हो जाने पर श्रमण-श्रमणियों द्वारा अनुसरणीय विविध प्रायश्चित्त विधियों का विश्लेषण हुआ है। श्रमणजीवन की पवित्रता—निर्मलता बनाये रखने हेतु ही छेदसूत्रों का निर्माण हुआ। यही कारण है श्रमणजीवन के सम्बन्ध संचालन के लिए छेदसूत्रों का अध्ययन आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य माना गया है।

सर्वप्रथम छेदसूत्र शब्द का प्रयोग हमें आवश्यकनियुक्ति में मिलता है।^२ इसके पूर्व किसी भी प्राचीन साहित्य में 'छेदसूत्र' यह नाम नहीं आया है। उसके पश्चात् आचार्य जिनभद्रगणि क्षामाश्रमण ने विशेषावश्यकता भाष्य में तथा संघदासगणि ने निशीथभाष्य^३ में छेदसूत्र का उल्लेख किया है। छेदसूत्रों का पृथक् वर्गीकरण क्यों किया गया? क्यों निशीथ आदि को छेदसूत्र के अन्तर्गत रखा गया? इसका स्पष्ट समाधान वही पर नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि हम जिन आगमों को छेदसूत्र की संज्ञा प्रदान करते हैं, वे आगम मूलतः प्रायश्चित्त सूत्र हैं। ध्वषहार, आलोचना, शोध और प्रायश्चित्त ये चार शब्द ध्वषहारभाष्य^४ में पर्यायवाची माने गये हैं। प्रस्तुत आधार में छेदसूत्रों को ध्वषहारसूत्र, आलोचनासूत्र, शोधिसूत्र और प्रायश्चित्तसूत्र कह सकते हैं। छेदसूत्रों के लिए 'पदविभाग', 'समाचारी' शब्द का प्रयोग आचार्य मलयगिरि ने आवश्यकनियुक्ति^५ की वृत्ति में किया है। पदविभाग और छेद ये दोनों शब्द समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। सम्भव है इस दृष्टि से छेदसूत्र यह नाम रखा गया हो। छेदसूत्रों में एक सूत्र का दूसरे सूत्र से सम्बन्ध नहीं है। छेदसूत्र के सभी सूत्र स्वतन्त्र हैं। उन सूत्रों की व्याख्या भी छेददृष्टि से या विभागदृष्टि में की जाती है।

१. नन्दीसूत्र ७२

२. जं च महाकप्प सुयं, जाणि षसेसाणि छेदसुत्ताणि ।
चरणकरणाणुओगो ति कालियत्थे उवगयाणि ॥

—आवश्यकनियुक्ति ७३३

३. जं च महाकप्प सुयं, जाणि षसेसाणि छेदसुत्ताणि ।
चरणकरणाणुओगो ति कालियत्थे उवगयाणि ॥

—विशेषावश्यकताभाष्य २२१५

४. छेदसुत्तनिशीहादी षत्थो य गतो य छेदसुत्तादी ।
मंतनिमित्तो गहिपाहूढे, य गाहेहि षण्णत्थ ॥

—निशीथभाष्य २१५३

५. ध्वषहारभाष्य २।९०

६. पदविभाग, क्षमापारी छेदसूत्राणि ।

—आवश्यकनियुक्ति ६६५ मलयगिरि वृत्ति

हम पूर्व पंक्तियों में लिख चुके हैं छेद-सूत्रों को प्रायश्चित्तसूत्र कहा गया है। स्वानांग ने श्रमणों के लिए पाच चारित्र्यों का उल्लेख है—१. सामायिक, २. छेदोपस्थापनीय, ३. परिहारविशुद्धि, ४. सूक्ष्मसंपराय, ५. मयाख्यात^१। इनमें से वर्तमान में अन्तिम तीन चारित्र्य विच्छिन्न हो गये हैं। सामायिक चारित्र्य स्वल्पकालीन होता है, छेदोपस्थापनिक चारित्र्य ही जीवनपर्यन्त रहता है। प्रायश्चित्त का सम्बन्ध भी इसी चारित्र्य से है। सम्भवतः इसी चारित्र्य को लक्ष्य में रखकर प्रायश्चित्तसूत्रों को छेदसूत्र की संज्ञा दी गई हो।

दशाश्रुतस्कन्ध, ध्यवहार घोर गृहस्कल्प ये सूत्र नीचे प्रत्याख्यान पूर्व से उद्धृत किये गये हैं।^२ उससे छिन्न धर्मात् पृथक् करने से उन्हें छेदसूत्र की संज्ञा दी गई हो, यह भी सम्भव है।^३

निशीथसूत्र के उन्नीसवें उद्देशक के सत्रहवें सूत्र में छेदसूत्र को 'उत्तमश्रुत' कहा गया है। संघदासगणि ने निशीथभाष्य में छेदसूत्र को उत्तमश्रुत माना है।^४ जिनदासगणि महत्तर ने निशीथचूर्ण में यह प्रश्न उपस्थित किया है और पुनः उन्होंने ही प्रश्न का समाधान करते हुए लिखा है कि छेदसूत्र में प्रायश्चित्तविधि का निरूपण होने से वह चारित्र्य की विशुद्धि करता है, तदर्थ ही छेदसूत्रों को उत्तमश्रुत कहा गया है।^५

उत्तमश्रुत शब्द पर चिन्तन करते हुए एक जिज्ञासा अन्तर्मानस में उद्बुद्ध होती है कि छेदसूत्र कहीं 'छेक' सूत्र तो नहीं है? छेदश्रुत का अर्थ है कल्याणश्रुत और उत्तमश्रुत। दशाश्रुतस्कन्ध की चूर्ण में दशाश्रुतस्कन्ध को 'छेक' सूत्र का प्रमुख ग्रन्थ माना है।^६ दशाश्रुतस्कन्ध प्रायश्चित्तसूत्र नहीं है। वह तो आचारसूत्र है। इसीलिए दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण में दशाश्रुतस्कन्ध को धरणकरणानुयोग में लिया गया है। यदि छेदसूत्र को छेकसूत्र मान भी लिया जाय तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य शर्म्यभव के दशवैकालिकसूत्र में—जं छेवं तं समायरे^७ पद प्राप्त है। यहाँ पर छेय शब्द से छेक होने की पुष्टि होती है।^८

पट्खण्डागम,^९ सर्वायंसिद्धि,^{१०} तत्त्वार्थराजवातिक,^{११} गोम्मटसार जीवकाण्ड^{१२} प्रभृति दिग्म्बर परम्परा के ग्रन्थों में आगमसाहित्य के दो विभाग किये गये हैं—अंगवाह्य और अंगप्रविष्ट। पर इनमें छेद इस

१. (क) स्वानांगसूत्र ५, उद्देशक २, सूत्र ४२८

(ख) विशेषावश्यकभाष्य गा. १२६०-७०

२. कतरं सुतं ? दसाउकण्णो ववहारी य। कतरात्तो उद्धृतं ? उच्यते पच्चक्खणणुब्बाओ।

—दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण, पत्र २

३. निशीथ. १९।१७

४. छेयसुयमुत्तमसुयं।

—निशीथभाष्य, ६१८४

५. छेदसुयं कम्हा उत्तमसुतं ? भण्णति—जम्हा एरुथं सपायच्छित्तो विधि भण्णति, जम्हा ये तेणच्चरणविसुद्धि करेति, तम्हा तं उत्तमसुतं।

—निशीथभाष्य, ६१८४ की चूर्ण।

६. इमं पुण छेयसुत्तममुहभूतं।

—दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण, पत्र २

७. दशवैकालिक ४।११

८. निसीहज्जम्भयणं प्रस्तावना।

—आचार्य तुलसी

९. पट्खण्डागम, भाग १. पृ. ९६

१०. सर्वायंसिद्धि: पूज्यपाद, १-२०

११. तत्त्वार्थराजवातिक: अकलक, १-२०

१२. गोम्मटसार जीवकाण्ड: नेमीचन्द्र, पृ. १३४

प्रकार का विभाग प्राप्त नहीं है। पर बाद के ग्रन्थों में छेदशास्त्र और छेदविण्ड ये नाम प्राप्त होते हैं। सम्भव है दिग्म्बर परम्परा में भी प्रायश्चित्त के अर्थ में ही छेद शब्द व्यवहृत रहा हो। छेदशास्त्र और छेदविण्ड दोनों ही ग्रन्थों में प्रायश्चित्त का निरूपण है। छेदविण्ड में प्रायश्चित्त के आठ पर्यायवाची नामों का उल्लेख है^१— (१) प्रायश्चित्त, (२) छेद, (३) मलहरण, (४) पापनाशन, (५) बोधि, (६) पुण्य, (७) पवित्र, (८) पावन। छेदशास्त्र में भी प्रायश्चित्त और छेद इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची-स्वीकार किया है।^२ सारांश यह है कि छेदग्रन्थ प्रायश्चित्तग्रन्थ है।

समाचारीगतक में आचार्य समयमुन्दरगणि ने छेदसूत्रों की संख्या छह बतलाई है^३—(१) दशाधुतस्कन्ध, (२) व्यवहार, (३) बृहत्कल्प, (४) निशीथ, (५) महानिशीथ, (६) जीतकल्प। इनमें से पाँच-छह सूत्रों के नाम का उल्लेख आचार्य देववाचक ने नन्दीसूत्र में किया है।^४ विज्ञों का मतव्य है कि जीतकल्प जिनमद्रगणि समाधमण की कृति है। जिनमद्रगणि समाधमण का समय वि. सं. ६५० के लगभग है। जिसका निर्माण नन्दीसूत्र की रचना के पश्चात् हुआ है। अतः उसे आगम की कोटि में स्थान नहीं दिया जा सकता। महानिशीथसूत्र को दीमक ने टाकर नष्ट कर दिया था। अतः वर्तमान में उसकी मूल प्रति अनुपलब्ध है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने पुनः उसका उद्धार किया था।^५ अतः वर्तमान में उपलब्ध महानिशीथ भी आगम की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार मौलिक छेदसूत्र चार हैं—(१) दशाधुतस्कन्ध, (२) व्यवहार, (३) बृहत्कल्प, (४) निशीथ।

छेदसूत्रों में निशीथ का प्रमुख स्थान है। निशीथ का अर्थ अपराध है।^६ यह सूत्र अपवादबहुल है। अतः हर किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ाया जाता था। जिनदासगणि महत्तर ने तीन प्रकार के पाठक बताये हैं—(१) अपरिणामक, (२) परिणामक, (३) प्रतिपरिणामक। अपरिणामक का अर्थ है जिसकी बुद्धि अपरिपक्व है। परिणामक का अर्थ है जिसकी बुद्धि परिपक्व है। प्रतिपरिणामक का अर्थ है जिसकी बुद्धि कुतर्क पूर्ण है। अपरिणामक और अतिपरिणामक ये दोनों पाठक निशीथ पढ़ने के अनधिकारी हैं।^७ जो पाठक आजीवन रहस्य को धारण कर सक्ता है वही प्रबुद्ध पाठक निशीथ पढ़ने का अधिकारी है।^८ यहाँ पर जो रहस्य शब्द है वह इसकी गोपनीयता को प्रबट करता है। निशीथ का अध्ययन वही साधु कर सकता है जो तीन वर्ष का दीक्षित हो और गाम्भीर्य आदि गुणों से युक्त हो। प्रौढता की दृष्टि से चाल में बाल वासा सोलह वर्ष का साधु ही निशीथ का वाचक हो सकता है।^९

१. प्रायश्चित्तं छेदो मलहरणं पापनाशनं सोही। पुण्य पवित्रं पावणामिदं पापाद्यतनामाहं—छेदविण्ड, गाथा ३
२. छेदशास्त्र गाथा २
३. समाचारी गतकः आगम स्थापनाधिकार।
४. कालियं अण्णगविहं पण्णत्तं, तं जहा—दत्ताओ, कण्णो, धवहारो, निसीहं, महानिसीहं। —नन्दीसूत्र ७०
५. महानिशीथ अध्ययन ३
६. जं होनि अप्पणासं तं तु निसीहं ति वोग संसिद्धं ।
जं अण्णणासण्णम्मं अण्णे वि तमं निसीथं ति ॥ —निशीथभाष्य, अंशक १५
७. पुरिमो तिविहो परिणामणो, अपरिणामणो, प्रतिपरिणामणो, तो एस्य अपरिणामण प्रतिपरिणामणार्णं पठित्तेहो ॥ —निशीथपूणि, पृ. १६५
८. निशीथभाष्य ६७०२-३
९. (क) निशीथपूणि, गाथा ६१६५
(घ) व्यवहारभाष्य, उद्देशक ७, गा. २०२-३
(ग) व्यवहारसूत्र, उद्देशक १०, गाथा २०-२१

निशीथ का शाता हुए बिना कोई भी श्रमण अपने सम्बन्धियों के यहाँ भिक्षा के लिए नहीं जा सकता^१ और न वह उपाध्याय धादि पद के योग्य ही माना जा सकता है।^२ श्रमण-मण्डली का अगुआ होने में और स्वतन्त्र विहार करने में भी निशीथ का ज्ञान प्रावश्यक है।^३ क्योंकि निशीथ का शाता हुए बिना कोई साधु प्रायश्चित्त देने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसीलिए व्यवहारसूत्र में निशीथ को एक मानदण्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

छेदसूत्र दो प्रकार के हैं। कुछ छेदसूत्र अंग के अन्तर्गत आते हैं तो और कुछ छेदसूत्र अंगबाह्य के अन्तर्गत आते हैं। निशीथसूत्र अंग के अन्तर्गत है और अन्य छेदसूत्र अंगबाह्य के अन्तर्गत हैं। आचार्य देववाचक ने यद्यपि आचारांग और निशीथ के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया है। वहाँ पर तो केवल आचारांग के पच्चीस अध्ययनों का ही उल्लेख है।^४ समवायांगसूत्र में आचारांग के नौ अध्ययन और आचारचूला के सोलह अध्ययन इस प्रकार आचारांग के पच्चीस अध्ययनों का वर्णन किया है।^५ नन्दीसूत्र में निशीथ का एक स्वतन्त्र कालिकसूत्र के रूप में वर्णन किया गया है। किन्तु आचारांग के पच्चीस अध्ययनों में उसकी गणना नहीं गई की है।^६ सम्भव है आचार्य देववाचक के सामने निशीथ आचारांग की ही एक चूला है, इस प्रकार की धारणा न रही हो। समवायांगसूत्र में घूलिका के सात आचारांगसूत्र के ८५ उद्देशनकाल बतलाये हैं।^७ नवाङ्गी टीकाकार आचार्य अभयदेव ने चतुर्थ आचारचूला तक को प्रस्तुत संख्यापूर्ति का संकेत किया है।^८ वह इस प्रकार है—

आचारांग	उद्देशन-काल	आचार-चूला	उद्देशन-काल
१	७	१	११
२	६	२	३
३	५	३	३
४	५	४	२
५	६	५	२
६	५	६	२
७	८	७	२
८	५	८	१
९	७	९	१
		१०	१
		११	१
		१२	१
		१३	१
		१४	१
		१५	१
		१६	१

१. व्यवहारसूत्र, उद्देशक ६, सू. २, ३

२. व्यवहारसूत्र, उद्देशक ३, सू. ३

३. व्यवहारसूत्र, उद्देशक ३, सू. १

४. पणवीसं अज्झयणा । —नन्दी, सूत्र ८०

५. आयाारस्स णं भगवओ सच्चलियायस्स पणवीसं अज्झयणा पणत्ता, तं जहा—सत्यपरिण्णा लोमविज्जओ सीओसणीअ सम्मत्तं । आवांति छुय विमोह उवहाणमुय महपरिण्णा पिडेसण सिज्जिरेवा भासज्झयणा य वत्थ पाएस । उगहपडिमा सत्तिवकसत्तया भावण विमुत्ति ॥ —समवायांग, समवाय २५

६. नन्दीसूत्र ७७

७. आयाारस्स णं भगवओ सच्चलियायस्स पंचासीइ उद्देशणकाला पणत्ता । —समवायांग, समवाय ८५ वृत्ति

८. तिण्हगणिपिडगाणं आयाारचूलियावज्जाणं सत्तावन अज्झयणा पणत्ता, तं जहा—आयारे सुयगडे ठाणे ।

—समवायांग, समवाय ५७

प्रस्तुत अवतरण से यह स्पष्ट है आचारांग और निशीथ में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। समवायों के ५७ अध्ययन में आचारांग, सूत्रकृती, स्थानांग के ५७ अध्ययन प्रतिपादित किये गये हैं।^१ वहाँ पर भी निशीथ की परिगणना नहीं की गई है।

आचारांगनिर्युक्ति से सर्वप्रथम हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि आचारांग का निशीथ के साथ सम्बन्ध है। आचारांग और पांच श्रुताओं की संयुक्त निर्युक्ति बनाकर आचारांग और निशीथ में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया गया है। निर्युक्तिकार ने आचारांग की पांचवीं श्रुता के रूप में निशीथ की स्थापना कर आचारांग और निशीथ दोनों अंग हैं यह सिद्ध किया है।

संक्षेप में सारांश यह है कि निशीथ की रचना आचारांग की पांचवीं श्रुता के रूप में स्थापना गन्दीयूत्र के पश्चात् हुई है और निर्युक्ति की रचना के पूर्व हुई है।

पण्डित दत्तगुप्तभाई मालवणिया ने 'निशीथ : एक अध्ययन' ग्रन्थ में प्रस्तुत प्रश्न पर विस्तार से उद्घा-पोह किया है और उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया है कि 'निशीथ' किसी समय आचारांग के अन्तर्गत रहा होगा। किन्तु एक समय ऐसा भी आया कि उपलब्ध आचारांगमूत्र से निशीथ को पृथक् कर दिया गया। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि निशीथ आचारांग की अन्तिम श्रुता के रूप में था, मूल में नहीं। सम्भव है, सभी श्रुता के रूप में आचारांग में जोड़ा गया हो और विशेष कारण उपस्थित होने पर, जो निशीथ मौलिक रूप में आचारांग का अंग नहीं था, यह एक परिशिष्ट रह गया हो जो छेद अंगवाह्य था, उनमें निशीथ को सम्मिलित कर दिया गया। अंग-वाह्य में निशीथ को सम्मिलित करने से निशीथ का महत्त्व कम नहीं हुआ। यहाँ पर भी यह स्मरण रखना होगा कि निशीथमूत्र को आचारांग का अंग श्वेताम्बर परम्परा ही मानती है, दिगम्बर परम्परा नहीं। दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से निशीथ अंगवाह्य प्रागम ग्रन्थ ही है।^२ दिगम्बर परम्परा ने चौदह श्रुतों को अंगवाह्य माना है। उनमें छह तो आचारांगमूत्र के अध्ययन ही हैं। इससे भी यह स्पष्ट है कि निशीथ नितना प्राचीन आगम है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्परा के भेद होने के पूर्व निशीथमूत्र या यह स्वतः सिद्ध होता है।

आचारांगनिर्युक्ति में निम्न गाथा आई है—

पयवंमचेरमइथो अट्ठारत्तपयत्तहत्तिओ थेओ ।

हवइ य संपंचपूतो षट्ठ-वट्ठतरओ पयगोओ ॥^३

यह सहज जिज्ञासा उद्भूत हो सकती है—पूर्वगत आचार नामक वस्तु के आधार पर निशोष का निर्माण या निर्यूद्ध हुआ, उसका नाम आचारप्रकल्प था। विषयसाम्य होने के कारण उसे आचारांग में जोड़ दिया गया हो। आचारप्रकल्प में प्रायश्चित्त का विधान होने से यह अल्पविक्रम भावश्यक था कि तीर्थंकर की वाणी के समान ही वह भी प्रमाणभूत माना जाय। इसी दृष्टि से आचारांग की चूला के रूप में उसकी स्थापना की गई हो। आचारांग-निर्यूक्ति^१ के आधार से यह स्पष्ट है कि आचारांग की प्रथम धार चूनाएँ तो आचारांग के आधार पर निर्मित हुई हैं, किन्तु पांचवीं चूला निशोष का निर्माण प्रत्याख्यान नामक 'पूर्व' से हुआ था।^२ निशोष का एक नाम आचार भी है।

आचारांगनिर्यूक्ति में आचारांग की चूलिकाओं के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आचारांग आचार-चूलिकाओं के विषय की स्थविरों ने आचार में से हो लेकर शिष्यों के हित के लिए चूलिकाओं में विभक्त किया।

आचारांगनिर्यूक्ति गाथा २८७ में 'धेरेहि' शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थविर शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य शीलाङ्क ने लिखा है कि आचारांग को किसने निर्यूद्ध किया और वे कौन थे? स्थविर थे या चतुर्दशपूर्वधर थे?^३ किन्तु आचारांगचूर्ण में स्थविर शब्द का अर्थ गणधर किया है।^४ निशोषचूर्ण में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि निशोषसूत्र के कर्ता धर्म की दृष्टि से तीर्थंकर हैं और सूत्र की दृष्टि से गणधर हैं। निशोषचूर्ण के अनुसार भी निशोष के कर्ता गणधर माने गये हैं। इसका मूल कारण निशोष को अंगसाहित्य के अन्तर्गत गिना है। यहाँ पर स्थविर शब्द के अर्थ को लेकर परस्पर में मतभेद है। आचार्य शीलाङ्क ने स्थविर शब्द का अर्थ चतुर्दशपूर्वी तो किया है किन्तु गणधर नहीं किया। जबकि आचारांगचूर्ण और निशोषचूर्ण में स्थविर का अर्थ गणधर किया है। इसका मूल कारण यह हो सकता है कि निशोष आचारांग का ही अंश है। आचारांग अंग-आगम है। अंगों के अर्थप्ररूपक तीर्थंकर होते हैं और सूत्ररचयिता गणधर होते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने निशोष को गणधरकृत माना हो।

यहाँ यह प्रश्न सहज ही समुत्पन्न हो सकता है कि निर्यूक्ति तो चूर्ण के पूर्व घनी है। निर्यूक्तिकार ने निशोष को स्थविरकृत और चूर्णिकार ने गणधरकृत लिखा है। उसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि अंगों के रचयिता गणधर होते हैं, इसलिए गणधरकृत लिखा हो।

१. (क) "आयारपकणो पुण पञ्चखण्डाणस्स तइयवत्सुओ ।
आयारनामधिज्जा वीसइमा पाहुडञ्छेया ॥ —आचारांगनिर्यूक्ति गा. २८१
- (ख) व्यवहारभाष्य गा. २००
२. "धेरेहिणुगहट्ठा सीमहिअं होउ पागडस्य च ।
आयारओ अत्यो आयारग्गेमु पविधत्तो ॥" —आचारांगनिर्यूक्ति गा. २८७
३. स्थविरैः श्रुतवृद्धैश्चतुर्दशपूर्वविद्धि । —आचारांगनिर्यूक्ति गा. २८७
४. एयाणि पुण आयाणाणि आयार चेव निज्जूढाणि ।
केण निज्जूढाणि २ धेरेहि २८७ धेरा-गणधराः ॥ —आचारांगचूर्ण पृ. ३३६

निशीथ

प्रस्तुत आगम का नाम निशीथ है। आचारान्गनियुक्ति में 'आचारपकथ' और 'निशीह' के दो नाम प्राप्त होते हैं।^१ अन्य कई स्थलों पर ये दो नाम आये हैं। नन्दीमूत्र^२ और पवित्रयमुक्त^३ ग्रन्थ में 'निशीह' शब्द का प्रयोग प्रस्तुत आगम के लिए हुआ है। धवला और जयधवला में क्रमशः 'गित्तिहिय' और 'गितीहीय' का प्रयोग हुआ है।^४ अंग-प्रज्ञप्तिचूलिका में 'गित्तिहिय' शब्द आया है।^५

निशीह शब्द का संस्कृत रूप निशीथ है। गितीहिय और गितीहीय का संस्कृत अर्थ निषिद्धक है। वेबर^६ ने निशीह शब्द पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि निशीह शब्द का अर्थ निषेध होना चाहिए। उन्होंने अपने मन्थ्य को सिद्ध करने हेतु उत्तराध्ययन में व्यवहृत समाचारी प्रकरण में 'निशीहिया' 'निषेधिकी' शब्द समुपस्थित किया है और उन शब्दों की परिभाषा देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि निशीह शब्द का अर्थ 'निशीथ' नहीं 'निषेध' है। दिगम्बर ग्रन्थों में निशीह के स्थान में निशीहिया शब्द का व्यवहार किया गया।^७ गोम्मटमार ने भी यही शब्द प्राप्त होता है।^८ गोम्मटमार की टीका में निशीहिया का संस्कृत रूप निषिधिका दिया है।^९ आचार्य जिनसेन ने हरिवंशपुराण में निशीथ के लिए 'निषेधक' शब्द का व्यवहार किया^{१०} है। तत्त्वार्थभाष्य में निशीह शब्द का संस्कृत रूप निशीथ माना है। नियुक्तिकार को भी यही अर्थ अभिप्रेत है। इस प्रकार शंभुशम्भर साहित्य के अभिमतानुसार निशीह का संस्कृत रूप निशीथ और उसका अर्थ अप्रकाश्य है। दिगम्बर साहित्य की दृष्टि से निशीहिया का संस्कृत रूप निशीधिका है और उसका अर्थ प्रायश्चित्त-शास्त्र या प्रमाददोष का निषेध करने वाला शास्त्र है।

शास्त्रदृष्टि से निशीह शब्द पर चिन्तन किया जाय तो निशीह शब्द के संस्कृत रूप निशीथ और निशीय दोनों ही सकते हैं, क्योंकि 'थ' और 'य' दोनों को प्राकृत भाषा में हकार आदेय होता है। अतः गित्तिहिया या गितीहिया शब्द के संस्कृत निषिधिका और निशीधिका अर्थ की दृष्टि से चिन्तन करें तो निषिध या निषिधिका की अपेक्षा निशीथ या निशीधिका अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। क्योंकि यह आगम विधिनिषेध का प्रतिपादन

१. आचारान्गनियुक्ति गा. २९१-३४७

२. नन्दीमूत्र, पृ. ४४।

३. पवित्रयमुक्त, पृ. ६६।

४. पट्टच्छाद्यगम, भाग १ पृ. ९६, कलापपाह्व, भाग १ पृ. २५, १२१ टिप्पणों के साथ देखें।

५. अंगप्रज्ञप्तिचूलिका गाथा ३४।

६. दृग्निष्ठयन एष्टीकवेरी, भाग २१ पृ. ९७।

This Name (निशीह) is Explained Strangely Enough By Nishitha Though the Character of the Contents would lead us to Expect Nishitha. (निषेध)

७. पट्टच्छाद्यगम, प्रथम अध्याय, पृ. ५६।

८. गोम्मटमार जीवकाण्ड ३६७

९. निषेधनं प्रमाददोषनिराकरण निषिद्धिः संज्ञायाम् 'क' प्रत्यये निषिद्धिका तच्च प्रमाददोषविमुक्त्यर्थं बहुदकारं प्रायश्चित्तं वर्णयति। —गोम्मटमार जीवकाण्ड ३६७

१०. निषेधकारणव्याप्ति प्रायश्चित्तविधि परम्।

—हरिवंशपुराण १०।१३८

करने वाला नहीं भवितु प्रायश्चित्त का प्रतिपादन करने वाला है। इस कथन में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों आचार्य एकमत हैं।^१

बुधि में निशीथ को प्रतिषेधसूत्र या प्रायश्चित्तसूत्र का प्रतिपादक बताया है।^२ निशीथभाष्य में लिखा है कि आचार्यचूला में उपदिष्ट किया का अतिक्रमण करने पर जो प्रायश्चित्त आता है उसका निशीथ में वर्णन है।^३ निशीथसूत्र में अपवादों का बाहुल्य है। इसलिए सभा आदि में इसका वाचन नहीं करना चाहिए। अनधिकारी के सम्मुख उसका प्रकाशन न हो। अतः रात्रि या एकान्त में पठनीय होने से निशीथ का अर्थ संगत होता है। निसिंहिया का जो निषेधपरक अर्थ है उसकी संगति भी इस प्रकार हो सकती है कि जो अनधिकारी हैं उनको पढ़ाना निषेध है और जन से आशुल स्थान में भी पठना निषिद्ध है। यह केवल स्वाध्यायभूमि में ही पठनीय है।

हरिवंशपुराण में 'निषेधक' शब्द प्राया है। सम्भव है कि यह सूत्र विशेष प्रकार की निषेधा में पढ़ाया जाता होगा। इसलिए इतरा नाम निषेधक रखा गया हो। आलोचना करते समय आलोचक आचार्य के लिए निषेधा को व्यवस्था करता था।^४ सम्भव है प्रस्तुत अध्ययन के समय में भी निषेधा को व्यवस्था की जाती होगी। इसलिए निशीथभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है।^५

निशीथ के आचार, अग्र, प्रकल्प, चूतिवा ये पर्याय हैं। प्रायश्चित्तसूत्र का सम्बन्ध चरणकरणानुयोग के माप है। अतः इतरा नाम आचार है। आचारसंगमूत्र के पाँच अग्र हैं। चार आचारचूलाएँ और निशीथ ये पाँच अग्र हैं इसलिए निशीथ का नाम अग्र है। निशीथ का नीचे पूर्व आचारप्राभृत से रचना की गई है इसलिए इसका नाम प्रकल्प है। प्रकल्पन का द्वितीय अर्थ छेदन करने वाला भी है। आगम साहित्य में निशीथ का 'आचारपरकल्प' यह नाम मिलता है। अग्र और चूला समान अर्थ वाले शब्द हैं।

मंथेप में सार यह है कि निशीथ का अर्थ रहस्यमय या गोपनीय है। जैसे रहस्यमय विद्या, मन्त्र, तन्त्र, योग आदि अनधिकारी या अपरिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को नहीं बताते। उनसे छिपाने गोप्य रखा जाता है। वैसे ही निशीथसूत्र भी गोप्य है। वह भी हर किसी के समक्ष उद्घाटित नहीं किया जा सकता।

निशीथ का स्थान

चार अनुयोगों में चरणकरणानुयोग का गौरवपूर्ण स्थान है। चरणानुयोग का अर्थ है आचार सम्बन्धी नियमावली, मर्यादा प्रभृति की व्याख्या। सभी छेदसूत्रों के विषय का समावेश चरणकरणानुयोग में किया जा सकता

१. (क) आचारपरकल्पस उ इमाहं गोष्णाहं शामधिज्जाहं ।
आचारमाह्याहं पायच्छित्तेणउहीगारी ॥ —निशीथभाष्य गाथा २
- (ख) निसिंहियं बहुविहपायच्छित्तविहाणवण्ण कुणहं । —पट्टखण्डागम, भा. १ पृ. ९८
२. तत्र प्रतिषेधः चतुसंबूडात्मके आचारे यत् प्रतिषिद्धं तं सेवंतस्स पच्छित्तं भवति त्ति काउं ।
—निशीथबुधि, भा. १, पृ. ३
३. आचारे चउमु य, चूलियासु उवएसवितहकारिस्स ।
पाच्छित्त मिहज्झयणे भणियं अण्णेसु य पदेसु ॥ —निशीथभाष्य ७१
४. आचारे चउमु य, चूलियासु उवएसवितहकारिस्स ।
पच्छित्त मिहज्झयणे भणियं अण्णेसु य पदेसु ॥ —निशीथभाष्य ६३८९
५. सुत्तव्यतकुभयाणं गहणं बहुमाणाविणयमच्छेदं ।
उक्कुड-णिसेज्ज-अंजति-गहितागहिद्याम्मि य पणामो ॥ —निशीथभाष्य सूत्र ६६७३

है।^१ श्रमण भगवान् महावीर प्रभु सर्वश सर्वदर्शी होने के कारण मानव मन की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते थे। वे अपने श्रमणसंघ को उन कमजोरियों से बचाकर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्रमणसंघ की सुदृढ़ आचार संहिता पर मन दिया। कभी ज्ञात अवस्था में और कभी अज्ञानावस्था में दोष लग जाता है। खोटा ब्रत भंग हो जाता है। ब्रत भंग होने पर या दोष का भेदन होने पर उमकी मुक्ति हेतु प्रायश्चित्त संहिता का निर्माण किया। छेदमूत्रों में उन घटनाओं का निषेध किया है, जो मंथमी जीवन को धूमिल बनाने वाली हैं तथा बृद्ध प्रायश्चित्त तात्कालिक घटनाओं पर भी आधारित हैं। पर हम गहराई से छेदमूत्रों का अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि वे सारे निषेध महिमा और प्रपरिग्रह को केन्द्र बनाकर समुपस्थित किये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर यह भी सहज ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में उस समय जो मिथु संघ थे उनमें इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रचलित रही होगी। प्रवृत्तियाँ श्रमणसंघ के श्रमण और श्रमणियाँ देखादेखी न अपना सेवें इस दृष्टि से श्रमण-श्रमणियों को निषेध किया और कदाचित् अपना लें तो उनके प्रायश्चित्त का भी विधान किया। इस प्रकार विविध दृष्टियों से निषेध और प्रायश्चित्त विधिगाँ प्रतिपादित की गई हैं।

छेदमूत्रों में निशीय का अपना मौलिक स्थान है। व्यवहारसूत्र में यह स्पष्ट वर्णन है कि जो श्रमण बहुधन हो, उसे कम से कम आचारप्रवृत्त का अध्ययन आवश्यक है। जो आचारप्रवृत्त का परिजाना हो उसे ही उपाध्याय पद प्रदान किया जा सकता है।^२ जिग मिथु ने गुफ के भुयारबिन्द से आचारप्रवृत्त का मूल अध्ययन किया हो और अर्थ की दृष्टि में अध्ययन करने का मन में दृढ़ संकल्प हो तो आचार्य और उपाध्याय का आकस्मिक स्वयंभाव हो जाने पर उस श्रमण को आचार्यपद या उपाध्यायपद प्रदान किया जा सकता है।^३ यदि युवक श्रमण दिगी कारण से आचारप्रवृत्त को विस्मृत हो गया है तो पुनः स्मरण करने पर उसे आचार्य आदि पद दिया जा सकता है।^४ पर कोई स्वविर सन्त आचारप्रवृत्त विस्मृत हो जाय और उसको स्मरण करने की शक्ति नहीं है तो भी उसे आचार्य पद दिया जा सकता है।^५ जिस श्रमणी को आचारप्रवृत्त याद है उसे प्रवृत्तिनी पद दिया जा सकता है। यदि प्रमादवशात् जो श्रमणी आचारप्रवृत्त विस्मृत हो गई है किन्तु वह पुनः स्मरण करने का प्रयत्न कर रही हो तो उसे प्रवृत्तिनी पद दिया जा सकता है।^६

जो श्रमण और श्रमणियाँ स्वविर हैं। अवस्थानियोग के कारण यदि वे आचारप्रवृत्त विस्मृत हो गये तो वे सोये हुए या बँटे हुए किसी भी अवस्था में आचारप्रवृत्त के सम्बन्ध में प्रतिप्रश्न कर सकते हैं और प्रतिप्रश्न

१. जं च महाकल्पमुयं, जाणिय से णाणिय छेयमुत्ताणि ।

चरणकरणाणुओपोत्ति, कातिवरथे उवगयाइ ॥

—आवश्यकनिर्णय, ७७८; निशीयभाष्य १११०

२. तिवदासवरियाए समणे निगण्ठे क्षयाइकुसले मंजमकुसले पणत्तकुसले संगहकुसले उवगाहकुसले
अवगयायाइ मभिन्नायाइ अमंकिन्दिट्ठामारचित्ते बहुत्तुए वग्गागमे जह्णनेणं धायारपवत्तघरे कप्पइ उवग्गाया-
त्ताए उद्विमित्तिए व

—आवहार ३१३

३. निद्वद्वयासवरियाए समणे निगण्ठे कप्पइ आयरियउपग्गायात्ताए उद्विमित्तिए, समुध्देयवपत्ति । तस्स वं धायार-
वरत्तसग देने धवट्ठिए, ते य अहिज्जिस्तामिति अहिज्जेज्जा एयं मे कप्पइ आयरिय-उवग्गायात्ताए उद्विमित्तिए,
ते य अहिज्जिस्तामिति तो अहिज्जेज्जा एयं से नो कप्पइ धायरिय-उवग्गायात्ताए उद्विमित्तिए ।

—आवहार ३११०

४. आवहार, ५११५

५. आवहार, ५११७

६. आवहार, ५११६

भी कर सकते हैं, यह उनके लिए विशेष अनुज्ञा है। इन सभी विधानों से यह स्पष्ट है कि आचारप्रकल्प का कितना अधिक महत्त्व है। आचारप्रकल्पधर बहुश्रुत होता है, वह स्वतन्त्र विहार कर सकता है।

आचारप्रकल्पधर के तीन प्रकार हैं—(१) कितने ही केवल सूत्र को ही धारण करने वाले होते हैं। (२) कितने ही केवल अर्थ को धारण करने वाले होते हैं। (३) कितने ही सूत्र और अर्थ दोनों को धारण करने वाले होते हैं। जो केवल सूत्रधर है वह प्रायश्चित्त देने का अधिकारी नहीं। प्रायश्चित्त देने का मही अधिकारी वह श्रमण होता है जो सूत्र और अर्थ दोनों का धारक हो। सूत्र और अर्थ का धारक न हो तो जो केवल अर्थ के धारक है उनसे भी प्रायश्चित्त लिया जा सकता है।^१ भ्रतीतमाल में यह प्रश्न बहुत ही चर्चित रहा कि केवलज्ञानी, मन. पर्याय-ज्ञानी और अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, दशपूर्वी, नौपूर्वी जब नहीं होते हैं तब प्रायश्चित्त कोन दे ?^२ इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने लिखा है कि आज केवलज्ञानी आदि प्रत्यक्षज्ञानियों का ध्रभाव है। पर प्रत्यक्षज्ञानियों के द्वारा पूर्वभूत से निबद्ध प्रायश्चित्तविधि आचारप्रकल्प में उद्धृत है। अतः आचारप्रकल्पधर आचार्य प्रायश्चित्त देने का अधिकारी है।^३

प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन आगम साहित्य में निशोय का अपना गौरवपूर्ण स्थान रहा है।

निशोय के कर्ता

जैन आगमों की रचनाएँ दो प्रकार से हुई हैं—(१) कृत (२) नियुं हण। जिन आगमों का निर्माण सर्व-तन्त्र स्वतन्त्र रूप से हुआ है वे आगम कृत कहलाते हैं। जैसे—गणधरो के द्वारा द्वादशाङ्गी की रचना की गई है और भिन्न-भिन्न स्थविरों के द्वारा उपाङ्ग साहित्य का निर्माण किया गया है। वे सब कृत आगम हैं। नियुं हण आगम वे माने गये हैं—

(१) दशवैकालिक (२) आचारचूला (३) निशोय (४) दशश्रुतस्कन्ध (५) बृहत्कल्प (६) व्यवहार। इन छह आगमों में दशवैकालिक आगम का नियुं हण चतुर्दशपूर्वधर शय्यंभवसूरि ने किया और शेष पाँच आगमों का नियुं हण भद्रबाहु स्वामी ने किया।^४ आचारगनियुं कति के मन्तव्यानुसार आचार-चूला स्थविरों के द्वारा नियुं हण है।^५ आचारांगवृत्ति में आचार्य श्रीलांक ने स्थविर का अर्थ चतुर्दशपूर्वी किया है।^६

१. तिविहो य पकप्पधरो, सुत्तं अत्थे य तदुभए चैव ।
सुत्तधरवज्जियाण, तिगदुगपरियट्ठणा गच्छे ॥
—निशोयभाष्य ६६६७
२. निशोयचूणि भाग ४, पृ. ४०३
३. उग्घायमणुग्घाया, मासचउमासिया उ पाच्छित्ता ।
पुग्घगत्ते च्चिय एते, णिज्जूडा जे पकप्पम्मि ॥
—निशोयभाष्य ६६७५
४. प्रायप्पवायपुग्घा निज्जूडा होइ धम्मपद्दत्ती ।
कम्मप्पवायपुग्घा पिडस्स उ एमणा तिविहा ॥
सच्चप्पवायपुग्घा निज्जूडा होइ वक्कमुद्धि उ ।
अवसेसा निज्जूडा नवमस्स उ तद्दयवत्थुओ ॥
—दशवैकालिकनियुं कति गाथा १६-१७
५. “धेरेहिणुग्गहट्ठा सीसहिअं होइ पागडत्थं च ।
आयाराओ अत्थो आयारागेमु पविभत्तो ॥”
—आचारांगनियुं कति २८७
६. आचारांगवृत्ति, पत्र २१०

प्रत्याख्यान नामक नीचे पूर्व से निशीथ का निर्मूहण हुआ है। उस पूर्व में बीस वस्तु है। अर्थात् बीस अर्थाधिकार हैं। उनमें तीसरे वस्तु का नाम आचार है। आचार के भी बीस प्रामृतच्छेद हैं। अर्थात् उपविभाग है। बीसवें प्रामृतच्छेद से निशीथ निर्मूहण किया गया है।^१

दशाश्रुतस्त्रयचूर्ण के मतानुसार दशाश्रुतग्रन्थ, कल्प और व्यवहार ये तीनों आगम प्रत्याख्यान नामक पूर्व से निर्मुक्त हैं^२ और उन तीनों आगमों के निर्मुक्त चतुर्दशपूर्वी भद्रवाहस्वामी हैं? यह स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है।^३ पञ्चकल्प महाभाष्य में भी दशा, कल्प और व्यवहार के निर्मुक्त भद्रवाह बतलाये गये हैं।^४ और पञ्चकल्पचूर्ण में आचारप्रकल्प (निशीथ) दशा, कल्प और व्यवहार इनचारों आगमों के निर्मुक्त भद्रवाहस्वामी माने गये हैं।^५ यहाँ पर यह प्रश्न चिन्तनीय है कि निर्मुक्ति और भाष्य में आचारप्रकल्प का नाम नहीं आया। पर पञ्चकल्पचूर्ण में आचारप्रकल्प का नाम कैसे आया? यह भी सम्भव है कि 'कल्प' शब्द से निर्मुक्तिकार और भाष्यकार को बृहत्कल्प और आचारप्रकल्प ये दोनों ही गाह्य हों। जैसे निशीथभाष्य में 'कल्प' शब्द से उन्होंने दशाश्रुतग्रन्थ, बृहत्कल्प और व्यवहार इन तीनों आगमों को ग्रहण किया है।^६ सम्भव है आचारचूला और छेदपूर्वों के निर्माता चतुर्दशपूर्वी भद्रवाह हों।

पूर्ववर्ती आचार्यों ने आगम के तीन प्रकार बतये हैं—मुक्तागम, अत्यागम और तदुपनागम। अग्न इष्टि से आगम के तीन प्रकार और भी हैं—आत्मागम, अनन्तरागम और परम्परागम। व्याख्या दोनों में हमना विवेचन हम प्रकार प्राप्त होता है। तीर्थंकर के लिए अर्थ आत्मागम है। यही अर्थ गणधरों के लिए अनन्तरागम है। गणधरों के लिए मूल आत्मागम है और गणधरशिष्यों के लिए मूल अनन्तरागम और अर्थ परम्परागम है। गणधर शिष्य के लिए और उसके पश्चात् शिष्यपरम्परा के लिए अर्थ और मूल दोनों ही आगम परम्परागम हैं। इनमें आगम का मूल स्रोत, प्रथम उपलब्धि और पारम्परिक उपलब्धि इन तीन इष्टियों से चिन्तन किया है। आचार्य जिनदासगणि महत्तर की इष्टि से तीर्थंकर निशीथ के अर्थप्ररूपक हैं। उनके अर्थ की प्रथम उपलब्धि गणधरों को हुई और उन अर्थ की पारम्परिक उपलब्धि उनके शिष्य और प्रतिष्यों को हुई और वर्तमान में हो रही है।

१. स्वविरः श्रुतपूर्वश्चतुर्दशपूर्वविद्भिः ।
—आचारांगवृत्ति, पृ. २१०
२. गिमीहं णवमा पुष्पा पञ्चखाणस्त तनियवत्सूओ ।
आचार नामधेज्जा, वीमतिगा पाहुइच्छेदा ॥
—निशीथभाष्य, ६५००
३. कलरं मुतं ? दशाउक्थो व्यवहारो य । फतरातो उद्धतं ? उच्यते पचनशाणपुव्याओ ।
—दशाश्रुतस्त्रयचूर्ण, पृ. २
४. खंदाणि भद्रवाहं, पाइणं चरित्ततयत्तमुयनाणि ।
मुत्तस्त वारगमितं, दशासु कथे य व्यवहारे ॥
—दशाश्रुतस्त्रयचूर्णनिर्मुक्ति १।१
५. ततोक्थिय गिज्जूवं, धणुणहट्टाए सपयजनीचं ।
तो मुनकारतो धट्टु, ग भवति दगन्पववट्टारो ॥
—पञ्चकल्पमहाभाष्य ११; बृहत्कल्पग्रन्थ पृष्ठ वि. प्र. पृ. २
६. तेण भगवता आचारप्रकल्प-दशा-कल्प-व्यवहारा य तथमपुव्वनीगं दभूता निज्जूवा ।
—पञ्चकल्पचूर्ण, पृ. १, बृहत्कल्प ग्रन्थ पृष्ठ वि. प्र. पृ. ३

कल्प दक्षणा तु मुने.....

चूर्ण—'कल्पो' ति दशाकल्पव्यवहारा ॥

—निशीथभाष्य, ६३९५

मूत्रागम की दृष्टि से निशीथ के मूत्र रचयिता गणधर हैं। उस मूत्र की प्रथम उपलब्धि गणधर के शिष्यों को हुई और पारम्परिक उपलब्धि गणधर के प्रशिष्यों को हुई।^१

इस प्रकार आचार्य जिनदासगणि महत्तर के अनुमार निशीथ के कर्ता ग्रयं की दृष्टि से तीर्थकर और मूत्र की दृष्टि से गणधर सिद्ध होते हैं। फिर महज ही यह प्रश्न उद्बुद्ध होता है कि भद्रबाहु को पञ्चवल्पचूर्णकार ने निशीथ का कर्ता किम प्रकार माना। प्रस्तुत प्रश्न पर जब हम गहराई से विन्तन करते हैं तो हमें दशाश्रुत-स्वन्धनियुक्ति में इगका ममाधान मिलता है। वहाँ पर नियुक्तिकार ने दशाश्रुतस्वन्ध के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए लिखा है कि प्रस्तुत दशाएँ अंगप्रविष्ट आगमों में प्राप्त दशाओं से लघु हैं। शिष्यों के अनुग्रह हेतु इन लघु दशाओं का नियुक्ति स्पष्टिरी ने किया। पञ्चवल्पभाष्य चूर्ण के अनुसार ये स्वविर भद्रबाहु हैं। संक्षेप में यदि हम कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि ग्रयं के प्ररूपक तीर्थकर हैं। मूत्र के रचयिता गणधर हैं और वर्तमान संक्षिप्त रूप के निर्माता भद्रबाहु स्वामी हैं।

निशीथमूत्र के अन्त में प्रशस्ति में तीन गाथाएँ प्राप्त होती हैं।^२ जिनके आधार पर विज्ञो में एक धारणा यह प्रचलित है कि निशीथ के कर्ता विशाखाचार्य हैं। श्वेताम्बर परम्परा की जितनी भी पट्टावलिर्था उपलब्ध हैं उनमें कहीं पर भी विशाखाचार्य का उल्लेख नहीं है। दिगम्बर परम्परा की पट्टावली में भद्रबाहु के पश्चात् विशाखाचार्य का नाम आया है। विशाखाचार्य दस पूर्वों के ज्ञाता थे। वीर निर्वाण के एक सौ बासठ वर्ष तक भद्रबाहु स्वामी थे। उसके पश्चात् ही विशाखाचार्य का युग प्रारम्भ हुआ। प्रशस्तिगाथाओं में विशाखाचार्य के लिए—'तस्स तिहियं निसीहं' यहाँ पर लिखित का अर्थ रचयिता और लेखक ये दोनों ग्रयं निकल सकते हैं। पट्टावनियों में अन्य किसी विशाखाचार्य का उल्लेख नहीं है। जब प्रशस्ति में निशीथ के लेखक के रूप में विशाखाचार्य का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित था, फिर चूर्णकार ने निशीथ को गणधरकृत क्यों लिखा और आचार्यशिलाक ने निशीथ के रचयिता स्वविर को चतुर्दश पूर्वविद् क्यों लिखा? इसके उत्तर में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं।

एक प्रश्न यह भी समुत्पन्न होता है कि नियुक्तिकार, भाष्यकार और चूर्णकार के समक्ष ये प्रशस्ति गाथाएँ थी या नहीं? यदि यह माना जाय कि निशीथ के लेखक विशाखाचार्य थे तो दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रशस्ति की गाथाएँ विशाखाचार्य ने बनाई? गाथाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि स्वयं विशाखाचार्य अपना परिचय इस प्रकार नहीं दे सकते, वे अपने गुणों का उद्कीर्तन कैसे कर सकते हैं। यदि विशाखाचार्य ने ये गाथाएँ मूल ग्रन्थ के अन्त में दी होंगी तो नियुक्तिकार को विशाखाचार्य का उल्लेख करने में क्या आपत्ति हो सकती थी? वे फिर स्वविर शब्द से क्यों उल्लेख करते? अतः यह स्पष्ट है कि नियुक्तिकार के समक्ष प्रशस्ति की ये तीन

१. "निसीहचूलजम्भयणस्म तिस्यधराणं अत्यस्स अत्तागमे, गणहराणं सुत्तस्स अत्तागमे, गणार्णं अत्यस्स अण-तरागमे। गणहरसिस्साणं सुत्तस्स अणंतरागमे, अत्यस्स परपरागमे। तेण परं सेसाणं भुत्तस्सवि अत्यस्स-वि णो अत्तागमे, णो अणन्तरागमे, परंपरागमे।"
—निशीथचूर्ण भाग १ पृ. ४

२. संसणचरित्तजुओ जुत्तो गुत्तोमु सज्जणहिण्णु।
नामेण विसाहगणी महत्तरओ गुणाण मजूसा ॥
कित्तीकति पिणाढो जसपत्तो पढ्हो तिसागर निरुद्धो।
पुणस्सं भमइ सहिं ससिच्च गगण गुणं तस्स ॥
तस्स तिहियं निसीहं धम्मधुराधरणपवर पुज्जस्स।
आरोगं धारणिज्जं सिस्सपसिस्सोव भोज्जं च ॥

गाथाएँ नहीं थीं। ये गाथाएँ विशाखाचार्य की होती तो ब्रूचिकार भी इन गाथाओं पर ब्रूचि अवश्य लिखते और बीमवे उद्देश्य की संस्कृत व्याख्या में भी इसका संकेत अवश्य करते। इसलिए यह स्पष्ट लगता है कि ये गाथाएँ विशाखाचार्य के द्वारा लिखी हुई नहीं हैं। यदि यह कल्पना की जाय कि ये गाथाएँ विशाखाचार्य के द्वारा ही लिखित हैं तो यहाँ पर 'तिथियं' शब्द का अर्थ रचना नहीं अपितु पुस्तक लेखन है। यदि यह माना जाय कि भद्रबाहु ने निगीय की रचना की और उस रचना को विशाखाचार्य ने लिपिबद्ध किया, यह भी सम्भव नहीं लगता। यदि दिगम्बर परम्परा के विशाखाचार्य ने निगीय को लिपिबद्ध किया होता तो दिगम्बर परम्परा में निगीय को मान्यता प्राप्त होती, पर निगीय की जो मान्यता श्वेताम्बर परम्परा में है यह दिगम्बर परम्परा में नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि निगीय के लिपिबद्धता विशाखाचार्य दिगम्बर परम्परा के नहीं, अपितु श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य होने चाहिए। यह प्रत्येकणीय है कि वे कौन थे? कहाँ के थे? उनकी परिचय देनाएँ क्या थीं? प्रमाप्ति की इन तीन गाथाओं को किसने बनाया और किसने निगीय के अन्त में मिला। यह सही प्रमाण प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इन गाथाओं के प्राचार्य पर निगीय के बर्तव्य का निर्णय करना उपयुक्त नहीं है। विशाखाचार्य के गुणों का उत्पत्ति होने से ये गाथाएँ विशाखाचार्य के द्वारा निमित्त नहीं हैं। विशाखाचार्य के निगीय-प्रसिद्धि ने ही ग्रन्थ के अन्त में अंकित किया हो।

हम पूर्व पंक्तियों में यह अंकित कर चुके हैं कि पञ्चकल्पब्रूचि के अनुसार निरूहक भद्रबाहु स्वामी हैं। इस मत का समर्थन आगम-प्रभाषक पुण्यविजयजी ने भी किया है। यह आज अन्वेषण के परचात् स्पष्ट हो चुका है कि आचारवृत्ता षतुदंशपूर्वी भद्रबाहु के द्वारा निरूहण की गई है। आचारंग से आचारपूना की रचनाओं की संबंधा पृथक् है। उसकी रचना आचारंग के परचात् हुई है।

एक शिष्य के अन्तर्गत में यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि वर्तमान में तीर्थंकर प्रभु नहीं हैं, न धनुकेवली ही हैं न दशपूर्वी या नौपूर्वी ही हैं। ऐसी स्थिति में यदि कदाचित् दोष लग जाय तो उक्त शुद्धिकरण कैसे होगा? विशिष्ट ज्ञानी के अभाव में कौन प्रामाणिक देकर साधना को निरमल बनाएगा। आचार्य ने शिष्य के भ्रमों से बचाने के हेतु को देखा। उसकी बात सुनी। आचार्य ने बहुत ही मधुर शब्दों में कहा—'बल! तुम्हारा विद्वान् उपयुक्त है। आज तीर्थंकर और षतुदंश पूर्वी हमारे सामने नहीं हैं किन्तु षतुदंशपूर्वद्वार द्वारा निबद्ध आचारप्रकल्प सम्यक् को धारण करने वाले आचार्य विद्यमान हैं। वे प्रायश्चित्त देकर शुद्धिकरण कर सकते हैं।'

जिनदागमनि महत्तर ने 'सोदृशपुण्यविबद्धो' शब्द के दो अर्थ दिये हैं—'षतुदंशपूर्वी द्वारा निबद्ध कथवा षतुदंश पूर्वी से निरूढ'। हम पूर्व पंक्तियों में यह निश्चय के हैं कि निगीय नीचे पूर्व से निरूढ किया गया है। अतः षतुदंश पूर्वी निरूढ से कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। इसलिए जिनदागमनि महत्तर ने निगीय के अर्थ षतुदंश-पूर्वी भद्रबाहु को माना है। यह संगत प्रतीत होता है।

महात्मनीयो पण्डित दत्तगुप्तभाई मानवनिधा ने विस्तार से अपनी प्रस्तावना में विविध दृष्टियों में विद्वान् किया। पर वे स्वयं इस निदर्श पर नहीं पहुँच सके कि निगीय के अर्थ कौन हैं। उनका यह मत अवश्य रहा कि भद्रबाहु नहीं होने चाहिए और न विशाखाचार्य ही। निगीय की रचना श्वेताम्बर और दिगम्बर मतभेद के पूर्व ही की गई। भद्रबाहु के परचात् ही श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में पार्यव्य हुआ है। निगीय का

१. निगीय एक अध्यायन : पं. दत्तगुप्त मानवनिधा से मार ग्रहण —पृ. १८-२४

२. अर्थ त्रिगुणधरा, अरिं मोधि तथा वि धमु एहि ।

शोरमन्त्रिबद्धो, गणारिष्टी परक्यधरो ॥

—निगीयभाष्य, १९७४

दोनों ही परम्पराओं में उल्लेख है, इसलिए संभेद के पूर्व ही इसका निर्माण हो गया होगा। व्यवहारसूत्र जो आचार्य भद्रबाहु की ही कृति मानी जाती है, उसमें आचारप्रकल्प का अनेक बार उल्लेख हुआ है।^१ इससे स्पष्ट है कि भद्रबाहु के समक्ष निशीथ अवश्य था। भले ही आज जो निशीथ का रूप है वह न भी हो। इस आधार से निशीथ को भद्रबाहु के समय से पूर्व की रचना मानना तर्कसंगत है। श्रमण भगवान् महावीर के निर्वाण से १५० वर्ष के अन्तर्गत ही निशीथ का निर्माण हो चुका था। पञ्चकल्पचूर्ण के अनुसार आचार्य भद्रबाहु ने निशीथ की रचना की, उनका भी समय यही है। दूसरी परम्परा के अनुसार यदि मानते हैं तो भद्रबाहु के पश्चात् ही विशाखाचार्य होते हैं। तो भी वीर निर्वाण से १७५ वर्ष के बीच निशीथ का निर्माण हो चुका था, ऐसा असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है।^२

पण्डित मुनि श्री कल्याणविजयजी गणि का स्पष्ट मन्तव्य है कि बृहत्कल्प और व्यवहार इन दोनों प्रागर्णों को पूर्वश्रुत से निपूढ करने वाले भद्रबाहु स्वामी हैं और निशीथाध्ययन के निपूढकर्ता भद्रबाहु न होकर आर्यरक्षित-सूरि हैं। भद्रबाहु स्वामी ने कल्प और व्यवहार में जो प्रायश्चित्त का विधान किया है वह तत्कालीन श्रमण-श्रमणियों के लिए पर्याप्त था किन्तु आर्यरक्षितसूरि के समय तक परिस्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो चुका था। मौर्यकालीन दुर्भिक्षादि की स्थिति समाप्त हो चुकी थी। राजा सम्प्रति मौर्य के समय श्रमण-श्रमणियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। श्रमणों की संख्या की अभिवृद्धि के साथ अनेक नवीन समस्याएँ भी उपस्थित हो चुकी थीं। अतः कल्प और व्यवहार का प्रायश्चित्तविधान अपर्याप्त प्रतीत हुआ। एतदर्थ नवीन स्थितियों पर नियन्त्रण करने के लिए विस्तार से प्रायश्चित्तविधान बनाना आवश्यक था, अतः आर्यरक्षित ने पूर्व साहित्य से वह निपूढ किया। कल्पाध्ययन में छह उद्देशक थे, व्यवहार में दस उद्देशक थे तो निशीथाध्ययन में बीस उद्देशक हैं और लगभग १४२६ सूत्रों में प्रायश्चित्त का विधान है।

पञ्चकल्पभाष्य चूर्णिकार ने कल्प, व्यवहार आदि के साथ निशीथाध्ययन भी श्रुतधर भद्रबाहु स्वामी द्वारा पूर्वश्रुत से उद्धृत बताया है किन्तु सत्य-तथ्य यह नहीं है। बृहत्कल्प की भाषा और प्रतिपादित विषयों तथा निशीथाध्ययन के सूत्रों की भाषा और उसमें प्रतिपादित विषयों में स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रतीत होती है। यह सत्य है कि बृहत्कल्प की भाषा और व्यवहार की भाषा में भी भिन्नता है पर वह भिन्नता व्यवहार में बाद में किये गये परिवर्तनों के कारण है। यही कारण है कि व्यवहारसूत्र में निशीथाध्ययन का प्रकल्पाध्ययन यह नाम प्राप्त होता है। यह परिवर्तन सम्भव है आर्यरक्षितसूरि के पश्चात् हुआ हो।^३

निशीथ का आधार और विषय-वर्णन

निशीथ आचार्य का पांचवी चला है। इसे एक स्वतन्त्र अध्ययन भी कहते हैं। इसीलिए इसका अपर नाम निशीथाध्ययन भी है। इसमें बीस उद्देशक हैं। पूर्व के उन्नीस उद्देशकों में प्रायश्चित्त का विधान है और बीसवें उद्देशक में प्रायश्चित्त देने की प्रक्रिया प्रतिपादित की गई है।

उद्देशक प्रथम में मासिक अनुद्धातिक (गुरु मास)

पांचवें तक मासिक उद्धातिक (लघुमास) प्रायश्चित्त

सिक अनुद्धातिक (गुरु चातुर्मास) प्रायश्चित्त का

लेकर

चातुर्मा-

उद्धा-

१. व्य. उद्देश ३. १०; उद्देश ५, सूत्र १५;

२. निशीथ : एक अध्ययन पृ. २४-२५

३. प्रबन्ध पारिजात में 'निशीथसूत्र का

तिक (समुधातुर्मांस) प्रायश्चित्त का उल्लेख है। इन उद्देशकों का जो विभाजन किया गया है उसका आधार है मांसिक उद्घातिक, मांसिक अनुद्घातिक, चातुर्मांसिक उद्घातिक, चातुर्मांसिक अनुद्घातिक और आरोपना, ये पाँच विधियाँ हैं। स्थानांगमूत्र के पाँचवें स्थान में आचारखण्ड के पाँच प्रकार बताये हैं।^१

यदि हम गहराई में विन्तन करें तो प्रायश्चित्त के दो ही प्रकार हैं—मांसिक और चातुर्मांसिक। वेद द्विधात्मिक, त्रिधात्मिक, पञ्चमांसिक और छद्म मांसिक, ये प्रायश्चित्त आरोपना के द्वारा बनते हैं। बीसवें उद्देशक का प्रमुख विषय आरोपना ही है। स्थानांगमूत्र के पाँचवें स्थान में आरोपना के पाँच प्रकार बताये हैं। आरोपना का अर्थ है एक दोष से प्राप्त प्रायश्चित्त में दूसरे दोष के आतेकन से प्राप्त प्रायश्चित्त का आरोपन करना। उसके पाँच प्रकार हैं—

१. प्रस्थापिता—प्रायश्चित्त में प्राप्त अनेक तर्पों में से किसी एक तप को प्रारम्भ करना।

२. स्थापिता—प्रायश्चित्त रूप से प्राप्त तर्पों को स्थापित विधे रचना, वैशाख्युक्त आदि किसी प्रयोजन से प्रारम्भ न कर पाना।

३. कृत्स्ना—वर्तमान जैन धारण में तप की उत्कृष्ट अवधि छद्म नाम की है। जिते हम अथग्रि से अधिक तप (प्रायश्चित्त रूप में) प्राप्त न हो उसकी आरोपना को अपनी अवधि में परिपूर्ण होने के कारण कृत्स्ना कहा जाता है।

४. अकृत्स्ना—जिसे छद्म नाम से अधिक तप प्राप्त हो, उसकी आरोपना अपनी अवधि से पूर्ण नहीं होगी। प्रायश्चित्त के रूप में छद्म नाम से अधिक तप नहीं किया जाता। उसे उमी अवधि में समाहित करना होता है। इसलिए अपूर्ण होने के कारण इसे अकृत्स्ना कहा जाता है।

५. हाबहदा—जो प्रायश्चित्त प्राप्त हो उसे छोड़ ही दे देना।

प्रायश्चित्त के (१) मांसिक और (२) चातुर्मांसिक ये दो प्रकार हैं। वेद द्विधात्मिक, त्रिधात्मिक, पञ्चमांसिक और चातुर्मांसिक प्रायश्चित्त आरोपना से बनते हैं। जिनोय के बीसवें उद्देशक का मुख्य विषय आरोपना ही है। स्थानांग में केवल आरोपना के पाँच प्रकार ही प्रतिपादित हैं। यहाँ पर गमयायोग में सट्टाईय आरोपना के प्रकार बतलाये हैं।^२ ये इस प्रकार हैं—(१) एक मास की (२) पैंतीस दिन की (३) पान्नीय दिन की (४) पैंतासीस दिन की (५) पचास दिन की (६) सत्तावन दिन की (७) दो मास की (८) पैंगड दिन की (९) गत्तर दिन की (१०) पचहत्तर दिन की (११) अस्सी दिन की (१२) पचासी दिन की (१३) तीस मास की (१४) गत्तानवे दिन की (१५) सौ दिन की (१६) एक सौ पाँच दिन की (१७) एक सौ दस दिन की (१८) एक सौ पन्द्रह दिन की (१९) चार मास की (२०) एक सौ पच्चीस दिन की (२१) एक सौ तीस दिन की (२२) एक सौ पैंतीस दिन की

१. पंचविदे आचारखण्डे पन्नसे, तं जहा—

मांसिण् उग्मातिण् मांसिण् अनुग्मातिण्

चठमांसिण् उग्मातिण्

चठमांसिण् अनुग्मातिण् आरोपना।

—टीका ५. १४२ पृ. ५८८

२. आरोपना पंचविहा पण्यता, तं जहा—

पट्टविधा, टरिमा, कणिषा,

अरगिषा, हाबहदा।

—टीका ५. १४९. पृ. ५८९

३. समवायाने, मनवाय २८

(२३) एक सौ चालीस दिन की (२४) एक सौ पঁतालीस दिन की (२५) उद्घातिकी आरोपणा (२६) अनुद्घातिकी आरोपणा (२७) कुत्सना आरोपणा (२८) अकुत्सना आरोपणा ।

जिस तीर्थंकर के शासन में तीर्थंकर स्वयं उत्कृष्ट तप की जितनी आराधना करते हैं, उससे अधिक तप की आराधना उसके शासन में अन्य व्यक्ति नहीं कर पाते । प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने एक संवत्सर तक तप की आराधना की । उनके शासन में एक संवत्सर से अधिक तपस्या का विधान नहीं था । भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ के शासन तक आठ मास के तप की आराधना साधक कर सकता था । भगवान् महावीर ने उत्कृष्ट तप की आराधना छह मास की की थी, इसलिए उनके शासन में तपस्या का विधान छह मास का है, उससे अधिक नहीं । इसलिए भ. महावीर के शासन में आरोपणा प्राप्त प्रायश्चित्त का विधान भी छह मासिक से अधिक नहीं है ।^१ छेद प्रायश्चित्त भी उत्कृष्ट छह मास का होता है । वह अधिक से अधिक तीन बार तक दिया जा सकता है । उसके पश्चात् मूल प्रायश्चित्त दिया जाता है ।

दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवहार, बृहत्कल्प आदि छेदसूत्रों से निरीष्य की रचना शैली पृथक् है । उन्नीस उद्देशकों तक प्रत्येक सूत्र साइज्ज से पूर्ण होता है और प्रायश्चित्त विधान के साथ उद्देशक पूर्ण होता है । किन्तु बीसवें उद्देशक की रचनाशैली उन्नीस उद्देशकों से बिल्कुल अलग-थलग है । बीसवें उद्देशक में अनेक तथ्य दिये गये हैं । किन्तु सूत्र की शैली बहुत ही संक्षिप्त है । अतः सूत्र में रहे हुए गुण गम्भीर रहस्य को बिना गुरुगम के या बिना व्याख्या साहित्य के समझना बहुत ही कठिन है । यही कारण है प्रस्तुत सूत्र पर अत्यधिक विस्तार से भाष्य चूर्ण आदि का निर्माण हुआ है । नियुक्ति, भाष्य, चूर्ण, सुबोध व्याख्या आदि में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की विस्तार से चर्चा है ।

साधना के दो मार्ग : उत्सर्ग और अपवाद

जैनसंस्कृति में साधना का गौरवपूर्ण स्थान है । प्राचीन जैन साहित्य के मूळ साधना के उज्ज्वल समुज्ज्वल आलोक से जगमगा रहे हैं । साधना को जीवन का प्राण कहा है । सम्पूर्ण साधना से ही साधक अपने साध्य को प्राप्त करता है । साधक के जीवन के कण-कण में त्याग, तप, स्वाध्याय और ध्यान की सरस सरिता बहती है ।

उत्सर्ग और अपवाद मार्ग

जैन साधना रूपी सरिता के दो तट हैं—एक 'उत्सर्ग' है और दूसरा 'अपवाद' । उत्सर्ग शब्द का अर्थ 'मुख्य' और अपवाद शब्द का अर्थ 'शेष' है । उत्सर्ग मार्ग का अर्थ है आन्तरिक जीवन, चारित्र्य और सद्गुणों की रक्षा, शुद्धि और अभिवृद्धि के लिए प्रमुख नियमों का विधान और अपवाद का अर्थ है आन्तरिक जीवन आदि की रक्षा

१. सुबह्निहि वि मासेहि, छह मासण परं ण दायव्वं ॥ ६५२४ चूर्ण—तवारिहेहिं बह्निहि मासेहि छम्मासा परं ण दिज्जइ सब्वस्सेव एस णियमो, एत्थ कारणं जम्हा अम्हं बद्धमाणसामिणो एवं चेव परं पमाणं ठवितं ॥

(ख) छम्मासीवरि जइ पुणो भावज्जइ तो तिण्णि वारा लहु चेव छेदो दायव्वो । एस अविस्सिट्ठो वा तिण्णि वारा छल्लहु छेदो ।

अहवा—जं चेव तव तियं तं छेदतिय पि—मासम्भंतरं, चउमासम्भंतरं छम्मासम्भंतरं च, जम्हा एवं तम्हा भिण्णमासादि जाव छम्मासं, तेमु छिण्णमु छेय तियं भतिककतं भवति । ततो वि जति परं भावज्जति तो तिण्णि वारा मूलं दिज्जति ।

—निरीष्य चूर्ण भाग ४, ५, ३५१-५२.

हेतु उमकी मुद्रि वृद्धि के लिए साधक नियमों का विधान । उत्तम और अपवाद दोनों का मध्य एक है और वह है साधक को उपायता के पथ पर आये यज्ञाना । सामान्य साधक के मालम में यह विचार उद्भूत हो सकते हैं कि इन उत्तम और अपवाद इन दोनों का मध्य एक है तो फिर दो रूप क्यों हैं ?

उत्तर में निषेधन है कि जैन संस्कृति के मर्मज महामनीषियों ने मानव की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को मध्य में रखकर तथा संघ के समुत्थय को ध्यान में रखकर उत्तम और अपवाद मार्ग का निरूपण किया है । निशीमभाष्यकार ने लिखा है कि समय साधक के लिए उत्तम स्थिति में जिन श्रमों का निषेध किया गया है, असमय साधक के लिए अपवाद की परिस्थिति में विशेष कारण से वह वस्तु ग्राह्य भी हो जाती है ।^१

उत्तम और अपवाद, विरोधी नहीं

प्रायः जिनदासगणि महत्कार^२ ने लिखा है कि जो बातें उत्तम मार्ग में निषिद्ध की गई हैं वे सभी बातें कारण सम्पुष्ट होने पर कल्पनीय व ग्राह्य हो जाती हैं । इसका कारण यह है कि उत्तम और अपवाद दोनों का मध्य एक है, वे एक-दूसरे के पूरक हैं । साधक दोनों के मुमेन से ही साधना पथ पर सम्पुष्ट प्रकार से बढ़ सकता है । यदि उत्तम और अपवाद दोनों एक-दूसरे के विरोधी हों तो वे उत्तम और अपवाद नहीं हैं किन्तु स्वयत्तया का पोषण करने वाले हैं । प्रायः साहित्य में दोनों को मार्ग कहा है । एक मार्ग राजमार्ग की तरह सीधा है तो दूसरा जरा घुमावदार है ।

सामान्य विधि : उत्तम

उत्तम मार्ग पर चलना यह साधक के जीवन की सामान्य गति है । एक व्यक्ति राजमार्ग पर चल रहा है, किन्तु राजमार्ग पर प्रतिरोध-विशेष उत्पन्न होने पर वह राजमार्ग को छोड़कर समिपट की पगडबडी को ग्रहण करता है । कुछ दूर चलने पर जब अनुकूलता होती है तो पुनः राजमार्ग पर लौट आता है । यही स्थिति साधक की उत्तम मार्ग से अपवाद मार्ग को ग्रहण करने के सम्बन्ध में है और पुनः यही विधि अपवाद से उत्तम में आने की है ।

उत्तम मार्ग सामान्य विधि है । इस विधि पर वह निरन्तर चलता है । बिना विशेष परिस्थिति के उत्तम मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए । जो साधक बिना कारण ही उत्तम मार्ग को छोड़कर अपवाद मार्ग को अपनाता है वह धाराधर नहीं, अपितु विराधक है । पूनः स्वयं व्यक्ति यदि औषधि ग्रहण करता है या रोग मिट जाने पर भी बीमारी का अभिन्तय कर औषधि धारि ग्रहण करता है तो वह अपने कर्तव्य में श्रुण होता है । विशेष कारण के अभाव में धाराधर का सेवन नहीं करना चाहिए । साथ ही जिस कारण से अपवाद का सेवन किया है, उम कारण के समाप्त होने ही उसे पुनः उत्तम मार्ग को अपनाता चाहिए ।

विशिष्ट विधि : अपवाद

हम पूनः में क्या बुरे है कि अपवाद एक विशिष्ट मार्ग है । उत्तम के समान ही वह संघ साधक का ही मार्ग है । पर अपवाद सामयिक अपवाद होना चाहिए । यदि अपवाद के दीर्घ इतिरूपोपय को धारता है तो वह अपवाद मार्ग नहीं है । अतः साधक को अपवाद मार्ग में तन्य जागरूक रहने की धारतनकता है । बिना कति धारतनक हो, उतना ही अपवाद का सेवन किया जा सकता है, निरन्तर नहीं । अपवाद मार्ग पर ही विधि विवेक स्थिति

१. उत्तमपेन निमिज्जानि जानि श्मशानि मंचरे मुनिपयो ।

कारणभाए जाने, श्मशानि वि ताणि कल्पनि ॥

—विनीषमप्य ३२४३

२. जानि उमगमे पविमिज्जानि उचान्ने कारणे श्मशानि वि ताणि कल्पनि । म दोनो.....—विनीषपुनि ३२४३

परिस्थिति में ही चला जाता है। भ्रपवाद का मार्ग चमचमाती हुई तलवार की तीक्ष्ण धार के सदृश है। उस पर प्रत्येक साधक नहीं चल सकता। जिस साधक ने आचारांग आदि आगम साहित्य का गहराई से अध्ययन किया है, छेदसूत्रों के गम्भीर रहस्यों को समझा है, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का जिसे स्पष्ट परिज्ञान है, वह गीतार्थ महान् साधक ही भ्रपवाद को अपना सकता है। जिसे देश, काल और स्थिति का परिज्ञान नहीं है, ऐसा अगीतार्थ यदि भ्रपवाद मार्ग को अपनाता है तो वह साधना से च्युत हो सकता है। कुशल व्यापारी आय और व्यय को सम्यक् प्रकार से समझकर ही व्यापार करता है, वह अल्प व्यय कर अधिकाधिक लाभ उठाता है। वैसे ही गीतार्थ श्रमण परिस्थिति विशेष में दोष का सेवन करके भी अधिक सद्गुणों की वृद्धि करता है।

आचार्य भद्रबाहु^१ ने गीतार्थ के सद्गुणों का विवेचन करते हुए लिखा है—आय-व्यय, कारण-अकारण, आगाढ़ (स्नान)-भनागाढ़, वस्तु-अवस्तु, युक्त-अयुक्त, समर्थ-असमर्थ, यतना-अयतना का सम्यक् ज्ञान गीतार्थ को रहता है और वह कर्तव्य और कार्य का परिणाम भी जानता है।

गीतार्थ पर जिम्मेदारी होती है कि वह अपवाद स्वयं सेवन करे या दूसरों को भ्रपवाद सेवन की अनुमति दे। अगीतार्थ श्रमण अपवाद सेवन करते का स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। गीतार्थ को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का परिज्ञान होता है, जिससे वह साधना के पथ पर बढ़ सकता है।

आचार्य संघदासगणि^२ ने सुन्दर रूपक के द्वारा उत्सर्ग और अपवाद मार्ग को बताया है। एक यात्री अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से चल रहा है। वह कभी तेजी से कदम बढ़ाता है तो कभी जल्दी पहुँचने के लिए वह दौड़ता भी है। पर जब वह बहुत ही थक जाता है और आगे उसे विपम मार्ग दिखाई देता है, तब विश्रान्ति के लिए कुछ क्षणों तक बैठता है, क्योंकि बिना विश्राम किये एक कदम भी चलना उसके लिए कठिन है। लेकिन उस यात्री का विश्राम आगे बढ़ने के लिए है। उसकी विश्रान्ति, विश्रान्ति के लिए नहीं; अपितु प्रगति के लिए है।

साधक भी उसी तरह उत्सर्ग मार्ग पर चलता है; किन्तु कारणवशात् उसे अपवाद मार्ग का भ्रवलम्बन लेना पड़ता है। वह अपवाद उत्सर्ग की रक्षा के लिए ही है, उसके ध्वंस के लिए नहीं है। कल्पना कीजिए—शरीर में एक भयंकर जहरीला फोड़ा हो चुका है। शरीर की रक्षा के लिए उस फोड़े की शल्यचिकित्सा की जाती है। शरीर का जो छेदन-भेदन होता है वह शरीर के विनाश के लिए नहीं, अपितु शरीर की रक्षा के लिए है।

यदि साधक पूर्ण समर्थ है और विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर वह सहर्ष भाव से मृत्यु का वरण कर सकता हो तो वह समाधिपूर्वक वरण करे। यदि मृत्यु को वरण करने में समाधिभाव भंग होता है तो वह जीवन को बचाने हेतु संयम की रक्षा के लिए प्रयत्न करे।

ओषनिर्मुक्ति की टीका में आचार्य द्रोण^३ ने लिखा है—भ्रपवाद सेवन करने वाले साधक के परिणाम पूर्ण विशुद्ध हैं और पूर्ण विशुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है, संसार का नहीं। साधक का शरीर संयम के लिए है।

१. आयं कारण गाढं वस्तु जुतं ससति जयणं च ।

सर्वं च सपडिवन्धं फलं च विधिवं वियाणाह ॥

—बृहत्कल्पनिर्मुक्तिभाष्य १५१

२. धावंतो उब्बाओ मगन्तु किं न गच्छइ कमेणं ।

किं वा मउई किरिया, न कीरए असहुओ तिक्खं ॥

—बृहत्कल्पभाष्य पीठिका, ३२०

३. न याजविरई किं कारणं ? तस्याशयशुद्धतया विशुद्धपरिणामस्य च मोक्षहेतुत्वात् ।

—ओषनिर्मुक्ति टीका गा. ४६

यदि शरीर ही नहीं रहा तो वह संयम की आराधना बिना प्रकार कर सकेगा ? संयम की साधना के लिए शरीर का पालन आवश्यक है।^१ साधक का लक्ष्य न जीवित रहना है और न मरना है। न यह जीवित रहने की इच्छा करता है और न मरने की इच्छा करता है। यह जीवित इमर्निए रहना चाहता है कि ज्ञान, दमन, पारित्र की बुद्धि हो सके। त्रिम कार्य से ज्ञान, दमन, पारित्र की गिद्धि और बुद्धि हो, संयम-साधना में निमग्नता आये, उक्त कार्य को वह करना पसन्द करता है। जब देखता है कि शरीर ज्ञान-दमन-पारित्र की बुद्धि में बाधक बन रहा है तो वह समेह मरण को स्वीकार कर लेता है।

स्वस्थान और परस्थान

एक निष्पत्ति ने त्रिजाता प्रस्तुत की—मगवन् ! यथाइए, साधक के लिए उत्तम स्वस्थान है या अपवाद ? समाधान प्रदान किया गया कि त्रिम साधक का शरीर पूर्ण स्वस्थ है और समर्थ है उतने लिए उत्तम मार्ग ही स्वस्थान है और अपवाद परस्थान है। पर त्रिजता शरीर रजस है, प्रसमर्थ है, उतने लिए अपवाद स्वस्थान है और उत्तम परस्थान है।^२

साधक में जहाँ संयम का जोग होता है वहाँ उत्तम विवेक का होना भी होता है। अपवाद मार्ग का निरूपण त्रिकं स्वविरतस्य^३ की दृष्टि से किया गया है। त्रिनकम्बी श्रमण तो वेचन उत्तम मार्ग पर ही चलते हैं।^४

अपवाद यानी रहस्य

निजीपञ्चम में उत्तम के लिए 'प्रतिषेध' शब्द का प्रयोग हुआ है और अपवाद के लिए 'अनुज्ञा'। उत्तम प्रतिषेध है और अपवाद विधि है। संयमो श्रमण के लिए त्रिजने भी निषिद्ध कार्य बताये गये हैं, वे प्रतिषेध के अन्तर्गत आ जाते हैं और परिस्मिति-विशेष में जब उन निषिद्ध कार्यों के करने की अनुज्ञा दी जाती है तब वे निषिद्ध कार्य विधि बन जाते हैं।^५ परिस्मिति विशेष से अस्तुंष्य भी कभी बतस्य बन जाता है। साधारण साधक प्रतिषेध को विधि में परिणत करने की शक्ति नहीं रखता। वह भीक्षित-अनोचितर या परीक्षण भी नहीं कर सकता। इमीनिए अपवाद, अनुज्ञा या विधि प्रत्येक साधक को नहीं बताई जाती। एतदर्थ ही निजीपञ्चम में अपवाद का पर्यायवाची रहस्य भी है।^६

अंते प्रतिषेध (उत्तम) का पालन करने में आचार विमुक्त रहता है, उमी तरह अपवाद मार्ग का प्रयत्न करने पर भी आचरण विमुक्त ही मानना चाहिए।^७

अपवाद क्यों और किसलिए ?

अपवाद मार्ग प्रहृत करने के पूर्व अनेक शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों की ओर लक्ष्य न दिया गया तो अपवाद मार्ग पतन का कारण बन जाएगा। एतदर्थ ही प्रतिषेधना के दो भेद हैं—अचरण अपवाद का रोचन 'संप्रतिषेधना'

१. संयमश्रेष्ठ देहो धारिउग्रद सो कञ्जो उजदभावे ।
संयम फादनिमित्त, देह परिपाकना इच्छा ॥ —ओपनिर्मुक्ति ४७
२. संयमो सट्टाणं उत्तमो अग हुनो परट्टाणं ।
एन सट्टाणं वरं या, न होइ वरमु-विद्या विधि ॥ —बृहत्संन्यभाष्य पीठिका ३२४
३. निगीसभाष्य शा० ८७
४. निगीसभाष्य शा० ९९९८ उत्तमानुपनि
५. निगीसभाष्य शा० ५२४५
६. निगीसपुनि शा० ४९३
७. निगीसपुनि शा० २८७, १०२२, १०९८, ४१०३

है और कारण से प्रतिसेवना "कल्प" है। हम पूर्व में यता चुके हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की साधना व आराधना करता हुआ साधक मोक्षमार्ग की ओर बढ़ता है। चारित्र्य का पालन ज्ञान और दर्शन की वृद्धि के लिए है। जिस चारित्र्य की आराधना से ज्ञान-दर्शन की हानि होती हो, वह चारित्र्य नहीं। चारित्र्य वही है जो ज्ञान-दर्शन को पुष्ट करता हो। ज्ञान-दर्शन के कारण चारित्र्य में अपवाद सेवन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वे सभी अपवाद कल्पप्रतिसेवना में इसलिए लिए जाते हैं कि वे साधक को साधना से व्युत्त नहीं करते। जो भी अपवाद सेवन किया जाय उसमें ज्ञान और दर्शन वे दो मुख्य लक्ष्य होने चाहिए। यदि उन दोनों में से कोई भी कारण नहीं है तो वह प्रतिसेवनादर्प है। साधक का कर्तव्य है कि दर्प का परित्याग कर कल्प को ग्रहण करे। क्योंकि दर्प साधक के लिए निषिद्ध माना गया है।^१

एक जिज्ञासा हो सकती है—निशीथ भाष्य^२ व चूर्ण आदि में दुर्भिक्ष आदि की स्थिति में भी अपवाद सेवन किये जाते रहे हैं, ऐसा उल्लेख है। फिर ज्ञान और दर्शन से ही अपवाद सेवन की बात कैसे कही गयी? समाधान है—ज्ञान और दर्शन वे दो मुख्य कारण हैं ही। दुर्भिक्ष आदि में साक्षात् ज्ञान और दर्शन की हानि नहीं होती, किन्तु परम्परा से ज्ञान और दर्शन की हानि होने से उन्हें लिया गया है।

दुर्भिक्ष में आहार की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना आहार स्वाध्याय आदि नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपवाद के कारणों में गिना है।

निशीथभाष्य में दर्पप्रतिसेवना और कल्पप्रतिसेवना को प्रमाद-प्रतिसेवना और अप्रमाद-प्रतिसेवना भी बताया गया है। क्योंकि प्रमाद दर्प है और अप्रमाद कल्प है। जिस आचरण में प्रमाद है वह दर्पप्रतिसेवना है और अप्रमाद है वह कल्पप्रतिसेवना है।^३

अहिंसा की दृष्टि से उत्सर्ग व अपवाद

जैन आचार की मूल भित्ति अहिंसा पर आधारित है। अन्य चारों महाव्रत अहिंसा के विस्तार हैं। जिस कार्य में प्रमाद है, वह हिंसा है। संयमी साधक के जीवन में अप्रमाद का प्राधान्य होता है। अप्रमाद-प्रतिसेवना के भी दो भेद किये गये हैं—अनाभोग और सहसाकार।^४ अप्रमादो होने पर भी ईर्ष्या आदि समिति की विस्मृति हो जाय, किसी कारण से स्वल्प काल के लिए उपयोग न रहे तो वह अनाभोग है। उसमें प्राणातिपात नहीं है, पर विस्मृति है। प्रवृत्ति हो जाने के पश्चात् यह ज्ञात हो कि हिंसा की सम्भावना है तो वह प्रतिसेवना सहसाकार है। जैसे संयमी साधक विवेकपूर्वक गमन कर रहा है। पहले जीव दिखाई न दिया हो पर ज्यों ही कदम उठाया कि जीव पर दृष्टि पड़ी। वचाने का प्रयत्न करने पर भी सहसा जीव के ऊपर पैर पड़ गया और वह प्राणी मर गया तो यह 'सहसा-प्रतिसेवना' है। अप्रमाद होने के कारण यह कर्मबन्धन नहीं है। अहिंसा का आराधन करना श्रमण का उत्सर्ग मार्ग है। वह मन, वचन, काया से किसी भी प्रकार की जीव-हिंसा नहीं करता। आचारांग, दशवैकालिका तथा अन्य आगम साहित्य में अहिंसा महाव्रत का सूक्ष्म विश्लेषण है। श्रमण किसी भी सच्चित्त वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता। पर आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में यह स्पष्ट बताया है। एक श्रमण अन्य रास्ते के अभाव में किसी

१. निशीथभाष्य गा० ८८ उसकी चूर्ण तथा गा० १४४, ३६३, ४६३।

२. निशीथभाष्य गा० १७५, १६२, १८८, २२०, २२१, २४४, २४३, ३२१, ३४२, ३८४, ३९१, ४१९, ४२५, ४५३, ४५८, ४८१ ४८४, ४८५, आदि।

३. निशीथभाष्य गा० ९१।

४. निशीथभाष्य गा० ९०-९५

ऊँचे-नीचे, टेढ़े-मेढ़े, ऊबड़-खाबड़ मार्ग या जहाँ पर मोता के पड़ाव पड़े हों, तब घोर मार्गिनी परो हों, धान्य के ढेर पड़े हों, प्रथम तो ऐसे विषम और संकटाचल मार्ग से अमन को नहीं जाना चाहिए। यदि अविषयक कारण-वश ऊँचे-नीचे मार्ग से आवागमन ही हो तो वनस्पति क्षयवा निती पर्वत के हाथ का सहारा ले लें।

उत्सर्ग मार्ग में अमन हरित वनस्पति को स्वयं नहीं कर सकता, पर जो मार्ग पर आयात में हरित वनस्पति आदि पकड़ने का विधान है, वह विधान वनस्पतिविज्ञान के जीवों को विरायता करने के लिए नहीं है, बल्कि अहिंसा के लिए ही यह विधान है। यदि अमन गिर जाता है तो उसका जंग मंग भी हो सकता है और मन में संकल्प-विचलन भी हो सकता है। माय ही गिरने से दूगरे जीवों को विरायता भी हो सकती है। अतः तब और पर दोनों प्रकार की हिंसा को लक्ष्य में रखकर ही अहिंसा में अविषयक का उत्तरेय विना गया है।*

इसी तरह सचित पानी को अमन स्वयं नहीं कर सकता पर उमड़-धुमड़ार पटा में झा रही हों और ओर से बर्षा हो रही हो, उस समय उच्चार-प्रसारण के लिए यह बाहर जा सकता है।^१ बलान् मन-मून का निरोध करना विषय है। क्योंकि मन-मून के निरोध से शरीर में आधुनिक-व्याकुलता पैदा हो सकती है, रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य और शरीर तथा संभोग के लिए हानिकारक है।

सत्य व अन्य महाव्रतों की दृष्टि से उत्सर्ग-अविषयक

अहिंसा महाव्रत को भांगि ही सत्य भी अमन का जीवनव्रत है। आचारांग में यह भी विधान है कि एक अमन विहार करके जा रहा है, सामने में व्याध आदि या आप घोर यह अमन से पूरे बना तुमने इधर लीने पशु आदि को जाते देखा है ? अमन ऐसे प्रसंग में मोन रहे। यदि मोन रहने की स्थिति न हो तो जानना हुआ भी नहीं जानता है, इन प्रकार कहे। यह सत्य का अविषयक मार्ग है।^२

मूलशुभांगमून की वृत्ति में आचार्य शीताराम ने स्पष्ट किया है कि जिसमें पर-अविषयक की वृत्ति नहीं है, केवल संयम-वृत्ति के लिए बलवान भावना से बोना गया अमन दोर रूप नहीं है बल्कि जो शुभाचार्य काटपूरेव दूगरी को टपने के लिए बोना जाता है यह योग रूप है।^३ अतः तब है।

सत्य की तरह अनेक महाव्रत की गाथना में विना ही हृदयवत् को अमन पहन नहीं करता। पर इन प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो कि अमन किसी ऐसे स्थान पर पहुँचा है जहाँ पर स्थान की सुविधा नहीं है, भयंकर शीत और वर्षा है, ऐसी स्थिति में अमन पहले विना आशा बहन विवेक टहर जान। उसके परबान् भाग्य प्राप्त करने का प्रयास करे।^४

इसी तरह अमन अज्ञाप्य महाव्रत की रक्षा के लिए नवव्रत बनना को भी स्वयं नहीं कर सकता पर वही अमन गरी में हूब रही भिक्षुनी को पकड़कर निजान सकता है।^५

१. आचारांग २ धृत० ईशान्यवन उ० २।

२. योगशास्त्र स्वोन्नतवृत्ति, शीताराम प्रसाद, ८७ का श्लोक।

३. (क) आचारांग २-१-३-१२९ वृत्ति भी देखें।

(ख) निरीप वृत्ति भाष्य, भाषा ३२२

४. मूलशुभांगमून वृत्ति १-८-१९

५. मार्गिनी को मुगं मून, एगप्रग्ने कुमीमिमी। —मूलशुभांग १-८-१९

६. मूलशुभांगमून १-११

७. बृहत्संहिता, उ. ९ मून—७-१२

इसी तरह अपरिग्रह महाव्रत में चौदह उपकरणों के अतिरिक्त उपकरण रखना आदि भी परिग्रह में ही है। किन्तु पुस्तक, लेखन-सामग्री आदि ज्ञान के साधन रूप समझकर ग्रहण किये जाते हैं।^१ अतः उन्हें परिग्रह नहीं माना जाता।

दशवैकालिक^२ आदि में यह स्पष्ट विधान है कि श्रमण किसी गृहस्थ के यहाँ पर न बैठे, क्योंकि बैठना अनाचार माना गया है, किन्तु दशवैकालिक में यह भी बताया है कि जो श्रमण अत्यन्त वृद्ध हो चुका है, अस्वस्थ है या जो तपस्वी है वह गृहस्थ के घर पर बैठ सकता है।^३ उसे गृह-निषिद्धा का दोष नहीं लगता।

भागम साहित्य में श्रमण के आहार की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट विधान किया है कि वह आधाकर्मों आहार ग्रहण नहीं कर सकता। वह पिण्डपणा के नियमों का सम्यक् प्रकार से पालन करे। आचार्य शीलोक^४ ने सूत्रकृतांगवृत्ति में लिखा है कि अपवाद स्थिति में शास्त्र के अनुसार आधाकर्म आहार का सेवन करता है तो वह साधका शुद्ध है। वह कर्म से लिप्त नहीं होता।

निशीथभाष्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें यह बताया गया है कि दुर्भिक्ष आदि की स्थिति में अपवाद मार्ग से श्रमण आधाकर्म आदि आहार ग्रहण कर सकता है।^५

जैन श्रमण के लिए यह विधान है कि वह चिकित्सा की इच्छा न करे।^६ रोग हो जाने पर उसे शान्त भाव से सहन करे। किन्तु जब देखा गया कि श्रमण रोग होने पर समाधिस्थ नहीं रह सकता तो उसकी चिकित्सा के सम्बन्ध में भी चिन्तन हुआ। श्रमण किस प्रकार वँधों के वहाँ पर जाये, किस प्रकार औषधि आदि ग्रहण करे, भयंकर कुष्ठ आदि रोग होने पर किस तरह उनका उपचार किया जाये आदि पर निर्युक्ति, चूर्ण और भाष्य में विस्तार से विवेचन है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उन अपवादों का सेवन करने पर विरोधियों को टीका-टिप्पणी करने का अवसर न मिले, यदि विरोधी आलोचना-प्रत्यालोचन करेंगे तो उससे जिनघर्म की अवहेलना होगी। अतः उसे मुक्त रखने का^७ भी संकेत किया गया है।

अतिचार और अपवाद :

एक बात यहाँ समझनी चाहिए कि अतिचार और अपवाद में अन्तर है।^८ यद्यपि अतिचार और अपवाद में बाह्य दृष्टि से दोष सेवन एक सदृश प्रतीत होता है, पर अतिचार व अपवाद में बहुत अन्तर है। अतिचार में मोह का उदय होता है और मोह के उदय से या वासना से उत्प्रेरित होकर तथा कपायभाव के कारण उत्सर्ग मार्ग को छोड़कर जो भयमविबुद्ध प्रवृत्ति की जाती है वह अतिचार है और अतिचार से संयम दूषित होता है।

१. निशीथचूर्ण भाष्य ३, प्रस्तावना—उपाध्याय अमरमुनिजी।
२. दशवैकालिक ३-४-६, ८
३. तिग्ममन्त्रपरागस्त, निस्सिग्जा जस्त कप्यइ।
जराए अभिभूयस्त वाहिग्रस्त तवस्सिणे ॥ —दश. ६-६०
४. सूत्रकृतांग २-५, ८-९
५. निशीथभाष्य गा. २६८४
६. (क) उत्तराध्ययन २-२३ (ख) दशवैकालिक ३-४ (ग) निशीथसूत्र ३-२८-४०; १३।४२-४५
७. निशीथचूर्ण गा. ३४५-४७
८. निशीथचूर्ण भा. ३ प्रस्तावना (उपा. अमरमुनि)

मतः साधारण को यह ज्ञान हो जान कि मैंने दोष का मेघन किया है जो अरोगन वा, तो उसे बसालीय प्रारंभिक सेवर उग दोष की विमुक्ति करने पाए। जो उग दोष की विमुक्ति नहीं करता है पर धनन विचारक होता है।

अपवाद में दोष का मेघन होता है, पर वह सेवन विषयता के कारण होता है। मेघन करते समय साधारण यह अच्छी तरह से जानना है कि यदि मैं अपवाद वा सेवन नहीं करूँगा तो मेरे ज्ञान आदि कुछ विरहित नहीं हो सकेंगे। उन्नी दृष्टि में यह अपवाद का सेवन करना है। अपवाद के सेवन करने में मनुष्यों का अर्थ और अर्थगत प्रमुख होता है। अपवाद में न्यायभाव नहीं होता, किन्तु संवमभाव प्रमुख होता है। इसलिए वह अपवाद अधि-पार की तरह दूषण नहीं है। अधिपार में न्याय का प्राधान्य होने से अधिक समन्वयन होता है।

उत्सर्ग और अपवाद में विवेक आपेक्षक

उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग दोनों ही मार्ग साधारण के लिए जब तक अंधकार है जब तक उगमें विवेक की अपेक्षा जगमगती ही। मूल अर्थगत साहित्य में उत्सर्ग मार्ग की प्रधानता रही, अपवाद मार्ग का समंत माना किन्तु बहुत ही स्वल्प मात्रा में। सेविन ज्यों-ज्यों परिस्थितियों में परिवर्तन होता गया त्यो-त्यो आचार्यों ने अल्प साहित्य के ध्याना-साहित्य में अपवादों का वित्कार ने निरूपण किया है। अपवादों के निरूपण में बड़ी पर धन भी ही नहीं है जो उग युग की स्थिति का प्रभाव है।

हमने बहुत ही संक्षेप में उत्सर्ग व अपवाद के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किया है। उत्सर्ग और अपवाद के सम को समझना अत्यन्त कठिन है। जब उत्सर्ग और अपवाद में परिणामीयता और कुछ वृत्ति मण्ट हो जाती है तो यह अपवाद बन जाता है। एतदर्थ ही साधारण ने परिणामी, परिणामी और परिणामी स्थितियों का निरूपण किया है। जो मनुष्यस्थिति को सम्पूर्ण प्रकार से समझता है वही साधारण उत्सर्ग व अपवाद मार्ग की आधा-धना कर सकता है और अपने अनुमानों पर भी नहीं मध्य पर बड़ों के लिए उत्प्रेरित कर सकता है। जब परिणामी भाव मण्ट हो जाता है तो स्वार्थ की वृत्ति पनपने लगती है स्वच्छता बनने लगती है, किन्तु साधारण वित्कारमय की आशायता सम्पूर्ण प्रकार से नहीं कर सकता।

सूक्ष्मत्वमाध्य में आचार्य संन्यासगणित ने लिखा है कि जितने उत्सर्ग के नियम हैं उतने ही अपवाद के भी नियम हैं। उत्सर्ग मार्ग के अधिपारी के लिए उत्सर्ग, उत्सर्ग है और अपवाद, अपवाद है, किन्तु अपवाद मार्ग के अधिपारी के लिए अपवाद उत्सर्ग है और उत्सर्ग अपवाद है। इस प्रकार उत्सर्ग और अपवाद अपनी-अपनी स्थिति और परिस्थिति के कारण अंधकार, कार्यमाध्य और अंधकार है।

उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का इतना समन्वयकरता मूल दृष्टिकोण और समंत के अन्वयन की अन्वी विवेचना है। उत्सर्ग मार्ग जीवन की सकारण का अर्थ है जो अपवाद मार्ग जीवन की विवेचना का अर्थ है। दोनों ही मार्गों में साधारण को अत्यन्त आत्मकता रखनी चाहिए। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि अपवाद मार्ग का सेवन करने वाला अर्थ कोई फोड़ा बन गया है, उन्नी स्वामी पर खुशी है। जो व्यक्ति किम तरह से कम कम हो यह अर्थ स्पष्ट रूपसे अपवाद निरूपण है और उन्नी तरह साधारणपूर्वक अपवाद मार्ग का सेवन किया जाना। सेवन करने समय उन्नी यह अर्थ रखना होगा कि संवम और उग में कम के कम होकर पड़े। विवेक परिस्थिति में और कोई मार्ग न हो तो अपवाद वा सेवन किया जाना, अपवाद नहीं। एतदर्थ ही उत्सर्ग व अपवाद है और वही अपवाद का सेवन करने का अधिपारी माना गया है, स्पष्ट नहीं।

प्रायश्चित्त और दण्ड

छेदसूत्र प्रायश्चित्तसूत्र है। प्रायश्चित्त का अर्थ है पाप का विशोधन करना। पाप को शुद्ध करने की क्रिया का नाम प्रायश्चित्त है। अपराध 'प्रायः' कहलाता है और 'चित्त' का अर्थ शोधन है, जिस प्रक्रिया से अपराध को शुद्धि हो वह प्रायश्चित्त है। प्राकृत भाषा में प्रायश्चित्त के लिए "पायच्छित्त" शब्द आया है। 'पाप' का अर्थ 'पाप' है। जो पाप का छेदन करता है वह 'पायच्छित्त' है। माघक छद्मस्थ है, इसलिए ज्ञात और अज्ञात रूप में उससे भूल हो जाती है। पाप उसके जीवन में नग जाते हैं। भूल होना जितना बुरा नहीं है, उतना बुरा है भूल को भूल न समझना। भूल को भूल समझकर उमकी शुद्धि के लिए प्रयास करना और भविष्य में पुनः उस प्रकार का दोष न लगे, उसके लिए दृढमकल्प करना तथा भूल की शुद्धि के लिए जो प्रक्रिया है, वह प्रायश्चित्त है।

प्रायश्चित्त और दण्ड में अन्तर है। प्रायश्चित्त में साधक अपने दोष को अपनी इच्छा से प्रकट कर उसे स्वीकार करता है। प्रमादवश यदि दोष लग गया है तो वह साधक उस दोष को गुरुजनों के समक्ष प्रकट कर देता है और उनसे प्रायश्चित्त प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है। गुरुजन उस दोष से मुक्त होने के लिए विधि बताते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति स्वयं दण्ड को अपनी इच्छा से नहीं किन्तु विवशता से स्वीकार करता है। उसके मन में दुष्कृत्य के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं होती। अपराधी अपराध को स्वेच्छा से नहीं किन्तु दूसरों के भय से स्वीकार करता है। इस तरह दण्ड ऊपर से थोना जाता है, किन्तु प्रायश्चित्त अन्तर्हृदय से स्वीकार किया जाता है। इसी कारण राजनीति में दण्ड का विधान है तो धर्मनीति में प्रायश्चित्त का विधान है।

जिसका अन्तर्मानस सरल हो, जो पापभोक्ष हो, जिसके हृदय में आत्म-शुद्धि की तीव्र भावना हो उसी के मन में प्रायश्चित्त लेने की भावना जागृत होती है। यदि मन में माया का साम्राज्य होगा तो प्रायश्चित्त से शुद्धि-कारण नहीं हो सकता। भूलें अनेक प्रकार की होती हैं। कितनी ही भूलें सामान्य होती हैं और कितनी ही असाधारण होती हैं। सामान्य भूलें भी देश-काल और परिस्थिति के कारण असामान्य हो जाती हैं। अतः सभी प्रकार की भूलों का प्रायश्चित्त एक-सा नहीं होता। भूलों और परिस्थितियों के अनुसार प्रायश्चित्त के भी विविध प्रकार बताये गए हैं।

स्थानांग, निशीथ, बृहत्कल्प, व्यवहार, जीतकल्प प्रभृति ग्रन्थों में विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। समवायांग आदि में प्रायश्चित्त के प्रकारों का उल्लेख है तो निशीथ आदि आगमों में प्रायश्चित्त योग्य अपराधों का भी विस्तार से निरूपण है। बृहत्कल्पभाष्य, निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीथचूर्णि, जीतकल्पभाष्य आदि में प्रायश्चित्त सम्बन्धी विविध सिद्धान्त और समस्याओं का सटीक विवेचन है। दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ मुलाचार, जयध्वला तथा तत्त्वार्थसूत्र की टीकाओं में प्रायश्चित्त के विविध प्रकार प्रतिपादित हैं। सभी प्रकार के प्रायश्चित्तों का समावेश दस प्रकार के प्रायश्चित्तों में हो जाता है।^१—(१) भालोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) उभय, (४) विवेक, (५) व्युत्सर्ग, (६) तप, (७) छेद, (८) मूल, (९) अनवस्थाप्य और (१०) पारंशिक। मुलाचार में प्रथम आठ नाम ये ही हैं, किन्तु अनवस्थाप्य के स्थान पर परिहार और पारंशिक के स्थान पर श्रद्धान शब्द व्यवहृत हुआ है। तत्त्वार्थसूत्र में पारंशिक प्रायश्चित्त का उल्लेख नहीं है, उसमें मूल नामक प्रायश्चित्त के स्थान पर उप-स्थापन और अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के स्थान पर परिहार-प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है। स्थानांग और जीत-

१. (क) स्थानांग १०।७३
- (ख) जीतकल्प सूत्र ४
- (ग) ध्वला १३।५, २३।६३।१

कल्प में जिन दस प्रायश्चित्तों का वर्णन है, वंसा ही वर्णन दिगम्बर ग्रन्थ जयध्वला में भी है। प्रायश्चित्त का जो सर्वप्रथम रूप है उसमें साधक के अन्तर्मानस में अपराध के कारण आत्मग्लानि समुत्पन्न होती है। अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार कर लेता है। वह विगुह्य हृदय से अपने द्वारा किये गये अपराध व नियमभंग को आचार्य या गीतार्थ ध्रमण के समक्ष निवेदन कर उस दोष से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित्त स्वीकार करता है। भालोचना क्यों और कैसे करनी चाहिए और कितने समक्ष करनी चाहिए, स्थानांग प्रादि में विस्तार से निरूपण है। "जैन आचार सिद्धान्त और स्वरूप" ग्रन्थ में मैंने विस्तार से लिखा है, अतः विशेष जिज्ञासु उसका अवलोकन करें।

विशिष्ट दोषों की विगुह्य के लिए तप प्रायश्चित्त का उल्लेख है। निशीथ, बृहत्कल्प, जीतकल्प और उनके भाष्यों में किस प्रकार का दोष सेवन करने पर किस प्रकार का प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए, यह बताया गया है। प्रस्तुत आगम में तप प्रायश्चित्त के योग्य सबिस्तृत सूची दी गई है, और तप प्रायश्चित्त के विविध प्रकारों की चर्चा करते हुए मास लघु, मास गुह्य, चातुर्मास लघु, चातुर्मास गुह्य से लेकर पट्मास लघु और पट्मास गुह्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। बृहत्कल्पभाष्य में मास, दिवस आदि तपों की संख्या के प्रायश्चित्त का विवेचन मिलता है, वह इस प्रकार है—

- यथागुह्य—छह मास तक निरन्तर पाँच-पाँच उपवास
गुह्यतर—चार मास तक निरन्तर चार-चार उपवास
गुह्य—एक मास तक निरन्तर तीन-तीन उपवास (तेले)
लघु—१० वेले १० दिन पारणे (एक मास तक निरन्तर दो-दो उपवास)
लघुतर—२५ दिन तक निरन्तर एक दिन उपवास और एक दिन भोजन
यथालघु—२० दिन निरन्तर आध्यात्मिक (रूखा-सूखा भोजन)
लघुध्वक—१५ दिन तक निरन्तर एकासन (एक समय भोजन)
लघुध्वकतर—१० दिन तक निरन्तर दो पोरसी धर्यात् १२ बजे के बाद भोजन ग्रहण
यथालघुध्वक—पाँच दिन निरन्तर निर्विकृति (धी, दूध आदि रहित भोजन)

संक्षिप्त सारांश

प्रथम उद्देशक

प्रथम उद्देशक में ५८ सूत्र हैं। ४९७-८१५ गाथाओं तक का सबिस्तृत भाष्य भी है। सर्वप्रथम भिक्षु के लिए हस्तकर्म का निषेध किया गया है। काष्ठ, अंगुली अथवा शलाका प्रादि से अंगादान के संचालन का निषेध है। अंगादान को तेल, धूत, नवनीत प्रभृति से मर्दन करने, शीत या उष्ण जल से प्रक्षालन करने और ऊपर से त्वचा हटाकर उसे सूँघने आदि का निषेध किया गया है। इस निषेध के कारण पर चिन्तन करते हुए आचार्य संघदासगणि ने सिंह, भासीविप-तर्प, ध्यात्र और अजगर प्रादि के दृष्टान्त देकर यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे प्रमुत्त सिंह जागृत होने पर जगाने वाले को ही समाप्त कर देता है, वैसे ही अंगादान प्रादि को संचालित करने से तीव्र मोह का उदय हो जाने पर वह साधक भी साधना से च्युत हो सकता है। मुक्त पुद्गल निकालना, मुग्धित पदार्थों को सूँघना, मार्ग में कीचड़ आदि से बचने हेतु पत्थर आदि रखवाना, ऊँचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी रखवाना, पानी को निकालने के लिए ताली प्रादि बनवाना, मूई आदि को सेज करवाना, कँची, नखछेदक, कर्णगोधक आदि को साफ करना, निष्प्रयोजन इन वस्तुओं की याचना करना, अविधि पूर्वक मूई प्रादि की याचना करना, स्वयं के लिए लार्ड हर्ड वस्तु में से दूगरो को देना, वस्त्र सोने के लिए लार्ड हर्ड मूई प्रादि से काँटा निकालना। पाशों को गृहस्थों से ठीक करवाना। यत्न पर गृहस्थों से करारी लगवाना। यत्न पर तीन से अधिक करारी लगवाना।

निर्दोष आहार में सद्दोष आहार मिला हो, उसे ग्रहण करना। इस प्रकार प्रथम उद्देशक में साधक को सतत जागरूक रहने का आदेश दिया है। प्रतिफल—प्रतिक्षण साधक को उस प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिये जो विवेक से मण्डित हो। अविवेकयुक्त की गई छोटी-सी-छोटी प्रवृत्ति भी कर्मबन्धन का कारण है। इसलिए मूर्ख आदि नन्ही-सी वस्तु भी प्रविष्टि से रखने का निषेध किया है। विवेक में ही धर्म है। यह इन उल्लेखों से स्पष्ट है।

यह सत्य है कि महाप्रतों की परिणयना में ब्रह्मचर्य का चतुर्थ स्थान है। पर वह अपनी महिमा और गरिमा के कारण सभी प्रतों में प्रथम है। प्रश्नव्याकरणमूल में ब्रह्मचर्य के महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे श्रमणों में तीर्थंकर श्रेष्ठ है वैसे प्रतों में ब्रह्मचर्य। एक ब्रह्मचर्य व्रत की जो आराधना कर लेता है वह समस्त नियमोपनिषद की आराधना कर लेता है। जितने भी व्रत नियम हैं, उनका मूल आधार ब्रह्मचर्य है। वह व्रतों का तारताज है। मुकुटमणि है। अतः ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधक को हर क्षण जागरूक रहकर उस नियम का दृढ़ता से पालन करना बहुत ही आवश्यक है। प्रस्तुत आगम के प्रारम्भ में सर्वप्रथम यह सूचन किया गया है।

दूसरा उद्देशक

दूसरे उद्देशक में ५७ सूत्र हैं। किसी-किसी प्रति में ५९ सूत्र भी मिलते हैं। जिस पर ८१६ से १४३७ गायत्रियों तक का भाष्य है। पादप्रोक्षण के सम्बन्ध में प्रथम आठ सूत्रों में चिन्तन किया गया है। पुराना और फटे हुए कम्बल का एक हाथ लम्बा-चोड़ा खण्ड पादप्रोक्षण कहा जाता है। विवेचनकार पण्डित मुनि श्री ने इस पर विस्तार से विवेचन लिखा है और उस विवेचन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि पादप्रोक्षण और रजोहरण ये दोनों पृथक्-पृथक् उपकरण हैं। रजोहरण से परिमार्जन होता है और पादप्रोक्षण से केवल पैर आदि पोछे जाते हैं। दोनों के अर्थ और उपयोगिता भिन्न-भिन्न हैं। पादप्रोक्षण से पैर पोंछने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर मलविसर्जन हेतु उस वस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उस पर बैठ भी जा सकता है, पर रजोहरण आदि का उपयोग इस प्रकार नहीं होता। पादप्रोक्षण आवश्यकता होने पर स्वयं के पास न हो तो श्रमण दूसरे से ले सकता है। पर रजोहरण तो स्वयं का ही होता है। जिनकल्पी श्रमणों को भी रजोहरण रखना आवश्यक माना गया है। रजोहरण फलियों के समूह से बना हुआ एक औषधिक उपकरण है जबकि पादप्रोक्षण वस्त्र का एक टुकड़ा होता है। उसे कभी काष्ठदंड में बांध कर भी रखा जाता है। यह औषधहिक उपकरण है। उस काष्ठदंड युक्त पादप्रोक्षण औषधहिक उपकरण की जिस क्षेत्र में और जितने समय के लिए आवश्यकता हो, उतने समय तक रख सकते हैं। आवश्यकता के धभाव में काष्ठदण्ड युक्त पादप्रोक्षण को खोलकर रख लेना चाहिए। जो विधि युक्त बांधा गया हो वही पादप्रोक्षण सुप्रतिलेख्य होता है। वह पादप्रोक्षण डेढ़ मास तक अधिक से अधिक रख सकते हैं। यदि रखना आवश्यक हो तो खोलकर और परिवर्तन कर रख सकते हैं।

उसके पश्चात् इत्यादि सुगन्धित पदार्थों की सूघने का निषेध है। पदमाग आदि बनाने का निषेध है। पानी निकालने की नाली, छोके का ढक्कन, चिलमिली आदि बनाने का निषेध है। श्रमण को कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कठोर भाषा के उपयोग से सुनने वाले के अन्तर्मानस में संकलेश पैदा होता है। भाषा सत्य भी हो और सुन्दर भी हो। जिस भाषा के प्रयोग से दूसरों का हृदय व्यथित हो तो उस प्रकार की भाषा एक प्रकार से हिमा है। अल्प-व्रतस्य भाषा का प्रयोग भी श्रमण के लिए निषिद्ध है। अदत्तवस्तु ग्रहण करना भी निषिद्ध है। शरीर को सजाना व संचारना बहुमूल्यवान् श्रेष्ठतम वस्तुओं को धारण करना आदि निषिद्ध है। मिश्रुओं को चर्म रखने का निषेध है। तथापि भाष्यकार ने आपकादिक स्थिति में चर्म धारण करने का जो उल्लेख किया है—

भाग कण्टकाकोण हो । सपै, भयंकर सर्दों, दग्ग प्रवस्था, भसं की व्याधि से पीड़ित, युक्तुमाल आदि हो या पैरों में जखम आदि हो तो विशेष परिस्थिति में चर्म उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है । पर उत्सर्ग मार्ग में नहीं ।

नित्य अन्न-पिण्ड, दान-पिण्ड आदि का निषेध है । भिक्षा के पूर्व या बाद में दाता की प्रशंसा करना । भिक्षा के लिए समय से पूर्व गृहस्थों के घरों में जाना । अन्न्यतीथिक के साथ, गृहस्थ के साथ, पारिवारिक व अपारिवारिक के साथ भिक्षा के लिए जाना । इनके साथ स्वाध्याय भूमि और उच्चार-प्रश्रवण भूमि में प्रवेश करना । इन तीनों के साथ प्रामानुप्राम विहार करना । मनोज्ञ आहार पानी का उपयोग करना, भ्रमनोज्ञ को परठना, बचा हुआ आहार साम्भोगिक साधुओं को पूछे बिना ही परठना । सामारिक-पिण्ड ग्रहण करना व उसका उपयोग करना । सामारिक के यहाँ—बिना घर जाने भिक्षा के लिए जाना । शय्या संस्तारक की अवधि का शेषकाल और वर्षाकाल में उल्लंघन करना । वर्षा से भीगते हुए शय्या संस्तारक को छाया में न रखना । दूतरी बार बिना आज्ञा लिये अन्यत्र ले जाना । प्रात्यहारिक शय्या संस्तारक को बिना लीटाये विहार करना । शय्या संस्तारक मुम हो जाने पर उसकी अन्वेषणा न करना । भ्रूप उपधि की भी प्रतिलेखना न करना । इस प्रकार दूसरे उद्देशक में विविध प्रवृत्तियों का लघुमासिक प्रायश्चित्त बतलाया है ।

इस उद्देशक में जिन बातों का निषेध किया गया है उन बातों के निषेध का वर्णन बृहत्कल्प, प्राचारांग, दशवैकालिक, पिण्डनिर्युक्ति आदि में भी है । इन सब प्रायश्चित्त के योग्य स्थानों का लघुमास प्रायश्चित्त का निरूपण द्वितीय उद्देशक में हुआ है । विवेचन में इन सभी विषयों पर संक्षिप्त और सारगमित प्रकाश भी डाला है ।

तृतीय उद्देशक

तृतीय उद्देशक में ८० सूत्र हैं । जिन पर १४३८-१५५४ तक भाष्य की गाथाएँ हैं । एक सूत्र से लेकर चारह सूत्र तक धर्मशाला, मुसाफिरखाना, आरामगार या गृहपति के कुल आदि में उच्च स्वर से आहार आदि मांगने का, गृहस्वामी के मना करने पर पुनः पुनः उसके घर आहारादि के लिए जाने का, सामूहिक भोजन में जाकर अथवा पान ग्रहण करने का, पैरों के परिमार्जन, परिमर्दन, प्रक्षालन आदि का व शरीर के परिमार्जन, परिमर्दन, संवाहन आदि का निषेध है । बड़े हुए बाल, नाखून आदि काटने का, विहार करते हुए मस्तक ढकना, शमशान भूमि में, खदान में, जहाँ कोयले आदि निमित्त होते हों उस स्थान में, फल संग्रह के स्थान में, सब्जी आदि रखने के स्थान में, उपवन, धूप न घाने के स्थान में मलविसर्जन का निषेध है और इन प्रवृत्तियों को करने वाले साधक के लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त का वर्णन है ।

प्रस्तुत ध्यागम के अतिरिक्त आवश्यकसूत्र, प्राचारांगसूत्र, दशवैकालिकसूत्र, प्रयत्नव्याकरण आदि में भी अनेक कार्य श्रमणों के लिए प्रकरणीय हैं ऐसा वर्णन प्राप्त होता है ।

चतुर्थ उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक में १२८ सूत्र हैं । इन सूत्रों पर १५५५-१८९४ गाथाओं तक का भाष्य है । इस उद्देशक में राजा को, राजा के रक्षक को, नगररक्षक को, सर्वरक्षक को, ग्रामरक्षक को, राज्यरक्षक को, देशरक्षक को, सीमारक्षक को वस में करना और वस में करने के लिए उनके गुणानुवाद करना । सचित्त धान्य आदि का आहार करना । आचार्य आदि की अनुमति के बिना द्रव्य आदि विकृतियाँ ग्रहण करना । स्थापनाकुस जाने बिना भिक्षा के लिए जाना । अविधि से निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में प्रवेश करना । निर्ग्रन्थियों के घाने के रास्ते में दण्ड आदि रख देना । नवीन कलह उत्पन्न करना । उपमान्त कलह को पुनः जागृत करना । टहका भाकरक हंसना । पार्श्वस्थ,

अवसन्न, कुशील, गंराक्त, नित्यक इन पाँच प्रकार के श्रमणों को अपने सन्त को देना और लेना । अप्काय, पृथ्वीकाय प्रभृति सचित्त पदार्थों से लिप्त हाथों द्वारा आहार आदि लेना । शरीर परिकरम करना । सन्ध्या के समय तीन उच्चार-प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन न करना । संकीर्ण स्थान में मल-मूत्र का विसर्जन करना । मल-मूत्र के त्याग करने के पश्चात् उसका शुद्धिकरण न करना । प्रायश्चित्त बहन करने वाले के साथ भिक्षा के लिए जाना इत्यादि विषयों पर प्रायश्चित्त का चिन्तन किया गया है और यह कार्य न करने के लिए निषेध किया गया है । उसके लिए मासिक उद्घातिक परिहारस्थान अर्थात् लघुमासिक (मास-लघु) प्रायश्चित्त का विधान है । श्रमण और श्रमणियों को अपनी साधना के प्रति तल्लीन रहना चाहिए । साधना को विस्मृत कर यदि राजा आदि को वश में करने के लिए प्रयत्न करेगा तो साधना में बाधाएँ उपस्थित होंगी । राजा आदि जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ वे शीघ्र ही नाराज भी हो जाते हैं । इसलिए प्रतिकूल होने पर उपसर्ग भी दे सकते हैं । अतः प्रस्तुत आगम में उन्हें प्रसन्न करने के लिए और प्रार्थित करने के लिए निषेध किया गया है । साधक को अपनी मस्ती में ही रहकर के साधना करनी चाहिए ।

प्रस्तुत उद्देशक में साधक को विवेकयुक्त प्रवृत्ति करने का संकेत किया है । श्रामण्य जीवन का सार क्षमा है । क्रोध में विचारक्षमता और तर्कशक्ति प्रायः शिथिल हो जाती है । क्रोध मानसिक आवेश है । उस आवेश से शत्रुता जन्म लेती है और उसमें अनुज्ञा ग्रहण करने का संकल्प होता है । कलह के मूल में कपाय है । अतः कलह करने का और पुराने कलह को पुनः जगाने का निषेध किया है । दियासलाई दूसरों को जलाने के पूर्व स्वयं जल जाती है । दूसरा जले या न जले पर वह स्वयं तो जलती ही है । वैसे ही कलह करने वाला स्वयं कर्मबन्धन करता ही है । कलह पाप है अतः उससे साधक को बचना चाहिए ।

श्रमणों को अट्टहास करने का भी निषेध किया गया है । श्रमण का अनमोल समय स्वाध्याय और ध्यान में लगाने का है । हँसी-मजाक और अट्टहास से कई बार वात-वात में कलह हो जाता है । द्रोपदी के खिल-खिलाकर हँसने का परिणाम ही महाभारत का युद्ध है । इस प्रकार चतुर्थ उद्देशक में बताया है कि श्रमणों को वे प्रवृत्तियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे साधना का मार्ग घूमिल हो । मल-मूत्र का विसर्जन भी ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर जीवों की विराधना होने की सम्भावना हो । साथ ही लोकापवाद होने की सम्भावना हो ।

पाँचवाँ उद्देशक

पाँचवें उद्देशक में ५२ सूत्र हैं । किन्हीं-किन्हीं प्रतियों में ७७ सूत्र भी प्राप्त होते हैं । जिन पर १८९५-२१९४ गाथाओं में सविस्तृत भाष्य है । सर्वप्रथम सचित्त वृक्ष के मूल के निकट बैठकर कायोत्सर्ग करना, बैठना, खड़ा रहना, शयन करना, आहार करना, लघुशंका करना, शोच आदि करना और स्वाध्याय आदि करने का निषेध है । अपनी चादर धन्य तीर्थिक या गृहस्थ से सिलाने का, मर्यादा से अधिक लम्बी चादर रखने का भी निषेध है । पलास, नीम आदि के पत्तों को अचित्त पानी या शीत पानी से धोकर रखने का निषेध है । पादप्रोक्षण, दण्ड, यष्टि, सूई, लोढाने योग्य वस्तुओं को नियत अवधि के भीतर लौटा देने का विधान है । सन, कपास आदि काटने का, सचित्त रंगीन और विविध रंगों से आरुपक दण्ड बनाने और रखने का, मुख, दन्त, ओष्ठ, नासिका आदि को बीणा के समान बजाने का निषेध है । औद्देशिक उद्दिष्ट शय्या का उपयोग करने का, रजोहरण प्रमाण से अधिक बढ़ा बनाना, फलियाँ नूक्षम बनाना, फलियों को आपस में सम्बद्ध करना । अविधि में बाँधकर रखना । अनावश्यक एक भी बन्धन कराना और आवश्यक भी तीन बन्धन से अधिक बन्धन करना । पाँच प्रकार के अतिरिक्त अन्य जाति के रजोहरण बनाना दूर रखना । पाँच आदि से दवाना, सिर के नीचे रखना इत्यादि सभी प्रवृत्तियों का लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राता है । अतः साधक को इन सब प्रवृत्तियों से बचना चाहिए ।

छठा उद्देशक

छठे उद्देशक में ७८ सूत्र हैं। जिन पर २१९५-२२८६ गाथाओं तक का सविस्तृत भाष्य है। कुशीलसेवन की भावना से किसी भी स्त्री का अनुनय-विनय करना, हस्तकर्म करना, अंगादान संचालन तथा कतह आदि करना। चित्र-विचित्र वस्त्र रखना, धारण करना। पौष्टिक आहार करना आदि कार्य करने पर गुदचोमासी प्रायश्चित्त धाता है। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधक को सभी प्रवृत्तियों के लिए निषेध किया गया है। दिल में जब विकार भावनाएँ जागृत होती हैं तब कामेच्छा से व्यक्ति किस-किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ करता है, उसका मनोवैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

सातवां उद्देशक

सातवें उद्देशक में ९२ सूत्र हैं। जिस पर २२८७-२३४० गाथाओं में भाष्य लिखा गया है। प्रस्तुत अध्याय में भी मय्युन सम्बन्धी निषेध बताया गया है। कामेच्छा के संकल्प से उत्प्रेरित होकर विविध प्रकार की मालाएँ, विविध प्रकार के कढ़े, विविध प्रकार के आभूषण, विविध प्रकार के चर्मवस्त्र बनाना रखना और पहनना, कामेच्छा से स्त्री के अंगोपांग का संचालन करना, शरीर-परिकर्म करना, सचित पृथ्वी पर सोना बैठना, परस्पर चिकित्सा आदि करना। पशु-पक्षी के अंगोपांग को स्पर्श करने का निषेध किया गया है। इन प्रवृत्तियों को करने वालों को गुदचोमासी प्रायश्चित्त आता है।

छठे और सातवें दोनों उद्देशकों में कामेच्छा से किए गये कार्यों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। इनमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बिना कामेच्छा के भी करनी तर्हीं कल्पती, जैसे सचित भूमि आदि पर बैठना।

आठवां उद्देशक

आठवें उद्देशक में १८ सूत्र हैं। जिन पर २३४१-२४९५ गाथाओं तक भाष्य है। धर्मशाला, उद्यान, अट्टालिका, दण्डगार्ग, शूयगृह, तृणगृह, पानशाला, दुकान, गोशाला में एकाकी श्रमण, एकाकी महिला के साथ रहे, आहार आदि करे, स्वाध्याय करे, शौचादि साथ जाये, विकारोत्पादक वार्तालाप करे। रात्रि के समय स्त्रीपरिषद् या स्त्री-पुरुषयुक्त परिषद् में अपरिमित कथा करे तथा श्रमणियों के साथ विहारदि करे। उपाध्यय मे रात्रि के समय में महिलाओं को रहने देवे, मना न करे। उनके साथ बाहर भ्राना-जाना करे आदि प्रवृत्तियों का निषेध है। स्त्री संसर्ग का निषेध दशवैकालिक उत्तराध्यायन आदि अन्य आगमों में भी यत्र-तत्र है। सर्वत्र साधक को यही प्रेरणा दी गई है कि वह महिलाओं का अधिक सम्पर्क न रखे। अधिक सम्पर्क से साधक च्युत हो सकता है।

प्रस्तुत अध्याय में मूर्धाभिषिक्त राजा के अनेक प्रकार के महोत्सवों में आहार ग्रहण करने का निषेध है। मूर्धाभिषिक्त राजा जब उत्तरशाला यानी मण्डप में रहता हो तब भी आहार ग्रहण करने का निषेध है। इसी प्रकार अवशयात्ता, हस्तिनाला, मन्त्रणागृह, गुप्तविचारगृह आदि में रहे हुए राजा के आहार ग्रहण का निषेध है। पांच सूत्रों में राजपिण्ड ग्रहण करने का निषेध किया है और ग्रहण करने पर गुदचोमासी प्रायश्चित्त धाता है।

आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर राजपिण्ड ग्रहण करने का निषेध है। जिसका राज्याभिषेक हुआ हो वह राजा कहलाता है। उसका भोजन राजपिण्ड है। जिनदासगणि महत्तर के अभिमतानुमार सेनापति,

१. (क) दशवैकालिक भ्रगस्त्वसिहन्वृण

(ख) दशवैकालिक जिनदासवृण ११२-१३

(घ) कल्पसूत्र कल्पलता ४ पृ. २ समयमुन्दर

(ग) कल्पदशमं ग. ९ पृ. १.

(ङ) कल्याणबोधिनी ४ पृ. २

धर्मार्थ, पुरोहित, श्रेष्ठी और सायंवाह सहित जो राजा राज्य का उपभोग करता है, उसका पिण्ड ग्रहण नहीं करना चाहिए। धन्य राजाओं के लिए नियम नहीं है। यदि दोष की संभावना है तो ग्रहण नहीं करना चाहिए और निर्दोष है तो ग्रहण किया जा सकता है।^१

राजपिण्ड का तात्पर्य राजकीय भोजन से है। राजकीय भोजन सरस, मधुर व मादक होता है, जिसके सेवन से रसलोलुपता बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसा सरस आहार सर्वत्र सुलभ नहीं होता। अतः रसलोलुप बनकर मुनि कहीं अनेपणीय आहार ग्रहण न करे इसीलिए राजपिण्ड का निषेध किया है। एषणाशुद्धि ही प्रस्तुत विधान की आत्मा है। यदि कोई इस विधान को विस्मृत करके राजपिण्ड को ग्रहण करता है या राजपिण्ड का उपयोग करता है तो श्रमण को चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।^२ राजपिण्ड के निषेध के पीछे ग्रन्थ तथ्य भी रहे हुए हैं।^३ जिनका उल्लेख निशीथभाष्य और चूर्ण में किया गया है। राजभवन में प्रायः सेनापति आदि का आवागमन रहता है। कर्मो शीघ्रता आदि के कारण श्रमण के चोट लगने की और पात्रादि फूटने की भी संभावना रहती है।^४ वे अपशकृन् भो समभूक्त होते हैं अतः राजपिण्ड को अनाचीर्ण माना है।^५

भगवान् महावीर और श्रद्धभदेय के श्रमणों के लिए ही राजपिण्ड का निषेध है पर बावीस तीर्थकरों के श्रमणों के लिए नहीं।^६ राजपिण्ड में चार प्रकार के आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण—ये आठ वस्तुएं परिगणित की गई हैं और आठो ही अग्र्याह्य मानी हैं।^७

नौवां उद्देशक

नौवें उद्देशक में २५ सूत्र हैं। जिन पर २४९६-२६०५ गाथाओं में भाष्य लिखा है। इस उद्देशक में भी राजपिण्ड ग्रहण करने का निषेध किया गया है। श्रमण को राजा के अन्तपुर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भाष्यकार ने तीन अन्तःपुरों का उल्लेख किया है—जीर्ण अन्तःपुर, नवभ्रन्तःपुर और कन्या-अन्तःपुर। अन्तःपुर में एक से एक सुन्दर स्त्रियाँ रहती थीं। राजा अन्तःपुर को अधिक से अधिक समृद्ध और सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रन्थ में बृद्धा स्त्रियों को और नपुंसकों को अन्तःपुर की रक्षा के लिए तैनात रखे ऐसा विधान किया है। अन्तःपुर में सगे-सम्बन्धी या नौकर-चाकर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता था। राजा अन्तःपुर की सुरक्षा अत्यधिक सावधानी से करता था। श्रमण के अन्तःपुर में जाने से राजा के अन्तर्मानस में कुशंकाएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक था, अतः श्रमण के लिए अन्तःपुर में जाने का निषेध किया गया है।

स्वयं श्रमण तो अन्तःपुर में प्रवेश न करे किन्तु अन्तःपुर के द्वार पर जो महिला नियुक्त की गई हो उससे भी आहारार्थ भंगवाना और ग्रहण करना निषिद्ध है। राजा के द्वारपाल, धन्य धनुषधर, सैनिक, दास, दासी, घोड़ों व हाथी के निमित्त, अटवी के यात्रियों के लिए, दुर्भिक्ष और दुष्काल पीड़ित व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए,

१. निशीथभाष्य गा. २४८७ चूर्ण
२. निशीथ९।११२
३. (क) कल्पायंबोधिमो, कल्प ४, पृ. २ (ख) कल्प समर्थन १०।१
४. निशीथभाष्य, गा. २५०३-२५१०
५. दशवैकालिक ३।३
६. (क) कल्पलता टीका (ख) कल्पद्रुमकालिका, पृ. २
७. कल्पसमर्थन, गा. ११, प. २

रोगियों के लिए, वर्षों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए व महमानों के लिए जो भोजन राजकुलों में बनता है उसे लेने के लिए निषेध किया है और लेने पर गुरु चौमासी का प्रायश्चित्त बताया है। दण्डघर, दण्डरदाक, दीवारिक, बंधघर, कंबुकिपुरुष और महत्तर प्रभृति व्यक्ति अन्तःपुर की सुरक्षा के लिए नियुक्त रहते थे। राजा-रानी को देखने के लिए जाने का भी निषेध है। शिकार आदि के लिए गये हुये राजा का आहार ग्रहण न करें। जहाँ राजा भोजन करने गये हों वहाँ भिक्षा के लिए भी न जायें। राजा की सर्वालंकार विभूषित स्त्रियों के पांव तक भी देखने का विचार नहीं करना चाहिए। राज्यसभा के विसर्जित होने के पूर्व आहार आदि के लिए गयेपणा नहीं करना चाहिए। राजा के निवासस्थान के पास स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में चम्पा, मयुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, कम्पिल, कोशाम्बी, मिथिला, हस्तिनापुर और राजगृह ये दस राजधानियाँ मानी जाती थी। जहाँ पर सदैव राज्योत्सव होते रहते थे। इसलिए श्रमणों को बार-बार वहाँ जाने के लिये प्रस्तुत उद्देशक में निषेध किया गया है। निषेध की अवहेलना करने पर गुरु चातुर्मासी प्रायश्चित्त का विधान है। विस्तारभय से हम उन राजधानियों का परिचय यहाँ नहीं दे रहे हैं। प्रतीत काल में उनकी अवस्थिति कहाँ थी? वर्तमान में उनकी अवस्थिति कहाँ है, प्रस्तुत उद्देशक में राजपिण्ड के अतिरिक्त राजा से सम्बन्धित अनेक प्रसंगों का भी प्रायश्चित्त बताया गया है। इसका मूल कारण यही है कि आशा की अवहेलना के साथ ही अन्य अनेक हानियाँ भी हो सकती हैं।

दसवाँ उद्देशक

दसवें उद्देशक में ५१ सूत्र हैं। किन्हीं-किन्हीं प्रतियों में ५० सूत्र भी मिलते हैं। जिन पर २६०६-३२७५ गाथाओं का भाष्य है। आचार्य श्रमण संघ का अनुशास्ता है। अनन्त आस्था का केन्द्र है। तीर्थंकर के अभाव में आचार्य ही तीर्थ का संचालन करता है। अतः उसके प्रति अत्यधिक बहुमान रचना अत्येक साधक का परम कर्तव्य है। आचार्य के प्रति बहुमान युक्त शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। जो भिक्षु आचार्य आदि को रोप युक्त वचन बोलता है, स्नेह रहित रूढ़ वचन बोलता है, आसातना करता है, उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है। दशाधुन-स्कन्ध में ३३ आसातनाओं का निर्देश किया गया है। भाष्य में आसातनाओं के अपवाद का भी उल्लेख है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव विवेक पर आधारित है। अपवाद में जैसे मार्ग में अत्यधिक कांटे बिछे हुए हों, उन कांटों को धसग-यसग करने के लिए शिष्य गुरु से भी आगे घातता है तो आसातना नहीं है।

प्रस्तुत उद्देशक में अनन्तकाय संयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध किया गया है। आधाकर्मों आहार का निषेध किया गया है। आधाकर्म उपधि का भी निषेध है। श्रमणों को लाभालाभ निमित्त नहीं बताना चाहिए। किसी भी निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी को बहुकाना भी नहीं चाहिए और न उनका अपहरण करना चाहिए। न दीक्षार्थी, गृहस्थ, गृहस्थिनी को बहुकाना चाहिए। बाहर से आने वाले श्रमण को आने का कारण जानने के पश्चात् ही आश्रय दे। क्योंकि वही से यह सद्दाई-भ्रगडा आदि करके तो नहीं आया है, कलह को उपशान्त न करने वाले या प्रायश्चित्त न करने वाले के साथ आहार न करे। उनके साथ आहार करने पर तथा प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में विपरीत प्ररूपणा करने पर, सूर्योदय या सूर्यास्त की संदिग्ध स्थिति में भी आहार करने पर, रात्रि के समय भुप में घ्राये हुए उद्दगाल को निगल जाने पर, स्नान की विधिपूर्वक सेवा न करने पर, वर्षावास में विहार करने पर, निश्चित दिन पशुपंषण न करने पर, अनिश्चित दिन पशुपंषण करने पर, पशुपंषण के दिन चौबिहार उपवास न करने पर, सोन न करने पर, वर्षावास में वस्त्र ग्रहण करने पर चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का यथेन है। दशाधुन-स्कन्ध, 'उत्तराध्ययन, 'दशवैकालिक' और अन्य भागों में भी धामातवा करने का निषेध किया गया है।

१. दशाधुनस्कन्ध दशा १ व ३

२. उत्तराध्ययन प्र. १ व ७

३. दशवैकालिक में अध्यायन ९

आचारांग^१ के द्वितीय श्रुतसूत्र में अनन्तकाय युक्त आहार वा जाय तो उसे 'परिस्थापन कर दिया जाय' ऐसा कथन है।

आगम साहित्य में आचारांग^२ सूत्रकृतांग^३ आदि में अनेक स्थानों पर आधाकर्म दोषयुक्त आहार श्रमण ग्रहण न करे, ऐसा विधान है। निमित्त कथन भी इसीलिए वर्ज्य है कि उसमें अस्तव्य लगने की सम्भावना रहती है। महावीर के शासन की अनेक विशेषताओं में ये दो मुख्य विशेषताएँ हैं। रात्रिभोजनविरति पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया और ब्रह्मचर्य की साधना पर भी उनका अत्यधिक बल था।

वैदिक परम्परा में वानप्रस्थाश्रम आदि में पत्निया साथ रहती थी पर महावीर ने पूर्ण निषेध किया था। इसका मूल अहिंसा की उदात्त साधना में रहा हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी रात्रिभोजन से होने वाली हानियों का उल्लेख किया है।^४ हमने विस्तार के साथ जैन आचार सिद्धान्त स्वरूप और विश्लेषण ग्रन्थ में प्रकाश डाला है। बृहत्कल्प में वर्षावास में विहार करने का और वस्त्र ग्रहण करने का निषेध किया है। ग्लान श्रमणों की सेवा पर विशेष बल दिया गया है और न करने पर प्रायश्चित्त का विधान है। पयुं पण महापर्व के सम्बन्ध में भी विशेष विधान और प्रायश्चित्त प्रस्तुत उद्देशक में किये गये हैं। इन सबके लिए चौमासी प्रायश्चित्त का उल्लेख किया गया है।

ग्यारहवां उद्देशक

ग्यारहवें उद्देशक में ९१ सूत्र हैं। जिन पर ३२७६-३९७५ गाथाओं का भाष्य है। प्रस्तुत उद्देशक में लोहे, तांबे, शीशे, सींग, चर्म, वस्त्र प्रभृति के पात्र रखने, उसमें आहार करने का निषेध है। धर्म की निन्दा और अधर्म की प्रशंसा करने का निषेध है। गृहस्थ के शरीर का परिकर्म करना। स्वयं को या अन्य को डराना, स्वयं या अन्य को विस्मृत करना, स्वयं को या अन्य को विपरीत दिखाना। जो व्यक्ति सामने है उसके धर्म प्रमुख के सिद्धान्तों की आचारादि की मिथ्या प्रशंसा करना। दो विरोधी राज्यों के मध्य पुनः पुनः नमनागमन करना। दिवस-भोजन की निन्दा, रात्रिभोजन की प्रशंसा। मद्य-मांस आदि के ग्रहण का निषेध। स्वच्छन्दचारी की प्रशंसा करने का निषेध। अयोग्य व्यक्तियों को दीक्षा देने का निषेध। अयोग्य से सेवा कराने का निषेध। अचेल या सचेल साधु का अचेल या सचेल साधिव्यो के साथ रहना निषिद्ध है। चूर्ण, नमक आदि को रात्रि में रखना, आत्मघात करने वालों की प्रशंसा करना आदि दोषों के सेवन करने वालों को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है। प्रस्तुत उद्देशक में जिन-जिन विषयों की चर्चाएँ हुई हैं, अन्य आगमों में उसका निर्देश है। विवेचक मुनिप्रवर ने अपने विवेचन में यत्र-तत्र उन स्थलों का निर्देश किया है। विस्तारभय से उन सभी विषयों पर हम जानकर नहीं लिख रहे हैं।

बारहवां उद्देशक

बारहवें उद्देशक में ४४ सूत्र हैं और ३९७६-४२२५ गाथाओं में भाष्य लिखकर उन-उन सूत्रों पर विस्तार से विवेचन किया गया है। पहले सूत्र में कथना से उत्प्रेरित होकर श्रमण न ब्रह्म जीवों को रस्ती से बाँधे और न बन्धनमुक्त करे। यह सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि अनुकम्पा, कथना यह मम्यत्त्व का लक्षण है फिर इसका निषेध क्यों? उसका मूल कारण है कि उसे निस्पृहभाव से संयमसाधना करनी है। यदि वह संयम साधना

१. आचारांग २, १।१
२. आचारांग २।१।९
३. सूत्रकृतांग १।१।०।५-१।७
४. जैन आचार सिद्धान्त स्वरूप और विश्लेषण, पृ. ८।६।६

को विस्मृत कर इन प्रकार की प्रवृत्तियाँ करेगा तो उसकी साधना में विघ्न आयेगे। यहाँ पर कठनाभाव वा अनुरुम्भाभाव का प्रायश्चित्त नहीं है भविष्यु गृहस्थों को सेवा और संयम विरुद्ध प्रवृत्ति का प्रायश्चित्त है।

जो भ्रमण पुनः पुनः प्रत्याख्यान भंग करता है और करने वाले का अनुमोदन करता है उसे तप्तु पातु-मांसिक प्रायश्चित्त आता है। भाष्य में प्रत्याख्यान भंग करने से श्लोक दोष पैदा होते हैं। तीस युक्त चर्म रजने का निषेध है। गृहस्थ के वस्त्राच्छादित तृणपीठ आदि पर बैठने का निषेध है। साधु की चादर अत्यतीक्ष्णिक या किसी गृहस्थ से मिलवाने का निषेध है। गृध्रीकाम आदि पाँचों स्वावरोँ के जीवों की भिक्षुवत् भी विराधना करने का निषेध है। मक्षित वृक्ष पर चढ़ने का निषेध है। गृहस्थ के पात्र में भोजन करने का निषेध है। गृहस्थ का वस्त्र पहनना और उसकी शैल्या पर सोने का निषेध है। वापी, सर, निम्बर, पुष्करिणी आदि का सोन्दर्यमय निरीक्षण करने का निषेध है। सुन्दर ग्राम, नगर, पट्टन आदि को देखने की अभिलाषा रखने का निषेध है। अश्वमुद्ध, हस्ति-मुद्ध आदि में सम्मिलित होने का निषेध है। काष्ठकर्म, चित्रकर्म, लेपकर्म, दन्तकर्म आदि देखने का निषेध है। प्रथम प्रहर में ग्रहण किया हुआ आहार-पानी का उपयोग चतुर्थ प्रहर में करने का निषेध है। दो कोष के घ्राणे आहार-पानी ले जाने का निषेध है। गोबर या अन्य लेप्य पदार्थ रात्रि में लगाना या रात्रि में रखकर दिन में लगाने का निषेध है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और मही नाम की बड़ी नदियों को महीने में दो या तीन बार पार करने का निषेध है। इन निषेध प्रवृत्तियों को करने पर तप्तुचौमासी प्रायश्चित्त का उत्प्रेष है।

प्रस्तुत उद्देशक में जिन बातों का निषेध किया गया है उनका निषेध दशाश्रुतस्कन्ध आचारांग गृहस्थ्य दशवैकालिक सूत्रकृतांग प्रमृति आयमों में मिलता है। साधक को इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ नहीं करनी चाहिए जो उसकी साधना को धूमिल करने वाली हों।

तेरहवाँ उद्देशक

तेरहवें उद्देशक में ७८ सूत्र हैं। जिन पर ४२२६-४८७२ गायामों का विस्तृत भाष्य है। सचित्त, सस्निग्ध, सरजस्क आदि पृथ्वी पर सोने, बैठने व स्वाध्याय करने का, देहली, स्नानपीठ, मित्त, शिला आदि पर बैठने का, अत्यतीक्ष्णिक या गृहस्थ आदि को मित्त्य आदि मिलाने का, कौतुककर्म, भूतिवर्ग, प्रसन, प्रश्नादि प्रसन, निमित्त, लक्षण आदि के प्रयोग करने का, गृहस्थ को नागंप्रष्ट होने पर रास्ता बताने का, धातुगिष्ठा या निधि बताने का, पानी से भरे हुए पात्र, दर्पण, मणि, तैल, मधु, घृत आदि में गृह देयने का, वसन, विरेचन तथा बल आदि के लिए व बुद्धि के लिए औषध आदि सेवन का, पार्श्वस्थ आदि निषिन्नाचारियों को वन्दन करने का तथा उत्पादन के दोगों का सेवन कर आहार ग्रहण करने का निषेध है, इत्यादि प्रवृत्तियाँ करने वाले साधक को तप्तुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

तेरहवें उद्देशक में जिन-जिन निषेधों की चर्चा की है उनमें से कुछ बातों पर आचारांग सूत्रकृतांग दशवैकालिक उत्तराध्ययन आदि में भी निषेध है। विघ्ननिर्मुक्ति में उत्पादन दोष आदि पर विस्तार में विवेचन है। सारांश यही है कि साधक प्रतिपल प्रतिक्षण जागरूक रहे। दोषयुक्त कोई भी प्रवृत्ति न करे।

चौदहवाँ उद्देशक

चौदहवें उद्देशक में ४१ सूत्र है। जिन्हीं-जिन्हीं प्रतिमों में ४५ सूत्र भी मिलते हैं। जिन पर ४४७३-४६८९ गायामों का विस्तृत भाष्य है। यहाँ पर पात्र को धरती से, उधार लेने, पात्र परिवर्तन करने, छीन करके पात्र लेना। पात्र के हिस्सेदार की आज्ञा बिना पात्र लेना। गायने जाया हुआ पात्र लेना। आचामों की आज्ञा बिना

किसी अन्य को अतिरिक्त पात्र देना। घृणिकलांग या ममयं को अतिरिक्त पात्र देना। विकलांग व असमयं को अतिरिक्त पात्र न देना। उपयोग में आने योग्य पात्र को न रखना और उपयोग में न आने योग्य पात्र को रखना। नवीन सुरभिगन्ध या दुरभिगन्ध युक्त पात्र को विशेष चित्ताकर्षक बनाने का, गृहस्थ से पात्र ग्रहण करते समय उस पात्र में से थस जीव, बीज, कन्दमूल, पुल्प, पत्र आदि निकालकर लेने का, परिपद से निकालकर पात्र की याचना करने का तथा पात्र के लिए मासकल्प और चातुर्मास रहने का निषेध है, इत्यादि प्रवृत्तियाँ करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त का विधान है।

प्रस्तुत उद्देशक में विस्तार के साथ पात्र के सम्बन्ध में विविध दृष्टियों से चिन्तन किया गया है। आचाराङ्गसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में श्रमणों को शीत, प्रामृत्य, भ्राच्छेद्य, अनिशुष्ट और अभिहृत पात्र लेने का निषेध किया गया है और यह भी सूचन किया गया है जो पात्र उपयोग में आये उसे श्रमण ग्रहण करे और पात्रों को रंग-विरंगे नहीं बनावे तथा ऐसे स्थान पर भी पात्रों को नहीं सुखाना चाहिए जहाँ पर पात्र गिरने की सम्भावना हो।

पन्द्रहवां उद्देशक

पन्द्रहवें उद्देशक में १५४ सूत्र हैं। जिन पर ४६९०-५०९४ का विस्तृत भाष्य है। प्रथम चार सूत्रों में सामान्य श्रमणों की भ्रासातना करने का और आठ सूत्रों में सचित आम्र, आम्रपेशी, आम्रचोयक आदि खाने का लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त बताया है। उसके पश्चात् गृहस्थ से परिकर्म करवाने का, अकल्पनीय स्थानों में मल-मूत्र परठने का और पार्श्वस्थ आदि को आहार, वस्त्र आदि देने और उनसे लेने का निषेध किया गया है। विभूषा की दृष्टि से शरीर का परिकर्म करना, वस्त्र आदि का परिमार्जन प्रकालन करना निषिद्ध है। ये प्रवृत्तियाँ करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त बतलाया गया है।

प्रस्तुत उद्देशक में जिन-जिन बातों की चर्चा है उसकी चर्चा आचाराङ्ग द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भी आई है। वहाँ पर भी सचित आम्र आदि फलों को खाने का निषेध किया गया है। गृहस्थ से शरीर परिकर्म करवाने का निषेध किया गया है और अकल्पनीय स्थानों पर मल-मूत्र विसर्जन का भी निषेध किया गया है। उत्तराध्ययन व दशवैकालिक में विभूषा की दृष्टि से प्रवृत्ति करने का निषेध किया गया है। विभूषावृत्ति को तात्पुटविष से उपमित किया गया है।

सोलहवां उद्देशक

सोलहवें उद्देशक में ५० सूत्र हैं। जिन पर ५०९५-५९०३ गाथाओं का विस्तृत भाष्य है। भिक्षु को सागारिक आदि की शैथ्या में प्रवेश करने का, सचित ईश, गण्डेरी आदि खाना या चूसने का, अरण्य में रहने वाले, वन में जाने वाले, अटवी की यात्रा करने वालों का भ्रशन-पान लेने, असमयी को संयमी, समयी को असंयमी कहने का तथा कलह करने वाले तीर्थियों से भ्रशन-पान आदि ग्रहण करने का निषेध किया गया है। भाष्यकार ने सप्तनिह्वणों का वर्णन किया है। क्रोध में आकर जो अपने ही दांतों से दूसरों को काट लेते हों ऐसे दस्यु, अनार्य, म्लेच्छ और प्रत्यन्त देशवासियों के जनपदों में बिहार करने का निषेध किया है। ये देश अनार्य देश थे। मगध, कोशाम्बी, घृणा, कुणाला आदि पच्चीस देशों को आर्य देश माना गया है। जुगुप्सित कुलों से अशन, पान, वस्त्र, कम्बल आदि ग्रहण करने का और वहाँ पर रवाध्याय आदि करने का भी निषेध है। अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के साथ भोजन ग्रहण करने का निषेध है। आचार्य, उपाध्याय आदि के भ्रासन पर पैर लग जाने पर विनय किये बिना चले

जाना। प्रमाण और आगमोक्त परिमाण में अधिक उपाधि रखने का निषेध किया गया है। सचित भूमि पर और अन्य विराधना वाले स्थानों पर गन्-मूत्र विमर्जन करने का निषेध है।

सोलहवें उद्देशक में जिन-जिन बातों की चर्चा की गई है और जिन-जिन कार्यों का निषेध किया गया है, उसकी चर्चा आचारारंग द्वितीय श्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और दशाश्रुतस्कन्ध में भी है। आगम-माहित्य में यत्र-तत्र साधक को सावधान किया गया है कि वह इस प्रकार की प्रवृत्ति न करे जो संयमी जीवन को विकृत बनाये।

सत्रहवां उद्देशक

सत्रहवें उद्देशक में १५५ सूत्र हैं। किन्हीं-किन्हीं प्रतिभों में १५१ सूत्र मिलते हैं। जिन पर ५९०४-५९९६ गाथाओं का भाष्य है। कुतूहल से त्रस प्राणियों को रस्मी आदि से बांधने और खोलने का निषेध है। कुतूहल से अनेक प्रकार की भानाएँ, विविध प्रकार की मालाएँ, कड़े, आभूषण बनाने रखने का निषेध है। विविध प्रकार के यस्त्रों का भी इसमें उल्लेख हुआ है। श्रमण को कुतूहलवृत्ति से रहित सम्भीर स्वभाव बनाना होना चाहिए। कुतूहलवृत्ति से लोकापवाद भी होता है। श्रमण और श्रमणियों का गृहस्थों के द्वारा परिक्रम करवाने का, बन्द बर्तन आदि छुलवाकर आहार लेने का, सचित पृथ्वी पर रथे हुए आहार को लेने का, तरसात बने हुए अचित्त शीतल जल लेने का और आचार्य पद योग्य मेरे शारीरिक लक्षण हैं, इस प्रकार कहने का निषेध किया गया है। विविध वाद्य यजाना, हंसना, नृत्य करना, पशुओं की तरह आवाज निकालना, विविध प्रकार के वाद्यों की सुनने के लिए ललकना, शब्दश्रवण के प्रति आसक्ति रखना इसके लिए प्रस्तुत उद्देशक में नपुनोमामी प्रायश्चित्त का उल्लेख है।

आचारारंग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में इस प्रकार की समयसाधना-विरुद्ध प्रवृत्ति करने का निषेध है। प्रत्येक श्रमण्य में इसी बात पर बल दिया गया है। सर्वत्र संयमी साधक के लिए बहुत ही निष्ठा के साथ नियमोपनिषय के पालन पर बल दिया गया है।

अठारहवां उद्देशक

अठारहवें उद्देशक में ७३ सूत्र हैं। किन्हीं-किन्हीं प्रति में ७४ सूत्र भी हैं। जिन पर ५९९७-६०२७ गाथाओं का भाष्य है। एक ने लेकर बसीत सूत्र तक नौकाविहार के सम्बन्ध में विविध दृष्टियों से चिन्तन किया गया है। यों तो श्रमण अपत्याय के जीवों की विराधना का पूर्ण रूप से त्यागी होता है फिर वह नौकाविहार कैसे कर सकता है? पर आचारारंगसूत्र, बृहत्कल्प और दशाश्रुतस्कन्ध में अपवाद रूप से नौकाविहार करने का भी विधान है। पर यह स्मरण रखना होगा कि वह नौका परमित जलमार्ग के लिए ही है। आगम में बताये हुए या आगमों में निर्दिष्ट कारणों से ही वह उसका उपयोग करता है। प्रस्तुत ग्रन्थ के विवेचन में विवेचनकार ने उस पर विस्तार से चर्चा की है। आचारारंग द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भी नौकाविहार के विधि-निषेध हैं। सूत्र ३३ से ७३ तक वस्त्र सम्बन्धी दोषों के सेवन का उल्लेख है। इत्यादि प्रवृत्तियों का सपुनोमामी प्रायश्चित्त कहा गया है। नौका और वस्त्र इन दो के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत उद्देशक के चर्चा है।

उन्नीसवां उद्देशक

उन्नीसवें उद्देशक में ३५ सूत्र हैं। किन्हीं-किन्हीं प्रतिभों में ४० सूत्र भी मिलते हैं। जिन पर ६०२८-६२७१ गाथाओं का भाष्य है। औषध के लिए पीत आदि दोष लगाना, विनिष्ट औषध की तीव्र मात्रा में अधिक लगाना, उसे विहार में साथ रखना, औषध के परिक्रम सम्बन्धी दोषों का सेवन करना, पूर्ण सन्ध्या, पश्चिम सन्ध्या,

अपराह्न मध्याह्न का समय और अर्धरात्रि के समय चार महामहोत्सव और उसके पश्चात् चार प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने का निषेध है। कालिङ्गसूत्र की चार प्रहरों में स्वाध्याय करने का वर्णन है। बत्तीस प्रकार के अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना। शारीरिक अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना। भ्रागमोक्त क्रम से सूत्रों की वाचना न देना, आचारांग आदि की वाचना पूर्ण किये बिना ही निशीथ आदि छेदसूत्रों की वाचना प्रारम्भ करना अथवा को वाचना देना पात्र को वाचना नहीं देना समान योग्य व्यक्तियों को वाचना देने में पक्षपात करना आचार्य, उपाध्याय द्वारा वाचना लिए बिना ही स्वयं वाचना ग्रहण करना अन्य मिथ्यात्वियों को अन्य-तीर्थियों को पार्श्वस्थादि की वाचना देने आदि का निषेध किया गया है।

प्रस्तुत उद्देशक के प्रथम सात सूत्रों में श्रौषध आदि के सम्बन्ध में बताया है। उसके पश्चात् आठवें सूत्र से पैंतीसवें सूत्र तक स्वाध्याय अध्ययन और अध्यापन के सम्बन्ध में वर्णन है। स्थानांग, आवश्यकसूत्र, व्यवहारसूत्र और बृहत्कल्प में भी इन बातों के सम्बन्ध में विविध स्थानों पर प्रकाश डाला गया है। अदत्त वाचना का इसमें स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। इस प्रकार उन्नीसवें उद्देशक में केवल दो ही विषयों की चर्चा है।

बीसवां उद्देशक

बीसवें उद्देशक में ५१ सूत्र हैं। जिन पर ६२७२-६७०३ गायत्रियों में भाष्य है। कपटयुक्त और निष्कपट आलोचना के लिए विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान है। जो साधक निष्कपट आलोचना करता है उस साधक को जितना प्रायश्चित्त आता है उससे कपटयुक्त आलोचना करने वाले को एक मास अधिक प्रायश्चित्त आता है। भगवान् महावीर के शासन में उत्कृष्ट छह मास के प्रायश्चित्त का ही विधान है। इन सूत्रों में प्रथम बीससूत्र-व्यवहारसूत्र से मिलते-जुलते हैं। इसमें विविध भंग बताकर प्रायश्चित्त का निरूपण किया है। प्रायश्चित्त स्थानों की आलोचना प्रायश्चित्त देने पर और उसके बहन काल में सानुग्रह निरनुग्रह स्थापित और प्रस्थापित का स्पष्ट निरूपण किया गया है।

यह स्मरण रखना होगा कि निशीथ नियुक्ति और भाष्य के अनुसार निशीथ की सूत्र संख्या २०२२ है। पर प्रस्तुत संस्करण में सम्पूर्ण सूत्र संख्या १४०१ है। निशीथसूत्र की जितनी भी प्रतियां उपलब्ध होती हैं उनमें सूत्र संख्या एक स्रष्ट नहीं है। ६२१ सूत्रों का नियुक्ति और भाष्य की प्रति में जो अन्तर है, वह शोधार्थियों के लिए अन्वेषणीय है।

अपराध व प्रायश्चित्त विधान—बौद्धदृष्टि से

श्रमणसंस्कृति की दो धाराएँ हैं—एक जैनसंस्कृति और दूसरी बौद्धसंस्कृति। हम उपर्युक्त पंक्तियों में यह बता चुके हैं कि जैन साधनापद्धति में स्खलनाएँ होने पर उस स्खलना से मुक्त होने के लिए निशीथ आदि छेदसूत्रों में प्रायश्चित्त आदि का निरूपण है। सर्वप्रथम जिन स्खलनाओं की सम्भावना है उनकी एक लम्बी सूची दी गई है और फिर उन स्खलनाओं की शुद्धि हेतु प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। जैन परम्परा में जो स्थान निशीथ का है वैसे ही स्थान बौद्धपरम्परा में विनयपिटक का है। विनयपिटक में बौद्ध भिक्षुसंघ का संविधान दिया गया है। भिक्षु जीवन में आचार का गौरवपूर्ण स्थान है। तथागत बुद्ध ने समय-समय पर भिक्षु और भिक्षु-णियों के पालन योग्य नियमों का उपदेश दिया। प्रस्तुत सन्दर्भ में अपराधों, दोषों और प्रायश्चित्तों का भी वर्णन है। समाज और जीवन का दिग्दर्शन करने हेतु प्रस्तुत ग्रन्थ का अथवा महत्त्व है। विनय पिटक में विनयवस्तु की दृष्टि से वह तीन विभागों में विभक्त है—(१) सुत्तविभंग, (२) खन्धक, (३) परिवार।

सुप्तविभंग मे शोषों का निरूपण है। उन नियमों के उल्लंघन का भी उल्लेख है जिन्हें भिक्षु प्रत्येक मही को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्मरण करता था। इसे दूसरे शब्द में प्रातिमोक्ष भी कहा जाता है। भिक्षु को भिक्षुणी की दृष्टि से प्रातिमोक्ष के दो विभाग हैं। इनमें भिक्षु और भिक्षुणी के द्वारा नियमोत्लंघन का वर्णन है। प्रातिमोक्ष का पाठ प्रारम्भ होता है तब उनमें जिन-जिन अपराधों का वर्णन आता है, उन अपराधों में से मना उपस्थित भिक्षु और भिक्षुणी ने जो-जो अपराध किये हैं, वे भिक्षु और भिक्षुणी अपने स्वयं से छड़े होकर उन अपराधों को स्वीकार करते हैं। अपराध स्वीकार करने के पीछे यही उद्देश्य रहा हुआ है कि भविष्य में वा पुनः इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। मञ्जिमनिकाय में तयागत बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रातिमोक्ष कुशलधर्मों का प्रादि है अर्थात् मुख है।^१ प्रातिमोक्ष शब्द पर टीका करते हुए एक आचार्य ने लिखा है कि जो उस प्रातिमोक्ष की रक्षा करता है, उसके नियमों का परिपालन करता है, वह (प्रातिमोक्ष) उसे अपराध असद्गति आदि दुःखों से मुक्त करता है अतः यह प्रातिमोक्ष है।

खन्धक भी दो भागों में विभक्त है? एक महावग्ग और दूसरा चुल्लवग्ग। भिक्षु का संघीय जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उसे किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह महावग्ग में वर्णन है। सुप्तविभंग में मुख्य रूप से निषेधात्मक शैली है तो महावग्ग में विधेयात्मक शैली है। उपसम्पदा, वर्षवास, प्रातिमोक्ष (प्रातिमोखं), प्रवारणा, चिवररंगना आदि विधि क्रम और नियमों का विस्तार से वर्णन है।

चुल्लवग्ग में दोनन्दन अर्थात् प्रतिदिन क्या करने योग्य है? क्या करने योग्य नहीं है? किस प्रकार चजना, किस प्रकार धोना आदि का विवेचन है। इसके अतिरिक्त बौद्ध इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का भी संकलन है।

प्रारम्भ में विययपिटक में वर्णित विषयों की अनुक्रमणिका दी गई है।

तयागत बुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य आनन्द को कहा था कि छोटी-छोटी गलतियों को धामा कर दिया जाय पर आनन्द बुद्ध से यह पूछना भूल गये कि छोटी-छोटी गलतियाँ कौन-सी हैं? तयागत बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् संघ विच्छिन्न न हो जाय, धर्मसंघ की समृद्धि को अक्षुण्ण रखने की दृष्टि से प्रथम बौद्धसंगति में कठोर नियमों का गठन किया गया। इसका मूल उद्देश्य भिक्षु-भिक्षुणी बुरे कार्यों से दूर रहेंगे। बौद्धसंघ में दो प्रकार के दण्ड थे—कठोर दण्ड और नरम दण्ड। कठोर दण्ड में पाराजिक एवं संधादि शेष दण्ड आते थे। यह दुट्ठुलापत्ति, गरुकापत्ति, अदेसनागामिनी आपत्ति, सुल्लवज्जा आपत्ति, अनवसेसापत्ति विविध नामों से जाना और पहचाना जाता है।

नरम दण्ड, इसमें पूर्वविधायी नरम दण्ड दिया जाता है। इसे अदुट्ठुलापत्ति, लहुकापत्ति, प्रमुल्लवज्जा आपत्ति, सावसेसापत्ति, देसनागामिनी आपत्ति आदि नामों से जानते-पहचानते हैं।

यहाँ यह एक विशेष रूप से बात स्मरण में रखनी होगी कि जैन परम्परा में हर स्थान पर भिक्षु और भिक्षुणी निम्नस्थ या निम्नस्थिनी के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है और इसी प्रकार बौद्ध परम्परा में भी दोनों के लिए अलग-अलग विधान है। बौद्ध गंध में भिक्षुपाति मोक्ष और भिक्षुणीपाति मोक्ष ये दो विभाग हैं। भिक्षुपाति मोक्ष के नियमों की संख्या अधिक है। वर्तमान में हमारे सामने भिक्षुपाति मोक्ष के सम्बन्ध में ग्रन्थ उपलब्ध न होने से भिक्षुणीपाति मोक्ष के आधार से ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं।

१. प्रातिमोखं ति प्रादिनेतं मुखमेतं पामुखमेतं कुसलानं धम्मानं तेन वुच्यति पातिमोखं ति।

—गोपक गोमगलानसुत्त मञ्जिमनिकाय ३।१।८

भिक्षु-भिक्षुणियों को जिस अपराध के कारण दण्ड दिया जाता है वह आपत्ति के नाम से विधृत है। भिक्षुणीपातिमोक्ष के अनुसार पाँच प्रकार की आपत्तियाँ हैं—(१) पाराजिक, (२) संघादिदेस, (३) निस्सगिय पाचित्तिय, (४) पाचित्तिय, (५) पाट्टिदेसनीय। इनके अतिरिक्त तीन आपत्तियों का वर्णन और मिलता है। (१) मुल्लच्चय, (२) दुवकट, (३) दुवभामित।

पाराजिक यह सबसे कठोर अपराध है। प्रस्तुत अपराध करने वाले को सघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था। संघ में प्रवेश करने का उसे पुनः अधिकार नहीं था।^१ जो सद्धम के मार्ग से च्युत हो गया है उस अपराधी की तुलना उस वृक्ष के मुक्तिये हुये पत्ते से की गई है जिसका सम्बन्ध वृक्ष से कट गया हो।^२ पाराजिक का अपराधी धर्म ज्ञान से च्युत माना जाता था।^३ पाराजिक आठ प्रकार के हैं—(१) मैथुन सेवन करना (२) चोरी करना (३) मानव की हत्या करना, शस्त्र की अन्वेषणा करना, मृत्यु की प्रशंसा करना (४) दिव्य शक्ति प्राप्त न होने पर भी दिव्य शक्ति मुझे प्राप्त है इस प्रकार दावा करना (५) कामासक्त होकर भिक्षुणी का कामुक पुरुष के जानू भाग के ऊपर और कटिभाग से निचले भाग का स्पर्श करना (६) पाराजिक दोष वाले को जानते हुए भी न स्वयं उसे रोकना और न गण को सूचित करना (७) जो समग्र संघ के द्वारा निष्कासित धर्म विनय और बुद्ध के उपदेश पर जो श्रद्धा रहित है उसका अनुगमन करना, तीन बार मना करने पर भी नहीं मानना (८) कामासक्त होकर भिक्षुणी का कामुक पुरुष का हाथ पकड़ना और उसके संकेत के अनुसार म्यान पर जाना। इसी प्रकार भिक्षुणी या महिला का हाथ पकड़ना और उसके संकेतानुसार कार्य करना।

इन आठ पाराजिक में गम्भीरतम अपराध मैथुन का है। बिना रागभाव के मैथुन नहीं हो सकता। इस-लिए सतत संघ सावधान रहता था।

पाराजिक अपराध के सद्ग संघादिदेस अपराध भी है। इसमें भी मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए ही विशेष सावधानी हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही संघभेद न करना, दुर्वचन न बोलना, संघ की निन्दा न करना, एक दूसरे का उपहास नहीं करना, एक दूसरे के अपराध को जो गोपनीय हैं उन्हें प्रकट न करना। संघादिदेस के अपराधी को मानत नामक दण्ड दिया जाता था। संघादिदेस अपराध करने पर भिक्षु को शीघ्र ही संघ को सूचित करना होता था। जो शीघ्र सूचित करता था उसे छह रात का मानत दण्ड दिया जाता था। और जो अपराध को छिपाता था उसके लिए परिवार का दण्ड अर्थात् निष्कासित का विधान था। जितने दिन छिपाता उतने दिन उसे परिवार का दण्ड दिया जाता था।^४ परिवार के पश्चात् उसे पुनः छह रात का मानत प्रायश्चित्त करना पड़ता था। इस प्रकार के अपराधी भिक्षु को सघ से बाहर रहने का विधान था और प्रायश्चित्त काल तक उसे अन्य अधिकारों से वञ्चित कर दिया जाता था।

जो भिक्षु परिवार दण्ड का प्रायश्चित्त कर रहा हो उसके लिए कुछ विशेष नियम थे। वह-उपसम्पदा और निस्सय प्रदान नहीं कर सकता था। भिक्षुणियों को उपदेश भी नहीं दे सकता था। वह भिक्षुओं के साथ भी

१. समन्तपासादिका भाग तृतीय पृ. १४५

२. पाचित्तिय पालि पृ. २८७, २९१

३. "पाराजिकेति पारं नामोच्यते धर्मज्ञानम्। ततो जीना ओजीना संजीना परिहीणा तेनाह पाराजिकेति।"

—भिक्षुणी विनय, १२३

४. बुल्लवग्ग पाट्टि पृ. ४००

नहीं रह सकता था। उपोसथ और प्रवारणा को रोक नहीं सकता था और न वह किसी पर दोष लगा सकता था और न किसी को दण्ड भी दे सकता था।^१ भिक्षुणी के लिए परिव्रास दण्ड का विधान नहीं था। ईसा पूर्व तृती शताब्दी के अशोक के अभिलेखों में संभेद करने पर भिक्षु और भिक्षुणी दोनों को अनावासास्थान में प्रेषित करने का वर्णन है।^२ बुद्धघोष^३ के मन्तव्यानुसार चैतियधर (श्मशान-स्थल), बोधिधर (बोधिगृह), सम्मज्जनी घट्टक (स्नानगृह), दारु-घट्टक (लकड़ी बनाने का स्थान), पानीयमाल (छज्जा), वच्छकुटी (शोचालय) तथा द्वारकोट्टक (द्वारकोष्ठक) ये अनावासास्थान था।^४

डॉ. अरुणप्रतापसिंह की यह कल्पना है कि बौद्धसंघ में पहले भिक्षुणियों के लिए भी परिव्रास दण्ड का विधान था। यह सम्राट् अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है। पर बाद में संघ ने देखा होगा अनावासास्थान में रहने से भिक्षुणियों की शीलरक्षा की समस्या उपस्थित होगी। इसलिए उस विधान में परिवर्तन किया गया हो।

धेरवादीनिकाय में भिक्षुणियों के लिए १६६ पाचित्तिय (प्रायश्चित्त) नियम बताये गये हैं, तो महासांघिकनिकाय में पाचित्तिय धर्म को संख्या ९४९ है। वहाँ पर उसे शुद्ध पाचत्तिक धर्म कहा गया है। दोनों में ही पाचित्तिय नियम प्रायः समान हैं। इन नियमों में कुछ नियम दुष्कृत्य से सम्बन्धित हैं। अन्तर्मांस से बुरी भावना प्राने पर या बुरे कार्य करने पर प्रायश्चित्त दिया जाता था। कुछ नियम बुद्ध धर्म और संघ या अन्य किसी भी व्यक्ति को कटुवचन कहने पर प्रायश्चित्त देने के थे। कुछ नियम मैथुन सम्बन्धी अपराध के लिए प्रायश्चित्त देने के थे। हस्तकर्म करना, गुप्तेन्द्रिय को तेल घृत आदि लगाकर संचालित करना, कुनिम मैथुन आदि से सम्बन्धित अपराध करने पर प्रायश्चित्त दिये जाते थे। कुछ नियम हिंसा सम्बन्धी अपराधों के प्रायश्चित्त देने के थे। कुछ नियम किसी को मारना, पीटना तथा ताड़ना, तर्जना, आत्मघात करना और शस्त्र आदि से सम्बन्धित थे। कुछ नियम चोरी सम्बन्धी अपराध के लिये प्रायश्चित्त देने के थे। कुछ नियम संघ संबन्धित अपराधों के प्रायश्चित्त देने के थे। संघ से निष्कासित व्यक्ति के साथ सम्बन्ध करना। संघीय आचारसंहिता का पालन न करना। कितने ही नियम आहार सम्बन्धी अपराध से सम्बन्धित हैं। रात्रिभोजन करना। स्वस्य भिक्षुणी का घृत, तेल, मधु, मांस, मद्यपी, मद्यन सहसुत का सेवन करना। कच्चे घनाज को धूनकर खाना। गृहस्थ या परिव्राजक को प्रपने हाथ से खिलाना। विकाल में भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ भटकना। कुछ नियम वस्त्रों से सम्बन्धित हैं। वस्त्रों को नाप से अधिक बड़ा या छोटा रखना। सूत्र कातना आदि का निषेध है और कुछ नियम स्वाध्याय से सम्बन्धित हैं।

मन्त्र आदि विद्याओं को सीखने का निषेध किया गया है। उत्ते धर्म के सार को ही प्रहण करना है अन्य निरर्थक बातें नहीं।

सारंश यह है कि चाहे जैन परम्परा रही हो, चाहे बौद्ध परम्परा रही हो, चाहे वैदिक परम्परा रही हो, सभी ने मैथुन, चोरी और हिंसा को गम्भीरतम अपराध माना है। जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं ने संघ को अत्यधिक महत्व

१. चुल्लवग्ग पाट्टि पृ. ६७-८१

२. ए चूं छो भिक्षु वा भिक्षुनि वा संघं भावति से भ्रोदात्तानि दुसानि सनं धापयिया घनावाससि आवाससिये ।

३. *Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. I. P. 161.*

४. समन्तापासादिका भाग तृतीय पृ. १२४४

दिया। संघ और संघनायक की अवहेलना करना भी महान् अपराध है। एक जैनाचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब तीर्थंकर समवसरण में विराजते हैं तब 'नमो संघस्त' कट्टार संघ की अभिवन्दना करते हैं। जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं ने बहुत ही सतर्कता रखी है कि कोई भी अयोग्य पात्र दीक्षा ग्रहण न करे। क्योंकि अयोग्य पात्र के संघ में प्रवेश हो जाने से दुराचार बढ़ सकता है। जैन और बौद्ध धर्मण और धर्मणियों की आचारसंहिता में अनेक स्थानों पर समानता है और प्रायश्चित्त-व्यवस्था में भी अनेक स्थानों पर समानता है। प्रायश्चित्त की जो सूचियाँ दोनों परम्पराओं में हैं उसमें भी काफी समानता है। यह सत्य है कि बौद्ध परम्परा मध्यममार्गीय रही इसलिए उसकी आचारसंहिता भी मध्यम मार्ग पर ही आधारित है। जैन परम्परा उग्र और कठोर साधना पर बल देती रही है। इसलिए उसकी आचारसंहिता भी कठोरता को लिये हुए है।

विशेषता यह है कि जैनशासन में परिस्थिति के अनुसार अपराध को देखकर प्रायश्चित्त दिया जाता है। यदि कोई साधक स्वेच्छा से अपराध करता है, बार-बार अपराध करता है, अपराध करके भी गुरुजनों के समक्ष उस अपराध को स्वीकार नहीं करता या माया का सेवन करता है तो उसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी और वही अपराध अनजान में या परिस्थिति विशेष के कारण हो गया है। गुरुजनों के समक्ष निष्कपट भाव से यदि वह आलोचना करता है। अपराध को स्वीकार करता है तो उसको प्रायश्चित्त कम दिया जाता है। पर बौद्धशासन में इस प्रकार प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं थी। जैनशासन में जो दस प्रायश्चित्त हैं उनमें से आलोचना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो साधक को प्रातःकाल और सन्ध्याकाल करने होते हैं। गुरु के समक्ष उन पापों को निवेदन करने होते हैं। पर बौद्धशासन में इस प्रकार प्रतिदिन आलोचना, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग करने का और प्रायश्चित्त से मुक्त होने का आवश्यक नियम नहीं था। वहाँ तो पन्द्रहवें दिन उपोसथ के समय पातिमोक्ख नियमों का वाचन होता था अतः बौद्धसंघ में अपराध की सूचना पन्द्रह दिन के पश्चात् मिलती थी और वर्ष में एक बार प्रवाराणा के समय देखा हुआ, मुना हुआ और शंका किये हुए अपराध की अन्वेषणा होती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपराध करना मानव का स्वभाव है। जरा-सी भ्रमावधानी से स्थलनाएँ हो जाती हैं पर उन स्थलनाओं की विशुद्धि हेतु जैन और बौद्ध परम्परा में जो प्रायश्चित्तविधान हैं उनमें सहजता है, सुगमता है। पर वैदिक परम्परा के प्रायश्चित्तविधानों में दण्डव्यवस्था भी सम्मिलित हो गई। जिसके फलस्वरूप अंगछेदन आदि का भी विधान हुआ। जबकि जैन और बौद्ध परम्परा में इस प्रकार के विधान नहीं हैं।

अपराध व प्रायश्चित्त विधान : वैदिक दृष्टि से

भारतीय संस्कृति की एक धारा वैदिक परम्परा है। एक ही धरती पर धर्मसंस्कृति और वैदिकसंस्कृति धाराएँ प्रवाहित हुई हैं। वैदिकसंस्कृति के महामनीषियों ने भी पापपंक से मुक्त होने के लिए विविध विधान किये हैं। ऋग्वेद के महापियों के अन्तर्मानस में भी पापरहित होने की प्रबल भावना पाई जाती है। पापों की संख्या, उनके विविध प्रकारों के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया कि बुद्धिमान या विज्ञों के लिए सात मर्यादाएँ बताई गई हैं। उनमें से किसी एक का भी जो प्रतिक्रमण करता है वह पापी है।^१ तैत्तिरीयसंहिता^२ शतपथब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप माना है।^३ काठक^४

१. ऋग्वेद १०/५/६
२. तैत्तिरीयसंहिता (२/५/९/२, ५/३/१२/१-२)
३. शतपथब्राह्मण (१३/३/१/१)
४. काठक (१३/७)

में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से भी विशेष पाप माना है। बृहदारण्यकोपनिषद् में^१ चोर घोर भ्रूण-हत्यारे को महापापी में गिना है। वसिष्ठसूत्र ने पापियों को तीन कोटि में बांटा है—१. एनस्वी, २. महापातकी, ३. उपपातकी। एनस्वी साधारण पापी को कहते हैं। उसके लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। वसिष्ठ के मतानुसार महापातक पाँच हैं (१) गुरु की शय्या को अपवित्र करना (२) सुरापान (३) भ्रूण की हत्या (४) ब्राह्मण के हिरण्य की चोरी (५) पतित का संसर्ग। उपपातकी वह हैं जो अग्निहोत्र का त्याग कर देता है। अपने अपराध से गुरु को कुपित करता है। नास्तिकों के यहाँ जीविका का अर्जन करता है। यह सत्य है इन पापों की कोटियों के सम्बन्ध में भी विभिन्न मत रहे हैं, विस्तारभय से हम उन सबकी चर्चा और मतों का उल्लेख यहाँ नहीं कर रहे हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग आदि के वर्णन अग्निपुराण, प्रायश्चित्तविवेक, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, मनुस्मृति आदि में विस्तार से है।^२ नारद का कथन है कि यदि व्यक्ति माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सगोत्रनारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मणनारी के साथ सम्भोग करता है वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिथल-कर्तन के घातिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।

विभिन्न प्रकार के पाप करने के पश्चात् उस पाप से अपने आपको बचाने के लिए भद्रिति, मित्र, वरुण आदि की स्तुतियाँ करने का क्रम चालू हुआ। अपने अपराध के परिणामों से भयभीत होकर उन्होंने विविध प्रकार के व्रत आदि भी करने प्रारम्भ किये। ऋग्वेद^३ के अनुसार सर्वप्रथम पाप के फल को दूर करने हेतु दया के लिए प्रार्थना पाप से बचने के लिए स्तुतियाँ तथा गम्भीर पापों के फल से छुटकारा पाने हेतु यज्ञ का विधान किया। तैत्तिरीयसंहिता^४ शतपथब्राह्मण^५ का मन्तव्य है कि अश्वमेध करने से देवतागण राजा को पाप मुक्त कर देते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति।

गीतम धर्मसूत्र,^६ वसिष्ठस्मृति^७ का कथन है—जप-तप-होम-उपवास एवं दान ये दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त हैं। आचार्य मनु^८ ने लिखा है कि अपराध को स्वीकार कर पश्चात्ताप तप, गायत्री मन्त्रों के जाप से पापी अपराध से मुक्त हो जाता है। यदि वह यह कार्य न कर सके तो दान से मुक्त हो जाता है। यही बात पाराशर^९ शातातपस्मृति^{१०} भविष्यपुराण^{११} में बताई गई है। शतपथब्राह्मण^{१२} में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो

१. बृहदारण्यकोपनिषद् ४/३/२२
२. नारदस्मृति श्लोक ७३-७५
३. ऋग्वेद ७/८६/४-५, ८/८८/६-७, ७/८९/१-५
४. तैत्तिरीयसंहिता ५/३/१२/१-२
५. शतपथब्राह्मण १३/३/१/१
६. गीतमधर्मसूत्र १९/११
७. वसिष्ठस्मृति २२/८
८. मनुस्मृति ३/२२७
९. पाराशर माघवीम १०/४०
१०. शातातपस्मृति १/४
११. भविष्यपुराण प्रायः विवेक पृ० ३१
१२. शतपथब्राह्मण २/५/२/२०

कि जो महापातकों एवं अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक् तप से पापमुक्त हो जाते हैं। जैन साधना¹ पद्धति में भी पाप से मुक्त होने के लिए विविध प्रकार के तपों का उल्लेख किया गया है।

वैदिक ऋषियों ने पाप से मुक्त होने के लिए होम, जप की साधना, दान, उपवास, तीर्थयात्रा आदि अनेक प्रकार बताये हैं।

वैदिक साहित्य में प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त ये दो शब्द व्यवहृत हुए हैं। तैत्तिरीयसंहिता² में प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। यह शब्द वहाँ पर पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद³ वाजसनेयीसंहिता,⁴ ऐत्तिरीयब्राह्मण,⁵ शतपथब्राह्मण⁶ कीपीतकिब्राह्मण⁷ में प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है। आपस्तंबश्रौतसूत्र⁸ शाखायनश्रौतसूत्र⁹ में प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त ये दोनों शब्द दिये हैं। प्रायश्चित्तविवेक¹⁰ ग्रन्थ में प्रायश्चित्त की व्युत्पत्ति प्रायः—तप और चित्त—संकल्प अर्थात् प्रायश्चित्त का सम्बन्ध पापमोचन हेतु तप का संकल्प करना। वाग्भट्टों याज्ञवल्क्यस्मृति¹¹ में प्रायः का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ शुद्धिकरण है। हेमाद्रि¹² ने एक अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या को उद्धृत कर लिखा है प्रायः का अर्थ विनाश है और चित्त का अर्थ संघान है। अर्थात् प्रायश्चित्त का अर्थ हुआ जो नष्ट हो गया है उसको पूरित करना। अतः पापक्षय के लिए नैमित्तिक कार्य है।

बृहस्पति¹³ आदि विज्ञों ने पाप के दो प्रकार किये हैं। एक कामकृत है अर्थात् जो जान-बूझकर किया जाता है। दूसरा अकामकृत है जो विना जाने-बूझे हो जाय। अकामकृत पापों प्रायश्चित्त के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। पर कामकृत पाप को प्रायश्चित्त के द्वारा नष्ट किया जा सकता है या नहीं? इस सम्बन्ध में विज्ञों में अत्यधिक मतभेद रहा है। मनुस्मृति¹⁴ में और याज्ञवल्क्यस्मृति¹⁵ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायश्चित्त या विद्याध्ययन से अनजान में किये गये पापों का विनाश होता है। याज्ञवल्क्यस्मृति¹⁶ में लिखा है कि जान-

१. उत्तराख्ययन ३७/२७
२. तैत्तिरीयसंहिता २/१/२/४, २/१/२/४, ३/१/३/२-३, ५/१/९/३, एवं ५/३/१२/१
३. अथर्ववेद १४/१/३०
४. वाजसनेयीसंहिता ३९/१२
५. ऐत्तिरीयब्राह्मण ५/२७
६. शतपथब्राह्मण ४/५/७/१, ७/१/४/९, ९/५/३/८ एवं १२/५/१/६
७. कीपीतकिब्राह्मण ५/९/६/१२
८. आपस्तंबश्रौतसूत्र ३/१०/३८
९. शाखायनश्रौतसूत्र ३/१९/१
१०. प्रायश्चित्तविवेक पृ० २
११. याज्ञवल्क्यस्मृति ३/२०६
१२. हेमाद्रि प्रायश्चित्तविवेक पृ० ९९९
१३. धर्मशास्त्र का इतिहास भाग ३ पृ० १०४५
१४. मनुस्मृति ११/४५
१५. याज्ञवल्क्यस्मृति ३/२२६
१६. याज्ञवल्क्यस्मृति ३/२२६

ब्रह्मकर किये गये पापों को प्रायश्चित्त नष्ट नहीं करता अपितु पापी प्रायश्चित्त कर लेता है तो ग्रन्थ व्यक्तियों के सम्पर्क में घ्रा जाने के योग्य हो जाता है। मनु^१ ने भी लिखा है—जब तक प्रायश्चित्त नहीं कर लेता तब तक उसे विज्ञानों के सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। स्मृतियों में यत्र-तत्र पापमोचन के लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है। गीतमधर्मसूत्र,^२ वसिष्ठस्मृति,^३ मनुस्मृति,^४ याज्ञवल्क्यस्मृति^५ में उन महामनीषियों ने माता, बहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार सेवन करने वाले को अण्डकोप एवं लिंग काट दिये जाने पर दक्षिण-दिशा में या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तक चलते रहना है जब तक उसका शरीर भूमि पर लुढ़क न पड़े। आचार्यों मनु^६ ने लिखा है कि चोर को कोई मूसल या गदा या दुधारी-शक्ति जो एक प्रकार की बरछी होती थी अथवा लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना चाहिए और अपने अपराध की घोषणा करे। राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर जीवित रहे तो वह चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है।

वैदिक परम्परा में प्रायश्चित्त सम्बन्धी साहित्य अत्यधिक विशाल रहा है। इसका कारण यह था कि प्राचीन युग में प्रायश्चित्तों का जन-साधारण में बड़ा महत्त्व था। देखिए, गीतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से १० अध्याय में प्रायश्चित्त का वर्णन है। वसिष्ठधर्मसूत्र में जो ३० अध्याय मुद्रित हुए हैं, उनमें से ९ अध्याय प्रायश्चित्त सम्बन्धी वर्णन से भरे पड़े हैं। मनुस्मृति में कुल २२२ श्लोक प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय ३ में १००९ श्लोक हैं। उसमें १२२ श्लोक प्रायश्चित्त पर आधारित हैं। शातातपस्मृति के २७४ श्लोकों में केवल प्रायश्चित्त का ही वर्णन है। उतने ही पुराणों में भी प्रायश्चित्त का उल्लेख हुआ है। जैसे—अग्नि-पुराण (अध्याय १६८-१७४) गरुडपुराण ५२, कूर्मपुराण (उत्तरार्ध ३०-३४), बराहपुराण (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड-पुराण (उपसंहारपाद अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तरामृत (२, ७३, ३/२३४-२३७) में प्रायश्चित्तों का वर्णन है। मिताक्षर, अपराधों के पाराशरमाधवीय प्रभृति टीकाश्री में भी विस्तार से प्रायश्चित्त के ऊपर चिन्तन किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रायश्चित्तप्रकरण, प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्तमार, प्रायश्चित्तमपूष, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायश्चित्तन्दुषेखर में प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन है।

यह भी स्मरण रखना होगा कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान प्रायश्चित्त नहीं था। समान अपराध होने पर भी प्रायश्चित्त देने में अन्तर था। प्रायश्चित्तों की कठोरता और अवधि व्यक्ति के द्वारा प्रथम बार अपराध करने पर या अनेक बार अपराध करने पर प्रायश्चित्त प्रदान करने वाली एक परिपद् होती थी। जो अपराधी के अपराध की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर उसके अनुसार प्रायश्चित्त की व्यवस्था करते। प्रायश्चित्त के मुख्य चार स्तर थे। (१) परिपद् के पास जाना या (२) परिपद् द्वारा उचित प्रायश्चित्त उद्योग, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन, (४) पापी के पाप की मुक्ति का प्रकाशन।

१. मनुस्मृति ११/४७
२. गीतमधर्मसूत्र २३/१०-११
३. वसिष्ठस्मृति २०/१३
४. मनुस्मृति ९१/१०४
५. याज्ञवल्क्यस्मृति ३/२५९
६. मनुस्मृति ८/३१४-३१५

वैदिक ग्रन्थों में अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के नाम भी आये हैं और उन ग्रन्थों में प्रायश्चित्तों की विधि भी बताई गई है। हम उनमें से कुछ प्रायश्चित्तों का संकेत कर रहे हैं। यह प्रायश्चित्त जल में पड़े रहकर दिन तीन बार अघमर्षण मन्त्रों का पाठ किया जाता है। इस प्रायश्चित्त का उल्लेख ऋग्वेद,^१ बौधायनधर्मसूत्र वसिष्ठस्मृति,^३ मनुस्मृति,^४ याज्ञवल्क्यस्मृति,^५ विष्णुपुराण,^६ शंखास्मृति^७ आदि में हुआ है।

दूसरा अतिकच्छ प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आचार्य मनु^८ के अभिमतानुसार तीन दिन तक केवल प्रातः काल एक कोर भोजन और सन्ध्याकाल भी एक कोर भोजन और बिना मांगे पुनः तीन दिन तक एक कोर भोजन और अन्त में तीन दिन तक उपवास करने का उल्लेख है।

अतिसान्तरह^९ इस प्रायश्चित्त की प्रवधि अठारह दिनों की है। इसमें छह दिनों तक गोमूत्र और पाच वस्तुओं का भोजन करते हैं।

अर्धकृच्छ्र^{१०} यह छह दिनों का प्रायश्चित्त है। जिसमें एक दिन में केवल एक बार भोजन, एक दिन सन्ध्याकाल और दो दिन तक बिना मांगे भोजन और फिर पूर्ण उपवास।

गोमूत्रकृच्छ्र^{११} एक गाय को जो और गेहूं खिलाया जाता है, फिर गाय के गोबर में से जितने दाने निकाले जायें, गोमूत्र में उसके आटे की लापसी और मादों बनाकर पीना चाहिए।

चान्द्रायण^{१२} चन्द्र के बढ़ने और घटने के अनुरूप जिसमें भोजन किया जाय उसे चान्द्रायण-व्रत कहते हैं। चान्द्रायण-व्रत के यवमध्य जो के समान बीच में मोटा और दोनों छोरों से पतला, पीपिलिकामध्य चाँटी के समान बीच में पतला और दोनों छोरों में, मोटा में दो प्रकार बौधायनधर्मसूत्र में दिए हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति और वसिष्ठस्मृति में चान्द्रायण यवमध्य की परिभाषा इस प्रकार की है—शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक प्रातः

१. ऋग्वेद १०/१९०/१-३
२. बौधायनधर्मसूत्र ४/२/१९/२०
३. वसिष्ठस्मृति २६/८
४. मनुस्मृति ११/२५९-२६०
५. याज्ञवल्क्यस्मृति ३/३०१
६. विष्णुपुराण ५५/७
७. शंखास्मृति १८/१-२
८. मनुस्मृति ११/२१३
९. विष्णुपुराण ४६/२१
१०. आपस्तम्बस्मृति ९/४३-४४
११. प्रायश्चित्तसार पृ. १८७
१२. (क) मिताच्छरा याज्ञवल्क्यस्मृति टीका ३/३२३
(ख) बौधायनधर्मसूत्र ३/८/३३
(ग) वसिष्ठस्मृति २७/१
(घ) मनुस्मृति ११/२७

दूसरे दिन दो, इस प्रकार क्रमशः पूर्णिमा को पन्द्रह ग्रास का भोजन लिया जाता है। इसी प्रकार कृष्णपक्ष में प्रथम दिन चौदह ग्रास, एक-एक ग्रास कम करते हुए चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता है और अभावस्था को उपवास किया जाता है। यदि कोई कृष्णपक्ष की प्रथम तिथि से व्रत प्रारम्भ करता है तो प्रथम दिन चौदह ग्रास खाता है और क्रमशः ग्रासों को कम करता जाता है। चतुर्दशी को एक ग्रास खाता है और अभावस्था को एक ग्रास भी नहीं खाता, फिर शुक्लपक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और बढ़ता-बढ़ता पूर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खाता है। इस स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक भी ग्रास नहीं होता। अधिक ग्रासों की संख्या प्रारम्भ और अन्त में होती है। इससे यह प्रायश्चित्त पीपिलिकामध्य चन्द्रायन कहा जाता है। चन्द्रायन-व्रत के सम्बन्ध में विविध प्रकारों का उल्लेख है।

इस प्रकार विविध प्रायश्चित्त उतारने हेतु विविध प्रकार के तपों का उल्लेख ग्रन्थों में प्रतिपादित है। हम उन सबका यहाँ उल्लेख न कर डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे के द्वारा लिखित धर्मशास्त्र का इतिहास भाग ३ को पढ़ने का कष्ट करें, यह संकेत कर रहे हैं। जहाँ इस पर विस्तार से विवेचन और चर्चा है।

व्याख्या साहित्य

निशीथनिर्युक्ति

छेदसूत्रों में निशीथ का बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान रहा है। उसमें रहे हुए रहस्यों को व्यक्त करने हेतु समय-समय पर इस पर व्याख्या साहित्य का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम इस पर प्राकृत भाषा में पद्यबद्ध टीका लिखी गई। वह टीका निशीथनिर्युक्ति के नाम से विभूत है। इसमें मूल ग्रन्थ के प्रत्येक पद पर व्याख्या न कर मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की गई है। यह व्याख्याशैली निक्षेपपद्धतिपरक है। निक्षेपपद्धति में किसी एक पद के सम्भावित अनेक अर्थ करने के पश्चात् उनमें से अग्रस्तुत अर्थों का निषेध कर प्रस्तुत अर्थ को ग्रहण किया जाता है। न्यायशास्त्र में यह पद्धति अत्यन्त प्रिय रही है। भद्रबाहुस्वामी ने निर्युक्ति के लिए यह पद्धति उपयुक्त मानी है। उन्होंने आवश्यकनिर्युक्ति में लिखा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं पर कौनसा अर्थ किस प्रसंग के लिए उपयुक्त है। श्रमण भगवान् महावीर के उपदेश के समय कौनसा अर्थ किस शब्द से सम्बद्ध रहा है प्रभृति मभी बातों को ध्यान में रखते हुए सही दृष्टि से अर्थ निर्णय करना। और उस अर्थ का मूल सूत्र के शब्दों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना निर्युक्ति का प्रयोजन है।^१ अपर शब्दों में कहा जाय तो सूत्र और अर्थ का निश्चित सम्बन्ध बताने वाली व्याख्या निर्युक्ति है^२ अथवा निश्चय से अर्थ का प्रतिपादन करने वाली युक्ति निर्युक्ति है।^३ सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् सारपेष्टियर ने निर्युक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'निर्युक्तियाँ अपने प्रधान भाग के केवल इन्वेन का काम करती हैं। वे सभी विस्तारयुक्त घटनावलियों का संक्षेप से उल्लेख करती हैं।'^४

निशीथनिर्युक्ति में भी सूत्रगत शब्दों की व्याख्या निक्षेपपद्धति में की गई है। प्रस्तुत निर्युक्ति की गायार्ण

१. आवश्यकनिर्युक्ति, गा. ८८
२. सूत्रार्थयोः परस्परं नियोजनं सम्बन्धनं निर्युक्तिः ।
—आवश्यकनिर्युक्ति गा. ८३
३. निश्चयेन अर्थप्रतिपादिकयुक्तिः निर्युक्तिः ।
—आचारार्णगि. १/२/१
४. उत्तराध्ययन की भूमिका, पृ. ५०-५१

भाष्य से मिल गई हैं। जहाँ पर चूणिकार यह संकेत करते हैं वही पर यह पता चलता है कि यह निर्युक्ति का गाथा है और यह भाष्य की गाथा है। इस निर्युक्ति में श्रमणाचार का ही निरूपण हुआ है।

निशीयभाष्य

निर्युक्तियों की व्याख्याशैली अत्यन्त गूढ़ और संक्षिप्त थी। उसका मुख्य लक्ष्य पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना था। निर्युक्तियों के गम्भीर रहस्यों को प्रकट करने हेतु निर्युक्तियों की तरह ही प्राकृत भाषा में पद्यात्मक व्याख्या लिखी गई जो भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। निर्युक्तियों के शब्दों में छिपे हुए अर्थवाङ्मय को श्रमिव्यक्त करने का सर्वप्रथम श्रेय भाष्यकारों को है। निशीय के भाष्य-रचयिता श्री संघदासगणि हैं। प्रस्तुत भाष्य की अनेक गाथाएँ बृहत्कल्प और व्यवहारभाष्य में हैं। अनेक रसप्रद सरस कथाएँ भी हैं। विविध शब्दों से श्रमणाचार का निरूपण हुआ है। जैसे पुलिंद आदि प्रनार्य श्रमण्य में जाते हुए श्रमणों को आर्य समझ कर मार देते थे। मार्थवाह व्यापारार्थ दूर-दूर देशों में जाते थे। उस युग में अनेक प्रकार के सिषके प्रचलित थे। भाष्य में बृहत्कल्प, नन्दीसूत्र, सिद्धसेन और गोविन्द-वाचक आदि के नामों का उल्लेख हुआ है।

निशीयचूणि

भाष्य के पश्चात् जैनाचार्यों ने गद्यात्मक व्याख्या साहित्य लिखने का निश्चय किया। उन्होंने शुद्ध प्राकृत में और संस्कृत मिश्रित प्राकृत में व्याख्याओं की रचना की। जो व्याख्या चूणि के नाम से विद्युत है। निशीय पर दो-दो चूणियाँ निमित्त हुईं, किन्तु वर्तमान में उस पर एक ही चूणि उपलब्ध है। निशीयचूणि के रचयिता जिनदासगणि महत्तर हैं। इस चूणि को विशेष चूणि कहते हैं। इस चूणि में मूल सूत्र, निर्युक्ति व भाष्य गाथाओं का विवेचन है। इस चूणि की भाषा संस्कृत मिश्रित प्राकृत है।

हमने पूर्व पंक्तियों में निशीय के बीस उद्देशकों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया है। वह सार निशीय सूत्र आगम के अनुसार दिया गया है। निशीयचूणि में निशीय के मूल भावों को स्पष्ट करने के लिए कुछ नये तत्त्व चूणिकार ने अपनी ओर से दिये हैं। अतः हम प्रबुद्ध पाठकों को निशीयचूणि में जो वर्णन प्राया है उसका सार यहाँ दे रहे हैं, इसलिए यह पुनरावृत्ति नहीं है। पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि चूणिकार ने किस प्रकार विषय को स्पष्ट किया है।

चूणिकार ने सर्वप्रथम श्रमिहन्त, सिद्ध और साधुओं को नमस्कार किया है और अर्थप्रदाता प्रद्युम्न महाश्रमण को भी नमस्कार किया है। आचार्य, अग्र, प्रकल्प, चूलिका और निशीय इन सबका निक्षेपपद्धति से चिन्तन किया गया है। निशीय का अर्थ है अप्रकाश-अप्रकार। अप्रकाशित वचनों के सही निर्णय हेतु निशीयसूत्र है। लौक-व्यवहार में निशीय का प्रयोग रात्रि के अन्धकार के लिये होता है। निशीय के अर्थ अर्थ भी दिये गये हैं। जिसमें घ्राट प्रकार के कर्मपंक नष्ट किये जायें वह निशीय है।

प्रथम पुरुष प्रतिसेवक का वर्णन है। उसके पश्चात् प्रतिसेवना और प्रतिसेवितव्य का स्वरूप बताते हुए अप्रमाद-प्रतिसेवना, सहसात्करण, प्रमादप्रतिसेवना, क्रोध आदि कपाय, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की विराधना, विकृषा, इन्द्रिय, निद्रा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विवेचन किया गया है। आसत्य, मंयुन, निद्रा, दृग्घा और आजीव इन पाँचों का जितना सेवन किया जाय, उतना ही वे द्रोपदी के दुकूल की तरह बढ़ते रहते हैं।

स्त्रयान्दिनिद्रा वह है जिसमें तीव्र दर्शनावरणकर्म का उदय होता है, जिस निद्रा में चित्त स्त्रयान कठिन या जम जाय वह स्त्रयान्दि है। उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए चूणिकार ने पुद्गल, मोदक, कुम्भकार और हस्तीदन्त के उदाहरण दिये हैं।

पट्जोवनिकाय की यतना, उसमें लगने वाले दोष, अपवाद और प्रायश्चित्त का पीठिका में विवेचन किया गया है। भ्रमण, पान, वसन, वसति, हलन-चलन-शयन, भ्रमण, भाषण, गमन, आगमन आदि पर विचार किया गया है।

प्राणातिपात का विवेचन करते हुए मृषावाद को लौकिक और लोकोत्तर इन दो भागों में विभक्त किया गया है। लौकिक मृषावाद में शक, एलायाट मूलदेव, खिण्डपाणा इन चार धूर्तों के आख्यान है। इस धूर्तख्यान का मूल आधार आचार्य हरिभद्रकृत धूर्तख्यान की प्राचीन कथा है। इसके बाद लोकोत्तर मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रिभोजन का वर्णन है, जो दारिका सम्बन्धी और कल्पिका सम्बन्धी दो भागों में विभक्त है। दारिका में उन विषयों में लगने वाले दोषों का वर्णन है और उन दोषों के सेवन का निषेध किया गया है। कल्पिका में उनके अपवादों का वर्णन है। मूत्रगुणप्रतिसेवना के पश्चात् उत्तरगुणप्रतिसेवना का वर्णन है। उसमें पिण्डविशुद्धि आदि का वर्णन है। पीठिका के उपसंहार में इस बात पर प्रकाश डाला है कि निशीथपीठिका का सूनायं बहुभुत की ही देना चाहिए, अव्योम्य पुरुष को नहीं।

प्रथम उद्देशक में चतुर्थ महाव्रत पर विस्तार से विश्लेषण है। इसमें पाच प्रकार की चिनिमित्तिकाओं को ग्रहण करना, उसका प्रमाण और उपयोग पर प्रकाश डाला है। लाठी और उसकी उपयोगिता पर भी विचार किया गया है। वस्त्र फाड़ने, सीने आदि के नियमोपनिषम भी बताये हैं।

द्वितीय उद्देशक में पादप्रोक्षण के ग्रहण, सुगन्धित पदार्थों के सूघने, कठोर भावा का उपयोग करने तथा स्नान आदि करने का निषेध है और दाता की पूर्व व पश्चात् स्तुति का भी निषेध किया गया है। द्रव्यसंस्तव ६४ प्रकार का है। उसमें जव, गोधूम, शालि आदि २४ प्रकार के धान्य; सुवर्ण, तंब, रजत, लोह, शीशक, हिरण्य, पाषाण, बेर, मांस, भौतिक, प्रवाल, शंख, तिनिस, अगह, चन्दन, अभिलात वस्त्र, काष्ठ, दन्त, चर्म, बाल, गन्ध, द्रव्य औषध ये २४ प्रकार के रत्न; भूमि, घर, तट ये तीन प्रकार के स्थावर; शकट आदि और मनुष्य ये दो प्रकार के द्विपद; गो, उष्ट्री, महिषी, अज, मेघ, अश्व, अश्वत्तर, घोटक, गर्दभ, हस्ती ये दस प्रकार के चतुष्पद और ६४वां कुप्य उपकरण है।

शय्यातर का पिण्ड अप्राह्य है। उसे ग्रहण करने पर मासलघु का प्रायश्चित्त आता है। (१) सागारिक कौन होता है, (२) वह शय्यातर कब बनता है, (३) उसके पिण्ड के प्रकार, (४) अशय्यातर कब बनता है, (५) सागारिक किस संयत द्वारा परिहृत्य है, (६) सागारिक-पिण्ड के ग्रहण से दोष, (७) किस परिस्थिति में सागारिक-पिण्ड ग्रहण किया जा सकता है, (८) यतना से ग्रहण करना, (९) एक या अनेक सागारिकों से ग्रहण करना आदि विषयों पर चिन्तन किया गया है। सागारिक के सागारिक, शय्यातर, दाता, घर तर ये पांच प्रकार हैं। शय्या और संस्तारक का अन्तर बताते हुए कहा है कि शय्या पूरे शरीर के बराबर होती है और संस्तारक ढाई हाथ लम्बा होता है। उसके भी भेद-प्रभेद का विस्तार से वर्णन है।

उपधि का विवेचन करते हुए उसके अवधियुक्त और उपगृहीत ये दो प्रकार बताये हैं। जिनकल्पिकों के लिए वारह प्रकार की, स्वविरकल्पिकों के लिए चौदह प्रकार की और साधिव्यों के लिए पच्चीस प्रकार की उपधि अवधियुक्त है। जिनकल्पिक पाणिपात्र भोजी और प्रतिग्रहधारी ये दो प्रकार के होते हैं। जिनकल्पिक की अवधि की आठ कोटियां हैं। उनके दो, तीन, चार, पांच, नौ, दस, ग्यारह, बारह ये भेद हैं। निर्वस्त्र पाणिपात्र की जघन्य

उपधि रजोहरण और मुखवस्त्रिका ये दो होती हैं। यदि पाणिपात्र-सवस्त्र है और एक कपड़ा ग्रहण करता है तो उसके तीन प्रकार हैं।

तृतीय उद्देशक में भिक्षाग्रहण में लगने वाले दोषों और उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। अन्य दोषों के सम्बन्ध में भी चिन्तन किया है।

चतुर्थ उद्देशक में अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग, कायोत्सर्ग के विविध प्रकार, समाचारी, निर्वन्धी के स्थान पर श्रमण का प्रवेश, राजा, प्रमात्य, श्रेष्ठि, पुरोहित, सार्यवाह, ग्राममहत्तर, राष्ट्रमहत्तर, गणधर के महान, ग्लान श्रमणी की सेवा, संरंभ, समारम्भ और धारम्भ के भेद-प्रभेद, हास्य और उनके उत्पन्न होने के विविध कारणों का वर्णन है।

पंचम उद्देशक में प्राकृतिक शय्या, छादन आदि भेद, सपरिकमंशय्या, उसके चौदह प्रकारों का वर्णन है। जैन श्रमणों में परस्पर आहार आदि का जो व्यवहार होता है वह जैन पारिभाषिक शब्द में संभोग कहलाता है और उस सम्बन्ध को सांभोगिक सम्बन्ध कहते हैं। चूणिकार ने सांभोगिक सम्बन्ध को समझाने के लिए कुछ ऐतिहासिक आख्यान दिये हैं, यथा—भगवान महावीर, उनके शिष्य सुधर्मा, उनके जम्बू, उनके प्रभव, उनके शय्यभव, उनके यशोभद्र, उनके संभूत, उनके स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के आर्य महागिरि और धार्य सुहस्ती ये दो मुगप्रधान किण्व हुए। चन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्दुसार, उसका श्रमिक और उसका पुत्र कुपाल हुआ।

छठे उद्देशक में गुरुचातुर्मासिक का वर्णन है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय मंथुन सम्बन्धी दोष और प्रायश्चित्त है।

सप्तम उद्देशक विकृत आहार, कुण्डल, गुण, मणि तुडिय, तिसरिय, वालंभा, पलंवाहार, अर्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट, मुकुट आदि धाम्भूषण का स्वरूप बताकर उनको धारण करने का निषेध है व आलिङ्गनादि का निषेध किया गया है।

अष्टम उद्देशक में उद्यान, उद्यानगृह, उद्यानशाला, निर्याण, निर्याणगृह, निर्याणशाला, अट्ट, भट्टान्त, चरिका, प्राकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमार्ग, दकपथा, दकतीर, दकस्थान, शून्यगृह, शून्यशाला, भिन्नगृह, भिन्नशाला, कुटागार, कोष्ठागार, तृणगृह, तृणशाला, तुपगृह, तुपशाला आदि का अर्थ स्पष्ट कर श्रमण को सूचित किया है कि इन सभी स्थानों में श्रकेली महिला के साथ विचरण न करे।

निरा में स्वजन-परिजन आदि के साथ भी न रहे और रहने पर प्रायश्चित्त का विधान है। साय ही रात्रि में भोजन धादि की अन्वेषणा करना, ग्रहण करना आदि के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

नौवें उद्देशक में बताया है कि जो मूर्धाभिषिक्त है अर्थात् अभिषेक हो चुका है, जो सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी और सार्यवाह सहित राज्य का उपभोग करता है, उसका पिण्ड श्रमण के लिए वर्ज्य है। जो मूर्धाभिषिक्त नहीं है उसके लिए यह नियम नहीं है। अगान, पान, खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, क्रम्वन और पादप्रोच्छेदन ये षाठ वस्तुएँ राजपिण्ड में आती हैं।

श्रमण को जीर्णान्त-पुर, मवान्त-पुर और कल्पकान्त-पुर में नहीं जाना चाहिए। कोष्ठागार, भाण्डागार, पानागार, क्षीरगृह, गंजशाला, महानसशाला आदि का भी स्वरूप बताया गया है।

दसवें उद्देशक में भाषा की भ्रमादृता, पक्षपता आदि का विवेचन कर उसके प्रायश्चित्त का वर्णन किया है। आधाकामिक आहार के दोष व प्रायश्चित्त, रुग्ण की वैयावृत्य, उसकी यतना, उपेक्षा करने पर प्रायश्चित्त का विधान है। वर्षावास पशुपणा के एकाधिक शब्द दिये गये हैं। आर्य कालक की भगिनी सरस्वती जो भ्रत्यन्त रूपवती थी—उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल द्वारा उसके अपहरण आदि की कथा दी गई है।

ग्यारहवें उद्देशक में पात्र-ग्रहण की चर्चा है। भय के पहले चार भेद किये हैं—(१) पिशाच आदि से उत्पन्न भय, (२) मनुष्यादि से उत्पन्न भय, (३) वनस्पति से उत्पन्न भय और (४) भ्रकस्मात् उत्पन्न होने वाला भय। फिर इहलोक, परलोक आदि सात भय बताये हैं।

धर्मोद्यदीक्षा का निषेध करते हुए कहा है कि अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकार की स्त्रियाँ और दस प्रकार के नृपंसक ये अयोग्य हैं। बालदीक्षा के तीन भेद किये हैं—(१) सात-आठ वर्ष का बालक उत्कृष्ट बाल है, (२) पाँच-छह वर्ष की आयु वाला मध्यम बाल है और (३) चार वर्ष तक की आयु वाला जघन्य बाल है। ये सभी दीक्षा के अयोग्य हैं। आठ वर्ष से अधिक आयु वाला बालक ही दीक्षा के योग्य माना गया है। वृद्ध, रोगी, उन्मत्त, मूढ़ आदि जो दीक्षा के अयोग्य हैं, उनका भी त्रिविध भेदों से वर्णन किया है। प्रसंगानुसार सोलह प्रकार के रोग, आठ प्रकार की व्याधियों का भी निरूपण है। व्याधि और रोग में यही अन्तर है कि व्याधि का नाश शीघ्र होता है, किन्तु रोग का नाश लम्बे समय में होता है। बालमरण और पण्डितमरण पर भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

बारहवें उद्देशक में त्रसप्राणी सम्बन्धी बन्धन व मुक्ति, प्रत्याख्यान, भंग आदि का वर्णन हुआ है।

तेरहवें उद्देशक में स्निग्ध पृथ्वी, शिला आदि पर कायोत्सर्ग, गृहस्थ को कटुक वचन, मन्त्र, लाम व हानि, धातु का स्थान आदि वताना, वन विरेचन प्रतिकर्म करना, पाषवंस्य कुशिल की प्रशंसा व वन्दन, धात्रीपिण्ड, दूती-पिण्ड, निमित्तपिण्ड, चिकित्सापिण्ड, क्रोधादिपिण्ड का भोग करना ये सभी चतुर्लुंघु प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

चौदहवें उद्देशक में पात्र सम्बन्धी दोषों का निरूपण कर उससे मुक्त होने के लिए प्रायश्चित्त का विधान है।

पन्द्रहवें उद्देशक में श्रमण-श्रमणियों को सचित्त भ्राम खाने का निषेध किया है। द्रव्य भ्राम के उस्सेतिम, संसेतिम, उवबखड और पालिय ये चार भेद हैं और पलित भ्राम के चार प्रकार बताये हैं। श्रमण-श्रमणियों की दृष्टि से तालप्रलम्ब के ग्रहण की विधि पर भी प्रकाश डाला है।

सोलहवें उद्देशक में श्रमण को देहविभूषा और अतिउज्ज्वल उपधि धारण का निषेध किया है। श्रमण-श्रमणियों को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर रहने से उनके ब्रह्मचर्य को विराधना न हो।

जुगुप्सित यानि घृणित कुल में आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। जुगुप्सित इत्वरिक और यावत्कथिक रूप में दो प्रकार हैं। सूतक आदि वाले घर कुछ समय के लिए जुगुप्सित होते हैं। लुहार, कलाल, चर्मकार, ये यावत्कथिक-जुगुप्सित कुल हैं।

पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में स्थूणा पर्यन्त और दक्षिण में कौशाब्दी से लेकर उत्तर में कुणाला पर्यन्त प्रायदेश है, जहाँ पर श्रमण को विचरना चाहिए। भाष्यकार की भी यही मान्यता रही है।

सत्रहवें उद्देशक में गीत, हास्य, वाद्य, नृत्य, अभिनय आदि का स्वरूप बताकर श्रमण के लिए उनका आचरण करना योग्य नहीं माना गया है और प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

विषय-सूची

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
—	प्रायश्चित्त तालिका	१-२
	१. पराधीनता से २. घातुरता से ३. आसक्ति से । उपवास के समकक्ष तप विकल्प ।	
उद्देशक १		
१.	वेदमोहवय-प्रायश्चित्त	३-८
	मंगलाचरण विचारणा, लिपि नमस्कार, उत्थानिकाओं के मौलिकता की विचारणा, भिक्षु शब्द में भिक्षुणी भी, दो करण से तीन करण, अनुमोदन की क्रिया ।	
२-९	अंगादान संचालन आदि का प्रायश्चित्त	८-१२
	सात दृष्टांत, अंगादान व्याख्या, श्रम्यंगन आदि शब्दों का विश्लेषण, मंशिप्त पाठ सूचन, शिशा-वचन, "भ्रचित्त श्रोत" का प्रासंगिक अर्थ ।	
१०	फूल आदि सचित्त पदार्थ सूंघने का प्रायश्चित्त	१२
११-१४	गृहस्थ द्वारा पदमार्ग आदि घनवाने का प्रायश्चित्त	१३
	पदमार्ग, संक्रमणमार्ग, अवलंबन, दगवोणिका, छींका एवं चिलिमिलिका का विश्लेषण ।	
१५-१८	सूई आदि के सुधार-संस्कार कराने का प्रायश्चित्त	१४-१७
	उत्तरकरण का अर्थ, दो प्रकार के उपकरण, सघातुक उत्तरकरण रखना, परिग्रह स्वरूप, ग्रन्थी-यिक गृहस्थ के भेद-प्रभेद एवं क्रम, प्रासंगिक अर्थ की सूचना ।	
१९-२२	सूई आदि के निष्प्रयोजन साने का प्रायश्चित्त	१७
२३-२६	सूई आदि अवधि से लेने का प्रायश्चित्त	१८
२७-३०	सूई आदि से अनिर्दिष्ट कार्य करने का प्रायश्चित्त	१८
३१-३४	सूई आदि अन्य को देने का प्रायश्चित्त	१९
३५-३८	सूई आदि अवधि से लोटने का प्रायश्चित्त	२०
३९	पात्र सुधारवाने का प्रायश्चित्त	२०

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
४०	दंड आदि सुधरवाने का प्रायश्चित्त	२१
४१-४६	पात्र सीने जोड़ने का प्रायश्चित्त एक या तीन घेगली, विधि-अविधि की व्याख्या, बधन सह्या स्वरूप, तीन से अधिक बधन की परिस्थिति ।	२२-२४
४७-५६	वस्त्र सीने जोड़ने का प्रायश्चित्त घेगली की आवश्यकता, अविधि सीवन, गाठ कब और कैसी लगाना, सीने की आवश्यकता, अविधि के प्रायश्चित्त, अधिक जोड़, साराण ।	२४-२७
५७	गृहस्थ से धूँआ उतरवाने का प्रायश्चित्त धूँआ उतारने की विधि, धूँआ का औषध रूप उपयोग	२७
५८	पूतिकर्म दोष का प्रायश्चित्त तीन प्रकार के पूतिकर्म, उपसंहार वाक्य, परिहारट्टाण का अर्थ ।	२८
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त साराण	२९-३०
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है	३०

उद्देशक २

१-८	दंडयुक्त पादप्रोद्धन सम्बन्धी प्रायश्चित्त पादप्रोद्धन का अर्थ, आगमों में इसके विभिन्न उपयोग, काष्ठदंड कब, रजोहरण एवं पादप्रोद्धन सम्बन्धी भ्रम, आगमों से इसकी भिन्नता सिद्धि, काष्ठदंड युक्त पादप्रोद्धन की काल मर्यादा, औषधप्रहिक उपकरण ।	३१-३४
९	इत्रादि सूँघने का प्रायश्चित्त	३५
१०-१३	पदमार्ग आदि स्वयं बनाने का प्रायश्चित्त मच्छरदानी बनाना प्रायश्चित्त कार्य है, रखना प्रायश्चित्त कार्य नहीं ।	३५
१४-१७	सूई आदि को स्वयं सुधारने का प्रायश्चित्त	३६
१८	अल्पतम कठोर भाषा बोलने का प्रायश्चित्त अल्पतम कठोर भाषा का स्वरूप, कठोर भाषा के पाच उदाहरण, कठोर भाषा का अपवाद एवं विकल्प ।	३६
१९	अल्पतम झूठ बोलने का प्रायश्चित्त अल्प झूठ के उदाहरण ।	३७

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
२०	अल्प अदत्त लेने का प्रायश्चित्त अदत्तनिषेध के आगमस्थल ।	३८
२१	अंगोपांग प्रक्षालन का प्रायश्चित्त	३८
२२	अछण्ड चर्म रखने का प्रायश्चित्त "कसिण" शब्द से चार प्रकार के चर्म उपकरण ।	३९
२३	बहुमूल्य वस्त्र रखने का प्रायश्चित्त कृत्स्न के विकल्प एवं प्रायश्चित्त, अल्पमूल्य-बहुमूल्य ।	४०
२४	अभिन्न वस्त्र रखने का प्रायश्चित्त अभिन्न वस्त्र रखने के दोष ।	४१
२५-२६	पात्र, दण्ड आदि के सुधार कार्य स्वयं करने का प्रायश्चित्त	४१
२७-३१	अन्य की गवेयणा के पात्र लेने का प्रायश्चित्त	४२
३२	निमग्नित पिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त नियार्थिपिंड के रूपान्तरित शब्द, विशेषार्थ, दो-चार दिन लगातार गोचरी का कल्प ।	४३
३३-३६	दानपिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, दान कुलों के प्रकार, वहा जाने में दोष, 'नित्यपिंड' के गवेयणा दोष होने का भ्रम, आगम प्रमाणों से सिद्धि ।	४३-४५
३७	नित्य निवास का प्रायश्चित्त कालातिक्रान्त क्रिया, उपस्थानक्रिया, नित्य निवास से दोष, कल्प उपरांत ठहरने का अपवाद ।	४६
३८	दाता की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त पूर्वसंस्तव, पश्चात्संस्तव की व्याख्या, प्रशंसा करने के हेतु, दान की प्रशंसा का विवेक ।	४६-४७
३९	अनुरागी कुलों में दुबारा भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त दुबारा जाने के दोष एवं हेतु ।	४७
४०-४२	अन्य भिक्षाचरों के साथ गमनागमन का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, किसके साथ जाना, मृतोक्त व्यक्तियों के साथ जाने में संभावित दोष ।	४८
४३	मनोज जल पीने और अमनोज परठने का प्रायश्चित्त अचित्त जल की गवेयणा विधि, योग्यायोग्य जल की परीक्षा के लिए पच्यना, विभिन्न रस के पानी और उनके लेने रखने के विवेक, परठने में अपवाद ।	४९
४४	मनोज भोजन छाने, अमनोज परठने का प्रायश्चित्त मुज्य शब्दों के अर्थ एवं पर्यायवाची शब्द, माहार परठने में अपवाद ।	५०

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
४५	अधिक आहार अन्य श्रमणों को बिना पुछे परठने का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, गोचरी लाने वाले की कुशलता, परिष्कारन के पूर्व की क्रमिक विधि ।	५१
४६-४७	शय्यातर पिंड सम्बन्धी प्रायश्चित्त विशिष्ट दोष, पर्याय शब्द, शय्यातर कौन होता है ? शय्यातर पिंड वस्तुएँ, शय्यातर पिंड में नही आने वाली वस्तुएँ, शय्यातर पिंड की वस्तुएँ लेने का विकल्प, शय्यातर कब से, शय्यातर कब तक, अनेक साधुओं का पारस्परिक शय्यातर, शय्यातर पिंड ग्रहण से होने वाले दोष, परिस्थितिक अपवाद ।	५२-५३
४८	शय्यातर का घर जाने बिना गोचरी जाने का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, व्यक्ति को जानने का तरीका ।	५३-५४
४९	शय्या की सक्रिय दलाली से आहार लेने का प्रायश्चित्त दलाली का स्वरूप, शय्यातर सूत्र संख्या विचारणा ।	५४
५०-५१	शय्यातर संस्तारक के याचना काल के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त क्षम्य अतिक्रमण काल, शेष काल एवं चातुर्मास में घास पाट ग्रहण करना, आवश्यक कारण एवं उपयोगिता ।	५५-५६
५२	घर्षा से भोगते पाट आदि को न हटाने का प्रायश्चित्त सूत्रोच्चारण का हेतु, साक्षात्कार कर्म, हटाने एवं नही हटाने के दोषों की तुलना ।	५६
५३	शय्या-संस्तारक मालिक को बिना आज्ञा अन्यत्र ले जाने का प्रायश्चित्त सूत्र का आशय, अन्यत्र ले जाने की विधि, बिना आज्ञा से ले जाने के दोष, सूत्र संख्या विचारणा ।	५७
५४-५५	शय्या-संस्तारक विधिघटन लोटाने का प्रायश्चित्त	५८
५६	छोपे गये शय्या-संस्तारक को खोज नहीं करने पर प्रायश्चित्त	५८
५७	प्रतिलेखन नहीं करने का प्रायश्चित्त सभी उपकरणों का दो वक्त प्रतिलेखन, प्रतिलेखन के समय की विचारणा, दो बार पात्र-प्रतिलेखन के समय का निर्धारण ।	५९-६०
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश	६०-६१
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य भागों में है अथवा नहीं है	६२
उद्देशक ३		
१-१२	अविधि के आहार को याचना करने का प्रायश्चित्त दीन वृत्ति एवं भ्रवीन वृत्ति, बारह सूत्रों का सार ।	६३-६६

सूयांक	विषय	पृष्ठांक
१३	गृहस्थ के मना करने के बाद भी उनके घर गोचरी जाने का प्रायश्चित्त	६६
१४	बड़े जीमनवार में भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त	६७
१५	अभिहृड शेष सेवन का प्रायश्चित्त	"
	गृहस्थ के घर में प्रवेशशुभ्रि, कितने दूर से जाया गया आहार कैसे लेना, मूत्र में "तीन" शब्द क्यों ?	
१६-२१	पात्र परिकर्म का प्रायश्चित्त	६८-६९
	शब्दार्थ, परिकर्म प्रवृत्ति से दोष, "कूमेज्ज रएज्ज" पद की विचारणा ।	
२२-२७	शरीर परिकर्म का प्रायश्चित्त	७०
२८-३३	व्रण चिकित्सा का प्रायश्चित्त	७०
३४-३९	घूमड़े आदि की शल्य-चिकित्सा का प्रायश्चित्त	७०-७५
	शब्दों की व्याख्या, छहों मूर्तों का सम्बन्ध क्रम, सकारण छकारण चिकित्सा स्वरूप, स्थिरवल्पी भिक्षु को चिकित्सा का अपवाद, उत्सर्ग अपवाद का स्वरूप, उत्सर्ग अपवाद का प्रारंभ कब तक, पथमूषट साधकों का कर्त्तव्य अपवाद, अपवाद से पतन भी, एक श्लेष के दृष्टांत से अपवाद की मात्रा का विवेक ज्ञान, उत्सर्ग-अपवाद का अधिकारी कौन ?	
४०	अपानद्वार से कृमियाँ निकालने का प्रायश्चित्त	७५-७६
	कृमियों का स्वरूप एवं उत्पत्ति का कारण ।	
४१	नख काटने का प्रायश्चित्त	७६
	नख काटने का एकांत अनेकांत सिद्धांत विचारणा, विभिन्न आगम स्थलों का संकेत-संकलन, अकारण सकारण स्थिति का ज्ञान ।	
४२-४७	बाड़ी मूँछ एवं काँख आदि के रोम काटने का प्रायश्चित्त	७७
४८-५०	दंतमंजन आदि करने का प्रायश्चित्त	७७-७९
	भाग्यमिः विधान, दंतशय रोग, दांत स्वस्थ रखने हेतु सावधानियाँ, अदंतघावन का इन्द्रियनिग्रह और संथम समाधि से सम्बन्ध, दांतों की दृग्गता एवं कभी दंतमंजन करना भी अनाचार नहीं, विवेक ज्ञान ।	
५१-५६	ओष्ठ परिकर्म का प्रायश्चित्त	७९
५७-६३	घक्षु परिकर्म का प्रायश्चित्त	७९
६४-६६	मस्तक आदि के केश काटने का प्रायश्चित्त	८०-८१
	प्रातःगिकः ५१ मूर्तों की मद्य्या एवं क्रम का निर्णय, धूमि में सूचित १३ पद और २६ मूर्तों का प्राशय एवं उनकी तालिका ।	

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
६७	शरीर से पसीना-मैल हटाने का प्रायश्चित्त शब्द व्याख्या, समर्थ-असमर्थ साधक की अपेक्षा विवेक ।	८२
६८	आंख, कान, नाक और नख का मैल निकालने का प्रायश्चित्त कारण-अकारण का विवेक ज्ञान, मैल निकालने के अपवाद ।	८२-८३
६९	मस्तक टांक कर फर्हों भी जाने का प्रायश्चित्त लिंग विपरीतता, अपवाद वर्णन, प्रचलित परम्परा, शरीर परिकर्मे के कुल ५४ सूत्रों की तालिका, अन्य उद्देशकों में नव बार ५४ सूत्र, सकारण-अकारण में प्रायश्चित्त विकल्प, शरीर उपकरण सम्बन्धी आगम प्रमाणों से विश्लेषण, सकारण के निर्णय के अधिकारी की योग्यता एवं उसका स्वतन्त्र विचरण ।	८३-८६
७०	बशीकरण करने का प्रायश्चित्त	८६-८७
७१-७९	अकल्पनीय स्थानों में मल-सूत्र परठने का प्रायश्चित्त सूत्र का मुख्य विषय, शब्दों के अर्थ, "गोलेहणिया" का विशिष्टार्थ, मूल पाठ की विचारणा, परठने के अविवेक से दोषोत्पत्ति, विवेक ज्ञान ।	८७-९०
८०	धूप न आने वाले स्थान में मल-विसर्जन करने का प्रायश्चित्त "अणुगए सूरिए" शब्द का सही आशय, उपाश्रय में या स्थंडिलभूमि में मल-त्याग का विवेक-ज्ञान, कृमिविवेक ।	९१
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त साराश	९२-९३
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है	९३-९४

उद्देशक--४

१-५	राजा आदि को बश में करने का प्रायश्चित्त प्रशस्त-अप्रशस्त प्रयत्न, हानि और लाभ, इस विषय में सूत्रकृतांगसूत्र का विधान ।	९५-९६
६-१०	राजा आदि की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त पूर्व सूत्रों में सम्बन्ध एवं किसी को बश में करने का एक तरीका ।	९६
११-१५	राजा आदि को आकण्ठित करने का प्रायश्चित्त 'अत्थीकरेद्' अनेक अर्थों में, प्रासंगिक अर्थ, अन्य शब्दार्थ ।	९७-९८
१६-३०	घाम-रक्तक आदि को बश में करने आदि का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, सूत्र संख्या एवं क्रम की विचारणा ।	९८-१००
३१	सचित्त धान्य या बीज आदि खाने का प्रायश्चित्त 'कसिण' शब्द की व्याख्या, अचित्त अखण्ड धान्य खाने के आगम प्रमाण ।	१००-१०१

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
३२	गुह भावि की आत्मा बिना विषय खाने का प्रायश्चित्त आज्ञा लेने का विवेक ज्ञान, विषय महाविषय का परिचय, विषयनिषेध के आगम पाठों का संकलन । एक प्रक्षिप्त सूत्र संकेत ।	१०१-१०३
३३	स्थविरों द्वारा स्थापित कुलों को जाने बिना गोचरो जाने का प्रायश्चित्त स्थापनाकुल के विभिन्न अर्थ एवं प्रासंगिक अर्थ, अन्न्य शब्दों का स्पष्टार्थ एवं पारस्परिक अंतर, इन कुलों में जाने से क्या दोष ?	१०३-१०४
३४	साध्वी के उपाश्रय में अविधि से जाने का प्रायश्चित्त विधि-अविधि का ज्ञान, आगम आशय ।	१०४
३५	साध्वी के आने के मार्ग में उपकरण रखने का प्रायश्चित्त अविवेक, कुतूहल या मलिन विचार	१०४-१०५
३६	नया कलह करने का प्रायश्चित्त	१०५
३७	उपशांत कलह को उभारने का प्रायश्चित्त कलहउत्पत्ति के मुख्य कारण और विवेक ।	१०५
३८	मुंह फाड़ कर या आवाज करते हुए हंसने का प्रायश्चित्त अन्य सूत्रों के उद्धरण, उत्पन्न दोष, एक दृष्टान्त द्वारा विषय का स्पष्टीकरण ।	१०६
३९-४८	पारश्वस्थ आदि को साधु देने या उनसे लेने का प्रायश्चित्त "संघाटक" का प्रासंगिक अर्थ, उत्पन्न होने वाले दोष, विवेकज्ञान । पारश्वस्थ आदि पापों का भाष्य चूर्ण के उद्धरण युक्त विस्तृत स्वरूप, सूत्रक्रम व्यत्यय की भूल, पारश्वस्थ आदि के स्वरूप में यताई गई प्रवृत्तियों का अपवाद सेवन एवं उसगी शुद्धि का विवेक ज्ञान, पारश्वस्थ आदि कौन और कहा हो सकते ? ज्ञानविवेक ।	१०६-११२
४९-६२, ६३	सचित्त पदार्थों से लिप्त (छरडे) हायादि से आहार लेने का एवं बिना छरडे हाय आदि से आहार लेने का प्रायश्चित्त पृथ्वीकाम की विराधना, अप्रकाम्य की विराधना, वनस्पति की विराधना एवं पशुचातृ यमों दोष, प्रथम पिडेयणा, शब्दों की व्याख्या, सूत्रसंख्या की विचारणा, "पिट्ट" शब्द की विशेष-पता, सत्संबंधी प्रान्ति और उग्रहा तक एवं प्रमाणों द्वारा संगोपन, दशवैकानिक के शब्दों से तुलना एवं समन्वय, "उत्पाट्ट" शब्द की विचारणा, दशमीन कहने का प्रक्षिप्त पाठ एवं पांच अतिरिक्त शब्द और उनको अनावश्यकता ।	११२-११६
६४-११७	साधुओं द्वारा परस्पर शरीरपरिकरमं करने का प्रायश्चित्त ५४ सूत्रों का प्रतिदेश, चूर्ण में ४१ संख्या कहने का तात्पर्य, ५४ सूत्रों की तात्पर्य ।	११७-११८

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
१८-१२७	मल-विसर्जन सम्बन्धी विधि भंग करने के प्रायश्चित्त दस सूत्रों का सक्षिप्त आशय, इनका सम्बन्ध मल-त्याग से है, लघुगीत की अपेक्षा नहीं है, सूत्रों के मुख्य शब्दों की व्याख्या एवं विचारणा ।	११८-१२१
१२८	प्रायश्चित्त बहान करने वाले के साथ भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त उद्देशक २ सूत्र ४० और प्रस्तुत सूत्र में पारिहारिक अरिहारिक शब्द के अर्थ करने की भिन्नता, पारिहारिक साधु का परिचय एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न जानकारी के लिये प्रश्नोत्तर ।	१२१-१२४
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश	१२४-१२५
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है	१२६-१२७

उद्देशक ५

१-११	वृक्षकंध के निकट बंठने आदि का प्रायश्चित्त शब्दों की व्याख्या, उद्देशक, समुद्देश के वैकल्पिक अर्थ ।	१२८-१२९
१२	गृहस्थ से चट्टर सिलवाने का प्रायश्चित्त गृहस्थ के भ्रातृ प्रकार, सिलाई करने के कारण एवं क्रमिक विधि ।	१२९
१३	चादर के लम्बी डोरियां बांधने का प्रायश्चित्त किसके कब और कितनी डोरियां बांधना ? डोरियों की कितनी लम्बाई ? लंबी डोरियों के दोष ।	१२९-१३०
१४	पत्ते छोकर छाने का प्रायश्चित्त गवेषणा विवेक, धोने के दोष, "पडोल" की अर्थ विचारणा ।	१३०
१५-१८	लौटाने योग्य पादप्रोक्षण सम्बन्धी प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त पादप्रोक्षण का नहीं किन्तु भाषा के अविवेक का है ।	१३१
१९-२२	लौटाने योग्य बंड आदि सम्बन्धी प्रायश्चित्त	१३१-१३२
२३	लौटाने योग्य शय्या-संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त शब्द व्याख्या, बाहर से लाये शय्या-संस्तारक उपाध्यय में छोड़ना, पुनः आज्ञा लेना, अन्त में यथा-स्थान पहुँचाना ।	१३२
२४	सूत फालने का प्रायश्चित्त कातने के साधन, दोषोत्पत्ति ।	१३२-१३३
२५-३०	सच्चित्त, रंगीन या आकर्षक बंड बनाने का प्रायश्चित्त बंड बनाने में कारण, बनाने में ध्यान रखने योग्य मुद्दे, शब्दों की व्याख्या, सूत्रसंख्या विचारणा ।	१३३-१३४

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
३१	नवनिमित्त ग्राम, उपनगर आदि में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त ग्रामादि शब्दों की व्याख्या, शब्दों की संख्या एवं क्रम की विचारणा, निर्णय क्रम, नवनिमित्त का आशय एवं दोष ।	१३२-१३६
३२	नवनिमित्त छान में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र का आशय, दोष विराधना एवं विवेक ।	१३७
३३-३५	बीणा बनाने एवं बजाने का प्रायश्चित्त बीणा स्वरूप, बजाने का हेतु, विराधना, सूत्र संख्या निर्णय ।	१३७-१३८
३६-३८	दोष वाली शय्या में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त उद्देश, पाहुड़ और परिकर्म शब्द का सामान्य परिचय, भाष्य के आधार से विशेष व्याख्या, संबन्ध सारांश, वर्तमान में उपलब्ध शय्याओं के सदोष निर्दोष की गवेषणा का शिक्षण तीन विभागों से, पाठ की गवेषणा का शिक्षण तीन विभागों द्वारा । पाठ की गवेषणा के सम्बन्ध में उपलब्ध आगम विषय उसकी कालांतर से कल्पनीयता, वर्तमान जैन फिरकों की धर्मेक्षा से गवेषणा-ज्ञान ।	१३८-१४४
३९	'संभोग-प्रत्ययिक-क्रिया' नहीं मानने का प्रायश्चित्त इस क्रिया का स्वरूप और कर्मबंध एवं विवेक ज्ञान ।	१४४
४०-४२	उपधि परठने के अविवेक का प्रायश्चित्त ध्रुल, धिरं, ध्रुवं, धारणिज्जं का व्याख्यान, पादप्रौद्यन एवं रजोहरण की भिन्नता, परठने सम्बन्धी विवेक ज्ञान, सूत्र-विचारणा, क्रिया-विचारणा ।	१४४-१४६
४३-५२	रजोहरण सम्बन्धी विधि-विधान भंग करने के प्रायश्चित्त रजोहरण स्वरूप, परिमाण कैसा, सूटम शीपं, कंडूगग बंधन आदि प्रमुख शब्दों की व्याख्या, दसों सूत्रों के स्पष्टार्थ, ग्यारहवें सूत्र का भ्रम ।	१४६-१५९
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश	१५०
—	उपसंहार	१५०-१५१

उद्देशक ६

१-७८	अवह्य के संकल्प से किए जाने वाले कृत्यों के प्रायश्चित्त "माउग्गाम" का अर्थ, "विग्नवण" स्वरूप, महाचर्मंत्रण की दुष्टारता के आगम वर्णन, वन में उत्तगाहित करने के आगम वर्णन, शिक्षा, सूत्राशय, गौरवीयता और वर्तमान युग, विवेक, सेखन पद्धति की आगम में निहित ।	१५२-१५७
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश	

उद्देशक—७

१-३	मैद्युनसंकल्प से माला बनाने पहनने का प्रायश्चित्त माला बनाने का हेतु, सूत्र के शब्दों की विचारणा, क्रियाओं का अर्थ ।	१५८-१५९
४-६	“कडा” बनाने पहनने का प्रायश्चित्त कडा बनाने का सही अर्थ, उससे होने वाले दोष, ‘पिण्डेई’ और ‘परिभुंजई’ क्रिया का लिपि दोष ।	१५९-१६०
७-९	आभूषण बनाने का प्रायश्चित्त सूत्रपाठ की विचारणा ।	१६०-१६१
१०-१२	विविध वस्त्र निर्माण एवं उपयोग का प्रायश्चित्त	१६२-१६३
१३	अंगों के संचालन का प्रायश्चित्त	१६३
१४-६७	शरीर परिकर्म के ५४ प्रायश्चित्त	१६३
६८-७५	सच्चित्त पृथ्वी आदि पर बैठने बैठाने का प्रायश्चित्त सूत्र के शब्दों का आशय ।	१६३-१६५
७६-७७	गोद में बैठाने आदि का प्रायश्चित्त	१६५
७८-७९	धर्मशाला आदि स्थानों में बैठने आदि का प्रायश्चित्त	१६५-१६६
८०	चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त	१६६
८१-८२	मनोज्ञ पुद्गल प्रक्षेपण आदि का प्रायश्चित्त	१६६-१६७
८३-८५	पशु-पक्षियों के अंगसंचालनादि का प्रायश्चित्त	१६७-१६८
८६-८९	आहार-पानी लेने देने का प्रायश्चित्त	१६८
९०-९१	घाचना लेने देने का प्रायश्चित्त	१६८
९२	विकारवर्धक आकार बनाने का प्रायश्चित्त	१६९
—	उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त सारांश	१६९
—	उपसंहार	१६९-१७०

उद्देशक—८

१-९	अकेली स्त्री के साथ मंपर्क करने का प्रायश्चित्त स्त्रीमंसर्ग निषेध एवं उपमा, कठिन शब्दों की व्याख्या, निष्कर्ष ।	१७१-१७४
१०	रात्रि में स्त्री परिवर्त में अपरिमित कया करने का प्रायश्चित्त सूत्र का आशय एवं प्रतिपक्ष तात्पर्य, अपरिमाण का स्पष्टीकरण ।	१७४-१७५

- ११ निर्ग्रन्थो से अतिसंपर्क का प्रायश्चित्त
निर्ग्रन्थी से कितना सम्पर्क, उत्सर्ग और अपवाद के कर्तव्य । १७४
- १२ उपाध्य में रात्रि के समय स्त्रीन्यास का प्रायश्चित्त
मूत्र का प्रसंग, अर्द्धरात्रि का तात्पर्य, "सबसावेष्ट" श्रिया का विशेषार्थ, अतिरिक्त मूत्र
विचारणा ।
- १३ स्त्री के साथ रात्रि में गमनागमन का प्रायश्चित्त
माय जाने की परिस्थिति एवं कारण ।
- १४-१८ मूर्द्धामिषक्त राजाओं के महोत्सव आदि स्थलों से आहार लेने का प्रायश्चित्त
मूत्र परिचय, राजा के तीन विशेषण का तात्पर्य, कठिन शब्दों की व्याख्या । १७७
- उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश
- उपसंहार—उद्देशक का विषय अन्य भागमें से है या नहीं ? १८०

उद्देशक—९

- १-२ राजपिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त
राजपिंड के आठ पदार्थ, तीर्थकरों के शासन की अपेक्षा विचारणा ।
- ३-५ राजा के अंतःपुर में प्रवेश एवं निष्काश्रहण सम्बन्धी प्रायश्चित्त
तीन प्रकार के अंतःपुर, "अंतःपुरिया" शब्द के अर्थविरुद्ध, द्वारपाल से आहार मंगवाकर
लेने के दोषों का वर्णन । १८२-
- ६ राजा का वानपिंड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त १८३-
- ७ राजा के कौटार आदि को जाने दिना गोचरी जाने का प्रायश्चित्त
शब्दों की व्याख्या, वहाँ जाने के दोष । १८४-
- ८-९ राजा या रानी को देखने के लिए जाने का प्रायश्चित्त १८५-
- १० शिकार के लिए गये राजा से आहार लेने का प्रायश्चित्त
- ११ राजा जहाँ मेहमान हो पहा गोचरी जाने का प्रायश्चित्त
क्षुधाहार या भोजन में राजा निमग्न, कठिन शब्दवशात्ता, सूत्राशय । १८६-
- १२ राजा के उपन्यासस्थान के निकट में ठहरने का प्रायश्चित्त
राजाओं का संसर्गनिषेध गुणवृत्तांगसूत्र में । १८७-
- १३-१८ पात्रा में गये राजा का आहार लेने का प्रायश्चित्त १८८-
- १९ राज्याभिषेक के समय गमनागमन का प्रायश्चित्त १
- २० किन्हीं भी राजधानी में बारंबार जाने का प्रायश्चित्त
बारंबार जाने से शंका आदि दोष । १८९-

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
२१-२७	राजकर्मचारी के निमित्त बना आहार लेने का प्रायश्चित्त दोषों की संभावना, कब तक अकल्पनीय, कठिन शब्दों की व्याख्या, सूत्राशय, शब्दों की हीनाधिक्यता की विचारणा, सूत्र की हीनाधिक्यता ।	१९०-१९४
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश	१९४
—	उपसंहार—अन्य आगमों में उक्त-अनुक्त विषय	१९५

उद्देशक—१०

१-४	आचार्यं गुरु आदि की अविनय आशातना का प्रायश्चित्त आचार्यं को कठोर बोलने के प्रकार, शब्दों की व्याख्या, आशातना में भ्रपवाद ।	१९६-१९७
५	अनंतकाय संयुक्त आहार करने का प्रायश्चित्त अनन्तकाय के लक्षण, सारांश ।	१९८-१९९
६	आधाकर्मों दोष के सेवन का प्रायश्चित्त आधाकर्म शब्द की वैकल्पिक व्याख्याएं, आधाकर्म के तीन प्रकार, आधाकर्म के दो विभाग ।	१९९-२००
७-८	गृहस्थ को निमित्त बताने का प्रायश्चित्त निमित्त के प्रकार, बताने के हेतु, बताने के तरीके, वर्तमान का निमित्त बताना कैसे ? निमित्तकथन का निषेध आगमों में, निमित्तकथन से दोष, निमित्त की सत्यासत्यता ।	२००-२०२
९-१०	बीक्षित शिष्य के अपहरण का प्रायश्चित्त शिष्य के दो प्रकार, अपहरण एवं विपरिणमन का तरीका और दोनों में अन्तर ।	२०२
११-१२	दीक्षार्थी के अपहरण करने का प्रायश्चित्त “दिस” शब्द की व्याख्या एवं सही अर्थ ।	२०३
१३	अज्ञात आगंतुक भिक्षु को कारण जाने दिना रखने का प्रायश्चित्त	२०३-२०४
१४	कलह करके आये भिक्षु के साथ आहार-संभोग रखने का प्रायश्चित्त—	२०४
१५-१८	विपरीत प्रायश्चित्त कहने एवं देने का प्रायश्चित्त	२०४-२०५
१९-२४	प्रायश्चित्तयोग्य भिक्षु के साथ आहार करने का प्रायश्चित्त शब्दों की व्याख्या, सूत्राशय, सूत्रसंख्या निर्णय ।	२०५-२०६
२५-२८	रात्रिभोजन दोष सम्बन्धी प्रायश्चित्त प्रमुख शब्दों की व्याख्या एवं सूत्राशय, विवेकज्ञान ।	२०६-२०८
२९	रात्रि में आहार-पानी के उद्गाल को निगलने का प्रायश्चित्त विवेकज्ञान, तबे और पानी की बूद का दृष्टांत ।	२०९

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
३०-३३	ग्लान की सेवा में प्रभाव करने का प्रायश्चित्त सूत्रों का आशय, सेवा का महत्त्व एवं भावों की वृद्धि का विवेक, आगम में सेवाधर्म ।	२०९-११०
३४-३५	घातुर्मास में विहार करने का प्रायश्चित्त विहार सम्बन्धी कल्पाकल्प, चतुर्मास के चार महिने आचारारंग में, बारह महिनों के विभाग-पूर्वक आगम विधान और उनसे चार महिनों के वर्षावास की सिद्धि, चतुर्मास रहने के लिए आगम में क्रियाप्रयोग एवं पर्यूपण करने की क्रिया का प्रयोग, चोमासे के दो विभाग और उनके लिए प्रयुक्त शब्द, ऋतु और महिने, 'दूइग्जई' क्रिया का भाव्य-अर्थ, अधिक मास और ऋतु विभागों की कालगणना ।	२१०-२१२
३६-३७	पर्यूपण निश्चित दिन न करने का प्रायश्चित्त दिन की निश्चितता सिद्धि, तिथि की निश्चितता भादवा सुदी पंचमी, अपवाद को उत्सर्ग बनाना अपराध, सूत्राशय, एकता के लिए मुक्ताव-लौकिक पंचांग एवं ऋषिपंचमी स्वीकृति, पूनम अमावस की पक्षी, मोक्षार्थ आचार्यों के निर्णय की दो माया एव उसका आशय ।	२१२-२१४
३८-३९	पर्यूपण के दिन घास रखने और आहार करने का प्रायश्चित्त पर्यूपण सम्बन्धी भिक्षु के कर्तव्यों का संकलन, पर्यूपण का एक दिन या साठ दिन ।	२१४-२१५
४०	पर्यूपणा-कल्प गृहस्थ को सुनाने का प्रायश्चित्त दशाभुतस्कन्ध के साठवें अध्यायन का उच्चारण, परम्पराविवृद्धि, उत्तरा ऐतिहासिक दूषित कारण, दूषित परम्परा, अध्यायनविच्छेद ।	२१५-२१६
४१	चोमासे में घट्ट लेने का प्रायश्चित्त समवसरण का अर्थ, "पत्ताहुं" शब्द का प्रासंगिक अर्थ, धर्मविच्छेद, व्याख्या में सभी उपकरणों का सूचन एवं उनका विवेकज्ञान ।	२१६
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांक युक्त सारांश	२१६-२१७
—	किन्-किन् सूत्रों का विषय आगमों में है या नहीं	२१७-२१८

उद्देशक—११

१-४	निविद्ध पात्र लेने रखने का प्रायश्चित्त निविद्ध पात्र के आगम स्थल, परिश्रावणों का पात्र धर्जन, प्लास्टिक पात्र, गूना पाठ के तन्त्रों की हीनाधिक्यता एवं निर्णय, "हारपुठ" की गजमात्र व्याख्या, सूत्रमंत्रना विचारणा एवं निर्णय, पात्र करने और धंधन करने का आशय, अन्नपरारिण का सह्यपदाराणि पाठ की विचारणा एवं निर्णय । दोषों की विस्तृत जानकारी भाव्य में ।	२१९-२२२
-----	--	---------

क्र.सं.	विषय	पृष्ठांक
६	पात्र के लिए क्षेत्र सीमा उल्लंघन का प्रायश्चित्त आचाररंग के पाठों से सम्बन्ध, "सपञ्चवायंगि" से परिस्थिति का स्पष्टीकरण ।	२२२
	धर्म की निन्दा करने का प्रायश्चित्त श्रुत-धर्म और चारित्र्य-धर्म की निन्दा करने के अनेक उदाहरण, निन्दा का परिणाम एवं प्रायश्चित्त ।	२२३
	अधर्म की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त अधर्मप्रशंसा का स्वरूप, परिणाम और विवेकज्ञान ।	२२३-२२४
६२	गृहस्थ के शरीर सम्बन्धी सेवा शुभ्रया करने का प्रायश्चित्त ५४ सूत्र और उनके विवेचन की भलावण ।	२२४
६४	भयभीत करने का प्रायश्चित्त भयभीत करने का आशय, प्रायश्चित्त में विकल्प, भिक्षु के योग्य और अयोग्य कर्तव्य, भयभीत करने के दोष, विवेकमूचन ।	२२४-२२५
६५-६६	विस्मित करने का प्रायश्चित्त विस्मित करने का स्पष्ट अर्थ, प्रायश्चित्त, कुतूहलवृत्ति, हानिया और विवेक ।	२२५-२२६
६७-६८	अपनी सही अवस्था से विपरीत कहने, दिखाने का प्रायश्चित्त	२२६
६९	अतिशयोक्तियुक्त प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त जो सामने हो उसके धर्म की प्रशंसा या व्यक्तित्व की प्रशंसा, प्रायश्चित्त का हेतु खुशामदीपना ।	२२६-२२७
७०	विषट्क राज्यों की विरोधावस्था में बारंबार जाने का प्रायश्चित्त सूत्राशय, विरोधी के विकल्प एवं विवेक ।	२२७-२२८
७१-७२	दिवसभोजन की निन्दा एवं रात्रिभोजन की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त दशवैकालिक के पाठों से स्पष्टीकरण, अनुमोदनदोष, निन्दा एवं प्रशंसा के उदाहरण । रूप वाक्य ।	२२८-२२९
७३-७६	रात्रिभोजन करने का चोमंगीयुक्त प्रायश्चित्त सूत्राशय, रात्रिभोजन से व्रतों में दोष, आगमस्थलों का संकलन, योगशास्त्र का कथन ।	२२९-२३१
७७-७८	रात्रि में आहार रखने एवं वासी खाने का प्रायश्चित्त सूत्राशय का स्पष्टीकरण, भाष्योक्त अपवादिक कारण, संग्रहवृत्ति के निषेधक आगमस्थलों का संकलन ।	२३१-२३३
७९	विशिष्ट आहारार्थ अन्यत्र रात्रि में रहने का प्रायश्चित्त शब्दों की वैकल्पिक व्याख्याएं, गृहपरिवर्तन के हेतु एवं दोष ।	२३३-२३४

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
८०	नैवेद्यापिष्ट छाने का प्रायश्चित्त निष्ठाकृत-अनिष्ठाकृत दो भेद, प्रस्तुत प्रायश्चित्त निष्ठाकृत का, अनिष्ठाकृत का प्रायश्चित्त दूसरे उद्देश्य में, प्राचीन दान पद्धतियां ।	२३४-२३५
८१-८२	धयाच्छंद (स्वच्छंद सायु) की बंदना प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त उत्सूत्र प्ररूपक पास्तयादि का वर्णन अगम्य ।	२३५
८३-८४	अयोग्य को दीक्षा या बड़ी दीक्षा देने का प्रायश्चित्त मूत्राशय का स्पष्टीकरण, दीक्षा के अयोग्य २०, दीक्षा के अयोग्य तीन, अयोग्य को दीक्षा देने की आपवादिक हूट और विवेकज्ञान, दीक्षा के योग्य भ्यक्ति के गुण १५, दीक्षादाता गुरु के गुण, दीक्षार्थी (वैरागी) के प्रति दीक्षादाता के कर्तव्य, नवदीक्षित के प्रति कर्तव्य, परीक्षणविधि ।	२३६-२३९
८५	असमर्थ से सेवा करने का प्रायश्चित्त अयोग्यता के लक्षण एवं विवेकज्ञान ।	२३९-२४०
८६-८९	सायु-साष्टिष्यों के एक स्थान पर ठहरने का प्रायश्चित्त इस विषयक अन्य आगमस्यल, मूत्र-आशय, ठाणांग का आपवादिक विधान एवं विवेक, उरसाग-भपवाद एवं प्रायश्चित्त का समन्वय ।	२४०-२४१
९०	रात्रि में घासी रणे संयोग्य पचापं छाने का प्रायश्चित्त प्रस्तुत मूत्र का आशय, शब्दों की व्याख्या, दो अचित्त नमक की विचारणा, आहार-पपाहार योग्य पदार्थ, अणाहार भी रात्रि में छाने का विषेध ।	२४१-२४२
९१	मासमरण (आत्मघात) की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त बानमरण के बीस प्रकार, अपेक्षा से १२ प्रकार, दो मरण का ठाणांग में विधान भी है, शब्दों की व्याख्या, प्रशंसा से हानि, पंडितमरण की प्रेरणा, मोक्षरक्षा हेतु वैहायसमरण आचारांग में ।	२४२-२४४
—	उद्देशक का सूत्रकथ युक्त सारोक्त	२४४-२४५
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है	२४५-२४६
उद्देशक—१२		
१-२	प्रथम प्राणिमों के बन्धन विमोचन का प्रायश्चित्त शय्यांतर के प्रति कर्णामाव, पशु के प्रति कर्णामाव, श्रमण समाचारी, उत्तम प्रवृत्ति से हानिया, मोह और अनुकंपा के प्रायश्चित्त में अन्तर, संयम की विधिएं, नभिराजनि वा उत्तर, परित्यक्ति एवं प्रायश्चित्त विवेक, केवल आलोचना प्रायश्चित्त, घोषणा, घोषणा आदि	२४७-२४८

प्रवृत्तियों से तृप्त प्रायश्चित्त, भगवान् महावीर स्वामी की अनुकम्पा प्रवृत्ति का उदाहरण, भगवतीसूत्र शतक १५ से, प्रस्तुत सूत्र का सार ।

३

प्रत्याख्यानभंग करने का प्रायश्चित्त

२४९-२५०

हृत्बलदोष, उत्तरगुण के पञ्चवखण, प्रत्याख्यान भंग करने से संभावित दोष, सूत्राशय, गीताथं की आज्ञा से भ्रागारसेवन, विवेकज्ञान, दृढता की प्रेरणा ।

४

सचित्त नमक पानी आदि से संयुक्त आहार खाने का प्रायश्चित्त

२५१

मिश्रित आहार के उदाहरण, सूत्राशय एवं विवेकज्ञान, गृहस्थों के रिवाज, प्रायश्चित्त-विवेक ।

५

सरोमचर्म के उपयोग करने का प्रायश्चित्त

२५१-२५२

सूत्राशय का स्पष्टीकरण, सरोमचर्म उपयोग करने के दोष, परिस्फितिक विधान, निषेध का कारण, प्रायश्चित्तविवेक, रोमरहित चर्म का कल्प, अप्रतिलिख्यता से सम्बन्धित अन्य पुस्तक, तृण आदि, पुस्तक रखने के दोष, चार ह्फ्टान्त, तृण पचक के दोष, अपवादिक स्थिति में ये उपकरण ग्रहण एवं प्रायश्चित्त, आगम वर्णनों से फलित आशय, पुस्तक उपयोग करने रखने का विवेक ।

६

वस्त्राच्छादित पीठे पर बैठने का प्रायश्चित्त

२५३

"अहिट्ठेइ" क्रिया का विशाल अर्थ, पीठों की कल्प्याकल्प्यता, सूत्राशय एवं दोष ।

७

निर्ग्रन्थों की चद्दर सिलवाने का प्रायश्चित्त

२५५-२५६

चद्दर के प्रकार, क्रमिक विवेक एवं प्रायश्चित्त, दोषों की संभावना, सिलाई करने का प्रसंग ।

८

पांच स्यावरकाय की विराधना का प्रायश्चित्त

२५६-२५७

अस्तित्व एवं विराधना न करने के आगमस्थल, पृथ्वीकाय के सचित्त-अचित्त का परिचय एवं विराधनास्थल गोचरी मे, मार्ग में । अक्काय का परिचय और विराधना स्थल गोचरी और मार्ग, अग्नि की विराधना गोचरी या उपाश्रय में, वायु की विराधना, हुवा करने या अयतना से कार्य करने में, सूक्ष्म दृष्टि से विराधना, दशवैकालिक का विधान और अयतना का अर्थ, वनस्पति की विराधना मार्ग में, गोचरी में, परिष्ठापन में । इनके अलग-अलग प्रायश्चित्त । त्रस की विराधना मार्ग में, गोचरी मे, शय्या में, उपधि में । गवेपणा के साथ पदायों के परीक्षण में भी कुशलता होना, विवेक और परिष्ठापन, जीवरहित मकान गवेपणा का विवेकज्ञान, उपधि का उभयकाल प्रतिलिखन एवं धूप लगाना आदि, प्रायश्चित्त ।

९

वृक्ष पर चढ़ने का प्रायश्चित्त

२६१-२६२

वृक्षों के तीन प्रकार एवं प्रायश्चित्त, परिस्थितियां, सकारण का सूत्रोक्त प्रायश्चित्त, वृक्ष पर चढ़ने के दोष, अनन्तकालिक वृक्ष का सहारा ।

- १० गृहस्थ के वर्तनों में आहार करने का प्रायश्चित्त
मुनि जीवन का द्रवाचार, दशवैकालिक अ. ६ में बताये दोष, भ्रमाचार, मृदगढोग में वर्णित निषेध, भाष्योक्त दोष एवं विवेकज्ञान, यस्त्रप्रसागत मन्बन्धी पात्र उपयोग में सूत्रोक्त दोष का अभाव । २१२-२१६
- ११ गृहस्थ के यस्त्र उपयोग में लेने का प्रायश्चित्त
भूनाशय, दोषकथन, मुनि आचार । २१६
- १२ गृहस्थ के शय्या आसन को उपयोग में लेने का प्रायश्चित्त
दशवैकालिक के आधारे से भूनाशय, परिस्थितिक विधान एवं विवेक, सुप्रतिष्ठेय ग्रहण, दुष्प्रतिष्ठेय अप्रतिष्ठेय का निषेध । २१६
- १३ गृहस्थ की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त
साधु का आचार एवं आगम स्थल संकलन, चिकित्सा करने के दोष, परिस्थिति एवं प्रायश्चित्त । २१५-२१६
- १४ पूर्वकर्म दोषयुक्त आहार लेने का प्रायश्चित्त
दोष का स्वरूप, गोचरी में विचक्षणता, दायक दोष, आचाराय एवं दशवैकालिक में वर्णन, विवेकज्ञान एवं प्रायश्चित्त विचारणा, पूर्वकर्म दोष वाले के अतिरिक्त व्यक्ति से अन्य पदार्थ लेना कल्पनीय । २१५-२१६
- १५ सचित्त जल में उपयुक्त वर्तन या हाथ आदि से आहार लेने का प्रायश्चित्त
भूनाशय, विराधना दोष, परचात् कर्म, धीमे उद्देशक ने तुलना, "सीओदम परिमोमेण" की ध्याख्या । २१६-२१७
- १६-१७ रूप की आसक्ति से विभिन्न स्थल देखने जाने का प्रायश्चित्त
शब्दों की व्याख्या, हीनाधिकता एवं निर्णय, विविध ध्याख्याएं, सूत्रक्रम, आचाराय से तुलना एवं उरक्रम, आसक्ति निषेध के आगम स्थलों का संकलन, देखने जाने का प्रतिफल एवं दोष, विवेकज्ञान । २१७-२१८
- १८ प्रथम ग्रहर के आहार की मर्यादा उत्संघन का प्रायश्चित्त
तीसरे ग्रहर की गोचरी, निम्नो भी एक तीसरे भाग की गोचरी, गृहस्थत्वसूत्र के विधान, निष्कर्ष और विवेक, संग्रह करने के दोष, विवेकज्ञान एवं प्रायश्चित्त विवरण, पौरुषी प्राय का ज्ञान । २१७-२१८
- १९ दो कोम से प्रागे आहार ले जाने का प्रायश्चित्त
भूनाशय, जागे ले जाने के दोष, द्रव्यं योजना का स्वरूप, भूत स्थान रूप उपाधय के दोषनीमा मापने का प्रमाण । २१८

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
३४-४१	रात्रि में विलेपन करने का प्रायश्चित्त सूत्राशय और तुलना, गोबर सम्बन्धी ज्ञान और विवेक । अन्य विलेपन के पदार्थ, आवश्यक परिस्थिति में रात्रि उपयोग का सूत्रोक्त प्रायश्चित्त, विलेप्य पदार्थों के चार प्रकार ।	२७९-२८१
४२-४३	गृहस्थ से उपधि वहन कराने का प्रायश्चित्त संयम विधि और भ्रविधि का ज्ञान, हानियाँ एवं दोष परम्परा, ग्राह्यार देने के दोष, शुल्क-चिन्ता, विवेकज्ञान एवं प्रायश्चित्त ।	२८१
४४	महानदी पार करने का प्रायश्चित्त अन्य सूत्रों के वर्णन से सूत्राशय की स्पष्टता, दुक्खुत्तो तिव्खुत्तो दो शब्द क्यों ? "उत्तरणं संतरणं" की व्याख्या, पांच महानदियों के कथन से अन्य का ग्रहण, एरावती नदी में कहीं अल्प पानी भी, उत्सर्ग-भ्रपवाद का विवेकज्ञान ।	२८२-२८३
—	उद्देशक का सूत्रकर्मामुक्त सारांश	२८३-२८४
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है अथवा नहीं है	२८४-२८५
उद्देशक १३		
१-८	सञ्चित पृथ्वी आदि पर खड़े रहने आदि का प्रायश्चित्त	२८६-२८७
१-११	अनादृत ऊँचे स्थानों पर खड़े रहने आदि का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, स्थान-शय्या-नियन्त्रा की विचारणा, निषेध का कारण, आचारांग में विधान एवं विराघनाओं का स्पष्टीकरण, 'अन्तरिक्षजात' का भ्रमंभ्रम एवं सही अर्थ ।	२८७-२८८
१२	गृहस्थ को शिल्पकला आदि सिखाने का प्रायश्चित्त शब्दों की व्याख्या, उपलक्षण से ७२ कला, संयम में दोष ।	२८९
१३-१६	गृहस्थ की कठोर शब्द आदि से आसातना करने का प्रायश्चित्त भिक्षु का भाषाविवेक, अविवेक से कलह एवं कर्मबंध, अन्य सूत्रों में भाषाविवेकज्ञान ।	२९०
१७-२७	कौतुककर्म आदि के प्रायश्चित्त शब्दों की व्याख्या युक्त स्पष्टार्थ, विशेष जानकारी हेतु दसवें उद्देशक की भलावण ।	२९१-२९३
२८	मार्गादि बताने का प्रायश्चित्त शब्दार्थ, दोष की परिस्थितियाँ, आचारांग का विधान, सूत्र का तात्पर्य, परिस्थिति में विवेक-पूर्ण भाषा एवं प्रायश्चित्त ग्रहण ।	२९३
२९-३०	घातु एवं धन बताने का प्रायश्चित्त घातु के तीन प्रकार, बताने पर दोष एवं प्रायश्चित्त, निधि निकालने में भी अनेक दोष ।	२९४

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
३१-४१	पात्र आदि में प्रतिबिम्ब देखने का प्रायश्चित्त सूत्रोक्त विषयों की संगति, अनाचार, दोषों की संभावनाएं, विवेकज्ञान ।	२१४-२१६
४२-४५	यमन आदि औषध प्रयोग करने के प्रायश्चित्त चारों सूत्रों का आशय, बिना रोग के औषध प्रयोग से नुकसान, अपवाद सेवन सम्बन्धी विवेकज्ञान ।	२१६-२१७
४६-६३	पार्यस्य आदि की बंदना प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त सूत्रक्रम विचारणा, अवंदनीय कौन, अपवादिक बंदन के कारण, न करने पर दोष, उत्सर्ग से बंदनीय-अबंदनीय, प्रशंसा नहीं करने का सूत्राशय, चोमे उद्देशक की भलायण, कापिक, प्रेक्षणिक, मामय, सांप्रसारिक का विस्त्रेपण भाष्यधार से, पातक्यादि कुल १० की तीग श्रेणी एवं तुलनात्मक परिचय, सामान्य दोष का भी महत्त्व उपमा द्वारा, शुद्धाचारी और शिथिलाचारी की वास्तविक परिमाणा, प्रचलित समाचारियों के आगम से अतिरिक्त नये नियमों की सूची, इनसे शुद्धाचारी शिथिलाचारों की कठौटी करना उचित नहीं ।	२१७-३०४
६४-७८	उत्पादना के दोषों का प्रायश्चित्त उत्पादनादोष का स्वरूप, व्याख्याएं, उद्गमदोष की सम्भावना दीनवृत्ति, भिक्षु का विवेक, दोषों के प्रायश्चित्त ।	३०५-३०७
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश	३०७-३०८
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है	३०८-३०९

उद्देशक १४

१-४	श्रौत आदि छह उद्गमशेषयुक्त पात्र लेने का प्रायश्चित्त कृत्न आदि के अर्थ, ऋत-विक्रय वृत्ति के विषय में आगमस्ययन, अनुमीडन के तीन प्रकार, गृहस्थ के उपयोग में आने के बाद श्रौतपात्र कल्पनीय, रिन्नु आहार नहीं । सर्वप्रथमी अभिन की उपमा, प्रामृत्य आदि सभी दोषों का विवेचन, अनाचार, सबनदोष, विवेक और प्रायश्चित्त ।	३१०-३१३
५	अतिरिक्त पात्र गुरु आदि की आज्ञा बिना देने लेने का प्रायश्चित्त पात्रों की दुर्लभता, दूर से लाना, गीतार्थ को घघिहार, आज्ञाप्राप्ति का विवेक, ह्यनहार-सूत्र का विधान ।	३१३-३१४
६-७	अतिरिक्त पात्र देने, न देने का प्रायश्चित्त शब्दों की ब्याख्या, सूत्रार्थ दो प्रकार से, विरुद्धों को अतिरिक्त पात्र देने का कारण, यह प्रायश्चित्त मन्त्रप्रमुख के निष् ।	३१४-३१६

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
८-९	अयोग्य पात्र रखने का एवं योग्य पात्र परठने का प्रायश्चित्त सूत्राशय, परठने रखने में हेतु, प्रायश्चित्त विधान ।	३१६
१०-११	पात्र को सुन्दर या खराब करने का प्रायश्चित्त उपयोग मे आने योग्य पात्र होना चाहिए, सुन्दर खराब का लक्ष्य नहीं होना ।	३१६-३१७
१२-१९	पात्रपरिकर्म करने का प्रायश्चित्त उपयोग में आने योग्य हो तो परिकर्म नहीं करना, बहुदेसिक और बहुदेवसिक शब्द का स्पष्टार्थ, परिस्थितिक छूट, कारण प्रकारण, सूत्र संख्या विचारणा एवं निर्णय ।	३१७-३१९
२०-३०	अकल्पनीय स्थानों में पात्र सुखाने का प्रायश्चित्त निषेध का कारण—जीव विराधना और गिरने फूटने का भय ।	३१९-३२१
३१-३६	द्रसप्राणी, जाले आदि निकाल कर पात्र लेने का प्रायश्चित्त पात्र को गवेपणा में ध्यान रखने योग्य सूत्राशय की सूची, सूत्र संख्या व क्रम में भिन्नता, अग्निकाय पात्र मे कैसे ? दोष और विवेक ।	३२१-३२३
३७	पात्र में फोरणी (चित्र) करने का प्रायश्चित्त विभूषावृत्ति, भूषिरदोष, प्रमादवृद्धि ।	३२३
३८	मामं आदि में पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त सूत्राशय, याचना करने मे विवेक, अविवेक करने में होने वाले दोष ।	३२३
३९	परिपद् में से उठाकर पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त	३२४
४०-४१	पात्र के लिए निवास करने का प्रायश्चित्त गृहस्य को संकल्पबद्ध करना, दोषोत्पत्ति, विवेकज्ञान ।	३२४-३२५
—	उद्देशक का सूत्रकर्माक्युक्त सारांश	३२५
—	किन-किन सूत्रों के विषय का वर्णन आपमो में है या नहीं है	३२६
उद्देशक १५		
१-४	सामान्य साधु की आसातना करने का प्रायश्चित्त स्वगच्छ या अन्वगच्छ के साधु-साध्वियों के साथ सद्ब्यवहार, अन्य उपदेशको से तुलना ।	३२७
५-१२	सचित्त आम्र खाने-चूसने सम्बन्धी प्रायश्चित्त एक फल से अनेक फलों का कथन, शब्दों की तुलना आचारण से, व्याख्या में भी तुलना, पुनः प्रयुक्त "अंब" के अनेक अर्थ, आचारांग का पाठ शुद्ध एवं विस्तृत ।	३२७-३२९
१३-६६	गृहस्य से शरीरपरिकर्म कराने का प्रायश्चित्त	३२९

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
६७-७५	अकल्पनीय स्थानों में परठने का प्रायश्चित्त शब्द संख्या, सूत्र संख्या एवं स्थानों का परिचय, दोषोपपत्ति, अपेक्षा से इन स्थानों में परठना कल्पनीय भी, तीसरे उद्देशक से समानता, सूत्रों का आशय मूल-स्वयम् से है। साधु या ठहरने का मकान परिष्ठापनभूमि से युक्त होना, "जुग-जाप" शब्द की विचारणा, परिश्रान्त के आश्रय, शाला, गृह की विचारणा।	३३०-३३२
७६	गृहस्थ को आहार देने का प्रायश्चित्त साधु का आचार, तीसरा महाप्रत दूषित एवं अन्य दोष, आचारांग में परिस्थिति से दुः- देने का विधान।	३३२-३३३
७७-८६	पारबंस्थ आदि के साथ आहार लेन-देन का प्रायश्चित्त आहार-पानी सांभोगिक के साथ ही।	३३३-३३४
८७	गृहस्थ को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त	३३४
८८-९७	पारबंस्थ आदि से वस्त्रादि के लेन-देन करने का प्रायश्चित्त	३३४-३३६
९८	गवेषणा किए बिना वस्त्र-ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्रोक्त शब्दों का स्पष्टार्थ एवं सूत्राशय, गवेषणाविधि।	३३७-३३८
९९-१५२	विभ्रूया के लिए शरीरपरिकरमं करने का प्रायश्चित्त	३३८
१५३-१५४	विभ्रूया के लिए उपकरण रखने एवं धोने का प्रायश्चित्त उपधि रखने का सूत्रोक्त प्रयोजन, दोनों सूत्रों का सारार्थ, बिना विभ्रूयामूर्ति से धोना कल्प- नीय, विशिष्ट साधन में धोना अकल्पनीय, अन्य आगमों के विभ्रूयानिवेध सूचक हमसो की सूची, सूत्र का सारांश।	३३८-३४०
—	उद्देशक का सूत्रकर्मांकयुक्त सारांश	३४०-३४१
—	किन-किन सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में है या नहीं	३४१

उद्देशक १६

१-३	त्रिपिट शम्भा में ठहरने का प्रायश्चित्त समाचारिक शम्भा का विस्तृत अर्थ एवं दोष, विवेक एवं प्रायश्चित्त, जनयुक्त शम्भा की विचारणा, अग्निपुक्त शम्भा की विचारणा, विराधना आदि दोष, वर्तमान में उपनयन विद्युत, गीतार्थ-अगीतार्थ, मेन स्वीय एवं ववाट्ज की परिधियां।	३४२-३४४
४-११	इष्ट खाने पीनने सम्बन्धी प्रायश्चित्त यह पत्र से निम्न विभाग है, आचारांग में निषेध एवं विधान भी, परठने का निषेध, शम्भो की हीनाधिपत्ता एवं निर्णय।	३४४-३४५

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
२	जंगलवासी एवं जंगल में भ्रमणशील व्यक्तियों का आहार लेने का प्रायश्चित्त शब्दों के अर्थ एवं सूत्राशय ।	३४५
३-१४	शुद्धाचारी और शिथिलाचारी के अयथार्थ कथन का प्रायश्चित्त साधक की भिन्न-भिन्न अवस्था, शब्दों की व्याख्या, यथार्थ जानकारी, अयथार्थ कथन के दोष, वचनविवेक ।	३४६-३४७
५	शुद्धाचारी गण से शिथिलाचारी गण में जाने का प्रायश्चित्त गणपरिवर्तन, कारण, विधि, गणपरिवर्तन का प्रमुख आशय, सूत्राशय, गण-संक्रमण में भविष्य का पूर्ण विचार करना आवश्यक, पापश्रमण, सबल दोष ।	३४७-३४८
६-२४	कदाग्रही के साथ लेन-देन करने का प्रायश्चित्त “बुग्गह वक्कंताणं” की व्याख्या और सूत्राशय, दोषों की संभावनाएं, अशिष्ट एवं असभ्य व्यवहार भी नहीं करना, परिस्थिति में गीतार्थ को अधिकार एवं प्रायश्चित्त, सूत्रों की हीनाधिकता ।	३४८-३५०
१५-२६	अनार्यक्षेत्र एवं लम्बे मार्गों में विहार करने का प्रायश्चित्त भाने वाली आपत्तियां एवं दोष, परिस्थिति में छूट, सार एवं विवेक ।	३५०-३५१
२७-३२	जुगुप्सित कुलों से सम्बन्धित प्रायश्चित्त वर्जनीय ध्रुवर्जनीय कुल, सूत्र का आशय, उदारता, विचारों की साम्यता, सामाजिक मर्यादा ।	३५१-३५२
३३-३५	आहार रखने के स्थान सम्बन्धी प्रायश्चित्त पृथ्वी, छीका आदि पर आहार नहीं रखने के कारण, परिस्थिति से छूट, विवेकज्ञान ।	३५३-३५४
३६-३७	गृहस्थ के सामने ढँडकर आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्राशय का स्पष्टीकरण, उत्पन्न होने वाले दोष, तप में भ्रमण, विवेकज्ञान ।	३५४-३५५
३८	आचार्यों उपाध्याय की सम्यक् आराधना न करने का प्रायश्चित्त अविनय एवं विवेकज्ञान, प्रायश्चित्त और संभवित दोष, आसन को वंदन क्यों ?	३५५
३९	मर्यादा से अधिक उपकरण रखने का प्रायश्चित्त आगमों में उपकरण वर्णन एवं उनकी क्रिचित् मर्यादा, चादर एवं उसके माप, चोलपट्टक माप एवं संख्या, मुखवस्त्रिका का ज्ञान-विज्ञान, कंबलविवेक विचारणा, आसन, पात्र के वस्त्र, पादप्रोक्षण, निशीधिया, साध्वी के विशेष वस्त्रोपकरण, पात्र की जाति संख्या की आगमों से विचारणा एवं वर्तमान परम्पराएं, रजोहरणस्वरूप, संपूर्ण उपकरणज्ञान की तालिका, औपग्रहिक उपकरण आगम में और व्याख्या में, प्रवृत्ति में प्रचलित अतिरिक्त उप- करण, उपकरण भी परिग्रह, प्रायश्चित्तविवेक ।	३५६-३६८

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
६७-७५	अकल्पनीय स्थानों में परठने का प्रायश्चित्त शब्द संख्या, सूत्र संख्या एवं स्थानों का परिचय, दोषोपत्ति, अपेक्षा से इन स्थानों में परठना कल्पनीय भी, तीसरे उद्देशक से समानता, सूत्रों का आशय मत्त-त्याग से है। साधु का ठहरने का मकान परिष्ठापनभूमि से युक्त होना, "जुग-जाण" शब्द की विचारणा, परिष्ठापन के आश्रम, शाला, गृह की विचारणा।	३३०-३३२
७६	गृहस्थ को आहार देने का प्रायश्चित्त साधु का आचार, तीसरा महाव्रत दूषित एवं अन्य दोष, आचारांग में परिस्थिति से पुनः देने का विधान।	३३२-३३३
७७-८६	पार्ष्वस्थ आदि के साथ आहार लेन-देन का प्रायश्चित्त आहार-पानी सांभोगिक के साथ ही।	३३३-३३४
८७	गृहस्थ को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त	३३५
८८-९७	पार्ष्वस्थ आदि से वस्त्रादि के लेन-देन करने का प्रायश्चित्त	३३५-३३६
९८	गवेषणा किए बिना वस्त्र-ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्रोक्त शब्दों का स्पष्टार्थ एवं सूत्राशय, गवेषणाविधि।	३३७-३३८
९९-१५२	विभूषा के लिए शरीरपरिकरों करने का प्रायश्चित्त	३३८
१५३-१५४	विभूषा के लिए उपकरण रखने एवं धोने का प्रायश्चित्त उपधि रखने का सूत्रोक्त प्रयोजन, दोनों सूत्रों का तात्पर्य, बिना विभूषावृत्ति से धोना कल्पनीय, विशिष्ट साधन में धोना प्रकल्पनीय, अन्य आगमों के विभूषानियेध सूचक स्थली की सूची, सूत्र का सारांश।	३३८-३४०
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश	३४०-३४१
—	किन-किन सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में है या नहीं	३४१

उद्देशक १६

१-३	नियिद्ध शय्या में ठहरने का प्रायश्चित्त ससागारिक शय्या का विस्तृत अर्थ एवं दोष, विवेक एवं प्रायश्चित्त, जलयुक्त शय्या की विचारणा, अग्नियुक्त शय्या की विचारणा, विराधना आदि दोष, वर्तमान में उपलब्ध विद्युत, भीतार्य-अगीतार्य, मेन स्वीव एवं क्वाट्ज की घड़ियां।	३४२-३४४
४-११	इक्षु खाने चूसने सम्बन्धी प्रायश्चित्त यह फल से भिन्न विभाग है, आचारांग में निषेध एवं विधान भी, खाने एवं परठने का विवेक, शब्दों की हीनाधिकता एवं निर्णय।	३४४-३४५

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
१२	जंगलवासी एवं जंगल में भ्रमणशील व्यक्तियों का आहार लेने का प्रायश्चित्त शब्दों के अर्थ एवं सूत्राण्य ।	३४५
१३-१४	शुद्धाचारी और शिथिलाचारी के अर्थार्थ कथन का प्रायश्चित्त साधक की भिन्न-भिन्न अवस्था, शब्दों की व्याख्या, यथार्थ जानकारी, अर्थार्थ कथन के दोष, वचनविवेक ।	३४६-३४७
१५	शुद्धाचारी गण से शिथिलाचारी गण में जाने का प्रायश्चित्त गणपरिवर्तन, कारण, विधि, गणपरिवर्तन का प्रमुख आशय, सूत्राण्य, गण-संक्रमण मे भविष्य का पूर्ण विचार करना आवश्यक, पापश्रमण, सबल दोष ।	३४७-३४८
१६-२४	कदाग्रही के साथ लेन-देन करने का प्रायश्चित्त "दुग्गह वक्कंताणं" की व्याख्या और सूत्राण्य, दोषों की संभावनाएं, अशिष्ट एव असभ्य व्यवहार भी नहीं करना, परिस्थिति मे गीतार्थ को अधिकार एवं प्रायश्चित्त, सूत्रों की हीनाधिकता ।	३४८-३५०
२५-२६	अनार्यक्षेत्र एवं सम्भे मार्गों में विहार करने का प्रायश्चित्त आने वाली आपत्तियां एवं दोष, परिस्थिति मे छूट, सार एवं विवेक ।	३५०-३५१
२७-३२	जुगुप्सित कुलों से सम्बन्धित प्रायश्चित्त वर्जनीय अर्वाजनीय कुल, सूत्र का आशय, उदारता, विचारो की साम्यता, सामाजिक मर्यादा ।	३५१-३५२
३३-३५	आहार रखने के स्थान सम्बन्धी प्रायश्चित्त पृथ्वी, छीका आदि पर आहार नहीं रखने के कारण, परिस्थिति से छूट, विवेकज्ञान ।	३५३-३५४
३६-३७	गृहस्थ के सामने बैठकर आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्राण्य का स्पष्टीकरण, उत्पन्न होने वाले दोष, तप मे आगार, विवेकज्ञान ।	३५४-३५५
३८	आचार्य उपाध्याय को सम्मक् आराधना न करने का प्रायश्चित्त अविनय एवं विवेकज्ञान, प्रायश्चित्त और संभवित दोष, आसन को बंदन क्यों ?	३५५
३९	मर्यादा से अधिक उपकरण रखने का प्रायश्चित्त आगमों मे उपकरण वर्णन एवं उनकी किंचित् मर्यादा, चादर एवं उसके माप, चोलपट्टक माप एवं संख्या, मुखवस्त्रिका का ज्ञान-विज्ञान, कंबलविवेक विचारणा, आसन, पात्र के वस्त्र, पादप्रोक्षण, निशीथिया, साहवी के विशेष वस्त्रोपकरण, पात्र की जाति संख्या की आगमों से विचारणा एवं वर्तमान परम्पराएं, रजोहरणस्वरूप, संपूर्ण उपकरणज्ञान की तालिका, द्रौपद्यह्निक उपकरण आगम में और व्याख्या मे, प्रवृत्ति मे प्रचलित अतिरिक्त उपकरण, उपकरण भी परिग्रह, प्रायश्चित्तविवेक ।	३५६-३६८

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
४०-५०	विराधना वाले स्थानों में मल-मूत्र परठने का प्रायश्चित्त	३६८-३६९
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश	३६९
—	किन-किन सूत्रों के विषय का वर्णन अन्य आगमों में है या नहीं है	३६९-३७०

उद्देशक १७

१-१४	कुतूहल की अनेक प्रवृत्तियों का प्रायश्चित्त	३७२-३७५
१५-१२२	श्रमण-भ्रमणी का परस्पर गृहस्थ द्वारा शरीरपरिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त	३७५-३७६
१२३-१२४	सवृश निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी को स्थान न देने का प्रायश्चित्त	३७६
१२५-१२७	मालोपहृत और मट्टिओपलित्त दोष का प्रायश्चित्त	३७६-३७८
	मालोपहृत का सही अर्थ एवं दोष, मट्टिओपलित्त का अर्थविस्तार ।	
१२८-१३१	सञ्चित पृथ्वी, पानी आदि पर से आहार लेने का प्रायश्चित्त	३७८-३८०
१३२	वायुकाय की विराधना से आहार लेने का प्रायश्चित्त	३८०-३८१
१३३	तत्काल घोषे घोषण लेने का प्रायश्चित्त	३८१-३८६
	घोषण अनेक प्रकार के, विभिन्न आगमों में घोषण वर्णन, उदाहरण रूप में सूचित आगम के कल्प्य-अकल्प्य घोषण की नामावलि, गर्म जल, घोषण को चख कर लेना, सोबीर और आम्लकांजिक विचारणा, शुद्धोदक का भ्रमित अर्थ एवं समाधान, साधु का स्वयं ही पानी लेना, अचित्त पानी पुनः सञ्चित कब अर्थात् घोषण और गर्म पानी का अचित्त रहने का कास और उसके प्राचीन प्रमाण, तपस्या में भी घोषण पानी का विधान, सारांश ।	
१३४	स्वयं को आचार्य लक्षणों से युक्त होने का प्रचार करने का प्रायश्चित्त	३८६-३८७
	शारीरिक लक्षण कथन, अभिमान से हानि, विवेकज्ञान ।	
१३५	गायन आदि करने का प्रायश्चित्त	३८७-३८८
१३६-१५५	विभिन्न शब्द श्रवणार्थ गमन एवं आसक्ति का प्रायश्चित्त	३८८-३९०
	तत, वितत आदि का अर्थ, विवेकज्ञान, १२वें उद्देशक की भलावण ।	
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश	३९०
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है	३९०-३९१

उद्देशक १८

१-३२	नौकाविहार सम्बन्धी प्रायश्चित्त	३९२-३९९
	नौकाविहार के कारण प्रकरण, "जोषण-मेरा" का अर्थ, बत्तीस सूत्रों का प्रलग-अलग	

सूत्रांक	विषय	पृष्ठांक
	आशय, नौका विहार का विवेकज्ञान, प्रवचन-प्रभावना व नौकाविहार, उत्सर्ग-अपवाद-विवेक, अन्य वाहन और नौकाप्रयोग की तुलना, गीतार्थ का अधिकार, प्रायश्चित्त ।	
३३-७३	यस्त्र सम्बन्धी विभिन्न प्रायश्चित्त	३९९-४००
	१४वें उद्देशक की भलावण एवं सूत्रसंख्या विचारणा ।	
—	उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश	४००
—	किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है	४००-४०१
उद्देशक १९		
१-७	औपध सम्बन्धी क्रीतादि दोषों का प्रायश्चित्त	४०२-४०५
	आगमों में "वियड" शब्द का प्रयोग विभिन्न ग्रन्थों में, प्रासंगिक अर्थ-निष्कर्ष, सूत्रों के आशय, "वियड" का "मघ" परक अर्थ आगमसम्मत नहीं, औपध सेवन-असेवन का क्रमिक विवेक, औपध की मात्रा का विवेक, विहार में औपध कूटना पीसना आदि क्रियाएँ ।	
८	चार संध्याकाल में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त	४०५-४०७
	चार संध्या का परिचय, अस्वाध्याय के कारण, संध्याओं का समय निर्धारण, प्रायश्चित्त ।	
९-१०	उत्काल में कालिकश्रुत के उच्चारण का प्रायश्चित्त	४०७-४०९
	सूत्राशय का स्पष्टीकरण, कालिक उत्कालिक के स्वरूप की विचारणा एवं सूची, कुल आगमों की संख्या विचारणा, आगम की परिभाषा, नन्दीसूत्र में मान्य आगम, उसके रचनाकारों की विचारणा, आगम मानने का सही निष्कर्ष, सूत्रोक्त प्रायश्चित्त का तात्पर्य ।	
११-१२	महा-महोत्सवों में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त	४१०-४१२
	आठ दिन और उनकी विचारणा, देवों से सम्बन्ध, स्वाध्याय निषेध का कारण, "आपाही प्रतिपदा" आदि शब्दों का सही अर्थ एवं अमात मान्यता की आगम से विचारणा, १० दिन मानने की परम्परा धर्म से, सूत्रोक्त प्रायश्चित्त ।	
१३	स्वाध्यायकाल में स्वाध्याय नहीं करने का प्रायश्चित्त	४१२-४१४
	सूत्राशय, स्वाध्याय न करने से हानि, स्वाध्याय करने के लाभ, स्वाध्याय के लिए प्रेरक आगमवाक्यसंग्रह, स्वाध्याय सम्बन्धी दिनचर्या, सूत्र कंठस्थ करना और याद रखना आवश्यक, भिक्षु का विवेकज्ञान ।	
१४	अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त	४१४-४१८
	अस्वाध्याय सम्बन्धी आगमस्थल, कुल ३२ अस्वाध्याय, २० अस्वाध्याय स्थान की व्याख्या और उनका कालमान भाष्य के आधार से, इन अस्वाध्यायों सम्बन्धी विभिन्न दोष, अस्वा-	

- ध्याय का प्रमुख कारण और स्वाध्याय पद्धति, आवश्यक सूत्र एवं उसके पाठ नमस्कार मन्त्र आदि, अस्वाध्याय स्वाध्याय की प्रतिरोधन विधि एवं उपसंहार ।
- १५ स्वशरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त ४१८-४१९
- स्वकीय अस्वाध्याय के दो प्रकार और उनका विवेक, मासिकधर्म, देव-वाणी, संवर-प्रवृत्ति, स्मरण स्तुति आदि की विचारणा, भक्ति प्ररूपण दोष, विवेकज्ञान ।
- १६-१७ विपरीत क्रम से आगमों की वाचना देने का प्रायश्चित्त ४१९-४२०
- शब्दों की व्याख्या, सूत्राशय का स्पष्टीकरण, व्यवहारसूत्रोक्त क्रम, "नव वंमचेर" का तात्पर्य, "उत्तमसुयं" का तात्पर्य, दोनों सूत्रों के सम्बन्ध से उत्सर्ग-अपवाद, व्युत्क्रम वाचना के दोष, सार रूप वाचनाक्रम की सूत्रसूची ।
- १८-२१ अयोग्य को वाचना देने और योग्य को वाचना न देने का प्रायश्चित्त ४२२-४२३
- योग्य अयोग्य के लक्षण, वाचनाविधि, भाष्योक्त अयोग्य, हानि-नाम । व्यक्त की परिभाषा, कच्चे ढड़े का दृष्टांत, सूत्र संख्या वृद्धि विचारणा, छह सूत्रों का सम्बन्धित अर्थ, प्रायश्चित्त ।
- २२ वाचना देने में पक्षपात करने का प्रायश्चित्त ४२३
- सूत्राशय का स्पष्टीकरण, राग-द्वेष के भाव, हानि एवं प्रायश्चित्त ।
- २३ अदत्त वाचना ग्रहण करने का प्रायश्चित्त ४२५-४२६
- अदत्त वाचन के कारण, परिस्थितिक गम्भीर विवेक, "गिर" का अर्थ, आचार्य-उपाध्याय दो शब्द क्यों ? वर्तमान में गच्छ एवं आचार्य-उपाध्यायों की स्थिति, शिष्य का विवेकयुक्त कर्तव्य ।
- २४-२५ गृहस्थ के साथ वाचना के आदान-प्रदान करने का प्रायश्चित्त ४२६-४२७
- मिथ्यात्वभावित गृहस्थ, भाष्योक्त दोष, धर्मणोपासक गृहस्थ को शास्त्रवाचना सिद्ध आगमों से, लाभ की अपेक्षा से गीतार्थ का अपवाद आचरण ।
- २६-३५ पार्श्वस्थ आदि के साथ वाचना के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त ४२७-४३१
- पूर्व के उद्देशों की भलावण एवं आपवादिक छूट ।
- उद्देशक का सूत्रक्रमांकयुक्त सारांश ४२९
- उपसंहार—उद्देशक की विशेषता ४२९-४३०
- किन-किन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में है या नहीं है ४२९-४३०

उद्देशक २०

- १-१४ सकपट निकपट आलोचक के प्रायश्चित्त ४३१-४३९
- सूत्राशय, आलोचना सुनने वाले की योग्यता सूत्रों में, आलोचनाक्रम, ४३१-४३९



णिशीहसुत्तं

निशीथसूत्र

प्राथमिक

प्रायश्चित्त स्वरूप तालिका

पराधीनता में या असावधानी में होनेवाले अतिचारादि का प्रायश्चित्त—

क्रम प्रायश्चित्तनाम	जघन्य तप	मध्यम तप	उत्कृष्ट तप
१. लघुमास	चार एकाशना	पन्द्रह एकाशना	सत्तावीस एकाशना
२. गुरुमास	चार निर्विकृतिक	पन्द्रह निर्विकृतिक	तीस निर्विकृतिक
३. लघु चौमासी	चार आर्यविल	साठ निर्विकृतिक	एक सौ आठ उपवास
४. गुरु चौमासी	चार उपवास	चार छट्ट (बेला)	एक सौ बीस उपवास या चार मास दीक्षा पर्याय छेद

आतुरता से लगनेवाले अतिचारादि का प्रायश्चित्त—

क्रम प्रायश्चित्तनाम	जघन्य तप	मध्यम तप	उत्कृष्ट तप
१. लघुमास	चार आर्यविल	पन्द्रह आर्यविल	सत्तावीस आर्यविल
२. गुरुमास	चार आर्यविल एवं पारणे में धार विगय का त्याग	पन्द्रह आर्यविल एवं पारणे में धार विगय का त्याग	तीस आर्यविल, पारणे में धार विगय का त्याग
३. लघु चौमासी	चार उपवास	चार छट्ट (बेले)	एक सौ आठ उपवास
४. गुरु चौमासी	चार छट्ट या चार दिन का छेद	चार अट्टम या छह दिन का छेद	एक सौ बीस उपवास या चार मास का छेद

तीव्र मोहोदय से (प्रासक्ति से) लगने वाले अतिचारादि के प्रायश्चित्त—

क्रम प्रायश्चित्तनाम	जघन्य तप	मध्यम तप	उत्कृष्ट तप
१. लघुमास	चार उपवास	पन्द्रह उपवास	सत्तावीस उपवास
२. गुरुमास	चार उपवास, चौविहार त्याग	पन्द्रह उपवास, चौविहार त्याग	तीस उपवास, चौविहार त्याग
३. लघु चौमासी	चार बेले, पारणे में आयंबिल	चार तेले, पारणे में आयंबिल	एक सौ आठ उपवास, पारणे में आयंबिल
४. गुरु चौमासी	चार तेले, पारणे में आयंबिल या ४० दिन का दीक्षाछेद	पन्द्रह तेले, पारणे में आयंबिल या ६० दिन का दीक्षाछेद	एक सौ बीस उपवास, पारणे में आयंबिल या पुनः दीक्षा या १२० दि- का दीक्षाछेद।

सामान्य विवक्षा से जघन्य और उत्कृष्ट दो प्रकार के प्रायश्चित्तों में भी सभी प्रकार के प्रायश्चित्त समाविष्ट हो जाते हैं।

भाष्यकार ने विशेष विवक्षा से तीन प्रकार के प्रायश्चित्त कहे हैं—१. जघन्य, २. मध्यम, ३. उत्कृष्ट।

प्रतिसेवी की वय, सहिष्णुता और देश-काल के अनुसार गीतार्थ मुनि तालिका में कहे प्रायश्चित्त से हीनाधिक तप-छेद आदि दे सकते हैं।

एक उपवास के समकक्ष तप—

१. अडतालीस नवकारसी	[४८]	=	एक उपवास
२. चौबीस पोरसी	[२४]	=	"
३. सोलह डेढ़ पोरसी	[१६]	=	"
४. आठ पुरिमार्घ (दो पोरसी)	[८]	=	"
५. चार एकाशन	[४]	=	"
६. निवी तीन	[३]	=	"
७. दो आयंबिल	[२]	=	"
८. दो हजार गाथाओं का स्वाध्याय	[२०००]	=	"

प्रथम उद्देशक

वेद-मोहोदय का प्रायश्चित्त—

१. जे भिबखू हत्यकम्म करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु हस्तकर्म करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है (उसे गुह्यासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन

इस सूत्र को पढ़ते ही जिज्ञासु स्वाध्यायी के हृदय में सहसा एक जिज्ञासा जागृत होती है कि इस आगम के प्रारम्भ में ही यह सूत्र कैसा है ?

प्रारम्भ में तो मंगलाचरण या उत्थानिका ही होनी चाहिए । यह सूत्र तो अन्यत्र भी कहीं लिया जा सकता था ।

इसका समाधान यह है कि आगमों की संकलनशीली ही ऐसी है कि उनमें 'अथ से इति' तक अभीष्ट विषयों का संकलन किया गया है ।

उदाहरण के लिए आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग तथा बृहत्कल्प, व्यवहार आदि सूत्र देखें ।

इनमें न मंगलाचरण सूत्र है और न उत्थानिका है । क्योंकि आगमों में प्रतिपादित श्रुतधर्म और चारित्रधर्म स्वयं मंगल है, अतएव आगम और उनके प्रत्येक सूत्र मंगल रूप हैं, फिर अतिरिक्त मंगलाचरण की आवश्यकता ही क्या है ?

अथवा—प्रायश्चित्त तप है, दशवैकालिक सूत्र के अनुसार तप मंगल है, अतएव प्रायश्चित्त-प्ररूपक पूर्ण निशीथसूत्र मंगल रूप ही है—इसलिए अतिरिक्त मंगलाचरण अनावश्यक है ।

इस सम्बन्ध के चिन्तनशील आगम स्वाध्यायियों का अभिमत यह है कि जिन आगमों के प्रारम्भ में या अन्त में जो मंगलाचरण सूत्र हैं या उत्थानिकायें हैं, वे सब लिपिककाल में या अन्य किसी अज्ञात काल में किसी भावुक आगमानुरागी ने भक्तिवश वाद में जोड़ दिए हैं ।

प्रमाणरूप में प्रस्तुत है—

लिपि-नमस्कार

भगवतीसूत्र के प्रारम्भ में "नमो बंभोए लिधीए" जो नमस्कार रूप मंगलाचरण है वह लिपिककाल से प्रचलित हुआ है, क्योंकि जब तक श्रुतपरम्परा कंठस्थ रही तब तक लिपि को नमस्कार करने की उपादेयता ही क्या थी ?

श्रुतदेवता नमस्कार

इसी प्रकार भगवतीसूत्र के अन्त में श्रुतदेवता आदि अनेक देव-देवियों को नमस्कार रूप अन्तिम मंगल भी किसी युग में जुड़ा है। टीकाकार श्री अभयदेवसूरि ने भी इन्हें लिपिकर्ता के "मंगल" कहकर व्याख्या नहीं की है।

प्रती श्रमण अत्रती श्रुतदेवता यक्ष को नमस्कार करें यह संगत नहीं होता, कुछ आगम श्रुतदेवता गणधर को ही मानते हैं किन्तु गणधर तो सूत्रागम के स्वयं श्रष्टा हैं, अतः वे अपने आपका नमस्कार करें यह भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

जब लिपिक आगमों की प्रतिलिपियाँ करने लगे तो उनमें से किसी एक लिपिक ने भगवत के प्रारम्भ में "नमो वंभीए लिषीए" लिखकर नमस्कार रूप मंगलाचरण किया होगा, जिससे भगवत की प्रतिलिपि निर्विघ्न पूर्ण हो। क्योंकि भगवती ही सबसे बड़ा आगम सदा रहा है। उस प्रति क जितनी प्रतिलिपियाँ हुईं, उनमें यह लिपि नमस्कार का मंगलाचरण सूत्र स्थायी हो गया।

यद्यपि लिपिक ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखते थे फिर भी उनकी यह श्रद्धा थी कि आदि लिपि "ब्राह्मी लिपि" है, उसे नमस्कार करने पर लिपि का व्यवसाय हमें समृद्धि देगा।

प्रारम्भ में प्रयुक्त उत्थानिकायें

उपलब्ध आगमों की वाचना सुधर्मास्वामी की वाचना मानी जाती है, उनको ही वाचना में उनका परिचय और उनके विहार का वर्णन जिस प्रकार इन उत्थानिकायों में वर्णित है उसे देखते हुए सामान्य पाठक भी यह समझ सकता है कि ये उत्थानिकायें किसी अन्य की ही कृति हैं।

उत्थानिकायों की रचनाशैली से ही यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है—

उदाहरण के लिए प्रस्तुत है—उत्थानिका का एक अंश—

"तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अज्जमुहम्मं णामं धेरे जाइसंपन्ने जाव गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहं सुहेणं विहरमाणे जेणेव चंपाणयरो जेणेव पुण्णमहे चेइए तेणामेव उवागच्छइ ..."—ज्ञाताधर्मकथा अ. १, सू. १.

उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के अन्तेवासी आर्य सुधर्मा नाम के स्वविर जातिसम्पन्न 'यावत्' एक ग्राम से दूसरे ग्राम विचरते हुए सुखे सुखे विहार करते हुए जहाँ चम्पा-नगरी थी, जहाँ पूर्णमद्र चैत्य था वहाँ आए ...।

उत्थानिका के इस अंश को पढ़कर सुज पाठक स्वयं निर्णय करें कि क्या-ये उत्थानिकाएं स्वयं सुधर्मास्वामी द्वारा संकलित हैं? यदि नहीं तो यह निश्चित है कि बाद में ये जोड़ी गई हैं। इसलिए सूत्रों में मंगलाचरण सूत्र और उत्थानिकाएं मौलिक रचना नहीं हैं।

इसीलिए इस निशीथसूत्र में मंगलाचरण सूत्र और उत्थानिका सूत्र कहे बिना ही वेदमोहनीय के उदय का प्रायश्चित्त सूत्र कहा गया है।

अनगर धर्म की आराधना में ब्रह्मचर्य महाव्रत को आराधना अति कठिन है। इस एक के पूर्ण पालन से सभी महाव्रतों का पूर्ण पालन सम्भव है और इस एक के भंग होने पर सभी महाव्रतों का भंग होना सुनिश्चित है।

इस महाव्रत का महत्त्व इतना है कि इसके पूर्ण पालक के सामने देव, दानव, मानव आदि सभी नतमस्तक रहते हैं।

इसके माहात्म्य का और इसकी साधना के साधक बाधक कारणों का आगमों में विस्तृत वर्णन है।

इसके पालक साधु-साध्वियां वेदमोहनीय के आकस्मिक प्रबल उदय से होने वाले अतिक्रमादि के आचरणों से सतत सजग रहकर इस महाव्रत की सुरक्षा करते रहे, इसी भावना से इस आगम में यह प्रथम प्रायश्चित्त सूत्र प्रस्तुत किया गया है।

जे भिक्षू—बृहत्कल्प सूत्र उद्देशक ३-४-५ के किसी-किसी सूत्र में केवल “भिक्षु या श्रमण निर्ग्रथ” इस तरह पुरुष प्रधान शब्द का प्रयोग हुआ है। तथापि ये विधान भिक्षु, भिक्षुणी दोनों के लिये उपयुक्त हैं। आचारांगसूत्र में भिक्षु, भिक्षुणी तथा बृहत्कल्पसूत्र में निर्ग्रथ, निर्ग्रथी दोनों पदों का प्रयोग है, रचनापद्धति के अनेक प्रकार हो सकते हैं, फिर भी जहाँ जो अर्थ संगत होता है, वह समझा जाता है।

निशीथसूत्र में सत्रहवें उद्देशक के कुछ सूत्रों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र “भिक्षु” शब्द के प्रयोग से ही प्रायश्चित्त कथन हुआ है, फिर भी उपलक्षण से साध्वी के लिए यथायोग्य प्रायश्चित्त-विधान समझ लेने चाहिए।

हृत्यकम्म—वेद-मोहोदय से प्रादुर्भूत विभावदशाजन्म विकृत विचारों से हस्तकर्म का संकल्प क्रियान्वित होता है।

इसके दुष्परिणामों का विस्तृत वर्णन एवं इससे मुक्ति पाने के उपायों को जानने के लिये भाष्य एवं चूर्ण का विवेकपूर्वक स्वाध्याय करना चाहिये।

करेइ, करेतं वा साइज्जइ—सूत्र में कराने की क्रिया नहीं दी गई है। “कराना” भी एक प्रकार का अनुमोदन ही है, क्योंकि कराने में अनुमोदन निश्चित है जिससे कराने की क्रिया का भी ग्रहण हो जाता है। चूर्णकार ने भी—

“साइज्जणा दुविहा—कारावणे, अनुमोदने”

इस प्रकार व्याख्या की है तथा आदि और अंत के कथन से मध्य का ग्रहण भी हो सकता है। अतः जहाँ पर भी “करेइ, करेतं वा साइज्जइ पाठ है, वहाँ यह अर्थ समझ लेना चाहिये कि “करता है या करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।”

किन्तु जहाँ पर “करेइ कारेतं वा साइज्जइ” पाठ हो वहाँ “अन्य से करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है,” इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये।

वर्तमान में उपलब्ध निशीथसूत्र की प्रतियों में प्रत्येक सूत्र के साथ प्रायश्चित्त सूचक पाठ नहीं है, किन्तु प्राचीन काल में प्रत्येक सूत्र के साथ प्रायश्चित्त पाठ रहा होगा। चूर्णकार प्रायः अनेक सूत्रों के शब्दार्थ और विवेचन में प्रायश्चित्त का कथन करते हैं।

उदाहरण के रूप में—प्रथम उद्देशक के द्वितीय सूत्र की, द्वितीय उद्देशक के प्रथम सूत्र की तृतीय उद्देशक के प्रथम सूत्र की चूर्ण देखें, इन सूत्रों में—“तस्स मासगुरुपच्छित्तं, तस्स मासलहु पच्छित्तं” “तस्स मासलहुं” इत्यादि प्रकार से व्याख्या की गई है। किन्तु उद्देशक के अंतिम सूत्र के साथ संलग्न उपलब्ध प्रायश्चित्त पाठ की व्याख्या प्रायः नहीं की गई है। अन्य सूत्रों की व्याख्या में “तस्स मासलहुं” आदि प्रायश्चित्त सूचक वाक्यों की क्रिया-व्याख्या जिस प्रकार है, अंतिम सूत्रों में भी प्रायः उसी प्रकार है।

अतः प्रत्येक सूत्र का अंतिम वाक्य “करेंतं वा साइज्जइ आवज्जइ से मासियं परिहारट्ठाण अणुग्घाइयं”। (करने वाले का अनुमोदन करता है उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।) ऐसा होना चाहिये।

कभी मूल पाठ का संक्षिप्तीकरण किया गया, उस समय सब सूत्रों के साथ प्रायश्चित्त पाठ न लिखकर उद्देशक के अंतिम सूत्र के साथ “तं सेवमाणे” इतना पाठ संबंध जोड़ने के लिये अधिक लगा कर लिख दिया गया हो। ऐसा चूर्णिकारकृत शब्दार्थ और व्याख्या से ज्ञात हो जाता है।

साइज्जइ—किसी भी निषिद्ध कार्य के होने में अभिरुचि रखना “साइज्जणा” है। वह दो प्रकार की है—

१. निषिद्ध कृत्य दूसरे से करवाना।
२. निषिद्ध कृत्य करते हुये का अनुमोदन करना।

दूसरे से करवाना भी दो प्रकार का है—

१. जिसकी इच्छा निषिद्ध कार्य करने की है, उससे करवाना।
२. जिसकी इच्छा निषिद्ध कार्य करने की नहीं है, उससे बलपूर्वक करवाना।

अनुमोदन भी दो प्रकार का है—

१. निषिद्ध कार्य की व करने वाले को सराहना करना।
२. अकृत्य करने वाले को गणप्रमुख द्वारा मना न करना।

प्र.—गुरुतर दोष किसमें है, किसी अन्य से निषिद्ध कृत्य करवाने में या निषिद्ध कृत्य का अनुमोदन करने में ?

उ.—अनुमोदन में लघुतर दोष है और करवाने में गुरुतर दोष है।

—नि. चू. भा. २ पृष्ठ-२५, गाथा ५८

अंगादान के संचालनादि का प्रायश्चित्त

२. जे भिवखू अंगादाणं फट्ठेण वा, किलिचेण वा, अंगुलिमाए वा, सलागाए वा संचालेइ, संचालेंतं वा साइज्जइ।

३. जे भिवखू अंगादाणं संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा, संवाहंतं वा, पलिमहंतं वा साइज्जइ।

४. जे भिवखू अंगादाणं तेत्तेण वा, घएण वा, घसाए वा, णवणीएण वा, अब्भंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा, अब्भंगंतं वा मक्खेंतं वा साइज्जइ।

५. जे भिक्खु अंगादानं कक्केण वा, लोद्धेण वा पउमच्चण्णेण वा, ष्हाणेण वा, सिणाणेण वा, चुण्णेहि वा, घण्णेहि वा, उच्चट्टेज्ज वा, परिवट्टेज्ज वा उच्चट्टेतं वा परिवट्टेतं वा साइज्जइ ।

६. जे भिक्खु अंगादानं सीओदगविमडेण वा, उसिणोदगविमडेण वा उच्चोल्लेज्ज वा पधोवेज्ज वा, उच्चोल्लेतं वा पधोवेंतं वा साइज्जइ ।

७. जे भिक्खु अंगादानं णिच्छलेइ, णिच्छलेंतं वा साइज्जइ ।

८. जे भिक्खु अंगादानं जिघइ, जिघंतं वा साइज्जइ ।

२. जो भिक्षु "अंगादान" को काष्ठ से, वांस आदि की खपच्ची से, अंगुली से या वेत आदि की शलाका से संचालन करता है या संचालन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु "अंगादान" का मर्दन करता है या बार-बार मर्दन करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु "अंगादान" का तेल, घी, वसा या मक्खन से मालिश करता है या बार-बार मालिश करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु "अंगादान" का कल्क—अनेक द्रव्यों के संयोग से निर्मित लेप्य पदार्थ से, लोध्र—सुगन्धित द्रव्य से, पद्मचूर्ण से, ष्हाण—उड़द आदि के चूर्ण से, सिणाण—सुगन्धित चूर्ण आदि से, चंदनादि के चूर्ण से, वर्धमान चूर्ण से उवटन—लेप या पीठी एक बार या बार-बार करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु "अंगादान" का प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से प्रक्षालन [धोना] एक बार या बार-बार करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु "अंगादान" के अग्रभाग की त्वचा को ऊपर की ओर करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु "अंगादान" को सूंघता है या सूंघने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त आता है ।]

विवेचन—सूत्र संख्या २ से ८ तक के प्रत्येक विषय के स्पष्टीकरण के लिए भाष्यकार ने सात दृष्टांत दिये हैं, वे इस प्रकार हैं—

दृष्टांत सप्तक—

१. संचालन सूत्र का दृष्टांत—जिस प्रकार सोए हुये सिंह को जगाने पर वह सिंह जगाने वाले के जीवन का नाश कर देता है उसी प्रकार जो उपशांत "अंगादान" का संचालन करता है उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है ।

२. संवाधन सूत्र का दृष्टांत—जिस प्रकार शांत सर्प का कोई अंग किसी के पैर आदि से दब जाने पर वह उसे डस लेता है उसी प्रकार उपशांत अंगादान का मर्दन करने से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है ।

३. अम्बंगन सूत्र का दृष्टांत—जिस प्रकार अग्नि को “धी” से सिंचने पर वह अत्यधिक प्रज्वलित होती है उसी तरह अंगादान का तैलादि से मालिश करने पर कामाग्नि अत्यधिक प्रदीप्त होती है ।

४. उबटन सूत्र का दृष्टांत—जिस प्रकार भाले की धार को तीक्ष्ण करने पर वह अत्यधिक घातक होती है उसी तरह अंगादान का उबटन ब्रह्मचर्य का अत्यधिक घातक होता है ।

५. उत्थालन सूत्र का दृष्टांत—जिस प्रकार सिंह की आंखों में पीड़ा होने पर किसी वृद्ध के द्वारा औषध प्रयोग से श्रुद्धि कर देने पर वह भूखा सिंह उसे ही खा जाता है । उसी प्रकार जो अंगादान का “प्रक्षालन” करता है उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है ।

६. निश्छलन सूत्र का दृष्टांत—जिस प्रकार सोये हुये अजगर का कोई मुख खोलता है तो वह उसे खा जाता है उसी तरह जो अंगादान के त्वचा-आवरण को ऊपर करता है उसका ब्रह्मचर्य विचलित हो जाता है ।

७. जिघ्रण सूत्र का दृष्टांत—एक राजा वंश के मना करने पर आम्र सूंघता रहा, उसका परिणाम यह हुआ कि वह अम्बुष्ठी व्याधि से मर गया । उसी तरह जो “अंगादान” का मदन करके हाथ को सूंघता है । उसका ब्रह्मचर्य वेद-मोहोदय से विनाश को प्राप्त होता है ।

“अंगादान”—यह शब्द जननेन्द्रिय का सूचक है । ऐसे प्रसंगों में आगमकार अप्रसिद्ध पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी करते हैं । जिनमें कुछ शब्द रूढ़ अर्थवाले भी होते हैं । व्याख्याकार उन्हें “सामयिकी संज्ञा या सैद्धान्तिक प्रयोग विशेष” से सूचित करते हैं । फिर भी उन शब्दों से प्रासंगिक अर्थ भी ध्वनित हो जाता है । कुछ शब्द योगिक व्युत्पत्तिपरक होते हैं, वे स्पष्ट रूप से उसी अर्थ को कहते हैं ।

इस शब्द को व्याख्या में कहा गया है कि यह शरीरावयव अंगों के उत्पादन में हेतुभूत है । अतः उसकी उत्पत्ति का कारण होने से यह अंगादान कहा जाता है । अंग, उपांग आदि के नाम इस प्रकार हैं—

१. अंग—थाठ हैं—मस्तक, हृदय, उदर, पीठ, दो भुजा, दो उर [घुटनों के ऊपर का भाग] ।

२. उपांग—कान, नाक, आंख, जंघा [घुटने के नीचे का भाग] । हाथ, पांव आदि ।

३. अंगोपांग—नख, केश, मूँछ, दाढ़ी, अंगुलियाँ, हस्ततल, हस्तउपतल [हथेली का उभरा हुआ भाग] ॥

अम्बंगेज्ज-मक्खेज्ज—निशीपसूत्र में तीन शब्दों का प्रयोग तैल आदि से मालिश करने के अर्थ में हुआ है—“अम्बंगेज्ज, मक्खेज्ज, भिल्लिगेज्ज”, इन तीनों का अर्थ मालिश करना है ।

एक सूत्र में इन तीन शब्दों में से जहाँ दो शब्दों का प्रयोग है वहाँ उनमें से प्रथम शब्द “एक वार” और दूसरा शब्द “अनेक वार” अर्थ का द्योतक है ।

“मक्खेज्ज” शब्द जब “अम्बंगेज्ज” के साथ प्रयुक्त होता है तो वह अनेक वार के अर्थ का वाचक होता है, वही मक्खेज्ज जब “भिल्लिगेज्ज” के साथ प्रयुक्त होता है तब वह एक वार के अर्थ को प्रकट करता है ।

‘उव्वट्टेज्ज परिवट्टेज्ज’—कल्क आदि पदार्थों से उवटन [लगाना, चुपड़ना, लेप करना, पीठी करना आदि] करने के अर्थ में भी तीन शब्दों का प्रयोग होता है—“उल्लोलिज्ज, उव्वट्टेज्ज, परिवट्टेज्ज”, उनका भी अर्थ अब्भगेज्ज-मक्खेज्ज के समान है ।

- मालिश और उवटन में अन्तरः—मालिश के योग्य पदार्थ स्निग्ध होते हैं । उनसे मालिश करने में विशेष शक्ति व श्रम का उपयोग होता है । इस तरह की गई मालिश त्वचा में लेकर अस्थि तक लाभप्रद होती है ।

उवटन की वस्तुएं रूक्ष और कोमल होती हैं । उनके लगाने में विशेष शक्ति व श्रम की अपेक्षा नहीं होती है । उवटन के पदार्थ प्रायः त्वचा के लिये लाभप्रद होते हैं ।

कक्केणः—क्षेत्र काल के अंतर से पदार्थों के प्रयोग में परिवर्तन हो जाता है । कल्कादि शब्द भी प्रायः ऐसे ही हैं । चूणि के आधार से इनका अर्थ किया है—

- | | | | |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| १. कक्केण, | २. लोद्रेण, | ३. पउमचुण्णेण, | ४. ण्हाणेण, |
| ५. सिणाणेण, | ६. चुण्णेहिं, | ७. वण्णेहिं । | |

इन सात शब्दों का प्रयोग शरीर परिकर्म के प्रसंग में अनेक स्थलों पर हुआ है । लिपिकारों ने ऐसे समान पाठों के प्रसंग में बिंदी लगाकर पाठ संक्षिप्त किये हैं । संक्षिप्तीकरण में समान पद्धति नहीं रखने से कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार शब्द रह गये हैं । आगे के उद्देशों की व्याख्या में चूणिकार प्रथम उद्देशक का निर्देश कर पुनः व्याख्या नहीं करते हैं । अतः आगम-स्वाध्यायी को ऐसे स्थलों में विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिये ।

९. जे भिक्खु अंगादाणं अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुप्पवेसेत्ता सुवकपोग्गले णिग्घाएइ, णिग्घाएंतं वा साइज्जइ ।

९. जो भिक्षु “अंगादान” को किसी अचित छिद्र में प्रविष्ट करके शुक्र-पुद्गलों को निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—ब्रह्मचर्य की ९ वाड में से एक का भी पालन नहीं करने से तथा वेदमोहनीय के तीव्र उदय होने पर ऐसी अवस्था प्राप्त होती है । उत्तराध्ययन अ० १६ में ब्रह्मचर्यव्रत की समाधि के लिए दस स्थान बताए हैं । उत्त० अ० ३२ में श्रीर दशवैकालिक अ० ८ में भी इस विषय के शिक्षावचन कहे गए हैं ।

कतिपय स्थल यहां उद्धृत किये जाते हैं—

१. विभ्रूता इत्थिसंसग्गो, पणीयं पाण-भोयणं ।
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ —दश. अ. ८, गा. ५६
२. चित्तभिर्भित्ति ण णिज्जाए, णारि वा सुअलंकियं ।
भवखरं पि व दट्ठण, दिट्ठि पडिसमाहरे ॥ —दश. अ. ८, गा. ५४
३. विचित्त-सेज्जासणजंतियाणं ओमासणणं दमिइन्दिवाणं ।
ण रागसत्तू धरिसेइ चित्तं, पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥ —उत्त. अ. ३२, गा. १२

४. जहा दबग्गी पजरिघणे वणे, समाहओ नोवसमं उवेह ।
एविदियग्गी वि पगामनोइणो, न वंभयारिस्त हियाय कस्तह ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. ११

५. रसा पगामं न नितेदियव्वा, पायं रसा वित्तिफरा नराणं ।

दित्तं च कामा समभिद्वयंति, दुमं जहा साहुफलं व पवखी ॥

—उत्तरा. अ. ३२, गा. १०

संक्षिप्त सार—विभूषा, स्त्रीसंसर्ग व प्रणीत रस भोजन को ब्रह्मचर्य के लिए तालपुट विप के समान समझना चाहिये । स्त्री एवं स्त्रियों के चित्र पर यदि दृष्टि पहुँचे तो शीघ्र हटा लेनी चाहिये । ठहरने का स्थान स्त्री आदि से रहित होना, शयन-आसन अल्प होना, प्रकामभोजी न होकर भिक्षु को सदा ऊनोदरी युक्त ही आहार करना चाहिये । इन्द्रियों के विषयों में राग द्वेष न रखते हुए प्रवृत्ति करना चाहिये, इत्यादि सावधानियाँ रखने पर शीघ्र से उपशांत बने हुए रोग के समान वेदमोह भी उपशांत रहता है, ब्रह्मचर्य में समाधि रहती है, जिससे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त स्थानों से आत्मा दूर रहती है ।

नव बाडों एवं दश समाधिस्थानों का विवेचन अन्य आगमों से जान लेना चाहिए ।

‘अचित्तंसि सोयंसि’—‘श्रोत’ शब्द ‘छिद्र’ अर्थ में प्रयुक्त होता है । तथापि मार्ग, स्थान आदि अर्थ में भी इसका प्रयोग आगम में हुआ है ।

यहाँ प्रासंगिक अर्थ ‘छिद्र’ की अपेक्षा ‘स्थान’ विशेष संगत है । व्यवहारसूत्र उद्देश ६ में इस विषय के दो सूत्र हैं, दोनों में ‘अचित्तंसि सोयंसि’ शब्द का प्रयोग है । अन्तर इतना ही है कि मंथन के भाव युक्त प्रवृत्ति होने पर गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है और हस्तकर्म के भाव युक्त प्रवृत्ति होने पर गुरु मासिक प्रायश्चित्त आता है । इस भिन्नता का कारण यह है कि अचित्त स्थान में की गई प्रवृत्ति हस्तकर्म है और अचित्त छिद्र में की गई प्रवृत्ति मंथन है । अतः यहाँ पर ‘अचित्तंसि सोयंसि’ से ‘अचित्त स्थान’ समझना चाहिए ।

सचित्त पदार्थ सूंघने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भियखू सचित्त पइद्वियं गंधं जिघइ जिघंतं वा साइज्जइ ।

१०. जो भिक्षु सचित्त पदार्थ में स्थित सुगंध को सूंघता है या सूंघने वाले का अनुमोदन करता है (उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इस सूत्र में इच्छापूर्वक सुगंधित सचित्त फूल आदि सूंघने का प्रायश्चित्त कहा गया है । आचा. श्रु. २, अ. १५ में पांचवें महाव्रत की भावना में स्वाभाविक आने वाली गंध में राग-द्वेष की परिणति से मुक्त रहने की प्रेरणा की गई है । आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ८ में कहा है कि स्वाभाविक सुगंध आने पर ‘अहो गंधो-अहो गंधो, त्ति नो गंधमाघाइज्जा’ अर्थात् अहो ! क्या बड़िया सुगंध आ रही है, ऐसा सोच कर उस सुगंध को सूंघने में आसक्त न हो ।

जब स्वाभाविक रूप से आई हुई गंध से भी साधक को उदासीन रहने को कहा गया है तो इच्छापूर्वक सूंघना तो स्पष्ट अनाचार है और उसका ही यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है ।

सचित्त पदार्थ से हरी या सूखी वनस्पतियां, फल, फूल, बीज आदि सभी सचित्त पदार्थों का ग्रहण हो जाता है ऐसा समझना चाहिए तथा इत्यादि समस्त अचित्त पदार्थ सूंधने का प्रायश्चित्त दूसरे उद्देशक में कहा गया है ।

गृहस्थ द्वारा पदमार्गादि निर्माणकरण प्रायश्चित्त—

११. जे भिक्खू पदमगं वा, संकमं वा, अवलंबणं वा, अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिक्खू दगवीणियं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

१३. जे भिक्खू सिक्कगं वा, सिक्कगणंतं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिक्खू सोत्तियं वा रज्जुयं वा चिलमिलि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

११. जो भिक्षु पदमार्ग = चलने का रास्ता, संक्रमण मार्ग = जल की चड़ आदि को उल्लंघन करने का पापाणादिमय मार्ग, अवलंबन = चढने, उतरने, चलने में सहारा लेने का साधन, अन्यतीथिक या गृहस्थ के द्वारा निर्माण करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु पानी के निकलने की नाली अन्यतीथिक से या गृहस्थ से बनवाता है या बनवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३. जो भिक्षु छींका या उसका ढक्कन अन्यतीथिक से या गृहस्थ से बनवाता है या बनवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१४. जो भिक्षु सूत की या डोरियों की चिलिमिलिका (पर्दा-यवनिका-मच्छरदानो) अन्यतीथिक या गृहस्थ से बनवाता है या बनवाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—१. पदमार्ग—वर्षा आदि के कारण से मार्ग में जल या कीचड़ हो जाने पर उस मार्ग से जाना-आना कठिन हो जाता है और जाने-आने में जीवों की विराधना होती है । अतः सुविधा के लिये उपाध्य में या उसके पास चलने का जो मार्ग ईंट, पत्थर आदि रखकर बनाया जाता है उसे पदमार्ग कहते हैं ।

२. संक्रमणमार्ग—पत्थर आदि रखकर भूमि से कुछ ऊपर पुल के समान जो मार्ग बनाया जाता है उसे संक्रमणमार्ग कहते हैं । इस प्रकार जल नीचे बहता रहता है और ऊपर से जाने-आने की सुविधा हो जाती है ।

३. अवलम्बन—पुल आदि पर दोनों ओर कोई सहारे की आवश्यकता हो या कहीं चढ़ने-उतरने में सहारे की आवश्यकता हो तो उसके लिए रस्ती, थंभा आदि का जो साधन बनाया जाता है वह "अवलंबन" कहा जाता है ।

४. दगवीणिका—कई स्थानों पर वर्षा आदि से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे निकालने के जो मार्ग बनाया जाता है, उसे "दगवीणिक" कहते हैं।

५. सिक्कग—कीड़ी, चूहा, कुत्ते आदि जीवों से खाद्य सामग्री की सुरक्षा के लिए छीका भोजन के का ढक्कन रखना भी कभी आवश्यक हो जाता है उसे, "सिक्कग" कहा जाता है।

६. चिलिमिलिका—शील रक्षा के योग्य सुरक्षित स्थान न मिलने पर, आहार करने योग्य सुरक्षित स्थान न मिलने पर, मक्खी, मच्छर आदि संपातिम जीवों के अधिक हो जाने पर, उनका रक्षा के लिये एक दिशा में यावत् पांच दिशाओं में जो पर्दा, पवनिका या मच्छरदानी आदि बनाए जाते हैं, उसे "चिलिमिलिका" कहा जाता है।

इन चारों सूत्रों में कहे गये कार्य साधु को गृहस्थी से नहीं कराना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में गृहस्थ से कराना पड़े तो वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

उत्तरकरण कराने के प्रायश्चित्त

१५. जे भिवखू "सूईए" उत्तरकरणं अण्णउत्तियएण वा गारत्तियएण वा कारेइ कारेतं व साइज्जइ ।

१६. जे भिवखू "विप्पलगस्स" उत्तरकरणं अण्णउत्तियएण वा गारत्तियएण वा कारेइ कारेतं व साइज्जइ ।

१७. जे भिवखू "णहच्छेयणगस्स" उत्तरकरणं अण्णउत्तियएण वा गारत्तियएण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिवखू "कण्णसोहणगस्स" उत्तरकरणं अण्णउत्तियएण वा गारत्तियएण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

१५. जो भिक्षु सूई का उत्तरकरण अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

१६. जो भिक्षु कतरणो का उत्तरकरण अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

१७. जो भिक्षु नखछेदनक का उत्तरकरण अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

१८. जो भिक्षु कर्णशोधनक का उत्तरकरण अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—१. "उत्तरकरणं"—उत्तरकरण का अर्थ है—परिष्कार करना अर्थात् आवश्यकता-नुसार उपयोगी बनाना, सुधारना।

१. सूई की अणी व छिद्र को सुधारना।

२. कतरणो की धार तेज करना।

३. नखछेदनक को नख काटने के योग्य बनाना ।

४. कर्णशोधनक को मृदुस्पर्शी बनाना ।

इस प्रकार चारों उपकरणों का उत्तरकरण होता है ।

२. उपकरणचतुष्टय—शरीर व संयम के उपयोगी उपकरणों को साधु अपने पास रख सकता है । जो उपकरण सभी साधुओं के लिए सदा आवश्यक होते हैं वे “औषिक उपकरण” कहे जाते हैं । ऐसे सभी उपकरणों को सदा साथ में रखने की आज्ञा है । यथा—वस्त्र, पात्र, रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि । वस्त्र, पात्र शरीर के लिए उपयोगी हैं और मुखवस्त्रिका, रजोहरण संयम के उपयोगी है ।

कुछ उपकरण विशेष परिस्थिति के कारण रखे जाते हैं, वे “औपग्रहिक उपकरण” कहे जाते हैं ।

वे भी दो तरह के होते हैं—

१. सदा काम में आने वाले, २. कभी-कभी काम में आने वाले।

१. चश्मा, लाठी आदि प्रायः सदा काम आते हैं । अतः ये सदा साथ में रखे जा सकते हैं ।

२. कभी-कभी काम में आने वाले उक्त चारों उपकरणों का तो उपरोक्त सूत्रों में कथन है ही, अन्य उपकरणों (छत्र, चर्म आदि) का कथन भी आगमों में प्रसंगानुसार हुआ है । उनमें से सर्वत्र सुलभ उपकरण प्रत्यर्पणीय रूप में लाये जाते हैं, जो कार्य हो जाने पर उसी दिन या कुछ दिनों से लौटा दिये जाते हैं ।

यद्यपि साधु के लिए अत्यल्प उपधि रखने का विधान है, फिर भी क्षेत्र काल के अनुसार या परिवर्तित शारीरिक स्थितियों के अनुसार कब, कहाँ, किन उपकरणों की आवश्यकता हो जाए और उस समय कदाचित् वहाँ वे उपकरण न मिलें; इस आशय से कांटा निकालने के उपकरण या दंत-शोधनक आदि अन्य उपकरण वर्तमान में भी साथ में रखे जाते हैं ।

इसी प्रकार सूत्रोक्त सूई, कतरणी आदि उपकरण भी काल आदि की परिस्थिति से रखे जा सकते हैं, ऐसा इन उत्तरकरण सूत्रों से प्रतीत होता है ।

निशीथभाष्य गा० १४१३-१४१६ तथा बृहत्कल्पभाष्य गा० ४०९६-४०९९ तक आपवादिक परिस्थिति में रखे जाने वाले अनेक औपग्रहिक उपकरण सूचित किये हैं, वे गायार्ण ग्रथ सहित उद्दे० १६ सू० ३९ के विवेचन में देखें । उन उपकरणों में सूई, कतरणी आदि भी हैं, चर्म-छत्र दंड भी हैं एवं पुस्तकें आदि भी कही गई हैं ।

ये उत्तरकरण के सूत्र भी परिस्थिति से साथ में रखे हुए औपग्रहिक उपकरण रूप सूई आदि से ही संबन्धित हैं । क्योंकि एक दिन के लिये प्रत्यर्पणीय उपकरण तो देखकर और उपयोगी होने पर ही लाया जाता है । कदाचित् भूल हो भी जाय तो उसे लौटाकर अन्य लाया जा सकता है ।

किन्तु प्रत्यर्पणीय सूई, केंची आदि की नोक या धार गृहस्थ से करवाना और गुरुमासिक प्रायश्चित्त का पात्र बनाना, ऐसी प्रवृत्ति किसी भी भिक्षु के द्वारा करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती ।

२२. जो भिक्षु विना प्रयोजन कर्णशोधनक की याचना करता है या याचना करने वांश. का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—स्वयं के लिए आवश्यक होने पर या भ्रम के मंगवाने पर भी बड़ों की आज्ञा लेकर के ही सूई आदि की याचना करनी चाहिये ।

क्योंकि इनके खो जाने, टूट जाने, चुभ जाने, लग जाने की या वापिस देना भूल जाने की सम्भावना रहती है, अतः इन्हें विना प्रयोजन ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

अविधि याचना प्रायश्चित्त—

२३. जे भिषखू अविहीए सूई जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

२४. जे भिषखू अविहीए पिप्पत्तगं जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

२५. जे भिषखू अविहीए णहच्छेयणगं जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

२६. जे भिषखू अविहीए कण्णसोहणगं जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

२३. जो भिक्षु अविधि से सूई की याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जो भिक्षु अविधि से कतरणी की याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२५. जो भिक्षु अविधि से नखछेदनक की याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. जो भिक्षु अविधि से कर्णशोधनक की याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—साधु का प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक व विधियुक्त होना चाहिये । सूई, कतरणी आदि तीक्ष्ण होते हैं, उनके ग्रहण करने में विवेक आवश्यक है जिससे शारीरिक क्षति न हो । अविवेकपूर्वक ग्रहण करते देखकर गृहस्थ को अपने उपकरण की सुरक्षा में शंका हो सकती है । जिससे देने की भावना में कमी आ सकती है ।

कुछ विशेष प्रकार की अविधियों का कथन आगे के सूत्रों में है ।

अनिर्दिष्ट उपयोगकरण प्रायश्चित्त—

२७. जे भिषखू पाडिहारियं सूई जाइत्ता वत्थं सित्थिस्सामि ति पायं सित्थइ सित्तवंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिषखू पाडिहारियं पिप्पत्तगं जाइत्ता वत्थं छिदिससामि ति पायं छिदइ छिदंतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिक्खू पाडिहारियं नहच्छेयणं जाइत्ता तहं छिद्विस्सामि त्ति सत्तुद्धरणं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिक्खू पाडिहारियं “कण्णसोहणं जाइत्ता” कण्णमलं णीहरिस्सामि त्ति दंत-मलं वा, णह-मलं वा णीहरइ, णीहरंतं वा साइज्जइ ।

२७. जो भिक्षु लौटाने योग्य सुई की याचना करके “वस्त्र सीऊगा” ऐसा कह कर उससे मात्र सीता है या सोने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. जो भिक्षु लौटाने योग्य कतरणी की याचना करके “वस्त्र काटूंगा” ऐसा कहकर उससे पात्र काटता है या काटने वाले का अनुमोदन करता है ।

२९. जो भिक्षु लौटाने योग्य नखछेनदक की याचना करके “नख काटूंगा” ऐसा कह कर उससे कांटा निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।

३०. जो भिक्षु लौटाने योग्य कर्णशोधनक की याचना करके “कान का मैल निकालूंगा” ऐसा कहकर उससे दांत या नख का मैल निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरु भासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—लौटाने योग्य वस्तु के लिये आगम में “पाडिहारियं” शब्द का प्रयोग होता है । लौटाने योग्य सूई आदि ग्रहण करने के समय किसी एक कार्य का निर्देश नहीं करना चाहिए ।

यदि किसी एक कार्य को करने का स्पष्ट निर्देश करके सूई आदि ग्रहण किये गये हों तो उन्हें अन्य काम में नहीं लेना चाहिये ।

अन्य काम करने पर दूसरा और तीसरा महाव्रत दूषित होता है । ज्ञात होने पर गृहस्थ उस साधु पर या साधुसमाज पर अविश्वास करता है, उनकी निंदा करता है तथा भविष्य में आवश्यक उपकरणों के अलाभ आदि होने की संभावना रहती है ।

अन्योन्य प्रदान प्रायश्चित्त—

३१. जे भिक्खु अप्पणो एक्कस्स अट्ठाए सुईं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ, अणुप्पदेतं वा साइज्जइ ।

३२. जे भिक्खु अप्पणो एक्कस्स अट्ठाए पिप्पलमं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ, अणुप्पदेतं वा साइज्जइ ।

३३. जे भिक्खु अप्पणो एक्कस्स अट्ठाए णहच्छेयणं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ, अणुप्पदेतं वा साइज्जइ ।

३४. जे भिक्खु अप्पणो एक्कस्स अट्ठाए कण्णसोहणं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ, अणुप्पदेतं वा साइज्जइ ।

३१. जो भिक्षु केवल अपने लिये सूई की याचना करके लाता है और बाद में अन्य किसी साधु को देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३२. जो भिक्षु केवल अपने लिये कतरणी की याचना करके लाता है और वाद में अन्य किसी साधु को देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३३. जो भिक्षु केवल अपने लिये नखछेदनक की याचना करके लाता है और वाद में अन्य किसी साधु को देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३४. जो भिक्षु केवल अपने लिये कर्णगोधनक की याचना करके लाता है और वाद में अन्य किसी साधु को देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त माता है ।)

विवेचन—साधु समुदाय में भिन्न-भिन्न साधुओं के भिन्न-भिन्न आवश्यक कार्य होते हैं, भतः सूई आदि ग्रहण करते समय भाषा का विवेक रखना चाहिये । अर्थात् किसी कार्य या व्यक्ति का निर्देश नहीं करना चाहिये । निर्देश करे तो उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिये, शेष सूत्र २६ से ३० तक के विवेचन के समान समझना चाहिये ।

श्रविधि प्रत्यर्पण का प्रायश्चित्त—

३५. जे भिक्खू सूईं अविहीए पच्चप्पिणेइ, पच्चप्पिणेंतं वा साइज्जइ ।

३६. जे भिक्खू पिप्पलंगं अविहीए पच्चप्पिणेइ, पच्चप्पिणेंतं वा साइज्जइ ।

३७. जे भिक्खू णहच्छेयणं अविहीए पच्चप्पिणेइ, पच्चप्पिणेंतं वा साइज्जइ ।

३८. जे भिक्खू कण्णसोहरणं अविहीए पच्चप्पिणेइ, पच्चप्पिणेंतं वा साइज्जइ ।

३५. जो भिक्षु श्रविधि से सूई लीटाता है या लीटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

३६. जो भिक्षु श्रविधि से कतरणी लीटाता है या लीटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

३७. जो भिक्षु श्रविधि से नखछेदनक लीटाता है या लीटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

३८. जो भिक्षु श्रविधि से कर्णगोधनक लीटाता है या लीटाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त माता है ।)

विवेचन—लीटाने का कहकर ताई हुई सूई आदि विवेकपूर्वक ही देनी चाहिये जिसमे उपकरण की श्रौर स्व-पर के शरीर की क्षति न हो । अर्थात् भूमि आदि पर रखकर लीटाना चाहिये ।

पात्र-परिष्कार कराने का प्रायश्चित्त—

३९. जे भिक्खू लाउपपायं वा, दारपायं वा, मट्टियापायं वा अण्णजटियएण वा माररियएण वा परिघट्टायेइ वा, संठायेइ वा, जमायेइ वा, “अलमप्पणे करणमाए सुहमयि नो कप्पइ”, ज्ञानमाणे सरमाणे अण्णमण्णस्स विपरइ, धियरंतं वा साइज्जइ ।

३९. “पात्र परिष्कार का कार्य स्वयं करने में समय होते हुए गृहस्थ में किंचित् परिष्कार कराना भी नहीं कल्पता है” यह जानते हुए, स्मृति में होते हुए या करने में समय होते हुए भी जो भिक्षु सुन्धे वा पात्र, लकड़ी का पात्र व मिट्टी का पात्र अन्यतीथिक या गृहस्थ में—वनयाता है, उगका मुष डोक करवाता है, विषम को सम करवाता है या अन्य माधु को कराने की आज्ञा देता है अथवा इन

तरह कराने वाले का या आज्ञा देने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—जो भिक्षु पात्र-परिष्कार का कार्य जानता हो तो उसे स्वयं ही कर लेना चाहिए तथा आवश्यक हो तो अन्य भिक्षु का कार्य भी कर देना चाहिए। किन्तु गृहस्थ से नहीं कराना चाहिए तथा किसी साधु को गृहस्थ से कराने की आज्ञा भी नहीं देनी चाहिए।

परिघट्टावेड आदि—“परिघट्टणं-निम्मावणं, संठवणं-मुहादीण, जमावणं-विसमाणं समीकरणं,”

१. परिघट्टावेड—निर्माण कराना अर्थात् काम आने लायक बनवाना।

२. संठावेड—मुख ठोक कराना—योग्य व भजवृत कराना।

३. जमावेड—विषम को सम कराना।

काष्ठ पात्र के मुख पर डोरे आदि बांधना ‘संठवण’ है, तेल, रोगन, सफेदा, आदि लगाना “परिघट्टण” है।

कहीं खड्डा हो उसे भरना, खुरदरापन हो उसे घिसना “जमावण” है।

इसी प्रकार मिट्टी के पात्र का तथा तुंवे के पात्र का परिकर्म भी समझ लेना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में केवल “पात्र” शब्द का कथन न करके तीन प्रकार के पात्रों का निर्देश होने से यह स्पष्ट होता है कि साधु को तीन प्रकार के ही पात्र रखना कल्पता है। ऐसा ही कथन आचारंग सूत्र, बृहत्कल्पसूत्र एवं ठाणांगसूत्र में भी है।

शुभाशुभ पात्रों के फलों का विधान आदि वर्णन भाष्य में देखना चाहिए।

भिक्षु को ऐसे पात्र की ही श्वेपणा करनी चाहिये कि जिसमें किसी भी प्रकार का परिकर्म न करना पड़े।

दंडादि के परिष्कार कराने का प्रायश्चित्त—

४०. जे भिक्खु दंडयं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूइयं वा, अण्णउत्थियेणं वा गारत्थियेण वा, परिघट्टावेड वा, संठावेड वा, जमावेड वा, अलमप्पणो करणघाए सुहुमवि नो कप्पइ, जाणमाणे, सरमाणे, अण्णमण्णस्स विघरइ विघरंतं वा साइज्जइ।

४०. स्वयं करने में समर्थ हो तो किंचित् भी गृहस्थ से कराना नहीं कल्पता है, यह जानते हुए, स्मृति में होते हुए या करने में समर्थ होते हुए भी जो भिक्षु दण्ड, लाठी, अवलेहणिका और बांस की सूई का परिघट्टण, संठवण और जमावण अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से करवाता है या अन्य साधु को करवाने की आज्ञा देता है अथवा गृहस्थ से करवाने वाले का या आज्ञा देने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—सूत्र ३९ के विवेचन के अनुसार इस सूत्र का विवेचन भी जानना किन्तु पात्र साधु की “श्रीधिक उपधि” है, उनको सभी साधु हमेशा के लिये अपने पास रखते हैं।

इस सूत्र में कथित उपकरण “श्रीपग्रहिक उपधि” हैं अर्थात् इन्हें जिस साधु को जितने समय के लिये आवश्यक हो उतने समय के लिये गुरु की आज्ञा लेकर रख सकता है। बिना विधेय परिस्थिति के ये श्रीपग्रहिक उपकरण नहीं रखे जाते हैं।

दंड, नाठी—शारीरिक परिस्थिति व क्षेत्रीय परिस्थिति से रखी जाती है।

अवलेहनीका—पैरों में लगे कीचड़ आदि को साफ करने के लिये रखी जाती है।

रजोहरण या पूंजणी की फलियों में डोरी डालने के लिए बांस की सूई उपयोग में आती है। यदा कदा वस्त्र पात्रादि के सिलाई के काम में भी आ सकती है।

दंड आदि का परिघट्टण—ऊपर से सफाई करना।

संठवण—गांठों आदि की सफाई करना।

जमावण—वक्र भाग को सीधा करना।

इन उपकरणों के प्रकार, परिमाण, माप आदि की विशेष जानकारी भाष्य में दी गई है।

पात्रसंधान बंधन प्रायश्चित्त—

४१. जे भिखू पायस्त एक्कं तुडियं तड्डेइ, तड्डेतं वा साइज्जइ।

४२. जे भिखू पायस्त परं तिण्हं तुडियाणं तड्डेइ, तड्डेतं वा साइज्जइ।

४३. जे भिखू पायं अविहोए बंधइ, बंधंतं वा साइज्जाइ।

४४. जे भिखू पायं एणेण बंधेण बंधइ बंधंतं वा साइज्जइ।

४५. जे भिखू पायं परं तिण्हं बंधाणं बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ।

४६. जे भिखू अइरेग बंधणं पायं, विवड्ढाओ मात्ताओ परेण धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ।

४१. जो भिक्षु पात्र के एक धेगली देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

४२. जो भिक्षु पात्र के तीन धेगली से अधिक देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

४३. जो भिक्षु पात्र को अविधि से बांधता है या बांधने वाले का अनुमोदन करता है।

४४. जो भिक्षु पात्र को एक बंधन से बांधता है या बांधने वाले का अनुमोदन करता है।

४५. जो भिक्षु पात्र को तीन बंधन से अधिक बांधता है या बांधने वाले का अनुमोदन करता है।

४६. जो भिक्षु तीन से अधिक बंधन का पात्र डेढ मास से अधिक रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

वियेचन—धेगली—टूटे भाग को ठीक करने के लिए या छिद्र को बंद करने के लिए लगाई जाती है।

४१-४२ सूत्रों का संयुक्त भाव यह है कि साधु एक भी धेगली न लगावे। अत्यन्त आवश्यक हो तो एक पात्र के एक, दो या तीन धेगली तक लगाई जा सकती है। तीन से अधिक धेगली लगाना सर्वथा निषिद्ध है।

थेगली दो प्रकार की होती है—१. सजातीय, २. विजातीय । जिस जाति का पात्र हो उसी जाति की थेगली लगाना “सजातीय” है, अन्य जाति की थेगली लगाना “विजातीय” है । पात्र के थेगली लगाना आवश्यक हो तो सजातीय थेगली ही लगाई जाए, विजातीय नहीं । यह नियम लकड़ी, तुम्बा, मिट्टी आदि की अपेक्षा से समझना चाहिए । किन्तु साथ में कपड़े का या घागे का जो उपयोग किया जाता है वह सजातीय या विजातीय नहीं कहा जाता है । तथा सेल्युलोज से जोड़ने को थेगली लगाना नहीं कहा जाता ।

अविधि—सूत्र ४४-४५ में पात्र के बंधन का कथन है अतः पात्र विषयक अविधि का कथन इन सूत्रों के बाद में होना चाहिए था किन्तु यहाँ ४३वें सूत्र में अविधि का यह विधानसूत्र ४१-४२ और ४४-४५ इन चारों सूत्र से सम्बन्धित है ।

इसका फलितार्थ यह है कि थेगली भी अविधि से नहीं लगानी चाहिए और बंधन भी अविधि से नहीं बांधना चाहिए^१ ।

विधि और अविधि की व्याख्या—

१. बंधन और थेगली के बाद तथा सिलाई आदि के बाद वह स्थान प्रतिलेखन करने योग्य हो जाना चाहिए ।

२. जहाँ बंधन, थेगली आदि लगाये गए हों, वहाँ से आहार आदि का अंश सरलता से साफ हो जाए ऐसा हो जाना चाहिए ।

३. बंधन आदि लगाने का कार्य कम से कम समय में हो जाए ।

ये ही विधि या विवेक समझने चाहिए और इसके विपरीत अविधि समझना चाहिए ।

बंधन

साधु का लक्ष्य तो यह रहे कि जिस पात्र का सुधार या उसके बंधन आदि कार्य न करना पड़े, ऐसे पात्र की ही याचना करे । ४१-४२ व ४४-४५ इन दो-दो सूत्रों का भाव यही है कि “जो भी पात्र मिले वह ऐसा हो कि कुछ भी संस्कार किए बिना सीधा उपयोग में आवे । यदि ऐसा न हो तो आवश्यकतानुसार जघन्य एक और उत्कृष्ट तीन बंधन लगाये जा सकते हैं ।”

बंधन का अर्थ है—पात्र की गोलाई को घागे आदि से बांधकर मजबूत करना जिससे अधिक समय सुरक्षित रह सके ।

एक स्थान पर बंधन लगाना एक बंधन कहलाता है और तीन स्थानों पर बांधना तीन बंधन कहलाता है ।

मिट्टी के पात्र में बिना बंधन के काम चल सकता हो तो एक भी जगह बांधने की आवश्यकता नहीं होती है ।

लकड़ी के अत्यन्त छोटे पात्र में एक भी बंधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

लकड़ी के बड़े पात्र में एक बंधन आवश्यक होता है ।

१. कुछ प्रतियों में निम्न सूत्र अधिक मिलता है, जो भाष्यवृत्ति में नहीं है—

“जे भिवचू पायं भविहोए तड्डेइ तड्डेंत वा साइज्जई ।”

तुम्बे का पात्र आवश्यकतानुसार दो या तीन जगह बंधन लगाने से सुरक्षित रहता है। साधु का मुख्य लक्ष्य सदा यह रहे कि अधिक प्रमाद न हो और स्वाध्याय बढ़े।

साधु का प्रमाद शरीर और उपधि संबंधी कार्य करना होता है, सावध योगरूप प्रमाद का तो वह त्यागी ही होता है।

अद्वैत बंधन—आवश्यक होने पर बंधन लगाने की अनुज्ञा है, उत्कृष्ट तीन बंधन लगाने की भी अनुज्ञा है। तीन बंधन वाला पात्र जब तक उपयोग में आये तब तक रखा जा सकता है। सामान्यतः तीन से ज्यादा बंधन की आवश्यकता या उपयोगिता किसी भी प्रकार के पात्र में कम संभव है। यह सूत्र ४४-४५ से स्पष्ट होता है, तथापि सूत्र ४६ में विकट परिस्थिति की संभावना के आशय से उसकी भी सीमित अनुज्ञा दी गई है। अर्थात्—किसी दोष या काल की परिस्थिति में लकड़ी या तुंबा का पात्र जिसमें कि पहले से एक या तीन बंध लगे हैं और टूट फूट जाय तो जब तक अन्य पात्र न मिले तब तक ४-५ बंधन लगाकर के भी चलाना पड़े तो यथासंभव शीघ्रातिशोघ्र मिट्टी आदि के पात्र की याचना कर लेना चाहिए और अधिक बंधन वाले पात्र को परठ देना चाहिये। उसे ढेड़ महीने के बाद रखने पर इस (४६वें) सूत्र से प्रायश्चित्त आता है।

वस्त्र-संधान-बंधन प्रायश्चित्त—

४७. जे भिषखू वत्यस्स एगं पडियाणियं वेइ वेंतं वा साइज्जइ ।
४८. जे भिषखू वत्यस्स परं तिण्हं पडियाणियाणं वेइ वेंतं वा साइज्जइ ।
४९. जे भिषखू वत्यं अविहीए सिन्वइ, सिध्यंतं वा साइज्जइ ।
५०. जे भिषखू वत्यस्स एगं फालिय-गंठियं करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।
५१. जे भिषखू वत्यस्स परं तिण्हं फालिय-गंठियाणं करेइ, फरंतं वा साइज्जइ ।
५२. जे भिषखू वत्यस्स एगं फालियं गंठेइ, गंठंतं वा साइज्जइ ।
५३. जे भिषखू वत्यस्स परं तिण्हं फालियाणं गंठेइ, गंठंतं वा साइज्जइ ।
५४. जे भिषखू वत्यं अविहीए गंठेइ, गंठंतं वा साइज्जइ ।
५५. जे भिषखू वत्यं अतज्जाएण गहेइ, गहंतं वा साइज्जइ ।
५६. जे भिषखू अद्वैत-गहियं-वत्यं परं दिवट्ठाओ मासाओ धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

१. ५२-५३-५४ तीन सूत्रों का पूर्णिकार ने कोई धर्म नहीं किया है, किन्तु भाष्यकार ने इनके विषय-को समझ करके पात्री गाथा दी है—

मिण्हुवरि फानिणणं वत्यं, जो फानियपि गमित्थे ।

पंचण्हं एगत्तरे सो पावति पाणमादीनि ॥३८॥

इस गाथा के आधार से सूत्रों का पाठ व धर्म किया गया है।

४७. जो भिक्षु वस्त्र में एक थगली लगाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।
४८. जो भिक्षु वस्त्र के तीन से अधिक थगली लगाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।
४९. जो भिक्षु वस्त्र को अविधि से सीता है या सीने वाले का अनुमोदन करता है ।
५०. जो भिक्षु फटे वस्त्र के एक गांठ लगाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।
५१. जो भिक्षु फटे वस्त्र के तीन से अधिक गांठ लगाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।
५२. जो भिक्षु फटे वस्त्र को एक सिलाई से जोड़ता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।
५३. जो भिक्षु फटे वस्त्रों को तीन सीवण से अधिक जोड़ता या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।
५४. जो भिक्षु वस्त्र को अविधि से जोड़ता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।
५५. जो भिक्षु एक जाति के कपड़े को दूसरी जाति के कपड़े से जोड़ता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।
५६. जो भिक्षु अतिरिक्त जोड़ आदि के वस्त्र को डेढ़ मास से अधिक काल तक रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—थगली—चूहे, कुत्ते आदि के द्वारा छेद कर दिये जाने पर या अग्नि की चिनगारियों से क्षत-विक्षत हो जाने पर यदि उसका शेष भाग उपयोग में आने योग्य हो तो वस्त्र में थगली देने की आवश्यकता होती है तथा अन्य भी ऐसे कारण समझ लेना चाहिये । एक थगली व तीन थगली संबंधी विवेचन पूर्ववत् समझ लेना चाहिये ।

अविधि सीवन—वस्त्र के थगली लगाने में सिलाई करना आवश्यक है किन्तु सिलाई में कम से कम समय लगे और अच्छी तरह प्रतिलेखन हो सके यह ध्यान रखना चाहिये । सीने के अनेक प्रकार भाष्य, चूर्ण में वताये हैं, जिनका अर्थ गुरुगम से समझ लेना चाहिये ।

गांठ लगाना—जो वस्त्र जीर्ण नहीं हो और कहीं उलभकर या दबकर फट गया हो तो ऐसे वस्त्र की सिलाई के लिए सूई आदि तत्काल उपलब्ध न होने पर उस वस्त्र के दोनों किनारों को पकड़कर गांठ लगा दी जाती है, ऐसे गांठ लगाना जघन्य एक स्थान पर तथा उत्कृष्ट तीन स्थानों पर किया जा सकता है । यदि तीन स्थानों में गांठ देने पर भी काम आने लायक न हो सके तो सूई आदि उपलब्ध कर उसकी सिलाई कर लेना चाहिये । किन्तु तीन से अधिक गांठ नहीं लगाना चाहिये ।

ऊपर के सूत्र ५० से 'अविधि' शब्द को यहाँ भी ग्रहण करके उसका अर्थ समझ लेना चाहिये कि गांठ देने में भी दिखने की अपेक्षा या प्रतिलेखन की अपेक्षा अविधि न हो । इससे यह भी स्पष्ट

होता है कि विधिपूर्वक लगाई हुई किसी भी गांठ को प्रतिलेखन के लिये पुनः खोलना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि यह मुप्रतिलेख्य होती है। बार बार गांठ खोलना एवं देना अनावश्यक प्रमाद है।

वस्त्र खंड जोड़ना—बेगली व गांठ के दो दो सूत्र दिए गए हैं, उनके समान वस्त्रों को जोड़ने संबंधी ये दो (५२-५३) सूत्र हैं। अतः यहां पर भी एक सीवण और तीन सीवण का प्रसंग पट्टन होता है।

फालियं—फटे हुए। इसका दो प्रकार से अर्थ हो सकता है—

१. नया ग्रहण करते समय, २. लेने के बाद कभी फट जाने पर।

नया वस्त्र ग्रहण करते समय यदि वह चौड़ाई में कम हो या कम लम्बाई के छोटे छोटे टुकड़े हों तो चदर आदि के योग्य बनाने के लिये जोड़ना पड़ता है, जिसका निर्देश आचारांगसूत्र श्रु. २ प्र. ५. उ. १ में हुआ है।

यथासंभव एक भी जगह जोड़ लगाना न पड़े ऐसा ही वस्त्र लेना चाहिये। आवश्यक होने पर भी तीन से अधिक जोड़ नहीं लगाना चाहिए, इतने जोड़ से साधु-साध्वी दोनों का निर्वाह हो सकता है।

साध्वी को चार हाथ विस्तार की चदर की जरूरत हो और एक हाथ के विस्तार का कपड़ा मिले तो तीन जोड़ से पूरी हो सकती है। कभी आवश्यकता से कम लम्बे टुकड़े मिले तो भी तीन जोड़ से साधु व साध्वी दोनों का निर्वाह हो सकता है।

पूर्वोक्त सूत्र ५०, ५१ में 'गंठियं करेह' का प्रयोग है। इसमें फटे हुए वस्त्र को गांठ देकर जोड़ने संबंधी प्रायश्चित्त है।

सूत्र ५२-५३-५४ में 'गंठेह' क्रिया का प्रयोग है। इसमें एक सरीसे भिन्न-भिन्न वस्त्रपट्टों को सिलाई करके जोड़ने का प्रायश्चित्त है।

सूत्र ५५ में "गहेह" क्रिया का प्रयोग है। इसमें विजातीय वस्त्रखण्डों को जोड़ने का प्रायश्चित्त है।

इस प्रकार इन सूत्रों में फटे वस्त्रों को या वस्त्रखण्डों को जोड़ने के प्रायश्चित्त हैं।

एक सरीसे वस्त्रखण्डों को जोड़ने का प्रायश्चित्त नहीं है और वस्त्र जैसे धागे से सिलाई करने का भी प्रायश्चित्त नहीं है, क्योंकि यह विधि है।

असमान वस्त्रखण्डों को जोड़ने का प्रायश्चित्त है और, वस्त्र से भिन्न प्रकार के धागे से सिलाई करने का प्रायश्चित्त है, क्योंकि यह अविधि है।

अविधि में जोड़ने का और अविधि में सिलाई करने का प्रायश्चित्त विधेचन सूत्र ५९ के समान है।

विजातीय वस्त्र जोड़ना—दस सूत्र में प्रयुक्त जाति शब्द से वस्त्रों की अनेक जातियां पहचान की जा सकती हैं। यथा—ऊनी, सूती, गणी, रेगामी आदि।

ऊनी और सूती वस्त्रों की अनेकानेक जातियां हैं। ऊनी वस्त्र—भेड़, बकरी, ऊँट आदि की ऊन से बने हुए कम्बल आदि वस्त्र। सूती वस्त्र—मलमल, लट्टा, रेजा आदि विविध प्रकार के वस्त्र।

रंगभेद से भी वस्त्रों के और धागों के अनेक प्रकार हैं। अतः भिक्षु वस्त्रखण्डों को जोड़ते या जुड़वाते समय ऐसा विवेक रखे कि जुड़े हुए वस्त्रखण्ड और सिलाई के धागे भिन्न भिन्न न दिखें।

वस्त्र के अधिक जोड़—भाष्य चूर्णिकार ने “अइरेग गहिय” का संबंध ऊपर के ५२-५३-५४-५५वें सूत्रों के “गहेइ” (गठेइ) विषय से जोड़ा है तथा सूत्र ५०-५१ से भी जोड़ा है और कहा है कि साधु साध्वियां यदि अधिक जोड़ का, अधिक गांठ का वस्त्र डेढ़ मास से अधिक रखें तो वे प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं। जैसा पात्र के सूत्रों में अधिक बंधन के पात्र को डेढ़ महीने से अधिक रखने संबंधी विवेचन किया गया है उसी आशय का विवेचन यहां भी समझना चाहिये।

मर्यादा उपरांत एक भी जोड़ किया हो तो सूत्रपोरिसी और अर्थपोरिसी करने के बाद अन्य वस्त्र को गवेपणा कर लेना चाहिये। दो तीन जोड़ किये हों तो केवल सूत्रपोरिसी करके वस्त्र की गवेपणा करना और तीन से ज्यादा जोड़ किये हों तो सूत्र व अर्थ दोनों पोरिसी न करे, पहले वस्त्र को गवेपणा करे। सूत्र-अर्थ पोरिसी का आशय है—‘स्वाध्याय व ध्यान करने की पोरिसी।’

सारांश—पूर्वोक्त पात्र विषयक ६ सूत्रों का और वस्त्र विषयक १० सूत्रों का सार यह है कि वस्त्र के येगली लगाना, गांठ देना, वस्त्रखण्ड जोड़ना तथा पात्र के टिकड़ी लगाना, बन्धन लगाना आदि कार्य साधु-साध्वियों को यथासंभव नहीं करने चाहिये।

वस्त्र पात्र विषयक उक्त कार्य करने यदि आवश्यक हों तो उन्हें तीन से अधिक नहीं करने चाहिये।

उक्त कार्य तीन से अधिक करने जैसी स्थिति यदि हो गई हो तो सूत्रपौरुपी, अर्थपौरुपी न करके भी उस काल में नये वस्त्र की याचना कर लेनी चाहिए। इसमें डेढ़ मास की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिये।

गृहधूम-परिसादन प्रायश्चित्त—

५७. जे भिक्षू गृहधूमं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिसाडावेइ, परिसाडावेत्तं वा साइज्जइ।

५७. जो भिक्षु गृहधूम अत्यंतिक या गृहस्थ से उतराता है या उतराने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—इस सूत्र में गृहधूम उतरवाने का प्रायश्चित्त विधान है, रसोई घर की दिवाल पर या छत के नीचे चूल्हे का जमा धुआं ‘गृहधूम’ कहा जाता है।

रसोईघर के स्वामी से रसोईघर में प्रवेश की आज्ञा प्राप्त करके छत की ऊंचाई तक हाथ पहुंच सके ऐसा साधन लेकर साधु यदि धुआं उतार ले तो उसे किसी प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं आता है।

रसोईघर में प्रवेश की आज्ञा न मिलने से अथवा सारौरिक असामर्थ्य से साधु स्वयं गृहधूम न उतार सके तो अन्य से गृहधूम उतरवाने पर उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है।

साधु किस कार्य के लिए स्वयं गृहधूम उतारे या अन्य से उतरवाये, इसका समाधान चूणिकार ने इस प्रकार किया है—

साधु के दाद खुजली आदि किसी प्रकार का चर्मरोग हो जाए तो वह गृहधूम में उसी चिकित्सा स्वयं करे, किन्तु चूणिकार ने यह नहीं बताया कि 'गृहधूम' का प्रयोग किस प्रकार दिया जाय। अतः किसी कुशल वंश से या चर्मरोग विशेषज्ञ से गृहधूम के प्रयोग की विधि जान लेनी चाहिए।

पूतिकर्म-प्रायश्चित्त—

१८. जे भिवखू पूइकम्मं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१८. जो भिक्षु पूतिकर्म दोष से युक्त आहार, उपधि व वसति का उपयोग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे गुरुभासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—भाष्यकार ने पूतिकर्म दोष तीन प्रकार का कहा है—

१. आहारपूतिकर्म, २. उपधिपूतिकर्म, ३. शय्यापूतिकर्म।

आहार-पूतिकर्म दो प्रकार का है—

१. दूषित पदार्थों से संस्कृत आहार, २. दूषित उपकरण प्रयुक्त आहार।

आघाकमादि दोषयुक्त होंग, नमक आदि से मिश्रित निर्दोष आहार भी पूतिकर्म-दोषयुक्त हो जाता है।

आघाकमादि दोषयुक्त आहार से लिप्त चम्मच आदि से दिया जाने वाला निर्दोष आहार भी पूतिकर्म दोषयुक्त हो जाता है।

२. उपधि-पूतिकर्म

गृहस्थ द्वारा आघाकमादि दोषयुक्त घागे से निर्दोष वस्त्र की सिलाई करने पर भयवा भेगना लगाने पर वह पूतिकर्म दोषयुक्त हो जाता है।

गृहस्थ द्वारा आघाकमादि दोषयुक्त टिकड़ी लगाने से भयवा बन्धन लगाने से निर्दोष पात्र भी पूतिकर्म-दोषयुक्त हो जाता है।

३. शय्या-पूतिकर्म

निर्दोष शय्या के निम्नी भी विभाग में आघाकमादि दोषयुक्त बाग और काष्ठ आदि का उपयोग हुआ हो तो वह शय्या भी पूतिकर्म-दोषयुक्त हो जाती है।

पूतिकर्म दोष वाला आहार भी शुद्ध आहार में मिल जाये तो भी पूतिकर्म-दोषयुक्त हो जाता है।

तं सेवमाणे आघज्जइ भासियं परिहारद्वारो अणुपादयं ।

इन उपसुक्त १८ सूत्रों में कहे गये किसी भी प्रायश्चित्तस्यात के सेवन करने वाले की गुरुभासिक प्रायश्चित्त आता है।

विवेचन—अंतिम सूत्र के साथ या अंत में इस सूत्र की व्याख्या प्रायः नहीं मिलती है।

मूलपाठ में प्रायः सभी प्रतियों में अंतिम सूत्र के साथ इस पाठ को रखा गया है। इस विषय की विशेष जानकारी के लिये प्रथम सूत्र का विवेचन देखें।

सूत्र में 'परिहारद्वारण' शब्द केवल सामान्य प्रायश्चित्त अर्थ में प्रयुक्त है। इसी प्रकार अन्य उद्देशकों में भी 'भासिक' और चातुर्मासिक शब्द के साथ इसी अर्थ में समझ लेना चाहिये। किन्तु विशेष प्रकार के परिहाररूप प्रायश्चित्त के अर्थ में नहीं समझना चाहिये।

प्रथम उद्देशक का सारांश—

- सूत्र १ हस्तकर्म करना ।
 सूत्र २-८ अंगादान का १ संचालन २ सवाधन ३ अभ्यंगन ४ उवटन ५ प्रक्षालन ६ त्वचा अप-
 वर्तन और ७ जिघ्रण क्रियाएं करना ।
 सूत्र ९ शुक्र पुद्गल निकालना ।
 सूत्र १० / सचित्त पदार्थ सूंघना ।
 सूत्र ११ पदमार्ग बनवाना, संक्रमण (पुल) मार्ग बनवाना, अवलम्बन का साधन बनवाना ।
 सूत्र १२ पानी निकलने की नाली बनवाना ।
 सूत्र १३ छोका और उसका ढक्कन बनवाना ।
 सूत्र १४ सूत की या रज्जु की चिलमिली बनवाना ।
 सूत्र १५-१८ सूई, कैंची, नखछेदनक और कर्णशोधनक सुधरवाना ।
 सूत्र १९-२२ सूई आदि की बिना प्रयोजन याचना करना ।
 सूत्र २३-२६ सूई आदि की अविधि से याचना करना ।
 सूत्र २७-३० जिस कार्य के लिए सूई आदि की याचना की है, उससे भिन्न कार्य करना ।
 सूत्र ३१-३४ अपने कार्य के लिए सूई आदि की याचना करके अन्य को उसके कार्य के लिए दे देना ।
 सूत्र ३५-३८ सूई आदि अविधि से लौटाना ।
 सूत्र ३९ पात्र का परिकर्म करवाना ।
 सूत्र ४० दण्ड, लाठी, अवलेखनिका और बांस की सूई का परिकर्म करवाना ।
 सूत्र ४१ अकारण पात्र के एक थैगली लगाना ।
 सूत्र ४२ सकारण पात्र के तीन से अधिक थैगलियां लगाना ।
 सूत्र ४३ पात्र के अविधि से बंधन बाधना ।
 सूत्र ४४ पात्र के एक बंधन लगाना ।
 सूत्र ४५ पात्र के तीन से अधिक बंधन लगाना ।
 सूत्र ४६ तीन से अधिक बन्धन वाला पात्र डेढ़ मास से अधिक रखना ।
 सूत्र ४७ फटे हुए वस्त्र के एक थैगली लगाना ।
 सूत्र ४८ फटे हुए वस्त्र के तीन से अधिक थैगली लगाना ।
 सूत्र ४९ अविधि से वस्त्र सीना ।
 सूत्र ५० फटे हुए वस्त्र के एक गांठ देना ।
 सूत्र ५१ फटे हुए वस्त्र के तीन से अधिक गांठ देना ।

- सूत्र ५२ फटे हुए वस्त्र के साथ एक वस्त्रखण्ड जोड़ना ।
 सूत्र ५३ फटे हुए वस्त्र के साथ तीन से अधिक वस्त्रखण्ड जोड़ना ।
 सूत्र ५४ अविधि से वस्त्रखण्ड जोड़ना ।
 सूत्र ५५ विभिन्न प्रकार के वस्त्रखण्ड जोड़ना ।
 सूत्र ५६ तीन से अधिक वस्त्रखण्ड जुटे हुए वस्त्र को डेढ मास से अधिक रखना ।
 सूत्र ५७ गृहस्थ से गृहधूम उतरवाना ।
 सूत्र ५८ पूतिकर्म दोष युक्त आहार उपधि तथा शय्या का उपयोग करना ।
 इत्यादि प्रवृत्तियों का गुरु मासिक प्रायश्चित्त जाता है ।
- इस उद्देशक के २० सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है, यथा—
 सूत्र १-९ हस्तकर्म करना सबल दोष कहा है । दशा. द. २ ?
 सूत्र १० मुग्ध में आसक्त होने का निषेध । आ. श्रु. २ अ. १ उ. ८, आ. श्रु. २ अ. १५.
 सूत्र १४ चेल-चिलिमिलिका रखना एवं उसके उपयोग का विधान । बृह. उ. १.
 सूत्र ३१-३८ अपने कार्य के लिए प्रातिहारिक ग्रहण को गईं गूईं आदि अन्य को देने का निषेध तथा उनके लौटाने की विधि । आ. श्रु. २ अ. ७ उ. १.
 सूत्र ५८ पूतिकर्मदोष का वर्णन । सूत्रकृ. श्रु. १ अ. १ उ. ३.
- इस उद्देशक के ३८ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—
 सूत्र ११-१३ पदभाग का अन्य (गृहस्थ) के द्वारा निर्माण करवाना ।
 सूत्र १५-३० गूईं आदि सुघरवाना । गूईं आदि बिना प्रयोजन ग्रहण करना ।
 गूईं आदि अविधि से ग्रहण करना ।
 सूत्र ३९-४० पात्र तथा दण्ड आदि का निर्माण करवाना तथा सुघरवाना,
 सूत्र ४१-४६ पात्र के येगली लगाना । पात्र के बंधन लगाना ।
 सूत्र ४७-५६ वस्त्र के येगली लगाना,
 वस्त्र के गांठ लगाना,
 वस्त्र खण्ड जोड़ना ।
 सूत्र ५७ ओषधि के लिए गृहस्थ से गृहधूम उतरवाना ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

दूसरा उद्देशक

दंडयुक्त पादप्रोक्षण ग्रहण करने आदि का प्रायश्चित्त—

१. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।
२. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं गेण्हइ, गेण्हंतं वा साइज्जइ ।
३. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं धरेइ, धरेंटं वा साइज्जइ ।
४. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं वियरइ, वियरेंटं वा साइज्जइ ।
५. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं परिभाएइ, परिभाएंत्तं वा साइज्जइ ।
६. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।
७. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं परं दिवड्डाओ मासाओ धरेइ, धरेंटं वा साइज्जइ ।
८. जे भिवखू दारुदंडयं पायपुंछणं विसुयावेइ विसुयावेंत्तं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” ग्रहण करने की आज्ञा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” वितरण करता है या वितरण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” का उपयोग करता है या उपयोग करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” को डेढ मास से अधिक रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त “पादप्रोक्षण” को पृथक् करता है या पृथक् करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—

प्रथम सूत्र में—काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोच्छन्न बनाने का,

द्वितीय सूत्र में—उसे ग्रहण करने का,

तृतीय सूत्र में—उसके रखने का,

चतुर्थ सूत्र में—उसके ग्रहण करने की आज्ञा देने का,

पंचम सूत्र में—उसके वितरण करने का,

छठे सूत्र में—उसके उपयोग करने का,

सप्तम सूत्र में—किसी कारण विशेष से काष्ठ दण्डयुक्त पादप्रोच्छन्न रखना पड़े तो डेढ़ मास से अधिक रखने का, और

अष्टम सूत्र में—काष्ठदण्ड को खोलकर पादप्रोच्छन्न से अलग करने का प्रायश्चित्त विधान है ।

इस सूत्राष्टक में से प्रथम सूत्र के भाष्य एवं चूर्ण में काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोच्छन्न की उपयोगिता का सूचक “रजोहरण” शब्द अंकित है । इससे भ्रान्ति उत्पन्न होती है कि रजोहरण “ती औधिक उपधि है—जिसे सभी प्रव्रजित भिक्षु यावज्जीवन साथ रखते हैं, अतः “काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोच्छन्न (रजोहरण)” किस प्रकार का होता है और उसका उपयोग क्या है ? इत्यादि जिज्ञासाओं का समाधान इस प्रकार है—

१. पादप्रोच्छन्न—

जीर्ण या फटे हुए कम्बल का एक हाथ लम्बा-चोड़ा खण्ड “पादप्रोच्छन्न” कहा जाता है ।

बृह० उद्दे० १, सूत्र ४० में वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादप्रोच्छन्न, इन चार उपकरणों के नाम हैं ।

इसी प्रकार अन्य आगमों में भी अनेक जगह ये चारों नाम एक साथ मिलते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि यह पादप्रोच्छन्न भी वस्त्र, पात्र और कम्बल जितना ही आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण है ।

श्रीपग्रहिक उपधि होते हुए भी पादप्रोच्छन्न का उपयोग प्राचीन काल में अधिक प्रचलित था ।

श्रमण रजोहरण से पादप्रोच्छन्न को पूँजकर उसपर बैठ सकते हैं, ऐसा उल्लेख उत० श्र० १७, गाथा ७ में है, यहाँ उसे “पायकंबल” कहा गया है, टीकाकार ने पायकंबल का अर्थ “पादप्रोच्छन्न” किया है ।

रात्रि में या विकल में श्रमण को दीर्घ शंका का वेग यदि प्रवृत्त हो और प्रतिश्लेषित उच्चार-प्रश्रवण भूमि तक पहुँचना शक्य न हो तो उपाश्रय के किसी एकान्त विभाग में मल विसर्जन करने के समय भी पादप्रोच्छन्न का उपयोग करे । यदि उस समय अपना पादप्रोच्छन्न न हो तो अपने साथी श्रमण से पादप्रोच्छन्न लेकर भी उस का उपयोग करे, ऐसा आचा० ध्रु० २, श्र० १० में विधान है ।

इस प्रकार पादप्रोक्षण से पैरों पर लगी हुई अचित्त रज पोंछना, रजोहरण से पादप्रोक्षण का प्रमार्जन कर उस पर बैठना-तथा मलविसर्जन के समय पादप्रोक्षण का उपयोग करना इत्यादि कार्य आगमों में विहित हैं, अतः रजोहरण और पादप्रोक्षण भिन्न-भिन्न उपकरण हैं क्योंकि रजोहरण से तो प्रमार्जन होता है और पादप्रोक्षण से पैर आदि पोछे जाते हैं। इस प्रकार दोनों के अर्थ और उपयोग भिन्न-भिन्न हैं।

२. काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोक्षण—

रजोहरण से उपाध्य के जिस स्थल का प्रमार्जन करना शक्य न हो और उस स्थल का प्रमार्जन करना किसी विशेष कारण से अनिवार्य हो तो पादप्रोक्षण के मध्य में काष्ठ दण्ड बांधकर उसका उपयोग किया जाता है ऐसा बृहत्कल्प उ. ५ से स्पष्ट होता है।

व्याख्या ग्रंथों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि व्याख्याकारों ने कहीं कहीं रजोहरण और पादप्रोक्षण को एक ही उपकरण मान लिया है किन्तु बृहत्कल्प उ० २, सु० ३० तथा स्थानार्ण अ० ५, उ० ३ में कहे गए पांच प्रकार के रजोहरणों से पादप्रोक्षण और काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोक्षण भिन्न उपकरण हैं।

रजोहरण से प्रादप्रोक्षण की भिन्नता—

रजोहरण प्रातिहारिक नहीं लिया जाता किन्तु निशीथ उद्दे० ५, सू० १५-१८ में प्रातिहारिक पादप्रोक्षण निश्चित समय पर न लौटाने का प्रायश्चित्त विधान होने से उसका प्रातिहारिक लेना सिद्ध है।

रजोहरण के काष्ठदण्ड पर वस्त्र लपेटा हुआ रहता है और पादप्रोक्षण युक्त काष्ठदण्ड पर वस्त्र लपेटा हुआ नहीं रहता है।

पादप्रोक्षण का उपयोग पैर पोंछने के अतिरिक्त मलविसर्जन के समय भी किया जाता है और यदा कदा उस पर बैठ भी सकते हैं किन्तु उक्त दोनों कार्य रजोहरण से होना सम्भव नहीं हैं अपितु रजोहरण पर बैठना, सोना, सिरहाने रखना आदि कार्यों का निशीथ उ० ५ में प्रायश्चित्त कहा गया है।

निशीथ उद्देशक ४ सूत्र ३० में निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ पर रजोहरण आदि रखने पर प्रायश्चित्त विधान है किन्तु वहाँ पादप्रोक्षण का कथन नहीं है।

निर्ग्रन्थ काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोक्षण अनिवार्य-आपवादिक स्थिति में डेढ़ मास रख सकता है और निर्ग्रन्थी अपनी विशेष समाचारी के अनुसार अनिवार्य आपवादिक स्थिति में भी काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोक्षण नहीं रख सकती है किन्तु काष्ठदण्डयुक्त तो दोनों को रखना अनिवार्य होता है।

इस पादप्रोक्षण युक्त और रजोहरण, इन तीनों का अन्तर स्पष्ट है।

करण कहे हैं, उनमें रजोहरण

प्रथमव्याकरण के टीकाकार ने उक्त पाठ की टीका में श्रमणों के उपकरणों की संख्या जो चौदह कही है वह भी रजोहरण और पादप्रोँछन को भिन्न-भिन्न मानने पर ही होती है।

आचा० ध्रु० २, अ० १० में कहा है मल का प्रवल वेग आने पर किसी के पास स्वयं का पादप्रोँछन न हो तो साथी श्रमण से पादप्रोँछन की याचना करे। किन्तु रजोहरण तो स्वयं का नहीं हो ऐसा विकल्प ही नहीं होता है, क्योंकि श्रवेल जिनकल्पी भिक्षु को भी रजोहरण रखना आवश्यक है।

इन आगमप्रमाणों से रजोहरण और पादप्रोँछन भिन्न-भिन्न उपकरण सिद्ध होते हैं, अतः दोनों को एक नहीं मानना चाहिए।

रजोहरण फलियों के समूह से बना हुआ श्रौधिक उपकरण है।

पादप्रोँछन वस्त्रखंड होता है और वह श्रौपग्रहिक उपकरण है।

काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोँछन डंडे से बांधा हुआ वस्त्रखंड है। जो सातवें सूत्र में काष्ठदण्ड, युक्त पादप्रोँछन डेढ मास से अधिक रखने का प्रायश्चित्त कहा है, भाष्यकार ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो पादप्रोँछन अपरिक्मं वाला हो अर्थात् नया हो उसे चार मास तक रखा जा सकता है, जो पादप्रोँछन अल्प परिक्मं वाला (पुराना) हो उसे दो मास तक रखा जा सकता है और जो पादप्रोँछन सपरिक्मं (जीर्ण) है वह डेढ मास तक रखा जा सकता है। उसके बाद आवश्यक हो तो अन्य पादप्रोँछन की याचना कर लेनी चाहिए या नया बना लेना चाहिए।

इसका कारण यह है कि—१. काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोँछन की किसी स्थान में २-४ दिन या उत्कृष्ट किसी क्षेत्र में काल-स्वभाव के कारण डेढ मास तक उपयोगिता रहती है। वाद में मकान के कई भागों में भकड़ी आदि छोटे-मोटे जीवों का प्रचार-प्रसार नहीं रहता है। अथवा—

२. काष्ठदण्ड के साथ लगा हुआ पादप्रोँछन का वस्त्र डेढ मास के बाद अति मलिन एवं नमी आदि के कारण उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है या जीर्ण वस्त्र हो तो वह दुष्प्रतिलेख्य हो जाता है, अतः उसे खोलकर अन्य वस्त्र लगाया जा सकता है। इसीलिए डेढ मास की मर्यादा का उल्लंघन करने का सूत्र में प्रायश्चित्त कहा है। डेढ मास के पूर्व कभी भी आवश्यक हो तो खोलकर परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु अकारण खोलने पर या प्रतिदिन खोलने पर प्रमादवृद्धि होती है। इस कारण आठवें सूत्र में अकारण दण्ड से वस्त्र को खोलने एवं अलग करने का प्रायश्चित्त कहा गया है।

काष्ठदण्ड के पादप्रोँछन को ऐसी विधि से बांधना चाहिए कि जिससे उसकी प्रतिलेखना सुविधापूर्वक हो सके। जिस प्रकार वस्त्र को विधि-युक्त सीने एवं विधियुक्त गाँठ देने से यह सुप्रतिलेख्य होता है उसी प्रकार काष्ठदण्ड के साथ विधि युक्त बांधा गया पादप्रोँछन भी सुप्रतिलेख्य होता है। उसे अकारण खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।

भाष्य गा. १४१३ में पादप्रोँछन को श्रौपग्रहिक उपकरण कहा है अतः जिस क्षेत्र में और जिस काल में जितने समय आवश्यक हो उतने समय तक रखना एवं उपयोग में लेना कल्पता है। जब आवश्यकता न रहे तब उसे छोड़ देना या परठ देना चाहिए।

सारांश यह है कि भिक्षु आवश्यक होने पर सुप्रतिलेख्य काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोँछन उत्कृष्ट डेढ मास तक रखा जा सकता है। उसके बाद भी कभी रखना आवश्यक हो जाय तो खोलकर परिवर्तन कर लेना चाहिये।

इत्रादि सूंघने का प्रायश्चित्त—

९. जे भिक्खू अचित्तपट्टियं गंधं, जिघइ जिघंतं वा साइज्जइ ।

९. जो भिक्षु अचित्त पदार्थ (चंदन-इत्रादि) में रही हुई सुगंध को सूंघता है या सूंघने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

पदमार्ग आदि बनाने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भिक्खू पदमार्गं वा, संकमं वा, अवलंबणं वा सयमेव करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिक्खू दगवीणियं सयमेव करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिक्खू सिक्कणं वा, सिक्कणंतं वा सयमेव करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

१३. जे भिक्खू सोत्तियं वा, रज्जुयं वा चित्तिर्मिलिं सयमेव करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

१०. जो भिक्षु पदमार्ग, संक्रमणमार्ग या अवलंबन का साधन स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु पानी निकलने की नाली स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु छींका या छींके का ढक्कन स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३. जो भिक्षु मूत की या रस्सी की चिलमिली का निर्माण स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है)

विवेचन—इन सूत्रों में कहे गए कार्य यद्यपि साधु के करने योग्य नहीं हैं फिर भी परिस्थिति-वशा ये कार्य करने आवश्यक हों तो गृहस्थ से करवाने पर अधिक प्रायश्चित्त और स्वयं करने पर अल्प प्रायश्चित्त का विधान है, क्योंकि गृहस्थ की अपेक्षा स्वयं विवेकपूर्वक कर सकता है । अतः अल्प जीवविराघना का प्रायश्चित्त भी अल्प ही कहा गया है तथा गृहस्थ से कोई भी कार्य करवाना भिक्षु के लिये दशव. अ. ३ में अनाचार कहा गया है । इस कारण से भी यह अधिक प्रायश्चित्त योग्य है ।

सूत्र पाठ में चिलमिलिका निर्माण योग्य सामग्री केवल दो प्रकार की कही गई है किन्तु भाष्यकार ने पांच प्रकार की सामग्री से निमित्त चिलमिलिकाएं कही हैं । विशेष जिज्ञासा वाले भाष्य देखें ।

गृहकल्प उद्दे. १ सू. १८ से तथा निशीथ के इस सूत्र से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि साधु-साध्वियों को जब कभी चिलमिली की आवश्यकता अनुभव हो तो उन्हें रखना या उपयोग में लेना कल्पता है । किन्तु पूर्वनिमित्त न मिलने पर सूत से या डोरियों से चिलमिली का स्वयं निर्माण करना लघुमासिक प्रायश्चित्त योग्य कार्य है और गृहस्थ से निर्माण करवाना गुह्यमासिक प्रायश्चित्त योग्य कार्य है । इनका विवेचन प्रथम उद्देशक सूत्र ११-१४ में देखें ।

उत्तरकरण करने का प्रायश्चित्त—

१४. जे भिखू सूईए उत्तरकरणं सयमेव करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।
 १५. जे भिखू पिप्पलगस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।
 १६. जे भिखू णहच्छेयणगस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।
 १७. जे भिखू कण्णसोहणगस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

१४. जो भिक्षु सूई का उत्तरकरण—सुधार परिष्कार स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु कतरणी का उत्तरकरण—सुधार परिष्कार स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु नपछेदनक का उत्तरकरण—सुधार परिष्कार स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु कर्णशोधनक का उत्तरकरण—सुधार परिष्कार स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

नोट—उपरोक्त सूत्रों का विवेचन प्रथम उद्देशक के सूत्र १५-१८ में देखें ।

प्रथम महाव्रत के अतिचार का प्रायश्चित्त—

१८. जे भिखू लहसगं फरसं वपइ, वपंत वा साइज्जइ ।

१८. जो भिक्षु अल्प कठोर वचन कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघु-मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—परुष भाषा में कर्कश शब्दों का प्रयोग होता है, भाषासमिति का पालन करने वाले साधु-साध्वी ऐसी परुष भाषा का प्रयोग न करे क्योंकि यह भाषा सावध होती है ।

परिस्थितिवश यदि आवेश आ जाये तो वचनगुप्ति का पालन करते हुए मौन रखने का प्रयत्न करना चाहिए ।

स्नेह रहित शब्द युक्त उपालम्भ, आदेश, शिक्षा तथा प्रेरणा देने के वचन, ये सब चूणिकार के अनुसार 'अल्प पद्य वचन' हैं । यहाँ यह प्रायश्चित्त विधान ऐसे ही परुष वचनों का है ।

उदाहरण

१. एक साधु अपना उपकरण जहाँ पर रखकर गया था उसे वह वहाँ नहीं मिला, पतः उसने वहाँ बैठे साधु से पूछा—“यहाँ मैं अपना उपकरण रख कर गया था, वह कहाँ गया ?”

वह बोला “मुझे मालूम नहीं है ।”

साधु ने कहा—“अरे प्रमादी ! तू यहाँ बँठा-बँठा क्या नींद ले रहा है ? सच बता किसने उठाया और कहाँ रखा ।”

२. अपने आसन पर किसी अन्य साधु को बँठा देखकर एक साधु ने कहा—“अरे ! यह कौन बँठा है ? उठ यहाँ से, क्या इसे अपना आसन समझ रखा है ।”

३. नींद ले रहे किसी साधु को किसी अन्य साधु ने किसी कारण से जगाया तो वह बोला—“कौन है यह दुष्ट जिसने मेरे आराम में बाधा डाली है ।”

४. किसी रुग्ण साधु ने किसी अन्य साधु से कहा—“मैं कितनी बार कह चुका हूँ—तुम मेरे लिए दवाई नहीं ला रहे हो ।”

उसने रुग्ण साधु से कहा—“क्यों हाय हाय कर रहे हो ! थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते ?”

५. किसी गणप्रमुख ने कुछ साधुओं से एक दुर्लभ वस्तु लाने के लिए कहा, कईयों ने गवेपणा की किन्तु उनकी गवेपणा निष्फल गई, केवल एक की गवेपणा सफल रही ।

निष्फल गवेपकों में से किसी एक ने पूछा—“किस को मिली वह दुर्लभ वस्तु” ?

जिसको मिली थी उसने कहा “मुझे मिली है । तुम्हें क्या मिले, तुम्हारे भाग्य में तो भटकना लिखा है सो भटकते फिरो ।”

इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से दूसरों को दुःख होता है, इसलिये परुष भाषण सूक्ष्महिंसा है । जिससे प्रथम महाव्रत में अतिचार लगता है ।

परुष होते हुए भी परुष नहीं

केशीकुमार श्रमण ने राजा प्रदेशी को तथा राजीमति ने रहनेमि को जो कुछ परुष वाक्य कहे थे वे परुष (कठोर) हाते हुए भी परुष नहीं थे । क्योंकि उन्होंने जो परुष भाषा कही थी वह उन आत्माओं के हित के लिए कही थी अतः उस परिस्थिति में कहे गए कपायभाव-रहित परुष वचन प्रायश्चित्त योग्य नहीं होते हैं ।

इसी प्रकार शिष्य को हितशिक्षा हेतु कहे गए गुरु के कठोर वचन भी प्रायश्चित्त योग्य नहीं होते हैं ।

क्रोध, मान, ईर्ष्या या द्वेषवश कहे गए परुष वचनों का प्रायश्चित्त सूत्र में कहा है ।

आत्मीयता एवं पवित्र हृदय से कहे गये परुष वचनों का प्रायश्चित्त नहीं है ।

द्वितीय महाव्रत के अतिचार का प्रायश्चित्त —

१९. जे भिवखू लहसगं मुसं वयइ, वयंतं धा साइज्जइ ।

१९. जो भिक्षु अल्प मृदावाद बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है (उसे लघु-मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—विना विचारे या भय से कहे गए वचन अल्प मृदावाद के वचन माने गए हैं ।

१. जो कार्य किया है उसके सम्बन्ध में पूछने पर भयभीत होकर कह दे—मैंने नहीं किया । जो कार्य नहीं किया है उसके सम्बन्ध में पूछने पर बिना विचारे कह दे—मैंने किया है ।
२. ऊँघते हुए को पूछने पर कह दे—मैं नहीं ऊँघ रहा हूँ ।
३. अंधेरे में किसी अन्य की वस्तु को अपनी वस्तु कहना । इस प्रकार के मृपावाद के प्रायश्चित्तविधान इस सूत्र में हैं । वंचकवृत्ति से या किसी का अहित करने के लिए कहे गए असत्य वचनों को यहाँ नहीं समझना चाहिये ।

तृतीय महाव्रत के अतिचार का प्रायश्चित्त—

२०. जे भिक्खू लहसगं अदत्तं आइयइ, आइयंतं वा साइज्जइ ।

२०. जो भिक्षु अल्प अदत्त-ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु को प्रत्येक वस्तु याचना करके ही ग्रहण करनी चाहिए ।

दश. अ. ६ में कहा है कि “दांत शोधन करने के लिए तिनका (तृण) भी आज्ञा लिए बिना नहीं लेना चाहिए ।”

व्यव. उ. ७ में कहा है कि “मार्ग में बँठना हो तो वहाँ भी आज्ञा ग्रहण करनी चाहिए ।”

आचा. श्रु. २, अ. १५, में कहा है कि “भिक्षु वारंवार (सदा) आज्ञा लेने की वृत्ति वाला होना चाहिए अन्यथा कभी अदत्त भी ग्रहण किया जाना संभव है ।”

भग. श. १६, उ. २ में वर्णन है कि अन्नग्रहण ग्रहण के प्रकारों को जानकर तीर्थंकर के शासन के सम्पूर्ण भिक्षुओं को भरतक्षेत्र में विचरने की और स्वामी रहित पदार्थों व स्थानों के उपयोग में लेने की शश्रेन्द्र आज्ञा देता है ।

इसीलिए ऐसे पदार्थों व स्थलों की आज्ञा ग्रहण करने की समाचारिक विधि है । जिसके लिए “शश्रेन्द्र की आज्ञा” अथवा “अणुजाणह जस्सुग्गहो” ऐसा उच्चारण किया जाता है ।

आचा. श्रु. २, अ. ७ में कहा है—अपने संभोगी साधु के उपकरण भी आज्ञा प्राप्त कर के ही ग्रहण करना चाहिए ।

सूय. श्रु १, अ. ३, प्रश्न. श्रु. २, अ. ३, उत्त. अ. १९ तथा अ. २५ आदि अनेक आगम पाठों में अदत्त ग्रहण करने का निषेध है ।

चतुर्थ महाव्रत के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त—

२१. जे भिक्खू लहसएण सीओदगविप्रडेण वा, उसिणोदगविपडेण वा हत्याणि वा, पायाणि वा, फण्णाणि वा, अच्छीणि वा, संताणि वा, णहाणि वा, मूहं वा, उच्छ्रोतेज्ज वा, पघोयेज्ज वा, उच्छ्रोलेतं वा पघोयेतं वा साइज्जइ ।

२१. जो भिक्षु अल्प अचित्त शीत या उष्ण जल से हाथ, पैर, कान, आँख, दाँत, नख या भुँह आदि को प्रक्षालित करता है, घोटा है या प्रक्षालन करने वाले का या धोने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—सूत्र १८-१९-२० में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय महाव्रत सम्बन्धी दोषों का प्रायश्चित्त कहा है । आगे के सूत्र २२-२३-२४ में पाँचवें महाव्रत सम्बन्धी दोषों का प्रायश्चित्त कहा है । अतः इस सूत्र में चौथे महाव्रत सम्बन्धी दोष का प्रायश्चित्त समझना चाहिए क्योंकि स्नान को 'कामांग' श्रीर ब्रह्मचर्य का दूषण कहा गया है अतः यहाँ देश-स्नान रूप प्रवृत्ति का प्रायश्चित्त है ।

भोजन करने के बाद मणिवन्ध पर्यंत लिप्त हाथों को धोना यहाँ प्रायश्चित्त योग्य नहीं है तथा मल-मूत्रादि के लेप युक्त पाँव आदि को धोकर साफ करना भी कल्प्य है ।

ये सामान्य कारण है । इसके सिवाय निष्कारण प्रक्षालन की प्रवृत्तियाँ निषिद्ध समझनी चाहिए । वे प्रवृत्तियाँ बाकुशी प्रवृत्तियाँ कही जाती हैं, उन्हीं का इस सूत्र से प्रायश्चित्त समझना चाहिए ।

कृत्स्न चर्म धारण का प्रायश्चित्त—

२२. जे भिक्खू कसिणाइं चम्माइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२२. जो भिक्षु अखण्ड चर्म धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भाष्यकार ने "कसिण के चार प्रकार बताये हैं । वे साधु को नहीं कल्पते हैं, प्रस्तुत सूत्र में" सकल-कसिण का प्रायश्चित्तविधान है, जिसका अर्थ अखण्ड पूर्ण चर्म होता है ।

शेष तीन प्रकार

१. प्रमाण "कसिण"—जूता आदि ।

२. वर्ण "कसिण"—उज्ज्वल (सुन्दर वर्ण वाला) पाँचों वर्ण में से किसी एक वर्ण युक्त ।

३. बंधण "कसिण"—आधा पाँव, पूरा पाँव, जंघा, घुटने, अंगुलियाँ आदि को बाँधने या सुरक्षा करने का चर्ममय उपकरण । इन तीन प्रकार के 'कसिण चर्मों' का प्रायश्चित्त विधान करना इस सूत्र का विषय नहीं है अर्थात् इनका प्रायश्चित्त गुरुमासिक आदि है । प्रस्तुत उद्देशक लघु मासिक प्रायश्चित्त का है ।

फिर भी भाष्यकार ने सभी विकल्प कह कर उनके प्रायश्चित्त के प्रकारों का भी विस्तृत वर्णन किया है । उसका पूर्ण परिशीलन करना प्रायश्चित्तदाता गीतार्यों के लिए बहुत उपयोगी है । किंतु आपवादिक परिस्थिति में औपग्रहिक उपकरण रूप में किन-किन चर्म-उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी भाष्य से करनी चाहिए ।

जिज्ञासु पाठक भाष्य चर्चि से अधिक समझ सकते हैं । यहाँ सामान्य जिज्ञासुओं के लिए सूत्रोक्त विषय का उपयोगी अंश ही अंकित किया है ।

कृत्स्न वस्त्र धारण का प्रायश्चित्त—

२३. जे भिखू कसिणाइं वत्याइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२३ जो भिक्षु 'कृत्स्न' वस्त्र धारण करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुभासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इस सूत्र के भाष्य में 'कृत्स्न' शब्द का विस्तृत अर्थ एवं विविध प्रकार के प्रायश्चित्त विधानों का कथन करके यह कहा है कि—

सुत्तनियातो कसिणे, चउत्विघे मज्झयम्मि वत्यम्मी ।

जहण्णे य मोल्लकसिणे, तं सेवंताम्मि आणादी ॥९६९॥

चार प्रकार के कृत्स्न वस्त्र

१. द्रव्यकृत्स्न, २. क्षेत्रकृत्स्न, ३. कालकृत्स्न, ४. भावकृत्स्न ।

द्रव्यकृत्स्न—श्रेष्ठ सुकोमल सूत्रों से बना वस्त्र,

क्षेत्रकृत्स्न—जिस क्षेत्र में जो वस्त्र बहुमूल्य होने से दुर्लभ हो,

कालकृत्स्न—जिस काल में जो बहुमूल्य वस्त्र दुर्लभ हो,

भावकृत्स्न—वर्ण से सुन्दर वर्ण वाला अथवा बहुमूल्य वस्त्र ।

प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार हैं—जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, यों चारह प्रकार के वस्त्र होते हैं—

जघन्य भावकृत्स्न का तथा जघन्य, मध्यम द्रव्य-क्षेत्र-काल कृत्स्न का सूत्रोक्त प्रायश्चित्त है ।

उत्कृष्ट द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकृत्स्न का लघु चौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

अठारह रुपये से कम मूल्य का वस्त्र जघन्य भावकृत्स्न है, अतः अठारह रुपये से कम मूल्य का वस्त्र साधु-साध्वियों को लेना कल्पता है ।

अठारह रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के मूल्य के सभी वस्त्र बहुमूल्य माने गए हैं । जो बहुमूल्य होता है वही वर्ण से अत्यन्त सुन्दर और मृदु स्पर्श वाला होता है ।

चारों प्रकार के कृत्स्न वस्त्र ग्रहण करने पर जो दोष लगते हैं, वे भाष्यकार ने इस प्रकार कहे हैं—

कसिणे चउत्विहम्मि जइ दोसा एवमाहणो होंति ।

उप्पज्जन्ते तम्हा, अकसिणगहणं ततो भणितं ॥९७२॥

भिण्णं, गणणाजुत्तं च, वध्यतो सेत्त कालतो उ चित्तं ।

मोत्तलहु वण्णहीणं च भावतो तं अणुणात्तं ॥९७३॥

चार प्रकार के अकृत्स्न वस्त्र

साधु—साध्वियों को अकृत्स्न-वस्त्र ही ग्रहण करना चाहिए ।

द्रव्य से अकृत्स्न—फलियाँ रहित वस्त्र,

क्षेत्र से अकृत्स्न—सर्वत्र मुलभ वस्त्र,
काल से अकृत्स्न—सर्वजनभोग्य वस्त्र,
भाव से अकृत्स्न—अल्पमूल्य वाला और आकर्षक वर्ण रहित वस्त्र ।

अभिन्न वस्त्र धारण का प्रायश्चित्त—

२४. जे भिखू अभिण्णाइं वत्याइं धरेइ, धरेंत वा साइज्जइ ।

२४. जो भिक्षु अभिन्न वस्त्र धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पूर्व सूत्र में “कृत्स्न वस्त्र लेने का तथा रखने का प्रायश्चित्त कहा है, इस सूत्र में “अभिन्न” वस्त्र लेने व रखने का प्रायश्चित्त कहा है ।

यहां अभिन्न का अर्थ ‘अखण्ड’ है । अखण्ड वस्त्र लेने से तथा रखने से निम्न दोष होते हैं—

१. विधिपूर्वक वस्त्र की प्रतिलेखना न होना ।
२. अधिक भार वाला वस्त्र होना ।
३. वस्त्र का चुराया जाना आदि ।

इसलिए साधु-साधिव्यों को आगमोक्त प्रमाणानुसार आवश्यक वस्त्र लेने चाहिये ।

पात्रपरिकर्म-प्रायश्चित्त—

२५. जे भिखू लाउयवायं वा, दाहपायं वा, मट्टियापायं वा, सयमेव परिघट्टेइ वा, संठवेइ वा जमावेइ वा परिघट्टेंत वा संठवेंत वा जमावेंत वा साइज्जइ ।

२५. जो भिक्षु तुंबपात्र, काष्ठपात्र, मृत्तिकापात्र का परिघट्टन, संठवण और “जमावण” स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—शब्दार्थ आदि प्रथम उद्देशक सूत्र ३० में देखें ।

साधु-साधिव्यों का स्वाध्याय ध्यानादि सभी प्रकार की आराधनाएं यथासमय करने में संलग्न रहना चाहिए, अनिवार्य परिस्थिति के बिना सभी प्रकार के पात्रपरिकर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि परिकर्म करना भी एक प्रकार का प्रमाद ही है ।

अत्यावश्यक परिकर्म विवेक पूर्वक करना चाहिए, अविवेक से परिकर्म करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

दण्ड आदि के परिकर्म करने का प्रायश्चित्त—

२६. जे भिखू दंडयं वा, लट्टियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूइयं वा, सयमेव परिघट्टेइ वा, संठवेइ वा, जमावेइ वा, परिघट्टेंत वा, संठवेंत वा जमावेंत वा साइज्जइ ।

२६. जो भिक्षु दण्ड, लाठी, अवलेहनिका और बांस की सूई का “परिघट्टण” “संठवण” “जमावण” स्वयं करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—परिघट्टण आदि का विवेचन उद्दे० १ सु० ४० में देखें ।

अन्य-गवेपित-पात्र ग्रहण का प्रायश्चित्त—

२७. जे भिबखू नियगगवेसियं पडिग्गहं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिबखू परगवेसियं पडिग्गहं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिबखू वरगवेसियं पडिग्गहं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिबखू बलगवेसियं पडिग्गहं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

३१. जे भिबखू लवगवेसियं पडिग्गहं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२७. जो भिक्षु स्वजन गवेपित पात्र को धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. जो भिक्षु अस्वजन गवेपित पात्र को धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२९. जो भिक्षु प्रधान पुरुष द्वारा गवेपित पात्र को धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३०. जो भिक्षु बलवान् गवेपित पात्र को धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३१. जो भिक्षु लव गवेपित पात्र को धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उत्ते लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—१. नियग—पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ।

२. पर—अन्य श्रावक आदि के द्वारा ।

३. वर—प्रधान व्यक्ति—ग्राम, नगर आदि के प्रमुख व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति या पदवीप्राप्त—सरपंच आदि के द्वारा ।

४. बलवान्—शरीर से या प्रभुत्व से शक्तिसम्पन्न के द्वारा ।

५. लव—दान का फल आदि बताने पर प्राप्त किया गया ।

साधु-साध्वियों को पात्र आदि स्वयं गवेपणा करके प्राप्त करना चाहिए, अन्य से गवेपणा करवाकर के प्राप्त करने में अनेक दोष लगने की सम्भावना रहती है । अतः दाता की भावना की समझकर अदीनदृष्टि से स्वयं विधिपूर्वक गवेपण करे । अन्य की गवेपणा का पात्र ग्रहण करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

दोषों की भीर प्रायश्चित्तों की विस्तृत जानकारी के लिए निनीधचूनि देखें ।

अग्रपिंड ग्रहण प्रायश्चित्त—

३२. जे भिवखू नितियं अर्गापिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३२. जो भिक्षु नित्य—अग्र-पिंड-प्रधानपिंड अर्थात् निमन्त्रण देकर नित्य दिया जाने वाला आहार भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—दशवैकालिक अ. ३ में 'नियार्गापिंड' नामक जो अनाचार कहा गया है उसी का प्रायश्चित्त इस सूत्र में कहा है ।

नियार्गापिंड के पर्यायवाची शब्द

- | | |
|--------------------|--------------------|
| १. नितिय अर्गापिंड | २. निइय अर्गापिंड, |
| ३. निइयग्ग पिंड, | ४. नियार्गापिंड, |
| ५. नियार्गापिंड । | |

नियार्गापिंड की व्याख्या के अनुसार १. निमन्त्रणापिंड, २. निकायणापिंड ३. नित्याग्रपिंड, ४. नित्य अग्रपिंड, ये सब नियार्गापिंड के समानार्थक हैं । इन सबका अर्थ है—'नित्य नियमित निमन्त्रण पूर्वक दिया जाने वाला आहार ।'

“आप प्रतिदिन मेरे घर पर भिक्षा लेने के लिए नियमित पधारें ।” जो गृहस्थ साधु-साधवियों को इस प्रकार निमन्त्रण देता है उसके यहाँ से आहार लेने पर उन्हें लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है । भले ही वह आहार उसके निजी उपयोग के लिए ही बना हो । यह भाष्य और चूणिकार का अभिप्राय है ।

जिस गृहस्थ के यहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से श्रेष्ठ सरस आहार का दान दिया जाता है वह गृहस्थ निमन्त्रण दे या न दे उसके यहाँ से आहार लेने पर भी सूत्रोक्त लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

अग्रपिंड का भी चूणिकार नित्य निमन्त्रितपिंड अर्थ करते हैं तथा उसके अनेक विकल्प एवं उससे होने वाले दोषों को समझाकर कहते हैं कि “तस्मान्निमन्त्रणादि पिंडो वज्यः कारणे पुण निकायणा पिंडं गेण्हेज्ज” । गीतत्यो पणम परिहाणिए जाहे मासलहं पत्ते ताहे णीयर्गापिंडं गेण्हंति ॥

व्याख्याकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गवेपणा के सभी दोष टालकर निमन्त्रण व नियमितता के अभाव में दो चार दिन लगातार भी एक घर से आहार लेना दोष नहीं है । अर्थात् वह नियार्गापिंड नाम का अनाचार नहीं है ।

दानपिंड प्रायश्चित्त—

३३. जे भिवखू नितियं पिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३४. जे भिवखू नितियं-अवड्ढभागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३५. जे भिवखू नितियं भागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३६. जे भिवखू नितियं उवड्ढभागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३३. जिन कुलों में तैयार किया गया सम्पूर्ण आहार प्रतिदिन दान में दिया जाता है, उस आहार को लाकर जो भिक्षु भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

३४. जिन कुलों में तैयार किये गये आहार का आधा भाग प्रतिदिन दान में दिया जाता है, उस आहार को लाकर जो भिक्षु भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जिन कुलों में तैयार किये गये आहार का तीसरा भाग प्रतिदिन दान में दिया जाता है, उस आहार को लाकर जो भिक्षु भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

३६. जिन कुलों में तैयार किये गये आहार का छठवा भाग प्रतिदिन दान में दिया जाता है, उस आहार को लाकर जो भिक्षु भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इन सूत्रों के शब्दार्थ की सूचक भाष्य गाथा—

पिंडो खलु भक्तदो अवड्ढ पिंडो तस्त जं अदं ।

भागो तिभागमादि, तस्तद्वमुवड्ढभागो य ॥ १००९ ॥

इस गाथा के आधार से ही यहाँ मूल पाठ का अर्थ दिया गया है ।

पुरोहितादि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नित्य निमन्त्रणपूर्वक दिया जाने वाला विशिष्ट आहार यदि साधु-साध्वी लें तो उन्हें लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है । यह विधान ३२ वें सूत्र में किया गया है और इन चारों सूत्रों में नित्य दान देने वाले कुलों से दान का आहार लेने का कथन है ।

साधारण व्यक्तियों के लिए दिया जाने वाला साधारण आहार यदि साधु-साध्वी लें तो उन्हें लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

आचारांगसूत्र श्रु. २ अ. १ उ. १ में प्रतिदिन भोजन का कुछ भाग दान दिए जाने वाले कुलों में साधु-साध्वियों को आहार के लिए जाने का सर्वथा निषेध है और यहाँ उसी के ये चार प्रायश्चित्त सूत्र हैं । आचारांग का पाठ इस प्रकार है—

‘से जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा, इमेसु खलु कुलेसु नितिंए पिंडे दिज्जइ, नितिंए अग्गपिंडे दिज्जइ, नितिंए भाए दिज्जइ, नितिंए अवड्ढभाए दिज्जइ, तहप्पगाराइं कुलाइं नितिंयाइं नितिपो-यमाणाइं, णो भत्ताए वा पाणाए वा, पथिसेज्ज वा निक्खमेज्ज वा’ ।

ऐसे कुलों में आहार के लिए जाने से दान में अन्तराय आती है तथा पश्चात्कर्म दोष लगता है क्योंकि दूसरी बार आहार बनाया जाने पर आरम्भजा हिंसा होती है ।

प्रतिदिन पूर्ण भोजन का दान करने वाले कुलों का आहार ‘नित्यपिंड’ कहा जाता है । इस प्रकार का नित्यपिंड लेने वाले साधु-साध्वियों को सूत्रोक्त लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इस आचारांगसूत्र वर्णित “नित्य-पिंड” से दशवैकालिकसूत्र वर्णित ‘नियोगपिंड अनाचार’ भिन्न है । नियोगपिंड अनाचार को आचारांगसूत्र तथा निशीथसूत्र में ‘नित्य अग्रपिंड’ कहा गया है । व्याख्याकारों ने नियोगपिंड और नित्य अग्रपिंड को एकार्थक बताया है ।

वर्तमान प्रणाली में नित्यदान पिंड दोष से तथा नियोगपिंड अनाचार से भिन्न ‘नित्यपिंड

अनाचार' माना जाता है। उसका अर्थ भी दोनों के अर्थ से भिन्न किया जाता है, जिसका कि कोई प्राचीन आधार नहीं है।

नियार्गपिंड की व्याख्या के विषय में आचारांग, दशवैकालिक तथा निशीथसूत्र के व्याख्याकार एक मत हैं। यथा—

नियामं-प्रतिनियतं जं निबंधकरणं, ण तु जं अहासमावत्तोए दिणेदिणे भिव्खागहणं ।

—दश. अ. ३ चूर्णि [अगस्त्यसिंहसूरि]

“नियामं” नित्यामंत्रितस्य पिंडस्य ग्रहणं न तु नित्यं अनामंत्रितस्य ।”

—दश. अ. ३ टीका—हरिभद्रिय

“आमंत्रितस्य पिंडस्य ग्रहणम् ।” —आचा. श्रु. २, प्र. १ उ. १ दीपिका

नित्यपिण्ड की प्रचलित मान्यता यह है कि “आज जिस घर से साधु या साध्वियाँ आहार-पानी लें उस घर से दूसरे दिन वे और उनके साम्भोगिक साधु-साध्वी आहार पानी न लें” किन्तु आगमों के वर्णकों में वर्णित ‘समूह विहार’ तथा प्रत्येक संघाडे की विभक्त गोचरी के वर्णनों से भी वर्तमान में प्रचलित नित्यपिण्ड की व्याख्या संगत सिद्ध नहीं होती।

प्राचीन काल में पांच सौ या हजार साधुओं के साथ श्रमणों का समूह-विहार होता था।

यथा—रायपसेणी में वर्णित—केशीकुमार श्रमण का विहार “पंचाह् अणगारसएहि सद्धि संपरिचुडे” पांच सौ अणगारों के साथ होता था।

जाताधर्मकथा अ. ५ में वर्णित थावच्चापुत्र अणगार का विहार “सहस्सेणं अणगारेणं सद्धि पुट्वाणुपुट्ठिय चरमाणे” एक हजार अणगारों के साथ होता था।

उनमें से दो-दो साधु के सौ संघाडे भी यदि आहार-पानी करने वाले हों तो किस गृहस्य के घर से किस अणगार ने किस दिन आहार-पानी लिया है, यह सबकी स्मृति में रहना सम्भव नहीं लगता।

जिस दिन जिस संघाडे ने जिस घर से आहार-पानी लिया है दूसरे दिन उसी घर से अन्य संघाडे द्वारा आहार-पानी लेना प्रायः सम्भव है बल्कि अंतगडमूत्र वर्णित अनीकसेन आदि के समान उसी दिन भी लेना सम्भव रहता है।

ऐसी स्थिति में दश. अ. ३, गाथा. २ की टीका में उक्त नियार्गपिण्ड की तथा निशीथ उद्दे. २ में उक्त नित्यअप्रपिण्ड की चूर्णि एवं भाष्य की व्याख्या के अनुसार—“आदर पूर्वकः निमंत्रण पाकर साधु यदि प्रतिदिन एक ही घर से आहार-पानी ले तो नियार्गपिण्ड है और निमंत्रण बिना कई दिन लगातार एक घर से शुद्ध गवेषणा पूर्वक आहार-पानी ले तो नियार्गपिण्ड नहीं है” यह व्याख्या ही उपयुक्त है और प्राचीन काल के समूह विहार तथा प्रत्येक संघाडे की विभक्त गोचरी और ग्रहीत आहार अन्य को निमंत्रण करने की पद्धति से भी उचित एवं संगत होती है।

नित्य निवास प्रायश्चित्त—

३७. जे भिषू “नितियं वासं” वसइ वसंतं वा साइज्जइ ।

३७. जो भिक्षु मासकल्प व चातुर्मासकल्प की मर्यादा को भंग करके नित्य एक स्थान पर रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—कल्प-मर्यादा के सम्बन्ध में आचा. श्रु. २, अ. २, उ. २ के अनुसार दो क्रियाएँ दोषरूप कही गई हैं—१. कालातिक्रान्त क्रिया २. उपस्थान क्रिया ।

कालातिक्रान्त क्रिया

एक क्षेत्र में एक मासकल्प (२९ दिन) रहने के बाद भी वहाँ से विहार न करे तथा एक क्षेत्र में चातुर्मासकल्प (आषाढ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक) रहने के बाद भी वहाँ से विहार न करे तो 'कालातिक्रान्त क्रिया' नामक दोष लगता है ।

उपस्थान क्रिया

एक क्षेत्र में एक मासकल्प रहने के बाद दो मास अन्यत्र विताये बिना वहाँ आकर रहे तो तथा एक क्षेत्र में चातुर्मासकल्प रहने के बाद आठ मास अन्यत्र विताये बिना वही आकर रहे तो 'उपस्थान क्रिया' नामक दोष लगता है ।

इन दोनों क्रियाओं का सेवन करना ही 'नित्यवास' माना गया है, इसी नित्यवास का मूत्रोक्त लघुमास प्रायश्चित्त है ।

नित्यवास-निषेध एवं उसके प्रायश्चित्त-विधान का मूल हेतु यह है कि अकारण निरन्तर नित्यनिवास से अतिपरिचय होता है, उससे श्रवज्ञा या अनुराग दोनों हो सकते हैं और रागवृद्धि से चारित्र्य को स्थलना होना अनिवार्य है । इसलिए मासकल्प या चातुर्मासकल्प से दुगुना काल अन्यत्र विचरना अत्यावश्यक है ।

दशवैकालिक द्वितीय चूलिका गाथा. ११ के अनुसार चातुर्मासकल्प वाले क्षेत्र में एक वर्ष पर्यन्त पुनः न जाने की कालगणना इस प्रकार है—

चातुर्मासकल्प के चार मास, उससे दुगुना आठ मास बीतने पर पुनः चातुर्मासकल्प आ जाने से तिगुना काल हो जाता है । इस कल्पमर्यादा का पालन आवश्यक है ।

आगमों में कल्प उपरान्त रहने का कहीं भी प्रापवादिक विधान उपन्यस्त नहीं है, किन्तु यहाँ भाष्य गाथा १०२१-१०२४ तक ग्लान श्रवस्था आदि परिस्थितियों में तथा शानादि गुणों की वृद्धि हेतु नित्यवास को दोष रहित कहा है तथा उस भिक्षु को जिनाज्ञा एवं गंयम में स्थित माना है ।

नित्यनिवास को विस्तृत व्याख्या जानने के लिए भाष्य देखें ।

पूर्व-पश्चात् संस्तव-प्रायश्चित्त—

३८. जे भिषू पुरेसंयवं वा, पच्छासंयवं वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु भिक्षा लेने के पहले या पीछे दाता की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पूर्व-पश्चात्संस्तव दोष, उत्पादन के सोलह दोषों में है। इस दोष को सेवन करने वाले साधु-साध्वियों को लघुमास का प्रायश्चित्त आता है।

पूर्वसंस्तव—भिक्षा ग्रहण करने से पूर्व भिक्षादाता की प्रशंसा करना 'पूर्वसंस्तव' दोष है। इसके पीछे साधु का संकल्प यह होता है कि 'प्रशंसा करने से वह श्रेष्ठ सरस आहार देगा'।

कई साधु-साधवियां दाता की प्रशंसा न करके अपनी ही प्रशंसा करते हैं। वे अपने जाति-कुल की, ज्ञान, ध्यान की या तप आदि की चमत्कार भरी गरिमा बताने के प्रभावित करते हैं जिससे उन्हें सदा सम्मानपूर्वक यथेष्ट आहार मिलता रहे और परिचय बना रहे।

पश्चात्संस्तव

भिक्षा ग्रहण करने के बाद दाता की प्रशंसा करना 'पश्चात्संस्तव' दोष है। ऐसा करने में साधु का तात्पर्य यह होता है कि 'बाद में जब कभी भिक्षा के लिए आँवें तब भक्तिभाव पूर्वक आहार मिलता रहे। इस प्रकार आहारप्राप्ति के लिए दाता की प्रशंसा करना साधु की निस्पृहवृत्ति को दूषित करना है इसलिए दाता की ऐसी प्रशंसा न करें।

धार्मिक संस्कार वृद्धि हेतु सुपात्र दान का स्वरूप, विधि तथा उसका फल बताना, धर्म-जागृति बढ़ाना जिससे भक्तिभाव बढ़े तो वह दोष रूप नहीं होकर गुण रूप ही होता है, उससे तो धर्मप्रभावना तथा निर्जरा होती है।

भिक्षाकालपूर्व स्वजन-गृहप्रवेश प्रायश्चित्त—

३९. जे भिखू समाने वा वसमाने वा गामाणुगामं वा दूइज्जमाणे पुरे संयुयाणि वा, पच्छा संयुयाणि वा कुलाइं पुव्वामेव भिक्खायरियाए अणुप्पविससइ अणुपविससं वा साइज्जइ ।

३९. जो .मनु स्थिरवास रहा हुआ हो, मासकल्प आदि रहा हुआ हो या ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कहीं पहुँचा हो, वहाँ पर अपने पूर्व परिचित या पश्चात् परिचित कुलों में भिक्षा काल के पूर्व ही प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—जिस क्षेत्र में किसी स्थिरवासी स्यविर भिक्षु के, किसी मासकल्पवासी भिक्षु के या किसी ग्रामानुग्रामविहारी भिक्षु के पितृ-मातृ पक्ष के अथवा भ्रसुर पक्ष के स्वजन परिजन रहते हों तो उसे वहाँ भिक्षाकाल के पूर्व भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि जावे तो लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।

भिक्षाकाल के पूर्व जाकर पुनः भिक्षाकाल में जाने से श्रीदेशिक, श्रौत आदि दोषों के लगने की सम्भावना रहती है।

इसी प्रकार वहाँ कहीं साधु-साधवियों के रागानुबन्ध वाले गृहस्थ रहते हों तो वहाँ भी भिक्षा-काल के पूर्व जाकर पुनः भिक्षाकाल में जाने से पूर्वोक्त दोष लगने की सम्भावना रहती है।

भिक्षु भिक्षाकाल के पूर्व उक्त कुलों में जाता है तो उसके मन में यह संकल्प रहता है कि "पहले जाने से ये लोग मेरे लिए कुछ विशेष सामग्री बनाएंगे और मैं पुनः भिक्षाकाल में जाकर

यथेष्ट आहारादि ले आरुंगा”, इस तथ्य को लक्ष्य में रखकर ही सूत्रोक्त प्रायश्चित्त का विधान है तथा इस विषय का निषेध आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ९ में किया गया है।

अन्यतीर्थिक आदि के साथ भिक्षाचर्यादि-गमन-प्रायश्चित्त—

४०. जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धि-गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविसइ, अणुपविसंतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धि यहिया विहारभूमि वा विचारभूमि वा निखमइ वा पविसइ वा णिखमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ ।

४२. जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धि गामाणुगामं दूइज्जइ, दूइज्जंतं वा साइज्जइ ।

४०. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक साधु अपारिहारिक साधु के साथ गायपति कुल में आहारप्राप्ति के लिये निष्क्रमण-प्रवेश करता है या निष्क्रमण-प्रवेश करने का अनुमोदन करता है।

४१. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक साधु अपारिहारिक साधु के साथ विहारभूमि या विचारभूमि में निष्क्रमण-प्रवेश करता है या निष्क्रमण-प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

४२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक साधु अपारिहारिक साधु के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्ते लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—१. अन्यतीर्थिक—घ्राजीयक, चरक परिव्राजक शाक्य आदि।

२. गृहस्थ—भिक्षाजीवी गृहस्थ अर्थात् शनिवार आदि निश्चित दिन भिक्षा करने वाला।

३. पारिहारिक—गवेषणा-दोषों का पूर्ण ज्ञाता और गवेषणा के दोष न लगाने वाला।

४. अपारिहारिक—गवेषणा-दोषों का ज्ञाता होते हुए भी प्रमादवश दोष लगाने वाला।

भिक्षाकाल में भिक्षु के साथ उसी भिक्षु का जाना उचित है जो गवेषणा के सभी दोषों का पूर्ण ज्ञाता हो, अन्य व्यक्तियों का साथ में जाना सर्वथा अनुचित है।

इसी आशय को लक्ष्य में रखकर यहाँ अन्यतीर्थिक के साथ, भिक्षाजीवी गृहस्थ के साथ तथा स्वतन्त्र अपारिहारिक के साथ जाने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त विधान किया गया है।

अन्यतीर्थिक आदि के साथ जाने से भिक्षादाता के मन में भी अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं।

वह सोचता है—पहले श्रमण निषेध्य को भिक्षा दूँ या जिनके साथ ये घ्राए हैं इन्हें पहले दूँ?

श्रमण निषेध्य को कंसा आहार दूँ और इन्हें कंसा आहार दूँ?

अन्यतीर्थिक आदि के साथ श्रमण निषेध्य क्यों प्राये?

श्रमण निषेध्य तो स्वयं महान् हैं। ये स्वयं आते तो क्या मैं इन्हें भिक्षा नहीं देना?

इत्यादि।

ऊपर कहे गए इन तीनों सूत्रों का भाव यह है कि लोकव्यवहार या लोकापवाद को लक्ष्य में रखकर श्रमण को अन्यतीथिक, गृहस्थ या अपारिहारिक के साथ नहीं आना-जाना चाहिए।

हर जगह इनके साथ जाने-आने से देखने वालों के मन में कई विकल्प उत्पन्न होते हैं।

कुछ लोग सोचते हैं—“निर्ग्रन्थ श्रमणों की चर्या और अन्यतीथिकादि की चर्या भिन्न-भिन्न है फिर भी इनके साथ क्यों आते-जाते हैं?”

कुछ लोग सोचते हैं—“ये श्रमण और ये अन्यतीथी केवल वेप से भिन्न-भिन्न दिखाई देने हैं, अन्तरंग तो इनका समान प्रतीत होता है अतएव ये सदा साथ रहते हैं।”

अपारिहारिक प्रायः दोपसेवी होता है इसलिए जन साधारण में इसकी श्रमणचर्या प्रसंशनीय नहीं होती अतः उसके साथ आने जाने से पारिहारिक श्रमण की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है।

इन कारणों से ही अन्यतीथिकादि के साथ श्रमण का आना-जाना लघुमासिक प्रायश्चित्त योग्य कहा है।

मनोज्ञ जल पीने और अमनोज्ञ जल परठने का प्रायश्चित्त—

४३. जे भिक्खू अण्णयरं पाणगजायं पडिगाहिता पुप्फं पुप्फं आइयइ कसायं कसायं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

४३. जो भिक्षु अनेक प्रकार के प्रासुक पानी को ग्रहण करके अच्छा-अच्छा पीता है और खराब-खराब परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—साधु साध्वियाँ एपणा के सभी दोप टालकर प्राप्त किये गए निर्दोष पानी का ही उपयोग करते हैं। आगमों में ऐसे पानी को अचित्त एपणीय या प्रासुक कहा गया है। साधारण भाषा में घोबन पानी, गरम पानी, या प्रासुक पानी भी कहते हैं।

आचारांग आदि में ऐसे पानी अनेक प्रकार के कहे गए हैं। गृहस्थों के घरों में पानी लेते समय लेने वालों को विवेक पूर्वक पानी सम्यग्धी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

यथा—“यह पानी अब तक अचित्त हुआ या नहीं? अर्थात् कितने देर पहने का बना हुआ है?

यह पानी किस प्रकार बना है? अर्थात् किन पदार्थों के प्रयोग से अचित्त बना है?

यह पानी किसने किस कार्य के लिए बनाया है? यह पीने योग्य है? इसके पीने से प्यास शान्त होगी?

यह पानी भेरी शारीरिक स्थिति के अनुकूल है या नहीं?” इत्यादि विवेकपूर्वक जानकारी आवश्यक है।

दश. अ. उ. १, गा. ८१ में बताया है कि पानी देखने पर कुछ प्रतिकूल नगे तो परग्रने के लिए अंजलि में थोड़ा सा पानी ले और उसे मुँह में लेकर चरे, यदि पीने योग्य प्रतीत हो तो घोर लें ले। पीने योग्य न हो तो न ले। ऐसा पानी भूल से ग्रहण हो जाय तो परठ देना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में यो विशेष शब्द हैं—

१. पुष्पं, २. कसायं ।

जिस पानी का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श प्रशस्त हो उसकी यहाँ “पुष्प” संज्ञा है ।

जिस पानी का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श अप्रशस्त हो उसकी यहाँ “कसाय” संज्ञा है ।

जो पानी पुष्प—मधुर है उसे अलग पात्र में लेना चाहिए और जो कसाय हो उसे अलग लेना चाहिए ।

ऐसे विभिन्न प्रकार के पानी अलग-अलग पात्रों में लाना और ध्यानना चाहिए ।

पहले कसाय पानी को पीना चाहिए बाद में अच्छे पानी को ।

रसासक्ति से मनोज्ञ पानी पी लेने पर और अमनोज्ञ को परठ देने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

जो पानी केर, करेला, मीथी, बेसन आदि से निष्पन्न हो वह कसाय होता है ।

दूध आदि सुस्वादु तथा सुगन्धी पदार्थों का पानी मनोज्ञ होता है तथा शुद्धोदक एवं उष्णोदक भी मनोज्ञ होता है ।

स्वस्थ साधु को अनेक प्रकार के प्रासुक जल पीने में अग्लान भाव रखना चाहिए ।

अति कसाय पानी न पिया जा सके तो उसे परठने का प्रायश्चित्त नहीं है ।

मनोज्ञ भोजन खाने और अमनोज्ञ परठने का प्रायश्चित्त—

४४. जे भिषखू अण्णयरं भोयणजायं पडिगाहिता सुद्धिं सुद्धिं भुंजइ, दुद्धिं दुद्धिं परिट्ठयेइ, परिट्ठयेतं वा साइज्जइ ।

४४ जो भिक्षु विविध प्रकार का आहार ग्रहण करके सरस-सरस खाता है और नीरस-नीरस परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पूर्व सूत्र के अनुसार इस सूत्र में भी आगमिक शैली से ‘सुद्धिं सुद्धिं’ शब्द का प्रयोग है ।

चूणि में—सुद्धिं—गुभं, दुद्धिं—असुभं अर्थ किया है ।

भाष्य गाथा में—

यण्णेण थ गंधेण थ, रसेण फानेण जं तु उययेतं ।

तं भोयणं तु सुद्धिं, तद्वियवरीयं भजे दुद्धिं ॥ १११२ ॥

वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से युक्त आहार को ‘सुद्धिं’ समझना और इससे विपरीत-वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से हीन आहार को ‘दुद्धिं’ समझना चाहिए ।

१. पुष्पं—अच्छं—वर्णगंधरसोपपेतं—पहाणं—सुद्धिं—गुभं—अहमं—अणुण्यं ।

२. कसायं—कलुपं—स्पर्शप्रतिबोधं—अप्पहाणं—अहयं—दुद्धिं—अगुभं—अणुण्यं—अमणुण्यं ।

इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग समझना चाहिये । शेष विवेचन सूत्र ४३ के समान है । आहार की आसक्ति से आहार संबंधी अनेक दोष लगने की सम्भावना रहती है ।

विषमिश्रित, अभिमंत्रित और दोषयुक्त आहार का ज्ञान होने पर परठने का प्रायश्चित्त नहीं है ।

भाष्य में दोनों [४३-४४] सूत्रों की व्याख्या में दृष्टांत देकर सूत्रोक्त भाव समझाये गये है ।

अवशिष्ट आहार-अनिमंत्रण-प्रायश्चित्त—

४५. जे भिक्खू मणुणं भोयणजायं पडिगाहेत्ता बहुपरियावणं सिया, अदूरे तत्य साहम्मिया, संभोइया, समणुण्णा, अपरिहारिया संता परिवसंति, ते अणापुच्छिय अणामंतिय परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

४५. मनोज्ञ आहार-ग्रहण कर लेने के बाद ज्ञात हो जाए कि अधिक है, इतना नहीं खाया जा सकता किन्तु परठना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में यदि अन्यत्र समीप में ही कोई साधमिक, संभोगी, समनोज्ञ या अपरिहारिक साधु हों तो उनको पूछे बिना और निमंत्रित किये बिना परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—१. मनोज्ञ—यहां मनोज्ञ का आशय है मधुर तथा रुचिकर आहार ।

२. भोयणजायं—सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ ।

३. बहुपरियावणं—आहार करने के बाद बचा हुआ आहार ।

४. अदूरे—समीप के उपाश्रय में अथवा उपनगर के उपाश्रय में ।

५. साहम्मिया—समान श्रुत एवं चारित्र्य धर्म वाले अथवा—समान अनगर धर्म वाले—समान लिंग एवं समान प्ररूपणा वाले ।

६. संभोइया—परस्पर आहार-पानी का आदान-प्रदान करने वाले ।

७. समणुण्णा—समान समाचारी वाले एवं परस्पर स्नेह सद्भाव वाले या शुद्ध व्यवहार वाले—समाज से अवहिष्कृत भिक्षु ।

८. अपरिहारिया—जो प्रायश्चित्तप्राप्त न हो ।

जो भिक्षु भिक्षाचर्या में गवेषणा-कुशल होता है, समयज्ञ होता है, स्वयं तथा साथी मुनि की आहार की मात्रा जानने वाला होता है—उसे ही गोचरी जाने की आज्ञा दी जाती है ।

मनोज्ञ आहार हो, पर्याप्त हो, दाता हो, फिर भी वह अपनी और साथी साधुओं की आवश्यकता के अनुसार तथा संयमी जीवन के अनुकूल आहार ग्रहण करता है, नोभ, आसक्ति या अविवेक से आहारादि ग्रहण नहीं करता है, तो भी आहार कर लेने के बाद कभी कुछ आहार बच जाए तो उस आहार का उपयोग करने की विधि इस सूत्र में कही गई है ।

समीप के किसी उपाश्रय में जहां साधमिक सांभोगिक या समनोज्ञ साधु हों यहां वह बचा आहार लेकर जावे और उन्हें कहे कि हमारे यह बचा हुआ आहार है, आप इसका उपयोग करें ।

यदि वे न लें तो उसे एकान्त में ले जाकर प्रामुख भूमि पर परठ दे ।

समीप के उपाध्यय में विद्यमान साधुओं को वचा हुआ आहार दियाये बिना तथा उपयोग में लेने का कहे बिना यदि कोई परठ दे तो उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।

सूत्र में सांभोगिक आदि तीन विशेषण प्रयुक्त हैं तथापि यहाँ सांभोगिक की प्रमुखता है। मत यदि निकट में असांभोगिक साधु हो तो उन्हें निमंत्रण किये बिना अक्षानादि के परठ देने पर मूत्रोत्सर्ग प्रायश्चित्त नहीं आता है।

शय्यातर पिंड-प्रायश्चित्त—

४६. जे भिषछू सागारियर्यापिंडं गिण्हइ, गिण्हंतं वा साइज्जइ ।

४७. जे भिषछू सागारियर्यापिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

४६. जो भिक्षु शय्यातर पिंड ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

४७. जो भिक्षु शय्यातरपिंड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्तम लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—भाग्यों में तथा व्याख्याग्रन्थों में अनेक दोषों की सम्भावना से शय्यातरपिंड के निषेध पर विशेष बल दिया है। यहाँ भी विशेषता व्यक्त करने के लिये इन दोनों सूत्रों में प्रायश्चित्त-विधान किया गया है और कुल ४ सूत्रों (४६-४९) में इसके प्रायश्चित्त का प्ररूपण किया गया है तथा—ठाण्णंगसूत्र के पांचवें स्थान में गुरु प्रायश्चित्त स्थान के संग्रहीत बोलों में भी इसका फलन है।

अर्थभेद या प्रयोगभेद से शय्यादाता के ५ पर्यायवाची शब्द हैं, यथा—१. सागारिय, २. शय्याकर, ३. शय्यादाता, ४. शय्याघर, ५. शय्यातर।

प्रस्तुत सूत्र में "सागारिक" शब्द का प्रयोग हुआ है। अन्य भाग्यों में शय्यातर व सागारिक शब्द का प्रयोग भी हुआ है।

भाष्य में इस विषय का विभाजन नव द्वारों में करके विस्तारपूर्वक कहा गया है, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१. शय्यातर कौन होता है ?

'प्रमु और प्रभुसंदिष्ट, शय्यातर होता है। इसी आशय का कथन आचारंगसूत्र में भी है यथा—'जे तत्थ ईसरे जे तत्थ समहिट्ठाए' जो मकान का मातिक है या जित के अधिकार में मकान है अर्थात् जो अधिष्ठाता है। उसकी आज्ञा लेकर ठहरना चाहिए।

बृहत्संस्तपसूत्र उ. २ में बताया है कि मातिक भी अनेक हो सकते हैं और अधिष्ठाता भी अनेक हो सकते हैं। उनमें से किसी एक को आज्ञा लेकर उसे शय्यातर मानना और उनकी वस्तु को शय्यातरपिंड समझ कर ग्रहण नहीं करना। अन्य अधिष्ठाताओं या मातिकों के यहाँ से आहारादि लिये जा सकते हैं।

२. शय्यातरपिंड १२ प्रकार का होता है

१. ध्यान, २. पान, ३. चाय, ४. स्वाद्य, ५. वस्त्र, ६. पात्र, ७. कंयन, ८. रजोहरण, ९. मूर्ति, १०. मत्तरणी, ११. नग्यदेदनक, १२. कर्पणोद्यनक। यहाँ औपम्य भेद की धारणा बिना नहीं की

गई है। अतः दो और जोड़ने से १४ भेद होते हैं। इन भेदों के संक्षेप में दो भेद होते हैं—१. आहार, २. उपधि।

आहार के ६ भेद और उपधि के आठ भेद करने से कुल चौदह भेद होते हैं और एक अपेक्षा से १२ प्रकार होते हैं तब औपघ-भेषज शय्यातरपिंड नहीं होते हैं।

३. तूण, डगल, राख, मल्लग (मिट्टी का सिकोरा), शय्या, संस्तारक, पीढा और पात्रलेपादि वस्तु शय्यातरपिंड नहीं कहलाती है।

उपलक्षण से अन्य उपकरणों को भी शय्यातरपिंड समझ लेना चाहिए, यथा—चश्मा, पेंसिल, पेंसिल छोड़ने का साधन, पेन आदि तथा पढ़ने के लिये पुस्तक या फर्नीचर की सामग्री आदि को शय्यातरपिंड नहीं समझना चाहिये।

४. शय्यातर का कोई सदस्य दीक्षा ग्रहण करने के लिये आवश्यक उपधि एवं आहार लेकर आवे तो वह शिष्य शय्यातर के परिवार का होते हुए भी ग्रहण किया जा सकता है।

शय्यातर कब होता है—आज्ञा ग्रहण करने के बाद उपाश्रय में आहार, उपकरण रखने पर शय्यातर कहलाता है अर्थात् उसके बाद उसका आहारादि ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

शय्यातर का मकान छोड़ने के बाद कब तक शय्यातर समझना ?

१. यदि एक रात्रि भी नहीं रहे केवल दिन में ही कुछ समय रहना हुआ तो मकान छोड़ने के बाद शय्यातर नहीं रहता।

२. यदि एक या अनेक रात्रि रहने के बाद मकान छोड़ा हो तो आठ प्रहर तक उसे शय्यातर समझकर उसके यहाँ से आहारादि नहीं लेना चाहिये।

३. एक मंडल में बैठकर आहार करनेवाले श्रमण यदि अनेक मकानों में ठहरे हों तो उनके सभी मालिक शय्यातर समझने चाहिए।

यदि कोई श्रमण स्वयं का लाया हुआ आहार करनेवाले हों तो वे अपने शय्यातर को और आचार्य के शय्यातर को अपना शय्यातर समझें।

४. शय्यातरपिंड ग्रहण करने से तीर्थंकर भगवान् की आज्ञाभंग का दोष लगता है, लौकिक व्यवहार में यह रूढ है कि जिसके घर पर अतिथि ठहरते हैं वे उसी के यहाँ का भोजन करते हैं। साधु भी यदि ऐसा करे तो उद्गम आदि दोषों की संभावना दृढ़ हो जाती है। शय्यातर की दान भावना में कमी आ सकती है। क्योंकि शय्या मिलना वैसे ही दुर्लभ होता है तब ऐसा करने से शय्या की दुर्लभता और भी बढ़ सकती है।

५. आपवादिक परिस्थिति में किस क्रम से शय्यातरपिंड ग्रहण करना आदि श्रेय विवेचन जानने के लिए भाष्य का अवलोकन करना आवश्यक है।

शय्यातर के घर को जानकारी नहीं करने का प्रायश्चित्त—

४८. जे भिक्खु सागारियकुलं अजाणिय अपुच्छिय अगवेत्तिय पुव्वामेय पिट्ठायय-पट्ठियाए अणुपयिसइ अणुपविसंतं वा साइज्जइ।

४८. जो भिक्षु शय्यातर का घर जाने बिना, पूछे बिना या गवेषणा किये बिना ही गोनरी के लिए घरों में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्ते लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—१. सागारियकुलं—शय्यातर का घर।

२. अजाणिय—साधारण जानकारी अर्थात् शय्यातर का नाम क्या है तथा उसका पता किधर है ऐसा जाने बिना।

३. अपुच्छिय—विशेष जानकारी करना अर्थात् शय्यातर के गौरव को जानकारो करना, शय्यातर के नाम बाना एक ही है या अनेक है, यह जानना और उसके घर का पता जानना पृच्छता है। ऐसी पूछताछ किये बिना।

४. अगर्वेसिय—घर को प्रत्यक्ष देखे बिना, शय्यातर को भी प्रत्यक्ष देखे बिना उत्ते वय, वर्ण, चिह्न आदि से पहिचाने बिना।

परिचित क्षेत्र में नाम गोत्र व घर की जानकारी केवल पूछने से हो जाती है किन्तु अपरिचित क्षेत्र में व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखकर उसके वय, वर्ण, आकृति को तथा भूकान के मासपात का स्थान देखकर उसे स्मृति में रखना आवश्यक होता है, उसके बाद ही कोई भी भिक्षु गोचरी नेने जा सकता है।

शब्दार्थ—गाहावर्द्ध—गृहस्वामी,

गाहावर्द्ध-कुलं—पत्नी पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ का घर,

पिण्ड—अदानादि,

पिण्डवाकपट्टियाए—गृहिणा दीयमाणस्य पिण्डस्य पात्रे पातः अनया 'प्रणया' अर्थात् गृहस्थ के द्वारा दिये जाने वाले आहार को पात्र में ग्रहण करने की बुद्धि से।

शय्यातर की नेत्राय से आहारग्रहण का प्रायश्चित्त—

जे भिक्खू सागारियणोसाए अत्तणं वा पाणं वा चाइमं वा साइमं वा ओमात्तिय-ओमात्तिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ।

४९. जो भिक्षु शय्यातर की नेत्राय से अदान, पान, खाद्य या स्वाद्य मांग-मांग कर मापना करता है या वाचना करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्ते लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—इस सूत्र में शय्यातर के सहयोग से आहार प्राप्त करने का प्रायश्चित्त कहा गया है। अर्थात् शय्यातर की गोचरी में घर बताने के लिए साथ ले जाना, घरों में 'मह वस्तु बहराघो, मह वस्तु बहराघो' शब्द तरह बोलना, धूद के हाथ में बहराना या साधु के मांगने पर प्रेरणा करने स्थित-याना इत्यादि शय्यातर की दस्ताली से आहार प्राप्त करने का मह प्रायश्चित्तविधान है।

सूत्र नं. ४१-४६-४७-४८ में चार सूत्र शय्यातर सम्बन्धी हैं। पूर्ण तथा भाष्य में तीन पूर्णों का ही कथन है। संभवतः "गिण्हइ" का एक सूत्र त्रिपि प्रमाद में सूत्र पाठ में धा गया लगना है। विषयानुसार इसकी विवेक आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है।

किं

दूसरा उद्देशक]

वे विना होंगे
पञ्चांगिक मंत्र

तीनों सूत्रों का भावार्थ यह कि शय्यातर को तथा उसके घर क से गोचरी नहीं जाना, शय्यातर की दलाली से आहार प्राप्त नहीं क आहारादि नहीं लेना तथा शय्यातर पिड नहीं भोगना । चौथा सूत्र मा भोग्य होता है ।

न है तथा मंत्र

शय्या-संस्तारक के कालातिक्रमण का प्रायश्चित्त—

को बातों पर
। पञ्चांगिक मंत्र

५०. जे भिवखू उजबद्धियं सेज्जासंथारयं परं पञ्जोसवणाओ साइज्जइ ।

विना से मंत्र

५१. जे भिवखू वासावासियं सेज्जासंथारयं परं दस रायकप्पा वा साइज्जइ ।

ती है किन्तु शरीर
के भावगत शरीर
किन्तु शरीर को

५०. जो भिक्षु शेष काल अर्थात् मासकल्प के लिये ग्रहण वि पुरुषण (संवत्सरी) के बाद रखता है या रखनेवाले का अनुमोदन करत

५१. जो भिक्षु वर्षावास चौमासे के लिये ग्रहण किये हुये शय्या दस दिन से अधिक रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । आता है ।)

परमि पूर्ये

धियेचन—आपाठ महीने में कुछ दिन रहने के लिये जिस श आदि ग्रहण किये हों और कारणवश उसे उसी क्षेत्र में चातुर्मास के नि लिये उनकी पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये या मालिक को लौटा देने भी पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त न करे और न लौटावे तो उसे लघुमासिक

इसी तरह चातुर्मास के लिये शय्या-संस्तारक ग्रहण किये हों शारीरिक कारण से विहार न हो सके तो दस दिन के अन्दर उन श प्राप्त कर लेनी चाहिये या लौटा देना चाहिये ।

ओमासिक-ओमासिक

विभिन्न आगमों के अनेक स्थलों में "अल्प उपधि" का निर्देश शरीर या संयम सम्बन्धी अत्यन्त आवश्यकता के बिना पाट-घास आदि पयोग्य लाना, देना, प्रतिलेखन करना, प्रमाणन करना आदि कार्यों में स

मोग-मोग कर भाव
+ आता है (१)

आवश्यकता होने पर शेष काल में या चातुर्मास में कमी भी प किये जा सकते हैं । उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु जितनी उपधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिये तथा सूत्रनिदिष्ट समय के पूर्व पुनः आ

आयचित्त बलात्
है वस्तु बहामे
धरेणा करके तिस

आप्य चूर्ण में पाट, घास आदि ग्रहण करने के आवश्यक वार प्रकार है ।

कानधजुरा, चूहे, बिच्छू, सर्प आदि की अधिक उत्पत्ति हो तो पाट-पास आदि अवन्य ग्रहण करने चाहिये। अन्यथा जीवविराधना, संयमविराधना व आत्मविराधना हो सकती है।

चातुर्मास में गीली या नमी वाली जमीन पर सीने से उपधि अधिक मलीन होगी। जिसने गोचरी आदि प्रमगों में वर्षा आ जाने पर अष्काय की विराधना होगी, अन्यथा उपधि के अधिक मलीन होने पर जीवों की उत्पत्ति होगी। मलिनता के कारण उपधि के दौतल और जूँओं से मुक्त होने से निद्रा नहीं आएगी। अनिद्रा से अजीर्ण होगा और अजीर्ण होने पर रोग उत्पन्न होंगे। अतः गीली या नमी युक्त भूमि होने पर पाट, पास आदि अवन्य ग्रहण करने चाहिये।

यहां विवेचन में जूँओं की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। आगमों में साधु को 'ब्रह्म परिपह' सहन करने का तथा स्नान न करने का कथन है। प्रतिग्रमण में निद्रा-दोगबुद्धि के पाठ में "छप्पद्संधट्टणाए" का निर्देश भी है। फिर भी उपरोक्त विवेचन से समझना यह है कि चातुर्मास में वर्षा होने के प्रसंग के कारण व वस्त्रों को धूप न लगने से जूँओं की उत्पत्ति की विशेष संभावना रहती है, इसलिये ऐसे समय में उपधि को मलिन न रखना और मलिन न हो इसका भी ध्यान रखना उचित है। अतः आवश्यक शय्या-संस्कारक ग्रहण कर लेने चाहिये।

वर्षा से भीगते हुए शय्या-संस्कारक को न हटाने का प्रायश्चित्त—

५२. जे भिच्छु उच्चयद्वियं वा वासायासियं वा सेज्जासंयारयं उवरि सिज्जमाणं पेहाए न ओसारोइ, न ओसारोते वा साइज्जइ ।

५२. जो भिक्षु शेषकाल या वर्षावास के लिये ग्रहण किये हुए शय्या-संस्कारक को वर्षा से भीगता हुआ देखकर भी नहीं हटाना है या नहीं हटाने जाने का अनुमोदन करता है। (उसे नपु-मासिक प्रायश्चित्त घाता है।)

विवेचन—“उवरि सिज्जमाणं”—वर्षा से भीगते हुआ को।

इस सूत्र का अर्थ यह है कि शय्या-संस्कारक आदि प्रत्यर्पणीय कोई भी उपधि वर्षा आने से भीग रही है, ऐसी जानकारी होते ही उसे हटाकर मुरझात स्थान में रखना कल्याण है और नहीं हटाना यह प्रायश्चित्त का कारण है।

स्वयं की उपधि को तो कोई भी भीगने देना नहीं चाहता किन्तु पुनः सौताने योग्य शय्या-संस्कारक आदि को भीगते हुए देखकर भी हटाने में उपेक्षा होने की उपादा संभावना होने में उसका निर्देश सूत्र में किया गया है। फिर भी उपलक्षण से सभी प्रकार की उपधि के विषय में समझ लेना चाहिये।

यद्यपि वर्षा में जाना विराधना का कारण है, किन्तु नहीं हटाने में अनेक अन्य दोषों की संभावना होने से उसकी उपेक्षा करने का प्रायश्चित्त बताया है।

भीग जाने से उपधि का कुछ समय अनुपयुक्त हो जाना, प्रतिलेखन के उपयोग हो जाना, फूलन हो जाना, कुंभुवे आदि जीवों की उत्पत्ति हो जाना, अष्काय की विराधना भी होना, जिसकी वस्तु है उसे मालूम पढ़ने पर उसका नाराज होना, निद्रा करना आदि दोष संभव है तथा इन प्रकार उपेक्षा करने से शय्या-संस्कारक निश्चिन्ता भी दुर्लभ हो जाता है।

शय्या-संस्तारक बिना आज्ञा अन्यत्र ले जाने का प्रायश्चित्त—

५३. जे भिखू पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जा-संथारयं दोच्चं पि अणणुणवेत्ता वार्हि णीणेइ, णीणेतं वा साइज्जइ ।

५३. जो भिक्षु प्रत्यर्पणीय [अन्य किसी से लाये गये] या शय्यातर से ग्रहण किये गये शय्या-संस्तारक को पुनः आज्ञा लिये बिना कहीं अन्यत्र ले जाता है या ले जाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—साधु के ठहरने के स्थान में जो शय्या-संस्तारक हो, उसके लिए “सागारियसंतियं” शब्द का प्रयोग हुआ है और अन्यत्र से लाये जाने वाले शय्या-संस्तारक के लिये “पाडिहारियं” शब्द का प्रयोग हुआ है । ये दोनों ही प्रत्यर्पणीय हैं ।

जो शय्या-संस्तारक जिस मकान में रहने की अपेक्षा ग्रहण किया है, उसे किसी कारण से अन्य मकान में ले जाना हो तो उसके मालिक की आज्ञा पुनः लेना आवश्यक है । अन्यत्र से लाये गये शय्या-संस्तारक का मालिक भी प्रायः साधु के ठहरने के स्थान को ध्यान में रख कर ही देता है तथा शय्यातर भी अपने मकान में उपयोग लेने की अपेक्षा से ही देता है । इसलिये पुनः आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ।

बिना आज्ञा लिये अन्यत्र ले जाने में अदत्त दोष लगता है तथा उसके मालिक का नाराज होना, निंदा करना, शय्या-संस्तारक का दुर्लभ होना आदि दोषों की संभावना भी रहती है । इसलिए इसका लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है ।

उपलब्ध मूल पाठ में इस सूत्र के स्थान पर तीन सूत्र मिलते हैं, जिनमें यह तीसरा सूत्र है ।

भाष्य चूर्णिकार के समय यह एक सूत्र ही था ऐसा प्रतीत होता है । वह इस प्रकार है—

“नो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारयं दोच्चं पि ओग्गहं अणणुणवेत्ता बहिया-नीहरित्तए ।”

इस पाठ से भी एक सूत्र का होना ही उचित प्रतीत होता है । इस कारण मूल में एक ही सूत्र दिया है । शेष दो सूत्र ये हैं—

जे भिखू पाडिहारियं सेज्जा-संथारयं अणणुवेत्ता वार्हि णीणेइ, णीणेतं वा साइज्जइ । ५३ ॥

जे भिखू सागारियसंतियं सेज्जा-संथारयं अणणुणवेत्ता वार्हि णीणेइ, णीणेतं वा

साइज्जइ । ५४ ॥

तीन सूत्र होने पर अर्थ इस प्रकार होता है—

१. शय्यातर का शय्या-संस्तारक अन्यत्र से लाया हो ।
२. शय्यातर का शय्या-संस्तारक उसी स्थान से लिया हो ।
३. शय्यातर का शय्या-संस्तारक अन्यत्र से लाया हो ।

इनको पुनः आज्ञा लिये बिना अन्य मकान में ले जाए तो लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

गानखजूरा, चूहे, बिच्छू, सर्प आदि की अधिक उत्पत्ति हो तो पाट-घास आदि अवश्य ग्रहण करने चाहिये । अन्यथा जीवविराधना, संयमविराधना व आत्मविराधना हो सकती है ।

चातुर्मास में गीली या नमी वाली जमीन पर सोने से उपधि अधिक मलीन होगी । जिससे गोचरी आदि प्रसंगों में वर्षा आ जाने पर अप्काय की विराधना होगी, अन्यथा उपधि के अधिक मलीन होने पर जीवों की उत्पत्ति होगी । मलिनता के कारण उपधि के शीतल और जूँओं से युक्त होने से निद्रा नहीं आएगी । अनिद्रा से अजीर्ण होगा और अजीर्ण होने पर रोग उत्पन्न होगा । अतः गीली या नमी युक्त भूमि होने पर पाट, घास आदि अवश्य ग्रहण करने चाहिये ।

यहां विवेचन में जूँओं की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है । आगमों में साधु को 'जल्ल परिपह' सहन करने का तथा स्नान न करने का कथन है । प्रतिक्रमण में निद्रा-दोषशुद्धि के पाठ में "छप्पइसंघट्टणाए" का निर्देश भी है । फिर भी उपरोक्त विवेचन से समझना यह है कि चातुर्मास में वर्षा होने के प्रसंग के कारण व वस्त्रों को धूप न लगने से जूँओं की उत्पत्ति की विशेष संभावना रहती है, इसलिये ऐसे समय में उपधि को मलिन न रखना और मलिन न हो इसका भी ध्यान रखना उचित है । अतः आवश्यक शय्या-संस्तारक ग्रहण कर लेने चाहिये ।

वर्षा से भोगते हुए शय्या-संस्तारक को न हटाने का प्रायश्चित्त—

५२. जे भिक्खु उडवट्ठियं वा वासायासियं वा सेज्जासंयारयं उवरि सिज्जमाणं पेहाए न ओसारेइ, न ओसारेंतं वा साइज्जइ ।

५२. जो भिक्षु शेषकाल या वर्षावास के लिये ग्रहण किये हुए शय्या-संस्तारक को वर्षा से भोगता हुआ देखकर भी नहीं हटाता है या नहीं हटाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे तपु-मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—“उवरि सिज्जमाणं”—वर्षा से भोगते हुएों को ।

इस सूत्र का आशय यह है कि शय्या-संधारा आदि प्रत्यर्पणीय कोई भी उपधि वर्षा आदि से भोग रही है, ऐसी जानकारी होते ही उसे हटाकर सुरक्षित स्थान में रखना कल्पता है और नहीं हटाना यह प्रायश्चित्त का कारण है ।

स्वयं की उपधि को तो कोई भी भोगने देना नहीं चाहता किन्तु पुनः लौटाने योग्य शय्या-संस्तारक आदि को भोगते हुए देखकर भी हटाने में उपेक्षा होने की ज्यादा संभावना होने से उसका निर्देश सूत्र में किया गया है । फिर भी उपलक्षण से सभी प्रकार की उपधि के विषय में समझ लेना चाहिये ।

यद्यपि वर्षा में जाना विराधना का कारण है, किन्तु नहीं हटाने में अनेक अन्य दोषों की संभावना होने से उसकी उपेक्षा करने का प्रायश्चित्त बताया है ।

भोग जाने से उपधि का कुछ समय अनुपयुक्त हो जाना, प्रतिलेचन के अयोग्य हो जाना, फूलन हो जाना, कुंधुवे आदि जीवों की उत्पत्ति हो जाना, अप्काय की विराधना भी होना, जिसका वस्तु है उसे मालूम पड़ने पर उसका नाराज होना, निद्रा करना आदि दोष संभव हैं तथा इस प्रकार उपेक्षा करने से शय्या-संस्तारक मिलना भी दुर्लभ हो जाता है ।

शय्या-संस्तारक बिना आज्ञा अन्यत्र ले जाने का प्रायश्चित्त—

५३. जे भिखू पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जा-संयारयं दोच्चं पि अणणुणवेत्ता बहिं णीणेइ, णीणेतं वा साइज्जइ ।

५३. जो भिक्षु प्रत्यर्पणीय [अन्य किसी से लाये गये] या शय्यातर से ग्रहण किये गये शय्या-संस्तारक को पुनः आज्ञा लिये बिना कहीं अन्यत्र ले जाता है या ले जाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—साधु के ठहरने के स्थान में जो शय्या-संस्तारक हो, उसके लिए “सागारियसंतियं” शब्द का प्रयोग हुआ है और अन्यत्र से लाये जाने वाले शय्या-संस्तारक के लिये “पाडिहारियं” शब्द का प्रयोग हुआ है । ये दोनों ही प्रत्यर्पणीय हैं ।

जो शय्या-संस्तारक जिस मकान में रहने की अपेक्षा ग्रहण किया है, उसे किसी कारण से अन्य मकान में ले जाना हो तो उसके मालिक की आज्ञा पुनः लेना आवश्यक है । अन्यत्र से लाये गये शय्या-संस्तारक का मालिक भी प्रायः साधु के ठहरने के स्थान को ध्यान में रख कर ही देता है तथा शय्यातर भी अपने मकान में उपयोग लेने की अपेक्षा से ही देता है । इसलिये पुनः आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ।

बिना आज्ञा लिये अन्यत्र ले जाने में अदत्त दोष लगता है तथा उसके मालिक का नाराज होना, निंदा करना, शय्या-संस्तारक का दुर्लभ होना आदि दोषों की संभावना भी रहती है । इसलिए इसका लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है ।

उपलब्ध मूल पाठ में इस सूत्र के स्थान पर तीन सूत्र मिलते हैं, जिनमें यह तीसरा सूत्र है ।

भाष्य चूर्णिकार के समय यह एक सूत्र ही था ऐसा प्रतीत होता है । वह इस प्रकार है—

“नो कप्पइ णिग्गंयाण वा णिग्गंयीण वा पडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जासंयारयं दोच्चं पि ओग्गहं अणणुणवेत्ता बहिमा-नीहरित्तए ।”

इस पाठ से भी एक सूत्र का होना ही उचित प्रतीत होता है । इस कारण मूल में एक ही सूत्र दिया है । शेष दो सूत्र ये हैं—

जे भिखू पाडिहारियं सेज्जा-संयारयं अणणुवेत्ता बहिं णीणेइ, णीणेतं वा साइज्जइ । ५३ ॥

जे भिखू सागारियसंतियं सेज्जा-संयारयं अणणुवेत्ता बहिं णीणेइ, णीणेतं वा साइज्जइ । ५४ ॥

तीन सूत्र होने पर अर्थ इस प्रकार होता है—

१. शय्यातर का शय्या-संस्तारक अन्यत्र से लाया हो ।
२. शय्यातर का शय्या-संस्तारक उसी स्थान से लिया हो ।
३. शय्यातर का शय्या-संस्तारक अन्यत्र से लाया हो ।

इनको पुनः आज्ञा लिये बिना अन्य मकान में ले जाए तो लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

शय्या-संस्तारक विधिवत् न लौटाने का प्रायश्चित्त—

५४. जे भिखू पाडिहारियं सेज्जा-संयारयं आयाए अपडिहट्टु संपव्ययइ संपव्ययंतं वा साइज्जइ ।

५५. जे भिखू सागारियसंतिथं सेज्जा-संयारयं अविगरणं कट्टु अणप्पिणित्ता संपव्ययइ, संपव्ययंतं वा साइज्जइ ।

५४. जो भिक्षु प्रत्यपंणीय [अन्य किसी से लाया] शय्या-संस्तारक ग्रहण करके उसे लौटाने बिना ही विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५५. जो भिक्षु शय्यातर के शय्या-संस्तारक का ग्रहण कर लौटाने समय पूर्ववत् रंगे बिना तथा संभलाए बिना विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमानिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—साधु का कर्तव्य है कि प्रत्यपंणीय शय्या-संस्तारक [या अन्य वस्तु] विहार करने के पूर्व उसके स्वामी को लौटा दे ।

शय्यातर के मकान में से जो शय्या-संस्तारक लिया है, वह तो बही रहता है । किन्तु अपनी आवश्यकतानुसार उसके जो बाँस कंधियाँ आदि बांधे हों, उन्हें विखेर कर अलग कर देना, "विकरण" कहलाता है और न विखेरना "अविकरण" कहलाता है । अतः पूर्ववत् करके तथा मानिक को सम्भलाकर के ही विहार करना चाहिये । अन्यथा अनेक दोषों की संभावना रहती है । जो पूर्व सूत्र [५२-५३] के विवेचन से समझ लेना चाहिये ।

खोये गये शय्या-संस्तारक की गवेपणा नहीं करने का प्रायश्चित्त—

५६. जे भिखू पाडिहारियं वा, सागारियसंतिथं वा सेज्जासंयारयं विप्पणट्ठं न गवेसइ, न गवेसंतं वा साइज्जइ ।

५६. जो भिक्षु खोए गए प्रत्यपंणीय शय्या-संस्तारक को या शय्यातर के शय्या-संस्तारक को खोज नहीं करता है या खोज नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमानिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—ये सूत्रोक्त दोनों प्रकार के शय्या-संस्तारक कोई जानकर के या भ्रांतियश उठारकर ले जाये तो साधु को उनकी पूछलाछ करना, खोज करना एवं मानिक को सूचना देने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, उपेक्षा करने से अनेक दोषों की संभावना रहती है, उन्हें पूर्व सूत्र से समझ लेना चाहिये ।

इन [५४-५५-५६] तीनों सूत्रों में कहे गये प्रायश्चित्त विषयक विधि-निषेध का कथन बहुशकल्पसूत्र, उद्देशक तीन के तीन सूत्रों में है । भाष्य चूषण में भी इनकी व्याख्या अलग-अलग की गई है ।

भाष्य में संस्तारक के प्रकार, दोषों के प्रकार, प्रायश्चित्त के प्रकार एवं ग्योर्जन के तरीकों का विस्तृत वर्णन है । जिनामु वही से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

५७. जे भिक्खू इत्तरियं पि उर्वाह्ण ण पडिलेहेइ, ण पडिलेहेंतं वा साइज्जइ ।

५७. जो भिक्षु स्वल्प उपधि की भी प्रतिलेखना नहीं करता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—साधु को अपने सभी उपकरणों की उभयकाल प्रतिलेखना करना आवश्यक है । छोटे से उपकरण की भी प्रतिलेखना में उपेक्षा करे तो उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

चूर्णिकार ने प्रतिलेखन नहीं करने से जीवों की विराधना एवं विच्छू आदि से आत्म-विराधना आदि अनेक दोष कहे हैं ।

जम्हा एते दोसा तम्हा सव्वोबहि दुसंसं पडिलेहियव्वो ।

नि. भाष्य गा. १४३६ के अनुसार भिक्षु को सभी उपकरणों की दोनों समय प्रतिलेखना करनी चाहिये ।

भाष्यकार ने प्रतिलेखन का समय जिनकल्पी के लिए सूर्योदय के बाद का ही कहा है किन्तु स्वविरकल्पी सूर्योदय के कुछ समय पूर्व भी प्रतिलेखना कर सकते हैं, ऐसा कहा है ।

गाथा १४२५ में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व निम्नोक्त दस प्रकार की उपधियों का प्रतिलेखन किया जा सकता है—

मुहपोत्तिय-रयहरणे कप्पतिग णिसेज्ज चोलपट्टे य ।

संयारुत्तरपट्टे य, पेविखते जहुग्गमे सूरे ॥

मुहपत्ति, रजोहरण, तीन चदर, दो निपद्या, चोलपट्ट, संयारा व उत्तरपट्ट, इन दस की प्रतिलेखना होने पर सूर्योदय हो ।

चूर्ण में "अण्णे भणति" ऐसा कहकर ग्यारहवां 'दंड' भी कहा गया है ।

सम्भव है कि यह गाथा तेरहवीं शताब्दी के बाद रचे गये धर्मप्रज्ञप्ति आदि किसी ग्रंथ से यहाँ ली गई हो ।

क्योंकि उत्तराध्ययनसूत्र अध्यायन २६ गा. ८ व २१ में सूर्योदय होने पर प्रतिलेखन करने का स्पष्ट विधान है तथा उपरोक्त गाथा १४२५ के पूर्व स्वयं भाष्यकार ने दो गाथाओं में कहा है कि रात्रि में प्रतिलेखना नहीं हो सकती है । वे गाथाएं ये हैं—

पडिलेहण पफ्फोडण पमज्जणा चेव दिवसओ होंति ।

पफ्फोडणा पमज्जण रत्ति पडिलेहणा णत्थि ॥ १४२२ ॥

पडिलेहणा पमज्जण पायादीयाण दिवसओ होइ ।

रत्ति पमज्जणा पुण, भणिया पडिलेहणा णत्थि ॥ १४२३ ॥

राओ य पफ्फोडण पमज्जणा य दो संभवन्ति, पडिलेहणा न सम्भवति अचणुचित्तयाओ ।

यहाँ अत्यधिक स्पष्ट किया गया है कि प्रतिलेखना दिन में ही होती है, रात्रि में नहीं। प्रसूयोदय पूर्व १० प्रकार की उपधि की प्रतिलेखना का उपरोक्त भाष्य गा. १४२५ का निर्देश देहास्पद है।

उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन २६ गा. २३ में मुंहपत्ति-प्रतिलेखना के बाद गोच्छ्रग की प्रतिलेखना करने का स्पष्ट निर्देश है, जब कि इस १० उपधि में गोच्छ्रग का कथन नहीं किया गया किन्तु उसे पीन पीरूपी बाद पात्र के प्रतिलेखन के साथ रखा है। इस तरह उत्तराध्ययनसूत्र के मूपाठ से गाथा १४२५ की संगति नहीं होती है।

उत्तराध्ययन अ. २६ व भाष्य गाथा १४२६ में बताया है कि पात्र-प्रतिलेखना दिन की प्रथम पीरूपी के चतुर्थ भाग के अवशेष रहने पर करना चाहिये और चरम पीरूपी के प्रारम्भ में ही पात्र-प्रतिलेखन करके बांध कर रख देना चाहिए उसके बाद शेष उपकरणों की प्रतिलेखना करके स्वाध्याय करना चाहिये।

एस पदम-चरमपोरिसीसु कालो, तत्त्विवरीओ अकालो पडिलेहणाए ॥

इस तरह दिन की प्रथम चतुर्थ पीरूपी प्रतिलेखन का काल है और शेष ६ पीरूपी [४ रात्रि की व दो दिन की] अकाल है। इस व्याख्या से भी सूयोदय के पूर्व रात्रि की अंतिम पीरूपी का सम प्रतिलेखन का अकाल सिद्ध होता है।

उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन २६ में श्राये प्रतिलेखना के दोषों का व विधि का विश्लेषण भाष्य में किया गया है तथा अविधि का अलग-अलग प्रायश्चित्त भी कहा है। जिज्ञासु पाठक भाष्य देखें।

तं सेवमाणे आबज्जइ मासियं परिहारद्वारणं उग्घाइयं ।

इन उपरोक्त ५७ सूत्रों में कहे गये किसी भी प्रायश्चित्तस्थान के सेवन करने वाले लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है। इसका विवेचन प्रथम उद्देशक के समान समझना चाहिये।

द्वितीय उद्देशक का सारांश—

- सूत्र १ काण्डदण्डयुक्त पादप्रोक्षण बनाना ।
 सूत्र २-८ काण्डदण्डयुक्त पादप्रोक्षण ग्रहण करना, रखना, ग्रहण करने की आज्ञा देना, वितरण करना, उपयोग करना, डेढ़ मास से अधिक रखना एवं काण्डदण्ड से पादप्रोक्षण को खोल कर अलग करना ।
 सूत्र ९ अचित्त पदार्थ सूचना ।
 सूत्र १० पदमार्ग आदि स्वयं बनाना ।
 सूत्र ११-१३ पानी निकलने की नाली, छोका और छोके का ढक्कन, चिलमिनी स्वयं बनाना ।
 सूत्र १३-१७ मूई आदि को स्वयं मुधारना ।
 सूत्र १८ कठोर मापा बोलना ।
 सूत्र १९ अल्प भुषा—असत्य बोलना ।
 सूत्र २० अल्प भदत्त लेना ।
 सूत्र २१ अचित्त नीत या उत्पन्न जल से हाथ, पैर, कान, घाँघ, दाँत, नथ और मुँह धोना ।

- सूत्र २२ कृत्स्न चर्म धारण करना ।
 सूत्र २३ कृत्स्न वस्त्र धारण करना ।
 सूत्र २४ अभिन्न वस्त्र धारण करना ।
 सूत्र २५ तुम्बे के पात्र का, काण्ठ के पात्र का और मिट्टी के पात्र का स्वयं परिकर्म करना ।
 सूत्र २६ दण्ड आदि को स्वयं सुधारना ।
 सूत्र २७ स्वजन-गवेपित पात्र ग्रहण करना ।
 सूत्र २८ परजन-गवेपित पात्र ग्रहण करना ।
 सूत्र २९ प्रमुख-गवेपित पात्र ग्रहण करना ।
 सूत्र ३० बलवान-गवेपित पात्र ग्रहण करना ।
 सूत्र ३१ लव-गवेपित पात्र ग्रहण करना ।
 सूत्र ३२ नित्य अग्रपिण्ड लेना ।
 सूत्र ३३-३६ दानपिण्ड लेना ।
 सूत्र ३७ नित्यवास बसना ।
 सूत्र ३८ भिक्षा के पूर्व या पश्चात् दाता को प्रशंसा करना ।
 सूत्र ३९ भिक्षाकाल के पहले आहार के लिए घरों में प्रवेश करना ।
 सूत्र ४० अन्यतीर्थिक के साथ, गृहस्थ के साथ, पारिहारिक का अपारिहारिक के साथ भिक्षा के लिए प्रवेश करना ।
 सूत्र ४१ इन तीनों के साथ उपाश्रय से बाहर की स्वाध्यायभूमि में या उच्चार-प्रसवणभूमि में प्रवेश करना ।
 सूत्र ४२ इन तीनों के साथ ग्रामानुग्राम विहार करना ।
 सूत्र ४३ मनोज्ञ पानी पीना, कर्पूला पानी परठना ।
 सूत्र ४४ मनोज्ञ आहार खाना, अमनोज्ञ आहार परठना ।
 सूत्र ४५ खाने के बाद बचा हुआ आहार सांभोगिक साधुओं को पूछे बिना परठना ।
 सूत्र ४६ सागारिक पिण्ड ग्रहण करना ।
 सूत्र ४७ सागारिक पिण्ड खाना ।
 सूत्र ४८ सागारिक का घर आदि जाने बिना भिक्षा के लिए जाना ।
 सूत्र ४९ सागारिक की निश्चा से आहार प्राप्त करना या उसके हाथ से लेना ।
 सूत्र ५० शेष काल के शय्या-संस्तारक की अवधि का उल्लंघन करना ।
 सूत्र ५१ चातुर्मास काल के शय्या-संस्तारक की अवधि का उल्लंघन करना ।
 सूत्र ५२ वर्षा से भीजते हुए शय्या-संस्तारक को छाया में न रखना ।
 सूत्र ५३ शय्या-संस्तारक को दूसरी बार आज्ञा लिए बिना अन्यत्र ले जाना ।
 सूत्र ५४ प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक लीटाये बिना विहार करना ।
 सूत्र ५५ शय्यातर का शय्या-संस्तारकपूर्व स्थिति में किये बिना विहार करना ।
 सूत्र ५६ शय्या-संस्तारक छोड़े जाने पर न ढूँढना ।
 सूत्र ५७ अल्प उपधि की भी प्रतिलेखना न करना, इत्यादि प्रवृत्तियों का तदधुमामिक प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के ३८ सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- सूत्र १-७ काष्ठदण्डयुक्त पादप्रौद्यन रखने के विधि-निषेध — बृहत्कल्प उद्दे० ५ ।
 सूत्र ९ सुगंध सूं धने का निषेध — आ० श्रु २, अ० १, उ० ८ तथा आवा० श्रु० २ अ० १५ ।
 सूत्र १३ चिलमिली प्ररूपण — बृहत्कल्प० उद्दे० ५ ।
 सूत्र १८-२० तीन महाव्रत वर्णन — दश० अ० ४ तथा आ० श्रु० २ अ० १५ ।
 सूत्र २१ स्नाननिषेध, प्रक्षालननिषेध — दश० अ० ४, गा० २६ तथा अ० ६, गा० ६२ ।
 सूत्र २२-२४ कृत्स्न चर्म निषेध, कृत्स्न वस्त्र तथा अभिन्न वस्त्र निषेध — बृह० उद्दे० ३ ।
 सूत्र २२-२६ नित्यदान दिये जाने वाले कुलों में भिक्षार्थ जाने का निषेध — आ० श्रु० २ अ० १, उ० १ ।
 सूत्र ३७ नित्यवास निषेध — आ० श्रु २, अ० २, उ० २ ।
 सूत्र ३८ दाता की या अपनी प्रशंसा का निषेध — पिडनियुक्ति ।
 सूत्र ३९ भिक्षाकाल के पहले भिक्षार्थ जाने का निषेध — आ० श्रु० २, अ० १, उद्दे० ९ ।
 सूत्र ४०-४२ भिक्षाचरों के साथ भिक्षा आदि जाने का निषेध — आ० श्रु २, अ० १, उद्दे० १ ।
 सूत्र ४३-४५ मनोज्ञ आहार पानी खाना, पीना, अमनोज्ञ परठना — आ० श्रु० २, अ० १, उ० १० ।
 सूत्र ४६-४८ शय्यातर पिण्ड लेने का निषेध-दश० अ० ३ तथा — आ० श्रु २ अ० २ उद्दे० ३ ।
 सूत्र ५३ शय्या-संस्तारक अन्यत्र ले जाने के लिए दूसरी बार स्वामी से आज्ञा लेना — व्यव० उद्दे० ८ ।
 सूत्र ५४-५६ शय्या-संस्तारक स्वामी को संभलाकर विहार करने का विधान — बृहत्कल्प उद्दे० ३ ।
 सूत्र ५७ उपधि-प्रतिलेखन — उक्त० अ० २६ तथा आव० अ० ४ ।
 इस उद्देशक के निम्न १९ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—
 सूत्र ८ काष्ठदण्डयुक्त पादप्रौद्यन को खोलना ।
 सूत्र १०-१२ पदमार्ग आदि स्वयं बनाना ।
 सूत्र १४-१७ सूई आदि स्वयं सुधारना ।
 सूत्र २१-२६ पात्र, दण्ड आदि स्वयं सुधारना ।
 सूत्र २७-३१ स्वजनादि गवेपित पात्र ग्रहण करना ।
 सूत्र ४९ शय्यातर की प्रेरणा से प्राप्त आहार लेना ।
 सूत्र ५०-५१ निर्धारित अवधि के बाद श्रो पुनः आज्ञा लिए बिना शय्या-संस्तारक रखना ।
 सूत्र ५२ वर्षों से भाँगते हुए शय्या-संस्तारक को छाया में न रखना ।

॥ दूसरा उद्देशक समाप्त ॥

८. जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में या आश्रमों में कौतूहलवश अन्यतीर्थिक या गृहस्थ स्त्रियों से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य मांग-मांग कर याचना करता है या मांग-मांग कर याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में अथवा आश्रमों में अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ द्वारा अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य सामने लाकर दिये जाने पर निषेध करके फिर उसके पीछे-पीछे जाकर, उसके आसपास व सामने आकर तथा मिष्ट वचन बोलकर मांग-मांग कर याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में अथवा आश्रमों में अन्य-तीर्थिकों या गृहस्थों द्वारा अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य सामने लाकर दिये जाने पर निषेध करके फिर उसके पीछे-पीछे जाकर, उसके आसपास व सामने आकर तथा मिष्ट वचन बोलकर मांग-मांग कर याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में अथवा आश्रमों में अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ स्त्री द्वारा अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य सामने लाकर दिये जाने पर निषेध करके फिर उसके पीछे-पीछे जाकर, उसके आसपास व सामने आकर तथा मिष्ट वचन बोलकर मांग-मांग कर याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में अथवा आश्रमों में अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ स्त्रियों द्वारा अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य सामने लाकर दिये जाने पर निषेध करके फिर उसके पीछे-पीछे जाकर, उसके आसपास व सामने आकर तथा मिष्ट वचन बोलकर मांग-मांग कर याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इन बारह सूत्रों में धर्मशाला आदि स्थानों के कथन से भिक्षा ग्रहण के सभी स्थानों का ग्रहण किया गया है तथा दो प्रकार के भिक्षादाता कहे गये हैं ।

‘अन्यतीर्थिक’ अर्थात् अन्य मत के गृहस्थ और ‘गृहस्थ’—अर्थात् स्वमत के गृहस्थ ।

प्रथम सूत्रचतुष्क में खाद्य पदार्थ का नाम ले-लेकर याचना करने का प्रायश्चित्त कहा है ।

आवश्यक सूत्र के भिक्षादोषनिवृत्ति पाठ में भी “मांग-मांग कर लेना” अतिचार कहा है । ऐसा करने पर लोग सोचते हैं कि ये भिखारी की तरह क्यों मांगते हैं इत्यादि ।

सहज भाव से गृहस्थ जो अशनादि देना चाहे उसमें से आवश्यक कल्प्य पदार्थ ग्रहण करना “अदीन वृत्ति” है और मांग-मांग कर याचना करना “दीन वृत्ति” है । दीन वृत्ति में भिक्षा ग्रहण करना दोष है अतः इन सूत्रों में उमका प्रायश्चित्त कहा गया है ।

गीतार्थ साधु विशेष कारण से अशनादि का नाम निर्देश करके विवेकपूर्वक याचना कर सकता है । यहाँ अकारण मांग कर याचना करने का प्रायश्चित्त विधान है ।

इस सूत्रचतुष्क में एक पुरुष या अनेक पुरुष, तथा एक स्त्री या अनेक स्त्रियों की विवक्षा है ।

द्वितीय सूत्रचतुष्क में “कोनूक वन” मांग-मांग कर याचना करने का प्रायश्चित्त कहा है ।

“कोतुक” मे—हास्य, कोतूहल, जिज्ञासा या परीक्षा करने के संकल्प आदि भाषों का समारोह समझ लेना चाहिये। यथा—

“देखे—यह दाता देता है या नहीं”। इस प्रकार की कोतूहल बुद्धि से भी नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का मांगना भिक्षावृत्ति में अविधि है। अतः उसका इस सूत्रचतुष्क से प्रायश्चित्त समझना चाहिये।

दशवैकालिक सूत्र अध्ययन १० गाथा. १३ में कहा है—

“अनियाने अकोउहले जे स भिषखू”—जो निदान-संकल्प रहित एवं कोतूहल वृत्ति रहित होता है वह भिक्षु है।

माधु अदीन वृत्ति से भिक्षाचरी करें, यह पूर्वोक्त चार सूत्रों का सार है और अकोतूहल वृत्ति से भिक्षाचरी करें यह इन सूत्रों का सार है।

तृतीय सूत्रचतुष्क में पूर्व निर्दिष्ट दीन वृत्ति व कोतूहल वृत्ति के साथ चित्त की चंचलता व खुशामदी वृत्ति का निर्देश किया गया है। इसे कोतूहल वृत्ति की अत्यधिकता भी कह सकते हैं।

सूत्रोक्त स्थानों में भिक्षा हेतु प्रविष्ट भिक्षु गृहस्थ को घर के किसी अन्य कक्ष में या अदृष्ट स्थान से या अति दूर स्थान से अक्षानादि लाकर देने पर निषेध कर देता है कि मुझे नहीं कलता है, जिससे दाता लौट जाता है किन्तु विचार बदल जाने पर भिक्षु पुनः उसे कहे कि—“लाओ तुम्हारी भावना व श्रम निष्फल न हो इसलिये ले लेता हूँ” इत्यादि भाष इन चार सूत्रों में समाविष्ट हैं।

ऐसी अविधि से की गई याचना में भाषा समिति भी दूषित होती है। इन प्रकार इन १३ सूत्रों में—

१. मांगकर याचना करने का,
२. कोतूहल से मांग कर याचना करने का और
३. अत्यधिक कोतूहल वृत्ति से याचना करने का प्रायश्चित्त कहा गया है।

निषिद्ध गृहप्रवेश—प्रायश्चित्त—

१३. जे भिषखू गाहावइकुलं पिठवाय-पट्टिमाए पविट्टे पट्टियाइषणए समाने दोरुचपि तमेव कुलं अणुप्पयिसइ, अणुप्पयिसंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु गाथापति कुल में आहार के लिये प्रवेश करने पर गृहस्थ के मना करने के बाद भी पुनः उसी घर में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्ते सपुमानिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पूर्व सूत्र में स्वयं भिक्षु के द्वारा निषिद्ध आहार का पुनः अविधि से याचना करने का प्रायश्चित्त कहा गया है। इस सूत्र में गृहस्थ निषेध कर दे कि—“जामो, अन्यत्र जामो, यहां कुछ नहीं है” “इत्यादि कहने पर भी पुनः उसी घर में कुछ समय बाद जाए। अथवा जो गृहस्थ यह कह दे कि—“हमारे घर अभी नहीं आना” फिर भी उसके घर जाए तो यह भिक्षु का अविधेक है। इसी अविधेक का इस सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है। इस अविधेक से दाता का रूठ होना, अथवा होना व अनुचित व्यवहार करना आदि दोषों की संभावना रहती है।

संखडी गमनप्रायश्चित्त—

१४. जे भिक्षू संखडि—पलोयणाए असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहेइ पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु जीमनवार के लिये वनी खाद्य सामग्री को देखते हुये अन्न, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

चिबेचन—“संखडि-पलोयणा—” संखडिसामिणा अणुण्णातो तम्मि रसवईए अणुण्णविसित्ता ओदणादि पलोइजं भणत्ति-‘इतो य इतो पयच्छाहि “त्ति एस पलोयणा” जो एवं असणादि गिण्हत्ति तस्स मासं लहं ॥ चूर्ण पृष्ठ—२०६ ॥

रसोई घर में पहुँच कर चावल आदि वस्तुओं को देखकर “यह दो या इसमें से दो” इस प्रकार कहना संखडिप्रलोकन पूर्वक आहार ग्रहण करना कहा गया है ।

सखडि—जीमनवार—जहाँ पर अत्यधिक आरंभ से सैकड़ों व्यक्तियों के लिये आहार बना हो ऐसे जीमनवार में भिक्षा के लिये जाने का या उस दिशा में जाने का वृहत्कल्प सूत्र उद्देशा १ तथा आचा. श्रु. २ अ. १ उ. २-३ में निषेध किया है व उससे होने वाले अनिष्टों का कथन भी मूल पाठ में है । अतः यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है ।

जीमनवार में अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री वनती देखना व इच्छित वस्तु लेना, इस विषय का स्पष्टीकरण करने के लिये इस सूत्र में “संखडी-पलोयणाए” शब्द का प्रयोग किया गया है । अतः संखडी में भिक्षा के लिये जाने का और वहाँ से आहार ग्रहण करने का इस सूत्र में प्रायश्चित्त है, ऐसा समझना चाहिये ।

अभिहृत आहार ग्रहण प्रायश्चित्त—

१५. जे भिक्षू गाहावइकुलं पिडवायपडियाएअणपविट्ठे समाणे परं ति-घरंतराओ असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा अभिहउं आहट्टु विज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु गायापति कुल में आहार के लिये प्रवेद करके तीन घर अर्थात् तीन कमरे से अधिक दूर से सामने लाकर देते हुए अन्न, पान, खाद्य या स्वाद्य को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विबेचन—जिस कमरे से आहारादि ग्रहण करना हो, उसी में या उसके बाहर खड़ा रह कर ही आहारादि ग्रहण करना चाहिये । किन्तु दसवैकालिक मूत्र अद्ययन ५ उद्देशक १ में कहा है कि “कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे” अर्थात् जिन कुलों में साधु को जितनी सीमा तक प्रवेद अनुजात हो उस मर्यादित स्थान तक ही जाना चाहिये । इस कारण से तथा अन्य किसी विशेष कारण से उस स्थान तक जाना न हो सके तो तीन कमरे जितनी दूरी से गृहस्थ लाकर दे तो एषणा दोषों को टानकर ग्रहण किया जा सकता है ।

तीन घर [कमरे] जितने दूर स्थल में लाये गये आहार ग्रहण की अनुज्ञा के साथ “अविट्ठ-हडाए” दोष युक्त ग्रहण की अनुज्ञा नहीं है, यह भी ध्यान में रखना चाहिये ।

तीन घर (कमरे) से अधिक दूरी के स्थान से लाकर दिये जाने वाले अन्नमादि ग्रहण करने पर लघु मानिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है।

संख्यावाची "तीन" शब्द का प्रयोग लोकव्यवहार में तथा आगम में अनेक स्थलों पर होता है। किसी विषय की सीमा करने में या उसे निश्चित करने में इसका प्रयोग होता है। यहाँ तीन घर से सीमा की गई है। इससे ज्यादा दूर की वस्तु सामने लाकर देने में दोष लगने की संभावना रूढ़ी है।

पाँच परिकर्म प्रायश्चित्त—

१६. जे भिषखू अप्पणो "पाए" आमज्जेज्ज या पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिषखू अप्पणो "पाए" संवाहेज्ज वा पलिमद्देज्ज वा, संवाहंतं वा पलिमहंतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिषखू अप्पणो "पाए" तेल्लेण वा जाय णवणीएण वा अब्भंगेज्ज वा मय्जेग्ग वा, अब्भंगंतं वा मव्खंतं वा साइज्जइ ।

१९. जे भिषखू अप्पणो "पाए" कक्केण वा जाय वण्णेहिं वा उल्लोत्तेज्ज वा उरव्ढेज्ज वा, उल्लोलंतं वा उरव्ढंतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिषखू अप्पणो 'पाए' सीओदगवियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा उच्छोत्तेज्ज वा पधोवेज्ज वा, उच्छोलंतं वा पधोवंतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिषखू अप्पणो 'पाए' फुम्मेज्ज वा, रएज्ज वा, फुमंतं वा रएंतं वा साइज्जइ ।

१६. जो भिक्षु अपने पैरों का एक बार या बार-बार 'आमर्जन' करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

१७. जो भिक्षु अपने पैरों का 'संवाहन'—मर्दन, एक बार या बार-बार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

१८. जो भिक्षु अपने पैरों की तेल या घृत मक्घन से एक बार या बार-बार मालिश करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

१९. जो भिक्षु अपने पैरों का कल्क या घृत वर्णों से एक बार या बार-बार उचटन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

२०. जो भिक्षु अपने पैरों की अचिन्ता धीतल जन से या अचिन्ता उरण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है।

२१. जो भिक्षु अपने पैरों को (लाश्रायण, मेतुंदी आदि से) रंगता है मथवा (तिल आदि से) उस रंग को चमकाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है। (उमें सपुनायिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है।)

विवेचन—इन सूत्रों में एक ही क्रिया के लिये दो दो पद दिये गये हैं। उनका अर्थ एक बार करना और बार बार करना इस तरह किया गया है। चूर्णी व भाप्य में दूसरी तरह से भी अर्थ दिया गया है। यथा—

१. थोवेण अढभंगणं, बहुणा मवखणं ।—चूर्णी पृ. २७, सूत्र ४ ॥
२. अढभंगो थोवेण, बहुणा मवखणं ।—चूर्णी पृ. २१२, पक्ति २ ॥
३. एतेसि पढम पदा सईं तु, वितिया तु बहुसो बहुणा वा ॥ गा. १४९६ ॥

आमज्जण—पांवां पर हाथ फेरना या राथों से घर्षण करना ।

संवाहण—मर्दन करना—हाथ से पांव को दवाना ।

यकान या वात आदि रोग के बिना, आमर्जन संवाहन करने पर यह प्रायश्चित्त समझना चाहिए। विशेष कारण में अथवा सहनशीलता के अभाव में स्थविरकल्पी को शरीर का परिकर्म करने की और औषध के सेवन की अनुज्ञा समझनी चाहिये ।

नि. भाप्य गा. १४९१—१४९२

ध्वव. उ' ५, नि. उ. १३

परिकर्म की प्रवृत्ति में दोषों की संभावना बताते हुये भाप्यकार कहते हैं—

संघट्टणा तु वाते, सुहुमे यज्णे विराघए पाणे ।

बाउस दोस विभूसा, तम्हा ण पमज्जए पाए ॥ १४९३ ॥

गाथा १४९८ में भी दोषों का वर्णन किया है। दोनों गाथाओं का सयुक्त भावार्थ यह है—वायुकाय की विराधना, मच्छर पतंगा आदि छोटे बड़े संपातित जीवों की विराधना, वकुशता, ब्रह्मचर्य की अगुप्ति, सूत्र-अर्थ (स्वाध्याय) की परिहानि तथा लोकापवाद आदि दोष होते हैं। अतः विशेष कारण के बिना ये प्रवृत्तियां नहीं करनी चाहिये ।

फुमेज्ज वा रएज्ज वा—मेहंदी आदि लगाने के बाद रुई के फोहे से (रंग को चमकीला बनाने के लिये) तेल आदि लगाने की क्रिया को यहां “फुमेज्ज” कहा गया है, यथा—

फुमंते लग्गते रागो—अलत्तरंगो फुमिज्जंतो लग्गति । —१४९६

अर्थ—फूमित करने पर रंग लगता है—अलत्तरंग का रंग फूमित करने से ही लगता है ।

गूम में “फुमेज्ज” पद पहले दिया गया है, जो पद व्यत्यय आदि कारण से भी होना संभव है अथवा अवचित् तेल लगाकर फिर रंग के पदार्थ भी लगाये जाते हों, इस अपेक्षा में भी यह कथन हो सकता है ।

काय-परिकर्म-प्रायश्चित्त—

२२-२७ जे भिखू अप्पणो कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ एवं पायगमेण पेयद्वं जाव जे भिपू अप्पणो कायं फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रयंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु अपने शरीर का एक बार या बार बार आमर्जन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर के आलापक के समान जानना यावत् जो भिक्षु अपने शरीर को रंगता है या उस रंग को चमकोला बनाता है, अथवा ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है (उने लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—अनेक अंगों संबन्धी ६ मूर्तों के आलापकों का स्वतंत्र कथन है । अतः यहाँ शरीर के कथन में अवशेष अंग-हाथ, पैर, पीठ आदि के लिए ६ मूर्त समझ लेने चाहिए, तथा संपूर्ण विवेचन पैर के मूर्तों के विवेचन के समान यहाँ भी विषयानुसार समझ लेना चाहिये ।

व्रण-चिकित्सा-प्रायश्चित्त—

२८-३३ जे भिक्षु अप्णो कार्यसि यणं आमग्जेज्ज वा पमग्जेज्ज वा आमग्जंतं वा पमग्जंतं वा साइज्जइ एवं पापममेण णेयथं जाय जे भिक्षु अप्णो कार्यसि यणं फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रयंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु अपने शरीर में हुए घाव का एक बार या अनेक बार आमर्जन करता है या आमर्जन करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर के आलापक के समान जानना यावत् जो भिक्षु अपने शरीर पर हुए घाव को रंगता है या चमकोला बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उने लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—व्रण—घाव । यह दो प्रकार का होता है—

१. शरीर पर स्वतः उत्पन्न-दाद गूजली, कोढ़ आदि ।

२. बाह्य उपग्रह से उत्पन्न—घस्त्र, कांटा, कील आदि के लगने में, गांप, कुत्ता आदि के काटने से, ठोकर लगने से या गिरने-पड़ने में उत्पन्न घाव ।

भिक्षु को यदि सहन करने की क्षमता ही तो कम-निर्जराथं इन परिस्थितियों में भी गमनाथ ने उत्पन्न दुःख को सहन करना चाहिये किन्तु परिकरम नहीं करना चाहिये ।

अनेक प्रकार से प्रमाद्वृद्धि, रोगवृद्धि आदि की संभावना होने के कारण इनके परिकरम का प्रायश्चित्त कहा गया है । 'असह्य स्थिति के बिना परिकरम नहीं करना' उस लक्ष्य की स्मृति बनी रहे अनतिथे इनका लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है ।

गंटादि-शल्य-चिकित्सा-प्रायश्चित्त—

३४. जे भिक्षु अप्णो कार्यसि गंठं वा, पित्तं वा, अरइयं वा, अंतियं वा, मगंठं वा अप्णयरेणं तिक्केणं सत्पजाएणं आच्छिदेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा, आच्छिदंतं वा विच्छिदंतं वा साइज्जइ ।

३५. जे भिक्षु अप्णो कार्यसि गंठं वा, पित्तं वा, अरइयं वा, अंतियं वा, मगंठं वा, अप्णयरेणं तिक्केणं सत्पजाएणं आच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा जीहरेज्ज वा विहोहरेज्ज वा, जीहरेतं वा विहोहरेतं वा साइज्जइ ।

३६. जे भिक्खू अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा, भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं, आच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरित्ता विसोहित्ता, सीओदगवियडेण वा उस्सिणोदगवियडेण वा उच्छोल्लेज्ज वा पघोवेज्ज वा, उच्छोल्लेतं वा पघोवैतं वा साइज्जइ ।

३७. जे भिक्खू अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलगं वा, अरइयं वा, अंसियं वा, भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं आच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरित्ता विसोहित्ता, सीओदगवियडेण वा उस्सिणोदगवियडेण वा उच्छोल्लित्ता पघोवित्ता अण्णयरेणं आलेवण-जाएणं आलिपेज्ज वा विालिपेज्ज वा आलिपंतं वा विालिपंतं वा साइज्जइ ।

३८. जे भिक्खू अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलगं वा, अरइयं वा, अंसियं वा, भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं आच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरित्ता विसोहित्ता, सीओदगवियडेण वा उस्सिणोदगवियडेण वा उच्छोल्लित्ता पघोवित्ता, अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिपित्ता-विालिपित्ता तेल्लेण वा जाव णवणीएण वा अब्भंगेज्ज वा मवखेज्ज वा, अब्भंगेतं वा मवखेतं वा साइज्जइ ।

३९. जे भिक्खू अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलगं वा, अरइयं वा अंसियं वा, भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थ-जाएणं, आच्छिदित्ता विच्छिदित्ता, पूयं वा सोणियं वा णीहरित्ता-विसोहित्ता, सीओदगवियडेण वा उस्सिणोदगवियडेण वा उच्छोल्लित्ता पघोवित्ता, अण्णयरेणं आलेवण-जाएणं आलिपित्ता-विालिपित्ता तेल्लेण वा जाव णवणीएण वा अब्भंगेत्ता मवखेत्ता, अण्णयरेणं धूवजाएणं धूवेज्ज वा पघूवेज्ज वा धूवैतं वा पघूवैतं वा साइज्जइ ।

३४. जो भिक्षु अपने शरीर पर हुए गंडमाल, पेरों आदि पर हुए गुमड़े, छोटी-छोटी फुंसिया (अलाइयाँ) मसा तथा भगंदर आदि को किसी तीक्ष्ण दाह्य से एक बार काटता है या बार-बार काटता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु अपने शरीर के गंडमाल, गुमड़े, फुंसियों मसे या भगंदर को किसी तीक्ष्ण दाह्य से काटकर पीप या रक्त निकालता है या शोधन करता है, या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३६. जो भिक्षु अपने शरीर के गंडमाल, गुमड़े, फुंसियों, मसे या भगंदर को किसी तीक्ष्ण दाह्य से काटकर, पीप, छून निकालकर, शीतल या उष्ण अचित्त जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

३७. जो भिक्षु अपने शरीर के गंडमाल, गुमड़े, फुंसियों, मसे या भगंदर को किसी तीक्ष्ण दाह्य से काटकर, पीप, छून निकालकर, शीतल या उष्ण अचित्त जल से धोकर किसी भी प्रकार का लेप—मलहम लगाता है या बार-बार लगाता या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।

३८. जो भिक्षु अपने शरीर के गंडमाल, गुमड़े, फुंसियों, मसे या भगंदर को किसी तीक्ष्ण दाह्य से काटकर, पीप, छून निकालकर, शीतल या उष्ण अचित्त जल से धोकर किसी भी प्रकार का

मनहम लगाकर, तेल यावत् मक्खन से एक बार या बार-बार मालिश करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु अपने शरीर के गण्डमान, गूमड़े, कुंमियों, मसे या भगंदर को किसी तीक्ष्ण द्रव्य में काटकर, पीप, मूत्र निकालकर, शीतल या उष्ण जल में धोकर किसी भी प्रकार का मलहम लगाकर, तेल यावत् मक्खन से मालिश करके किसी मुग्धित पदार्थ से एक बार या बार-बार मुबालित करता है या करने वाले का अनुमोदन करना है । (उसे तधुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—१. गच्छतीति गंडं, तं च गंडमाला ॥ नि. चू. ॥

“उच्चप्रदेशात् नीचप्रदेशं गच्छति” सः गंडमाला “कंडमाला” इति लोकप्रसिद्धः । नि. घा. ॥
—कान के नीचे व कंड और गर्दन से सम्बन्धित व्याधिविशेष ।

२. पित्तं तु पादगतं गंडं । ॥ नि. चू. ॥ यहाँ पाँव के गूमड़े से पूरे शरीर में होने वाले गूमड़े समूह लें क्योंकि मूत्र में “पित्तं” शब्द ही है ।

३. “अरइयं वा” अरतितो जं न पचवति ॥ नि. चू. ॥

रक्तविकारेण जायमाने सद्यु अणपुंजल्पे । यस्यां छर्जने तत्समये सुप्रमिष जायते पदवात्—
दुःखाधिष्यम् “कुन्तीति” लोकप्रसिद्धम् ॥ नि. घा. ॥

जिनके द्वारा शरीर अरतितकर हो जाता है, ऐसी साधारण गर्मी की कुंमिया या विमिष्ट (चेचक-शोरी-अचपडा आदि) कुंसी समूह ।

४. असिं—ग्रहिट्टाणे णासाए अणमु वा भवति । ॥ नि. चू. ॥

असौ वा, गुदागतो रोगः “वयासीर” इति लोकप्रसिद्धः । ॥ नि. घा. ॥

५. भगंदर—गुण्ड स्वान गत रोग विशेष ।

एकरुति ईषद् वा आच्छिदणं, बहुवारं सुट्ठ वा छिदणं विच्छिदणं । ॥ नि. चू. ॥

इन मूत्र गण्डक के प्रत्येक मूत्र की चूर्णों में बताया है कि पूर्वोक्त मूत्र का पूरा घामावक पर करने बाद में विशेष आन्वापक कहना चाहिए ।

“पुट्यमुत्तं सत्त्वं उच्चारैरुज्ज इमे अइरिता आत्तायगा ।”

अतः यहाँ पूर्व मूत्र का पूरा पाठ स्वीकार किया गया है और अर्थ संक्षिप्त किया है ।

यहाँ धरत्र के आगेवपुत्र के और ध्रुव के माय अणमरं या ज्ञात शब्द का प्रयोग हुआ है । इनका आशय यह है कि वे अनेक प्रकार के होते हैं उनमें से किसी भी एक प्रकार का यहाँ विवक्षित है ।

पूर्व के अनेक आन्वापकों में पहले अणमंगन मूत्र आया है, बाद में उचटन मूत्र । किन्तु यहाँ पर पहले आभिनग मूत्र है फिर अणमंगन मूत्र है । उनमें यह समझना चाहिए कि इन गंड आदि में वे मूत्रगत त्रियाएँ इन तम में होती हैं । इन मूर्णों को तमिक व सम्बन्धित मूत्र समझना चाहिए । किन्तु पूर्व के आन्वापकों में यचित कियाएँ अणनिरु व स्वंगंर है गया दोनों आन्वापकों में आभिनग और उचटन से भिन्न-भिन्न कियाएँ हैं ऐसा समझना चाहिए ।

पूर्व आलापकों की क्रियाएँ

१. आमजन—हाथ से घर्षण,
२. मर्दन—हाथ से दवाना,
३. मालिश—तेलादि से,
४. उबटन—लोधादि से,
५. प्रक्षालन—अचित्त जल से,
६. रंगना—मेहंदी आदि से,

गंडादि आलापक की क्रियाएँ—

१. शस्त्र से काटना व काटकर,
२. पीप खून निकालना व निकालकर,
३. अचित्त जल से धोना और धोकर,
४. मलहम लगाना व लगाकर,
५. तेलादि से मालिश करना, करके,
६. सुगंधित द्रव्य से सुवासित करना ।

सूत्र संख्या १६ से ६९ तक शरीरपरिकर्म प्रायश्चित्त के कुल ५४ सूत्र हैं । व्याख्याकार ने इन सूत्रों का भाव यह बताया है कि-‘कारण से करने में अनुज्ञा व अकारण से करने पर प्रायश्चित्त है’ ऐसा समझना चाहिये । किन्तु व्रण के ६ सूत्र और गंडादि के ६ सूत्र हैं । इन १२ सूत्रों में तो कारण स्पष्ट है फिर भी प्रायश्चित्त क्यों कहा गया है ?

इस प्रश्न के उत्तर में व्याख्याकार कहते हैं कि-‘रोग को असातावेदनीय से उत्पन्न हुआ जान-कर अदीन भाव से प्रसन्नचित्त रहकर निर्जरार्थ समभाव से सहन करना चाहिये, किन्तु आतंघ्यान या असमाधि भाव नहीं करना चाहिये । जिनकल्पी आमरणांत इसी अवस्था से रहते हैं । किन्तु स्वविरकल्पी द्वारा वेदना असह्य होने पर १. सूत्र अर्थ के विच्छेद न होने के लिये २. संयमी जीवन के लिये, ३. समाधिभाव पूर्वक मरण की प्राप्ति के लिये तथा ४. ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप की वृद्धि करने के लिये, इन क्रियाओं को करना वह “सकारण करना” कहलाता है ।

१. सहनशीलता आदि का विचार किये बिना, २. क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखे बिना, ३. साधारण कारण से ही शीघ्र उपचार करने की आदत मात्र से ये प्रवृत्तियाँ करना “अकारण करना” कहलाता है, इस अपेक्षा से यह प्रायश्चित्तविधान है ।

इस भावार्थ की सूचक तीन गायों इस प्रकार हैं—

णिवकारणे ण कप्पति, गंडादीएसु छेअ-धुवणादी ।

आसज्ज कारणं पुण, सो चेव गमो हवइ तत्थ ॥ १५०७

णच्चूपतितं दुबधं, अभिभूतो वेयणाए तिव्वाए ।

अद्दीणो अव्वहिओ, तं दुक्खं अहियासए सम्मं ॥ १५०८ ॥

अच्चोच्छित्तिणिमित्तं, जीवट्ठिए समाहिहेहं वा ।

पमज्जणादि तु पदे, जयणाए समायरे भिन्नत् ॥ १५०९ ॥ नि. चू.

निशाय सूत्र उद्देशक १३ में बिना रोग के [रोग के पूर्व या पश्चात्] चिकित्सा करे तो प्रायश्चित्त कहा गया है । उसके फलितार्थ में भी यह भाव निकलता है कि स्वविरकल्पी अपने समाधि भाव का विचार करके आवश्यक हो तो गीतार्थ व गीतार्थ को निश्चा ने प्रमिक विवेकपूर्वक उपचार तथा शरीरपरिकर्म को क्रियाएँ कर सकना है । अपवाद प्रसंग का निर्णय गीतार्थ के तत्त्वावधान में होता है ।

उत्सर्ग व अपवाद के निर्णय को समझने के लिए निशोधचूर्णी भाग-३ की प्रस्तावना में कुछ आवश्यक अंश उद्धृत करना यहाँ प्रासंगिक होगा।

उत्सर्ग और अपवाद—

उत्सर्ग और अपवाद दोनों का लक्ष्य है—जीवन की शुद्धि, आध्यात्मिक विकास, संनमन की सुरक्षा, ज्ञानादि सद्गुणों की वृद्धि।

जैसे राजपथ पर चलने वाला पथिक यदा कदा विशेष बाधा उपस्थित होने पर राजमार्ग का परित्याग कर पास की पगडंडी पकड़ लेता है और कुछ दूर जाने के बाद किसी प्रकार की बाधा दिखाई न दे तो पुनः राजमार्ग पर लौट आता है। यही बात उत्सर्ग से अपवाद में जाने और अन्वय से उत्सर्ग में आने के संबंध में समझ लेनी चाहिए। दोनों का लक्ष्य प्रगति है। अतः दोनों ही मार्ग हैं, अमार्ग या उन्मार्ग नहीं हैं। दोनों के समन्वय से साधक की साधना मिष्ट एवं समृद्ध होती है।

उत्सर्ग और अपवाद कब और कब तक ?—

प्रश्न वस्तुतः महत्व का है। उत्सर्ग साधना की सामान्य विधि है। अतः उस पर साधक को सतत चलना होता है। उत्सर्ग छोड़ा जा सकता है किन्तु अकारण नहीं। किसी विशेष परिस्थिति में ही उत्सर्ग का परित्याग कर अपवाद अपनाया जाता है, पर सदा के लिए नहीं।

जो साधक अकारण उत्सर्ग मार्ग का परित्याग कर देता है अथवा सामान्य कारण उपस्थित होने पर उसे छोड़ देता है, वह साधक सच्चा साधक नहीं है, वह जिनासा का पाराधक नहीं किन्तु विराधक है।

जो व्यक्ति अकारण प्रीपद्य भेदन करता है अथवा रोग न होने पर भी रोगी होने का प्रदर्शन करता है वह धूर्त है, कर्तव्यविमुख है। ऐसी व्यक्ति स्वयं पयश्छट्ट होकर समाज को कलंकित करते हैं। यही दशा उन साधकों की है जो साधारण कारण से उत्सर्ग मार्ग का परित्याग कर देते हैं या अकारण ही अपवाद का भेदन करते रहते हैं, कारणवश एक बार अपवाद भेदन के बाद, कारण समाप्त होने पर भी अपवाद का सतत भेदन करने रहते हैं। ऐसे साधक स्वयं पयश्छट्ट होकर समाज में भी एक अनुचित उदाहरण उपस्थित करते हैं। ऐसे साधकों का कोई सिद्धान्त नहीं होगा, और न उनके उत्सर्ग अपवाद की गोमा होती है। वे अपनी वाननापूर्ति के लिए या दुर्बलता दियाने के लिए विहित अपवाद मार्ग को बदनाम करते हैं।

अपवाद मार्ग भी एक विशेष मार्ग है। यह भी साधक को मोक्ष की ओर ही ले जाता है, मंगल की ओर नहीं। जिस प्रकार उत्सर्ग संनमन मार्ग है उसी प्रकार अपवाद भी संनमन मार्ग है। किन्तु यह अपवाद वस्तुतः अपवाद होना चाहिये। अपवाद के पवित्र वेप में नहीं भोगवांक्षा (प कृपावृत्ति) बलमा न दे जाय, अतः त्रिये साधक को मतल, सज्जन, जागरूक एवं सचेष्ट रहने की आवश्यकता है।

साधक के गन्मुद्य वस्तुतः कोई विष्ट परिस्थिति ही, दूसरा कोई मरणा मार्ग मूल ही न पड़ता हो, अतः अपवाद अपरिहार्य स्थिति में उपस्थित हो गया हो तभी अपवाद का भेदन धर्म होता है और ज्यों ही समाप्त नूकानी पातावरण साक हो जाय, स्थिति की विचलता न रहे, त्यों ही उत्सर्ग मार्ग पर आरुद्ध हो जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में क्षण भर का त्रियं भी (संनमन) साधक ही संनमन है।

और एक बात यह भी है कि जितना आवश्यक हो उतना ही अपवाद का सेवन कर चाहिये। ऐसा न हो कि जब यह कर लिया तो अब इसमें क्या है? यह भी कर लें। जीवन निरन्तर एक अपवाद से दूसरे अपवाद पर शिथिल भाव से लुडकाते जाना, अपवाद नहीं है। जि लोगो की मर्यादा का भान नहीं हैं, अपवाद की मात्रा एवं सीमा का परिज्ञान नहीं है, उनका अपवाद के द्वारा उत्थान नहीं है अपितु गतमुख पतन होता है। एक बहुत सुन्दर पौराणिक दृष्टांत है। उस प से सहज समझा जा सकता है कि उत्सर्ग और अपवाद की अपनी क्या सीमाएं होती हैं और उस सीमा से सूक्ष्म विश्लेषण किस ईमानदारी से करना चाहिये।

“एक विद्वान् ऋषि कही से गुजर रहे थे। भूख और प्यास से अत्यन्त व्याकुल थे। द्वादश वर्षों भयंकर दुर्भिक्ष था। राजा के कुछ हस्तोपक (पीलवान) एक जगह साथ में बैठकर भोजन कर रहे थे। ऋषि ने भोजन मांगा। उत्तर मिला—‘भोजन तो जूठा है’। ऋषि बोले—“जूठा है तो क्या आखिर पेट तो भरना है” “आपत्काले मर्यादा नास्ति” भोजन लिया, खामा और चलने लगे तो जल लेने को कहा, तब ऋषि ने उत्तर दिया—‘जल जूठा है, मैं नहीं पी सकता’। लोगो ने कहा कि मालूम होता है कि—‘अन्न पेट में जाते ही बुद्धि लौट आई है’। ऋषि ने शांत भाव से कहा बंधुम्री तुम्हारा सोचना ठीक है किन्तु मेरी एक मर्यादा है। अन्न अन्यन्न मिल नहीं रहा था और मैं भूख इतना आकुल-व्याकुल था कि प्राण कंठ में आ रहे थे और अधिक सहने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। अतः मैंने जूठा अन्न भी अपवाद की स्थिति में स्वीकार कर लिया। अब जल तो मेरी मर्यादा के अनुसार अन्यन्न शुद्ध मिल सकता है। अतः मैं व्यर्थ ही जूठा जल क्यों पीऊँ।”

संक्षेप में सार यह है कि जब तक चला जा सकता है उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना चाहिये, जब चलना सर्वथा दुस्तर हो जाय, दूसरा कोई इधर-उधर बचाव का मार्ग न रहे तब अपवाद मार्ग का सेवन करना चाहिये और ज्यों ही स्थिति सुधर जाय पुनः तत्क्षण उत्सर्ग मार्ग पर लौट आना चाहिये।

उत्सर्ग मार्ग सामान्य मार्ग है। यहां कौन चले कौन नहीं चले, इस प्रश्न के लिये कुछ स्थान नहीं है। जब तक शक्ति रहे, उस्ताह रहे, आपत्ति काल में भी किसी प्रकार का ग्लानिभाव आवे, धर्म एव सध पर किसी प्रकार का उपद्रव न हो अथवा ज्ञान दर्शन चरित्र की क्षति का कोई विशेष प्रसंग उपस्थित न हो, तब तक उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना है, अपवाद मार्ग पर नहीं।

अपवाद मार्ग पर कभी कदाचित् ही चला जाता है। इस पर हर कोई माधक हर किम गमय नहीं चल सकता है। जो साधक आचारंगमूत्र आदि आचारसंहिता का पूर्ण अध्ययन कर चुका है, गीताय है, निशीथ मूत्र आदि छेद मूत्रों के नूक्षमतम मर्म का भी ज्ञाता है, उत्सर्ग-अपवाद पदों का अध्ययन ही नहीं अपितु स्पष्ट अनुभव रखता है, वही अपवाद के स्वीकार या परिहार संबंध में ठीक ठीक निर्णय दे सकता है। अतः सभी आपवादिक विधान. करने वाले मूर्खों में कही ग प्रवृत्तियों के करने में इस उत्सर्ग-अपवाद के स्वरूप संबंधी वर्णन को ध्यान में रखना चाहिये।

कृमि-नीहरण प्रायश्चित्त—

४०. जे भिक्खु अण्णो पातु-किमियं वा, पुच्छिक्किमियं वा, अंगुलीए णियेसिय-णियेसिय णीहरइ, णीहरंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु अपने अपानद्वार की कृमियों की और कुक्षि की कृमियों की अंगुली दास-जानक निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है (उसे सधुभासिक प्रायश्चित्त भाता है ।)

विवेचन—पाचन की विकृति से पेट में कृमियों की उत्पत्ति होती है जो प्रायः अपानद्वार-गुदा भाग से अंगुलि के साथ बाहर निकलती हैं । ये कृमियाँ कभी अपानद्वार के मुख पर या कभी कुक्ष अन्दर भाग में रुक जाती हैं । उन्हें अंगुली के द्वारा निकालने में विरायना समय होती है प्रायश्चित्त कहा है ।

कुक्षि—अपान द्वार का ३-४ अंगुल तक का भीतरी भाग ।

पालु—अपान द्वार का बाह्य मुखस्थान ।

कृमियं—कृमि छोटी बड़ी अनेक प्रकार की होती हैं । जो बाहर निकलने के बाद कल समय तक ही जीवित रहती हैं । ये चारीक लट जैसी धावत् सर्प के छोटे बच्चे जैसी भी हो सकती हैं ।

नख-परिकर्म प्रायश्चित्त—

४१. 'जे भिक्षु अप्पणो बीहाओ णहसोहाओ' कप्पेज्ज वा, संठपेज्ज वा, कप्पेतं वा संठपेतं वा साइज्जइ ।

४१. जो भिक्षु अपने बड़े हुये नखों के अग्रभागों को काटता है या मुघारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे सधुभासिक प्रायश्चित्त भाता है ।)

विवेचन—आगामों में "बीहरोमनहंतिणो"—दीर्घ रोम नखों वाला—दश. प्र. ६ गा. ६४

तथा "धुत्तकेतमंशुरोमणहे"—केम, मूँ छ, रोम घौर नखों के संस्कार नहीं करने वाला,

—प्रम. श्र. २, प्र. १, मू. ४

इत्यादि पाठों के होते हुए भी नख काटने का एकांत निषेध नहीं समझना चाहिये क्योंकि आना. श्र. २, प्र. ७, उ. १, में स्वयं के लिये ग्रहण किये नखछेदनक को अन्य भिक्षु को नहीं देने का तथा स्वयं के लौटाने की विधि का कथन है ।

निगोच उ. १, सूत्र ३२ में नख काटने के लिए ग्रहण किये नखछेदनक से अन्य कार्य करने का प्रायश्चित्त है । तथा सूत्र १७, २१, २५, २९, ३७ में अविधि से ग्रहण करने, अविधि से लौटाने, बिना प्रयोजन ग्रहण करने आदि के प्रायश्चित्त विधान हैं । इन आचारांग तथा निगोचसूत्र के पाठों से स्पष्ट सिद्ध है कि साधु नखछेदनक आवश्यक होने पर विधि से ग्रहण कर सकता है, नख काट सकता है और विधि से लौटा सकता है ।

किन्तु प्रस्तुत सूत्र में नख काटने का प्रायश्चित्त कथन है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अकारण नख काटने का निषेध और प्रायश्चित्त है एवं अकारण नख काटने पर प्रायश्चित्त नहीं है ।

मेवाकायों के करने में बड़े हुए नख यदि बाधा रूप हों तो नख काटना "अकारण" है ।

नियत दिग से नख काटने का संकल्प रख कर नख काटना "अकारण" है ।

रोम-परिकर्म प्रायश्चित्त—

४२. जे भिखू अप्पणो दोहाइं जंघ—रोमाइं कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवैतं वा साइज्जइ ।

४३. जे भिखू अप्पणो दोहाइं वल्लि—रोमाइं कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवैतं वा साइज्जइ ।

४४. जे भिखू अप्पणो दोहाइं "रोमराइं" कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवैतं वा साइज्जइ ।

४५. जे भिखू अप्पणो दोहाइं कवख—रोमाइं कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा कप्पेतं वा संठवैतं वा साइज्जइ ।

४६. जे भिखू अप्पणो दोहाइं "उत्तरोट्ट—रोमाइं" कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवैतं वा साइज्जइ ।

४७. जे भिखू अप्पणो दोहाइं "मंसुरोमाइं" कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवैतं वा साइज्जइ ।

४२. जो भिक्षु अपने बड़े हुए "जंघा" के रोमों को काटता है या मुघारता है (संवारता है) या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४३. जो भिक्षु बड़े हुए गुच्छ देग के रोमों को काटता है, मुघारता है, या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४४. जो भिक्षु अपने बड़े हुए पेट, छाती व पीठ भाग के रोमों को काटता है या मुघारता है—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४५. जो भिक्षु अपने बड़े हुए आंघ के रोमों को काटता है या मुघारता है—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४६. जो भिक्षु अपनी बड़ी हुई "दाढ़ी" को काटता है या मुघारता—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४७. जो भिक्षु अपनी बड़ी हुई "मूँछों" को काटता है या मुघारता—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुभासिक प्रायश्चित्त धाता है ।)

दंत-परिकर्म-प्रायश्चित्त—

४८. जे भिखू अप्पणो "दंते" आघंसिज्ज वा पघंसिज्ज वा, आघंसंतं वा पघंसंतं वा साइज्जइ ।

४९. जे भिखू अप्पणो "दंते" सोओदगघियट्ठेण वा, उत्तिणोदग-घियट्ठेण वा, उच्छोवेज्ज वा पघोवेज्ज वा, उच्छोवैतं वा पघोवैतं वा साइज्जइ ।

५०. जे भिक्षु अल्पणो "दंते" कुमेज्ज वा रएज्ज वा, कुमेंतं वा रएंतं वा ताइज्जह ।

अर्थ—४८. जो भिक्षु दाँत (मंजन आदि से) पिसता है या बार-बार पिसता है या पिसे वाले का अनुमोदन करता है ।

४९. जो भिक्षु अपने दाँत शीतल या उष्ण अन्नित्त जन से एक बार या बार-बार घोंता है या घोंते वाले का अनुमोदन करता है ।

५०. जो भिक्षु अपने दाँत मिस्सी आदि से रंगता है या तेन आदि पदार्थ लगाकर पनरीय बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आना है ।)

विशेष—दशवैकालिक अ. ३, गा. ३, में दंतप्रक्षालन को अनाचार कहा है तथा उपवास आदि अन्य आगमों में अनेक स्थानों पर श्रमण-धर्मों में "अदंत-घावण" भी एक धर्म कही गई है । वर्तमान युग में साधु-साध्वियों की आहार पानी की सामग्री प्राचीन काल जैसी न रहने के कारण दंत-प्रक्षालन आदि न करने पर दाँतों में दन्तदोष या "पायरिया" आदि रोग होने की सम्भावना रहती है । अतः जिन साधु-साध्वियों को उक्त जिज्ञासा का पालन करना हो तो उन्हें नीचे लिखी सावधानियाँ रखनी चाहिए—

१. पोटिक पदार्थों का सेवन नहीं करना, यदि सेवन किया जाए तो उपवास आदि तप अग्रथ्य करना,

२. सदा ऊनोदरी तप करना,

३. अत्यन्त गर्म या अत्यन्त ठण्डे पदार्थों का सेवन नहीं करना,

४. भोजन करने के बाद या कुछ छाने-पीने के बाद दाँतों को साफ करते हुए कुछ पानी पी लेना चाहिए । घाम को चौबिहार का त्याग करते समय भी इसी प्रकार दाँतों को अच्छी तरह साफ करते हुए पानी पी लेना चाहिए ।

५. चाकेलेट गोमियाँ आदि नहीं खाना चाहिए ।

उक्त सावधानियाँ रखने पर "अदंतघावण" नियम का पालन करते हुए भी दाँत स्वस्थ रह सकते हैं एवं इन्द्रिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य-पालन आदि में भी समर्थ भाव रह सकता है ।

आगमोक्त अदंतघावन, चस्नान, ब्रह्मचर्य, ऊनोदरी तप तथा अन्य साधु आश्रमनर तप आदि अन्य सभी नियम परस्पर सम्बन्धित हैं, अतः आगमोक्त सभी नियमों का पूर्ण पालन करने पर ही स्वास्थ्य एवं न्याय की समर्थि कायम रह सकती है ।

सातत्य यह है कि अदंतघावन नियम के पालन के साथ गान-गान के विषय में ही इन्द्रिय-निग्रह में नफलता प्राप्त हो सकती है । इन्द्रियनिग्रह की गफलता में ही संन्यासार्थन की गफलता भी हुई है । इन्हीं कारणों से आगमों में अदंतघावन को इतना महत्त्व दिया गया है ।

साधारणतः मंजन करना और संन्यासन सम्पन्नी कियाँ करना, में सब संन्यासियों के प्रयोग प्रवृत्तियाँ हैं । किन्तु अनाचारधर्मों से या अन्य किसी कारण से दाँतों के दण्ड हो जाने पर विविधता के लिए मंजन करना एवं दंतप्रक्षालन सम्पन्नी कियाँ करना अन्याय नहीं है । एवं अनाचार प्रस्तुत मूल से प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

दांतों की रूग्णता ज्ञात होने के बाद भी उपयुक्त सावधानियाँ रख कर शीघ्र ही चिकित्सा के निमित्त किये जाने वाले दंतप्रक्षालन से मुक्त हो जाना चाहिए, अर्थात् सदा के लिए दंतप्रक्षालन प्रवृत्ति को स्वीकार न करके खान-पान का विवेक करके अदंतघावन चर्चा को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्रों में अकारण मंजन करने का एव प्रक्षालन करने का या अन्य कोई पदार्थ लगाने का प्रायश्चित्त कहा गया है ऐसा समझना चाहिए ।

विभूषा के सकल्प से मंजन आदि करने का लघु चौमासी प्रायश्चित्त आगे पन्द्रहवें उद्देशक में कहा गया है ।

श्रोष्ठ-परिकर्म-प्रायश्चित्त—

५१-५६ जे भिखू अप्पणो उट्टे आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ, एवं पायगमेण णेयत्वं जाव जे भिखू अप्पणो उट्टे फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रयंतं वा साइज्जइ ।

५१-५६—जो भिक्षु अपने होठों का एक बार या बार-बार आमर्जन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर के आलापक के समान जानना यावत् जो भिक्षु अपने होठों पर रंग लगाता है या उसे चमकीला बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उत्तं लघु-मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पैर के सूत्रों के समान यहां भी विषयानुसार विवेचन जान लेना चाहिये ।

चक्षुःपरिकर्म-प्रायश्चित्त—

५७. जे भिखू अप्पणो दीहाइं "अच्छिपत्ताइं" कप्पेज्ज वा संठेवेज्ज वा कप्पंतं वा संठेवंतं वा साइज्जइ ।

५८-६३. जे भिखू अप्पणो अच्छीणि आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ एवं पायगमेणं णेयत्वं जाव जे भिखू अप्पणो अच्छीणि फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रयंतं वा साइज्जइ ।

५७. जो भिक्षु अपने अक्षिपत्र—चक्षु रोमों को काटता है या मुधारता-संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५८-६३. जो भिक्षु अपनी आंखों का एक बार या बार-बार आमर्जन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर के समान जानना यावत् जो भिक्षु अपनी आंखों को रंगता है या उसे चमकीला बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है (उत्तं लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पैरों के ६ सूत्रों के समान आंख के ६ सूत्रों का विवेचन विषयानुसार समझ लेना चाहिए । अर्थात् वहाँ पर्यन्त—भजनना य मर्दनादि त्रियाणं करने में शीघ्र आंख श्रोष्ठ संबंधी ये त्रियाणं

५०. जे भिक्षू अल्पणो “दंते” कुमेज्ज वा रएज्ज वा, कुमेंते वा रएंते वा साइज्जइ ।

अर्थ—४८. जो भिक्षु दाँत (मंजन आदि से) घिसता है या बार-बार घिसता है या घिसने वाले का अनुमोदन करता है ।

४९. जो भिक्षु अपने दाँत शीतल या उष्ण अचित्त जल से एक बार या बार-बार घोता है, घोने वाले का अनुमोदन करता है ।

५०. जो भिक्षु अपने दाँत मिस्सी आदि से रगता है या तेल आदि पदार्थ लगाकर चमकी बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—दशवैकालिक अ. ३, गा. ३, में दंतप्रक्षालन को अनाचार कहा है तथा उक्त आदि अन्य आगमों में अनेक स्थानों पर श्रमण-चर्या में “अदंत-धावण” भी एक चर्या कही गई है वर्तमान युग में साधु-साध्वियों की आहार पानी की सामग्री प्राचीन काल जैसी न रहने के कारण दंतप्रक्षालन आदि न करने पर दाँतों में दन्तक्षय या “पायरिया” आदि रोग होने की सम्भावना रहती है । अतः जिन साधु-साध्वियों को उक्त जिनाज्ञा का पालन करना हो तो उन्हें नीचे लिखी सावधानियाँ रखनी चाहिए—

१. पौष्टिक पदार्थों का सेवन नहीं करना, यदि सेवन किया जाए तो उपवास आदि तब अवश्य करना,

२. सदा ऊनोदरी तप करना,

३. अत्यन्त गर्म या अत्यन्त ठण्डे पदार्थों का सेवन नहीं करना,

४. भोजन करने के बाद या कुछ खाने-पीने के बाद दाँतों को साफ करते हुए कुछ पानी पी लेना चाहिए । शाम को चौबिहार का त्याग करते समय भी इसी प्रकार दाँतों को अच्छी तरह साफ करते हुए पानी पी लेना चाहिए ।

५. चाकेलेट गोलियाँ आदि नहीं खाना चाहिए ।

उक्त सावधानियाँ रखने पर “अदंतधावण” नियम का पालन करते हुए भी दाँत स्वस्थ रह सकते हैं एवं इन्द्रिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य-पालन आदि में भी समाधि भाव रह सकता है ।

आगमोक्त अदंतधावन, अस्नान, ब्रह्मचर्य, ऊनोदरी तप तथा अन्य बाह्य आभ्यन्तर तप एवं अन्य सभी नियम परस्पर सम्बन्धित हैं, अतः आगमोक्त सभी नियमों का पूर्ण पालन करने पर ही स्वास्थ्य एवं संयम की समाधि कायम रह सकती है ।

तात्पर्य यह है कि अदंतधावन नियम के पालन के साथ खान-पान के विवेक में ही इन्द्रिय निग्रह में सफलता प्राप्त हो सकती है । इन्द्रियनिग्रह को सफलता में ही संप्रमाराधन की सफलता रहती हुई है । इन्हीं कारणों से आगमों में अदंतधावन को इतना महत्त्व दिया गया है ।

सामान्यतः मंजन करना और दंतधावन सम्बन्धी क्रियाएँ करना, ये सब संयम जीवन के उपयोग्य प्रवृत्तियाँ हैं । किन्तु असावधानी से या अन्य किसी कारण से दाँतों के रगण हो जाने पर चिकित्सा के लिए मंजन करना एवं दंतप्रक्षालन सम्बन्धी क्रियाएँ करना अनाचार नहीं है । एवं उक्त प्रस्तुत सूत्र से प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

दांतों की रूग्णता ज्ञात होने के बाद भी उपर्युक्त सावधानियां रख कर शीघ्र ही चिकित्सा के निमित्त किये जाने वाले दंतप्रक्षालन से मुक्त हो जाना चाहिए, अर्थात् सदा के लिए दंतप्रक्षालन प्रवृत्ति को स्वीकार न करके खान-पान का विवेक करके अदंतधावन चर्चा को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्रों में अकारण मंजन करने का एवं प्रक्षालन करने का या अन्य कोई पदार्थ लगाने का प्रायश्चित्त कहा गया है ऐसा समझना चाहिए ।

विभूषा के संकल्प से मंजन आदि करने का लघु चीमासी प्रायश्चित्त आगे पन्द्रहवें उद्देशक में कहा गया है ।

श्रोष्ठ-परिकर्म-प्रायश्चित्त—

५१-५६ जे भिक्खू अप्पणो उट्ठे आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ, एवं पायगमेण णेयव्वं जाव जे भिक्खू अप्पणो उट्ठे फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रयंतं वा साइज्जइ ।

५१-५६—जो भिक्षु अपने होठों का एक बार या बार-बार आमर्जन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर के आलापक के समान जानना यावत् जो भिक्षु अपने होठों पर रंग लगाता है या उसे चमकीला बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघु-मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पैर के सूत्रों के समान यहां भी विषयानुसार विवेचन जान लेना चाहिये ।

चक्षुःपरिकर्म-प्रायश्चित्त—

५७. जे भिक्खू अप्पणो दीहाइ "अच्छिपत्ताइ" कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा कप्पंतं वा संठवंतं वा साइज्जइ ।

५८-६३. जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ एवं पायगमेणं णेयव्वं जाव जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रयंतं वा साइज्जइ ।

५७. जो भिक्षु अपने श्लेषिपत्र—चक्षु रोगों को काटता है या मुधारता-संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५८-६३. जो भिक्षु अपनी आंखों का एक बार या बार-बार आमर्जन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर के समान जानना यावत् जो भिक्षु अपनी आंखों को रंगता है या उसे चमकीला बनाता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पैरों के ६ सूत्रों के समान आंख के ६ सूत्रों का विवेचन विषयानुसार समझ लेना चाहिए । अर्थात् यहां पर्यप—भलना व मर्दनादि त्रियाएँ करने में और आंख छोट संवंधी ये त्रियाएँ

करने में न्यूनाधिकता समझ लेना चाहिये, तथा 'कुमेज्ज रएज्ज' के प्रसंग में मेंहदी आदि के स्थान पर अंजन आदि के लगाने की भिन्नता समझ लेनी चाहिये ।

रोम-केश-परिकर्मप्रायश्चित्त—

६४. जे भिक्षु अप्पणो—“नासा-रोमाइं” कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ ।

६५. जे भिक्षु अप्पणो दीहाइं “भमुग-रोमाइं” कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ ।

६६. जे भिक्षु अप्पणो “दीहाइं-कंसाइं” कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ ।

६४. जो भिक्षु अपनी नासिका के रोमों को काटता है या सुधारता—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६५. जो भिक्षु अपने बड़े हुए भौंहों के केशों को काटता है या सुधारता—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६६. जो भिक्षु अपने बड़े हुए मस्तक के केशों को काटता है या सुधारता—संवारता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—सूत्र १६ से ४० तक २५ सूत्रों का क्रम तथा मूल पाठ भाष्य चूर्णों से स्पष्ट हो जाता है । ६+६+६+६+१=२५ सूत्र । प्रस्तुत ४१ से ६६ तक के २६ सूत्रों की संख्या का निर्देश एवं प्रथम व अंतिम सूत्र का विषयनिर्देश भी चूर्णिकार ने किया है और शेष २४ सूत्रों का अर्थ नियुक्ति संयुक्त करने का निर्देश किया है । ऐसा करने में इन २६ सूत्रों के मूल पाठ सुरक्षित नहीं रहे । क्योंकि नियुक्तिगाथा में पद्यरचना के कारण सभी सूत्रों के शब्दों का निर्देश व क्रम नहीं रह सका यह स्पष्ट है । मस्तक के बालों संबंधी सूत्र को चूर्णिकार स्वयं अंतिम कहते हैं और वे ही उसे नियुक्तिगाथा में बीच में दिखा कर वहां भी उसको चूर्णी करते हैं ।

चूर्णी और नियुक्ति में सब मिलाकर भी २६ सूत्रों की जगह १८ सूत्रों की ही व्याख्या है । एक कांय का सूत्र, ओष्ठ के ६ सूत्र, एक अक्षिपत्र का सूत्र इन आठ सूत्रों का उस व्याख्या में पूर्ण स्पष्ट निर्देश नहीं हुआ है । जिन १८ सूत्रों की व्याख्या की है उनके उपलब्ध पाठ भी विभिन्न हैं । यथा “नासा” की जगह “पाल” संबंधी सूत्र मिलता है । वह न आवश्यक है और न उसकी व्याख्या हुई है । रोमराजि की व्याख्या की है तो उसका सूत्र ही नहीं है उसकी जगह “अक्षिपत्र” सूत्र से प्रायः के रोम का कथन दुबारा हो गया है ।

इन सब स्थितियों का विवेचन में ध्यानपूर्वक अनुप्रेक्षण किया गया है । तथा २६ सूत्रों और १३ पदों का जो निर्देश चूर्णों की गा. १५१८ में हुआ है, उसके आधार से व शरीर के नोच से ऊपर के क्रम का मिलान करते हुए (जैसा कि आचा. ध्रु. १, अ. १, उ. २, में है) चूर्ण-नियुक्ति मूल पाठ एवं आदि अंत के सूत्रों की तथा २६ व १३ की संख्या की संगति मिलाते हुए सूत्रों को उनके क्रम की एवं अर्थ को इस तरह व्यवस्थित किया है—

सूत्र-क्रम	सूत्र-विषय	सूत्र-संख्या	पद-संख्या
४१	नख का सूत्र (आदि सूत्र)	१	१
४२	जंघा—रोम सूत्र	१	१
४३	वत्थि—रोम सूत्र	१	१
४४	रोमराजि सूत्र	१	१
४५	कवख—रोम सूत्र	१	१
४६	दाढी का सूत्र	१	१
४७	मूँछ का रोम सूत्र	१	१
४८—५०	दांत के सूत्र	३	१
५१—५६	होंठ के सूत्र	६	१
५७—६३	आंख के सूत्र	७	१
६४	नासा—रोम का सूत्र	१	१
६५	भ्रमुग—रोम का सूत्र	१	१
६६	मस्तक के बाल का सूत्र (अंतिम सूत्र)	१	१
		२६	१३

अन्य किसी सूत्र को बढ़ाने—घटाने में या क्रमभंग करने में चूर्णिकारनिर्दिष्ट १३ पदों का या २६ सूत्रों का विवक्षित क्रम नहीं बनता है, जब कि उपर्युक्त क्रम निर्विरोध है।

रोमराजि—तीर्थकर, युगलिक आदि के शरीरवर्णन में गुह्य प्रदेश के बाद रोमराजि का वर्णन आता है। यहां भी भाष्य चूर्णों में रोमराजि की व्याख्या है तथा “रोमाइ” ऐसा पाठ अन्य प्रतियों में उपलब्ध भी होता है। अतः “रोमाराइ” शब्दयुक्त सूत्र रखा गया है किन्तु “चक्षुरोम” का सूत्र रखने से १३ व २६ की संख्या में तथा व्याख्या एवं अर्थसंगति में विरोध आता है। पुनरुक्ति भी होती है अतः उस सूत्र को नहीं रखा है।

नासा-पास—रोमराजि से पेट और पीठ के रोमों का ग्रहण हो जाता है इसलिए “पासरोम” संबंधी सूत्र अनावश्यक है। वास्तव में “पासरोम” का शरीर में अलग अस्तित्व भी नहीं है। तथा “पास” करने से “नासा”—संबंधी सूत्र घट जाता है। प्रकाशित चूर्णों के मूल पाठ में भी ‘नासा’ नहीं है जब कि इस “नासा रोम” की चूर्णों विद्यमान हैं और शरीर में नाक के बालों का अलग अस्तित्व भी है तथा उसके काटने की प्रवृत्ति भी होती है।

ओष्ठ फाँव और अक्षिपत्र—संबंधी आठ सूत्रों का मूल पाठ प्रायः सभी प्रतियों में समान उपलब्ध होने से तथा चूर्णों निर्दिष्ट १३ पद—२६ सूत्र संख्या में संगत होने से और शरीर की रचना के अनुसार क्रम हो जाने से इन आठ सूत्रों की व्याख्या नहीं होते हुए इनका मूल पाठ में स्वीकार करना आवश्यक होने से क्रमप्राप्त स्थान पर इनको रखा गया है।

“कारण—अकारण” का वर्णन तथा बिना कारण इन सूत्रों में कही गई प्रवृत्तियां करने की अपेक्षा ही ये प्रायश्चित्त-कथन है, इत्यादि विवेचन इन्हीं उद्देशक के सूत्र ३४ के विवेचन में समान लेना चाहिये।

प्रस्वेदनिवारण-प्रायश्चित्त-

५७. जे भिक्षु अल्पणो कायाओ सेयं वा जलं वा पंकं वा मलं वा नीहरेज्ज वा विसोहेत्त वा, णीहरंतं वा विसोहंतं वा साइज्जइ ।

६७. जो भिक्षु अपने शरीर का पसीना, जमा हुआ मेल, गीला मेल और ऊपर से लगी हुई रज आदि को निवारण करता है या विशोधन करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन-

सेयं वा—'सेयो-प्रस्वेदः'—स्वल्प मलः—थोड़ा मूला मेल ।

जलं वा—'थिगलं जल्लो भणति' ।—मेल का थैगला—ज्यादा मेल ।

पंकं वा—'एस एव प्रस्वेद उल्लित्तो पंको भणति'—यही (ऊपर कथित) सूया मेल पानी आदि से गीला हो जाने पर "पंक" कहलाता है ।

अथवा—'अणो वा जो कद्दो लग्गो'—अथवा अन्य कोई कीचड़ आदि लग जाय उसे भी "पंक" कहते हैं । यहाँ पहला अर्थ ही प्रसंगसंगत है ।

मलं वा—'मलो पुण उत्तरमाणो अच्छो, रेणू वा'—जो स्वतः स्पर्शादि से उतरने जैसा हो और उतर कर साथ ही जाय । अथवा ऊपर से लगी हुई धूल आदि । नि. चूर्णाः पृष्ठ २२१

णीहरण—अल्प या अधिक निकालना, दूर करना हटाना ।

विशोधन—'असेसविसोहणं'—पूर्ण विशुद्ध कर देना ।

इस सूत्र के प्रायश्चित्त-विधान में यह सूचित किया गया है कि स्वस्थ या समर्थ साधक जल्ल परिपह को अग्लान भाव से सतत सावधानी पूर्वक सहन करे ।

अल्प सामर्थ्य वाला साधक भी सामर्थ्यानुसार परीपह सहन करने की भावना रखे तथा अकारण परिकर्म करने की प्रवृत्ति न करे । अकारण प्रवृत्ति करने पर ही सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है । प्रत्येक व्यक्ति की सहनशक्ति के अनुसार ही 'अकारण सकारण' का निर्णय होता है । अथवा उमरे समाधि या असमाधि भाव पर निर्भर करता है ।

चक्षु-कर्ण-दंस-नहमलनीहरण-प्रायश्चित्त—

६८. जे भिक्षु अल्पणो अच्चिद्रमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, णहमलं वा, णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, णीहरंतं वा, विसोहंतं वा साइज्जइ ।

अर्थ—जो भिक्षु अपने आँप का मेल, कान का मेल, दाँत का मेल या नष्ट का मेल निकालता है या उन्हें विशुद्ध करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—शब्दों का अर्थ स्पष्ट है । शेष विवेचन सूत्र ६७ के समान समझ लेना चाहिए । ये कार्य अकारण करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

अल्पाधिक चक्षु रोग हो जाने के कारण आँख का मैल निकालना 'सकारण' है और वह प्रायश्चित्त योग्य नहीं है ।

दाँतों में से अन्न आदि का कण निकालना तथा अल्पाधिक दंत-रोग हो जाने पर दाँतों का मैल निकालना भी 'सकारण' समझना चाहिए ।

नखों में प्रविष्ट अशुचिमय पदार्थों का निकालना तथा प्रविष्ट अन्नकणों को निकालना प्रायश्चित्त योग्य नहीं है, तथा बाल ग्लान वृद्ध आदि की वैयावृत्य सम्बन्धी कार्यों के लिए अथवा सामूहिक सेवा कार्यों के लिए नखों का मैल निकालना 'सकारण' है ।

जो आत्मलब्धिक आहार करने वाले या एकाकी आहार करने वाले गच्छवासी धर्मरुचि अनगार या अर्जुनमाली के समान साधक हो तथा गच्छनिर्गत साधक हो या गच्छगत होते हुए भी सेवा सम्बन्धी कार्यों से पूर्ण निवृत्त साधक हो या समान रुचि वाले सहयोगी साधक हों तो उन्हें अशुचि व आहार कणों के निकालने के सिवाय नख का मैल निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है ।

खाज खुजलाने आदि की प्रवृत्ति कम करने से या स्वावलंबी व सेवानिष्ठ जीवन होने से नखों में मैल के रहने की सम्भावना भी कम रहती है ।

सूत्र ६७ और ६८ के इस प्रायश्चित्तविधान में जल्ल परीपह को जीतने के लिए बल दिया गया है । जो भिक्षु सामर्थ्य या क्षेत्र काल की दृष्टि से जल्ल परीपह जीतने में सफल न हो सके तो भी उसे इन परीपहजय के विधानों से विपरीत प्ररूपणा तो नहीं करनी चाहिए ।

विहार में मस्तक ढांकने का प्रायश्चित्त—

६९. जे भिक्षू गामाणुगामं दूइज्जमाणे अप्पणो सीस-दुवारियं करेइ, फरेत्तं वा साइज्जइ ।

६९. जो भिक्षु ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अपना मस्तक ढँकता है या ढँकने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

धिवेचन—“सीसत्स आवरणं—सीसदुवारं”—विहार में तथा गोचरी जाते समय या अन्य कार्यावश अन्यत्र जाना हो तो मस्तक पर वस्त्रादि छोड़ कर जाना 'लिंग—विपर्याप्त' है क्योंकि मस्तक ढँक कर अन्यत्र जाना स्त्री की वेशभूषा है । अतः जो साधु अकारण या साधारण स्थिति में मस्तक ढँक कर अन्यत्र जावे—आवे या विहार करे तो प्रायश्चित्त आता है । वृद्ध या रग्ण होने पर अथवा असह्य गर्मी सर्दी में मस्तक ढँक कर जाना सकारण है । लिंग विपर्याप्त के कारण साधवी के लिये मस्तक नहीं ढँकना प्रायश्चित्त गमभू लेना चाहिये । उपाश्रय में मस्तक ढँककर बैठने आदि का प्रायश्चित्त नहीं समझना चाहिये । रात्रि में मल-मूत्र परित्याग के लिये मस्तक ढँक कर बाहर जाने की परंपरा है अतः उसका भी प्रायश्चित्त नहीं समझना चाहिये । किन्तु इन परंपरा के लिये घागम में कोई स्पष्ट विधान नहीं मिलता है ।

सूत्र नं. १६ में ६९ तक ५४ सूत्रों में “स्ययं” शरीर के परिकरम करने का प्रायश्चित्त कहा गया है, उनका भावार्थ यह है कि इन्हें अकारण [प्रवृत्ति मात्र मे] करने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

छः सूत्र "ब्रण" के व छः सूत्र 'गंडमाल' आदि के यों १२ सूत्रों की सकारणता अकारणता में, अन्य ४२ सूत्रों से कुछ भिन्नता है; जिसका स्पष्टीकरण यथास्थान कर दिया गया है। उसका मारांग यह है कि—

१. ४२ सूत्रों में—अकारण करना प्रायश्चित्त योग्य है।

२. १२ सूत्रों में यथाशक्ति सहन करने का लक्ष्य न रख कर शीघ्र उपचार करना प्रायश्चित्त योग्य है।

यह ५४ सूत्रों का समूह रूप एक आलापक या गमक है जिसका अन्यान्य अपेक्षा से उद्देशक ४-६-७-११-१५-१७ में भी कथन है। सर्वत्र इसी उद्देशक के मूल पाठ व अर्थ—विवेचन की सूचना की गई है। अतः इनको संक्षिप्त तालिका से पुनः समझ लेना चाहिये।

१६—२१	पैर परिकर्म के सूत्र	६
२२—२७	काय परिकर्म के सूत्र	६
२८—३३	ब्रण चिकित्सा के सूत्र	६
३४—३९	गंडादि की शल्य चिकित्सा के सूत्र	६
४०	कृमिनीहरण का सूत्र	१
४१	नख परिकर्म का सूत्र	१
४२—४७	रोम परिकर्म के सूत्र (जंघ, वलिय, रोमराइ, ककष, उत्तरोट्ट और मंघु)	६
४८—५०	दंत परिकर्म के सूत्र	३
५१—५६	श्रोष्ठ परिकर्म के सूत्र	६
५७—६३	चक्षु परिकर्म के सूत्र	७
६४—६६	रोम केश परिकर्म के सूत्र (नासा, भ्रुग, केसाइ)	३
६७	प्रस्वेद निवारण का सूत्र	१
६८	चक्षु, कर्ण, दंत नख, मल नीहरण सूत्र	१
६९	मस्तक ढंकने का सूत्र	१

५४

इस तीसरे उद्देशक में अकारण स्वयं करने का प्रायश्चित्त बताया है।

चौथे उद्देशक में अकारण साधु-साधु परस्पर में करने का प्रायश्चित्त बताया है।

छठ्ठे सातवें उद्देशक में मैथुन भाव से प्रमदाः स्वयं करने व साधु-साधु परस्पर करने का प्रायश्चित्त है।

न्यारहवें उद्देशक में साधु के द्वारा गृहस्थ के ये कार्य करने का प्रायश्चित्त है।

पंद्रहवें उद्देशक में गृहस्थ से ये कार्य कराने का व स्वयं विभूषा वृत्ति से करने का दो आलापकों द्वारा प्रायश्चित्त कहा है।

सत्रहवें उद्देशक में साधु गृहस्थ के द्वारा साध्वी के कराने का तथा साध्वी गृहस्थ के द्वारा साधु के कराने का प्रायश्चित्त कथन हुआ है।

इस प्रकार इन ५४ सूत्रों का निशोथ सूत्र में कुल नव दार पुनरावर्तन अन्यान्य अपेक्षाओं से हुआ है।

जिस प्रकार इस उद्देशक में इन ५४ सूत्रों का प्रायश्चित्तविधान अकारण से ये प्रवृत्तियाँ करने का है उसी प्रकार अन्य उद्देशों में भी जहाँ कहीं शरीर और उपकरण के परिकर्म संबंधी अन्य सामान्य (विभूषण, मैथुन, गृहस्थसेवा आदि के निर्देश बिना) सूत्र हैं वहाँ भी अकारण करने का ही प्रायश्चित्त समझना चाहिये।

इस सम्बन्ध में चूर्णी भाष्य के अतिरिक्त निम्न आगम प्रमाण भी है—

उपधिविषयक— १. अपनी उपधि उपयोग में आने योग्य होते हुये भी यदि उसे परठ दे तो प्रायश्चित्त—नि. उ. ५।

२. गृहस्थ को उपधि देवे तो भी प्रायश्चित्त—नि. उ. १५।

३. वस्त्र पात्र के धेगली, संधान, बंधन, सीवण आदि कार्य के प्रायश्चित्त-सूत्रों में जघन्य एक का उत्कृष्ट तीन-तीन संख्या से ज्यादा करने का प्रायश्चित्त—नि. उ. १।

४. अविधि से सीवण आदि कार्य करने का प्रायश्चित्त—नि. उ. १।

सकारण या अकारण किसी भी रूप से ये कार्य करने का आगम का आशय होता तो उपरोक्त सूत्रों के स्थान पर ऐसे कथन होते कि—“वस्त्रादि के सीने के कार्य, बांधने के कार्य, धेगली लगाने का कार्य, सांधने का कार्य, विधि से या अविधि से किसी भी तरह करे तो भी प्रायश्चित्त।” किन्तु ऐसा न होकर ऊपर निर्दिष्ट सूत्रों से प्रायश्चित्त-कथन हुआ है। अतः सकारण अवस्था में ये प्रायश्चित्त नहीं है यह स्पष्ट होता है।

शरीरविषयक—

१. कान का मूल निकाले तो प्रायश्चित्त, नख काटे तो प्रायश्चित्त। नि. उ. ३।

२. मूर्ई, कतरनी, नखशोधनक, कर्णशोधनक ग्रहण करते समय जिस कार्य के लिए लेने का कहा उससे भिन्न कार्य करे तो प्रायश्चित्त अर्थात् वही कार्य करे तो प्रायश्चित्त नहीं। नि. उ. १।

३. परिव्रासित (वासी) तेल आदि या कल्क लोघ्न आदि लेप्य पदार्थों को उपयोग में लेने का निषेध। बृहत्कल्प उ. ५।

४. दिन में ग्रहण किये लेप्य पदार्थ व गोबर को रात्रि में उपयोग लेने के प्रायश्चित्त की दोषी भोगी। नि. उ. १२।

५. स्वस्थ होते हुए भी शरीर का परिकर्म या औषध-उपचार करे तो प्रायश्चित्त। नि. उ. १३।

यदि शरीर के समस्त परिकर्मों का मकारण अकारण की विवशा के बिना निषेध या प्रायश्चित्त कहने का भागमकार का आशय होता तो नखशोधनक आदि ग्रहण करने मात्र का स्पष्ट

प्रायश्चित्त कहा जाता, नेप्य पदार्थ ग्रहण करने मात्र का प्रायश्चित्त होता व औपधसेवन मात्र का प्रायश्चित्तकथन होता अन्य विकल्पों से युक्त उपयुक्त प्रकार के सूत्र नहीं होते ।

इस प्रकार के इन सूत्रों का आशय यह है कि ये प्रायश्चित्तसूत्र शरीर और उपकरणों के अकारण परिकर्म के हैं । अकारण सकारण का निर्णय गीतार्थ ही कर सकते हैं । गीतार्थ हुए बिना या गीतार्थ की निश्चा के बिना किसी को भी विचरण करना नहीं कल्पता है । बृहत्कल्प भाष्य गा. ६६८ ॥

गीतार्थ और बहुश्रुत ये दोनों शब्द एक ही भाव के सूचक हैं । आगमों में प्रायः बहुश्रुत शब्द का प्रयोग है और व्याख्या ग्रंथों में "गीतार्थ" शब्द का प्रयोग है । गीतार्थ की व्याख्या बृहत्कल्प भाष्य पीठिका गा. ६९३ में है ।

बहुश्रुत की व्याख्या निशीय भाष्य पीठिका गा. ४९५ में है । दोनों व्याख्याओं में एकत्वता है । वह व्याख्या इस प्रकार है—

आचारनिष्ठ व अनेक आगमों के अभ्यास के साथ "जघन्य आचारांग सूत्र और निशीय सूत्र को अर्थ सहित कंठस्थ धारण करने वाला हो ।"

'उत्कृष्ट १४ पूर्व का धारी हो ।'

और मध्यम में कम से कम आचारांग, निशीय, सूयगडाग, दशाश्रुतस्कंध, बृहत्कल्प व व्यवहार सूत्र का धारण करने वाला हो ।

यही व्याख्या बहुश्रुत के लिये और यही व्याख्या गीतार्थ के लिये की गई है । आगम में प्रायः 'धारण करने' का आशय यह है कि मूल और अर्थ कण्ठस्थ धारण करना । क्योंकि इन आगमों के भूल जाने का भी प्रायश्चित्त कथन है, तथा स्थविर को भूलने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है । ऐसा वर्णन व्यव. उ. ५ में है ।

अतः इस योग्यता वाले गीतार्थ (या बहुश्रुत) की निश्चा से ही विचरना और उनकी निश्चा से अपवादों का निर्णय करना योग्य होता है । अयोग्य को प्रमुख धनकर विचरण करने का निषेध व्यव. उ. ३ सूत्र १ में है ।

वशीकरणसूत्र-करण प्रायश्चित्त—

७०. जे भिक्षु सण—कप्पासओ वा, उण्ण—कप्पासओ वा, पाँड—कप्पासओ वा, अमित्त-कप्पासओ वा वसोकरणसुत्ताइं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु मन के कपास से, ऊन के कपास से, पाँड के कपास से अथवा अमित्त के कपास से वशीकरण सूत्र (डोरा) बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करना है । (उसे लक्ष्मणसिद्ध प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—

३. पौंड—सूती कपास ।

पौंडा-वमणी, तस्स फलं, तस्स पम्हा रेसे कच्चणिज्जा'

४. अमिल—इसकी व्याख्या प्रायः नहीं मिलती है । आक (आकडा) या ऊन विशेष ऐसे अर्थ ब्रवचित् मिलते हैं ।

५. कप्पास—कातने के योग्य स्थिति में जो ऊन, रूई आदि हों उनको यहाँ 'कप्पास' कहा है ।

६. वसीकरण—'अवसा वसे कीरंति जेणं तं वसीकरण-मुत्तयं'—कपास से डोरा बनाकर या डोरों को घटकर मंत्र से भावित करना, जिसके प्रयोग से किसी को वशीभूत किया जा सके ।

गृहादि विभिन्न स्थलों में मल-मूत्र परिष्ठापन प्रायश्चित्त—

७१. जे भिवखू गिहंसि वा, गिहमुहंसि वा, गिह-दुवारियंसि वा, गिहपडिदुवारियंसि वा, गिहेलुयंसि वा, गिहंगणंसि वा, गिहवच्चंसि वा उच्चार—पासवणं परिट्टवेइ परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७२. जे भिवखू मडग-गिहंसि वा, मडग-द्वारियंसि वा, मडग-यूमियंसि वा, मडग-आसयंसि वा, मडग-लेणंसि वा, मडग-यंडिलंसि वा, मडग-वच्चंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७३. जे भिवखू इंगाल-दाहंसि वा, खार- दाहंसि वा, गापदाहंसि वा, नुसदाहंसि वा, भुस-दाहंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७४. जे भिवखू अभिणवियासु वा, गोलेहणियासु, अभिणवियासु वा मट्टियाप्पाणिसु, अपरिभुज्जमाणियासु वा, अपरिभुज्जमाणियासु वा उच्चारपासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७५. जे भिवखू सेयापयणंसि वा, पंकांसि वा, पणगंसि वा, उच्चारपासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७६. जे भिवखू उंवरयच्चंसि वा, णगोहवच्चंसि वा, आसोत्यवच्चंसि वा, पित्तवखुयच्चंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७७. जे भिवखू डागवच्चंसि वा, सागवच्चंसि वा, मूलगवच्चंसि वा, कोत्तुंघरियच्चंसि वा, पारवच्चंसि वा, जोरपयच्चंसि वा, दमणगवच्चंसि वा, मरुगवच्चंसि वा, उच्चारपासवणं, परिट्टवेइ परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७८. जे भिवखू द्वयवणंसि वा, सालिवणंसि वा, कुसंभवणंसि वा कप्पास-वणंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७९. जे भिवखू असोवणंसि वा, सत्तिवणणवणंसि वा, चंपगवणंसि वा, घूप-वणंसि वा, अण्णपरेसु वा तहप्पगारेसु, पत्तोयवेएसु, पुप्फोयवेएसु, फनोयवेएसु, धीओयवेएसु उच्चार—पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

७१. जो भिक्षु घर में, घर के "मुद्य" स्थान में, घर के प्रमुद्य द्वारा स्थान में, घर के उपदार

स्थान में, द्वार के मध्य के स्थान में, घर के आंगन में, घर की परिधि पर भूमि अर्थात् आसपास की मुंजी भूमि में उच्चार प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७२. जो भिक्षु मृतकगृह में, मृतक की राख वाले स्थान में, मृतक के स्तूप पर, मृतक के आश्रय-स्थान पर, मृतक के लयन में, मृतक की स्थल-भूमि अथवा श्मशान की चौरफ की सीमा के स्थान में उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७३. जो भिक्षु कोयले बनाने के स्थान में, सज्जीखार आदि बनाने के स्थान में, पशुओं के डाम देने के स्थान में, तुस जलाने के स्थान में, भूसा जलाने के स्थान में उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७४. जो भिक्षु नवीन हल चलाई हुई भूमि में या नवीन मिट्टी की खान में, जहाँ लोग मल-मूत्रादि त्यागते हों या नहीं त्यागते हों, वहाँ उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७५. जो भिक्षु कर्दमबहुल अल्प पानी के स्थान में, कीचड़ के स्थान में या फूलन युक्त स्थान में उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७६. जो भिक्षु गूलर, बड़, पीपल व पीपली के फल संग्रह करने के स्थान पर उच्च-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७७. जो भिक्षु पत्ते वाली भाजी, अन्य सब्जियाँ, मूलग, कोस्तुभ, वनस्पति, घना, जीरा, दमनक व मूक वनस्पति विशेष के संग्रह स्थान या उत्पन्न होने की वाडियों में उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७८. जो भिक्षु इक्षु, चावल, (आदि धान्य) कुसुंभ व कपास के क्षेत्र में उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

७९. जो भिक्षु अशोक वृक्षों के वन, शक्तिपर्ण (सप्तवर्ग) वृक्ष के वन, चंपक वृक्षों के वन और आम्रवन या अन्य भी ऐसे वन, जो पत्र, पुष्प, फल, बीज आदि से युक्त हों, वहाँ उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—उच्चार—बड़ी नीत, मल, अशुचि, सण्णा, वच्च, पामवण—नधुनीत, मूत्र, कायिकी, मुत्त, आदि इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है ।

यहाँ पर बड़ी नीत की मुख्यता का प्रसंग है और बड़ी नीत के साथ लघुनीत का आना प्रायः निश्चित है अतः “उच्चार-पामवण” उभय शब्द का एक साथ प्रयोग हुआ है । व्याख्याकार ने भी बड़ीनीत की मुख्यता से व्याख्य की है ।

१. घर—समुच्चय रूप से सभी विभाग व खुली जमीन युक्त घर ।

विशेष संभवित ६ स्थानों का तो अलग निर्देश किया ही है अतः परिधि पर कमरे, स्मॉर्ट पर आदि “समुच्चय घर” में समाविष्ट समझना ।

गृहमुख—घर के आगे चबूतरे (चौकी) या धिरा हुआ स्थल ।

घर का प्रमुख द्वार—बड़ी पोल, इसमें पोल जितनी चौड़ी व कुछ लंबी जगह होती है ।

घर का उपद्वार—मुख्य द्वार-पोल से प्रवेश कर अंदर चलने पर छोटा दरवाजा होता है ।

गृह-एलुका—दरवाजे में दोनों तरफ ऊँची बनी हुई "साल" अर्थात् प्रमुख द्वार से प्रवेश करने पर दोनों ओर बना हुआ स्थल ।

गृह-आंगन—घर के अंदर, कमरों के बीच का चौक ।

गृह-वच्च—मकान के पीछे व आस पास की खुली भूमि या घर वालों के मलमूत्र त्यागने की भूमि ।

२. मृतक-गृह—श्मशान में जलाने के पूर्व मृतक को रखे जाने का स्थान ।

मृतक क्षार—दाहक्रिया के बाद जहाँ राख पड़ी रहे वह स्थान । अर्थात् दाहक्रियास्थल ।

मृतक-स्तूप—स्मृति के लिये बना चबूतरा आदि ।

मृतक-आश्रय—श्मशान क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व मृतक को आश्रय देने का अर्थात् थोड़ी देर ठहराने का स्थान ।

मृतकलयन—दाहक्रिया स्थल पर स्मृति के लिये बना हुआ चंत्यालय या चबूतरा ।

मृतकस्थडिल—मृतक की जली हुई हड्डियाँ आदि डालने का स्थान ।

मृतकवच्च—श्मशान की अन्य खुली भूमि जो कभी किसी को जलाने या गाड़ने के उपयोग में आ सकती है ।

३. गाधदाहंसी—पशुओं के रोगोपशम के लिये जहाँ डाँस देकर उपचार किया जाता है, ऐसा नियत स्थल ।

तुसदाहमि-भुसदाहंसि-तुस—धान्य के ऊपर का छिल्का या तुस युक्त धान्य । भुस—धान्य के फूलों का संपूर्ण कचरा ।

इनको जो जलाने के स्थान दो प्रकार के हो सकते हैं—

१. मेत के पास ही अनुपयोगी तुस-भुस को जलाने का स्थान ।

२. कुंभकार आदि का तुस-भुस को ईंधन रूप में जलाने का स्थान ।

निगोष भाष्य में तथा आचारांग सूत्र, श्रु. २, अ. १० की चूर्णों में इन दोनों शब्दों की व्याख्या नहीं है "इंगालदाहंसि, ग्यारदाहंसि तथा गातदाहंसि" इन तीन शब्दों की व्याख्या है ।

ये दोनों शब्द आचारांग सूत्र में नहीं हैं ।

निगोष में इन दोनों शब्दों के पाठांतर रूप में "तुसठाणंसि वा भुसठाणंसि वा" ऐसा पाठ भी मिलता है । इनका अर्थ यह है कि मेत के पास इनके संग्रह करने या रगने के स्थान—"ग्रनिहान" ।

इस प्रकार सूत्रोक्त पाँचों स्थान जब रिक्त हों तो भी वहाँ मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये ।

४. अभिगणवियामु गोलेहणियामु—पृथ्वी की विराधना के प्रसंग में दशार्थ ब्र. ४, में "न गालिहिज्जा न विलिहिज्जा" पाठ आता है। उसका अर्थ पृथ्वी में खीला शस्त्र आदि से लकीर करना होता है। यहाँ 'गो' शब्द युक्त लिह शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है कि—'वैल आदि के द्वारा हल से जोतो हुई भूमि।' वह भूमि नूतन तत्काल की हो अर्थात् १-२ दिन की हो तो सचित्त होती है। अतः उसका वर्जन आवश्यक है। उस तत्काल की नूतन खुदी भूमि का गृहस्थ उपयोग ले रहे हों तो भी सचित्त होने से अकल्पनीय है और उसका उपयोग नहीं ले रहे हों तो भी अकल्पनीय है।

वर्षा होने के कुछ समय पूर्व किसान भूमि पर हल चलाकर छोड़ देते हैं। वहाँ लोग शीघ्र के लिये जाते हों या नहीं भी जाते हों किन्तु जब तक वह नवीन है सचित्तता या मिश्रता की संभावना है तो वहाँ साधु को नहीं जाना चाहिये। जब अचित्त हो जाये तब वह नवीन नहीं कहलाती है।

इस तरह अर्थ करने पर 'मट्टिया खाणी और गोलेहणिया' दोनों पदों का विषय समान हो जाता है जिससे "अभिगणवियामु" व "परिभुज्जमाण अपरिभुज्जमाण" ये विशेषण सार्यक एवं संगत हो जाते हैं।

५. कद्दमग्रहलं पाणीयं—सेओमण्णति, तत्स आयतणं—सेयाययणं ।।

कीचड़ अधिक हो पानी कम हो ऐसा स्थान "सेयाययणं" कहलाता है। वर्षा हो जाने पर इस प्रकार का कीचड़ हो जाता है, तथा वहाँ फूलण (कोई) भी आ जाती है। अतः विराधना के कारण वहाँ पर परठने से प्रायश्चित्त आता है।

६. बड़, पीपल आदि कुछ फलों के संग्रहस्थानों का कथन सूत्र में है इसी प्रकार अन्य भी फलसंग्रह के स्थान समझ लेना चाहिये।

७. सूत्र ७७-७८-७९ की व्याख्या चूर्णीकार ने नहीं की है। मात्र यह कह दिया है कि—'ये जनपद प्रसिद्ध शब्द हैं'।

सूत्र ७१ से ७९ तक कथित स्थानों में मल-भूत्र परठने पर दोष बताते हुए भाष्यकार ने बताया है कि गृह आदि के मालिक दृष्ट होकर तिरस्कार करते हुए अशुचि पर ही धक्का देकर गिरा सकते हैं या साधु पर अशुचि फेंक सकते हैं। श्मशान आदि में व्यंतर देवता के कुपिल होने की संभावना रहती है। सचित्त पृथ्वीकाय आदि के स्थानों में जीव विराधना होती है।

जीव विराधना के सिवाय अचित्त स्थानों में जहाँ अन्य लोग साधारणतया शीघ्रनिवृत्ति करते हों या जहाँ मालिक की आज्ञा हो वहाँ परठने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है।

सूत्र ७४ में पृथ्वीकाय की विराधना, सूत्र ७५ में अपकाय की विराधना, सूत्र—७२ में देवदलना और शेष सूत्रों में (७१, ७२, ७६, ७७, ७८, ७९) में उसके स्वामी से तिरस्कार व अपवाद होने की संभावना रहती है।

अधिधि-परिष्ठापन प्रायश्चित्त—

८०. जे निवृत्तु दिया वा राओ वा विपले वा उच्चार-पासयणेणं उच्चारिहज्जमाणे सपायं गहाय, परपायं वा जाइत्ता, उच्चार-पासयणं परिष्ठापेत्ता अणुग्गए सूरिए एडेह, एवंतं वा साइग्गइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ भासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

जो भिक्षु दिन में, रात्रि में, या विकाल में उच्चार—प्रस्रवण के वेग में बाधित होने पर अपना पात्र ग्रहण कर या अन्य भिक्षु का पात्र याचकर उसमें उच्चार—प्रस्रवण का त्याग करके जहां सूर्य का प्रकाश (ताप) नहीं पहुँचता है ऐसे स्थान में परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन ८० सूत्रगत दोषस्थानों का सेवन करने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—“अणुग्गए सूरिए”—इसका सीधा अर्थ “सूर्योदय के पूर्व नहीं परठना” ऐसा भी किया जाता है किन्तु यह अर्थ आगमसम्मत नहीं होने से असंगत है । उसके कारण इस प्रकार हैं—

सूत्र में प्रयुक्त ‘दिया वा’ शब्द निरर्थक हो जाता है । क्योंकि १. दिन में जिसने मल त्याग किया है उसकी अपेक्षा से “अणुग्गए सूरिए” इस वाक्य की संगति नहीं हो सकती है ।

२. रात में मल-मूत्र पड़ा रखने से सम्मूच्छिम जीवों की विराधना होती है और अशुचि के कारण अस्वाध्याय भी रहता है ।

३. रात्रि में परठने का सर्वथा निषेध हो जाता है ।

४. उच्चार-प्रश्रवण भूमि का चौथे प्रहर में किया गया प्रतिलेखन भी निरर्थक हो जाता है ।

५. अनेक आचार सूत्र गत निर्देशों से भी यह अर्थ विपरीत हो जाता है ।

अतः “जहा पर सूर्य नहीं उगता” अर्थात् जहां पर दिन या रात में कभी भी सूर्य का प्रकाश (ताप) नहीं पहुँचता है ऐसे छाया के स्थान में परठने का यह प्रायश्चित्त सूत्र है, ऐसा समझना युक्ति-संगत है ।

उच्चार-प्रस्रवण को पात्र में त्यागकर परठने की विधि का निर्देश आचारांग श्रु. २, अ. १० में तथा इस सूत्र में है । फिर भी अन्य आगम स्थलों का तथा इस विधान का संयुक्त तात्पर्य यह है कि—योग्य वाधा, योग्य समय व योग्य स्थंडिल भूमि सुलभ हो तो स्थंडिल भूमि में जाकर ही मल—मूत्र त्यागना चाहिये । किन्तु दीर्घशंका का तीव्र वेग हो या कुछ दूरी पर जाने आने योग्य समय न हो, यथा—संध्या काल या रात्रि हो, शीघ्र ऋतु का मध्याह्न हो या मल मूत्र त्यागने योग्य निर्दोष भूमि समीप में न हो, इत्यादि कारणों से उपाश्रय में ही जो एकान्त स्थान हो वहां जाकर पात्र में मल त्याग करके योग्य स्थान में परठा जा सकता है ।

सूत्र ७१ से ७९ तक अयोग्य स्थान में परठने का प्रायश्चित्त कहा गया है जिसमें पृथ्वी, पानी की विराधना व देव छलना, स्वामी के प्रकोप लोक-अपवाद होने की संभावना रहती है । इन सूत्र ८० के अनुसार उपरोक्त अयोग्य स्थानों का वर्जन करने के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परठने के स्थान पर सूर्य की धूप आती है या नहीं, धूप न आती हो तो जल्दी नहीं मूत्रने से सम्मूच्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति होकर ज्यादा समय तक विराधना होती रहती है । इस हेतु में अविधि परिष्ठापन या मूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

यदि किसी के अशुचि में कृमियाँ आती हों तो छाया में बैठना चाहिये या गुद्ग देर (१०-२० मिनट) वाद परिष्ठापन करना चाहिये ।

तृतीय उद्देशक का सारांश—

- सूत्र १ धर्मशाला आदि स्थानों में एक पुरुष से मांग-मांग कर याचना करना ।
 सूत्र २ धर्मशाला आदि स्थानों में अनेक पुरुषों से मांग-मांग कर याचना करना ।
 सूत्र ३ धर्मशाला आदि स्थानों में एक स्त्री से मांग-मांग कर याचना करना ।
 सूत्र ४ धर्मशाला आदि स्थानों में अनेक स्त्रियों से मांग-मांग कर याचना करना ।
 सूत्र ५-८ धर्मशाला आदि स्थानों में कौतुकवश मांग-मांग कर याचना करना ।
 सूत्र ९-१२ धर्मशाला आदि स्थानों में अद्भुत स्थान से आहार लाकर देने पर एक बार निषेध करके पुनः उसके पीछे-पीछे जाकर याचना करना ।
 सूत्र १३ गृहस्थामी के मना करने पर भी पुनः उसके घर आहार आदि लेने के लिये जाना ।
 सूत्र १४ सामूहिक भोज (बड़े जोमनवार) के स्थान पर आहार के लिये जाना ।
 सूत्र १५ तीन गृह (कमरे) के अन्तर से अधिक दूर का लाया हुआ आहार लेना ।
 सूत्र १६ पैंरों का प्रमार्जन करना ।
 सूत्र १७ पैंरों का मर्दन करना ।
 सूत्र १८ पैंरों का अभ्यंगन करना ।
 सूत्र १९ पैंरों का उवटन करना ।
 सूत्र २० पैंरों का प्रक्षालन करना ।
 सूत्र २१ पैंरों को रंगना ।
 सूत्र २२-२७ काया का प्रमार्जन आदि करना ।
 सूत्र २८-३३ व्रण का प्रमार्जन आदि करना ।
 सूत्र ३४ गंडमाला आदि का छेदन करना ।
 सूत्र ३५ गंडमाला आदि का पीय व रक्त निकालना ।
 सूत्र ३६ गंडमाला आदि का प्रक्षालन करना ।
 सूत्र ३७ गंडमाला आदि पर विलेपन करना ।
 सूत्र ३८ गंडमाला आदि पर तीलादि का मलना ।
 सूत्र ३९ गंडमाला आदि पर मुग्घित पदार्थ लगाना ।
 सूत्र ४० गुदा के बाह्य भाग या भीतरी भाग के कुमि निकालना ।
 सूत्र ४१ नय काटना ।
 सूत्र ४२ जंघा के बाल काटना ।
 सूत्र ४३ गुह्य स्थान के बाल काटना ।
 सूत्र ४४ रोमराजि के बाल काटना ।
 सूत्र ४५ बगल—काँध के बाल काटना ।
 सूत्र ४६ दाढी के बाल काटना ।
 सूत्र ४७ मूँछ के बाल काटना ।
 सूत्र ४८-५० दाँतों को घिसना, धोना, रंगना ।
 सूत्र ५१-५६ होठों का प्रमार्जन आदि करना ।

सूत्र ५७	आंखों के बाल काटना ।
सूत्र ५८-६३	आंखों का प्रमार्जन आदि करना ।
सूत्र ६४	नाक के बाल काटना ।
सूत्र ६५	भौंहों के बाल काटना ।
सूत्र ६६	मस्तक के बाल काटना ।
सूत्र ६७	शरीर पर जमा हुआ मैल हटाना ।
सूत्र ६८	आंख-कान-दांत और नखों का मैल निकालना ।
सूत्र ६९	ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मस्तक ढँकना ।
सूत्र ७०	वशीकरण सूत्र बनाना ।
सूत्र ७१	घर के विभागों में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७२	शमशान के विभागों में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७३	नदीन मिट्टी की खान आदि में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७४	कोयले बनाने आदि स्थानों में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७५	कीचड़ आदि के स्थानों में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७६	फल संग्रह करने के स्थानों में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७७	वनस्पति [सब्जी] के स्थानों में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७८	इक्षु, शालि आदि के वन में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ७९	अशोक वृक्ष आदि के वन में मल-मूत्र त्यागना ।
सूत्र ८०	धूप न आने के स्थान में मल-मूत्र त्यागना ।
	इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के ६५ सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है यथा—

सूत्र १-४	मांग-मांग कर लेने का निषेध —आव. श्र. ४
सूत्र १४	संखंडी गमन निषेध —आचा. श्रु. २, श्र. १, उ. २, ३
सूत्र १५	सामने लाया हुआ आहार आदि ग्रहण करना अनाचार है । —दश. श्र. ३, गा. ३
सूत्र १६-३९	शरीर परिकर्म निषेध —दश. श्र. ३, गा. ३, ५, ९, ६, १४, १५
सूत्र ४१-४७	भिक्षु लम्बे नख और केस वाला होता है । —दश. श्र. ६, गा. ६५
सूत्र ४८-६३	दन्तादि परिकर्म निषेध —दश. श्र. ३, गा. ३ तथा ९ १
सूत्र ६४-६६	रोम-केस परिकर्म निषेध —प्रश्न. श्रु. २, श्र. १, गु. ४ दश. श्र. ६, गा. ६५
सूत्र ६७	जल परीपह वर्णन में पसीना निवारण निषेध —उत्त. २, गा. ३७
सूत्र ७२-७९	शमशान आदि में मल मूत्र त्यागने का निषेध —आचा. श्रुत. २, श्र. १०

इस उद्देशक के निम्न १५ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

सूत्र ५-८	कीचड़ से याचना,
सूत्र ९-१२	अदृष्ट स्थान में नासे हुए आहार का निषेध करके पुनः लेना,
सूत्र १३	मना किये जाने पर उम पर में गोचरी जाना ।

- सूत्र ४० कृमि निकालना,
 सूत्र ६८ घ्रात्र, कान, दाँत और नखों में से मल निकालना ।
 सूत्र ६९ मस्तक ढँकना,
 सूत्र ७० वशीकरण सूत्र बनाना ।
 सूत्र ७१ घर में और घर के विभागों में मलमूत्रादि परठना ।
 सूत्र ८० जहाँ सूर्य का ताप न हो ऐसे स्थान में मल-मूत्र परठना ।

॥ तृतीय अध्यायक समाप्त ॥



चतुर्थ उद्देशक

राजा आदि को अपने वश में करने का प्रायश्चित्त—

१. जे भिक्षू "राय" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
२. जे भिक्षू "रायारविखयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
३. जे भिक्षू "नगरारविखयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
४. जे भिक्षू "निगमारविखयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
५. जे भिक्षू "सव्वारविखयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु राजा को वश में करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु राजा के अंगरक्षक को वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु नगररक्षक को वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु निगमरक्षक को वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु सर्वरक्षक को वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—अत्तीकरेइ—अपने अनुकूल बनाना या वश में करना ।

वश में करने के प्रशस्त और अप्रशस्त कारण तथा उपाय होते हैं, यहाँ प्रशस्त कारण से और प्रशस्त प्रयत्न से वश में करने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है । शेष विवेचन भाष्य में जानें ।

राजा आदि के वश में करने से होने वाली हानियाँ बताने हुए भाष्य में कहा गया है कि राजा तथा उसके स्वजन अनुकूल होने पर संयम-साधना में बाधक बन सकते हैं और प्रतिकूल होने पर उपसर्ग भी कर सकते हैं ।

विशेष संकट आने पर संघ हित के लिए राजा आदि को यदि अनुकूल करना आवश्यक हो तो यह प्रशस्त कारण है तथा अपने संयम एवं तपोबल से प्राप्त नस्ति द्वारा इन्हें वश में करना प्रशस्त प्रयत्न है ।

भूठ कपट आदि पाप युक्त प्रयुक्तियों से इन्हें वश में करना अप्रशस्त प्रयत्न है ।

किसी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या किसी का अहित करने के लिए या स्वार्थ से बचा में करना अप्रमत्त कारण है। इसका प्रायश्चित्त अधिक है।

सूयगर्हांग सूत्र श्रु० १, अ० २, उ० २, गा० १८ में भी यह बताया है कि—

“संसर्गि असाहू राइहि, असमाहो उ तहागमस्त वि ।”

‘संयम साधना में लगे हुए साधक के लिए राजाओं का परिचय तथा उनको संगति ठीक नहीं है क्योंकि इनका परिचय या संगति संयम में असमाधि पैदा करने का कारण है।’ अतः साधक को इन विभिन्न व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं करना चाहिए।

धर्मश्रवण आदि के लिए राजा आदि स्वतः यावें तो उन्हें धर्मानुरागी बनाने में कोई दोष नहीं है।

राजा आदि की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त—

६. जे भिवयू “रायं” अच्चीकरेइ” अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ ।
७. जे भिवयू “रापारविषयं” अच्चीकरेइ, अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ ।
८. जे भिवयू “नगरारविषयं” अच्चीकरेइ, अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ ।
९. जे भिवयू “निगमारविषयं” अच्चीकरेइ, अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ ।
१०. जे भिवयू “सव्यारविषयं” अच्चीकरेइ, अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ ।

६. जो भिक्षु राजा की प्रशंसा—गुण-कीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

७. जो भिक्षु राजा के अंगरक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

८. जो भिक्षु नगररक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

९. जो भिक्षु निगमरक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

१०. जो भिक्षु सर्वरक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्तं नापुमासिक प्रायश्चित्त घाता है।)

विद्वेषन—अच्चीकरेइ—राजा के सामने या पीछे उसके वीरता आदि गुणों की प्रशंसा करना। ये सूत्र अच्चीकरेइ सूत्रों से सम्बन्धित हैं। अर्थात् वस में करने के एक तरीके का कथन इस सूत्र में हुआ है। यस्तुतः किसी भी व्यक्ति को शपना बनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि उसके सामने या पीछे उसके प्रशंसा की जान। अतः ये “अच्चीकरेइ के प्रायश्चित्त सूत्र भी” अर्थात् अच्चीकरेइ सूत्र के पूरक हैं, ऐसा समझना चाहिए।

राजा आदि को आर्कषित करने का प्रायश्चित्त—

११. जे भिवखू “राय” अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंत वा साइज्जइ ।
१२. जे भिवखू “रायारविखयं” अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंत वा साइज्जइ ।
१३. जे भिवखू “नगरारविखयं” अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंत वा साइज्जइ ।
१४. जे भिवखू “निगमारविखयं” अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंत वा साइज्जइ ।
१५. जे भिवखू “सत्वारविखयं” अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंत वा साइज्जइ ।

११. जो भिक्षु राजा को अपना अर्थी बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु राजा के अंगरक्षक को अपना अर्थी बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३. जो भिक्षु नगररक्षक को अपना अर्थी बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१४. जो भिक्षु निगमरक्षक को अपना अर्थी बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु सर्वरक्षक को अपना अर्थी बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुभासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

दिवेचन—अत्यीकरेइ के तीन अर्थ किये गये हैं—

१. साधु राजा को प्रार्थना करे,
२. साधु ऐसे कार्य करे जिससे राजा साधु को प्रार्थना करे,
३. राजा का कोई कार्य सिद्ध कर दे । ये अर्थीकरण के प्रकार हैं । अथवा राजा को बहे कि “भेरे पास ऐसी विद्याएं हैं, निमित्तज्ञान है या विगिष्ट अथवा आदि ज्ञान हैं । ये सब राजा को अर्थी (आर्कषित) करने के उपाय हैं ।

अर्थीकरण भी अस्तीकरण का ही एक प्रकार है । अतः अर्चोकरण के सूत्रों के समान अर्थीकरण के सूत्र भी अस्तीकरण के ही पूरक हैं, ऐसा समझना चाहिए ।

अर्थीकरण के तीन अर्थों में से प्रथम अर्थ की अपेक्षा पीछे के दोनों अर्थ विशेष मंगल प्रतीत होते हैं । पहला अर्थ है राजा की प्रार्थना करना, उसका भावार्थ तो “अर्चोकरेइ” के सूत्रों में समाविष्ट है तथा अपने तपोबल से प्राप्त लब्धि द्वारा राजा को वग में करना अर्थात् अपनी तरफ प्राकृष्ट करना यह अर्थ प्रसंग संगत होता है । अतः “अत्यीकरेइ” का अर्थ हुआ कि इनको अपनी ओर प्राकृष्ट करना ।

इस प्रकार इन सभी (१५) सूत्रों का संक्षिप्त मार यह है कि राजा आदि को अपना बनाने की कोई प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए । जेय दन्दों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—

१. रायारविषयं—रायाणं जो रक्वति सो रायरविषयो-सिरोरक्षः—राजा का अंगरक्षक ।
२. नगरारविषयं—नगरं रक्वति जो सो नगररविषयो-कोट्टपालः—कोतवाल ।
३. निगमारविषयं—सञ्जगइयो जो रक्वइ सो निगमारविषयो-सेट्टी—नगरसेठ ।
४. सव्यारविषयं—एताणि सव्वाणि जो रक्वइ सो सव्यारविषयो—एतेषु सर्वकार्येषु भ्रातृ-
च्छनीयः स च महायत्नाधिकः इत्यर्थः—सभी कार्यों में सलाहकार ।

ग्राम-रक्षक भ्रादि को अपने वश में करने का प्रायश्चित्त—

१६. जे भिषजू "गामारविषयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
१७. जे भिषजू "वैसारविषयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
१८. जे भिषजू "सोमारविषयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
१९. जे भिषजू "रण्णारविषयं" अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।
२०. जे भिषजू "सव्यारविषयं" अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

१६. जो भिक्षु ग्रामरक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु देशरक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु सोमारक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु राजरक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु सर्वरक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है । (उने लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

ग्रामरक्षक भ्रादि को प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त—

२१. जे भिषजू "गामारविषयं" अच्चोकरेइ अच्चोकरेंतं वा साइज्जइ ।
२२. जे भिषजू "वैसारविषयं" अच्चोकरेइ अच्चोकरेंतं वा साइज्जइ ।
२३. जे भिषजू "सोमारविषयं" अच्चोकरेइ अच्चोकरेंतं वा साइज्जइ ।
२४. जे भिषजू "रण्णारविषयं" अच्चोकरेइ अच्चोकरेंतं वा साइज्जइ ।
२५. जे भिषजू "सव्यारविषयं" अच्चोकरेइ अच्चोकरेंतं वा साइज्जइ ।

[निर्देशक]

चतुर्थं उद्देशक]

२१. जो भिक्षु ग्रामरक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का प्रशंसा करता है ।

२२. जो भिक्षु देशरक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का प्रशंसा करता है ।

२३. जो भिक्षु सीमारक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का प्रशंसा करता है ।

२४. जो भिक्षु राजरक्षक की प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का प्रशंसा करता है ।

२५. जो भिक्षु सर्वरक्षक को प्रशंसा—गुणकीर्तन करता है या करने वाले का प्रशंसा करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।)

ग्रामरक्षक आदि को आकर्षित करने का प्रायश्चित्त—

२६. जो भिक्षु "ग्रामरक्षक" अत्योकरेड, अत्योकरेतं वा साइज्जइ ।

२७. जो भिक्षु "देशरक्षक" अत्योकरेड, अत्योकरेतं वा साइज्जइ ।

२८. जो भिक्षु "सीमारक्षक" अत्योकरेड, अत्योकरेतं वा साइज्जइ ।

२९. जो भिक्षु "रणरक्षक" अत्योकरेड, अत्योकरेतं वा साइज्जइ ।

३०. जो भिक्षु "सर्वरक्षक" अत्योकरेड, अत्योकरेतं वा साइज्जइ ।

२६. जो भिक्षु ग्रामरक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करना है या आकृष्ट करने का अनुमोदन करता है ।

२७. जो भिक्षु देशरक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने का अनुमोदन करता है ।

२८. जो भिक्षु सीमारक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने का अनुमोदन करता है ।

२९. जो भिक्षु राजरक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने का अनुमोदन करता है ।

३०. जो भिक्षु सर्वरक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।)

विषेचन—एन मूत्रां के विषय का भाष्य पूर्णों में संकेत मात्र है, तथा—

पूर्णां—एवं पणरत्त मुत्ता उच्चारयेय्वा । धर्मः पूर्ववत् ।

भाष्यगाथा—अतोकरणादीमु, रायादीनां तु जो गमां ननिघो ।

अंशरसक ।

कालेषु श्वा

अनुमोद

अनुमोद

अनुमोद

अनुमोद

अनुमोद

मो चैव निरवसेसो, गामादारन्धिमादीमु १=५४ ॥

१. ग्रामरक्षक—गांव की देख-रेख करने वाले—सरपंच आदि ।
२. देशरक्षक—विभाग विधेय मया—जिला आदि के रक्षक—जिलाधीश आदि मयया चोर आदि से देय की रक्षा करने वाले ।
३. सीमारक्षक—राज्य की सीमा-किनारे के विभागों की रक्षा—देख-रेख करने वाले ।
४. रण्यारक्षक—राज्य की रक्षा करने वाले राज्यपाल आदि ।
५. सन्वारक्षक—इन सभी क्षेत्रों में प्रापृच्छनीय—प्रधानवत् ।

पूर्व के १५ मूत्र राजा और राजधानी संबंधी हैं और ये १५ मूत्र संपूर्ण राज्य की अपेक्षा वाले हैं । इन १५—१५ सूत्रों के अलग-अलग दो विभाग करने का यही कारण है । "सर्वरक्षक" दोनों विभागों में कहा गया है । १—प्रथम विभाग के सभी कार्यों में सलाह लेने योग्य २—द्वितीय विभाग के सभी कार्यों में अनुमति देने योग्य, ऐसा अर्थ समझ लेने से दोनों की भिन्नता समझ में आ जाती है ।

इन मूत्रों की संख्या में व क्रम में अनेक प्रतियों में भिन्नता है, यह संख्या २४, २७, ३०, ४० आदि हैं । क्रम कहीं एक साथ ४०, कहीं एक साथ २४, कहीं उद्देशक की आदि में कुछ मूत्र हैं व कुछ उद्देशक के बीच में आये हैं । कहीं ५ या ६ अस्तीकरेख के मूत्र हैं तो कहीं केवल राजा संबंधी तीन मूत्र देकर उसके बाद राजारक्षक के तीन मूत्र दिए हैं । इस तरह अनेक क्रम हैं । ये विभिन्नताएं निपिकों के प्रमाद से हुई हैं, किसी प्रकार का अनौचित्य न होने ने एक साथ ३० मूत्र वाला पाठ यहाँ लिया गया है और क्रम एवं संख्या चूर्णी और भाष्य के अनुसार दी गई है ।

तेरापंची महासभा से प्रकाशित "निसीहज्जक्यण" में १५-१५ मूत्रों के दो विभाग किये है और द्वितीय विभाग के लिए टिप्पण दिया है—

"एतानि सूत्राणि उद्देशकादिमूत्रेभ्यः किमर्थं पृथक्कृतानि इति न चिन्तितमस्ति भाष्य-चूर्ण्यदौ"—पृष्ठ २८ ॥

शुत्सुन धान्य खाने का प्रायश्चित्त—

३१. जे भिषक् "कसिणाओ" ओसहिमो आहारेद्, आहारंतं या साहज्जद् ।

जो भिक्षु "शुत्सुन" श्रौषधियों (संचित धान्य आदि) का आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उने लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विशेषण—"कसिण"—द्रव्यशुत्सुन और भावशुत्सुन इन दो भेदों के चार भाग होते हैं । द्रव्यशुत्सुन का अर्थ है अग्रंथ और भावशुत्सुन का अर्थ है संचित । यही प्रायश्चित्त का विषय है इसलिये "भावशुत्सुन" (संचित) अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये ।

"ओसहिमो"—धान्य और उपलक्षण से दान्य प्रत्येक जंग यांग बीजों को ग्रहण करना चाहिये ।

अतः मूत्र का अर्थ यह है कि गचित्त धान्य एवं योज वा आहार करने में लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

द्रव्य और भाव की चौभंगी में सचित्त संवंधी प्रथम और द्वितीय दो भंग हैं उनका ही यह प्रायश्चित्त है, अचित्त संवंधी दो भंगों में सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं है।

व्याख्याकार ने “अचित्त अखंड” में भी प्रायश्चित्त कहा है किन्तु सूत्रकार का आशय यह नहीं हो सकता। इसके लिए निम्न स्थल देखने चाहिये—

१. अदु जावइत्य लूहेण, आयणं मंथुकुम्मासेण । आ. सु. १, अ. ९, उ. ४, गा. ४
२. अबि सूइयं य सुवकं वा, सीर्यापिंडं पुराणकुम्मासं ।
अदु युवकसं व पुलागं वा, लद्धे पिडे अलद्धे दविए ॥ आ. सु. १, अ. ९, उ. ४, गा. १२
३. आयामगं चेव जवोदणं च, सीयं सोवीर-जवोदगं च । उत्त. अ. १५, गा. १२
४. पत्ताणि चेव सेवेज्जा, सीर्यापिंडं पुराणकुम्मासं ।
अदु युवकसं पुलागं वा, जवणट्टाए णित्सेवए मंयुं ॥ उत्त. अ. ८, गा. १२
५. दशवें. अ. ५. उ. १, गा. ९८ में ‘मंथुकुम्मासभोयणं’ ।

उपरोक्त स्थलों से स्पष्ट सिद्ध है कि भगवान् महावीर स्वामी ने अचित्त अखंड धान्य—चावल, उड़द आदि का आहार किया था तथा उत्तराध्ययन सूत्र में “जव” के श्रौदन का व उड़द के धाकले आदि के सेवन का कथन है। वर्तमान में भी चावल, बाजरा, जौ आदि का श्रौदन व अखंड मूंग, चणा आदि का व्यंजन होता है।

अतः अचित्त अखंड धान्यादि खाने का प्रायश्चित्त न समझ कर सचित्त धान्य बीज के आहार का प्रायश्चित्त है यह समझना ही आगमसम्मत है।

सचित्त धान्य जानकर खाने का प्रायश्चित्त और अनजाने में खाने का प्रायश्चित्त भिन्न-भिन्न होता है। उसे प्रथम उद्देशक के प्रारंभ में दी गई प्रायश्चित्त-तालिका से समझ लेना चाहिये।

आज्ञा लिए बिना विगय खाने का प्रायश्चित्त—

३२. जे भिक्खू आयरिय-उवज्जाएहि अबिदिण्णं अणणयरं विगइं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु आचार्य या उपाध्याय की विज्ञाप आज्ञा के बिना किसी भी विगय का आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमानिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—१. आयरिय-उवज्जाय—आचार्य बिलमान हों तो उनकी धन्यथा उपाध्याय की और उपलक्षण में जिस प्रमुख या स्वविर की अधीनता में या माग्निध्य में रहकर विचरण कर रहा हो उसी की आज्ञा लेनी चाहिये।

२. अबिदिण्ण—साधु गोचरी के लिये तो आज्ञा लेकर जाता ही है। किन्तु उम आज्ञा में तो विगय रहित आहार ही ग्रहण कर सकता है। यदि विगय—घी, दूध लेना आवश्यक हो तो विज्ञाप स्पष्ट कहकर आज्ञा लेनी चाहिये।

सामान्य विधान के अनुसार साधु विगयरहित आहार ही ले सकता है। विज्ञाप कारण में विगययुक्त आहार लेना आवश्यक हो तो आचार्य की आज्ञा प्राप्त लिये बिना विगय नहीं ले सकता

है। वे भी आवश्यकता का प्रोचिन्त्य समझकर और परिमाण का निर्णय करके विगय भेजन की आज्ञा देते हैं। आचार्य की अनुपस्थिति में उपाध्याय की भी आज्ञा ले सकते हैं। क्योंकि ये दोनों पदवीधर गीतार्थ ही होते हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में जो प्रमुख गीतार्थ ही उगकी भी आज्ञा ले सकते हैं। गीतार्थ की प्राचीनता या साम्निध्य के बिना किसी भी साधु को विनयन करना भी नहीं कल्पना है।

३. अण्ण्यरं विगदं—पांच विगय में से कोई भी विगय।

पांच विगय निम्न हैं—१. दूध, २. दही, ३. घृत, ४. तैल और ५. गुड़-शक्कर।

ठाणांग मूत्र के नयमें ठाणे में ९ विगय कहे हैं और उनमें से चार विगयों को चौबे ठाणे में महाविगय कहा है। अतः अर्यापति से श्रेय ५ ही विगय कही जाती है। चार महाविगय हैं—

१. मक्खन, २. मधु, ३. मद्य, ४. मांस। इनमें से दो मद्य-मांस अप्रामस्त महाविगय तो नायक के लिए सर्वथा वर्ज्य हैं, क्योंकि मद्य-मांस के आहार को ठाणांग मूत्र के चौबे ठाणे में नरक गति का कारण कहा गया है।

दशर्व. सू. २, गा. ७ में साधु को “अमज्जमंगासि” कहा है। अर्यान् साधु मद्य मांस का आहार नहीं करने वाला होता है।

माध्यारणतया पाच विगयों का भेजन वर्ज्य है तो महाविगय के भेजन का तो प्रश्न ही नहीं रहता। फिर भी मधु, मक्खन महाविगय सर्वथा अप्राप्त नहीं हैं।

अनिवार्य आवश्यकता होने पर ही आज्ञा लेकर पांचों विगयों का भेजन किया जा सकता है और दो प्रामस्त महाविगयों का भेजन रोगानक आदि के बिना नहीं किया जा सकता है। प्राणियों में विगयनिषेध के निम्न पाठ हैं—

१. ल्हवित्तो मुत्तनुट्टे । —दशर्व. म. ८, गा. २५
२. पणोपरसभोयणं विसं तालउटं जहा । —दशर्व. म. ८, गा. २७
३. पंताणि चैय सेवेज्जा, सोपपिडपुराणकुम्मासं ।
अट्टु वुत्तकसं पुत्ताणं वा, जयणट्टाए नित्तेवए मंघुं । —उत्तरा. म. १, गाया १२
४. पो होत्तए पिटं नीरसं तु, पंतकुत्ताइं परिव्वए स भिक्खू । —उत्तरा. म. १५, गा. १३
५. पणोयं भत्तपाणं तु, पिप्पं मयधिक्खणं ।
यंमचेररओ भिक्खू, निक्खवो परिव्वज्जाए । —उत्तरा. म. १६, गा. ७
६. बुद्ध दहो विगदओ, आहारेइ अभिक्खणं ।
अरए य तथोक्कमे, पायसमणे त्ति वुच्चइ । —उत्तरा. म. १७, गा. १५.
७. अभिक्खणं पित्तिगादं गया य । —दश. सू. २, गा. ७
८. रसा पणामं न गिमेविक्खया, पायं रमा वित्तिररा पराणं । —उत्तरा. म. ३२, गा. १०.
९. विगदं निज्जहणं करे । —उत्तरा. म. ३६, गा. २५५.
१०. तसो नो कप्पति वाइत्तए-अपिचोए,
विगदपट्टिबट्ठे, अपिओत्तविज पाट्टे । —सू. उ. ५

११. पंच ठाणाईं समणेणं भगवया महावोरेणं समणाणं गिगंथाणं गिच्चं वणिणयाईं, गिच्चं कित्तियाईं, गिच्चं बुइयाईं, गिच्चं पसत्याईं, गिच्चं अब्भणुणायाईं भवति ।

तं जहा—१. अरसाहारे, २. विरसाहारे, ३. अंताहारे, ४. पंताहारे, ५. लूहाहारे ।

—ठाण. प्र. ५

इस सूत्र के पूर्व कई प्रतियों में अदत्त आहार लेने के प्रायश्चित्त का एक मूत्र है जो भाव्य और चूणिव्याख्या के बाद लिपिदोष या अन्य किसी प्रकार से आ गया है । तेरापंथ महासभा से प्रकाशित “निसीहज्जभयणं” में भी यह मूत्र नहीं लिया गया है ।

स्थापनाकुल की जानकारी किये बिना भिक्षार्थ प्रवेश करने पर प्रायश्चित्त—

३३. जे भिवखू ‘ठवणाकुलाईं’ अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय, पुव्वामेव गाहावइ कुलं पिडवाय पिडवाए अणुप्पविसइ, अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु “स्थापनाकुलों” की जानकारी किये बिना, पूछे बिना या गवेपणा किये बिना ही आहार के लिये गृहस्थ के घरों में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आना है ।)

विवेचन—“स्थापनाकुल”—भिक्षा के लिये नहीं जाने योग्य कुल । वे कुल कई प्रकार के होते हैं—

१. अत्यन्त द्वेषी कुल सर्वथा त्याज्य होते हैं ।
२. अत्यन्त अनुराग वाले कुल,
३. उपाश्रय के निकट रहने वाले कुल,

४. बहुमूल्य पदार्थ या विशिष्ट औषधियों की उपलब्धि वाले कुल साधारण साधुओं के लिये वज्र्य होते हैं । बाल, ग्लान, बुद्ध, आचार्य, अतिथि आदि के लिये आवश्यक होने पर विशिष्ट अनुभवो गोतार्थ माधु ही इन घरों में भिक्षा के लिये जा सकते हैं ।

विशाल साधुसमूह के साथ-साथ विचरण करते समय या वृद्धावास में रहे हुए साधुओं में से पृथक्-पृथक् गोचरी जाने वालों की अपेक्षा से यह कथन है ।

अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय—बिना पूछे स्वतः ही किसी के कह देने से या प्रत्यक्ष य परोक्ष ज्ञान से “जानकारी” होती है । जानकारी न हो तो पूछकर जानकारी करना चाहिये । नाम गोत्र जाति आदि पूछना “पूच्छा” कही जाती है । चिद्धों में या संकेतों में घर का ठिकाना गमभना—“गवेपणा” कही जाती है ।

अथवा पूर्व परिचित के लिये “पूच्छा” होती है और अपरिचित की अपेक्षा “पूच्छा पुक्त गवेपणा” होती है ।

जानकारी किये बिना गोचरी के लिये जाने पर स्थापनाकुलों में जाने की संभावना रहती है, जिनमें अथर्वश्रया और अदत्त दोष के साथ आवश्यकता के समय विशिष्ट पदार्थ की प्राप्ति दुर्लभ हो सकती है ।

व्याख्या में लौकिक वर्ज्यं कुल और दाय्यातर कुल का भी वर्णन है किन्तु उनका प्रायश्चित्त ग्रन्थत्र कदा गया है ।

अतः यहां अनिवायं भावश्यकता के समय में भिक्षार्थं जाने के लिये स्वयिरो के द्वारा स्थापित कुनों को ही स्थापनाकुल समझना चाहिये ।

साध्वो के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करने पर प्रायश्चित्त—

३४. जे भिक्षू णिगंघोणं उयस्सार्पसि अबिहीए अणुप्पविसत्थ, अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ ।

३४. जो भिक्षु निर्यन्धियां के उपाश्रय में अविधि में प्रवेश करता है या अविधि से प्रवेश करने जाने का अनुमोदन करता है । (उमें नवमामिक प्रायश्चित्त माता है ।)

विवेचन—साध्वी के उपाश्रय में माधु फिन-फिन कारणों से जा सकता है, भाष्यकार ने इसका वर्णन किया है तथा अविधि में प्रवेश करने पर अनेक दोषों की संभावनाएं कही हैं ।

“अविधि”—प्रवेश करने से पूर्व मूचना दिये बिना प्रवेश करना अर्थात् मोन रहकर प्रवेश करना अविधि-प्रवेश कहलाता है ।

साध्वी के उपाश्रय के बाहर अर्थात् मुख्य प्रवेशद्वार के बाहर ठहर कर संवीधन के दरवां से अपने भाने की मूचना देना और साध्वियों की जानकारी हो जाने के कुछ समय बाद प्रवेश करना अथवा मूचना देने के बाद साध्वियों के भावधान हो जाने पर किसी साध्वी के द्वारा “पधारी” इन तरह संकेत रूप शब्द के कहने पर प्रवेश करना “विधि-प्रवेश” कहलाता है ।

प्रवेश करते समय “णित्तीहि” शब्दोच्चारण करने की व्याख्या भी मिलती है किन्तु यह व्याख्या उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि उपाश्रय में प्रवेश करने समय प्रत्येक साध्वी के इस शब्द का उच्चारण करने की विधि होती है अतः साधु के प्रवेश करने का योग्य भिन्न शब्द संकेत रूप होना चाहिये अथवा श्रावक या श्राविका के द्वारा मूचना कर्त्वा देने के बाद प्रवेश करना चाहिये ।

सात्पर्य यह है कि माधु के प्रवेश की जानकारी साध्वी को ही जाननी चाहिए । आगमोक कारण बिना प्रवेश करना भी अविधि-प्रवेश ही है । विशेष जानकारी के लिए भाष्य का सव्ययन करना चाहिए ।

साध्वो के आगमन-पथ में उपकरण रखने का प्रायश्चित्त—

३५. जे भिक्षू णिगंघोणं आगमणपहंति, बंठगं वा, तट्ठियं वा, रयहरणं वा, मुहोत्तियं वा अणुपरं वा उयगरणजायं ठवेइ, ठवेत्तं वा साइज्जइ ।

३५. जो भिक्षु साध्वी के भाने के मार्ग में बंठ, माटी, रजोहरण या मुग्घवस्तिना आदि कोई भी उपकरण रखता है या रखने जाने का अनुमोदन करता है । (उमें नवमामिक प्रायश्चित्त माता है ।)

विवेचन—जब माधुओं के उपाश्रय में साध्वियों के भाने का समय हो उस समय उनके भाने के मार्ग में कोई उपकरण नहीं रखना चाहिए । राम्भे के निषाम आश्रय आदि के पास पहुँचने तक का

स्थान भी यहाँ मार्ग ही समझ लेना चाहिए। अश्विकेक या कुतूहल से मार्ग में उपकरण रखने पर यह प्रायश्चित्त आता है।

आचार्यादि के सम्मुख बैठते समय आहार दिखाते समय या अन्य कार्य करते समय असावधानी से मार्ग में उपकरण रखना अश्विकेक से रखना कहा जाता है।

अन्य मीलिन विचारों से रखने पर गुरु चोमासी प्रायश्चित्त आता है।

नया कलह करने का प्रायश्चित्त—

३६. जे भिवखू णवाइं अणुप्पण्णाइं अहिगरणाइं उप्पाएइ, उप्पाएंतं वा साइज्जइ।

३६. जो भिक्षु नये-नये भगड़े उत्पन्न करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—उग्र प्रकृति से अतिवाचालता से या निरर्थक भाषण से कलह होते हैं। हास्य या कुतूहल से भी कलह हो सकता है। अतः साधु को विवेक रखना चाहिए।

सूयगडांग मूत्र अ० २, उ० २, गा० १९ में शिक्षा देते हुए कहा गया है कि—

“अहिगरणकडस्स भिवखुणो, वयमाणस्स पसज्ज दारुणं।
अद्धे परिहाईं वहु, अहिगरणं न करेज्ज पंडिए॥”

बलेश करने से संयम की अत्यधिक हानि होती है, कटुक वचन कहने से आपस में असमाधि व अशांति की वृद्धि हो जाती है। अतः साधु अधिकरण से व अधिकरण की उत्पत्ति के कारणों से सदा दूर रहे।

उपशांत कलह को उभारने का प्रायश्चित्त—

३७. जे भिवखू षीराणाइं अहिगरणाइं खामिय विओसमियाइं पुणो उदीरेइ उदीरेंतं वा साइज्जइ।

३७. जो भिक्षु क्षमायाचना से उपशांत पुराने भगड़ों को पुनः उत्पन्न करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—१. खामिय—“खामिय-यायाए”—विधिपूर्वक वचन से क्षमायानना करना।

२. विओसमिय—“मणसा विओसमियं च्युत्सूष्टं”—चूर्णी। मन से कलह हटा देना, त्याग देना, उपशांत कर देना।

जिम व्यक्ति से या जिस प्रसंग के निमित्त से बलेश उत्पन्न हुआ हो या हो सकता हो उमके लिए पूर्ण विवेक रखना चाहिए। यथासंभव अपनी प्रकृति को शांत रखना चाहिए, अन्यथा उन विषयों से या उन प्रसंगों से प्रलग रहना चाहिए। विवेक रखने हुए भी बलेश होने की संभावना रहे तो उम व्यक्ति के सम्पर्क में ही प्रलग रहना चाहिए। अपने कर्मादय के प्रभाव को एवं ध्यनिविनाय की प्रकृति को या उदयभाव को समझ कर यथावगर विवेक करना चाहिए।

व्याख्या में लौकिक वर्ज्य कुल और शय्यातर कुल का भी वर्णन है किन्तु उनका प्रायश्चित्त अन्यत्र कहा गया है ।

अतः यहां अनिवायं आवश्यकता के समय में भिक्षार्थ जाने के लिये स्थविरों के द्वारा स्थापित कुलों को ही स्थापनाकुल समझना चाहिये ।

साध्वी के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करने पर प्रायश्चित्त—

३४. जे भिखू णिग्गंधीणं उवस्सयसि अविहीए अणुप्पविसइ, अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ ।

३४. जो भिक्षु निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करता है या अविधि से प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुभासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—साध्वी के उपाश्रय में साधु किन-किन कारणों से जा सकता है, भाष्यकार ने इसका वर्णन किया है तथा अविधि से प्रवेश करने पर अनेक दोषों की संभावनाएं कही हैं ।

“अविधि”—प्रवेश करने में पूर्व सूचना दिये बिना प्रवेश करना अर्थात् मौन रहकर प्रवेश करना अविधि-प्रवेश कहलाता है ।

साध्वी के उपाश्रय के बाहर अर्थात् मुख्य प्रवेशद्वार के बाहर ठहर कर संवोधन के शब्दों से अपने आने की सूचना देना और साध्वियों को जानकारी हो जाने के कुछ समय बाद प्रवेश करना अथवा सूचना देने के बाद साध्वियों के सावधान हो जाने पर किसी साध्वी के द्वारा “पघारो” इस तरह संकेत रूप शब्द के कहने पर प्रवेश करना “विधि-प्रवेश” कहलाता है ।

प्रवेश करते समय “णिसीहि” शब्दोच्चारण करने की व्याख्या भी मिलती है किन्तु यह व्याख्या उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि उपाश्रय में प्रवेश करते समय प्रत्येक साध्वी के इस शब्द का उच्चारण करने की विधि होती है अतः साधु के प्रवेश करने का योग्य भिन्न शब्द संकेत रूप होना चाहिये अथवा थावक या श्राविका के द्वारा सूचना करवा देने के बाद प्रवेश करना चाहिये ।

तात्पर्य यह है कि साधु के प्रवेश की जानकारी साध्वी को हो जानी चाहिए । आगमोक्त कारण बिना प्रवेश करना भी अविधि-प्रवेश ही है । विशेष जानकारी के लिए भाष्य का अध्ययन करना चाहिए ।

साध्वी के आगमन-पथ में उपकरण रखने का प्रायश्चित्त—

३५. जे भिखू णिग्गंधीणं आगमणपहंसि, दंडगं वा, लट्ठियं वा, रयहरणं वा, मुहपोत्तियं वा अण्णयरं वा उवगरणजायं ठवेइ, ठवेंतं वा साइज्जइ ।

३५. जो भिक्षु साध्वी के आने के मार्ग में दंड, लाठी, रजोहरण या मुखवस्त्रिका आदि कोई भी उपकरण रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुभासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—जब साधुओं के उपाश्रय में साध्वियों के आने का समय हो उस समय उनके आने के मार्ग में कोई उपकरण नहीं रखना चाहिए । रास्ते के सिवाय आचार्य आदि के पास पहुँचने तक का

स्थान भी यहाँ मार्ग ही समझ लेना चाहिए। अविचेक या कुतूहल से मार्ग में उपकरण रखने पर य प्रायश्चित्त आता है।

आचार्यादि के सन्मुख बैठते समय आहार दिखाते समय या अन्य कार्य करते समय भ्रसावधान से मार्ग में उपकरण रखना अविचेक से रखना कहा जाता है।

अन्य मीलिन विचारों से रखने पर गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।

नया कलह करने का प्रायश्चित्त—

३६. जे भिवखू णवाहं अणुप्पणाहं अहिगरणाहं उप्पाएइ, उप्पाएंतं वा साइज्जइ ।

३६. जो भिक्षु नये-नये भगड़े उत्पन्न करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—उम्र प्रकृति से अतिवाचालता से या निरर्थक भाषण से कलह होते हैं। हास्य य कुतूहल से भी कलह हो सकता है। अतः साधु को विवेक रखना चाहिए।

सूयगडांग सूत्र अ० २, उ० २, गा० १९ में शिक्षा देते हुए कहा गया है कि—

“अहिगरणकडस्स भिवखुणो, वयमाणस्स पसज्ज दारणं ।
अद्वे परिहाई वद्व, अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥”

क्लेश करने से संयम को अत्यधिक हानि होती है, कटुक वचन कहने से आपस में असमाधि व अशांति की वृद्धि हो जाती है। अतः साधु अधिकरण से व अधिकरण को उत्पत्ति के कारणों से सदा दूर रहे।

उपशांत कलह को उभारने का प्रायश्चित्त—

३७. जे भिवखू पोराणाहं अहिगरणाहं पामिय विओसमियाहं पुणो उदोरेइ उदीरंतं वा साइज्जइ ।

३७. जो भिक्षु क्षमायाचना से उपशांत पुराने भगड़ों को पुनः उत्पन्न करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—१. पामिय—“पामिय-थापाए”—विधिपूर्वक वचन में क्षमायाचना करना।

२. विओसमिय—“मणसा विओसमियं ध्मुत्सुट्टं”—पूर्णा। मन में कलह हटा देना, त्याग देना, उपशांत कर देना।

जिस व्यक्ति से या जिस प्रसंग के निमित्त से क्लेश उत्पन्न हुआ हो या हो सकता हो उसमें लिए पूर्ण विवेक रखना चाहिए। यथासंभव अपनी प्रकृति को शांत रखना चाहिए, अपने-आपके विषयों में या उन प्रसंगों से अलग रहना चाहिए। विवेक रखने हुए भी क्लेश होने की सम्भावना रहे तो उस व्यक्ति के सम्पर्क में ही अलग रहना चाहिए। अपने कर्मोदय के प्रभाव को एवं व्यक्तिवित्त की प्रकृति को या उदयमाग को समझ कर यथावसर विवेक करना चाहिए।

हास्य-प्रायश्चित्त—

३८. जे भिक्खू मुहं विप्फालिय-विप्फालिय हसइ, हसंतं वा साइज्जइ ।

३८. जो भिक्षु मुँह, फाड़-फाड़ कर हँसता है या हँसने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—मुँह को अधिक खोल कर या विकृत कर अमर्यादित हँसने का यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है । दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि आपस में बातें करने व हँसी ठट्टा करने में समय खर्च न करते हुए साधु को सदा स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में लीन रहना चाहिए ।

यथा—

“णिदं च ण बहू मणेज्जा, सप्पहासं विवज्जए ।

मिहो क्काहिं न रमे, सज्जायम्मि रओ सया ॥”

—दशवै० अ० ८, गा० ४२

आचारांग सूत्र में कहा है कि “हास्य का त्याग करने वाला भिक्षु है, अतः साधु को हास्य करने वाला नहीं होना चाहिए ।” यथा—

“हासं परिजाणइ से णिग्गंथे, णो हासणए सिया ।

—आचा० श्रु० २, अ० १६

साधु को कुतूहल वृत्ति रहित एवं गम्भीर स्वभाव वाला होना चाहिए और कुतूहलवृत्ति वाले की संगति भी नहीं करनी चाहिए ।

इस तरह का हँसना मोह का कारण होता है अथवा दूसरों को हँसी उत्पन्न कराने वाला होता है । लोकाभिवादा भी होती है । वायुकाय की तथा संपातिभ जीवों की विराधना भी होती है । दूसरे के अपमान, रोप या वैर का उत्पादक भी हो सकता है । भाष्यकार ने यहाँ एक दृष्टांत दिया है—

“एक राजा रानी ने साथ भरौखें में बैठा था । उसे राजगण की ओर देखते हुए रानी ने कहा—“मृत मनुष्य हंस रहा है ।” राजा के पूछने पर रानी ने साधु की तरफ इशारा किया और स्पष्टीकरण किया कि इहलौकिक संपूर्ण सुखों का त्याग कर देने से यह मृतक के समान है, फिर भी हंस रहा है ।” अतः साधु को मर्यादित मुस्कराने के अतिरिक्त हा-हा करते हुए नहीं हंमना चाहिये ।

पार्श्वस्थ आदि को संघाटक के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त—

३९. जे भिक्खू ‘पासत्यस्स’ संघाडयं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

४०. जे भिक्खू ‘पासत्यस्स’ संघाडयं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिक्खू ‘ओसण्णस्स’ संघाडयं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

४२. जे भिक्खू ‘ओसण्णस्स’ संघाडयं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

४३. जे भिक्खू ‘कुसोत्तस्स’ संघाडयं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

४४. जे भिवखू 'कुसीलस्स' संघाडयं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।
४५. जे भिवखू 'संसत्तस्स' संघाडयं देइ, देंतं वा साइज्जइ ।
४६. जे भिवखू 'संसत्तस्स' संघाडयं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।
४७. जे भिवखू 'नितियस्स' संघाडयं देइ, देंतं वा साइज्जइ ।
४८. जे भिवखू 'नितियस्स' संघाडयं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।
३९. जो भिक्षु 'पार्वस्य' को संघाडा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।
४०. जो भिक्षु 'पार्वस्य' से संघाडा ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४१. जो भिक्षु 'अवसन्न' को संघाडा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।
४२. जो भिक्षु 'अवसन्न' से संघाडा ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४३. जो भिक्षु 'कुसील' को संघाडा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।
४४. जो भिक्षु 'कुसील' से संघाडा ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४५. जो भिक्षु 'संसक्त' को संघाडा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।
४६. जो भिक्षु 'संसक्त' से संघाडा ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४७. जो भिक्षु 'नित्यक' को संघाडा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।
४८. जो भिक्षु 'नित्यक' से संघाडा ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे त्र्युमासिक प्रायश्चित्त घाता है ।)
- विशेषण—'संघाटयं'—दो या दो से अधिक माधुओं का समूह 'संघाटक' (संघाटा) कहलाता है तथा अनेक संघाटकों के समूह को गण या गच्छ कहा जाता है । धागम में कहीं कहीं संघाटक के लिये भी गण शब्द का प्रयोग किया गया है ।
- संघाटक रूप में विचरने के लिये किसी को एक माधु देना भी संघाटा देना कहलाता है । इन मूर्तों में पामत्या आदि को विचरने के लिये धरना माधु देने का अर्थात् संघाटा देने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

पासत्या आदि के माध में रहने में तथा गोचरी जाने के समय माध-नाथ जाने में आचार-भेद अथवा श्लेषनाभेद के कारण क्वेडा पैदा होने की सम्भावना रहती है अथवा धर्म में भिन्नता दिखने से जिनगासन को अनेक प्रकार से धरनेना भी हो सकती है तथा उक्त पासत्या आदि की

अशुद्ध गवेषणा व आचार का अनुमोदन तथा तन्निमित्तक कर्मबंध का कारण भी होगा है। अतः इनको मंघाटा अर्थात् एक साधु या अनेक साधु देना या उनसे साधु लेना नहीं कल्पता है।

८. तात्पर्य यह है कि बाह्य व्यवहार में जो समान आचार विचार वाले हैं, उनके ही साथ रहने से संयमसाधना शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सकती है और व्यवहार भी शुद्ध रहता है।

पासत्या आदि का स्वरूप—

१. पासत्यो-पाश्वंस्यः--

प्रत्येक पदार्थ के दो पार्श्व भाग होते हैं—एक मुल्टा, दूसरा उल्टा। उद्यत विहार संयमी जीवन का मुल्टा पार्श्वभाग है और निविलाचार रूप असंयमी जीवन संयमी जीवन का उल्टा पार्श्वभाग है।

दंसण-णाणचरित्ते, तवे य अत्ताहितो पवमणे य।

तेसि पासविहारी, पासत्यं तं वियाणाहि ॥ ४३४ ॥

दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और प्रवचन में जिन्होंने अपनी आत्मा को स्थापित किया है ऐसे उद्यत विहारियों का जो पार्श्वविहारी है अर्थात् उनके समान आचार पालन नहीं करता है उसे पार्श्वस्थ जानना चाहिये।

पासोत्ति बंधणं तिय, एगट्ठं बंधहेतवो पास।

पासत्थिय पासत्या, एसो अण्णोवि पज्जाओ ॥ ४३४२ ॥

पाश और बंधन ये दोनों एकार्थक हैं। बंधन के जितने हेतु हैं वे सब पाश हैं। उनमें जो स्थित हैं वे पार्श्वस्थ हैं, वह भी पार्श्वस्थ का अन्य पर्याय (एक अर्थ) है।

दुविघो खलु पासत्यो, देसे सब्बे य होड नायव्वो।

सब्बे तिण्णि विगप्पा देगे भेज्जातरकुत्तादी ॥ ४३४० ॥

पार्श्वस्थ दो प्रकार के जानने चाहिए—

१. देशपार्श्वस्थ, २. सर्वपार्श्वस्थ,

देशपार्श्वस्थ शय्यातर कुलादि में एषणा करता है। सर्वपार्श्वस्थ के तीन विकल्प हैं।

सर्वपार्श्वस्थ—

दंसण-णाण-चरित्ते, सत्थो अच्चत्ति त्ति ण उज्जमति।

एतेण उ पासत्यो, एसो अण्णोवि पज्जाओ ॥ ४३४२ ॥

१. दर्शन, २. ज्ञान, ३. चारित्र की आराधना में जो आलसी होता है अर्थात् उनकी आराधना में उद्यम नहीं करता है तथा उनके अतिचार अनाचारों का सेवन करता है वह सर्वपार्श्वस्थ है।

वह सर्वपार्श्वस्थ सूत्रपौरुषो, अर्थपौरुषो नहीं करता है, सम्मग्नदर्शन के अतिचार फंका, फांशा आदि करता रहता है। सम्मन्वचारित्र के अतिचारों का निवारण नहीं करता है। इसलिए वह सर्वपार्श्वस्थ है।

१. सेज्जायर कुल, २. निस्सित, ३. ठवणकुल, ४. पलोयणा, ५. अग्निहोत्रेय ।

६. पुण्ड्रिक् पञ्चदश संधुत, ७. णित्तियग्गपिण्डभोत्ति पासत्थो ॥ ४३४४ ॥

१. जो शय्यादाता के घर से भिक्षा लेता है ।
 २. जो श्रद्धालु गृहस्थों के सहयोग से जीवननिर्वाह करता है ।
 ३. जो स्थापनाकुलों में अकारण एषणा करता है ।
 ४. बड़े सामूहिक भोज में आहार की एषणा करता है या काच में अपना प्रतिविम्ब देखता है ।
 ५. जो सम्मुख लाया हुआ आहार लेता है ।
 ६. जो भिक्षा लेने के पहले या पीछे अपनी बड़ाई या दाता की प्रशंसा करता है ।
 ७. जो निमग्न स्वीकार करके प्रतिदिन निमग्न के घर से आहारादि ग्रहण करता रहता है ।
- इस प्रकार के दोषों का आचरण करता है वह देश-पाश्वर्ध्वस्य है ।

२. ओसण्णो—अवसन्न—

यह देश्य विशेषण है, इस के तीन समानार्थक पर्याय हैं—

१. अवसण्ण, २. ओसण्ण, ३. उत्सण्ण ।

तीनों के तीन अर्थ—

१. अवसण्ण—ग्रालसी

२. ओसण्ण—खण्डितचारित्र्य

३. उत्सण्ण—संयम से शून्य

चूर्णि—ओसण्णो दोसो—अधिकतर दोषों वाला,

ओसण्णो बहुतरगुणावराही—अनेक गुणों को दूषित करने वाला,

उयो (गतो-चुओ) वा संजमो तम्मि सुण्णो उत्सण्णो—संयम से च्युत-संयम शून्य अवसन्न होता है ।

समाचारि वित्तं ओसण्णो पावतो तत्थ । —गाथापूर्वार्ध ॥ ४३४९ ॥

संयम समाचारी से विपरीत आचरण करने वाला 'अवसन्न' कहा जाता है ।

गाथा—आवासग—सज्जाए, पिडलेहज्जाण भिक्ख भत्तदुटे ।

काउत्सग—पडिक्कमणे, कित्तिक्कम्म णेव पडिलेहा ॥ ४३४६ ॥

आवासगं अणियतं करेत्ति, हीणात्तिरित्तं विवरीयं ।

गुक्खयण—णिओग—वल्लयमाणे, इणमो उ ओसण्णे ॥ ४३४७ ॥

१. आवासग—आवस्सही आदि दस प्रकार की समाचारी ।
२. सज्जाए—स्वाध्याय-सूत्र पौरुषी, अर्थ पौरुषी करना ।
३. पिडिलेह—दोनों समय वस्त्र पात्रादि का प्रतिलेखन करना ।

अशुद्ध गवेषणा व आचार का अनुमोदन तथा तन्निमित्तक कर्मबंध का कारण भी होता है। अतः इनको संघाडा अर्थात् एक साधु या अनेक साधु देना या उनसे साधु लेना नहीं कल्पता है।

तात्पर्य यह है कि बाह्य व्यवहार में जो समान आचार विचार वाले हैं, उनके ही साथ रहने से संयमसाधना शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सकती है और व्यवहार भी शुद्ध रहता है।

पासत्या आदि का स्वरूप—

१. पासत्यो-पाश्वंस्यः—

प्रत्येक पदार्थ के दो पार्श्व भाग होते हैं—एक मुल्टा, दूसरा उल्टा। उद्यत विहार संयमी जीवन का मुल्टा पार्श्वभाग है और शिथिलाचार रूप असंयमी जीवन संयमी जीवन का उल्टा पार्श्वभाग है।

दंसण-णाणचरित्ते, तवे य अत्ताहितो पवयणे य।

तेसि पासविहारी, पासत्थ तं वियाणाहि ॥ ४३४ ॥

दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और प्रवचन में जिन्होंने अपनी आत्मा को स्थापित किया है ऐसे उद्यत विहारियों का जो पार्श्वविहारी है अर्थात् उनके समान आचार पालन नहीं करता है उसे पार्श्वस्थ जानना चाहिये।

पासोत्ति बंधणं तिय, एगट्ठं बंधहेतवो पासो।

पासत्थिय पासत्या, एसो अण्णोवि पज्जाओ ॥ ४३४३ ॥

पाश और बंधन ये दोनों एकार्थक हैं। बंधन के जितने हेतु हैं वे सब पाश हैं। उनमें जो स्थित हैं वे पार्श्वस्थ हैं, यह भी पार्श्वस्थ का अन्य पर्याय (एक अर्थ) है।

दुविधो खलु पासत्यो, देसे सब्बे य होइ नायव्वो।

सब्बे तिण्णि विगप्पा देणे मेज्जानरकुलारी ॥ ४३४० ॥

पार्श्वस्थ दो प्रकार के जानने चाहिए—

१. देशपार्श्वस्थ, २. सर्वपार्श्वस्थ,

देशपार्श्वस्थ शय्यातर कुलादि में एषणा करता है। सर्वपार्श्वस्थ के तीन विकल्प हैं।

सर्वपार्श्वस्थ—

दंसण-णाण-चरित्ते, सत्थो अच्छत्ति त्तिहि ण उज्जमत्ति।

एतेण उ पासत्यो, एसो अण्णोवि पज्जाओ ॥ ४३४२ ॥

१. दर्शन, २. ज्ञान, ३. चारित्र की आराधना में जो आलसो होता है अर्थात् उनकी आराधना में उद्यम नहीं करता है तथा उनके अतिचार अनाचारों का मेयन करता है वह सर्वपार्श्वस्थ है।

वह सर्वपार्श्वस्थ मूत्रपोरुपी, अर्धपोरुपी नहीं करता है, गम्भग्दर्शन के अतिचार शंका, कांक्षा आदि करता रहता है। गम्भक्चारित्र के अतिचारों का निवारण नहीं करता है। इसलिए वह सर्वपार्श्वस्थ है।

देश-पाश्वर्त्य—

१. मेज्जायर कुल, २. निस्सात, ३. ठवणकुल, ४. पलोयणा, ५. अभिहडेय ।
६. पुर्व्वि पच्छ्या संथुत, ७. णितियग्गपिडभोति पासत्यो ॥ ४३४४ ॥

१. जो शय्यादाता के घर से भिक्षा लेता है ।
 २. जो श्रद्धालु गृहस्थों के सहयोग से जीवननिर्वाह करता है ।
 ३. जो स्थापनाकुलों में अकारण एषणा करता है ।
 ४. बड़े सामूहिक भोज में आहार की एषणा करता है या काच में अपना प्रतिविव देखता है ।
 ५. जो सम्मुख लाया हुआ आहार लेता है ।
 ६. जो भिक्षा लेने के पहले या पीछे अपनी बड़ाई या दाता की प्रशंसा करता है ।
 ७. जो निमंत्रण स्वीकार करके प्रतिदिन निमंत्रक के घर से आहारादि ग्रहण करता रहता है ।
- इस प्रकार के दोषों का आचरण करता है वह देश-पाश्वर्त्य है ।

२. ओसण्णो—अवसन्न—

यह देश्य विशेषण है, इस के तीन समानार्थक पर्याय हैं—

१. अवसण्ण, २. ओसण्ण, ३. उस्सण्ण ।

तीनों के तीन अर्थ—

१. अवसण्ण—आलसी

२. ओसण्ण—खण्डितचारित्र

३. उस्सण्ण—संयम से शून्य

चूणि—ओसण्णो दोसो—अधिकतर दोषों वाला,

ओसण्णो बहुतरगुणावराही—अनेक गुणों को दूषित करने वाला,

उयो (गनो-चुयो) वा सजमो तम्मि गुण्णो उस्सण्णो—संयम से च्युत-संयम शून्य अवसन्न

होता है ।

समाचारि वित्तहं ओसण्णो पावती तत्थ । —गाथापूर्व्वार्ध ॥ ४३४९ ॥

संयम समाचारी से विपरीत आचरण करने वाला 'अवसन्न' कहा जाता है ।

गाथा—आवासग—सज्जाए, पिडलेहज्जाण भिक्ख भत्तट्ठे ।

काउस्सग्ग—पडिक्कमणे, कितिकम्म णेव पडिलेहा ॥ ४३४६ ॥

आवासगं अणियतं करेति, हीणातिरिक्त विवरीयं ।

गुरुवयण—णिओग—वल्लयमाणे, इणमो उ ओसण्णे ॥ ४३४७ ॥

१. आवासग—आवस्सही आदि दस प्रकार की समाचारी ।

२. सज्जाए—स्वाध्याय-सूत्र पौरुपी, अर्थ पौरुपी करना ।

३. पडिलेह—दोनों समय वस्त्र पात्रादि का प्रतिलेखन करना ।

४. भ्राण—ध्यान—पूर्वं रात्रि या पिच्छली रात्रि में ध्यान करना ।
५. भिवद्य—दोष रहित गवेषणा करना ।
६. भत्तट्टे - आगमोक्त विधि से आहार करना ।
७. काउसग्य—गमनागमन, गोचरी, प्रतिलेखन आदि के बाद कायोत्सर्ग करना ।
८. पडिक्कमणे—प्रतिक्रमण करना ।
९. कित्तिकम्मं—कृत्तिकर्म-यन्दन करना ।
१०. पडिन्हेहा—प्रतिलेखन-बैठना आदि प्रत्येक कार्य देखकर करना तथा प्रत्येक वस्तु देखकर या प्रमाजंन कर उपयोग में लेना ।

जो ओसण्ण—अवयव होता है वह आवश्यक ही आदि दस प्रकार की समाचारियों को कभी करता है, कभी नहीं करता है, कभी विपरित करता है । इस प्रकार स्वाध्याय आदि भी नहीं करता है या दूषित आचरण करता है तथा शुद्ध पानन के लिये गुरुजनों द्वारा प्रेरणा किये जाने पर उनके वचनों की उपेक्षा या अवहेलना करता है । वह “अवसन्न” कहा जाता है ।

३. कुसील—कुशील—

जो निन्दनीय कार्यों में अर्थात् तपम-जीवन में नहीं करने योग्य कार्यों में लगा रहता है वह “कुशील” कहा जाता है ।

कोउय भूत्तिकम्भे, पसिणापसिणं णिमित्तमाजीवी ।

करु—कुहय—सुमिण—लवखण—मूल संत—विज्जोवजीवी कुसीलो उ ॥ ४३४५ ॥

१. जो कौतुककर्म करता है ।
२. भूत्तिकर्म करता है ।
३. अंगुष्ठप्रश्न या बाहुप्रश्न का फल कहता है अथवा आर्यों में अंजन करके प्रश्नोत्तर करता है ।
४. अतीन की, यममान की और भविष्य की बातें बताकर आजीविका करता है ।
५. जानि, कुल, गण, कर्म और दाल्प से आजीविका करता है ।
६. लोभ्र, कल्क आदि से अपनी जंघा आदि पर उबटन करता है ।
७. मरीर की शुभ्रुपा करता है अर्थात् यकुन भाव का सेवन करता है ।
८. शुभाशुभ स्वप्नों का फल कहता है ।
९. स्त्रियों के या पुरुषों के मम—तिल आदि लदाणों का शुभाशुभ फल कहता है ।
१०. अनेक रोगों के उपनाम हेतु कंदमूल का उपचार बताता है अथवा गर्न गिराने का महापाप मूलकर्म दोष करता है ।

११. मंत्र या विद्या से आजीविका करता है ।

वह “कुशील” कहा जाता है ।

४—संसत्त—संरोयो श्मो—जो जारिसेमु मिलति सो तारित्तो चेय भवति एरित्तो संसत्तो पापट्ठो-वृणि ॥

जो जैसे माधुमें के गाय रहना है यह वैसा ही हो जाता है । अतः वह संमन्न कहा जाता है ।

गाथा—पासत्य अहाछंदे, कुसील ओसणमेव संसत्ते ।

पियधम्मो पियधम्मेषु वेच इणामो तु संसत्तो ॥ ४३५० ॥

जो पासत्य, अहाछंदे, कुसील और ओसण के साथ मिनकर बैसा ही बन जाता है तथा प्रियधर्मी के साथ में रहता हुआ प्रियधर्मी बन जाता है इस तरह की प्रवृत्ति करने वाला “संसक्त” कहलाता है ।

गाथा—पंचासवपवत्तो, जो खलु तिहिं गारवेहिं पडिबद्धो ।

इत्थि—गिहि संकिलिट्ठो, संसत्तो सो य णायव्वो ॥ ४३५१ ॥

जो हिंसा आदि पांच आश्रयों में प्रवृत्त होता है । ऋद्धि, रस, साता इन तीन गर्वों में प्रतिबद्ध अर्थात् भाव प्रतिबद्ध होता है । स्त्रियों के साथ संश्लिष्ट अर्थात् प्रतिसेवी होता है । गृहस्थों से संश्लिष्ट होता है अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से गृहस्थ के परिवार, पशु आदि के सुख-दुःख संबंधी कार्य करने में प्रतिबद्ध हो जाता है, इस प्रकार जैसा चाहे वैसा बन जाता है वह ‘संसक्त’ है ।

चूर्णि—‘अहवा—संसत्तो अणेगह्वी नटयत् एलकवत् ।

जहा णडो पट्टवसा अणेगाणि ह्वाणि करेति, ऊरणगो वा जहा हातिद्वरागेण रत्तो, धोविडं पुणो गुत्तिगगेरुगादिरागेण रज्जते एवं पुणो वि धोविडं अणोण्णेण रज्जति एवं एलगादिवत् बहुरूवी ।

भावायं—जो नट के समान अनेक रूप और भेड़ के समान अनेक रंगों को धारण कर सकता है एवं छोड़ सकता है, ऐसा बहुरूपिया स्वभाव वाला “संसक्त” कहा जाता है ।

५. नितिय—जो मासकल्प व चातुर्मासिककल्प की मर्यादा का उल्लंघन करके निरंतर एक ही क्षेत्र में रहता है, वह “कालातिक्रांत—नित्यक” कहलाता है, तथा मासकल्प और चातुर्मासिक कल्प पूरा करके अन्यत्र दुगुणा समय बिताये बिना उसी क्षेत्र में पुनः आकर निवास करता है वह “उपस्थाननित्यक” कहलाता है । आचा. ध्रु. २ अ. २, उ. २ में कही गई उपस्थान क्रिया का तथा कालातिक्रांत क्रिया का सेवन करने वाला “नित्यक”—“नितिय” कहलाता है । अथवा जो अकारण सदा एक स्थान पर ही स्थिर रहता है, विहार नहीं करता है वह नित्यक कहा जाता है । विशेष वर्णन के लिये भाष्यकार ने दूसरे उद्देशक के “नितियावास” सूत्र का निर्देश कर दिया है ।

इन १० सूत्रों का क्रम भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न है । किन्तु भाष्य चूर्णि के अवलोकन से उपरोक्त क्रम ही उचित प्रतीत हुआ है । यथा—

गाथा—‘पासत्योसण्णाणं, कुसील संसत्त नितियवासीणं ।

जे भिवखू संघाडं, दिज्जा अहवा पडिच्चैज्जा ॥” १८२८ ॥

इन दस सूत्रों की यह प्रथम भाष्य गाथा है । इसमें तथा इसके पूर्व सूत्रस्पर्शी चर्णि है, दोनों में सूत्रक्रम समान है तथा भाष्य गाथा १८३० में भी यही क्रम है ।

चूर्णि के माथ के मूल पाठ में तथा तेरापंथी महासभा द्वारा संपादित “णिसीहज्जमयणं” में णितियस्स के वाद “संसत्तस्स” के सूत्रों को रखा है । इसके कारणों का स्पष्टीकरण वहाँ नहीं किया

गया है। किन्तु इन सूत्रों की चूर्ण व भाष्य में तो उपर्युक्त क्रम को ही स्वीकार किया गया है। फिर भी निसीय के सभी प्रकाशनों में “नितियस्स” के वाद “संसत्तस्स” के सूत्र हैं। जो परम्परा से चली आई भूल मात्र है, ऐसा समझकर भाष्यसम्मत क्रम स्वीकार किया है।

पासत्या आदि की व्याख्या करते हुए संयमविपरीत जितनी प्रवृत्तियों का यहां कथन किया गया है, उनका विशेष परिस्थितिवद् अपवाद रूप में गीतार्थया गीतार्थ की नेत्राय से सेवन किया जाने पर तथा उनकी श्रद्धा प्ररूपणा आगम के अनुसार रहने पर एवं उस अपवाद स्थिति से मुक्त होते ही प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध संयम आराधना में पहुँचने की लगन (हार्दिक अभिलाषा) रहने पर वह पासत्या आदि नहीं कहा जाता है। किन्तु प्रतिसेवी निर्ग्रथ कहा जाता है।

शुद्ध संस्कारों के अभाव में, संयम के प्रति सजग न रहने से, अकारण दोष सेवन से, स्वच्छंद मनोवृत्ति से, आगमोक्त आचार के प्रति निष्ठा न होने से, निषिद्ध प्रवृत्तियाँ चालू रखने से तथा प्रवृत्ति सुधारने व प्रायश्चित्त ग्रहण का लक्ष्य न होने से, उन सभी दूषित प्रवृत्तियों को करने वाले ‘पासत्या’ आदि कहे जाते हैं।

इन पासत्या आदि का स्वतंत्र गच्छ भी हो सकता है, कहीं वे अकेले-अकेले भी हो सकते हैं। उद्यत विहारी गच्छ में रहते हुए भी कुछ भिक्षु या कोई भिक्षु व्यक्तिगत दोषों से पासत्या आदि हो सकते हैं तथा पासत्या आदि के गच्छ में भी कोई कोई शुद्धागारी हो सकता है। यथार्थ निर्णय तो स्वयं की आत्मा या सर्वज्ञ भर्षदासी ही कर सकते हैं।

पासत्या आदि के इन लक्षणों के ज्ञाता होकर संयमसाधना के साधकों को दूषित प्रवृत्तियों से सावधान रहना चाहिये।

सच्चित्त-लिप्त हस्तादि से आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

४९. जे भिक्खू “उदउल्लेण” हत्थेण वा मत्तेण वा, इक्वीए वा, भायणेण वा, असणे वा, पाणे वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५०. जे भिक्खू “मट्टिया-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५१. जे भिक्खू “ऊस-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५२. जे भिक्खू “हरियाल-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५३. जे भिक्खू “हिंगुल-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५४. जे भिक्खू “मणोसिल-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५५. जे भिक्खू “अंगण-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५६. जे भिक्खू “लोण-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५७. जे भिक्खू “गेरय-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५८. जे भिक्खू “अग्निप-संसट्ठेण” हत्थेण वा “जाय” पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५९. जे भिक्खू "सेडिय संसट्ठेण" हत्थेण वा "जाव" पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।
६०. जे भिक्खू "सोरट्ठियपिट्ठसंसट्ठेण" हत्थेण वा "जाव" पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।
६१. जे भिक्खू "कुयकुस-संसट्ठेण" हत्थेण वा "जाव" पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।
६२. जे भिक्खू "उक्कुट्ठ-संसट्ठेण" हत्थेण वा "जाव" पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।
६३. जे भिक्खू "असंसट्ठेण" हत्थेण वा "जाव" पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।
४९. जो भिक्षु पानी से गीले हाथ से मिट्टी के बर्तन (सरावला प्याला आदि) से, कुड़्डी से या किसी धातु के बर्तन से दिया जाने वाला ग्रहण, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५०. जो भिक्षु सवित्त मिट्टी से लिप्त, हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५१. जो भिक्षु उस—पृथ्वी-खार से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५२. जो भिक्षु हड़ताल-चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५३. जो भिक्षु हिंगुल-चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५४. जो भिक्षु मैनशिल-चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५५. जो भिक्षु अंजन-सुरमा से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५६. जो भिक्षु नमक-चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५७. जो भिक्षु गेरु—गैरिका-चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५८. जो भिक्षु वर्णिक—पीली-मिट्टी के चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५९. जो भिक्षु खडिया (खड्डी)चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६०. जो भिक्षु फिटकरी के चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६१. जो भिक्षु हरी-वनस्पति के छिलके, भूसे आदि से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६२. जो भिक्षु हरी-वनस्पति के चूर्ण से लिप्त हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६३. जो भिक्षु अलिप्त—बिना खरड़े—हाथ से यावत् ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—सूत्र ४९ में अप्काय की विराधना, सूत्र ५० से ६० तक पृथ्वीकाय की विराधना और सूत्र ६१-६२ में वनस्पतिकाय की विराधना की अपेक्षा से ये प्रायश्चित्त कहे गये हैं । अतः यहां ये मन्त्र पदार्थ अचित्त की अपेक्षा से गृहीत हैं । यदि किसी भी प्रयोगविशेष से ये वस्तुएं धस्त्र-परिणत होकर अचित्त हो गई हों और उनसे हाथ आदि लिप्त हों तो उन हाथों में आहार ग्रहण करने का कोई प्रायश्चित्त नहीं सम्भ्रता चाहिये । यथा—“उदउल्लं” गर्म पानी में भी गीले हाथ हो सकते हैं । नमक कभी अचित्त भी हो सकता है इत्यादि । इसी प्रकार सर्वत्र सम्भ्र लेना चाहिये ।

सूत्र ६३ में पश्चात्कर्म की अपेक्षा प्रायश्चित्त कहा गया है । यदि पश्चात्कर्म दोष न हो ऐसा खाद्य पदार्थ हो अथवा दाता विवेक वाला हो जो पश्चात्कर्म दोष न लगावे तो असंगृष्ट हाथ आदि से भिक्षा लेने का प्रायश्चित्त नहीं है । दशवै-अ. ५ उ. १ गा. ३५ में कहा है—पश्चात्कर्मं जहि भवे अर्थात् जहां पश्चात्कर्म हो ऐसा दिया जाता हुआ आहार भिक्षु ग्रहण न करे ।

आचा. श्रु. २ अ. १ उ. ११ में सात पिंडैपणा में प्रथम पिंडैपणा अभिग्रह का कथन है । उस अभिग्रह को धारण करने वाला भिक्षु असंगृष्ट (अलिप्त) हाथ आदि से ही भिक्षा ग्रहण करता है, संगृष्ट हाथ आदि से नहीं । इस प्रतिज्ञा वाला भिक्षु लेप्य अलेप्य दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकता है क्योंकि केवल अलेप्य (रूक्ष) पदार्थ ग्रहण करने की ‘अलेपा’ नामक चौथी पिंडैपणा (प्रतिज्ञा) कही है । अतः यह असंगृष्ट का प्रायश्चित्त उपयुक्त अपेक्षा से है, ऐसा सम्भ्रता आगम सम्मत है ।

शब्दार्थ—१. “मट्टिया” —साधारण मिट्टी—चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी लाल मिट्टी आदि जो कच्चे मकान बनाने, बर्तन मांजने—साफ करने, षड़े आदि बर्तन बनाने के काम में आती है ।

२. “ऊत” —साधारण भूमि पर अर्थात् ऊपर भूमि पर धार जमता है, उसे धार या ‘पांगु-धार’ कहते हैं । “ऊपः—पांगुधारः” । दशवै. चूर्ण ष टोका ।

३. “मणोसित” —मैतसिल—एक प्रकार की पीली कठोर मिट्टी ।

४. “नेरुप” —कठोर लाल मिट्टी ।

५. “वणिाय” —पीली मिट्टी—‘त्रेण मुवणं वणिज्जति’ ।

६. “सेट्ठिय” —गफेद मिट्टी—गडिया मिट्टी ।

७. "सोरट्ठय"—फिटकरी—"सोरट्ठया तुवरिया जीए सुवणकारा उप्पं करेति सुववणस्स पिडं" ।
८. उक्कुट्ठ—"सच्चित्त वणस्सइच्चुण्णो—ओक्कुट्ठो भण्णति" प्राकृत भाषा में अनेक विकल्प होते हैं, इसलिये—'उक्कुट्ठ, उक्किट्ठ-उक्कुट्ठ' तीनों ही शुद्ध है तथा सेडिय सेडिय' दोनों शुद्ध हैं । दोनों चूर्ण में मिलते हैं ।

इन १५ सूत्रों में जो प्रायश्चित्तविधान है इनका निर्देश आचारांग श्रु. २, अ १, उ. ६ व दशवैकालिक अ. ५, उ. १ में हुआ है । दशवैकालिक सूत्र में इस विषय की दो गाथाएँ हैं, जिनमें १६ प्रकार से हाथ आदि लिप्त कहे हैं । वहाँ "सोरट्ठय" के बाद जो "पिट्ठ" शब्द है वह "सोरट्ठय" पर्यन्त कही गई सभी कठोर पृथ्वियों का विशेषण मात्र है । क्योंकि उन कठोर पृथ्वियों के चूर्ण से ही हाथ लिप्त हो सकता है । अतः पृथ्वी संबंधी शब्दों के समाप्त होने पर इस शब्द का प्रयोग गांधी में हुआ है किन्तु उसे भी स्वतंत्र शब्द मान कर १७ प्रकार से लिप्त हाथ आदि है ऐसा अर्थ किया जाता है । वह तर्कसंगत नहीं है अपितु केवल भ्रान्ति है ।

"अगस्त्य चूर्ण में व जिनदासगणी की चूर्ण में "पिट्ठ" शब्द को स्वतंत्र मान कर जो अर्थसंगति की गई है वह इस प्रकार है—

"अग्नि की मद आंच से पकाया जाने वाला अपक्व पिष्ट (आटा) एक प्रहर से अस्त्रपरिणत (अचित्त) होता है और तेज आंच से पकाया जाने वाला शीघ्र अस्त्रपरिणत होता है ।

यहां पिष्ट (धान्य के आटे) को अग्नि पर रखने के पहले और बाद में सचित्त बताया है वह उचित नहीं है ।

धान्य में चावल तो अचित्त माने गये हैं और शेष धान्य एकजीवी होते हैं, वे धान्य पिस कर आटा बन जाने के बाद भी घंटों तक आटा सचित्त रहे यह व्याख्या भी "पिट्ठ" शब्द को अलग मानने के कारण ही की गई है ।

गोचरी के समय घर में आटे में भरे हाथ दो प्रकार के हो सकते हैं—

१. आटा छानते समय या वर्तन से परात में लेते समय, २. धान्य पीसते समय ।

धान्य पीसने वाले से तो गोचरी लेना निषिद्ध है ही और छानते समय तक सचित्त मानना संगत नहीं है । अतः "पिष्ट" शब्द को सूत्रोक्त पृथ्वीकाय के शब्दों का विशेषण मानकर उनके चूर्ण में लिप्त हाथ आदि ऐसा अर्थ करने से मूल पाठ एवं अर्थ दोनों को संगति हो जाती है ।

दशवैकालिक सूत्र में इस विषय के १६ शब्द हैं । यहाँ उनका १४ सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा है । "उदउल्ल" में "ससिण्ड" का प्रायश्चित्त समाविष्ट कर दिया गया है और 'ससरक्ख' का प्रायश्चित्त मट्टियासंसट्ट' में समाविष्ट कर दिया गया है । अतः १४ सूत्र ही होते हैं और एक सूत्र "अमंसट्ट" का होने से कुल १५ सूत्र होते हैं । भाष्य गाथा से इनका क्रम स्पष्ट ज्ञात हो जाता है ।

चूर्णकार ने कुछ शब्दों के ही अर्थ किये हैं ।

भाष्य गाथा—"उदउल्ल, मट्टिया वा, ऊसगते चैव होति बोधव्वे ।

हरिताले हिगुलए, मणीसित्ता अंजणे लोणे ॥ १८४८ ॥

गृह्य वणिग्य सेडिय, सोरट्टिय पिट्ठ कुक्कुसफए य ।

उक्कट्टमसंसट्ठे, णेयव्वे आणुपुच्चोए ॥ १८४९ ॥

यहां पर निगोप चूर्णिकार ने भी "पिट्ठ" शब्द को स्वतंत्र मानकर "तंदुलपिट्ठं ग्राम असत्योवहतं" व्याख्या की है। यही श्रथं उपव्य अनुवादों में किया जाता है।

"तंदुल" से सूखे चावल श्रथं किया जाए तो वे अचित्त ही होते हैं और हरे चावल श्रथं किया जाय तो उसके लिये "उक्कुट्ठं" शब्द का आगे स्वतंत्र सूत्र है जिसका श्रथं चूर्णिकार स्वयं सचित्त-वणससईचुण्णो ओकुट्ठो भण्णति ऐसा करते हैं। जिसमें सभी हरी वनस्पतियों के कूटे व चटनी आदि का समावेश हो सकता है।

भाष्य, चूर्ण एवं दशवैकालिक की अपेक्षा निगोप के मूल पाठ में कुछ भिन्नता है। कर्दं प्रतियो में तो 'सोरट्टिय' शब्द नहीं है किन्तु अन्य 'कंतव, लोद्ध, कंदमूल, सिंगवेर, पुप्फग' ये शब्द बढ गये हैं तथा 'एवं एक्कवीसं हत्था भाणियव्वा', 'एगयोसभेएण हत्थेण' आदि पाठ बढ गये हैं तो किमों प्रति में २३ संख्या भी हो गई है।

वनस्पति से ससट्ठ की अपेक्षा यहां दो शब्द प्रयुक्त है—

१. वनस्पति का कूटा पीसा चूर्ण चटनी, २. वनस्पति के छिलके भूना आदि। इन में हाय आदि संसृष्ट हो सकते हैं और इनमें सभी प्रकार की वनस्पति का समावेश भी हो जाता है। अतः लोधा, कंद, मूल, सिंगवेर, पुप्फग के सूत्रों की अलग कोई आवश्यकता नहीं रहती है। भाष्य, चूर्ण तथा दशवैकालिक आदि से भी ये शब्द प्रामाणित नहीं है। 'कंतव' शब्द तो अग्रप्रसिद्ध ही है। अतः ये पांच शब्द और २१ हत्या आदि पाठ बहुत वाद में जोड़ा गया है। क्योंकि उनके लिये कोई प्राचीन आधार देखने में नहीं आता है।

अग्योन्य शरीर का परिकर्म करने का प्रायश्चित्त—

६४. जे भिवलू अणमणस पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जेतं वा पमज्जेतं वा साइज्जइ । एवं तइयउहेसगमेणं णेयव्वं जाय जे भिवलू गामाणुगामं दूइज्जमाणे अणमणसम सीसदुवारियं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

६४. जो भिक्षु आपस में एक दूसरे के पायों का एक बार या अनेक बार 'ग्रामजंन' करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। इस प्रकार तीसरे उद्देशक के (भूय १६ मे ६९ तक के) नमान पूरा आलापक जान लेना चाहिये यावत् जो भिक्षु आपस में एक दूसरे का ग्रामानुग्राम विहार करते समय भस्तक ढांकता है या ढांकने वाले का अनुमोदन करता है। (उमें नपुमागिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—ये कुल ५४ सूत्र हैं। आवश्यक कारण के बिना, केवल भक्ति या नुनूहलवदा आपस में शरीर का परिकर्म करने पर इन सूत्रों के अनुसार प्रायश्चित्त आता है। तीसरे उद्देशक में ये कार्य स्वयं करने का प्रायश्चित्त कहा गया है और यहां साधु-साधु आपस में परिकर्म कर तो प्रायश्चित्त कहा गया है। इतनी विशेषता के साथ यहां भी ५४ ही सूत्र समझ लेना चाहिए और उनका श्रथं एवं विवेचन भी प्रायः वैसा ही समझ लेना चाहिए।

चूर्णकार ने यहां ४१ सूत्र-संख्या का निर्देश किया है वह इस प्रकार है—

“इत्यादि एषकतालीसं सुत्ता उच्चारयेद्यथा जाय अण्णमण्णस्त सीसदुवारियं करेइ इत्यादि अर्थः पूर्वघत् ।

गाया—पादादि तु पमज्जण, सीसदुवारादि जो गमो ततिए ।

अण्णोण्णस्त तु करणे सो चेव गमो चउत्त्यम्मि ॥ १८५५ ॥

तृतीय उद्देशगमेन नेयं । चूर्णि ।

इस व्याख्या में क्रिमी भी सूत्र को कम करने का निर्देश नहीं होते हुए भी चूर्ण में सूत्र संख्या ४१ कहने का कारण यह है कि तीसरे उद्देशक में २६ सूत्रों के लिये सूत्रसंख्या २६ कह कर भी पद संख्या १३ कही है । उसी पद संख्या को सभ्यतः यहां सूत्रसंख्या गिन ली गई है । जिससे ५४ में से १३ की संख्या कम होने पर ४१ सूत्रसंख्या कही गई है । अतः उपर्युक्त ५४ सूत्रों का मूल पाठ इस उद्देशक में होने पर भी चूर्णकारकथित ४१ की संख्या में कोई विरोध नहीं होता है । केवल विवक्षा भेद ही है ।

सूत्र ६४ से ११७ तक अन्योन्य शरीर-परिकर्म सूत्र तीसरे उद्देशक के समान है । इनकी तालिका इस प्रकार है—

		संख्या
६४ से ६९	पैर-परिकर्म	६
७० से ७५	काया-परिकर्म	६
७६ से ८१	व्रण-चिकित्सा	६
८२ से ८७	गंडमाल आदि की शल्य-चिकित्सा	६
८८	कृमि निकालना	१
८९	नख काटना	१
९० से ९५	रोम-परिकर्म	६
९६ से ९८	दंत-परिकर्म	३
९९ से १०४	होठ-परिकर्म	६
१०५ से १११	चक्षु-परिकर्म	७
११२ से ११४	रोम-केश परिकर्म	३
११५	प्रस्वेद निवारण	१
११६	चक्षु आदि का मूल निकालना	१
११७	मस्तक टांक कर विहार करना	१
		<hr/>
		५४
		<hr/>

परिष्ठापना समिति के दोषों का प्रायश्चित्त—

११८. जे भिषखू साणुप्पए उच्चार-पासवणभूमिं ण पडिलेहेइ, ण पडिलेहंतं या साइज्जइ ।
 ११९. जे भिषखू तओ उच्चार-पासवणभूमिओ न पडिलेहेइ, न पडिलेहंतं वा साइज्जइ ।
 १२०. जे भिषखू सुद्धटागंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।
 १२१. जे भिषखू उच्चार-पासवणं अविहीए परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।
 १२२. जे भिषखू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता ण पुंछइ, ण पुंछंतं वा साइज्जइ ।
 १२३. जे भिषखू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता कट्ठेण वा, किलिंघेण वा, अंगुत्तियाए वा, सत्तायाए वा पुंछइ, पुंछंतं वा साइज्जइ ।
 १२४. जे भिषखू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता णायमइ, णायमंतं वा साइज्जइ ।
 १२५. जे भिषखू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता तत्थेव आयमइ, आयमंतं वा साइज्जइ ।
 १२६. जे भिषखू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता अइदूरे आयमइ आयमंतं वा साइज्जइ ।
 १२७. जे भिषखू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता परं तिण्हं णावापूरणं आयमइ, आयमंतं वा साइज्जइ ।

११८. जो भिक्षु नीची पोरिगी के चौथे भाग में उच्चार-प्रत्यय की भूमि का प्रतिनिधन नहीं करता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

११९. जो भिक्षु तीन उच्चार-प्रत्यय भूमि की प्रतिनिधना नहीं करता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२०. जो भिक्षु एक ह्रास से भी कम लयी-नीची जगह में उच्चार-प्रत्यय परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२१. जो भिक्षु उच्चार-प्रत्यय को अगिधि से परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२२. जो भिक्षु उच्चार-प्रत्यय को परठ कर मन्दाय को नती पोंछता है या नहीं पोंछने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२३. जो भिक्षु उच्चार-प्रत्यय को परठ कर मन्दाय को काष्ठ से, बांग की खाखी से, अंगुली से या बेंत आदि की धनाका से पोंछता है या पोंछने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२४. जो भिक्षु उच्चार-प्रत्यय को परठ कर घासमन नहीं करता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२५. जो भिक्षु उच्चार-प्रत्यय को परठ कर वहीं उनके ऊपर ही घासमन करता है या घासमन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२६. जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण को परठकर अति दूर जाकर आचमन करता है या आचमन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२७. जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण को परठकर तीन से अधिक पसली से आचमन करता है या आचमन करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इन दस सूत्रों का सक्षिप्त भाव यह है कि सध्या समय में तीन उच्चार-प्रस्रवण परठने की भूमियों का प्रतिलेखन करना चाहिये । बैठने के लिये जीवरहित भूमि कम से कम एक हाथ लंबी चौड़ी होनी ही चाहिये । दिशावलोकन आदि विधि का पालन करना चाहिये । मल-निवृत्ति के बाद वस्त्रखंड से मलद्वार को पोंछ कर साफ करना चाहिये । फिर कुछ दूर हट कर मर्यादित जल से शुद्धि कर लेनी चाहिये ।

पोंछना और आचमन आदि का कथन बड़ी नीत से ही संबंधित है । बड़ी शंका की बाधा कभी कभी होती है । अतः तीन भूमियों का प्रतिलेखन भी उसके लिये उपयुक्त है ।

लघुशुका से निवृत्त होने के बाद पोंछना या आचमन करना आवश्यक नहीं है तथा प्रायः तीन से अधिक बार भी लघुशुका के लिये जाना होता है । इसलिए इन दस सूत्रों का अर्थ मल-त्याग की मुख्यता से समझना उचित है ।

१. खुड्डागंति—रयणिपमाणातो जं आरतो तं खुड्डं ।”

गाथा—वित्यारायामेणं, थंडिल्लं जं भवे रयणिमित्तं ।

चउरंगुलोवगाडं, जहण्णयं तं तु वित्थिण्णं ॥ १८६४ ॥

लंबाई-चौड़ाई में एक हाथ से कम विस्तार वाली भूमि “खुड्डग” कही जाती है और एक हाथ विस्तार वाली ‘जघन्य विस्तीर्ण’ भूमि कही जाती है ।

२. “साणुप्पए”—“साणुप्पओ णाम चउभागावसेस चरिमाए” चौथी पौरुषी के चौथे भाग में अर्थात् स्वाध्याय से निवृत्त होने के बाद सध्या समय के अस्वाध्याय काल में सध्याभूमि व उच्चार-प्रस्रवण भूमि की प्रतिलेखना करनी चाहिये ।

हरी वनस्पति, कीड़ियों आदि के विल, खड्डे, विषम भूमि आदि की जानकारी प्रतिलेखन करने से ही होती है । प्रतिलेखन करने पर अनेक दोषों से बचा जा सकता है । किन्तु प्रतिलेखन न करने पर अचानक हुए दीर्घ शंका के वेग को रोकने पर रोग या मृत्यु भी होना संभव है ।

३. ‘तओ’—तीन जगह प्रतिलेखन करने का कारण यह है कि एक ही जगह देखने पर वहां यदि अन्य कोई मल त्याग कर दे या पशु आकर बैठ जाय तो अनेक दोषों की संभावना रहती है । अतः तीन भूमियों का प्रतिलेखन करना चाहिये ।

४. “अविहीए—मल त्याग के पूर्व बैठने की भूमि का प्रतिलेखन या प्रमार्जन करना, ‘कोई आसपास में है या नहीं’ यह जानने के लिए दिशावलोकन करना, जल्दी सूख जाय ऐसे स्थान पर विवेकपूर्वक परठना, मल में कृमि आते हैं तो धूप में मलत्याग नहीं करना इत्यादि समाचारी का पालन करना विधि कहलाता है । उमसे विपरीत करना अविधि है ।

भाष्यकार ने विधि के वर्णन में कहा है कि "अंगुजाणह जस्सुगहो" ऐसा बोलकर द्वि-परटना चाहिये जिससे देव दानव का उपद्रव न हो तथा दिन में उत्तर दिशा की ओर तथा राति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करना चाहिये । हवा, बस्ती व गूरुं की तरफ भी पीठ नहीं करना यदि वर्णन किया है ।

५. "पुंछइ"—मलद्वार को कपड़े से पोंछ लेने के बाद थोड़े पानी से आचमन करने पर भी शुद्धि हो सकती है । जोर कपड़ा भी माथु के पास प्रायः मिल जाता है । काष्ठ आदि से पोंछने का निषेध करने का कारण यह है कि कोमल अंग में किसी प्रकार का आघात न लगे । अंगुली या हाथ से पोंछने पर स्वच्छता नहीं रहती तथा बहुत समय तक हाथ में गंध आती रहती है अतः इनसे पोंछने का प्रायश्चित्त कहा है ।

६. 'आचमन'—उच्चारें योसिरिजमाणे अवरसं पासवर्णं भवति त्ति तेण गहितं । पासवर्णं पुण काउं सागारिण् (अंगादाणं पायमइ जहा उच्चारें)—मल त्यागने के समय मूत्र भ्रवश्य प्राता है इमलिये ही मूत्र में मल के साथ मूत्र का कथन है । किन्तु मल त्यागने के बाद मलद्वार का आचमन (प्रक्षालन) किया जाता है, वेने मूत्रोद्विग का आचमन करना नहीं समझना चाहिये । मलद्वार को वस्त्रखंड से पोंछ लेने पर भी पूर्ण शुद्धि नहीं होती है तथा उमरी प्रत्याप्याय रहती है । अतः आचमन करना भी आवश्यक होता है, आचमन नहीं करने पर मूत्रोपन प्रायश्चित्त आता है ।

मल त्यागने के बाद उसके ऊपर ही आचमन करने से गोनापन अधिक बढ़ता है जिनसे मूत्रने में अधिक समय लगने में विराधना की संभावना रहती है । अतः कुछ दूरी पर आचमन करना उचित है । वहाँ पर आचमन करने से हाथ के मल लगने की भी संभावना रहती है । अधिक दूर जाकर पुचि करने से लोगों में आचमन न करने की श्रंति भी हो सकती है ।

७. पायापूरणं—'पाय' त्ति पसतो, ताहिं आयमियय्यं ।

पाया—उच्चारमापरित्ता, परेण तिण्हं तु पायपूरेणं ।

जे भिषयू आयमति, सो पायति—आणमादीणि ॥ १८० ॥

तीन पगली से ज्यादा पानी का उपयोग करने पर निम्न शीघों की प्राप्ति होती है—

उच्छ्रोतणा पघोइयस्त, दुल्लमा सोण्णती तारिगपस्त उच्छ्रोतणा दोत्ता भवति, पिपीलियादीणं वा पाणाणं उप्पित्तायणा भयइ, पित्ततरंघे तत्ता पडंति, तद्धयणपत्ताणि वा, पुष्काणि वा, फलानि वा पडंति हुक्कयकरणे याउरसात्तं भवति । भाष्य पाया ॥ १८० ॥

दश स. ४ में कहा है—जो बार-बार प्रक्षालन करना है, धोता है तंगे मिथु की मुक्ति दुर्लभ है, प्रक्षालन से मल घनेक दोष लगते हैं । अधिक पानी के रेत से कोई यदि घनेक प्राणियों को पीटा होतो है । जिनो खट्टे में पानी भरने पर उसमें दम जोय पड़ते है तथा वृक्ष के पत्ते, पुष्प, फल आदि पड़ते हैं ।

अधिक प्रक्षालन करने में मंगल मयोन होता है ।

पायापूरणं—नात जंगो पाण्णति पानी पानी भने एक हाथ की अंजली (पगली) को नायापूरण कहा गया है, मल-मूत्र त्यागने के बाद ऐसे तीन नायापूरणों से मलद्वार की शुद्धि करनी चाहिए ।

जो भिक्षु मल त्याग करके तीन से अधिक नावापूरकों द्वारा यदि शुद्धि करता है तो वह वीतराग की आज्ञाभंग आदि दोषों का पात्र होता है ।

तीसरे उद्देशक के अंत में मल-मूत्र त्यागने योग्य और अयोग्य भूमियों का कथन है । योग्य स्थंडिल के अभाव में दिन व रात्रि में अपने स्थान पर अपने ही भाजन में मल त्याग की विधि का निर्देश किया गया है ।

इस चतुर्थ उद्देशक के भी इन अंतिम १० सूत्रों में उच्चार-प्रस्रवण-परिष्ठापन के विषय में कहा है । किन्तु यहाँ योग्य स्थंडिलभूमि में ही जाकर मलत्याग की विधि संबंधी सूचना देते हुए प्रायश्चित्त कहा गया है ।

पारिहारिक सह भिक्षार्थ गमन प्रायश्चित्त—

१२८. जे भिक्खू अपरिहारिए णं “परिहारियं” वएज्जा—एहि अज्जो ! तुमं च अहं च एगओ असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेत्ता तओ पच्छा पत्तेयं पत्तेयं भोक्खामो वा पाहामो वा, जो तं एवं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

१२८. जो भिक्षु अपारिहारिक है, वह पारिहारिक से यह कहे कि हे आर्य ! आओ तुम और मैं एक साथ जाकर अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करके उसके बाद दोनों अलग-अलग खायेंगे पीयेंगे, इस प्रकार जो पारिहारिक से कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है । उपर्युक्त १२८ सूत्रों में कहे गये दोषस्थानों का सेवन करने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—उद्देशक २ सूत्र ४० में पारिहारिक और अपारिहारिक शब्द का प्रयोग हुआ है । वहाँ इनका अर्थ क्रमशः दोष न लगाने वाला और दोष लगाने वाला है ।

किन्तु यहाँ क्रमशः जिसका आहार अलग है, ऐसा प्रायश्चित्त बहन करने वाला साधु और प्रायश्चित्त रहित शुद्ध साधु, ये अर्थ हैं

चूणि—“पापच्छित्तं अणावण्णो अपरिहारिओ, आवण्णो—मासियं जाव छन्मासियं सो परिहारिओ ।”

प्रायश्चित्त के निमित्त तपश्चर्या करने वाला साधु “पारिहारिक” कहा जाता है, आचार्य के अतिरिक्त गच्छ के सभी साधुओं द्वारा वह परिहार्य होता है, उसके साथ केवल आचार्य ही वातालाप आदि व्यवहार करते हैं, गच्छ के अन्य साधु उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, इस प्रकार वह गच्छ के लिये परिहरणीय है, अतः वह पारिहारिक कहा जाता है ।

प्रश्न—यह प्रायश्चित्त बहन कौन कर सकता है ?

उत्तर—१. सुदृढ संहनन वाला हो, २. धैर्यवान् हो, ३. गीतार्थ हो, ४. समर्थ हो—पूर्व के तीन गुण होते हुए भी बाल बूढ़ या रोगी हो तो वह असमर्थ कहलाता है । अतः जो तरुण एवं स्वस्थ हो उसे ही समर्थ समझना चाहिये ।

प्रश्न—वह कौन-सा प्रायश्चित्त बहन करता है ?

उत्तर—एकमासिक यावत् छःमासिक प्रायश्चित्त बहन करता है ।

प्रश्न—यह क्या तपस्या करता है ?

उत्तर—कम से कम एकांतर उपवास करता है और पारण के दिन प्रायश्चित्त करता है ।

प्रश्न—इस सूत्र में तो गोचरी साथ जाने का प्रायश्चित्त कहा है तथा और भी उसके साथ अन्य अनेक प्रकार के व्यवहार करने पर प्रायश्चित्त आता है ?

उत्तर—उसके साथ आठ कार्य करने पर तपुमासिक प्रायश्चित्त आता है, जिसमें आठवां तप में गोचरी जाने का है । अतः पूर्व के सात कार्य भी उसके साथ अंतर्भावित हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये । इनके अतिरिक्त दो कार्य और हैं जिनके करने पर गुरुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

प्रश्न—वे दस कार्य कौन से हैं ?

उत्तर—१. आषाढ में वार्तावाप करना ।

२. सूर्याय पूछना ।

३. स्वाध्याय आदि कंठस्थ ज्ञान सुनना और सुनाना ।

४. साथ में उठना बैठना आदि ।

५. वंदन-व्यवहार ।

६. पात्र आदि उपकरण देना लेना ।

७. प्रतिलेखन आदि कार्य करना ।

८. दोनों का संघाटा बना कर गोचरी आदि जाना ।

९. आहार देना लेना ।

१०. एक मण्डली में बैठकर आहार करना अर्थात् साथ में खाना ।

प्रश्न—गुद्ध भी कहना हो, पूछना हो, आलोचना करना हो तो यह (पारिहारिक) साधु किमके पास करे ?

उत्तर—उमरे गुद्ध भी काम करना हो तो आचार्य की आज्ञा लेकर करे, उनके पास आसोचना करे, उनमें ही प्रश्न पूछे और उन्हें ही आहार बनावे, कष्ट खाने पर या रोग आदि होने पर भी आचार्य से ही करे । दूसरे साधु का उमके पास जाना, कहना या पूछना आदि नहीं हो सकता ।

प्रश्न—यदि कोई उमरे रत्न अथस्या में देगे तो किसे भूषणा दे ?

उत्तर—उपास्य में किसी नमम उमरे असत्य तकलीफ ही तो यह स्वयं आचार्य से करे । यह भगवत् वेदना के कारण आचार्य को न गृह्ये तो अन्य साधु जाकर उमकी वेदना के सदृश आचार्य को जानकारी दे, बाद में उमकी सेवा के लिये आचार्य जिसे निमुक्त करे वह उसकी सेवा करे ।

प्रश्न—गोचरी आदि के लिये गया हुआ वह भिक्षु मार्ग में चली गिर जाये तो उमकी सेवा लिए आचार्य की आज्ञा लेना आवश्यक है ?

उत्तर—नाही, ऐसी परिस्थिति में कोई भी साधु उमकी सेवा कर सकता है । स्वयं पर खाने के बाद आचार्य की जानकारी देना और आलोचना करना आदि कार्य किये जाते हैं और स्वयं न हो तब तक उमकी सेवा भी की जाती है । जितना कार्य यह स्वयं कर सकता हो उतना वह करे । और जो कार्य वह न कर सके वह अन्य साधु आचार्य की आज्ञानुसार करे ।

प्रश्न—उमके साथ ऐसा व्यवहार, कर्म किया जाता है, यदि कोई उमकी सेवा करना करे । क्या दोष है ?

उत्तर—इसका समाधान दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है ।

जिस प्रकार पशु स्वयं चरने जाने के लिये समर्थ होता है तब तक उसे जाने के लिये गांव के बाहर निकाल दिया जाता है । यदि वह अशक्त होता है तो गोपालक उसे घर पर ही घास आदि लाकर देता है । इसी प्रकार पारिहारिक की सेवा के संबंध में समझना चाहिये ।

प्रश्न—इस प्रकार का कठोर तप और कठोर व्यवहार उसके साथ क्यों किया जाता है ?

उत्तर—जो जैसा दोष सेवन करता है उसे वैसा ही प्रायश्चित्त दिया जाता है । दोषशुद्धि एवं आत्मशुद्धि के लिये स्वेच्छा से स्वीकार करने पर परिहार तप दिया जाता है । इससे अन्य साधुओं को भी यह ध्यान रहे या भय रहे कि इस तरह के दोष का ऐसा प्रायश्चित्त होता है । इसके अतिरिक्त इस तप के करने पर कर्मों की निर्जरा भी होती है ।

प्रश्न—आलोचना, प्रायश्चित्त तो एकांत में किया जाता है अतः स्पष्ट जानकारी कैसे हो सकती है । जिससे दूसरे साधु भयभीत बन कर वैसे दोषों से सावधान रहें ?

उत्तर—इस प्रायश्चित्त बहन रूप स्थापना में स्थापित करने के पूर्व सामूहिक रूप से श्रमण समुदाय को सूचना दी जाती है और दोषसेवन की पूरी जानकारी दी जाती है, पूर्ण स्पष्टीकरण करने के बाद उसके साथ व्यवहार बंद करके उसे आत्मशुद्धि के लिये निवृत्त किया जाता है । वह आचार्य की अधीनता में व आज्ञा में गिना जाता है । तप बहन के एक दिन पूर्व स्वयं आचार्य उसके साथ जाकर उसे (मनोज्ञ-विगय युक्त) आहार दिलवाते हैं ।

इस प्रकार आदर पूर्वक चतुर्विध संघ को जानकारी देकर यह प्रायश्चित्त देकर इस प्रायश्चित्त के निमित्त तप प्रारम्भ किया जाता है । उस पारिहारिक के आचार की तप की तथा कब किस परिस्थिति में क्या क्या व्यवहार किया जा सकता है, इत्यादि की पूरी जानकारी श्रमणसमुदाय को दी जाती है ।

प्रश्न—पारण में भी विगय न लेने से तप करने का उत्साह मंद हो जाए तो बिना इच्छा के भी वह तप करना जरूरी होता है ?

उत्तर—आचार्य सारी स्थिति की जानकारी करके यथायोग्य कर सकते हैं । उसकी सारणा, वारणा करना या प्रायश्चित्त करने के लिए उत्साह बढ़ाना आदि सारा उत्तरदायित्व आचार्य का होता है । आवश्यक समर्थ तो वे विगय की छूट भी दे सकते हैं और विशेष संतुष्टि के लिए साथ में जाकर आहार भी दिलाते हैं ।

प्रश्न—छोटे-मोटे सभी दोषों का ऐसा ही प्रायश्चित्त होता है ?

उत्तर—नहीं, उत्तरगुण सम्बन्धी दोषों के प्रायश्चित्त में तथा मूलगुण सम्बन्धी जघन्य, मध्यम प्रायश्चित्त में केवल तप प्रायश्चित्त दिया जाता है । मूलगुण सम्बन्धी उत्कृष्ट दोष सेवन के प्रायश्चित्त में मासिक यावत् छःमासी "परिहार तप" का प्रायश्चित्त दिया जाता है । वह भी योग्य को दिया जाता है । योग्य न होने पर साधारण तप दिया जाता है, तथा साधु को साधारण तप का ही प्रायश्चित्त दिया जाता है । परिहार तप का प्रायश्चित्त नहीं । दिया जाता है ।

प्रश्न—क्या छेद प्रायश्चित्त से भी यह प्रायश्चित्त बड़ा है ?

उत्तर—नहीं, किसी अनाचार का अनेक बार सेवन करने पर, ज्यादा लम्बे समय तक दोष सेवन करने पर, लोकापवाद होने पर अथवा तपस्या करने की शक्ति न होने पर छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है। यह परिहार तप से भिन्न प्रकार का प्रायश्चित्त है।

छेद प्रायश्चित्त जघन्य एक दिन का, उत्कृष्ट छह मास का दिया जा सकता है। दमके ज्यादा प्रायश्चित्त आवश्यक होने पर आठवाँ "मूल" (नई दीक्षा का) प्रायश्चित्त दिया जाता है। किन्तु केवल तप, परिहार तप या दीक्षाछेद का प्रायश्चित्त छह मास में अधिक देने का विधान नहीं है।

प्रश्न—क्या वर्तमान में किसी को इस विधि से प्रायश्चित्त दिया जाता है ?

उत्तर—विशिष्ट संहनन आदि के अभाव के कारण वर्तमान में साधारण तप का प्रायश्चित्त दिया जाता है और उसके अग्रे छेद और मूल (नई दीक्षा) प्रायश्चित्त भी दिया जाता है किन्तु उक्त परिहार तप का प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है।

वीर निर्वाण के बाद संकटों वर्षों तक परिहार तप प्रायश्चित्त दिया जाता रहा। छेद मूर्खों के मूल पाठ में अनेक जगह पारिहारिक साधु सम्बन्धी अनेक विधान हैं तथा भाव्य ग्रन्थों में भी विस्तृत वर्णन मिलता है।

पारिहारिक व अपारिहारिक का कदाचित् एक साथ गोचरी निगलने का योग बन जाय तो एक को एक कर दूसरे को अलग हो जाना चाहिए।

मूल में अपारिहारिक के लिए प्रायश्चित्त कहा गया है। पारिहारिक भी यदि ऐसा करे तो उसे भी प्रायश्चित्त घाता है, यह भी समझ लेना चाहिए।

चतुस्रं उद्देशक का सारांश—

मूल १	राजा को वन में करना।
मूल २	राजा के रक्षक को वन में करना।
मूल ३	नगररक्षक को वन में करना।
मूल ४	निगमरक्षक को वन में करना।
मूल ५	गर्वरक्षक को वन में करना।
मूल ६-१०	राजा आदि के गुणग्राम करना।
मूल ११-१५	राजा आदि को वपनी और आकर्षित करना।
मूल १६	ग्रामरक्षक को आकर्षित करना।
मूल १७	देगरक्षक को आकर्षित करना।
मूल १८	सौमारक्षक को आकर्षित करना।
मूल १९	राज्यरक्षक को आकर्षित करना।
मूल २०	गर्वरक्षक को आकर्षित करना।
मूल २१-२५	ग्रामरक्षक आदि के गुणग्राम करना।
मूल २६-३०	ग्रामरक्षक आदि को वपनी और आकर्षित करना।
मूल ३१	सचित्त धान्य का आहार करना।

- सूत्र ३२ आचार्यादि की आज्ञा के बिना दुग्धादि विकृतियाँ लेना ।
 सूत्र ३३ स्थापनाकुलों को जाने बिना भिक्षाचर्या के लिए जाना ।
 सूत्र ३४ निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करना ।
 सूत्र ३५ निर्ग्रन्थियों के आगमनपथ में दण्डादि रख देना ।
 सूत्र ३६ नये कलह उत्पन्न करना ।
 सूत्र ३७ उपशान्त कलह को पुनः उत्पन्न करना ।
 सूत्र ३८ मुँह फाड़-फाड़कर हँसना ।
 सूत्र ३९-४८ पाशवंस्थ, श्रवसन्न, कुशील, संसक्त, नित्यक इन पाँच को अपना संघाडा देना या उनका संघाडा लेना ।
 सूत्र ४९-६३ अष्काय, पृथ्वीकाय और वनस्पतिकाय आदि सचित्त पदार्थों से लिप्त हाथों द्वारा आहारादि लेना ।
 सूत्र ६४-११७ साधु-साधु का परस्पर शरीरपरिकर्म करना ।
 सूत्र ११८-११९ संध्या समय तीन उच्चार-प्रस्रवणभूमि का प्रतिलेखन न करना ।
 सूत्र १२० कम लम्बो-चौड़ी भूमि में मल-मूत्र त्यागना ।
 सूत्र १२१ अविधि से मल-मूत्र त्यागना ।
 सूत्र १२२ मल-मूत्र त्याग कर मलद्वार न पीछना ।
 सूत्र १२३ मलद्वार को काष्ठादि से पीछना ।
 सूत्र १२४ मलद्वार की शुद्धि नहीं करना ।
 सूत्र १२५ मल पर ही शुद्धि करना ।
 सूत्र १२६ अधिक सूरी पर शुद्धि करना ।
 सूत्र १२७ तीन पसलों से अधिक पानी से शुद्धि करना ।
 सूत्र १२८ प्रायश्चित्त वहन करने वाले के साथ भिक्षाचर्या जाना ।
 सूत्र १२९ इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के ५५ सूत्रों के विषयों का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- सूत्र ३१ सचित्त वीज आदि का आहार करना अनाचार है । —दशा० अ० ३, गा० ७
 सूत्र ३२ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए विकृतियाँ लेना अकल्पनीय है । —दशा० द० ८, सु० ६२
 सूत्र ३६-३७ नया कलह उत्पन्न करना या उपशान्त कलह को पुनः उत्तेजना देना असमाधि स्थान कहा है । —दशा० द० १
 सूत्र ४९-६३ सचित्त पानी, मिट्टी, वनस्पति आदि से लिप्त हाथ वालों से आहार लेने का निषेध—
 —(क) दश. अ. ५, उ. १, गा. ३३-३४
 —(ख) आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ६,
 सूत्र ६४ से ८७, ८९ से ९५, ११२ से ११६ साधु-साधु के परस्पर शरीर-परिकर्म का निषेध । —आचा. श्रु २, अ. १४
 सूत्र ११८ उच्चार-प्रस्रवणभूमि का प्रतिलेखन करना । —उत्त. अ. २६, गा. ३९
 सूत्र १२० विस्तीर्ण उच्चार-प्रस्रवणभूमि में मल-मूत्र त्यागना । —उत्त. अ. २४, गा. १८

इस उद्देशक के निम्न ३७ सूत्रों के विषयों का रूपन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- सूत्र १-३० राजा आदि को वना में करना ।
 सूत्र ३३ स्वापनाकुलों को जाने बिना भिक्षाचर्या के लिए जाना ।
 सूत्र ३४ निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में भविष्य से प्रवेग करना ।
 सूत्र ३५ निर्ग्रन्थियों के भागमनपथ में दण्डादि रख देना ।
 सूत्र ३८ मुँह फाड़-फाड़कर हँसना ।
 सूत्र ३९-४० पासत्यादि को छपना संघाटा देना या उनका संघाटा लेना ।
 सूत्र ८८ मलद्वार से कुमि निकालना ।
 सूत्र ८९ परस्पर एक दूसरे के अकारण नथ काटना ।
 सूत्र ९६-९८ दाँतों का परिकर्म करना ।
 सूत्र ९९-१०५ हीठों का परिकर्म करना ।
 सूत्र १०५-१११ चक्षु का परिकर्म करना ।
 सूत्र ११७ ग्रामानुग्राम विहार करते समय परस्पर एक दूसरे का मस्तक छँकना ।
 सूत्र ११९ तीन उच्चार-प्रसवणभूमियों का प्रतिनेष्यन न करना ।
 सूत्र १२१ मल-मूत्र भविष्य में त्यागना ।
 सूत्र १२२ मल-मूत्र त्याग कर मल द्वार न पौँछना ।
 सूत्र १२३ मलद्वार को फाष्ट आदि से पौँछना ।
 सूत्र १२४ मलद्वार को शुद्धि न करना ।
 सूत्र १२५ मल-मूत्र पर ही शुद्धि करना ।
 सूत्र १२६ मल-मूत्र त्यागने के स्थान से अधिक दूर जाकर शुद्धि करना ।
 सूत्र १२७ मल-मूत्र त्यागकर तीन पसली में अधिक पानी मिस्र शुद्धि करना ।
 सूत्र १२८ पारिहारिक के साथ गोचरी जाना ।

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ॥

पांचवां उद्देशक

वृक्षस्कन्ध के निकट ठहरने आदि का प्रायश्चित्त—

१. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा आलोएज्ज वा, पलोएज्ज वा, आलोएंत्तं वा पलोएंत्तं साइज्जइ ।

२. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेएइ, चेएंत्तं वा साइज्जइ ।

३. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसिठिच्चा असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा आहारैइ, आहारैत्तं वा साइज्जइ ।

४. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा उच्चारं वा, पासवणं वा परिट्टवेइ, परिट्टवेंत्तं वा साइज्जइ ।

५. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं करेइ, करेंत्तं वा साइज्जइ ।

६. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं उदिदसइ, उदिदसंतं वा साइज्जइ ।

७. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं समुदिदसइ, समुदिदसंतं वा साइज्जइ ।

८. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं अणुजाणइ, अणुजाणंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं वाएइ वायंतं वा साइज्जइ ।

१०. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिखू सचित्त-रुखमूलंसि ठिच्चा सज्जायं परियट्टेइ, परियट्टंतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में (वृक्षस्कंध के पास की सचित्त पृथ्वी पर) खड़ा रहकर या बैठकर एक बार या अनेक बार (इधर उधर) देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर कायोत्सर्ग, शयन करता है या बैठता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर अशन पान खाद्य या स्वाद्य का आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर उच्चार-प्रसवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का उद्देश करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का समुद्देश करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय की प्राप्ति देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर भूदार्य की वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर भूदार्य की वाचना ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का पुनरावर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उभे सधुमासिक प्रायश्चित्त भाता है ।)

विशेष—

'सचित्त रत्नमूलंति'—'जस्य सचित्त रत्नस्य हरिय-पय-पमापो वेदुत्तेषु खंधो तस्य सम्प्रो जाय रत्नपिपमाणा ताम सचित्तभूमि ।'—पूर्णि

जिस वृक्ष के रूख को मोटाई हाथी के पैर जितनी हो तो उसके चारों ओर एक हाथ प्रमाण भूमि सचित्त होती है । इसमें अधिक मोटाई होने पर उसी अनुपात में रूख के पास की भूमि सचित्त होती है । अतः उतने स्थान पर खड़ा रहने में, बैठने में या घबनादि करने में पृथ्वीकाय की विराधना होती है तथा प्रजापशुओं से वृक्षरूख का स्पर्श होने पर वनस्पतिकाय की विराधना होती है ।

'ठाणं-सेज्ज-नितीहिणं'—'ठाणं-काउरगगो, यमाहि निमित्तं मेग्ग्या, विराम-ठाण निमित्तं-नितीहिण ।'—पूर्णि

'सचित्त-रत्नमूले, ठाण-नितीयण-मुत्तुणं भावि ।' ॥१९०९॥

वृक्षरूख के समीप भूमि पर खड़े होने को स्थान, सोने को सव्या ओर बैठने को निगदा करना कहा गया है ।

'सम्पत्तयं'—'सन्नुत्तहा, धम्मत्तहा, पुत्तहासो सम्पत्तयकरणं ।'—पूर्णि

'सम्पत्तयं' शब्द से अनुप्रेक्षा, धर्मरक्षा और प्रथ प्रदत्ता, धनका ग्रहण हुआ है ।

'उत्तेम'—'उत्तेमो अमित्तन अमीत्तम'—नेने मूलपाठ की वाचना देना ।

'सामुत्तेम'—'प्रविग्गम समुत्तेमो'—कण्ठस्थ विने हुए की पक्का व मुड कराना ।

“अणुणा” — “थिरीभूयस्स अणुणा” — स्थिर एवं शुद्ध कण्ठस्थ हो जाने पर दूसरे को सिखाने की आज्ञा देना । — नि. चूर्णि ।

उद्देश, समुद्देश और अणुणा का अन्य अर्थ भी अनुयोगद्वारा सूत्र की हरिभद्रीय टीका में किया है, यथा—

१. उद्देश—सूत्र पढ़ने के लिये आज्ञा देना ।
२. समुद्देश—स्थिर करने के लिए आज्ञा देना ।
३. अणुणा—अन्य को पढ़ाने की आज्ञा देना ।

“वायणा” — सूत्रार्थ की वाचना देना ।

“पडिच्छणा” — सूत्रार्थ की वाचना ग्रहण करना ।

यहाँ वृक्ष-स्कंध के पास ठहरने के निषेध और प्रायश्चित्त के विधान से अन्य सभी कार्यों का निषेध और प्रायश्चित्त स्वतः सिद्ध हो जाता है । फिर भी ग्यारह सूत्रों द्वारा अनेक कार्यों का तथा स्वाध्यायादि करने का निषेध और प्रायश्चित्त विधान विस्तृत शैली की अपेक्षा से कहा गया है ।

गृहस्थ से चट्टर सिलवाने का प्रायश्चित्त—

१२. जे भिक्खू अण्णो संघाडि अण्णउत्थिएणं वा, गारत्थिएण वा सिव्वावेइ, सिव्वावेत्तं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु अपनी चादर को अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से सिलवाता है या सिलवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

विवेचन—जइ णिककारणे अण्णो सिव्वेत्ति, कारणे वा अण्णउत्थिय-गारत्थिएहि सिव्वावेत्ति तस्स मासलहं ।' — १९२१ चूर्णि ।

स्वतीर्थिक और परतीर्थिक चार-चार प्रकार के गृहस्थ होने से कुल आठ प्रकार के गृहस्थ प्रथम उद्देशक सूत्र ग्यारह के विवेचन के अनुसार यहाँ समझ लेना चाहिए ।

आवयकतानुसार लम्बा चौड़ा कपड़ा न मिलने पर या 'अणलं, अथिरं अघारणीयं' होने के पूर्व किसी कारण से फट जाने पर सीना आवश्यक हो तो स्वयं सीवे या अन्य साधु से सिलावे और कोई भी साधु सीने वाला न हो तो साध्वी से सिला लेने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है, किन्तु गृहस्थ से सिलाने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

चादर के दीर्घमूत्र करने का प्रायश्चित्त—

१३. जे भिक्खू अण्णो संघाडीए दीह—सुत्ताइं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु अपनी चादर के लम्बी डोरियाँ बाँधता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—चादर या गाती लम्बाई में छोटी हो और बाँधना आवश्यक हो तो चार या उत्कृष्ट छः स्थानों पर डोरियाँ बाँधी जा सकती है, जिससे एक, दो या उत्कृष्ट तीन बंधन हो जाते हैं ।

५. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का उद्देश करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का समुद्देश करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय की आज्ञा देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर सूत्रार्थ की वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर सूत्रार्थ की वाचना ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो मिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का पुनरावर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—

'सचित्त रथखमूलंसि'—'जस्य सचित्त रथखस्त हृत्वि-पय-पमाणो पेह्वल्लेण घंधो तस्स सव्वतो जाव रयणिप्पमाणा ताव सचित्तभूमि ।'—चूणि

जिस वृक्ष के स्कंध की मोटाई हाथी के पैर जितनी हो तो उसके चारों ओर एक हाथ प्रमाण भूमि सचित्त होती है । इससे अधिक मोटाई होने पर उसी अनुपात से स्कंध के पास की भूमि सचित्त होती है । अतः उतने स्थान पर पड़ा रहने से, बैठने से या शयनादि करने से पृथ्वीकाय की विराधना होती है तथा असावधानी से वृक्षस्कंध का स्पर्श होने पर वनस्पतिकाय की विराधना होती है ।

'ठाणं-सेज्ज-णिस्सीहियं'—'ठाणं-काउस्सग्गो, वसाहि णिमित्तं सेज्जा, विसम-ठाण णिमित्तं-णिस्सीहिया ।'—चूणि

'सचित्त-रथखमूले, ठाण-णिस्सीयण-नुयट्टणं यावि' ॥१९०९॥

वृक्षस्कंध के समीप भूमि पर पड़े होने को स्थान, सोने को शय्या और बंठने को निषया कहा गया है ।

'सज्जायं'—'अणुणेहा, धम्मकहा, पुच्छाओ सज्जायकरणं ।'—चूणि

'सज्जायं' शब्द से अनुप्रेक्षा, धर्मकथा और प्रश्न पूछना, इनका ग्रहण हुआ है ।

'उद्देसं'—'उद्देसो अभिगव मधीतस्स'—नये मूलपाठ की वाचना देना ।

'समुद्देसं'—'मयिरस्स समुद्देसो'—कण्ठरय किये हुए को पकना व शुद्ध कराना ।

“अणुणा” — “धिरीभूयस्स अणुणा” — स्थिर एवं शुद्ध कण्ठस्थ हो जाने पर दूसरे को सिखाने की आज्ञा देना । — नि. चूर्णि ।

उद्देश, समुद्देश और अणुणा का अन्य अर्थ भी अनुयोगद्वार सूत्र की हरिभद्रीय टीका में किया है, यथा—

१. उद्देश—सूत्र पढ़ने के लिये आज्ञा देना ।

२. समुद्देश—स्थिर करने के लिए आज्ञा देना ।

३. अणुणा—अन्य को पढ़ाने की आज्ञा देना ।

“वाघणा” — सूत्रार्थ की वाचना देना ।

“पडिच्छणा” — सूत्रार्थ की वाचना ग्रहण करना ।

यहाँ वृक्ष-स्कन्ध के पास ठहरने के निषेध और प्रायश्चित्त के विधान से अन्य सभी कार्यों का निषेध और प्रायश्चित्त स्वतः सिद्ध हो जाता है । फिर भी ग्यारह सूत्रों द्वारा अनेक कार्यों का तथा स्वाध्यायादि करने का निषेध और प्रायश्चित्त विधान विस्तृत शैली की अपेक्षा से कहा गया है ।

गृहस्थ से चद्दर सिलवाने का प्रायश्चित्त—

१२. जे भिक्खू अप्पणो संघाडि अण्णउत्थिएणं वा, गारत्थिएण वा सिव्वावेडि, सिव्वावेत्तं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु अपनी चादर को अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से सिलवाता है या सिलवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

विवेचन—जइ णिक्कारणे अप्पणा सिव्वेत्ति, कारणे वा अण्णउत्थिय-गारत्थिएणं सिव्वावेत्ति तस्स मासलहं । — १९२१ चूर्णि ।

स्वतीर्थिक और परतीर्थिक चार-चार प्रकार के गृहस्थ होने से कुल आठ प्रकार के गृहस्थ प्रथम उद्देशक सूत्र ग्यारह के विवेचन के अनुसार यहाँ समझ लेना चाहिए ।

आवयकतानुसार लम्बा चौड़ा कपड़ा न मिलने पर या ‘अणलं, अथिरं अधारणीयं’ होने के पूर्व किसी कारण से फट जाने पर सीना आवश्यक हो तो स्वयं सीवे या अन्य साधु से सिलावे और कोई भी साधु सीने वाला न हो तो साध्वी से सिला लेने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है, किन्तु गृहस्थ से सिलाने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

चादर के दीर्घसूत्र करने का प्रायश्चित्त—

१३. जे भिक्खू अप्पणो संघाडीए दीह—सुत्ताइं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु अपनी चादर के लम्बी डोरियाँ बाँधता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—चादर या गाती लम्बाई में छोटी हो और बाँधना आवश्यक हो तो चार या उत्कृष्ट छः स्थानों पर डोरियाँ बाँधी जा सकती हैं, जिसमें एक, दो या उत्कृष्ट तीन बंधन हो जाते हैं ।

“जे ते संघाडिबंधणसुत्ता ते दोहा ण कायव्वा”

ये टोरियां बंध लेने के बाद चार अंगुल से ज्यादा न बने, इतनी ही लम्बी करनी चाहिए। क्योंकि अधिक लम्बी होने से उठाने-रखने में अयतना होती है, 'संमदा व "अणंगरूवध्रणा" नामक प्रतिलेखना दोष लगता है, अल्पबुद्धि या कुनूहलवृत्ति वाले के उपहास का निमित्त हो जाता है। अथवा टोरियों के उलझ जाने पर मुलभाने में समय लगने के कारण सूत्रार्थ को हानि होती है।

अतः आवश्यक हो तो “चउरंगुलप्यमाणं, तम्हा संघाडि-मुत्तगं कुज्जा” चार अंगुल लम्बे बंधन सूत्र बनाने चाहिए, ज्यादा बड़े बनाने पर प्रायश्चित्त आता है।

पत्ते खाने का प्रायश्चित्त—

१४. जे भिक्षु पिउमद-पलासयं वा, पडोल-पलासयं वा, बिल्लपलासयं वा, भोजोदग-वियडेण वा उत्तिणोदग-वियडेण वा संफाणिय-संफाणिय आहारेइ, आहारंतं वा साइज्जइ।

१४. जो भिक्षु नीम के पत्ते, पडोल—परवल के पत्ते, बिल्व के पत्ते, अचित्त दीतल या उष्ण जल में डुबा-डुबा कर—धो-धो कर खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

वियेचन—ये सूत्र-निदिष्ट सूत्रे पत्ते श्लेष रूप में लेना आवश्यक हो तो गृहस्थ के यहाँ स्वयं के लिए मुकाफर स्वच्छ किये हुए मिल जाएँ ऐसी गवंपणा करनी चाहिए।

उन्हें भिक्षु स्वयं धोवे और धोया हुआ पानी फेंके तो जीव-विराधना व प्रमाद-बुद्धि होने से प्रायश्चित्त कहा गया है।

अन्य भी श्लेष-योग्य अचित्त पत्र-पुष्प आदि का धोना भी इसमें समाविष्ट है, ऐसा ममक लेना चाहिए।

यहाँ “पडोल” का अर्थ चूर्ण एवं भाष्य में नहीं किया है। अन्यत्र कोप आदि में ‘वेली विनेय’ तथा “परवल के पत्ते” अर्थ किया गया है।

प्रत्यर्पणीय पादप्रोद्धन सम्बन्धी प्रायश्चित्त—

१५. जे भिक्षु पाडिहारियं पायपुंछणं जाइत्ता “तमेव रयणि पच्चप्पिणिस्तामिति” सुए पच्चप्पिणइ पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ।

१६. जे भिक्षु पाडिहारियं पायपुंछणं जाइत्ता “सुए पच्चप्पिणिस्तामि” त्ति तमेव रयणि पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ।

१७. जे भिक्षु सागारिय-मंतिपं पायपुंछणं जाइत्ता “तमेव रयणि पच्चप्पिणिस्तामि” त्ति सुए पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ।

१८. जे भिबखू सागारिय-संतियं पायपुंछणं जाइता "सुए पच्चप्पिणस्सामि त्ति" तमेव रयणि पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

१५. जो भिक्षु गृहस्थ के पादप्रोँछन की याचना करके "आज ही लौटा दूंगा" ऐसा कहकर दूसरे दिन लौटाता है या लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु गृहस्थ के पादप्रोँछन की याचना करके कल लौटा देने का कहकर उसी दिन लौटा देता है या लौटा देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु शय्यातर से पादप्रोँछन की याचना करके "आज ही लौटा दूंगा" ऐसा कहकर कल लौटाता है या लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु शय्यातर के पादप्रोँछन की याचना करके "कल लौटा दूंगा" ऐसा कहकर उसी दिन लौटा देता है या लौटा देने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—दूसरे उद्देशक में काष्ठदंडयुक्त पादप्रोँछन के रखने का प्रायश्चित्त कहा गया है और यहाँ एक या दो दिन के लिए गृहस्थ का या शय्यातर का पादप्रोँछन प्रातिहारिक ग्रहण कर लौटाने का जो समय कहा हो उससे पहले-पीछे लौटाने का प्रायश्चित्त कहा है ।

क्षेत्र काल सम्बन्धी किसी विशेष परिस्थिति में गृहस्थ से या शय्यातर से पैर पोंछने का उपकरण प्रातिहारिक लिया जा सकता है । यहाँ प्रातिहारिक पादप्रोँछन के ग्रहण करने का प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है किन्तु भाषा के अविवेक का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

साधु के पास वस्त्रखंड का 'पादप्रोँछन' रहता है, कदाचित् आवश्यक होने पर दारुदंडयुक्त पादप्रोँछन भी रखता है और कभी विशेष परिस्थिति में गृहस्थ का या शय्यातर का पादप्रोँछन एक-दो दिन के लिये ग्रहण करता है । ऐसा इन सूत्रों से प्रतीत होता है ।

प्रत्यर्पणीय 'दंड' आदि का प्रायश्चित्त—

१९. जे भिबखू पाडिहारियं दंडयं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूइं वा जाइत्ता "तमेव रयणि पच्चप्पिणस्सामि त्ति" सुए पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिबखू पाडिहारियं दंडयं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूइं वा जाइत्ता सुए पच्चप्पिणस्सामि त्ति तमेव रयणि पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिबखू "सागारियसंतियं" दंडयं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूइं वा जाइत्ता "तमेव रयणि पच्चप्पिणस्सामि त्ति" सुए पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

२२. जे भिबखू "सागारियसंतियं" दंडयं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूइं वा जाइत्ता "सुए पच्चप्पिणस्सामि त्ति" तमेव रयणि पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

१९. जो भिक्षु गृहस्थ से दंड, लाठी, अवलेखनिका या बांस की सूई की याचना करके उसे 'आज ही लौटा दूंगा' ऐसा कहकर कल लौटाता है या लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु गृहस्थ से दंड, लाठी, अवलेखनिका या चांस की सूई की याचना करके "कल लौटा दूंगा" ऐसा कहकर आज ही लौटा देता है या लौटा देने वाले का अनुमोदन करता है।

२१. जो भिक्षु शय्यातर से दंड, लाठी, अवलेखनिका या चांस की सूई की याचना करके "आज ही लौटा दूंगा" ऐसा कहकर कल लौटाता है या लौटाने वाले का अनुमोदन करता है।

२२. जो भिक्षु शय्यातर से दंड, लाठी, अवलेखनिका या चांस की सूई की याचना करके "कल लौटा दूंगा" ऐसा कहकर आज ही लौटा देता है या लौटा देने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन--दंड, लाठी आदि भी औपग्रहिक उपधि हैं। ये भी शय्यातर की या शय्य की वापिस लौटाने का कहकर ग्रहण की जा सकती है। एक दो दिन के लिये या ज्यादा समय के लिये भी ग्रहण की जा सकती है। यहाँ भाषा के अविवेक का प्रायश्चित्त कहा गया है।

प्रत्यपित शय्यासंस्तारक संबंधी प्रायश्चित्त—

२३. जे भिखु पाडिहारियं वा सागारिय-संतिपं वा सेज्जासंधारयं पच्चप्पिणित्ता दोच्चं पि ओगहं अपणुण्णघिय अहिट्ठेइ, अहिट्ठेतं वा साइज्जइ।

२३. जो भिक्षु अन्य गृहस्थ का या शय्यातर का शय्यासंस्तारक लौटा करके (पुनः आवश्यक होने पर) दूसरी बार प्राज्ञा लिये बिना ही उपयोग में लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—अन्यत्र से लाये गये शय्या-संस्तारक के लिये "पाडिहारिय" शब्द का प्रयोग किया गया है और उठरने के स्थान पर रहे हुए शय्या-संस्तारक आदि के लिए "सागारिय-संतिपं" शब्द का प्रयोग किया गया है।

यदि भिक्षु को शय्या-संस्तारक की आवश्यकता न रहे तो वह उन्हें उपाश्रय में ही गृहस्थ को संभला देवे, बाद में जब कभी आवश्यकता हो तो पुनः उनकी गृहस्थ से प्राज्ञा लेना आवश्यक होता है। यदि पुनः प्राज्ञा लिये बिना ग्रहण करे तो इस मूल के अनुसार प्रायश्चित्त आता है।

शय्यातर के शय्या-संस्तारक तो उसके मकान में छोड़े जा सकते हैं किन्तु अन्य गृहस्थ के घर में लाये गये शय्या-संस्तारक भी अल्प समय के लिये उपाश्रय में छोड़े जा सकते हैं। किन्तु इस प्रायश्चित्त मूल में और व्यवहारमूल उद्देशक ८ से फलित होता है। किन्तु विहार करने के पूर्व उन्हें यथास्थान पहुँचा कर सम्भलाना आवश्यक होता है, ऐसा बहुवृत्त उद्देशक ३ में विधान है और न लौटाने पर निगो. उद्देशक २ के अनुसार प्रायश्चित्त आता है।

कपास [रुई] कातने का प्रायश्चित्त—

२४. जे भिरु सणकप्पासप्रो वा, उण्णकप्पासप्रो वा, पोट्टकप्पासप्रो वा, अमित्त-कप्पासप्रो वा, दीहमुत्ताई करेइ, करेतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु सन के कपास में, ऊन के कपास में या अमित्त के कपास में

कातकर दोर्घ सूत्र बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

धिवेचन—“दीहसुत्तं नामं कत्तति” दोर्घ सूत्र का अर्थ है कातना अर्थात् कपास को “तकली, चर्खा” आदि से कातना ।

भाष्य गाथा सुतत्ये पल्लिमंथो, उड्डाहो झुसिर दोस सम्महो ।
हत्थोयाघय संचय, पसंग आदाण गमणं च ॥ १९६६ ॥

इस गाथा में कातने के दोषों का संग्रह किया गया है । कातना गृहस्थ का कार्य है, इसे करने से साधु की हीलना होती है । मच्छर आदि जीवों की विराधना होती है, अधिक कातने पर हाथ आदि शरीर के अवयवों में थकान आ जाती है । कातने से दुनने की प्रवृत्ति भी प्रचलित हो सकती है ।

सग्रह आदि दोषों की भी सम्भावना रहती है । इस प्रकार इस गाथा में आत्मविराधना और सयमविराधना बताई है ।

अतः भिक्षु को चर्खा कातना आदि प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । ऐसी प्रवृत्ति करने पर या उसका अनुमोदन करने पर भी इस सूत्र से प्रायश्चित्त आता है ।

सच्चित्त, रंगीन और आकर्षक दंड बनाने का प्रायश्चित्त—

२५. जे भिक्खू “सच्चित्ताइं” दारुदंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा वेत्त-दंडाणि वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

२६. जे भिक्खू “सच्चित्ताइं” दारुदंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा, वेत्तदंडाणि वा धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

२७. जे भिक्खू “चित्ताइं” दारुदंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा, वेत्त दंडाणि वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिक्खू “चित्ताइं” दारुदंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा वेत्त दंडाणि वा धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिक्खू “विचित्ताइं” दारुदंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा, वेत्त दंडाणि वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिक्खू “विचित्ताइं” दारुदंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा, वेत्त दंडाणि वा धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

२५. जो भिक्षु सच्चित्त काष्ठ, वांस या वेंत के दंड बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. जो भिक्षु सच्चित्त काष्ठ, वांस या वेंत के दंड धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु काष्ठ, वास या वेंत के रंगीन दंड बनाना है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. जो भिक्षु काष्ठ, वास या वेंत के रंगीन दंड धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२९. जो भिक्षु काष्ठ, वास या वेंत के अनेक रंग वाले दंड बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

३०. जो भिक्षु काष्ठ, वास या वेंत के अनेक रंग वाले दंड धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमानिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।)

विवेचन—“दंड” औपग्रहिक उपधि है । अर्थात् विशेष शारीरिक दुर्बलता आदि कारणों से ही कोई रज गकता है किन्तु सभी शाधुओं को साधारणतया रखना नहीं कल्पता है ।

अतः आवश्यक होने पर बना बनाया दंड मिले तो धारण किया जा सकता है । न मिले तो भिक्षु अचित्त काष्ठ आदि में स्वयं बना सकता है ।

दंड बनाने में व धारण करने में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

१- जीव-जन्तु युक्त लकड़ी नहीं होनी चाहिये अर्थात् काष्ठ आदि सर्वथा जीवरहित होना चाहिये ।

२- लकड़ी आदि के स्वभाविक रंग के सिवाय अन्य कोई रंग नहीं होना चाहिए ।

३- अन्य अनेक प्राकृतिक रंग, कारीगरी या चित्र आदि में विचित्र नहीं होना चाहिए ।

पारिभाषिक शब्द—

“नचित्त—जोयसहित” “चित्ररुः—एक वषणं, विचित्रा - नाना वर्णाः” । चूर्ण

दंड की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का लेप लगाना निषिद्ध नहीं है । विभूषण के लिए एक या अनेक वर्ण का बनाना अथवा कारीगरी युक्त बनाना और धारण करना नहीं कल्पता है ।

नचित्त लकड़ी का दंड बनाने या रखने में जीव-विराधना स्पष्ट है । ये तीनों प्रकार के दंड करने का धारण करने का लघुमानिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

“परिभुंजड” प्रिया युक्त तीन मूर्तों की ध्याना नहीं मिलती है और न उनका निर्देश ही है । क्योंकि औपग्रहिक उपधि आवश्यकता पड़ने पर ही धारण की जाती है । अतः इन तीन मूर्तों की आवश्यकता भी नहीं है । भाष्य व धर्षिकार के समय की प्रतिवियों के मूल पाठ में वे मूल नहीं थे, बाद में बढ़ाये गये हैं । अतः उन तीन मूर्तों को यहां मूल पाठ में न लेकर केवल ६ मूर्तों को स्वीकार करने उनका ध्याना की गई है ।

नवनिमित्त ग्रामादि में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त—

३१. जे भिक्खू “णवग-णिवेसंति” गामंसि वा, नगरंसि वा, खेडंसि वा कब्बडंसि वा, मडंबंसि वा, दोणमुहंसि वा, पट्टणंसि वा, आसमंसि वा, सण्णिवेसंसि वा, निगमंसि वा, संबाहंसि वा, रायहाणिसि वा अनुप्पविसित्ता असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेड, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३१. जो भिक्षु नये वसे हुए १. ग्राम, २. नगर, ३. खेड, ४. कबंठ, ५. मडंब, ६. द्रोणमुख, ७. पट्टण, ८. आश्रम, ९. सन्निवेश, १०. निगम, ११. संवाह या १२. राजधानी में प्रवेश करके अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है)

विवेचन—सूत्र में आए स्थानों की व्याख्या इस प्रकार है—

१. ‘गामं’—“कराणामप्टादशानाम् गमनीयं” ‘असते वा बुद्ध्यादीन् गुणान्”
२. ‘नगरं’—“न विद्यते एकोऽपि करः ।”
३. ‘खेडं’—“धूलिप्राकारपरिक्षिप्तम्”
४. ‘कब्बडं’—“कुनगरं कबंठं ।”
५. ‘मडम्बं’—“सर्वासु दिक्षु अर्धतृतीयगव्यतमर्थादायामविद्यमान ग्रामादिकं” ।

६. ‘पट्टणं’—‘पत्तनं द्विधा जलपत्तनं च स्थलपत्तनं च’, जलमार्ग या स्थल-मार्ग से जहां सामान-माल आता हो ।

७. ‘दोणमुहं’—जहां जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों से माल आता हो ।

८. ‘निगमं’-वणिक् वसति । व्यापारीवर्ग का समूह जहां रहता हो ।

९. ‘आसमं’-तापस आदि के आश्रम की प्रमुखता वाली वसति । अर्थात् जहां प्रथम तापसों के आश्रम बने, फिर अन्य लोग आकर वसे ऐसा स्थान ।

१०. ‘सण्णिवेसं’—आचारांग श्रु. १, अ. ८, उ. ६ में व निशीथ उद्देशक १२ में तथा राजेन्द्रकोप में “सन्निवेश” शब्द का अर्थ किया है । निशीथ उ. ५. व बृहत्कल्पभाष्य में “निवेश” शब्द के निर्देश से व्याख्या की गई है । व्याख्या सर्वत्र समान होने से “सन्निवेश” शब्द ही मूल पाठ में रखा गया है ।

११. ‘रायहाणी’—जहां राजा का निवास हो ।

१२. ‘संबाहं’—पर्वत के निकट धान्यादि संग्रह करने एवं रहने का स्थान ।

१३. ‘घोसं’—गोपालकों की वस्ती ।

१४. ‘अंसियं’—ग्रामादि का तृतीय चतुर्थ अंश जहां जाकर रहा हो ।

१५. ‘पुडभेयणं’—अनेक दिशाओं से सामान आकर जहां विक्रता हो, ऐसे मंडी स्थल के पास वसी हुई वस्ती ।

१६. ‘आगरं’—पत्थर तथा धातु आदि जहां उत्पन्न हों व निकाले जाएं, उसके पास की वस्ति ।

ग्रामादि १६ स्थानों में से इस सूत्र में १२ स्थानों का निर्देश है और "घागर" का प्रथम सूत्र में वर्णन है, इन प्रकार कुल १३ स्थानों का यहाँ पर कथन है। शेष १३ वें, १४ वें, १५ वें स्थानों का कथन बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक ? सूत्र ६ में हुआ है।

नितीष-भाष्य में इन शब्दों का स्पष्ट निर्देश व व्याख्या नहीं है। चूणिकार ने व्याख्या की है। बृहत्कल्पभाष्य की गायाम्रीं में इन शब्दों की व्याख्या की गई है। वहाँ १६ शब्दों की व्याख्या है और मूलपाठ में भी १६ शब्द हैं। व्याख्या में (भाष्य में) एक नाम मतांतर से अधिक कहा है। "संक्रो" नाम किञ्चित् घामोर्षि, सेटमपि आश्रमोपि।

विभिन्न सूत्रों के मूल पाठों में इन शब्दों के विभिन्न क्रम हैं। कई स्थलों पर १६ नाम और कई स्थलों पर १२ नाम है। जिसमें नं. १३-१४-१५ तीन ती निश्चित क्रम होते हैं और घागर, निगम, आश्रम इन तीन में से कोई भी एक क्रम होता है। इसका कारण अज्ञात है।

बृहत्कल्प उद्देशक ? सूत्र ६ के भाष्य एव टीका में "राजधानी" का क्रम दसवां है व मुन नाम १६ है। उसके बाद के सूत्र ७-८-९ में "गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा" पाठ सभी प्रतिमाँ में समान मिलता है।

सर्वत्र एक समान पाठ करना ही तो बृहत्कल्पभाष्य की प्राचीनता को लक्ष्य में रखकर व उसके पाठ के अनुसार तथा "राजधानी" शब्द को अंत में रखते हुए १६ शब्द स्वीकार किये जाएँ तो कोई विरोध होने की संभावना नहीं रहती है। इन १६ का क्रम इस प्रकार होना चाहिये।

१. ग्राम २. नगर ३. गेट ४. कर्वट ५. मटम्ब ६. पट्टण ७. घागर ८. श्रेणमुष्ट ९. निगम १०. आश्रम ११. मन्निवेत् १२. गवाध १३. शोष १४. अंशिका १५. पुटभेदन १६. राजधानी।

प्रस्तुत सूत्र में "घागर" के सिवाय १५ नाम ही उचित हैं, क्योंकि घाम में सूत्र के अनेक प्रकार के "घागर" का कथन है।

व्यवहारसूत्र, बृहत्कल्पसूत्र, नितीषसूत्र और आन्तरांग में १६ शब्द ही होने चाहिये तथा मक्षिप्त पाठ में सर्वत्र "गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा" होना चाहिये। कहीं-कहीं पर "गामंसि वा जाव सण्णिवेत्सि वा" ऐसा मक्षिप्त पाठ भी मिलता है, ऐसे संक्षिप्त पाठों में एकस्थता होना आवश्यक है, आगम स्वाध्यायियों को इस और ध्यान देना चाहिये। जिनमें विभिन्न संख्याओं के विकल्प समाप्त हो गये हैं।

"जयम-निवेत्सि"— नये यमं रूपं ग्रामादि में कुछ दिनों तक नाधु, साधियों को प्रवेश नहीं करना चाहिये। क्योंकि शकुन और धनगुण दोनों ही साधुओं की साधना में बाधक है। धनगुण होने से धन्य साधुओं के लिये अंतराय होने का कारण हो सकता है। अतः ऐसे स्थानों पर टहरने के लिए नहीं जाना चाहिये तथा गोचरी आदि के लिए भी नहीं जाना चाहिए।

नयनिमित्त स्थान में प्रवेश करने का प्रापश्चित्त—

३२. जे निषत् "जयम-निवेत्सि" अयागरंसि वा, संयागरंसि वा, सजयागरंसि वा, सीतागरंसि वा, हिरण्यगरंसि वा, मुषण्यगरंसि वा, यद्गरागरंसि वा, अणुष्पविमिता अनणं वा पाणं वा पादमं वा सादमं वा पट्टागाहेट्ट, पट्टागाहेत्तं वा सादग्गइ ।

अर्थ—जो भिक्षु १. लोहा, २. तांबा, ३. लहसुआ (रांगा), ४. धीशा, ५. चांदी, ६. सोना या ७. वज्ररत्न की खान के समीप बसी हुई नवीन वसति में जाकर अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—खानों लोहे, सोने आदि अनेक प्रकार की होती हैं। उन खानों के समीप उनमें कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसी नई बसी हुई बस्तियों में गोचरी आदि के लिये नहीं जाना चाहिये।

पूर्व सूत्र में नये बसे हुए ग्रामादि में गोचरी जाने का प्रायश्चित्त कहा गया है। क्योंकि वहाँ कुछ लोग शकुन-अपशकुन को मान्यता वाले होते हैं तथा खानों में शकुन-अपशकुन के सिवाय वहाँ से निकाले जाने वाले पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ लोगों के मन में लाभ-अलाभ की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है, अतः प्रायश्चित्त का यह सूत्र अलग कहा गया है तथा खान के निकट होने से पृथ्वी-कायिक जीवों की विराधना होना भी संभव है। कभी चोरी का आक्षेप भी साधु पर आ सकता है। इसलिए इन स्थानों पर गोचरी आदि के लिये नहीं जाना चाहिए।

कई प्रतियों में 'रयणागरसि' शब्द अधिक है। जो लिपि दोष से आ गया है। यहाँ वज्ररत्न के कथन से सभी रत्नों का ग्रहण हो जाता है।

वीणा बनाने व बजाने का प्रायश्चित्त—

३३. जे भिबखू मुंह-वीणियं वा, दंत-वीणियं वा, ओट्ट-वीणियं वा, णात्ता-वीणियं वा, कवख-वीणियं वा, हत्थ-वीणियं वा, णह-वीणियं वा, पत्त-वीणियं वा, फल-वीणियं वा, बीय-वीणियं वा, हरिय-वीणियं वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ।

३४. जे भिबखू मुंह-वीणियं वा जाव हरिय-वीणियं वा वाएइ, वाएत्तं वा साइज्जइ।

३५. जे भिबखू अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि अणुट्ठिणाइं सद्दाइं उदीरेइ, उदीरेत्तं वा साइज्जइ।

३३. जो भिक्षु, १. मुँह, २. दांत, ३. ओष्ठ, ४. नाक, ५. काँख, ६. हाथ, ७. नख, ८. पत्र, ९. पुष्प, १०. फल, ११. बीज या १२. हरी घास को वीणा जैसी ध्वनि निकालने योग्य बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है।

३४. जो भिक्षु मुख से यावत् हरी घास से वीणा बजाता है या बजाने वाले का अनुमोदन करता है।

३५. जो भिक्षु अन्य भी इसी प्रकार के अनुत्पन्न शब्दों को उत्पन्न करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—उपर्युक्त १२ प्रकार की वीणाओं में ७ शरीर से सम्बन्धित हैं शेष ५ वनस्पति से सम्बन्धित हैं। ये वीणाएँ आकृति से या अन्य किसी पदार्थ के संयोग से बजाई जा सकती हैं। इनके बनाने व बजाने में कुतूहल वृत्ति या चंचल वृत्ति अथवा मानसंज्ञा प्रमुख होती है, जो साधु के लिए अनुचित है। इनके बनाने में शरीर के अवयवों को विकृत करना पड़ता है और वनस्पति का छेदन

होता है जिसमें आत्मविराधना और वनस्पति की विराधना होती है और बजाने में वनस्पति की या यामुकाय की प्रथया दोनों को एक साथ विराधना होती है। मुनने व देखने वाले के मन में प्रत्येक प्रकार के विकृत विचार उत्पन्न होते हैं। यह प्रकृति स्व-पर को व्यामोहित करने वाली भी होती है।

ये कार्य मंयमी के करने योग्य नहीं है। अतः इनका प्रायश्चित्त कहा गया है। नपुमासिक का कथन होते हुए भी दोष-स्थिति के अनुसार जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त दिये जा सकते हैं।

‘मुंहवीणियं’ से कंठ द्वारा बजाई जाने वाली योणा समझ लेनी चाहिये।

पत्थर, काँच या किसी भी वस्तु से भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनि करने का या वादित प्रादि बजाने का प्रायश्चित्त उपरोक्त मूत्र २५ से समझ लेना चाहिये।

चूणि (व्याख्या) काल के बाद कभी इन तीन मूत्रों से २५ या २४ मूत्र मूल पाठ में धन रहे हैं, ऐसा अनेक प्रतियों में देखा गया है किन्तु भाष्य, चूणि आदि में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, अतः यहाँ २५ मूत्र ग्रहण न करके तीन मूत्र रखना ही उचित प्रतीत हुआ है।

श्रौद्धैतिक शय्या में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त—

३६. जे भिषणू “उद्देसियं-सेज्जं” अणुप्पयिसइ, अणुप्पयिसंतं वा साइज्जइ।

३७. जे भिषणू “सपाट्टियं सेज्जं” अणुप्पयिसइ, अणुप्पयिसंतं वा साइज्जइ।

३८. जे भिषणू “सपरिकम्मं सेज्जं” अणुप्पयिसइ, अणुप्पयिसंतं वा साइज्जइ।

३६. जो भिक्षु श्रौद्धैतिक दोष युक्त (उद्दिष्ट) शय्या में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

३७. जो भिक्षु सप्राभृतिक शय्या में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

३८. जो भिक्षु सपरिकर्म शय्या में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्ते सपुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन १. साधु के लिये जिस मकान का निर्माण किया जाता है वह “श्रौद्धैतिक दोष” युक्त शय्या मानी जाती है।

२. सपाट्टियं—उद्गम के १६ दोषों में छटा “पाट्टिया” नामक दोष है। यही दोष शय्या के लिये गमनना चाहिये। मकान का निर्माण गृहस्थ के लिये ही करना हो किन्तु निर्माण के समय को ध्यान में रखते हुए या मोक्षता से करने पर शरीर शय्या “पाट्टियं दोष-मुक्त शय्या” कहलाती है।

३. सपरिकम्मं—गृहस्थ के लिये बने हुए मकान में साधु के लिये मचाई करना, करना, सादन-सेवन करना, करना, देना वाना करना या देना बंद करना। दरवाजा खोला-बंद करना,

भूमि को सम-विपम करना, सचिन-वस्तुओं को तथा अचित्त भारी सामान को स्थानांतरित करना आदि कार्य जहां किये गये हों वह "परिकर्म दोष" युक्त शय्या कही जाती है।

आचारांगसूत्र श्रु. २, अ. २, उ. १ में कहा गया है कि उपर्युक्त परिकर्म युक्त शय्या में रहना भिक्षु को नहीं कल्पता है। किन्तु ये परिकर्म कार्य साधु के लिये करने के बाद यदि गृहस्थ ने उस स्थान को अपने उपयोग में ले लिया, हो तो उसके बाद साधु को वहां रहना कल्पता है।

अतः गृहस्थ के उपयोग में लेने से पूर्व ही परिकर्म दोषयुक्त शय्या में प्रवेश करने से सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है। १. "उद्देशिक"

जावतियं उद्देशो, पासंडाणं भवे समुद्देशो ।

समणाणं तु आदेशो, गिगंधाणं समादेशो ॥ २०२० ॥

१. सभी प्रकार के यात्रियों के लिये,
२. सभी प्रकार के पापंडी अर्थात् सभी मत्तों के गृहस्थागियों के लिये,
३. शाक्यादि पांच प्रकार के श्रमणों के लिये,
४. जैन साधुओं के लिए निर्मित मकान, इन चारों प्रकार की शय्या में प्रवेश करने से लघु-मासिक प्रायश्चित्त आता है।

आचारांग श्रु. २, अ. २, उ. १, में 'बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए पगणिय पगणिय ...' १. यह सूत्र है। इस सूत्र के अर्थ की अपेक्षा को-भाष्यकृत प्रथम द्वितीय विकल्प में समझ लेना चाहिये। तीसरे विकल्प को आचारांग कथित 'सावद्य क्रिया' में व चौथे विकल्प को 'महासावद्य' क्रिया में समझ लेना चाहिये।

२. 'पाहुड'—मकान बनाने के समय का परिवर्तन करने के सिवाय अन्य कार्य भी आगे पीछे करने से पाहुड दोष होता है। ऐसा भाष्य में बताया गया है।

विडंसण छावण लेवणे य, भूमिकम्मे पडुच्च पाहुडिया ।

ओसक्कण अहिसक्कण, देसे सव्वे य णायव्व ॥ २०२६ ॥

सम्मज्जण वरिसीयण, उवलेवण पुफ्फ दीवए चेव ।

ओसक्कण उस्सक्कण, देसे सव्वे य णायव्वा ॥ २०३१ ॥

इन दोनों गायत्रियों में क्रमशः वादर व सूक्ष्म परिकर्म आदि कार्यों का कथन करके "ओसक्कण-उस्सक्कण" पद दिया गया है, जिसकी चूर्ण इस प्रकार है—

"एते पुच्चं अप्पणो फज्जमाणे चैव नवरं साहवो पडुच्च ओसक्कणं उस्सक्कणं वा"। अर्थात् अपने लिए पहले से किये जा रहे कार्य को साधु के निमित्त से पहले-पीछेक रना।

सूक्ष्म वादर परिकर्म कार्यों का और उनके "ओसक्कण उस्सक्कण" का विस्तृत वर्णन भाष्य से जानना चाहिये।

३. 'परिकर्म'—पाहुड दोष में भी आगे-पीछे करने के प्रसंग से कुछ परिकर्म कार्यों का कथन हुआ है। तथापि इस सूत्र में परिकर्म कार्यों का मूलगुण व उत्तरगुण के भेद की विवक्षा से संग्रह किया गया है। वह इस प्रकार है—

पट्टीयंसो दो धारणा, चत्तारि भूस वेत्तीओ ।
 मूलगुण-सपरिकम्मा, एसा सेज्जाउ पायव्या ॥ २०४६ ॥
 वंसग, कडण-उकंपण, छावण लेयण दुयार भूमि य ।
 सपरिकम्मा सेज्जा, एसा मूलुत्तरगुणेषु ॥ २०४७ ॥

दुमिय धुमिय यासिय, उज्जोविय बलिकडा अवत्ता य ।
 सित्ता सम्मट्टा यि य, विसोही कोडो कया वसहो ॥ २०४८ ॥

अन्य प्रकार के शीर भी दोषों का कथत गाया २०५२-५३-५४ में हुआ है यथा—पदमार्ग, संक्रमणमार्ग, दगवीणिका, श्रोत्रमन्त्रु में दीवाल में छद्दा कर हवा का रास्ता बनाना, सदी, बर्गों में ऐंगे स्थानों को बन्द करना, जीर्ण दीवाल आदि को ठीक करना, बिल, गड्ढे आदि को ठीक करना, मकान से पानी चूना हो तो ठीक करना, दीवाल आदि की संधियों को ठीक करना इत्यादि ।

उपर्युक्त परिकर्म के कार्य साधु के उद्देश्य से करने पर वह शय्या "परिकर्म दोष" वाली होती है । हीनाधिक राग्य प्रवृत्ति के अनुसार प्रायश्चित्तस्थान व तप में हीनाधिकता होती है । भाष्यकार ने बताया है कि उत्तरगुण के व अल्पधारम्भ के दोष वाली शय्या का तपुमानिक प्रायश्चित्त है ।

धाचारांगसूत्र के अनुसार अनेक परिकर्म युक्त शय्या गृहस्थ के स्वाभाविक उपयोग में आ जाने पर कालान्तर से साधु के लिये कल्पनीय हो जाती है । ऐसी अवस्था में उस मकान में प्रवेश करने व रहने से कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

संक्षिप्त भाषार्थ—

१. केवल जैन साधु के उद्देश्य से अथवा जैन साधु युक्त अनेक प्रकार के साधुओं या परिषदों के उद्देश्य से बनायी गयी धर्मशाला आदि "उद्देशिक-शय्या" है ।

२. गृहस्थ के अपने लिये बनाये जाने वाले मकान का या परिकर्म कार्य का समय साधु के निमित्त धार्मिक-परिषद करने पर या शीघ्रता से करने पर अर्थात् ५ दिन का कार्य एक दिन में करने पर वह गृहस्थ का व्यक्तिगत मकान भी "सपाहूड शय्या" हो जाती है ।

३. मकान गृहस्थ के लिये बना हुआ है । उसमें साधु के लिये परिकर्म कार्य करने पर गृहस्थ के उपयोग में आने के पूर्व कुछ काल तक वह मकान "सपरिकर्म शय्या" है ।

इन तीन प्रकार के दोषयुक्त शय्या में प्रवेश करने का अर्थात् रहने का तपुमानिक प्रायश्चित्त कहा गया है ।

दूबरे व तीसरे दोष वाली शय्या का निर्माण गृहस्थ के स्वप्रयोजन में होता है शीर प्रथम दोष वाली शय्या में बनाने वालों का स्वप्रयोजन नहीं होकर केवल परप्रयोजन में उसका निर्माण किया जाता है, यह अन्तर ध्यान में रखना चाहिये ।

वर्तमान में उपलब्ध उपाधियों की कल्प्यावस्थाना—

साधु-नाश्री के टहरने के स्थान को धामन में 'शय्या, वसति एवं उपाश्रय' कहा जाता है शीर शीरभारत में 'उपाश्रय या स्थानक' कहा जाता है ।

ग्राम नगरादि में ये स्थान तीन प्रकार के मिलते हैं—

१. कल्प्य—दोष रहित = पूर्ण शुद्ध, साधु-साध्वी के ठहरने योग्य ।
२. अकल्प्य—दोष युक्त = साधु-साध्वी के ठहरने के अयोग्य ।
३. कल्प्याकल्प्य—दोष युक्त होते हुए भी कालान्तर से या पुरुषान्तरकृत होने पर ठहरने योग्य ।

कल्प्य उपाश्रय—

१. कोई एक व्यक्ति केवल अपने लिये या सामाजिक उपयोग के लिये अथवा धार्मिक क्रियाओं की सामूहिक आराधना के लिये नये मकान का निर्माण करवाता है ।

२. किसी उदारमना गृहस्थ या किसी बहिन द्वारा अपना अतिरिक्त मकान धार्मिक आराधना के लिये अथवा साधु-साध्वियों के ठहरने के लिये संघ को समर्पित कर दिया जाता है ।

३. बड़े-बड़े क्षेत्रों के समाज या संघ में मतभेद होने पर विभिन्न पक्षों के द्वारा भिन्न-भिन्न मकानों का निर्माण करवाया जाता है ।

४. एक उपाश्रय होते हुए भी चानुमसि आदि में भाई एवं बहिनों के स्वतन्त्र पोषण, प्रतिक्रमण आदि करने के लिये दूसरे उपाश्रय की आवश्यकता प्रतीत होने पर नये मकान का निर्माण करवाया जाता है ।

५. धार्मिक क्रियाओं की आराधना के लिये किसी का बना हुआ मकान खरीद लिया जाता है ।

इन मकानों में साधु-साध्वियों के निमित्त निर्माण कार्य आदि न होने से ये पूर्ण निर्दोष होते हैं ।

अकल्प्य उपाश्रय—

१. कई ऐसे गांव होते हैं जिनमें जैन गृहस्थों के केवल एक-दो घर होते हैं या एक भी घर नहीं होता है, वहां साधु-साध्वियों के ठहरने के लिये नये मकान का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा या कुछ सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है ।

२. सन्त-सतियों के ठहरने के स्थान अलग-अलग होने चाहिये, ऐसा अनुभव होने पर दूसरे मकान का निर्माण करवाया जाता है ।

३. नये वसे हुए गांव या उपनगर में अथवा पुराने गांव में धर्म भावना या प्रवृत्ति बढ़ने पर गृहस्थों की धार्मिक आराधनाओं के लिये और साधु-साध्वियों के ठहरने के लिये मकान का निर्माण करवाया जाता है ।

४. सतियों के ठहरने के लिये और बहिनों की धार्मिक आराधनाओं के लिये भी नये मकान का निर्माण करवाया जाता है ।

इन मकानों के बनवाने में प्रमुख उद्देश्य साधु-साध्वियों का होने से औद्देशिक एवं मिश्रजात दोष के कारण ये पूर्णतः अकल्पनीय होते हैं ।

कल्प्याकल्प्य उपाश्रय—

१. बड़े-बड़े संघों में अपने आयोजनों को लेकर बनाये जाने वाले मकान में मन्त-मतिषों को अनुकूलताओं को भी मध्य में रखकर नये मकान का निर्माण करवाया जाता है।

२. साधु-साध्वियों के लिये मकान खरीद लिया जाता है।

३. गृहस्थों एवं साधु-साध्वियों के समुक्त उपयोग के लिये भी कहीं-कहीं मकान खरीद लिया जाता है।

४. निर्दोष मकान में भी साधु-साध्वियों के उद्देश्य में कई प्रकार के सुधार करवाये जाते हैं या परिवर्तन परिवर्धन करवाये जाते हैं।

५. चानुमांस को भ्रवसर पर श्रोताओं को सुविधा के लिये, सध की शोभा के लिये प्रपवा साधुओं के आवश्यक उपयोगों के निमित्त कुछ सुधार करवाये जाते हैं।

६. साधु-साध्वियों के उद्देश्य में गचित्त पदायं या अधिक वजन वाले गचित्त उपकरण म्यानान्तरित किये जाते हैं भ्रवसा मकान को सफाई कर दी जाती है।

इन मकानों में मूल्य उद्देश्य या कल्प धारम्भ भ्रवसा परिक्रमं कायं होने में ये गृहस्थों के उपयोग में भाने के बाद या कालान्तर में कल्पनीय हो जाते हैं।

प्राणा. श्रु. २ अ. १ एवं ६ में साधु के लिये खरीदे गये वस्त्र-पान को गृहस्थ के उपयोग में भाने के बाद कल्पनीय कहा गया है। अ. २ उ. १ में साधु के लिये किये गये अनेक प्रकार के धारम्भ एवं परिक्रमं मुक्त मकान भी गृहस्थ के उपयोग में भाने के बाद कल्पनीय कहे हैं, इत्यादि प्राणम प्रमाणों के आधार में ही यहाँ उक्त मकानों को कालान्तर में कल्पनीय होना बताया गया है।

सारांश यह है—१. जिन मकानों के निर्माण एवं परिवर्तन में साधु-साध्वी का किञ्चित् भी निमित्त नहीं है, वे पूर्ण कल्पनीय होते हैं। २. जिन मकानों के निर्माण में मुख्य उद्देश्य साधु-साध्वी का होता है, वे पूर्ण अकल्पनीय होते हैं। ३. जिन मकानों के निर्माण में साधु-साध्वियों का मुख्य मध्य न होकर उनकी अनुकूलताओं का मध्य रखा गया हो या उनके निमित्त सामान्य या विशिष्ट परिक्रमं [सुधार] आदि किये गये हों तो वे मकान अकल्पनीय होते हुए भी कालान्तर में या गृहस्थ के उपयोग में या जाने में कल्पनीय हो जाते हैं। —प्राणा. श्रु. २ अ. २ उ. १।

पाठ—

मदोष—निर्दोष उपाश्रय के विकल्पों की जानकारी होने के साथ पाठ सम्बन्धी विषयों की जानकारी होना भी आवश्यक है। क्योंकि कई उपाश्रयों में मोने बैठने के लिये पाठ भी रहते हैं, उन पाठों के सम्बन्ध में भी तीन विकल्प होते हैं—

१. निर्दोष, २. मदोष, ३. अल्पमदोष।

निर्दोष पाठ—कई प्राणों में प्रपन्नित परिपाटी के अनुसार गृहस्थों के घरों में, सामाजिक कानों के मकानों में, पाठशालाओं में तथा पुस्तकालयों आदि में आवश्यकतानुसार पाठ बनाये जाते हैं। वे सभी उपाश्रय में भेंट दे दिये जाते हैं।

२. कई गांवों में मकोड़े, विच्छू आदि जीवों के उपद्रव के कारण श्रावक-श्राविकाओं के सामायिक, पोषध, प्रतिक्रमण आदि करते समय उपयोग में लेने के लिये कई पाट बनवाये जाते हैं ।

ये उक्त दोनों प्रकार के पाट पूर्ण शुद्ध है ।

सदोष पाट—१. सन्त-सतियों के बैठने या शयन करने के लिये अथवा व्याख्यान वांचते समय बैठने के लिये छोटे-बड़े पाट बनवाये जाते हैं ।

२. कई जगह साधु और गृहस्थ दोनों के उपयोग में लेने के लिये पाट बनवाये जाते हैं ।

३. बने हुए पाट साधु-साध्वियों के उद्देश्य से खरीदकर उपाश्रय में भेंट किये जाते हैं ।

ये साधु के उद्देश्य से खरीदे या बनाये गये पाट हैं ।

अव्यक्त दोष वाले पाट—१. विवाह आदि के विशेष अवसरों पर पाट बनवाकर भेंट दिये जाते हैं, उस समय उपाश्रय में आवश्यक है या नहीं इसका कोई विचार नहीं किया जाता है ।

२. मेरा नाम उपाश्रय में रहे इसके लिये पाट ही देना विशेष उपयुक्त है, ऐसे विचार से भी उपाश्रयों में पाट भेंट किये जाते हैं ।

ये निरुद्देश्य या अव्यक्त उद्देश्य से बनाये गये पाट हैं ।

पाट आदि सस्तारकों के सम्बन्ध में श्रौद्धेशिकादि गुरुतर दोषों का कथन करने वाले आगम-पाठ नहीं मिलते हैं तथा किस दोष वाला पाट कब तक अकल्प्य रहता है और कब कल्प्य हो जाता है, इस प्रकार का स्पष्ट कथन करने वाले पाठ भी उपलब्ध नहीं होते हैं ।

आचा. श्रु. २ अ. २ उ. ३ में पाट से सम्बन्धित जो पाठ है । उसका सार यह है कि साधु-साध्वी पाट ग्रहण करना चाहें तो उन्हें यह ध्यान रखना आवश्यक है—

१. उसमें कही जीव जन्तु तो नहीं है ।

२. गृहस्थ उसे पुनः स्वीकार कर लेगा या नहीं ।

३. अधिक भारी तो नहीं है ।

४. जोषं या अनुपयोगी तो नहीं है, इत्यादि ।

यदि वह पाट जीवरहित, प्रातिहारिक, हल्का एवं स्थिर (मजबूत) है तो ग्रहण करना चाहिये अन्यथा नहीं लेना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त पाट से सम्बन्धित दोषों का कथन आगमों में उपलब्ध नहीं है । पाट आदि के निर्माण में केवल परिकर्म कार्य ही किये जाते हैं जो मकान के पुरुषान्तरकृत कल्पनीय दोषों से अत्यल्प होते हैं । अर्थात् इनके बनने में अग्नि, पृथ्वी आदि की विराघना तो सर्वथा नहीं होती है । लकड़ी भी सूखी होती है अतः धनस्पति की भी विराघना नहीं होती है । अण्काय की विराघना भी प्रायः नहीं होती है । अतः आधाकर्मादि दोषों की इसमें सम्भावना नहीं है । अतः इनके बनाने में केवल परिकर्म दोष या शीतदोष ही होता है ।

श्रीत मकान या परिकर्म दोष युक्त मकान के कल्पनीय होने के समान ही इन उक्त सभी दोषों वाले पाटों को भी कालान्तर से कल्पनीय समझ लेना चाहिये ।

जैन माधुष्यों के दिगम्बर, श्वेताम्बर, मन्दिरमार्गी, स्थानकवासी, तेरहपंथी आदि रूप जो भेद हैं, उनमें से एक संप्रदाय के माधुष्यों के उद्देश्य से बना हुआ आहार या मकान दूसरे संप्रदाय के माधुष्यों के लिये शौद्देशिक दोषयुक्त नहीं है। इस विषय का कथन मूल धारणाओं में नहीं है किन्तु प्राचीन ध्यात्वाचर्यों में है। उसका अर्थ यह है कि जिनके सिद्धान्त और वेद समान हों वे प्रयत्न एवं तिर (उभय) से मार्गमिक कहे जाते हैं। इस प्रकार के मार्गमिक साधु के लिये बना आहार मकान आदि दूसरे मार्गमिकों के लिये भी कल्पनीय नहीं होता है।

उपर्युक्त चारों जैन विभागों के वेद और सिद्धान्तों में भेद पढ़ गये हैं और प्रत्येक संप्रदाय ने एक दूसरे से सर्वथा भिन्न व स्वतन्त्र अस्तित्व धारण कर लिया है। अतः एक जैन संप्रदाय का शौद्देशिक मकान आदि दूसरे संप्रदाय वालों के लिये शौद्देशिक नहीं है।

छोटे क्षेत्र के छोटे श्रावकसमाज में सभी जैन संप्रदायों के मिश्रित भाव से निमित्त शौद्देशिक गम्या आदि सभी संप्रदायों के माधुष्यों के लिये शौद्देशिक-दोषयुक्त ही समझना चाहिये।

संभोग-प्रत्ययिक क्रियानिषेध का प्रायश्चित्त—

३९. जे भिक्षू "नान्य संभोग-वस्तिया किरियति" वयइ, यपंतं वा साइज्जइ ।

३९. जो भिक्षु "संभोग प्रत्ययिक क्रिया नहीं करती है", इस प्रकार कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे मधुमागिक प्रायश्चित्त माता है।)

विवेचन—“एकत्र भोजनं संभोगः, तत्प्रत्यया क्रिया—कर्मबंधः, नास्तीति, जो एवं भाषते, तस्म मातं त्वं । एतं सुत्तयो ।”

“संनोइओ संभोइएण समं उर्यहि सोलसेहि आहाकम्मादिर्एहि उग्गमवोसेहि मुद्धं उप्पाएति तो मुद्धो, अहं अमुद्धं उप्पाएइ, जेण उग्गमवोसेण अमुद्धं मेहूति, तत्तव जावतिओ कम्मबंधो जं च पापणिअं तं आवज्जति ।”—नि. पृष्ठी ।

जिसके साथ में आहार आदि का संभोग होता है ऐसा कोई भी सांभोगिक साधु आहार आदि की गयेपना में कोई दोष मगाता है तो उस वस्तु का उपयोग करने वालों को भी गयेपना दोष संबंधी क्रिया अर्थात् कर्मबंध व प्रायश्चित्त माता है।

अतः संभोगप्रत्ययिक क्रिया के संबंध में गलत धारणा तथा प्रत्याणा नहीं करनी चाहिये। संभोग-विशंभोग संबंधी विस्तृत जानकारी के लिये भाष्य का अध्ययन करना आवश्यक है। सामान्य जानकारी के लिये बृहत्साल उ. ४ सूत्र २३ का विवेचन देखें।

धारण करने योग्य उपधि के परित्याग का प्रायश्चित्त—

४०. जे भिक्षू नाउम-पापं वा, दाउपापं वा, मट्टिमापापं वा, अलं पिरं पुवं धारणिअं परित्तिअिय-परिमअिय परिट्ठवेइ, परिट्ठवेतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिक्षु धर्यं वा, कंबलं वा, पापपुंइदं वा, अलं पिरं पुवं धारणिअं परित्तिअिय-वन्निअिय वा साइज्जइ ।

४२. जे भिखू दंडगं वा, लट्टियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूईं वा पलिभंजिय-पलिभंजिय परिट्टवेद, परिट्टवेंतं वा, साइज्जइ ।

४०. जो भिक्षु तुंबपात्र, काण्ठ पात्र या मिट्टी के पात्र को जो परिपूर्ण (प्रमाणयुक्त) हैं, दूढ़ (कार्य के योग्य) हैं, रखने योग्य हैं और कल्पनीय है, उन्हें टुकड़े कर करके परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४१. जो भिक्षु परिपूर्ण, दूढ़, रखने योग्य व कल्पनीय वस्त्र, कंबल या पादप्रौद्यन को खंड-खंड करके परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४२. जो भिक्षु दड, लाठी, अवलेखनिका या वांस को सूईं को तोड़-तोड़ कर परठता है । य परठने वाले का अनुमोदन करता है । उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—जं पज्जत्तं तं अलं, दढं थिरं, अपडिहारियं धुवं तु ।

लवखण जुत्तं पायं, तं होंति धारणिज्जं तु ॥२१५९॥

१. जो पर्याप्त है—परिपूर्ण है, जितना लंबा-चोड़ा परिमाण चाहिये उतना है, वह “अलं” कहलाता है ।

२. जो दूढ़ है—मजबूत है—काम आने योग्य है, वह “थिरं” कहलाता है ।

३. जो अपडिहारी है—अप्रत्यर्पणीय है, गृहस्थ या साधु अथवा आचार्य आदि किसी को पुनः देने योग्य नहीं है अर्थात् जिसके लिये रखने को आज्ञा प्राप्त है, वह “धुवं” कहलाता है ।

४. जो आगमोक्त है, लक्षण युक्त है अथवा उद्गम आदि दोषो से रहित है अर्थात् शुद्ध एवं सुशोभित होने से कल्पनीय है, वह “धारणीय” कहलाता है ।

कोई भी उपकरण प्रमाण युक्त होते हुए भी जीर्ण होने से कार्य के अयोग्य हो सकता है, प्रमाण-युक्त और कार्य योग्य होते हुए भी उसको सदा रखने को अनाज्ञा हो सकती है, प्रमाण युक्त, कार्य योग्य और अपडिहारी होते हुए भी लक्षणहीन या दोषयुक्त हो सकता है । अतः अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं ये चार विशेषण कहे गये हैं । चारों विशेषणों से युक्त पात्र धारण करने योग्य होता है । ऐसे पात्र को टुकड़े-टुकड़े करके परठने पर प्रायश्चित्त आता है ।

आगमों में अनेक जगह तीन प्रकार के पात्रों को जातियुक्त कथन किया गया है, उसका आशय यह है कि साधु तीन प्रकार के पात्र ही धारण कर सकता है ।

वत्यं-कंबलं-पायपुच्छणं—इस दूसरे सूत्र में तीन प्रकार के वस्त्रों का कथन हुआ है । यहाँ नियुक्ति एवं भाष्यकार “पायपुच्छणं” से वस्त्र का ही निर्देश करते हैं किन्तु पायपुच्छण से रजोहरण का अर्थ नहीं करते । इस दूसरे सूत्र के तथा तीसरे दंडादि सूत्र के संबंध में भाष्यगाथा इस प्रकार है—

पायम्मि उ जो गमो, णियमा वत्यम्मि होति सो चेव ।

दंडगमाविषु तहा, पुग्गे अवरम्मि य पवम्मि ॥२१६४॥

द्वितीय सूत्र से संबंधित इस गाथा में भी वस्त्र का ही निर्देश है, रजोहरण का संकेत नहीं है । रजोहरण संबंधी दस सूत्र दंडसूत्र के बाद में हैं ही । उनमें रजोहरण संबंधी सभी विषयों का कए

जैन साधुओं के दिगवम्बर, श्वेताम्बर, मन्दिरमार्गी, स्थानकवासो, तेरहपंथी आदि रूप जो भेद हैं, उनमें से एक संघ के साधुओं के उद्देश्य से बना हुआ आहार या मकान दूसरे संघ के साधुओं के लिये श्रौद्धेशिक दोषयुक्त नहीं है। इस विषय का कथन मूल आगमों में नहीं है किन्तु प्राचीन व्याख्या ग्रन्थों में है। उसका आशय यह है कि जिनके सिद्धान्त और वेश समान हों वे प्रवचन एवं लिंग (उभय) से सार्वभौमिक कहे जाते हैं। इस प्रकार के सार्वभौमिक साधु के लिये बना आहार मकान आदि दूसरे सार्वभौमिकों के लिये भी कल्पनीय नहीं होता है।

उपर्युक्त चारों जैन विभागों के वेश और सिद्धान्तों में भेद पड़ गये हैं और प्रत्येक संघ ने एक दूसरे से सर्वथा भिन्न व स्वतन्त्र अस्तित्व धारण कर लिया है। अतः एक जैन संघ का श्रौद्धेशिक मकान आदि दूसरे संघ वालों के लिये श्रौद्धेशिक नहीं है।

छोटे क्षेत्र के छोटे श्रावकसमाज में सभी जैन संघों के मिश्रित भाव से निर्मित श्रौद्धेशिक शय्या आदि सभी संघों के साधुओं के लिये श्रौद्धेशिकदोषयुक्त ही समझना चाहिये।

संभोग-प्रत्ययिक क्रियानिषेध का प्रायश्चित्त—

३९. जे भिखू “णत्थि संभोग-वत्तिया किरियत्ति” वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

३९. जो भिक्षु “संभोग प्रत्ययिक क्रिया नहीं लगती है”, इस प्रकार कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—“एकत्र भोजनं संभोगः, तत्प्रत्यया क्रिया—कर्मबंधः, नास्तीति, जो एवं मापते, तस्स मास लहं । एस सुत्तयो ।”

“संभोइओ संभोइएण समं उवर्हि सोलसेहि आहाकम्मादिएहि उग्गमदोसेहि सुद्धं उप्पाएति तो सुद्धो, अह असुद्धं उप्पाएइ, जेण उग्गमदोसेण असुद्धं गेहति, तत्थ जावतिओ कम्मबंधो जं च पायच्छित्तं तं आयज्जति ।”—नि. चूणि ।

जिसके साथ में आहार आदि का संभोग होता है ऐसा कोई भी सांभोगिक साधु आहारआदि की गवेषणा में कोई दोष लगाता है तो उस वस्तु का उपयोग करने वालों को भी गवेषणा दोष संबंधी क्रिया अर्थात् कर्मबंध व प्रायश्चित्त आता है।

अतः संभोगप्रत्ययिक क्रिया के संबंध में गलत धारणा तथा प्ररूपणा नहीं करनी चाहिये। संभोग-विसंभोग संबंधी विस्तृत जानकारी के लिये भाष्य का अध्ययन करना आवश्यक है। सामान्य जानकारी के लिये बृहत्कल्प उ. ४ सूत्र २३ का विवेचन देखें।

धारण करने योग्य उपधि के परित्याग का प्रायश्चित्त—

४०. जे भिखू लाउय-पायं वा, दाशपायं वा, मट्ठियापायं वा, अलं यिरं पुवं धारणिज्जं परिभिविय-परिभिविय परिट्ठवेइ, परिट्ठयंतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिखू घटयं वा, कंबलं वा, पायपुं ट्ठणं वा, अलं यिरं पुवं धारणिज्जं पत्तिद्धिय-पत्तिद्धिय परिट्ठवेइ, परिट्ठयंतं वा साइज्जइ ।

४२. जे भिक्षु दंडगं वा, लट्टियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूईं वा पलिभंजिय-पलिभंजिय परिट्टवेद, परिट्टवेत्तं वा, साइज्जइ ।

४०. जो भिक्षु तुंवपात्र, काष्ठपात्र या मिट्टी के पात्र को जो परिपूर्ण (प्रमाणयुक्त) है, दृढ़ (कार्य के योग्य) हैं, रखने योग्य है और कल्पनीय हैं, उन्हें टुकड़े कर करके परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४१. जो भिक्षु परिपूर्ण, दृढ़, रखने योग्य व कल्पनीय वस्त्र, कंबल या पादप्रोक्षण को खंड-खंड करके परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४२. जो भिक्षु दंड, लाठी, अवलेखनिका या वांस को सूई को तोड़-तोड़ कर परठता है । य परठने वाले का अनुमोदन करता है । उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—जं पज्जत्तं तं अलं, ददं यिरं, अपडिहारियं धुवं तु ।

लवखण जुत्तं पायं, तं होंति धारणिज्जं तु ॥२१५९॥

१. जो पर्याप्त है—परिपूर्ण है, जितना लंबा-चौड़ा परिमाण चाहिये उतना है, वह “अलं” कहलाता है ।

२. जो दृढ़ है—मजबूत है—काम आने योग्य है, वह “यिरं” कहलाता है ।

३. जो अपडिहारी है—अप्रत्यर्पणीय है, गृहस्थ या साधु अथवा आचार्य आदि किसी को पुनः देने योग्य नहीं है अर्थात् जिसके लिये रखने की आज्ञा प्राप्त है, वह “धुवं” कहलाता है ।

४. जो आगमोक्त है, लक्षण युक्त है अथवा उद्गम आदि दोषों से रहित है अर्थात् शुद्ध एवं सुशोभित होने से कल्पनीय है, वह “धारणीय” कहलाता है ।

कोई भी उपकरण प्रमाण युक्त होते हुए भी जीर्ण होने से कार्य के अयोग्य हो सकता है, प्रमाण-युक्त और कार्य योग्य होते हुए भी उसको सदा रखने की अनाज्ञा हो सकती है, प्रमाण युक्त, कार्य योग्य और अपडिहारी होते हुए भी लक्षणहीन या दोषयुक्त हो सकता है । अतः अलं, यिरं, धुवं, धारणिज्जं ये चार विशेषण कहे गये हैं । चारों विशेषणों से युक्त पात्र धारण करने योग्य होता है । ऐसे पात्र को टुकड़े-टुकड़े करके परठने पर प्रायश्चित्त आता है ।

आगमों में अनेक जगह तीन प्रकार के पात्रों को जातियुक्त कथन किया गया है, उसका आशय यह है कि साधु तीन प्रकार के पात्र ही धारण कर सकता है ।

वत्थं-कंबलं-पायपुच्छणं—इस दूसरे सूत्र में तीन प्रकार के वस्त्रों का कथन हुआ है । यहाँ नियुक्ति एवं भाष्यकार ‘पायपुच्छणं’ से वस्त्र का ही निर्देश करते हैं किन्तु पायपुच्छण से रजोहरण का अर्थ नहीं करते । इस दूसरे सूत्र के तथा तीसरे दंडादि सूत्र के संबंध में भाष्यगाथा इस प्रकार है—

पायम्मि उ जो गमो, णियमा वत्थम्मि होति सो च्वे ।

दंडगमादिमु तहा, पुब्बे अवरम्मि य पदम्मि ॥२१६४॥

द्वितीय सूत्र से संबंधित इस गाथा में भी वस्त्र का ही निर्देश है, रजोहरण का संकेत नहीं है । रजोहरण संबंधी दस सूत्र दंडसूत्र के बाद में हैं ही । उनमें रजोहरण संबंधी सभी विषयों का कए

साय प्रायश्चित्त कथन किया गया है। अतः वस्त्रों के साथ जो पायपुच्छण का कथन है, वह वस्त्र का ही एक उपकरण है और वह रजोहरण से भिन्न है। यदि आगे कहे गये उन १० सूत्रों में रजोहरण के स्थान पर पायपुच्छण शब्द का प्रयोग होता तो पायपुच्छण से रजोहरण अर्थ मानना उचित होता, किन्तु ऐसा नहीं है। .. अर्थात् आगमों में जहाँ-जहाँ रजोहरण से संबंधित विषयों का कथन है वहाँ रजोहरण शब्द का ही प्रयोग हुआ है। पायपुच्छण शब्द का जहाँ प्रयोग है वहाँ रजोहरण अर्थ करना उचित नहीं है।

अतः इस दूसरे सूत्र का भावायं है कि “अलं धिरं धारणज्जं” वस्त्र को टुकड़े करके नहीं परठना चाहिये। जीर्ण होने पर किसी कार्य के योग्य नहीं रहे तो परठा जा सकता है। परठने योग्य वस्त्रादि को न परठ कर उपयोग में ले तो भी प्रायश्चित्त आता है।

दंड आदि—इस सूत्र में “अलं-धिरं” आदि विशेषण नहीं है। इसका कारण यह कि दंड आदि धारण करने योग्य हों अथवा न हों, अनुपयोगी होने पर उनको जिस अवस्था में हों उसी अवस्था में परठ देना या छोड़ देना चाहिये। ये चारों औपग्रहिक उपकरण हैं, अतः कारण के समाप्त होते ही उपयोग के योग्य होने पर भी ये छोड़े जा सकते हैं और अयोग्य होने पर स्पंडिल में परठना ही तो उसी अवस्था में परठ देना चाहिये। इनके टुकड़े करने से हाथ आदि में लगने की संभावना रहती है। अतः इनके लिये टुकड़े करने का निषेध और प्रायश्चित्त समझना चाहिये।

तीनों प्रकार के वस्त्र यदि जीर्ण हों तो टुकड़े करके परठने में कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है। पात्रों में से मिट्टी और तुंबे के जीर्ण या अयोग्य होने पर टुकड़े करके परठने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है। काष्ठ का पात्र यदि जीर्ण या अयोग्य हो तो भी उसके टुकड़े करने में हाथों में लगने की संभावना रहती है, अतः उसके लिये भी दंड आदि के समान टुकड़े नहीं करने का समझ लेना चाहिये।

दंड आदि का अलग सूत्र करने का आशय स्पष्ट है कि ये औपग्रहिक उपकरण है और लौटाने का कहकर भी लिये जा सकते हैं।

वस्त्र, पात्र के दो अलग सूत्र कहने का आशय भी यह है कि दोनों के परठने में तथा अप्रतिहारिकता में कुछ अंतर होता है अर्थात् वस्त्र के लेने और लौटाने का व्यवहार नहीं है और पात्र तो लेप लगाने आदि कई कारणों से कभी लेकर लौटाये भी जाते हैं। इसी अंतर के कारण इनके भिन्न-भिन्न सूत्र कहे हैं।

परिभ्रमदह—तीन सूत्रों में भिन्न-भिन्न तीन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। अतः परिभ्रमदह—फोड़ना। पत्तिद्यदह—फाड़ना। पत्तिभंजह—तोड़ना। इस प्रकार तीनों शब्दों की विशेषता समझनी चाहिये।

रजोहरण सम्बन्धी विपरीत अनुष्ठान-प्रायश्चित्त—

४३. जे भिवखू अइरेगपमाणं रयहरणं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

४४. जे भिवखू सुहुमाइं रयहरणं-सोसाइं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

४५. जे भिवखू रयहरणं फंडसग-बंधेणं, बंधइ बंधंतं वा साइज्जइ ।

४६. जे भिक्खू रयहरणं अविहीए वंघइ, वंघतं वा साइज्जइ ।

४७. जे भिक्खू रयहरणस्स एकं वंघं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

४८. जे भिक्खू रयहरणस्स परं तिण्हं वंघाणं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

४९. जे भिक्खू रयहरणं अणिसिट्ठं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

५०. जे भिक्खू रयहरणं वोसट्ठं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

५१. जे भिक्खू रयहरणं अहिट्ठइ, अहिट्ठेंतं वा साइज्जइ ।

५२. जे भिक्खू रयहरणं उस्सीस-मूले ठवेइ, ठवेंतं वा साइज्जइ ।

४३. जो भिक्षु प्रमाण से बड़ा रजोहरण रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

४४. जो भिक्षु रजोहरण की फलियाँ सूक्ष्म वारीक बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

४५. जो भिक्षु रजोहरण को "कंडूसग बंधन" से बाँधता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

४६. जो भिक्षु रजोहरण को अविधि से बाँधता है या बाधने वाले का अनुमोदन करता है ।

४७. जो भिक्षु रजोहरण के एक बंधन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

४८. जो भिक्षु रजोहरण के तीन से अधिक बंधन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

४९. जो भिक्षु अकल्पनीय रजोहरण धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५०. जो भिक्षु रजोहरण को शरीर-प्रमाण क्षेत्र से दूर रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

५१. जो भिक्षु रजोहरण पर अधिष्ठित होता है या अधिष्ठित होने वाले का अनुमोदन करता है ।

५२. जो भिक्षु सोते समय रजोहरण को धिर के नीचे—सिरहाने रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—“रजोहरण” शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से फलियों के समूह भाग की अपेक्षा से कहा गया है । क्योंकि अधिक प्रमाण, सूक्ष्म फलियाँ, अधिष्ठित होना, सिरहाने रखना आदि कार्यों का सम्बन्ध उनके लिए ही संगत होता है ।

१. अदरेगपमाणं—फलियों के समूह का घेरा प्रमाणोपेत होना चाहिए । रजोहरण के द्वारा एक वार में पूँजी हुई भूमि में अपना पाँव आ सके, इतना प्रमाण फलियों के समूह का होना चाहिए ।

व्याख्याओं में ३२ अंगुल का निर्देश मिलता है, उसे फलियों के घेराव के लिए समझना सुसंगत है। ३२ अंगुल के घेराव की फलियों का समूह कम से कम १६ अंगुल चौड़ी भूमि का प्रमाजन करता है। पाँव की लम्बाई १२ से १५ अंगुल तक की प्रायः होती है। जिससे पूँजकर चलने का कार्य सम्यक् प्रकार से सम्पन्न हो सकता है। अतः रजोहरण का प्रमाण उसके घेराव की अपेक्षा से समझना चाहिए। ३२ अंगुल का प्रमाण रजोहरण की फुंडी के विषय में नहीं समझना चाहिए।

९ वर्ष का साधु अढ़ाई फुट की अवगाहना वाला हो सकता है और २० वर्ष का साधु ६ फुट का भी हो सकता है। सब के लिए डंडी की लम्बाई ३२ अंगुल का नियम उपयुक्त नहीं है। ३२ अंगुल का घेराव भी एकांतिक न समझकर उत्कृष्ट सीमा का समझ सकते हैं।

सूत्रपाठ से तो इतना ही भाव समझना पर्याप्त है कि शरीर तथा पाँव की लम्बाई के अनुसार पूँजे का कार्य सम्यक् प्रकार से सम्पन्न हो सके, उतना घेराव या लम्बाई का रजोहरण होना चाहिए। उससे अधिक घेराव अथवा लम्बाई अनावश्यक होने से वह प्रमाणातिरिक्त रजोहरण कहलाता है। उपलक्षण से प्रमाण से कम करना भी दोष व प्रायश्चित्त योग्य समझ लेना चाहिए।

२. सुहृमाइं रयहरणसोसाइ—सम्पूर्ण फलियों के घेराव रूप रजोहरण के प्रमाण के विषय को कहने के बाद उन फलियों के परिमाण का कथन इस पद से हुआ है। रजोहरणशीर्ष अर्थात् फलियों का शीर्षस्थान जो कि डोरे में पिरोया जाता है, वह ज्यादा सूक्ष्म-पतला होगा तो फली भी सूदम होगी। जिससे कुल फलियों की संख्या ज्यादा होगी तथा सूक्ष्म शीर्षफलियाँ ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होती हैं, अतः प्रत्येक फली व उसका शीर्ष स्थान भी सूदम नहीं होना चाहिए किन्तु वे मध्यम प्रमाण वाले होने चाहिए।

३. 'कंडूसग वंधण'—कंडूसगबंधणं, तज्जइतरेण जो उरयहरणं।

बंधति कंडूसो पुण पट्ट उआणादिणो दोसा ॥ २१७५ ॥

भावाय—जिस जाति (ऊन आदि) का रजोहरण हो उस जाति के या अन्य जाति के डोरे से फलियों को आपस में बाँधना "कंडूसग वंधन" है और कपड़े की पट्टी से बाँधना "कंडूसग पट्ट" है। ये दोष रूप हैं, अतः इनका प्रायश्चित्त है।

भाष्य में कहा है कि रजोहरण की फलियों के जीर्ण होने पर यदि वे टूट कर बिखरती हों तो उनको सम्बद्ध कर देने से बिखरें भी नहीं तथा प्रतिलेखन भी सुविधा से हो सके, यथा—“एतेहि कारणेहि तमेव धिगगल-कारेणं सम्बद्धं करेति, जेण एगपडिलेहणा भयति ॥ २१७७ ॥ इस व्याख्या से भी फलियों को एक दूसरी से सम्बद्ध करना यही "कंडूसग वंधन" का अर्थ है।

४. अविहीए—रजोहरण की कपड़े की पट्टी से बाँधना या पूर्ण रजोहरण को एक वस्त्र या धेनी में बाँधना तथा दुष्प्रतिलेख्य (प्रतिलेखन के अयोग्य) व दुष्प्रमाज्य (प्रमाजन के अयोग्य) हो, इस प्रकार रजोहरण बाँधना 'अविधि वंधन' है।

५. परं तिण्हं—काष्ठदंत मे रजोहरण व्यवस्थित रूप में बंधा रहे, इसके लिए तीन स्थानों पर बंधन लगाये जा सकते हैं। तीन से अधिक स्थान पर बंधन लगाना रजोहरण में आवश्यक नहीं है। अविशेष से ज्यादा बंधन लगाये या बिना प्रयोजन एक भी बंधन लगाये तो प्रायश्चित्त आता है।

६. अणिसिद्धं—“अणिसिद्धं नाम तित्यकरेह् अदिष्णं” अहवा ब्रित्तिओ आएसो—जं गुरु जणेषं अणणुणायं, तं अणिसिद्धं ।”

गाथा— पांचातिरित्तं दब्बे उ, अचित्तं दुल्लभं च दोसं तु ।
भावम्मि वन्नमोत्ता, अणणुणायं व जं गुरुणा ॥ २१८२ ॥

ऊन का, ऊँट के केशों का, सन का, वच्चकघास का और मूँज का ये, पांच प्रकार का रजोहरण रखने की तीर्थकर भगवान् की आज्ञा है।—बृह. उ. २, तथा ठाणांग अ. ५ । इनसे भिन्न प्रकार का रजोहरण रखना “अणिसिद्धं” कहा गया है । भाष्य में भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के भेद से यह कहा गया है कि पाँच प्रकार के रजोहरण से भिन्न प्रकार का ग्रथवा दुर्लभ और बहुमूल्य तथा गुरु की आज्ञा के बिना ग्रहण किया गया रजोहरण “अणिसिद्धं” होता है ।

७. ‘वोसट्ट’—आउग्गह खेत्ताओ, परेण जं तं तु होति वोसट्टं ।
आरेणं अवोसट्टं, वोसट्ठे धरेत आणादी ॥ २१८५ ॥

७. आत्मप्रमाण अर्थात् शरीरप्रमाण क्षेत्र से दूर रखा गया रजोहरण ‘वोसट्ट’ कहा जाता है और आत्मप्रमाण अवग्रह के अन्दर हो तो ‘अवोसट्ट’ कहा जाता है । ‘वोसट्ट’ रखने पर आज्ञा का उल्लंघन होता है तथा प्रायश्चित्त आता है ।

भावार्थ यह है कि रजोहरण को सदा अपने साथ व पास में ही रखना चाहिए । शरीर प्रमाण—एक धनुष जितना दूर रहने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है । उससे ज्यादा दूर होने पर लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

प्रचलित प्रवृत्ति में कोई ५ हाथ की मर्यादा करते हैं । कोई पूरे मकान की मर्यादा भी कहते हैं । किन्तु आत्मप्रमाण कहना अधिक उचित है, आवश्यकता होने पर सरलता से उसका शीघ्र उपयोग हो सकता है ।

‘मुहपोत्ति यणसेज्जा एसेव गमो वोसट्ठा वोसट्ठेसु पुब्बावरपदेसु ॥ २१८८ ॥

इस प्रकार भाष्यकार ने मुखवस्त्रिका और निपद्या (आसन) के लिए भी उपलक्षण से ‘अवोसट्ट’ ‘वोसट्ट’ का विवेक रखना सूचित किया है ।

८. अहिट्ठेइ—अधिष्ठित होने में खड़ा होना, बैठना तथा उस पर सोना आदि का समावेश हो सकता है । ‘उत्तीस-मूले’—शिर के नीचे देने का अलग मूत्र होने से उसके सिवाय सभी सम्भवित क्रियाओं का अधिष्ठित होने में समावेश समझ लेना चाहिए । पाँवों का या शरीर का प्रमाज्जन करने में तो रजोहरण का उपयोग किया जाता है किन्तु आसन या शय्या के रूप में उसका उपयोग नहीं करना चाहिये । शिर के नीचे देना सिरहाना करना कहलाता है और श्रेय अंग से सोना, बैठना आदि अधिष्ठित होना कहलाता है । अर्थात् शरीर के किसी भी अवयव के नीचे रजोहरण को दवाना नहीं कल्पता है ।

९. उत्तीसमूले—इस मूत्र की चूर्ण के बाद उद्देशक का मूल पाठ समाप्त हो जाता है । अतः उपलब्ध ग्यारहवां “सुयट्ठेइ” का सूत्र बाद में बढ़ाया गया प्रतीत होता है । भाष्यकार ने भी

“तुयट्टेते” शब्द का प्रयोग “उत्सीसमूले” के विश्लेषण के लिये किया है और “उत्सीसमूले ठवेइ” सूत्र के विवेचन में ही व्याख्या पूर्ण कर दी है। “तुयट्टेइ” किया वाला स्वतन्त्र सूत्र नहीं दिखाया है। वह सूत्र चूर्णिकार व भाप्यकार के सामने नहीं था, ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है। अतः यहाँ रजोहरण के कुल १० सूत्र ही संगत प्रतीत होते हैं।

भाप्य गाया—“जे भिखू तुयट्टेते, रयहरणं सोसगे ठवेज्जाहि” ॥ २१९२ ॥

“उत्सीसमूले ठवेइ” की व्याख्या रूप यह भाप्य गाया है। इसमें “तुयट्टेते” का प्रयोग देष कर किसी ने नया सूत्र लिख दिया हो, ऐसा भी सम्भव हो सकता है। किन्तु गद्यांश का यह स्पष्टार्थ है कि ‘जो भिक्षु सोते समय रजोहरण को सिरहाने रखता है, वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है।’ अतः इस गद्यांश से भी अलग-अलग दो सूत्र की कल्पना करना उचित नहीं होता है।

पांचवें उद्देशक का सारांश—

१-११. वृक्ष स्कन्ध के आस-पास की सचित्त पृथ्वी पर खड़े रहना, बँठना, सोना, आहार करना, मल त्याग करना, स्वाध्यायादि करना।

१२. अपनी चादर (आदि) गृहस्थ के द्वारा सिलवाना।

१३. छोटी चादर आदि को बांधने की डोरियां लम्बी करना।

१४. नीम आदि के अचित्त पत्तों को पानी से धोकर खाना।

१५-२२. शय्यातर के या अन्य के पादप्रोक्षण व दण्ड आदि निद्रिष्ट समय पर नहीं लोटाना।

२३. शय्या-संस्तारक लौटाने के बाद पुनः आज्ञा लिये बिना उपयोग में लेना।

२४. ऊन, मूत आदि कातना।

२५-३०. सचित्त, रंगीन तथा अनेक रंगों से आकर्षक दण्ड बनाना या रखना।

३१-३२. नये बसे हुए ग्रामादि में या नई खानों में गोचरी के लिये जाना।

३३-३५. मुख आदि से वीणा बनाना या बजाना तथा अन्य वाद्य आदि बजाना।

३६-३८. औद्देशिक, सप्राभूत, सपरिकर्म शय्या में प्रवेश करना या रहना।

३९. संभोगप्रत्ययिक क्रिया लगने का निषेध करना।

४०-४१. उपयोग में आने योग्य पात्र को फोड़कर या बरत, कम्बल, पादप्रोक्षण के टुकड़े करके परठना।

४२. दण्ड लाठी के टुकड़े करके परठना।

४३-५२. रजोहरण-प्रमाण से बड़ा बनाना, फलियां सूदम बनाना, फलियों को आपम में मंवल करना, अविधि से बांधकर रखना, अनावश्यक एक भी बन्धन करना, आवश्यक भी तीन से अधिक बन्धन करना।

पांच प्रकार के सिवाय अन्य जाति का रजोहरण बनाना, दूर रखना, पांव आदि के नीचे रवाना, सिर के नीचे रखना।

इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।

उपसंहार—प्रारम्भ के चार उद्देशकों में संपूर्ण सूत्रों को दो विभागों में सग्रह किया है किन्तु

इस उद्देशक के ५२ सूत्रों का दो विभागों में संग्रह न करके मात्र सक्षिप्त निर्देश ही कर देना पर्याप्त है ।

सूत्र नं. २३ के विषय काव्यवहार सूत्र के आठवें उद्देशक में तथा सूत्र ३६ व ३८ के विषयों का आचारांग श्रु० २ अ० २ उ० १ में विधान हुआ है, इस उद्देशक के शेष सभी विषय अन्य आगम में नहीं आये हैं, किन्तु विधि-निषेध की स्पष्ट सूचना करते हुए प्रायश्चित्त का विधान करने वाले हैं । यह इस उद्देशक की पूर्व के उद्देशकों से विशेषता है ।

१. इस उद्देशक के ३ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में है यथा—सूत्र—२३, ३६, ३८ ।

२. इस उद्देशक के शेष ४९ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है ।

॥ पांचवां उद्देशक समाप्त ॥

छठा उद्देशक

अग्रह के संकल्प से किये जाने वाले कृत्यों के प्रायश्चित्त—

१. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए विण्णवेइ, विण्णवेतं वा साइज्जइ ।

२-१०. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए हत्यकम्मं करेइ, करेतं वा साइज्जइ । एवं पढमुद्देशगमेण णेयत्वं जाव जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगावाणं अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुप्पवेसित्ता सुक्कपोग्गले णिग्घायइ, णिग्घायंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अवाउडि सयं कुज्जा, सयं बूया, करेतं वा, ब्रूएतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए कलहं कुज्जा, कलहं बूया, कलहवडियाए वाहि गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ ।

१३. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए लेहं लिहइ, लेहं लिहावेइ, लेहवडियाए वाहि गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पोसंतं वा पिट्ठंतं वा भत्तायण उप्पाएइ, उप्पाएतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पोसंतं वा पिट्ठंतं वा भत्तायण उप्पाएत्ता ।

सोओदग-वियडेण वा उत्तिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोवेज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पघोवेतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पोसंतं वा, पिट्ठंतं वा, भत्तायण उप्पाएत्ता सोओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलित्ता, पघोवित्ता, अण्णयरेंणं आलेयण-जाएणं आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा, विलिपंतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पोसंतं वा पिट्ठंतं वा, भत्तायण उप्पाएत्ता, सोओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलित्ता पघोवित्ता, अण्णयरेंणं आलेयण-जाएणं आलिपित्ता विलिपित्ता, तेत्तेण वा जाव णयणीएण वा अठ्ठमेज्ज वा, मक्खेज्ज वा, अठ्ठमं गेतं वा मक्खेतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पोसंतं वा पिट्ठंतं वा,
भत्तायएण उप्पाएत्ता

सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ता पघोवित्ता,

अण्णघरेणं आलेवणजाएणं आलिपित्ता विलिपित्ता तेल्लेण वा जाव णवणीएण वा अब्भंगेत्ता
मक्खेत्ता, अण्णघरेण धूवजाएण धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा धूवेंतं वा पधूवेंतं वा साइज्जइ ।

१९. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए “कसिणाइं” वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए “अहयाइं” वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए “धोयरत्ताइं” वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए “चित्ताइं” वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए “विचित्ताइं” वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२४-७७. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा,
आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

एवं तइयउद्देसगमेण णेयत्वं जाव जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए गामाणुगामं
इइज्जमाणे अप्पणो सीसडुवारियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

७८. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए खीरं वा, दहिं वा, णवणीयं वा, सपिं वा, गुलं वा,
खंडं वा, सक्करं वा, मच्छंडियं वा, अण्णयरं पणीयं आहारं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

१. जो भिक्षु स्त्री को मैथुन सेवन के लिये कहता या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

२-१०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से हस्तकर्म करता है या करने वाले का
अनुमोदन करता है । इस तरह प्रथम उद्देशक के सूत्र १ से ९ तक के समान पूरा आलापक यहाँ जान
लेना चाहिये यावत् जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से अंगादान को किसी अचित
स्रोत—छिद्र में प्रविष्ट करके शुक्र पुद्गल निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को स्वयं वस्त्ररहित करता है या वस्त्ररहित
होने के लिए कहता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से कलह करता है या कलह उत्पादक
वचन कहता है या कलह करने के लिए बाहर जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से पत्र लिखता है, लिखवाता है या पत्र
लिखने के लिये बाहर जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१४. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से स्त्री की योनि या अपानद्वार के अग्र भाग को "भिलावा" आदि औषधि के द्वारा शोथ युक्त अर्थात् पीड़ायुक्त करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से स्त्री की योनि या अपानद्वार के अग्र भाग को भिलावा आदि औषधि के द्वारा रोगग्रस्त करके उसे अचित्त शीतल जल या उष्ण जल से एक बार या अनेक बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से स्त्री की योनि या अपानद्वार के अग्र भाग को भिलावा आदि औषधि के द्वारा रोग ग्रस्त करके अचित्त शीतल या उष्ण जल से धोकर किसी प्रकार का लेप एक बार या अनेक बार लगाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन से संकल्प के स्त्री की योनि या अपानद्वार के अग्र भाग को भिलावा आदि औषधि के द्वारा रोगग्रस्त करके अचित्त शीतल जल या उष्ण जल से धोकर किसी प्रकार का लेप लगाकर तेल यावत् मक्खन से एक बार या अनेक बार मालिश करता है या मालिश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से स्त्री की योनि या अपानद्वार के अग्रभाग को भिलावा आदि औषधि के द्वारा रोगग्रस्त करके अचित्त शीतल या उष्ण जल से धोकर, कोई एक प्रकार का लेप लगाकर, तेल यावत् मक्खन से मालिश करके किसी सुगंधित पदार्थ से एक बार या अनेक बार सुवासित करता है या सुवासित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से 'बहुमूल्य वस्त्र' रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से 'अखण्ड वस्त्र (धान)' रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से 'धोकर रंग (नील आदि) लगाए हुए वस्त्र' रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से 'रंगीन वस्त्र' रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से 'अनेक रंग के या चिपित (छपाई युक्त) वस्त्र' रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४-७७. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से अपने परों का एक बार या अनेक बार घर्षण करता है या घर्षण करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार तीसरे उद्देशक के मंत्र १६ से ६९ तक के आलापक के मन्त्रानुसार यहाँ जान लेना चाहिए यावत् जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अपना भस्त्रक डँकना है या डँकने वाले का अनुमोदन करता है ।

७८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, खांड, शक्कर या मिश्री आदि पौष्टिक आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उपर्युक्त ७८ सूत्रों में कथित दोष-स्थानों का सेवन करने वाले को गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।

विवेचन—माउग्गामं 'मातिसमाणो गामो- मातुगामो, मरहट्ठविसयभासाए' वा "इत्यो माउग्गामो भण्णति"—माता के समान है शरीरावयव जिसके उसे अर्थात् स्त्री को मातृग्राम कहते हैं तथा महाराष्ट्र देश की भाषा में भी स्त्री को "माउग्गाम" कहा जाता है। अतः ये दोनों पर्यायवाची शब्द समझना चाहिये।

विष्णवेइ—'विष्णवण—विज्ञापना—इह तु प्रार्थना परिगृह्यते।'

वेदमोहनीयकर्म का प्रबल उदय होने पर जो भिक्षु आगमवाक्यों के चिंतन से उसे निष्फल नहीं करता है और स्त्री से प्रार्थना करता है अर्थात् मैथुन सेवन के लिए कहता है तो भाव से ब्रह्मचर्य भंग होने के कारण अथवा मैथुन सेवन करने पर वतुर्थ व्रत के भंग होने से उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।

आगमकार ब्रह्मचर्यव्रत की दुष्करता का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

विरई अबंभचेरस्स, कामभोग रसणुणा ।

उगं महव्वयं वंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥ —उत्त. अ. १९, गा. २८

दुखं वंभवयं घोरं, धारेउं अमहप्पणो । —उत्त. अ. १९, गा. ३३

कामभोगों के रस के अनुभवी के लिए अब्रह्मचर्य से विरत होना और उग्र एवं घोर ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण—पालन करना अत्यन्त कठिन है।

जो आत्मा महान् नहीं है किन्तु क्षुद्र है, उसके लिए घोर दुष्कर ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करना अतीव कष्टकर है।

आगमकार ब्रह्मचर्य व्रत के लिये उत्साहित करते हुए कहते हैं—

मूलमेयं अहम्मस्स, महादोससमुत्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसंगं, णिगंग्या वज्जयति णं ॥ —दसवै. अ. ६, गा. १७

मैथुन अधर्म का मूल है और महान् दोषों का समूह है अतः निग्रह्य मैथुन संसर्ग का वर्जन करते हैं।

'संसार-मोक्षस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्याण ह्नु कामभोगा । —उत्तरा. १४ गा,

कामभोग मोक्ष के विरोधी हैं अर्थात् संसार बढ़ाने वाले हैं अतएव ये अनर्थों की खान हैं।

आगमकार अनेक सूत्रों में यथाप्रसंग ब्रह्मचर्य महाव्रत की सुरक्षा के लिये सावधान करते हैं—

१. दसवै. अ. ८, गा. ५३-६०

२. उत्त. अ. ८, गा. ४-६, १८-१९

३. दसवै. अ. २, गा. २-९

४. उत्त. अ. ९, गा. ५३

५. उक्त. अ. १३, गा. १६-१७

६. उक्त. अ. १०, गा. १७

७. उक्त. अ. २५, गा. २७, ४१-४३

८. उक्त. अ. ३२, गा. ९-२०

९. उक्त. अ. २, गा. १६-१७

१०. उक्त अ. १, गा. २६

११. मूत्रगण्डांग श्रु. १, अ. ४, ब्रह्मचर्यं विषयकं है ।

१२. आचारांगमूत्र अ. ५, उ. ४ में सूत्रकार ब्रह्मचर्यं की सुरक्षा के लिए अनेक उपायों का कथन करते हुए अन्तिम उपाय संयारा करने का सूचित करते हैं ।

१३. आचारांगमूत्र अ. ८, उ. ४ में सूत्रकार ने ब्रह्मचर्यं की सुरक्षा हेतु फांसी लगाकर मर जाने के लिए भी सूचित किया है और ऐसे मरण को कल्याणकारी कहा है ।

१४. 'नव वाड' और 'दस ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान' इन दोनों में प्रायः समान विषयों का प्रतिपादन किया गया है । ब्रह्मचर्यं की पूर्ण सुरक्षा के लिए इनका पूर्ण रूप से पालन अनिवार्य है ।

'नव वाड' का पालन न करने पर यदा-कदा मोहकर्म का प्रबल उदय हो जाता है जिससे इस पूरे उद्देशक में वर्णित सभी क्रियायें हो सकती हैं । अतिचारों का या अनाचारों का आचरण करने पर साधक अपने को संयम में स्थिर नहीं रख सकता है । आगमों में अन्य अर्थों की शोधा मोहांध की प्रगाढ अन्ध कहा है । अतः साधक को सतत सावधान रहकर आगमानुसार जीवनयापन करना चाहिए ।

इस उद्देशक के सभी सूत्रों में ब्रह्मचर्यं महाव्रत को दूषित करने का प्रायश्चित्त कहा है । माधु ही ब्रह्मचर्यं व्रत को दूषित करने वाली अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ कही गई हैं और सभी सूत्रों में 'माउग्मावस्त मेहुणवडियाए' ये पद लगाये गये हैं । इसका कारण यह है कि—प्रत्येक प्रवृत्ति में मूल संकल्प 'स्त्री के साथ मैथुन सेवन करने का है ।'

छट्टे और सातवें उद्देशक में ब्रह्मचर्यं भंग के विस्तृत प्रायश्चित्त का वर्णन होने के कारण भी इन निषीधसूत्र को गोपनीय माना गया है । यहाँ गोपनीयता का तात्पर्य यह है कि इन सूत्र का स्वाध्यायी अत्यधिक योग्य हो और इसके अध्ययन से उसकी आत्मा किसी प्रकार के विषय-कथाम में प्रवृत्त न हो ।

प्रकाशन के इस युग में भुद्रण-यन्त्रों के उत्तरोत्तर विकास काल में किसी प्रसिद्ध आगम या ग्रन्थ का प्रकाशन न हो यह अमंभव है । फिर भी इस सूत्र के स्वाध्यायी को चाहिए कि वह अपनी विकृत प्रवृत्तियों को दान्त रखने का दृढ़ निश्चय कर ले, तभी इस सूत्र का अध्ययन उसके लिए समाधि का कारण हो सकता है ।

सूत्र नं. १३ से पत्रलेखन की जानकारी मिलती है । इस सूत्र के अनुसार आगम काल में साधु समुदाय में लेखन की प्रवृत्ति और लेखन सामग्री रखने की परम्परा भी प्रचलित थी, ऐसा ज्ञात होता है । मैथुन के संकल्प में पत्र लिखने का प्रायश्चित्त इस उद्देशक में कहा है । मैथुन संकल्प के प्रतिरिक्त लेखने की प्रवृत्ति का प्रायश्चित्त अन्य उद्देशकों में कहीं नहीं कहा गया है । आगमों का व्यवस्थित लेखन कार्य देशद्रिगणी के समय हुआ होगा, तो भी उसके पहले साधु समुदाय में लेखनप्रवृत्ति का पत्रलेखनसामग्री के रखने का भवंधा निषेध रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । इस सूत्र से यह स्पष्ट है ।

पोपः—सृगोपदमित्यर्थः तस्य अंतानि पोपंतानि । पिट्टीए अंतं पिट्टंतं-अपानद्वारमित्यर्थः । उत् प्राबल्येन पाक्यति-उष्पाएति, वंसणे-कोउएण—‘उष्पक्कं ममेयं दंसेइ’ त्ति काउं ।

स्त्री के अपानद्वार या योनिद्वार में किसी प्रकार की पीड़ा होने पर वह मुझ से कहेगी या दिखायेगी या औषध पूछेगी इत्यादि संकल्प से ‘भिलावा आदि औषध’ किसी भी उपचार के निमित्त से देना, जिससे मैथुन के संकल्प को सफल करने का अवसर मिलेगा ।

अथवा पति उसका परित्याग कर दे, इस संकल्प से स्त्री के पूछने पर या अपने मलिन विचारों से ऐसी औषध या लेप देकर उस स्थान को रोगग्रस्त करना ।

इसका विवेचन भाष्य गाथा २२६९ से २२७२ तक है । धोखे से ऐसा करने पर तो वह पति से शिकायत करे इत्यादि दोषों की सम्भावना रहती है । अतः स्त्री की इच्छा से करने पर ही फिर उसे ठीक करने की जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनका कथन आगे के सूत्रों में है ।

छठे उद्देशक का सारांश—

१-१० कुशील-मेवन के लिए स्त्री को निवेदन करना, हस्त कर्म करना, अंगादान का संचालन आदि प्रवृत्ति करना यावत् शुक्रपात करना ।

११-१३ विषयेच्छा से स्त्री को वस्त्ररहित करना, वस्त्ररहित होने के लिये कहना, कलह करना, पत्र लिखना ।

१४-१८ मैथुन-सेवन के संकल्प से स्त्री की योनि या अपानद्वार का लेप, प्रक्षालन आदि कार्य करना ।

१९-२३ बहुमूल्य, अखड, धुले, रंगीन और रंगविरगे वस्त्र रखना ।

२४-७७ शरीर का परिकर्म करना ।

७८. दूध, दही आदि पीण्डिक आहार करना इत्यादि प्रवृत्तियाँ मैथुन के संकल्प से करने पर गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

चतुर्यं महाश्रत तथा उसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक सूचनाएँ आगमों में दी गई हैं । फिर भी इस उद्देशक के ७८ सूत्रों में मैथुन के संकल्प से कौंसी-कौंसी प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, उनका कथन है जो अन्य सूत्रों के वर्णन से भिन्न प्रकार की है । यह इस उद्देशक की विशेषता है ।

॥ छठा उद्देशक समाप्त ॥

सातवां उद्देशक

माला-निर्माणादि के प्रायश्चित्त—

१. जे भिषपू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

१. तणमालियं वा, २. मुंजमालियं वा, ३. वेंतमालियं वा, ४. कट्टुमालियं वा, ५. मयण-मालियं वा, ६. मिडमालियं वा, ७. पिच्छमालियं वा, ८. हड्डुमालियं वा, ९. दंतमालियं वा, १०. संखमालियं वा, ११. सिगमालियं वा, १२. पत्तमालियं वा, १३. पुप्फमालियं वा, १४. फलमालियं वा, १५. वीयमालियं वा, १६. हरियमालियं वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

२. जे भिषपू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए तणमालियं वा 'जाव' हरियमालियं वा धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

३. जे भिषपू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए तणमालियं वा 'जाव' हरियमालियं वा पिण्ढेइ, पिण्ढेत्तं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के मंकल्प से—

१. तृण की माला, २. मूँज की माला, ३. वेंत की माला, ४. काष्ठ की माला, ५. मेण (मोम) की माला ६. भीड़ की माला ७. मोरपिच्छी की माला, ८. हड्डी की माला, ९. दांत की माला, १०. मंघ की माला, ११. सीग की माला, १२. पत्तों की माला, १३. पुष्पों की माला, १४. फलों की माला, १५. बीजों की माला या १६. हरित (वनस्पति) की माला बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के मकल्प से तृण की माला यावत् हरित की माला धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के मकल्प से तृण की माला यावत् हरित की माला पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है । (उमें गुरुचीमामी प्रायश्चित्त घाता है ।)

यियेचन—सूत्रोक्त मालाएं विभूषा का एक अंग हैं । मंथुन का मकल्प मिट्ट करने के लिये कर्मों-कर्मों विभूषित होना भी आवश्यक होता है ।

शंख की माला के स्थान पर चूर्णिकार से कौडी की माला का उल्लेख किया है । सम्भवतः उनके मामले 'शंख' के स्थान पर 'कौडी' का पाठ रहा होगा ।

वीज व हरित गन्धों दो मालाओं का पाठ चूर्णिकार के मामले नहीं रहा होगा । 'फल-माला' तक शब्दों की व्याख्या की गई है ।

उम सूत्र के मूल पाठ में तथा शब्दों के अर्थ व संख्या में भिन्नता मिलती है । चूर्ण के अनुसार अर्थ को सुधारा गया है । कुल शब्द १६ रहे हैं, सूत्र में १३ शब्दों की ही व्याख्या है । शंख, फल,

बीज, हरित माला की व्याख्या नहीं है तथा वराटिका (कौडी) शब्द की व्याख्या अधिक है। वह शब्द किसी भी प्रति में उपलब्ध नहीं है।

इन तीन सूत्रों में तीन क्रियायें कही गई हैं—

प्रथम सूत्र में 'करेइ' क्रिया का कथन है।

द्वितीय सूत्र में 'धरेइ' क्रिया का कथन है।

तृतीय सूत्र में 'पिणद्धेइ' क्रिया का कथन है।

यहाँ करेइ का अर्थ करना है अर्थात् बनाना है, धरेइ का अर्थ धारण करना है अर्थात् अपने पास रखना है। पिणद्धेइ का अर्थ पहनना है अर्थात् स्वयं पहनना है इत्यादि। इस प्रकार तीनों क्रियाओं के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं।

इसी प्रकार आगे के सूत्रों में इन तीन क्रियाओं का प्रयोग है, उनमें भी सर्वत्र उक्त अर्थ ही..... होता है।

धातुओं के निर्माण आदि का प्रायश्चित्त—

४. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

१. अयलोहाणि वा, २ तंबलोहाणि वा, ३. तउयलोहाणि वा, ४. सीसलोहाणि वा, ५. रप्प-लोहाणि वा, ६. सुवण्णलोहाणि वा करेइ, करेतं वा साइज्जइ।

५. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अयलोहाणि वा जाव सुवण्णलोहाणि वा धरेइ, धरेतं वा साइज्जइ।

६. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अयलोहाणि वा जाव सुवण्णलोहाणि वा पिणद्धेइ, पिणद्धेतं वा साइज्जइ।

४. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से—

१. लोहे का कड़ा, २. तांबे का कड़ा, ३. त्रपुप का कड़ा, ४. शीशे का कड़ा, ५. चांदी का कड़ा, ६. सोने का कड़ा बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है।

५. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से लोहे का कड़ा यावत् सोने का कड़ा धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

६. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से लोहे का कड़ा यावत् सोने का कड़ा पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है।

(उसे गुरुचौभासी प्रायश्चित्त आता है।)

दिवेचन—धर्मंत फुमंतस्स संजम—द्यवकायधिराहुणा। राजले भूइज्जइ तस्य बंधणादिया य दोसा। “जम्हा एते दोसा तम्हा णो करेति, णो धरेति, णो पिणद्धेति” ॥ —चूर्ण ॥

लोहे आदि को गर्म करने के लिये धमण के द्वारा अग्नि जलाने में, वायु को प्रेरित करने में संयम की एवं छः काय जीवों की विराधना होती है। 'राउल'—एक प्रकार का यन्त्र है जिसमें बने हुए द्विद्रों में मोटे तार डालकर तथा उन्हें खींच कर पतले तार बनाकर तैयार किये जाते हैं। उसमें तारों का डालना, उन्हें कमना एवं धींचना आदि श्रियाजन्य दोष होते हैं इत्यादि दोष हैं, अतः भिक्षु कडे या उनके तार नहीं बनाता है, नहीं रखता है एवं नहीं पहनता है।

सूत्र नं. १, २, ३ में मान्वाद्यों के बनाने, रखने और पहनने का कहा है।

सूत्र नं. ७, ८, ९ में आभूषण बनाने, रखने और पहनने का कहा है। अतः सूत्र ४, ५, ६, से लोहे के कडे पहनना—यह अर्थ करना उपयुक्त लगता है।

कडे हाथों में या पाँवों में अपनी क्वचि अनुसार पहने जा सकते हैं।

सूत्र नं ६ में 'पिण्डेइ' क्रिया के स्थान पर 'परिभुंजइ' क्रिया का पाठ उपलब्ध होता है। चूणिकार ने 'पिण्डेइ' क्रिया को स्वीकार करके ही व्याख्या की है तथा सत्रहवें उद्देशक में 'पिण्डेइ' क्रिया का संकेत किया है। अतः यहाँ मूल पाठ में 'पिण्डेइ' क्रिया ही रखी गई है।

आभूषण-निर्माण आदि के प्रायश्चित्त—

७. जे भिक्षू भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

१. हाराणि वा, २. अढ्हाराणि वा, ३. एणावली वा, ४. मुत्तावली वा, ५. कणावली वा, ६. रयणावली वा, ७. कडगाणि वा, ८. तुडियाणि वा, ९. केऊराणि वा, १०. कुंडलाणि वा, ११. पट्टाणि वा, १२. मज्जाणि वा, १३. पल्लवमुत्ताणि वा, १४. सुवण्णमुत्ताणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ।

८. जे भिक्षू भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए हाराणि वा 'जाव' सुवण्णमुत्ताणि वा धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ।

९. जे भिक्षू भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए हाराणि वा 'जाव' सुवण्णमुत्ताणि वा पिण्डेइ, पिण्डेतं वा साइज्जइ।

७. जो भिक्षु स्त्री के माथ मेंधुन सेवन के मंकल्प से—

१. हार, २. अढ्हार, ३. एणावली, ४. मुत्तावली, ५. कणावली, ६. रत्नावली, ७. कटिमूत्र, ८. भुजबंध, ९. केसूर-गंठा, १०. कुंडल, ११. पट्ट, १२. मुकुट, १३. प्रलंबमूत्र वा १४. सुवर्णमूत्र बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है।

८. जो भिक्षु स्त्री के माथ मेंधुन सेवन के मंकल्प से हार 'यावन्' सुवर्णमूत्र धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

९. जो भिक्षु स्त्री के माथ मेंधुन सेवन के मंकल्प से हार 'यावन्' सुवर्णमूत्र पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचोमागो प्रायश्चित्त माना है।)

विवेचन—चूणिकार के सामने जो प्रति रही होगी उसके मूल पाठ में और शब्दों के क्रम में प्रस्तुत प्रतियों से भिन्नता रही है।

चूणिकार 'कुंडल' शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या करते हैं और भाष्यकार 'कडगाई आभरणा' इस प्रकार का कथन करते हैं।

आचारांगसूत्र श्रु. २ अ. १३, में तथा श्रु. २, अ. १५ में 'हार' शब्द प्रारम्भ में है तथा आचारांगसूत्र श्रु. २, अ. २, उ. १ में 'कुंडल' शब्द प्रारम्भ में है।

चूणिकार के सामने संभवतः आचारांग श्रु. २, अ. २, उ. १ के समान पाठ था, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रायः उन शब्दों की ही क्रमपूर्वक व्याख्या की गई है। दोनों तरह के प्रमाण मिलने के कारण इसे केवल विवक्षाभेद समझना चाहिये।

वस्त्र-निर्माण आदि के प्रायश्चित्त—

१०. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

१. आइणाणि वा, २. सहिणाणि वा, ३. सहिणकल्लाणाणि वा, ४. आयाणि वा, ५. कायाणि वा, ६. खोमियाणि वा, ७. बुगुल्लाणि वा, ८. तिरोडपट्टाणि वा, ९. मलयाणि वा, १०. पत्तुष्णाणि वा, ११. अंसुयाणि वा, १२. चिणंसुयाणि वा, १३. देसरागाणि वा, १४. अमिलाणि वा, १५. गज्जलाणि वा, १६. फालिहाणि वा, १७. कोयवाणि वा, १८. कंबलाणि वा, १९. पावराणि वा, २०. उद्दाणि वा, २१. पेसाणि वा, २२. पेसलेसाणि वा, २३. किण्हमिगाईणगाणि वा, २४. नीलमिगाईणगाणि वा, २५. गोरमिगाईणगाणि वा, २६. कणगाणि वा, २७. कणगंताणि वा, २८. कणगपट्टाणि वा, २९. कणगखचियाणि वा, ३०. कणगफुसियाणि वा, ३१. वग्घाणि वा, ३२. विवग्घाणि वा, ३३. आभरण-चित्ताणि वा, ३४. आभरण-विचित्ताणि वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ।

११. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आइणाणि वा, 'जाव' आभरण-विचित्ताणि वा धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ।

१२. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आइणाणि वा 'जाव' आभरण-विचित्ताणि वा पिणद्धेइ, पिणद्धेत्तं वा साइज्जइ।

१०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से

१. मूषक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र,
२. सूक्ष्म वस्त्र,
३. सूक्ष्म व सुशोभित वस्त्र,
४. अजा के सूक्ष्म रोम से निष्पन्न वस्त्र,
५. इन्द्रनीलवर्णी कपास से निष्पन्न वस्त्र,
६. सामान्य कपास से निष्पन्न सूती वस्त्र,
७. गौड देश में प्रसिद्ध या दुगुवल वृक्ष से निष्पन्न विशिष्ट कपास का वस्त्र,
८. तिरोड वृक्षावयव से निष्पन्न वस्त्र,

१. मलयगिरिचन्दन के पत्रों से निष्पन्न वस्त्र,
१०. बारीक वालों-नंतुओं से निष्पन्न वस्त्र,
११. दुगुन वृक्ष के अभ्यंतरावयव से निष्पन्न वस्त्र,
१२. चीन देश में निष्पन्न अत्यन्त सूक्ष्म वस्त्र,
१३. देश विशेष के रोगे वस्त्र,
१४. रोम देश में बने वस्त्र,
१५. चलने पर आवाज करने वाले वस्त्र,
१६. स्फटिक के समान स्वच्छ वस्त्र,
१७. वस्त्र विशेष 'कोतवो—वरको' १८. कंबल
१९. कंबल विशेष—'छरडग पारिगादि, पावारणा' ।
२०. सिंधु देश के मच्छ के चर्म से निष्पन्न वस्त्र ।
२१. मन्धु देश के सूक्ष्म चर्म वाले पशु से निष्पन्न वस्त्र,
२२. उर्मी पशु की सूक्ष्म पशुमी से निष्पन्न,
२३. कृष्ण मृग चर्म,
२४. नील मृग चर्म,
२५. गौर मृग चर्म,
२६. स्वर्ण-रम से लिप्त साक्षात् स्वर्णमय दिने ऐसा वस्त्र,
२७. जिसके किनारे स्वर्ण-रसरजित किये हों ऐसा वस्त्र,
२८. स्वर्ण-रममय पट्टियों से युक्त वस्त्र,
२९. सोने के तार जड़े हुए वस्त्र,
३०. सोने के स्तवक या फूल जड़े हुए वस्त्र,
३१. व्याघ्र चर्म,
३२. चीते का चर्म,
३३. एक प्रकार के आभरणों से युक्त वस्त्र,
३४. अनेक प्रकार के आभरणों से युक्त वस्त्र,

बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के मंत्रालय में भूपक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र यापत् अनेक प्रकार के आभरणों से युक्त वस्त्र धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के मंत्रालय में भूपक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र यापत् अनेक प्रकार के आभरणों से युक्त वस्त्र पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है । (उमें गुरुजीमागी प्रायश्चित्त धात्रा है)

विशेष—अनेक प्रकार के वस्त्रों का ये चर्मनिर्मित वस्त्रों का इन मूर्तों में वर्णन किया गया है ।

धानागंग नूत्र में ये वस्त्र बहुमूल्य तथा चर्ममय कहे गये हैं । तथा इनके ग्रहण करने का सर्वथा निषेध किया गया है ।

आचारांग सूत्र श्रु. २, अ. ५, उ. १ में आये शब्दों के अनुसार ही चूर्णिकार ने व्याख्या की है। उनके सामने आचारांग सूत्र के सदृश ही पाठ था। निशोथसूत्र का उपलब्ध मूल पाठ अन्य किसी सूत्र में उपलब्ध नहीं है। तथा चूर्णिकार के सामने भी नहीं था ऐसा उनकी व्याख्या से स्पष्ट ज्ञात होता है। अतः यहां आचारांग सूत्र तथा चूर्णि सम्मत पाठ ही रखा है।

इन १२ सूत्रों में "धरेइ" से रखना व "पिणद्धेइ" से पहनना एवं उपयोग में लेना ऐसा अर्थ समझना चाहिये। कई प्रतियों में 'पिणद्धेइ' के स्थान पर 'परिभुंजइ', क्रिया किसी सूत्र में उपलब्ध होती है जो चूर्णिकार के बाद हुआ लिपिदोष ही सभव है।

श्रंग संचालन का प्रायश्चित्त—

१३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अवखंसि वा, ऊरुंसि वा, उयरंसि वा, थणंसि वा गहाय संचालेइ, संचालेतं वा साइज्जइ।

१३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री के अक्ष, उरू उदर या स्तन को ग्रहण कर संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—चूर्णि—"अक्खा णाम संखाणियपएसा"—योनिस्थान

"अहवा अण्णयरं इंदिजयायं अवखं भण्णति" अथवा कोई भी इन्द्रिय अक्ष कहलाती है।

"अवखं—चक्षुः"—राजेन्द्र कोश भा. ? "अक्खपाय" शब्द। यहां योनि रूप अर्थ ही प्रासंगिक है।

शरीरपरिकर्म आदि के प्रायश्चित्त—

१४-६७ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ एवं तइयउद्वेसगगमेण णेयव्वं जाव जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए गामाणुगामं दूइज्जमाणे अण्णमण्णस्स सोसदुवारियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से आपस में एक दूसरे के पाँव का एक बार या अनेक बार घर्षण करता है या घर्षण करने वाले का अनुमोदन करता है। इस प्रकार तीसरे उद्देशक के (सूत्र १६ से ६९) ५४ सूत्रों के आलापक के समान जान लेना चाहिए यावत् जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आपस में एक दूसरे के मस्तक को ढांकता है या ढांकने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—यहां 'अण्णमण्णस्स' शब्द से दो साधु आपस में सूत्रोक्त प्रवृत्तियाँ करें इस अपेक्षा ये प्रायश्चित्तसूत्र कहे हैं। व्याख्याकार ने कहा है कि अर्थ विस्तार की अपेक्षा स्त्री के साथ या नपुंसक के साथ भी इन ५४ सूत्रों में कहे कार्य करने पर प्रायश्चित्त आता है—ऐसा समझ लेना चाहिए।

सचित्त पृथ्वी आदि पर निषद्यादि करने का प्रायश्चित्त—

६८. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडिवाए 'अणंतरहियाए' पुढवीए' णिसीयावेज्ज वा तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयायंतं वा तुयट्टावतंतं वा साइज्जइ।

६९. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 'सत्तिणिट्ठाए पुडवीए' गिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७०. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 'सत्तरवधाए पुडवीए' गिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७१. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 'मट्टियाकटाए पुडवीए' गिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७२. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 'चित्तमंताए पुडवीए' गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७३. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 'चित्तमंताए सिलाए' गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७४. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 'चित्तमंताए लेत्तुए' गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७५. जे भिषू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए कोत्तावासंसि वा दाए जीयपट्टीए; सभंभे, सपाणे, सवीए, सहारिए, सओसे, सउदए, सउत्तिगपणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणए गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा गिसीयावेत्तं वा तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

६८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

६९. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प में सचित्त जल से स्निग्ध भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सन्नित रजयुक्त भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सचित्त मिट्टीयुक्त भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सचित्त पृथ्वी पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सन्नित मिट्टी पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७४. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सचित्त मिट्टी के होने पर या पत्थर पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७५. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से घुन या दीमक लग जाने से जो काष्ठ जीव युक्त हो उस पर तथा जिस स्थान में अंडे, त्रस जीव, बीज, हरीघास, ओस, पानी, कीडी आदि के बिल, नीलन-फूलन, गोली मिट्टी या मकड़ी के जाले हों, वहा पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—प्रारम्भ के चार सूत्रों में मूल भूमि तो अचित्त ही कही गई है किन्तु प्रथम सूत्र में सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त भूमि कही गई है, दूसरे सूत्र में वर्षा आदि के जल से स्निग्धता युक्त भूमि कही गई है, तीसरे सूत्र में सचित्त रजयुक्त भूमि कही गई है और चौथे सूत्र में सचित्त मिट्टी बिखरी हुई भूमि कही गई है । पांचवें, छठे व सातवें सूत्र में भूमि, शिला व ढेला-पत्थर स्वयं सचित्त कहे गए हैं ।

आठवें सूत्र के प्रारम्भ में जीवयुक्त काष्ठ का कथन है । उसके पश्चात् समुच्चय रूप से अनेक प्रकार के जीवों से युक्त स्थानों का निर्देश किया गया है ।

‘सअंडे’ शब्द से यहाँ विकलेद्रियों के अंडों से युक्त स्थान समझना चाहिये ।

ओस और उदक इन दो शब्दों से अप्काय का सूचन किया है, अतः आगे आये “दगमट्टि” से पृथ्वीकाय और अप्काय के मिश्रण का सूचन किया है । इसमें तालाव आदि के किनारे की मिट्टी तथा कुंभार द्वारा गोली बनाई गई मिट्टी भी हो सकती है, वह सचित्त या मिश्र होती है ।

अंक में पत्यंक-निपद्यादि करने का प्रायश्चित्त—

७६. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा, पलियंकंसि वा णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

७७. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा, पलियंकंसि वा णिसीयावेत्ता वा, तुयट्टावेत्ता वा, असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा अणुग्घासेज्ज वा अणुप्पाएज्ज वा, अणुग्घासंतं वा अणुप्पाएतं वा साइज्जइ ।

७६. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को अर्धपत्यंक आसन में या पूर्ण पत्यंकासन में—गोद में विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७७. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को एक जंघा पर या पर्यंकासन में विठाकर या सुलाकर अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य खिलाता या पिलाता है अथवा खिलाने-पिलाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

धर्मशाला आदि में निपद्यादिकरण-प्रायश्चित्त—

७८. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइकुलेसु वा, परिव्यावसहेसु, वा, णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

७९. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा गाहावइकुलेसु

६९. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए 'सत्तिणिद्धाए पुढवीए' गिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए 'सत्तरक्खाए पुढवीए' गिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७१. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए 'मट्टिपाकडाए पुढवीए' गिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए 'चित्तमंताए पुढवीए' गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए 'चित्तमंताए सिलाए' गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७४. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए 'चित्तमंताए लेलुए' गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा, गिसीयावेत्तं वा तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७५. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए कोलायासंसि वा दादए जोवपइट्टीए; सत्तं, सपाणे, सवीए, सहुरिए, सओते, सउदए, सउत्तिगपणग-दग-मट्टिय-भवकडासंताणए गिसीयावेज्ज वा तुपट्टावेज्ज वा गिसीयावेत्तं वा तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

६८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प में संचित पृथ्वी के निकट की भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

६९. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से संचित जल से स्निग्ध भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से संचित रजयुक्त भूमि पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से संचित मिट्टीयुक्त भूमि पर स्त्री को बिठाना है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प में संचित पृथ्वी पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प में संचित शिना पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७४. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प में संचित मिट्टी के ढेरे पर या पाद पर स्त्री को बिठाता है या मुलाता है अथवा बिठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७५. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से घुन या दीमक लग जाने से जो काष्ठ जीव युक्त हो उस पर तथा जिस स्थान में अंडे, त्रस जीव, बीज, हरीघास, ओस, पानी, कीड़ी आदि के त्रिल, लीलन-फूलन, गीली मिट्टी या मकड़ी के जाले हो, वहा पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—प्रारम्भ के चार सूत्रों में मूल भूमि तो अचित्त ही कही गई है किन्तु प्रथम सूत्र में सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त भूमि कही गई है, दूसरे सूत्र में वर्षा आदि के जल से स्निग्धता युक्त भूमि कही गई है, तीसरे सूत्र में सचित्त रजयुक्त भूमि कही गई है और चौथे सूत्र में सचित्त मिट्टी बिखरी हुई भूमि कही गई है । पांचवें, छठे व सातवें सूत्र में भूमि, शिला व ढेला-पत्थर स्वयं सचित्त कहे गए हैं ।

आठवें सूत्र के प्रारम्भ में जीवयुक्त काष्ठ का कथन है । उसके पश्चात् समुच्चय रूप से अनेक प्रकार के जीवों से युक्त स्थानों का निर्देश किया गया है ।

‘सअंडे’ शब्द से यहाँ विकलेद्रियों के अंडों से युक्त स्थान समझना चाहिये ।

ओस और उदक इन दो शब्दों से अक्काय का सूचन किया है, अतः आगे आये “दगमट्टि” से पृथ्वीकाय और अक्काय के मिश्रण का सूचन किया है । इसमें तालाव आदि के किनारे की मिट्टी तथा कुम्भार द्वारा गीली बनाई गई मिट्टी भी हो सकती है, वह सचित्त या मिश्र होती है ।

अंक में पत्यंक-निषद्यादि करने का प्रायश्चित्त—

७६. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा, पलियंकंसि वा णिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७७. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा, पलियंकंसि वा णिसीयावेत्ता वा, तुपट्टावेत्ता वा, असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा अणुग्घासेज्ज वा अणुप्पाएज्ज वा, अणुग्घासंतं वा अणुप्पाएंतं वा साइज्जइ ।

७६. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को अर्धपत्यंक आसन में या पूर्ण पत्यंकासन में—गोद में विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७७. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को एक जंघा पर या पर्यंकासन में विठाकर या सुलाकर अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य खिलाता या पिलाता है अथवा खिलाने-पिलाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

धर्मशाला आदि में निषद्यादिकरण-प्रायश्चित्त—

७८. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावडकुलेसु वा, परिवावसहेसु, वा, णिसीयावेज्ज वा, तुपट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा, तुपट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

७९. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा गाहावडकुलेसु

या, परियायसहेतु या, नितीयावेत्ता या, तुयट्टावेत्ता या, असणं या पाणं या चाइमं या साइमं या अणुघासेज्ज या, अणुपाएज्ज या, अणुघासंतं या, अणुपाएंतं या साइज्ज ।

७८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के संकल्प से स्त्री को धर्मशाला में, बगीचे में, गृहस्थ के घर में या परिव्राजक के स्थान में बिठाता है या गुलाता है अथवा बिठाने या गुलाने बाने का अनुमोदन करता है ।

७९. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के संकल्प से स्त्री को धर्मशाला में, बगीचे में, गृहस्थ के घर में या परिव्राजक के स्थान में बिठाकर या गुलाकर अशन, पान, घाघ या स्वाद्य खिलाता है; या पिलाता है अथवा खिलाते-पिलाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—‘अणुघासेज्ज’ अनु-पच्चाद्भावे । अप्पणा प्रतिभु पच्चा तोए प्राप्तं देति, एवं करोडगादिभु अप्पणा पाठं पच्चा तं पाएति । —चूणि ।

पहले खुद खाता है और फिर स्त्री को खिलाता है अर्थात् यास उसके मुंह में देता है । बटोरी आदि से स्वयं पेष पीकर फिर उसे पिलाता है ।

चिकित्साकरण-प्रायश्चित्त—

८०. जे भिक्षु माउग्गामरस मेहुणयट्ठियाए अणुपरं तेइच्छं आजट्टइ, आजट्टंतं या माइज्जइ ।

८०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के संकल्प से किसी प्रकार को चिकित्सा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—चिकित्सा ४ प्रकार की होती है—१. शत, २. पित्त, ३. कफ एवं ४. सांद्रिपानिक रोगों की । इनमें से किसी प्रकार की चिकित्सा मंथन सेवन के संकल्प से स्वयं की करता है अथवा स्त्री की करता है तो उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है । यही स्त्री की चिकित्सा की प्रधानता समझनी चाहिए ।

पुद्गलप्रक्षेपणादि के प्रायश्चित्त—

८१. जे भिक्षु माउग्गामरस मेहुणयट्ठियाए अणुप्राइं पोग्गलाइं नीहरइ, नीहरंतं या माइज्जइ ।

८२. जे भिक्षु माउग्गामरस मेहुणयट्ठियाए मणुण्णाइं पोग्गलाइं उयकिरइ, उयकिरंतं या साइज्जइ ।

८१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के संकल्प से धमनांग पुद्गलों को निकालता है (डूर करता है) या निकालने बाने का अनुमोदन करता है ।

८२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथन सेवन के संकल्प से मनोग पुद्गलों का प्रक्षेप करता है या प्रक्षेप करने बाने का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—धमनांग पुद्गल को दूर करने का तात्पर्य है शरीर एवं उपकरणों को या मनगों

की अशुद्धि को दूर करना तथा मनोज्ञ पुद्गल के प्रक्षेप करने का तात्पर्य है शरीर, उपधि या मकान को सुसज्जित करना ।

शरीर को पुष्ट करने के लिये छद्मे उद्देशक के अंतिम सूत्र में पौष्टिक आहार सेवन करने का प्रायश्चित्त कथन हुआ है । अतः यह कथन शरीर की बाह्य त्वचा आदि की अपेक्षा से समझना चाहिये ।

चिकित्सा संबंधी कथन सूत्र ८० में किया गया है । उसके अनंतर ही इन दो सूत्रों में बाह्य शुद्धि अथवा सुसज्जित करने का प्रायश्चित्त कहा गया है । व्याख्याकार ने इसका संबंध शरीर के अतिरिक्त उपधि और मकान के साथ भी किया है । जो शुद्धि और शोभा से ही संबंधित होता है ।

पशु-पक्षियों के अंगसंचालन आदि का प्रायश्चित्त—

८३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अन्नयरं पसुजायं वा, पक्खिजायं वा, पायंसि वा, पवखंसि वा, पुच्छंसि वा, सोसंसि वा गहाप संचालेइ संचालेंतं वा, साइज्जइ ।

८४. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरं पसुजायं वा, पक्खिजायं वा, सोयंसि कट्ठं वा, किंलिचं वा अंगुलियं वा, सलागं वा अणुप्पवेसित्ता संचालेइ, संचालेंतं वा साइज्जइ ।

८५. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरं पसुजायं वा, पक्खिजायं वा अयमित्थित्ति कट्ठु आलिगेज्ज वा, परिस्सएज्ज वा, परिचुम्बेज्ज वा छिदेज्ज वा, विच्छिंदेज्ज वा, आलिगंतं वा, परिस्सयंतं वा, परिचुवंतं वा, छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ ।

८३. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी जाति के पशु या पक्षी के १. पांव को, २. पार्श्वभाग को, (पंख को) ३. पूंछ को या ४. मस्तक को पकड़ कर संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८४. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी जाति के पशु या पक्षी के श्रोत अर्थात् अपानद्वार या योनिद्वार में काष्ठ, खपच्ची, अंगुली या बंद आदि की शलाका प्रविष्ट करके संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८५. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी जाति के पशु या पक्षी को "यह स्त्री है" ऐसा जानकर उसका आलिगन (शरीर के एक देश का स्पर्श) करता है, परिप्वजन (पूरे शरीर का स्पर्श) करता है, मुख का चुंबन करता है या नख आदि से एक बार या अनेक बार छेदन करता है या आलिगन आदि करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—आलिगन आदि प्रवृत्तियां मोहकर्म के उदय से होती हैं । आचारंगसूत्र श्रु. २, अ. ९ में भी इस प्रकार का पाठ है । वहाँ एकांत में स्वाध्यायस्थल पर गये साधुओं द्वारा परस्पर ऐसी प्रवृत्तियां करने का निषेध किया है ।

अनेक प्रतियों में "विच्छिदेज्ज" शब्द नहीं है, जो लिपि दोष से या भ्रम से नहीं निघा गया है । किन्तु चूणिकार के सामने यह शब्द रहा होगा तथा आचारंगसूत्र में तो यह शब्द है ही, यथा—

“नो अण्णमण्णस्स कायं आलिगेज्ज वा विलिगेज्ज वा, चुंवेज्ज वा, दंतेहि वा, गहेहि वा आधिदेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा ।”

अतः यहाँ पर सभी शब्द मूल पाठ में रहे हैं । आलिगन आदि क्रियाएँ केवल मोह वग की जाती हैं, जब कि तत्र आदि से छेदन क्रिया मोह एवं कपाय वग भी की जाती है ।

भक्त-पान श्रादान-प्रदान-प्रायश्चित्त—

८६. जे भिक्खू भाउग्गामस्स मेहुणयडियाए अत्तणं वा, पाणं वा, च्छाइमं वा साइमं वा वेद, देतं वा साइज्जइ ।

८७. जे भिक्खू नाउग्गामस्स मेहुणयडियाए अत्तणं वा, पाणं वा, च्छाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

८८. जे भिक्खू भाउग्गामस्स मेहुणयडियाए वत्थं वा पडिगाहं वा कंबलं वा पायपुंछणं वा वेद, देतं वा साइज्जइ ।

८९. जे पियवू भाउग्गामस्स मेहुणयडियाए वत्थं वा, पडिगाहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिगाहेइ, पडिगाहावेतं वा साइज्जइ ।

८६. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंधुन सेवन के संकल्प में उसे श्रयान पान घ्राण या स्वाद्य देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८७. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंधुन सेवन के संकल्प में उससे श्रयान पान घ्राण या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंधुन सेवन के संकल्प में उसे वहन, पान, कंबल या पादप्रोक्षण देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८९. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंधुन सेवन के संकल्प में उससे वहन पान कंबल या पादप्रोक्षण ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है ।)

वाचना देने-लेने का प्रायश्चित्त—

९०. जे भिक्खू भाउग्गामस्स मेहुणयडियाए सज्जायं वाएइ, वाएतं वा साइज्जइ ।

९१. जे भिक्खू भाउग्गामस्स मेहुणयडियाए सज्जायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

९०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंधुन सेवन के संकल्प में सूत्रार्थ की वाचना देता है या वाचना देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंधुन सेवन के संकल्प में सूत्रार्थ की वाचना लेता है या वाचना लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है ।)

विकारवर्धक आकार बनाने का प्रायश्चित्त—

९२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णघरेणं इंदिएणं आकारं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

९२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी इन्द्रिय से अर्थात् आंख, हाथ आदि किसी भी अंगोपांग से किसी भी प्रकार के आकार को बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन ९२ सूत्रों में कहे गये दोषस्थानों का सेवन करने को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—आकारों का वर्णन भाष्य में इस प्रकार है—आंख से इशारा करना, रोमांचित होना, शरीर को कंपित करना, पसीना आना, दृष्टि या मुख (चेहरा) रागयुक्त करना, निश्वास छोड़ते हुए योलना, बार-बार बातें करना, बार-बार उवासी लेना इत्यादि ।

सातवें उद्देशक का सारांश

१-१२ मैथुनसेवन के संकल्प से अनेक प्रकार की मालाएँ, अनेक प्रकार के कड़े, अनेक प्रकार के आभूषण व अनेक जाति के चर्म व वस्त्र बनाना, रखना या पहनना ।

१३ मैथुनसेवन के संकल्प से स्त्री के अंगोपांग का संचालन करना ।

१४-६७ मैथुन के संकल्प से शरीरपरिकर्म के ५४ बोल परस्पर करना ।

६८-७९ स्त्री को पृथ्वीकाय, अष्फाय, वनस्पतिकाय व त्रसकाय की विराधना के स्थानों पर बिठाना या मुलाना, गोद में या धर्मशाला आदि स्थानों में बिठाना, मुलाना या आहार करना ।

८०-८२ मैथुनसेवन के संकल्प से चिकित्सा करना, शरीर आदि की शुद्धि करना, शरीर आदि को सजाना ।

८३-८५ पशु-पक्षी के अंगोपांग का संचालन करना, उनके स्रोतस्थानों में काष्ठादि प्रविष्ट करना तथा उनका संचालन करना, उनकी स्त्री जाति का आलिंगन करना ।

८६-९१ स्त्री को आहार व वस्त्रादि देना-लेना तथा उनसे सूत्रार्थ लेना-या उनको सूत्रार्थ देना ।

९२ अपने शरीर के किसी अवयव से कामचेष्टा करना ।

इत्यादि प्रवृत्तियों का गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

उपसंहार—चतुर्थ महाअत व उसकी सुरक्षा के लिए आगमों में अनेक विधान हैं, फिर भी इस उद्देशक के ९२ सूत्रों में जो प्रायश्चित्त कहे गये हैं, एमे स्पष्ट निषेध ग्रन्थ आगमों में नहीं हैं । यह इस उद्देशक की विशेषता है ।

“नो अण्णमण्णस्स कायं आलिगेज्ज वा विालिगेज वा, चुंवेज्ज वा, दंतेहि वा, णहेहि वा आरिच्छेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा ।”

अतः यहां पर सभी शब्द मूल पाठ में रखे हैं । आलिगन आदि क्रियाएं केवल मोह वश की जाती हैं, जब कि नख आदि से छेदन क्रिया मोह एवं कपाय वश भी की जाती है ।

भक्त-पान आदान-प्रदान-प्रायश्चित्त—

८६. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

८७. जे भिक्खू नाउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

८८. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायपुंछणं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

८९. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहावेतं वा साइज्जइ ।

८६. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से उसे अशन पान खाद्य या स्वाद्य देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८७. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से उससे अशन पान खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८८. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से उसे वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोक्षण देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८९. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से उससे वस्त्र पात्र कंबल या पादप्रोक्षण ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

वाचना देने-लेने का प्रायश्चित्त—

९०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए सज्जायं घाएइ, याएतं वा साइज्जइ ।

९१. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए सज्जायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

९०. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सूत्रार्थ की वाचना देता है या वाचना देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९१. जो भिक्षु स्त्री के साथ मंथुन सेवन के संकल्प से सूत्रार्थ की वाचना लेता है या वाचना लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विकारवर्धक आकार बनाने का प्रायश्चित्त—

९२. जे भिबखू माउग्गामस्स मेहुणवडिद्याए अणुधरेणं इंदिएणं आकारं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।

९२. जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी इन्द्रिय से अर्थात् आंख, हाथ आदि किसी भी अंगोपांग से किसी भी प्रकार के आकार को बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन ९२ सूत्रों में कहे गये दोषस्थानों का सेवन करने को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—आकारों का वर्णन भाष्य में इस प्रकार है—आंख से इशारा करना, रोमांचित होना, शरीर को कपित करना, पसीना आना, दृष्टि या मुख (चेहरा) रागयुक्त करना, निश्वास छोड़ते हुए बोलना, बार-बार बातें करना, बार-बार उवासी लेना इत्यादि ।

सातवें उद्देशक का सारांश

१-१२ मैथुनसेवन के सकल्प से अनेक प्रकार की मालाएँ, अनेक प्रकार के कड़े, अनेक प्रकार के आभूषण व अनेक जाति के चर्म व वस्त्र बनाना, रखना या पहनना ।

१३ मैथुनसेवन के सकल्प से स्त्री के अंगोपांग का संचालन करना ।

१४-६७ मैथुन के संकल्प से शरीरपरिकर्म के ५४ बोल परस्पर करना ।

६८-७९ स्त्री को पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पतिकाय व त्रसकाय की विराधना के स्थानों पर बिठाना या सुलाना, गोद में या धर्मशाला आदि स्थानों में बिठाना, सुलाना या आहार करना ।

८०-८२ मैथुनसेवन के संकल्प से चिकित्सा करना, शरीर आदि की शुद्धि करना, शरीर आदि को सजाना ।

८३-८५ पशु-पक्षी के अंगोपांग का संचालन करना, उनके स्रोतस्थानों में काष्ठादि प्रविष्ट करना तथा उनका संचालन करना, उनकी स्त्री जाति का आलिंगन करना ।

८६-९१ स्त्री को आहार व वस्त्रादि देना-लेना तथा उनसे सूर्यार्थ लेना या उनको सूर्यार्थ देना ।

९२ अपने शरीर के किसी अवयव से कामचेष्टा करना ।

इत्यादि प्रवृत्तियों का गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

उपसंहार—चतुर्थ महाव्रत व उसकी मुरक्षा के लिए आगमों में अनेक विधान हैं, फिर भी इस उद्देशक के ९२ सूत्रों में जो प्रायश्चित्त कहे गये हैं, ऐसे स्पष्ट निषेध अन्य आगमों में नहीं हैं । यह इस उद्देशक की विशेषता है ।

इन छठे व सातवें उद्देशकों में केवल मंथुनसेवन के संकल्प से किये गये कार्यों के ही प्रायश्चित्त कहे गए हैं, अतः इनके अध्ययन-अध्यापन में विशेष विवेक रखना चाहिए ।

इस उद्देशक में मंथुन के संकल्प से मचित्त भूमि पर बैठने आदि प्रवृत्तियों के प्रायश्चित्त बड़े हैं । किन्तु मंथुन का संकल्प न होते हुए भी वे प्रवृत्तियाँ संयमजीवन में अकल्पनीय हैं । उनके प्रायश्चित्त ग्यारहवें उद्देशक में कहे गए हैं । इस प्रकार छठे-सातवें उद्देशक के अन्य अनेक विषयों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

॥ सातवां उद्देशक समाप्त ॥

आठवां उद्देशक

अकेली स्त्री के साथ संपर्क करने के प्रायश्चित्त—

१. जे भिबखू आगंतारंसि वा, आरामागारंसि वा, गाहावइकुलंसि वा, परियावसहंसि वा, एगो एगित्यिए सद्धि विहारं वा करेइ, सज्जाप्यं वा करेइ, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, आहारेइ, उच्चारं वा, पासवणं वा परिट्ठवेइ, अण्णयरं वा अणारियं णिट्ठुरं असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिबखू उज्जाणंसि वा, उज्जाणगिहंसि वा, उज्जाणसालंसि वा, णिज्जाणंसि वा, णिज्जाणगिहंसि वा, णिज्जाणसालंसि वा एगो एगित्यिए सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिबखू अट्टंसि वा, अट्टात्तर्यंसि वा, चरियंसि वा, पागारंसि वा, वारंसि वा गोपुरंसि वा एगो एगित्योए सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिबखू दग-मगंसि वा, दग-पहंसि वा, दग-त्तीरंसि वा, दग-ठाणंसि वा एगो एगित्यिए सद्धि विहारं वा करेइ, जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

५. जे भिबखू सुण्णगिहंसि वा, सुण्णसालंसि वा, भिण्णगिहंसि वा, भिण्णसालंसि वा, कूडागारंसि वा, कोट्ठागारंसि वा एगो एगित्योए सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

६. जे भिबखू तणगिहंसि वा, तणसालंसि वा, तुसगिहंसि वा, तुससालंसि वा, भुसगिहंसि वा, भुससालंसि वा एगो एगित्योए सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

७. जे भिबखू जाणसालंसि वा, जाणगिहंसि वा, वाहणगिहंसि वा, वाहणसालंसि वा एगो एगित्योए सद्धि विहारं वा करेइ, जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

८. जे भिबखू पणियगिहंसि वा, पणियसालंसि वा, कुवियगिहंसि वा, कुवियसालंसि वा, एगो एगित्योए सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिबखू गोणसालंसि वा, गोणगिहंसि वा, महाकुलंसि वा, महागिहंसि वा एगो एगित्योए सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

१ जो भिक्षु १. धर्मशाला में, २. उद्यानगृह में, ३. गृहस्थ के घर में या ४. परिव्राजक के आश्रम में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है, स्वाध्याय करता है, अन्न, पान, पाच या स्वाद्य वा आहार करता है, उच्चार-प्रस्रवण परठता है या कोई साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु १. नगर के समीप ठहरने के स्थान में, २. नगर के समीप ठहरने के गृह में, ३. नगर के समीप ठहरने की शाला में, ४. राजा आदि के नगर, निर्गमन के समय में ठहरने के स्थान में, ५. घर में, ६. शाला में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु १. प्राकार के ऊपर के गृह में, २. प्राकार के भरोषे में, ३. प्राकार व नगर के बीच के मार्ग में, ४. प्राकार में, ५. नगरद्वार में या ६. दो द्वारों के बीच के स्थान में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु १. जलाशय में पानी छाने के मार्ग में, २. जलाशय से पानी ले जाने के मार्ग में, ३. जलाशय के तट पर, ४. जलाशय में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु १. शून्यगृह में, २. शून्यशाला में, ३. खण्डहरगृह में, ४. खण्डहरशाला में, ५. भौंपट्टी में, ६. धान्यादि के कौठार में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु १. तृणगृह में, २. तृणशाला में, ३. शालि आदि के तुपगृह में, ४. तुपशाला में, ५. मूंग उड़द आदि के भुनगृह में, ६. भुसशाला में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु १. यानगृह में, २. यानशाला में, ३. वाहनगृह में या ४. वाहनशाला में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु १. विक्रयशाला (दुकान) में, २. विक्रयगृह (हाट) में, ३. घूने आदि बनाने की शाला में या ४. घूना बनाने के गृह में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु १. गोशाला में, २. गौगृह में, ३. महाशाला में या ४. महागृह में अकेला, अकेली स्त्री के साथ रहता है यावत् साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उमें गुरुचीमामी प्रायश्चित्त घाता है ।)

वियेचन—एन सभी मूर्खोक्त म्यानों में तथा अन्य किसी भी स्थान में साधु को अकेली स्त्री

के साथ बातचीत करना, खड़े रहना आदि नहीं करना चाहिये । स्त्रीससर्ग को दशवैकालिक सूत्र में तालपुटविप की उपमा दी गई है और शतायु स्त्री के साथ भी संसर्ग करने का निषेध किया गया है । भाष्य में कहा है—

अवि मायरं पि सद्धि, कहा तु एगागियस्स पडिसिद्धा ।

किपुण अणारियादि, तरुणित्थीहिं सहगयस्स ॥२३४४॥

चूर्ण—“माइभगिणिमादीहिं अगममित्थीहिं सद्धि एगागियस्स धम्मकहा वि काउं णं वट्टति ।

किं पुण अण्णाहिं तरुणित्थीहिं सद्धि ।”

भावार्थ— वृद्ध माता या वहिन आदि यदि झकेली हो तो उसके साथ धर्मकथा भी करना नहीं कल्पता है तो तरुण व अन्य स्त्री के साथ अन्य कथा करने का निषेध तो स्वतः ही सिद्ध है ।

विशिष्ट शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है—

१. विहारं करेइ—यहा विहार का अर्थ साथ में रहना है । अतः ग्रामानुग्राम विहार करना

अर्थ यहां नहीं समझना चाहिये ।

२ उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठवेइ—‘वियारभूमि गच्छति ।’

३. अणारियं आदि—‘अणारिया—कामकहा, निरंतरं वा अप्रियं कहं कहेति—कामणिट्ठुर-कहाओ, एता चेव असमणपाओग्गा ।’

४. उज्जाणं—‘जत्थ लोगा उज्जाणियाए वच्चति, जं वा ईसि नगरस्स उवकंठं ठियं तं उज्जाणं । ‘नगरात् प्रत्यासन्नवर्तियानवाहनक्रीडागुहादि ।’ —रायप्पसेणिय सूत्र टीका ॥

५. णिज्जाणं—रायादियाण निग्गमणठाणं णिज्जाणिया, णगरनिग्गमे जं ठियं तं णिज्जाणं । एतेसु चेव गिहा कया—उज्जाण-णिज्जाण-गिहा ।’

६ अट्टंसि—प्रासादस्योपरिगृहे, प्राकारोपरिस्थसैन्यगृहे च ।

७. अट्टालयंसि—प्राकारोपरिवर्ति-आश्रयविशेषः । ‘प्राकारकोटकोपरिवर्तिमंदिरः ।’ नगरे पागारो, तस्सेव देसे अट्टालगो । ‘युद्ध करने के दुर्जं’

८. चरियंसि—‘नगरप्राकारपोरंतरे अट्टहस्तप्रमाणमार्गः ।’ पागारस्स अहो अट्टहत्थो रहमगो—चरिया ।

९. गोपुरं—प्रतोलिकाद्वारः । उतरा. अ. ९ ॥ ‘बलाणं दारं दो बलाणगा पागारपडिबद्धा, ताण अंतरं गोपुरं ।’

१०. तण-तुस-भुस—‘दम्भादि तणठाणं अधोपगासं तणसाला, सालिमादितुसट्टाणं तुससाला मुग्गमादियाणं भुसा ।

११. जाण-जुग 'जुगादि जाणणं अकुट्टा साला सकुट्टं गिहं । अस्सादिवाण याहणा ताणं साला गिहं वा ।'

१२. परिव्यागा—'पासंडिणो परिव्यागा तेसि आवसहो साला गिहं ।' भाष्य गाथा २४२६ व २४२८ में तथा चूर्णि में भी इस शब्द को व्याख्या की है । जब कि प्रथम सूत्र में 'परियावसहेगु' श्राया है अतः पुनः कवन की आवश्यकता नहीं लगती है ।

१३. कुवियं—भाव्यकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है । चूर्णिकार ने इस शब्द की जगह 'कम्मिय माना' की व्याख्या की है । अन्यत्र "कुविय" शब्द का अर्थ लोहे आदि के उपकरण बनाने की शाला होता है । चूर्णि में—'छुहादि जत्थ कम्मविज्जंति सा कम्मंतशाला गिहं वा' इस प्रकार व्याख्या की गई है ।

१४. महागिहं—महंते गिहं महागिहं = बड़ा घर या प्रधान घर ।

१५. महाकुलं—'इमकुलादि' 'बहुजणाइणं' ।

इन स्थानों के अनिश्चित स्थानों का अर्थान्त् उपाश्रय आदि का ग्रहण भी उपलक्षण से समझ लेना चाहिये ।

उत्तरा. घ. १ गा. २६ में भी अनेक स्थानों में अकेली स्त्री के साथ अकेले भिक्षु को छोड़े रहने का एवं वार्तालाप करने का निषेध किया है । अतः अन्य स्त्री या पुरुष पान में हो तो ही भिक्षु स्त्री से वार्तालाप कर सकता है । अकेली स्त्री से भिक्षा लेने का एवं दर्शन करने उपाश्रय में आ जाय तो उसे मंगल पाठ मुनाने का निषेध नहीं समझना चाहिये ।

स्त्रीपरिषद् में रात्रि-कथा करने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भिक्खू राओ वा, विवाले वा, इत्थिमज्जाणए, इत्थिसंमत्ते इत्थि-परियुट्ठे अपरिमाणाए क्हं कहेइ, कहेत्तं वा साइज्जइ ।

अर्थ—जो भिक्षु रात्रि में या मध्याह्नल में १. स्त्री परिषद् में, २. स्त्रीयुक्त परिषद् में, ३. स्त्रियों में घिरा हुआ अपरिमित कथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुत्वोपार्जनी प्रायश्चित्त आना है ।)

विवेचन—भागर्मां में स्त्री-संसर्ग का निषेध होते हुए भी स्त्रियों को धर्मकथा कहने का सर्वथा निषेध नहीं किया है । अकेला साधु और अकेली स्त्री हो तो धर्मकथा आदि का निषेध अन्य सूत्रों में तथा उपर्युक्त सूत्रों में हुआ है । अनेक स्त्रियों या अनेक साधु हों तो उसका निषेध नहीं है । परन्तु अनेक स्त्रियां ही या पुरुष युक्त स्त्रियां हों तो दिन में धर्मकथा कहा जा सकती है । फिर भी धर्म, योग्यता व गुरु की आज्ञा लेने का विवेक रखना आवश्यक है ।

प्रस्तुत सूत्र में रात्रि में धर्मकथा करने का निषेध किया गया है । अतः रात्रि में केवल स्त्री परिषद् ही या पुरुष युक्त स्त्रीपरिषद् ही तो भी धर्मकथा नहीं कहनी चाहिये ।

अपरिमाणाए—

भिक्षाचरी आदि के लिये गया हुआ साधु गृहस्थ के घर में धर्मकथा नहीं कह सकता है। किन्तु अत्यावश्यक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दे सकता है—वृहत्कल्प उद्देशक ३। इसी आशय से यहां भी 'अपरिमाणाए' शब्द का प्रयोग सूत्र में किया गया है। भाष्यचूर्ण आदि में भी इसी आशय का कथन है।

भाष्यगाथा—'इत्थीणं मज्झम्मि, इत्थीसंसत्ते परिवुडे ताहि।

चउ पंच उ परिमाणं, तेण परं कहंत आणादी ॥२४३०॥

'परिमाणं जाव तिण्ण चउरो पंच वा वागरणानि, परतो छट्ठादि अपरिमाणं।'

यहां तीन, चार या पांच पृच्छा या गाथा का कथन परिमित कहा गया है। छ पृच्छा आदि को अपरिमाण कहा है।

भिक्षा ले लेने के बाद गृहस्थ के घर में खड़े रहने का निषेध वृहत्कल्प में किया गया है, किन्तु आपवादिक स्थिति में वृहत्कल्प सूत्र के अनुसार संक्षिप्त उत्तर देने का विधान भी है। अतः इस सूत्र में 'अपरिमाणाए' शब्द से आपवादिक कथन ही समझना चाहिये।

साधु के लिये अन्य कथा या विकथा तो सर्वथा निषिद्ध है ही अतः यहां कथा से धर्मोपदेश आदि करना ही अपेक्षित है। यदि उचित प्रतीत हो तो रात्रि में उक्त परिपद में संक्षिप्त धर्मकथा या प्रश्न का उत्तर कह सकता है, परिमाण उल्लंघन होने पर ही गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।

निर्ग्रंथी से संपर्क करने का प्रायश्चित्त—

११. जे भिक्खू समाणिच्चियाए वा, परगणिच्चियाए वा, णिग्गंथीए सद्धिं गामानुगामं वुइज्जमाणे पुरओ गच्छमाणे, पिट्ठओ रीयमाणे, ओहयमणसंकप्पे चिता-सोयसागरसंपविट्ठे, करयत्त-पल्हत्थमुहे, अट्टज्जाणोवगए, विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ।

अर्थ—जो भिक्षु स्वर्गण की या अन्य गण की साध्वी के साथ आगे या पीछे ग्रामानुग्राम विहार करते हुए संकल्प-विकल्प करता है, चितागुर रहता है, शोक-सागर में डूबा हुआ रहता है, हथेली पर मुंह रखकर आर्तध्यान करता रहता है यावत् साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

(उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—धर्मकथा या गोचरी के सिवाय जिस तरह स्त्री के साथ संपर्क या परिचय निषिद्ध है उसी तरह साध्वी के साथ भी साधु को स्वाध्याय, सूत्रार्थ वाचन के सिवाय सम्पर्क करना भी निषिद्ध समझना चाहिये।

साधारणतया साधु साध्वी को एक दूसरे के स्थान (उपाश्रय) में बैठना या खड़े रहना आदि भी निषिद्ध है—वृहत्कल्प उद्देशा ३, सू. १-२।

प्रस्तुत सूत्र में साधु साध्वी के साथ विहार का और अतिमम्पर्क का निर्देश करके प्रायश्चित्त कहा गया है।

प्रापवादिक स्थिति में साधु-साध्वी एक दूसरे की अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं और परस्पर आलोचना प्रायश्चित्त भी कर सकते हैं। किन्तु उत्सर्ग रूप से वे परस्पर सेवा एवं आलोचनादि भी नहीं कर सकते—अध्वहार मूत्र उद्देश-५।

अतः साधु-साध्वी परस्पर सेवा आदि का सम्पर्क प्रापवादिक स्थिति में ही रहें तथा आवश्यक वाचना आदि का आदान-प्रदान करें। इसके अतिरिक्त परस्पर सम्पर्क-वृद्धि नहीं करें। यही जिनाज्ञा है।

उपाश्रय में रात्रि स्त्रीनिवास प्रायश्चित्त—

१२. जे भिखू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा अंतो उवस्तपस अद्धं वा राइं, कसिणं वा राइं संवसावेइ, संवसावेंतं वा साइज्जइ।

अर्थ—जो भिक्षु स्वजन या परजन की, उपासक या अन्य की स्त्री को उपाश्रय के अन्दर अर्द्ध रात्रि या पूर्ण रात्रि तक रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त प्राप्ता है।)

विवेचन—मूत्र में “स्त्री” या “पुरुष” का स्पष्ट कथन नहीं है, प्रसंगजन स्त्री के रखने का ही प्रायश्चित्त समझना चाहिये। भाष्यचूणि में भी कहा है कि—

“इमं पुण सुत्तं इत्थि पडुच्च” यह मूत्र स्त्री की अपेक्षा से है।

गाया—इत्थि पडुच्च सुत्तं, सहिरण्ण समोयणे य आवासे।

जइ नित्संगय जे वा भेट्ठण निसिमोमणं कुज्जा ॥२४६९॥

अर्द्ध वा राई—अर्द्ध राईए दो जामा, ‘वा’ विकल्पेण एगं जामं। नउरो जामा कसिणा राई ‘वा’ विकल्पेण तिण्णी जामा। अर्द्ध एव का अर्थ प्राची रात न करके अपूर्ण रात्रि भी किया जा सकता है। उत्तराध्ययन मूत्र अ. ३८ में “मुहुत्तद्धं” एव है। उनका अर्थ केवल प्राणा मुहुत्त ही नहीं है अपितु मुहुत्त से कम भी हो सकता है। तदनुसार यहाँ भी संपूर्ण रात्रि के अतिरिक्त कम ज्यादा रात्रि का भी ग्रहण हो सकता है। अतः इस मूत्र का भावार्थ यह है कि रात्रि में अल्प वा अधिक समय स्त्री को उपाश्रय में रने तो प्रायश्चित्त प्राप्ता है।

संवसावेइ—“रखना” दो तरह से हो सकता है १. रहने के लिए कहना २. रहते हुए को मना नहीं करना। अतः रात्रि में उपाश्रय के अन्दर स्त्री को रहने के लिये कहना नहीं और बिना बड़े कोई भी जावे और रहना चाहे तो उसे मना कर देना चाहिये। ‘मना नहीं करना’ भी रहने देना ही होता है। अतः रहने का कहे या मना नहीं करे तो भी “संवसावेइ” कथन से प्रायश्चित्त प्राप्ता है।

उक्त व्याख्या के कारण कई प्रतिभों में मना नहीं करने का स्वतन्त्र मूत्र भी धन्य मित्वा है। किन्तु उसकी वाक्यरचना अशुद्ध प्रतीत होती है। अतः यह मूत्र प्रशिक्ष ही प्रतीत होता है। क्योंकि इस स्त्रीमुक्त मूत्र में ही विषय को प्रति ही जाती है। प्रसंगित चूणि के मूल पाठ में यह मूत्र नहीं है।

स्त्री के साथ रात्रि में गमनागमन करने का प्रायश्चित्त —

१३. जे भिखू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा, अंतो उवस्सयस्स अद्धं वा राइं, कस्सिणं वा राइं संवसावेइ, तं पडुरुच णिवखमइ वा, पविसइ वा, णिवखमंतं वा, पविसंतं वा साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु स्वजन या परजन (अन्य), उपासक या अन्य किसी भी स्त्री को अर्द्धरात्रि या पूर्णरात्रि उपाश्रय के अन्दर रखता है या उसके निमित्त गमनागमन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पूर्व सूत्र में स्त्री के रखने का प्रायश्चित्त कहा है । तदनन्तर कहे गए इस सूत्र का भाव यह है कि साधु स्त्री को न रखे और मना करने पर भी यदि कोई स्त्री वहाँ परिस्थितिवश रह जाये तो रात्रि में शारीरिक बाधा से वह बाहर जावे तो उसके निमित्त उसके साथ जाना-आना नहीं करना चाहिए ।

साथ जाने-आने में दो कारण हो सकते हैं—१. स्त्री को भय लगता हो, २. अथवा साधु को भय लगता हो ।

रात्रि में उनके साथ बाहर जाने-आने में अनेक प्रकार के दोषों की एवं आशंकाओं की सम्भावना रहती है ।

मूर्द्धाभिषिक्त राजा के महोत्सवादि स्थलों से आहारग्रहण करने का प्रायश्चित्त —

१४. जे भिखू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं, १. समवाएसु वा, २. पिंडनियरेसु वा, ३. इंदमहेसु वा, ४. खंदमहेसु वा, ५. रुद्धमहेसु वा, ६. मुगुंदमहेसु वा, ७. भूयमहेसु वा, ८. जवखमहेसु वा, ९. णागमहेसु वा, १०. यूभमहेसु वा, ११. चेदयमहेसु वा, १२. रुक्खमहेसु वा, १३. गिरिमहेसु वा, १४. दरिमहेसु वा, १५. अगडमहेसु वा, १६. तडागमहेसु वा, १७. दहमहेसु वा, १८. णइमहेसु वा, १९. सरमहेसु वा, २०. सागरमहेसु वा, २१. आगारमहेसु वा, अण्यरेसु वा, तहप्पगारेसु विरुवह्वेसु महामहेसु असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिखू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं उत्तरसालंसि वा, उत्तरगिहंसि वा, रीयमाणानं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिखू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं १. ह्यसाला-गयाण वा, २. गय-सालागयाण वा, ३. मंतसालागयाण वा, ४. गुज्जसालागयाण वा, ५. रहस्ससालागयाण वा, ६. नेह्णसालागयाण वा असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिखू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं सण्णिहिसण्णिचयाओ घोरें वा,

दहिं वा, णवणोयं वा, सपिं वा, गुलं वा, चंडं वा, सक्करं वा, मच्छंडियं वा, अण्णवरं भोयणजायं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिक्षु रण्णो छत्तिपाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं उस्तट्ठ-पिंडं वा, संसट्ठ-पिंडं वा, अणाह-पिंडं वा, षणोमग-पिंडं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आयज्जइ चाउम्मासियं परिहारठाणं अणुग्घाडियं ।

१४. जो भिक्षु मूर्द्धाभिपिक्त शुद्धवंशीय क्षत्रिय राजा के—१. मेले घादि में, २. पितृभोज में, ३. इन्द्र, ४. कातिकेय, ५. ईश्वर, ६. बलदेव, ७. भूत, ८. यक्ष, ९. नागकुमार, १०. स्तूप, ११. चैत्य, १२. वृक्ष, १३. पर्वत, १४. गुफा, १५. कुआ, १६. तालाब, १७. हृद, १८. नदी, १९. सरोवर, २०. समुद्र, २१. पान इत्यादि किसी प्रकार के महोत्सव में तथा अन्य भी इसी प्रकार के अनेक महोत्सवों में उनके निमित्त से बना अन्न, पान, घाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु श्रेष्ठ कुलोत्पन्न मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा जब उत्तरगाना या उत्तरगृह (मंडप) में रहता हो तब उसका अन्न, पान, घाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु १. अथवसाना, २. हस्तिगाना, ३. मंत्रणागाना, ४. गुप्तागाना, ५. गुप्त-विचारणागाना या ६. मंथुनगाना में गये हुए श्रेष्ठ कुलोत्पन्न मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के अन्न, पान, घाद्य या स्वाद्य को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु श्रेष्ठ कुलोत्पन्न मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के विनासी द्रव्यों या अविनासी द्रव्यों के संग्रहस्थान से दूध, दही, मक्खन, घृत, गुठ, घांठ, शक्कर या मिनो तथा अन्य भी कोई घाद्य पदार्थ ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु श्रेष्ठ कुलोत्पन्न मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के १. उत्तृष्ठापट, २. भुक्तियजेप-पिठ, ३. अनापपिठ या ४. वनीपकपिठ, (भिप्यारीपिठ) को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उपभृत् १४ से १८ सूत्रों में कहे गये दोषस्थान को सेवन करने पर गुरुभोगाती प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

विधेय- इच्छे उद्देशक से लेकर इस उद्देशक के १३वें सूत्र तक सर्वो गम्यग्रा प्रायश्चित्तों का कथन निरन्तर हुआ है । उनका गुरुभोगाती प्रायश्चित्त प्राप्ता है । सूत्र १४ से घाटवें उद्देशक के पूर्ण होने तक और मंपूर्ण नवम उद्देशक में अनेक प्रकार के राजपिठ तथा राजा से संबंधित अनेक प्रसंगों के प्रायश्चित्त कहे गये हैं ।

यहां राजा के लिए तीन विधेयों का प्रयोग है, जिनका संक्षिप्त अर्थ है—'बहुत बड़े राजा' प्रत्येक शब्द का अर्थ इस प्रकार है—

१. मुदिय—शुद्धवंशीय,

२ मुद्राभिसिक्त—अनेक राजाओं के मस्तक जिसे भुक्तते है अर्थात् अनेक राजाओं द्वारा अभिषिक्त अथवा माता-पिता के द्वारा अभिषिक्त ।

३. रण्णो खत्तियारणं—ऐसा क्षत्रिय राजा । अनेक राजाओं द्वारा या माता-पिता आदि के द्वारा अभिषिक्त शुद्धवंशीय क्षत्रिय राजा । ये तीनों विशेषण केवल स्वरूपदर्शक व महत्त्व बताने के लिये कहे गये है । अतः बहुत बड़े राजा की अपेक्षा ही इन शब्दों का प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिये ।

तात्पर्य यह है कि मूर्द्धाभिषिक्त बड़े राजा का आहार आदि २४वें तीर्थंकर के शासन में साधु-साध्वियों को ग्रहण करना नहीं कल्पता है । अतः इसमें जागीरदार, ठाकुर आदि का निषेध नहीं समझना चाहिये ।

१ समवायसु—समवायो—गोष्ठीनां मेलापकः, वणिजादिनां संघातः । राजेन्द्र कोश ।

समवायो मेलकः—संखच्छेद श्रेण्यादेः । —आचा. श्रु. २, अ. १, उ. २ ।

समवायो गोद्वी भक्तं । —चूर्णि ।

२ पिडनिग्रसेसु—पितृपिडं मृतकभक्तमित्यर्थः । —आचा. १ पिडनिग्रो दाइभक्तं, पितृपिड-पदानं—(पितृपिडप्रदान) वा पिडनिग्रो । —चूर्णि ।

३. रुद्र—भागिण्यो रुद्रः । रुद्रः भिवः । आचारांग में इसका अर्थ ईश्वर किया है ।

राजेन्द्र कोश में “महादेव-महेश्वर” कहकर उसकी उत्पत्ति का विस्तृत कथानक किया है ।

४. मुकुंद—मुकुंदो बलदेवः । —चूर्णि । वासुदेव महोत्सवः ।—भग श. ९, उ. ३३

५. चेइय—चेइयं-देवकुलं ।

६. सर—खुदाई किये बिना स्वतः निष्पन्न जलाशय-तालाव ।

७. तडाग—खुदाई करके तैयार किया गया तालाव ।

अनेक प्रकार के महोत्सव अनेक निमित्तों से भिन्न-भिन्न काल में प्रारम्भ कर दिये जाते हैं तथा लम्बे काल तक उस निश्चित तिथि में चलते रहते हैं ।

राजा की तरफ से इन महोत्सवों में बनाया गया आहार ग्रहण करने पर भिक्षु को गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है । ऐसे स्थलों में जाने पर अनेक दोषों की संभावना रहती है तथा राजा का प्रसन्न होना या नाराज होना दोनों ही स्थितियां अनेक दोषों का निमित्त हो सकती हैं । अतः ऐसे स्थलों में भिक्षा के लिये नहीं जाना चाहिये ।

सूत्र १५-१६. में कार्यवंश कहीं अन्यत्र गये हुए राजा के विभिन्न स्थानों का निर्देश किया गया है । उन स्थानों पर राजा के लिये जो आहार बनता है, उसके ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा गया है । व्याख्याकार ने कहा है कि ये उदाहरण रूप में कहे गये हैं, अन्य भी इस तरह के स्थानों के सम्यन्ध में समझ लेना चाहिये ।

१. उत्तरशाला—‘जत्य य कीडापुव्वं गच्छति, तत्य णं वसति ते उत्तरशाला गिहा वत्तव्वा’ ‘अत्यानिगादिमंडयो उत्तरशाला, मूलगिहं असंबद्धं उत्तरगिहं ।’

सूत्र १८ में दान दिये जाने वाले आहार का कथन है ।

‘उत्सादट्टे’—काकादिभ्यः—प्रक्षेपणाय स्थापितं पिष्टे । उत्सादट्टे—उमिशयधम्मिण् ।

उपनन्द धनेक प्रतियों में “किविणपिष्टं” पाठ अधिक है । भाष्य, चूणि में उगकी व्याख्या नहीं की गई है तथा इस शब्द की यहाँ आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है । उगका आशय दानपिष्ट एवं वनोपकपिष्ट में गमित हो जाता है ।

आठवें उद्देशक का सारांश—

छट्टे, सानयें उद्देशक में मंथन के संकल्प से की गई प्रवृत्तियों के प्रायश्चित्त कहे हैं । आठवें उद्देशक में मंथनमेवने के संकल्प की निमित्त रूप स्त्री संबंधी प्रायश्चित्त का कथन है, बाद में राजपिष्ट से संबंधित प्रायश्चित्त कहे गये हैं ।

सूत्र १ में ९ तक—धर्मशाला आदि ४ में, उषानादि ४ में, अट्टालिका आदि ६ में, दगमार्ग आदि ४ में, शून्यगृह आदि ६ में, वृषगृह आदि ६ में, मानशाला आदि ४ में, दुकान आदि ४ में, गोशाला आदि ४ में धनेका माधु धनेकी स्त्री के साथ रहे, आहारदि करे, स्वाध्याय करे, स्थंडिलभूमि जाये या विकारोत्पादक वातालाप आदि करे ।

१०. रात्रि के समय स्त्रीपरिषद् में या स्त्री युक्त पुरुषपरिषद् में अपरिमित कथा करे ।

११. साध्वी के साथ विहार आदि करे या अति संपर्क रहे ।

१२-१३. उपाश्रय में स्त्री को रात्रि में रहने देवे, मना नहीं करे तथा उगके साथ बाहर घाना-जाना करे ।

१४. मूर्खानिषिक्त राजा के धनेक प्रकार के महोत्सवों में आहार ग्रहण करे ।

१५-१६. उत्तरशाता अथवा उत्तरगृह में तथा अश्वशाला आदि में आहार ग्रहण करे ।

१७. राजा के दूध-दही आदि के संग्रहस्थानों में आहार ग्रहण करे ।

१८. राजा के उत्सृष्टपिष्ट आदि—दान निमित्त स्थापित आहार को ग्रहण करे ।

इत्यादि प्रवृत्तियों का गुरुषोमासी प्रायश्चित्त भ्रान्ता है ।

उपसंहार—

इस उद्देशक के १४ सूत्रों के विषय का कथन निम्न भागमें में है, यथा—

स्त्रीसंसर्ग का निषेध दशर्व. प्र. ८, गा. ५२-५८, उत्तरा. प्र. १, गा. २६, अ. ३३, गा.

१३-१६ आदि धनेक भागमें स्थलों में है । उगी का कुछ स्पष्टीकरण य स्पननिर्देश युक्त, धर्मेण सूत्र १ में ९ में है ।

१. दशर्वकालिक प्र. ३ व आचारंगसूत्र श्रु. २, अ. १, उ. ३ में राजपिष्ट,

२. दशर्व. प्र. ५, गा. ४७ ने ५२ में दानपिष्ट,

३. आचारंगसूत्र श्रु. २, अ. १, उ. २ में सद्यो में बने भोजन का ग्रहण करना निषिद्ध है । इनका यहाँ सूत्र १४-१८ तक विस्तार पूर्वक प्रायश्चित्त कथन है । इस तरह १ में ९ व १४ में १८ कुल १४ सूत्रों में अन्य भागमें निर्दिष्ट विषयों का प्रायश्चित्त कथन है ।

इस उद्देशक के ४ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

शेष चार सूत्रों का विषय भी स्त्रीसम्पर्क के अन्तर्गत आ सकता है किन्तु कुछ विशेष कथन होने से उनका कथन अलग किया गया है ।

१०. रात्रि में स्त्रियो को तथा स्त्रियों सहित पुरुषों को धर्मकथा आदि नहीं कहना चाहिये और कहे तो प्रायश्चित्त आता है तथा कुछ अपवादों [छूट] का निर्देश भी हुआ है ।

११. साध्वियों के उपाश्रय में अनेक कार्यों के करने का निषेध बृहत्कल्प उद्देशक ३ में है किन्तु ग्रामानुग्राम विहार का तथा अन्य अनेक प्रवृत्तियों का निषेध और प्रायश्चित्त का कथन तो यही पर है ।

१२-१३—स्त्रीयुक्त स्थान में नहीं ठहरना ऐसा वर्णन अन्यत्र आता है किन्तु स्त्री साधु के स्थान पर रहना चाहे या रह जाये तो कैसा व्यवहार करना, इसका सूचन तथा प्रायश्चित्त का कथन इन दो सूत्रों में ही है ।

इस उद्देशक में कुछ कथन विशेषता युक्त हैं । इन के अतिरिक्त कुछ मौलिक विषयों का कथन तो अन्य आगमों में भी वर्णित है ।

॥ आठवां उद्देशक समाप्त ॥

नवम उद्देशक

राजविड-ग्रहण-प्रायश्चित्त—

१. जे भिक्षु रायविडं गिह्णइ, गिह्णंतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिक्षु रायविडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३. जो भिक्षु राजविड ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु राजविड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है । (उमें मुक्-चोमासो प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।)

विशेषण—राजविड षाठ प्रकार का होता है—१. अन्न, २. पान, ३. घास, ४. स्वाद्य, ५. वस्त्र, ६. पात्र, ७. कंबल, ८. पादप्रोच्छ्रत ।—भाष्य गाथा २५०० ।

प्रथम व अंतिम तीर्थंकर के शासन में राजविड निषिद्ध है । मध्यकालीन तीर्थंकरों के शासन में श्रीर महाविदेह क्षेत्र में निषिद्ध नहीं है ।

अंतःपुर-प्रवेश व भिक्षाग्रहण प्रायश्चित्त—

३. जे भिक्षु रायंतेपुरं पविसइ, पविसंतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिक्षु रायंतेपुरियं यदेज्जा "आउसो रायंतेपुरिए ! णो छल्लु अहं कप्पइ रायंतेपुरं निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा, इमं णं तुमं पडिगहं गहाय रायंतेपुराओ असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा अभिहं अहट्टु दलयाहि", जो तं एवं वपइ वयंतं वा साइज्जइ ।

५. जे भिक्षु नो यएज्जा रायंतेपुरिया यएज्जा "आउसंतो गमणा ! णो छल्लु तुमं कप्पइ रायंतेपुरं निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, आहरेयं पडिगहं अंतो अहं रायंतेपुराओ असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा अभिहं अहट्टु दलयाहि", जो तं एवं वपति पडिमुणइ, पडिमुणंतं वा साइज्जइ ।

३. जो भिक्षु राजा के अंतःपुर में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु राजा की अंतःपुरिका में बहे कि "हे धामुष्मता रायंतेपुरिके ! हमें राजा के अंतःपुर में प्रवेश करना या निकलना नहीं कल्पता है, इसलिए तुम यह पात्र लेकर राजा के अंतःपुर में मे अन्न, पान, घास या स्वाद्य यहां लाकर दे दो", जो उमको इस प्रकार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. यदि भिक्षु न बहे किन्तु अंतःपुरिका बहे कि "हे धामुष्मता भ्रमण ! तुमहें राजा के अंतः-

पुर में प्रवेश करना या निकलना नहीं कल्पता है, अतः यह पात्र मुझे दो। मैं पान, खाद्य वा स्वाद्य यहाँ लाकर दूँ” जो उसके इस प्रकार कहने पर उसे स्वीकार करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है

विवेचन—राजा का अंतःपुर तीन प्रकार का होता है—

१. जुष्णतेपुर—अपरिभोग्या-वृद्धा रानियों का अन्तःपुर।
२. नवतेपुर—परिभोग्या—युवा रानियों का अन्तःपुर।
३. कण्णतेपुर—अप्राप्त योवना—कन्या राजकुमारियों का अन्तःपुर।

रायतेपुरिया—चूर्णिकार ने इसका अर्थ “राजा की रानी” किया है। यह नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लिया है। दूसरा अर्थ है—‘दासी’

तीसरा अर्थ है—अंतःपुर का रक्षक, जो प्रायः द्वार के पास खड़ा रहता है। यह संगत है।

अतः ‘अंतेपुरिया’ का अर्थ है अंतःपुर में रहने वाला या अंतःपुर की रक्षा करने वाला इस अर्थभेद के कारण सूत्र नं. ५ के पाठ में भी कुछ विकल्प उत्पन्न हुए हैं, उनका निर्णय नहीं हो पाया है।

जहाँ स्त्री द्वारपालिका रहती है वहाँ स्त्रीलिंगवाची “जो तं एवं वदंती पड्डिमुणेइ” जहाँ द्वारपाल हो वहाँ पुल्लिंगवाची “जो तं एवं वदतं पड्डिमुणेइ” इस प्रकार दोनों पाठ शुद्ध हो सकते हैं या द्वारपाल से मंगवाकर राजपिंड ग्रहण करने में एपणादोपयुक्त, विपयुक्त, अभिमंत्रित या या अधिक आहार ग्रहण किया जा सकता है। अन्य भी अनेक दोषों के लगने की संभावना रहती

राजा का दानपिंड-ग्रहण प्रायश्चित्त—

६. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं, १. दुवारिय-भत्तं वा, २. पसु-भत्तं वा, ३. भयग-भत्तं वा, ४. बल-भत्तं वा, ५. कयग-भत्तं वा, ६. हय-भत्तं वा, ७. गय-भत्तं वा, ८. कंता-भत्तं वा, ९. दुम्भिवध-भत्तं वा, १०. दुकाल-भत्तं वा, ११. दमग-भत्तं वा, १२. गिलाण-भत्तं वा १३. बह्लिया-भत्तं वा, १४. पाहुण-भत्तं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ।

६. जो भिक्षु शुद्धवंशज मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के—
१. द्वारपालों के निमित्त बना भोजन,
२. पशुओं के निमित्त बना भोजन,
३. नौकरों के निमित्त बना भोजन,
४. सैनिकों के निमित्त बना भोजन,
५. दासों के निमित्त या कर्मचारियों के निमित्त बना भोजन,
६. घोड़ों के निमित्त बना भोजन,
७. हाथी के निमित्त बना भोजन,

८. घटयों के यात्रियों के निमित्त बना भोजन,
९. दुर्भिक्ष-पीड़ितों के लिए दिया जाने वाला भोजन,
१०. दुष्प्रान्त-पीड़ितों के लिए दिया जाने वाला भोजन,
११. दोन जनों के निमित्त बना भोजन,
१२. रोगियों के निमित्त बना भोजन,
१३. वर्षा में पीड़ित जनों के निमित्त बना भोजन,
१४. प्रागंतुकों के निमित्त बना भोजन ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त घाता है ।)

विवेचन—अनेक राजकुनों में या अनेक श्रीमन्त कुनों में प्रतिदिन उक्त प्रकार का भोजन देने की एक प्रकार की बर्षादा होती है । उनमें से किसी प्रकार का भोजन साधु ग्रहण करते तो त्रिगके निमित्त भोजन बनाया है, उनके अंतराय लगती है अथवा दूसरी बार भोजन बनाने की धारम्भजा त्रिया लगती है तथा राजपिठ ग्रहण संबंधी दोष भी लगता है ।

विशेष शब्दों की व्याख्या—

१. बुवारिय-भत्तं—बोवारिया—दारपाला—नगर के द्वारपाल ।
२. बलं—चउद्विहं—पाइवरुबलं, आसबलं, हस्तिबलं, रहबलं ।
३. कंतार—अइविनिग्गयाण-भूखत्ताणं ।
४. दुम्मिच—जं दुम्मिचये राया देत्ति तं दुम्मिचभत्ता ।
५. दमग—दमगा—रंपा, तेत्ति भत्तं—दमगभत्तं ।
६. यहूतिया—सत्ताह (मान दिन) चहुत्ते पढंते भत्तं करेइ राया—घटिवृष्टि से पीड़ितों का भोजन ।

पूजिकार ने कुछ शब्दों की व्याख्या की है, मूल पाठ में कहीं ११, १३ व १४, शब्द भी मिलते हैं । निर्णय करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध न होने से मूल में १४ शब्द ही लिगे गये हैं ।

राजा के कोठार आदि स्थानों को जाने बिना भिक्षागमन का प्रायश्चित्त—

७. जे निरग्ग् रण्णो घत्तिमाणं मुदिमाणं मुढाभिहित्ताणं इमाइं एदोसायपणाइं अजाणिय-अपुच्छिय-अगवेत्तिघ परं चउराय-संचरायाओ माहावइकुलं पिठवायपट्टियाए निवचमइ वा पयित्तइ वा निवचमंतं वा पयित्तंतं वा साइग्गइ,

तं जहा—१. कोट्टागार-सान्ताणिय वा, २. भंडागार-सान्ताणिय वा, ३. पाण-सान्ताणिय वा, ४. घोर-सान्ताणिय वा, ५. गंत्र-सान्ताणिय वा, ६. महापत्त-सान्ताणिय वा ।

७. जो निग्ग् मुढाअंगण मुढाभिहित्त दानिय राजा के इन छह दोपस्थानों को ४-५ दिन के भीतर जानना ही लिए बिना, प्रकृत्याद विग्ग् बिना न मरे गणा लिए बिना कायापणि कुनों में घाटार

के लिये निकलता है या प्रवेश करता है या निकलने वाले का या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

छः दोषस्थान ये हैं—

- | | |
|-------------------|-------------------|
| १. कोष्ठागारशाला, | २. भाण्डागारशाला, |
| ३. पानशाला, | ४. क्षीरशाला, |
| ५. गंजशाला, | ६. महानसशाला । |

विवेचन—राजधानी आदि में प्रवेश करने के बाद भिक्षा के लिये जाने वाले साधु को शय्यातर एवं स्थाप्य कुल के समान सर्वप्रथम राजा के इन ६ स्थानों की जानकारी कर लेनी चाहिये । क्योंकि ये छहों दोषों के स्थान हैं । ४-५ दिन में उक्त छह स्थानों की जानकारी न करे और भिक्षार्थ चला जाए तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

विशेष शब्दों की व्याख्या—

१. कोष्ठागार—धान्य, मेवा आदि का कोठार ।
२. भंडागार—सोना, चांदी, रत्न आदि धन का भंडार ।
३. पाण — “सुरा-मधु-सौधु-खंडग-मच्छंडिय-मुद्दिया पभिर्इण पाणमाणि ।” मद्यस्थान आदि ।
४. ‘क्षीर’— क्षीरघरं, जत्य खीरं-दधि-णवणीयं-तक्कादि अच्छंति—दूध, दही, घी आदि का स्थान ।
५. ‘गंज’—“जत्य घण्णं दमिज्जति सा गंजसाला ।

जत्य सणसत्तरसाणि घण्णाणि कोट्टिज्जंति”—जहाँ सत्रह प्रकार के धान्य कूटे जाते हैं, वह स्थान ।

६. ‘महाणस’—उवक्खडणसाला—रसोईघर ।

इन स्थानों की जानकारी न होने पर वहाँ भिक्षु भिक्षार्थ पहुंच सकता है । उन स्थानों के रक्षक पुरुष यदि भद्र हों तो राजपिंड ग्रहण करने का दोष लगता है और प्रतिकूल हों तो चोर आदि समझ कर वे कष्ट भी दे सकते हैं । गिरपतार कर सकते हैं—

‘जे रक्खगा ते भद् पंता, भद्देसु रार्यापिडदोसा, पंतेसु गेण्णादयो दोसा’ —चूर्ण ।

अतः इन स्थानों की जानकारी करना आवश्यक है ।

राजा आदि को देखने के लिए प्रयत्न करने का प्रायश्चित्त—

८. जे भिक्खू रण्णे छत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभित्तिताणं आगच्छमाणाणं वा णिगच्छमाणाणं वा पयमवि चक्खुदंसण-वडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिक्खू रण्णे छत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभित्तिताणं इत्थीओ सव्यालंकार-विमूसियाओ पयमवि चक्खुदंसण-वडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

८. जो भिक्षु शुद्ध वसाज मूर्खाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के भाने-जाने के समय उन्हें देखने के संकल्प से एक कदम भी चलता है या चलने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु शुद्ध वसाज मूर्खाभिपिक्त क्षत्रिय राजा की सव्यं प्रलंकारों से विभूषित रानियां को देखने के संकल्प से एक कदम भी चलता है या चलने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरु-चीमासी प्रायश्चित्त घाता है ।)

विवेचन—भानारांगमूत्र में अनेक दर्शनीय पदार्थों व स्थलों को देखने का निषेध किया गया है तथा निनीसमूत्र के १२वें उद्देशक में उनका लघुचीमासी प्रायश्चित्त कहा गया है । राजा या रानी को देखने की प्रवृत्ति विनोप आपत्तिजनक होने से उसका गुरुचीमासी प्रायश्चित्त इन दो सूत्रों में कहा है । व्याख्याकार ने इसका प्रायश्चित्तक्रम इस प्रकार भी बताया है—

‘मगता चितेति मास गुरु, उठ्रिते चउत्तहं, पदभेदे चउगुरु’

‘एगपदभेदे वि चउगुरा किमंग पुण विट्ठे ! आणादिविराहणा भइपंता दोसा य ।’

अर्थात् देखने का विचार करे तो मास गुरु, देखने के लिये उठे तो चतुलंघु और चले तो चतुगुरु प्रायश्चित्त घाता है और जब एक कदम चलने पर भी चतुगुरु प्रायश्चित्त घाता है तो देखने की तो बात ही क्या ? इससे आशानंग दोष होगा है तथा राजा अनुकूल या प्रतिकूल हो तो अन्य अनेक दोष भी लग सकते हैं ।

शिकारादि को निमित्त निकले राजा का आहार ग्रहण करने पर प्रायश्चित्त—

१०. जे भिक्षु रण्णे छत्तिपाणं मुशियाणं मुद्धाभिसित्तानं मंसघायाण वा, मन्दघायाण वा, छविघायाण वा बहिया विगगयाणं अमणं वा, पाणं वा, ग्याइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइग्गइ ।

१०. जो भिक्षु मास, मण्डली व छवि आदि खाने के लिये बाहर गये हुए, शुद्ध वसाज मूर्खाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के अन्न, पान, खाद्य या स्वाद्य को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त घाता है ।)

विवेचन—सार्द्धं निघमगयाणं सत्थेय अत्तणं-पाणं-खाइयं-साइमं उक्करंति तद्विकल्पद्वियाणं वा सत्थेय भत्तं करेज्ज ।” अर्थात् मांस, मन्द आदि खाने के लिये बन में या नदी, इह—समुद्र आदि स्थलों पर गये हुए राजा के यहाँ पर अन्ननादि भोजन भी ले सकता है, ऐसा आहार भी ग्रहण करना नहीं कनाता है ।

राजा ने जहाँ भोजन किया हो, वहाँ ने आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

११. जे भिक्षु रण्णे छत्तिपाणं मुशियाणं मुद्धाभिसित्तानं अणपपरं जवपूहणीयं समीहियं वेहाए तीसे पडिग्गाए, अणुठ्ठिपाए, भभिण्णाए अयोधित्तणाए ओ समणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइग्गइ ।

११. जो भिक्षु शुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा को कहीं परे भोजन दिया जा रहा हो, उसे देखकर उस राज-परिषद् के उठने के पूर्व, जाने के पूर्व तथा सबके चले जाने के पूर्व वहाँ से आहार ग्रहण करता है 'या ग्रहण' करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—किसी व्यक्ति ने अल्पाहार या पूर्णाहार का आयोजन किया हो और उसमें राजा को भी निमंत्रित किया हो, वहाँ जब तक राजा व उसके साथ वाले भोजन करते हों तब तक भिक्षार्थ नहीं जाना चाहिए। उनके चले जाने के बाद वह आहार ग्रहण करना निषिद्ध नहीं है। उसके पूर्व ग्रहण करना और वहाँ जाना आपत्तिजनक है। अतः देखने में या जानने में आ जाए कि यहाँ राजा निमंत्रित किये गये हैं अर्थात् वहाँ भोजन कर रहे हैं तो उस समय घर में जाये या आहार ग्रहण करे तो गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

'अण्णतरगहणेन भेददर्शनं, शरीरं उपवृह्यंतोति उपवृहणीया' 'सा य चउत्विहा असणादि ।' 'जेमंतस्स रण्णो उववृहणीया आणिया, 'पिट्ठओ' ति वुत्तं भवति । सं जो ताए परिसाए अणुट्ठिताए गेण्हति तस्स ज्झु (चउगुरु) । रायपिडो चेष सो । आसणाणि मोत्तु उद्धट्ठियाए अच्छंति, ततो केइ णिग्गताः भिण्णा, असेसेसु णिग्गतेसु वोच्छिण्णा, एरिसे ण रायपिडो ।' — चूर्णि पृ. ४५९-६० ॥

इस सूत्र का भावार्थ यह है कि राजा जहाँ भोजन कर रहा हो उस समय उस घर में भिक्षार्थ जाना नहीं कल्पता है। उनके भोजन करके चले जाने के बाद जाने पर इस सूत्र के अनुसार प्रायश्चित्त नहीं आता है।

राजा को उपनिवासस्थान के समीप ठहरने आदि का प्रायश्चित्त—

१२. अह पुण एवं जाणेज्जा 'इहज्ज रायखत्तिए परिवुत्तिए' जे भिखू ताहे गिहाए ताए पएमाए ताए उवासंतराए बिहारं वा करेइ, सज्जायं वा करेइ, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा आहारेइ, उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

१२. जब यह ज्ञात हो जाए कि आज इस स्थान में राजा ठहरे हैं तब जो भिक्षु उस गृह में, उस गृह के किसी विभाग में या उस गृह के निकट किसी स्थान में ठहरता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान, पान, खाद्य या स्वाद्य का आहार करता है या मल-मूत्र त्यागता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पूर्व सूत्र में राजा जिस घर में भोजन करने आया हो वहाँ गोचरी जाने का प्रायश्चित्त कहा है और इस सूत्र में जिस घर में राजा ने एक दो दिन के लिये निवास किया हो, वहाँ ठहरने का प्रायश्चित्त कहा है।

इन सूत्रों का तात्पर्य यह है कि राजा के भोजन, निवास, अल्पकालीन आवास आदि के स्थानों से साधु को दूर रहना चाहिये। राजा साधु के स्थान पर आये यह कोई आपत्तिजनक नहीं है किन्तु साधु राजा के किसी आवास में या उसके निकट भी न जाये।

सूत्रकृतांगसूत्र अ. २, उ. २, गा. १८ में भी कहा है कि—

‘उत्तिषोदग तत्तभोइणो, धम्मठियस्स मुणस्स हीमभो ।

मंसग्गि असाहु राद्धिह, असमाहि उ तहागयस्स वि ।’

राजा के निवासस्थान के बाहर व धाम-पास कई ग्हाक राजपुरष रहते हैं, कई प्रकार की मंत्राओं की मभावना रहती है। धनः ऐसे स्थानों को जान लेने के बाद साधु को उस घोर नहीं जाना चाहिये।

यात्रा में गये हुए राजा का आहार-ग्रहण करने पर प्रायश्चित्त—

१३. जे भिषू रण्णो छत्तिपाणं मुदियाणं मुट्ठाभिसित्ताणं बहिया जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइग्जइ ।

१४. जे भिषू रण्णो छत्तिपाणं मुदियाणं मुट्ठाभिसित्ताणं बहिया जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइग्जइ ।

१५. जे भिषू छत्तिपाणं मुदियाणं मुट्ठाभिसित्ताणं णइ-जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइग्जइ ।

१६. जे भिषू रण्णो छत्तिपाणं मुदियाणं मुट्ठाभिसित्ताणं णइ-जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइग्जइ ।

१७. जे भिषू रण्णो छत्तिपाणं मुदियाणं मुट्ठाभिसित्ताणं गिरि-जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइग्जइ ।

१८. जे भिषू रण्णो छत्तिपाणं मुदियाणं मुट्ठाभिसित्ताणं गिरि-जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइग्जइ ।

१३. जो भिक्षु बुद्ध आदि की यात्रा के लिये जाते हुए बुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का भजन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

१४. जो भिक्षु बुद्ध आदि की यात्रा से पुनः मोटते हुए बुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का भजन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

१५. जो भिक्षु नदी की यात्रा के लिये जाते हुए बुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का भजन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

१६. जो भिक्षु नदी की यात्रा से पुनः मोटते हुए बुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का भजन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

१७. जो भिक्षु पर्वत की यात्रा के लिये जाते हुए बुद्धवंशीय मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का भजन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

१८. जो भिक्षु पर्वत की यात्रा से पुनः मोटते हुए बुद्धवंशीय मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का भजन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इन यात्राओं के लिये जाते समय और पुनः लौटते समय मार्ग में जहाँ पड़ाव किया जाता है वहाँ आहार बनाया जाता है । उसे ग्रहण करने का यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है । क्योंकि ऐसी यात्राओं के निमित्त बनाए गए आहार के लेने में मंगल-अमंगल तथा शंका आदि अनेक दोषों की संभावना रहती है ।

राज्याभिषेक के समय गमनागमन का प्रायश्चित्त—

१९. जे भिखू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं महाभित्सेयंसि वट्टमाणंसि णिक्खमइ वा पविसइ वा, णिक्खमंतं वा, पविसंतं वा साइज्जइ ।

१९. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के महान् राज्याभिषेक होने के समय निकलता है या प्रवेश करता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—जिस समय राज्याभिषेक हो रहा हो उस समय उस नगरी में अनेक कार्यों के लिये राजपुरुषों का व लोगों का आना-जाना आदि बना रहता है । ऐसे समय साधु को अपने स्थान में ही रहना चाहिये, कहीं पर जाना-आना नहीं करना चाहिये । अथवा उस दिशा में जाना-आना नहीं करना चाहिये । जाने-आने में मंगल-अमंगल की भावना व जनाकीर्णताजन्य अनेक दोषों की सम्भावना रहती है ।

राजधानी में बारंबार प्रवेश का प्रायश्चित्त—

२०. जे भिखू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं इमाओ दस अभित्सेयाओ रायहाणीओ उट्ठिठ्ठाओ गणियाओ वंजियाओ अंतो मात्तस्स दुक्खुत्तो वा, तिक्खुत्तो वा णिक्खमइ वा पविसइ वा, णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ । तं जहा—१. चम्पा, २. महुंरा, ३. वाणारसी, ४. सावत्थी, ५. कपिल्लं, ६. कोसंबी, ७. साकेयं, ८. मिहिला, ९. हत्थिणाज्जरं, १०. रायगिहं ।

२०. शुद्धवंशीय मूर्द्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजाओं के राज्याभिषेक की नगरियां, जो राजधानी के रूप में घोषित हैं, उनकी संख्या दस है । वे सब अपने नामों से प्रख्यात हैं, इन राजधानियों में जो भिक्षु एक महीने में दो बार या तीन बार जाना-आना करता है या जाने-आने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है) उन नगरियों के नाम इस प्रकार हैं—१. चंपा, २. मथुरा, ३. वाराणसी, ४. श्रावस्ती, ५. साकेतपुर, ६. कापिल्य नगर ७. कौशांबी, ८. मिथिला ९. हस्तिनापुर १०. राजगृही ।

विवेचन—इन दस राजधानियों में बारह चक्रवर्ती हुये हैं । शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाप ये तीन चक्रवर्ती एक ही हस्तिनापुर नगरी में हुये हैं । इन राजधानियों में एक महीने में एक बार से अधिक जाने-आने का निषेध है । प्रायश्चित्त तो किसी विशेष कारण से दूसरी बार जाने पर नहीं भी आता है, किन्तु तीसरी बार जाने पर तो प्रायश्चित्त आता ही है ।

इन बड़ी राजधानियों में एक महीने में एक बार से ज्यादा जाने-आने पर राजपुरुषों को गुप्तचर होने की शंका होना आदि अनेक दोषों की सम्भावनाएं रहती हैं । पूर्व सूत्रों में राजा के

‘उत्तिणोदग तत्तमोद्गणो, धम्मठियस्स मुणिसस्स होमओ ।

संसग्गि असाहु राइहिं, असमाहिं उ तहागयस्स वि ॥’

राजा के निवासस्थान के बाहर व आस-पास कई रक्षक राजपुरुष रहते हैं, कई प्रकार की शंकाओं की संभावना रहती है । अतः ऐसे स्थानों को जान लेने के बाद साधु को उस शोर नहीं जाना चाहिये ।

यात्रा में गये हुए राजा का आहार-ग्रहण करने पर प्रायश्चित्त—

१३. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं बहिया जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं बहिया जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिक्खू खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं णइ-जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं णइ-जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु युद्ध आदि की यात्रा के लिये जाते हुए शुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१४. जो भिक्षु युद्ध आदि की यात्रा से पुनः लौटते हुए शुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु नदी की यात्रा के लिये जाते हुए शुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु नदी की यात्रा से पुनः लौटते हुए शुद्धवंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु पर्वत की यात्रा के लिये जाते हुए शुद्धवंशीय मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु पर्वत की यात्रा से पुनः लौटते हुए शुद्धवंशीय मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

भोजन, निवासस्थान, राज्याभिषेक आदि प्रसंगों के संबंध में विवेक रखने का सूचन किया गया है तो इस सूत्र में उन बड़े राजाओं की राजधानी में बारम्बार प्रवेश का निषेध और प्रायश्चित्त सूचित किया है।

भाष्य में अन्य अनेक संयम सम्बन्धी दोषों की सम्भावनाएं भी कही हैं। इन राजधानियों में अनेक महोत्सव राजा के तथा नगरवासियों के होते रहते हैं। नृत्य, गीत, वादित्र वादन, स्त्री पुरुषों के अनेक मोहक रूप आदि विषयवासनावर्धक वातावरण रहता है। यह देखकर भुक्तभोगी को पूर्व-कालिक स्मृति, अभुक्त को कुतूहल आदि से संयम-अरति एवं असमाधि उत्पन्न हो सकती है तथा जनता के फोलाहल आदि से स्वाध्याय, ध्यान की भी हानि होती है। बाहनों को प्रचुरता से और जनार्कोणं मार्गं रहने से भिक्षागमन आदि में संघट्टन परिघट्टन आदि होते हैं, इत्यादि दोषों के कारण इन दम बड़ी राजधानियों में तथा ऐसी अन्य बड़ी नगरियों में भी बारम्बार जाना-अना संयमी के लिए हिनकर नहीं है।

राजा के अधिकारी व कर्मचारी वर्ग के निमित्त बना हुआ आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

२१. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

तंजहा—१. खत्तियाण वा, २. राईण वा, ३. कुराईण वा, ४. रायवंसियाण वा, ५. रायपे-सियाण वा।

२२. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

तंजहा—१. णडाण वा, २. णट्टाण वा, ३. कच्छयाण वा, ४. जल्लाण वा, ५. मल्लाण वा, ६. मुट्टियाण वा, ७. वेलंबयाण वा, ८. वेल्वाण वा, ९. कह्नाण वा, १०. पवयाण वा, ११. लास-याण वा।

२३. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

तंजहा—१. आस-पोसयाण वा, २. हत्थि-पोसयाण वा, ३. महिस-पोसयाण वा, ४. बसह-पोसयाण वा, ५. सोह-पोसयाण वा, ६. बग्घ-पोसयाण वा, ७. अय-पोसयाण वा, ८. पोय-पोसयाण वा, ९. मिया-पोसयाण वा, १०. सुणय-पोसयाण वा, ११. सूयर-पोसयाण वा, १२. मेढ-पोसयाण वा, १३. कुयकुड-पोसयाण वा, १४. मक्कड-पोसयाण वा, १५. तित्तिर-पोसयाण वा, १६. बट्टय-पोसयाण वा, १७. लावय-पोसयाण वा, १८. चोरल्ल-पोसयाण वा, १९. हंस-पोसयाण वा, २०. मयूर-पोसयाण वा, २१. सुय-पोसयाण वा।

२४. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

तंजहा—१. आस-वमगाण वा, २. हृत्वि-वमगाण वा, आस-परियट्टाण वा, ४. हृत्वि-परियट्टाण वा, ५. आस-मिठाण वा, ६. हृत्वि-मिठाण वा, ७. आसरोहाण वा, ८. हृत्विरोहाण वा ।

२५. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तंजहा—१. सत्यवाहाण वा, २. संवाहयाण वा, ३. अम्भंगयाण वा, ४. उच्चट्टयाण वा, ५. मज्जावयाण वा, ६. मंडावयाण वा, ७. छत्तगहाण वा, ८. चामरगहाण वा, ९. हडप्पगहाण वा, १०. परियट्टगहाण वा, ११. दीवियग्गहाण वा, १२. अत्तिगहाण वा, १३. घणुगहाण वा, १४. सत्तिगहाण वा, १५. कौत्तगहाण वा ।

२६. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तंजहा—१. वरिसघराण वा, २. कंचुइज्जाण वा, ३. दुवारियाण वा, ४. वंडारविख्याण वा ।

२७. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा, साइज्जइ ।

तंजहा—१. खुज्जाण वा, २. च्चिलाइयाण वा, ३. वामपीण वा, ४. वडमीण वा, ५. वव्वरीण वा, ६. बउसीण वा, ७. जोणियाण वा, ८. पल्हवियाण वा, ९. इसीणीयाण वा, १०. धोळ्णीणीण वा, ११. नासियाण वा, १२. लउसीयाण वा, १३. सिंहलीण वा, १४. वमिलीण वा, १५. आरबीण वा, १६. पुल्लिदीण वा, १७. पक्कणीण वा, १८. बहलीण वा, १९. मुरंडीण वा, २०. सबरीण वा, २१. पारसीण वा ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्गाइयं ।

२१. जो भिक्षु शुद्धवंशीय राज्यमुद्राधारक मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के—१. अंगरक्षक, २. आधीन राजा, ३. जागीरदार, ४. राजा के आश्रित रहने वाले वंशज, ५. श्रीर इन चारों के सेवकों के लिये निकाला हुआ अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु शुद्धवंशीय राज्य मुद्राधारक मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के— १. नाटक करने वाले, २. नृत्य करने वाले, ३. डोरी पर नृत्य करने वाले, ४. स्तुतिपाठ करने वाले, ५. मल्लयुद्ध करने वाले, ६. मुष्टियुद्ध करने वाले, ७. उछल-कूद करने वाले, ८. अनेक प्रकार के खेल करने वाले, ९. कथा करने वाले, १०. नदी आदि में तैरने वाले, ११. जय-जय ध्वनि करने वाले, इनके लिये निकाला हुआ अशन-पान-खाद्य या स्वाद्य आहार ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु शुद्धवंशीय राज्यमुद्राधारक मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के— १. अश्व, २. हस्ती, ३. महिष, ४. वृषभ, ५. सिंह, ६. व्याघ्र, ७. अजा, ८. कव्तर, ९. मृग, १०. श्वान, ११. शूकर, १२. मेंढा, १३. कुक्कुट, १४. वंदर, १५. तीतर, १६. बतघ, १७. नावक,

१८. चिरल्ल, १९. हंस, २०. मयूर. २१. तोता, इन पशु-पक्षियों के पोषण करने वाले अर्थात् इनको पालने वालों या रक्षण करने वालों के लिये निकाला हुआ अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जो भिक्षु शुद्धवंशज, राज्यमुद्राधारक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओं के (१-२) अश्व और हस्ती को विनीत अर्थात् शिक्षित करने वाले के लिए (३-४) अश्व और हस्ती को फिराने वालों के लिए (५-६) अश्व और हस्ती को आभूषण, वस्त्र आदि से सुसज्जित करने वालों के लिए तथा (७-८) अश्व और हस्ती पर युद्ध आदि में आरूढ होने वालों के लिए अर्थात् सवारी करने वालों के लिए निकाला हुआ अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२५. जो भिक्षु शुद्धवंशज राज्यमुद्राधारक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओं के— १. संदेश देने वाले, २. मर्दन करने वाले, ३. मालिश करने वाले, ४. उचटन करने वाले, ५. स्नान कराने वाले, ६. मुकुट आदि आभूषण पहिनाने वाले, ७. छत्र धारण कराने वाले, ८. चामर धारण कराने वाले, ९. आभूषणों की पेटी रखने वाले, १०. बदलने के वस्त्र रखने वाले, ११. दीपक रखने वाले, १२. तलवार धारण करने वाले, १३. त्रिशूल धारण करने वाले, १४. भाला धारण करने वाले, इनके लिये निकाला हुआ अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य आहार ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. जो भिक्षु शुद्धवंशज राज्यमुद्राधारक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओं के— १. अंतःपुर रक्षक-कृत्रिमनपुंसक, २. अंतःपुर में रहने वाले जन्मनपुंसक, ३. अंतःपुर के द्वारपाल, ४. दंड-रक्षक=अंतःपुर के दंडधारी-प्रहरी, इनके लिये निकाला हुआ अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२७. जो भिक्षु शुद्धवंशीय राज्यमुद्राधारक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा की— १. कुब्जा दासी (कुबड़े शरीर वाली), २. किरात देशोत्पन्न दासी, ३. चामन (छोटे त्रुद वाली) दासी, ४. वक्र शरीरवाली दासी, ५. बर्बर देशोत्पन्न दासी, ६. बकुध देशोत्पन्न दासी, ७. यवन देशोत्पन्न दासी, ८. पल्हव देशोत्पन्न दासी, ९. इसीनिका देशोत्पन्न दासी, १०. धोरुक देशोत्पन्न दासी, ११. साट देशोत्पन्न दासी, १२. लकुण देशोत्पन्न दासी, १३. सिंहल देशोत्पन्न दासी, १४. द्रविड़ देशोत्पन्न दासी, १५. अरव देशोत्पन्न दासी, १६. पुलिद देशोत्पन्न दासी १७. पक्कण देशोत्पन्न दासी, १८. बहल देशोत्पन्न दासी, १९. मुरंड देशोत्पन्न दासी, २०. शबर देशोत्पन्न दासी, २१. पारस देशोत्पन्न दासी, इनके लिए निकाला हुआ अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उपर्युक्त सूत्र कथित दीप-स्नानों का सेवन करने वाले को गुरुचीमासी प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

विवेचन—[२१-२७] इन सात सूत्रों में वर्णित व्यक्तियों के लिये निकाला गया आहार ग्रहण करने में राजविड दीप और उमते गन्धस्थित अन्य अनेक दीप, अंतराय दीप या पुनः आरम्भ

करने का दोष इत्यादि दोषों की सम्भावना रहती है। राजा की तरफ से इन व्यक्तियों को दिये जाने के बाद और उनके स्वीकार कर लेने पर वे व्यक्ति यदि अजुगुप्सित-अर्गहित कुल के हों तो एषणा समिति पूर्वक उनसे आहार ग्रहण करने में कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

राजा के यहाँ इनके लिये बनाया गया हो या इनके लिये विभक्त करके रखा गया हो तब तक अकल्पनीय होता है। उसी आहार को ग्रहण करने का उपयुक्त सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है।

सूत्र २१—“खत्तियाणं आदि”—क्षतात् त्रायंते इति क्षत्रिया आरक्षका इत्यर्थः। अधिवो—राया। कुत्सितो राया कुराया अहवा पचंचतनिवो कुराया। “राजवंशे स्थिताः राज्ञो मातुल-भागिने-यादयः रायवंसद्विया।” जे एतेसि चैव प्रेष्या—प्रेसिता—बंडपासिकप्रभृतयः।

—नि. चूर्णि व आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ३

सूत्र २२—इस सूत्र में “विलंबगाण” से उछल-कूद खेल आदि करने वाले ऐसा अर्थ हो सकता है तथापि लिपिदोष के कारण यथार्थ निर्णय न होने से और अनेक प्रतियों में मिलने से “खिलयाण वा” = अनेक प्रकार के खेल करने वाले” ऐसा अलग पाठ व उसका अर्थ रखा है।

इस सूत्र में “छत्ताणुयाण वा” शब्द भी ज्यादा मिलता है जो लिपि-प्रमाद से आया हुआ प्रतीत होता है। चूर्णिकार के सामने भी यह पाठ नहीं रहा होगा, ऐसा लगता है तथा सूत्र २५ में इसका अलग कथन है। अतः यहाँ आवश्यक न होने से नहीं रखा गया है।

सूत्र २३—“पोषक”—आहार, औषध, पानी संबंधी ध्यान रखने वाले, शारीरिक सेवा, स्नान, मर्दन आदि करने वाले, निवासस्थान की शुद्धि का ध्यान रखने वाले अर्थात् पूर्ण संरक्षण करने वाले ‘पोषक’ कहलाते हैं।

अनेक प्रतियों में ‘मक्कडपोसयाण’ नहीं है। किन्तु आचारारंग श्रु. २, अ. १० में कुक्कुड व तीतर शब्द के बीच में मक्कड शब्द कुछ प्रतियों में है अतः यहाँ भी सूत्र में “मक्कड” शब्द रखा है।

“बृहतरा रक्तपादा वट्टा, अल्पतरा लावगा” अल्प लाल पांव वाले “लावक” होते हैं। अधिक लाल पांव वाले “वत्तक” कहलाते हैं।

सूत्र २४—इस सूत्र के स्थान पर कई प्रतियों में तीन और कहीं चार सूत्र भी मिलते हैं।

“चूर्णि और भाष्य में” इमं सुत्तववखाणं—

“आसाण य हत्थीण य, दमगा जे पढमताए विणियंति।

परियट्ट-मेंठ पच्छा, आरोहा जुद्धकालम्मि ॥२६०१॥”

“जे पढमं विणयं गाहेति ते दमगा, जे जणा जोगासणेहि वावरं या वहैति ते मेंठा, जुद्ध काले जे आरुहंति ते आरोहा ॥२६०१॥”

पूर्व सूत्र में अश्व व हस्ती आदि २१ पशु-पक्षियों के पोषण करने वालों का कथन है। इस सूत्र में अश्व व हस्ती इन दो को शिक्षित करने वाले, धुमाने-फिराने वाले, आसन वस्त्र आभूषण में सुसज्जित करने वाले तथा युद्ध में इनकी सवारी करने वालों का कथन है, ऐसा गाथा से ज्ञात होता है। चूर्णि में “परियट्ट” शब्द की व्याख्या नहीं है। इसी कारण से पृथक्-पृथक् सूत्र करने पर तीन

सूत्र वन गये, चार नहीं बने। चूणि में “इमं सुतवधवाणं” पद से गाया दी गई है। अतः चूणि काल तक एक सूत्र रहा होगा। इत्यादि विचारणा से यहाँ एक ही सूत्र रखा गया है।

सूत्र २५—“राईसत्यमादियाणि रायसत्याणि आहयन्ति कथयन्ति ते” सत्यवाहा, “राजा सार्यानि सचिवाविरूपाणि (तान्) आहयन्ति आभ्यन्त्रयन्ति राजसंदेशं वा कथयन्ति ये ते तथा।”

शेष शब्दों के मूल शब्द इस प्रकार हैं—

१. संवाहक, २. अभ्यंगक, ३. उद्वर्तक, ४. मज्जापक, ५. मंडापक।

इसलिमे इनका मूल पाठ इस प्रकार से है—

१. संवाहयाणं, २. अब्भंगयाणं, ३. उव्वट्टयाणं, ४. मज्जावयाणं, ५. मंडावयाणं।

प्रथम तीन पदों में ‘मर्दन आदि करने वाले’ ऐसा अर्थ होता है, अंतिम दो पदों में ‘स्नान कराने वाले, आभूषण आदि पहनाने वाले’ ऐसा अर्थ होता है। अतः मूल शब्दों की रचना के लिपिदोषों का संशोधन किया है। ‘छत्तग्गहाण’ आदि आगे के शब्द तो शुद्ध ही मिलते हैं।

सूत्र २६—इस सूत्र में अंतःपुर में काम करने वाले चार व्यक्तियों का कथन है—

१. कृत-नपुंसक = अंतःपुर के अंदर रहने वाले रक्षक।

२. दंडरक्षक = प्रहरी, बाहर चोतरफ से रक्षा करने वाला दंडधारी पुरुष।

३. द्वारपाल = द्वार के ऊपर खड़ा रहने वाला।

४. कंचुकी = जन्म, नपुंसक, रानियों के आभ्यन्तर, वाह्य कार्य करते हुए अंतःपुर में ही रहने वाले।

सूत्र २७—इस सूत्र में दासियों के नाम के पाठ को कई प्रतियों में ‘जाव’ शब्द से सूचित करके दो नाम ही दिये हैं तथा कई प्रतियों में संख्या १७, १८ व २१ है। २१ की संख्या वाला पाठ उपयुक्त है, क्योंकि ‘१८ देश की दासियाँ’ सूत्रों में प्रसिद्ध हैं और तीन धरीर की आकृति से—१. कुब्ज, २. वक्र (झुकी हुई), ३. वामन दासियाँ कही हैं।

नवम उद्देशक का सारांश

१-५—राजपिठ ग्रहण करे, छावे। अंतःपुर में प्रवेश करे, अंतःपुर में से आहार मंगवावे।

६—द्वारपाल-पशु आदि के निमित्त का राजपिठ ग्रहण करे।

७—भिक्षार्थ जाते ४-५ दिन हो जाएँ फिर भी राजा के ६ स्वार्थों की जानकारी न करे।

८-९—राजा या रानी को देखने के संकल्प से एक कदम भी चले।

१०—शिकार आदि के लिये गये राजा का आहार ग्रहण करे।

११—राजा भोजन करने गये हों, उस स्थल में उस समय भिक्षार्थ जावे।

१२—राजा जहाँ कहीं ठहरे हों, वहाँ

१३-१८—युद्ध, यात्रा या पर्यट, नदी पार, आदि ग्रहण करे।

१९—राज्याभिषेक की हलचल

२०—दस बड़ी राजधानियों में

२१-२५—राजा के अधिकारी व कर्मचारी आदि के निमित्त निकाला आहार ग्रहण करे ।

इत्यादि प्रवृत्तियां करने पर गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।

उपसंहार—इस नवम उद्देशक में राजर्षिपिंड व राजा से सम्बन्धित अनेक प्रसंगों का ही प्रायश्चित्त कथन है ।

दशवै. अ. ३ में राजर्षिपिंड ग्रहण को अनाचार कहा गया है तथा ठाणांग के पाचवें ठाणे में ५ कारण से राजा के अंतःपुर में प्रवेश करने का आपवादिक कथन है । इस तरह इस उद्देशक के प्रथम तीन सूत्रों का विषय अन्य आगमों में आया हुआ है । शेष सूत्र ४ से २७ तक के सूत्रों में अन्य आगमों में अनिर्दिष्ट विषय का कथन तथा प्रायश्चित्त है ।

इस प्रकार इस उद्देशक में अन्य आगमों में अनुक्त विषय ही अधिक (२४ सूत्रों में) है और विषय भी एक राजा सम्बन्धी है । यही इस उद्देशक की विशेषता है ।

॥ नवम उद्देशक समाप्त ॥

दशवां उद्देशक

आचार्यादि के अविनय करने का प्रायश्चित्त—

१. जे भिखू भदंतं आगाढं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।
२. जे भिखू भदंतं फरसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।
३. जे भिखू भदंतं आगाढं फरसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।
४. जे भिखू भदंतं अण्णयरीए अच्चासायणाए अच्चसाएइ, अच्चासाएंतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु आचार्य आदि को रोपयुक्त वचन बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु आचार्य आदि को स्नेहरहित रुक्ष वचन बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु आचार्य आदि को रोपयुक्त रुक्ष वचन बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु आचार्य आदि को तेतीस आशातनाओं में से किसी भी प्रकार की आशातना करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—जाति आदि निम्न मत्तरह विषयों को लेकर आचार्य आदि को आगाढ और फरस वचन कहे जा सकते हैं, यथा—

१ जाति २ कुल ३ स्व ४ भासा ५ धण ६ बल ७ परिचाय ८ जस ९ तवे १० लाभे ।

११ सत्त १२ वय १३ बुद्धि १४ धारण, १५ जगह १६ सोले १७ समापारी ॥ २६०९ ॥

आचार्य आदि को ऐसा स्पष्ट कहना कि "तुम तो हीन जाति के हो" अथवा ध्यंग्ययुक्त वाच्य से कहना कि "आप बड़े ही जातिसम्पन्न हैं, मैं तो हीन जाति वाला हूँ ।"

इसी तरह कुल, रूप आदि से भी समझ लेना चाहिये ।

आगाढं—शरीरस्य उप्पा येन उपतेन जायते तमागाढं—जिस वचन के बोलने से भीतर का कषाय प्रकट होता है ।

फरस—णेहरहियं णिप्पिवासं फरस भण्णति—स्नेहरहित अप्रिय वचन, अर्थात् रोपयुक्त न होते हुए भी जो वचन सुनने वाले को अप्रिय लगते हैं, हृदय में चुभने वाले होते हैं ।

आगाढफरसं—गाढफरसं उभयं, ततियमुत्ते संजोगो दोण्ह वि—जो वचन रोपयुक्त भी हो तथा अप्रिय भी हो ।

भदंत—इन तीन सूत्रों में “आयरिय” शब्द का प्रयोग न करके “भदंत” शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे आचार्य, उपाध्याय आदि पदवीधर तथा गुरु या रत्नाधिक सबका ग्रहण किया गया है। यदि यहाँ आचार्य के लिए ही यह प्रायश्चित्त-विधान होता तो “आयरिय” शब्द का ही प्रयोग किया जाता।

आसायणा—भाष्य में दशाश्रुतस्कन्धवर्णित ३३ आशातनाओं का निर्देश किया गया है और द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव ये चार भेद करके आशातनाओं का विस्तृत विवेचन किया है। वहाँ आशा-तना के अनेक अपवादों का भी उल्लेख किया है, यथा—

१. गुरु बीमार हो तो उनके लिए जो अपथ्य आहार हो वह उन्हें न दिखाना किन्तु स्वयं खा लेना या बिना पूछे अन्य को दे देना।
२. मार्ग में कांटे आदि हटाने के लिए आगे चलना।
३. विपम स्थान में या रुग्ण अवस्था में सहारे के लिये अत्यन्त निकट चलना।
४. शारीरिक परिचर्या करने के लिए निकट बैठना एवं स्पर्श करना।
५. अपरिणत साधु न सुन सके, इसके लिये छेदसूत्र की वाचना के समय निकट बैठना।
६. गृहस्थ का घर निकट हो तो गुरु के आवाज देने पर भी न बोलना अथवा संघर्ष की सम्भावना हो तो भी न बोलना।
७. साधुओं से मार्ग अवरुद्ध हो तो स्थान पर से ही उत्तर दे देना।
८. स्वयं बीमार हो या अन्य बीमार की सेवा में संलग्न हो तो बुलाने पर भी न बोलना।
९. मलविसर्जन करते हुए न बोलना।
१०. गुरु से कभी उत्सूत्र प्ररूपणा हो जाये तो विवेकपूर्वक या एकान्त में कह देना।
११. गुरु आदि के संयम में शिथिल हो जाने पर उन्हें संयम में स्थिर करने के लिये कर्कश भाषा का प्रयोग करना।

उक्त आशातना की प्रवृत्ति करने पर भी सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है। क्योंकि इनमें आशातना के भाव न होकर उचित विवेकदृष्टि होती है।

अनन्तकायसंयुक्त आहार करने का प्रायश्चित्त—

५. जे भिखू अणंतकाय-संजुक्त आहारं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ।
५. जो भिक्षु अनंतकायसंयुक्त (मिश्रित) आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—सूत्र में अनंतकाय से मिश्रित आहार का प्रायश्चित्त कहा है, शुद्ध अनन्तकाय का नहीं। क्योंकि भिक्षु जान-बूझकर सचित्त अनन्तकाय तो नहीं खाता है किन्तु किसी छाद्य पदार्थ में सचित्त कन्दमूल के टुकड़े मिश्रित हैं और उनकी जानकारी न हो, ऐसी स्थिति में यदि खाने में आ जाए तो वह अनन्तकायसंयुक्त आहार कहा जाता है। अथवा किसी अचित्त छाद्य पदार्थ में नीलन-फूलन (काई) आ जाये और ग्रहण करते समय व खाते समय तक भी उसकी जानकारी न हो पाए, तब भी अनन्तकायसंयुक्त आहार करने का प्रसंग बन सकता है।

अनन्तकाय—जिस वनस्पति में अनन्त जीव हों वह अनन्तकायिक वनस्पति कहलाती है। कन्दमूल और फूलन तो अनन्तकाय के रूप हैं ही किन्तु पत्तवणा आदि आगमों में इसके प्रतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अनन्तकाय कहे हैं। वनस्पति के मूलाध से लेकर धीज तक के आठ विभाग हैं, वे भी अनन्तकाय के लक्षणों से युक्त हों तो अनन्तकाय समझे जा सकते हैं। आगमों में अनन्तकाय के कुछ लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं—

“जस मूलस भगस, समो भंगो पदोसइ ।
 अणंतजीवे उ से मूले, जे यावण्णे तहाविहा ॥ १॥
 जस मूलस कट्टाओ छल्ली वहलयरी भवे ।
 अणंतजीवा उ सा छल्ली जे यावण्णे तहाविहा ॥२०॥
 चक्कागं भज्जमाणसा, गंठी चुण्णं घणो भवे ।
 पुट्ठी सरिसभेएणं, अणंतजीवं वियाणाहि ॥३८॥
 गूढछिरागं पत्तं, सद्योरं जं च निच्छीरं ।
 जं पिय पणट्ठ-संधिं, अणंतजीवं वियाणाहि ॥३९॥
 जे केइ णालियावद्धा पुप्फा, संधिज्जजीविया भणिया ।
 णिहुया अणंतजीवा, जे यावण्णे तहाविहा ॥४१॥
 सब्बोवि किसलओ खनु, उग्गममाणो अणंतओ भणियो ।
 सो चैव विवद्धंतो, होइ परित्तो अणंतो वा ॥४२॥

—पणवणासूत्र, पद १

मारांश—१. जिस वनस्पति के टुकड़े में से दूध निकले ।

२. हाथ से टुकड़े करने पर जिम वनस्पति के दो समतल विभाग हों ।

३. जिस वनस्पति के विभाग को चक्राकार काटने पर कटे हुए भाग में पृथ्वीरज के समान कण-कण दिखाई दे ।

४. जिस वनस्पति के मूल, कंद, खंघ और शाखा की छाल अधिक मोटी हो ।

५. जिस पत्ते में शिराएँ (रेशे) न दिवें । संघियां न दिवें ।

६. जो फूल पालवद्ध न हो ।

७. उगते हुए अंकुर हों ।

इन प्रकार शाक, पत्ते आदि वनस्पतियां भी अनन्तकाय हो सकती हैं तथा पणग, सेवाल, आलू, लहसुन, कांदा, गाजर, मूला, अदरक, हल्दी, रतासु, चाकरकद, अरबो तथा अनेक जलज वनस्पतियां तो अनन्तकाय ही हैं। अचित्त आहार में इनके सचित्त खंड या अंश हों तो वह परठने योग्य होता है।

आधाकर्म आहारादि के उपयोग में लेने का प्रायश्चित्त—

६. जे भिषणू आहाकम्मं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६. जो भिक्षु आधाकर्मों आहार, उपधि व शय्या का उपयोग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुणोमासी प्रायश्चित्त प्राता है।)

विवेचन—“आहाकम्मं ग्रहणादात्मनि कर्म आहितं, आत्मा वा कर्मणि आहितः।” (इति आहाकम्मं)

२. “आहाकम्मग्गहणातो जम्हा विमुद्धसंजमठाणेहितो अप्पाणं अविमुद्धठाणेषु अहो अहो करेति तम्हा भाव आहोकम्मं।”

३. “भाव-आते णाण-दंसण-चरणा तं हणंतो भावाताहम्मं।”

४. “आहाकम्मपरिणतो परकम्मं अत्तकम्मीकरेति त्ति अत्तकम्मं।”

व्याख्याकार ने आघाकर्म के चार पर्याय करके अर्थ किये हैं—

१. आघाकर्म आहार आदि ग्रहण करने से आत्मा पर कर्मों का आवरण आता है। अथवा आत्मा कर्मों से आवृत होती है।

२. आघाकर्म आहारादि ग्रहण करने से आत्मा विशुद्ध संयमस्थानों से गिरकर अविशुद्ध संयमस्थानों में आ जाती है। अथवा आत्मा का पुनः पुनः अधःपतन होता रहता है।

३. आघाकर्म आहारादि ग्रहण करने से आत्मा के भाव-गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का हनन होता है।

४. आघाकर्म आहारादि ग्रहण करने के परिणामो से आत्मा गृहस्थ के कार्यों से अपने कर्मों का बंध करती है।

आघाकर्म के प्रकार—

“आहाकम्मे तिविहे, आहारे उवधि वसहिमादीसु।

आहाराहाकम्मं, चउव्विघं होइ असणादी ॥२६६३॥

उवहि-आहाकम्मं, वत्थे पाए य होइ णायव्वं।

वत्थे पंचविघं पुणं, तिविहं पुण होइ पायम्मि ॥२६६४॥

वसही-आहाकम्मं, मूलगुणे चैव उत्तरगुणे य।

एवकेवकं सत्तविहं, णायव्वं आणुपुव्वीए ॥२६६५॥

१. आहार-आघाकर्म—चार प्रकार का है—१. अशन, २. पान, ३. खाद्य, ४. स्वाद्य।

२. उपधि-आघाकर्म—दो प्रकार का है—वस्त्र और पात्र।

वस्त्र पाँच प्रकार के हैं और पात्र तीन प्रकार के हैं। उपलक्षण से अन्य भी शौचिक और शौचग्रहिक उपधि समझ लेनी चाहिये।

३. वसति-आघाकर्म—शय्या के मूल विभाग व उत्तर विभाग की अपेक्षा सात-सात प्रकार होते हैं।

आघाकर्म की कल्प्याकल्प्यता—

प्रथम व अन्तिम तीर्थंकर के शासन में एक या अनेक साधु के उद्देश्य से बना हुआ आघाकर्म आहार किसी भी साधु या साध्वी को नहीं कल्पता है।

मध्यवर्ती तीर्थकरो के शासन में—आधाकर्म में जिन साधु या साध्वी का उद्देश्य नहीं है, उन्हें ग्रहण करना कल्पता है। जिस एक साधु का या संघ का उद्देश्य हो तो उस साधु को या संघ को ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

आधाकर्म और औद्देशिक—आधाकर्म के दो विभाग हैं—

१. जिस आधाकर्म आहारादि में एक या अनेक साधुओं का उद्देश्य है, उनके लिये वह आहारादि आधाकर्म है।

२. जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिये वही आहारादि औद्देशिक है।

मध्यम तीर्थकरों के शासन में "आधाकर्म" अप्राह्य होता है। प्रथम व अन्तिम तीर्थकर के शासन में "आधाकर्म और औद्देशिक" दोनों अप्राह्य होते हैं।

इस अन्तर के कारण को समझाने के लिये व्याख्याकार ने सरलता और वशता का कारण कहा है और उन्हें गृहस्थ और साधु दोनों पर उदाहरण सहित घटित किया है।

निमित्तकथन-प्रायश्चित्त—

७. जे भिखू पडुप्पणं निमित्तं वागरेइ, वागरेत्तं वा साइज्जइ ।

८. जे भिखू अणागमं निमित्तं वागरेइ, वागरेत्तं वा साइज्जइ ।

७. जो भिक्षु वर्तमान संबंधी निमित्त का कथन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

८. जो भिक्षु भविष्य मस्वन्धी निमित्त का कथन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

(उसे गुह्यचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—लाभ, अलाभ, सुख, दुःख और मरण ये निमित्त के छह प्रकार हैं। इन छह के भूत भविष्य और वर्तमान ये तीन-तीन भेद हैं।

निमित्त बताने के अनेक हेतु हैं, यथा—

१. आहारादि की उपलब्धि के लिये, २. यशःकीर्ति या प्रतिष्ठा के लिये, ३. किसी के लिहाज से, ४. किसी के हित के लिये या अनुकम्पा के लिये इत्यादि।

निमित्त बताने के अनेक तरीके हैं, यथा—

१. हस्तरेखा से, पादरेखा से, मस्तकरेखा से, २. शरीर के अन्य लक्षणों से, ३. तिथि, वार या राशि से, ४. जन्मतिथि या जन्मकुण्डली से, ५. प्रश्न करने से इत्यादि।

वर्तमान निमित्त के उदाहरण—

१. मैंने अमुक व्यक्ति को अमुक के पाठ भेजा है, वहाँ उसे धन की राशि मिल गई या नहीं? वह आ रहा है या नहीं?

२. कोई विदेश गया है, वह वहाँ जीवित है या मर गया?

३. कोई परीक्षा करने की दृष्टि से पूछे कि "मैं अभी सुखी हूँ या दुःखी?"

इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना वर्तमान निमित्त कथन है।

इसी प्रकार भविष्यकाल के हानि, लाभ, सुख, दुःख, जन्म, मरण सम्बन्धी निमित्त के प्रश्न व उनके उत्तर भी समझ लेने चाहिये।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान और भविष्य के निमित्त-कथन का गुह्योमासी प्रायश्चित्त कहा गया है। भूतकाल के निमित्तकथन का लघुओमासी प्रायश्चित्त तेरहवें उद्देशक में है।

निमित्तकथन का निषेध आगमों में भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ है।

कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं—

१. "जे लखणं च सुविणं च, अंगविज्जं च जे पउजंति ।
ण हु ते समणा वृच्चंति, एवं आरिण्हि अक्खायं ॥
—उत्तरा. अ. ८, गा. ३

२. जे लखणं सुविणं पउजमाणे, णिमित्त कोउहल संपगाढे ।
कुह्हेड विज्जासवदारजीवी, न गच्छइ सरणं तम्मि काले ॥
—उत्तरा. अ. २०, गा. ४५

३. सयं गेहं परिच्चज्ज, परगेहंसि वावरे ।
निमित्तेण य ववहरइ, पावसमाणे त्ति वृच्चइ ।
—उत्तरा. अ. १७, गा. १८

४. छिन्नं सरं भोमन्तलिवखं, सुविणं लखण-वण्ड-वत्थु-विज्जं ।
अंग-वियारं सरस्स विजयं, जे विज्जाहि न जीवई त भिक्खू ॥
—उत्तरा. अ. १५, गा. ७

५. नखत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंत-भेसजं ।
गिहिणो तं न आइक्खे, भूयाहिगरणं पर्यं ॥
—दशवै. अ. ८, गा. ५०

१. जो साधक लक्षणशास्त्र, स्वप्नशास्त्र एवं अंगविद्या का प्रयोग करते हैं उन्हें सच्चे अर्थों में श्रमण नहीं कहा जाता, ऐसा तीर्थकरों ने कहा है।

२. जो लक्षणशास्त्र और स्वप्नशास्त्र का प्रयोग करता है, जो निमित्तशास्त्र और कौतुक-कार्य में लगा रहता है, मिथ्या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली आस्रवयुक्त विद्याओं से आजीविका करता है, वह मरण के समय किसी की शरण नहीं पा सकता।

३. जो अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में जाकर उनका कार्य करता है और निमित्तशास्त्र से शुभाशुभ बताकर जीवन-व्यवहार चलाता है, वह पापश्रमण कहलाता है।

४. जो छेदन, स्वर (उच्चारण), भौम, अंतरिक्ष, स्वप्न, लक्षण, दंष्ट, वास्तुविद्या, अंगस्फुरण और स्वरविज्ञान आदि विद्याओं के द्वारा आजीविका नहीं करता है, वह भिक्षु है।

५. नक्षत्र, स्वप्न, बदीकरण योग, निमित्त, मन्त्र और भेषज—ये जीवों की हिंसा के स्थान हैं, इसलिए मुनि गृहस्थों को इनके फलाफल न बताए ।

निमित्तकथन से जिनाशा का उत्लंघन होता है ।

साधक संयमसाधना से चलित हो जाता है ।

सावध प्रवृत्तियों का निमित्त बनता है ।

निमित्तकथन से ही अनेक अनर्थ होने की संभावना रहती है ।

सूत्रश्रुतांगसूत्र अ. १२, गा. १० में बताया है कि "कई निमित्त कई बार सत्य होते हैं तो कई बार असत्य भी हो जाते हैं ।" जिससे साधु का यश और द्वितीय महाव्रत कलंकित होता है ।

शिष्य-अपहरण का प्रायश्चित्त—

९. जे भिवपू सेहं अवहरइ, अवहरंतं वा साइज्जइ ।

१०. जे भिवपू सेहं विप्परिणामेइ, विप्परिणामेंतं वा साइज्जइ ।

९. जो भिक्षु (अन्य के) शिष्य का अपहरण करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु (अन्य के) शिष्य के भावों को परिवर्तित करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।)

विवेचन—शिष्य दो प्रकार के होते हैं—१. दीक्षित (साधु) और २. दीक्षार्थी (बैरागी) । भागे के सूत्रों में दीक्षार्थी सम्बन्धी कथन है अतः यहाँ दीक्षित साधु ही समझना चाहिये ।

अपहरण—अन्य के शिष्य को अनुकूल बनाने के लिए अर्थात् आकर्षित करने के लिये आहार आदि देना, शिक्षा या ज्ञान देना और उसे लेकर अन्यत्र चले जाना, भेज देना या छिपा देना ।

विपरिणमन—शिष्य के या गुरु के ध्वगुण बताकर निन्दा करना य गुरु के गुण बताकर प्रशंसा करना । अन्य के पास रहने की हानियाँ बताकर अपने पास रहने के लाभ बताकर उसके भावों का परिवर्तन कर देना ।

विपरिणमन और अपहरण में अंतर—१. अपहरण—आकर्षित करके ले जाना ।

२. विपरिणमन—गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा करके विचारों में परिवर्तन कर देना, जिससे वह स्वयं गुरु को छोड़ दे ।

आप्यकार ने तरह-तरहों से विपरिणमन का विस्तार किया है तथा शिष्य के पूछने पर या बिना पूछे काया से, वचन से और मन से जिस-जिस तरह निन्दा, गर्हा की जाती है, उसका विलुप्त वर्णन किया है ।

दिशा-अपहरण का प्रायश्चित्त—

११. जे भिवपू दिसं अवहरइ, अवहरंतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिवपू दिसं विप्परिणामेइ, विप्परिणामेंतं वा साइज्जइ ।

११. जो भिक्षु नवदीक्षित की दिशा का अपहरण करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु नवदीक्षित की दिशा को विपरिणामित करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—“दिशा—इति व्यपदेशः, प्रव्रजनकाले उपस्थापनकाले वा, यां आचार्य उपाध्यायो वा व्यपदिश्यते सा तस्य दिशा इत्यर्थः । तस्यापहारी—तं परित्यज्य अन्यं आचार्य-उपाध्यायं वा प्रतिपद्यते इत्यर्थः । संजतीए पवत्तिणी ।” —चूर्णि

भावाय—प्रव्रज्या या उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) के समय नवदीक्षित को जिस आचार्य, उपाध्याय के नेतृत्व का निर्देश किया जाता है वह उसकी “दिशा” कहलाती है । उन आचार्य, उपाध्याय के निर्देश को छोड़ाकर अन्य आचार्य, उपाध्याय का कथन करवाना यह उस शिष्य की दिशा का अपहरण करना कहलाता है ।

इसी प्रकार साध्वी के लिये भी जिस प्रवर्तिनी का निर्देश करना हो, उसे दूसरी प्रवर्तिनी का निर्देश कर देना उसकी दिशा का अपहरण करना कहलाता है ।

अपहरण में स्वयं अन्य आचार्य, उपाध्याय का निर्देश कर दिया जाता है और विपरिणामन में नवदीक्षित के विचारों में परिवर्तन कराया जाता है ।

सूत्र ९-१० में पूर्वदीक्षित शिष्य के अपहरण या भावपरिवर्तन का प्रायश्चित्त है और सूत्र ११-१२ में दीक्षार्थी के अपहरण या भावपरिवर्तन का प्रायश्चित्त है ।

अपहरण और विपरिणामन ये दोनों भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं, जो व्यक्ति से संबंध रखती हैं । अतः “सेह” का अर्थ “दीक्षित शिष्य” समझा जाता है, वैसे ही “दिस” दिशा जिसकी हो वह दिशा-वान् अर्थात् दीक्षार्थी । अतः “दिस” से दीक्षार्थी का अपहरण और विपरिणामन समझ लेना चाहिये । अज्ञात भिक्षु को आश्रय देने का प्रायश्चित्त—

१३. जे भिखू बहियावासियं आप्तं परं ति-रायाओ अविफालेत्ता संवसावेइ, संवसावेंतं था साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु अन्य गच्छ के आये हुए (एकाकी) साधु को पूछताछ किये बिना तीन दिन से अधिक साथ में रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—यदि आने वाला साधु परिचित है तो आने का कारण पूछना चाहिए । यदि अपरिचित है तो वह कहां से आया है ? कहां जाना चाहता है ? इत्यादि प्रश्न पूछकर पूरी जानकारी करके यथायोग्य करना चाहिये । क्योंकि अपरिचित व्यक्ति चोर, ठग, डेपी, राजा का अपराधी, मंथून-सेवो, छिद्रान्वेपी, हत्यारा या उत्सूत्रप्ररूपक आदि भी हो सकता है ।

परिचित व्यक्ति से भी पूछताछ करना व्यवहार की अपेक्षा से आवश्यक है ।

जहां तक सम्भव हो उन्ही दिन जानकारी कर लेनी चाहिए । बीमारी आदि कारणों से ऐसा

करना सम्भव न हो तो भी तीसरे दिन का उल्लंघन तो नहीं करना चाहिये, अन्यथा प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

गच्छनायक का या वहां जो प्रमुख साधु हो उसी का यह कर्तव्य है और वही प्रायश्चित्त का पात्र है।

आने वाला साधु क्याति मुनकर आलोचना—(शुद्धि) के लिये, ज्ञानप्राप्ति के लिये, संघ के कार्य के लिए या उपसम्पदा के लिये भी आ सकता है। पूछताछ न करने से उसकी श्रद्धा में परिवर्तन होना, अपयग होना आदि सम्भव होता है। अतः प्रमुख साधु को इस कर्तव्य का विवेकपूर्वक पालन करना चाहिये।

कलह करके आये हुए भिक्षु को साथ आहार करने का प्रायश्चित्त—

१४. जे भिषखू साहिरणं, अविओसविय-पाहुडं, अकड-पायच्छित्तं, परं ति—रायाओ विष्फालिय अविष्फालिय संभुं जइ, संभुं जंतं वा साइज्जइ।

१४. जिसने बलेग करके उसे उपशान्त नहीं किया है, उसका प्रायश्चित्त नहीं किया है, उससे पूछताछ किये बिना या पूछताछ करके भी जो भिक्षु उसके साथ तीन दिन से अधिक आहार-सम्भोग रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है (उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेक—बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक ४ में बताया गया है कि किसी साधु का किसी साधु के साथ बलेग हो गया हो तो उसे उपशान्त किये बिना या आलोचना प्रायश्चित्त किये बिना गोचरी आदि किसी भी कार्य के लिये बाहर जाना नहीं कल्पता है।

इस प्रायश्चित्तसूत्र से यह फलित होता है कि क्लेशयुक्त भिक्षु यदि पूछताछ आदि कर लेने के बाद भी उपशान्त नहीं होता है, प्रायश्चित्त ग्रहण नहीं करता है तो तीन दिन के बाद उसके साथ आहार आदि करने का व्यवहार नहीं रखा जा सकता।

तीन दिन के बाद जो उसके साथ आहार का आदान-प्रदान करते हैं वे प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

यहाँ व्याख्याकार ने बलेग उत्पत्ति के अनेक कारण कहे हैं और अनुपशान्त भिक्षु को उपशान्त करने के अनेक उपाय भी कहे हैं। इन उपायों को न करके उनकी उपेक्षा करने से होने वाली अनेक हानियों को एक रोचक दृष्टान्त से समझाया गया है।

विपरीत प्रायश्चित्त कहने एवं देने का प्रायश्चित्त—

१५. जे भिषखू उग्घाइयं अणुग्घाइयं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ।

१६. जे भिषखू अणुग्घाइयं उग्घाइयं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ।

१७. जे भिषखू उग्घाइयं अणुग्घाइयं वेइ, देतं वा साइज्जइ।

१८. जे भिषखू अणुग्घाइयं उग्घाइयं वेइ, देतं वा साइज्जइ।

१५. जो भिक्षु लघुप्रायश्चित्तस्थान को गुरु प्रायश्चित्तस्थान कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु गुरुप्रायश्चित्तस्थान को लघु प्रायश्चित्तस्थान कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु लघुप्रायश्चित्तस्थान का गुरुप्रायश्चित्त देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु गुरुप्रायश्चित्तस्थान का लघु प्रायश्चित्त देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—दो सूत्रों में विपरीत प्ररूपणा करने का प्रायश्चित्त कहा गया है और दो सूत्रों में राग-द्वेष से या अज्ञान से कम या अधिक प्रायश्चित्त देने का प्रायश्चित्त कथन है ।

अधिक प्रायश्चित्त देने से साधु को पीड़ा होती है, उसकी अननुकम्पा होती है तथा आलोचक भय के कारण फिर कभी आलोचना नहीं करता है ।

कम प्रायश्चित्त देने से पूर्ण शुद्धि नहीं होती है और पुनः दोष सेवन की सम्भावना रहती है । अतः प्रायश्चित्त देने वाले अधिकारी को विपरीत प्रायश्चित्त न देने का ध्यान रकना चाहिए ।

प्रायश्चित्त योग्य भिक्षु के साथ आहार करने का प्रायश्चित्त—

१९. जे भिक्खू उग्घाइय सोच्चा णच्चा संभुंजइ, संभुंजंतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिक्खू उग्घाइय-हेउं सोच्चा णच्चा संभुंजइ, संभुंजंतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिक्खू उग्घाइय-संकप्पं सोच्चा णच्चा संभुंजइ, संभुंजंतं वा साइज्जइ ।

२२. जे भिक्खू अणुग्घाइय सोच्चा णच्चा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइज्जइ ।

२३. जे भिक्खू अणुग्घाइय-हेउं सोच्चा णच्चा संभुंजइ, संभुंजंतं वा साइज्जइ ।

२४. जे भिक्खू अणुग्घाइय-संकप्पं सोच्चा णच्चा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइज्जइ ।

१९. जो भिक्षु लघु प्रायश्चित्तस्थान के सेवन करने का सुनकर या जानकर उस साधु के साथ आहारादि का व्यवहार रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु लघुप्रायश्चित्त के हेतु को सुनकर या जानकर उस साधु के साथ आहारादि का व्यवहार रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु लघुप्रायश्चित्त के संकल्प को सुनकर या जानकर उस साधु के साथ आहारादि का व्यवहार रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु गुरुप्रायश्चित्तस्थान के सेवन करने का सुनकर या जानकर उस साधु के साथ आहारादि का व्यवहार रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु गुरुप्रायश्चित्त के हेतु को सुनकर या जानकर उस साधु के साथ आहार का व्यवहार रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जो भिक्षु गुरुप्रायश्चित्त के संकल्प को सुनकर या जानकर उस साधु के साथ आहारदि का व्यवहार रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उत्ते गुरुचोमात्तो प्रायश्चित्त माता है ।)

विवेचन— १. उग्धाइयं ति पायच्छित्तं घहंतस्स,
 २. पायच्छित्तमापण्णस्य जाव अणालोइयं ताय "हेउं" भण्णति,
 ३. आलोइए अमुगदिणे तुज्जेयं पच्छित्तं दिज्जिहिति ति "संकप्पियं" भण्णति ।—चूर्णि
 १. उग्धाइयं—प्रायश्चित्तस्थान सेवन करते समय,
 २. हेउं—उसके बाद आलोचना करे तब तक,
 ३. संकल्पं—प्रायश्चित्त में स्थापित करने का जो दिन निश्चित किया हो उस दिन तक

प्रायश्चित्त स्थान सेवन करने के समय से लेकर प्रायश्चित्त के निमित्त कृत तप के पूर्ण हो तक उस साधु के साथ आहार का आदान-प्रदान करने का निषेध है ।

प्रायश्चित्त के निमित्त किये जाने वाले तप की जो विधि विधि होती है, उसमें तो प्रायश्चित्त करने वाले के साथ सभी सामान्य व्यवहार समाप्त कर दिये जाते हैं । किन्तु यहाँ उसके पूर्व में भ्रवस्था में आहार का व्यवहार बंद करने का तीन विभागों द्वारा कथन कर प्रायश्चित्त कहा गया है

तीन सूत्रों में उद्घातक से सम्बन्धित प्रायश्चित्त कहा गया है और तीन सूत्रों में अनुद्घातक से सम्बन्धित प्रायश्चित्त कहा गया है ।

चूर्णिकार ने इन सूत्रों की व्याख्या के प्रारम्भ में ही कहा है कि "एते छः सुत्ता ।" इस वाद उद्घातक आदि शब्दों का अर्थ किया है । फिर भी इन छः सूत्रों के कभी बारह सूत्र बंगे हैं जो उपलब्ध सभी प्रतियों में मिलते हैं । सम्भव है बङ्गने का आधार भाष्य गाया २८८७ में चूर्णि में कहे गए भंग ही सकते हैं । यही यह स्पष्ट किया गया है कि सूत्र तो ६ ही हैं । संयोगपूर्वक इन ६ से घना लेना चाहिए, जिनकी संख्या १५ है ।

सूर्योदय-वृत्तिलंघन का प्रायश्चित्त—

२५. जे भिक्खू उग्गय-यित्तोए अणत्थमिय-संकल्पे संघट्टिए निव्वित्तिगच्छा-समावण्णेण अप्पाणेण असणं वा पाणं वा घाइमं वा साइमं वा पट्टिग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे, अह पुण एवं जाणेज्जा—“अणुग्गए सुरिए, अत्थमिए था” से जं च मुहे, जं च पाणिंति, जं च पट्टिग्गहे, तं विविग्गेषाणे वित्तोहेमाणे नाइक्कमइ जो तं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

२६. जे भिक्खू उग्गययित्तोए अणत्थमिय-संकल्पे संघट्टिए वित्तिगच्छा-समावण्णेण अप्पाणेण असणं वा पाणं वा घाइमं वा साइमं वा पट्टिग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे, अह पुण एवं जाणेज्जा—“अणुग्गए सुरिए, अत्थमिए था” से जं च मुहे, जं च पाणिंति, जं च पट्टिग्गहे, तं विविग्गेषाणे वित्तोहेमाणे नाइक्कमइ, जो तं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

२७. जे भिक्खू उगगय-वित्तीए अणत्थमिय-संकप्पे असंयडिंए निव्वित्तिगिच्छासमावण्णेणं पाण्णेणं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे, अह पुण एवं णेज्जा—“अणुग्गए, सूरिए, अत्थमिए वा,” से जं च मुहे, जं च पाणिंसि. जं च पडिग्गहे, तं विगिच्चे-णे विसोहेमाणे नाइक्कमइ, जो तं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिक्खू उगगय-वित्तीए अणत्थमिय-संकप्पे असंयडिंए वित्तिगिच्छासमावण्णेणं अप्पा-णं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे, अह पुण एवं जाणेज्जा “अणुग्गए, सूरिए, अत्थमिए वा” से जं च मुहे, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहे, तं विगिच्चेमाणे सोहेमाणे नाइक्कमइ, जो तं भुंजइ, भुंजंतं साइज्जइ ।

२५. भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व आहार लाने का एवं खाने का संकल्प होता है । जो समय भिक्षु संदेह रहित आत्मपरिणामों से अशन, पान, खाद्य या स्वाद ग्रहण करके जाता हुआ यह जाने कि “सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है” उस समय जो आहार मुँह या हाथ में लिया हुआ हो और जो पात्र में रखा हुआ हो उसे निकालकर परठता हुआ तथा मुख, हाथ व पात्र को पूर्ण विशुद्ध करता हुआ वह जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है । किन्तु जो उस शेष आहार को खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व आहार लाने व खाने का संकल्प होता है । जो समय भिक्षु संदेहयुक्त आत्मपरिणामों से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण कर खाता हुआ यह जाने कि “सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है” उस समय जो आहार मुख में या हाथ में लिया हुआ हो और जो पात्र में रखा हुआ हो, उसे निकालकर परठता हुआ तथा मुख, हाथ व पात्र को पूर्ण विशुद्ध करता हुआ जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है । किन्तु जो उस शेष आहार को खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२७. भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व आहार लाने व खाने का संकल्प होता है । जो असमर्थ भिक्षु संदेहरहित आत्मपरिणामों से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करके खाता हुआ यह जाने कि “सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है” उस समय जो आहार मुँह में या हाथ में लिया हुआ हो और जो पात्र में रखा हुआ हो उसे निकालकर परठता हुआ तथा मुख, हाथ व पात्र को पूर्ण विशुद्ध करता हुआ वह जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है । किन्तु जो उस शेष आहार को खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व आहार लाने व खाने का संकल्प होता है । जो असमर्थ भिक्षु संदेहयुक्त आत्मपरिणामों से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण कर खाता हुआ यह जाने कि “सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है” उस समय जो आहार मुँह में या हाथ में लिया हुआ हो और जो पात्र में रखा हुआ हो, उसे निकालकर परठता हुआ तथा मुख, हाथ व पात्र को पूर्ण विशुद्ध करता हुआ वह जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है । किन्तु जो उस आहार को खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता ।)

विवेचन—इन चारों सूत्रों में ‘समर्थ-असमर्थ, संदेहरहित-संदेहयुक्त’ की चौमंगी की गई है—

१. समर्थ साधु संदेहरहित होकर आहार ग्रहण करता है ।

२. समर्थ साधु संदेहयुक्त होकर आहार ग्रहण करता है ।
३. असमर्थ साधु संदेहरहित होकर आहार ग्रहण करता है ।
४. असमर्थ साधु संदेहयुक्त होकर आहार ग्रहण करता है ।

चूर्णिकार का कथन है—

१. संयडिओ नाम हृद-समरवो,
२. वित्तिगिच्छा—विमर्षः—मत्तियिप्सुता संदेह इत्यर्थः, सा निगता वित्तिगिच्छा जस्त सो निव्वित्तिगिच्छो भवति ।
३. अम्भादिर्णह कार्णोह अदिट्ठे आइच्चे संका भवति—कि उचितो अणुचितो ति । अत्यमणकाले वि किं सुतो धरति न या ति संका भवति । (सो वित्तिगिच्छाओ) ।
४. छट्ठेत्थमादिणा तवेण किलंतो असंयडो, गेलण्णेण या दुब्बलसरीरो असंयडो, दोहद्वानेण या पज्जत्तं अलभंतो असंयडो ।

१. संस्तृत अर्थात् स्वस्य या समर्थ ।
२. निव्विचिकित्सा अर्थात् संदेहरहित ।
३. बादल आदि कारणों से सूर्य के नहीं दिखने पर शंका होती है कि सूर्योदय हुआ या नहीं भयया सूर्यास्त के समय सूर्य है या अस्त हो गया, ऐसी शंका होती है ।
४. बेले, तैले आदि तप से घटाक्त बना हुआ, रुग्णता से दुर्बल धारी वाला या लम्बे विहार में आहार के अलाभ से क्षुधातुर भिक्षु अमंस्तृत कहलाता है ।

विहार करते समय आगे आहार मिलने की सम्भावना न हो और रात्रि-विश्राम जहाँ किया हो उस ग्राम के प्रायः सभी लोग प्रातःकाल ही भेत आदि के लिये जा रहे हों, ऐसे समय में समर्थ (स्वस्य) साधु भी ग्रहण करने जा सकता है । इसी तरह दूसरे दिन आहारादि मिलने की सम्भावना न हो, ऐसे समय में शाम को भिक्षा लाने का प्रसंग उपस्थित हो सकता है ।

असमर्थ (ग्लान) के लिये तो ऐसे अवसर सहज सम्भव हैं ।

बादल या पहाड़ आदि से पन्नी-कभी सूर्योदय होने या सूर्यास्त न होने का आभास हो सकता है । फिर थोड़ी देर बाद गहरी स्थिति सामने आ जाती है ।

संदिग्ध या अमंदिग्ध अवस्था में आहार ग्रहण करने के बाद यदि निर्णय हो जाए कि सूर्योदय नहीं हुआ या सूर्यास्त हो गया है, या आहार ग्रहण करने के बाद सूर्योदय हुआ है तो वह आहार साधु को ग्राना नहीं कल्पता है । प्रायः जाने पर रात्रिभोजन का दोष लगता है तथा उसका गुरुत्वीमागं प्रायश्चित्त घाता है । अतः वह आहार पात्र में हो या हाथ में हो या मुख में हो, परट्ट देना चाहिये और हाथ आदि को पानी से धो लेना चाहिये ।

उद्गाल गिलने का प्रायश्चित्त—

२९. जे भिन्नू राओ या बिपाने वा सपानं सभोयणं उग्गाले उग्गित्ता पच्चोग्गल्लं, पच्चोग्गल्लं वा साइग्गल्लं ।

जो भिक्षु रात्रि में या विकाल में आहार या पानी सहित उद्गाल के मुंह में आने के बाद पुनः उसे निगल जाता है या निगलने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विधेचन—मर्यादा से अधिक खा लेने पर दिन में, रात्रि में या विकाल (संधिकाल) में उद्गाल आ सकता है। उद्गाल यदि गले तक आकर पुनः लौट जाये तो प्रायश्चित्त नहीं आता है किन्तु मुंह में आ जाय और उसे निगल जाए तो भिक्षु को प्रायश्चित्त आता है, किन्तु दिन में निगलने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है।

इस सूत्र में व्याख्याकार (भाष्य, चूणिकार) ने गमं 'तवे' पर पानी की बूंद का दृष्टान्त देकर समझाया है कि साधु को इतना मर्यादित आहार करना चाहिये कि जिसका जठराग्नि द्वारा पूर्ण पाचन ही जाए, अपाचन सम्बन्धी कोई विकार न होने पाए।

यह सूत्र रात्रिभोजन से सम्बन्धित सूक्ष्म मर्यादा के पालन का प्रेरक है।

आगमकार ने उद्गाल निगलने को भी रात्रिभोजन ही माना है। अतः इसका गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है।

ग्लान की सेवा में प्रमाद करने का प्रायश्चित्त—

३०. जे भिवखू गिलाणं सोच्चा णच्चा ण गवेसइ, ण गवेसंतं वा साइज्जइ ।

३१. जे भिवखू गिलाणं सोच्चा णच्चा उम्मगं वा पडिपहं वा गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ ।

३२. जे भिवखू गिलाण-वेयावच्चे अब्भुट्टिए सएण लाभेण असंथरमाणे जो तस्स ण पडित्तप्पइ, ण पडित्तप्पंतं वा साइज्जइ ।

३३. जे भिवखू गिलाण-वेयावच्चे अब्भुट्टिए गिलाण-पाउग्गे दव्वजाए अलम्भमाणे, जो तं ण पडियाइवच्छइ, ण पडियाइवच्छंतं वा साइज्जइ ।

३०. जो भिक्षु ग्लान साधु का समाचार सुनकर या जानकर उसका पता नहीं लगता है या पता नहीं लगाने वाले का अनुमोदन करता है।

३१ जो भिक्षु ग्लान साधु का समाचार सुनकर या जानकर ग्लान भिक्षु की ओर जाने वाले मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से या प्रतिपथ से (जिधर से आया उधर ही) चला जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

३२. जो भिक्षु ग्लान की सेवा में उपस्थित होकर अपने लाभ से ग्लान का निर्वाह न होने पर उसके समीप खेद प्रकट नहीं करता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

३३. जो भिक्षु ग्लान की सेवा में उपस्थित होकर उसके योग्य औपघ, पथ्य आदि नहीं मिलने पर उसको आकर नहीं कहता है या नहीं कहने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विधेचनः—१. किसी ग्लान के सम्बन्ध में सूचना मिले कि सेवा करने वाले की उमे आवश्यकता है तो पूरी जानकारी प्राप्त करके उसकी सेवा में जाना चाहिये।

२. किन्तु ग्लान भिक्षु के ग्राम की या स्थान की जानकारी होने पर सेवा न करने की भावना से उन्मार्ग से अन्यत्र न जावे तथा जिस मार्ग से आ रहा हो उसी मार्ग से वापिस न लौटे ।

३. ग्लान के लिए आवश्यक पदार्थ न मिले या पूर्ण मात्रा में न मिले तो उसकी संतुष्टि के लिये नहीं मिलने का दोष अपने ऊपर लेकर गेद प्रकट करना चाहिए ।

४. श्रौषध या पय्य गवेणना करने पर भी न मिले तो न अन्य काम में लगे और न कहीं बंटे किन्तु पहले ग्लान को यह जानकारी दे कि "इतनी गवेणना करने पर भी आवश्यक वस्तु नहीं मिली है या कुछ देर बाद मिलने की सम्भावना है ।"

प्रागम में वैयावृत्य को आभ्यन्तर तप कहा है । अतः साधु को इसे अपनी आत्मशुद्धि का कार्य समझकर करना चाहिये तथा यह सोचना चाहिये कि यह ग्लान मुझ पर उपकार कर रहा है, मुझे सहज आभ्यन्तर तप का अवसर दे रहा है । इस तरह उपकार मानकर सेवा करने से अत्यधिक निर्जरा होती है । उत्तराध्ययन सूत्र अ. २९ में सेवा से तीर्थंकर पद का सर्वोत्तम लाभ होना कहा है । सूत्रकृतांग सूत्र श्रु. १ अ. ३ उर्दे. ३ तथा ४ में ग्लान भिक्षु की अग्नान भाव से सेवा करने का निर्देश किया गया है ।

वर्षाकाल में विहार करने पर प्रायश्चित्त—

३४. जे भिक्षु पटम-पाउसम्मि गामाणुगामं दूइज्जइ, दुइज्जंतं या साइज्जइ ।

३५. जे भिक्षु यासावासं पज्जोत्तिययंसि गामाणुगामं दूइज्जइ, दुइज्जंतं या साइज्जइ ।

३४. जो भिक्षु प्रथम प्रायुट् ऋतु में ग्रामानुग्राम विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु वर्षाकाल में पशुपण करने के बाद ग्रामानुग्राम विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुनीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचनः—भिक्षु हेमन्त और श्रौष्म के आठ महीनों में विचरण करे और वर्षाकाल के चार मास में विचरण नहीं करे । यथा—

जो कल्पइ निगंघाण या निगंघीण या यासावासासु धारए ।

कल्पइ निगंघाण या निगंघीण या हेमंतगिम्हासु धारए ॥

—बृहत्कल्प० उ० १, सू० ३६-३७

इन दो सूत्रों में बारह महीनों का वर्णन किया गया है, जिसमें वर्षाकाल-चातुर्मास का काल चार मास का गिना गया है ।

तीर्थंकर भगवान् महावीर के जन्म आदि के महीनों का कथन इस प्रकार है—

निम्हानं चउत्थे मासे अट्ठमे पत्ते आसाउमुडे

यासावासाणं तच्चे मासे पंचमे पत्ते आतोयवट्ठे

हेमंताणं पट्टमे मासे पट्टमे पत्ते मिगतारवट्ठे । --जाया० धु० २, प० १४

इन पाठों से यह स्पष्ट है कि वर्षावास, हेमंत और ग्रीष्मकाल चार-चार मास के होते हैं ।
वस्त्रग्रहण सम्बन्धी विधि-निषेध व प्रायश्चित्त संबंधी सूत्रों में भी वारह महीनों का विभाग इस प्रकार किया है—

नो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पढम-समोसरणुद्देसपत्ताइं चेलाइं पडिग्गाहेत्ताए ।
कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा दोच्चसमोसरणुद्देसपत्ताइं चेलाइं पडिग्गाहेत्ताए ।

—वृहत्कल्प० उ० ३, सू० १६-१७

जे भिक्खू पढमसमोसरणुद्देसे पत्ताइं चोवराइं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ ।

—निशीथ० उ० १०, सु० ४७

वितियं समोसरणं उडुबद्धं, तं पडुच्च वासावासोग्गहो पढमसमोसरणं भण्णति ।

—निशीथ चूर्णि उ० १०, पृ० १५८

इन सूत्रों में भी ४ महीनों के वर्षावास को प्रथम समवसरण कहा है और आठ महीनों के ऋतुवद्ध काल को दूसरा समवसरण कहा है । इस प्रकार वारह महीनों को दो समवसरणों में विभक्त किया है ।

अह पुण एवं जाणिज्जा—चत्तारि मासा वासावासाणं वीइवकंता ।

—आचा० श्र० २, अ० ३, उ० १

इस पाठ में भी चातुर्मास के चार महीने ही कहे हैं । अतः वर्षावास (चातुर्मास) चार मास का होता है, उपर्युक्त सूत्र पाठों से यह स्पष्ट निर्णय हो जाता है ।

“चातुर्मास रहने” के लिये क्रिया-प्रयोग इस प्रकार है—

सेवं णच्चा णो गामाणुगामं दुइज्जेज्जा तओ संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा ।

तहप्पगारं गामं वा जाव रायहारिणं वा णो वासावासं उवल्लिएज्जा ।

तहप्पगारं गामं वा जाव रायहारिणं वा तओ संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा ।

—आचा० श्रु० २, अ० ३, उ० १

इन सूत्रों में चार मास तक रहने के लिए ‘उवल्लिएज्जा’ क्रिया का प्रयोग किया गया है ।

पज्जोसवणा और पज्जोसवेइ क्रिया का प्रयोग—

जे भिक्खू अपज्जोसवणाए पज्जोसवेइ, पज्जोसवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पज्जोसवणाए ण पज्जोसवेइ ण पज्जोसवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पज्जोसवणाए इत्तरियंपि आहारं आहारेइ, आहारंत्तं वा साइज्जइ ।

—निशीथ उ० १०, सु० ३६-३८

इन सूत्रों में संवत्सरी के लिए पज्जोसवणा और संवत्सरी करने के लिए ‘पज्जोसवेइ’ क्रिया का प्रयोग हुआ है ।

ठाणांगमूत्र प्र. ५ उ. २ गु. २ में चातुर्मास में विहार करने के कारणों का कथन दो विभाग करके कहा गया है—प्रथम विभाग को 'पठम पाउसम्मि' कहा है और द्वितीय विभाग को 'वासावास पज्जोसवियमि' कहा है।

दोनों विभागों में विहार करने के भिन्न-भिन्न ५-५ कारण कहे हैं। ये दोनों विभाग चातुर्मास के ही हैं। क्योंकि षोडश महीनों में विहार करने की कल्पनीय कहा गया है। अथवा तो अश्वत्थ-नीय में होना है।

ठाणांगमूत्र के इन सूत्रों के समान प्रस्तुत सूत्र ३४-३५ में भी चातुर्मास के दो विभागों का कथन करते हुए प्रायश्चित्त कहा गया है।

'पज्जोसवेद' क्रिया का प्रयोग संवत्सरी करने के लिए ऊपर बताया है, अतः ये दो विभाग चातुर्मास के इस प्रकार समझना आगमसम्मत है। प्रथम विभाग संवत्सरी के पूर्व और दूसरा विभाग संवत्सरी (पशुपणा) के बाद।

विहार करने का प्रायश्चित्त-विधान और कारणों से विहार करने का कथन चातुर्मास (वर्षावास) के चार महीनों की अपेक्षा सही है। जिसके लिए प्रस्तुत दोनों सूत्र ३४-३५ में तथा ठाणांगमूत्र में 'पठमपाउसम्मि' तथा 'वासावासं पज्जोसवियमि' शब्द हैं, जिनका 'पाउस—वर्षाकाल के प्रथम विभाग में' और 'वर्षावास में पशुपणा (संवत्सरी) करने के बाद में', ऐसा अर्थ करना ही प्रसंग-संगत है।

वृत्ति की अपेक्षा में भी यही अर्थ उचित होता है। भगवान् महावीर स्वामी के चातुर्मास रहने का और चार मासग्रमण का पारणा होने का वर्णन भी भगवतोमूत्र में है। उसके बाद के आज तक के २५०० वर्षों के इतिहास में भी प्रायः चार मास का वर्षावास ही करते आए हैं।

अतः 'वासावास' के साथ जाने वाली पज्जोसवियमि क्रिया निशेष व ठाणांग में पशुपणा का ही कथन करने वाली है, ऐसा मानने पर ही अर्थ की पूर्वापर संगति होती है।

भाष्यकार और चर्चिकार ने अतः ऋतु में पहली प्रायश्चित्त ऋतु कही है। इसमें विहार करने के प्रायश्चित्त का विधान है तथा 'दूदग्गद' का अर्थ करते हुए कहा है कि दो (गीत और घोष) वात में भिक्षु चलता है, इसलिए दूदग्गद क्रिया है।

संवत्सरी के हेमन्त, शीष्म और वर्षाकाल रूप तीन विभाग और प्रायश्चित्त आदि छह विभाग निश्चित हैं। प्राकृतिक परिवर्तन होने पर या एक मास की वृद्धि-हानि हो जाने पर भी इन विभागों की कालगणना में जो महीने कहे गये हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।

पशुपणकाल में पशुपणा न करने का प्रायश्चित्त—

३६. जे भिषणू पज्जोसवणाए ण पज्जोसवेद ण पज्जोसवेत्तं वा साइग्गद ।

३७. जे भिषणू अपज्जोसवणाए पज्जोसवेद पज्जोसवेत्तं वा साइग्गद ।

३६. जो भिक्षु पशुपणा (संवत्सरी) के दिन पशुपणा नहीं करता है या नहीं करते वामे का अनुमोदन करना है।

३७. जो भिक्षु पर्युपण के दिन से अन्य दिन में पर्युपण करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है)।

विवेचन—चातुर्मास-वर्षावास चार महीने का होता है, यह पूर्व में स्पष्ट किया गया है। इन दो सूत्रों में पर्युपण सम्बन्धी कथन है। यह पर्युपण एक दिन का होता है, ब्रह्म भी निश्चित है। इसलिये इन दो सूत्रों में उस दिन पर्युपण न करने का तथा अन्य दिन करने का प्रायश्चित्त कहा है।

आगमों में इस दिन के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन नहीं है, फिर भी इन दो सूत्रों में प्रायश्चित्त-विधान करने से संवत्सरी के दिन का निश्चित निर्देश किया गया है।

इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए गाथा ३१४६ व गाथा ३१५३ की चूर्ण में भादवा सुदी पंचमी का कथन किया गया है तथा गाथा ३१५२-५३ की व्याख्या में १ मास २० दिन का कथन भी किया है। ऐसा ही कथन ७०वें समवाय में भी है। अतः तात्पर्य यह है कि इस दिन को छोड़कर अन्य दिन पर्युपण करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है और उस दिन के लिए भादवा सुदी पंचमी तिथि निश्चित है।

इस विषय में कहा जाता है कि दातवाहन राजा के आग्रह से कालकाचार्य ने चौथ की संवत्सरी की, तब से चौथ की संवत्सरी की जाती है।

कोई भी गीतार्थ या आगमविहारी मुनि परिस्थितिवश अपवादमार्ग के सेवन का निर्णय ले सकते हैं। आपवादिक स्थिति के समाप्त होने पर उसका यथोचित प्रायश्चित्त कर पुनः सूत्रोक्त आचरण स्वीकार कर लेते हैं। परिस्थितिवश सेवन किये गए अपवाद के लिए सूत्रविपरीत परम्परा चलाने का अधिकार किसी भी गीतार्थ या आगमविहारी को नहीं है। अतः पूर्वघर कालकाचार्य के द्वारा किसी देश के राजा के आग्रह से चौथ की संवत्सरी करना कदाचित् सम्भव हो सकता है, किन्तु उनके द्वारा परम्परा चलाना या चलने देना उचित नहीं है। क्योंकि अपवाद आचरण को उत्सर्ग आचरण वताना अपराध है। अतः उपर्युक्त कथन के अनुसार संवत्सरी के काल का परिवर्तन उचित नहीं कहा जा सकता।

आगमोक्त निश्चित दिवस तो भादवा सुदी पंचमी का ही था और है। उससे भिन्न किसी भी दिन पर्युपण करने पर प्रायश्चित्त आता है, यही इन दो सूत्रों का आशय समझना चाहिए।

आज भी पंचांगों में ऋषिपंचमी, इसी दिन लिखी जाती है। १०-२० वर्षों के पचाङ्ग देखकर निर्णय किया जा सकता है।

अपने-अपने मतानुसारों को त्याग कर पंचाङ्गों में लिखी ऋषिपंचमी के दिन पर्युपण (संवत्सरी) करने का निर्णय सम्पूर्ण जैन संघ स्वीकार कर ले तो आगम परम्परा और एकरूपता दोनों का निर्वाह सम्भव है।

“ऋषिपंचमी” नाम भी इस अर्थ का सूचक है कि ऋषि-मुनियों का पर्वदिवस। इस “ऋषि” शब्द में जैन-जैनतर सभी साधुओं का समावेश हो जाता है। जैनागमों में भी साधु के लिए “ऋषि” शब्द का प्रयोग हुआ है।

आज से सैकड़ों (१२००-१३००) वर्षों पूर्व गीतार्थ आचार्यों ने लौकिक पंचांग से ही सभी पर्वदिवस मनाने का निर्णय लिया था, यथा—

विद्यमे शमयवितेते, करणगह-वार-वार-रिक्टाणं ।

पर्वतिहोण य सम्मं, पत्ताहं विपलियं सुत्तं ॥ १ ॥

तो पव्याइविरोहं णाउं, सव्हेहि गोयसुरीहि ।

आगाममूलमिणं पि अ, तो लोइय टिप्पणयं पणयं ॥ २ ॥

अर्थ—गमय की विपमता के करण, ग्रहों की गति, वार, नक्षत्र घोर पर्व-तिथियों की सम्मत् सिद्धि करने वाला श्रुत नष्ट हो चुका है, अतः पर्व-तिथि आदि के निर्णय में। विशेष धाता जानकर सभी गीतार्थ आचार्यों ने यह “लौकिक पंचांग भी आगमानुसार ही है” ऐसा मानकर इसी से पर्व-तिथि आदि करना स्वीकार किया है ।

धनः सम्पूर्ण जैन समाज को लौकिक पंचांग-निर्दिष्ट पक्ष एवं चातुर्मास के अन्तिम दिन अर्थात् अमावस्य पूनम को पञ्चमी, चौमासी पर्व तथा ऋषिपंचमी को संवत्सरी महापर्व मनाने का निर्णय स्वीकार करना चाहिये । ऐसा करने में मूलोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है तथा अनेक गीतार्थ पूर्वाप्तियों के सम्मत् निर्णय का पालन भी होता है ।

पयुं पण के दिन बाल रहने देने का और आहार करने का प्रायश्चित्त—

३८. जे भिषू पज्जोसवणाए गोलोमाइं पि बालाईं उवाइणावेइ, उवाइणावेतं वा साइज्जइ ।

३९. जे भिषू पज्जोसवणाए इत्तरियं पि आहारं आहारेइ आहारं वा साइज्जइ ।

३८. जो भिक्षु पयुं पण (संवत्सरी) के दिन गाय के रोम जितने बालों को रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३९. जो भिक्षु पयुं पण (संवत्सरी) के दिन थोड़ा भी आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उने गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विशेष—पयुं पण सम्बन्धी भिक्षु के कर्तव्य—

१. यथावाम योग्य क्षेत्र न मिलने पर यदि चातुर्मास की स्थापना न की हो तो द्वादश दिन चातुर्मास निश्चित कर देना चाहिये ।

२. पञ्चुयस्य मान के लिए ग्रहण किये गए दम्प्या, संस्तारक की चातुर्मास-समाप्ति तक रखने को पुनः थापना न की हो तो द्वादश दिन अवश्य कर लेना चाहिये ।

३. निर या दावी-मूर्ध के गो-रोम जितने बाल भी हो गए हों तो उनका मोच अवश्य कर लेना चाहिये । क्योंकि गो-रोम जितने बालों को पकड़कर मोच किया जा सकता है ।

४. संवत्सरी के दिन चारों आहारों का पूर्ण त्याग करना चाहिये अर्थात् पीविहार उपवास करना चाहिये ।

इन कर्तव्यों का पालन न करने पर भिक्षु प्रायश्चित्त का पात्र होता है । इनका पालन करना ही पयुं पण को पयुं पित्त करना कहा जाता है ।

इसके अनिश्चित धर्म भर की समस्त धाराधना-धिराधना का चिन्तन कर हानि-नाश का परपोषण करना, आनोषणा, प्रतिश्रमन व क्षमापना आदि कर धारणा की शान्त व स्वयं करो

वर्धमान परिणाम रखना इत्यादि विशिष्ट धर्म-जागरणा करने के लिये यह पयुं पण का दिन है। इन कर्तव्यों का पालन करने पर ही आत्मा के लिये इसी दिन का महत्त्व है। आगम में इसी दिन के लिये "पयुं पण" शब्द प्रयोग किया गया है। श्वेताम्बर परम्परा के पूर्व साधना के सात दिन युक्त आठवें दिन को पयुं पण कहा जाता है और इस दिन को "संवत्सरी" कहा जाता है। किन्तु वास्तव में संवत्सरी का दिन ही आगमोक्त पयुं पण दिन है। शेष दिन पयुं पण की भूमिका रूप हैं। दिगम्बर परम्परा में पयुं पण के दिन से बाद में १० दिन तक धर्म-आराधना करने की परिपाटी है। कालान्तर से दसवें दिन (अनन्त चतुर्दशी को) संवत्सरी पर्व का आराधन किया जाने लगा है।

पयुं पणाकल्प गृहस्थ को सुनाने का प्रायश्चित्त—

४०. जे भिखू अणउत्थियं वा गारुत्थियं वा पज्जोसवेद्द, पज्जोसवेंतं वा साइज्जइ ।

४०. जो भिक्षु ग्रन्थतीर्थिक या गृहस्थ को पयुं पणाकल्प (साधु-समाचारी) सुनाता है या सुनाने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—“ग्रन्थतीर्थिक और गृहस्थ” से आठ प्रकार के गृहस्थ समझना चाहिये जिनका स्पष्टीकरण पहले उद्देशक के सूत्र १५ में कर दिया गया है।

दशाश्रुतस्कन्ध के आठवें अध्यायन का नाम “पज्जोसवणाकल्प” है। उसमें वर्षावास की साधु-समाचारी का कथन है।

पयुं पण के दिन सायंकालीन प्रतिक्रमण करके सभी साधु “पज्जोसवणाकल्प” अध्यायन का सामूहिक उच्चारण करें या श्रवण करें तथा उसमें वर्णित साधु-समाचारी का वर्षावास में व अन्य काल में पालन करे।

चूणि में कहा है—“पज्जोसवणाकल्पकहणे इमा सामायारी”—‘अप्पणो उवस्तए पादोसिए भावस्तए कए कालं धेतुं’ (काल प्रतिलेखन कर) काले सुद्धे पट्ठवेत्ता कहिज्जति ।.... । सव्वे साहू सम्पायणियं काउस्तारं करेति ।’

स्वाध्याय-काल का प्रतिलेखन कर इस अध्यायन का श्रवण कर फिर समाप्ति का कायोत्सर्ग करना इत्यादि विधि चूणि में बताई गई है।

प्रस्तुत सूत्र में “पयुं पणाकल्प-अध्यायन” गृहस्थों को सुनाने का या गृहस्थ-युक्त साधु-परिपद में सुनाने का प्रायश्चित्त कहा गया है। अतः रात्रि के समय साधु-परिपद में ही कहने और सुनने का विधान है।

“पज्जोसवणाकल्प” अध्यायन की यह परम्परा अज्ञात काल से विच्छिन्न हो गई है।

दशाश्रुतस्कन्ध की नियुक्ति आदि व्याख्याओं की रचना के समय तक यह अध्यायन अपने स्थान पर ही पूर्ण रूप से था। उसके बाद सम्भव है तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी में इसे संक्षिप्त करके वर्तमान प्रख्यात कल्पसूत्र से जोड़ा गया है तथा किसी प्रति के लेखक ने इस अध्यायन के स्थान पर पूरे कल्पसूत्र को ही लिख दिया है। इससे इस अध्यायन का सही स्वरूप ही नहीं रहा। तीर्थंकरों के वर्णन व स्वविरावली के साथ-साथ मौनिक समाचारी में भी अनेक पाठ प्रक्षिप्त किये गये हैं, जो नियुक्ति व उसकी चूणि के अध्यायन से स्पष्ट जाने जा सकते हैं।

कालिक दशाश्रुतस्मृत्यसूत्र का 'पञ्जोत्तवष्णाकल्प' अध्ययन गृहस्थों को सुनाने का निषेध है, फिर भी उसे उत्कालिक (चुल्ल) कल्पसूत्र आदि किसी से जोड़ा गया है और नया कल्पसूत्र संवलन कर दौघहर (उत्काल) में तथा गृहस्थों के सामने वांचन किया जाने लगा है।

यह अध्ययन वर्तमान में विकृत अवस्था में है। इसको मोलिकता के साथ ही इससे सम्बन्धित गृह परम्परा भी व्यवच्छिन्न हो गई। जिसमें इस प्रायश्चित्तसूत्र ४० को अथपरम्परा व प्रायश्चित्त-परम्परा भी विच्छिन्नप्रायः हो चुकी है।

वर्षाकाल में वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

४१. जे भिक्षु पदमसभोसरणहेसे-पत्ताइं चीवराइं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं या साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चावम्मासियं परिहार-ठाणं अणुग्घाइयं ।

८१. जो भिक्षु चातुर्मासकाल प्रारम्भ हो जाने पर भी वस्त्र ग्रहण करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

इन ४१ सूत्रोक्त स्थानों का भंग करने पर गुरुचीमासी प्रायश्चित्त प्राप्ता है।

विषय—'प्रथम भगवत्सरण' व 'द्वितीय समवसरण' ये शब्द श्रमदाः चातुर्मास काल तथा ऋतुबद्ध काल के लिए प्रागमन में प्रयुक्त हुए हैं। साधु के प्रागमन में प्रागमन को समवसृत होना कहा जाता है। यह प्रागमन दो प्रकार का है—ऋतुबद्धकाल के लिए प्रागमन और चातुर्मासकाल के लिए प्रागमन। इस प्रागमन काल को ही 'भगवत्सरण' कहा जाता है। उसके दो विभाग हैं अतः प्रथम व द्वितीय समवसरण कहा जाना व्युत्पत्तिमुक्त है।

बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक ३, सूत्र १६ में चातुर्मास में वस्त्रग्रहण करने का निषेध है और इन सूत्र में उसका प्रायश्चित्त कहा गया है।

सूत्र में 'पत्ताइ' शब्द है उसकी व्याख्या में दोनों व्याख्याकारों ने 'प्राप्तानि' खायी करके 'पत्त' 'अपत्त' क्षेत्र एवं काल के भंग बनाये हैं।

'पत्ताइ' शब्द का 'पात्र' अर्थ भी होता है किन्तु सूत्ररचना के अनुसार 'प्राप्तानि' अर्थ संगत होता है। क्योंकि दो का भंग करना ही तो प्रागमकार 'पा' का प्रयोग करते हैं, यथा—'वर्षं वा पडिग्गहं वा'।

अतः इन सूत्र में केवल वस्त्र का ही भंग है, फिर भी व्याख्याकार ने सभी उपकरणों का चातुर्मास में ग्रहण करने का निषेध किया है और चातुर्मास से पूर्व धारणकाल और अतिरिक्त तीन-तीन मी उपधि व विन्ती मंगला में ग्रहण करने की आज्ञा, यह भी स्पष्ट किया है।

उद्देशक का सारांश—

सूत्र —१-४ धारणं वा रत्नाधिक भंग्यं कौ बडोर, क्था वा उभयं यत्नं कते तथा किंमो भो प्ररार की धारणागता कते ।

- सूत्र ५ अनन्तकाय-संयुक्त आहार करे ।
 सूत्र ६ आधाकर्म दोष का सेवन करे ।
 सूत्र ७-८ वर्तमान या भविष्य सम्बन्धी निमित्त कहे ।
 सूत्र ९-१० शिष्य का अपहरण आदि करे ।
 सूत्र ११-१२ दीक्षार्थी का अपहरण आदि करे ।
 सूत्र १३ आने वाले साधु के आने का कारण जाने बिना आश्रय दे ।
 सूत्र १४ कलह उपशान्त न करने वाले के या प्रायश्चित्त न करने वाले के साथ आहार करे ।
 सूत्र १५-१८ प्रायश्चित्त का विपरीत प्ररूपण करे या विपरीत प्रायश्चित्त दे ।
 सूत्र १९-२४ प्रायश्चित्त सेवन, उसके हेतु और संकल्प को सुनकर या जानकर भी उस भिक्षु के साथ आहार करे ।
 सूत्र २५-२८ सूर्योदय या सूर्यास्त के संदिग्ध होने पर भी आहार करे ।
 सूत्र २९ रात्रि के समय मुख में आये उद्गाल को निगल जावे ।
 सूत्र ३०-३३ ग्लान की सेवा न करे अथवा विधिपूर्वक सेवा न करे ।
 सूत्र ३४-३५ चातुर्मास में विहार करे ।
 सूत्र ३६-३६ पर्युपण (संवत्सरी) निश्चित दिन न करे और अन्य दिन करे ।
 सूत्र ३८ पर्युपण के दिन तक लोच न करे ।
 सूत्र ३९ पर्युपण के दिन चौविहार उपवास न करे ।
 सूत्र ४० पर्युपणाकल्प गृहस्थों को सुनावे ।
 सूत्र ४१ चातुर्मास में वस्त्र ग्रहण करे ।

ऐसी प्रवृत्तिया का गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के १६ सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- सूत्र १-४ अविनय आशातनाओं का कथन दशाश्रुतस्कन्ध दशा १ व ३ में, उत्तराध्ययन अ. १ व अ. १७ में, दशवैकालिक अ. ९ में तथा अन्य आगमों में भी हुआ है ।
 सूत्र ५ अनन्तकाययुक्त आहार आ जाने पर उसके परिष्ठापन करने का कथन आचा. श्रु. २, अ. १, उ. १ में है ।
 सूत्र ६ आधाकर्म दोषयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ९ तथा सूय. श्रु. १, अ. १०, गा. ८ व ११ में तथा अन्य अनेक स्थलों में है ।
 सूत्र ७-८ निमित्त कथन का वर्णन उत्तरा. अ. ८, अ. १७ तथा अ. २० में है ।
 सूत्र २५-२९ रात्रि भोजन निषेध के चार भागों और उद्गाल निगलने का सूत्र बृहत्कल्प उ. ५ में है ।
 सूत्र ३४-३५ चातुर्मास में विहार करने का निषेध बृहत्कल्प उद्देश. १, सूत्र ३६ में है ।
 सूत्र ४१ चातुर्मास में वस्त्र ग्रहण करने का निषेध बृहत्कल्प उद्देश. ३, सू. १६ में है ।

इस उद्देशक के २५ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- सूत्र ९-१२ शिष्य व दीक्षार्थी सम्बन्धी इस तरह का स्पष्ट कथन व प्रायश्चित्त इनका समावेश तीसरे महाप्रत में हो सकता है ।

- सूत्र १३ आगन्तुक साधु को आश्रय देने का प्रायश्चित्त ।
 सूत्र १४ अनुपशान्त के साथ आहार करने का प्रायश्चित्त ।
 सूत्र १५-२४ प्रायश्चित्तों की विपरीत प्ररूपणा आदि का प्रायश्चित्त ।
 सूत्र २०-२३ स्नान की सेवा का निर्देश सूयगडांग अ. ३ तथा अन्य आगमों में भी है, किन्तु यहाँ स्पष्ट सूचनायुक्त विशेष प्रायश्चित्त कहे हैं ।
 सूत्र ३६-४० पशुपणा के विशेष विधान और प्रायश्चित्त ।

॥ दसवाँ अध्याय समाप्त ॥

□

उद्यारहवाँ उद्देशक

निषिद्ध पात्रग्रहण-धारण-प्रायश्चित्त—

१. जे भिक्खू १. अय-पायाणि वा, २. तंब-पायाणि वा, ३. तउय-पायाणि वा, ४. सीसग-पायाणि वा, ५. हिरण्ण-पायाणि वा, ६. मुवण्ण-पायाणि वा, ७. रीरिय-पायाणि वा, ८. हारपुड-पायाणि वा, ९. मणि-पायाणि वा, १०. काय-पायाणि वा, ११. कंस-पायाणि वा, १२. संख-पायाणि वा, १३. सिग-पायाणि वा, १४. दंत-पायाणि वा, १५. चेल-पायाणि वा, १६. सेल-पायाणि वा, १७. चम्म-पायाणि वा करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिक्खू अय-पायाणि वा जाव चम्म-पायाणि वा धरेइ, धरतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिक्खू अय-बंधणाणि वा जाव चम्म-बंधणाणि वा (पायाणि) करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिक्खू अय-बंधणाणि वा जाव चम्म-बंधणाणि वा (पायाणि) धरेइ, धरतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु १. लोहे के पात्र, २. तांबे के पात्र, ३. रांगे के पात्र, ४. शीशे के पात्र, ५. चांदी के पात्र, ६. सोने के पात्र, ७. पीतल के पात्र, ८. मुक्ता आदि रत्न जड़ित लोहे आदि के पात्र, ९. मणि के पात्र, १०. कांच के पात्र, ११. कांसे के पात्र, १२. संख के पात्र, १३. सीग के पात्र, १४. दांत के पात्र, १५. वस्त्र के पात्र, १६. पत्थर के पात्र, १७. चर्म के पात्र बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु लोहे के पात्र यावत् चर्म के पात्र रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु पात्र पर लोहे के बंधन लगाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु लोहे के बंधन यावत् चर्म के बंधन वाले पात्र रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १ में तथा ठाणांगसूत्र अ. ३ में साधु-साध्वी के लिये तीन प्रकार के पात्र ग्रहण करने एवं धारण करने का विधान है, यथा—१. तुम्बे के पात्र, २. लकड़ी के पात्र, ३. मिट्टी के पात्र ।

अन्य अनेक आगमों में भी इन्हीं तीन प्रकार के पात्रों का निर्देशपूर्वक वर्णन किया गया है ।

आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १ में लोहे आदि के पात्र तथा लोहे आदि के बंधन युक्त पात्र ग्रहण

करने का निषेध किया गया है। प्रस्तुत चार मूत्रों में उन्हीं लोहे आदि के पात्रों को ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा गया है।

आचारंगमूत्र में लोहे से चर्म पर्यन्त कथन करने के साथ अन्य भी इस प्रकार के पात्र ग्रहण करने का निषेध किया है तथा इन्हें बहुमूल्य विशेषण से सूचित किया है।

लकड़ी, तुम्बा व मिट्टी के पात्र भिक्षु की लघुता के सूचक हैं। भगवतीमूत्र श. ३, उ. १ में तामलितापस के काष्ठ-पात्र ग्रहण करने का वर्णन है। उववाईसूत्र में तापस-परिव्राजक आदि के वर्णन में उनके लिए काष्ठ आदि तीन प्रकार के ही पात्र रखने का वर्णन है एवं अनेक प्रकार के पात्र रखने का निषेध है।

काष्ठादि तीनों प्रकार के पात्र अल्पमूल्य एवं सामान्य जातीय होने से उनकी खोरी होने का भय नहीं रहता है। काष्ठ व तुम्बे के पात्र में वजन भी कम होता है।

लोहे आदि के पात्र भारी तथा बहुमूल्य होते हैं, अतः इनका निषेध व प्रायश्चित्त कहा गया है।

वर्तमान में प्लास्टिक के पात्र भी साधु-साध्वी उपयोग में लेते हैं। प्लास्टिक को काष्ठ-रस संयोग से निर्मित माना जाता है। प्लास्टिक के पात्र का वजन व मूल्य काष्ठपात्र से भी कम होता है। अतः लोहे आदि के पात्र में होने वाले दोषों की इसमें सम्भावना नहीं है। किन्तु ये पात्र सभी प्रकार के घाघ पदार्थ ग्रहण करने व रखने के योग्य नहीं होते हैं। अतः आगम-निदिष्ट काष्ठादि पात्र के समान ये पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं हैं।

आचारंगमूत्र में निषिद्ध पात्रों के वर्णन में १७ जाति का नामोल्लेख है। जो प्रायः सभी प्रतियों में एक समान है। किन्तु प्रस्तुत प्रायश्चित्तमूत्र में जो उल्लेख है, वह विभिन्न प्रतियों में विभिन्न रूप से उपलब्ध है अर्थात् क्रम और नामों में भी कुछ-कुछ भिन्नता है।

निजीयमूत्र को अनेक प्रतियों में कुल मिलाकर (२२) बाबीस नाम आते हैं, जिनमें (१२) बारह नाम सभी प्रतियों में समान हैं और (१०) दस नाम किसी में हैं, किसी में नहीं हैं।

वे बारह नाम इस प्रकार हैं—

१. घस-पायाणि, २. तंब-पायाणि, ३. तउय-पायाणि, ४. सुवर्ण-पायाणि, ५. कंस-पायाणि, ६. मणि-पायाणि, ७. दंत-पायाणि, ८. सिंग-पायाणि, ९. संघ-पायाणि, १०. घन्म-पायाणि, ११. चेत-पायाणि, १२. वडर-पायाणि।

दस नाम इस प्रकार हैं—

१. मोसग-पायाणि, २. रण्य-पायाणि, ३. जायस्य-पायाणि, ४. कणग-पायाणि, ५. हिरण्य-पायाणि, ६. रीरिय-पायाणि, ७. हारपुड-पायाणि, ८. काम-पायाणि, ९. सेत-पायाणि, १०. अंक-पायाणि।

निजीयमूत्र में चार-पांच नाम निदिष्ट टोका में केवल एक शब्द व नामों के समानान्तर सम्मेलन नहीं है। दो शब्दों की व्याख्या है। आचारंग-मूत्र में इन पाठान्तरों का कोई प्रामाणिक

लिपि-काल में प्रविष्ट अशुद्धियां समझकर एकरूपता से उपलब्ध आचारांग के पाठ के अनुसार (१७) सतरह नाम मूल पाठ में स्वीकार किये हैं जो निशीथ की भी एक प्रति में उपलब्ध हैं तथा प्रश्नव्याकरणसूत्र में भी १७ ही नाम मिलते हैं। पाच नाम छोड़ दिये हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. रूप-पायाणि, २. जायरूप-पायाणि, ३. कणग-पायाणि, ४ अंक-पायाणि, ५. वडर-पायाणि ।

इन्हें छोड़ने के तीन कारण हैं—

१. ये पांचों आचारांगसूत्र में नहीं हैं ।

२. ये पांचों प्रश्नव्याकरणसूत्र में भी किसी प्रति में नहीं है ।

३. “रूप” का “हिरण्ण” में, “जायरूप एवं कणग” का “भुवण्ण” में तथा “अंक एवं वडर” का “हारपुड” में समावेश हो जाता है । हारपुड का अर्थ इस प्रकार है—

“हारपुडं नाम-अयमाद्याः पात्रविशेषाः मौक्तिकलताभिरूपशोभिताः ।”

—नि. चू. उ. ११, सू. १

अर्थ—लोहे आदि (सोना-चांदी आदि) के पात्रविशेष, जो कि मुक्ता आदि से शोभित हैं अर्थात् मुक्ता—रत्न आदि से जड़ित लोहे, सोने, चांदी आदि के पात्र को हारपुड पात्र समझना चाहिए । अंक और वज्र भी एक प्रकार के रत्नविशेष हैं । अतः हारपुड पात्र के अन्तर्गत इन्हें समझ लेना चाहिए ।

अनेक उपलब्ध प्रतियों में पात्र प्रायश्चित्त के ६ सूत्र मिलते हैं । किन्तु चूणिकार ने संख्या-निर्देश करके चार सूत्रों की व्याख्या इस प्रकार की है—

“प्रथमसूत्रे स्वयमेव करणं कज्जइ ।

द्वितीयसूत्रे अन्यकृतस्य धरणं ।

तृतीयसूत्रे अयमादिभिः स्वयमेव बंधं करोति ।

चतुर्थसूत्रे अन्येन अयमादिभिर्बद्धं धारयति ।” —नि. चूणि ।

चूणिकार ने तीसरे-छठे सूत्र का उल्लेख नहीं किया है किन्तु चार सूत्र ही होने का स्पष्ट निर्देश किया है । अतः मूल पाठ में चार सूत्र ही स्वीकार किये हैं ।

लोहे आदि के पात्र स्वयं करने का आशय यह समझना चाहिये कि—अपने उपयोग में आने के योग्य बनाना । किन्तु मूलतः बनाना साधु के लिये सम्भव नहीं हो सकता ।

“काष्ठ आदि के पात्र पर लोहे आदि के तार से बंधन करना या कांच आदि को पात्र के किनारे चौतरफ लगाकर उसकी किनार बनाना”, इनका बंधन करना समझना चाहिये ।

इस प्रकार के पात्र या इन बंधनों वाले पात्र रखना व उपयोग में लेना ही धारण करना है ।

आचारांगसूत्र के समान निशीथसूत्र की एक प्रति में “अण्यराणि वा तहप्यगाराणि पायाइं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ” इस प्रकार पाठ मिलता है, किन्तु चूणि व्याख्या में व अनेक प्रतियों में नहीं मिलता है । अतः वह शब्द नहीं रखा है । फिर भी आचारांग में निषेध होने से इस प्रकार के अन्य भी पात्रों के करने एवं रखने का यही प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिये ।

मूल में स्वीकार नहीं किया गया तीसरा य छट्टा सूत्र इस प्रकार है—

जे भिक्खू अय-पायाणि वा जाव चम्म-पायाणि वा परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ॥३॥

जे भिक्खू अय-बंधणाणि वा जाव चम्म-बंधणाणि वा परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ॥६॥

सूत्रकथित लोहे आदि के पात्र किस-किस कीमत के ग्रहण करने से कितना-कितना प्रायश्चित्त आता है तथा किन-किन दोषों की सम्भावना रहती है इत्यादि जानकारी के लिये भाष्य देखें ।

पात्र हेतु अर्घ्ययोजन की मर्यादा भंग करने का प्रायश्चित्त—

५. जे भिक्खू परं अट्ठजोयणमेराओ पायवडियाए गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ ।

६. जे भिक्खू परं अट्ठजोयणमेराओ सपच्चवार्यंसि पायं अभिहडं आहुट्टु वेज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५. जो भिक्षु प्राग्धे योजन से आगे पात्र के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु बाधा वाले मार्ग के कारण प्राग्धे योजन की मर्यादा के बाहर से सामने लाकर दिया जाने वाला पात्र ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरु-चोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—आचारांगसूत्र श्रु. २, अ. ६, उ. १ में प्राग्धे योजन से आगे पात्र के लिये जाने का निषेध है । अपने ठहरने के स्थान से गवेपणा के लिये जाने की यह क्षेत्र-मर्यादा है कि दो कोस तक जा सकता है । उससे अधिक दूर जाने में एवं पुनः आने में समय की अधिकता तथा अनवस्था आदि दोषों की सम्भावना रहती है । अतः पांचवें सूत्र में इसका प्रायश्चित्त कहा है ।

आचारांगसूत्र श्रु. २, अ. ६, उ. १ में सामने लाया हुआ पात्र ग्रहण करने का निषेध है, जिसका प्रायश्चित्त कथन निशोपसूत्र उद्देशक १४ में है । यहाँ छट्टे सूत्र में विगेष स्थिति का प्रायश्चित्त है ।

जिस दिशा में पात्र उपलब्ध हो वहाँ जाने का मार्ग सिंह, सर्प या उन्मत्त हाथी आदि में अवरोध हो गया हो या जल में अवरोध हो गया हो और पात्र की यदि अत्यन्त आवश्यकता हो और प्राधा योजन (दो कोस) क्षेत्र में से सामने लाकर दिया जा रहा हो तो ग्रहण करने पर इस सूत्र के अनुसार गुरुचोमासी प्रायश्चित्त नहीं आता है, किन्तु प्राधा योजन के प्राग्धे से सामने लाया गया पात्र ग्रहण करने पर यह प्रायश्चित्त आता है ।

सूत्र में "सपच्चवार्यंसि" शब्द है । जिसका "किसी प्रकार की बाधाजनक स्थिति" ऐसा अर्थ होता है । अतः बीमारी आदि कारणों में भी सामने लाया गया पात्र ग्रहण किया जा सकता है किन्तु अर्घ्य योजन की मर्यादा भंग करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

धर्म की निंदा करने का प्रायश्चित्त—

७. जे भिवखू धम्मस्स अवण्णं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

७. जो भिक्षु धर्म की निंदा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—धर्म दो प्रकार का है १. श्रुतधर्म, २. चारित्रधर्म ।

१. श्रुतधर्म—ग्यारह अंग, पूर्वज्ञान और आवश्यकसूत्र एवं इनके अर्थ तथा पांच प्रकार के स्वाध्याय की निंदा करना अथवा उसे “अयुक्त” कहना “श्रुतधर्म” का अवर्णवाद है। यथा—

(१) छह काया आदि जीवों का, महाव्रत आदि आचार का तथा प्रमाद-अप्रमाद का अनेक स्थलों में बार-बार कथन किया गया है, वह अयुक्त है।

(२) वैराग्य से प्रव्रजित होने वाले भिक्षुओं को ज्योतिष वर्णन, ‘जोणिपाहुड’ व निमित्तवर्णन से क्या प्रयोजन है? अतः इनके वर्णन की आगम में भी क्या आवश्यकता है?

(३) सभी आगम एक अर्धमागधी भाषा में ही हैं, यह ठीक नहीं है। अलग-अलग भाषा में होने चाहिये।

इत्यादि प्रकार से श्रुत की आसानता करना श्रुतधर्म की निंदा है।

२. चारित्रधर्म—श्रावक-धर्म अथवा साधु-धर्म के आचार-नियमों के मूलगुणों या उत्तर-गुणों के विषय में निंदा करना, उन्हें “अयुक्त” कहना चारित्रधर्म का अवर्णवाद है। यथा—

(१) जीवरहित स्थान ही तो प्रतिलेखन करना निरर्थक है।

(२) सम्पूर्ण लोक जीवों से व्याप्त है तो गमनागमन आदि क्रिया करते हुए निर्दोष चारित्र कैसे रह सकता है?

(३) प्रत्येककाय-एकेन्द्रिय के संघट्टन मात्र का लघुमासिक प्रायश्चित्त देना इत्यादि अल्प अपराध में उग्र दंड देना अयुक्त है।

(४) अपवाद में मोकाचमन (भूत्रप्रयोग) का कथन भी अयुक्त है।

(५) आधाकर्म दोष युक्त आहार गृहस्थ ने बना ही दिया तो फिर लेने में साधु को क्या दोष है, इत्यादि। यह चारित्रधर्म की निंदा है।

श्रुतधर्म या चारित्रधर्म की निंदा करने से उसे सुनकर मंदबुद्धि साधक साधना से च्युत हो सकते हैं। निंदा करने वाला जानावरणीय आदि कर्मों का बंध करके दुर्लभबोधि होता है।

मूलगुण या उत्तरगुण की निंदा, देशधर्म या सर्वधर्म की निंदा एवं गृहस्थधर्म या संयमधर्म की निंदा के विकल्पों से युक्त प्रायश्चित्त की विशेष जानकारी के लिये भाष्य देखें।

अधर्म-प्रशंसा-करण-प्रायश्चित्त—

८. जे भिवखू अहम्मस्स वण्णं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

८. जो भिक्षु अश्रम की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरु-चोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विधेचन—हिंसा, असत्य के समर्थक पापश्रुतों की, चरक-परिधाजक आदि के पंचानि वग आदि व्रतविशेषों की तथा हिंसा आदि शठारह पापों की प्रशंसा करना अश्रमप्रशंसा है। अश्रम की प्रशंसा करने से उन पापकार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। जीवों के मिय्यात्व का पोषण होता है। सामान्य व्यक्ति मिय्यात्व की तरफ आकर्षित होते हैं।

अतः पाप या अश्रम की प्रशंसा करने का प्रसंग उपस्थित होने पर भिक्षु मौन रहे एवं उपेक्षा भाव रहे तथा श्रवसर देखकर गुह्य धर्म का प्ररूपण करे।

गृहस्थ का शरीर-परिकर्म-करण प्रायश्चित्त—

९ से ६२. जे भिषखू अण्णउत्तिययस्स वा गारत्तिययस्स वा पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जेतं वा पमज्जेतं वा साइज्जइ। एवं तइयउद्देशगमेण णेयय्वं जाव जे भिषखू ग्रामानुग्रामं वूइज्जमाणे अण्णउत्तिययस्स वा गारत्तिययस्स वा सीसदुयारियं फरेइ, करेतं वा साइज्जइ।

९ से ६२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के परों का एक बार या अनेक बार "ग्रामर्जन" करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। इस प्रकार तीसरे उद्देशक के (सूत्र १६ से ६९) के समान आत्मापक जान लेने चाहिए यावत् जो भिक्षु ग्रामानुग्राम विहार करते समय अन्यतीर्थिक या गृहस्थ का मस्तक ढांकता है या ढांकने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विधेचन—गृहस्थ-परिकर्म प्रायश्चित्त के ५४ सूत्र हैं। साधु के द्वारा गृहस्थ की सेवा करने पर इन सूत्रों से गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है। इनका विधेचन उद्देशक ३ सूत्र १६ से ६९ तक में किया गया है। अतः वहाँ देखें। अन्यतीर्थिक तथा गृहस्थ का स्पष्टार्थ उ. १, सूत्र १५ के विधेचन में देखें।

भयभीतकरण-प्रायश्चित्त—

६३. जे भिषखू अप्पाणं बोभावेइ, बोभावेतं वा साइज्जइ।

६४. जे भिषखू परं बोभावेइ, बोभावेतं वा साइज्जइ।

६३. जो भिक्षु स्वयं को डराता है या डराने वाले का अनुमोदन करता है।

६४. जो भिक्षु दूसरे को डराता है या डराने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरु-चोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विधेचन—भिक्षु को भूत, पिनाच, राक्षस, सर्प, सिंह, चोर आदि से स्वयं को भयव्रत बनाना या अन्य को भयभीत करने के लिये भयजनक वचन कहना योग्य नहीं है।

भाष्यकार ने यत्नाया है कि इन भय-निमित्तों का अस्तित्व हो तो भयभीत करने पर तदनु-चोमासी प्रायश्चित्त आना है और बिना अस्तित्व के ही भयभीत करने पर गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।

भिक्षु को स्वभाव से ही गम्भीर और निर्भीक रहना चाहिये । भयकारी निमित्तों के उत्पन्न होने पर भी सावधान और विवेकपूर्वक रहना चाहिये तथा अन्य सन्तों को सूचित करना हो तो भयोत्पादक तरीके से कथन न करते हुए सावधान करने योग्य गम्भीर एवं सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहना चाहिए ।

भयकारी निमित्तों के न होने पर अन्य को भयभीत करना या स्वयं भयभीत होना अति भयभीरता या कुतूहल वृत्ति से होता है, जो भिक्षु के लिये अयोग्य है ।

भयभीत करने से होने वाले दोष—

१. अपने या अन्य के सुख की उपेक्षा होती है ।

२. दूसरों के भयभीत होने की प्रसन्नता से दृष्टचित्त हो जाता है ।

३. भयभीत होने पर कोई क्षिप्तचित्त हो जाता है या उसे रोगातंक हो जाता है ।

४. भयभीत होने पर या अन्य को भयभीत करने पर कभी 'भूत' आदि का प्रवेश हो जाए तो उससे अनेक दोषोत्पत्ति होती है ।

५. भय के कारण होनेवाली उपयोगरहित प्रवृत्तियों से छःकाय के जीवों की विराघना हो सकती है ।

अतः स्वयं भी भयभीत नहीं होना चाहिए और अन्य को भयभीत नहीं करना चाहिये ।

विस्मितकरण प्रायश्चित्त—

६५—जे भिवखू अप्पाणं विम्हावेइ, विम्हावेतं वा साइज्जइ ।

६६—जे भिवखू परं विम्हावेइ, विम्हावेतं वा साइज्जइ ।

६५—जो भिक्षु स्वयं को विस्मित करता है या विस्मित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६६—जो भिक्षु दूसरे को विस्मित करता है या विस्मित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—विद्या, मंत्र, तपोलब्धि, इन्द्रजाल, भूत-भविष्य-वर्तमान सम्बन्धी निमित्त वचन, अंतर्धान, पादलेप और योग (पदार्थों के सम्मिश्रण) आदि से स्वयं विस्मित होना या अन्य को विस्मित करना भिक्षु के लिये योग्य नहीं है ।

जो स्वयं ने प्रयोग नहीं किये हैं और दूसरों के द्वारा किये जाते हुये को देखा-सुना भी न हो ऐसे असद्भूत प्रयोगों की कल्पना द्वारा कथन से स्वयं को या अन्य को विस्मित करने का प्रस्तुत मंत्रों में गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा गया है । भाष्य में वास्तविक विस्मयकारक प्रयोगों से स्वयं को या अन्य को विस्मित करने का लघुचौमासी प्रायश्चित्त बताया है ।

अन्य भी अनेक कुतूहलवृत्तियों में आश्चर्यान्वित (चकित) करने का प्रायश्चित्त भी इसी मंत्र से समझ लेना चाहिये । विस्मयकारक प्रयोगों से होने वाली हानियाँ—

१. 'मैंने ऐसा विस्मयकारक प्रयोग किया', इस हर्ष से उन्मत्त हो सकता है।
 २. अन्य को विस्मित करने से वह विक्षिप्तचित्त हो सकता है।
 ३. उस विद्या आदि को कोई याचना कर सकता है। उसे देने पर सावध प्रवृत्ति होगी और नहीं देने पर वह विरोधी बनता है।
 ४. विद्या आदि के प्रयोग में प्रवृत्त होने से तप-संयम की हानि होती है।
 ५. असद्भूत प्रयोगों से विस्मित करने में माया-मृषावाद का सेवन होता है।
- अतः सद्भूत या असद्भूत दोनों प्रकार की विस्मयकारक प्रवृत्तियाँ करने पर प्रायश्चित्त प्राता है।

विपर्यासकरण-प्रायश्चित्त—

- ६७—जे भिषखू अप्पाणं विप्परियासेइ, विप्परियासंतं वा साइज्जइ।
- ६८—जे भिषखू परं विप्परियासेइ, विप्परियासंतं वा साइज्जइ।
- ६७—जो भिक्षु स्वयं को विपरीत बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है।
- ६८—जो भिक्षु दूसरे को विपरीत बनाता है या विपरीत बनाने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है।)

विवेचन—स्वयं की जो भी अवस्था है, यथा—स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, जवान, सरीसृप, वीरग, नीरोग, सुख, दुःख आदि, उनसे विपरीत अवस्था करना—यह स्वविपर्यासकरण है। इसी तरह अन्य की भी जो अवस्था हो उससे विपरीत बनाना यह परविपर्यासकरण है। ऐसा करने से गुरुचानुमांति प्रायश्चित्त प्राता है।

सूत्र ६३ से ६८ तक इन छहों सूत्रों में कुतूहलवृत्ति और मायाचरण दोष के कारण प्रायश्चित्त का कथन है।

सूत्र ६७-६८ में भाष्यकार ने विपर्यास करने की जगह विपर्यास कथन का अधिक विवेचन किया है।

अन्यमतप्रशंसाकरण-प्रायश्चित्त—

- ६९—जे भिषखू मुहवण्णं करेइ, करेतं वा साइज्जइ।
- जो भिक्षु अन्य धर्म की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है।)

विवेचन—जो निम्न धर्म का भक्त हो उसके गामने उसके धर्म आदि की प्रशंसा करना मुद्यर्ग है। वे प्रशंसा के स्थान ये हैं, यथा—

१. गंगा आदि नृतीर्थों की।

२. शाक्य मत आदि कुसिद्धांतों की ।
३. मल्लगणधर्म आदि कुधर्मों की ।
४. गोव्रत आदि कुव्रतों की ।
५. भूमिदान आदि कुदानों की ।
६. ३६३ पाखंड रूप उन्मार्गों की ।

इनकी प्रशंसा करने से मिथ्यात्व व मिथ्या प्रवृत्ति की पुष्टि होती है । जिनप्रवचन की प्रभावना में कमी होती है । साधु की अपकीर्ति होती है कि ये खुशामदी हैं, इसीलिये हर किसी के समक्ष उसके मत की प्रशंसा करते हैं ।

अतः कुत्तौषिकों के सामने उनके मत की प्रशंसा करे, अन्य धर्म के मुख्य तत्त्वों की या मुख्य प्रवर्तक की प्रशंसा करे तो उस भिक्षु को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

सूत्र में 'मुखवर्ण' शब्द है, जिसका अर्थ है—जो सामने हो उसकी प्रशंसा करना । जिस किसी के सामने उसकी प्रशंसा करना खुशामद करना कहा जाता है और असत् गुणकथन से माया व असत्य वचन का दोष भी लगता है । जिससे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त का कारण बनता है । इसके पूर्व के सूत्रों में भी असत् भयभीतकरण, विस्मितकरण और विपर्ययकरण के प्रायश्चित्त का कथन है । अतः प्रस्तुत सूत्र में भी कोई व्यक्ति सामने है, उसकी अतिशयोक्तियुक्त असत् प्रशंसा (भूठी प्रशंसा) करने का यह प्रायश्चित्त है, ऐसा समझना अधिक संगत प्रतीत होता है ।

भाष्य में "भावमुख" की अपेक्षा अन्य धर्म एवं उनके मुख्य तत्त्वों की प्रशंसा उसी धर्म के अनुयायी के सामने करने की अपेक्षा से विवेचन किया गया है, जिसका सारांश ऊपर दिया गया है ।

विरुद्धराज्य-गमनागमन-प्रायश्चित्त—

७०. जे भिक्खू वेरज्ज-विरुद्धरज्जंसि सज्जं गमणं, सज्जं आगमणं, सज्जं गमणागमणं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

७०. दो राजाओं का परस्पर विरोध हो और परस्पर राज्यों में गमनागमन निषिद्ध हो, वहाँ जो भिक्षु वारंवार गमन, आगमन या गमनागमन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—एक विरोधी राज्य से दूसरे विरोधी राज्य में जाना "गमन" है । जाकर पुनः लौटना "आगमन" है तथा वार-वार जाना-आना "गमनागमन" है । अथवा—प्रज्ञापक की अपेक्षा "गमन", अन्य स्थान की अपेक्षा "आगमन" है ।

दो राजाओं में परस्पर विरोध चल रहा हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर प्रतिबंध हो तो वहाँ भिक्षु को नहीं जाना चाहिये । वहाँ जाना आवश्यक ही हो तो एक बार जाना या आना करे तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है । किन्तु वारंवार जाने या आने में अनेक दोषों की संभावना होने से उसका प्रायश्चित्तविधान है ।

बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक एक में इस सम्बन्ध में निषेध किया गया है तथा ऐसा करने वाला भगवदाज्ञा तथा राजाज्ञा दोनों का उल्लंघन करने वाला होता है, ऐसा कहा गया है ।

इसमें यह फलित होता है कि ऐसे विरुद्ध राज्य में भिक्षु को एक बार जाना या आना अत्यावश्यक हो तो राजाजा या भगवदाजा का उल्लंघन नहीं होता है।

विरोध के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। अतः जिन विरोधी क्षेत्रों में जिन समय सर्वथा गमनागमन निषेध हो उस समय वहाँ एक बार भी नहीं जाना चाहिये। किन्तु जहाँ "ज्वापारी" आदि के लिये गमनागमन की कुछ छूट हो या विरोधी राज्य के सिवाय अन्यत्र जाने आने की छूट हो तो वहाँ आवश्यक होने पर जाया जा सकता है।

यदि आवश्यक न हो तो ऐसे विरोधी क्षेत्रों में गमनागमन नहीं करना चाहिये।

दिवसभोजननिन्दा तथा रात्रिभोजनप्रशंसा करने का प्रायश्चित्त—

७१. जे भिक्षू दियाभोयणस्स अवण्णं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ।

७२. जे भिक्षू राइभोयणस्स वण्णं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ।

७१. जो भिक्षु दिन में भोजन करने की निन्दा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

७२. जो भिक्षु रात्रिभोजन करने की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उभे गुरुवामासी प्रायश्चित्त आता है।

विशेष—दशवर्षकालिक सूत्र अ. ४ में कथन है कि—भिक्षु रात्रि भोजन का तीन करण तीन योग में जीवन पर्यंत के लिये प्रत्याख्यान करता है। अतः प्रशंसा करने से अनुमोदन के त्याग का भंग होता है।

एयं घ दीतं वट्ठण णायपुत्तेण भासियं।

सच्चाहारं न भुंजति शिग्गंघा राइभोयणं ॥ —दशवर्ष. अ. ६. गा. २५

अर्थ—रात्रिभोजन को दोषयुक्त जानकर शातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर ने कहा है कि निग्रन्थ किमो प्रकार का आहार रात्रि में नहीं करते।

तात्पर्य यह है कि रात्रिभोजन दोषयुक्त है और भिक्षु के लिये सर्वथा त्याज्य है।

दिवस-भोजन की निन्दा एवं रात्रिभोजन की प्रशंसा करने से भिक्षु रात्रिभोजन का प्रेरण होता है, जिससे तीन करण तीन योग से किया गया रात्रिभोजनप्रत्याख्यान अत दूषित हो जाता है और जिनवाणी ने विपरीत प्ररूपणा करने का दोष भी लगता है। अतः प्रस्तुत सूत्रद्वय में इनका प्रायश्चित्त कहा गया है।

दिवस-भोजन की निन्दा के प्रकार—

१. यामु घातप आदि में आहार का मन्थ घोषित हो जाता है। अतः आहार बलवर्धन नहीं रहता है।

२. दूसरे के देगने में आहार का मन्थ अपहृत हो जाता है।

३. किसी की दूषित दृष्टि से नजर लग जाती है ।

४. मक्खियाँ आदि जन्तु आहार में गिर जाते हैं ।

५. आकाश में उड़ने वाले चिड़िया-बग्गुलि आदि की वींट आदि गिर जाती है ।

६. दिन में आहार करने के बाद अनेक प्रकार का परिश्रम किया जाता है, जिससे पसीना अधिक होता है और पानी का अधिक सेवन किया जाता है, फलतः आहार शक्तिवर्धक नहीं रहता है ।

रात्रिभोजन की प्रशंसा के प्रकार—

१. आयुवल की वृद्धि होती है ।

२. आहार के बाद विश्राम कर लेने में इन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं ।

३. शुभ पुद्गलों का अधिक उपचय होने से शरीर शीघ्र जीर्ण नहीं होता है, इत्यादि ।

इस प्रकार का कथन करने से भिक्षु को गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।

रात्रिभोजन करने का प्रायश्चित्त—

७३. जे भिक्खू दिया असणं पाणं खाइमं साइमं पडिग्गाहेत्ता दिया भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७४. जे भिक्खू दिया असणं पाणं खाइमं साइमं पडिग्गाहेत्ता रत्तिं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७५. जे भिक्खू रत्तिं असणं पाणं खाइमं साइमं पडिग्गाहेत्ता दिया भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७६. जे भिक्खू रत्तिं असणं पाणं खाइमं साइमं पडिग्गाहेत्ता रत्तिं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७३ जो भिक्षु दिन में अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करके (रात्रि में रखकर दूसरे दिन) दिन में खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७४. जो भिक्षु दिन में अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण कर रात्रि में खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७५. जो भिक्षु रात्रि में अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करके दिन में खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७६. जो भिक्षु रात्रि में अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करके रात्रि में खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है । (उमें गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विशेष—इन सूत्रों में चौभंगी द्वारा रात्रिभोजन का प्रायश्चित्त कहा गया है और इनमें ग्रहण करने के समय का तथा खाने के समय का कथन भी किया है । जिसने रात्रि में आहार ग्रहण करने का, रात्रि में खाने का तथा रात्रि में रखकर दिन में खाने

रात्रिभोजन से प्राणातिपात आदि मूलगुणों की विराधना होती है तथा छटा रात्रिभोजन-विरमण व्रत भी मूलगुण है, उसका भंग होता है। कुंथुए आदि सूक्ष्म प्राणी तथा फूलगुण आदि का गोधन होना अशक्य होता है। रात्रि में आहार को गवेषणा करने में एषणासमिति का पानन भी नहीं होता है। चूणिकार ने कहा है—

“किं च येष्यि प्रत्यक्षजानिनो ते विशुद्धं भक्ताप्रपानं पश्यन्ति तथापि रात्रौ न भुञ्जते, मूलगुण-भंगत्वात्।” तीर्थकरगणधराचार्यः अनाचोषंत्वात्, जम्हा छट्टो मूलगुणो विराहिज्जति तम्हा ष रात्रौ भोतत्त्वं।

अर्थ—जो प्रत्यक्ष जानी होते हैं वे आहारादि को विशुद्ध जानते हुए भी रात्रि में नहीं खाते, क्योंकि मूलगुण का भंग होता है। तीर्थकर, गणधर और आचार्यों से अनासेवित है, इससे छट्टे मूलगुण की विराधना होती है, अतः रात्रिभोजन नहीं करना चाहिये।

प्रागर्षों में रात्रिभोजन निषेध-सूचक स्थल इस प्रकार है—

१. दशवैकालिक सूत्र अ. ३ में रात्रिभोजन निषेध के लिये अनाचार कहा गया है।
२. दशवैकालिक अ. ६ में रात्रिभोजन करने से निषेध अवस्था से भ्रष्ट होना कहा है तथा दोषों का कथन भी किया है।
३. दशवै. अ. ४ में पाँच महाव्रत के साथ रात्रिभोजनविरमण को छट्टा व्रत कहा है।
४. दशवै. अ. ८ में सूर्यास्त से सूर्योदय तक आहार की मन से भी चाहना करने का निषेध है।
५. उत्तरा. अ. १९ गा. ३१ में संयम की दुष्करता के वर्णन में चारों प्रकार के आहार को रात्रि में वर्ज्य करना भी सुदुष्कर कहा है।
६. बृहत्कल्प उ. १ में रात्रि या विकाल (संध्या) के समय चारों प्रकार के आहार ग्रहण करने का निषेध है।
७. बृहत्कल्प उ. ५ में आहार करते समय ज्ञान हो जाये कि—सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है तो मुँह में रखा हुआ आहार भी निकालकर परठने का विधान किया है और गाने का प्रायश्चित्त कहा है तथा रात्रि में आहार-गानी मुक्त 'उद्गाल' भा जाए तो उसे निगलने का भी प्रायश्चित्त कहा गया है और उसे भी परठने का विधान है।

८. दशा. द. २ तथा समयार्थांग स. २१ में रात्रिभोजन करना 'दामन दोष' कहा है।

९. बृहत्कल्प उ. ४ में रात्रिभोजन का अनुद्घातिक (गुरु) प्रायश्चित्त कहा है।

१०. ठाणांग अ. ३ तथा अ. ५ में रात्रिभोजन का अनुद्घातिक प्रायश्चित्त कहा है।

११. सुयमद्वैतसूत्र अ. १, अ. २, उ. ३ में रात्रिभोजन त्याग सहित पाँच महाव्रत परम रत्न कहे गये हैं, जिन्हें मायु धारण करते हैं। इन प्रकार महाव्रत के तुल्य रात्रिभोजनविरमण का महत्त्व कहा गया है।

सन्तन भी रात्रिभोजन के विषय निम्नान्वित कथन है—

१. उलूक-काक-मार्जार-गृध्र-संवर-शूकराः ।
अहि-वृश्चिक-गोघासक, जायते रात्रिभोजनात् ॥१॥
२. एकभक्ताशनाच्चित्त्यं, अग्निहोत्रफलं लभेत् ।
अनस्तभोजनो नित्यं, तीर्थयात्राफलं लभेत् ॥२॥
३. नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवतार्चनम् ।
दानं न विहितं रात्रौ, भोजनं तु विशेषतः ॥३॥
४. पतंग-कीट-मंडूक-सत्वसंघातघातकम् ।
अतोऽतिनिन्दितं तावत् धर्मार्थं निशिभोजनम् ॥४॥

—योगशास्त्र अ. ३

रात्रि में आहार रखने व खाने का प्रायश्चित्त—

७७—जे भिखू असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा अणागाढे परिवासेइ, परिवासेतं वा साइज्जइ ।

७८—जे भिखू परिवासियस्स असणस्स वा पाणस्स वा खाइमस्स वा साइमस्स वा तयप्पमाणं वा भूइप्पमाणं वा बिडुप्पमाणं वा आहारं आहारेइ, आहारं वा साइज्जइ ।

७७. जो भिक्षु आगाढ परिस्थिति के अतिरिक्त अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य रात्रि में रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अनागाढ परिस्थिति से रात्रि में रखे हुए अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य का त्वक्-प्रमाण (चुटकी), भूति प्रमाण अथवा बिन्दुप्रमाण भी आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु अशनादि चार, तीन, दो या एक भी प्रकार का आहार रात्रि में अनागाढ स्थिति में रखे तो उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

आगमों के अनेक स्थलों में अशनादि मंत्रह अर्थात् रात्रि में आहार रखने का निषेध है । प्रस्तुत सूत्रद्वय में आगाढ परिस्थिति में रखने का प्रायश्चित्त न कहते हुए अनागाढ स्थिति में रात्रि के समय आहार रखने का प्रायश्चित्त कथन है और अनागाढ परिस्थिति में रने गये आहार में से कुछ भी खाने या पीने का गुरुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है ।

आगाढ परिस्थिति में रखे गये अशनादि के भी किंचित् मात्र खाने पर प्रायश्चित्त कहा गया है इसलिये आगाढ परिस्थिति का यह अर्थ समझना चाहिये कि अन्य कोई उपाय न हो सकने से रात्रि में अशनादि रखने का प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु उसे खाने का प्रायश्चित्त है । वह आगाढ परिस्थिति इस प्रकार सम्भव है, यथा—

१. सायंकालीन गोचरी लाने के बाद महावात (आंधी, तूफान) युक्त वर्षा आ जाय और अंधेरा हो जाने से आहार नहीं कर सके, फिर सूर्यास्त हो जाए और वर्षा न रुके । इस कारण से आहार रात्रि में रखना पड़े ।

२. आहार अधिक मात्रा में घ्रा गया हो, परठना आवश्यक ही उस समय अचानक मूत्रप्रसार वर्षा प्रारम्भ हो जाय जो कि मूर्यास्त के बाद रात्रि तक चालू रहे और आहार रचना पड़े तो यह आगाठ परिस्थिति है।

इस प्रकार रये हुए आहार को किंचिन्मात्र भी खाना नहीं कल्पता है। खाने पर द्वितीय (७८ वें) मूत्र के अनुसार प्रायश्चित्त आता है।

व्याख्याकार ने आगाठ परिस्थिति से रोगादि कारणों को ग्रहण किया है तथा दुर्लभ द्रव्य आदि रग्ने को भी आगाठ कारण में बताया है। किन्तु आगम-वर्णनों से यही स्पष्ट होता है कि मित् रात्रि में घाघ पदार्थ आदि का संग्रह कदापि न करे क्योंकि दश. अ. ६ में कहा है कि 'जो भिक्षु घाघ पदार्थों के संग्रह का इच्छुक भी होता है वह 'गृहस्य' है, साधु नहीं है।'

सन्निधि (संग्रह) निषेधमूचक कुछ आगमस्थल इस प्रकार हैं—

१. दशवं० अ० ३ गा. ३ में 'सन्निहो' घनाचार कहा है।

२. विडमुग्धेदमं लोणं, तिल्लं सप्पिं च फाणियं।

ण ते सन्निहिमिच्छन्ति, णामपुत्तवजोरया ॥

—दश० अ० ६ गा० १८

३. जे सिमा सन्निहोकाये, गिही, पव्वद्दए-न से।

—दश० अ० ६ गा० १९

४. सन्निहिं च न कुट्टयेज्जा, अणुमायं पि संजए।

मुहाजीयो असंयद्धं ह्येज्ज जगणिस्सिए ॥

—दश० अ० ८ गा० २४

५. तहेय असणं पाणणं वा, यियिहं छाइमं साइमं सभित्ता।

होहो अट्ठो मुए परे वा, तं न निहे न निहायए, जे स भियए ॥

—दश० अ० १० गा० ८

६. कय-विक्कय-सन्निहिओ विरए, सत्त्वगंगावगए य जे स भियए ॥

—दश० अ० १० गा० १६

७. घउट्ठियेहे वि आहारे, राद्धभोयणवज्जणा।

सन्निहो संवओ येय, यज्जेयट्ठो मुदुवकरं ॥

—उत्तरा० अ० १९ गा० ३०

८. सन्निहिं च ण कुट्टयेज्जा, सेवमायाए संजए।

परयोपत्तं समाशाय, निरवेक्खो परिक्खए ॥

—उत्तरा० अ० ६, गा० १४

९. ण सण्णिहि कुब्बइ आसुपण्णे ।

—सूय० श्रु० १, अ० ६, गा० २५

१०. जंपि य ओदण-कुम्मास-गंज-तप्पण-संयु-भुज्जय-पल्ल-सूप--सवकुलि--वेडिम--वरसरक-
चुण्ण--कोसग--पिंड--सिहरिणि--वट्ट--मोयग-खीर-दहि-सप्पि-णवणीय-तेल्ल-गुल-खंड-मच्छंडिय-खज्जक-
वंजणविहिमादियं पणीयं; उवस्सए, परधरे व रण्णे न कप्पइ तं पि सण्णिहि काजं सुविहियाणं ॥

प्रश्न. श्रु २, अ. ५, सू. ४

११. जं पि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहुप्पगारम्मि समुप्पन्ने-वात्ताहिग पित्त जाव
जीवियंतकरे, सव्वसरीरपरित्तावणकरे, न कप्पइ तारित्से वि अप्पणो तह परस्स वा ओसह-भेसज्जं,
भत्तपाणं च तं पि सण्णिहीकयं ॥

प्रश्न श्रु. २, अ. ५. सू. ७

इस आगम स्थलो से यह स्पष्ट हो जाता है कि आहार एवं औषधि के किसी भी पदार्थ का रात्रि में रखना भिक्षु के लिए सर्वथा निषिद्ध है। भाष्य निर्दिष्ट अणुवाद परिस्थिति में अदानादि रखने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है।

रोगपरीपह एवं क्षुधा-पिपासापरीपह विजेता भिक्षु इस अणुवाद का कदापि सेवन नहीं करे किन्तु निरतिचार शुद्ध संयम का एवं भगवदाज्ञा का आराधन करे।

आहारार्थं अन्यत्र रात्रिनिवास-प्रायश्चित्त—

७९. जे भिक्खू आहेणं वा, पहेणं वा, हिगोलं वा, संमेलं वा अण्णयरं वा तहप्पगारं विरुवहवं
हीरमाणं पेहाए ताए आसाए, ताए पिवासाए तं रयणि अण्णत्थ उवाइणावेइ, उवाइणावतं वा साइज्जइ ।

अर्थ—जो भिक्षु घर के घर के भोजन, वधु के घर के भोजन, मृत व्यक्ति की स्मृति में बनाये गये भोजन, गोठ आदि में बनाये गये भोजन अथवा अन्य भी ऐसे विविध प्रकार के भोजन को ले जाते हुए देखकर उस आहार की आशा से, उसकी पिपासा (लालसा) से अन्यत्र जाकर (अन्य उपाश्रय में) रात्रि व्यतीत करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—“आहेणं” आदि शब्दों की व्याख्या आचारांगमूत्र श्रु. २, अ. १, उ. ४ में की गई है। तदनुसार यहाँ अर्थ किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ “हिगोलं” का अर्थ यक्षादि की यात्रा का भोजन भी किया है तथा “समेलं” से परिजन आदि के सम्मानार्थं धनाया गया भोजन अर्थ किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र की चूर्ण में इन शब्दों की वैकल्पिक व्याख्याएँ दी हैं, जो इस प्रकार हैं—

“आहेणं”—१. अन्य के घर से उपहार रूप में आने वाला खाद्य पदार्थ आदि। २. वधु के घर से घर के घर उपहार रूप में ले जाया जाने वाला खाद्य पदार्थ आदि। ३. घर या वधु के घर परस्पर भेजा जाने वाला खाद्य पदार्थ आदि।

“पहेणं”—अन्य के घर उपहार रूप में भेजा जाने वाला खाद्य पदार्थ आदि । २. वर के घर में वधू के घर उपहार रूप में भेजा जाने वाला खाद्य पदार्थ आदि । ३. वर-वधू के तियाग अन्य के द्वारा कही उपहार रूप में भेजा जाने वाला आहार आदि ।

“हिगोलं”—मृतकभोज-श्राद्धभोजन आदि ।

“संमेलं”—१. विवाह सम्बन्धी भोजन । २. गोष्ठीभोज—गोठ का भोजन । ३. किसी भी कार्य के प्रारम्भ में किया जाने वाला भोजन ।

भिक्षु इन प्रसंगों से आहार को इधर-उधर ले जाते देते और जाने कि शय्यादाता के घर विशेष भोजन का आयोजन है । उस आहार को ग्रहण करने की आकांक्षा उत्पन्न होने से उस शय्यादाता का मकान छोड़कर अन्य किसी के मकान में (उस भोजन के पहले दिन को) रात्रि में रहने के लिये जाता है, इस विचार से कि इस मकान में रहते हुए शय्यातर का आहार ग्रहण नहीं किया जा सकता ।

गृहपरिवर्तन करने में गृहस्वामी शय्यादाता का भी भक्तियत्न आग्रह हो सकता है अपवा भिक्षु का स्वतः भी संकल्प हो सकता है । इन दोनों स्थितियों में उस भोजन को ग्रहण करने के संकल्प में जाने पर मृतोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

ऐसा करने में आहार की आसक्ति, लोकनिन्दा या अन्य संघटो सम्बन्धी दोषों की संभावना रहती है ।

ध्याख्याकार ने शय्यादाता के अलावा अन्य व्यक्ति के घर का भोजन हो तो भी गृहपरिवर्तन करने का प्रायश्चित्त इसी सूत्र से बताया है । यथा—जिस किसी भक्तिमान् व्यक्ति के घर में भोजन है और वह स्थान दूर है तो उसके निकट में जाकर रात्रि-निवास किया जा सकता है । इस प्रकार शय्यातर व अन्य भोजन की अपेक्षा स्थानपरिवर्तन का प्रायश्चित्त गुरुजीमार्गो समझना चाहिये ।

नैवेद्य का आहार करने पर प्रायश्चित्त—

८०—जे भिक्षु नैवेद्यविष्ट भुंजते, भुंजते वा साइजजटे ।

८०. जो भिक्षु नैवेद्य विष्ट खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरु-शोभासी प्रायश्चित्त आना है ।)

विवेचन—पुण्यमद्र माणिक्य आदि जो परिवर्तनाधिक देवता हैं, उनके लिए अर्पित विष्ट “नैवेद्यविष्ट” कहलाता है । यह नैवेद्य विष्ट दो प्रकार का होता है, यथा—

१. भिक्षु की निष्कृत २. भिक्षु की अनिष्कृत ।

१. निष्कृत—१. जो भिक्षु को देने की भावना से युक्त है । अर्पण निष्कृत दोष युक्त नैवेद्य विष्ट बना है । २. जो मायु को देने की भावना से नियत दिन के पहले या पीछे किया गया है । ३. नैवेद्यविष्ट तैयार होने के बाद मायु के लिए स्थापित करके रख दिया है । ये सभी निष्कृत नैवेद्य विष्ट हैं ।

२. अनिश्राकृत—साधु गाँव में हो अथवा न हो, स्वाभाविक रूप से ही निश्चित दिन नैवेद्य पिंड बनाया हो और अचानक साधु वहाँ पहुँच गया हो तो वह अनिश्राकृत नैवेद्यपिंड है।

तात्पर्य यह है कि साधु के लिए पाहुडिया दोप, मिश्रजात दोप और ठवणादोप आदि उद्देशक के दोप जिस नैवेद्य पिंड में हों उसकी अपेक्षा यह गुरुचीमासी प्रायश्चित्त कहा गया है और उस पिंड को निश्राकृत नैवेद्यपिंड कहा जाता है।

जो अनिश्राकृत स्वाभाविक नैवेद्यपिंड है अर्थात् देवता को अर्पित करने के बाद दान के लिए रखा हुआ है वह अनिश्राकृत नैवेद्यपिंड अर्थात् दानपिंड होने से निशीथसूत्र के दूसरे उद्देशक में आये दानपिंड के प्रायश्चित्त सूत्रों में इसका समावेश होता है। वहाँ इसको लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है।

इससे ज्ञात होता है कि आगमकाल में देवताओं को अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ अर्पित किया जाता था जो पूजा-विधि करके दान रूप में वितरित कर दिया जाता था।

किसी श्रद्धालु के द्वारा भिक्षु को किसी निमित्त से दान देने के लिये भी ऐसी प्रवृत्ति की जाती थी। अतः उसी अपेक्षा से इस सूत्र में निश्राकृत नैवेद्यपिंड का प्रायश्चित्त कहा गया है।

ययाछंद को वंदन करने तथा उसकी प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त—

८१. जे भिखू अहाछंदं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।

८२. जे भिखू अहाछंदं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।

८१. जो भिक्षु स्वच्छंदाचारी की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है

८२. जो भिक्षु स्वच्छंदाचारी को वंदन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है (उमे गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।

विवेचन—जो आगमविपरीत एवं स्वमतिकल्पित प्ररूपणा करता है, वह 'ययाछंद' कहा जाता है।

ऐसे स्वच्छंदाचारी भिक्षु की प्रशंसा एवं वंदना करने से उसे प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य भी अनेक दोषों की उत्पत्ति की संभावना होने से प्रस्तुत सूत्र में इसका गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त कहा गया है तथा उपलक्षण से शिष्य या आहारादि का आदान-प्रदान करने पर भी यही प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिये।

पासत्या आदि ९ प्रकार के साधुओं को वंदना एवं उनकी प्रशंसा करने पर लघुचीमासी प्रायश्चित्त आता है। —नि० उ० १३.

उनके साथ अन्य सम्पर्क रखने का भी लघुचीमासी या लघुमानिक प्रायश्चित्त का गणन अन्य उद्देशकों में है। किन्तु ययाछंद उत्सूत्र प्ररूपक होने से इसके साथ सम्पर्क का यहाँ गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त कहा गया है।

“पहेलं”—अन्न के घर उपहार रूप में भेजा जाने वाला खाद्य पदार्थ आदि । २. घर के घर में बधू के घर उपहार रूप में भेजा जाने वाला खाद्य पदार्थ आदि । ३. घर-बधू के सिवाय अन्य के द्वारा कही उपहार रूप में भेजा जाने वाला आहार आदि ।

“हिंगोलं”—मृतकभोज-श्राद्धभोजन आदि ।

“संमेलं”—१. विवाह सम्बन्धी भोजन । २. गोष्ठीभोज—गोष्ठ का भोजन । ३. किसी भी कार्य के प्रारम्भ में किया जाने वाला भोजन ।

भिक्षु इन प्रसंगों में आहार को द्यर-उद्यर में जाते देते और जाने कि शय्यादाता के घर विशेष भोजन का आयोजन है । उस आहार को ग्रहण करने की आकांक्षा उत्पन्न होने से उस शय्यादाता का मकान छोड़कर अन्य किसी के मकान में (उस भोजन के पहले दिन की) रात्रि में रहने के लिये जाता है, इन विचार में कि इस मकान में रहते हुए शय्यातर का आहार ग्रहण नहीं किया जा सकता ।

गृहपरिवर्तन करने में गृहस्वामी शय्यादाता का भी भक्तिवश आग्रह हो सकता है अथवा भिक्षु का स्वतः भी मकल्प हो सकता है । इन दोनों स्थितियों में उस भोजन की ग्रहण करने के संकल्प से जाने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त प्राता है ।

ऐसा करने में आहार की आसक्ति, लोकनिन्दा या अन्य संघटी सम्बन्धी दोषों की संभावना रहती है ।

व्याख्याकार ने शय्यादाता के अलावा अन्य व्यक्ति के घर का भोजन हो तो भी गृहपरिवर्तन करने का प्रायश्चित्त द्वाय सूत्र से बताया है । यथा—जिस किसी भक्तिमान् व्यक्तिके घर में भोजन है और वह स्थान दूर है तो उसके निकट में जाकर रात्रि-निवास किया जा सकता है । इस प्रकार शय्यातर व अन्य भोजन को अपेक्षा स्थानपरिवर्तन का प्रायश्चित्त गुरुचौमासी ममजना चाहिये ।

नैवेद्य का आहार करने पर प्रायश्चित्त—

८०—जे भिक्षु नैवेद्यविष्टं भुंजद्, भुंजंतं वा साइज्जद् ।

८०. जो भिक्षु नैवेद्य विष्ट खाता है या छाने वाले का अनुमोदन करता है । (उस गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त प्राता है ।)

विवेचन—पूर्वभद्र माणिभद्र आदि जो अतिशयपाशक देवता है, उनके लिए अर्पित विष्ट “नैवेद्यविष्ट” कहलाता है । वह नैवेद्य विष्ट दो प्रकार का होता है, यथा—

१. भिक्षु की निश्चायत २. भिक्षु की अनिश्चायत ।

१. निश्चायत—१. जो भिक्षु को देने की भावना से मुक्त है । अर्थात् मिश्रजान दोष मुक्त नैवेद्य विष्ट बना है । २. जो गायु को देने की भावना में निवृत्त दिन के पहले या पीछे किया गया है ।

२. नैवेद्यविष्ट अकार होने के बाद साधु के लिए स्थापित करके रख दिया है । में तभी निश्चायत नैवेद्य विष्ट है ।

प्रयोग्य को प्रव्रजित करने का प्रायश्चित्त—

८३. जे भिक्खु पापमं वा अणायमं वा उवासणं वा अणुवासणं वा अणलं पट्ठावेद्द, पट्ठापेतं वा साइज्जइ ।

८४. जे भिक्खु पापमं वा अणायमं वा उवासणं वा अणुवासणं वा अणलं उवट्ठावेद्द, उवट्ठापेतं वा साइज्जइ ।

८३. जो भिक्षु प्रयोग्य स्वजन या परजन, उपासक या अनुपासक को प्रव्रजित करता है या प्रव्रजित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८४. जो भिक्षु प्रयोग्य स्वजन या परजन, उपासक या अनुपासक को उपस्थापित करता है या उपस्थापित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उने गुम्बोमागो प्रायश्चित्त पाता है ।)

विवेचन—प्रथम सूत्र में प्रयोग्य को दीक्षा देने का प्रायश्चित्त कथन है । यदि किसी को दीक्षा देने के बाद जानकारी हो कि यह दीक्षा के प्रयोग्य है तो जानकारी होने के बाद उसे उपस्थापित करने पर द्वितीय सूत्र के अनुसार प्रायश्चित्त पाता है ।

प्रथम सूत्र में जानकर प्रयोग्य को दीक्षा देने का प्रायश्चित्त कहा है । द्वितीय सूत्र में अनजान में दीक्षा दिये बाद प्रयोग्य जानकर के भी बड़ी दीक्षा देने का प्रायश्चित्त कहा है ।

इसमें यह ध्वनित होता है कि दीक्षा देने के बाद प्रयोग्यता की जानकारी होने पर बड़ी दीक्षा नहीं देनी चाहिए ।

प्रयोग्यता की जानकारी न होने के दो कारण हो सकते हैं । यथा—

१. दीक्षार्थी द्वारा धरणी प्रयोग्यता को छिपा लेना ।

२. दीक्षादाता के द्वारा ध्यानबीन करके पूर्ण जानकारी न करना ।

दूसरे कारण में दीक्षादाता का प्रमाद है, मनः वह सूत्रोक्त प्रायश्चित्त को प्राप्ति करता है ।

उपस्थापित करने के बाद उसे छोड़ना या न छोड़ना यह मोक्षार्थ के निर्णय पर निर्भर है ।

प्रश्नमा के प्रयोग्य व्यक्ति निम्नलिखित हैं—

१. बान—घाट वर्ष में कम उम्र पाता । २. वृद्ध—गतर (७०) वर्ष में अधिक उम्र पाता ।

३. नपुंसक—जन्म-नपुंसक, कृतनपुंसक, स्त्रीनपुंसक तथा पुत्र्य नपुंसक आदि । ४. जड़—दारीर में घटाता, बुद्धिहीन व मूक । ५. बर्षीय—रबी के मध्य, रूप, निम्नगण आदि के निर्मित में उचित मोह-वेद की निष्फल करने में अगम्य । ६. रोगी—१६ प्रकार के रोग और घाट प्रकार की व्याधि में से किसी भी रोग या व्याधि में मुक्त । मोक्षप्राप्ति व्याधि बहूनामें है और विरपाता रोग बहूनामें है । —भाष्य भा० १६४७ । ७. चोर—रात्रि में घर-घर प्रवेश कर चोरी करने वाला, जेब काटने वाला इत्यादि घनेर प्रकार के चोर टाक गुट्टे । ८. राज्य का अपराधी—किसी प्रकार का राज्यविरोध कार्य करने पर अपराधी घोषित किया हुआ । ९. उन्मत्त—वशाविष्ट या पागल । १०. पशुहीन—उन्मत्त हो या बाद में किसी पशु या दोनो सींगों की ज्योति कमी गई हो । ११. काम—

किसी का खरीदा हुआ या अन्य किसी कारण से दासत्व को प्राप्त । १२. दुष्ट—कपाय दुष्ट (अति क्रोधी), विषयदुष्ट (विषयासक्त) । १३. मूर्ख—द्रव्यमूढ आदि अनेक प्रकार के मूर्ख-भ्रमित बुद्धि वाले । १४. कर्जदार—अन्य की सम्पत्ति उधार लेकर न देने वाला । १५. जुगित (हीन)—जाति से, कर्म से, शिल्प से हीन और शरीर से हीनांग (जिसके नाक, कान, पैर, हाथ आदि कटे हुए हों) । १६. वद्ध—कर्म, शिल्प, विद्या, मंत्र आदि सीखने या सिखाने के निमित्त किसी के साथ प्रतिज्ञा-बद्ध हो । १७. भूतक—दिवसभूतक, यात्राभूतक आदि । १८. अपहृत—माता-पिता आदि की आज्ञा बिना अदत्त लाया हुआ बालक आदि । १९. गर्भवती—स्त्री । २०. बालवत्सा—दुग्धमुँहे बच्चे वाली स्त्री । भाष्य में इनके अनेक भेद प्रभेद किए हैं तथा इन्हें दीक्षा देने से होने वाले दोषों और उनके प्रायश्चित्तों के अनेक विकल्प कहे हैं ।

दीक्षा के अयोग्य इन २० प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन निशोद्यभाष्य तथा अन्य व्याख्या-ग्रंथों में मिलता है । आगम में इस विषयक कथन बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक चार में है । वहाँ तीन को दीक्षा देना आदि अकल्पनीय कहा है, यथा—१. पंडक, २. क्लोव ३. वातिक ।

बृहत्कल्पभाष्य में “वाइए” पाठ से “वातिक” की व्याख्या की गई है । किन्तु निशोद्य-भाष्य में अयोग्यों के वर्णन में “वाहिए” शब्द कह कर व्याधिग्रस्त अर्थ किया है तथा नपुंसक के प्रभेदों में “वातिक” कहा है ।

वातिक—वायुजन्य दोष से जो विकार को प्राप्त होता है एवं अनाचार-सेवन करने पर ही उपगांत होता है ।

क्लोव—दृष्टि, शब्द, स्पर्श (आलिगन) या निमन्त्रण से विकार को प्राप्त होकर जिसके स्वतः वीर्य निकल जाता है ।

बृहत्कल्पसूत्र के मूल पाठ में “पंडक” (नपुंसक) से इन दोनों को अलग कहने का कारण यह है कि ये लिंग व वेद की अपेक्षा से पुरुष हैं किन्तु कालान्तर से नपुंसक भाव को प्राप्त हो जाते हैं । अतः पुरुष होते हुए भी इन्हें दीक्षा देने का निषेध किया गया है ।

आगमविहारी अतिसयज्ञानी इन भाष्यवर्णित सभी को यथावसर दीक्षा दे सकते हैं ।

“बालवय” वाले को कारणवश गीतार्थ दीक्षा दे सकते हैं, ऐसा ठाणांग सूत्र अ० ५, सूत्र १०८ से फलित होता है ।

भाष्य-गाथा ३७३८ में बीस प्रकार के अयोग्यों में से कुछ को यथावसर दीक्षा दी भी जा सकती है, ऐसा बताया है किन्तु गीतार्थ को यह अधिकार अन्य गीतार्थ की सलाह से ही होता है । अन्यथा उसे भी प्रायश्चित्त आता है ।

दीक्षा के योग्य व्यक्ति—

१. आर्यक्षेत्रोत्पन्न २. जातिकुलसम्पन्न ३. लघुकर्मो ४. निर्मलबुद्धि ५. संसार-समुद्र में मनुष्य भय की दुर्लभता, जन्म-मरण के दुःख, लक्ष्मी की चंचलता, विषयों के दुःख, इष्ट संयोगों का वियोग, आयु की क्षणभंगुरता, मरण पश्चात् परभव का अति रोद्र विषाक और संसार की असरता आदि भावों को जानने वाला ६. संसार से विरक्त ७. अल्पकपायी ८. अल्पहास्यादि (कुतहलवृत्ति से रहित)

१. मुकुन्द १०. निवसवान् ११. राज्य-अपराध रहित १२. मुडीन शरीर १३. श्रद्धायान् १४. विपर-
नित वाता १५. मन्मत् उपमन्मत् ।

इन गुणों से सम्पन्न को दीक्षा देनी चाहिये, अथवा इनमें से एक-दो गुण कम भी हों तो
बहुगुणसम्पन्न को दीक्षा दी जा सकती है ।

—मभि. राजेन्द्र कोष "पवज्जा" पृ. ७३६

दीक्षादाता के लक्षण—

उत्सुक पन्डित गुण सम्पन्न तथा १६. विधिपूर्वक प्रयत्नित, १७. मन्मत् प्रकार से मुकुन्द-
दानमेवी, १८. प्रश्रय्या-ग्रहण पान में मगत अग्र्यंश शीलवाला, १९. परद्रोह रहित, २०. यमोक्त विधि
में ग्रहीत भूत वाता, २१. मूर्खा, अध्येयनों आदि के पूर्वापर सम्बन्धों में निष्णात २२. तत्त्वज्ञ,
२३. उपासक, २४. प्रश्रयणवास्तव्ययुक्त, २५. प्राणियों के हित में रत, २६. आदिम कथन वाता,
२७. भाषों की अनुकूलता से निष्पत्तियों को परिपालना करने वाला, २८. गम्भीर (उदारमना) २९.
परीयत् आदि प्राणि पर शीलता न दिखाने वाला, ३०. उपनमलच्छि सम्पन्न (उपशान्त करने में चतुर)
उपकरणनधिग्रमम्पन्न, स्थिरहस्तलच्छिमम्पन्न, ३१. मूर्खार्थ-व्यक्त, ३२. स्वगुरुप्रनुज्ञात गुण पर वाला ।
ऐसे गुण सम्पन्न विनिष्ट साधक को गुरु बनाना चाहिए ।

—मभि. राजेन्द्र कोष "पवज्जा" पृ. ७३५

दीक्षार्थों के प्रति दीक्षादाता के कर्तव्य—

१. दीक्षार्थों से पूछना चाहिये कि—“तुम कौन हो ? क्यों दीक्षा लेने हो ? तुम्हें पराम्प
उत्तर कौन देना है ?” इन प्रकार पूछने पर योग्य प्रतीत हो तथा अन्य किसी प्रकार में अयोग्य ज्ञान न
हो तो उसे दीक्षा देना कल्याण है ।

२. दीक्षा के योग्य जानकर उसे यह साध्याचार कहना चाहिए यथा—१. प्रतिदिन निश्चा
के निगे जाना, २. निश्चा में अशुद्ध पदार्थ लेना, ३. वह भी एगणा आदि दोगों में रहित शुद्ध ग्रहण
करना, ४. पाने के बाद बाण-शुद्ध आदि को देकर सनविभाग में खाना, ५. श्याध्याय में कदा गोन
रहना, ६. आजीवन स्नान न करना, ७. भूमि पर या पाट पर शयन करना, ८. अट्टारह हजार (या
हजारों) गुणों को धारण करना, ९. तपो आदि के अनेक कष्टों को सहन करना आदि । यदि यह
यह सब महर्षि स्वीकार कर ले तो उसे दीक्षा देनी चाहिये ।

—नि. पूणि पृ. २७८

नवदीक्षित भिक्षु के प्रति दीक्षादाता के कर्तव्य—

१. “अन्नपरिज्ञा” का अन्वयन कराना अथवा “शुद्धोपनिष्ठा” का अध्ययन कराना ।

२. उपासक धर्म—परमार्थ नमजाना कि ये दृष्टी आदि जीव हैं, धुप दद्यात् पुद्गल आदि
सर्वत्र है यथा पुष्प-नाग, आर्य-अक्षर, निरंजरा, चंद्र, मोक्ष नम पदादे, कर्मबंध के हेतु य उनसे भेद,
परिज्ञान इत्यादि का परिज्ञान कराना ।

३. इर्ष्या कर्षणों को पुनः पुनः समझाकर उसे धारण कराना, श्रद्धा कराना ।

४. कर्तव्यानु उन जीवों को कराना या विवेक सिखाना ।

५. सिखाने के वाद श्रद्धा एवं विवेक की परीक्षा करना, यथा—

खड़े रहने, बैठने, सोने या परठने के लिये सचित्त भूमि वताकर कहना कि “यहाँ खड़े रहों, परठो इत्यादि । सचित्त स्थल देखकर वह चितित होता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना ।

इसी तरह तालाब आदि की गीली भूमि में चलने, दीपक सरकाने, गर्मी में हवा करने तथा वनस्पति व व्रस जीव युक्त मार्ग में चलने का कहकर परीक्षा करना । एषणा दीप युक्त भिक्षा ग्रहण करने को कह कर परीक्षा करना ।

इस प्रकार अध्ययन, अर्थज्ञान, श्रद्धान, विवेक तथा परीक्षा में योग्य हो उसे उपस्थान करना चाहिये ।

उल्लिखित विधि से जो योग्य न बना हो उसे उपस्थापित करने पर प्रायश्चित्त आता है ।

—निशीथ चूणि पृ. २८०

अयोग्य से वैयावृत्य कराने का प्रायश्चित्त—

८५. जे भिवखू नायगेण वा अनायगेण वा उवासएण वा अणुवासएण वा अणलेण वेयावच्चं फारवेइ, कारवेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु अयोग्य स्वजन या परजन, उपासक या अनुपासक दीक्षित भिक्षु से सेवा करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—सेवाकार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं । किन्तु भाष्यकार ने केवल भिक्षाचरी की अपेक्षा से सेवाकार्य में अयोग्य का वर्णन किया है । वे चार प्रकार के हो सकते हैं, यथा—

१. जिसने पिडंपणा का अध्ययन न किया हो,
२. जिसकी सेवाकार्य में श्रद्धा-रुचि न हो,
३. जिसने उसका अर्थ-परमार्थ न जाना हो,
४. जो दोषों का परिहार न कर सकता हो ।

इस प्रकार के अयोग्य से वैयावृत्य कराने पर प्रायश्चित्त आता है ।

अन्य अनेक सेवाकार्यों के लिये भी यही उचित है कि जो धारौरिक शक्ति से सक्षम हो और क्षयोपक्षम की अपेक्षा भी योग्य हो, उसी साधु से सेवाकार्य करवाना चाहिये । शक्ति और योग्यता से अधिक सेवाकार्य कराने पर अनेक दोषों की सम्भावना रहती है एवं सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

साधु-साध्वियों के एक स्थान में ठहरने का प्रायश्चित्त—

८६. जे भिवखू सचेले सचेलाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

८७. जे भिवखू सचेले अचेलाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

८८. जे भिवखू अचेले सचेलाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

८९. जे भिवखू अचेले अचेलाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

९. मुकृतज १०. विनयवान् ११. राज्य-अपराध रहित १२. सुडौल शरीर १३. श्रद्धावान् १४. स्थिरचित्त वाला १५. सम्यग् उपसम्पन्न ।

इन गुणों से सम्पन्न को दीक्षा देनी चाहिये, अथवा इनमें से एक-दो गुण कम भी हों तो बहुगुणसम्पन्न को दीक्षा दी जा सकती है ।

—अभि. राजेन्द्र कोप "पवज्जा" पृ. ७३६

दीक्षादाता के लक्षण—

उपयुक्त पन्द्रह गुण सम्पन्न तथा १६. विधिपूर्वक प्रव्रजित, १७. सम्यक् प्रकार से गुरुकुल-वाससेवी, १८. प्रव्रज्या-ग्रहण काल से सतत श्रद्धाशीलवाला, १९. परद्रोह रहित, २०. यथोक्त विधि से ग्रहीत सूत्रवाला, २१. सूत्रों, अध्ययनों आदि के पूर्वापर सम्बन्धों में निष्णात २२. तत्त्वज्ञ, २३. उपाशांत, २४. प्रवचनवात्सल्ययुक्त, २५. प्राणियों के हित में रत, २६. आदेय वचनवाला, २७. भावों की अनुकूलता से शिष्यों की परिपालना करने वाला, २८. गम्भीर (उदारमना) २९. परीपहू आदि आने पर दीनता न दिखाने वाला, ३०. उपशमलब्धि सम्पन्न (उपशात करने में चतुर) उपकरणलब्धिसम्पन्न, स्थिरहस्तलब्धिसम्पन्न, ३१. सूत्रार्थ-वक्ता, ३२. स्वगुरुअनुज्ञात गुरु पदवाला । ऐसे गुण सम्पन्न विद्विष्ट साधक को गुरु बनाना चाहिए ।

—अभि. राजेन्द्र कोप "पवज्जा" पृ. ७३४

दीक्षार्थी के प्रति दीक्षादाता के कर्तव्य—

१. दीक्षार्थी से पूछना चाहिये कि—“तुम कौन हो ? क्यों दीक्षा लेते हो ? तुम्हें वैराग्य उत्पन्न कैसे हुआ ?” इस प्रकार पूछने पर योग्य प्रतीत हो तथा अन्य किसी प्रकार से अयोग्य ज्ञात न हो तो उसे दीक्षा देना कल्पता है ।

२. दीक्षा के योग्य जानकर उसे यह साध्वाचार कहना चाहिए यथा—१. प्रतिदिन भिक्षा के लिये जाना, २. भिक्षा में अचित्त पदार्थ लेना, ३. वह भी एषणा आदि दोषों में रहित शुद्ध ग्रहण करना, ४. लाने के बाद बाल-वृद्ध आदि को देकर समविभाग से खाना, ५. स्वाध्याय में सदा लीन रहना, ६. आजीवन स्नान न करना, ७. भूमि पर या पाट पर शयन करना, ८. अट्टारह हजार (या हजारों) गुणों को धारण करना, ९. लोच आदि के अनेक कष्टों को सहन करना आदि । यदि वह यह सब महर्षि स्वीकार कर ले तो उसे दीक्षा देनी चाहिये ।

—नि. चूणि पृ. २७८

नवदीक्षित मिश्रु के प्रति दीक्षादाता के कर्तव्य—

१. “शस्त्रपरिज्ञा” का अध्ययन कराना अथवा “छज्जीवनिका” का अध्ययन कराना ।

२. उसका अर्थ—परमार्थ समझाना कि ये पृथ्वी आदि जीव हैं, घूप छाया पुद्गल आदि अजीव हैं तथा पुण्य-पाप, आश्रय-संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष नव पदार्थ, कर्मबंध के हेतु व उनके भेद, परिणाम इत्यादि का परिज्ञान कराना ।

३. इन्हीं तत्त्वों को पुनः पुनः समझाकर उसे धारण कराना, श्रद्धा कराना ।

४. तत्पश्चात् उन जीवों की यतना का विवेक सिखाना ।

८६. जो सचेल भिक्षु सचेल साध्वियों के साथ रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

८७. जो सचेल भिक्षु अचेल साध्वियों के साथ रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

८८. जो अचेल भिक्षु सचेल साध्वियों के साथ रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

८९. जो अचेल भिक्षु अचेल साध्वियों के साथ रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—१. बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक में स्त्री-युक्त स्थान में व साध्वी को पुरुष-युक्त स्थान में ठहरने का निषेध है ।

२. उत्तराध्ययनसूत्र अ० १६ तथा अ० ३२ में भी विविक्त शय्या में रहने का विधान है ।

३. दशवंशकालिकसूत्र अ. ८, गा. ५४ में कहा है—साधु को स्त्री से सदा भय बना रहता है ।

४. उत्तराध्ययन ३२, गा० १६ में कहा है कि—यदि भिक्षु को विभूषित देवांगनाएं भी संयम से विचलित न कर सकती हों तो भी उसे एकान्त हितकारी जानकर स्थीरहित स्थान में ही रहना श्रेयस्कर है ।

यद्यपि साधु-साध्वी दोनों ही संयम के पालक हैं फिर भी उन्हें एक स्थान में निवास नहीं करना चाहिये ।

सचेल साधु सचेल साध्वी के साथ रहे तो भी अनेक दोषों की सम्भावना रहती है तो अचेल का साथ रहना तो स्पष्ट ही अहितकर है ।

निर्दीय उद्देशक ९ में साधु-साध्वी के सह-विहार का गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा गया है और यहाँ सचेल अचेल की चौभंगी के साथ साधु-साध्वी के सहनिवास का गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है ।

ठाणांग सूत्र अ. ५, सू. ४१७ में कहा है कि आपवादिक परिस्थिति में साधु-साध्वी एक साथ रहे तो भगवद्-प्राज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है ।

ठाणांग सूत्र अ. ५, सू. ४१८ में कहा है कि अचेल निर्ग्रन्थ सचेल निर्ग्रन्थी के साथ रहे तो भगवद्-प्राज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है ।

परिस्थिति के कारण ऐसा प्रसंग आने पर भीतार्थ के नेतृत्व में विवेकपूर्वक रहा जाता है ।

उक्त स्थानांग-कथित दम कारणों से साधु साध्वियों के एक साथ रहने का प्रस्तुत सूत्र से प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

बृहत्कल्प उ. ३, सू. १-२ में साधु-साध्वी को एक दूसरे के उपाश्रय में छोड़े रहना, बैठना, सोना आदि गभीर कार्यों का निषेध है ।

इस प्रकार बृहत्कल्प आदि सूत्रों का कथन उत्सर्ग विधि है, ठाणांगसूत्र का कथन अपवाद विधि है एवं प्रस्तुत सूत्र कथित प्रायश्चित्त परिस्थिति के बिना सह निवास करने का है, ऐसा समझना चाहिए ।

रात में लवणादि खाने का प्रायश्चित्त—

९०. जे भिक्खू परियासियं पिप्पल्लि वा, पिप्पलि-चुण्णं वा, मिरीयं वा, मिरीय-चुण्णं वा, सिंगवेरं वा, सिंगवेर-चुण्णं वा, विलं वा लोणं, उब्भिमं वा लोणं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

९० जो भिक्षु रात्रि में रखे हुए पीपर या पीपर का चूर्ण, मिर्च या मिर्च का चूर्ण, सोंठ या सोंठ का चूर्ण, विड्डलवण या उद्भिन्नलवण को खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है, (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—लवण आदि के संग्रह का निषेध दशवं. अ. ६, गा. १८-१९ में है और आहारादि पास में रखने का निषेध अन्य अनेक आगमों में है । जिसके लिए इसी उद्देशक के सूत्र ७७ का विवेचन देखें । रात्रि में खाने से या रात्रि में रखे हुए पदार्थ दिन में खाने से भी मूलगुण रूप रात्रिभोजन-विरमण व्रत का भंग होता है ।

इन सभी प्रकार के रात्रिभोजन का सूत्र ७३ से ७६ तक चौभंगी के द्वारा प्रायश्चित्त कहा है ।

प्रस्तुत सूत्र में पुनः रात्रिभोजन सम्बन्धी प्रायश्चित्त कहा गया है, इसका कारण यह है कि अशन, पान आदि पदार्थ भूख-प्यास को शांत करने वाले होते हैं किन्तु लवणादि पदार्थों में यह गुण नहीं होता है । इस भिन्नता के कारण इनका प्रायश्चित्त पृथक् कहा गया है ।

शब्दों की व्याख्या

पिप्पल्लि—श्रीर्षोप विशेष—पीपर । —प्राकृत हिन्दी कोप पृ. ५८

मिरीयं—मिर्च । यह अनेक प्रकार की होती है—लाल मिर्च, काली मिर्च, सफेद मिर्च ।

अनेक प्रतियों में 'मिरीयं वा मिरीय-चुण्णं वा' ये शब्द नहीं मिलते हैं किन्तु चूर्णिकार के सामने ये शब्द मूल पाठ में थे, ऐसा प्रतीत होता है, अतः इन शब्दों को मूल पाठ में रखा गया है ।

पीपर और मिर्च ये दोनों सचित्त पदार्थ हैं, किन्तु अनेक जगह ये शस्त्रपरिणत भी मिलते हैं ।

सिंगवेरं—अदरख । सूखने पर इसे सोंठ कहा जाता है, जो अचित्त होती है ।

इन तीनों का अचित्त चूर्ण भी अनेक जगह स्वामाविक रूप से उपलब्ध हो सकता है ।

विलं वा लोणं—पकाया हुआ नमक ।

उब्भिमं वा लोणं—अन्य शस्त्रपरिणत नमक ।

ये दोनों प्रकार के नमक अचित्त हैं । आगम में सचित्त नमक के साथ इन दो प्रकार के नमक का नाम नहीं आता है । दशवं. अ. ३, गा. ८ में ६ प्रकार के सचित्त नमक ग्रहण करने व खाने को अनाचार कहा है, यथा—

“सोवच्चले सिधवे लोणं, रोमालोणे प आमए ।
सामुद्दे पंसुघारे य, काला लोणे य आमए ॥”

आचा. श्रु. २, अ. १, उ. १० में इन दो प्रकार के नमक को खाने का विधान है ।

दशवे अ. ६, गा. १८ में इन दो के संग्रह का निषेध है और प्रस्तुत सूत्र में रात्रि में रखे हुए को खाने का प्रायश्चित्त है । इन स्थलों के वर्णन से यही स्पष्ट होता है कि उपरोक्त छः प्रकार के सचित्त नमक में से कोई नमक अग्नि-पक्व हो तो उसे 'विडलवण' कहते हैं और अन्य शस्त्रपरिणत हो तो उसे 'उद्भिन्न नमक' कहते हैं ।

भाष्यकार यहाँ आहार एवं अनाहार योग्य पदार्थों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये सूत्रोक्त पदार्थ भूष-प्यास को शांत करने वाले न होते हुए भी आहार में मिलाये जाते हैं और आहार को संस्कारित करते हैं, अतः ये भी आहार के उपकारक होने से आहार ही हैं ।

श्रोपघियाँ आहार व अनाहार में दो प्रकार की कही हैं—

१. जिन्हें खाने पर कुछ भी अनुकूल स्वाद आए वे आहार रूप है ।

२. जो खाने में अनिच्छनीय एवं अरुचिकर हों वे अनाहार हैं, यथा—त्रिफला आदि श्रोपघियाँ, मूत्र, निम्बादि की छाल, निम्बोली तथा और भी ऐसे अनेक पत्र, पुष्प, फल, बीज आदि समझ लेने चाहिए ।

अथवा भूष में जो कुछ भी खाना जा सकता है वह सब आहार है ।

यह व्याख्या एक विशेष अपेक्षा से ही समझनी चाहिए । क्योंकि व्यय. उ. ९ के अनुसार रात्रि में स्वमूत्र पीना भी निषिद्ध है, जिसे भाष्य में अनाहार कहा गया है । अतः इन त्रिफला आदि पदार्थों को भी रात्रि में रखना, खाना या उपवास आदि में अनाहार समझकर खाना आगम सम्मत नहीं समझना चाहिए ।

विवेचन के अन्त में भाष्यकार ने भी आहार व अनाहार रूप पदार्थों को सामान्यतया रात्रि में रखने और खाने का निषेध किया है । आहार के रखने पर गुरुचीमानी और अनाहार के रखने पर लघुचीमानी प्रायश्चित्त कहा है ।

चालमरणप्रशंसा—प्रायश्चित्त—

११—जे भिषक् १. गिरिपट्टणानि वा, २. मरुपट्टणानि वा, ३. निगुपट्टणानि वा, ४. तरुपट्टणानि वा, ५. गिरिपक्खंदणानि वा, ६. मदपक्खंदणानि वा, ७. भिगुपक्खंदणानि वा, ८. तरुपक्खंदणानि वा, ९. जलपवेसाणि वा, १०. जलणपवेसाणि वा, ११. जलपक्खंदणानि वा, १२. जलण-पक्खंदणानि वा, १३. वित्तभक्खणानि वा, १४. सत्थोपाट्टणानि वा, १५. वल्लमरणानि वा, १६. वसट्ट-मरणानि वा, १७. तन्नय-मरणानि वा, १८. अंतोत्तल्ल-मरणानि वा, १९. वेहाणस-मरणानि वा, २०. गिड्डमुट्ट-मरणानि वा अण्णयरानि वा तेहूपगाराणि चालमरणानि पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ । तं सेयमाणं आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठानं अणुम्पाइयं ।

११—जो भिक्षु १. पर्वत से दृश्य स्थान पर गिर कर मरना, २. पर्वत से अदृश्य स्थान पर गिर कर मरना, ३. खाई-कुए आदि में गिरकर मरना, ४. वृक्ष से गिरकर मरना, ५. पर्वत से दृश्य स्थान पर कूद कर मरना, ६. पर्वत से अदृश्य स्थान पर कूदकर मरना, ७. खड्डे कुए आदि में कूद कर मरना, ८. वृक्ष से कूदकर मरना, ९. जल में प्रवेश करके मरना, १०. अग्नि में प्रवेश करके मरना, ११. जल में कूदकर मरना, १२. अग्नि में कूदकर मरना, १३. विपभक्षण करके मरना, १४. तलवार आदि शस्त्र से कटकर मरना, १५. गला दवाकर मरना, १६. विरह-व्यथा से पीड़ित होकर मरना, १७. वर्तमान भव को पुनः प्राप्त करने के संकल्प से मरना, १८. तीर भाला आदि से विध कर मरना, १९. फांसी लगाकर मरना, २०. गृद्ध आदि से शरीर का भक्षण करवाकर मरना, इन आत्मघात रूप वाल-मरणों की अथवा अन्य भी इस प्रकार के वाल-मरणों की प्रशंसा करता है या प्रशंसा करने वाले का अनुमोदन करता है, उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—भगवतीसूत्र श. १३, उ. ७, सू. ८१ में तथा ठाणांगसूत्र अ. २, उ. ४, सू. ११३ में इन २० प्रकार के मरणों को १२ प्रकार के मरण में समाविष्ट किया है ।

निशीथचूर्ण में भी कहा गया है—इन बारह प्रकार के वालमरणों में से किसी भी वालमरण की प्रशंसा करने पर गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

प्रारम्भ के चार मरणों में—“गिरकर मरने” की समानता होने से एक मरणभेद होता है, आगे के चार मरणों में—“कूदकर गिरने” की समानता होने से उनका भी एक भेद होता है । इसी तरह नवमें और दसवें मरण का एक तथा ग्यारहवें तथा बारहवें मरण का एक भेद होता है । इस प्रकार बारह मरणों के बदले ४ मरण भेद हो जाते हैं और शेष विपभक्षणादि आठ मरण के आठ भेद गिनने से कुल १२ भेदों का समन्वय हो जाता है । किन्तु मूल पाठों को देखने से यह ज्ञात होता है कि कूदकर गिरने और सामान्य गिरने को एक ही माना गया है तथा “मरु” और “भिगु” इन दोनों को भी अलग विवक्षित न करके “गिरि” में ही समाविष्ट किया है । इस प्रकार सूत्रोक्त आठ भेदों को दो भेद—‘गिरि-पडण, तद-पडण में’ समाविष्ट किया है तथा जल और अग्नि सम्बन्धी चार भेदों को दो भेदों में समाविष्ट किया है । जिससे कुल १२ भेद किये गये हैं । अतः १२ व २० दोनों भेद निर्विरोध हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

अन्तिम दो मरणों को ठाणांग. अ. २, सू. ११३ में विशिष्ट कारण से अनुज्ञात कहा है— १. वैहानसमरण, २. गृद्धस्पृष्टमरण तथा आचा. ध्रु. १, अ. ८, उ. ४ में भी ब्रह्मचर्यरक्षा के लिये वैहानसमरण स्वीकार करने का विधान है ।

ये १२ अथवा २० प्रकार के वालमरण आत्मघात करने के विभिन्न तरीके हैं । ये प्रजातियों द्वारा कपायवश स्वीकार किये जाने से वालमरण कहे गये हैं । किन्तु संयम या शीलरदार्य वैहानसमरण से या अन्य किसी तरीके से शरीर का त्याग करने पर ये वालमरण नहीं कहे जाते हैं ।

कतिपय शब्दों की व्याख्या—

गिरी-मरु-जत्य पव्यए आखेहि अहो पयापट्टाणं दोसइ सो “गिरी” भणइ, अदिस्समाने “मरु” ।

भिगु—णदोतडी । आदि सहातो विज्जुवजायं, अगटो वा भण्णइ ।

पडण-पवण्टण—ठिय-णिसन्न-णिवण्णस्स अणुप्पइत्ता पवडमाणस्स “पवडणं” । उप्पइत्ता जो पडइ “पवखंदणं” । खवजाओ वा समपादठितस्स अणुप्पइत्ता पवडमाणस्स पवडणं । खवण्टियस्स जं उप्पइत्ता पडणं तं “पवखंदणं” ।

बलममरण—गलं वा अप्पणो धलेइ ।

तदममरण—जम्मि भवे घट्टइ तस्स भवस्स हेउसु वट्टमाणे । आउयं धंधिता पुणो तत्थ उवज्जिउकामस्स जं मरणं तं तदममरणं ।

वसट्टमरण—इंदियधिसएसु रागदोसवसट्टो मरंतो “वसट्टमरणं” मरइ ।

आत्मघात रूप बालमरणों का कथन होने से वशातमरण का आशय इस प्रकार जानना उपयुक्त है कि विरह या बियोग से दुःखी होकर छाती या मस्तक में धाघात लगाकर मरना । अथवा किसी इच्छा-संकल्प के पूर्ण न होने पर उसके निमित्त से दुःखी होकर तड़फ-तड़फ कर मरना ।

गिद्धपुट्टमरणं—गिद्धेहि पुट्ठं-गिद्धपुट्ठं, गूढंभंसितव्यमित्यर्थः । तं गोमाइकलेयरे अत्ताणं पविपवित्ता गिद्धेहि अप्पाणं भवखावेइ ।

अहया पिट्ठ-उदर-आविसु अलत्तपुडगे दाउं अप्पाणं गिद्धेहि भवखावेइ ।

इन बालमरणों की प्रशंसा करने पर मुनने वाला कोई सोचे कि “अहो ये आत्मार्थी” साधु इन मरणों की प्रशंसा करते हैं तो ये वास्तव में करणीय हैं, इनमें कोई दोष नहीं है । संयम से विन्न कोई माधु इस प्रकार सुनकर बालमरण स्वीकार कर सकता है । इत्यादि दोषोत्पत्ति के कारण होने से भिक्षु को इन मरणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये ।

जब इन मरणों की प्रशंसा करना ही अकल्पनीय है तो इन मरणों का संकल्प या इनमें प्रवृत्ति करने का निषेध तो स्वतः सिद्ध हो जाता है । अतः मुमुक्षु साधक इन मरणों की कदापि चाहना न करे अपितु कारण उपस्थित होने पर समभाय, शान्ति की वृद्धि हेतु साधना करे एवं संन्येयना स्वीकार कर भक्तप्रत्याग्रहान, इंगिणीमरण या पादपोषगमनमरण रूप पंडितमरण को स्वीकार करे । ऐसा करने में मंथम की शुद्ध आराधना ही सक्ती है । किन्तु दुःखों से घबराकर या तीव्र कषाय से प्रेरित होकर बालमरण स्वीकार करने से पुनः पुनः दुःखपरम्परा की ही वृद्धि होती है ।

शीलरक्षा हेतु कभी फांसी लगाकर मरण करना पड़े तो यह आत्मा के लिए अहितकर न होकर कल्याण का एवम् मुख्य फल हेतु होता है, ऐसा—प्राचा श्रु. १, अ. ८, उ. ४ में कहा गया है ।

ग्यारहवें उद्देशक का सारांश—

- | | |
|-----------|--|
| सूत्र १-२ | लोहे आदि के पात्र बनाना व रखना |
| सूत्र ३-४ | लोहे आदि के बंधनयुक्त पात्र करना व रखना |
| सूत्र ५ | पात्र के लिये प्रद्वंद्वयोजन से धागे जाना |
| सूत्र ६ | कारणबन्ध भी प्रद्वंद्वयोजन के धागे से सामने लाकर दिये जाने वाला पात्र लेना । |

सूत्र ७	धर्म की निन्दा करना
सूत्र ८	अधर्म की प्रशंसा करना
सूत्र ९-६२	गृहस्थ के शरीर का परिकर्म करना
सूत्र ६३-६४	स्वयं को या अन्य को डराना
सूत्र ६५-६६	स्वयं को या अन्य को विस्मित करना
सूत्र ६७-६८	स्वयं को या अन्य को विपरीत रूप में दिखाना या कहना
सूत्र ६९	जो सामने हो उसके धर्मप्रमुख की, सिद्धान्तों की या आचार की प्रशंसा करना अथवा उस व्यक्ति की भूठी प्रशंसा करना
सूत्र ७०	दो विरोधी राज्यों के बीच पुनः पुनः गमनागमन करना
सूत्र ७१	दिवसभोजन की निन्दा करना
सूत्र ७२	रात्रिभोजन की प्रशंसा करना
सूत्र ७३	दिन में लाया आहार दूसरे दिन खाना
सूत्र ७४	दिन में लाया आहार रात्रि में खाना
सूत्र ७५	रात्रि में लाया आहार दिन में खाना
सूत्र ७६	रात्रि में लाया आहार रात्रि में खाना
सूत्र ७७	आगाढ परिस्थिति के बिना रात्रि में अशनादि रखना
सूत्र ७८	आगाढ परिस्थिति से रखे आहार को खाना
सूत्र ७९	संखड़ी के आहार को ग्रहण करने की अभिलाषा से अन्यत्र रात्रिनिवास करना
सूत्र ८०	नैवेद्य-पिंड ग्रहण करके खाना
सूत्र ८१-८२	स्वच्छंदाचारी की प्रशंसा करना, उसे वन्दन करना
सूत्र ८३-८४	अयोग्य को दीक्षा देना या बड़ी दीक्षा देना
सूत्र ८५	अयोग्य से सेवाकार्य कराना
सूत्र ८६-८९	अचेल या सचेल साधु का सचेल या अचेल साध्वियों के साथ रहना ।
सूत्र ९०	पशुपित (रात रखे) चूर्ण, नमक आदि खाना
सूत्र ९१	आत्मघात करने वालों की प्रशंसा करना
	इत्यादि दोषस्थानों का सेवन करने पर गुरुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के २० सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

सूत्र १-४	लोहे आदि के पात्र रखने एवं उनके बंधन करने का निषेध ।	—आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १
सूत्र ५	अर्द्धयोजन के आगे पात्र के लिये जाने का निषेध ।	—आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १
सूत्र ७	तीर्थकर व उनके धर्म का अवर्णवाद करने वाला महामोहनीय व्रम का बंध करता है ।	—दशा. द. ९, गा. २३-२४
सूत्र ८	'परपासंडपसंसा' यह सम्यक्त्व का अतिचार है ।	—उपा. अ. १

- सूत्र ७० विरोधी राज्यों के बीच धारंवार गमनागमन करना ।
 —बृहत्कल्प उ. १, सू. ३९
- सूत्र ७३, ७६, ७८ रात्रि में आहार रचना या खाना घनेक सूत्रों में निषिद्ध है ।
 —स्थल के लिये विवेचन देखें ।
- सूत्र ८३-८४ दीक्षा या बड़ी दीक्षा आदि के अयोग्य का कथन । —बृहत्कल्पसूत्र उ. ४
- सूत्र ८६-८९ साध्वी के स्थान पर साधु को रहने आदि का निषेध ।
 —बृहत्कल्पसूत्र उ. ३
- सूत्र ९० नमक आदि के संग्रह का निषेध । —दश. ब्र. ६, गा. १८-१९

इस उद्देशक के ७१ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- सूत्र ६ विकट स्थिति में अर्द्धयोजन के आगे से लाया पात्र लेना ।
- सूत्र ६-६२ गृहस्थ का शारीरिक परिकर्म करना ।
- सूत्र ६३-६८ स्व-पर को भयभीत करना, विस्मित करना, विपरीत अवस्था में करना या कहना ।
- सूत्र ६९ जो जिस धर्मयाना हो उसके सामने उसके धर्म तत्त्वों की प्रशंसा करना अथवा उसकी भूठी प्रशंसा करना ।
- सूत्र ७१-७२ दिवसभोजन की निन्दा व रात्रिभोजन की प्रशंसा करना ।
- सूत्र ७७ अनागाढ परिस्थिति में रात्रि में अशानादि रचना ।
- सूत्र ७९ संजड़ी के आहारार्थ उपश्रय का परिवर्तन करना ।
- सूत्र ८० नैवेद्यपिंड खाना ।
- सूत्र ८१-८२ स्वच्छदाचारों की प्रशंसा, बंदना करना ।
- सूत्र ८५ अयोग्य से सेवाकार्य करना ।
- सूत्र ९१ आत्मघात (बालमरणों) की प्रशंसा करना ।

॥ ग्यारहवां उद्देशक समाप्त ॥

बारहवां उद्देशक

त्रस प्राणियों के बंधन-विमोचन का प्रायश्चित्त—

१—जे भिखू कोलुण-वडियाए अण्णयरं तसपाणजायं, १. तण-पासएण वा, २. मुंज-पासएण वा, ३. कट्ट-पासएण वा, ४. चम्म-पासएण वा, ५. वेत्त-पासएण वा, ६. रज्जू-पासएण वा, ७. सुत्त-पासएण वा बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

२—जे भिखू कोलुण-वडियाए अण्णयरं तसपाणजायं तण-पासएण वा जाव सुत्त-पासएण वा बद्धेलयं मुंचइ मुंचंतं वा साइज्जइ ।

१—जो भिक्षु करुणा भाव से किसी त्रस प्राणी को १. तृण के पाश से, २. मुंज के पाश से, ३. काष्ठ के पाश से, ४. चर्म के पाश से, ५. वेत्र के पाश से, ६. रज्जू के पाश से, ७. सूत्र के पाश से बांधता है या बांधने वाले का अनुमोदन करता है ।

२—जो भिक्षु करुणा भाव से किसी त्रस प्राणी को तृण-पाश से यावत् सूत्र-पाश से बंधे हुए को खोलता है या खोलने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।]

विवेचन—कोलुणं कारुण्यं, अणुकम्पा । —चूर्णि

चूर्णिकार ने कोलुण शब्द का अर्थ करुणा या अनुकम्पा किया है । करुणा दो प्रकार की होती है, यथा—

१. शय्यातर आदि [गृहस्वामी] के प्रति करुणा भाव ।

२. किसी त्रस प्राणी के प्रति करुणा भाव ।

१. भिक्षु यदि पशु आदि के बाड़े के निकट ही ठहरा हो और गृहस्वामी किसी कार्य के लिये कहीं चला जाये, उस समय कोई पशु बाड़े में से निकलकर बाहर जा रहा हो तो उसे बांधना अथवा गृहस्वामी बाहर जाते समय यह कहे कि “अमुक समय पर इन पशुओं को खोल देना या बाहर से अमुक समय पशु आर्योगे तब उन्हें बांध देना” तो उन पशुओं को बांधना या खोलना, यह शय्यातर पर किया गया करुणा भाव है ।

२. बांधा हुआ पशु बंधन से मुक्त होने के लिये छटपटा रहा हो, उसे बंधन से मुक्त कर देना अथवा सुरक्षा के लिये खुले पशु को नियत स्थान पर बांध देना यह पशु के प्रति करुणा भाव है ।

भिक्षु मुद्याजीवी होता है तथा निःस्पृह भाव से संयम पालन करता है अतः करुणा भाव से गृहस्वामी का निजी कार्य करना, यह उसकी श्रमण समाचारी से विपरीत है ।

पशु को बांधने पर वह बंधन से पीड़ित हो या आकुल-व्याकुल हो तो तज्जन्य हिंसा दोष लगता है । खोलने पर कुछ हानि कर दे, निकलकर कहीं गुप्त जाये या जंगल में चला जाये और वहाँ कोई दूसरा पशु उसे या जाये या मार डाले तो भी दोष ल

भिक्षु को ऐसे समाधि भंग करने वाले स्थान पर ठहरना ही नहीं चाहिये । कारणवश ठहरना पड़े तो निस्पृह भाव से रहे ।

ग्यारहवें उद्देशक में सेवा भावना से या मोह भाव से गृहस्थ के कार्य करने का गुरु-चातुर्मासिक प्रायश्चित्त कहा गया है । पशु आदि को खोलना-बांधना भी गृहस्थ के ही कार्य हैं । फिर भी किसी विशेष परिस्थिति में भिक्षु कर्णामात्र से कोई गृहस्थ के कार्य कर ले तो उसे प्रस्तुत सूत्र से लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है और गृहस्थ के प्रति अनुराग या मोह से बांधना-खोलना आदि कोई भी सांसारिक कृत्य करे तो उसे गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

यद्यपि पशु आदि के खोलने-बांधने आदि के कार्य संयम समाचारी से विहित नहीं हैं तथापि यहां कर्णामात्र भाव में खोलने पर गुरुचोमासी प्रायश्चित्त न कह कर लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त कहा है ।

अनुकम्पा भाव रचना यह सम्भवत्व का मुख्य लक्षण है, फिर भी भिक्षु ऐसे अनेक गृहस्थ, जीवन के कार्यों में न उलझ जाये इसलिये उनके संयम जीवन की अनेक मर्यादाएं हैं । भिक्षु के पास आहार या पानी आवश्यकता से अधिक हा तो उसे परठने की स्थिति होने पर भी किसी भूले या प्यासे व्यक्ति को मांगने पर या बिना मांगे देना नहीं कल्पता है । क्योंकि इस प्रकार देने की प्रवृत्ति से या प्रस्तुत सूत्र कथित प्रवृत्ति करने से क्रमशः भिक्षु अनेक कृत्यों में उलझ कर संयम साधना के मुख्य लक्ष्य से दूर हो सकता है । उत्तरा ध. ९ गा. ४० में नमिराजपि दाशेन्द्र को दान की प्रेरणा के उत्तर में कहते हैं—

“तस्सापि संजमो शोभो, अदितस्त वि किचणं ॥”

अर्थात्-कुछ भी दान न करते हुए गृहस्थ के महान् दान से भी संयम श्रेष्ठ है ।

अनुकम्पा भाव की सामान्य परिस्थिति के प्रायश्चित्त में एवं विशेष परिस्थिति के प्रायश्चित्त में भी अन्तर होता है जो प्रायश्चित्तदाता गीतार्थ के निर्णय पर ही निर्भर रहता है ।

यदि कोई पशु या मनुष्य मृत्यु संकट में पड़े हों और उन्हें कोई बचाने वाला न हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई भिक्षु उन्हें बचा ले तो उसे छेद या तप प्रायश्चित्त नहीं आता है । केवल गुरु के पास उसे आलोचना करना आवश्यक होता है ।

यदि उस अनुकम्पा की प्रवृत्ति में बाधना, खोलना आदि गृहकार्य, आहार-पानी देना आदि मर्यादाभंग के कार्य या जीवविराधना का कोई कार्य हो जाये तो लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी ने संयमसाधना काल में तेजोनेश्या से भस्मभूत होने वाले गोनात्मक को अपनी शीतलेश्या से बचाया और केवलज्ञान के बाद इस प्रकार कहा कि “मैंने गोनात्मक की अनुकम्पा के लिये शीतलेश्या छोड़ी, जिससे वैश्यायन बालतपस्वी की तेजोनेश्या प्रतिहत हो गई । —भग. प. १५

अतः प्रस्तुत सूत्र में कर्णामात्र भाव या अनुकम्पा भाव का प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु उसके भाव की गई गृहस्थ की प्रवृत्ति या संयममर्यादा भंग की प्रवृत्ति का प्रायश्चित्त है, ऐसा समझना चाहिये ।

प्रत्याख्यान-भंग करने का प्रायश्चित्त—

३—जे भिक्खू अभिक्खणं-अभिक्खणं पच्चक्खणं भंजइ भंजंतं वा साइज्जइ ।

३—जो भिक्षु चारंबार प्रत्याख्यान भंग करता है या भंग करने वाले का अनुमोदन करे है । [उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।]

बिबेचन—चारंबार प्रत्याख्यान के भंग करने को दशा. द. २ में शवलदोष कहा गया है चारंबार अर्थात् अनेक बार, यहां भाष्यकार ने कहा है कि तीसरी बार प्रत्याख्यान भंग करने पर यह सूत्रकथित प्रायश्चित्त आता है ।

यहां प्रत्याख्यान से उत्तरगुण रूप “नमुक्कार सहिय” आदि प्रत्याख्यान का अधिक समझना चाहिये । अर्थात् “नमुक्कार सहिय” आदि का संकल्प पूर्वक तीसरी बार भंग करने पर प्रायश्चित्त आता है ।

प्रत्याख्यान-भंग करने से होने वाले दोष—

“अपच्चओ य अवण्णो, पसंग दोसो य अदडुता धम्मो ।

माया य मुसावाओ, होइ पइण्णाइ लोवो य ॥

निशी. भाष्य, गा. ३९०

१. “जो उत्तरगुण-प्रत्याख्यान का चारंबार भंग करता है, वह मूलगुण-प्रत्याख्यानों का भंग करता होगा”, इस प्रकार की अप्रतीति = अविश्वास का पात्र होता है ।

२. स्वयं उसका या संध का अवनवादा होता है ।

३. एक प्रत्याख्यान के भंग करने से अन्य मूलगुण-प्रत्याख्यानों के भंग होने की सम्भाव्य रहती है तथा अनेक दोषों की परम्परा बढ़ती है ।

४. अन्य प्रत्याख्यानों में तथा श्रमणधर्म के पालन में भी दृढता नहीं रहती है ।

५. प्रत्याख्यान कुछ करता है और आवरण कुछ करता है, जिससे माया का सेवन होता है । यथा—आयं विल का प्रत्याख्यान करके एकाशना कर ले ।

६. कहता कुछ अन्य है और करता कुछ अन्य है, अतः मृपावाद दोष लगता है । यथा—भेरे आज एकाशन है, ऐसा कह कर दो बार या लेता है ।

७. अपने उस अवगुण को छिपाने के लिये कभी माया पूर्वक मृपा भाषण कर सकता है ।

८. प्रत्याख्यान का भंग होने पर संयम की विराधना होती है ।

९. चारंबार प्रत्याख्यान भंग करने से कदाचित् कोई देव रुष्ट हो जाए तो विदिपत्तचित्त कर सकता है ।

प्रत्याख्यान के प्रति उपेक्षा भाव से एवं संकल्प पूर्वक अनेक बार प्रत्याख्यान भंग करने का यह प्रायश्चित्त है । किन्तु कदाचित् प्रत्याख्यानमूत्र में कथित घागरों का सेवन किया जाये तो प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है किन्तु उसकी आलोचना गौतम्य भिक्षु के पाम अथय कर लेने

चाहिये। कभी विधिष्ट आगार मेवन के पूर्व भी गीतार्थ की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। अगीतार्थ [अवहृथुत] और अपरिणामी या अतिपरिणामी भिक्षु आगार-मेवन और अपवाद-सेवन के निर्णय करने में अयोग्य होते हैं।

आगार-सेवन या अपवाद-सेवन में क्षेत्र, काल या व्यक्ति का ध्यान रख कर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करना भी आवश्यक होता है।

विकट परिस्थिति में भी गीतार्थ के नेतृत्व में दृढ़ता पूर्वक प्रत्याख्यान का पालन किया जाय एव आगारों का सेवन न किया जाय तो वह स्वयं के लिये तो महान् लाभ का कारण होता ही है, साथ ही उसमें जिनसासन की भी प्रभावना होती है।

अतः भिक्षु को एक बार भी प्रत्याख्यान भंग न करते हुए दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना चाहिये।

प्रत्येककाय-संयुक्त आहारकरण-प्रायश्चित्त—

४—जे भिक्षु परित्तकाय-संयुक्त आहारं आहारैश्च, आहारैतं वा साइज्जइ ।

४— जो भिक्षु प्रत्येककाय से मिश्रित आहार खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है। [उन्हे लघुचोमामी प्रायश्चित्त प्राप्ता है।]

विवेचन—चतुर्थे उद्देशक में मचित्त धान्य और बीज खाने का लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा है। दसवें उद्देशक में फूलफल आदि अन्तकाय से मिश्रित आहार करने का गुह्यचोमामी प्रायश्चित्त कहा है और प्रस्तुत सूत्र में प्रत्येककाय-संयुक्त आहार खाने का लघु-चोमामी प्रायश्चित्त कहा है।

पूर्वोक्त सूत्रों का विवेचन उन-उन उद्देशकों में किया गया है, प्रत्येककाय-मिश्रित आहार ये हैं—

१. मचित्त नमक से युक्त आहार, जिसमें नमक शस्त्रपरिणत न हुआ हो।
२. मचित्त पानी युक्त छाद्य या आम का रस आदि, ये जब तक शस्त्रपरिणत नहीं हुए हों।
३. अग्नि पर से उतार लेने के बाद व्यंजन में धनिया पर्ती आदि डाले गये हों।

यहाँ प्रसन्न जीव युक्त पदार्थों का कथन है, क्योंकि धान्य व बीज रूप प्रत्येककाय के पदार्थों का कथन चौथे उद्देशक में ही नुका है। अतः मचित्त नमक, पानी और कुह्य वनस्पतियों में युक्त ग्राह्य पदार्थ हों और उन मचित्त पदार्थों के शस्त्रपरिणत होने योग्य वह द्रव्य न हो या समय न बीता हो तो ऐसे ग्राह्य पदार्थों को प्रत्येककाय-संयुक्त आहार कहा गया है। ग्रहण करने के बाद शात होने पर ऐसा आहार नहीं खाना चाहिये और खाने के बाद या कुह्य खाने के बाद शात हो जाये तो शेष आहार को परठ कर उसका प्रायश्चित्त ले लेना चाहिये।

अग्निकार ने अनेक प्रकार के मचित्त पत्र, पुष्प, फल आदि से भी युक्त अन्ननादि का होना बताया है तथा कई चीजों में तत्काल नमक डाल कर गृहस्थों के खाने के विवाज का कथन किया है। वैसे पदार्थ माघु के द्वारा खाने पर जीवविराधना होने से प्रथम महाप्रत दूषित होता है।

जानकर खाने पर या बिना जाने खाने पर अथवा प्रथम कारण से खाने पर प्रायश्चित्त भिन्न-भिन्न भाँ है, इनका निर्णय गीतार्थ पर निर्भर होता है, उनकी एक प्रायश्चित्त-तामिषा प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में दी गई है।

सरोम-चर्म-परिभोग-प्रायश्चित्त—

५—जे भिक्षु सलोमाइं चम्माइं अहिट्टइ, अहिट्टंतं वा साइज्जइ ।

५—जो भिक्षु रोम [केश] युक्त चर्म का उपयोग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।]

विवेचन—सामान्यतया [उत्सर्गमार्ग में] साधु को चर्म रखना नहीं कल्पता है, किसी कारण से आवश्यकता पर्यन्त रखा जाना एवं उपयोग में लेना विहित है । वृद्धावस्था में शरीर की मज्जा क्षीण होने पर कमर आदि अवयवों की अस्थियों से त्वचा का घर्षण होता है अथवा कुष्ठ, अर्श आदि रोग हो जाये तो चर्म का उपयोग किया जा सकता है ।

चर्म साधु को औषिक उपधि नहीं है, अतः वृहत्कल्पसूत्र, उद्देशक ३ में कहे गये इस विषय के सभी सूत्र अपवादिक स्थिति की अपेक्षा से ही कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

उन सूत्रों का अभिप्राय यह है कि विशेष परिस्थिति में उपयोग में आने योग्य कटा हुआ रोम-रहित चर्मखण्ड साधु-साध्वी ले सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं । किसी विशेष परिस्थिति में साधु सरोमचर्म भी सूत्रोक्त विधि के अनुसार उपयोग में ले सकता है, किन्तु अधिक समय तक नहीं रख सकता है । साध्वी के लिये सरोमचर्म सर्वथा निषिद्ध है ।

सरोमचर्म-प्रयोग करने में निम्न दोष हैं, यथा—

१. रोमों में अनेक मूक्षम प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं ।
२. प्रतिलेखना अच्छी तरह नहीं हो पाती है ।
३. वर्षा में कुंयूए या फूलन हो जाती है ।
४. धूप में रखने से उन जीवों की विराघना होती है ।

किसी परिस्थिति में सरोम-चर्म लाना पड़े तो जो कुंभकार, लोहार आदि के दिन भर बैठने के काम आ रहा हो और रात्रि में उनके यहाँ अनावश्यक हो तो वह लाना चाहिए और रात्रि में रख कर वापिस दे देना चाहिए, क्योंकि कुंभकार, लोहार आदि के दिन भर अग्नि के काम करने के कारण उसमें एक रात्रि तक जीवोत्पत्ति संभव नहीं रहती । अतः एक रात्रि से अधिक रखने का निषेध किया है ।

चूणिकार ने बताया है कि साधु के लिए यह सूत्रोक्त प्रायश्चित्त समझना चाहिए, किन्तु साध्वी सरोम चर्म का उपयोग करे तो गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

साध्वी के लिये पूर्ण निषेध का कारण बताते हुए व्याख्याकार कहते हैं कि सरोम चर्म में पुरुष जैसे स्पर्श का अनुभव होता है, अतः साध्वी के लिये वह सर्वथा वर्ज्य है ।

किन्तु रोम रहित चर्म विशेष कारण होने पर साधु-साध्वी ले सकते हैं और नियत समय तक रख सकते हैं । उसके रखने का सूत्र में प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है ।

भाष्यकार ने इस सूत्र के विवेचन में रोम रहित चर्म रखने पर साधु को गुरुचोमासी और साध्वी को लघुचोमासी प्रायश्चित्त आने का कहा है, वह प्रकरण रखने की अपेक्षा से कहा गया है । क्योंकि कोई भी औपग्रहिक उपधि प्रकरण रखना प्रायश्चित्त योग्य है ।

गरोम नर्म के अन्दर पोल होने में भाष्यकार ने यहाँ अन्य भी पोल युक्त पुस्तक, तृण आदि का विस्तृत वर्णन किया है। जिसका सारांग इस प्रकार है—

१. पुस्तकपंचक, २. तृणपंचक, ३. दुष्प्रतिलेख्य वस्त्रपंचक, ४. अश्रुतिलेख्य वस्त्रपंचक, ५. चर्मपंचक।

१. पुस्तकपंचक—

१. गंधी पुस्तक—चीटाई, मोटाई में समान अर्थात् चौरम लंबी पुस्तक।

२. कच्छपो पुस्तक—बीन में चीड़ी, किनारे कम चीड़ी, अल्प मोटाई वाली।

३. मुष्टि पुस्तक—चार अंगुल विस्तार में यत्नाकार गोन अथवा चार अंगुल लंबी-चीड़ी समचौरम।

४. संपुट-फलक पुस्तक—वृक्ष आदि के फलक से निमित्त पुस्तक।

५. देशवादी पुस्तक—ताड़ आदि के पत्तों से बनी पुस्तक, कम चीड़ी तथा लम्बाई व मोटाई में अधिक एव बीच में एक, दो या तीन छिद्र वाली।

ये सभी पुस्तकें भूपिर [पोलार] युक्त होने से दुष्प्रतिलेख्य हैं, अतः अकल्पनीय हैं।

२. तृणपंचक—

१. शानि, २. द्रीहि, ३. कोद्रव, ४. रालक [कगु] ये चार पराल रूप तृण और

५. भारण्यक—जगली श्यामाकादि तृण।

ये भी पोल युक्त होते हैं। इन तृणों का वर्णन उत्तराध्ययनसूत्र अ. २३, गा. १७ में इस प्रकार है—

"पत्तालं फामुयं तस्य, पंचमं कुस तृणानि य।
गोयमस्त नितिश्रजाए, टिप्पं संपणामए ॥"

टोका—गोयमस्य उपवेदानाद्यं प्रागुक्त—निर्वीज चतुर्विधं पत्तालं, पंचमानि कुसतृणानि, शकारात् सन्धान्यपि साधुयोग्यानि तृणानि समपर्यति।

इस गाथा में इन्हें प्रागुक्त कहा है। इन्हीं पांच को भाष्यकार ने पोल युक्त होने में दुष्प्रतिलेख्य कहा है और उत्तरका लघुचौमासी प्रायश्चित्त भी कहा है।

इन परालों का पोल युक्त होना प्रत्यक्षसिद्ध है, फिर भी उक्त गाथा में इन्हें प्रागुक्त कहा है। इसका कारण यह है कि गृहस्थ के उपयोग में आ जाने में ये प्रागुक्त हो जाते हैं।

आगम युग में पराल, द्रुम आदि का उपयोग साधु व श्रावक दोनों ही करते थे, ऐसा वर्णन अनेक आगमों में उपलब्ध है। वर्तमान में इनका उपयोग बहुत कम हो गया है।

३. दुष्प्रतिलेख्य वस्त्रपंचक—

१. कोपवि—हर्द नगे हुए वस्त्र।

२. माशरु—ऊन नगे हुए नेनाम आदि के बड़े कम्बल।

३. शशिकाति—दमियों अर्थात् पनियों युक्त वस्त्र।

४. पूरित—स्थूल सन-सूत्रमय वस्त्र-गलीचा आदि ।

५. विरलिका—द्विसरा सूत्रमय वस्त्र ।

४. अप्रतिलेख्य वस्त्र-पंचक—

१. उपधान—हुंस रोम आदि से भरा सिरहाना, तकिया ।

२. तूलो—संस्कारित कपास, अर्कतूल आदि से भरा सिरहाना ।

३. आतिगनिका—पुरुष प्रमाण लम्बा व गोल गद्दा जिस पर करवट से सोते समय पांव हाथ घुटने कुहनी आदि रखे जा सकें ।

४. गंडोपधान—गलमसूरिका—जो करवट से सोते समय मुंह के नीचे रखा जाय ।

५. मसूरक—मसूर की दाल जैसे आकार के गोल व छोटे गद्दे जो कुर्सी, मुड्डे आदि पर रखे जाते हैं, जिन पर एक व्यक्ति बैठ सकता है ।

ये पांचों गद्दे या तकिये [ओसीके] आदि अप्रतिलेख्य वस्त्र हैं, क्योंकि ये रूई आदि भर कर सिले हुए होते हैं ।

५. चर्म-पंचक—

१. गो-चर्म, २. महिप-चर्म, ३. अजा [वकरी]-चर्म, ४. एडक-[भेड का] चर्म, ५. आरण्यक = अन्य मृग आदि वन्यपशुचर्म ।

ये पांचों प्रकार के रोम युक्त चर्म अग्राह्य हैं । इनके ग्रहण एवं उपभोग का प्रायश्चित्त प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है । शेष पुस्तक-पंचक आदि के ग्रहण का प्रायश्चित्त भाष्य, चूर्ण में लघुचौमासी आदि बताया है ।

भाष्यकार ने पुस्तक-पंचक आदि रखने के निम्न दोष बताये हैं—

१. पुस्तक-पंचक—

१. विहार में भार अधिक होता है ।

२. कर्धों पर घाव हो सकते हैं ।

३. पोल रहने से प्रतिलेखन अच्छी तरह नहीं होता है ।

४. कुंथुवे, फूलन [पनक] की उत्पत्ति हो सकती है ।

५. धन की आशा से चोर चुरा सकते हैं ।

६. तीर्थकर भगवान् ने इनके उपयोग करने की आज्ञा नहीं दी है अर्थात् प्रश्नव्याकरण आदि आगमों में कहे गये भिक्षु के उपकरणों में इनका नाम नहीं है ।

७. स्थानांतरित करने में परिमंथ होता है ।

८. सूत्र लिखा हुआ है ही, ऐसा मोच कर साधु साध्वी प्रमादवश पुनरावृत्ति या कंठस्थ नहीं करें तो उससे श्रुत-अर्थ विनष्ट होता है ।

९. पुस्तक सम्यग्धी परिकर्म में सूत्रार्थ के स्वाध्याय की हानि होती है ।

१०. अक्षर लिखने में कुंथुवे आदि प्राणियों का वध हो सकता है ।

मरोम चर्म के अन्दर पोल होने से भाप्यकार ने यहाँ अन्य भी पोल युक्त पुस्तक, तृण आदि का विस्तृत वर्णन किया है। जिसका सारांश इस प्रकार है—

१. पुस्तकपंचक, २. तृणपंचक, ३. दुष्प्रतिलेख्य वस्त्रपंचक, ४. अप्रतिलेख्य वस्त्रपंचक, ५. चर्मपंचक।

१. पुस्तकपंचक—

१. गंडी पुस्तक—चौड़ाई, मोटाई में समान अर्थात् चौरस लंबी पुस्तक।

२. कच्छपी पुस्तक—बीच में चौड़ी, किनारे कम चौड़ी, अल्प मोटाई वाली।

३. मुष्टि पुस्तक—चार अंगुल विस्तार में वृत्ताकार गोल अथवा चार अंगुल लंबी-चौड़ी समचौरस।

४. संपुट-फलक पुस्तक—वृक्ष आदि के फलक से निर्मित पुस्तक।

५. छेदपाटी पुस्तक—ताड़ आदि के पत्तों से बनी पुस्तक, कम चौड़ी तथा लम्बाई व मोटाई में अधिक एवं बीच में एक, दो या तीन छिद्र वाली।

ये सभी पुस्तकें भूपिर [पोलार] युक्त होने से दुष्प्रतिलेख्य हैं, अतः अकल्पनीय हैं।

२. तृणपंचक—

१. शालि, २. ब्रीहि, ३. कोद्रव, ४. रालक [कंगु] ये चार पराल रूप तृण और

५. आरण्यक—जगली श्यामाकादि तृण।

ये भी पोल युक्त होते हैं। इन तृणों का वर्णन उत्तराध्ययनसूत्र अ. २३, गा. १७ में इस प्रकार है—

“पलालं फामुयं तत्थ, पंचमं कुस तणाणि य।

गोयमस्स निसिज्जाए, खिप्पं संपणामए ॥”

टोका—गोयमस्य उपवेदानार्थं प्रासुकं—निर्वीजं चतुर्विधं पलालं, पंचमानि कुसतृणानि, चकारात् अन्यान्यपि साधुयोग्यानि तृणानि समपंयति।

इस गाथा में इन्हें प्रासुक कहा है। इन्हें पाच को भाप्यकार ने पाल युक्त होने से दुष्प्रतिलेख्य कहा है और उसका लघुचौमाती प्रायश्चित्त भी कहा है।

इन परालों का पोल युक्त होना प्रत्यक्षसिद्ध है, फिर भी उक्त गाथा में इन्हें प्रासुक कहा है। इसका कारण यह है कि गृहस्थ के उपयोग में आ जाने से वे प्रासुक हो जाते हैं।

आगम युग में पराल, दमं आदि का उपयोग साधु व श्रावक दोनों ही करते थे, ऐसा वर्णन अनेक आगमों में उपलब्ध है। वर्तमान में इनका उपयोग बहुत कम हो गया है।

३. दुष्प्रतिलेख्य वस्त्रपंचक—

१. कोयवि—रुई लगे हुए वस्त्र।

२. प्रावारक—ऊन लगे हुए नेपाल आदि के बड़े कम्बल।

३. दाडिगालि—दशियों अर्थात् फलियों युक्त वस्त्र।

४. पूरित—स्थूल सन-सूत्रमय वस्त्र-गलीचा आदि ।

५. विरलिका—द्विसरा सूत्रमय वस्त्र ।

४. अप्रतिलेख्य वस्त्र-पंचक—

१. उपघान—हुंस रोम आदि से भरा सिरहाना, तकिया ।

२. तूली—संस्कारित कपास, अर्कतूल आदि से भरा सिरहाना ।

३. आलिंगनिका—पुरुष प्रमाण लम्बा व गोल गद्दा जिस पर करवट से सोते समय पाव हाथ घुटने कुहनी आदि रखे जा सकें ।

४. गंडोपघान—गलमसूरिका—जो करवट से सोते समय मुंह के नीचे रखा जाय ।

५. मसूरक—मसूर की दाल जैसे आकार के गोल व छोटे गद्दे जो कुर्सी, मुड्डे आदि पर रखे जाते हैं, जिन पर एक व्यक्ति बैठ सकता है ।

ये पांचों गद्दे या तकिये [ओसीके] आदि अप्रतिलेख्य वस्त्र हैं, क्योंकि ये रूई आदि भर कर सिले हुए होते हैं ।

५. चर्म-पंचक—

१. गो-चर्म, २. महिष-चर्म, ३. अजा [वकरी]-चर्म, ४. एडक-[भेड का] चर्म, ५. आरण्यक = अन्य मृग आदि वन्यपशुचर्म ।

ये पांचों प्रकार के रोम युक्त चर्म अग्राह्य हैं । इनके ग्रहण एवं उपभोग का प्रायश्चित्त प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है । शेष पुस्तक-पंचक आदि के ग्रहण का प्रायश्चित्त भाष्य, चूर्ण में लघुचौमासी आदि बताया है ।

भाष्यकार ने पुस्तक-पंचक आदि रखने के निम्न दोष बताये हैं—

१. पुस्तक-पंचक—

१. विहार में भार अधिक होता है ।

२. कंधों पर घाय हो सकते हैं ।

३. पोल रहने से प्रतिलेखन अच्छी तरह नहीं होता है ।

४. कुंथुवे, फूलन [पनक] को उत्पत्ति हो सकती है ।

५. धन की आशा से चोर चुरा सकते हैं ।

६ तीर्थकर भगवान् ने इनके उपयोग करने की आज्ञा नहीं दी है अर्थात् प्रश्नव्याकरण आदि आगमों में कहे गये भिक्षु के उपकरणों में इनका नाम नहीं है ।

७. स्थानांतरित करने में परिमंथ होता है ।

८. सूत्र लिखा हुआ है ही, ऐसा सोच कर साधु साध्वी प्रमादवग पुनरावृत्ति या कंटस्थ नहीं करें तो उससे श्रुत-अर्थ विनष्ट होता है ।

९. पुस्तक सम्यन्धी परिकर्म में सूत्रार्थ के स्वाध्याय की हानि होती है ।

१०. अक्षर लिपि में कुंथुवे आदि प्राणियों का बध हो सकता है ।

११. कई संघातिम जीवों के कलेवर अक्षरों पर चिपक जाते हैं अथवा उनका खून अक्षरों पर लग जाता है।

जीववध के चार दृष्टान्त—१. चतुरगिणी सेना के बीच से हिरण, २. घी-दूध आदि में से संघातिम जीव, ३. तेल की घाणी आदि में से तिल या त्रस जीव तथा ४. जाल में फंसा हुआ मत्स्य इत्यादि अनेक जीव कदाचित् छूट भी सकते हैं, बच भी सकते हैं, किन्तु पुस्तक के बीच में आ जाने वाला प्राणी नहीं बच सकता। इसलिये भाष्य में कहा है—

जत्तिय मेत्ता धारा, मुंचति, बंधति य जत्तिया धारा।

जति अवखराणि लिहति य, तति लहुया च आवज्जे ॥

—भा. गा. ४००८

इन पुस्तकों को जितनी बार खोलें, बद करे या जितने अक्षर लिखे उतनी बार लघुचानुमांसिक प्रायश्चित्त आना है और जो प्राणी मर जाय उसका प्रायश्चित्त भी अलग आता है।

२. तृण-पंचक

१. कुंभुए आदि छोटे जीवों की विराधना होती है।

२. जहरीले जीव-जन्तु से आत्मविराधना होती है।

३. अतः जितनी बार करबट बदले अथवा आकुंचन-प्रसारण करे, उतने लघुचानुमांसिक प्रायश्चित्त आते हैं।

शेष तीनों पंचक में प्रतिवेदन शुद्ध न होने से या जीवविराधना होने से संघम विराधना होती है। अतः भूपिर दोष के कारण ये उपकरण ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। किन्तु आपवादिक स्थिति में यदि ये उपकरण ग्रहण किये जाएं तो उसका प्रायश्चित्त लेना चाहिये और इन्हें अकल्पनीय उपकरण या श्रोत्रग्रहिक उपकरण समझना चाहिये।

बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक-३ में साधु के लिये सरोम-चर्म का मर्यादा युक्त विधान है तथा तृण-पंचक भी ग्रहण करने का उत्तराध्ययन अ. २३ आदि अनेक आगमों में वर्णन है। इन वर्णनों से यह फलित होता है कि कभी परिस्थितिवश ये भूपिर उपकरण भी जीवविराधना न हों, उस विधि से एवं मर्यादा से रमे जा सकते हैं। किन्तु जब जीवों की विराधना सम्भव हो या आवश्यकता न रहे तब उन्हें छोड़ देना चाहिये।

शारीरिक परिस्थिति से आवश्यक होने पर चर्म-पंचक और तृण-पंचक या वस्त्र-पंचक ग्रहण करके उपयोग में लिये जा सकते हैं, उसी प्रकार श्रुतविस्मृति आदि कारणों से, अध्ययन में सहयोगी होने से पुस्तक आदि साधन भी उक्त विवेक के साथ रसे जा सकते हैं।

अपने पास रखी जाने वाली शोधिक और श्रोत्रग्रहिक उपधि का उभय काल प्रतिलेखन, प्रमार्जन करना भिक्षु का आवश्यक आचार है। तदनुसार यदि पुस्तकों को अपनी उपधि रूप में रखना हो तो उनका भी उभय काल यथाविधि प्रतिलेखन, प्रमार्जन करना चाहिये। ऐसा करने पर भाष्योक्त दोषों की सम्भावना भी नहीं रहती है और जान-भारधना में भी सुविधा रहती है।

भाष्यकाल की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान युग की पुस्तकों में भूपिर अवस्था भी अत्यल्प होती है। इस कारण से भी इनमें दोष की सम्भावना अल्प है।

ज्ञानभंडारों में उचित विवेक किए बिना रखी जाने वाली अप्रतिलिखित पुस्तकों में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उन पुस्तकों का उपयोग करने में जीवविराधना की अत्यधिक सम्भावना रहती है, अतः उसका यथोचित विवेक रखना चाहिये।

वस्त्राच्छादित पीढे पर बैठने का प्रायश्चित्त—

६—जे भिवखू १. तणपीढगं वा, २. पलालपीढगं वा, ३. छग्रणपीढगं वा, ४. वेत्त-पीढगं वा, ५. कट्ठपीढगं वा परवत्थेणोच्छण्णं अहिट्ठेइ, अहिट्ठंतं वा साइज्जइ।

६—जो भिक्षु गृहस्थ के वस्त्र से ढंके हुए, १ घास के पीढे [चीकी आदि] पर, २. पराल के पीढे पर, ३. गोबर के पीढे पर, ४. बेंत के पीढे पर, ५. काष्ठ के पीढे पर बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—“अहिट्ठेइ” क्रिया पद से बैठना, सोना, खड़े रहना आदि सभी क्रियाएँ समझ लेनी चाहिये सूत्रोक्त पीढे [वाजोट आदि] प्रायः बैठने के उपयोग में आते हैं।

सूत्र में तृण आदि से निर्मित पीढों का कथन है। ये पीढे भिक्षु ग्रहण करके उपयोग में ले सकता है। किन्तु इन पर गृहस्थ के वस्त्र विछाये हुए हों तो बैठने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

यदि भूपिर दोष युक्त हों तो ये अग्राह्य होते हैं और इनके ग्रहण करने पर पांचवें सूत्र में कहे दोष समझ लेने चाहिए।

भूपिर संवंधी दोष न हो तो तृण, बेंत आदि से निर्मित अन्य औपग्रहिक उपकरण भी ग्राह्य हो सकते हैं।

भिक्षु को पीढ-फलग-शय्या-संस्तारक ग्रहण करना तो कल्पता है किन्तु गृहस्थ का वस्त्र साधु को उपयोग में लेना नहीं कल्पता है। अतः वस्त्र युक्त पीढादि अकल्पनीय हैं। क्योंकि वस्त्र युक्त पीढे में अप्रतिलिखना या दुष्प्रतिलिखनाजन्य दोष होते हैं तथा जीवविराधना भी संभव रहती है। अतः वस्त्र युक्त पीढे के उपयोग करने का प्रस्तुत सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है।

निर्ग्रंथी को शाटिका सिलवाने का प्रायश्चित्त—

७—जे भिवखू णिगंथीए संघाटि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा सिव्वावेइ पिव्वावेतं वा साइज्जइ।

७—जो भिक्षु साधु की संघाटिका [चादर] को अन्यतीथिक या गृहस्थ से सिलवाता है या सिलवाने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—“संघाटीओ चउरो, ति-पमाणा ता पुणो भवे दुविहा।

एगमणेगवटंडी, अहिगारो अणेगटंडीए ॥४०२६॥

साध्वी को संख्या की अपेक्षा से चार चादर रखना कल्पता है। प्रमाण अथवात् नाप की अपेक्षा से तीन प्रमाण वाली [४ हाथ, ३ हाथ, २ हाथ] चादर रखना कल्पता है।

ये चादरें एक खंड वाली या अनेक खंड वाली भी हो सकती हैं। एक खंड वाली में सिलाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु अनेक खंड वाली में सिलाई करने की या सिलाई करवाने की आवश्यकता होती है। अतः प्रस्तुत सूत्र में अनेक वस्त्रखंड जोड़ कर बनाई जाने वाली चादर का ही अधिकार है।

भिक्षु या भिक्षुणी सिलाई का आवश्यक कार्य स्वतः ही कर सकते हैं। कोई करने वाला न हो तो परिस्थितिवश गीतार्थ की आज्ञा से वे परस्पर करवा सकते हैं।

किसी समय समीपस्थ भिक्षु या भिक्षुणी कोई भी सिलाई का कार्य न कर सके तब वे स्वयं गृहस्थ से सिलवायें तो उद्देशक ५ सू. १२ के अनुसार लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है। किन्तु साध्वी को चादर साधु गृहस्थ के द्वारा सिलवावे तो प्रस्तुत सूत्र के अनुसार लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

गृहस्थ से वस्त्र सिलवाना भी साधु की मर्यादा में नहीं है तथापि साध्वी की चादर सिलवाने में श्रीर भी अन्य दोषों की सम्भावना रहती है। यथा—

सीने वाला गृहस्थ पूछ भी सकता है कि किसकी चादर है? सही उत्तर देने से जानकारी होने पर वशीकरण प्रयोग कर सकता है, साधु के ब्रह्मचर्य में ञकित होकर गलत प्रचार कर सकता है। अतः ऐसा नहीं करना ही उत्तम है।

गृहस्थ से सिलवाना आवश्यक होने पर नीचे लिखे क्रम से विवेकपूर्वक करवाना चाहिये—

भाष्य गाथा—“पच्छाकड, साभिग्गह, णिरभिग्गह, भद्दए य असण्णो।

गिहि अण्णतित्थिएण वा, गिहि पुव्वं एतरे पच्छा ॥

इस गाथा के अर्थ का स्पष्टीकरण उद्देशक १ सूत्र १५ के विवेचन में किया गया है।

ठाणांग अ. ४ सू. ५९ एवं आचा. श्रु. २ अ. ५ उ. १ में साध्वी को ४ चादर रखने का तथा उसके प्रमाण का कथन है। आचारंगसूत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त प्रमाण का वस्त्र न मिले तो कम प्रमाण वाले वस्त्र खंडों को परस्पर जोड़कर उक्त प्रमाण वाली चादर बना लेनी चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में सिलाई करना या करवाना आवश्यक हो जाता है, तब सूत्राज्ञा का ध्यान रखकर प्रवृत्ति करने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है।

स्थावरकाय-हिंसा प्रायश्चित्त—

८—जे भिवपू १. पुडयिकायस्स वा, २. भाउकायस्स वा, ३. अगणिकायस्स वा
४. वाउकायस्स वा, ५. धणस्सइकायस्स वा, कलमायमवि समारंभइ, समारंभंतं वां साइज्जइ ।

८—जो भिक्षु १. पृथ्वीकाय, २. अप्काय, ३. अग्निकाय, ४. वायुकाय या ५. वनस्पति-काय की भ्रत्व मात्रा में भी हिंसा करता है या हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—कलमायंति स्तोक प्रमाणं । —चूर्ण ।

पृथ्वीकाय आदि ये पांचों एकेन्द्रिय जीव हैं । इनके अस्तित्व का इनकी विराधना के प्रकारों का और विराधना के कारणों का वर्णन आचा. श्रु. १, अ. १ में किया गया है ।

दशवै. अ. ४ में इनकी विराधना न करने की प्रतिज्ञा करने का कथन है ।

दशवै. अ. ६ में भी इस विषय में मुनि की प्रतिज्ञा का स्वरूप कहा गया है ।

भगवतीसूत्र, पन्नवणासूत्र, 'उत्तराध्ययनसूत्र' इत्यादि आगमों में पृथ्वीकाय आदि के भेद-प्रभेद बताये गये हैं ।

निशीथ भाष्य पीठिका गाथा. १४५ से २५७ तक पृथ्वीकाय आदि पाँच स्थावरों की विराधना भिक्षु द्वारा कितने प्रकार से हो सकती है और उनके प्रायश्चित्त के कितने विकल्प होते हैं इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है । अतः विस्तृत जानकारी के लिये उपर्युक्त स्थलों का अध्ययन करना चाहिये ।

कुछ विराधनास्थल इस प्रकार हैं—

पृथ्वीकाय की विराधना के स्थान—

१. गोचरी में—सच्चित्तरज-युक्त हाथ आदि तथा १. काली-लाल मिट्टी, २. ऊप—घार, ३. हरताल, ४. हिगुलक, ५. मेन्सिल, ६. अंजन, ७. नमक, ८. गेरू, ९. पीली मिट्टी (मेट), १०. खड्डी [खडिया], ११. फिटकरी, इन ग्यारह के चूर्णों [पिष्टों] से लिप्त हाथ, कुड़ड़ी या वर्तन से भिक्षा ग्रहण करने पर पृथ्वीकाय की विराधना हो जाती है ।

अथवा इनका संघट्टन आदि करते हुए दाता भिक्षा देवे तो इनकी विराधना हो जाती है ।

२. मार्ग में—१. काली, लाल, पीली सच्चित्त मिट्टी, मुरड़, रेत, बजरी [दाणा], २. पत्थरों के नये टुकड़े [गिट्टी आदि], ३. नमक, ४. ऊप—घार, ५. पत्थर के फोयले आदि से युक्त मार्ग हो या ये पदार्थ मार्ग में बिखरे हुए हों तो इन पर चलने से पृथ्वीकाय की विराधना हो जाती है ।

तत्काल हल चलाई हुई भूमि, मधुर फल वाले वृक्षों के नीचे की विस्तृत भूमि और वर्षा से गीली बनी गमनागमन रहित स्थान की भूमि भी मिश्र होती है । नदी, तालाब आदि के किनारे या खड्डों में पानी के सूखने पर जो मिट्टी पपड़ी बन जाती है, वह सच्चित्त हो जाती है । इन पर चलने घंठने आदि से पृथ्वीकाय की विराधना हो जाती है ।

सामान्यतया ऊपर की चार अंगुल भूमि गमनागमन, सर्दी, गर्मी आदि से अचित्त हो जाती है और उसके नीचे क्रमशः कहीं मिश्र या कहीं सच्चित्त होती है ।

मार्ग में जहाँ सच्चित्त या मिश्र पृथ्वी हो वहाँ मनुष्य आदि के गमनागमन से एक या दो-तीन प्रहर में अचित्त हो जाती है ।

कोमल पृथ्वी अच्छी तरह पिस जाने के बाद पूर्ण अचित्त हो जाती है और कठोर पृथ्वी वर्षा परिवर्तन हो जाने पर केवल ऊपर से अचित्त हो जाती है, क्योंकि उममें कठोरता के कारण अन्दर के जीवों की पांय के स्पर्श आदि से विराधना नहीं होती है ।

अपकाय की विराधना के स्थान—

१. गोचरी में—१. उदकारं हाथ आदि से, २. सस्निग्ध हाथ आदि से, ३. पूर्वकर्मदोष से, ४. पश्चात्कर्मदोष से और ५. जल का स्पर्श आदि करने वाले दाता से भिक्षा ग्रहण करने पर अपकाय की विराधना होती है।

२. मार्ग में—१. नदी, नाला, तालाव आदि के पानी में, २. भूमि पर ओस, धूसर और वर्षा के पड़े हुए पानी में, ३. मार्ग में गिरे हुए पानी पर चलने से या किसी अन्य के रले हुए या फेंके जाते हुए पानी का स्पर्श आदि होने से अपकाय की विराधना हो जाती है।

विहार में कभी जंघासंतारिम या नावासंतारिम पानी को पार करके जाने में भी अपकाय की विराधना हो जाती है।

उपयुक्त स्थानों में पानी के सूक्ष्म अंश का अस्तित्व रहे तब तक वह सचित्त रहता है। मार्ग में गिरे हुए पानी की स्निग्धता समाप्त हो जाने पर अर्थात् पृथ्वी में पानी के पूर्णतया विलीन हो जाने पर वह अचित्त हो जाता है।

नदी, तालाव आदि का पानी पूर्णतया सूख जाने पर उसमें अपकाय के जीव तो नहीं रहते हैं किन्तु वहाँ कुछ समय तक पृथ्वीकाय की सचित्तता रहती है।

अग्निकाय की विराधना के स्थान—

१. गोचरी में—अग्नि के अनंतर या परम्पर स्पर्श करती हुई वस्तु लेने से या अग्नि पर रखी हुई वस्तु लेने से अथवा भिक्षा देने के निमित्त दाता द्वारा किसी प्रकार से अग्नि का आरंभ करने पर अग्निकाय की विराधना हो जाती है।

२. उपाश्रय में—अग्नि या दीपक युक्त स्थान में ठहरना भिक्षु की नहीं कल्पता है। किन्तु अन्य स्थान के न मिलने पर एक या दो दिन वहाँ ठहरना कल्पता है। —बृहत्कल्प उ. २

भिक्षु कभी परिस्थितिवश ऐसे स्थान में ठहरा हो तो वहाँ उसके प्रतिलेखन, प्रमाज्जन, गमनागमन आदि क्रियाएँ करते हुए असावधानी से अग्निकाय की विराधना हो जाती है।

वायुकाय की विराधना के स्थान—

१. किसी भी उष्ण पदार्थ को शीतल करने के लिए हवा करने से वायुकाय की विराधना हो जाती है।

२. गर्मी के कारण शरीर पर किसी भी साधन से हवा करने पर वायुकाय की विराधना हो जाती है। भाष्यकार ने यह भी बताया है कि गृहस्थ के लिये संचालित हवा में बैठना अथवा खुले स्थान में जाकर "हवा आबे" इस प्रकार का संकल्प करना भी वायुकाय की विराधना का प्रकार है।

३. प्रतिलेखन आदि संयम की आवश्यक प्रवृत्ति करने में, शरीर और उपकरण के अनेक (परिकर्म) कार्य करने में, चलना, खड़े होना, बैठना, सोना, बोलना या ध्याना तथा कोई भी वस्तु रखने, उठाने या पढ़ने में हवा की उदीरणा करते हुए अयतना से ये कार्य करने पर वायुकाय की विराधना होती है।

सूक्ष्म दृष्टि से तो काया के प्रत्येक हलन-चलन मात्र में वायुकाय की विराधना होती है। यह विराधना तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में योगनिरोध होने के पूर्व तक होती रहती है। संयम मर्यादा में व इस प्रायश्चित्त प्रकरण में उसका कोई संबंध नहीं है।

किसी पदार्थ को ठंडा करने के लिए या शारीरिक गर्मी को शांत करने के लिए हवा करना-करना भिक्षु को नहीं कल्पता है और आवश्यक प्रवृत्तियां 'अयतना से' करने पर पापकर्म का बंध होता है अर्थात् वह सावध प्रवृत्ति कही जाती है।
—दश. अ. ४

अयतना का अर्थ—किसी भी कार्य के करने में हाथ, पाँव, शरीर या उपकरण आदि को शोघ्र गति से चलाना, किसी पदार्थ को नीचे रखने परठने में ऊपर से फेंकना तथा छींक खांसी आदि आवश्यक शारीरिक प्रक्रियाओं में हाथ आदि का उपयोग न करना इत्यादि को अयतना समझना चाहिए।

वनस्पतिकाय की विराधना के स्थान—

१. मार्ग में—विहार में, ग्रामादि में या ग्रामादि के बाहर कार्यवश जाने आने में हरी घास, नये अंकुर, फूल, पत्ते, बीज आदि पर तथा फूलन (काई) युक्त भूमि पर चलने से या इनका स्पर्श हो जाने पर वनस्पतिकाय की विराधना हो जाती है।

कहीं वृक्ष की छाया में बैठने पर असावधानी से उसके स्कंध आदि का स्पर्श हो जाय, वहाँ पर पड़े हुए फूल, पत्ते, बीज आदि का स्पर्श हो जाय तो वनस्पतिकाय की विराधना हो जाती है।

२. गोचरी में—हरी तरकारियां, फल, फूल, बीज, फूलन आदि के अनंतर या परंपर स्पर्श करते हुए खाद्य पदार्थ, अग्नि आदि से अपरिपक्व मिश्र या सचित्त हरी तरकारियां आदि; अर्द्धपक्व सिद्ध, होले आदि ग्रहण करने से अथवा भिक्षा देने के निमित्त दाता द्वारा इन वनस्पतियों का स्पर्श करने से वनस्पतिकाय की विराधना होती है।

१. बीज धान्य, २. हरी वनस्पतियां और ३. फूलन युक्त आहार अनाभोग से छाने में आ जाय तो वनस्पतिकाय की विराधना होती है। जिसका प्रायश्चित्त कथन क्रमशः उद्देशक चौथे, बारहवें तथा दसवें में किया गया है।

वनस्पति के टुकड़े, छिलके, पत्ते तथा तत्काल की पीसी हुई चटनी आदि कोई भी पदार्थ यदि दाता के हाथ या कुड्यो आदि के लगे हुए हों तो उनसे आहार ग्रहण करने पर वनस्पतिकाय की विराधना होती है।

३. परिष्ठापन में—मल-मूत्र, कफ, श्लेष्म, आहार-पानी, उपधि आदि को हरी घास पर अंकुर एवं फूलन युक्त भूमि पर तथा बीज फूल पत्ते आदि पर परठने से वनस्पतिकाय की विराधना होती है।

रात्रि में परठने के लिये उस भूमि की संघटा के समय ध्यान पूर्वक प्रतिनिध्या करके वनस्पति आदि से रहित भूमि में परिष्ठापन करना चाहिए। ऐसा न करने पर वनस्पतिकाय की विराधना होती है।

प्रायश्चित्त—गोचरी में गृहस्थ द्वारा पृथ्वीकाय, भ्रूणकाय, अग्निकाय, वायुकाय तथा प्रत्येक वनस्पतिकाय की विराधना हो जाय तो सधुमासिक प्रायश्चित्त, अर्धतकाय की विराधना हो जाय तो

गुरुभासिक प्रायश्चित्त तथा गाधु के द्वारा कहीं भी पृथ्वी आदि की विराधना हो जाय तो प्रस्तुत सूत्र से लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

साधु के द्वारा अन्तकाय अर्थात् साधारण वनस्पतिकाय की विराधना हो जाय तो उसका भाष्य गा. ११७ में गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है । प्रायश्चित्त के अन्य भी अनेक विकल्प जानने के लिये भाष्य गा. ११७ तथा गाथा. १४५ से २५७ तक की चूर्ण का ग्रह्ययन करना चाहिये ।

भाष्य. गा. २५८ से २८९ तक असकाय के संबंध में भी इसी प्रकार से वर्णन किया है । प्रस्तुत सूत्र में तो पांच स्थावर की विराधना का ही प्रायश्चित्त कहा है, तथापि यहां उपयुक्त होने से असकाय संबंधी वर्णन भी दिया जाता है ।

असकाय की विराधना के स्थान—

१. मार्ग में—मार्ग में या ग्रामादि में लाल कीड़ियां, काली कीड़ियां, भकोड़े, दीमक तथा वर्षा होने से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के सीप शंख गिजाइयां अलसिया एवं जलका मच्छर आदि तथा अत्यन्त छोटे मेंढक आदि जीव भ्रमण करते हैं । भिक्षु के द्वारा गमनागमन में असावधानी होने पर इन जीवों की विराधना हो सकती है ।

अन्य मार्ग के न होने पर ऐसे जीवयुक्त मार्ग से जाते समय सावधानी पूर्वक देखकर या प्रमांजन करके चलने से भिक्षु जीवविराधना से बच सकता है ।

ग्रामादि के अंदर या बाहर जहां मनुष्य के मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थ हों, वहां असावधानी से चलने या खड़े रहने से संमूर्च्छिम मनुष्यादि की विराधना हो सकती है ।

२. भिक्षाचरी में—१. छाद्य, दही, मक्खन, दधु निर्मित काकव और घृत आदि के विकृत हो जाने पर उनमें लट्टे आदि जीव उत्पन्न हो जाते हैं । कहीं अचित्त धीतल जल में भी अस जीव हो सकते हैं । असावधानी से कभी भिक्षाचरी में इनके ग्रहण कर लिये जाने पर उन जीवों की विराधना होती है ।

२. अनेक खाद्य पदार्थों में कीड़ियां आदि आ जाती है और विवेक न रखने पर उन जीवों की विराधना हो सकती है ।

३. भिक्षा लेने के स्थान पर कीड़ियां आदि हों तो दाता के द्वारा उनकी विराधना हो सकती है ।

४. आहार-पानी के चलितरस हो जाने पर उसमें "रसज" जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उन पदार्थों का स्वाद और गंध बदलकर खराब हो जाता है । ऐसे चलितरस खाद्य-पदार्थों को विभाजित करने पर और पेय पदार्थों को हाथ से स्पर्श करके देखने पर तार जैसे जंतु दिखाई देते हैं । विवेक न रहने पर उन रसज जीवों की विराधना होती है ।

अतः भिक्षु को गवेपणाविधि में कुदान होने के साथ-साथ पदार्थों के परीक्षण करने में भी कुशल होना चाहिए ।

असावधानी से उपयुक्त जीवयुक्त पदार्थ भिक्षा में आ जावे तो मोघन करने योग्य का मोघन किया जाता है और परठने योग्य का परिष्ठापन कर दिया जाता है । इसकी विधि ऊपर

निर्दिष्ट माथाओं में तथा "परिष्ठापनिकानिर्मुक्ति" आवश्यक सूत्र अ. ४ में बताया गई है। निरीध के चूणिकार ने भी उसी स्थल का निर्देश किया है।

३. शय्या में—कीड़ियां, मकोड़े, दीमक, अनेक प्रकार की कंसारियां, मकड़ियां आदि जीव उपाश्रय में हो सकते हैं। अतः प्रत्येक प्रवृत्ति देखकर या प्रमांजन करके करने से इन जीवों की विराधना नहीं होती है।

मकान के जिस स्थल का प्रमांजन न होता हो, ऐसे ऊँचे स्थान या किनारे के स्थान में तथा अलमारियों आदि के नीचे या आस-पास में मकड़ियां और उस स्थान के अनुरूप वर्ण वाले कुंभुवे आदि जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उपाश्रय के निकट में धान्यादि रखे हों तो इल्ली घनेरिया आदि जीव भी गमनागमन करते हैं। असावधानी से इन जीवों की विराधना हो सकती है।

मकान में मक्खियां मच्छर आदि हों तो खुजलाने में या करवट पलटने में पूंजने का विवेक न रहने पर तथा द्रव पदार्थों को रखने या खाने में सावधानी न रखने पर भी इन जीवों की विराधना होती है।

४. उपधि में—वस्त्र में जूँ लीख आदि, पाट में दीमक-खटमल आदि, पुस्तकों एवं अल-मारी आदि में लेवे आदि तथा तृण दर्म आदि में अनेक प्रकार के आगंतुक जीव हो सकते हैं। अविवेक पूर्वक प्रतिलेखन प्रमांजन करने से या उन्हें उपयोग में लेने से उन जीवों की विराधना हो सकती है।

भिक्षु यदि जीवयुक्त मकान पाट आदि ग्रहण नहीं करने के तथा उनका उभयकाल विधि-सहित प्रतिलेखन करने के आगम विधान का बराबर पालन करे तो अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती है। जिससे उन जीवों की विराधना भी नहीं होती है।

वस्त्रों को यथासमय धूप में आनापित करने का ध्यान रखे तो उनमें भी जीवोत्पत्ति की संभावना नहीं रहती है।

माग आदि स्थलों में उपरोक्त अन्न स्यावर जीवों की संभावना तो ही प्रत्येक प्रवृत्ति में जीवों को देखने का या प्रमांजन करने का ध्यान रखने पर उनकी विराधना नहीं होती है।

विराधना के अनेक विकल्पां से प्रायश्चित्त के भी अनेक विकल्प होते हैं, उनकी जानकारी भाष्य से की जा सकती है। संक्षिप्त में स्यावर जीवों की विराधना के प्रायश्चित्त ऊपर बताया गया है। अन्न जीवों की विराधना का सामान्य प्रायश्चित्त इस प्रकार है—

द्वीन्द्रिय की विराधना का लघुचोमासी,
त्रीन्द्रिय की विराधना का गुरुचोमासी,
चतुरिन्द्रिय की विराधना का लघुःमासी,
पंचेन्द्रिय की विराधना का गुरुःमासी।

सचित्त-वृक्षारोहण-प्रायश्चित्त—

१. जे निश्चय सचित्त-वृक्षं दुहहृद्, दुहहृतं वा साइग्जह।

१. जो निश्चय सचित्त-वृक्ष पर चढ़ता है मा चढ़ने पाने का अनुमोदन करता है। (उत्ते लघु-चोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—सचित्त-वृक्ष तीन प्रकार के होते हैं—

१. संख्यात जीव वाले ताड़ वृक्षादि, २. असंख्यात जीव वाले आम्रवृक्षादि, ३. अनंत जीव वाले धूहरादि ।

संख्यात जीव वाले या असंख्यात जीव वाले वृक्ष पर चढ़ने का लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है और अनंत जीव वाले वृक्ष पर चढ़ने का गुरुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

पांचवें उद्देशक में सचित्त-वृक्ष के निकट खड़े रहने का भी प्रायश्चित्त कहा गया है ।

प्रतिवृष्टि से वाढ आने पर, श्वापद या चोर के भय से या अन्य किसी परिस्थिति से भिक्षु को वृक्ष पर चढ़ना पड़े तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है, किन्तु अकारण चढ़े या बारम्बार चढ़ने का प्रसंग आए तो प्रायश्चित्त की वृद्धि होती है ।

वृक्ष पर चढ़ने से होने वाले दोष—

१. वनस्पतिकाय की विराधना होती है ।
२. चढ़ते समय हाथ-पाँव आदि में खरोंच आ जाती है ।
३. गिर पड़ने से अन्य जीवों की विराधना होती है ।
४. हाथ-पाँव आदि में चोट आने से आत्मविराधना होती है ।
५. वृक्ष पर चढ़ते हुए देखकर किसी के मन में अनेक आशंकायें उत्पन्न हो सकती हैं ।
६. धर्म की अवहेलना होना भी संभव है ।

अनंतकायिक धूहर, आक आदि वृक्षों पर चढ़ना संभव नहीं होता है, अतः उनका सहारा लेना आदि का प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिए ।

गृहस्थ के पात्र में आहार करने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भिक्खू गिहि-भत्ते भुंजइ, भुंजंतं या साइज्जइ ।

१०. जो भिक्षु गृहस्थ के पात्र में आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु गृहस्थ के द्वारा अपने पात्र में आहारादि ग्रहण कर उसे खा सकता है किन्तु गृहस्थ के खाली-कटोरी आदि में नहीं खा सकता है तथा उनके गिलास लोटे आदि से पानी नहीं पी सकता है । यह मुनिजीवन का आचार है ।

दशवें अ. ६ गा. ५१-५२-५३ में इसका निषेध किया गया है, वह वर्णन इस प्रकार है—

“कांस्य मिट्टी आदि किसी भी प्रकार के गृहस्थ के वर्तन में अशन-पान आदि आहार करता हुआ भिक्षु अपने आचार से घ्रष्ट हो जाता है ।

भिक्षु के घाने या पीने के बाद गृहस्थ के द्वारा उन वर्तनों को घोये जाने पर अप्काय की विराधना होती है और उन पानी के फेंकने पर अनेक व्रत प्राणियों की भी हिता होती है, अतः इसमें त्रिनेश्वर देव ने आशंका कहा है ।

पूर्वकर्म—पश्चात्कर्म आदि दोष लगते हैं अतः भिक्षु को गृहस्थ के वर्तनों में खाना-पीना नहीं कल्पता है । इन्हीं कारणों से निर्ग्रन्थ मुनि गृहस्थ के वर्तन में आहारादि नहीं करते ।

दशवै. अ. ३ गा. ३ में गृहस्थ के वर्तन में खाने की प्रवृत्ति को अनाचार कहा है ।

सूय. श्रु. १ अ. २. उ. २ गा. २० में गृहस्थ के वर्तनों में नहीं खाने वाले भिक्षु को सामायिक चारित्रवान् कहा है ।

सूय. श्रु. १ अ. ९ गा. २० में कहा गया है कि—भिक्षु गृहस्थ के वर्तनों में आहार-पानी कदापि नहीं करे ।

गृहस्थ के पात्र में खाने से होने वाले दोष—

१. गृहस्थ के घर में खाना,
२. गृहस्थ के द्वारा स्थान पर लाया हुआ खाना,
३. गृहस्थ द्वारा वर्तनों को पहले या पीछे घोंना,
४. नया वर्तन खरीदना,
५. आहार-पानी की अलग-अलग व्यवस्था करना ।

इत्यादि अनेक दोषों की परम्परा बढ़ती है ।

अतः भिक्षु को आगमानुसार गृहीत लकड़ी, मिट्टी या तुम्बे के पात्र में ही आहार करना चाहिए । गृहस्थ के थाली, कटोरी, गिलास, लोटे आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

उपर्युक्त आगम पाठों में गृहस्थ के पात्र में आहार-पानी के उपयोग करने का निषेध है और उन सूत्रों की व्याख्याओं में आहार-पानी सम्बन्धी दोषों का ही कथन है । अतः वस्त्रप्रक्षालन के लिए औपग्रहिक उपकरण के रूप में गृहस्थ के पात्र का यदि उपयोग किया जाए तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है । क्योंकि उनका उपयोग करने पर पश्चात्कर्मादि दोष नहीं लगते हैं ।

गृहस्थ के वस्त्र का उपयोग करने पर प्रायश्चित्त—

११. जे भिक्खू गिहिवत्थं परिहेइ, परिहेतं वा साइज्जइ ।

११. जो भिक्षु गृहस्थ के वस्त्र को पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु वस्त्र की आवश्यकता होने पर गृहस्थ से वस्त्र की याचना करके ही उपयोग में लेता है । किन्तु पड़िहारी वस्त्र ग्रहण करके उसे उपयोग में लेकर गृहस्थ को लौटाना नहीं कल्पता है । इसी का प्रस्तुत सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

पुनः लौटाने योग्य वस्त्र ही गृहस्थ का वस्त्र कहा जाता है । उसका उपयोग करने पर पूर्वकर्म, पश्चात्कर्म आदि अनेक दोष लगते हैं । उन्हें गृहस्थ-पात्र के विवेचन में कहे गये दोषों के समान समझ लेना चाहिए ।

सूय. श्रु. १ अ. ९ गा. २० में गृहस्थ के वस्त्र को उपयोग में लेने का निषेध किया गया है ।

अतः भिक्षु को मुनि-आचार के अनुसार गृहस्थ द्वारा पूर्ण रूप से दिया गया वस्त्र ही उपयोग में लेना चाहिए । किन्तु लौटाने योग्य वस्त्र लेकर उपयोग में नहीं लेना चाहिए ।

विवेचन—सचित्त-वृक्ष तीन प्रकार के होते हैं—

१. संख्यात जीव वाले ताड़ वृक्षादि, २. असंख्यात जीव वाले आम्रवृक्षादि, ३. अनंत जीव वाले यूहरादि ।

संख्यात जीव वाले या असंख्यात जीव वाले वृक्ष पर चढ़ने का लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है और अनंत जीव वाले वृक्ष पर चढ़ने का गुदचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

पांचवें उद्देशक में सचित्त-वृक्ष के निकट खड़े रहने का भी प्रायश्चित्त कहा गया है ।

अतिवृष्टि से बाढ़ आने पर, श्वापद या चोर के भय से या अन्य किसी परिस्थिति से भिक्षु को वृक्ष पर चढ़ना पड़े तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है, किन्तु अकारण चढ़े या बारम्बार चढ़ने का प्रसंग आए तो प्रायश्चित्त की वृद्धि होती है ।

वृक्ष पर चढ़ने से होने वाले दोष—

१. वनस्पतिकाय की विराधना होती है ।
२. चढ़ते समय हाथ-पाँव आदि में खरोंच आ जाती है ।
३. गिर पड़ने से अन्य जीवों की विराधना होती है ।
४. हाथ-पाँव आदि में चोट आने से आत्मविराधना होती है ।
५. वृक्ष पर चढ़ते हुए देखकर किसी के मन में अनेक आशंकायें उत्पन्न हो सकती हैं ।
६. धर्म की अवहेलना होना भी संभव है ।

अनंतकायिक यूहर, आक आदि वृक्षों पर चढ़ना संभव नहीं होता है, अतः उनका सहारा लेना आदि का प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिए ।

गृहस्थ के पात्र में आहार करने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भिवखू गिहि-भत्ते भुंजइ, भुंजंतं या साइज्जइ ।

१०. जो भिक्षु गृहस्थ के पात्र में आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उत्ते लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु गृहस्थ के द्वारा अपने पात्र में आहारादि ग्रहण कर उसे खा सकता है किन्तु गृहस्थ के थाली-कटोरी आदि में नहीं खा सकता है तथा उनके गिलास मोटे आदि से पानी नहीं पी सकता है । यह मुनिजीवन का आचार है ।

दशव. अ. ६ गा. ५१-५२-५३ में द्रनका निषेध किया गया है, वह वर्णन इस प्रकार है—

“कांस्य मिट्टी आदि किसी भी प्रकार के गृहस्थ के वर्तन में अशन-पान आदि आहार करता हुआ भिक्षु अपने आचार से भ्रष्ट हो जाता है ।

भिक्षु के छाने या पीने के बाद गृहस्थ के द्वारा उन वर्तनों को धोये जाने पर अप्पणाय की विराधना होती है और उस पानी के फेंकने पर अनेक व्रत प्राणियों की भी हिंसा होती है, अतः इसमें जिनेश्वर देव ने असंयम कहा है ।

पूर्वकर्म—पश्चात्कर्म आदि दोष लगते हैं अतः भिक्षु को गृहस्थ के वर्तनों में खाना-पीना नहीं कल्पता है। इन्हीं कारणों से निर्यन्त्र मुनि गृहस्थ के वर्तन में आहारादि नहीं करते।

दशव. अ. ३ गा. ३ में गृहस्थ के वर्तन में खाने की प्रवृत्ति को अनाचार कहा है।

सूय. श्रु. १ अ. २. उ. २ गा. २० में गृहस्थ के वर्तनों में नहीं खाने वाले भिक्षु को सामायिक चारित्रवान् कहा है।

सूय. श्रु. १ अ. ९ गा. २० में कहा गया है कि—भिक्षु गृहस्थ के वर्तनों में आहार-पानी कदापि नहीं करे।

गृहस्थ के पात्र में खाने से होने वाले दोष—

१. गृहस्थ के घर में घाना,
२. गृहस्थ के द्वारा स्थान पर लाया हुआ खाना,
३. गृहस्थ द्वारा वर्तनों को पहले या पीछे धोना,
४. नया वर्तन खरीदना,
५. आहार-पानी की अलग-अलग व्यवस्था करना।

इत्यादि अनेक दोषों की परम्परा बढ़ती है।

अतः भिक्षु को आगमानुसार गृहीत लकड़ी, मिट्टी या तुम्ब्रे के पात्र में ही आहार करना चाहिए। गृहस्थ के थाली, कटोरी, गिलास, लोटे आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त आगम पाठों में गृहस्थ के पात्र में आहार-पानी के उपयोग करने का निषेध है और उन सूत्रों की व्याख्याओं में आहार-पानी सम्बन्धी दोषों का ही कथन है। अतः वस्त्रप्रक्षालन के लिए औपग्रहिक उपकरण के रूप में गृहस्थ के पात्र का यदि उपयोग किया जाए तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है। क्योंकि उनका उपयोग करने पर पश्चात्कर्मादि दोष नहीं लगते हैं।

गृहस्थ के वस्त्र का उपयोग करने पर प्रायश्चित्त—

११. जे भिवखू गिहिवत्यं परिहेइ, परिहेतं वा साइज्जइ।

११. जो भिक्षु गृहस्थ के वस्त्र को पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—भिक्षु वस्त्र की आवश्यकता होने पर गृहस्थ से वस्त्र की माचना करके ही उपयोग में लेता है। किन्तु पड़िहारी वस्त्र ग्रहण करके उसे उपयोग में लेकर गृहस्थ को लौटाना नहीं कल्पता है। इसी का प्रस्तुत सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है।

पुनः लौटाने योग्य वस्त्र ही गृहस्थ का वस्त्र कहा जाता है। उसका उपयोग करने पर पूर्वकर्म, पश्चात्कर्म आदि अनेक दोष लगते हैं। उन्हें गृहस्थ-पात्र के विवेचन में कहे गये दोषों के समान समझ लेना चाहिए।

सूय. श्रु. १ अ. ९ गा. २० में गृहस्थ के वस्त्र को उपयोग में लेने का निषेध किया गया है।

अतः भिक्षु को मुनि-आचार के अनुसार गृहस्थ द्वारा पूर्ण रूप से दिया गया वस्त्र ही उपयोग में लेना चाहिए। किन्तु लौटाने योग्य वस्त्र लेकर उपयोग में नहीं लेना चाहिए।

गृहस्थ को निषद्या के उपयोग करने का प्रायश्चित्त—

१२. जे भिवलू गिहि-णितेज्जं वाहेइ, व्हैंतं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु गृहस्थ के पर्यकादि पर बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—गृहस्थ के छाट-पलंग आदि अनेक प्रकार के अप्रतिलेख्य या दुष्प्रतिलेख्य आसन होते हैं । गृहस्थ के घर गोचरी आदि के लिए गये हुए भिक्षु को वहाँ बैठने का तथा पल्यक आदि पर शयन करने का दशव. अ. ६ में निषेध किया गया है तथा उन्हें ही दशव. अ. ३ में अनाचार कहा है ।

दशव. अ. ६ में गृहस्थ के घर में बैठने से होने वाले दोषों का भी कथन है और बूढ़, व्याधिग्रस्त तथा तपस्वी को वहाँ बैठना कल्पनीय कहा है । किन्तु छाट-पलंग आदि पर बैठने का सर्वा के लिए निषेध किया है । इसका ही प्रस्तुत सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

सूत्र ६ में अनेक प्रकार के पीठ-वाजोट आदि का वर्णन है, उन पर गृहस्थ का वस्त्र न हो तो बैठने पर उस सूत्र के अनुसार प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

इस प्रकार गृहस्थ के आसन पल्यक आदि काष्ठ आदि के हों और वे सुप्रतिलेख्य हों तो साधु उन्हें "पट्टिहारी" ग्रहण कर सकता है और उपयोग में ले सकता है । यदि कुर्सी आदि आलंबनयुक्त आसन हों तो साधु ग्रहण करके उपयोग में ले सकता है किन्तु साध्वी को आलंबनयुक्त शय्या आसन ग्रहण करने का गृहकल्प उ. ५ में निषेध किया है ।

उत्तरा. अ. १७ गा. १९ में गृहि-निषद्या पर बैठने वाले को 'पाप धमण' कहा गया है ।

सूय. सु. १ अ. ९ गा. २१ में आसंदी, पल्यक आदि पर बैठने का निषेध किया गया है ।

अतः भिक्षु को गृहस्थ के इन आगमों पर नहीं बैठना चाहिए ।

गृहस्थ की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त—

१३. जे भिवलू गिहि-तेइच्छं करेइ, करैंतं वा साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु गृहस्थ को चिकित्सा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—गृहस्थ को रोग उपशान्ति के लिए औषध-भेषज बताना या अन्य भी किमी प्रकार की शल्यचिकित्सा आदि करना साधु को नहीं कल्पता है ।

उत्तरा. अ. १५ गा. ८ में अनेक प्रकार की चिकित्सा करने का निषेध किया गया है ।

दशव. चूलिका २ में कहा है कि—'भिक्षु गृहस्थ को वैद्यावृत्य नहीं करे ।'

दशव. अ. ८ गा. ५१ में गृहस्थ को औषध-भेषज बताने का निषेध किया है ।

दशव. अ. ३ गा. ६ में गृहस्थ को वैद्यावृत्य करना अनाचार कहा है ।

दशव. अ. ३ गा. ४ में गृहस्थ की चिकित्सा (वैद्ययति) करना अनाचार कहा है ।

चिकित्सा करने के दोष—

१. अनेक चिकित्साओं में सावद्य-प्रवृत्ति की जाती है,
२. सावद्य-सेवन की प्रेरणा दी जाती है,
३. निबंध चिकित्सा से भी किसी का रोग दूर हो जाय तो अनेक लोगों का आवागमन बढ़ सकता है,

४. चिकित्सा से कभी किसी के रोग की वृद्धि हो जाय तो अपयश होता है, इत्यादि दोषों के कारण भिक्षु को गृहीचिकित्सा करने का प्रस्तुत सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है।

आचा. श्रु. १ अ. २ उ. ५ में कहा है कि चिकित्सा—वैद्यवृत्ति करने में हनन आदि अनेक प्रवृत्तियाँ भी की जाती हैं, अतः भिक्षु व्याधि-चिकित्सा का प्रतिपादन न करे।

इन सूत्रोक्त विधानों को जानकर भिक्षु को गृही-चिकित्सा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। परिस्थितिवश कभी चिकित्सा प्रयोग किया जाय तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त ग्रहण कर लेना चाहिये।

पूर्व-कर्म-कृत आहार-ग्रहण-प्रायश्चित्त—

१४. जे भिखू पुरेकर्मकडेंण हत्येण वा, मत्तेण वा, दविएण वा, भायणेण वा असणं वा पार्णं वा छाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१४. जो भिक्षु पूर्व-कर्मदोष से युक्त हाथ से, मिट्टी के बर्तन से, कुडछी से, धातु के बर्तन से अशन, पान, छाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—भिक्षु को आहार देने के पूर्व गृहस्थ हाथ धोए या कुडछी, कटोरी आदि धोए तो वह हाथ या कुडछी आदि पूर्वकर्मदोषयुक्त कहे जाते हैं। उनसे भिक्षा लेना नहीं कल्पता है। क्योंकि उनके धोने में अप्काय व असकाय आदि की विराधना होती है।

कई कुलों में ऐसी परिपाटी होती है कि वे हाथ धोकर भोजन सामग्री का स्पर्श करते हैं, कई शुद्धि के संकल्प से बर्तन को धोकर उससे भिक्षा देना चाहते हैं अथवा हाथ या बर्तन के लगे हुये पदार्थ को धोकर भिक्षा देना चाहते हैं। अतः भोचरी करने वाला विचक्षण भिक्षु दाता के ऐसे भावों को अनुभव से जानकर पहले से ही हाथ आदि धोने का निषेध कर दे। निषेध करने के पहले या पीछे भी हाथ आदि धोकर दे तो अशनादि ग्रहण नहीं करना चाहिये।

आचा. श्रु. २ अ. १ उ. ६ में इस विषय का विस्तृत वर्णन है।

यह दोष एपणा के 'दायक' दोषों में समाविष्ट होता है।

दशवै. अ. ५ उ. १ गा. ३२ में भी पूर्वकर्मकृत हाथ आदि से भिक्षा लेने का निषेध किया गया है।

यदि दाता किसी बर्तन में रखे अचित्त पानी से हाथ कुडछी आदि को धोए तो पूर्वकर्मदोष नहीं लगता है किन्तु सचित्त जल से धोए या अचित्त जल से भी बिना विवेक के धोए तो पूर्वकर्मदोष लगता है।

दाता के इस प्रकार दोष लगाने पर भी भिक्षु यदि आहार ग्रहण न करे तो उसे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है। धोये हुए हाथ आदि से आहार ग्रहण करने पर लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।

भद्रबाहुकृत नियुक्ति गाथा ४०६६ में कहा है कि यदि अन्य पुरुष अन्य आहार या उसी आहार को दे तो ग्रहण किया जा सकता है। किन्तु पूर्वकर्म हाथ वाले व्यक्ति से हाथ सूख जाने पर भी ग्रहण करना नहीं कल्पता है, ऐसा भाष्य गाथा ४०७२ में कहा गया है।

श्राव. श्र. ४ में भिक्षाचारी-प्रतिचार-प्रतिक्रमण पाठ में भी पूर्वकर्मदोष का कथन है।

उदक-भाजन से आहारग्रहण-प्रायश्चित्त—

१५. जे भिवत्तु गिहत्त्याण या अण्णउत्तिययाण या सीओदग परिभोगेण हत्थेण वा, मत्तेण वा, वविएण वा, भायणेण वा असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ।

१५. जो भिक्षु गृहस्थ या अन्यतीर्थिक के सचित्त जल से गीले हाथ, मिट्टी के बर्तन, कुड़ड़ी या धातु के बर्तन से भक्षण, पान, खाद्य या स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पूर्व सूत्र में दाता भिक्षा देने के पूर्व हाथ, बर्तन आदि धोकर देवे तो उससे आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा है और इस सूत्र में यह कहा गया है कि गृहस्थ सचित्त पानी से कोई भी कार्य कर रहा हो, जिससे उसके हाथ सचित्त जल से भरे हुए हों अथवा कोई बर्तन सचित्त पानी भरने या लेने के काम आ रहा हो तो ऐसे हाथों या बर्तनों से भिक्षा लेने से उन पर लगे पानी के जीवों की विराधना होती है तथा पुनः उस हाथ या बर्तनों को अन्य सचित्त जल में डालने पर भी अप्काय के जीवों की विराधना होती है।

इस तरह इस सूत्र में हाथ आदि में रहे जल की विराधना और बाद में होने वाली विराधना रूप पश्चात्कर्मदोष का प्रायश्चित्त कहा गया है।

व्याख्या में बताया गया है कि पानी लेने या पीने के बर्तन से भिक्षा लेने पर उस खाद्य पदार्थ का अंश बर्तन में रहता है जो पुनः पानी में डालने पर अप्कायिक जीवों की विराधना करता है। अतः सचित्त जल के काम आने वाले बर्तनों से आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये।

ऐसे हाथ, बर्तन आदि से सचित्त उष्ण या शीतल जल ग्रहण करने पर हाथ बर्तन आदि में विद्यमान जल की विराधना होती है तथा बर्तनों में भेष्य रहे हुए सचित्त जल से अन्य सचित्त पानी की विराधना होती है।

पतुर्थ उद्देशक में सचित्त पानी से गीले या स्निग्ध हाथ, बर्तन आदि से आहार ग्रहण करने का लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है और यहाँ पश्चात्कर्मदोष की अपेक्षा से लघुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है।

चोये उद्देशक में सामान्य हाथ वर्तन आदि का कथन है किन्तु यहाँ सचित्त जल से कार्य करते हुए हाथ का तथा सचित्त जल लेने-पीने के वर्तन का कथन है। यह इन दोनों उद्देशक में सूत्रों के विषयों में अन्तर है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'सीओदग परिभोगेण' शब्द की व्याख्या इस प्रकार है—

जेण भत्तएण सचित्तोदगं परिभुज्जति, तेण भिक्खुग्गहणं पडिसिद्धं ॥ —चूणि

इसका भावार्थ यह है कि—सचित्त जल के कार्य में उपयुक्त हाथ वर्तन आदि अथवा सचित्त जल लेने-देने-निकालने के वर्तन आदि से भिक्षा ग्रहण करना निषिद्ध है।

रूप-आसक्ति के प्रायश्चित्त—

१६. जे भिक्खू—१. वप्पाणि वा, २. फलिहाणि वा, ३. पागाराणि वा, ४. तोरणाणि वा, ५. अग्गलाणि वा, ६. अगाल-प्यासगाणि वा, ७. गड्डाओ वा, ८. दरोओ वा, ९. कूडागाराणि वा, १०. णूम-गिहाणि वा, ११. खख-गिहाणि वा, १२. पव्वय-गिहाणि वा, १३. खखं वा चेद्दयं वा कडं, १४. यूभं वा चेद्दयं कडं, १५. आएसणाणि वा, १६. आयतणाणि वा, १७. देवकुलाणि वा, १८. सहोओ वा, १९. पवाओ वा, २०. पणिय-गिहाणि वा, २१. पणिय-सालाओ वा, २२. जाण-गिहाणि वा, २३. जाण-सालाओ वा, २४. सुहा-कम्मंताणि वा, २५. दम्म-कम्मंताणि वा, २६. चट्ट-कम्मंताणि वा, २७. वक्क-कम्मंताणि वा, २८. यण-कम्मंताणि वा, २९. इंगाल-कम्मंताणि वा ३०. कट्ट-कम्मंताणि वा, ३१. सुसाण-कम्मंताणि वा, ३२. संति-कम्मंताणि वा, ३३. गिरि-कम्मंताणि वा, ३४. कंदर-कम्मंताणि वा, ३५. सेलोवट्ठाण-कम्मंताणि वा, ३६. भवणगिहाणि वा चक्खुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारंतं वा साइज्जइ।

१७. जे भिक्खू—१. फच्छाणि वा, २. दवियाणि वा, ३. णूमाणि वा, ४. वलयाणि वा, ५. गहणाणि वा, ६. गहण-विट्ठुगाणि वा, ७. वणाणि वा, ८. वण-विट्ठुगाणि वा, ९. पव्वयाणि वा, १०. पव्वय-विट्ठुगाणि वा, ११. अगडाणि वा, १२. तडागाणि वा, १३. दहाणि वा, १४. णईओ वा, १५. वावीओ वा, १६. पुक्खरणीओ वा, १७. दीहियाओ वा, १८. गुंजालियाओ वा, १९. सराणि वा, २०. सर-पंत्तियाणि वा, २१. सर-सरपंत्तियाणि वा चक्खुदंसणवडियाए अभिसंधारेई, अभिसंधारंतं वा साइज्जइ।

१८. जे भिक्खू गामाणि वा जाव रायहाणीणि वा चक्खुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारंतं वा साइज्जइ।

१९. जे भिक्खू गाम-महाणि वा जाव रायहाणि-महाणि वा चक्खुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारंतं वा साइज्जइ।

२०. जे भिक्खू गाम-वहाणि वा जाव रायहाणी-वहाणि वा चक्खुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारंतं वा साइज्जइ।

२१. जे भिक्खू गाम-पहाणि वा जाव रायहाणी-पहाणि वा चक्खुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारंतं वा साइज्जइ।

२२. जे भिषपू—१. आस-करणाणि वा, २. हृत्वि-करणाणि वा, ३. महिस-करणाणि वा, ४. वसहकरणाणि वा, ५. कुक्कुड-करणाणि वा, ६. मक्कड-करणाणि वा, ७. लावय-करणाणि वा, ८. वट्टयकरणाणि वा, ९. तित्तिर-करणाणि वा, १०. फवोय-करणाणि वा, ११. फविजल-करणाणि वा चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२३. जे भिषपू—१. ह्य-जुद्धाणि वा, २. गय-जुद्धाणि वा, ३. उट्ट-जुद्धाणि वा, ४. गोन-जुद्धाणि वा, ५. महिस-जुद्धाणि वा, ६. मेंड-जुद्धाणि वा, ७. कुक्कुड-जुद्धाणि वा, ८. मक्कड-जुद्धाणि वा, ९. लावय-जुद्धाणि वा, १०. वट्टय-जुद्धाणि वा, ११. तित्तिर-जुद्धाणि वा, १२. फवोय-जुद्धाणि वा, १३. फविजल-जुद्धाणि वा, १४. अहि-जुद्धाणि वा, १५. सूकर-जुद्धाणि वा चषपुदंसण-वडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२४. जे भिषपू—१. जूहिय-ठाणाणि वा, २. ह्य-जूहिय-ठाणाणि वा, ३. मय-जूहिय-ठाणाणि वा, ४. गय-जूहिय-ठाणाणि वा, ५. अणियाणि वा, ६. वज्जं वा णीणिज्जमाणं पेहाए चषपुदंसण-वडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२५. जे भिषपू—१. आघाइय ठाणाणि वा, २. माणुम्माणिय ठाणाणि वा, ३. महया-ह्य-नट्ट-गोय-याइय-तंती-ताल-तुडिय-घण-मुहंग-वट्टप्पयाइय ठाणाणि वा चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२६. जे भिषपू—१. कलहाणि वा, २. डिम्वाणि वा, ३. डमराणि वा, ४. महाजुद्धाणि वा, ५. महा-संगामाणि वा, ६. जूयाणि वा, ७. सभाणि वा चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२७. जे भिषपू—१. कट्ठ-कम्माणि वा, २. पोत्त-कम्माणि वा, ३. चित्त-कम्माणि वा, ४. मणि-कम्माणि वा, ५. दंत-कम्माणि वा, ६. गंयिमाणि वा, ७. वेडिमाणि वा, ८. पूरिमाणि वा, ९. संधाइमाणि वा, १०. विविहाणि-कम्माणि चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिषपू विरुवरुपेसु बहुस्सवेसु इत्योणि वा, पुरिसाणि वा, थेराणि वा, मज्जिमाणि वा, डहराणि वा, अणलंक्रियाणि वा, सुअलंक्रियाणि वा, गाथंताणि वा, धायंताणि वा, नच्चंताणि वा, हसंताणि वा, रमंताणि वा, मोहंताणि वा, विटलं ठसणं वा, पाणं वा, प्पाइमं वा, ताइमं वा परिभायंताणि वा, परिभुंजंताणि वा चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिषपू समयापेसु वा, पिट्ठिणियरेसु वा, इंदमहेसु वा जाव आगरमहेसु वा अन्नियरेसु वा विरुवरुपेसु गहामहेसु चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिषपू बहसगडाणि वा, बट्टरहाणि वा, बट्टमित्तवपूणि वा, बट्टपच्चंताणि वा, अन्नयराणि वा विरुवरुवाणि महासयाणि चषपुदंसणवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

३१. जे भिषख इहलोइएसु वा रुवेसु, परलोइएसु वा रुवेसु, दिट्ठेसु वा रुवेसु, अदिट्ठेसु वा रुवेसु, सुएसु वा रुवेसु, असुएसु वा रुवेसु, विन्नाएसु वा रुवेसु, अविन्नाएसु वा रुवेसु सज्जइ, रज्जइ, गिज्जइ, अज्जोवयज्जइ, सज्जंतं या, रज्जंतं वा, गिज्जंतं वा, अज्जोवयज्जंतं वा साइज्जइ ।

१६. जो भिक्षु—१. छेत, २. खाई, ३. फोट, ४. तोरण, ५. श्रंगला, ६. श्रंगलापास, ७. गड्ढा, ८. गुफा, ९. कूट के सदया महल, १०. गुप्तागृह (तलघर), ११. वृक्ष-गृह (वृक्ष पर या वृक्ष के आश्रय से बना घर), १२. पर्वत-गृह, १३. वृक्ष का चैत्यालय, १४. स्तूप का चैत्यालय, १५. लुहारशाला, १६. धर्मशाला, १७. देवालय, १८. सभास्थल, १९. प्याऊ, २०. टुकानें, २१. गोदाम, २२. यान-गृह, २३. यान-शाला, २४. चूने के कारखाने, २५. दर्भ-कर्म के स्थान, २६. चर्म-कर्म के स्थान, २७. बल्कज-कर्म के स्थान, २८. वन-कर्म-वनस्पति के कारखाने, २९. फोयले के कारखाने, ३०. लकड़ी के कारखाने, ३१. श्मशान, ३२. शान्तिकर्म करने के स्थान, ३३. पर्वत, ३४. गुफा में बने गृह, ३५. पापाण-कर्म के स्थान, ३६. भवनों और गृहों को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु—१. इक्षु वगैरह की वाटिका (अथवा सब्जी की वाटिका), २. घास का जंगल, ३. प्रच्छन्न स्थान, ४. नदी के जल से घिरे हुए स्थल, ५. सधन जंगल (अटवी), ६. सुदीर्घ अटवी, ७. एक जातीय वृक्षों का वन (उपवन), ८. अनेक जातीय वृक्षों का सधन वन, ९. पर्वत, १०. अनेक पर्वतों का समूह, ११. कुएं, १२. तालाब, १३. द्रव, १४. नदियां, १५. बावड़ियां, १६. पुष्करण्या, १७. दीघिका—लम्बी बावड़िया आदि, १८. परस्पर कपाट से संयुक्त अनेक बावड़िया, १९. सरोवर, २०. सरोवरपंक्ति, २१. अन्योन्यसंबद्ध-सरोवर को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु ग्राम यावत् राजधानी को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु ग्राम-महोत्सव (यात्रादि) यावत् राजधानी में होने वाले महोत्सव को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु ग्रामघात यावत् राजधानीघात को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु ग्राम के मार्गों को यावत् राजधानी के मार्गों को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु—१. अश्व, २. हस्ती, ३. महिष, ४. वृषभ, ५. कुबकुट, ६. मर्कट (बन्दर), ७. लावक पक्षी, ८. बत्ख, ९. तित्तिर, १०. कबूतर, ११. कुरज या चातक (पक्षी) आदि को शिक्षित करने का स्थान देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु—१. अश्वयुद्ध, २. गजयुद्ध, ३. ऊँटों का युद्ध, ४. साँवों (बैलों) का युद्ध,

५. महिष (भैंसों) का युद्ध, ६. भैंसों का युद्ध, ७. कुवकुटयुद्ध, ८. मकंदयुद्ध, ९. सावकयुद्ध, १०. वसतय-युद्ध, ११. तित्तिरयुद्ध, १२. कपोतयुद्ध, १३. चातकयुद्ध, १४. सर्प-(नेयले) का युद्ध, १५. झूकर-युद्ध आदि किसी भी प्रकार के युद्ध को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

२४. जो भिक्षु—१. विवाह-मंडप, २. अश्व-यूय (समूह) का स्थल, ३. गज-यूय-स्थल, ४. सेना समुदाय अथवा ५. वधस्थान पर ले जाते हुए चोरादि को देखने लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

२५. जो भिक्षु—१. सभास्थल (भाषण के स्थान), २. धान्यादि के माव-तोन आदि का स्थल, ३. महान् शब्द करते हुए वज्रादि जाते बाद्य-नृत्य-गीत-तंत्री-तल-ताल-श्रुतित-षण-मृदंग आदि वज्रादि के स्थलों को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

२६. जो भिक्षु—१. सामान्यजन-कलह, २. राजा, युवराज आदि का गृहकलह, ३. परशु-राजा का उपद्रव, ४. महायुद्ध (शस्त्रयुद्ध), ५. चतुरंगिणी सेना युक्त महासंग्राम, ६. जुष्ठा खेलने के स्थल, ७. जन-समूह के स्थल को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

२७. जो भिक्षु—१. काष्ठ-कर्म, २. पुस्तक-कर्म, ३. चित्र-कर्म, ४. मणि-कर्म, ५. दंत-कर्म, ६. फूलों को गूँथकर मालादि बनाने का स्थल, ७. फूलों को वेष्टित करके माला आदि बनाने का स्थल, ८. रिक्त-जगह को फूलों आदि से पूरित करने का स्थल, ९. फूलों को संग्रह करके गुच्छा आदि बनाने का स्थल, १०. अन्य भी विविध वेष्ट कर्मों के स्थलों को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

२८. जो भिक्षु अनेक प्रकार के महोत्सवों में जहाँ पर कि अनेक युद्ध, युवक, बालक, पुरुष या स्त्रियों सामान्य वेप में या वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर गाते, बजाते, नाचते, हंसते, खंडा करते, मोहित करते, विपुल भ्रमण, पान, घाघ या स्वाद्य आहार घाते या बांटते हों तो उन्हें देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

२९. जो भिक्षु मेलों, पितृभोजस्थलों, इंद्रमहोत्सव या बतु भागरमहोत्सवों या अन्य भी ऐसे महोत्सवों को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

३०. जो भिक्षु अनेक खेलगादियों, रथों, स्लेच्छ या तुट्टरे आदि के महाप्राश्रव वाले (पाप) स्थानों को देखने के लिये जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

३१. जो भिक्षु इहलोकिक या पारलोकिक, देवे या विना देवे, मुने या विना मुने, जाने या अनजाने रूपों को देखने में भागवत होता है, अनुरक्त होता है, गूढ़ होता है, मूर्च्छित होता है या भासक, अनुरक्त, गूढ़ और मूर्च्छित होने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्तं समुचोमासो प्रामश्रित्तं भाता ६।)

दिवेचन—कतिपय शब्दों की व्याख्या—

१. वप्पो—केदारो—सेत या वयारियां ।

तोरणा—रण्णोदुवारादिमु—राजा के किले के द्वार पर लगे हुए कोरणी युक्त मंडपाकार पत्थर आदि ।

अग्गल-पासगा—अर्गला जिसमें फंसाई जाती है, वह अर्गलाघर अर्थात् भित्ति का पार्श्वभाग ।

णूम-गिहं—भूमिघरं—भोंयरा, तलघर आदि ।

रुक्खगिहं—रुक्खोच्चिय गिहागारो, रुक्खे वा गिहं कडं—वृक्षाकार गृह या वृक्ष के आश्रय से बना हुआ घर ।

रुक्खं वा चेइय कडं—वृक्षस्य अथो व्यंतरादि स्थलकं—देवाधिष्ठित वृक्ष ।

यूभं वा चेइय कडं—व्यन्तरादि-कृतं—देवाधिष्ठित स्तूप ।

आवेसण—लोहारकुट्टी—लोहारशाला ।

आयतणं—लोगसमवायठानं—चौपाल ।

पणिय-गिह-साला—जत्य भण्डं अच्छति त पणियगिहं—दुकान ।

जत्य विककाइ सा साला—अहवा सकुड्डं गिहं, अकुड्डा साला—जहां माल बेचा जाय वह शाला अथवा दीवाल सहित हो वह घर और बिना दीवाल की हो वह शाला । धम्भों पर टिकी हुई द्यत वाली शाला ।

गिरिगुहा—कंदरा—गुफा ।

भवण-गिहं—वणराइय मंडियं भवण, वण-विवज्जिय गिहं—जो वन-राजि से युक्त हो वह भवन, जो वन रहित हो वह गृह ।

सूत्र १६ के पाठ में 'उपप्लाणि, पल्लाणि, उज्झराणि, णिज्जराणि' शब्द अधिक मिलते हैं, जिनका आचारांग टोका, आचारांगचूर्णि व निशीयचूर्णि में कोई संकेत भी नहीं मिलता है तथा जिस क्रम के बीच में ये चार नाम हैं, वहाँ ये उपयुक्त भी नहीं हैं ।

ये चारों शब्द 'वप्पाणि वा फलिहाणि वा' के बाद में हैं । जब कि आचारांगसूत्र में अनेक जगह वप्पाणि, फलिहाणि के बाद 'पागाराणि वा' पाठ मिलता है तथा निशीयचूर्णिकार ने भी इस सूत्र की व्याख्या में वप्पाणि, फलिहाणि के बाद पागाराणि की ही व्याख्या की है ।

यहां आचारांग श्रु. २ अ. ३ उ. ३ एवं अ. ४ उ. २ तथा निशीयचूर्णिकार के अनुसार मूल पाठ रखा गया है । निशीयसूत्र में उपलब्ध इस सोलहवें सूत्र का व इसके आगे के १७वें सूत्र का पाठ चूर्णि (व्याख्या) के बाद लिपिदोष से अशुद्ध हो गया है, ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है ।

२. कच्छा—नद्यासन्न निम्नप्रदेशा, मूलकवालुंकादि वाटिका । इक्खुमादि कच्छा—नदी के निकट का नीचा भूभाग, मूला, बंगन आदि की बाड़ी, ईख आदि का खेत ।

दवियाणि—घास का जंगल, वन में घास के लिये अवरुद्ध भूमि ।

गहणाणि—काननानि, निर्जल प्रदेशों अरण्यक्षेत्रम्—जलहीन वन्यप्रदेश ।

समवृत्ता धापी, चाउरंसा-पुक्खरणी, एताओ चैव दीहियाओ दीहिया, मंडलिसंठियाओ अन्नोन्न कवाडसंजुत्ताओ गुंजालिया भण्णति ।

अर्थात् जो समगोलाकार हो वह वापी, जो चौकोर हो वह पुष्करिणी, जो लम्बी हो वह दीपिका कहलाती है और मंडलाकार स्थित अग्न्याय कपाटसंयुक्त गुंजालिया कहलाती है। ये वावडियों के ही प्रकार हैं।

ग्रामादि के चार सूत्र हैं, उन सभी शब्दों के अर्थ पांचवें उद्देशक में कर दिये गये हैं। पाठक वहाँ से मूल पाठ व अर्थ समझ लें।

भ्रास-सिक्खावर्ण—भ्रासकरणं, एवं सेसाणि वि—अश्व आदि को शिक्षा देने का स्थान। युद्धसंबंधी सूत्र में "मिठ (मंडा) शब्द और अहि (सपं) शब्द अधिक हैं। शेष शब्द शिक्षित करने के सूत्र के समान समझना।

वविवजल—कपिरिव जवते ईपत् पिगलो वा। कमनीयं शब्दं विजयति—चातक पक्षी।

६. जूहिय—यहाँ चूणिकार ने तीन शब्द करके अर्थ किये हैं—

१. उज्जूहिय, २. निज्जूहिय, ३. मिहुज्जूहिय। यहाँ तीसरा अर्थ प्रासंगिक लगता है—

यधू-वर-परिभ्राणं, वधु-वरादिकं ततस्थानं, वेदिकादि। एवं ह्य-गय-यूयादि स्थानानि—विवाहमंडप आदि।

अन्य प्रकार से व्याख्या—

गोसंघडो उज्जूहिगा भन्नति, गायीणं णियेठणा परिव्याणादि णिज्जूहिगा (भन्नति) गायोडो उज्जूहिताडो अटविट्ठत्तिओ उज्जूहिज्जंति।

इसका अर्थ विद्वान् पाठक स्वयं समझने का प्रयत्न करें।

सेना से चूणिकार ने चार प्रकार के सेना-समुदाय का संग्रह किया है तथा यध के लिए से जाते हुए चोर आदि का निर्दोष भी व्याख्या में किया है। आचारांगमूत्र में यथा पाठ भी उपलब्ध है किन्तु नितीयमूत्र के मूल पाठ में वह वाक्य नहीं मिलता है।

अवष्टाणगादि आघाइयं, आरुपायिकास्थानानि-कथानकस्थानानि—कथा के स्थान।

कलह, डिय, डमर ये सभी क्लेश के प्रकार हैं। 'महायुद्ध' तथा 'महासंध्याग' ये सहाई के प्रकार हैं। आचारांग व नितीय में इस सूत्र के वियेचन में केवल एक "कलह" शब्द का ही निर्देश है। किन्तु प्रतियों में भिन्न-भिन्न पाठ मिलते हैं। नितीयमूत्र व आचारांगमूत्र में उपलब्ध अन्य शब्द ये हैं—

१. धाराणि वा, २. वेराणि वा, ३. बोलाणि वा, ४. दो रज्जाणि वा, ५. घेरज्जाणि वा, ६. विरुद्ध-रज्जाणि वा।

प्रारम्भ के तीन शब्द नितीय में और अंतिम तीन शब्द आचारांग में अधिक मिलते हैं, इनमें से बोलाणि का समावेश कलहाणि में हो जाता है। शेष पांच भावात्मक है। स्थल विषयक मूत्रोक्त विषय में इनकी संगति न होने से तथा भाष्य, चूण में भी न होने से इन शब्दों को मूल में नहीं रखा है।

चित्तकम्मानि—चित्तान् सेवारमादौ।—आचा., चित्तनेपा पतिट्ठा—नितीय.।

कई प्रतियों में 'चित्रकर्म' एक शब्द मिलता है और कई प्रतियों में 'चित्रकर्म', 'तेजकर्म'

ये दो शब्द मिलते हैं। आचारांग के चूर्णकार ने एक शब्द की व्याख्या की ही है और निशीथचूर्ण में दो शब्द होने का निर्देश है। दोनों उद्धरण ऊपर दिये गये हैं।

गंधिम, वेद्विम आदि का निशीथ में पुष्पसम्बन्धी अर्थ किया है और आचारांग में वस्त्रादि से वेष्टन करना आदि अर्थ किया है।

कई प्रतियों में “पत्तच्छेज्जकम्माणि” शब्द अधिक मिलता है किन्तु दोनों सूत्रों की चूर्णियों में यह शब्द नहीं है। आचारांग टीका में यह शब्द है। प्रतियों में इस सूत्र के अन्त में “विहिमाणि” शब्द भी है, परन्तु उसके निर्देश चूर्ण या टीका में नहीं है।

1. आचारांग टीका में गंधिमादि चार शब्द पहले हैं और कट्ठकम्माणि आदि शब्द बाद में हैं। किन्तु दोनों चूर्णकारों ने पहले कट्ठकम्माणि आदि की व्याख्या करके उसके बाद गंधिम आदि की व्याख्या की है।

यह सूत्र, कई प्रतियों में इन सूत्रों के प्रारंभ में या भिन्न-भिन्न स्थलों में मिलता है किन्तु निशीथचूर्णकार ने जहाँ इसकी व्याख्या की है वही इस सूत्र को रखा है।

आचारांग सूत्र में इस सूत्र की व्याख्या १२वें अध्ययन की टीका में है और शेष सभी सूत्रों की व्याख्या ग्यारहवें अध्ययन में है। किन्तु आचारांगचूर्ण में और निशीथचूर्ण में सूत्रस्थल एवं शब्दस्थल में पूर्णतः समानता है। दोनों चूर्णियों में इसके बाद महामहोत्सवों का कथन किया गया है।

महोत्सव, महामहोत्सव और महाश्रवस्थानों के तीन सूत्रों की व्याख्या भाष्य गाथाओं में उपलब्ध है। किन्तु निशीथ की प्रतियों में एक सूत्र का मूल पाठ ही मिलता है। चूर्ण में तीनों सूत्रों के अस्तित्व का संकेत मिलता है।

आचारांग में दो सूत्रों का मूल पाठ व टीका उपलब्ध है तथा आचारांगचूर्ण में निशीथ-चूर्ण के समान तीनों सूत्रों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। अतः दो सूत्र आचारांग के अनुसार और एक महामहोत्सव का सूत्र निशीथ उद्देशक आठ के अनुसार रखा है। इन तीनों सूत्रों के शब्दार्थ की स्पष्टता के लिए आठवां उद्देशक देखें।

भाष्यकार ने गाथा. ४१३७, ४१३८ एवं ४१३९ में क्रमशः उत्सवों के लिए—‘इत्थिमादि ठाणा’, महामहोत्सवों के लिए—“समवायादि ठाणा” और महाश्रवस्थानों के लिये—“विरूवरूवादि ठाणा” शब्द का प्रयोग किया है।

अंतिम सूत्र में सभी ज्ञात-अज्ञात और दृष्ट-अदृष्ट रूपों की आसक्ति का प्रायश्चित्त कहा है। इस सूत्र में आसक्ति के लिए चार शब्दों का प्रयोग है, जबकि आचारांग में पांच शब्द भी मिलते हैं। वहाँ “नो मुज्जेज्जा” शब्द अधिक है, जिसका अर्थ है मूर्च्छित न हो और उसके बाद “नो अज्जोववज्जेज्जा” अर्थात् अत्यंत मूर्च्छित न हो।

आचारांगसूत्र द्वितीय श्रुतस्कंध में रूप की आसक्ति का वर्णन बारहवें अध्ययन में है और उसके पहले ग्यारहवें अध्ययन में शब्द की आसक्ति का वर्णन है। किन्तु निशीथसूत्र में पहले रूप की आसक्ति का बारहवें उद्देशक में प्रायश्चित्त कथन करके बाद में सतरहवें उद्देशक में शब्द की आसक्ति का प्रायश्चित्त कथन किया है। यह दोनों सूत्रों के वर्णन में उरक्रम है।

शब्द, रूप आदि इन्द्रियविषयों की प्राप्तिके का निषेध एवं उनसे उदासीन रहने विभिन्न आगम वाक्य इस प्रकार हैं--

१. जो प्रमादो गुणार्थी (इन्द्रियविषयों का इच्छुक) होता है, वही अपनी आत्मा को दान करने वाला कहा जाता है ।
—भाषा. श्रु. १ अ. १ उ.

२. जो इन्द्रियों के विषय हैं वे ही संसार के मूल कारण हैं । जो संसार के मूल कारण वे इन्द्रियों के विषय ही हैं । इन इन्द्रियों के विषयों का इच्छुक महान् दुःखामिभूत होकर उन्मत्त हो जाता है और प्रमादाचरण करता है ।
—भाषा. श्रु. १ अ. २ उ.

३. जो शब्दादि विषय हैं वे संसार-प्रावर्त हैं, जो संसार-प्रावर्त के कारण हैं वे शब्दादि विषय ही हैं । लोक में ऊपर, नीचे, तिरछे एवं पूर्व आदि दिशाओं में जीव रूपों को देखकर और शक्त को गुनकर उनमें मूर्च्छित होते हैं, यही संसार का कारण कहा गया है । जो इन विषयों से प्रगुप्त वह भगवदाज्ञा से बाहर है और पुनः शब्दादि विषयों का सेवन करता है ।—भाषा. श्रु. १ अ. १ उ.

४. इन इन्द्रियविषयों पर विजय प्राप्त करना अति कठिन है जो वे इन्द्रियविषयों इच्छुक प्राणी हैं, वे उनके प्राप्त न होने पर या नष्ट हो जाने पर शोक करते हैं, झुरते हैं, धाँसू बहते हैं, पीड़ित होते हैं और महा दुःखी हो जाते हैं ।
—भाषा. १ अ. २ उ.

५. जिसने शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्शों की आगतिके परिणामों को सम्यक् प्रकार से जानकर उनका त्याग कर दिया है वह साधक आरामार्थी है, जानी है, मास्त्रज्ञ है, धर्मो है और संयमवादी है ।
—भाषा. श्रु. १ अ. २ उ.

६. शब्दों और रूपों के प्रति उपेक्षाभाव रखता हुआ मुनि जन्म-मरण से विमुक्त रहकर सयमाचरण द्वारा जन्म-मरण से छूट जाता है ।
—भा. श्रु. १, अ. ३, उ.

७. जीव इन्द्रियविषयों में गूढ़ होकर कर्मों का संचय करते हैं ।—भाषा. श्रु. १ अ. ३ उ.

८. चक्षु आदि इन्द्रियों का निरोध करने वाले कोई मुनि पुनः मोहोदय से कर्मबंध के कारण भूत इन इन्द्रियविषयों में, गूढ़ हो जाते हैं । वे वास्तविक कर्मबंधन से मुक्त नहीं होते, संयोगों से उल्लंघन नहीं कर पाते, मोह रूपी अंधकार में रहकर मोक्ष मार्ग को नहीं समझ पाते, वे भगवदाज्ञा की आराधना के लाभ को भी प्राप्त नहीं कर सकते ।
—भाषा. श्रु. १ अ. ४. उ. १.

९. अल्प गाम्भ्यं बाने के लिए इन्द्रियविषयों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है ।
—भाषा. श्रु. १ अ. ५. उ. १.

१०. अनेक संसारी प्राणी रूप आदि में गूढ़ होकर अनेक योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं वे प्राणी वहाँ अनेक कष्टों को प्राप्त होते हैं ।
—भाषा. श्रु. १. अ. ५ उ. १.

११. वान जीव रूपादि में आगत होकर या हिमादि में आगत होकर धर्म से मुक्त हो जाते हैं और संसार में भ्रमण करते हैं ।
—भाषा. श्रु. १ अ. ५. उ. १.

१२. स्वारि में आगत जीव दुःखी होकर वरुण विन्दाय करते हैं । फिर भी उन कर्मों के फल से वे मुक्त नहीं हो सकते ।
—भाषा. श्रु. १ अ. ६ उ. १.

१३. आचा. श्रु. २ अ. १५ में पाँचवें महाव्रत की पाँच भावनाओं में शब्दादि विषयों के त्याग का तथा उन पर राग-द्वेष न करने का कथन है तथा प्रश्नव्याकरणसूत्र के पाँचवें संवरद्वार में भी विषयों की आसक्ति के त्याग का विस्तृत कथन है ।

१४. ज्ञातासूत्र अ. ४ में कछुए के दृष्टांत से इन्द्रियनिग्रह करने का कथन है और अ. सत्रहवें में "अश्व" के दृष्टांत द्वारा इन्द्रिय-विषयों में आसक्त होने का दुष्परिणाम और आनासक्त रहने का सुपरिणाम कहा है ।

१५. उत्तरा. अ. २९ में पाँचों इन्द्रियों के निग्रह करने के फल का कथन है ।

१६. उत्तरा. अ. ३२ की ६५ गाथाओं में शब्दादि विषयों का स्वरूप, आसक्ति, उससे होने वाली जीवों की प्रवृत्तियाँ और उनका परिणाम बताकर उससे विरक्त होने का परिणाम भी कहा गया है । एक-एक इन्द्रियविषय की आसक्ति से मरने वाले प्राणियों के दृष्टांत भी दिये गये हैं ।

१७. उत्तरा. अ. १६ में ब्रह्मचर्य की दसवीं समाधि में पाँचों इन्द्रियविषयों का और चौथी पाँचवीं समाधि में रूप व शब्द का वर्जन करने का उपदेश है तथा अन्य समाधियों में भी इन्द्रिय-विषय के त्याग का कथन है ।

१८. भगवतीसूत्र श. १२, उ. २ में कहा है कि एक-एक इन्द्रिय के वश में होकर जीव कर्मों की प्रकृति, स्थिति, रस एवं प्रदेशों की वृद्धि करता है, असातावेदनीय का वारम्बार बंध करता है और चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है ।

१९. धर्म पर श्रद्धा करने वाले प्राणी भी इन्द्रियों के विषयों में मूर्च्छित हो कर संयम का पालन नहीं कर सकते हैं ।
—उत्तरा. अ. १०. गा. २०.

२०. आत्मनिग्रह न करने वाले और रस आदि इन्द्रियविषयों में गूढ़ मुनि कर्मबन्धनों का मूल से छेदन नहीं कर सकते ।
—उत्तरा. अ. २० गा. ३९

२१. उत्तरा. अ. २३ गा. ३८ में वश में नहीं की गई इन्द्रियों को आत्माशत्रुओं में गिना गया है ।

२२. मार्ग में चलता हुआ मुनि इन्द्रियविषयों का परित्याग करता हुआ गमन करे ।

—उत्तरा. अ. २४ गा. ८

२३. इन्द्रियों के विषयों में यतना (विवेक) करने वाला संसार में भ्रमण नहीं करता है ।

—उत्तरा. अ. ३१ गा. ७

२४. अजितेन्द्रिय होना कृष्णलेश्या का लक्षण है तथा जितेन्द्रिय होना पद्मलेश्या का लक्षण है ।

—उत्तरा. अ. ३४ गा. २२

२५. कामगुणों के कटु विपाक को जानने वाला पण्डित मुनि मनोज्ञ शब्दादि विषयों को स्वीकार नहीं करता है ।

२६. ज्ञातासूत्र अध्या. २ में शरीर के प्रति अनासक्तभाव से आहार करने का एवं अध्या. १८ में खाद्य पदार्थों के प्रति अनासक्तभाव रखने का एक-एक दृष्टान्त द्वारा विस्तृत कथन किया गया है ।

अनेक स्थलों को देखने के लिए जाने वाला मुनि उनके प्रति राग-द्वेष करके कर्मबन्ध करता है, आरम्भजन्य कार्य की वचन से प्रशंसा करता है और यह अच्छा बनाया, ऐसा मोचकर सावध कर्मों का अनुमोदन भी करता है। भयवा कर्मो बनाने वाले को निन्दा या प्रशंसा भी करता है।

सूत्रोक्त स्थानों पर रहे हुए जलचर, स्पलचर, रोचर आदि प्राणों भिक्षु को देखकर प्राप्त की प्राणा होयें, उधर-उधर दोड़ें, घाते-पीते हों तो अंतराय दोग लगे इत्यादि कारण से भी भ्रमंयम और कर्मबन्ध होता है। अतः भिक्षु विषयेच्छा से निवृत्त होकर शुद्ध संयम की आराधना करे।

उद्देशक ९ में राजा या रानो को देखने के लिए एक कदम भी जाने का गुरुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है और इस बारहवें उद्देशक में विभिन्न स्थलों को देखने के लिए जाने का लघुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है। भिक्षु को इन स्थलों के देखने का संकल्प भी नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित् संकल्प हो भी जाय तो उगका निरोध करके स्वाध्याय ध्यान संयमयोग में लीन हो जाना चाहिए।

आहार की कालमर्यादा के उल्लंघन का प्रायश्चित्त—

३२. जे भिष्यु पटमाए पोरितीए अत्तणं या, पाणं या, छाइमं या, साइमं या पट्टिगाहेत्ता पच्छिमं पोरिमि उयाइणायेइ उयाइणायेतं या साइज्जइ।

३२. जो भिक्षु प्रथम प्रहर में भक्षण, पान, छाया या स्वाद्य ग्रहण करके उसे अंतिम चौथी प्रहर में रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त घाता है।)

विवेचन—उत्तराध्ययनसूत्र के पृथ्वीसर्वे अध्ययन में भिक्षु की दिनचर्या का यणन करते हुए गाया १२ और ३२ में तीसरे प्रहर में गोचरी जाने का विधान है।

भगवतीसूत्र, अंतकूट्टासूत्र, उपासकदमासूत्र आदि में अनेक स्थलों पर तीसरे प्रहर में गोचरी जाने वाली का यणन है।

दनाश्रुतस्वोद्य दमा. ७ में प्रतिमाधारी भिक्षु के लिए दिन के तीन विभागों में से किसी भी एक विभाग में गोचरी करने का विधान है। वहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ किसी भी प्रहर का विधान या निषेध नहीं है।

बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक ५ में कहा है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट समय में आहार करते हुए भिक्षु को यह ज्ञात हो जाय कि सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है, उग समय यदि भिक्षु भूय में से, हाथ में से व पात्र में से आहार को परठ देना है तो भयवदाभा का उल्लंघन नहीं करता है, किन्तु जानकारी होने के बाद आहार करता है तो उसे प्रायश्चित्त घाता है।

बृहत्कल्प उद्देशक ४ में कहा है कि प्रथम प्रहर में ग्रहण किया आहार-पानी चतुर्थ प्रहर में रखना माधु, माध्वी को नहीं करना है। यदि भूल से रह गया हो तो परठ देना चाहिए।

विश्वरूप यह है कि साधु, माध्वी साधारणतया तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए जाए। विनियम आचर्यक विधि में ये दिन में किसी भी समय क्षेत्र की अनुपपन्नानुसार गोचरी हेतु जा सकते हैं। किन्तु ग्रहण किये आहार को तीन प्रहर में ज्यादा रखना नहीं करना है। यदि भूल से रह जाय तो घाता नहीं बनता है। चूनि में कहा है—

“दिवसस्स पढम पोरिसोए भत्तपाणं घेत्तु, चरिमंति—चउदय पोरिसो, तं जो संपावेति, तस्स चउलह ।”

“कालो अणुण्णातो आदित्ता तिण्णि पहरा, बीयाइं वा तिण्णि पहरा । तम्मि अणुण्णाए काले जइयि दोसेहिं फूसिज्जति तहायि अपच्छित्ती । अणुण्णात कालातो परेण अतिकामंतो असंतेहिं यि दोसेहिं सपच्छित्ती भवति ।”

भाव्य तथा चूर्ण में कहा गया है कि संग्रह करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं—

१. चोटियां आदि आहार में आ जावे तो उन्हें निकालना कठिन होता है तथा उनकी विराधना होती है ।

२. कुत्ते आदि से सावधानी रखने के लिये अनेक प्रवृत्तिया करनी पड़ती हैं ।

तथा अन्य अनेक दोषों की संभावना भी रहती है । अतः भिक्षु जिस प्रहर में आहार लावे उसी प्रहर में खाकर समाप्त कर दे । दूसरे प्रहर में भी नहीं रखे । क्योंकि रखने पर उपयुक्त दोषों की संभावना रहती है ।

भाष्यकार ने यह भी कहा है कि जिनकल्पी भिक्षु यदि दूसरे प्रहर में रखे तो उसे प्रायश्चित्त आता है । किन्तु स्थविरकल्पी भिक्षु को तीन प्रहर तक रखना अनुज्ञात है । कारणवश यतनापूर्वक रखने पर भी यदि चींटियां आ जाएं तो भी उन्हें प्रायश्चित्त नहीं है और चौथे प्रहर में रखने पर उक्त दोष न होने पर भी प्रायश्चित्त कहा है—

जयणाए धरंतस्स जदि दोसा भवति तहायि सुज्जति, आगम प्रामाण्यात् ।

—भा. गा. ४१४८ चूर्ण

इस सूत्र में प्रथम प्रहर के ग्रहण किये हुए आहार को चतुर्थ प्रहर में रखने का लघुचौमासी प्रायश्चित्त कहा गया है । बृहत्कल्पसूत्र के चौथे उद्देशक में उसे खाने का भी लघुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है ।

चूर्ण के अनुसार यह सूत्र भी बृहत्कल्प उ. ४ के सूत्र के समान ही होना चाहिए, क्योंकि “ग्राहच्च उवाइणाविण सिया” इस वाक्य की व्याख्या करते हुए चूर्णकार ने खाने का भी लघुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है । किन्तु जिनकल्पी यदि चौथे प्रहर में रखे या खाये तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

जब जितने घण्टे मिनट का दिन होता है उसमें ४ का भाग देने पर जितने घंटे मिनट आएँ उन्हें सूर्यादय के समय में जोड़ने पर एक पोरिसी का कालमान होता है और सूर्यास्त के समय में घटाने से चौथी पोरिसी का कालमान प्राप्त होता है ।

आहार की क्षेत्रमर्यादा के उल्लंघन का प्रायश्चित्त—

३३. जे भिक्खू परं अट्टजोयणमेराओ असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा उवाइणावेइ उवाइणावेतं वा साइज्जइ ।

३३. जो मिथु दो कोश की मर्यादा से आगे प्रजन, पान, पाच या स्वास ले जाता है या ले जाने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचोमानी प्रायश्चित्त आता है।)

विधेयन—आहार से जाने या लाने की उरुहृष्ट क्षेपमर्यादा का विधान उक्त. प्र. २६ में किया गया है तथा बृहत्कल्प उद्देशक ४ में भर्द्धं योजन से आगे आहार से जाने का निषेध किया गया है। यदि भूल से जाता जाये तो उस आहार को खाने का निषेध किया है और खाने पर प्रायश्चित्त भी कहा है। प्रस्तुत सूत्र में केवल मर्यादा से आगे ले जाने का ही प्रायश्चित्त कहा है।

दो कोश से आगे ले जाने से होने वाले दोष—

१. पानी की मात्रा अधिक ली जायेगी।
२. यजन अधिक हो जाने से श्रम अधिक होगा।
३. सीमा न रहने से संप्रहृष्टि बढ़ेगी।
४. ग्राह्य पदार्थों की सामग्री की वृद्धि होगी।
५. अन्य अनेक दोषों की परम्परा बढ़ेगी।

भर्द्धंयोजन की क्षेपमर्यादा प्रागमोक्त है, संप्रहृष्टि से बचने के लिये यह मर्यादा कही गई है। यह सीमा उपाश्रयस्थल से चौतरफी की है अर्थात् मिथु अपने उपाश्रय से चारों दिशा में भर्द्धं योजन तक भिक्षा के लिये जा सकता है और विहार करने पर अपने उपाश्रय में आहार-पानी भर्द्धं योजन तक माय में ले जा सकता है।

यह क्षेपमर्यादा आर्यागुण अर्थात् प्रमाणोपेत मनुष्य की अपेक्षा से है—

एक योजन	=	४ कोश
भर्द्धं योजन	=	२ कोश
एक कोश	=	२००० धनुष
दो कोश	=	४२ मादन = ७ किलोमीटर

बृहत्कल्प उ. ३ में आधा कोश एक-एक दिना में अधिक कहा गया है। वह स्थंठिन के लिये जाने की अपेक्षा से कहा गया है।

एक दिना में सड़ाई कोश और दो दिनाओं को शामिल करने से पांच कोश का अवग्रह कहा गया है। इसलिये क्षेपमर्यादा-परिमाण का मुख्य केन्द्र मिथु का निवासस्थान—उपाश्रय माना गया है—

“सितो शकोश मंडल, मूल निबंधं अणुमुर्वतापं।” —यू. भा. गा. ४८४५

अर्थ—कितनी दिशा में पर्वत, नदी या समुद्र आदि की बाधा न हो तो अपने मूलस्थान को न छोड़ते हुए एक कोश और एक योजन को सड़ाई का मंडल रूप अवग्रह मानना चाहिए। अर्थात् चारों दिशाओं में जो मटनाकार क्षेप बनना है उसका आधा (सड़ाई) एक कोश और एक योजन का होना चाहिए।

इस प्रकार बृहत्कल्प उद्देशक ३ तथा ४ के सूत्र का सार यह है कि अपने उपाश्रय से सभी दिशाओं में आहार ले जाना या लाना दो-दो कोस तक कल्पता है और वहां से मल-विसर्जन के लिये जाना आवश्यक हो तो आधा कोस तक और आगे जाना कल्पता है ।

रात्रिविलेपन प्रायश्चित्त—

३४. जे भिखू दिया गोमयं पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

३५. जे भिखू दिया गोमयं पडिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

३६. जे भिखू रत्ति गोमयं पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

३७. जे भिखू रत्ति गोमयं पडिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

३८. जे भिखू दिया आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

३९. जे भिखू दिया आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

४०. जे भिखू रत्ति आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिखू रत्ति आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

३४. जो भिक्षु दिन में गोबर ग्रहण कर दूसरे दिन शरीर के व्रण पर आलेपन या विलेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु दिन में गोबर ग्रहण कर रात्रि में शरीर के व्रण पर आलेपन या विलेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३६. जो भिक्षु रात्रि में गोबर ग्रहण कर दिन में शरीर के व्रण पर आलेपन या विलेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३७ जो भिक्षु रात्रि में गोबर ग्रहण कर रात्रि में शरीर के व्रण पर घ्राणेपन या विलेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३८ जो भिक्षु दिन में विनेपन के पदार्थ ग्रहण कर दूसरे दिन शरीर के व्रण पर घ्राणेपन या विलेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३९ जो भिक्षु दिन में विलेपन के पदार्थ ग्रहण कर रात्रि में शरीर के व्रण पर घ्राणेपन या विनेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४०. जो भिक्षु रात्रि में विलेपन के पदार्थ ग्रहण कर दिन में शरीर के व्रण पर घ्राणेपन या विनेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४१. जो भिक्षु रात्रि में विनेपन के पदार्थ ग्रहण कर रात्रि में शरीर के व्रण पर घ्राणेपन या विनेपन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उक्त लघुचोमासी प्रायश्चित्त पाता है ।)

वियेचन—गोबर सवया विनेपनयोग्य अन्य पदार्थ कोपघ्न रूप में, घण आदि पर विनेपन करना प्रायश्चक ही तो स्वविरक्तयो भिक्षु इन्हें दिन में ग्रहण करके उसी दिन, दिन में उपयोग में ले सकता है । सूत्रोक्त चोभंगीद्वय में कहे अनुसार रात्रि में या दूसरे दिन उपयोग में लेने पर, रात्रि में रखने का और उपयोग में लेने का लघुचोमासी प्रायश्चित्त पाता है ।

ग्यारहवें उद्देशक में आहार करने की अपेक्षा से ऐसी ही चोभंगी के द्वारा गुरुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है, रात्रि में प्रक्षोपाहार की अपेक्षा विनेपन का दोष घटा होने से इसका यही लघुचोमासी प्रायश्चित्त कहा गया है ।

चोभंगी और सत्रिधि-सग्रह कबची विनेपन ग्यारहवें उद्देशक के अनुसार जान लेना चाहिये ।

भाष्य में कहा गया है कि तत्काल का (गात्रा) भंस का गोबर विषहरण के लिये प्रति उत्तम होता है, जगने न मिलने पर गाय का गोबर भी उपयोग में लेना लाभदायक है । घृष गला हुआ या ज्यादा समय का या कुछ-कुछ सूखा गोबर अधिक लाभदर नहीं होता है ।

अतः आवश्यक परिस्थिति में 'रात्रि में भी उपयोग करना पठ प्राय तो सूत्रोक्त लघुचोमासी प्रायश्चित्त पाता है ।

विलेपन के अन्य पदार्थ प्रयोग विशेष में तैयार किये जाते हैं । वे सर्वे समय तक भी उपयोग में लेने योग्य होते हैं । फिर भी तीक्ष्ण वेदना के कारण प्रस्तुत सूत्रों में कहे गये समय में उपयोग करने पर लघुचोमासी प्रायश्चित्त पाता है ।

वे विलेपन के पदार्थ दिन में लगत देने के बाद रात्रि में भी शरीर पर सवे रह सकते हैं । इससे कोई प्रायश्चित्त नहीं पाता है ।

विलेपन के पदार्थ गुण की अपेक्षा चार प्रकार के होते हैं—

१. वेदना को उपशांत करने वाले,
२. फोड़े आदि को पकाने वाले,
३. पीव व खून बाहर निकाल देने वाले,
४. घाव भर देने वाले ।

गृहस्थ से उपधि वहन कराने का प्रायश्चित्त—

४२. जे भिषखू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा उर्याह वहावेइ, वहावेंतं वा साइज्जइ ।

४३. जे भिषखू तन्नीसए असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

४२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से अपनी उपधि (सामान) वहन कराता है या वहन कराने वाले का अनुमोदन करता है ।

४३. जो भिक्षु भार वहन कराने के निमित्त से उसे अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमामी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु को अत्यन्त अल्प उपधि रखने का आगम में विधान है । जिनको भिक्षु स्वयं सहज ही उठाकर विहार कर सकता है । उपधि सम्बन्धी विस्तृत विवेचन सोलहवें उद्देशक के सूत्र ३९ में देखें ।

शारीरिक अस्वस्थता के कारण रखे गये उपकरण अधिक हो जाने से अथवा शास्त्र आदि का वजन अधिक हो जाने से गृहस्थ से वहन कराने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

विधि के अनुसार रुग्ण साधु की उपधि अन्य स्वस्थ साधु उठा सकता है । गृहस्थ को साथ रखना व सामान उठवाना संयम की विधि नहीं है । गृहस्थ के चलने आदि प्रवृत्तियों में जो भी सावध कार्य होता है उसका पापबंध अनुमोदन रूप में साधु को भी होता है । कदाचित् वह उपधि गिरा दे, तोड़-फोड़ दे, अयोग्य स्थान में रख दे या लेकर भाग जाय तो असमाधि उत्पन्न होती है ।

भार अधिक होने से अथवा चलने से उस गृहस्थ को परिताप उत्पन्न होता है । श्रम के कारण यदि वह रुग्ण हो जाए तो औषध उपचार करना कराना आदि अनेक दोषों की परम्परा का होना संभव रहता है ।

गृहस्थ को मार्ग में आहार का संयोग न मिलने पर भिक्षु के संकल्पों की वृद्धि होती है अथवा वह अपने गवेयणा करके लाये आहार में से उसे देता है तो दूसरे सूत्र के अनुसार वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

भारवाहक मजदूरी लेना चाहे तो उस निमित्त से अपरिग्रह महाव्रत के सम्बन्ध में दोषोत्पत्ति होती है ।

उसे आहार देने पर दानदाताओं को ज्ञात हो जाने पर साधु के प्रति अप्रीति व दान की भावना में कमी आ सकती है ।

अतः भिक्षु को इतनी ही उपधि रखनी चाहिये जिसे वह स्वयं उठा सके । परिस्थितिवश भी कभी अधिक उपधि रखना व गृहस्थ से उठवाना पड़े तो अन्य आवश्यक सावधानियां रखे और सूत्रोक्त प्रायश्चित्त भी स्वीकार करे ।

महानदी पार करने का प्रायश्चित्त—

४४. जे निचय इमानो पंच महणवाओ महापईओ उहिद्वीओ, गनियाओ बंजियाओ, अंतोमासस्त हुचपुत्तो वा तिचपुत्तो वा उत्तरद वा, संतरद वा, उत्तरंत वा संतरंत वा साद्रजइ । तं जहा—

१. गंगा, २ जउणा, ३. सरयू, ४. ऐरावई, ५. मही ।

तं सेवमाणे आयजइ धाउम्मातिपं परिहारद्वानं उग्गाइयं ।

४६. गंगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और माही में पांच महानदीया कहीं गई हैं, गिनार्ई गई हैं, प्रसिद्ध हैं, इनको जो भिक्षु एक मास में दो बार या तीन बार पंदन पार करना है अथवा नाव आदि से पार करना है या पार करने बाने का अनुमोदन करना है ।

इन ४४ सूत्रोंके स्थानों का सेवन करने बाने को सपुत्रोमामी प्रायश्चित्त पाता है ।

विवेचन—मामकल्प विहारेण मत्तु मत्पते एव उत्तरितु । तस्मिन्नेव मामे द्वि-तृतीय वारा प्रतिषेधः । —शुनि ।

मामकल्प विहार को अपेक्षा एक महीने में एक बार एक नदी उतरना कल्पता है किन्तु उगी महीने में दो-तीन बार उतरना नहीं कल्पता है ।

छाठ महीनों में कुल नौ बार उतरने पर प्रायश्चित्त नहीं पाता है । जिसमें प्रथम महीने में दो बार और शेष सात महीनों में सात बार नदी पार की जा सकती है ।

इनाश्रुतसंघ दत्ता २ में एक मास में तीन बार और एक वर्ष में १० बार उपसृक्त में यही नदिया पार करने का मघन दोग कहा है ।

यूहाकल्पसूत्र उद्देशक ४ में इन चही नदियों में एक मास में दो या तीन बार उतरने का निषेध है । साथ ही अर्धे त्रया प्रमाण तल बानी छोटी नदियों को पार करना कल्पनीय कहा है ।

हुचपुत्तो तिचपुत्तो—दो तरह कहने का आशय यह है कि प्रथम मास में तीन बार और शेष मामों में दो-दो बार महा नदी में उतरने या पार करने पर प्रायश्चित्त पाता है । पहले महीने में दो बार और शेष महीनों में एक-एक बार उतरने पर मघन दोग नहीं होने का तथा प्रायश्चित्त नहीं पाने का कारण श्रुतिवार में मामकल्प विहार बताया है । विवेक स्पष्टीकरण के लिए दत्ता. २. ० का विवेचन देखें ।

उत्तरणं संतरणं—आहृष्टि व पाएष्टि व उत्तरण, मत्तु मु मत्तरण ।

मं गुण कुंभे दशत्, नाया उद्गाएष्टि वा ॥ ८२. ०९. ॥

भूजाओं में या देवों से पार करना 'उत्तरण' कहा जाता है । कुंभ, दीवली नाया, छोटी नाया, तुम्हा आदि के द्वारा पार करना 'संतरण' कहा जाता है ।

इमानो पंच—पंचत् महणेण, सेमाओ गृणिता महागनिया ।

तस्य पुरा विद्विमु, य म पावो कुमाद मुख्याः ॥ ८३. ११. ॥

अर्थ—पांच नदियों के कथन से शेष बड़ी नदियाँ भी सूचित की गई है। प्राचीन काल के विचरण क्षेत्र में ये पांच प्रमुख नदियाँ कभी नहीं सूखती थी और प्रसिद्ध थीं। अतः सूत्र में इनका नाम और सख्या का निर्देश है। उपलक्षण से जिस समय जो बड़ी नदियाँ हों, उन्हें भी समझ लेना चाहिए।

महण्व—महासलिला 'बहु उदको'—अधिक जल वाली।

महाणईधो—प्रधान नदियाँ।

बृहत्कल्पसूत्र उद्देशक ४ में तथा आचा. श्रु. २ अ. ३ उ. २ में पैरों से चल कर नदी पार करने की विधि बताई गई है तथा आचा. श्रु. २ अ. ३ उ. १ व २ में नावा से नदी पार करने की विधि और उपसर्ग आने पर की जाने वाली विधि का विस्तृत वर्णन है।

प्रस्तुत सूत्र में निर्दिष्ट पांच नदियाँ भी कभी कहीं अल्प उदक वाली हो सकती हैं। बृहत्कल्प-सूत्र उद्देशक ४ में कुणाला नगरी के समीप ऐरावती नदी में अल्प पानी होना बताया है।

भिक्षु को उत्सर्ग विधान के अनुसार जल का स्पर्श करना भी नहीं कल्पता है। किन्तु विहार में नदी पार करना पड़े तो यह आपवादिक विधान है। बृहत्कल्पभाष्य में तथा निशीथभाष्य में इस विषय के अपवाद और विवेक का विस्तृत विवेचन किया गया है। स्थलमार्ग में कितना चक्कर हो तो कितने जल भाग से जाना, उसमें भी पृथ्वीकाय, हरी-वास, फूलन आदि के आधार पर अनेक विकल्प किये हैं।

प्रायश्चित्त में भी अनेक विकल्प दिये हैं। नावा कुंभादि से तैरने की विधि भी बताई गई है। इसके लिये भाष्य का अध्ययन करना चाहिये।

बारहवें उद्देशक का सारांश

- १-२ अस प्राणियों को बांधना या खोलना।
- ३ बार-बार प्रत्याख्यान भंग करना।
- ४ प्रत्येककाय मिश्रित आहार करना।
- ५ सरोम चर्म का उपयोग करना।
- ६ गृहस्थ के वस्त्राच्छादित तृणपीठ आदि पर बैठना।
- ७ साध्वी की चादर गृहस्थ से सिलवाना।
- ८ पृथ्वी आदि पाँच स्थावरकायिक जीवों की किंचित् भी विराधना करना।
- ९ सचित्त वृक्ष पर चढ़ना।
- १०-१३ गृहस्थ के वर्तनों में खाना, गृहस्थ के वस्त्र पहनना, गृहस्थ की शय्या आदि पर बैठना, गृहस्थ की चिकित्सा करना।
- १४ पूर्वकर्मदोष युक्त आहार ग्रहण करना।
- १५ उदकभाजन (गृहस्थ के कच्चे पानी लेने-निकालने के वर्तन) से आहार ग्रहण करना।
- १६-३० दर्शनीय स्थलों को देखने जाना।

- ३१ मनोहर स्नानों में ध्यासक्त होना ।
 ३२ प्रथम प्रहर में पहल किया हुआ साहार पशुधं प्रहर में खाना ।
 ३३ दो कोण से घागे से जाकर साहार-पानी का उपयोग करना ।
 ३४-४१ गोबर या मेष्य पदार्थ रात्रि में लगाना या रात में रखकर दिन में लगाना ।
 ४२-४३ गृहस्थ में उपधि बहान कराना तथा उसे साहार देना ।
 ४४ बड़ी नदियों को महिर्न में एक बार में अधिक उतर कर या तैर कर पार करना ।
 इत्यादि प्रवृत्तियों करने पर मधुचोमानी प्रायश्चित्त घाना है ।

इस उद्देशक के २९ सूत्रों के विषयों का कथन निम्न भागमें में है, यथा—

- ३ वारंवार प्रत्याग्यान भंग करना शक्यदोष है । —दशा. द. २
 ४ मलिन पदार्थ मिश्रित साहार खाने का निषेध । —साधा. श्रु. २ घ. १ उ. १
 ५ शरीरम चर्म के सेने का निषेध । —गृहस्थ उ. ३
 ८ पाच स्थावर वस्तुओं की विराधना करने का निषेध । —दशमं. घ. ४ तथा घ. ६
 —साधा. श्रु. १ घ. १ उ. २-३
 ९ वृक्ष पर चढ़ने का निषेध । —साधा. श्रु. २ घ. ३ उ. ३
 १० गृहस्थ के घातन में खाने का निषेध । —दशमं. घ. ३ तथा घ. ६
 —सूय. श्रु. १. घ. २ उ. २ पा. २०
 ११ गृहस्थ का मद्य उपयोग से सेने का निषेध । —सूय. श्रु. १ घ. ९ पा. २०
 १२ गृहस्थ के खाट पत्रंग आदि पर बैठने का निषेध । —दशमं. घ. ३ तथा घ. ६
 —सूय. श्रु. १ घ. ९ पा. २१
 १३ गृहस्थ की विक्रिया करने का निषेध । —दशमं. घ. ३ तथा घ. ८ पा. ४०
 —उत्तरा. घ. १५ पा. ८
 १४ पूर्वकर्मदोष मुक्त साहार पहल करने का निषेध । —साधा. श्रु. २ घ. १ उ. १
 १६-२१ दर्शनीय स्थलों में जाने का तथा मनोहर स्नानों में सागीत करने का निषेध ।
 —साधा. श्रु. २ घ. १ उ.
 ३२-३३ प्रथम प्रहर में पहल किये हुए साहार को चौथे प्रहर में खाने का निषेध तथा दो
 कोण उपरान्त साहार से जाने का निषेध । —गृहस्थ उ. ४
 ४४ बड़ी नदियों को पार करने का निषेध । —दशा. द. २, गृहस्थ उ. ४

इस उद्देशक के १५ सूत्रों के विषयों का कथन अन्य भागमें में नहीं है, यथा—

- १-३ स्नानों आदि में पशुधं को लागना शोभना नहीं ।
 ६ गृहस्थ के मद्य के अस्वादिश पीठ आदि पर बैठना नहीं ।

- ७ गृहस्थ से साधवी की चद्दर सिलाना नहीं ।
 १५ उदकभाजन से आहार लेने का निषेध ।
 ३४-४१ गोबर तथा विलेपन पदार्थ को रात्रि में ग्रहण करने आदि का निषेध आगमों में
 नहीं है किन्तु श्रीपद्य-भेषज के संग्रह का निषेध ।—प्रथम. श्रु. २ अ. ५ सू. ७ में है ।
 ४२-४३ विहार में गृहस्थ से भारवहन कराने का तथा उसे आहार देने का निषेध ।

॥ बारहवाँ उद्देशक समाप्त ॥



लेखकों उद्देशक

सचित्त पृथ्वी आदि पर गढ़े रहने आदि का प्राचरिचत्त—

१. जे भिन्न अर्धतरहियाए पुढयोए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

२. जे भिन्न ससिनिद्याए पुढयोए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

३. जे भिन्न ससरबपाए पुढयोए ठाणं वा, सेजं वा निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

४. जे भिन्न मट्टिपारुटाए पुढयोए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

५. जे भिन्न चित्तमंताए पुढयोए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

६. जे भिन्न चित्तमंताए सिलाए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

७. जे भिन्न चित्तमंताए सेनुए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

८. जे भिन्न कोनासांसि वा हारए जोदपइट्टिए, मअंटे जाव मरुडागंताणए ठाणं वा, सेजं वा, निसोहियं वा चेएइ, सेएंतं वा साइजइ ।

१. जो भिन्न सचित्त पृथ्वी के भिन्न वने भूमि पर गढ़े रहना, मोना वा बंटना आदि करना है वा करने वाने का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिन्न सचित्त जल के सित्त भूमि पर गढ़े रहना, मोना वा बंटना आदि करना है वा करने वाने का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिन्न सचित्त द्रवपुत्र भूमि पर गढ़े रहना, मोना वा बंटना आदि करना है वा करने वाने का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिन्न सचित्त मिट्टीपुत्र भूमि पर गढ़े रहना, मोना वा बंटना करना है वा करने वाने का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु सचित्त शिला पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु सचित्त शिलाखंड या पत्थर आदि पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु धुन या दीमक लगे हुए जीवयुक्त काष्ठ पर तथा अण्डों से यावत् मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—इन सूत्रों का विवेचन और शब्दों की व्याख्या उद्देशक ७, सूत्र ६८ से ७५ तक के आठ सूत्रों में की जा चुकी है ।

अनावृत ऊँचे स्थानों पर खड़े रहने आदि का प्रायश्चित्त—

९. जे भिक्खू धूमंसि वा, गिहेलुयंसि वा, उसुयालंसि वा, कामजलंसि वा, दुब्बद्धे दुण्णिखित्ते, अनिकप्पे चलाचले ठाणं वा, सेज्जं वा निसीहियं वा चेएइ, चेएंतं वा साइज्जइ ।

१०. जे भिक्खू कुलियंसि वा, भित्तंसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि वा, अंतरिक्खजायंसि, दुब्बद्धे, दुण्णिखित्ते, अनिकप्पे, चलाचले ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेएइ, चेएंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिक्खू खंपंसि वा, फलिहंसि वा, मंचंसि वा, मंडवंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मलंसि वा, अंतरिक्खजायंसि दुब्बद्धे दुण्णिखित्ते, अनिकप्पे, चलाचले ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेएइ, चेएंतं वा साइज्जइ ।

९. जो भिक्षु स्तम्भ, देहली, ऊबल अथवा स्नान करने की चौकी आदि जो कि स्थिर न हों, अच्छी तरह रखे हुए न हों, निष्कम्प न हों किन्तु चलायमान हों उन पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु सोपान, भीत, शिला या शिलाखण्ड-पत्थरादि आकाशीय (अनावृत ऊँचे) स्थान, जो कि स्थिर न हों, अच्छी तरह रखे हुए न हों, निष्कम्प न हों किन्तु चलायमान हों उन पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु स्कन्ध पर, फलक पर, मंच पर, मण्डप पर, माल पर, प्रासाद पर, हवेली के शिखर पर इत्यादि जो आकाशीय (अनावृत ऊँचे) स्थान जो कि अस्थिर हों, अच्छी तरह बने हुए न हों, निष्कम्प न हों किन्तु चलायमान हों वहाँ पर खड़े रहना, सोना या बँठना आदि करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विद्येवन—शहरों की व्याख्या—

सूना-बेनी—छोटा बम्बा ।

गिहंसुको—उम्बरो—देहनी ।

धमुकाल—उपयलं—उग्रन ।

कामरलं—पहाणपीड—स्नान की चीकी ।

मिलनि-वेनु मि—ये शब्द इन सूत्रों में दो बार पाये हैं । पहले मन्त्रित रूप में और बाद में प्राकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।

कुनियमि—मिट्टी की दीवार या पतली दीवार ।

मिचित्ति—दूँट, पत्थर आदि की दीवार समया नदी का तट ।

ग्रधमि—“ग्रधं पायारो पेठ वा”—फोट, पीठिका या स्तम्भगृह ।

कमिहमि—लकड़ी का तखत, पाटिका समया गार्ड के ऊपर बना स्थान या बगैना ।

मनमि—मण, मणभूमि से ऊंचा स्थान ।

मालमि—“गिहोपरि मानो” दूसरा मन्त्रित आदि ।

वासावमि—“निजगृह-गवरोपमोभियो पायादो” सुगोभित महल ।

हम्मरलंमि—“गवरोपरि तल”—निपर स्थान समया इत ।

दुम्बरे—बाग आदि रम्मा से ठीक बंधे न हों ।

दुमिविपारं—ठीक में समापित न हों ।

वनिचवे-वनावने—“वनिप्रवणिकादेन वनापलं वनावलनवभाव”

ठाण-सोत्र-नितीहियं—बुनियाद में इन तीन शहरों को व्याख्या प्रारम्भ में की है और बाद में चार शहरों की व्याख्या भी की है । वहाँ तीसरा शब्द “निमेरु” प्रतिक्रम है । विन्दु प्राकारात्मक में तथा नितीय उद्देशक प्राण में तीन शब्द ही हैं । अतः यहाँ भी सूत्र में तीन शब्द ही रहे हैं, जिसमें उन स्थानों पर जो जाने पाने सूत्रों की प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है—१. कापोपमं करने वाले रहना या दिना कापोपमं विण्, यद्दे रहना । २. विनी भी सामान्य में समन करना । ३. व्याख्यान करने के लिए या प्राहार करने के लिए बैठना ।

पूर्व सूत्रोंके बाद स्थानों में से चारों करने का निमित्त सूत्रों आदि की विराचना के कारण किया है और इन तीन सूत्रों में विष्णु के विरने की सम्भावना के कारण निमित्त है । क्योंकि ये स्थान उच्च और वनापलं समया मभी विराचों में पूर्व प्राकारा माने हैं । ये विना मन्त्राया के व्यापक होने से माधु के निर पठने को या उपकरण आदि के विरने को सम्भावना रहती है, जिससे कामविशेषकर उपकरणों का विनाम और जोरविशेषपना हो सकती है । अतः ऐसे स्थानों में यद्दे रहना बैठना आदि कार्य नहीं करना चाहिये ।

आपायाग म. २. प. २. उ. १ में ऐसे स्थानों में विष्णु के रहनेकी निमित्त विराचि के स्थानों में रहना यद्दे ही सामान्य प्राकाराती मध्ये वा विरने विरने में हीने वाली शब्द प्रकार की विराचानाती का स्पष्टीकरण भी किया है ।

अंतरिक्षजात—मंच, माल, मकान की छत आदि स्थलों की ऊंचाई तो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाती है, अतः अंतरिक्षजात का “ऊंचे स्थान” ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिये, किन्तु “आकाशीय-अनावृतस्थल” ऐसा अर्थ करना चाहिये अर्थात् सूत्र कथित ऊंचे स्थलों के चोतरफ भित्ति आदि न होकर खुला आकाश हो तो वे ऊंचे स्थल अंतरिक्षजात विशेषण वाले कहे जाते हैं। यही अर्थ आचा. शु. २, अ. २, उ. १ के इस विषयक विस्तृत पाठ से स्पष्ट होता है। क्योंकि सूत्रगत ऊंचे स्थल यदि भित्ति आदि से चोतरफ आवृत हों तो गिरने आदि की कही गई सम्भावना संगत नहीं हो सकती है।

शिल्पकलादि सिखाने का प्रायश्चित्त—

१२. जे भिक्खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा—१. सिप्पं वा, २. सिलोगं वा, ३. अट्टावयं वा, ४. कक्कडगं वा, ५. वुग्गहं वा, ६. सलाहं वा सिक्खावेइ, सिक्खावेत्तं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को—१. शिल्प, २. गुणकीर्तन, ३. जुआ खेलना, ४. कांकरी खेलना, ५. युद्ध करना, ६. पद्य रचना करना सिखाता है या सिखाने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—सिप्पं—“तुण्णागादि” = सिलाई आदि शिल्प ।

सिलोगं—“वण्णणा” = प्रशंसा, गुणग्राम करना ।

अट्टावयं—चौपड़ पासादि से जुआ खेलना ।

कक्कडयं—“कक्कडगं-हेऊं = कांकरी कौडियों से खेलने का एक प्रकार ।

वुग्गहं—“वुग्गहो-कलहो” = झगड़ना, युद्ध कला ।

सलाहं—“सलाहा-कव्वकरणप्पओगा” = काव्य-रचना करना ।

चूर्णिकार ने “अट्टावयं” “कक्कडयं” की व्याख्या अन्य प्रकार से भी की है, यथा—

“इमं अट्टापदं—पुच्छित्तो अपुच्छित्तो वा भणति—अग्हे णिमित्तं न सुट्ठु जाणामो । एत्थियं पुण जाणामो—परं पभायकाले दधिकूरं सुणगा वि खातित्तं णेच्छिंहिति, अर्थ पदेन जायते सुभिवर्खं ।” = निमित्त बताना ।

“कक्कडगं-हेऊं-जत्थ भणिते उभयहा वि दोपो भवति जहा—जीवस्स णिच्चत्त परिग्गहे णारगादि भावो ण भवति । णिच्छे वा भणिते विणासी घटवत् कूतविप्रणासादयश्च दोपो भवति । अथवा कर्कट हेतु सर्वभावैक्य प्रतिपत्तिः” = पदार्थों में रहे विविध धर्मों का एकांतिक कथन करना ।

सूत्रोक्त कार्यं गृहस्थ को सिखाना साधु का आचार नहीं है तथा उपलक्षण से ७२ कला आदि सिखाने पर भी यही प्रायश्चित्त आता है, ऐसा समझ लेना चाहिये। इनके सिखाने पर गृहस्थ के कार्यों की या सावध कार्यों की प्रेरणा एवं अनुमोदना होती है। स्वाध्याय ध्यानादि संयम योगों की हानि भी होती है।

गृहस्थ को फल्य वचन आदि कहने के प्रायश्चित्त—

१३. जे भिक्खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा आगाढं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

विवेचन—शब्दों की व्याख्या—

मूषा-वेनी—छोटा घम्या ।

गिहेलुको—उम्बरो—देहली ।

असुकालं—उपचलं—ऊचल ।

कामजलं—प्राणपीठं—स्नान की चौकी ।

सिलनि-लेलुसि—ये शब्द इन सूत्रों में दो बार आये हैं । पहले सञ्चित रूप में और बाद में प्राकाशीय रूप से प्रयुक्त हुए हैं ।

जुलियंसि—मिट्टी की दीवार या पतली दीवार ।

भित्तिसि—ईंट, पत्थर आदि की दीवार अथवा नदी का तट ।

खंधसि—“खंध पागारो वेढं वा”—कोट, पीठिका या स्तम्भगृह ।

फलहिसि—लकड़ी का तखत, पाटिया अथवा खाई के ऊपर बना स्थल या अगला ।

मंचसि—मंच, समभूमि से ऊंचा स्थान ।

मालंसि—“गिहोवरि मालो” दूसरा मजिल आदि ।

पासावंसि—“गिज्जूह-गववयोवसोभितो पासादो” सुगोभित महल ।

हम्मत्तलंसि—“गव्योवरि तलं”—शिथर स्थान अथवा छत ।

दुव्यद्वे—घांस आदि रस्सी से ठीक बंधे न हों ।

दुषिबिधत्तं—ठीक से स्थापित न हों ।

अणिकये-चलाचले—“अनिप्रकपित्वादेव चलाचलं चलाचलनस्वभावम्”

ठाणं-सेजं-निसीहियं—चणिकार ने इन तीन शब्दों की व्याख्या प्रारम्भ में की है और बाद में चार शब्दों की व्याख्या भी की है । वहाँ तीसरा शब्द “गित्सेज्जं” अधिक कहा है । किन्तु प्राचारांगसूत्र में तथा निगोप उद्देशक पाँच में तीन शब्द ही हैं । अतः यहाँ भी मूल में तीन शब्द ही रहे हैं, जिसमें उन स्थानों पर की जाने वाली सभी प्रयुक्तियों का समावेश हो जाता है—१. कायोत्तमं करके खड़े रहना या बिना कायोत्तमं किए खड़े रहना । २. गिसी भी आसन में ध्यान करना । ३. स्वाध्याय करने के लिए या आहार करने के लिए बैठना ।

पूयं सूत्रोक्त आठ स्थानों में ये कार्य करने का निषेध पृथ्वी आदि की विराधना के कारण किया है और इन तीन सूत्रों में भिक्षु के गिरने की सम्भावना के कारण निषेध है । क्योंकि ये स्थान ऊँचे और घनावृत अर्थात् सभी दिशाओं में खुले आकाश वाले हैं । ये बिना सहारा के स्थान होने में साधु के गिर पड़ने की या उपकरण आदि के गिरने की सम्भावना रहती है, जिससे आरम्भविराधना, उपकरणों का धिनास और जीवविराधना हो सकती है । अतः ऐसे स्थानों में खड़े रहना, सोना, बैठना आदि कार्य नहीं करना चाहिए ।

प्राचारांग सू. २, अ. २, उ. १ में ऐसे स्थानों में भिक्षु के ठहरने का निषेध किया गया है । कदाचित् ऐसे स्थानों में ठहरना पड़े तो अत्यन्त सावधानी रखने का निर्देश किया है तथा सम्भावनाओं से होने वाली अनेक प्रकार की विराधनाओं का स्पष्टीकरण भी किया है ।

अंतरिक्षजात—मंच, माल, मकान की छत आदि स्थलों की ऊंचाई तो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाती है, अतः अंतरिक्षजात का “ऊंचे स्थान” ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिये, किन्तु “आकाशीय-अनावृतस्थल” ऐसा अर्थ करना चाहिये अर्थात् सूत्र कथित ऊंचे स्थलों के चोतरफ भित्ति आदि न होकर खुला आकाश हो तो वे ऊंचे स्थल अंतरिक्षजात विशेषण वाले कहे जाते हैं। यही अर्थ आचा. श्रु. २, अ. २, उ. १ के इस विषयक विस्तृत पाठ से स्पष्ट होता है। क्योंकि सूत्रगत ऊंचे स्थल यदि भित्ति आदि से चोतरफ आवृत हों तो गिरने आदि की कही गई सम्भावना संगत नहीं हो सकती है।

शिल्पकलादि सिखाने का प्रायश्चित्त—

१२. जे भिखू अण्णउत्तियं वा गारत्तियं वा—१. सिप्यं वा, २. सिलोगं वा, ३. अट्टावयं वा, ४. कक्कडगं वा, ५. वुग्गहं वा, ६. सलाहं वा सिक्खावेइ, सिक्खावेंतं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को—१. शिल्प, २. गुणकीर्तन, ३. जुआ खेलना, ४. कांकरी खेलना, ५. युद्ध करना, ६. पद्य रचना करना सिखाता है या सिखाने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—सिप्यं—“तुण्णागादि” = सिलाई आदि शिल्प ।

सिलोगं—“वण्णणा” = प्रशंसा, गुणग्राम करना ।

अट्टावयं—चौपड़ पासादि से जुआ खेलना ।

कक्कडगं—“कक्कडगं-हेऊं = कांकरी कौडियों से खेलने का एक प्रकार ।

वुग्गहं—“वुग्गहो-कलहो” = भगड़ना, युद्ध कला ।

सलाहं—“सलाहा-कव्वकरणप्पओगा” = काव्य-रचना करना ।

चूणिकार ने “अट्टावयं” “कक्कडगं” की व्याख्या अन्य प्रकार से भी की है, यथा—

“इमं अट्टापदं—पुच्छित्तो अपुच्छित्तो वा भणति—अम्हे णिमित्तं न सुट्ठु जाणामो । एत्तियं पुण जाणामो—परं पभायकाले दधिकूरं सुणगा वि खात्तुं णेच्छिंहिति, अयं पदेन जायते सुभिव्खं ।” = निमित्त बताना ।

“कक्कडगं-हेऊं-जत्तय भणिते उच्चयहा वि दोषो भवति जहा—जीवस्स णिच्चत्त परिग्गहे णारगादि भावो ण भवति । णिअच्चे वा भणिते विणासो घटवत् कूत्तविप्रणासादयश्च दोषा भवंति । अथवा कर्कट हेतु सर्वभावैक्य प्रतिपत्तिः” = पदार्थों में रहे विविध धर्मों का एकांतिक कथन करना ।

सूत्रोक्त कार्यं गृहस्थ को सिखाना साधु का आचार नहीं है तथा उपलक्षण से ७२ कला आदि सिखाने पर भी यही प्रायश्चित्त आता है, ऐसा समझ लेना चाहिये। इनके सिखाने पर गृहस्थ के कार्यों की या सावध कार्यों की प्रेरणा एवं अनुमोदना होती है। स्वाध्याय ध्यानादि संयम योगों की हानि भी होती है।

गृहस्थ को फरुष वचन आदि कहने के प्रायश्चित्त—

१३. जे भिखू अण्णउत्तियं वा गारत्तियं वा आगाढं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिक्खू अण्णउत्तिययं वा गारत्तिययं वा फरसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिक्खू अण्णउत्तिययं वा गारत्तिययं वा आगाहं-फरसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिक्खू अण्णउत्तिययं वा गारत्तिययं वा अण्णपरिणं अच्चासायणाए अच्चासाएइ, अच्चासाएंतं वा साइज्जइ ।

१३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को प्रावेशमुक्त वचन कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

१४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को कठोर वचन कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को प्रावेशमुक्त कठोर शब्द कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की किसी भी प्रकार की आशातना करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त भाता है ।)

विवेचन—भिक्षु को किंचित् भी कठोर भाषा बोलना नहीं कल्पता है । अत्यल्प फरप वचन बोलने पर निसीप उद्देशक २ सूत्र १९ से लघुमासिक प्रायश्चित्त भाता है तथा उद्देशक १० में प्राचायं या रत्नाधिक को कठोर वचन बोलने प्रादि का गुफुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है । इन प्रस्तुत सूत्रों में किसी भी गृहस्थ को कठोर शब्द कहने या अन्य किसी प्रकार से उनकी आशातना-अवहेलना करने का लघुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है । आगाह प्रादि शब्दों की व्याख्या दसयें उद्देशक में देखें ।

भिक्षु को सदा सबके निम्ने हितकारी, परिमित और मधुर शब्द ही कहने चाहिए । चाहे वह छोटा साधु हो या बड़ा साधु हो, कोई छोटा बड़ा गृहस्थ हो भयवा बच्चे प्रादि भी क्यों न हों, किसी को कठोर शब्द कहना, तिरस्कार करना या अन्य किसी तरह से उनकी अवहेलना करना उचित नहीं है । ऐसा करने पर संयम दूषित होता है, अन्य का अपमान करना कपाम उत्पत्ति का कारण होता है । अतएव वह इन सूत्रों से प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

कठोर भाषा बोलने में मस्तिनभाव होने में कर्म बंध होता है तथा कसह उत्पत्ति का निमित्त भी हो जाता है ।

भाषा मन्थन्यो विवेक का कथन दशवैकानिक सूत्र प्र. ४-६-३-८-१० में, प्राचा. भू. २, प्र. ४ में तथा प्रश्नव्याकरण भू. २, प्र. २ में है तथा उत्तराध्ययन प्रादि सूत्रों में भी अनेक जगह है । पाच ममिति में भाषागमिति का पालन अत्यन्त कठिन कहा गया है । अतः भिक्षु को सदा भाषा का अत्यन्त विवेक रखना चाहिये ।

कौतुककर्म प्रादि को प्रायश्चित्त—

१७. जे भिक्खू अण्णउत्तिययाण वा गारत्तिययाण वा कोउगाहम्मं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा भूइकम्मं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।
१९. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा पसिणं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।
२०. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा पसिणापसिणं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।
२१. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा तीयं निमित्तं कहेइ, कहेत्तं वा साइज्जइ ।
२२. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा लक्खणं कहेइ, कहेत्तं वा साइज्जइ ।
२३. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा वंजणं कहेइ, कहेत्तं वा साइज्जइ ।
२४. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा सुमिणं कहेइ, कहेत्तं वा साइज्जइ ।
२५. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा विज्जं पउंजइ, पउंजंतं वा साइज्जइ ।
२६. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा मंतं पउंजइ, पउंजंतं वा साइज्जइ ।
२७. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा जोगं पउंजइ, पउंजंतं वा साइज्जइ ।

१७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों का कौतुककर्म करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों का भूतिकर्म करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों से कौतुक-प्रश्न करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों के कौतुक प्रश्नों के उत्तर देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों के भूतकाल सम्बन्धी निमित्त का कथन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों को उनके (शरीर के रेखा आदि) लक्षणों का फल कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों को (उनके) तिल-मसा आदि व्यंजनों का फल कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों के अन्न का फल कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

२५. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों के लिए "विद्या" का प्रयोग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों के लिए "मन्त्र" का प्रयोग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों के लिए "योग" (तन्त्र) का प्रयोग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—"कोउय-भूतोण य करणं । पत्तिणस्स, पत्तिणापत्तिणस्स, णिमित्तस्स, लघुपण-व्यंजन-सुमिणाण य वागरणं । सेसाणं घिञ्जाविणाण पउंजणता ।"

कौतुककर्म—मृतवत्सा आदि को श्मशान या चोराहे आदि में स्नान कराना । सोभाग्य आदि के लिये धूप, होम आदि करना । दृष्टि दोष में रक्षा के लिये काजल का तिलक करना ।

भूतिकर्म—शरीर आदि की रक्षा के लिये विद्या में अभिमंत्रित राघ से रक्षा पोटनी बनाना या भस्मलेपन करना ।

तीर्थं निमित्तं—वर्तमान काल और भविष्य काल की अपेक्षा भूतकाल के निमित्त कथन में तीर्थों की सम्भावना कम रहती है, अतः दसवें उद्देशक में वर्तमान और भविष्य के निमित्त-कथन का गुरुत्वोन्मासी प्रायश्चित्त कहा है और यहाँ अतीत के निमित्त-कथन का लघुत्वोन्मासी प्रायश्चित्त कहा है ।

पत्तिणं—मन्त्र या विद्या बल में दर्पण आदि में देवता का साहजान करना व प्रश्न पूछना ।

पत्तिणापत्तिणं—मन्त्र या विद्या बल में स्वप्न में देवता के साहजान द्वारा जाना हुआ शुभाशुभ फल का कथन करना ।

लक्षण—पूर्व भय में उपाजित अंगोपांग आदि शुभ नामकर्म के उदय से शरीर, हाथ-पाव आदि में सामान्य मनुष्य के ३२, वनदेव वासुदेव के १०८ तथा पन्नवर्ती या तीर्थंकर के १००८ बाह्य लक्षण होते हैं, अन्य अनेक आंतरिक लक्षण भी हो सकते हैं । ये लक्षण रेखा रूप में या अंगोपांग की साकृति रूप होते हैं तथा ये लक्षण स्वर एवं वर्ण रूप में भी होते हैं । शरीर का मान, उन्मान और प्रमाण ये भी शुभ लक्षण रूप होते हैं ।

शरीर का आवतन एक द्रोण पानी के बराबर हो तो वह पुरुष "मानयुक्त" कहा जाता है ।

शरीर का यजन चर्मभार हो तो वह पुरुष "उन्मानयुक्त" कहा जाता है ।

शरीर की घनमाहृता १०८ अंगुल हो तो वह पुरुष "प्रमाणयुक्त" कहा जाता है ।

व्यंजन—उपयुक्त लक्षण तो शरीर के माप उत्पन्न होते हैं और बाद में उत्पन्न होने वाले 'व्यंजन' बने जाते हैं । यथा—गिन, मय, मन्त्र चिह्न आदि ।

विद्यामन्त्र—जिन मन्त्र की स्रष्टिटादिका देवी हो वह 'विद्या' कहलाती है और जिन मन्त्र का स्रष्टिटादिक देव हो वह 'मन्त्र' कहलाता है । यमथा विनिष्ट साधना से प्राण हो वह 'विद्या' और केचन वाप करने से जो मिष्ट हो 'मन्त्र' कहा गया है ।

योग—वशीकरण, पादलेप, अंतर्धान होना आदि 'योग' कहे जाते हैं। ये योग विद्यायुक्त भी होते हैं और विद्या के बिना भी होते हैं।

अन्य विशेष जानकारी के लिये दसवें उद्देशक के सातवें सूत्र का विवेचन देखें।

मार्गादि बताने का प्रायश्चित्त—

२८. जे भिवखू अण्णउत्थियमाण वा गारत्थियमाण वा नदुठ्ठाणं, मूढाणं, विप्परियासियाणं मग्गं वा पवेएइ, संधि वा पवेएइ, मग्गाओ वा संधि पवेएइ, संघोओ वा मग्गं पवेएइ, पवेएंतं वा साइज्जइ।

२८. जो भिक्षु मार्ग भूले हुए, दिशामूढ हुए या विपरीत दिशा में गए हुए अन्यतीर्थिकों या गृहस्थों को मार्ग बताता है या मार्ग की संधि बताता है अथवा मार्ग से संधि बताता है या संधि से मार्ग बताता है या बताने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—संधि—अनेक मार्गों के मिलने का स्थान या अनेक मार्गों का उद्गम स्थान।

मग्गाओ वा संधि—मार्ग से संधिस्थान कितना दूर है, कहाँ है यह बताना।

संधिओ वा मग्गं—संधिस्थान से गन्तव्य मार्ग बताना, उसकी दिशा बताना।

मार्ग बताने के वाद व्यक्ति स्वयं की गलती से अन्यत्र चला जाय, समझने में भूल हो जाय या मार्ग लम्बा लगे, विकट लगे, चोर लुटेरे आ जायें, शेर आदि आ जाय इत्यादि कारणों से भिक्षु के प्रति अनेक प्रकार के मलिन विचार या गलत धारणा हो सकती है। मार्ग में पानी, वनस्पति, त्रस जीव आदि हों तो उनकी विराधना भी हो सकती है।

आचा. शु. २, अ. ३, उ. ३ में बताया गया है कि विहार में चलते हुए भिक्षु से कोई गृहस्थ पूछ ले कि 'यहां से अमुक गांव कितना दूर है या अमुक गांव का मार्ग कितनी दूरी पर है?' तो भिक्षु उसका उत्तर न दे किन्तु मौन रहे या मुना अनसुना करके आगे गमन करे तथा जानते हुए भी मैं नहीं जानता हूं अथवा मैं जानता हूं पर कहूंगा नहीं, ऐसा न कहे केवल उपेक्षाभाव रखकर मौन रहे।

आचारांगसूत्र के इस विधान का तात्पर्य भी यही है कि भिक्षु के कहने में भूल हो जाय या सुनने वाले के बराबर समझ में न आने से भ्रम हो जाय, कभी गृहस्थ मार्ग भूल जाए या मार्ग में उसे अधिक समय लग जाय, गर्मी का समय (मध्याह्न) हो जाय या रात्रि हो जाय, भूख प्यास से व्याकुल हो जाय इत्यादि अनेक दोषों की सम्भावना रहती है। अतः भिक्षु ऐसे प्रसंगों में विवेकपूर्वक उपेक्षा भाव रखता हुआ गमन करे। कभी परिस्थितिवश या अन्य किसी कारण से हिताहित का विचार करके मार्ग बताना पड़े तो विवेकपूर्ण भाषा में मार्ग बतावे तथा यथायोग्य सूत्रोक्त प्रायश्चित्त स्वीकार कर ले।

धातु और निधि बताने का प्रायश्चित्त—

२९. जे भिवखू अण्णउत्थियमाण वा गारत्थियमाण वा छाउं पवेदेइ, पवेदेतं वा साइज्जइ।

३०. जे भिवखू अण्णउत्थियमाण वा गारत्थियमाण वा निर्हिं पवेदेइ, पवेदेतं वा साइज्जइ।

२९. जो भिक्षु अन्यनीयिकों या गृहस्थों को धातु बतता है या बताने वाले का अनुमोदन करता है ।

३० जो भिक्षु अन्यनीयिकों या गृहस्थों को निधि (पजाना) बतता है या बताने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुनानुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—धातु तीन प्रकार के होते हैं—१. पापाणधातु, २. रसधातु, ३. मिट्टीधातु ।

१. किसी पापाण (पत्थर) विशेष के साथ लोहा आदि का मुक्ति पूर्वक घर्षण करने में सुवर्ण आदि बनता है, यह 'पापाणधातु' कहा जाता है ।

२. जिस धातु का पानी ताँत्र आदि धातु पर सिंचन करने पर सुवर्ण आदि बनता है, यह 'रस धातु' कहा जाता है ।

३. जिस मिट्टी को किसी अन्य पदार्थों के संयोग से या लोहे आदि पर घर्षण करने से सुवर्ण आदि बनता है वह 'मिट्टी धातु' कहा जाता है ।

भिक्षु को किसी के द्वारा या स्वतः किसी धातु को या निधि को जानकारी हो जाय तो गृहस्थ को बताना नहीं कल्पता है । बताने पर शूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

गृहस्थ को धातु, निधि बताने पर वह अनेक आरम्भमय प्रवृत्तियों में अथवा अन्य पाप कार्यों में वृद्धि कर सकता है । एक को बताने पर अनेकों को भातूम पड़ने पर परम्परा बढ़ती है । किसी को बताने, किसी को नहीं बताने तो राग-द्वेष की वृद्धि होती है । अंतराय के उदय से किसी को साफलता मिले तो अविश्वास होता है । अतः भिक्षु को इन दोषस्थानों से दूर ही रहना चाहिए ।

निधि के निकालने में पृथ्वीकाय, अस्त्रकाय आदि के विराधना की सम्भावना रहती है । यदि किसी निधि का कोई स्वामी हो तो उससे कलह होने को या दण्डित होने की सम्भावना भी रहती है ।

पाप आदि में अथना प्रतिघिम्ब देसने का प्रायश्चित्त—

३१. जे भिक्षू मत्तए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३२. जे भिक्षू अद्दाए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३३. जे भिक्षू अतीए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३४. जे भिक्षू मणिए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३५. जे भिक्षू कुंठन्याणए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३६. जे भिक्षू तेत्ते अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३७. जे भिक्षू महए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।
३८. जे भिक्षू सणिए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइग्गइ ।

३९. जे भिवखू फाणिए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइज्जइ ।

४०. जे भिवखू मज्जए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिवखू वसाए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइज्जइ ।

३१. जो भिक्षु पात्र में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३२. जो भिक्षु अरीसा में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३३. जो भिक्षु तलवार में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३४. जो भिक्षु मणि में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु कुंडे आदि के पानी में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३६. जो भिक्षु तेल में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३७. जो भिक्षु मधु (शहद) में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३८. जो भिक्षु घी में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३९. जो भिक्षु गीले गुड़ में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

४०. जो भिक्षु मद्य में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

४१ जो भिक्षु चरवी में अपना प्रतिबिम्ब देखता है या देखने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—यहाँ वारह सूत्रों से वारह पदार्थों में अपना प्रतिबिम्ब देखने का प्रायश्चित्त कहा है । पात्र शब्द से साधु के पात्रों का एवं गृहस्थ के वर्तनों का कथन है । सूत्र में कहे गये तेल, घी, गुड़-भिक्षा में ग्रहण किये हुए हो सकते हैं । मधु, वशा कभी औषध निमित्त से ग्रहण किये हुए हो सकते हैं । अन्य तलवार, अरीसा, मद्य आदि साधु ग्रहण नहीं करता है किन्तु भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर वहाँ उनमें मुख देखना सम्भव हो सकता है । भाष्य में सूत्रगत शब्दों का संग्रह इस प्रकार किया है—

“दप्पण मणि आभरणे, सत्य दए भायणऽन्नतरए य ।

तेल्ल-भट्ट-सप्पि-फाणित, मज्ज-वसा-मुत्तमादीसु ॥४३१८॥

एस गाया में पात्र के अतिरिक्त मन्त्री पदों का संग्रह किया गया है तथा मणि के साथ भाभूपण का एवं 'मुक्त' शब्द से इसुरस का भी कथन किया गया है ।

दशवैकालिक मूत्र प्र. ३ में दर्पण आदि में अपने प्रतिबिम्ब को देखना साधु के लिए अनाचरणीय कहा है ।

व्याध्याकार ने दर्पण आदि में अपना मुख (बेहरा) देखने में अनेक दोषों की सम्भावना बताई है । यथा—अपने रूप का अभिमान करेगा, अपने को रूपवान् देखकर विषयेच्छा होगी । विरूप देखकर निदान करेगा, घसीफरणादि सीमिका या शरीरस्वकुश बनेगा, हृष-विषाद करेगा । दर्पण देखते समय कोई गृहस्थ आदि की दृष्टि पड़ जाय तो साधु की या संघ की हीलना होगी ।

अतः भिक्षु मूर्च्छक पदार्थों में या ऐश्वर्य स्पर्शों में अपना मुख देखने का संकल्प भी न करे । किन्तु आत्मभाष में लीन रहकर संयम का और जिनासा का पालन करे ।

यमन आदि औषधप्रयोग करने का प्रायश्चित्त—

४२. जे भिक्षू यमन करेइ, करैतं वा साइज्जइ ।

४३. जे भिक्षू विरेयणं करेइ, करैतं वा साइज्जइ ।

४४. जे भिक्षू यमन-विरेयणं करेइ, करैतं वा साइज्जइ ।

४५. जे भिक्षू आरोगियपटिकम्मं करेइ, करैतं वा साइज्जइ ।

४६. जो भिक्षु यमन करता है या यमन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४७. जो भिक्षु विरेचन करता है या विरेचन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४८. जो भिक्षु यमन और विरेचन करता है या करने का अनुमोदन करता है ।

४९. जो भिक्षु रोग न होने पर भी उपचार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उभे तेषु चाणुमांसिक प्रायश्चित्त धाता है ।)

विवेचन—यही शोधे मूत्र में बिना रोग के औषध-उपचार करने का प्रायश्चित्त बटा है । इसी धान्य से यमन, विरेचन के तीन मूत्र भी समझने चाहिए । अर्थात् किसी कारण के बिना या रोग के बिना कोई भी औषधप्रयोग नहीं करना चाहिए, वही इन चारों मूत्रों का गार है ।

कारण होने पर औषध लेने के समान यमन-विरेचन भी किया जा सकता है । यह भी उपचार का ही एक प्रकार है ।

बिना रोग के उपचार करने से शरीर-संस्कार की भावना बढ़ती है और संयम की भावना घटती है । बिना रोग के औषध करने से कर्मा नया रोग भी उत्पन्न हो सकता है । अधिक यमन या विरेचन होने पर मृत्यु भी हो सकती है । परिष्ठादनभूमि के न होने से या अधिक दूर होने से अथवा गृहस्थ के बंटे रहने के कारण बाधा रोकने पर अल्प योगादि होने की भी सम्भावना रहती है । याम

एक न सके तो जहाँ बैठे हो वही मलोत्सर्ग हो जाने से वस्त्र आदि खराब हो सकते हैं । किसी गृहस्थ को ज्ञात होने पर अवहेलना भी कर सकता है ।

भाष्यकार ने गा. ४३३७ में कहा है कि यदि किसी को यह ज्ञात हो जाय कि मुझे अमुक काल में अमुक रोग हो ही जाता है और अमुक औषध लेने से नहीं होता है तो बहुत हानि या दोषों से बचने के लिए रोग के पूर्व औषध प्रयोग करना यह रोग शान्ति के लिए होने से सप्रयोजन है तथा लाभदायक है । यद्यपि उत्तराध्ययनसूत्र में औषध सेवन का निषेध है फिर भी अल्प शक्तिवाला साधक रोग आने पर निर्वेद्य चिकित्सा करे तो उसका यहाँ प्रायश्चित्त नहीं है ।

पाशर्वस्थादि-वंदन-प्रशंसन प्रायश्चित्त—

४६. जे भिवखू पासत्यं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
४७. जे भिवखू पासत्यं पसंसइ, पासंसंतं वा साइज्जइ ।
४८. जे भिवखू कुसोलं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
४९. जे भिवखू कुसोलं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
५०. जे भिवखू ओसणं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
५१. जे भिवखू ओसणं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
५२. जे भिवखू संसत्तं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
५३. जे भिवखू संसत्तं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
५४. जे भिवखू णितियं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
५५. जे भिवखू णितियं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
५६. जे भिवखू काहियं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
५७. जे भिवखू काहियं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
५८. जे भिवखू पासणियं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
५९. जे भिवखू पासणियं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
६०. जे भिवखू मामगं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।
६१. जे भिवखू मामगं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ ।
६२. जे भिवखू संपसारियं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ ।

६३. जे भिक्षु संपसारियं पसंसद्द, पसंसतं वा साद्दज्जद्द ।
४६. जो भिक्षु पार्श्वस्थ को वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४७. जो भिक्षु पार्श्वस्थ की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४८. जो भिक्षु कुशील को वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
४९. जो भिक्षु कुशील की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५०. जो भिक्षु भ्रवसन्न को वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५१. जो भिक्षु भ्रवसन्न की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५२. जो भिक्षु संसक्त को वन्दन करता है या करने वाला का अनुमोदन करता है ।
५३. जो भिक्षु संसक्त की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५४. जो भिक्षु नित्यक को वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५५. जो भिक्षु नित्यक की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५६. जो भिक्षु विक्रया करने वाले को वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५७. जो भिक्षु विक्रया करने वाले की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५८. जो भिक्षु नृत्यादि देखने वाले को वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
५९. जो भिक्षु नृत्यादि देखने वाले की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
६०. जो भिक्षु उपकरण ममत्त्व वन्दन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
६१. जो भिक्षु उपकरण ममत्त्व करता है या करने वाले का अनुमोदन
६२. जो के ममत्त्व करता है या करने वाले का

६३. जो भिक्षु असंयतों के आरम्भ-कार्यों का निर्देशन करने वाले की प्रशंसा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—चौथे उद्देशक में सूत्र ३९ से ४८ तक पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और नित्यक भिक्षु को अपना साधु देने तथा लेने के व्यवहार का प्रायश्चित्त कहा गया है । वहाँ पर भाष्य गाया १८२८ तथा १८३२ में 'पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील' यह क्रम स्वीकार किया गया है । उन सूत्रों की चूर्ण में भी यही क्रम है । किन्तु इस उद्देशक के भाष्य और चूर्ण में 'पार्श्वस्थ, कुशील, अवसन्न' यह क्रम स्वीकार करके विस्तृत विवेचन किया है । चौथे उद्देशक से इसमें क्रम भेद क्यों है इस विषय की कोई भी चर्चा नहीं की गई है । अतः इस उद्देशक के भाष्यानुसार ही सूत्रों का क्रम रखा है ।

प्रस्तुत प्रकरण में पार्श्वस्थ आदि नव के अठारह सूत्र हैं । इनमें प्रत्येक को वन्दन करने का या उसकी प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

'अवन्दनीय कौन होता है ?' इसका भाष्य गाया ४३६७ में स्पष्टीकरण किया गया है—

"मूलगुण उत्तरगुणे, संथरमाणा वि जे पमाएति ।

ते होंतऽवंदणिज्जा, तट्टाणारोवणा चउरो ॥"

अर्थ—जो सशक्त या स्वस्थ होते हुए भी अकारण मूलगुण या उत्तरगुण में प्रमाद करते हैं अर्थात् संयम में दोष लगाते हैं, पार्श्वस्थ आदि स्थानों का सेवन करते हैं वे अवन्दनीय होते हैं । उन्हें वन्दन करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है । अर्थात् जो परिस्थितिवश मूलगुण या उत्तरगुण में दोष लगाते हैं वे अवन्दनीय नहीं होते हैं । वन्दन करने या नहीं करने के उत्सर्ग, अपवाद की चर्चा सहित विस्तृत जानकारी के लिये आवश्यकनियुक्ति गा. ११०५ से १२०० तक का अध्ययन करना चाहिये ।

प्रस्तुत सूत्र की चूर्ण में भी अपवाद विषयक वर्णन इस प्रकार है—

"वंदण वित्सेस कारणा इमे—

परियाय परिस पुरिसं, छेत्त कालं च आगमं णाडं ।

कारण जाते जाते, जहारिहं जस्स जं जोगं ॥

वायाए-णमोक्कारो, हत्युस्सेहो य सीसनमणं च ।

संपुच्छणं, अच्छणं, छीम वंदणं, वंदणं वा ॥

एयाइं अकुव्वंती, जहारिहं अरिहं देसिए मग्गे ।

न भवइ पवयण भत्ति, अभत्तिमंतादिया दोसा ॥ गा. ४३७२-७४

भावार्थ—दीक्षा पर्याय, परिपद्, पुरुष, क्षेत्र, काल, आगम ज्ञान आदि कोई भी कारण को जानकर चारित्र गुण में रहित को भी यथायोग्य 'मत्थएण वंदामि' बोलना, हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना सुखसाता पूछना आदि विनयव्यवहार करना चाहिये । क्योंकि अरिहंत भगवान् के शासन में रहे हुए भिक्षु को उपचार से भी यथायोग्य व्यवहार न करने पर प्रवचन की भक्ति नहीं होती है, किन्तु अभक्ति ही होती है तथा अन्य भी अनेक दोष होते हैं ।

उत्सर्ग से वन्दनीय अवन्दनीय—

असंजयं न वंदिज्जा, मायरं पियरं गुरुं ।
सेणावद्द पसत्यारं, रायाणं देवयाणि य ॥

समणं वंदिज्ज मेहाधी संजयं सुसमाहियं ।
पंचसमिय तिगुत्तं, अस्संजम दुगुच्छदं ॥ ११०५-६ ॥ भाव. नि.

भावायं—असंपत्ति को वन्दन नहीं करना चाहिये, वह चाहे माता, पिता, गुरु, राजा, देवता आदि कोई भी हो ।

बुद्धिमान् मुनि सुसमाधिष्यंत, संयत, पांच समिति तीन गुप्ति से युक्त तथा असंयम से दूर रहने वाले श्रमण को वन्दना करे ।

दंसण णाण चरित्त तव विणए निच्च काल पासत्या ।
एए अवंदणिज्जा जे जसघाई पययणत्त ॥ ११९१ ॥ भाव. नि.

भावायं—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और विनय की अपेक्षा सदैव पार्श्वस्थ आदि भाव में ही रहते हैं और जिनशासन का अपयश करने वाले हैं, वे भिक्षु अवन्दनीय हैं ।

इन्हें वन्दन करने से या इनकी प्रशंसा करने से उनके प्रमादस्वानों की पुष्टि होती है, इस अपेक्षा से इन सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है । अवन्दनीय होते हुए भी प्रशंसायोग्य गुण निम्न हो सकते हैं—बुद्धि, नम्रता, दानशक्ति, अतिभक्ति, लोकश्रवणहारणील, सुन्दरभाषी, वक्ता, प्रियभाषी आदि । किन्तु संयम में उद्यम न करने वाले की इन गुणों के होते हुए भी प्रशंसा नहीं करना किन्तु तटस्थ भाव रखना चाहिये । प्रशंसा करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

—नि. भा. गा. ४३६३-६४

पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और नित्यक के स्वरूप का विवेचन चतुर्थ उद्देशक में किया गया है, वहां से जान लेना चाहिये ।

कायिक, प्रेक्षणीक, मामक और सम्प्रसारिक का स्वरूप इन प्रकार है—

१. काहिय—(कायिक)—

“अग्गसायादि करणिज्जे जोमे मोत्तु जो वेत्तरुहादि क्हातो क्हेति सो “काहियो” ।”

स्वाध्याय आदि ध्यावश्यक कृत्यों को छोड़ करके जो देशकथा आदि कथाएं करता रहता है, वह 'कायिक' कहा जाता है ।
—चूणि भा. ३. पृ. ३९८

आहार, वस्त्र, पात्र, यश या पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिये जो धर्मकथा कहता है भयमा जो सदा धर्मकथा करता ही रहता है, वह भी 'कायिक' कहा जाता है । —भा. गा. ४३५३

मगय का ध्यान न रहने हुए धर्मकथा करते रहने में प्रतिनेषन, प्रतिश्रमण, स्वाध्याय, ध्यान आदि कार्य मयासमय नहीं किये जा सकते, जिससे संयमो जीवन अनेक दोषों से दूषित हो जाता है ।

अतः विकथाओं में समय विताने वाला, आहारादि के लिये धर्मकथा करने वाला और सदा धर्मकथा ही करते रहने वाला 'काथिक' कहा गया है ।

२. पासणिय (प्रेक्षणिक) —

जणवय यथहारेसु, णडणट्टादिसु वा जो पेक्खणं करेति सो पासणियो ।

जनपद आदि में अनेक दर्शनीय स्थलों का या नाटक नृत्य आदि का जो प्रेक्षण करता है वह संयम लक्ष्य तथा जिनाज्ञा की उपेक्षा करने से 'पासणिय' प्रेक्षणिक कहा जाता है । —चूर्णि ।

अथवा जो अनेक लौकिक (सांसारिक) प्रश्नों के उत्तर देता है या सिखाता है; उलभी गुत्थियां, प्रहेलिकाएं वताने रूप कुतूहल-वृत्ति करता है, वह भी 'पासणिय' कहा जाता है । —चूर्णि ।

दूसरी वैकल्पिक परिभाषा का अर्थ तो 'कुशील' का द्योतक है, अतः यहां प्रथम परिभाषा ही प्रासंगिक है ।

३. मामक — "ममीकार करंतो मामओ"

गाथा—आहार उयहि वेहे, वीयार विहार वसहि कुल गामे ।

पडिसेहं च ममत्तं, जो कुणति मामओ सो उ ॥४३५९॥

भावार्थ—जो आहार में आसक्ति रखता है, सविभाग नहीं करता है, निमन्त्रण नहीं देता है, उपकरणों में अधिक ममत्व रखता है, किसी को अपनी उपधि के हाथ नहीं लगाने देता है, शरीर में ममत्व रखता है, कुछ भी कष्ट परीपह सहने की भावना न रखते हुए सुखेंपी रहता है ।

स्वाध्यायस्थल व परिष्ठापनभूमि में भी अपना अलग स्वामित्व रखते हुए दूसरों को वहां बैठने का निषेध करता है । मकान में, सोने, बैठने या उपयोग में लेने के स्थानों में अपना स्वामित्व रखता है, दूसरों को उपयोग में नहीं लेने देता है । श्रावकों के ये घर या गांव आदि मेरी सम्भत्व में हैं । इनमें कोई विचर नहीं सकता इत्यादि संकल्पों से गांवों या घरों को मेरे क्षेत्र, श्रावक ऐसी चित्त-वृत्ति रखता हुआ ममत्व करता है, वह 'मामक' कहलाता है । क्योंकि ममत्व करना साधु के लिये निषिद्ध है ।

ममत्व नहीं करने के आगमवाक्य—

१. अवि अप्पणो वि देहम्मि नायरंति ममाइयं ।

—दस. अ. ६, गा. २२

२. समणं संजयं दंतं, हणिज्जा कोई करथइ ।

णत्थि जीवस्स पासुत्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥

—उत्तरा. अ. २, गा. २७

३. जे ममाइयमइं जहाइ, से चयइ ममाइयं,

से हु दिट्ठपहे मुणो, जस्स णत्थि ममाइयं ।

—आचा. श्रु १, अ. २, उ. ६

किसी भी पदार्थ—गांव, घर, शरीर, उपधि आदि में जिसका ममत्व अर्थात् आसक्तिभाव नहीं है, वास्तव में वही वीतरागमार्ग को जानने समझने वाला मुनि है ।

३. सूर्यास्त के बाद मस्तक टकना अथवा दिन में भी कम्बल ओढ़कर बाहर जाना ।
४. लिखने के लिए फाउण्टन पेन, पेन्सिल और विद्यमाने के लिए चटाई, पुट्टे आदि नहीं लेना ।
५. नातुर्मास में रुई, धागा, बॅडेज पट्टी आदि नहीं लेना ।
६. नवकारसी (सूर्योदय बाद ४८ मिनट) के पहले आहार-पानी नहीं लेना या नहीं छाना ।
७. औपग्रहिक आपवादिक उपकरण में भी लोहा आदि धातु नहीं होना या धातु के औपग्रहिक उपकरण नहीं रखना ।
८. आज आहार-पानी ग्रहण किये गये घर से कल आहार या पानी नहीं लेना । अथवा सुबह गोचरो किये गये घर में दोपहर को या धाम को गोचरी नहीं करना ।
९. विराधना न हो तो भी स्थिर अलमारी, टेबल आदि पर रखे गये सचित्त अचित्त पदार्थों का परम्परा संघट्टा मानना ।
१०. एक व्यक्ति से एक बार कोई विराधना हो जाय तो अन्य व्यक्ति से या पूरे दिन उम घर में गोचरी नहीं लेना ।
११. एक साधु-साध्वी को चार पात्र और ७२ या ९६ हाथ वस्त्र से अधिक नहीं रखना ।
१२. चौमासी संवत्सरी को दो प्रतिक्रमण करना या पंच प्रतिक्रमण करना, २० या ४० लोगस का कायोन्सर्ग करना ।
१३. मुँहपत्ति डोरे से नहीं बाँधना या २४ ही घन्टे मुँहपत्ति बाँधकर रखना ।
१४. स्वयं पत्र नहीं लिखना, गृहस्थ से लिखवाने पर भी प्रायश्चित्त लेना अथवा पोस्टकार्ड आदि नहीं रखना ।
१५. अनेक साध्वियाँ या अनेक स्त्रियाँ हों तो भी पुरुष की उपस्थिति बिना साधु को नहीं बैठना । ऐसे ही साध्वी के लिए समझ लेना ।
१६. रजोहरण या प्रमार्जनिका आदि को सम्पूर्ण धोलकर ही प्रतिलेखन करना ।
१७. घर में अकेली स्त्री हो तो गोचरी नहीं लेना ।
१८. गृहस्थ ताला धोलकर या चूलिया यानि दरवाजे धोलकर आहार दे तो नहीं लेना ।
१९. प्रामान्तर में दर्शनाथं आये श्रावणों में आहारादि नहीं लेना ।
२०. डोरी पर कपड़े नहीं सुखाना ।
२१. प्रयत्नसभा में साधु के ममदा साध्वी का पाट पर नहीं बैठना ।
२२. दाता के द्वारा घुटने के ऊपर में कोई पदार्थ गिर जाए तो उम घर को 'धमूभ्ता' कहना या धम्य किसी भी विराधना में किसी के घर को 'धमूभ्ता' करना ।
२३. चहर बाँधे बिना उपाश्रय से बाहर नहीं जाना अथवा चहर धोलपट्टा गाँठ देकर नहीं बाँधना ।

इत्यादि भिन्न-भिन्न गच्छ समुदायों में ऐसे अनेक नियम बनाये गये हैं जो आगम विधानों के अतिरिक्त है और समय-समय पर अपनी-अपनी अपेक्षाओं से बनाये गये हैं। इन्हें शिथिलाचार या शुद्धाचार की परिभाषा से सम्बन्धित करना उचित नहीं है। क्योंकि ये केवल परम्पराएँ हैं, आगमोक्त नियम नहीं हैं।

घातृपिंडादि दोषयुक्त आहार करने के प्रायश्चित्त—

६४. जे भिखू घाईपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६५. जे भिखू दूहपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६६. जे भिखू णिमित्तपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६७. जे भिखू आजीवियपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६८. जे भिखू चणोमगपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६९. जे भिखू तिगिच्छापिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७०. जे भिखू कोवपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७१. जे भिखू मार्यापिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७२. जे भिखू मायापिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७३. जे भिखू लोमपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७४. जे भिखू विज्जापिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७५. जे भिखू संतपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७६. जे भिखू चुण्णपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७७. जे भिखू जोगपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७८. जे भिखू अंतद्धारणपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

६४. जो भिक्षु घातृपिंड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

६५. जो भिक्षु दूतपिंड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

६६. जो भिक्षु त्रैकालिक निमित्त कहकर आहार भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

६७. जो भिक्षु आजीविकपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ६८. जो भिक्षु वनीपकपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ६९. जो भिक्षु चिकित्सापिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७०. जो भिक्षु कोर्पपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७१. जो भिक्षु मानपिण्ड भोगता है यो भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७२. जो भिक्षु मायापिण्ड भोगता या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७३. जो भिक्षु लोभपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७४. जो भिक्षु विद्यापिण्ड भोगता है यो भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७५. जो भिक्षु मंत्रपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७६. जो भिक्षु चूर्णपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७७. जो भिक्षु योगपिण्ड भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।
 ७८. जो भिक्षु अंतर्धानपिण्ड (अदृष्ट रहकर ग्रहण किए हुये आहार को) भोगता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन ७८ सूत्रोक्त स्यानों के सेवन करने वाले को लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

धियेचन—अनेक दूषित प्रवृत्तियों को करके भिक्षु का आहार प्राप्त करना, उत्पादन दोष कहा जाता है । पिठनिवृत्ति में इन दोषों की संख्या सोलह कही है । महां उनमें से १४ दोषों का प्रायश्चित्त कहा गया है तथा 'अंतर्धानपिण्ड' का प्रायश्चित्त अधिक कहा गया है । जिसका समावेश जोगपिण्ड में हो सकता है ।

घातृपिण्ड—घाय के कार्य पांच प्रकार के होते हैं—१. बालक को दूध पिलाना, २. स्नान कराना, ३. वस्त्राभूषण पहिनाना, ४. भोजन कराना, ५. गोद में या काय में रखना । ये कार्य करके गृहस्थ ने आहार प्राप्त करना 'घातृपिण्ड' दोष कहा जाता है ।

दूतोरपिण्ड—दूतों के समान दूधर-उधर की बातें एक दूसरे को कहकर धयवा स्वजन मन्थन्धियों के समाचारों का आदान-प्रदान करके आहारादि लेना ।

आजीविकपिण्ड—जाति-गुण आदि का परिचय बताकर या अपने गुण कहकर आहार प्राप्त करना ।

वनीपकपिण्ड—दान के फल का कथन करते हुए या दाना को धनेक आनीवंपन कहते हुए भिक्षारी को तरह दीनतापूर्वक भिक्षा प्राप्ति करना ।

क्रोर्धापिड—कुपित होकर आहारादि लेना या आहारादि न देने पर आप देने का भय दिखाकर आहारादि लेना ।

मानापिड—भिक्षा न देने पर कहना कि 'मैं भिक्षा लेकर रहूँगा ।' तदनन्तर बुद्धि प्रयोग करके घर के अन्य सदस्य से भिक्षा प्राप्त करना ।

मायापिड—रूप परिवर्तन करके छलपूर्वक भिक्षा प्राप्त करना ।

लोर्भापिड—इच्छित वस्तु मिलने पर विवेक न रखते हुए अति मात्रा में लेना या इच्छित वस्तु न मिले वहाँ तक धूमते रहना, अन्य कल्पनीय वस्तु भी नहीं लेना ।

चिकित्सापिड—गृहस्थ के पूछने पर या बिना पूछे ही किसी रोग के विषय में औषध आदि के प्रयोग बताकर भिक्षा प्राप्त करना अथवा भेरा अमुक रोग अमुक दवा या वैद्य से ठीक हुआ था ऐसा कहकर भिक्षा प्राप्त करना चिकित्सापिड है ।

विद्या, मंत्र, चूर्ण, योग के प्रयोग से आहार प्राप्त करना, श्रद्धश्य रहकर आहार प्राप्त करना तथा निमित्त बताकर आहार प्राप्त करना भी 'उत्पादना' दोष है और इनके सेवन से लघुचीमासी प्रायश्चित्त प्राप्ता है । 'विद्या' आदि पदों की व्याख्या इसी उद्देशक में की गई है, वहाँ से समझ लेना चाहिये ।

इन दोषों के सेवन में दाता के अनुकूल हो जाने पर वह उद्गम दोष लगा सकता है और प्रतिकूल हो जाने पर साधु की अवहेलना या निन्दा कर सकता है, जिससे धर्म की तथा जिनशासन की अपकीर्ति होती है ।

इन पन्द्रह सूत्रों में कहे गये पन्द्रह दोषस्थानों के सेवन में दीनवृत्ति का सेवन होता है । जबकि भिक्षु सदा अदीनवृत्ति से एषणासमिति का पालन करने वाला कहा गया है, अतः उसे इन प्रवृत्तियों द्वारा आहार प्राप्ति का संकल्प भी नहीं करना चाहिये ।

नियुक्तिकार ने उत्पादना के 'भूलकर्म' दोष का गुरुचीमासी प्रायश्चित्त कहा है, और पूर्व-पश्चात् संस्तवदोष का दूसरे उद्देशक में लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है । उत्पादना के शेष दोषों का लघुचीमासी प्रायश्चित्त इन सूत्रों में कहा है ।

तेरहवें उद्देशक का सारांश—

- १-८ सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर, स्निग्ध, सचित्त रजयुक्त पृथ्वी पर, सचित्त मिट्टीयुक्त-पृथ्वी पर, सचित्त पृथ्वी पर, शिला या पत्थर पर तथा जीवयुक्त काष्ठ या भूमि पर खड़ा रहना, बैठना या सोना ।
- ९-११ भित्ति आदि से अनावृत्त ऊँचे स्थानों पर खड़े रहना, बैठना या सोना ।
- १२ गृहस्थ को शिल्प आदि सिखाना ।
- १३-१६ गृहस्थ को सरोप, रुक्ष वचन कहना या अन्य किसी प्रकार से उसको आशातना करना ।
- १७-१८ गृहस्थ के कौतुककर्म या भूतिकर्म करना ।

- १९-२० गृहस्थ से कौतुक प्रश्न करना या उनका उत्तर देना ।
 २१ भूतकाल सम्यन्धी निमित्त बताना ।
 २२-२४ लक्षण, व्यंजन या स्वप्न का फल बताना ।
 २५-२७ गृहस्थ के लिये विद्या, मन्त्र या योग का प्रयोग करना ।
 २८ गृहस्थ को भार्यादि बताना ।
 २९-३० गृहस्थ को धातु या निधि बताना ।
 ३१-४१ पात्र, दर्पण, तलवार आदि सूत्रोक्त पदार्थों में अपना प्रतिबिम्ब देखना ।
 ४२-४५ स्वस्थ होते हुए भी वमन-विरेचन करना या औषध सेवन करना ।
 ४६-६३ पार्यस्य, कुमोल, भ्रवसन्न, संसक्त, नित्यक, काथिक, पश्यनीक (प्रेक्षणिक), मामक, सांप्रसारिक इन नौ को वन्दन करना या इनकी प्रशंसा करना ।
 ६४-७८ उत्पादन के दोषों का सेवन कर आहार ग्रहण करना एवं घाना । इत्यादि प्रवृत्तियाँ करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के ४१ सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- १-११ जीव विराधना वाले स्थानों में तथा विना दियाल वाले ऊँचे स्थानों पर ठहरने का निषेध ।
 —आचा. श्रु. २, अ. ७, उ. १
 तथा—आचा. श्रु. २, अ. २, उ. १
- १२ गृहस्थ को अप्टापद, जुआ आदि सिद्याने का निषेध ।
 —सूय. श्रु. १, अ. ९, गा. १७
- १३-१६ गृहस्थ की भ्राशातना करने का निषेध । —दश. अ. ९, उ. ३, गा. १२
- १७-२७ निमित्त कथन का निषेध । —उत्तरा. अ. ८, अ. १५, अ. १७, अ. २०
 —दश. अ. ८, गा. ५०
- ३१-४१ अपना प्रतिबिम्ब देखना घनाचार कहा गया है । —दश. अ. ३, गा. ३
- ४२-४५ स्वस्थ होते हुए भी वमन-विरेचन करना घनाचार कहा है ।
 —दश. अ. ३, गा. ९
 —सूय. श्रु. १, अ. ९, गा. १२

इस उद्देशक के २७ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- २८ मार्ग भ्रूँच हुए को, शिगमूठ को धीर विपरीत मार्ग में जाने वाले को मार्ग बताने का प्रायश्चित्त ।
 २९-३० गृहस्थ को धातु या निधि बताने का प्रायश्चित्त ।

४५ विना रोग के चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त ।

४६-६३ पार्श्वस्थ आदि को वन्दना करने का तथा उनकी प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त ।

६४-७८ धातु-पिंड आदि भोगने का प्रायश्चित्त ।

संक्षिप्त में उत्पादन दोष रहित आहार ग्रहण करने का कथन आव. अ. ४ तथा प्रश्न. श्रु. २, अ. १ में है । किन्तु वहां अलग-अलग नाम एवं संख्या नहीं कही गई है । पिंडनिर्युक्ति में इनका नाम एवं दृष्टान्तयुक्त विस्तृत विवेचन है ।

इसी तरह पार्श्वस्थ आदि के साथ परिचय करने का निषेध सूय. श्रु. १. अ. ९ तथा अ. १० में है किन्तु वन्दन एवं प्रशंसा का स्पष्ट निषेध नहीं है ।

॥ तेरहवां उद्देशक समाप्त ॥

चौदहवां उद्देशक

पात्र खरीदने आदि का तथा उन्हें ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

१. जे भिक्षू पडिगहं किणोइ, किणावेइ, कीयमाहट्ट देज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिक्षू पडिगहं पामिच्चेइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चमाहट्ट देज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिक्षू पडिगहं परियट्टेइ, परियट्टावेइ, परियट्टिमाहट्ट देज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिक्षू पडिगहं अच्चेज्जं, अणिसिट्ठं, अभिहट्टमाहट्ट देज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु पात्र खरीदता है, खरीदवाता है, खरीदा हुआ लाकर देते हुए से लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु पात्र उधार लेता है, उधार लिवाता है, उधार लाकर देते हुए से लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु पात्र को गृहस्थ के अन्य पात्र से बदलता है, बदलवाता है, बदला हुआ लाकर देने वाले से लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु दानकर दिया जाता हुआ, दो स्वामियों में से एक की इच्छा बिना दिया हुआ धीरे सामने लाकर दिया हुआ पात्र लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघु-शातुर्मासिक प्रायश्चित्त माता है ।]

विशेषण—इन चार मूर्तों में पात्र सम्बन्धी छह उद्गम दोषों के प्रायश्चित्तों का कथन है ।

छह उद्गम दोष—

१. क्रीत—खरीदा हुआ पात्र

२. प्राप्त्य—उधार लिया हुआ पात्र

३. परिवर्तित—बदला हुआ पात्र

४. आरिद्ध—दानकर लाया हुआ पात्र

५. अनिमृष्ट—भागीदार की आज्ञा किए बिना लाया हुआ पात्र

६. अभिहृत—घर में लाकर उपाश्रम में दिया जाने वाला पात्र ।

पहले, दूसरे और तीसरे सूत्र में क्रीतादि तीन उद्गम दोषों का क्रमशः प्रायश्चित्त कथन है । चौथे सूत्र में शेष तीन उद्गम दोषों का एक साथ प्रायश्चित्त कथन है ।

साधु स्वयं पात्रविक्रेता से पात्र खरीदे और पात्र का मूल्य किसी अनुरागी गृहस्थ से पात्र-विक्रेता को दिलावे, यह साधु का पात्र खरीदना है ।

किसी अनुरागी गृहस्थ को पात्र खरीदकर लाने के लिए साधु द्वारा कहना, यह साधु का पात्र खरीदवाना है ।

इसी प्रकार साधु द्वारा उधार लेना, लिवाना और परिवर्तन करना, करवाना भी सम्भ्र लेना चाहिए ।

ये तीनों दोष परिग्रह महाव्रत के अतिचार रूप हैं ।

शेष तीन दोष गृहस्थ द्वारा लगाए जाने का प्रायश्चित्त कहा गया है । क्योंकि वे दोष साधु द्वारा लगाए जाना सम्भव नहीं है ।

अथवा कदाचित् कोई ऐसी अमर्यादित प्रवृत्ति कर ले तो उसे प्रस्तुत सूत्रोक्त लघुचौमासी प्रायश्चित्त नहीं आता है किन्तु गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

आच्छिन्न दोष का सेवन प्रथम एवं तृतीय महाव्रत के अतिचार रूप है ।

अनिमृष्ट दोष का सेवन तीसरे महाव्रत का अतिचार रूप है ।

अभिहृद् दोष का सेवन प्रथम महाव्रत का अतिचार रूप है ।

ये छहों दोष एषणासमिति के उद्गम दोष कहे गये हैं ।

१. क्रीत—भिक्षु परिग्रह का पूर्ण त्यागी होता है अतः क्रय-विक्रय करना उसका आचार नहीं है । आवश्यक उपधि और भोजन वह भिक्षावृत्ति से ही प्राप्त करता है । उत्तरा. अ. ३५, गा. १३-१५ में कहा है कि—

भिक्षु सोने-चांदी की मन से भी कामना न करे, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखे और क्रय-विक्रय की प्रवृत्ति से विरत रहे ।

खरीदने वाला क्रेता (ग्राहक) होता है और बेचने वाला व्यापारी होता है । भिक्षु भी यदि क्रय-विक्रय के कार्य करे तो वह जिनाज्ञा का आराधक नहीं होता है ।

अतः भिक्षाजीवी भिक्षु को भिक्षा से ही प्रत्येक वस्तु प्राप्त करना चाहिये, किन्तु खरीदना नहीं चाहिये । क्योंकि क्रय-विक्रय करना भिक्षु के लिये महादोष है और भिक्षावृत्ति महान् सुखकर है । —उत्तरा. अ. ३५ गा. १३-१५.

दशवै. अ. ३, गा. ३ में क्रीतदोष युक्त अर्थात् साधु के भाव से गृहस्थ द्वारा खरीदी हुई वस्तु ग्रहण करना भिक्षु के लिये अनाचार कहा गया है ।

दशवै. अ. ६, गा. ४८ में कहा है कि “क्रीत आदि दोष युक्त आहारादि ग्रहण करने वाला भिक्षु उस पदार्थ के धनने में होने वाले पाप का अनुमोदनकर्ता होता है ।” यह अनुमोदन का तीसरा प्रकार है । अनुमोदन के तीन प्रकार—

१. मन से अचछा समझना
२. वचन में अचछा कहना
३. काया से उसे स्वीकार करना अर्थात् उपयोग में लेना ।

अतः भिक्षु के लिये बनाये गये या खरीदे गये पदार्थ यदि वह नहीं ले तो उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है । यदि वह ग्रहण करके उसका उपयोग करे तो कायिक अनुमोदन का दोष लगता है ।

आचा. श्रु. २, अ. ६ में साधु के लिये खरीदे गये पात्र को साधु के न लेने पर यदि गृहस्थ अपने उपयोग में ले लेता है तो कालान्तर में फिर कभी वही भिक्षु उस पात्र को ग्रहण कर सकता है । क्योंकि यह पात्र "पुरापान्तरकृत" हो गया है ।

आना. श्रु. २, अ. १, उ. १ के अनुसार इस तरह पुरापान्तरकृत बना हुआ आहार-पानी ग्रहण नहीं किया जा सकता ।

उत्तरा. अ. २०, गा. ४७ में औद्देशिक, क्रीत आदि दोषों का सेवन करने वाले भिक्षु को अग्नि की उपमा देते हुए सर्वभक्षी कहा है ।

अतः साधु को खरीदने की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये तथा साधु के निमित्त खरीदे गये पदार्थ भी उसे ग्रहण नहीं करने चाहिये ।

प्राप्त्य—साधु किसी से पात्र उधार लाए, बाद में उसका मूल्य गृहस्थ दे तो इस प्रकार की प्रवृत्ति भी भिक्षु को नहीं करनी चाहिये । ऐसा करने से अनेक दोषों की परम्परा बढ़ती है तथा कभी धर्म की अपहेलना भी हो सकती है ।

यदि कोई गृहस्थ भिक्षु के लिये पात्र आदि उधार लाकर दे तो भी ग्रहण करना नहीं कल्पता है । यह भी एषणा का दोष है । यदि उधार लाने वाला गृहस्थ परिस्थितिवश मूल्य नहीं चुका सकेगा तो वह महान्दृष्टी भी बन सकता है, अतः ऐसा दोषयुक्त पात्र भिक्षु के लिये अग्रहण है ।

परिषत्तित—अपना पात्र देकर बदले में दूसरा पात्र गृहस्थ से लेना यह परिवर्तन करना कहलाता है । ऐसा स्वयं करना तथा कराना साधु को नहीं कल्पता है तथा गृहस्थ भी अन्य गृहस्थ से इस प्रकार पात्र परिवर्तन करके साधु को दे तो ऐसा पात्र लेना भी दोषयुक्त है । ऐसा करने पर उस परिवार के स्वजन-परिजन नाराज हो सकते हैं । साधु द्वारा गृहस्थ को दिया गया पात्र यदि घर से जाने पर फूट जाए तो उसे मानना हो सकती है कि 'मुझे फूटा पात्र दे दिया होगा ।' उस पात्र में आहार आदि का सेवन करने से यदि कोई बीमार हो जाए या मर जाए तो आश्रित से साधु के प्रति द्वेष भाव हो सकता है, जिससे अन्य अनेक अनर्थों के होने की सम्भावना रहती है । अतः भिक्षु स्वयं गृहस्थ से पात्र का परिवर्तन न करे तथा कोई श्रद्धालु गृहस्थ इस प्रकार पात्र परिवर्तन करके दे तो भी साधु ग्रहण न करे ।

आना. श्रु. २, अ. ५ तथा ६, उ. २ में कहा गया है कि 'भिक्षु अन्य भिक्षु के माय भी इस प्रकार पात्रादि का परिवर्तन न करे ।'

आश्रित—यदि कोई अन्नदान् स्वयं गृहस्थ के प्रभाव से किसी निर्वृत व्यक्ति पर दयावत् ढालकर उगरे पात्र को धीनकर से खीरे वह पात्र साधु को दे अथवा उगरे ही दिननामे तो वह

“आर्द्धित्र” दोपयुक्त होता है। क्योंकि उसे लेने से निर्बल व्यक्ति को दुःख होता है, वह कभी द्वेष में आकर किसी समय साधु से पात्र छीन सकता है, फोड़ सकता है या अन्य किसी प्रकार से कष्ट दे सकता है।

अनिसृष्ट—यदि कहीं कुछ पात्र अनेक भागीदारों के स्वामित्व वाले हों तो उनमें से कोई एक भागीदार के देने की इच्छा हो, अन्य भागीदारों के देने की इच्छा न हो और उनकी अनुमति लिये बिना ही कोई साधु को पात्र दे तो वह अनिसृष्ट दोप वाला पात्र होता है।

अथवा कोई नौकर सेठ की इच्छा बिना या घर का कोई सदस्य घर के मुखिया की इच्छा बिना दे तो भी वह पात्र अनिसृष्ट दोपयुक्त होता है।

ऐसे पात्र लेने पर वाद में बलेश की वृद्धि हो सकती है और कोई साधु से पात्र आदि पुनः मांगने के लिये भी आ सकता है या अन्य उपसर्ग भी कर सकता है। भविष्य में पात्रादि की प्राप्ति दुर्लभ हो सकती है।

अभिहृत—यदि कोई गृहस्थ अपने घर से पात्र लाकर उपाश्रय में देवे अथवा अन्य किसी स्थान से या किसी ग्राम से साधु के लिये पात्र लाकर घर में रखे तो वह पात्र “अभिहृत” दोपयुक्त होता है। ऐसा पात्र लेने पर मार्ग में होने वाली जीवों की विराधना का अनुमोदन होता है। दशवै. अ. ३ में इसे अनाचार कहा गया है। पैदल चल कर आने वाला या वाहन से आने वाला ब्रह्म और स्थावर जीवों की हिंसा करता है, मार्ग में वर्षा या नदी भी आ सकती है। लाने वाला व्यक्ति आधाकर्म, श्रूत आदि दोपयुक्त पात्र भी ला सकता है। अतः सामने लाया गया पात्र नहीं लेना चाहिये।

इन छह दोषों में से दो दोषों को दश. अ. ३ में अनाचार कहा गया है। “परिवर्तित” दोष को छोड़कर शेष ५ को दशा. द. २ में सबलदोष भी कहा गया है। आचा. श्रु. २, अ. १-२-५-६ आदि में इन ५ दोषों से युक्त आहार, वस्त्र, पात्र को लेने का निषेध है।

अतः इन छहों को उद्गम के दोष जानकर इनका त्याग करना चाहिये। किसी परिस्थिति विशेष में इन दोषों से युक्त पात्र लेना पड़े तो लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

अतिरिक्त पात्र गरीबों की आज्ञा लिए बिना देने का प्रायश्चित्त—

५. जे भिखू अइरेगपडिगहं गणि उद्दिसिय, गणि समुद्दिसिय, तं गणि अणापुच्छिय अणामंतिय अणमणस्स वियरइ, वियरंतं वा साइज्जइ ।

५. जो भिक्षु गणी के निमित्त अधिक पात्र ग्रहण करके गणी को पूछे बिना या निमन्त्रण किये बिना अन्य किसी को देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—भिक्षु को कल्पनीय और योग्य लकड़ी के पात्र सर्वत्र निर्दोष नहीं मिलते हैं। तुम्हें के पात्र सर्वत्र सुलभ नहीं होते हैं और मिट्टी के पात्र सर्वत्र सुलभ होते हैं, किन्तु वे सुविधा वाले नहीं होते हैं। वे विशेष परिस्थिति में कभी-कभी काम में आते हैं।

सकही के पात्र जहाँ सुलभ हों उधर से विचरण करते हुए कोई भिक्षु आचार्य के पास पा रहे हों या उधर विचरण करने जा रहे हों, उनके साथ गच्छ की आवश्यकता के लिये कुछ प्रतिरिक्त पात्र मंगा लिये जाते हैं। कभी अत्यन्त आवश्यक हो जाने पर पात्र लाने के लिये ही भिक्षुओं को भेजा जा सकता है। जितने पात्र मंगामे गये हों उससे अधिक भी मिल जाएँ और उचित समझें तो यह ला सकता है किन्तु आचार्य की आज्ञा बिना किसी को देना नहीं कल्पता है। जाते समय ही मार्ग में कोई अन्य भिक्षु मिल जाय और वह कहे कि और अधिक मिलते हों तो मेरे लिये भी कुछ पात्र लाना। उस समय यदि आचार्य निकट हों तो उनकी आज्ञा लेकर के ही लाना चाहिए। यदि आचार्य दूर हों तो बिना आज्ञा भी ला सकता है किन्तु लाने के बाद उनकी आज्ञा लेकर के ही मंगाने वाले को दे सकता है। उन्हें बताया बिना और उनसे पूछे बिना किसी को देने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है।

भाष्यकार ने यह भी स्पष्टीकरण किया है कि मार्ग में किसी साधु की विशेष परिस्थिति देखकर पात्र देना आवश्यक समझे तो गौतम्य साधु स्वयं भी निर्णय करके पात्र दे सकता है और बाद में आचार्य को पात्र देने की जानकारी दे सकता है।

एक गच्छ में अनेक आचार्य, अनेक वाचनाचार्य, प्रब्राज्जनाचार्य आदि हों तो सामान्य रूप में आचार्य का निर्देश करके पात्र लाना 'उद्देश' है तथा किसी आचार्य का नाम निर्देश करके पात्र लाना 'समुद्देश' है।

प्रतिरिक्त लाये गये पात्र आचार्य की सेवा में समर्पित करना—'देना' है और निमन्त्रण करना 'निमन्त्रण' है। अन्य किसी को देना हो तो उसके लिए आज्ञा प्राप्त करना 'वृच्छना' है।

व्ययहार सूत्र उद्वे. ८ में ऐसे प्रतिरिक्त पात्र दूर क्षेत्र से लाने का कल्प बताया है। यहाँ एक दूगरे के लिए पात्र लाने का सामान्य विधान है साथ ही गणी को पूछे बिना या निमन्त्रण दिये बिना किसी को पात्र देने का निषेध भी किया है। उन्हें पूछकर निमन्त्रण करके बाद में अन्य को देने का विधान किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में गणी की आज्ञा के बिना पात्र लाने एवं देने का प्रायश्चित्त कहा है।

प्रतिरिक्त पात्र देने न देने का प्रायश्चित्त—

६. जे भिक्षु अद्वरेणं पट्टिमहं, छुट्टगस्त वा, छुट्टियाए वा, धेरगस्त वा, धेरियाए वा, अहृत्प-
च्छिदणस्त, अपापच्छिदणस्त, अकणच्छिदणस्त, अणाताच्छिदणस्त, अपोठुच्छिदणस्त, सचस्त देह, देतं
वा साइज्जइ ।

७. जे भिक्षु अद्वरेणं पट्टिमहं, छुट्टगस्त वा, छुट्टियाए वा, धेरगस्त वा, धेरियाए वा, हृत्प-
च्छिदणस्त, पापच्छिदणस्त, कणच्छिदणस्त, आताच्छिदणस्त, ओठुच्छिदणस्त, आतकरता न वेह, न देतं
वा साइज्जइ ।

६. जो भिक्षु बात गाधु-भाष्यो के लिए, प्रथया यद्द साधु-साध्वो के लिए जिनने कि हाण, वेर, वान, नाक, होंठ कटे हुए नहीं है, मगस है, उणे प्रतिरिक्त-पात्र रखने की अनुमति देता है या देने माने का अनुमोदन करता है।

७. जो भिक्षु बाल साधु-साध्वी के लिए अथवा वृद्ध साधु-साध्वी के लिए जिनके कि हाथ, पैर, कान, नाक, होंठ कटे हुए हैं अथवा जो अशक्त है, उसे अतिरिक्त पात्र रखने की अनुज्ञा नहीं देता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पूर्व सूत्र में आवश्यकता से अधिक लाये गये सामान्य पात्र सम्बन्धी वर्णन है। इन सूत्रों में कल्पमर्यादा से अधिक पात्र रखने के लिए देने का वर्णन है।

भाष्य गाथा ४५२४ तथा उसकी चूर्ण में कहा गया है कि दो प्रकार के पात्र तीर्थकरों के द्वारा अनुज्ञात हैं, यथा—१. पात्र, २. मात्रक। इस के सिवाय तीसरा पात्र ग्रहण करना 'अतिरिक्त पात्र' है। पात्र एवं मात्रक की संख्या विषयक विवेचन सोलहवें उद्देशक में देखें।

खुडुक-खुडुका—नौ वर्ष की उम्र से लेकर १६ वर्ष की उम्र तक के साधु या साध्वी बालक वय वाले कहे जाते हैं। इनको आगम में 'खुडुग' या 'डहर' कहा गया है।

थेर-स्यविर—स्यविर तीन प्रकार के कहे गये हैं—१. उम्र से, २. ज्ञान से, ३. संयम पर्याय से। यहाँ पर केवल ६० वर्ष की उम्र वाले स्यविर का ही कथन समझना चाहिए।

हृत्पछिन्न आदि—सूत्र में हाथ, पाँव, ओष्ठ, नाक और कान कटे हुए का कथन है। इनका तात्पर्य यह कि किसी भी प्रकार से विकलांग हो, यथा—अन्धा, बहुरा, लंगड़ा आदि। यद्यपि ऐसे विकलांगों को दीक्षा नहीं दी जाती है तथापि संयम लेने के बाद भी किसी कारण से कोई विकलांग हो सकता है, यहाँ इसी अपेक्षा से यह कथन समझना चाहिए।

असवक-अशक्त—जो भिक्षु विकलांग तो नहीं है किन्तु अशक्त है अर्थात् निरन्तर विहार से थके हुए, रोग से घिरे हुए या अन्य किसी परीपह से घबराये हुए साधु या साध्वी को यहाँ अशक्त कहा गया है।

इस सूत्र का भावार्थ दो प्रकार से किया जा सकता है—

१. बालक या वृद्ध साधु-साध्वी जो अशक्त हो या विकलांग हो उसे अतिरिक्त पात्र दिया जा सकता है किन्तु तरुण साधु-साध्वी को और अविकलांग सशक्त बाल-वृद्ध को अतिरिक्त पात्र नहीं दिया जा सकता।

२. आदि एवं अन्त के कथन से मध्य का ग्रहण हो जाता है, इस न्याय से आबाल-वृद्ध कोई भी साधु-साध्वी विकलांग या अशक्त हो तो उसे अतिरिक्त पात्र दिया जा सकता है किन्तु सशक्त और अविकलांग को नहीं दिया जा सकता। क्योंकि विकलांग या रोगग्रस्त, तरुण साधु-साध्वी भी बाल एवं वृद्ध के समान ही अनुकम्पा के योग्य होते हैं। रोग आदि से तरुण भी अशक्त हो जाता है।

विकलांग व अशक्त को अतिरिक्त पात्र देने का कारण यह है कि उसके औपघोषचार, पथ्य-परहेज आदि के लिए अतिरिक्त पात्र आवश्यक होता है। मल, मूत्र या कफ आदि परठने के लिए अलग-अलग पात्र आवश्यक होते हैं, अथवा विकलांग होने के कारण या अशक्ति के कारण पात्र फूट जाने की सम्भावना अधिक रहती है और वह स्वयं गवेषण करके नहीं ला सकता है, तब वह अतिरिक्त पात्र से अपना कार्य कर सकता है।

दोनों मूत्रों में जो प्रायश्चित्त विधान है वह गण-प्रमुख के लिए है। उन्हें ही यह निर्णय करना होता है कि कौनसे गाधु या माध्वी प्रतिरिक्त पात्र देने के योग्य हैं और कौन अयोग्य हैं।

अयोग्य पात्र रखने का तथा योग्य पात्र परठने का प्रायश्चित्त—

८. जे भिखू पट्टिगहं अणलं, अघिरं, अघुयं, अघारणिज्जं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिखू पट्टिगहं अलं, चिरं, धुयं, धारणिज्जं न धरेइ, न धरेंतं वा साइज्जइ ।

८. जो भिक्षु काम के अयोग्य, अस्थिर, अध्रुव और धारण करने के अयोग्य पात्र को धारण करता है वा धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

९. जो भिक्षु काम के योग्य, स्थिर, ध्रुव और धारण करने योग्य पात्र को धारण नहीं करता है वा धारण नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे सधुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त भाता है।)

विवेचन—पात्र आदि सभी प्रकार के उपकरण जब तक उपयोग में आने योग्य रहें तब तक उपयोग में लेने चाहिए। उन्हें परठ देना या गूहस्य के पास छोड़ देना उचित नहीं है। पात्र उपयोग में लेते-लेते घराब भी हो सकता है, कमी फूट भी सकता है तो भी उपयोग में आने योग्य रहे तब तक उसे परठना या छोड़ना नहीं चाहिए।

यदि पात्र उपयोग में आने योग्य नहीं हो, प्रतिरोधन या जीवरक्षा पूर्णतया नहीं हो गयी हो अथवा बेगली या बन्धन, तीन से अधिक हो गये हों तो उस पात्र को रखना नहीं करपता है।

उपयोग में न आने योग्य पात्र को रखने में उस पात्र के प्रति ममत्वभाव हो सकता है, यथा— 'यह मेरी बीमा का पात्र है' इत्यादि। किन्तु भिक्षु को ममत्व न करके उसे त्याग देना चाहिए।

इन दो मूत्रों में उपयोग में आने योग्य पात्र को त्याग देने का तथा अनुपयोगी पात्र को रखने का सधुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है। अथन या बेगलिया अधिक लगाने एवं रखने का प्रायश्चित्त प्रथम उद्देशक में कहा गया है।

मूत्र में प्रयुक्त 'अणलं' आदि वस्तुओं का विवेचन पाँचवें उद्देशक में देखें।

पात्र का धर्ण परिवर्तन करने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भिखू यणमंतं पट्टिगहं विवणं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिखू विवणं पट्टिगहं यणमंतं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

१०. जो भिक्षु धर्ण करने वाले पात्र को विवर्ण करता है वा विवर्ण करने वाले का अनुमोदन करता है।

११. जो भिक्षु विवर्ण पात्र को धर्ण करने वाला करता है वा धर्ण करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे सधुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त भाता है।)

विवेचन—पात्र यदि दिखने में विद्रूप हो किन्तु उपयोग में आने योग्य हो तो उसे सुन्दर बनाने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

पात्र यदि अत्यन्त सुन्दर मिला हो तो उसे दूसरा कोई माँग न ले या आचार्यादि स्वयं न ले लें ग्रथवा कोई चुरा न ले जाए, ऐसी भावना से पात्र को विद्रूप करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए ।

संयम-आराधना में उक्त दोनों प्रकार के संकल्प एवं प्रयत्न अनावश्यक हैं । अतः भिक्षु को इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए ।

पात्र परिकर्म करने के प्रायश्चित्त—

१२. जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पघोएंतं वा साइज्जइ ।

१३. जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेवसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पघोएंतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेवसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिक्खू “डुड्ढिग्गंधे मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पघोएंतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिक्खू “डुड्ढिग्गंधे मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेवसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पघोएंतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिक्खू “डुड्ढिग्गंधे मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ ।

१९. जे भिक्खू “डुड्ढिग्गंधे मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेवसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३. जो भिक्षु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

दोनों सूत्रों में जो प्रायश्चित्त विधान है वह गण-प्रमुख के लिए है। उन्हें ही यह निर्णय करना होता है कि कौनसे माधु या साध्वी अतिरिक्त पात्र देने के योग्य हैं और कौन अयोग्य हैं।

अयोग्य पात्र रखने का तथा योग्य पात्र परठने का प्रायश्चित्त—

८. जे भिक्खू पडिग्गहं अणलं, अयिरं, अधुवं, अधारणिज्जं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिक्खू पडिग्गहं अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं न धरेइ, न धरेंतं वा साइज्जइ ।

८. जो भिक्षु काम के अयोग्य, अस्थिर, अध्रुव और धारण करने के अयोग्य पात्र को धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

९. जो भिक्षु काम के योग्य, स्थिर, ध्रुव और धारण करने योग्य पात्र को धारण नहीं करता है या धारण नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पात्र आदि सभी प्रकार के उपकरण जब तक उपयोग में आने योग्य रहें तब तक उपयोग में लेने चाहिए। उन्हें परठ देना या गृहस्थ के पास छोड़ देना उचित नहीं है। पात्र उपयोग में लेते-लेते खराब भी हो सकता है, कभी फूट भी सकता है तो भी उपयोग में आने योग्य रहे तब तक उसे परठना या छोड़ना नहीं चाहिए।

यदि पात्र उपयोग में आने योग्य नहीं हो, प्रतिलेखन या जीवरक्षा पूर्णतया नहीं हो सकती हो अथवा धेगली या बन्धन, तीन से अधिक हो गये हों तो उस पात्र को रखना नहीं कल्पता है।

उपयोग में न आने योग्य पात्र को रखने में उस पात्र के प्रति ममत्त्वभाव हो सकता है, यथा— 'यह मेरी दीक्षा का पात्र है' इत्यादि। किन्तु भिक्षु को ममत्व न करके उसे त्याग देना चाहिए।

इन दो सूत्रों में उपयोग में आने योग्य पात्र को त्याग देने का तथा अनुपयोगी पात्र को रखने का लघुचोमासी प्रायश्चित्त कहा है। बन्धन या धेगलियाँ अधिक लगाने एवं रखने का प्रायश्चित्त प्रथम उद्देशक में कहा गया है।

सूत्र में प्रयुक्त 'अणलं' आदि शब्दों का विवेचन पाँचवें उद्देशक में देखें।

पात्र का वर्ण परिवर्तन करने का प्रायश्चित्त—

१०. जे भिक्खू वण्णमंतं पडिग्गहं विवण्णं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिक्खू विवण्णं पडिग्गहं वण्णमंतं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

१०. जो भिक्षु अर्द्धे वर्ण वाले पात्र को विवर्ण करता है या विवर्ण करने वाले का अनुमोदन करता है।

११. जो भिक्षु विवर्ण पात्र को अर्द्धे वर्ण वाला करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पात्र यदि दिखने में विद्रूप हो किन्तु उपयोग में आने योग्य हो तो उसे सुन्दर बनाने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

पात्र यदि अत्यन्त सुन्दर मिला हो तो उसे दूसरा कोई माँग न ले या आचार्यादि स्वयं न ले लें अथवा कोई चुरा न ले जाए, ऐसी भावना से पात्र को विद्रूप करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए।

संयम-आराधना में उक्त दोनों प्रकार के संकल्प एवं प्रयत्न अनावश्यक है। अतः भिक्षु को इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए।

पात्र परिकर्म करने के प्रायश्चित्त—

१२. जे भिषखू “नो नवए मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पधोएंतं वा साइज्जइ।

१३. जे भिषखू “नो नवए मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पधोएंतं वा साइज्जइ।

१४. जे भिषखू “नो नवए मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ।

१५. जे भिषखू “नो नवए मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ।

१६. जे भिषखू “दुब्भिगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पधोएंतं वा साइज्जइ।

१७. जे भिषखू “दुब्भिगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोल्लेंतं वा पधोएंतं वा साइज्जइ।

१८. जे भिषखू “दुब्भिगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ।

१९. जे भिषखू “दुब्भिगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोल्लेंतं वा उव्वल्लेंतं वा साइज्जइ।

१२. जो भिक्षु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है।

१३. जो भिक्षु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है।

१४. जो भिक्षु "मुझे नया पात्र नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या बहुत लोघ्र से यावत् वर्ण से एक बार या बार-बार लेप करता है या लेप करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५. जो भिक्षु "मुझे नया पात्र नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के रात रखे हुए लोघ्र यावत् वर्ण से एक बार या बार-बार लेप करता है या लेप करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१६. जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोता है या धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या बहुत लोघ्र से यावत् वर्ण से एक बार या बार-बार लेप करता है या लेप करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को रात रखे हुए लोघ्र यावत् वर्ण से एक बार या बार-बार लेप करता है या लेप करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु पात्र को गवेपणा करते समय ऐसा ही पात्र ले कि उसमें किसी प्रकार का परिक्रम न करना पड़े । यदि गवेपणा करते हुए भी बहुत पुराना पात्र मिले या कोई अमनोज्ञ गन्ध वाला पात्र मिले तो उसे धोने या सुगन्धित करने की प्रवृत्ति न करे ।

यहाँ पहले श्रीर तीसरे सूत्र में अल्प या अधिक जल से धोने का या कल्कादि से मुगंधित करने का प्रायश्चित्त कहा है । उसके बाद दूसरे श्रीर चौथे सूत्र में बहुदैवसिक जल से धोने का या कल्कादि से सुगंधित करने का प्रायश्चित्त कहा है ।

तात्पर्य यह है कि यदि संयम या स्वास्थ्य के लिये किंचित् भी प्रतिकूल न हो तो अल्प या अधिक जल से या कल्कादि से न धोए, न मुगंधित करे । किन्तु आवश्यक होने पर धोना पड़े तो अनेक दिनों तक न धोए तथा रात्रि में उन धोने और सुगन्धित करने के पदार्थों को पात्र में न रखे ।

भाष्यकार ने कहा है कि यदि वह पात्र विपैले पदार्थ या मंत्र से प्रभावित हो अथवा मद्य आदि की गन्ध युक्त हो तो अपवाद रूप में अनेक दिनों तक कल्कादि या जल रखकर उसे शुद्ध किया जा सकता है । अथवा कमी क्षार द्रव्यों से भी शुद्ध किया जा सकता है ।

इन सूत्रों में अकारण धोने आदि का तथा कारण होने पर रात में वासी रखकर धोने आदि का प्रायश्चित्त कहा है ।

यहाँ कुल आठ सूत्र हैं—चार पुराने पात्रों के और चार दुर्गन्ध युक्त पात्रों के ।

भाष्य चूर्णिकार ने इतने ही सूत्रों का कथन करते हुए व्याख्या की है। इससे अधिक सूत्रों का होना सम्भव नहीं लगता है।

उपलब्ध प्रतियों में तेलान्दि के ४ सूत्र अधिक मिलने से १२ सूत्र होते हैं। कुछ प्रतियों में सुगन्धित और नए पात्र के भी सूत्रालापक दिये हैं। यों अनेक प्रकार से और भिन्न-भिन्न संख्या में ये सूत्र मिलते हैं। जिनकी जघन्य संख्या ८ है और उत्कृष्ट संख्या २६ है। जो भाष्य चूर्णिकार के बाद कभी जोड़ दिये गये प्रतीत होते हैं तथा इसका कारण भी अज्ञात है।

सूत्रपाठ में "बहुदेसिएण" और "बहुदेवसिएण" एक सरीखे शब्द होने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भी कभी लिपि दोष हुआ हो।

सूत्र पाठ के निर्णय में निम्न भाष्य-चूर्ण के स्थल उपयोगी हैं—

दग कक्कादि अणवे, तेहि बहुदेसितेहि जे पादं ।

एमेव य दुग्गंधं, धुवण-उवट्टंत आणादी ॥४६४२॥

सुत्ते बहुदेसेण वा पादो, बहुदेवसितेण वा । एक्का पसली दो वा तिण्णि वा पसलीओ देसो भण्णति, तिण्हं परेण बहुदेसो भण्णति । अणाहारादि कक्केण वा संवासितेण, एत्थ एग राति संवासितं तं पि बहुदेवसियं भवति ।

वित्तिय सुत्ते एसेवत्थो णवरं—बहुदेवसितेहि सीओद-उसिणोदेहि वत्तवं । तत्तिय सुत्ते कक्को, चउत्थ सुत्ते कक्कादिएहि चेव बहुदेवसिएहि । जहा अणवपादे चउरो सुत्ता भणिता तथा दुग्गंधे वि चउरो सुत्ता भाणियत्त्वा ।

इन व्याख्यायों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले चार सूत्र पुराने पात्र की अपेक्षा से हैं। इनमें भी पहले दो सूत्र जल से धोने के हैं और बाद के दो सूत्र कल्कादि लगाने के हैं। इसी तरह चार सूत्र बाद में दुग्ंध युक्त पात्र की अपेक्षा से हैं। कुल आठ सूत्र हैं। इसमें प्रथम सूत्र में "बहुदेसिएण" पद है और दूसरे सूत्र में "बहुदेवसिएण" पद है, यह भी चूर्ण से स्पष्ट हो जाता है। अतः इसी क्रम से आठ सूत्र मूल पाठ में रखे गये हैं।

अकल्पनीय स्थानों में पात्र सुखाने के प्रायश्चित्त—

२०. जे भिक्खू अणंतरहियाए पुढवीए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिक्खू ससिणिट्ठाए पुढवीए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

२२. जे भिक्खू ससरक्खाए पुढवीए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

२३. जे भिक्खू मट्टियाकडाए पुढवीए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

२४. जे भिक्खू चित्तमंताए पुडवीए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

२५. जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

२६. जे भिक्खू चित्तमंताए लेलूए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

२७. जे भिक्खू कोलावासंसि वा दाए जीवपइट्टिए सअंडे जाव मक्कडासंताणए पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिक्खू धूणंसि वा, गिहेलुयंसि वा, उमुयालंसि वा, कामजलंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतत्तिवखजायंसि दुब्बद्धे जाव चलाचले पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिक्खू कुलियंसि वा, भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतत्तिवखजायंसि दुब्बद्धे जाव चलाचले पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिक्खू खंधंसि वा जाव हम्मत्तलंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतत्तिवखजायंसि दुब्बद्धे जाव चलाचले पडिग्गहं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा साइज्जइ ।

२०. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है या सुपाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु सचित्त जल से स्निग्ध पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है या सुपाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु सचित्त रज से मुक्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है या सुपाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु सचित्त मिट्टी विधरी हुई पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है या सुपाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२५. जो भिक्षु सचित्त शिला पर पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. जो भिक्षु सचित्त शिलाघण्ट आदि पर पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२७. जो भिक्षु दीमक आदि जीव-युक्त काण्ड पर तथा अंडे युक्त स्थान पर यावत् मकड़ी के जाले से युक्त स्थान पर पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. जो भिक्षु स्तम्भ, देहली, ऊखल या स्नान करने की चौकी पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्षजात (आकाशीय) स्थान पर, जो कि भलीभांति बंधा हुआ नहीं है यावत् चलाचल है, वहाँ पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

२९. जो भिक्षु मिट्टी की दीवार पर, ईंट की दीवार पर, शिला पर या शिलाखण्ड आदि पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्षजात [आकाशीय] स्थान पर, जो कि भलीभांति बंधा हुआ नहीं है यावत् चलाचल है, वहाँ पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

३०. जो भिक्षु स्कन्ध पर यावत् महल की छत पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्षजात [आकाशीय] स्थान पर, जो कि भलीभांति बंधा हुआ नहीं है यावत् चलाचल है, वहाँ पात्र को सुखाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।]

विवेचन—आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १ में उक्त ग्यारह स्थानों में पात्र को सुखाने का निषेध है । इनमें से आठ स्थानों का निषेध केवल जीव-विराधना के कारण है और शेष तीन स्थानों में जीव-विराधना के साथ-साथ पात्र के गिर जाने पर उसके फूट जाने की तथा साधु के गिर जाने की भी सम्भावना रहती है । अतः ऊपर से पात्र न गिरे ऐसे सुरक्षित स्थान में पात्र सुखाए जा सकते हैं ।

पूर्व सूत्र में पात्र धोने का प्रायश्चित्त कहा है । किसी विशेष कारण से धोने के बाद धूप में सुखाने की आवश्यकता हो तो अयोग्य स्थानों में सुखाने का यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है ।

इन ग्यारह सूत्रों में आये हुए शब्दों के विशेषार्थ और विवेचन तेरहवें उद्देशक के प्रारम्भ के ग्यारह सूत्रों में दे दिए हैं । वहाँ उक्त स्थानों में खड़े रहने या ठहरने आदि के प्रायश्चित्त कहे हैं । यहाँ उन्हीं स्थानों में पात्र सुखाने का प्रायश्चित्त कहा है । इसी प्रकार इन ग्यारह स्थानों में मल-मूत्र त्यागने का तथा वस्त्र सुखाने का प्रायश्चित्त सोलहवें और अठारहवें उद्देशक में है । सर्वत्र ग्यारह सूत्र समान हैं ।

त्रस प्राणी आदि निकालकर पात्र ग्रहण करने के प्रायश्चित्त—

३१. जे भिक्खू पडिग्गहाओ तसपाणजाइं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३२. जे भिक्खू पडिग्गहाओ ओसहि-बीयाइं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३३. जे भिक्खू पडिग्गहाओ कंदाणि वा, मूलाणि वा, पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, फलाणि वा नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु, देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३४. जे भिबखू पडिग्गहाओ पुढविकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३५. जे भिबखू पडिग्गहाओ आउवकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३६. जे भिबखू पडिग्गहाओ तेउवकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३१. जो भिक्षु पात्र से प्रस प्राणियों को निकालता है, निकलवाता है अथवा निकाल कर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३२. जो भिक्षु पात्र से गेहूं आदि धान्य को और जीरा आदि बीज को निकालता है, निकलवाता है अथवा निकालकर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३३. जो भिक्षु पात्र से सचित्त कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल निकालता है, निकलवाता है अथवा निकाल कर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३४. जो भिक्षु पात्र से सचित्त पृथ्वीकाय को निकालता है, निकलवाता है अथवा निकाल कर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु पात्र से सचित्त अप्पाय को निकालता है, निकलवाता है अथवा निकाल कर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३६. जो भिक्षु पात्र से सचित्त अग्निकाय को निकालता है, निकलवाता है अथवा निकाल कर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।]

विशेष—पात्र की गवेषणा करते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

१. पात्र में यदि मकड़ी आदि प्रस जीव हों तो नहीं लेना ।
२. उसमें धान्य या बीज रसे हुए हों तो नहीं लेना ।
३. उसमें कंद-मूल आदि वनस्पति हों तो नहीं लेना ।
४. उसमें नमक आदि सचित्त पृथ्वीकाय हो तो नहीं लेना ।
५. उसमें सचित्त जल हो तो नहीं लेना ।
६. मिट्टी के पात्र में अग्नि [घोरा आदि] हो तो नहीं लेना ।
७. इन जीवों या पदार्थों को स्वयं निकाल करके पात्र नहीं लेना ।
८. गृहस्थ इन्हें निकाल कर देवे तो भी नहीं लेना ।

ऐसा भक्त्यनीय पात्र ग्रहण करने पर इन सूत्रों से प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

इन ६ सूत्रों का क्रम भिन्न-भिन्न तरह से उपलब्ध होता है तथा सूत्र-संख्या में भी भिन्नता मिलती है। यहाँ भाष्य-चूणि के अनुसार क्रम रखा गया है।

लकड़ी और तुम्बे के पात्र में अग्निकाय का रखा जाना सम्भव नहीं है। अतः यह अग्निकाय का प्रायश्चित्त कथन केवल मिट्टी के पात्र की अपेक्षा से समझना चाहिये।

इस प्रकार के पात्र लेने में उन जीवों को स्थानान्तरित किया जाता है तथा उनका संघट्टन, सम्मर्दन भी होता है। इसलिये ऐसे पात्र लेने का प्रायश्चित्त कहा है।

पात्र कोरने का प्रायश्चित्त—

३७. जे भिक्खू पडिग्गहं कोरेइ, कोरावेइ, कोरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३७. जो भिक्षु पात्र को कोरता है, कोरवाता है अथवा कोरकर देते हुए को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—प्रथम उद्देशक में पात्र का मुख ठीक करने का तथा विषम को सम बनाने रूप परिकर्म का प्रायश्चित्त कथन है। अन्य परिकर्मों का इस उद्देशक में प्रायश्चित्त कहा गया है और यहाँ इस ३७वें सूत्र में पात्र पर कोरनी करने का प्रायश्चित्त कहा है। पात्र में कोरनी, खुदाई करने से होती है। ऐसा करने में मुख्य उद्देश्य विभूषा का रहता है और विभूषावृत्ति भिक्षु के लिये दशवर्कालिक आदि सूत्रों में निषिद्ध है। भाष्यकार ने इसमें “भ्रुपिर दोष” कहा है, क्योंकि कोरणी के लिये खुदाई किये स्थान में जीव या आहार के लेप का भलीभांति शोधन नहीं हो सकता है। अतः ऐसा करने का यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है।

मार्ग आदि में पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त—

३८. जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा गामंतरंसि वा, गामपहंतरंसि वा पडिग्गहं ओभासिय-ओमासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

३८. जो भिक्षु स्वजन से या अन्य से, उपासक से या अनुपासक से ग्राम में या ग्रामपथ में पात्र मांग-मांग कर याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघु-चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—पात्र की याचना पारिवारिक या अपारिवारिक गृहस्थों से भी की जा सकती है। ऐसे गृहस्थ उपासक भी हो सकते हैं और अनुपासक भी हो सकते हैं। अतः विशेष स्पष्ट करने के लिये इस सूत्र में ज्ञातिजन आदि चार प्रकार के व्यक्तियों का कथन है।

किसी भी गृहस्थ से पात्र की याचना करनी हो तो पहले यह देखना चाहिए कि वह अपने घर में या अपने ही किसी अन्य स्थान में है, तो उसी समय उससे पात्र की याचना करनी चाहिए। किन्तु वह ग्राम से बाहर हो या अन्य ग्राम में हो तो उससे याचना नहीं करनी चाहिए तथा ग्राम में

भी कहीं मार्ग में मिल जाए तो वहाँ भी उससे पात्र की याचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वह यदि अनुरागी है तो ऐसा करने में एषणा के दोष लगने की सम्भावना रहती है और यदि वह अनुरागी नहीं है तो अन्य स्थान में मांगने से रुष्ट होकर वह अन्याय कर सकता है अथवा पात्र होते हुए भी मना कर सकता है। अतः किसी से भी घर के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में या मार्ग में पात्र की याचना नहीं करनी चाहिए।

परिपद् में बँटे हुए स्वजन आदि से पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त—

३९. जे भिखू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा परिसामग्गाओ उट्ठवेत्ता पट्टिग्गहं ओभासिय-ओभासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

३९. जो भिक्षु स्वजन को या अन्य को, उपासक को या अनुपासक को परिपद् में से उठाकर उससे मांग-मांग कर पात्र की याचना करता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है। [उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।]

विवेचन—पूर्व सूत्र में किसी भी गृहस्थ से अन्य स्थान में पात्र याचना करने का प्रायश्चित्त कहा है और इस सूत्र में पात्रदाता के स्वगृह में होते हुए भी यदि वह किसी एक व्यक्ति से या अनेक व्यक्तियों से बातचीत कर रहा हो या किसी परिपद् में बँटा हो तो वहाँ से उसे उठाकर पात्र की याचना करने का प्रायश्चित्त कहा है।

ऐसा करने पर उनके आवश्यक वार्तालाप में रुकावट हो जाती है, दाता या अन्य व्यक्ति रुष्ट हो सकते हैं। साधु के प्रति या धर्म के प्रति अश्रद्धा हो सकती है। दाता वार्तालाप में व्यस्त होता है, अतः वह पात्र होते हुए भी देने के लिये मना कर सकता है। ऐसे समय में भिक्षु को विवेक से याचना करनी चाहिये। भिक्षु को यदि पात्र की शीघ्र आवश्यकता हो तो वह कुछ समय तक एकांत में धड़ा रह कर अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करे या अन्य किसी समय में याचना के लिए आ जाए।

यदि साधु के जाने की जानकारी होते ही गृहस्थ स्वयं बातचीत छोड़कर आ जाए तो विवेक रखते हुए उससे पात्र की याचना करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है।

पात्र के लिये भिक्षु को निवास करने का प्रायश्चित्त—

४०. जे भिखू पट्टिग्गह-नीसाए उट्ठवदं यसइ, यसंतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिखू पट्टिग्गह-नीसाए वासायासं यसइ, यसंतं वा साइज्जइ ।
तं सेयमाणे भायज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्गाइयं ।

४०. जो भिक्षु पात्र के लिए शत्रुयुद्ध काल [सर्दी या गर्मी] में रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

४१. जो भिक्षु पात्र के लिए वर्षावास में रहता है या वर्षा का अनुमोदन करता है।

इन ४१ सूत्रों में कहे गये स्थानों का सेवन करने वाले को लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

विधेचन—भिक्षु यदि गृहस्थ को यह कहे कि 'हम पात्र के लिये ही मासकल्प ठहरे हैं या चामासा करते हैं, अतः हमें अच्छे पात्र देना या दिलाना' ऐसा निश्चय करना, यह पात्र के लिये निवास करना है और इसका ही दोनों सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

कदाचित् भिक्षु यदि पात्र की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण कही कुछ दिन ठहर भी जाए और गृहस्थ से पात्र के निमित्त उपयुक्त वार्ता नहीं करे तो उसे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

पात्र के निमित्त ठहरने का संकल्प एवं गृहस्थ से उपयुक्त वार्ता करके ठहरने पर कभी देव-योग से वहाँ पात्र न मिले तो साधु को या गृहस्थ को अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं । वह गृहस्थ यदि अनुरागी होगा तो अनेक प्रकार के दोष लगाकर भी पात्र देगा या दिलवायेगा, इससे संयम की विराधना होगी । अतः ऐसे संकल्प से भिक्षु को किसी क्षेत्र में निवास नहीं करना चाहिए ।

चौदहवें उद्देशक का सारांश—

- | | |
|---------|--|
| सूत्र १ | पात्र खरीदना या खरीद कर लाया हुआ पात्र लेना, |
| २ | पात्र उधार लेना या उधार लाया हुआ पात्र लेना, |
| ३ | पात्र का परिवर्तन करना या परिवर्तन कर लाया हुआ पात्र लेना, |
| ४ | छीना हुआ पात्र, भागीदार की बिना आज्ञा लाया हुआ पात्र या सामने लाया हुआ पात्र लेना, |
| ५ | आचार्य की आज्ञा के बिना किसी को अतिरिक्त पात्र देना, |
| ६ | अविकलांग को या समर्थ को अतिरिक्त पात्र देना, |
| ७ | विकलांग या असमर्थ को अतिरिक्त पात्र न देना, |
| ८-९ | उपयोग में न आने योग्य पात्र को रखना, उपयोग में आने योग्य पात्र को छोड़ देना, |
| १०-११ | सुन्दर पात्र को विद्रूप करना या विद्रूप पात्र को सुन्दर करना, |
| १२-१९ | पुराने पात्र को या दुर्गन्ध युक्त पात्र को बारंबार धोना या कल्कादि लगाना अथवा अनेक दिनों तक पानी आदि भरकर रात में रखना एवं उसे ठीक करना, |
| २०-३० | सचित्त स्थान, त्रस जीव युक्त स्थान अथवा बिना दिवाल वाले स्थान पर पात्र सुखाना, |
| ३१-३६ | पात्र में त्रस जीव, धान्य बीज, कंदादि, पृथ्वी, पानी या अग्नि हो, उसे निकालकर पात्र लेना, |
| ३७ | पात्र पर कोरणी करना या कोरणी वाला पात्र लेना, |
| ३८-३९ | अन्य स्थान में स्थित गृहस्थ से या किसी के साथ विचार-वार्ता करने वाले गृहस्थ से पात्र की याचना करना, |

४०-४१ पात्र के लिये ही मासकल्प या चातुर्मास रहना,
इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

इस उद्देशक के २७ सूत्रों के विषयों का कथन आचारांग सूत्र में है—

- १-४ भिक्षु को श्रौत, प्रामृत्य, आच्छेद्य, अनिसृष्ट तथा अभिहृत पात्र नहीं लेना एवं
पात्र का परिवर्तन नहीं करना चाहिए । —आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १-२
८-३० उपयोग में आने योग्य पात्र ही लेना, अनुपयोगी नहीं लेना । वर्ष-परिवर्तन नहीं
करना, पात्र-परिक्रम नहीं करना, सच्चित्त जीव मुक्त तथा आकाशीय स्थान पर
पात्र नहीं सुखाना । —आचा. श्रु. २, अ. ६, उ. १-२

इस उद्देशक के १४ सूत्रों के विषय का कथन अन्य भागमें में नहीं है, यथा—

- ५-७ अतिरिक्त पात्र आचार्य की आज्ञा बिना किसी को नहीं देना । शक्त को देना
और शक्त को नहीं देना । किन्तु व्यव. उ. ८ में अतिरिक्त पात्र दूर देश से
लाने का विधान है ।
३१-३६ प्रस स्थावर जीवों से मुक्त पात्र न लेना ।
३७ पात्र में ऊपर या अन्दर कोरणी नहीं करना तथा कोरणी किया हुआ पात्र नहीं
लेना ।
३८-३९ अन्य स्थान में या सभा में से गृहस्थ को उठाकर पात्र की याचना न करना ।
४०-४१ पात्र के लिये मासकल्प या चातुर्मासकल्प नहीं रहना ।

इस उद्देशक के सभी सूत्रों में पात्र सम्बन्धी प्रायश्चित्त का ही कथन है, अन्य किसी प्रकार के
प्रायश्चित्तों का कथन नहीं है । यह इस उद्देशक की विशेषता है ।

॥ चौवहवां उद्देशक समाप्त ॥

पन्द्रहवाँ उद्देशक

भिक्षु की आसातना करने का प्रायश्चित्त—

१. जे भिखू भिखु' आगाढं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।
२. जे भिखू भिखु' फरुसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।
३. जे भिखू भिखु' आगाढ-फरुसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।
४. जे भिखू भिखु' अण्णयरीए आसायणाए आसाएइ, आसाएंत्तं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु भिक्षु को रोप युक्त वचन बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।
२. जो भिक्षु भिक्षु को कठोर वचन बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु भिक्षु को रोप युक्त वचन के साथ-साथ कठोर वचन भी बोलता है या बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु भिक्षु को किसी प्रकार की आसातना करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—दसवें उद्देशक के प्रथम चार सूत्रों में पूज्य गुरुजनों एवं स्यविरो की और पूज्य रत्नाधिकों की आसातना करने का प्रायश्चित्त कहा है । पूजनीयों का विनय करना तो प्रत्येक भिक्षु का कर्तव्य होता ही है, किन्तु सामान्य सन्तों, सतियों या अन्य गच्छ के साधु-साध्वियों के प्रति भी भिक्षु को अविनय-आसातना युक्त वचन-व्यवहार और ऐसी ही अन्य तिरस्कारद्योतक प्रवृत्तियाँ नहीं करना चाहिए । यदि कोई भिक्षु अपने वचन या व्यवहार पर नियंत्रण न रख कर ऐसी प्रवृत्ति करता है तो वह संयमसाधना से च्युत हो जाता है और सूत्रोक्त प्रायश्चित्त का पात्र बनता है ।

तेरहवें उद्देशक में ऐसे ही चार सूत्रों से गृहस्थ की आसातना करने के प्रायश्चित्त कहे गए हैं । इनमें प्रथम तीन सूत्रों में वचन सम्बन्धी आसातनाओं के प्रायश्चित्तों का कथन करके चौथे सूत्र में अन्य सभी प्रकार की आसातनाओं का प्रायश्चित्तों का कथन किया गया है ।

सचित्त अंब-उपभोग सम्बन्धी प्रायश्चित्त—

५. जे भिखू सचित्तं अंबं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।
६. जे भिखू सचित्तं अंबं विडंसइ, विडंसंतं वा साइज्जइ ।
७. जे भिखू सचित्त-पइदिठयं अंबं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

८. जे भिषखू सच्चित्त-पइट्ठयं अंबं विडंसइ, विडंसंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिषखू सच्चित्तं-१. अंबं वा, २. अंब-वेसि वा, ३. अंब-भित्तं वा, ४. अंब-सातगं वा,
५. अंबडगलं वा, ६. अंबचोयगं वा भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१०. जे भिषखू सच्चित्तं अंबं वा जाव अंबचोयगं वा विडंसइ विडंसंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिषखू सच्चित्त-पइट्ठयं अंबं वा जाव अंबचोयगं वा भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिषखू सच्चित्त-पइट्ठयं अंबं वा जाव अंबचोयगं वा विडंसइ, विडंसंतं वा साइज्जइ ।

५. जो भिक्षु सच्चित्त आम खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु सच्चित्त आम चूसता है या चूसने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु सच्चित्त-प्रतिष्ठित आम खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु सच्चित्त-प्रतिष्ठित आम चूसता है या चूसने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु सच्चित्त १. आम को, २. आम की फांक को ३. आम के छर्दभाग को,
४. आम के छिलके को (अथवा आम के रस को), ५. आम के गोल टुकड़ों को, ६. आम की
केसराम्रों को (अथवा आम के छिलके को) खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु सच्चित्त आम को यावत् आम की केसराम्रों को चूसता है या चूसने वाले का
अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु सच्चित्त-प्रतिष्ठित आम को यावत् आम की केसराम्रों को खाता है या खाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु सच्चित्त-प्रतिष्ठित आम को यावत् आम की केसराम्रों को चूसता है या
चूसने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त खाता है ।]

वियेचन—इन मूर्त्तों में सच्चित्त आम फल खाने का प्रायश्चित्त कहा है । यहां भाष्यकार ने
उपलक्षण से अन्य सभी प्रकार के सच्चित्त फलों के खाने का प्रायश्चित्त भी इन मूर्त्तों से समझ लेने
का सूचित किया है ।

प्रथम सूत्रचतुष्टय में अष्टम आम के खाने या चूसने का प्रायश्चित्त कहा है तथा द्वितीय
सूत्रचतुष्टय में उसके विभागों [खंडों] को खाने या चूसने का प्रायश्चित्त कहा है । इस सूत्रचतुष्टय
में पुनः 'अंबं वा' पाठ आया है जो चूणिकार के सामने भी था किन्तु आया. ध्रु. २ अ. ६ उ. २ में
पुनः अंबं शब्द का प्रयोग नहीं है । अन्य शब्दों के क्रम में भी दोनों भागों में अन्तर है ।

निशीथसूत्र में

१. अंबं
२. अंबं पेसि
३. अंबंभित्तं
४. अंबंसालगं
५. अंबंडगलं
६. अंबचोयगं

आचारांगसूत्र में

१. अंबं भित्तं
२. अंबं पेसि
३. अंबचोयगं
४. अंबंसालगं
५. अंबंडगलं

दोनों आगमों में कुछ शब्दों की व्याख्या भी भिन्न-भिन्न है—

आचारांग में

अंबंसालग = आम्र का रस
अंबचोयग = आम्र की छाल

निशीथ में

आम्र की छाल
आम्र की केसरा

पुनः आये 'अंबं' शब्द के अनेक अर्थों की चूर्णिकार ने इस प्रकार कल्पना की है—

१. अखंड आम्र, किंचित् भी खंडित नहीं ।
२. प्रथम सूत्रचतुष्क में वृद्धस्थिक आम्र है, द्वितीयसूत्र चतुष्क में अवृद्धस्थिक आम्र है ।
३. प्रथम चतुष्क में अखंडित आम्र है, द्वितीय चतुष्क में खंडित आम्र है ।
४. प्रथम चतुष्क में अविशिष्ट [सामान्य] कथन है, द्वितीय चतुष्क में विशिष्ट कथन है ।

इत्यादि विकल्पों को देखने से यही लगता है कि आचारांग का पाठ शुद्ध है और उनके अर्थ भी संगत प्रतीत होते हैं । निशीथ में संभव है कि लिपि-प्रमाद से "अंबं" शब्द दूसरी बार आ गया है ।

इन सूत्रों में सचित्त आम्र व आम्र-विभागों के खाने का अथवा चूसने का तथा सचित्त प्रतिवृद्ध [गुठली युक्त] को खाने का प्रायश्चित्त कहा है । अतः आम्र अचित्त हो और गुठली निकाल दी गई हो तो वैसे आम्र खाने या चूसने का प्रायश्चित्त नहीं है ।

खाने का तात्पर्य है दांतों से चबाना तथा चूसने का अर्थ है दांतों से बिना चवाये मुख में रस खींच कर निगलना ।

आम्रवनन में ठहरने का व आम्र खाने आदि का विशेष वर्णन आचा. श्रु. २ अ. ७ उ. २ में देखे ।

गृहस्थ से शरीर का परिकर्म कराने का प्रायश्चित्त—

१३ से ६६. जे भिक्षू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो पाए आमज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावंतं वा पमज्जावंतं वा साइज्जइ एवं तइय उद्देसग गमेणं णेयव्वं जाव जे भिक्खू गामाणुगामं दुइज्जमाणे अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो सोसदुवारियं कारेइ कारेंतं वा साइज्जइ ।

१३ से ६६. जो भिक्षु अग्र्यतीर्थिक या गृहस्थ से अपने पांवों का एक बार या अनेक बार "आमर्जन" करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है । इस प्रकार तीसरे उद्देशक के

[मूत्र १६ से ६९] के समान पूरा आलापक जानना यावत् जो भिक्षु अन्यतीक्षिक या गृहस्थ में ग्रामानुष्ठान विहार करते हुए अपना मस्तक ढँकवाता है या ढँकवाने वाले का अनुमोदन करता है। [उमें लघुचोमासी प्रायश्चित्त घाता है।]

विवेचन—भिक्षु यदि गृहस्थ से दारौरिक परिचर्या करावे तो उसे मूत्रोक्त प्रायश्चित्त घाता है। यहां ५४ मूत्रों का विवेचन तीसरे उद्देशक के समान समझें।

अकल्पनीय स्थानों पर मल-मूत्र-परिष्ठापन का प्रायश्चित्त—

६७. जे भिषखू आगंतागारंसि वा, आरामागारंसि वा, गाहावइकुलंसि वा, परिषायसहंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

६८. जे भिषखू उज्जाणंसि वा, उज्जाणगिहंसि वा, उज्जाणसालंसि वा, निज्जाणंसि वा, निज्जाणगिहंसि वा, निज्जाणसालंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

६९. जे भिषखू अट्टंसि वा, अट्टालयंसि वा, चरियंसि वा, पागारंसि वा, दारंसि वा, गोपुरंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

७०. जे भिषखू दगमगंसि वा, दगपहंसि वा, दगतीरंसि वा दगट्टाणंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

७१. जे भिषखू सुन्नगिहंसि वा, सुन्नसालंसि वा, मिन्नगिहंसि वा, मिन्नसालंसि वा, कूटागारंसि वा, कोट्टागारंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

७२. जे भिषखू तणगिहंसि वा, तणसालंसि वा, तुत्तगिहंसि वा, तुत्तसालंसि वा, भुत्तगिहंसि वा, भुत्तसालंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

७३. जे भिषखू जाणसालंसि वा, जाणगिहंसि वा, वाहणगिहंसि वा, वाहणसालंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

७४. जे भिषखू पणियसालंसि वा, पणियगिहंसि वा, परिषासालंसि वा, परिषागिहंसि वा, कुषियसालंसि वा, कुषियगिहंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

७५. जे भिषखू गोणसालंसि वा, गोणगिहंसि वा, महाकुलंसि वा, महागिहंसि वा उच्चार-पासवणं परिद्वेद, परिद्वेत्तं वा साइज्जइ।

६७. जो भिक्षु धर्मशाला में, उद्यान में, गाथापतिकुल में या परिव्राजक के छात्रम में मल-मूत्र का परिस्वाग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

६८. जो भिक्षु उद्यान में, उद्यानगृह में, उद्यानघाता में, नगर के बाहर बने हुए स्थान में, नगर के बाहर बने हुए घर में, नगर के बाहर बनी हुई धाना में मल-मूत्र का परिस्वाग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

६९. जो भिक्षु चवतरे पर, अट्टालिका में, चरिका में, प्राकार पर, द्वार में, गोपुर में मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७०. जो भिक्षु जल-मार्ग में, जलपथ में, जलाशय के तीर पर, जलस्थान पर मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७१. जो भिक्षु शून्य गृह में, शून्य शाला में, टूटे घर में, टूटी शाला में, कूटागार में, कोष्ठागार में मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७२. जो भिक्षु तृण-गृह में, तृणशाला में, तुस-गृह में, तुसशाला में, भुस-गृह में भुसशाला में मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७३. जो भिक्षु यानशाला में, यानगृह में, वाहन-शाला में, वाहन गृह में मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७४. जो भिक्षु विक्रयशाला में या विक्रयगृह में, परिव्राजकशाला में या परिव्राजक-गृह में, चूना आदि बनाने की शाला में या गृह में मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७५. जो भिक्षु बेल-शाला में या बेल-गृह में, महाकुल में या महागृह में मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । [उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।]

विवेचन—इन नौ सूत्रों में ४६ स्थानों का कथन है । इन स्थानों में कुछ स्थान व्यक्तिगत हैं और कुछ सार्वजनिक स्थान हैं । इन स्थानों के स्वामी या रक्षक भी होते हैं । ऐसे स्थानों में मल-मूत्र त्यागने का सर्वथा निषेध होता है । इसलिए ऐसे स्थानों में मल-मूत्र त्यागने से भिक्षु के तीसरे महाव्रत में दोष लगता है और जानकारी होने पर उस साधु की असभ्यता एवं भूखंता प्रगट होती है, साथ ही समस्त साधुओं एवं संघ की निंदा होती है । किसी के कुपित होने पर उस साधु के साथ अनेक प्रकार के अशिष्ट व्यवहार भी हो सकते हैं ।

अतः भिक्षु को सूत्रोक्त स्थानों पर मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए ।

इनमें से यदि कोई सार्वजनिक स्थान जनता के मल-मूत्र त्यागने का बन् चुका है तो उस स्थान पर भिक्षु को विधिपूर्वक मल-मूत्र त्याग करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

इनमें से यदि किसी व्यक्तिगत स्थान के स्वामी ने भिक्षुओं को उसमें मल-मूत्र त्यागने की आज्ञा दे दी हो तो जोब आदि से रहित योग्य भूमि में भिक्षु विवेक पूर्वक मल-मूत्र परठ सकता है । उस आज्ञाप्राप्त स्थान में मल-मूत्र परठने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

तीसरे उद्देशक में भी कई स्थलों पर मल-मूत्र परठने सम्बन्धी प्रायश्चित्त का कथन है । वहाँ भी इसी आशय से प्रायश्चित्त कहे गए हैं ।

ऐसे स्थलों में यद्यपि मल-मूत्रसूचक "उच्चार-प्रसवण" इन दोनों शब्दों का प्रयोग है

तथापि मुद्यता उच्चार [मल] की ही समझनी चाहिये । इस विषय का स्पष्टीकरण उद्देशक ३-४ में किया गया है ।

मलपरित्याग के लिये सामान्य रूप से भिक्षु को ग्रामादि के बाहर आवागमन रहित पदुष्ट स्थान में जाने का विधान है । किन्तु प्रसवण के लिये दिन में या रात्रि में भिक्षुओं को ग्रामादि के बाहर जाने का कहीं विधान नहीं है । वे जहाँ ठहरते हैं वहीं निर्दोष परिष्ठापन भूमि रहती है, उसी में मूत्रादि का परित्याग कर सकते हैं ।

यदि भिक्षु के ठहरने के स्थान से संलग्न परिष्ठापनभूमि नहीं है तो दशवें. प्र. ८ तथा आचा. श्रु. २ अ. २ के अनुसार वह स्थान भिक्षु के ठहरने योग्य नहीं है ।

सामान्य सद्गृहस्थ को भी यदि कहीं कुछ दिन के लिये ठहरना पड़ता है तो वह भी मत्त-मूत्र से निवृत्त होने का स्थान आस-पास में कहीं हो, वहाँ ठहरना चाहता है ।

संयम-साधना-रत भिक्षु के तो पांचवी परिष्ठापनिकासमिति है, अतः उसे ठहरने के पहले ही परिष्ठापन योग्य भूमि को अवश्य देखना चाहिए ।

निगोष की कुछ प्रतियों में "जाणगिहंमि" के वाद "जुगसालंति" पाठ मिलता है किन्तु ज्ञान के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि "जुग" तो 'जाण' का ही एक प्रकार है और उसके बाद "वाहण" शब्द से चौड़े आदि की ज्ञाना और गृह ऐसा अर्थ किया गया है ।

यथा—जुगादि जाणण अकुट्टा साला, सकुट्टं गिहं । अस्सादिया वाहणा, ताणं साला गिहं वा । —जुण ।

मुग्ग आदि यानों के भित्ति रहित स्थान को 'शाला' कहते हैं और भित्ति सहित स्थान को 'गृह' कहते हैं । अथवा आदि को वाहन कहते हैं, उनके रहने के 'शाला' और 'गृह' को 'वाहनशाला' और 'वाहनगृह' कहते हैं । इस व्याख्या के अनुसार ही यहाँ मूल पाठ स्वीकार किया गया है ।

मूत्र ६७ में परिषाजकों के आश्रम का कथन है और मूत्र ७४ में परिषाजकशाला और परिषाजकगृह का कथन है । परिषाजकों के स्थायी निवास करने का स्थान आश्रम कहा जाता है और मार्ग में विध्रान्ति हेतु ठहरने के लिए बना हुआ स्थान शाला या गृह कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिए । कदाचित् सम्भव है निषिद्धोप से "पणिय" से परिया होकर अधिक पाठ हो गया है, इस विषय का आठवें उद्देशक में स्पष्टीकरण किया गया है ।

गृहस्थ को आहार देने का प्रायश्चित्त—

७६. ने भिषु अण्डत्थियरस वा, देह, दंत वा साइज्जइ ।

वा अरण्यं वा पाणं, साइमं वा

सामायिक के समय भी वाणिज्य एवं खेती आदि के सभी सावध कार्य उसके स्वामित्व में ही होते रहते हैं। अतः किसी भी गृहस्थ को अशनादि देने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है।

आहार देने वाला गृहस्थ संयमसाधना में सहयोग करने के लिये ही भिक्षु को भावपूर्वक आहार देता है। इसलिए वह आहार अन्य किसी को देने पर जिनाज्ञा एवं गृहस्थ की आज्ञा न होने से तीसरा महाव्रत दूषित होता है।

आहार दाता गृहस्थ को यह ज्ञात हो जाए कि 'मेरा दिया हुआ आहार साधु ने अमुक को दिया है' तो उसकी साधुओं के प्रति अश्रद्धा होती है और दान भावना में भी कमी आ जाती है।

कभी दाता की या भिक्षु की असावधानी से सचित्त आहार-पानी या अकल्पनीय आहारादि पदार्थ ग्रहण कर लिया गया हो तो शीघ्र ही उसी गृहस्थ को पुनः दे देना चाहिए। ऐसा विधान आचा. श्रु. २ अ. १ उ. १० तथा अ. ६ उ. २ में है।

पाशर्वस्थ आदि को साथ आहार का देन-लेन करने का प्रायश्चित्त—

७७. जे भिवखू पासत्यस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

७८. जे भिवखू पासत्यस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

७९. जे भिवखू ओसण्णस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

८०. जे भिवखू ओसण्णस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

८१. जे भिवखू कुसीलस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

८२. जे भिवखू कुसीलस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

८३. जे भिवखू संसत्तस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

८४. जे भिवखू संसत्तस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

८५. जे भिवखू णित्तिपस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

८६. जे निवचू गितियस्स अत्तणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंते वा साइज्जइ ।

७७. जो भिक्षु पार्श्वस्थ को अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

७८. जो भिक्षु पार्श्वस्थ से अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार लेता या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

७९. जो भिक्षु भ्रवसन्न को अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८०. जो भिक्षु भ्रवसन्न से अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

८१. जो भिक्षु कुशील को अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८२. जो भिक्षु कुशील से अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

८३. जो भिक्षु संसक्त को अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८४. जो भिक्षु संसक्त से अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

८५. जो भिक्षु नित्यक को अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८६. जो भिक्षु नित्यक से अन्न, पान, खादिम या स्वादिम आहार लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे खण्डोपामो प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन— गृहस्थ को आहार देने पर उनके साधु जीवन का अनुमोदन होता है । उसी का पूर्व सूत्र ७६ में प्रायश्चित्त कहा गया है । पार्श्वस्थ आदि भिक्षुओं को आहार देने पर उनके अपना दीनों का या अन्य दूषित प्रवृत्तियों का अनुमोदन होता है तथा पार्श्वस्थ आदि ने आहार लेने में उद्गम आदि दोष मुक्त आहार का भोजन हीना है । अतः इनमें आहार लेने-देने का प्रायश्चित्त इन १० सूत्रों में कहा गया है ।

पार्श्वस्थ आदि का स्वरूप भीये उद्देशक के विवेचन में कहा जा चुका है ।

पार्श्वस्थ आदि पाँचों सूत्रों का अर्थ यहाँ भीये उद्देशक के समान है, किन्तु १३में उद्गम में कुछ अनुमोदन हुआ है, जो निषिद्धोप में होना संभव है ।

पार्श्वस्थादि को आहार देने-लेने से संसर्ग-वृद्धि होने पर क्रमशः संयम दूषित होता रहता है । अतः भिक्षु को शुद्ध संयमी सांभोगिक साधुओं के साथ ही आहार का आदान-प्रदान करना चाहिये, अन्य के साथ नहीं ।

गृहस्थ को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त—

८७. जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा गारत्तियस्स वा वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा देइ, देत्तं वा साइज्जइ ।

८७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक को या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता ।)

विवेचन—सूत्र ७६ के समान इसका भी विवेचन जानना चाहिए । अतर इतना ही है कि वहाँ आहार का कथन है, यहाँ वस्त्रादि का कथन है । भिक्षु गृहस्थ से आहार, वस्त्र आदि ग्रहण कर सकता है, किन्तु स्वीकार किये गये वस्त्र आदि को उसे किसी भी गृहस्थ को देना नहीं कल्पता है ।

पार्श्वस्थ आदि के साथ वस्त्रादि के आदान-प्रदान करने का प्रायश्चित्त—

८८. जे भिक्खू पासत्थस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा देइ, देत्तं वा साइज्जइ ।

८९. जे भिक्खू पासत्थस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

९०. जे भिक्खू ओसण्णस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा देइ, देत्तं वा साइज्जइ ।

९१. जे भिक्खू ओसण्णस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

९२. जे भिक्खू कुसीलस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा देइ देत्तं वा साइज्जइ ।

९३. जे भिक्खू कुसीलस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

९४. जे भिक्खू संसत्तस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा देइ, देत्तं वा साइज्जइ ।

९५. जे भिक्खू संसत्तस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिक्षु णितियस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा पायपुंछणं वा वेद्दं, वेत्तं वा साइग्गइ ।

१७. जे भिक्षु णितियस्स वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिच्छणं पडिच्छंतं वा साइग्गइ ।

८८. जो भिक्षु पार्श्वस्थ को वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

८९. जो भिक्षु पार्श्वस्थ का वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

९०. जो भिक्षु भवसत्र को वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९१. जो भिक्षु भवसत्र का वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

९२. जो भिक्षु कुशील को वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९३. जो भिक्षु कुशील का वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

९४. जो भिक्षु संमत्त को वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९५. जो भिक्षु संमत्त का वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

९६. जो भिक्षु निरसक को वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

९७. जो भिक्षु निरसक का वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है (उसे संपुचीमामी प्रायश्चित्त ध्याता है ।)

विवेचन—पार्श्वस्थ आदि के माघ आहार के समान वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों का लेना-देना भी मुद्रिहित मापु को नहीं कहलता है । जेप विवेचन पूर्ववत् जानना चाहिये ।

गवेषणा किये बिना वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

९८. जे भिखू जायणा-वत्यं वा, णिमंतणा-वत्यं वा अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय पडिग्गा-हेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

से य वत्ये चउण्हं, अण्णपरे सिया, तंजहा—

१. णिच्च-णियंसणिए, २. मज्जणिए, ३. छण्णूसविए, ४. रायदुवारिए ।

९८. जो भिक्षु याचित्त-वस्त्र तथा निमंत्रित-वस्त्र को जाने बिना, पूछे बिना, गवेषणा किए बिना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह वस्त्र चार प्रकार के वस्त्रों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, यथा—

१. नित्य काम में आने वाला वस्त्र,
 २. स्नान के समय पहना जाने वाला वस्त्र,
 ३. उत्सव में जाने के समय पहनने योग्य वस्त्र,
 ४. राजसभा में जाते समय पहनने योग्य वस्त्र ।
- (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—सूत्र में वस्त्र की प्राप्ति दो प्रकार से कही गई है—

१. भिक्षु के द्वारा याचना किये जाने पर कि “हे गृहपति ! आपके पास हमारे लिए कल्पनीय कोई वस्त्र है ?”

२. भिक्षु के पूछे बिना ही गृहस्थ स्वतः निमंत्रण करे कि “हे मुनि ! आपको कोई वस्त्र की आवश्यकता हो तो मेरे पास अमुक वस्त्र है, कृपया लीजिए ।”

इस प्रकार के ‘याचना-वस्त्र = याचना से प्राप्त’ और ‘निमंत्रण-वस्त्र = निमंत्रण पूर्वक प्राप्त’ वस्त्र कहे गये हैं ।

वस्त्र गृहस्थ के किन-किन उपयोग में आने वाले होते हैं, इसका इस सूत्र में चार प्रकारों में कथन किया गया है । इन चार प्रकारों में गृहस्थ के सभी वस्त्रों का समावेश हो जाता है ।

१. नित्य उपयोग में आने वाले—विछाने, पहनने, ओढ़ने आदि किसी भी काम में आने वाले वस्त्रों का इसमें समावेश किया गया है । उसमें से जो भिक्षु के लिए कल्पनीय और उपयोगी हों उन्हें वह ग्रहण कर सकता है ।

२. स्नान के समय—इसका समावेश प्रथम प्रकार में हो सकता है, फिर भी कुछ समय के लिये ही वे वस्त्र काम में लेकर रख दिये जाते हैं, दिन भर नहीं पहने जाते । अथवा स्नान भी कोई सदा न करके कभी-कभी कर सकता है, अतः इन्हें अलग सूचित किया है । इसके साथ चूर्णिकार ने मंदिर जाते समय पहने जाने वाले वस्त्र भी ग्रहण किये हैं । वे भी अल्प समय पहन कर रख दिये जाते हैं । अतः इस विकल्प में अन्य भी अल्प समय में उपयोग में आने वाले वस्त्रों को समझ लेना चाहिये ।

३. महोत्सव—त्पोहार, उत्सव, मेले, विवाह आदि विशेष प्रसंगों पर उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों को तीसरे भेद में कहा है,

४. राजसभा—राजा की सभा में या कहीं भी राजा के पास जाने के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को चौधे भेद में कहा गया है ।

इनमें से किसी प्रकार के वस्त्र को ग्रहण करना हो तो भिक्षु उस वस्त्र के विषय में पूछताछ करके यह जानकारी कर ले कि यह वस्त्र किसी भी उद्गम आदि दोष से युक्त तो नहीं है, पूर्ण रूप में निर्दोष है? ऐसी जानकारी करके ही उसे ग्रहण करे । विना जानकारी किये सेने पर स्थापना, अभिहृत, श्रुत, अनिगृष्ट आदि अनेक दोषों के लगने की संभावना रहती है । श्रौटिक या परब्राह्मणों में दोष भी लग सकता है । अतः ये चारों प्रकार के वस्त्र माचना प्राप्त हों या निर्मंत्रणा से प्राप्त हों तो इनके संबंध में आवश्यक पूछताछ-गवेषणा न करने का इस मंत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है । इसलिए भिक्षु को वस्त्र के संबंध में सावधानी पूर्वक गवेषणा करनी चाहिए । वस्त्र के कपन से धन्य भी पात्र आदि उपकरणों के संबंध में गवेषणा करने की आवश्यकता और प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिए ।

विनूपायं शरीर को परिकर्म करने का प्रायश्चित्त—

१९-१५२. जे भिक्षु विनूतावडियाए अष्पणीपाए आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, आमज्जेतं वा पमज्जेतं वा साइज्जइ एवं तद्ध एहंसेण गमेण षेयव्वं जाव जे भिक्षु विनूतावडियाए गामानुयामं वूइज्जमाणे अष्पणी सोसतुवारियं करेइ करेत्तं वा साइज्जइ ।

१९-१५२. जो भिक्षु विनूपा के लिये अपने पाँवों का एक बार या बार-बार "आमज्जेतं" करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, इस प्रकार तीसरे उद्गम के (मंत्र १९ से ६९ तक के) नमान पूरा आलापक जानना यावत् जो भिक्षु विनूपा के लिये गामानुयाम विहार करने समय अपने मस्तक को ढंकता है या ढंकने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे सप्तुचोमामो प्रायश्चित्त पाता है ।)

विषेचन—उद्देशक तीन के समान इन ५४ मंत्रों का विषेचन समझ लेना चाहिए । यही विनूपा के विधियों से ये कर्म करने पर सप्तुचोमामो प्रायश्चित्त कहा गया है, इतना ही अंतर है ।

विनूपा हेतु उपकरण धारण एवं प्रक्षालन का प्रायश्चित्त—

१५३. जे भिक्षु विनूतावडियाए वर्यं वा, पडिगहं वा, कंबलं वा, पायपुंछनं वा अण्णवरं वा उवगरणजायं घरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

१५४. जे भिक्षु विनूतावडियाए वर्यं वा, पडिगहं वा, कंबलं वा, पायपुंछनं वा अण्णवरं वा उवगरणजायं घोवेइ, घोवंतं वा साइज्जइ ।

सं सेवमाणे आइज्जइ चाउम्मत्तियं परिहारट्टाणं उपाइयं ।

१५३. जो भिक्षु विनूपा के संकलन से घसन, पात्र, कंबल, पादत्रोंदन या अन्य कोई भी उपकरण रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५४. जो भिक्षु विनूपा के संकलन में घसन, पात्र, कंबल, पादत्रोंदन या अन्य कोई भी उपकरण रखा है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन १५४ सूत्रों में कहे गये स्थानों को सेवन करने वाले को लघुचूमासी प्रायश्चित्त आता है ।

दिवेचन—भिक्षु वस्त्र, पात्र आदि उपकरण संयमनिर्वाह के लिये रखता है और उपयोग में लेता है । दशवेकालिकमूत्र अ. ६ गा. २० में कहा है—

जंपि वर्यं व पायं वा, कंबलं पायपुच्छं ।
तं पि संजम-लज्जट्टा, धारंति परिहरंति य ॥

प्रश्नव्याकरणसूत्र श्रु. २ अ. १ तथा ५ में कहा है—

एयं पि संजमस्त उववूहणट्टयाए वायातवदंसमसग सीय परिरवखणट्टयाए उवगरणं रागवोसरहियं परिहरियच्चं संजएणं ।

भावार्थ—संयम निर्वाह के लिए, लज्जा निवारण के लिये, गर्मी, सर्दी, हवा, डांस, मच्छर आदि से शरीर के संरक्षण के लिए भिक्षु वस्त्रादि धारण करे या उपयोग में ले । इस प्रकार उपकरणों को रखने का प्रयोजन आगमों में स्पष्ट है । किन्तु भिक्षु यदि विभूपा के लिये, शरीर आदि की शोभा के लिये अर्थात् अपने को सुन्दर दिखाने के लिये अथवा निष्प्रयोजन किसी उपकरण को धारण करता है तो उसे १५३वें सूत्र के अनुसार प्रायश्चित्त आता है ।

१५४वें सूत्र में विभूपावृत्ति से अर्थात् सुन्दर दिखने के लिये यदि भिक्षु वस्त्रादि उपकरणों को धोवे या मुसज्जित करे तो उसका प्रायश्चित्त कहा है ।

इन दोनों सूत्रों से यह भी स्पष्ट है कि भिक्षु बिना विभूपा वृत्ति के किसी प्रयोजन से वस्त्रादि उपकरण रखे या उन्हें धोवे तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है अर्थात् भिक्षु संयम के आवश्यक उपकरण रख सकता है और उन्हें आवश्यकतानुसार धो भी सकता है, किन्तु धोने में विभूपा के भाव नहीं होने चाहिये ।

यदि पूर्ण रूप से भिक्षु को वस्त्र आदि धोना अकल्पनीय ही होता तो उसका प्रायश्चित्त कथन अलग प्रकार से होता किन्तु सूत्र में विभूपावृत्ति से ही धोने का ही प्रायश्चित्त कहा है ।

शरीर परिकरमं संबन्धी ५४ सूत्र अनेक उद्देश्यों में आये हैं किन्तु यहाँ विभूपावृत्ति के प्रकरण में ५६ सूत्र कहे गये हैं । अतः इसी सूत्र से भिक्षु का वस्त्रप्रक्षालन विहित है । विशिष्ट अभिप्रह प्रतिभा धारण करने वालों की अपेक्षा आचा. श्रु. १ अ. ८ उ. ४-५-६ में वस्त्रप्रक्षालन का निषेध है । ऐसा वहाँ के वर्णन से भी स्पष्ट हो जाता है ।

इस उद्देशक में विभूपा के संकल्प से शरीर-परिकरमों का और उपकरण रखने तथा धोने का प्रायश्चित्त कहा गया है । अन्य आगमों में भी भिक्षु के लिए विभूपावृत्ति का विभिन्न प्रकार से निषेध किया गया है—

१. दश. अ. ३ गा. ९ में विभूपा करने को अनाचार कहा है ।

२. दश. अ. ६ गा. ६५ से ६७ तक में कहा है कि—“नग्नभाव एवं भुङ्गभाव स्वीकार करने वाले, बाल एवं नख का संस्कार न करने वाले तथा मैथुन से विरत भिक्षु को विभूपा से प्रयोजन ही क्या है ? अर्थात् ऐसे भिक्षु को विभूपा करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है । फिर भी जो भिक्षु विभूपा-

वृत्ति करता है वह चिकने कर्मों का बंध करता है, जिससे वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागर में गिरता है।”

“केवल विभूषा के विचारों को भी जानी, प्रवृत्ति के समान ही कर्मबन्ध एवं संसार का कारण मानते हैं। इस विभूषावृत्ति से अनेक सावद्य प्रवृत्तियाँ होती हैं। यह पट्टकाय-रक्षक-मुनि के भाचरण योग्य नहीं है।”

३. दश. अ. = गा. १७ में संयम के लिए विभूषावृत्ति को तालपुट विय को उभमा दी गई है।

४. उत्तरा. अ. १६ में कहा है कि—

‘जो भिक्षु विभूषा के लिए प्रवृत्ति करता है वह निर्ग्रन्थ नहीं है, अतः भिक्षु को विभूषा नहीं करनी चाहिए।’

भिक्षु विभूषा और शरीर-परिमंडन का त्याग करे तथा ब्रह्मचर्यरत भिक्षु शृंगार के लिए वस्त्रादि को भी धारण न करे।’

इन आगम स्थलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य के लिये विभूषावृत्ति सर्वथा अहितकर है, कर्मबंध का कारण है तथा प्रायश्चित्त के योग्य है। अतः भिक्षु विभूषा के संकल्पों का त्याग करे अर्थात् शारीरिक शृंगार करने का एवं उपकरणों को सुन्दर दिखाने का प्रयत्न न करे। उपकरणों को संयम की और शरीर की सुरक्षा के लिए ही धारण करे एवं आवश्यक होने पर ही उनका प्रशासन करे।

पन्द्रहवें उद्देशक का सारांश—

- १-४ पल्प वचन आदि से अथ्य भिक्षु की आसातना करना,
 ५-१२ सचित्त धाम या उनके खंड आदि धाना,
 १३-६६ गृहस्थ में अपना काय-परिकर्म करवाना,
 ६७-७४ अकल्पनीय स्थानों में मन-भूत्र परठना,
 ७६-९७ गृहस्थ को आहार-वस्त्रादि देना, पार्श्वस्थादि से आहार-वस्त्रादि का सेन-देन करना।
 ९८ वस्त्र ग्रहण करने में उद्गम आदि दोषों के परिहार के योग्य पूर्ण कब्रियाना न करना,
 ९९-१५२ विभूषा के संकल्प से शरीर-परिमण के ५४ मूनीक कामें करना,
 १५३ विभूषा के संकल्प से वस्त्रादि उपकरण रचना,
 १५४ विभूषा के संकल्प से वस्त्रादि उपकरणों को धोना,
 इत्यादि प्रवृत्तियों का सघृणीमासी प्रायश्चित्त घाता है।

इस उद्देशक के १२७ श्रुतों के विषयों का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- ५-१२ सचित्त धाम आदि स्थानों का निषेध,
 १३-६६ गृहस्थ से शरीर-परिमण करवाने का निषेध,

—भा. ध. २ अ. ७ उ. २

—भा. ध. २ अ. १३

- ६७-७५ अकल्पनीय स्थानों में मल-मूत्र परठने का निषेध, —आचा. श्रु. २ अ. १०
 ९९-१५४ विभूषा के संकल्पों का तथा प्रवृत्तियों का निषेध, —उत्तरा. अ. १६ तथा
 —दशवै. अ. ३ अ. ६ अ. ८

इस उद्देशक के २७ सूत्रों के विषयों का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- १-४ सामान्य साधु साध्वियों की भी आशातना नहीं करना ।
 ७६-९७ गृहस्थ को आहार-वस्त्रादि न देना तथा आहार एवं वस्त्रादि का लेन-देन पार्श्व-
 स्थादि से नहीं करना ।
 ९८ याचना-वस्त्र या निमंत्रण-वस्त्र के उद्गमादि दोषों की गवेपणा न करना ।

इन विषयों के कुछ संकेत निम्नांकित आगमों में मिलते हैं, यथा—कुशील के साथ संसर्ग करने का निषेध—सूय. श्रु. १ अ. ९ गा. २८ में है । दूसरे भिक्षुओं को अप्रियवचन कहने का निषेध—दशवै. अ. १० गा. १८ में है । सामान्य रूप से उद्गम आदि दोषों की गवेपणा का विधान उत्तरा. अ. २४ तथा दशवै. अ. ५ में है ।

॥ पन्द्रहवां उद्देशक समाप्त ॥

वृत्ति करता है वह चिकने कर्मों का बंध करता है, जिससे वह धीरे एवं दुस्तर संसार-सागर में गिरता है।”

“केवल विभूषा के विचारों को भी जानी, प्रवृत्ति के समान ही कर्मबन्ध एवं संसार का कारण मानते हैं। इस विभूषावृत्ति से अनेक सावध प्रवृत्तियाँ होती हैं। यह पटकाम-रक्षक-मुनि के आचरण योग्य नहीं है।”

३. दश. अ. ८ गा. ५७ में संयम के लिए विभूषावृत्ति को तालपुट विष की उगम दी गई है।

४. उत्तरा. अ. १६ में कहा है कि—

‘जो भिक्षु विभूषा के लिए प्रवृत्ति करता है वह निर्ग्रन्थ नहीं है, अतः भिक्षु को विभूषा नहीं करनी चाहिए।

भिक्षु विभूषा और शरीर-परिमंडन का त्याग करे तथा ब्रह्मचर्यरत भिक्षु शृंगार के लिए वस्त्रादि को भी धारण न करे।’

इन आगम स्थलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य के लिये विभूषावृत्ति सर्वथा अहितकर है, कर्मबंध का कारण है तथा प्रायश्चित्त के योग्य है। अतः भिक्षु विभूषा के संकल्पों का त्याग करे अर्थात् शारीरिक शृंगार करने का एवं उपकरणों को सुन्दर दिखाने का प्रयत्न न करे। उपकरणों को संभ्रम की ओर शरीर की सुरक्षा के लिए ही धारण करे एवं आवश्यक होने पर ही उनका प्रक्षालन करे।

पन्द्रहवें उद्देशक का सारांश—

- १-४ परुष वचन आदि से अन्य भिक्षु की आसातना करना,
 ५-१२ सचित्त भ्रात्र या उनके पंड आदि घाना,
 १३-६६ गृहस्थ से अपना काय-परिकर्म करवाना,
 ६७-७५ अकल्पनीय स्थानों में मल-मूत्र परठना,
 ७६-९७ गृहस्थ को आहार-वस्त्रादि देना, पार्श्वस्थादि से आहार-वस्त्रादि का लेन-देन करना।
 ९८ वस्त्र ग्रहण करने में उद्गम आदि दोषों के परिहार के योग्य पूर्ण गवेषणा न करना,
 ९९-१५२ विभूषा के संकल्प से शरीर-परिकर्म के ५४ मूत्रोक्त कार्य करना,
 १५३ विभूषा के संकल्प से वस्त्रादि उपकरण रखना,
 १५४ विभूषा के संकल्प से वस्त्रादि उपकरणों को धोना, इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुचौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है।

इस उद्देशक के १२७ सूत्रों के विषयों का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- ५-१२ सचित्त भ्रात्र आदि घाने का निषेध, —भा. श्रु. २ अ. ७ उ. २
 १३-६६ गृहस्थ से शरीर-परिकर्म करवाने का निषेध, —भा. श्रु. २ अ. १६

- ६७-७५ अकल्पनीय स्थानों में मल-मूत्र परठने का निषेध, —आचा. श्रु. २ अ. १०
 ९९-१५४ विभूषा के संकल्पों का तथा प्रवृत्तियों का निषेध, —उत्तरा. अ. १६ तथा
 —दशवै. अ. ३ अ. ६ अ. ८

इस उद्देशक के २७ सूत्रों के विषयों का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- १-४ सामान्य साधु साध्वियों की भी आशातना नहीं करना ।
 ७६-९७ गृहस्थ को आहार-वस्त्रादि न देना तथा आहार एवं वस्त्रादि का लेन-देन पार्श्व-
 स्थादि से नहीं करना ।
 ९८ याचना-वस्त्र या निमंत्रण-वस्त्र के उद्गमादि दोषों की गवेषणा न करना ।

इन विषयों के कुछ संकेत निम्नांकित आगमों में मिलते हैं, यथा—कुशील के साथ संसर्ग करने का निषेध—सूय. श्रु. १ अ. ९ गा. २८ में है । दूसरे भिक्षुओं को अप्रियवचन कहने का निषेध—दशवै. अ. १० गा. १८ में है । सामान्य रूप से उद्गम आदि दोषों की गवेषणा का विधान उत्तरा. अ. २४ तथा दशवै. अ. ५ में है ।

॥ पन्द्रहवां उद्देशक समाप्त ॥

खोलहवां उद्देशक

निविद्ध शय्या में ठहरने का प्रायश्चित्त—

१. जे भिखू सागारियं सेज्जं उवागच्छइ, उवागच्छंतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिखू सज्जदगं सेज्जं उवागच्छइ, उवागच्छंतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिखू सागणियं सेज्जं उवागच्छइ, उवागच्छंतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु गृहस्थ युक्त शय्या में रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु पानी युक्त शय्या में रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु अग्नि युक्त शय्या में रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है । [उमें लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।]

धियेचन—“ससागारिक सेज्जं=जत्य इत्थि-पुरिसा वसंति सा सागारिका, इत्थिसागारिणे चउगुरुमा सुत्तणिवातो ।” —चूणि ॥

स्त्री-पुरुष जहां रहते हैं अथवा जहां अकेली स्त्री रहती हो या केवल स्त्रियां ही रहती हों, वह स्थान “सागारिक शय्या” है । ऐसी शय्या में भिक्षुओं के रहने का इस सूत्र में प्रायश्चित्त कहा है ।

व्याख्याकार ने भ्रातृपण, वस्त्र, आहार, सुगन्धित पदार्थ, वाद्य, नृत्य, नाटक, गीत तथा ध्यान, आसन आदि से युक्त स्थान को “द्रव्य-सागारिक शय्या” कहा है और स्त्रीयुक्त स्थान को “भाव-सागारिक शय्या” कहा है ।

अथवा जिस शय्या में रहने से सम्भोग के संकल्प उत्पन्न होने की सम्भावना हो, वह “सागारिक शय्या” कही जाती है ।

द्रव्य या भाव सागारिक शय्या में रहने से उन पदार्थों के चिन्तन या प्रेक्षण में तथा उनकी वार्ताओं में समय लग जाता है, जिससे स्वाध्याय, प्रतिलेखन, प्रतिप्रमण आदि संयम समाचारी का परिपालन नहीं हो पाता तथा सांसारिक प्रवृत्तियों का स्मरण तथा संयम भाव में शेषित्य या जाने से मोहकर्म का बन्ध एवं संयमविराधना होती है ।

छद्मस्थ साधक के अनुकूल निमित्त मिलने पर कभी भी मोहकर्म का उदय हो सकता है । जिससे यह संयम या ब्रह्मचर्य से विचलित हो सकता है ।

भान्ना. श्रु. २, ध. २ में स्त्री, बच्चे, पशु तथा आहारादि से युक्त शय्या में ठहरने का निषेध किया है और ऐसी सागारिक शय्या में ठहरने में होने वाले अनेक दोषों का भी कथन किया है ।

अतः भिक्षु द्रव्य एवं भाव सागारिक शय्या का परित्याग करके शुद्ध शय्या की गवेपणा करे। यदि गवेपणा करने पर भी निर्दोष शय्या न मिले तो गीतार्थ की निश्चा में विवेकपूर्वक रहे और सूत्रोक्त प्रायश्चित्त ग्रहण करे।

सजदगं सेज्जं—जहां पर खुले होज में या घड़े आदि में पानी रहता हो वहां ठहरने पर भिक्षु के गमनागमन आदि क्रियाओं से अप्रकायिक जीवों की विराधना हो सकती है।

उदय भाव से किसी भिक्षु को उस जल के पीने का संकल्प भी हो सकता है अथवा अन्य लोगों को साधु के जल पीने की आशंका हो सकती है।

बृहत्कल्प सूत्र उ. २ में जहां सम्पूर्ण दिन-रात अचित्त जल के घड़े भरे रहते हों वहां ठहरने का निषेध है और यहां सामान्य रूप से जल पड़ा रहने वाले स्थान में ठहरने का प्रायश्चित्त कहा है।

सागणिय सेज्जं—बृहत्कल्प सूत्र में अग्नि वाली शय्या में ठहरने के दो विकल्प कहे गए हैं—
१. चूल्हे भट्टी आदि में जलने वाली अग्नि, २. प्रज्वलित दीपक की अग्नि।

जिस घर में या घर के एक कक्ष में अग्नि जल रही हो या दीपक जलता हो तो वहां भिक्षु न ठहरे क्योंकि वह वहां गमनागमन करेगा या वन्दन, प्रतिलेखन, प्रमाज्जन आदि संयम समाचारी के कार्य करेगा तो अग्निकाय की विराधना होने की सम्भावना रहेगी।

शीत निवारण के लिये अग्नि का उपयोग करने पर हिंसा के अनुमोदन का दोष लगेगा।

व्याख्याग्रन्थों में जितने दोषों की कल्पना की गई है, वे प्रायः खुली अग्नि या खुले दीपक से हो सम्बन्धित हैं। वर्तमान में उपलब्ध विद्युत् संचालित दीपक आदि में उन दोषों की सम्भावना नहीं है, फिर भी प्रकाश के उपयोग से सम्बन्धित दोष तो सम्भवित है ही।

जहां अग्नि या दीपक दिन-रात जलते हों ऐसे स्थान में ठहरने का बृहत्कल्प सूत्र में निषेध है किन्तु यहाँ सामान्यरूप से प्रज्वलित अग्नि वाली शय्या में ठहरने का प्रायश्चित्त कहा गया है।

आचा. श्रु. २, अ. २, उ. ३ के ही सूत्र में एक साथ सागारिक शय्या, अग्नि वाली शय्या और जल वाली शय्या में ठहरने का निषेध है।

बृहत्कल्प सूत्र उद्देशक २ में अन्य स्थान न मिलने पर भिक्षु को जल या अग्नि युक्त स्थान में एक-दो रात ठहरने का आपवादिक विधान है।

निशीथभाष्यचूणि में यह भी कहा गया है कि अगीतार्थ साधु को ऐसे स्थान में १-२ रात्रि ठहरने पर भी प्रायश्चित्त आता है, गीतार्थ साधु को प्रायश्चित्त नहीं आता है। क्योंकि वह आपवादिक स्थिति के विवेक का यथार्थ निर्णय ले सकता है।

वास्तव में गीतार्थ का विहार करना और गीतार्थ की निश्चा में विहार करना ही कल्पनीय विहार है। एक या अनेक गीतार्थों के विचरण का तथा भिक्षाचारी आदि सभी कार्यों का निषेध ही है। अतः अन्य मकान के मुलभ न होने पर पूर्वोक्त शय्याओं में भिक्षु १-२ रात्रि ठहर सकता है, अधिक ठहने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त समझना चाहिए।

अनेक उपाश्रयों के व्यवस्थापक सुविधा के लिए विजली की फिटिंग करवाते हैं। आवश्यक कार्य होने पर लाइट का उपयोग करते करवाते हैं। उसी उपाश्रय में सन्त-सतियां भी ठहरते हैं। वहां

विजली का मैन स्वीच चौबीस घंटे ही जलता रहता है किन्तु उसके प्रकाश का उपयोग आवश्यक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

समय की जानकारी के लिए ध्राजकल सैल से चलने वाली घड़ियाँ उन उपाश्रयों में लगी रहती है।

मैन स्वीच श्रीर क्वाट्रज घड़ियों से उपरोक्त विराधना नहीं होती है, अतः ऐसे उपाश्रयों में ठहरने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है।

सचित्त इक्षु का सेधन का प्रायश्चित्त—

४. जे भिवणू सचित्तं उच्छुं भुंजइ, भुजंतं या साइज्जइ ।
५. जे भिवणू सचित्तं उच्छुं विडंसइ, विडंसंतं या साइज्जइ ।
६. जे भिवणू सचित्त-पइट्ठियं उच्छुं भुंजइ, भुजंतं या साइज्जइ ।
७. जे भिवणू सचित्त-पइट्ठियं उच्छुं विडंसइ, विडंसंतं या साइज्जइ ।
८. जे भिवणू सचित्तं १. अंतरुच्छुयं या, २. अच्छुयंडियं या, ३. उच्छुचोयगं या, ४. उच्छुमेरगं या, ५. उच्छुसातगं या, ६. उच्छुडगलं या भुंजइ, भुजंतं या साइज्जइ ।
९. जे भिवणू सचित्तं अंतरुच्छुयं या जाय उच्छुडगलं या विडंसइ विडंसंतं या साइज्जइ ।
१०. जे भिवणू सचित्त-पइट्ठियं अंतरुच्छुयं या जाय उच्छुडगलं या भुंजइ, भुजंतं या साइज्जइ ।
११. जे भिवणू सचित्त-पइट्ठियं अंतरुच्छुयं या जाय उच्छुडगलं या विडंसइ विडंसंतं या साइज्जइ ।
४. जों भिक्षु सचित्त ईध [गन्ना] खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।
५. जो भिक्षु सचित्त ईध को चूमता है या चूमने वाले का अनुमोदन करता है ।
६. जो भिक्षु सचित्त प्रतिष्ठित ईध को खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।
७. जो भिक्षु सचित्त प्रतिष्ठित ईध को चूमता है या चूमने वाले का अनुमोदन करता है ।
८. जो भिक्षु सचित्त १. ईध के पर्व का मध्य भाग, २. ईध के छिनके महित खण्ड (गंटेरी), ३. ईध के छिनके, ४. ईध के छिनके रहित खण्ड, ५. ईध का रस, ६. ईध के छोटे-छोटे टुकड़े खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।
९. जो भिक्षु सचित्त ईध के पर्व का मध्य भाग यावत् ईध के छोटे-छोटे टुकड़े चूमता है या चूमने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु सचित्त प्रतिष्ठित ईख के पर्व का मध्य भाग यावत् ईख के छोटे-छोटे टुकड़े खाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु सचित्त प्रतिष्ठित ईख के पर्व का मध्य भाग यावत् ईख के टुकड़े चूसता है या चूसने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—पूर्व उद्देशक में आम्र-फल के कथन से सभी सचित्त या सचित्त प्रतिष्ठित फलों के खाने का प्रायश्चित्त कहा गया है । किन्तु उन फलों में 'इक्षु' का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि यह फल नहीं है अपितु 'स्कन्ध' है । अतः इसका यहाँ आठ सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

प्रथम सूत्रचतुष्क में सामान्य इक्षु का और द्वितीय सूत्रचतुष्क में उसके विभागों का कथन है ।

आचा. श्रु २ अ. १ उ. १० में इक्षु को बहु उज्ज्वल धर्म वाला बताकर ग्रहण करने का निषेध किया गया है । आचा. श्रु २ अ. ७ उ. २ में अचित्त इक्षु हो तो उसके ग्रहण करने का विधान है तथा यहाँ सचित्त इक्षु के ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा गया है । अतः अचित्त होने पर भी किसी विशेष कारण से यह ग्राह्य है अन्यथा बहु उज्ज्वल धर्म वाला होने से अग्राह्य ही है । कभी किसी कारण से ग्रहण किया जाए तो अखाद्य अंश को विवेकपूर्वक एकान्त स्थान में परठने का ध्यान रखना चाहिए ।

भाष्यत्रुणि में 'उच्छुमेरु' के स्थान पर 'उच्छुमोयं' शब्द की व्याख्या की गई है, जो समानार्थक है तथा वहाँ अन्य भी 'काणिय, अंगारियं, विगदूमियं' आदि शब्दों की व्याख्या है । ये शब्द आचा. श्रु. २ अ. १ उ. ८ में उपलब्ध है । प्रस्तुत सूत्रचतुष्क में ये शब्द उपलब्ध नहीं हैं । इन शब्दों की व्याख्या आचारांग में देखें । वहाँ इन्हें सचित्त एवं अशस्त्रपरिणत भी कहा है ।

आरण्यकादिकों का आहारादि ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

१२. जे भिक्षू आरण्यगाणं वणंधाणं, अडवि-जत्ता-संपट्टियाणं, अडविजत्तापडिणियत्ताणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१२. जो भिक्षु अरण्य में रहने वालों का, वन में गए हुआओं का, अटवी की यात्रा के लिए जाने वालों का या अटवी की यात्रा से लौटने वालों का अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—सूत्र में वन, जंगल तथा अटवी में अशननादि ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा है । वहाँ चार प्रकार के लोगों का संयोग मिल सकता है—

१. अरण्यवासी—कंद, मूल आदि खाकर वन में ही रहने वाले ।
२. काष्ठ, फल आदि पदार्थों को लेने के लिए गए हुए ।
३. किसी लम्बी अटवी को पार करने के लिए जा रहा जनसमूह ।
४. अटवी से लौटता हुआ जनसमूह ।

इससे आहार लेने पर जंगल में अन्य कोई साधन न होने के कारण वे वनस्पति की विराधना करेंगे या पशु पक्षी को हिंसा करेंगे अथवा क्षुधा से पीड़ित होंगे इत्यादि दोषों की सम्भावना रहती है। अतः इनसे आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूत्र में तीन समान शब्दों का प्रयोग है, किन्तु उनके अर्थ में कुछ-कुछ भिन्नता है—

अरण्य—नगर ग्राम आदि वस्ती से अत्यन्त दूर के जंगल।

वन—ग्राम नगर आदि के समीप के वन।

अटवी—चोर आदि के भय से युक्त लम्बा जंगल, जिसे पार करने में अनेक दिन लगे एवं बीच में कोई वस्ती न हो।

अटवी से लौट रहे व्यक्तियों से भी आहार ग्रहण करने पर यदि १-२ दिन से अटवी पार होने की सम्भावना हो तो भी चोर आदि के कारण से अथवा मार्ग भूल जाने से कभी अधिक समय भी लग सकता है। अतः अटवी-यात्रा करने वालों का आहार सर्वथा अव्याप्त्य समझना चाहिए।

सूत्र में अटवी के सम्बन्ध में दो शब्द हैं, उन दोनों से अटवी में रहे हुए व्यक्ति ही समझना चाहिए, किन्तु अटवी में जाने की तैयारी में हों या अटवी पार कर ग्रामादि में पहुँच गए हों तो उनका आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त नहीं समझना चाहिए।

कुछ प्रतियों में इस एक सूत्र के स्थान पर दो सूत्र मिलते हैं। इसमें त्रिपि-प्रमाद ही प्रमुख कारण है।

यसुरात्मिक अथवा असुरात्मिक कथन का प्रायश्चित्त—

१३. जे भिषपू असुरादयं असुरादयं यमइ वयंतं वा साइज्जइ।

१४. जे भिषपू असुरादयं यसुरादयं यमइ वयंतं वा साइज्जइ।

१३. जो भिक्षु विशेष चारित्र्य गुण सम्पन्न को असुर चारित्र्य गुण वाला कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

१४. जो भिक्षु असुर चारित्र्य गुण वाले को विशेष चारित्र्य गुण सम्पन्न कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे नपुंसोभासी प्रायश्चित्त आता है।)

विषय—संयम धारण करने के बाद कई साधक जीवनपर्यन्त शुद्ध धाराधना में ही मग्न रहते हैं तथा अनेक साधक शारीरिक क्षमता कम हो जाने से या विचारधारा के परिवर्तन से संयम में अल्प पुरस्कार ही होते हैं तो कई संयम-मर्यादा का प्रतिश्रम ही करने लग जाते हैं और उनकी शुद्धि भी नहीं करते हैं। इस प्रकार साधकों की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ होती हैं।

संयम की शुद्ध धाराधना करने वाले भिक्षु संयम रूपी रत्न के धन से धनवान् होते हैं। अतः उनको इस सूत्र में "यसुरात्मिक" शब्द से सूचित किया गया है। जो संयममर्यादा का प्रतिश्रम करें उनको शुद्धि नहीं करते हैं, वे संयम रूप रत्न के धन से धनवान् नहीं रहते हैं। अतः सूत्र में उनको "असुरात्मिक" शब्द से सूचित किया गया है।

विभिन्न प्रकार की साधना करने वाले इन साधकों के विषय में भिक्षु को यथार्थ जानकारी प्राप्त किए बिना केवल राग-द्वेषवश या अज्ञानवश अयथार्थ कथन नहीं करना चाहिए । अर्थात् शुद्ध आचरण वाले भिक्षु को शिथिल आचरण वाला और शिथिल आचरण वाले भिक्षु को शुद्ध आचरण वाला नहीं कहना चाहिए ।

विपरीत कथन राग, द्वेष से या अज्ञान से ही किया जाता है । ऐसा करना भिक्षु के लिये उचित नहीं है । इसी कारण इन सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

असत्य कथन नहीं करना, इतना ही नहीं, सत्य वचन भी अप्रिय या अहितकर हो तो भिक्षु को धोला उचित नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि शुद्धाचारी को शिथिलाचारी और शिथिलाचारी को शुद्धाचारी कहना, विपरीत कथन होने से प्रस्तुत सूत्रद्वय में इसका प्रायश्चित्त कहा गया है ।

शिथिलाचारी को शिथिलाचारी कहना परुष वचन होने से १५वें उद्देशक के दूसरे सूत्र के अनुसार प्रायश्चित्त आता है ।

अतः भिक्षु को अयथार्थ कथन भी नहीं करना और यथार्थ कथन भी किसी को अप्रिय एवं अहितकर हो तो नहीं करना चाहिए ।

सूत्र में संयम गुणों की अपेक्षा से यह कथन है, अन्य ज्ञानादि सभी गुणों के विषयों में अयथार्थ कथन का प्रायश्चित्त इन सूत्रों से ही समझ लेना चाहिए ।

सांभोगिक व्यवहार के लिये गणसंक्रमण का प्रायश्चित्त—

१५. जे भिक्खू वुसिराइयगणाओ अबुसिराइयगणं संकमइ, संकमंतं वा साइज्जइ ।

१५. जो भिक्षु विशेष चारित्र्य गुण सम्पन्न गण से अल्प चारित्र्य गुण वाले गण में संक्रमण करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—गणनायक जैसे चारित्र्यगुण से सम्पन्न होता है, उस गण के साधु-साध्वी भी प्रायः वैसे ही चारित्र्यगुण से सम्पन्न होते हैं । अतः गणनायक के अनुसार गण भी शुद्धाचार वाला या शिथिलाचार वाला कहा जाता है ।

किसी भिक्षु को स्वगच्छ में किसी विशेष कारण से आत्मशांति या सन्तुष्टि न हो और वह गणपरिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है ।

ठाणांग सूत्र के पांचवें स्थान में गणपरिवर्तन के पांच कारण बताये हैं ।

बृहत्कल्प सूत्र उ. ४ में अन्य गण में जाने की प्रक्रिया का विधान इस प्रकार किया है—
आचार्यादि पदवीधर यदि अन्य गण में जाना चाहें तो अपने पद पर गण की सम्मति से आचार्य पद-योग्य किसी अन्य भिक्षु को प्रस्थापित करके और गण की आज्ञा लेकर के जाएं ।

सामान्य साधु भी आचार्यादि की आज्ञा लेकर ही जाए । बिना आज्ञा लिये कोई भी अन्य गण में नहीं जा सकता है ।

आगम में गणपरिवर्तन का प्रमुख कारण यह कहा है कि गणपरिवर्तन में वास्तव में आत्म-प्राप्ति होती हो और आत्मगुणों की वृद्धि होती हो तो जाना कल्पता है किन्तु गणपरिवर्तन करने भी आत्मा में प्रान्ति या आत्मगुणों की हानि होती हो तो गुरु की आज्ञा मिलने पर भी गण-परिवर्तन करने में जिनाज्ञा नहीं है, ऐसा इन सूत्रों से समझना चाहिये ।

भाषार्थ यह है कि यदि कोई अपने गण के आचार से अपेक्षाकृत कम आचार वाले गण में जाना चाहे तो उसे सूत्रानुसार जाना नहीं कल्पता है । फिर भी कोई भिक्षु सहनशीलता की कमी से या शारीरिक-मानसिक समाधि न रहने से ऐसे गण में जावे तो प्रस्तुत सूत्र के अनुसार उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

ठापांग सूत्र के पूर्वें ठापे में जो गण-संक्रमण के कारण कहे हैं, उनमें से किसी भी कारण से यदि कोई भिक्षु आचार्यादि की आज्ञा लेकर गण-संक्रमण करे तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

गणसंक्रमण के पूर्व भविष्य के हिताहित का पूर्ण विचार करना अत्यावश्यक है, क्योंकि वारंवार गणसंक्रमण करने वाले को उत्तरा श्र. १७ में पापश्रमण कहा गया है तथा छः भास के अन्दर ही फिर अन्य गण में संक्रमण करे तो उसे दणा द. २ में सबलदोष कहा है । अतः आवेग में अन्तर विना विचार किए गणसंक्रमण नहीं करना चाहिये ।

कदाग्रहो के साथ लेन-देन करने का प्रायश्चित्त—

१६. जे भिषणू युग्गहवकंताणं असणं वा, पाणं वा, चाइमं वा, साइमं वा देइ, दंतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिषणू युग्गहवकंताणं असणं वा, पाणं वा, चाइमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिषणू युग्गहवकंताणं वरयं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा देइ, दंतं वा साइज्जइ ।

१९. जे भिषणू युग्गहवकंताणं वरयं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिषणू युग्गहवकंताणं वरसहिं देइ, दंतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिषणू युग्गहवकंताणं वरसहिं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

२२. जे भिषणू युग्गहवकंताणं वरसहिं अणुपयिसइ, अणुपयिसंतं वा साइज्जइ ।

२३. जे भिषणू युग्गहवकंताणं सज्जामं देइ, दंतं वा साइज्जइ ।

२४. जे भिषणू युग्गहवकंताणं सज्जामं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

१६. जो भिक्षु कदाग्रही भाव से अलग विचरने वाले [कदाग्रही] भिक्षुओं को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१७. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

१८. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं को वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोच्छन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं से वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोच्छन लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं को उपाश्रय देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं से उपाश्रय लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

२२. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं के उपाश्रय में प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२३. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं से वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—“क्षुग्गहो कलहो, तं काउं अवक्कमति ।”

वुग्गहो त्ति कलहो त्ति, भंडणं ति, विवादो त्ति एगद्धं ॥ —चूणि ॥

जो दुराग्रही भिक्षु सूत्र से विपरीत कथन या विपरीत आचरण करके कलह करते हैं या गच्छ का परित्याग कर स्वच्छन्द विचरते हैं, उनके लिये सूत्र में “वुग्गहवक्कंताणं” शब्द का प्रयोग किया गया है । यहाँ ऐसे साधुओं की संगति करने का, उनसे सम्पर्क करने का या उनके साथ आदान-प्रदान आदि व्यवहार करने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

क्योंकि विरोधभाव रहने से आहार, पानी, वस्त्रादि के देने-लेने में वशीकरण का प्रयोग या विप का प्रयोग किया जा सकता है । कदाचित् ‘काकतालीय न्याय’ के अनुसार कोई घटना घट जाए तो एक दूसरे पर आशंका या आरोप लगाने का प्रसंग उत्पन्न हो जाता है ।

कदाग्रही के साथ ठहरने से अनावश्यक विवाद या कपायवृद्धि हो सकती है । अल्पज्ञ या अपरिपक्व साधु भ्रमित होकर गण या संयम का भी त्याग कर सकते हैं । अथवा कदाग्रही के साथ ही रह सकते हैं ।

वाचना देने-लेने में भी संसर्गज दोष आदि अनेक दोषों की उत्पत्ति या वृद्धि होने की सम्भावना रहती है । अतः उत्सूत्र प्ररूपक कदाग्रही साधुओं से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखना चाहिए ।

यहाँ उन कदाग्रही भिक्षुओं को वन्दन करने का या उनकी प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त नहीं कहा है, तथापि उसका प्रायश्चित्त ममक लेना चाहिए ।

कदाग्रही या पार्श्वस्थ आदि के साथ अनेक प्रकार के सम्पर्कों का यद्यपि प्रायश्चित्त कहा गया है तथापि उनके साथ अग्निष्ट या असभ्य व्यवहार करना साधु के लिए कदापि उचित नहीं है । ऐसा करना भी प्रायश्चित्त का कारण है ।

गीतार्थ भिक्षु किसी विशेष प्रकार के नाभ का कारण जानकर या आपवादिक परिस्थिति में उन्हें आहार देना आदि व्यवहार कर सकता है । फिर उस कृत्य का यथोचित प्रायश्चित्त ग्रहण कर शुद्ध भी हो सकता है ।

उपाश्रय में प्रवेश करने के बायोसर्वे प्रायश्चित्त सूत्र का भाष्य चूर्ण में कोई निर्देन नहीं है । अतः मूल पाठ में किमी कारण से यह सूत्र बढ़ा हुआ प्रतीत होता है । उस सूत्र के पूर्व उपाश्रय के लेन-देन के दो प्रायश्चित्त सूत्र हैं । तीन सूत्र होने से यह अर्थ होगा कि— उनके साथ एक उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए तथा उनके उपाश्रय में जाना भी नहीं चाहिए ।

निषिद्ध क्षेत्रों में विहार करने का प्रायश्चित्त—

२५. जे भिषखु विहं अणेगाह-गमणिज्जं सइत्ताडे विहाराए संघरमाणेसु जणयएसु विहार-यडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेतं या साइज्जइ ।

२६. जे भिषखु विरय-रुवाइं दनुपायतणाइं अणारियाइं मितवणुइं पच्चतियाइं सइत्ताडे विहाराए संघरमाणेसु जणयएसु विहार-यडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं या साइज्जइ ।

२५. जो भिक्षु आहार आदि भुविधा में प्राप्त होने वाले जनपदों [क्षेत्रों] के होते हुए भी बहुत दिन लगे ऐसे लम्बे मार्ग में जाने का संकल्प करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. जो भिक्षु आहार आदि भुविधा में प्राप्त होने वाले जनपदों [क्षेत्रों] के होते हुए भी अनाय, स्तेच्छ एवं मोमा पर रहने वाले घोर-मुटेरे आदि जहाँ रहते हैं, उस तरफ विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है । (उने लघुचोमागी प्रायश्चित्त आता है ।)

विषेचन—आवा. ध. २ अ. ३ उ. १ में अनाय क्षेत्रों में तथा अनेक दिनों में पार होने योग्य मार्ग में जाने का निषेध किया गया है तथा जाने पर घाने वाली घापत्तियों का भी स्पष्टीकरण किया है और यह भी सूचित किया है कि संनमसाधना के योग्य क्षेत्र होते हुए ऐसे क्षेत्रों की घोर विहार नहीं करना चाहिए ।

अनाय क्षेत्रों में विहार करने से यहाँ के भ्रष्ट निवासी अनुप्य पूरता में उपसर्ग करें तो भिक्षु अपने घोर घोर संनम की समाधि में स्थिर नहीं रह सकेंगा और मारणात्मिक उपसर्ग होने पर घाम-विराधना एवं संनमविराधना भी होगी अतः भिक्षु को ऐसे क्षेत्रों में जाने की विनाशा नहीं है ।

घामरोध में जाने के विषे भी किसी मार्ग में ऐसी लम्बी घटयो हो कि त्रिने पार करने में अनेक दिन लगे और मार्ग में आहार-नाशो या मशान भी न मिले तो उस दिना में विहार नहीं करना

चाहिए, क्योंकि मार्ग में अचानक वर्षा आ जाए, जगह-जगह पानी भर जाए, वनस्पति या कीचड़ आदि हो जाए तो वहाँ आहार आदि के अभाव में संयम और प्राणों के लिए संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कहीं नदियों में पानी अधिक आ जाए तो वहाँ नौका मिलना भी सम्भव नहीं है, इत्यादि दोषों का कथन करके आचारांगसूत्र में ऐसे विहार का निषेध किया है। उसी का यहाँ इन दो सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है।

दुष्काल के कारण या राजा आदि के द्वेषपूर्ण व्यवहार से संयम-निर्वाह के योग्य अन्य क्षेत्र के अभाव में विकट अटवी का मार्ग पार करके आर्यक्षेत्र में जाना पड़े तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है। आचारांग और निशीथ दोनों ही सूत्रों में इसकी छूट दी गई है तथा वैसी परिस्थिति में क्या विवेक करना चाहिए यह भी आचारांगसूत्र में बताया गया है।

इसके अतिरिक्त मार्ग में जहाँ सेना का पड़ाव हो, दो राजाओं का विरोध चल रहा हो, उस दिशा में जाने का भी वहाँ निषेध किया गया है। अतः भिक्षु जहाँ तक सम्भव हो शरीर और संयम में असमाधि उत्पन्न करने वाले मार्ग या क्षेत्रों में विहार नहीं करे।

घृणित कुलों में भिक्षागमनादि का प्रायश्चित्त—

२७. जे भिक्खू दुगुं छियकुलेसु असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिक्खू दुगुं छियकुलेसु चत्यं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिक्खू दुगुं छियकुलेसु वसाहं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिक्खू दुगुं छियकुलेसु सज्जायं उद्दिसइ, उद्दिसंतं वा साइज्जइ ।

३१. जे भिक्खू दुगुं छियकुलेसु सज्जायं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ ।

३२. जे भिक्खू दुगुं छियकुलेसु सज्जायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

२७. जो भिक्षु घृणित कुलों से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

२८. जो भिक्षु घृणित कुलों से वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोच्छन्न लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

२९. जो भिक्षु घृणित कुलों की शय्या ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

३०. जो भिक्षु घृणित कुलों में स्वाध्याय का उद्देश (मूल पाठ की वाचना देना) करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

३१. जो भिक्षु घृणित कुलों में स्वाहाय को वाचना (सूत्रायं) देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३२. जो भिक्षु घृणित कुलों में स्वाहाय की वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमांसी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—घाचा. श्रु. २ घ. १ उ. २ में अजुगुप्सित घोर अग्रहित १२ कुलों में तथा अन्य ऐसे ही कुलों में भिक्षा के लिए जाने का विधान किया गया है ।

इन सूत्रों में केवल जुगुप्सित कुलों से भिक्षा लेने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्य ये तीन अजुगुप्सित कुल हैं और शूद्र जुगुप्सित कुल है ।

स्वेच्छ आदि अनार्य कुल भी भिक्षा आदि के लिए वर्जनीय कुल माने गए हैं ।

गोपानक, कृपक, बडई, जुनाहे, दिल्पी, नाई तथा अन्य भी ऐसे कुलों में गोचरी जाने का घाचा. श्रु. २ घ. १ उ. २ में विधान है ।

उत्तरा. घ. १२ तथा १३ में 'हरिजन' कुल वालों के द्वारा समय ग्रहण करना एवं धाराधना कर मोक्ष जाने का वर्णन मिलता है । अतः जुगुप्सित कुल वालों को धर्म-भाराधना करने का निषेध नहीं समझना चाहिए । कभी कभी हरिजन में भिक्षु का यदि स्वर्ण हो जाए तो उसे निती प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं आता है । तथापि भिक्षु जिन कुलों से भिक्षा लेता है, उनमें शौचकर्मवादी अधिक होते हैं, अतः उसे जुगुप्सित कुलों में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे एषया शौचों को टालने के लिए शौचकर्मियों के घरों में प्रवेश करना पड़ता है । भिक्षा के लिए जुगुप्सित कुलों में प्रवेश करने वाले भिक्षु को अन्य शौचकर्मों (शौच प्रधान धर्म वाले) लोग अपने घरों में प्रवेश करने के लिए मना कर सकते हैं । अतः केवल सामाजिक व्यवहार के कारण यह सूत्रीय निषेध एव प्रायश्चित्त विधान है, ऐसा समझना चाहिए ।

उत्तरा. घ. २५ में कहा है कि कर्म से शत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण होते हैं और कर्म से ही शूद्र होते हैं ।

घाचा. श्रु. १ घ. २ उ. ३ में कहा है कि यह जीव कभी उच्चगोत्र में और कभी नीचगोत्र में जन्म लेता है, अतः न कोई नीच है और न कोई उच्च है ।

भिक्षु सभी के साथ सदा समभाव से व्यवहार करता है, फिर भी सामाजिक मर्यादा में इन कुलों में प्रवेश नहीं करना आदि सूत्रीय विधानों का पालन किया जाना भी आवश्यक है ।

भाष्य चूनि में मूतक और भृतक के त्रिपाकर्म करने वाले कुलों को भी अल्पकालीन जुगुप्सित कुल में गिनाया गया है ।

यद्यपि जुगुप्सित कुल में टहरने मात्र का ही प्रायश्चित्त है, तथापि कभी कारणवश टहरना पड़ जाय तो यहाँ पर स्वाहाय का उद्गम या वाचना आदि नहीं करना चाहिए ।

पृथ्वी, शय्या तथा स्त्रीके पर आहार रखने का प्रायश्चित्त—

३३. जे मिखलू अतर्ण वा, पार्णं वा, आइमं वा, साइमं वा पुडमीण् निरिजवह, निरिजवर्णं वा साइग्गह ।

३४. जे भिखू असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा संथारए णिखिखवइ, णिखिखवंतं वा साइज्जइ ।

३५. जे भिखू असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा वेहासे णिखिखवइ, णिखिखवंतं वा साइज्जइ ।

३३. जो भिक्षु अशन. पान, खाद्य या स्वाद्य भूमि पर रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३४. जो भिक्षु अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य संस्तारक पर रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य छीके खूंटी आदि पर रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन.—भिक्षु करपात्री या पात्रधारी होते हैं । अतः हाथ में, पात्र में या पात्र रखने के वस्त्र पर तो अशनादि रखा जा सकता है । किन्तु हाथ में या पात्र में ग्रहण किए हुए आहार को भूमि पर या आसन पर रखना नहीं कल्पता है ।

पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मनुष्य तिर्यंचादि जीव फिरते रहते हैं और वे अशुचिमय पदार्थों का जहाँ तहाँ परित्याग करते रहते हैं, भूमि पर अनेक प्रकार के अपवित्र पुद्गल पड़े रहते हैं, रज आदि भी रहती है, कीड़ी आदि अनेक प्रकार के प्राणी भी परिभ्रमण करते रहते हैं तथा भूमि पर खाद्य पदार्थ रखना लोकव्यवहार से भी अनुचित है, अतः सूत्र में इसका प्रायश्चित्त कहा गया है ।

वस्त्र का आसन या घास का संस्तारक अनेक दिनों तक उपयोग में आता रहता है । उस पर आहार रखने से आहार का अंश-लेप लग जाने पर कीड़ियों के आने की सम्भावना रहती है । आसन में मेल पसीना आदि भी लगे रहते हैं । अतः आसन पर और इन्हीं कारणों से पहनने के वस्त्र, रजोहरणादि पर आहार रखना भी निषिद्ध समझ लेना चाहिए ।

खूंटी, छीके आदि पर रखने से कमी गिरने पर पात्रों के फूटने की सम्भावना रहती है । चूहे आदि भी वहाँ पहुँच कर काट सकते हैं, गिरा सकते हैं ।

इत्यादि कारणों से पृथ्वी पर, आसन पर तथा छीका आदि पर अशनादि रखना निषिद्ध है और रखने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

प्रादेशिक परिस्थिति के कारण छीका आदि में आहार को बाँधकर रखना आवश्यक हो तो छीका व उसका ढक्कन रखा जा सकता है, ऐसा निशीय के दूसरे उद्देशक से स्पष्ट होता है ।

खाद्य पदार्थों में कई लेपरहित शुष्क पदार्थ भी होते हैं । उन्हें पृथ्वी आदि पर रखने से उपर्युक्त दोष सम्भव नहीं हैं, फिर भी प्रमादरूप प्रवृत्ति हो जाने से दोष परम्परा बढ़ती है । अतः सूत्र में सामान्यरूप से सभी प्रकार के अशन आदि को रखने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

यदि असावधानी से कोई खाद्य पदार्थ भूमि पर गिर जाए और उस पर रज आदि अपवित्र

पदार्थ न सगे हों तो अच्छी तरह देखकर उसका उपयोग भिक्षु कर सकते हैं। ऐसा करने पर यूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं पाता है।

स्वेच्छा से खाच पदार्थ पृथ्वी पर रखना अनुचित प्रवृत्ति है। मूत्र में ऐसी प्रवृत्ति का ही प्रायश्चित्त कहा गया है।

गृहस्थों के सामने आहार करने का प्रायश्चित्त—

३६. जे भिक्षू अणउत्थिएहि वा गारत्थिएहि वा सद्धि भुंजइ, भुंजंतं वा साइजइ ।

३७. जे भिक्षू अणउत्थिएहि वा गारत्थिएहि वा सद्धि आवेडिय-परिवेडिय भुंजइ, भुंजंतं वा साइजइ ।

३६. जो भिक्षु अन्नवर्तीषिकों या गृहस्थों के साथ [समीप बैठकर] आहार करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

३७. जो भिक्षु अन्नवर्तीषिकों या गृहस्थों से थिरकर [कुछ दूर बंटे या छड़े हों, वहाँ] आहार करता है या आहार करने वाले का अनुमोदन करता है। (उत्ते सधुचोमासो प्रायश्चित्त पाता है।)

विषय—पन्द्रहवें उद्देशक में गृहस्थ को आहारदि देने का प्रायश्चित्त कहा गया है। अब यहाँ "सद्धि" पद से समीप में बैठकर खाना यह धर्म करना प्रसंगगत है। क्योंकि साथ में धर्मानु एक पात्र में खाने पर तो धनेक दीपों की सम्भावना रहती है। यदि गृहस्थ का लामा हुआ आहार है तो आधाकरा आदि दीपयुक्त हो सकता है। यदि माधु का लामा हुआ आहार है तो देने में घटसदीय सगता है और ये दीप तो गुरुचोमासो प्रायश्चित्त के योग्य है, जबकि प्रस्तुत मूत्र में सधुचोमासो प्रायश्चित्त का कथन है। अतः प्रथम मूत्र में गृहस्थ और भिक्षु का समीप में बैठकर आहार करने का प्रायश्चित्त समझना चाहिए।

गृहस्थ भोजन नहीं कर रहे हों, किन्तु दूर एक दिशा में या चारो तरफ छड़े या बंटे हों तब भिक्षु उनके सामने आहार करे तो उसका दूसरे मूत्र में प्रायश्चित्त कहा है।

गृहस्थ के निश्चय बैठकर खाने में गृहस्थ के द्वारा निमन्त्रण करना, देना आदि प्रवृत्ति होने की सम्भावना रहती है, देखने वालों को नन्का हो सकती है। कभी कोई गृहस्थ जपदेस्ती भी पात्र में आहार टास सकता है या छीन सकता है।

सामने जो गृहस्थ बंटे या छड़े हों, उनमें कोई मुद्रहमयुति याने या देवी भी हो सकते हैं। वे आहार को या आहार करते हुए भिक्षु को देखकर धनेक प्रकार में धक्केलना आदि कर सकते हैं।

भिक्षु के आहार करने की विधि भी गृहस्थ के भिन्न होती है। क्या—पात्र धौंकर माफकर के खाना या छीकर पीना आदि। धनः चारो ओर की दीवारों वाले एक छत वाले प्लान्न स्थान में आहार करना चाहिए।

आहार करने समय भी बडाणिण् कोई गृहस्थ यहाँ या जामे और बैठ जाए तो भिक्षु को "एकामन" मंत्र में भी धमत्र जाना करना है।

कदाचित् गृहस्थ रहित स्थान आहार करने के लिए न मिले तो भिक्षु एक ओर या चारों ओर वस्त्र का पर्दा लगाकर भी आहार कर सकता है ।

यदि भिक्षु अकेला ही आहार करने वाला हो तो गृहस्थ की तरफ पीठ करके विवेकपूर्वक आहार कर सकता है । तात्पर्य यह है कि गृहस्थ न देखे, ऐसे स्थानों में बैठकर ही भिक्षुओं को आहारादि का उपयोग करना चाहिए ।

आचार्य उपाध्याय की आराधना का प्रायश्चित्त—

३८. जे भिक्खू आयरिय-उवज्जायाणं सेज्जा-संथारयं पाएणं संघट्टेत्ता हत्थेणं अणणुणवेत्ता धारयमाणे गच्छइ, गच्छतं वा साइज्जइ ।

३८. जो भिक्षु आचार्य-उपाध्याय के शय्या-संस्तारक को पैर से स्पर्श हो जाने पर हाथ से विनय किए बिना मिथ्या दुष्कृत दिए बिना चला जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—किसी की कोई भी वस्तु के पांव लगाना अविवेकपूर्ण आचरण है । आचार्य और उपाध्याय तो सम्पूर्ण गच्छ में सबसे अधिक सम्माननीय होते हैं । अतः प्रत्येक साधु को उनका विनय-बहुमान करना ही चाहिए । उनके शय्या-संस्तारक—विछौने के पांव लग जाना भी अविनय एवं अविवेक का द्योतक है और उनके शरीर, आहार, वस्त्रादि के पांव लगाना भी अविनय है । अतः भिक्षु को आचार्यादि के या उनकी उपधि एवं आहारादि के निकट से अत्यन्त विवेकपूर्वक गमनागमन करना चाहिए । चूर्ण में कहा है—

हत्थेण अणणुणवेत्ता-हस्तेन स्पृष्ट्वा न नमस्कारयति, मिथ्यादुष्कृतं च न भायते, तस्स चउलहं ।

कदाचित् आचार्यादि के संस्तारक पर भिक्षु का पांव लग जाए तो उस भिक्षु को वहां विद्यमान आचार्यादि से विनयपूर्वक क्षमायाचना करनी चाहिए । यदि वे अन्यत्र हों तो पांव से अविनय होने की प्रतिपूर्ति में हाथ से स्पर्श कर विनय करना और "भिच्छामि दुक्कडं" कह कर भूल स्वीकार करना चाहिए । यदि पांव से कोई रज आदि लग जाए तो उसे साफ करना चाहिए ।

अन्य साधु की कोई उपधि या शरीर आदि के पांव लग जाए तो भी इसी प्रकार का विवेक प्रदर्शित करना चाहिए ।

जो भिक्षु ऐसे प्रसंगों में कुछ भी विनय-विवेक किए बिना जैसे चल रहा है वैसे ही सीधा चला जाए तो उसे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

क्योंकि ऐसा करने से आचार्यादि के प्रति सम्मान नहीं रहता है, अविवेक की परम्परा प्रचलित होती है, देखने वालों को अविनय का अनुभव होता है, गच्छ की अवहेलना होती है, अन्य साधु भी उसी का अनुसरण करें तो गच्छ में अविनय की वृद्धि होती है ।

यद्यपि आसन आदि पदार्थ वंदनीय नहीं हैं, तथापि पैर के स्पर्श से हुए अविनय की निवृत्ति के लिए केवल हाथ से स्पर्श कर विनयभाव प्रकट करना चाहिए, यह सूत्र का आशय है ।

मर्यादा से अधिक उपधि रखने का प्रायश्चित्त—

३९. जे भिख्यु गणनाइरितं वा, पमानाइरितं वा उपहि धरेइ, धरेंतं वा साइग्गइ ।

३६. जो भिद्यु गणना से वा प्रमाण से अधिक उपधि रखता है वा रखने वाले का अनुमोदन करना है । (उसे सपुत्रोमामी प्रायश्चित्त घाता है ।)

विधेय—भिद्यु के सम्पूर्ण उपधि मूलक मूल बृहत्कल्पमूल उ. ३ में तथा प्रथमव्याकरण-मूल श्रु. २, य. ५ में है ।

भिद्यु को दोषित होते समय रजोहरण, गोच्छदग, पात्र और तीन अष्टवर्ष वस्त्र ग्रहण करके प्रश्रित होना कल्पता है । ऐसा बृहत्कल्पमूल में कहा है ।

यहाँ रजोहरण, गोच्छदग [पूजणी] और पात्र की मर्यादा का कथन नहीं किया गया है । शेष उपकरण चदर, शीलपट्टक, मुखवस्त्रिका, घासन, झोनी, पात्र के वस्त्र, रजोहरण का वस्त्र इनके लिए कुल तीन अष्टवर्ष वस्त्र लेने का कथन है, किन्तु इनकी अनग-धनग नकवा या माप नहीं बताया गया है ।

बृहत्कल्पमूल के उद्देशक तीन में ही अष्टवर्ष वस्त्र (पूर्ण धान) रखने का निषेध किया गया है । अतः यहाँ पर कहे गए तीन धान केवल सम्पूर्ण उपधि के माप के मूलक हैं, ऐसा समझना चाहिए । त्रिमका परम्परा में ७२ हाथ प्रमाण वस्त्र का माप माना गया है । किन्तु मूल धामर्गों में एवं भाष्यादि में इस माप का स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।

प्रथमव्याकरणमूल में कहा है "पात्रधारी मुविहित भक्षण के ये उपकरण होने हैं—पात्र, पात्रवस्त्र, पात्रवेगरिका, पात्र रखने का वस्त्र तीन पटल, रजम्पाण, गोच्छदग, तीन चदर, रजोहरण, शीलपट्टक, मुखवस्त्रिका आदि इनकी भी वह मयम धौर वागीरिक मुरक्षा के लिए धारण करता है ।"

यहाँ रजोहरण और गोच्छदग का कथन करने के माप पात्र के स्थान पर पात्र सम्बन्धी ६ उपकरण एवं तीन अष्टवर्ष वस्त्र को जगह चदर, शीलपट्टक, मुखवस्त्रिका आदि कहे हैं, इनमें पटल एवं चदर की संख्या तीन-तीन कही है, किन्तु पात्र, शीलपट्टक, मुखवस्त्रिका तथा सम्पूर्ण उपकरणों की संख्या का निर्देश नहीं है तथा पटल के अन्त में "आदि" चदर का प्रयोग किया गया है, जिनसे अन्य उपधि का भी अर्थ हो सकता है, यथा—घासन आदि ।

इन दो स्थलों के अतिरिक्त धाधार्यागमूल में वस्त्र-पात्र सम्बन्धी स्वतन्त्र अध्यायन भी है तथा रिदगुत्तों में भी वस्त्र पात्र रजोहरण आदि के विधि-निषेध का अनेक गुणों में वर्णन है ।

प्रस्तुत प्रायश्चित्तमूल में गिनती में और प्रमाण [माप] में अधिक उपधि रखने का प्रायश्चित्त कहा है किन्तु उपर्युक्त धामर्गों में उपधि के माप गया मर्यादा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । केवल चदर और पात्र के अर्थ एवं अष्टवर्ष वस्त्र की मर्यादा का उल्लेख है । भाष्य विदुग्धि में उपधि का विस्तृत वर्णन होने हुए भी अनेक धारमय उपकरणों के माप एवं संख्या का उल्लेख नहीं है तथा कई उल्लेख अस्पष्ट हैं, यथा—एक पात्र रखना या अनेक मापु की दो हाथ का शीलपट्टक रखना । एक मात्रक रखना किन्तु ऊपरकी उच्योत में नहीं लेना, इत्यादि । इन्हीं कारणों से उपधि । परिमाण को परम्पराएँ भिन्न-भिन्न हो गई है ।

चादर—तीन चदर रखने का उल्लेख आगमों में स्पष्ट है तथा इस सूत्र की चूर्ण में कर-पात्र वाले या पात्रधारी जिनकल्पी भिक्षु को एक, दो या तीन चदर रखना बताया है ।

आचारांग श्रु. १, अ. ८, उ. ४-५-६ में वस्त्र सम्बन्धी अभिग्रहधारी भिक्षु का वर्णन है । वहाँ भी तीन वस्त्र [चदर] धारी, दो वस्त्रधारी, एक वस्त्रधारी और अचेलक चोलपट्टकधारी भिक्षु का वर्णन है ।

वस्त्र की ऊणोदरी के वर्णन में एक वस्त्र [चदर] रखना मूल पाठ में कहा है । व्याख्या में दो चदर रखना भी वस्त्र की उणोदरी होना कहा है । अतः चदर की संख्या आगमों में तथा उनकी व्याख्याओं में स्पष्ट है ।

आचा. श्रु. २, अ. ५, उ. १ में किस-किस जाति के वस्त्र ग्रहण करना, इस वर्णन में ६ जाति का उल्लेख करने के पश्चात् कहा गया है कि—“जो भिक्षु तरुण एवं स्वस्थ हो, वह एक वस्त्र अर्थात् एक ही जाति का वस्त्र धारण करे दूसरा नहीं ।” इस कथन को चदर की संख्या के लिए मानकर अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्त्र की जाति का ही विधान किया गया है तथा आगमों में जिनकल्पी व अभिग्रहधारी भिक्षु के लिए भी तीन चदर रखने का स्पष्ट उल्लेख है । वस्त्र की ऊणोदरी करने के वर्णन से भी अनेक चदर रखना सिद्ध है । अतः समर्थ साधु को एक जाति के वस्त्र ही धारण करना ऐसा अर्थ आचारांगसूत्र के पाठ का करना ही आगमसम्मत है तथा तीन चदर से कम अर्थात् दो या एक चदर रखकर ऊणोदरी तप करना ऐच्छिक समझना चाहिए ।

भाष्य गाथा ५८०७ में कहा है कि जिनकल्पी अभिग्रहधारी आदि भिक्षु तीन, दो या एक चदर रख सकते हैं किन्तु स्थविरकल्पी को तीन चदर नियमतः रखनी चाहिए ।

भाष्य गाथा ५७९४ में चदर का मध्यम माप ३३ × २३ हाथ तथा उत्कृष्ट ४ × २३ हाथ कहा है । अर्थात् तरुण सन्त के लिए साढ़े तीन हाथ और वृद्ध सन्त के लिए चार हाथ लम्बी चदर रखना कहा है ।

आचारांगसूत्र के वस्त्रपणा अध्ययन में साध्वी के चदरों की चौड़ाई चार हाथ, तीन हाथ तथा दो हाथ की कही है, वहाँ लम्बाई का कथन नहीं है । फिर भी चौड़ाई से लम्बाई तो अधिक ही होती है, इसलिए पांच हाथ की लम्बी चदर करने की परम्परा उपयुक्त ही है ।

उत्तरा. अ. २६ में प्रतिलेखना प्रकरण में जो “छ पुरिमा नव घोडा” का कथन है, उससे भी चदर की उत्कृष्ट लम्बाई पांच हाथ की होना उपयुक्त है ।

साध्वी के लिए जो तीन माप की चार चदरों का कथन है वे चदरें समान लम्बी-चौड़ी नहीं होती है, वैसे ही भिक्षु के तीनों चदरें समान नहीं होती है । आगमों में इनके माप का उल्लेख न मिलने से उपयोगिता और आवश्यकतानुसार छोटी-बड़ी बनाई जा सकती हैं ।

चदर की चौड़ाई का कथन व्याख्या में एक ही प्रकार का अर्थात् ढाई हाथ का बताया है । उसे आगम वर्णन के अनुसार तीनों ही चदरों के लिए समझ लेना उचित नहीं है । अतः भिक्षु के तीनों चदरों की लम्बाई-चौड़ाई होनाधिक होती है । वर्तमान में प्रायः पांच हाथ लम्बी और तीन हाथ चौड़ी चदर का उपयोग किया जाता है ।

घोसपट्टक—प्रथमव्याकरणानुस मं भिक्षु की उपधि में घोसपट्टक का केवल नामोल्लेख है। इसके घनिरिक्त अन्य वर्णन प्रागमों में नहीं है।

निगोपभाष्य गाथा ५८०४ में तरण भिक्षु के लिए केवल दो हाथ लम्बा, एक हाथ चौड़ा घोसपट्टक का माप कहा है। जो भौतिक व्यवहार में लज्जा रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसका घोषित्य गमभ्र में नहीं आता।

इस गाथा में घोसपट्टक की संख्या भी नहीं कही है।

यूद्ध भिक्षु के लिए इसी गाथा में चार हाथ लम्बा और एक हाथ चौड़ा घोसपट्टक का माप बताया है। जो उनके लिए भी पूर्ण लज्जा रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्राचीन युद्ध परम्परा के प्रभाव में वर्तमान सामु समाज में अनेक प्रकार के लम्बाई एवं चौड़ाई के माप वाले घोसपट्टक प्रचलित हैं। जो भाष्य कथित प्रमाण में भिन्न हैं। बृहत्कल्पसूत्र के तीसरे उद्देशक में भिक्षु के धारण्यक सभी उपकरणों हेतु तीन घण्टा वस्त्र [पान] ग्रहण करके दीक्षा लेने का विधान है। यदि भाष्य कथित परिमाण के चट्टर-घोसपट्टक आदि बनाए जायें तो उक्त विधान के तीन पान शिष्टने गर्तों को ग्रहण करने की धारण्यकता नहीं रहती है। इसलिए चट्टर, घोसपट्टक का पूर्ण परिमाण यही है कि वह लज्जा रखने योग्य, शीत निवारण योग्य और अपने शरीर को लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार हो।

घोसपट्टक की संख्या के सम्बन्ध में प्रागम तथा भाष्य में यद्यपि उल्लेख नहीं है। फिर भी प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा से जगन्म दो घोसपट्टक रखना स्वविरकल्पी के लिए उचित हो है।

मुखवस्त्रिका—“मुखपोतिका-मुख विधानाय, पोत-वस्त्र मुखपोत, तदेव त्स्वयं पतुर-मुत्ताधिकविगस्त्रिमात्रप्रमाणत्वात् मुखपोतिका। मुखवस्त्रिकामाम्।” —घोषित्युक्ति।

भाष्य—मुखवस्त्रिका पर्यात् मुख को धावत करने का वस्त्र। एक रेत और चार अंगुल घणित् मोनह अंगुल की मुखवस्त्रिका।

निगोपभाष्य एवं बृहत्कल्पभाष्य में यही एक माप कहा गया है, किन्तु लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है। अन्य प्रागमों की व्याख्याओं में भी लम्बाई-चौड़ाई का समय-समय उल्लेख नहीं मिलता है। अतः मुखवस्त्रिका का प्रमाण मोनह अंगुल समसोरस होना स्पष्ट है। मुक्तिपुत्रक समाज में प्रायः समसोरस मुहपति रखने की परम्परा प्रचलित है। स्थानस्थानी समाज में २१ अंगुल लम्बी और मोनह अंगुल चौड़ी मुखवस्त्रिका रखने की परम्परा है। मुखवस्त्रिका का यह माप शिष्टी प्रागम में या व्याख्या अन्य में नहीं है, किन्तु यह माप मुख पर बांधने में अधिक उपयुक्त है।

घोषित्युक्ति में मुखवस्त्रिका के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है, यथा—

वत्सायंश्च गुनानि विततिरशेषेति, एतच्चतुरस्य पुधान्तस्त्रम प्रमाणम्, अथवा द्वं द्वितीय प्रमाणं—पक्षु मुखप्रमाणं कर्त्स्नं मुहर्गतं; एतदुक्तं भवति वसतिप्रमाणेनाहो यथा मुखं पक्षुत्तने श्यतं कोनदने गृहोया कृत्वाटिका वृष्टतस्य यथा घंषिर्हनुं शरवने तथा कर्त्स्नं एतद्द्वितीयं प्रमाणं, तस्मात् प्रमाणेन पुनस्तरेकमेव पुधानंतरं भवतीति। —घोषित्युक्ति, गाथा-७११ की टीका।

भाष्य—मुखवस्त्रिका मोनह अंगुल की लम्बी और चौड़ी समसोरस होती है। दूसरे प्रकार की मुखवस्त्रिका भी होती है जो मरान का प्रमाण के करने के समय निकाल करके मुख एवं शरीर को

ढककर गर्दन के पीछे गांठ देकर बांधी जाती है, यह भी समचौरस होती है। इसका प्रमाण उक्त विधि से बांधी जा सके जितना समझना चाहिये। गणना की अपेक्षा दोनों प्रकार की मुखवस्त्रिकाएँ प्रत्येक श्रमण-श्रमणी की एक-एक-रखना चाहिए।

ओघनियुक्ति गाथा ६९४ की टीका में भी मुखवस्त्रिका के समचौरस सोलह अंगुल की होने का उल्लेख है। इसी कारण से छेदसूत्रों के व्याख्या ग्रन्थों में मुखवस्त्रिका की लम्बाई-चौड़ाई अलग-अलग न कहकर केवल सोलह अंगुल का माप ही कहा गया है। ओघनियुक्ति के इस कथन की जानकारी न होने के कारण अथवा इसे उपयुक्त प्रमाण न मानकर अर्वाचीन आचार्यों ने इक्कीस अंगुल की लम्बाई और १६ अंगुल की चौड़ाई को कल्पना की है। किन्तु मौलिक प्रमाण तो सोलह अंगुल की समचौरस मुखवस्त्रिका होने का ही मिलता है।

गाथा ७१२ में दोनों प्रकार की मुखवस्त्रिका का प्रयोजन बताया है। उसकी टीका इस प्रकार है—

“संपातिमसत्त्वरक्षणार्थं जल्पदभिमुंक्षे दीयते,” “तथा नासिकामुखं बध्नाति तथा मुख-वस्त्रिकया वसति प्रमाजंयन्, येन न मुखादौ रजः प्रविशतीति।”

संपातिम जीवों की रक्षा के लिए बोलते समय मुखवस्त्रिका मुख पर रखी जाती है तथा उपाश्रय का प्रमाजन करते समय सूक्ष्म रज मुख और नाक में प्रवेश न करे, इसके लिए मुखवस्त्रिका बांधी जाती है।

उत्तरा. अ. ३ की व्याख्या में मुखवस्त्रिका रखने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि—

संति संपातिमाः सत्वाः, सूक्ष्माश्च व्यापिनोऽपरे।

तेषां रक्षानिमित्तं च, विज्ञेया मुखवस्त्रिकाः॥

—अभि. राजेन्द्र कोप भा. ६, पृष्ठ ३३३

अर्थ—संपातिम प्राणियो तथा अन्य इधर-उधर फैले हुए सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए ‘मुखवस्त्रिका’ रखी जाती है, ऐसा समझना चाहिए।

भगवतीसूत्र ध. १६, उ. २ में खुले मुँह से बोली जाने वाली भाषा को सावध कहा है। मुनि सावध भाषा का त्यागी होता है।

जिनकल्पी आदि वस्त्ररहित एवं पात्ररहित रहने वाले भिक्षुओं को भी मुखवस्त्रिका रखना आवश्यक है। क्योंकि मुखवस्त्रिका तथा रजोहरण मुनि चिह्न के आवश्यक उपकरण हैं।

प्रमाण के लिए देखें—

१. बृहत्कल्प उ. ३, भाष्य गा. ३९६३ की टीका

२. निशीथ उ. २, भाष्य गा. १३९१

३. अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ४ ‘जिणकप्प’ पृ. १४८९,

—आचा. श्रु. १ अ. २ टीका

४. अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ६ ‘तिगकप्प’ पृ. ६५६

—पंचकल्पःभाष्य एवं चूणि, कल्प २

इन प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि मुहपति मुख पर बांधना ही मुनि-विद्व
एवं जोवरक्षा के लिए उपयुक्त है। भगवत्प्रायः सभी साधु-साध्वियों का खुले मुँह बोलना निश्चित
है तथा इधर-उधर रख देने से मुनि-चित्त भी नहीं रहता है। ग्रामादि में चलते समय या विहार
आदि में मुखवस्त्रिका मुख पर न रहे तो जिनकल्पों आदि के लिए भाष्यादि में इसे मुनि-चित्त की
सपेक्षा आवश्यक उपकरण कहना निरर्थक हो जाता है।

भगवत्सूत्र ध. ९, उ. ३२ में घाठ पट की मुहपति का उल्लेख है।

समुत्पान सूत्र में भी घाठ पट होने का उल्लेख है।

श्वे. स्मृतिपूजक समाज में चार पट की मुहपति रखी जाती है किन्तु एक किनारे घाठ पट भी
कर दिए जाते हैं। उगें सदा हाथ में रखते हैं। विहार आदि के समय चोलपट्टक में भी लटका देते
हैं। श्वे. स्मानक वागी मुनि पूर्ण रूप से घाठ पट करके मुखवस्त्रिका मुख पर बांध कर रखते हैं।

तिरपुराण अध्याय २१ में जैन साधु का परिचय देते हुए मुख पर मुखवस्त्रिका धारण करने
का कहा है। यथा—

हस्ते पात्रं यद्यानायच, तुङ्गे वस्त्रस्य धारणाः।

मत्तिनान्येय वासोति, धारयंत्यन्पभाविनः॥

नितीषभाष्य तथा विहनिर्मुक्ति में कहा है—

वितियं वि यप्पमाणं, मुहप्पमाणेण कायत्वं ॥३८०२॥

—राजेन्द्र कोप भा. ६, पृ. ३३३

मुखवस्त्रिका मुख पर बांधने से ही मुख प्रमाण बनाने का यह कथन मार्थक हो सकता है।

मुखवस्त्रिका की संख्या भी प्रागम में नहीं बही गई है। अतः दो या अधिक आवश्यकतानुसार
रखी जा सकती है। व्याख्या ग्रन्थों में एक-एक मुखवस्त्रिका रखना कहा है।

कम्बल—प्रागम में अनेक जगह कम्बल का नाम आता है। यह शीत में शरीर की रक्षा के
लिए रखा जाता है।

प्रथमस्नानकरणसूत्र में जहाँ तीन चट्टर का कथन है, वहाँ अन्य उपधि में कम्बल का नाम नहीं
है, इसलिए इनका सम्बन्ध तीन चट्टरों में रिया जाता है। जो भिक्षु शीत-परीपह महन कर सकरा है
वह चट्टर का ऊजोदरो गप करता हुआ एक सूती चट्टर में भी निर्वाह कर सकता है तथा प्रथम भी रह
सकता है।

सपका चट्टर की जाति की सपेक्षा ऊजोदरो तप करता हुआ भिक्षु केवल सूती चट्टर रखने पर
कम्बल का त्याग कर सकता है।

कम्बल की जोवरक्षा का साधन भी माना जाने लगा है जो परम्परा मात्र है, किन्तु प्रागम-
सम्मत नहीं है। उता ध. ७ में पहिमापारी भिक्षु का भूयोदय से भूयोदय तक विहार करने का कर्त्तव्य
है। जहाँ भूयोदय हो जाए वहाँ रात्रि भर धम्मसत भाव से स्थीर करने का कथन है।

वृत्तसूत्र उ. २ में साधु की धुने धाकाना याने स्थान में रहना कम्बनीय कहा है, साधु की
धम्मसत, कर्त्तव्य है, किन्तु वहाँ धम्मसत की विराधना होना या कम्बल धोड़कर रहना नहीं कहा है।

अतः कम्बल को मुखवस्त्रिका या रजोहरण के समान जीवरक्षा का आवश्यक उपकरण मानना आगम-सम्मत नहीं है।

आसन—भिक्षु चट्टर, चोलपट्टक, कम्बल के सिवाय सूती या ऊनी आसन भी आवश्यकता एवं, इच्छानुसार रख सकता है। वस्त्र ऊणोदरी तप करने वाला भिक्षु ऊनी वस्त्र का त्याग करके सूती आसन रख सकता है तथा वस्त्र का अधिक त्याग करने वाला भिक्षु आसन रखने का भी त्याग कर सकता है। वह जो भी वस्त्र रखता है, उसी को शय्या आसन के उपयोग में ले लेता है। जो अचेल बन जाता है वह बिना आसन के केवल शय्या-संस्तारक से ही निर्वाह करता है।

व्याख्या ग्रन्थों में दो आसन रखने का विधान भी है—एक सूती, दूसरा ऊनी। वहाँ सूती को उत्तर-पट्ट और ऊनी को संस्तारक-पट्ट कहा है।

पात्र सम्बन्धी वस्त्र—१. भिक्षा लाने के लिए भोली, २. आहार युक्त पात्रों को रखने का वस्त्र, ३. खाली पात्रों को बाँधने के समय उनके बीच में दिए जाने वाले वस्त्र, ४. पानी छानने या उसे ढंकने का वस्त्र, ५. पात्र-प्रमार्जन करने का कोमल वस्त्र।

इन्हें प्रश्न. श्रु. २, अ. ५ में क्रमशः १. पात्रवन्धन, २. पात्रस्थापनक, ३. पटल, ४. रजस्त्राण, ५. पात्रकेसरिका कहा है। ये वस्त्र आवश्यकतानुसार लम्बे-चोड़े रखे जा सकते हैं। क्योंकि आगमों में इनके माप का कोई उल्लेख नहीं है।

पादप्रोच्छन्न—यह भी एक वस्त्रमय उपकरण है। इसका कथन आगमों में अनेक स्थलों पर है। निशीथसूत्र में भी अनेक जगह इसका कथन है। इसका मुख्य उपयोग पाँव पोंछना है।

आचारांगसूत्र में मलत्याग के समय भी इसका उपयोग करने का कहा है। बृहत्कल्प उ. ५ तथा निशीथ उ. २ के अनुसार कभी-कभी काष्ठदण्ड से बाँधकर शय्या के प्रमार्जन में भी इसका उपयोग किया जाता है। निशीथ उ. ५ के अनुसार यदि कभी आवश्यक हो तो गृहस्थ का पादप्रोच्छन्न एक दो दिन के लिए लाया जा सकता है। इस तरह आगमों में पादप्रोच्छन्न के अनेक प्रकार एवं अनेक उपयोग बताए हैं। इन भिन्न-भिन्न प्रयोगों के कारण या अन्य किसी दृष्टिकोण से व्याख्याग्रन्थों में इसे रजोहरण का पर्यायवाची भी मान लिया गया है। कही इसको दो पदों में विभाजित करके 'पात्र' तथा 'प्रोच्छन्न' (रजोहरण) ऐसा अर्थ भी किया गया है। इस अर्थभ्रम के कारण मूल पाठ में भी अनेक जगह रजोहरण के स्थान पर पादप्रोच्छन्न लिखा गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। यह पादप्रोच्छन्न रजोहरण से भिन्न उपकरण है, ऐसा प्रश्नव्याकरणसूत्र से स्पष्ट है। क्योंकि वहाँ दोनों उपकरण अलग-अलग कहे हैं और टीकाकार ने भी अलग-अलग गिनकर उपकरणों की संख्या १२ कही है।

दश. अ. ४ में भी एक साथ दोनों उपकरणों के नाम गिनाए हैं।

यह जीर्ण या उपयोग में आए हुए वस्त्रखण्ड का बनाया जाता है, जो सूती या ऊनी किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका भी कोई माप निर्दिष्ट नहीं है। व्याख्याग्रन्थों में यह एक हाथ का समचौरस ऊनी वस्त्र खण्ड कहा गया है। किन्तु ऊनी वस्त्र का त्याग कर ऊणोदरी करने वाले सभी कामों में सूती वस्त्र का ही उपयोग करते हैं। अतः कोई भी उपकरण ऊनी ही हो, ऐसा आग्रह नहीं किया जा सकता है। पादप्रोच्छन्न विषयक अन्य जानकारी के लिए उ. २ सूत्र १-८ का विवेचन देखें।

इन प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि मुँहपत्ति मुख पर बांधना ही मुनि-चिह्न एवं जीवरक्षा के लिए उपयुक्त है। अन्यथा प्रायः सभी साधु-साध्वियों का खुले मुँह बोलना निश्चित है तथा इधर-उधर रख देने से मुनि-चिह्न भी नहीं रहता है। ग्रामादि में चलते समय या विहार आदि में मुखवस्त्रिका मुख पर न रहे तो जिनकल्पी आदि के लिए भाष्यादि में इसे मुनि-चिह्न की अपेक्षा आवश्यक उपकरण कहना निरर्थक हो जाता है।

भगवतीसूत्र श. ९, उ. ३२ में आठ पट की मुँहपत्ति का उल्लेख है।

समुत्थान सूत्र में भी आठ पट होने का उल्लेख है।

श्वे. भूतिपूजक समाज में चार पट की मुँहपत्ति रखी जाती है किन्तु एक किनारे आठ पट भी कर दिए जाते हैं। उसे सदा हाथ में रखते हैं। विहार आदि के समय चोलपट्टक में भी लटका देते हैं। श्वे. स्थानक वासी मुनि पूर्ण रूप से आठ पट करके मुखवस्त्रिका मुख पर बांध कर रखते हैं।

शिवपुराण अध्याय २१ में जैन साधु का परिचय देते हुए मुख पर मुखवस्त्रिका धारण करने का कहा है। यथा—

हस्ते पात्रं दधानाश्च, तुंङ्गे वस्त्रस्य धारकाः।

मलिनान्येव वासांसि, धारयंत्यल्पभाषिणः॥

निशीषामाप्य तथा पिडनियुंक्ति में कहा है—

वित्तिं पि यप्पमाणं, मुहप्पमाणेण कायत्वं ॥५८०५॥

—राजेन्द्र कोप भा. ६, पृ. ३३३

मुखवस्त्रिका मुख पर बांधने से ही मुख प्रमाण बनाने का यह कथन सार्थक हो सकता है।

मुखवस्त्रिका की संख्या भी आगम में नहीं कही गई है। अतः दो या अधिक आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। व्याख्या ग्रन्थों में एक-एक मुखवस्त्रिका रखना कहा है।

कम्बल—आगमों में अनेक जगह कम्बल का नाम आता है। यह शीत से शरीर की रक्षा के लिए रखा जाता है।

प्रश्नव्याकरणसूत्र में जहाँ तीन चद्दर का कथन है, वहाँ अन्य उपधि में कम्बल का नाम नहीं है, इसलिए इसका समावेश तीन चद्दरों में किया जाता है। जो भिक्षु शीत-परीपह सहन कर सकता है वह वस्त्र का ऊणोदरी तप करता हुआ एक सूती चद्दर से भी निर्वाह कर सकता है तथा प्रचेन भी रह सकता है।

अथवा वस्त्र की जाति की अपेक्षा ऊणोदरी तप करता हुआ भिक्षु केवल सूती वस्त्र रखने पर कम्बल का त्याग कर सकता है।

कम्बल को जीवरक्षा का साधन भी माना जाने लगा है जो परम्परा मात्र है, किन्तु आगम-सम्मत नहीं है। दशा द. ७ में पडिमाधारी भिक्षु का सूर्योदय से सूर्यास्त तक विहार करने का वर्णन है। जहाँ सूर्यास्त हो जाए वहाँ रात्रि भर अग्रमत भाव से व्यतीत करने का कथन है।

वृहत्कल्प उ. २ में साधु को खुले आकाश वाले स्थान में रहना कल्पनीय कहा है, साध्वी को अकल्पनीय कहा है। किन्तु वहाँ अन्धकार की विराधना होना या कम्बल झोड़कर रहना नहीं कहा है।

अतः कम्बल को मुखवस्त्रिका या रजोहरण के समान जीवरक्षा का आवश्यक उपकरण मानना आगम-सम्मत नहीं है ।

आसन—भिक्षु चदर, चोलपट्टक, कम्बल के सिवाय सूती या ऊनी आसन भी आवश्यकता एवं, इच्छानुसार रख सकता है । वस्त्र ऊणोदरी तप करने वाला भिक्षु ऊनी वस्त्र का त्याग करके सूती आसन रख सकता है तथा वस्त्र का अधिक त्याग करने वाला भिक्षु आसन रखने का भी त्याग कर सकता है । वह जो भी वस्त्र रखता है, उसी को शय्या आसन के उपयोग में ले लेता है । जो अचेल बन जाता है वह बिना आसन के केवल शय्या-संस्तारक से ही निर्वाह करता है ।

व्याख्या ग्रन्थों में दो आसन रखने का विधान भी है—एक सूती, दूसरा ऊनी । वहाँ सूती को उत्तर-पट्ट और ऊनी को संस्तारक-पट्ट कहा है ।

पात्र सम्बन्धी वस्त्र—१. भिक्षा लाने के लिए भोलो, २. आहार युक्त पात्रों को रखने का वस्त्र, ३. खाली पात्रों को बाँधने के समय उनके बीच में दिए जाने वाले वस्त्र, ४. पानी छानने या उसे ढंक्ने का वस्त्र, ५. पात्र-प्रमार्जन करने का कोमल वस्त्र ।

इन्हें प्रश्न. श्रु. २, अ. ५ में क्रमशः १. पात्रबन्धन, २. पात्रस्थापनक, ३. पटल, ४. रजस्त्राण, ५. पात्रकेसरिका कहा है । ये वस्त्र आवश्यकतानुसार लम्बे-चौड़े रखे जा सकते हैं । क्योंकि आगमों में इनके माप का कोई उल्लेख नहीं है ।

पादप्रोच्छन्न—यह भी एक वस्त्रमय उपकरण है । इसका कथन आगमों में अनेक स्थलों पर है । निशीथसूत्र में भी अनेक जगह इसका कथन है । इसका मुख्य उपयोग पाँव पोंछना है ।

आचारांगसूत्र में मलत्याग के समय भी इसका उपयोग करने का कहा है । बृहत्कल्प उ. ५ तथा निशीथ उ. २ के अनुसार कभी-कभी काष्ठदण्ड से बाँधकर शय्या के प्रमार्जन में भी इसका उपयोग किया जाता है । निशीथ उ. ५ के अनुसार यदि कभी आवश्यक हो तो गृहस्थ का पादप्रोच्छन्न एक दो दिन के लिए लाया जा सकता है । इस तरह आगमों में पादप्रोच्छन्न के अनेक प्रकार एवं अनेक उपयोग बताए हैं । इन भिन्न-भिन्न प्रयोगों के कारण या अन्य किसी दृष्टिकोण से व्याख्याग्रन्थों में इसे रजोहरण का पर्यायवाची भी मान लिया गया है । कहीं इसको दो पदों में विभाजित करके 'पात्र' तथा 'प्रोच्छन्न' (रजोहरण) ऐसा अर्थ भी किया गया है । इस अर्थभ्रम के कारण मूल पाठ में भी अनेक जगह रजोहरण के स्थान पर पादप्रोच्छन्न लिखा गया हो, ऐसा प्रतीत होता है । यह पादप्रोच्छन्न रजोहरण से भिन्न उपकरण है, ऐसा प्रश्नव्याकरणसूत्र से स्पष्ट है । क्योंकि वहाँ दोनों उपकरण अलग-अलग कहे हैं और टीकाकार ने भी अलग-अलग गिनकर उपकरणों की संख्या १२ कही है ।

दश. अ. ४ में भी एक साथ दोनों उपकरणों के नाम गिनाए हैं ।

यह जीर्ण या उपयोग में आए हुए वस्त्रखण्ड का बनाया जाता है, जो सूती या ऊनी किसी भी प्रकार का हो सकता है । इसका भी कोई माप निर्दिष्ट नहीं है । व्याख्याग्रन्थों में यह एक हाथ का समचौरस ऊनी वस्त्र खण्ड कहा गया है । किन्तु ऊनी वस्त्र का त्याग कर ऊणोदरी करने वाले सभी कामों में सूती वस्त्र का ही उपयोग करते हैं । अतः कोई भी उपकरण ऊनी ही हो, ऐसा आग्रह नहीं किया जा सकता है । पादप्रोच्छन्न विषयक अन्य जानकारी के लिए उ. २ सूत्र १-८ का विवेचन देखें ।

निशीथिया—यह रजोहरण की डंडी के ऊपर लपेटने का वस्त्र होता है। इसका आगम में कही भी निर्देश नहीं है। अतः यह परम्परा से रजोहरण की डंडी पर लपेटने के लिए है। इससे रजोहरण व्यवस्थित बंधा रहता है और वस्त्र युक्त काष्ठ दंड से पशु आदि कोई भयभीत भी नहीं होते हैं। कसीदा एवं रंगों से युक्त निशीथिया रखने की और दो-तीन निशीथिये लपेटकर रखने की प्रवृत्ति भी है, जो केवल परम्परामात्र है। जिसका संयम की अपेक्षा से कोई महत्त्व नहीं है और ऐसे चित्र-विचित्र रंग-विरंगे कसीदे वाले उपकरण साधु के लिए अकल्पनीय भी हैं।

ये मय वस्त्र सम्बन्धी उपकरण कहे गये हैं। आगमों में इन सभी के माप का स्पष्ट वर्णन नहीं है। अतः भिक्षु ममत्व भाव न करते हुए उपयोगी वस्त्र आवश्यकता एवं गण समाचारी के अनुसार रख सकता है। किन्तु उन सभी वस्त्रों का कुल माप तीन अर्धशत वस्त्र (थान-ताका) से अधिक होने पर उन्हें मूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है और निशी. उ. १८ के अनुसार सकारण (अशक्ति आदि से) आज्ञा पूर्वक मर्यादा से अतिरिक्त वस्त्र रखे जाने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है।

साध्वी के लिए—आगमों में ४ चट्टरों का और उनकी चौड़ाई का कथन है। 'उग्गहर्णतक' और 'उग्गहपट्टक' ये दो उपकरण विशेष कहे गए हैं। आगमों में साध्वी के उपकरणों का भी अलग-अलग स्पष्ट माप नहीं है। अतः साध्वियों भी आवश्यकता और समाचारी के अनुसार उपकरण रख सकती हैं किन्तु अकारण एवं आज्ञा बिना चार अर्धशत वस्त्र के माप से अधिक वस्त्र रखने पर उन्हें भी मूत्रोक्त प्रायश्चित्त सम्भन्ना चाहिए।

शीलरक्षा के लिए और शरीर-संरचना के कारण कुछ उपकरण संख्या व माप में अधिक होने से इनके लिए बृहत्कल्पसूत्र में एक अर्धशत वस्त्र अधिक कहा गया है।

उग्गहर्णतक-उग्गहपट्टक—शुष्कांग को ढंकने का लम्बा (लंगोट जैसा) कपड़ा 'उग्गहपट्टक' कहा गया है। जांघिया जैसे उपकरण को उग्गहर्णतक कह सकते हैं।

बृहत्कल्प सूत्र उ. ३ में ये दोनों उपकरण साधु को रखने का निषेध है और साध्वी को रखने का विधान है। ये दोनों उपकरण शीलरक्षा के लिए रखे जाते हैं और यथासमय पहने जाते हैं। व्याख्याकारों ने इन दो उपकरणों के स्थान पर छह उपकरणों का वर्णन किया है तथा साध्वी के लिए कुल २५ उपकरणों की संख्या बताई है और साधु के लिए १४ उपकरण कहे हैं। आगमों में संख्या का ऐसा कोई निर्देश नहीं है। भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न उपकरणों का कथन है। प्रथमव्याकरण-सूत्र में एक साथ उपकरणों का कथन है परन्तु वहाँ संख्या का निर्देश नहीं है, न ही उस कथन से भाष्योक्त संख्या का निर्णय होता है।

पात्र—लकड़ी, तुम्बा, मिट्टी, इन तीन जाति के पात्रों में से किसी भी जाति के पात्र रखे जा सकते हैं, ऐसा वर्णन अनेक आगमों में स्पष्ट मिलता है किन्तु पात्र की संख्या का निर्णय किसी भी आगमपाठ से नहीं होता है।

१. आचा. श्रु. १, ध. ८, उ. ४ में विशिष्ट प्रतिज्ञाधारी समर्थ भिक्षु के लिए अनेक पात्रों का वर्णन है—

'जे भिक्खू तिहि वत्थेहि परिवुसिए, पाय चउत्थेहि ।'

यहाँ पर एकवचन का प्रयोग न करके 'पाय चउत्थेहि' ऐसा बहुवचनांत शब्द का प्रयोग किया गया है ।

२. व्यव. उ. २ में परिहारतप प्रायश्चित्त वहन करने वाले भिक्षु के लिए आहार करने का विधान करते हुए पात्र की अपेक्षा से पाँच शब्दों का प्रयोग किया है—

'सयंसि वा पडिग्गहंसि, सयंसि वा पलासगंसि, सयंसि वा कमंडलंसि, सयंसि वा खुब्बगंसि, सयंसि वा पाणिसि ।'

यहाँ आहार के पात्र के लिए 'पडिग्गहंसि' शब्द है । मात्रक के लिए 'पलासगंसि' शब्द है और पानी के पात्र के लिए 'कमंडलंसि' शब्द है । इस पाठ में भी अनेक प्रकार के पात्र होने का कथन स्पष्ट है ।

३. भगवतीसूत्र श. २, उ. ५ में गौतमस्वामी के गोचरी जाने के वर्णन में उनके अनेक पात्रों का वर्णन है—

'तए णं से भगवं गीयमे छट्ठवखमणपारणगंसि जाव भायणाइं वत्याइं पडिलेहेइ भायणाइं वत्याइं पडिलेहिता भायणाइं पमज्जइ, भायणाइं पमज्जिता भायणाइं उग्गाहेइ, भायणाइं उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव भिव्खायरियं अडइ जाव एसणं अणेसणं आलोएइ आलोएत्ता भत्तपाणं पडिदंसेइ ।'

इस वर्णन में बताया गया है कि गौतमस्वामी ने बहुत से पात्रों का प्रतिलेखन, प्रमाजंन किया तथा गोचरी में लाए हुए आहार तथा पानी दोनों भगवान् को दिखाए । यहाँ पर गौतमस्वामी के अनेक पात्र होने का स्पष्ट वर्णन है ।

४. भगवतीसूत्र श. २५, उ. ७ में उपकरण-ऊणोदरी का वर्णन इस प्रकार है—

'से कि तं उवगरणोमोयरिया ?

उवगरणोमोयरिया एगे वत्ये, एगे पाए, चियत्तोवगरणसाइज्जणया ।'

यहाँ एक वस्त्र (चदर) एवं एक पात्र रखने से ऊणोदरी तप होने का कथन है । इससे अनेक वस्त्र एवं अनेक पात्र रखना स्पष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि अनेक वस्त्र-पात्र कल्पनीय हों तब ही एक वस्त्र या पात्र रखने से ऊणोदरी तप हो सकता है ।

५. प्रश्नव्याकरणसूत्र श्रु. २, अ. ५ में पात्र के उपकरणों में 'पटल' की संख्या तीन कही गई है । पटल का उपयोग पात्रों को बांधकर रखते समय किया जाता है । पात्र के बीच में रखे जाने के कारण इन को 'पटल' (अस्तान) कहा गया है । इनकी संख्या तीन कही गई है अतः पात्र तो तीन से ज्यादा होना स्वतः सिद्ध हो जाता है । एक या दो पात्र के लिए तीन पटल की आवश्यकता नहीं होती है । व्याख्याकारों ने पटल का उपयोग गोचरी में भ्रमण करते समय आहार के पात्रों को ढंकने का बताया है, पाँच सात पटल रखना भी कह दिया है । किन्तु आगम में आहार के पात्रों को ढंकने के लिए भोलो एवं रजस्त्राण उपकरण अलग कहे गये हैं, अतः पटल का उपयुक्त उपयोग ही उचित है ।

६. आचा. श्रु. २, अ. ६ में पात्र सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है—

‘भिवखू वा भिवखूणी धा धमिकंसेज्जा पायं एत्तित्ताए, से जं पुण पायं जाणेज्जा, तं जहा—
अलाउपायं वा दाहपायं वा मट्टियापायं वा, तहृप्पगारं पायं जे निग्गंथे तरुणे जाव थिरसंघयणे, से एणं
पायं धारेज्जा णो बीयं ।’

अर्थ—भिक्षु या भिक्षुणी पात्र की गवेषणा करना चाहे, तब वह ऐसा जाने कि यह तुम्हें का
पात्र, लकड़ी का पात्र या मिट्टी का पात्र है। इनमें से जो निग्रन्थ तरुण यावत् स्थिर संहनन वाला है
वह एक ही प्रकार का पात्र ग्रहण करे दूसरे प्रकार का नहीं।

यहाँ तीन जाति के पात्रों का कथन करके एक को ग्रहण करने का जो विधान किया है वह
एक जाति की अपेक्षा से है, ऐसा अर्थ ही आगमसंगत है। यदि सम्बन्ध मिलाए बिना ही ऐसा समझ
लिया जाए कि संख्या में एक ही पात्र भिक्षु को कल्पता है अनेक नहीं, तो यह अर्थ उपर्युक्त अनेक
आगमपाठों से विरुद्ध है। क्योंकि गणघर गौतमस्वामी के एवं पारिहारिक तप करने वाले भिक्षु के तथा
विशिष्ट प्रतिज्ञाधारी भिक्षुओं के भी अनेक पात्र होना ऊपर बताए गए आगमप्रमाणों से स्पष्ट है।

यदि तरुण स्वस्थ साधु को एक ही पात्र कल्पता हो तो अनेक पात्र रखना कमजोरी और अपवाद-
मार्ग सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में पात्र की ऊणोदरी करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। जबकि
भगवती आदि सूत्रों में ऊणोदरीतप का पाठ स्पष्ट मिलता है तथा उसको व्याख्या भी मिलती है।

अतः आचारांग के इस पाठ में एक जाति के पात्र ही तरुण साधु को कल्पते हैं, यही अर्थ
करना निराबाध है।

इस प्रकार से भिक्षु के अनेक पात्र रखने का निर्णय तो हो जाता है, किन्तु कितने पात्र रखना
यह निर्णय नहीं हो पाता है।

तीन पटल के पाठ से जघन्य ४ पात्र रखना तो स्पष्ट है, इसके अतिरिक्त मात्रक तीन प्रकार
के कहे गए हैं—१. उच्चारमात्रक, २. प्रस्रवणमात्रक, ३. खेलमात्रक।

इनमें प्रस्रवणमात्रक तो सभी को आवश्यक होता है, किन्तु खेलमात्रक और उच्चार
मात्रक विशेष कारण से किसी-किसी को आवश्यक होता है।

आचारांग के इस पाठ से या अन्य किसी कारण से भाष्य-टीकाकारों ने पात्र संख्या की चर्चा
करते हुए एक पात्र व एक मात्रक रखने को कल्पनीय सिद्ध किया है। जिसमें मात्रक का विधान
आर्यरक्षित के द्वारा किया गया बताया है। अन्यत्र भी इस विषयक विस्तृत चर्चा की गई है। जिसका
उपर्युक्त आगम प्रमाणों के सामने कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है तथा एक या दो पात्र रखने की
कोई परम्परा भी प्रचलित नहीं है।

गोच्छ्रम—संयम लेते समय ग्रहण की जाने वाली उपधि के वर्णन में पात्र से भिन्न “गोच्छ्रम”
का कथन है।

उत्तरा. अ. २६ में सूर्योदय होने पर मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना के बाद “गोच्छ्रम” के
प्रतिलेखन करने का विधान है। उसके बाद यस्त्र-प्रतिलेखन का कथन है। तदनन्तर पीन पोरिसी
झाने पर पात्रप्रतिलेखन का विधान है।

इन सूत्रों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि "गोच्छ्रग" पात्र सम्बन्धी उपकरण नहीं है किन्तु वस्त्रों के प्रतिलेखन में प्रमार्जन करने का उपकरण है, जिसे प्रमार्जनिका (पूजणी) कहा जाता है।

प्रश्नव्याकरणसूत्र श्रु. २, अ. ५ में अनेक उपकरणों के नाम निर्देश हैं तथा वहाँ "आदि" शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिससे पादप्रोद्धन, मात्रक, आसन आदि अनिर्दिष्ट उपकरणों को ग्रहण किया जाता है। उस पाठ में भी "गोच्छ्रग" उपकरण स्वतन्त्र कहा गया है।

दशवै. अ. ४ में अनेक उपकरणों के निर्देश के साथ "गोच्छ्रग" का भी निर्देश पात्र से अलग किया है।

व्याख्याकारों ने "गोच्छ्रग" को पात्र का ही उपकरण गिनाया एवं समझाया है और उसे ऊनी वस्त्रखण्ड बताया है। किन्तु उपर्युक्त स्पष्टीकरण से गोच्छ्रग को पूजणी ही समझना उचित है।

बृहत्कल्प सूत्र उ. ५ में तथा प्रश्न. श्रु. २, अ. ५ में "पायकेसरिया" उपकरण का वर्णन है। जो पात्रप्रमार्जन का कोमल वस्त्र रूप उपकरण है। तुम्बे के पात्र का प्रमार्जन करने के लिए इसे भिक्षु छोटे काष्ठदंड से बांधकर भी रख सकता है, किन्तु साध्वी को काष्ठदंड युक्त रखने का बृहत्कल्पसूत्र में निषेध है। कहीं-कहीं इसे भी "गोच्छ्रग" ही मान लिया जाता है। किन्तु प्रश्नव्याकरणसूत्र में पात्र के उपकरणों के बीच तीसरा उपकरण "पायकेसरिका" कहा है और गोच्छ्रग अलग कहा है, अतः दोनों उपकरण भिन्न-भिन्न हैं। गोच्छ्रग का उपयोग वस्त्र, शरीर या अन्य उपधि के प्रमार्जन के लिए होता है एवं पात्रकेसरिका का उपयोग पात्रप्रमार्जन के लिए होता है। इस प्रकार दोनों का कार्य भी भिन्न-भिन्न है।

रजोहरण—यह भिक्षु का आवश्यक उपकरण है। जिनकल्पी एवं स्थविरकल्पी सभी साधुओं को रखना आवश्यक होता है। खड़े-खड़े भूमि का प्रमार्जन किया जा सके. इतना लम्बा होता है तथा एक बार में प्रमार्जन की हुई भूमि में बराबर पैर रखा जा सके इतना घेराव होता है। उत्कृष्ट घेराव ३२ अंगुल भी समझा जा सकता है। विशेष वर्णन उद्देशक पांच के अन्तिम सूत्रों से जानना चाहिए। चलते समय प्रमार्जन करने में तथा आसन, शय्या व मकान का प्रमार्जन करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे 'ऋषि-ध्वज' भी कहा गया है।

आगमों में भिक्षु को 'अचेल' और 'अपात्र' (करपात्री) भी कहा है। भाष्यादि में मुहपत्ती एवं रजोहरण के सिवाय सभी उपकरणों का त्याग करना बताया है, क्योंकि ये दोनों संयम एवं जीव रक्षा के प्रमुख साधन हैं और शेष उपकरण शरीर की रक्षा एवं लज्जा की प्रमुखता से रखे जाते हैं। अल्प उपाधि रखने वाले जिनकल्पी आदि भिक्षु रजोहरण से गोच्छ्रग का कार्य भी कर सकते हैं।

साधु के सभी उपकरणों की तालिका

वस्त्र भाग	उपकरण	दिवरण
१ हाथ	मुहपत्ती	दो (कम से कम) लम्बाई २१ अंगुल, चौड़ाई १६ अंगुल अथवा १६ अंगुल समचौरस।
	गोच्छ्रग	एक (शरीर, उपकरण और वस्त्र के प्रमार्जन योग्य)

	रजोहरण	एक (खड़े-खड़े या चलते समय भूमिप्रमाणन योग्य)
३५ हाथ	चदर	तीन (ऊनी कम्बल या सूती चदर)
१५ हाथ	बोलपट्ट	दो (लम्बाई ५ हाथ और चौड़ाई १३ हाथ)
७ हाथ	आसन	एक (३३ × २)
	पात्र	चार (कम से कम), मात्रक अलग।
१० हाथ	पात्र के वस्त्र	सात
१ हाथ	पादप्रोद्घन	एक
१ हाथ	निशीथिया	एक, रजोहरण के काष्ठदण्ड पर लगाने के लिए।

७० हाथ लगभग तीन अष्टण्ड वस्त्र ७२ हाथ होता है।

साध्वी के सभी उपकरणों की तालिका

१. चदर ४	४५ हाथ
२. साटिका (साड़ी) २	२० हाथ
३. उग्गहर्णतक, उग्गहपट्टक, कंचुकी	१० हाथ
४. शेष मुहपत्ती आदि पूर्वोक्त	२० हाथ

४ अष्टण्ड वस्त्र—९६ हाथ ९५ हाथ लगभग

उपयुक्त उपधि रखना भिक्षु की उत्पन्न विधि है। अपवाद से अन्य उपधि आवश्यकतानुसार अल्प समय के लिए गोतार्थ भिक्षु की आज्ञा से रखी जा सकती है। किन्तु सदा के लिए और सभी साधुओं के लिए रखना उपयुक्त नहीं है। अतः अकारण कोई उपधि नहीं रखी जा सकती है।

श्रीपग्रहिक उपधि इस प्रकार है—

१. दण्ड २. लाठी ३. दांस की खपचची ४. दांस की सुई ५. चर्म ६. चर्मकोश ७. चर्म-छेदनक ८. छत्र ९. भूमिका १०. नालिका ११. चित्तमिली १२. मूई १३. कंधी १४. नखच्छेदनक १५. कर्णशोधनक १६. कांटा निकालने का साधन इत्यादि श्रीपग्रहिक उपकरणों का उल्लेख आगमों में है। भाष्य में आपवादिक श्रीपग्रहिक उपकरण इस प्रकार कहे हैं—

पीठग^१ गिसज्ज^२ बंडग^३ पमज्जणी घट्टए डगतमावी^४।

विप्पल^५ सुवि^६-णहहरणि^७, सोधणगदुगं^{८-९} जहणो उ ॥१४१३॥

यासत्ताने पणगं^{१०}, चित्तमिलि^{११} पणगं दुगंच^{१२} संयारे।

दंडादि^{१३} पणगं पुण, भत्तग^{१४} तिगं पादलेहणिया ॥१४१४॥

चम्मतिगं^{१५} पट्टदुगं^{१६} णायत्वो ॥१४१५॥

अवखा^{१८} संथारो^{१९} य, एगमणेगंगिओ य उवकोसो ।

पोत्यपणमं^{२०} फलमं^{२१} वितिय पदे होइ उवकोसो ॥१४१६॥

—नि भाष्य भा. २ पृष्ठ १९२-९३

—बृहत्कल्प भाष्य गा. ४०९६ से ४०९९

अर्थ—१. अनेक प्रकार के पीढे, २. निपद्या, ३. दंडप्रमार्जनिका, डांडिया या डंडासन, ४. डगल-पत्थरादि, ५. कैंची (कतरनी), ६. सूई, ७. नखछेदनक, ८. कर्ण-शोधनक, ९. दन्त-शोधनक, १०. छत्र पंचक, ११. चिलमिलिका पंचक, १२. संस्तारक (अनेक प्रकार के तृण), १३. पांच प्रकार के दंड लाठी आदि, १४. तीन मात्रक (उच्चार, प्रस्रवण, खेल मात्रक), १५. अवलेखनिका (वांस की खपच्ची), १६. चर्मत्रिक (सोने, वैठने एव ओढने का), १७. संस्तारक पट और उत्तरपट्ट (ऊनी एवं सूती शयनवस्त्र), १८. अक्ष-समवसरण (स्थापनाचार्य), १९. चटाई आदि, २०. पुस्तक पंचक, २१. फलग-लकड़ी के पाट आदि ।

भिक्षु इन उपकरणों को उत्सर्गविधि से नहीं रख सकता है, आपवादिक स्थिति में ये औपग्रहिक उपकरण रखे जा सकते हैं ।

पुस्तक के कथन से अध्ययन की लेखन सामग्री के अन्य उपकरण एव चश्मे आदि भी क्षेत्र-काल अनुसार आवश्यक होने पर रखे जा सकते हैं ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन उपकरणों में सूई, कैंची, छत्र आदि धातु वाले उपकरण भी कहे हैं ।

पुस्तक, मात्रक, संस्तारक, पाट तथा शयनवस्त्र को भी आपवादिक उपकरण कहा है तथा अनेक प्रचलित उपकरणों एवं पदार्थों का यहां कोई उल्लेख नहीं है । आगम तथा उनके भाष्य टीका के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न समुदायों में प्रचलित कुछ उपकरण इस प्रकार हैं—

१. नांद, तगड़ी, सूं पड़ी, चूली, मूर्ति आदि ।
२. गुरुजनों के फोटू आदि ।
३. समय की जानकारी के लिए घड़ी ।
४. स्थापनाचार्य के लिए ठमणो ।
५. पुस्तक रखने के सापड़ा, सापड़ी ।
६. योग की पाटली, दांडी, दंडासन ।
७. वासक्षेप का डिब्बा या बटुआ ।
८. प्लास्टिक के लोटा गिलास ढक्कन आदि उपकरण ।
९. रात्रि में रखने के पानी में डालने के चूने का डिब्बा ।
१०. वस्त्र, पात्र आदि को स्वच्छ करने के लिए साबुन सोडा सर्फ आदि ।
११. वस्त्रादि सुखाने के लिए तथा चिलमिली आदि के लिए डोरियां ।

इन उपकरणों के रखने का विधान आगमों में या भाष्य आदि व्याख्या ग्रन्थों में नहीं है । फिर भी अत्यावश्यक होने पर ही संयम एवं धारीर आदि की सुरक्षा के हेतु ये औपग्रहिक उपकरण रखे जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त केवल प्रवृत्ति या परम्परा से रखे जाने वाले सभी उपकरण परिग्रह रूप होते हैं ।

प्रस्तुत प्रायश्चित्तसूत्र श्रौतसर्गाक उपधि से सम्बन्धित है। उसमें भी जिसकी गणना या प्रमाण (माप) आगम में उल्लेख है उसी के उल्लेखन का प्रायश्चित्त इससे समझना चाहिए। शेष प्रायश्चित्त प्रमाणाभाव में परम्परागत समाचारी के अनुसार समझना चाहिए।

प्रस्तुत विवेचन में कतिपय उपकरणों का माप आगम में न होने के कारण अनुमान से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

आगम निरपेक्ष अतिरिक्त उपधि रखने का गुरुचौमासिक प्रायश्चित्त आता है। कारण बिना या कारण के समाप्त हो जाने पर भी औपग्रहिक उपकरणों को रखने पर गुरुचानुमासिक प्रायश्चित्त आता है। औपग्रहिक उपकरणों को सदा के लिए आवश्यक रूप से रखने की परम्परा चलाने पर उत्सूत्रप्ररूपणा का प्रायश्चित्त आता है और रखने वालों को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है। अतः डंडा, कंबल, स्थापनाचार्य आदि किसी भी उपकरण का आग्रहयुक्त प्ररूपण करना मिथ्याप्रवर्तन समझना चाहिए।

विराधना वाले स्थानों पर परठने का प्रायश्चित्त

४०. जे भिक्खू अणंतरहिमाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४१. जे भिक्खू ससिणिद्धाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४२. जे भिक्खू समरवथाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४३. जे भिक्खू मट्टियाकडाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४४. जे भिक्खू चित्तमंताए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४५. जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४६. जे भिक्खू चित्तमंताए लेलूए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४७. जे भिक्खू कोलावासंसि वा दारूए जीवपइट्टिए, सअंढे जाव मक्कडा-संताणए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४८. जे भिक्खू थूर्णंसि वा, गिहेलुयंसि वा, उमुयालंसि वा, कामजलंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिव्खज्जायंसि दुब्बद्धे, दुन्निचित्ते, अनिकप्पे, चलाचले उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

४९. जे भिक्खू कुतियंसि वा, भित्तंसि वा, सिलंसि वा, सेलुंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिव्खज्जायंसि दुब्बद्धे, दुन्निचित्ते, अनिकप्पे, चलाचले उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

५०. जे भिक्खू धंघंसि वा, फल्लिहंसि वा, मंचंसि वा, मंडयंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मियतलंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिव्खज्जायंसि, दुब्बद्धे, दुन्निचित्ते, अनिकप्पे, चलाचले उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मात्तियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ॥

४०. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर मल-मूत्र का परित्याग करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४१. जो भिक्षु जल से सिग्घ पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४२. जो भिक्षु सचित्त रजयुक्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४३. जो भिक्षु सचित्त मिट्टी बिखरी हुई पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४४. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४५. जो भिक्षु सचित्त शिला पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४६. जो भिक्षु सचित्त शिलाखण्ड आदि पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४७. जो भिक्षु दीमक लगे हुए जीवयुक्त काष्ठ पर तथा अण्डे यावत् मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४८. जो भिक्षु दुर्वंद, दुर्निक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल धंभे पर, देहली पर, ओखली पर, स्नानपीठ पर या अन्य भी ऐसे आकाशीय स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४९. जो भिक्षु दुर्वंद, दुर्निक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल मिट्टी की दीवार पर, ईंट आदि की भित्ति पर, शिला पर, शिलाखण्ड-पत्थर पर या अन्य भी ऐसे अन्तरिक्षजात स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

५०. जो भिक्षु दुर्वंद, दुर्निक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल स्कन्ध (टांड), फलह, मंच, मंडप, माला, महल या हवेली की छत पर या अन्य भी ऐसे अन्तरिक्षजात स्थान पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन ५० सूत्रों में कहे गए स्थानों का सेवन करने पर लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

विशेष—जहाँ आत्म-विराघना तथा संयम-विराघना होती हो ऐसे स्थानों पर परठने का

प्रायश्चित्त इन सूत्रों में कहा गया है। निषिद्ध स्थानों में परठने सम्बन्धी विवेचन उ. ३ तथा उ. १५ में देखें एवं सूत्र सम्बन्धी अन्य विवेचन उ. १३ में देखें।

सोलहवें उद्देशक का सारांश

- सूत्र १-३ गृहस्थयुक्त, जलयुक्त और अग्नियुक्त शय्या में ठहरना।
 ४-११ सचित्त इक्षु या इक्षुखण्ड खाना या चूसना।
 १२ शरण्य में रहने वाले, वन (जंगल) में जाने वाले, श्रतवी की यात्रा करते वालों से आहार लेना।
 १३-१४ अल्पचारित्रगुण वाले को विशेषचारित्रगुण सम्पन्न कहना और विशेषचारित्रगुण सम्पन्न को अल्प चारित्रगुण वाला कहना।
 १५ विशेषचारित्रगुण वाले गच्छ से अल्पचारित्रगुण वाले गच्छ में जाना।
 १६-२४ कदाग्रह युक्त भिक्षुओं के साथ आहार, वस्त्र, मकान, स्वाध्याय का लेन-देन करना।
 २५-२६ सुखपूर्वक विचरने योग्य क्षेत्र होते हुए भी अनार्य क्षेत्रों में या विकट मार्गों में विहार करना।
 २७-३२ जुगुप्सित कुल वालों से आहार वस्त्र शय्या ग्रहण करना तथा उनके वहाँ स्वाध्याय की वाचना लेना-देना।
 ३३-३५ भूमि पर या संस्तारक (बिछौने) पर आहार रखना या खूँटी छींका आदि पर आहार रखना।
 ३६-३७ गृहस्थों के साथ बैठकर आहार करना या गृहस्थ देखें वहाँ आहार करना।
 ३८ आचार्य आदि के आसन पर पाँव लगाकर विनय किये बिना चले जाना।
 ३९ सूत्रोक्त संध्या या माप (परिमाण) से अधिक उपधि रखना।
 ४०-५० विराधना वाले स्थानों पर मल-मूत्र परठना।

इत्यादि दोष स्थानों का सेवन करने वाले को लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

इस उद्देशक के ३२ सूत्रों के विषय का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- सूत्र १-३ स्त्री, अग्नि, पानीयुक्त मकान में ठहरने का निषेध।
 —आचा. श्रु. २, अ. २, उ. ३ तथा बृह. उद्दे. २
 ४-११ सचित्त इक्षु व इक्षुखण्ड ग्रहण का निषेध। —आचा. श्रु. २, अ. ७, उ. २
 १५ चारित्र्य की वृद्धि न हो ऐसे गच्छ में जाने का निषेध। —बृह. उ. ४
 २५-२६ योग्य क्षेत्र के होते हुए विकट क्षेत्र में विहार करने का निषेध।
 —आचा. श्रु. २, अ. ३, उ. १
 २७-३२ अजुगुप्सित अग्रहित कुलों में भिक्षार्थ जाने का विधान।
 —आचा. श्रु. २, अ. १, उ. २
 ३८ आचार्यादि के आसन को पाँव लगाकर विनय किए बिना चले जाना आनाचना है।
 —दशा. द. ३

४०-५० पृथ्वी आदि की विराधना वाले तथा अन्तरिक्षजात स्यानों पर भल-भूत्र परठने का निषेध ।
—आचा. श्रु. २, अ. १०

इस उद्देशक के १८ सूत्रों के विषयों का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

- सूत्र १२ अरण्य वन अटवी आदि में रहने तथा जाने-आने वालों से आहार नहीं लेना ।
 १३-१४ अल्प या विशेष चारित्रवान् के सम्बन्ध में विपरीत कथन नहीं करना ।
 १६-२४ कदाग्रही से लेन-देन सम्पर्क नहीं करना ।
 ३३-३५ भूमि, आसन पर या खूँटी आदि पर आहार नहीं रखना ।
 ३६-३७ गृहस्थ के साथ बैठकर या उसके सामने बैठकर आहार नहीं करना ।
 ३९ गणना या परिमाण से अधिक उपधि नहीं रखना ।

॥ सोलहवां उद्देशक समाप्त ॥

सत्रहवां उद्देशक

कीतुहलजनित प्रवृत्तियों का प्रायश्चित्त

१. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए अण्णयरं तसपाणजायं—

१. तण-पासएण वा, २. मंजु-पासएण वा, ३. कट्ट-पासएण वा, ४. चम्म-पासएण वा, ५. वेत्त-पासएण वा, ६. रज्जु-पासएण वा, ७. सुत्त-पासएण वा बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए अण्णयरं तसपाणजायं तण-पासएण वा जाय सुत्त-पासएण वा चद्धेतयं मुंचइ, मुंचंतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिषखू कीउहल्ल वडियाए—

१. तणमालियं वा, २. मुंजमालियं वा, ३. वेत्तमालियं वा, ४. कट्टमालियं वा, ५. मयण-मालियं वा, ६. भिडमालियं वा, ७. पिच्छमालियं वा, ८. हुडमालियं वा, ९. दंतमालियं वा, १०. संखमालियं वा, ११. सिंगमालियं वा, १२. पत्तमालियं वा, १३. पुप्फमालियं वा, १४. फल-मालियं वा, १५. वीथमालियं वा, १६. हरियमालियं वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए तणमालियं वा जाय हरियमालियं वा धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

५. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए तण-मालियं वा जाय हरियमालियं वा पिणद्धेइ, पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

६. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए—

१. अयलोहाणि वा, २. तंयलोहाणि वा, ३. तउयलोहाणि वा, ४. सीसलोहाणि वा, ५. हप्प-लोहाणि वा, ६. सुयणलोहाणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

७. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए अय-लोहाणि वा जाय सुयणलोहाणि वा धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

८. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए अय-लोहाणि वा जाय सुयणलोहाणि वा पिणद्धेइ, पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिषखू कीउहल्ल-वडियाए—१. हाराणि वा, २. अट्टहाराणि वा, ३. एगावत्ति वा, ४. मुत्तावत्ति वा, ५. कणगावत्ति वा, ६. रयणावत्ति वा, ७. कट्टगाणि वा, ८. तुडियाणि वा, ९.

कोटराणि वा, १०. कुण्डलाणि वा, ११. पट्टाणि वा, १२. मउडाणि वा, १३. पलंबमुत्ताणि वा, १४. सुवण्णमुत्ताणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

१०. जे भिक्खू कोउहल्ल-वडियाए हाराणि वा जाव सुवण्णमुत्ताणि वा धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिक्खू कोउहल्ल-वडियाए हाराणि वा जाव सुवण्णमुत्ताणि वा पिण्ढेइ पिण्ढंतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिक्खू कोउहल्ल-वडियाए—१. आईणाणि वा, २. सहिणाणि वा, ३. सहिणकल्लाणाणि वा, ४. आयाणि वा, ५. कायाणि वा, ६. खोमियाणि वा, ७. दुगुलाणि वा, ८. त्तिरोडपट्टाणि वा, ९. मलयाणि वा, १०. पतुण्णाणि वा, ११. अंमुयाणि वा, १२. चिणंसुयाणि वा, १३. देसरागाणि वा, १४. अभिलाणि वा, १५. गज्जलाणि वा, १६. फलिहाणि वा, १७. कोयवाणि वा, १८. कंबलाणि वा, १९. पाघाराणि वा, २०. उट्टाणि वा, २१. पेसाणि वा, २२. पेसलेसाणि वा, २३. किण्हमिगाईणगाणि वा, २४. नीलमिगाईणगाणि वा, २५. गोरमिगाईणगाणि वा, २६. कणगाणि वा, २७. कणगकंताणि वा, २८. कणगपट्टाणि वा, २९. कणग-खचियाणि वा, ३०. कणगफुसियाणि वा, ३१. वग्घाणि वा, ३२. विवग्घाणि वा, ३३. आभरणचित्ताणि वा, ३४. आभरण-विचित्ताणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

१३. जे भिक्खू कोउहल्ल-वडियाए आईणाणि वा जाव आभरण-विचित्ताणि वा धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिक्खू कोउहल्ल-वडियाए आईणाणि वा जाव आभरण-विचित्ताणि वा पिण्ढेइ, पिण्ढंतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से किसी त्रसप्राणी को—

१. तृण-पाश से, २. मुंज-पाश से, ३. काष्ठ-पाश से, ४. चर्म-पाश से, ५. वेंत-पाश से, ६. रज्जु-पाश से, ७. सूत्र (डोरे) के पाश से बांधता है या बांधने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से किसी त्रसप्राणी को तृण-पाश से यावत् सूत्र-पाश से बंधे हुए को खोलता है या खोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से—

१. तृण की माला, २. मुंज की माला, ३. वेंत की माला, ४. काष्ठ की माला, ५. मोम की माला, ६. भींड की माला, ७. पिच्छी की माला, ८. हड्डी की माला, ९. दंत की माला, १०. शंख की माला, ११. सींग की माला, १२. पत्र की माला, १३. पुष्प की माला, १४. फल की माला, १५. बीज की माला, १६. हरित (वनस्पति) की माला बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से तृण की माला यावत् हरित की माला रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से तृण की माला यावत् हरित की माला पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से—

१. लोहे का कड़ा, २. ताँबे का कड़ा, ३. त्रपुप का कड़ा, ४. शीशे का कड़ा, ५. चाँदी का कड़ा, ६. सुवर्ण का कड़ा, बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से लोहे का कड़ा यावत् सुवर्ण का कड़ा रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से लोहे का कड़ा यावत् सुवर्ण का कड़ा पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से—१. हार, २. अर्घ्यहार, ३. एकावली, ४. मुक्तावली, ५. कनकावली, ६. रत्नावली, ७. कटिसूत्र, ८. भुजवन्ध, ९. केयूर (कंठा), १०. कुण्डल, ११. पट्ट, १२. मुकुट, १३. प्रलम्बसूत्र, १४. सुवर्णसूत्र बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से हार यावत् सुवर्णसूत्र रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से हार यावत् सुवर्णसूत्र पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से—१. मूषक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र, २. सूक्ष्म वस्त्र, ३. सूक्ष्म व मुशीभित वस्त्र, ४. अज्ञा के सूक्ष्मरोम से निष्पन्न वस्त्र, ५. दम्बनीलवर्णी कपास से निष्पन्न वस्त्र, ६. सामान्य कपास से निष्पन्न मूती वस्त्र, ७. गौड देश में प्रसिद्ध या दुगुल वृक्ष से निष्पन्न विशिष्ट कपास का वस्त्र, ८. तिरीड वृक्षावयव से निष्पन्न वस्त्र, ९. मलयगिरि श्वदन के पत्रों से निष्पन्न वस्त्र, १०. बारीक बालों-संतुओं से निष्पन्न वस्त्र, ११. दुगुल वृक्ष के श्राम्यंतरावयव से निष्पन्न वस्त्र, १२. चीन देश में निष्पन्न अत्यन्त सूक्ष्म वस्त्र, १३. देश विशेष के रंगे वस्त्र, १४. रोम देश में बने वस्त्र, १५. चलने पर आवाज करने वाले वस्त्र, १६. स्फटिक के समान स्वच्छ वस्त्र, १७. वस्त्रविशेष कोतव्य—चरफी, १८. कंबल, १९. कंबलविशेष—छरडग पारिगादि पाधारणा, २०. सिंधु देश के मच्छ के चर्म से निष्पन्न वस्त्र, २१. सिन्धु देश के सूक्ष्म चर्म वाले पशु से निष्पन्न वस्त्र, २२. उसी पशु की सूक्ष्म पशामी से निष्पन्न वस्त्र, २३. कृष्णमृग-चर्म, २४. नीलमृग-चर्म, २५. गौरमृग-चर्म, २६. स्वर्णरस से लिप्त साक्षात् स्वर्णमय दिने ऐसा वस्त्र, २७. जिकके फिनारे स्वर्णरसरंजित किये हो ऐसा वस्त्र, २८. स्वर्णरसमय पट्टियों से युक्त वस्त्र, २९. सोने के तार जड़े हुए वस्त्र, ३०. सोने के स्तवक या फूल जड़े हुये वस्त्र, ३१. व्याघ्रचर्म, ३२. चीते का चर्म, ३३. एक विशिष्ट प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र, ३४. अनेक प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से मूषक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र यावत् अनेक प्रकार के आभरणयुक्त वस्त्र धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१४. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से मूषक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र यावत् अनेक प्रकार के आभरणयुक्त वस्त्र पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु को कुतूहलवृत्ति से रहित एवं गंभीर स्वभाव वाला होना चाहिये । उसे कुतूहल वृत्ति वालों की संगति भी नहीं करना चाहिए । संयम, तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि में ही सदा प्रवृत्त रहना चाहिये ।

सूत्र १ और २ का विवेचन उद्देशक १२ में तथा ३ से १४ तक का विवेचन उद्देशक ७ में किया जा चुका है ।

माला, आभूषण आदि पहनने से वेपविपर्यास होता है । लोकनिंदा भी होती है । इन पदार्थों की प्राप्ति में तथा रखने में भी दोषों की संभावना रहती है । अतः ये प्रवृत्तियाँ भिक्षु के लिये अनाचरणीय हैं ।

श्रमण या श्रमणी द्वारा एक दूसरे का शरीर-परिकर्म गृहस्य से करवाने का प्रायश्चित्त

१५-६८. जा निग्गंथी निग्गंथस्स पाए अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा आमज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेत्तं वा पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

एवं तइय उद्देसगगमेण णेयव्वं जाव जा निग्गंथी निग्गंथस्स गामाणुगामं दुइज्जमाणस्स अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा सोसदुवारियं कारावेइ, कारावेत्तं वा साइज्जइ ।

६९-१२२. जे निग्गंथे निग्गंथीए पाए अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा आमज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेत्तं वा पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

एवं तइय उद्देसगगमेण णेयव्वं जाव जे निग्गंथे निग्गंथीए गामाणुगामं दुइज्जमाणीए अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा सोसदुवारियं कारावेइ, कारावेत्तं वा साइज्जइ ।

१५-६८. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पैरों का अन्यतीर्थिक या गृहस्य से एक बार या बार-बार आमर्जन करवाती है या करवाने वाली का अनुमोदन करती है ।

इस प्रकार तीसरे उद्देशक के (सूत्र १६ से ६९) के समान पूरा आलापक जानना चाहिए यावत् जो निर्ग्रन्थी आम्रानुग्राम जाते हुए निर्ग्रन्थ के मस्तक को अन्यतीर्थिक या गृहस्य से ढकवाती है या ढकवाने वाली का अनुमोदन करती है ।

६९-१२२. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों का अन्यतीर्थिक या गृहस्य से एक बार या बार-बार आमर्जन करवाता है या करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

इस प्रकार तीसरे उद्देशक के समान पूरा आलापक जानना चाहिए यावत् जो निर्ग्रन्थ

ग्रामानुग्राम जाती हुई निग्रन्थी के मस्तक को अग्र्यतीर्थिक या गृहस्य से ढकवाता है या ढकवाने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचीमाती प्रायश्चित्त भ्राता है ।)

विवेचन—साधु को स्वयं का काय-परिकर्म आदि गृहस्य से करवाने का प्रायश्चित्त पन्द्रहवें उद्देशक में कहा गया है । यहां निग्रन्थ के द्वारा निग्रन्थी का या निग्रन्थी के द्वारा निग्रन्थ का गृहस्य से कायपरिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त दो भ्राताओं द्वारा कहा गया है । ऐसी प्रवृत्ति करने में गृहस्य को साधु-साध्वी के संयम में संदेह हो सकता है इत्यादि दोष पांचवें उद्देशक के संधाटी सिलवाने के मूल में कहे गये दोषों के समान समझ लेना चाहिए । अन्य संपूर्ण सूत्रों का विवेचन तीसरे उद्देशक के समान समझना चाहिए ।

सदृश निग्रन्थ निग्रन्थियों को स्थान न देने का प्रायश्चित्त

१२३. जे निगम्ये निगम्यस्त सरिसागस्त अंते ओवासे संते, ओयासं न वेइ, न बेंतं वा साइज्जइ ।

१२४. जा निगम्यो निगम्योए सरिसियाए अंते ओवासे संते, ओयासं न वेइ, न बेंतं वा साइज्जइ ।

१२३. जो निग्रन्थ सदृश आचार वाले निग्रन्थ को अपने उपाश्रय में भवकाश (स्थान) होते हुए भी ठहरने के लिये स्थान नहीं देता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२४. जो निग्रन्थी सदृश आचार वाली निग्रन्थी को अपने उपाश्रय में भवकाश होते हुए भी ठहरने के लिये स्थान नहीं देती है या नहीं देने वाली का अनुमोदन करती है । (उसे लघुचीमाती प्रायश्चित्त भ्राता है ।)

विवेचन—जो समान समाचारी वाले हों, आचिनक्षय आदि १० कल्पों में जो समान हों और सदोष आहार, उपधि, शय्या और शिष्यादि को ग्रहण नहीं करते हों वे सब 'सदृश साधु' कहे जाते हैं । अपने उपाश्रय में जगह होते हुए उन सदृश साधुओं को अवश्य स्थान देना चाहिये ।

बिस्ती आपत्ति के कारण धाने वाले साधु यदि असदृश हों तो उन्हें भी अवश्य स्थान देना चाहिये । स्थान होते हुए भी स्थान नहीं देने पर धर्मदासन की भ्रवहेलना होती है और संयमभावों की हानि होती है, राग-द्वेष की वृद्धि होती है । अतः ऐसा करने पर साधु या साध्वी को इन सूत्रों के अनुसार प्रायश्चित्त भ्राता है ।

मालोपहृत आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त

१२५. जे भिषू मालोहृदं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा देज्जमाणं पडिग्गाहं, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

१२५. जो भिक्षु दिये जाते हुए मालोपहृत भक्षण, पान, छादिम वा म्यादिम को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचीमाती प्रायश्चित्त भ्राता है ।)

विवेचन—भूमि पर खड़े-खड़े सरलता से नहीं लिये जा सकते हों तो ऐसे ऊँचे स्थान पर रखे हुए आहार आदि लेना मालापहृत दोष है। चूर्ण में इसके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद करके यह बताया है कि उत्कृष्ट मालापहृत की अपेक्षा यह प्रायश्चित्त कथन समझना चाहिये। यथा—

सुतनिपातो उक्कोसयम्भि, तं खंधमादिसु ह्वेज्जा—भाष्य गा. ५९५२ अर्थात् निःसरणी आदि लगाकर जहाँ से वस्तु प्राप्त की जाती है ऐसे ऊँचे स्थानों का तथा वैसे ही नीचे तलघर आदि स्थानों का आहार भी मालापहृत समझना चाहिये।

निःसरणी के खिसकने से अथवा चढ़ने-उतरने वाले की स्वयं की असावधानी से वह गिर सकता है, उसके हाथ पांव आदि टूट सकते हैं, 'साधु को देने के लिये चढ़ते-उतरते यह गिर गया या साधु ने गिरा दिया' ऐसी अपकीर्ति हो सकती है इत्यादि अनेक दोषों की संभावना रहती है।

मालापहृत आहार का दश. अ. ५ उ. १ में तथा आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ७ में स्पष्ट निषेध किया गया है तथा प्राण, भूत, जीव और सत्व की विराधना होने की संभावना कहकर कर्मबंध का कारण भी कहा है। पिंडनियुक्ति में इसे उद्गम दोषों में बताया गया है।

सामान्य ऊँचे स्थान से या नहीं गिरने वाले साधन से अथवा स्थायी चढ़ने-उतरने के साधन से आ-जाकर दिया जाने वाला आहार मालापहृत दोष वाला नहीं होता है। आचा. श्रु. २., अ. १, उ. ७ में भी इस संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया है।

कोठे में रखा हुआ आहार लेने का प्रायश्चित्त

१२६. जे भिक्खू कोट्टियाउत्तं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा उक्कुज्जिय निक्कुज्जिय ओहरिय देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ।

१२६. जो भिक्षु कोठे में रखे हुए अशन, पान, खादिम या स्वादिम को ऊँचा होकर या नीचे-भुककर निकालकर देते हुए से लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—मिट्टी, गोबर, पत्थर या धातु आदि के कोठे होते हैं। जो कोठे अत्यधिक ऊँचे या नीचे हों अथवा बहुत बड़े हों, जिनमें से वस्तु निकालने में निःसरणी आदि की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है किन्तु कठिनाई से वस्तु निकाली जाती है, अर्थात् ऊँचे होना, नीचे भुकना आदि कष्टप्रद क्रिया करनी पड़ती है तो ऐसे कोठे आदि से आहारादि लेने का निषेध आचा. श्रु. २ अ. १ उ. ७ में किया गया है और यहाँ इसका प्रायश्चित्त कहा गया है।

आचारांग में मालापहृत वर्णन के अनंतर सूत्र से ही इस विषय का कथन करके इसे एक प्रकार का मालापहृत दोष माना है और यहाँ प्रायश्चित्त कथन में भी मालापहृत के अनंतर ही इसका कथन है। टीका में इसे तिर्यक् मालापहृत भी कहा गया है। अन्य विवेचन आचारांगसूत्र में देखें।

उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त

१२७. जे भिक्खू मट्ठिओलित्तं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा उग्ग्मदिय निग्ग्मदिय देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ।

१२७. जो भिक्षु मिट्टी से उपलिप्त वर्तन में रहे भ्रान्त, पान, खादिम या स्वादिम को लेप तोड़ कर दिये जाने पर ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे सधुचीमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—मिट्टिमोलित्तं से यहाँ उद्गम का “उन्मिन्न” दोष ग्रहण किया गया है। इसका निषेध आचा. श्रु. २, अ. १. उ. ७ तथा दशर्व. अ. ५, उ. १ में भी है। उन दोनों स्थलों के वर्णन से सभी प्रकार के ढक्कन द्वारा बंद किये हुए वर्तनों में से ढक्कन छोल कर दिया जाने वाला आहार साधु के लिये अकल्पनीय होता है। इसमें भारी पदार्थ या वर्तन तथा मिट्टी एवं वनस्पति पत्र आदि से बनाया हुआ ढक्कन (छोदा) एवं लोहे आदि से पैक किए हुए ढक्कनों का भी समावेश हो जाता है। सभी प्रकार के ढक्कनों के समाविष्ट होने के कारण ही उनके छोलने पर त्रस-स्वावर जीवों की विराधना होने का कथन है। केवल मिट्टी से लिप्त में अग्नि आदि सभी त्रस-स्वावर जीवों की विराधना सम्भव नहीं है। अतः “मिट्टिमोलित्तं” शब्द होते हुए भी उपलक्षण से अनेक प्रकार के ढक्कन या लेप आदि से बन्द किए आहार का निषेध और प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिए।

साधु को देने के बाद कई ढक्कनों को पुनः लगाने में भी आरम्भ होता है, जिससे पश्चात्कर्म दोष लगता है। अतः ऐसा आहार आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए।

भारी पदार्थ से ढके आहार को देने में दाता को यजन उठाने-रखने में कष्ट का अनुभव हो तथा जिसे रखने आदि में जीव-विराधना सम्भव हो, ऐसा भारी आवरण समझना चाहिए।

यदि सामान्य ढक्कनों को छोलने, बन्द करने में कोई विराधना न हो तथा जो सहज ही छोले या बन्द किए जा सकते हों, उनको छोलकर दिया जाने वाला आहार ग्रहण करने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है।

निक्षिप्त-दोषमुक्त आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त

१२८. जे भिक्खू अत्तणं वा, पाणं वा, चाइमं वा, साइमं वा पुट्ठवि-पइट्ठियं पट्टिग्गाहेइ, पट्टिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

१२९. जे भिक्खू अत्तणं वा, पाणं वा, चाइमं वा, साइमं वा आठ-पइट्ठियं पट्टिग्गाहेइ, पट्टिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

१३०. जे भिक्खू अत्तणं वा, पाणं वा, चाइमं वा, साइमं वा तेउ-पइट्ठियं पट्टिग्गाहेइ, पट्टिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

१३१. जे भिक्खू अत्तणं वा, पाणं वा, चाइमं वा, साइमं वा धणक्कइ-पइट्ठियं पट्टिग्गाहेइ, पट्टिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

१२८. जो भिक्षु भक्षित पृथ्वी पर स्थित भ्रान्त, पान, खादिम या स्वादिम आहार को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

१२९. जो भिक्षु सचित्त जल पर स्थित अशन, पान, खादिम या स्वादिम आहार को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३०. जो भिक्षु सचित्त अग्नि पर स्थित अशन, पान, खादिम या स्वादिम आहार को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३१. जो भिक्षु सचित्त वनस्पति पर स्थित अशन, पान, खादिम या स्वादिम आहार को लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—भिक्षु को सचित्त नमक, मिट्टी आदि पर, सचित्त पानी पर या पानी के बर्तन पर, अंगारों पर या चूल्हे पर तथा सचित्त घास सब्जी आदि पर कोई खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ युक्त बर्तन पड़ा हो तो उसमें से लेना नहीं कल्पता है ।

आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ७ में पृथ्वी आदि पर रखा आहार लेने का निषेध है, यहाँ उसी का प्रायश्चित्त विधान है । ऐसा निक्षिप्त-दोषयुक्त आहार लेने पर उन एकेन्द्रिय जीवों की विराधना होती है । अनन्तर-निक्षिप्त का यह सूत्रोक्त प्रायश्चित्त है । भाष्य में परस्पर-निक्षिप्त का मासिक प्रायश्चित्त कहा है और यदि अनंतकाय पर निक्षिप्त आहार हो तो उसे ग्रहण करने पर गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है ।

प्रश्न—सचित्त पृथ्वी आदि पर से खाद्य पदार्थ उठाने पर तो उन जीवों पर से भार हटता है और उन्हें शांति मिलती है । अतः उस आहार को ग्रहण करने का निषेध क्यों किया गया है ?

समाधान—एकेन्द्रिय जीवों को स्पर्श मात्र से महान् वेदना होती है । उस पर से खाद्य पदार्थ या बर्तन साधु के लिये उठाने से कुछ जीवों का संघट्टन होता है । जिससे उनको साधु के निमित्त से महती वेदना होती है । इस विराधना के कारण ऐसा आहार लेने का निषेध व प्रायश्चित्त कहा गया है । —(चूर्ण)

यहाँ पर निक्षिप्तदोष का प्रायश्चित्त विधान है, फिर भी एषणा के “पिहित” दोष का प्रायश्चित्त भी इसी सूत्र से समझ लेना चाहिये, अर्थात् खाद्य पदार्थ पर रखे सचित्त पदार्थ को हटाकर दिया जाने वाला आहार ग्रहण करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

यहाँ पृथ्वी आदि की विराधना होने के कारण प्रायश्चित्त कहा गया है । संस्पृष्टदोष का कथन इस सूत्र में या एषणा दोषों में भी कहीं नहीं है, तथापि उसमें पृथ्वीकाय आदि की विराधना होने के कारण पिहितदोष के समान सचित्त से संस्पृष्ट आहार लेने का प्रायश्चित्त भी इसी सूत्र से समझ लेना चाहिये ।

अनंतर-संस्पर्श में तो विराधना होना स्पष्ट ही है । किन्तु परंपर-स्पर्श में कभी विराधना हो सकती है और कभी नहीं । अतः विराधना संभव न हो तो परंपर-स्पर्श वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने में प्रायश्चित्त नहीं आता है । खाद्य पदार्थ के समान ही वस्त्र आदि सभी उपकरणों के ग्रहण करने में भी सूत्रोक्त विवेक व प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिए ।

आचारांग टीका में निक्षिप्तदोष के निषेध से एषणा के दस ही दोषों का निषेध समझ लेने का कथन किया है। क्योंकि वे सभी दोष आहार ग्रहण करते समय पृथ्वी भादि की विराधना से संबंधित हैं, इसलिए उन दसों दोषों का प्रायश्चित्त भी इसी सूत्र से समझा जा सकता है।

शीतल करके दिया जाने वाला आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त

१३२. जे भिषवू अच्चसिणं असणं वा, पाणं वा, छाइमं वा, साइमं वा—

१. सुप्पेण वा, २. विह्वणेण वा, ३. तालियंटेण वा, ४. पत्तेण वा, ५. पत्तभंगेण वा, ६. साहाए वा, ७. साहाभंगेण वा, ८. पिह्वणेण वा, ९. पिह्वणहत्थेण वा, १०. चेल्लेण वा, ११. चेल्लफण्णेण वा, १२. हत्थेण वा, १३. मुहेण वा कुमिता योइत्ता आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ।

१३२. जो भिक्षु अत्यन्त उष्ण अन्न, पान, घादिम या स्वादिम पदार्थ को—

१. सूय से, २. पंखे से, ३. ताडपत्र से, ४. पत्ते से, ५. पत्रखंड से, ६. दाया से, ७. शाया-खंड से, ८. मोरपंख से, ९. मोरपोंछी से, १०. वस्त्र से, ११. वस्त्र के किनारे से, १२. हाथ से या १३. मुंह से फूंक देकर या पंखे आदि से हवा करके लाकर देने वाले से ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

(उत्ते लघुबीमासी प्रायश्चित्त घाता है।)

विवेचन—पंखे आदि से हवा करने पर वायुकाय के जीवों की विराधना होना निश्चित है तथा उड़ने वाले छोटे प्राणियों की भी विराधना होना सम्भव है। अतः इस प्रकार (वायुकाय की) विराधना करके शीतल किया गया आहार लेना भिक्षु को नहीं कल्पता है। आचा. ध्रु. २, अ. १, उ. ७ में इसका निषेध किया गया है और प्रस्तुत सूत्र में इसका प्रायश्चित्त कहा गया है।

चोड़े बर्तन में उष्ण आहारादि डालकर कुछ देर रख कर ठण्डा करके दे तो परिस्फुटियस यह आहारादि लिमा जा सकता है, किन्तु उसमें भी संपातित जीव न गिरे ऐसा विवेक रखना आवश्यक है।

दशमं. अ. ४ में भिक्षु को मुंह से फूंक देने का और पंखे आदि से हवा करने करवाने एवं अनुमोदन करने का पूर्ण त्यागो कहा गया है।

वायुकाय की विराधना होने के कारण उष्ण आहार पानी के लेने का यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है, आचारांगसूत्र में वायुकाय की विराधना किये बिना उष्ण आहारादि ग्रहण करने का विधान किया गया है, तथापि अत्यन्त उष्ण आहारादि ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि उत्ते देने में उसके छीटे से या भाप से दाता या साधु का हाथ आदि जल जाय या उष्णता महन न हो सकने से हाथ में से बर्तन आदि गूट कर गिर जाय या साधु के पात्र का सेप (रोगानादि) गराव हो जाय अथवा पात्र फूट जाय, इत्यादि दोष सम्भव है। अतः पंखे अत्यन्त गर्म आहार-पानी साधु को नहीं देने चाहिए। शुद्ध समय बाद उष्णता कम होने पर ही वे घ्राए हो सकते हैं।

गर्मागमं पानी में दाता या भिक्षु के अघिक जल जाने पर धर्म की अवहेलना होती है। पात्र फूट जाने पर परिक्रमं करने से या अन्य पात्र की गवेषणा करने में समय लगने से स्वाध्यायादि समय

प्रवृत्तियों में बाधा आने से अथवा अन्य भी ऐसे कारणों से गर्भागम आहार-पानी को ग्रहण करने का निषेध समझना चाहिये तथा सामान्य गर्म अशनादि को वायुकाय आदि की विराधना किये बिना ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा समझना चाहिये ।

यहां अनेक प्रतियों में गर्म आहार-पानी सम्बन्धी प्रायश्चित्त के दो सूत्र मिलते हैं, किन्तु भाष्य एवं चूर्ण में एक ही सूत्र की व्याख्या करके विषय पूर्ण किया गया है एवं आचारंगसूत्र में भी एक ही सूत्र है । अतः यहाँ भी मूलपाठ में एक सूत्र ही रखा गया है ।

तत्काल धोये पानी को ग्रहण करने का प्रायश्चित्त—

१३३. जे भिखू—१. उत्सेइमं वा, २. संसेइमं वा, ३. चाउलोदगं वा, ४. वारोदगं वा, ५. तिलोदगं वा, ६. तुसोदगं वा, ७. जवोदगं वा, ८. आयामं वा, ९. सोवीरं वा, १०. अंबकजियं वा, ११. सुद्धवियडं वा ।

१. अहुणाधोयं, २. अणंबिलं, ३. अचुवकंतं, ४. अपरिणयं ५. अविद्धत्यं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

१३३. जो भिक्षु—१. उत्स्वेदिम, २. संस्वेदिम, ३. चावलोदक, ४. वारोदक, ५. तिलोदक, ६. तुपोदक, ७. यवोदक, ८. ओसामण, ९. कांजी, १०. आम्लकांजिक, ११. शुद्ध प्रामुक जल ।

१. जो कि तत्काल धोया हुआ हो, २. जिसका रस बदला हुआ न हो, ३. जीवों का अतिक्रमण न हुआ हो, ४। शस्त्रपरिणत न हुआ हो, ५. पूर्ण रूप से अचित्त न हुआ हो ।

ऐसे जल को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—आगमों में अनेक जगह अचित्त शीतल जल अर्थात् धोवण पानी के नामों का कथन है । उनमें ग्राह्य पानी ग्यारह ही हैं, जो इस सूत्र में कहे गये हैं । इससे अधिक नाम जो भी उपलब्ध है वे सब अग्राह्य कहे गये हैं ।

ग्राह्य धोवण पानी बनने के बाद तुरन्त ग्राह्य नहीं होता है । करीब ग्राधा घण्टा या मूर्हत के बाद ग्राह्य होता है । चूर्णकार ने समय-निर्धारण न करते हुए बुद्धि से ही समय निर्णय करने को कहा है । तत्काल लेने पर तो प्रस्तुत सूत्रानुसार प्रायश्चित्त आता है ।

आगमों में अनेक प्रकार के अचित्त एवं एपणीय पानी लेने का विधान है और सचित्त एवं अनेपणीय पानी लेने का निषेध है ।

१. लेने योग्य पानी के १० नाम हैं—देखिए—आ० सू० २, अ० १, उ० ७, सू० ३६९-३७०
—दस० अ० ५, उ० १, गा० १०६ (७५)

२. न लेने योग्य पानी के १२ नाम हैं—देखिए—आ० सू० २, अ० १, उ० ८, सू० ३७३ ।

लेने योग्य पानी के आगमपाठ में और न लेने योग्य पानी के आगमपाठ में निश्चित सध्या सूचित नहीं है, किन्तु लेने योग्य पानी के आगमपाठ में अन्य भी ऐसे लेने योग्य पानी लेने का विधान

है तथा न लेने योग्य पानी के आगमपाठ में भी अन्य ऐसे न लेने योग्य पानी लेने का निषेध है । अतः कल्पनीय अकल्पनीय पानी अन्य अनेक हो सकते हैं, यह स्पष्ट है ।

पानी दस्य-परिणमन होने पर भी तत्काल अचित्त नहीं होता है, अतः वह लेने योग्य नहीं होता है । यहाँ पानी कुछ समय बाद अचित्त होने पर लेने योग्य हो जाता है ।

फन आदि धोए हुए अचित्त पानी में यदि बीज, गुठली आदि हो तो ऐसा पानी छान करके दे, तो भी वह लेने योग्य नहीं है ।

घोषण-पानी सूत्रक आगमस्यत इति प्रकार है—

१. दशवैकालिक अ० ५, उ० १, गा० १०६ (७५) में तीन प्रकार के घोषण-पानी लेने योग्य कहे हैं । इनमें दो प्रकार के घोषण-पानी आचारांग अ० २, अ० १, उ० ७, सू० ३६९ के अनुसार ही कहे गए हैं और 'वार-घोषण' अधिक है ।

२. उत्तराध्ययन सूत्र अ० १५, गा० १३ में तीन प्रकार के घोषण कहे गए हैं । इन तीनों का कथन अ० अ० २, अ० १, उ० ७, सू० ३६९-३७० में है ।

३. आचारांग अ० २, अ० १, उ० ७, सू० ३६९-३७० में अल्पकाल का घोषण लेने का निषेध है, अधिक काल का बना हुआ घोषण लेने का विधान है तथा गृहस्य के कहने पर स्वतः लेने का भी विधान है ।

४. अ० अ० २, अ० १, उ० ८, सू० ३७३ में अनेक प्रकार के घोषण-पानी का कथन है । इनमें बीज, गुठली आदि हो तो ऐसे पानी को छान करके देने पर भी लेने का निषेध है ।

५. ठाण० अ० ३, उ० ३, सू० १८८ में चत्वर्य, छट्ट, छट्टम तप में ३-३ प्रकार के ग्राह्य पानी का विधान है ।

६. दशवैकालिक अ० ८, गा० ६ में उष्णोदक ग्रहण करने का विधान है ।

आचारांग व निगीष में वर्णित 'शुद्ध विषय' उष्णोदक से भिन्न है, क्योंकि वहाँ तरकाल बने शुद्ध विषय ग्रहण करने का निषेध एवं प्रायश्चित्त कहा गया है । अतः उसे अचित्त शुद्ध शीतल जल ही समझना चाहिये ।

आगमों में वर्णित ग्राह्य अग्राह्य घोषण पानी के संक्षिप्त प्रथे इस प्रकार हैं—

ग्राह्य प्रकार के ग्राह्य घोषण-पानी—

१. उरुवेदिम—घाटे के निम्न हाथ या बर्तन का घोषण,
२. मंभेदिम—उबाले हुए तिल, पत्र-शाक आदि का घोषण हुआ जल,
३. तन्दुलोदक—घावलों का घोषण,
४. तिलोदक—तिलों का घोषण,
५. तुपोदक—भूमी का घोषण या तुप मुक्त धान्यों के तुप निकालने से बना घोषण,
६. जलोदक—जल का घोषण,
७. धान्याम—अमशायण—उबाले हुए पदार्थों का पानी,

८. सोवीर—कांजी का जल, गर्म लोहा, लकड़ी आदि डुबाया हुआ पानी,
९. शुद्धविकट—हरड़ बहेड़ा राख आदि पदार्थों से प्रासुक बनाया गया जल,
१०. वारोदक—गुड़ आदि खाद्य पदार्थों के घडे (वर्तन) का धोया जल,
११. आम्लकांजिक—खट्टे पदार्थों का धोवण या छाछ की आछ ।

बारह प्रकार के अप्राह्य धोवण-पानी—

१. आम्रोदक—आम्र का धोया हुआ पानी,
२. अम्बाडोदक—आम्रातक (फलविशेष) का धोया हुआ पानी,
३. कपित्थोदक—कंथ या कवीठ का धोया हुआ पानी,
४. बीजपूरोदक—विजोरे का धोया हुआ पानी,
५. द्राक्षोदक—दाख का धोया हुआ पानी ।
६. दाडिमोदक—अनार का धोया हुआ पानी,
७. खजूरोदक—खजूर का धोया हुआ पानी,
८. नालिकेरोदक—नारियल का धोया हुआ पानी,
९. करीरोदक—कैर का धोया हुआ पानी,
१०. बदिरुदक—बेरों का धोया हुआ पानी,
११. आमलोदक—आंवलों का धोया हुआ पानी,
१२. चिचोदक—इमली का धोया हुआ पानी ।

इनके सिवाय गर्म जल भी ग्राह्य कहा गया है, जो एक ही प्रकार का होता है । पानी के अग्नि पर पूर्ण उबल जाने पर वह अचित्त हो जाता है । अर्थात् गर्म पानी में हाथ न रखा जा सके, इतना गर्म हो जाना चाहिये । इससे कम गर्म होने पर पूर्ण अचित्त एवं कल्पनीय नहीं होता है । टीका आदि में तीन उकाले आने पर अचित्त होने का उल्लेख मिलता है ।

उक्त आगमस्थलों से स्पष्ट है कि धोवण-पानी अर्थात् अचित्त शीतल जल अनेक प्रकार का हो सकता है । आगमोक्त नाम तो उदाहरण रूप में हैं । आटा, चावल आदि किसी खाद्य पदार्थ को धोया हुआ पानी या खाद्य पदार्थ के वर्तन को धोया हुआ पानी अथवा अन्य किसी प्रकार के पदार्थों से पूर्ण अचित्त बना हुआ पानी भिक्षु को लेना कल्पता है ।

दशवैकालिक अ० ५ उ० १ गा० ७६-८१ के कथनानुसार अचित्त पानी को ग्रहण करने के साथ यह विवेक भी अवश्य रखना चाहिये कि क्या यह पानी पिया जा सकेगा ? इससे प्यास बुझेगी या नहीं ? इसका निर्णय करने के लिए कभी पानी को चखा भी जा सकता है । कदाचित् ऐसा पानी ग्रहण कर लिया गया हो तो उसे अनुपयोगी जानकर एकान्त निर्जीव भूमि में परठ देना चाहिए ।

इस सूत्र में 'सोवीर' और आम्लकांजिक दोनों शब्दों का प्रयोग है जबकि अन्य आगमों में एक 'सोवीर' शब्द ही कहा गया है । इसका अर्थ टीका आदि में—कांजी का पानी, आरनाल का पानी आदि किया गया है । हिन्दी शब्दकोष में कांजी के पानी का स्पष्टीकरण करते हुए—नमक जोरा आदि पदार्थों से बनाया गया स्वादिष्ट एवं पाचक खट्टा पानी कहा है । इससे यह अनुमान होता है कि सोवीर शब्द का ही पर्यायवाची 'आम्लकांजिक' शब्द है, जो कभी पर्यायवाची रूप में यहाँ जोड़ा

गया हो। क्योंकि अन्य आगम में यह शब्द नहीं है एवं इस सूत्र की चूर्ण में भी इसकी व्याख्या नहीं है।

दोनों शब्दों का पृथक् अस्तित्व स्वीकार करने पर सोवीर का अर्थ कांजी का पानी और अम्बकांजियं का अर्थ छाछ का छाछ आदि ऐसा किया जाता है।

आगमपाठ के विषयों का विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सोवीर' का टीका एव लोप आदि में किया गया अर्थ प्रसंग संगत नहीं है। क्योंकि सूत्र में कहे गए अर्चित जल तृया दान्त करने के पय जल है और इन्हें तेने तक तपस्या में पीने का विधान है। जबकि कांजी का पानी तो स्वादिष्ट बनाया गया पेष पदार्थ है जो आयम्बिल में भी पीना नहीं कल्पता है। उसे उपवास, बेला एव तेल की तपस्या में पीना तो सर्वथा अनुचित होता है।

घांवला, इमली आदि घट्टे पदार्थों के घोवण-पानी का भी उल्लेख आचा. श्रु. ०, अ. १, उ. ८ में पृथक् किया गया है, अतः यहाँ एक सोवीर शब्द मानकर उसका छाछ की छाछ अर्थ मानना प्रसंग संगत हो सकता है। अथवा दोनों शब्द स्वीकार करके 'सोवीर' शब्द सोहे आदि गर्म पदार्थों को जिम पानी में डूबा कर ठण्डा किया गया हो, वह पानी एवं 'अम्बकांजिक' शब्द से छाछ के ऊपर का नितरा हुआ आछ ऐसा अर्थ करने पर भी सूत्रगत दोनों शब्दों की संगति हो सकती है।

कलों का घोया हुआ पानी भी अर्चित तो हो सकता है, क्योंकि पानी में कुछ देर रहने या धोने पर कुछ कलों का रंग तथा उन पर लगे अन्य पदार्थों का स्पर्श पानी को अर्चित कर देता है। किन्तु कलों की गुठलियाँ, बीज या उनके बीटके जल में होने से आचा० श्रु० २, अ० १, उ० ८ में ऐसा पानी अकल्पनीय कहा गया है। फिर भी कमी बीज आदि से रहित अर्चित पानी उपलब्ध हो तो ग्रहण किया जा सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'शुद्धोदक' शब्द का भ्रांति से गर्म पानी अर्थ भी किया जाता है, किन्तु गर्म पानी के लिये आगमों में उष्णोदक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ तत्काल के घोवण (अर्चित जल) का विषय है तथा आचा० श्रु० २, अ० १, उ० ७ में भी तेमे ही घोवण-पानी के वर्णन में शुद्धोदक (शुद्ध अर्चित जल) का कथन है।

अन्न के अंश से रहित तथा अनेक अमनोज्ञ रसों वाले घोवण-पानी के अतिरिक्त अर्चित बने या बनाये गये शीतल जल को शुद्धोदक समझना चाहिए। इसमें मीठ, कानी-मिर्च, चिकना, राय आदि मिलाये हुए पानी का समावेश हो जाता है। किन्तु शुद्धोदक का गर्म पानी अर्थ करना अनुचित ही है। क्योंकि उसका सूत्रोक्त प्रायश्चित्त से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आचा० श्रु० २, अ० १, उ० ७ में अर्चित पानी भिक्षु को स्वयं ग्रहण करने का भी वक्त है। इसका कारण यह है कि भिक्षु के लिये निर्दोष अर्चित पानी मिलना मुद्द बठिन है तथा पानी के बिना निर्दोष होना भी कठिन है। अतः अर्चित निर्दोष पानी उपलब्ध हो जाने पर कमी पानी देने काया ब्रह्म उठाने में अममयं हो या पानी देने काानी ब्रह्म गर्भवती हो अथवा उनके पाने के मार्ग में अर्चित पदार्थ पड़े हों या उनके पाने से जीव-विराघना होने की सम्भावना हो इत्यादि कारणों से भिक्षु ग्रहण के आता देने पर या स्वयं उसमे आजा प्राप्त करके अर्चित जल ग्रहण कर सकता है। यदि पानी का परिमाण अधिक हो, अर्तन उठाकर नहीं लिया जा सकता हो तो भिक्षु स्वयं के पात्र से या ग्रहण के

लोटे आदि से भी पानी ले सकता है किन्तु आहार के लिये इस प्रकार का कोई विधान आगम में नहीं है एवं न ही इस प्रकार से आहार के स्वयं लेने की परम्परा है ।

एक वार अचित्त बना हुआ पानी पुनः कालान्तर से सचित्त भी हो सकता है । क्योंकि एकेन्द्रिय से लेकर असंजी पंचेन्द्रिय तक के जीव पुनः उसी काय के उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं । —सूय० श्रु० २, अ० ३

दशवैकालिक के पांचवें अध्ययन की चूर्ण में कहा गया है कि गर्मी में एक अहोरात्र से एवं सर्दी और वर्षाकाल में पूर्वाह्न (सुबह) में गर्म किये जल के अपराह्न (सायंकाल) में सचित्त होने की सम्भावना रहती है ।

यथा—गिम्हे अहोरत्तेणं सच्चित्ती भवति, हेमन्त वासासु पुवण्हे कतं अवरण्हे सच्चित्ती भवति ।
—दश. चूर्ण पृष्ठ ६१, ११४

धोवण-पानी के विषय में कुछ समय से ऐसी भ्रांत धारणा प्रचलित हुई है कि इसके अचित्त रहने का काल नहीं बताया गया है अथवा इसमें शीघ्र जीवोत्पत्ति हो जाती है, अतः वह साधु को अकल्पनीय है ।

इस प्रकार का कथन करना आगम प्रमाणों से उचित नहीं है । क्योंकि आगमों में अनेक प्रकार के धोवण-पानी लेने का विधान है, साथ ही तत्काल बना हुआ धोवण-पानी लेने का निषेध है एवं उसके लेने का प्रायश्चित्त भी कहा गया है । उसी धोवण-पानी को कुछ देर के बाद लेना कल्पनीय कहा गया है । अतः धोवण-पानी का ग्राह्य होना स्पष्ट है ।

कल्पसूत्र की कल्पान्तर वाच्य टीका में अनेक प्रकार के धोवण-पानी की चर्चा करके उन्हें साधु के लिये तेले तक की तपस्या में लेना कल्पनीय कहा है और निषेध करने वालों को धर्म एवं आगम निरपेक्ष और दुर्गति से नहीं डरने वाला कहा है । यथा—

“परकीयमवश्रावणादिपानमतिनीरसमपि यदशनाहारतया वर्णयति कांजिकं चानंतकायं वर्दति तत्तेपामेवाहारलापट्यं धर्मागमनिरपेक्षता दुर्गतिरभीरुता केवलं व्यनक्ति ।” —कल्प. समर्थन पृ. ५०

यहां उल्लेखनीय यह है कि इस व्याख्या के करने वाले तपगच्छ के आचार्य हैं, उन्होंने अवसावण आदि का निषेध करने वाले खतरगच्छ एवं अंचलगच्छ वालों को लक्ष्य करके बहुत कुछ कहा है । —कल्प. समर्थन प्रस्तावना ।

इसके प्रत्युत्तर में खतरगच्छीय आचार्य जिनप्रभसूरि ने आघाकर्मां गर्म पानी लेने का खंडन एवं अचित्त शीतल जल लेने का मण्डन करने वाला ‘तपोटमतकुट्टन’ श्लोकवद्ध प्रकरण लिखकर तपगच्छ के आचार्यों को आक्रोश की भाषा में बहुत लिखा है । देखें—प्रबन्ध पारिजात पृ० १४५-१४६

आचारारंग श्रु० १, अ० १, उ० ३ की टीका में धोवण-पानी के अचित्त होने का एवं साधु के लिये कल्पनीय होने का वर्णन है । वहां पानी को अचित्त करने वाले अनेक प्रकार के पदार्थों का वर्णन भी है ।

प्रवचनसारोद्धार द्वार १३६ गाथा ८८१ में प्रामुक अचित्त शीतल जल के ग्राह्य होने का कथन है तथा गाथा ८८२ में उष्ण जल एवं प्रामुक शीतल जल दोनों के अचित्त रहने का काल भी

कहा है। उसकी टीका में स्पष्ट किया गया है कि उष्ण पानी जितना ही चावल आदि के घोवण का भी अचित्त रहने का काल है।

उत्तिणोदगं तिवंष्टुक्कालियं, कामुयजलाति जइ कप्पं ।

नवरि गिस्ताणाइकए पहरत्तिगोयरि वि धरियथ्यं ॥ ८८१ ॥

त्रिभिर्दण्डै—उत्कालैरुत्कालितं धावृतं यदुष्णोदकं तथा यद्रामुक्-स्यकाय परकाय दासोपह-
तत्त्वेन अनित्तभूतं जल तदेव यतीनाम् कल्प्यं, गृहीतुमुचितं ।

जायइ सच्चित्ता से गिम्हंमि पहरपंचगस्सुव्वारि ।

चउपहरोयरि तिसिरे वासासु पुणो तिपहरुव्वारि ॥ ८८२ ॥

तदूर्ध्वमपि ध्रियते तदा धारः प्रदोषणीयो, येन भूयः सचित्तं न भवतीति ।

तद्युप्रवचन सारोद्धार की भूलगाथा ८५ में भी दोनों प्रकार के अचित्त पानी का काल गमान
कहा है। यथा—

घाइमि तले विवच्चासे, ति-चउ-पण जाम उत्तिणनीरस्स ।

वासाइसु तम्माणं, फामुय-जलस्सावि एमेव ॥ ८५ ॥

इस प्रकार टीका-ग्रन्थों में दोनों प्रकार के जलों के प्रामुक् रहने का काल भी गिनता है और
भाग्यों में तो दोनों प्रकार के प्रामुक् जलों को ग्रहण करने का विधान है ही। अतः पूर्वोक्त प्रचलित
धारणा भ्रांत है और वह भागमसम्मत नहीं है।

स्नानांगमूत्र के तीसरे स्नान में उपवास आदि तपस्या में भी घोवण-पानी पीने का विधान
किया गया है तथा कल्पमूत्र के समाचारी प्रकरण में चातुर्मास में किसे जाने वाले उपवास, वेला, सेला
में चावल, आटे, तिल आदि के घोवण-पानी का तथा भोसामण या कांजी आदि कुल १ प्रकार के
पानी का उल्लेख करके समस्त प्रकार के अचित्त जलों को लेने का विधान किया गया है। इससे भी
स्पष्ट हो जाता है कि घोवण पानी की अकल्पनीय या अंकित मानना या ऐसा प्रचार करना अचित्त
नहीं है।

सारंज यह है कि एषणा दोषों से रहित भागमसम्मत किमी भी अचित्त जल को ग्रहण
समझना चाहिए एवं उमयव निषेध नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें ग्रहण करने में वह पानी
अचित्त हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करने का तथा भोसम के अनुसार उमके अतिसरस होने का
एवं पुनः सचित्त होने के समय का विवेक अवश्य रचना चाहिए।

अपने आपको आचार्य-तक्षणयुक्त कहने का प्रायश्चित्त

१३४. जे भिक्षू अल्पो आयरियत्ताए तवघणाइं वागरेइ, वागरंतं वा साइज्जइ ।

१३४. जो भिक्षु स्वयं अपने को आचार्य के तक्षणों से सम्पन्न कहता है या कहने माने का
अनुमोदन करता है।

(उने तपुपीमागो प्रायश्चित्त पाता है।)

विवेचन—कोई भिक्षु अपने शरीर के लक्षणों का इस प्रकार कथन करे कि 'मेरे हाथ-पांव आदि में जो रेखाएं हैं या जो चन्द्र, चक्र, अंकुश आदि चिह्न हैं तथा मेरा शरीर सुडौल एवं प्रमाणोपेत है, इन लक्षणों से मैं अवश्य आचार्य बनूंगा,' इस प्रकार कथन करने पर उसे सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

आचार्य होने का अभिमान करना ही दोष है । इस प्रकार अभिमान करने से कदाचित् कोई क्षिप्तचित्त हो जाता है, निमित्त लक्षण ज्ञान असत्य भी हो जाता है । कोई वैरभाव रखने वाला उसका आचार्य होना जानकर उसे जीवनरहित करने का प्रयास कर सकता है इत्यादि दोषों की सम्भावना जानकर तथा भगवदाज्ञा समझकर भिक्षु अपने ऐसे लक्षणों को प्रकट न करे किन्तु गम्भीर व निरभिमान होकर संयमगुणों में प्रगति करता रहे ।

धमंड करने से तथा स्वयं अपनी प्रशंसा करने से गुणों की तथा पुण्यांशों की क्षति होती है ।

नवीन आचार्य स्थापित करते समय स्थविर या आचार्यादि जानकारी करना चाहें अथवा कभी अयोग्य को पद पर स्थापित किया जा रहा हो तो संघ की शोभा के लिये स्वयं या अन्य के द्वारा अपने लक्षणों की जानकारी दी जा सकती है, किन्तु उसमें मानकपाय, कलह या दुराग्रह के विचार नहीं होने चाहिये ।

गायन आदि करने का प्रायश्चित्त

१३५. जे भिक्खू—१. गाएज्ज वा, २. हसेज्ज वा, ३. वाएज्ज वा, ४. णच्चेज्ज वा, ५. अभिणएज्ज वा, ६. हय-हेसियं वा, ७. हत्थिगुलगुलाइयं वा, ८. उविकट्ठसोहणायं वा फरेइ, फरेंतं वा साइज्जइ ।

१३५. जो भिक्षु—१. गाये, २. हंसे, ३. वाद्य बजाये, ४. नाचे, ५. अभिनय करे, ६. घोड़े की आवाज (हिनहिनाहट), ७. हाथों की गर्जना (चिघाड) और ८. सिंहनाद करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—उक्त सभी प्रवृत्तियाँ कुतूहलवृत्ति की द्योतक हैं तथा मोहकर्म के उदय एवं उदीरणा से जनित हैं । भिक्षु इन्द्रियविजय एवं मोह की उपशांति में प्रयत्नशील होता है अतः उसके लिये ये अयोग्य प्रवृत्तियाँ हैं ।

धर्मकथा में यदि धर्मप्रभावना के लिये कभी गायन किया जाय तो उसे प्रायश्चित्त का विषय नहीं कहा जा सकता है । किन्तु जनरंजक, धर्मनिरपेक्ष गीत हो तथा गायन कला प्रदर्शन का लक्ष्य हो तो प्रायश्चित्तयोग्य होता है ।

हँसना, वादित्र आदि वजाना, नृत्य करना, नाटक करना, कुतूहल से किसी की नकल करना तथा हाथी, घोड़े, बंदर, सिंह आदि पशुओं की आवाज की नकल करना इत्यादि संयम-साधनामार्ग में निरर्थक प्रवृत्तियाँ होने से त्याज्य हैं तथा इन प्रवृत्तियों में आत्म-संयम एवं जीवविराधना भी संभव है । ऐसा करने वाले को उत्तरा. अ० ३५ में कांदपिकभाव करने वाला कहा है, जो संयम-विराधक होकर दुर्गति प्राप्त करता है । इसलिए सूत्र में ऐसी प्रवृत्तियों का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

किन्तु प्रापत्ति से रक्षाहेतु किसी प्रकार की प्रावाज करनी पड़ जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं समझना चाहिए ।

शब्दश्रवण-प्रासक्ति का प्रायश्चित्त

१३६. जे भिष्यू १. भेरि-सहाणि वा, २. पटह-सहाणि वा, ३. मुरज-सहाणि वा, ४. मुद्रंग-सहाणि वा, ५. पांदि-सहाणि वा, ६. झल्लरी-सहाणि वा, ७. यत्तरि-सहाणि वा, ८. डमह्य-सहाणि वा, ९. मट्टय-सहाणि वा, १०. सद्दुय-सहाणि वा, ११. पएस-सहाणि वा, १२. गोलुकि-सहाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि वितताणि सहाणि कण्णसोय-वडियाए अभिसंधारेद अभिसंधारेत्तं वा साइज्जइ ।

१३७. जे भिष्यू १. यीणा-सहाणि वा, २. विपंचि-सहाणि वा, ३. तूण-सहाणि वा, ४. वर्यीसग-सहाणि वा, ५. यीणाइय-सहाणि वा, ६. तुंबयीणा-सहाणि वा, ७. झोटय-सहाणि वा, ८. दंभुण-सहाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि तताणि सहाणि कण्णसोय-वडियाए अभिसंधारेद अभिसंधारेत्तं वा साइज्जइ ।

१३८. जे भिष्यू १. ताल-सहाणि वा, २. कंसताल-सहाणि वा, ३. तित्तिय-सहाणि वा, ४. गोहिय-सहाणि वा, ५. मकरिय-सहाणि वा, ६. कच्छमि-सहाणि वा, ७. महत्ति-सहाणि वा, ८. सणात्तिया-सहाणि वा, ९. यत्तिया-सहाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सहाणि कण्णसोय-वडियाए अभिसंधारेद, अभिसंधारेत्तं वा साइज्जइ ।

१३९. जे भिष्यू—१. संघ-सहाणि वा, २. वंस-सहाणि वा, ३. वेणु-सहाणि वा, ४. छरमुही-सहाणि वा, ५. परित्त-सहाणि वा, ६. वेवा-सहाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि झुत्तराणि सहाणि कण्णसोय-वडियाए अभिसंधारेद, अभिसंधारेत्तं वा साइज्जइ ।

१३६. जो भिषु—१. भेरी के शब्द, २. पटह के शब्द, ३. मुरज के शब्द, ४. मुद्रंग के शब्द, ५. नान्दी के शब्द, ६. भ्रामर के शब्द, ७. यत्तरी के शब्द, ८. डमरू के शब्द, ९. मट्टय के शब्द, १०. मट्टय के शब्द, ११. प्रदेम के शब्द, १२. गोलुकी के शब्द वा अन्य भी ऐसे वितत वाच्यों के शब्द मुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का धनुमोदन करता है ।

१३७. जो भिषु—१. यीणा के शब्द, २. विपंची के शब्द, ३. तूण के शब्द, ४. वर्यीसग के शब्द, ५. यीणादिक के शब्द, ६. तुम्बयीणा के शब्द, ७. झोटक के शब्द, ८. दंभुण के शब्द वा अन्य भी ऐसे शार दाते वाच्यों के शब्द मुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का धनुमोदन करता है ।

१३८. जो भिषु—१. ताल के शब्द, २. कंसताल के शब्द, ३. तित्तिक के शब्द, ४. गोहिक के शब्द, ५. मकरय के शब्द, ६. कच्छमि के शब्द, ७. महत्ती के शब्द, ८. मनाविका के शब्द, ९. यतीका के शब्द वा अन्य भी ऐसे धनवाच्यों के शब्द मुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का धनुमोदन करता है ।

१३९. जो भिक्षु—१. षांख के शब्द, २. बांस के शब्द, ३. वेणु के शब्द, ४. खरमुहि के शब्द, ५. परिलस के शब्द, ६. वेवा के शब्द या अन्य भी ऐसे भुसिरवाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—वारहवें उद्देशक में रूपों की आसक्ति के प्रायश्चित्तों का कथन है और यहाँ शब्दों की आसक्ति का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

प्रस्तुत सूत्रचतुष्क में चार प्रकार के वाद्यों का नामोल्लेख है ।

आचा० श्रु० २, अ० ११ में शब्दासक्ति-निषेध सूत्रों में भी यह सूत्र-चतुष्क है किन्तु वहाँ वाद्यों के नाम कम हैं और यहाँ अधिक हैं ।

निशोथचूर्ण में बहुत कम शब्दों की व्याख्या की गई है, शेष शब्द 'लोकप्रसिद्ध हैं' ऐसा कह दिया गया है । इनका विस्तृत विवेचन आचारांगसूत्र के विवेचन में देखें । संक्षेप में—

वितत—बिना तार वाले या चर्मावृत वाद्य—तबला, डोलक आदि ।

तत—तार वाले वाद्य—वीणा आदि ।

धन—परस्पर टकरा कर बजाये जाने वाले वाद्य—जलतरंग आदि ।

भुसिर—मध्य में पोलर (छिद्र) वाले वाद्य—बांसुरी आदि ।

'इन वाद्यों की आवाज यदि बिना चाहे ही कानों में पड़ जाय तो भिक्षु को उसमें रागभाव नहीं करना चाहिये' यह पांचवें महाव्रत की प्रथम भावना है । अतः उन्हें सुनने के संकल्प से जाना तो सर्वथा अकल्पनीय ही है । इस विषय का विस्तृत वर्णन १२वें उद्देशक के इन्द्रियविजय संबंधी विवेचन से जानना चाहिए । रोगनिवारणार्थ भंभा (भेरी) आदि वाद्यों की आवाज सुनने का प्रायश्चित्त नहीं आता है । ऐसे ही अन्य कारण भी समझ लेने चाहिये ।

विभिन्न स्थानों के शब्द-श्रवण एवं आसक्ति का प्रायश्चित्त

१४०-१५४. जे भिक्खू वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा कणसोयवडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ । एवं वारसमुद्देसग गमेणं सव्वे सुत्ता सहात्तावगेणं भाणियव्वा जाव जे भिक्खू बहुसगडाणि वा जाव अण्णयरणि वा विरूवरूवाणि महासवाणि कणसोयवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

१५५. जे भिक्खू—

१. इहलोइएसु वा सद्देसु, २. परतोइएसु वा सद्देसु, ३. दिट्ठेसु वा सद्देसु, ४. अदिट्ठेसु वा सद्देसु, ५. सुएसु वा सद्देसु, ६. असुएसु वा सद्देसु, ७. विण्णाएसु वा सद्देसु, ८. अविण्णाएसु वा सद्देसु सज्जइ, रज्जइ, गिज्जइ, अज्जोववज्जइ, सज्जमाणं, रज्जमाणं, गिज्जमाणं, अज्जोववज्जमाणं साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

किन्तु आपत्ति से रक्षाहेतु किसी प्रकार की आवाज करनी पड़ जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं समझना चाहिए ।

शब्दश्रवण-आसक्ति का प्रायश्चित्त

१३६. जे भिवखू १. भेरि-सद्दाणि वा, २. पटह-सद्दाणि वा, ३. मुरज-सद्दाणि वा, ४. मुहंग-सद्दाणि वा, ५. पाँदि-सद्दाणि वा, ६. शल्लरी-सद्दाणि वा, ७. वल्लरि-सद्दाणि वा, ८. डमरूय-सद्दाणि वा, ९. मड्डय-सद्दाणि वा, १०. सद्दुय-सद्दाणि वा, ११. पएस-सद्दाणि वा, १२. गोलुकि-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि वितताणि सद्दाणि कण्णसोय-वड्डियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

१३७. जे भिवखू १. वीणा-सद्दाणि वा, २. विपंची-सद्दाणि वा, ३. तूण-सद्दाणि वा, ४. वव्वीसग-सद्दाणि वा, ५. वीणाइय-सद्दाणि वा, ६. तुंबवीणा-सद्दाणि वा, ७. छोटक-सद्दाणि वा, ८. ठंक्कुण-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि तताणि सद्दाणि कण्णसोय-वड्डियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

१३८. जे भिवखू १. ताल-सद्दाणि वा, २. कंसताल-सद्दाणि वा, ३. लित्ति-सद्दाणि वा, ४. गोहिय-सद्दाणि वा, ५. मकरिय-सद्दाणि वा, ६. कच्छभि-सद्दाणि वा, ७. महत्ति-सद्दाणि वा, ८. सणालिया-सद्दाणि वा, ९. वल्लिया-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सद्दाणि कण्णसोय-वड्डियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

१३९. जे भिवखू—१. संख-सद्दाणि वा, २. वंस-सद्दाणि वा, ३. वेणु-सद्दाणि वा, ४. खरमुही-सद्दाणि वा, ५. परिलिस-सद्दाणि वा, ६. वेवा-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि झुत्तिराणि सद्दाणि कण्णसोय-वड्डियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

१३६. जो भिक्षु—१. भेरी के शब्द, २. पटह के शब्द, ३. मुरज के शब्द, ४. मुदंग के शब्द, ५. नान्दी के शब्द, ६. भालर के शब्द, ७. शल्लरी के शब्द, ८. डमरू के शब्द, ९. मड्डय के शब्द, १०. सद्दुय के शब्द, ११. प्रदेश के शब्द, १२. गोलुकी के शब्द या अन्य भी ऐसे वितत वाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३७. जो भिक्षु—१. वीणा के शब्द, २. विपंची के शब्द, ३. तूण के शब्द, ४. वव्वीसग के शब्द, ५. वीणादिक के शब्द, ६. तुम्बवीणा के शब्द, ७. छोटक के शब्द, ८. ठंक्कुण के शब्द या अन्य भी ऐसे तार वाले वाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३८. जो भिक्षु—१. ताल के शब्द, २. कंसताल के शब्द, ३. लित्तिक के शब्द, ४. गोहिक के शब्द, ५. मकर्य के शब्द, ६. कच्छभि के शब्द, ७. महती के शब्द, ८. सनालिका के शब्द, ९. वलीका के शब्द या अन्य भी ऐसे घनवाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१३९. जो भिक्षु—१. शंख के शब्द, २. वांस के शब्द, ३. वेणु के शब्द, ४. खरमुहि के शब्द, ५. परिलस के शब्द, ६. वेवा के शब्द या अन्य भी ऐसे भुसिरवाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

(उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विवेचन—वारहर्वे उद्देशक में रूपों की आसक्ति के प्रायश्चित्तों का कथन है और यहाँ शब्दों की आसक्ति का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

प्रस्तुत सूत्रचतुष्क में चार प्रकार के वाद्यों का नामोल्लेख है ।

आचा० श्रु० २, अ० ११ में शब्दासक्ति-निषेध सूत्रों में भी यह सूत्र-चतुष्क है किन्तु वहाँ वाद्यों के नाम कम हैं और यहाँ अधिक है ।

निशीथचूर्ण में बहुत कम शब्दों की व्याख्या की गई है, शेष शब्द 'लोकप्रसिद्ध हैं' ऐसा कह दिया गया है । इनका विस्तृत विवेचन आचारांगसूत्र के विवेचन में देखें । संक्षेप में—

वितत—विना तार वाले या चर्मावृत वाद्य—तबला, ढोलक आदि ।

तत—तार वाले वाद्य—वीणा आदि ।

घन—परस्पर टकरा कर बजाये जाने वाले वाद्य—जलतरंग आदि ।

भुसिर—मध्य में पोलर (छिद्र) वाले वाद्य—वांसुरी आदि ।

'इन वाद्यों की आवाज यदि विना चाहे ही कानों में पड़ जाय तो भिक्षु को उसमें रागभाव नहीं करना चाहिये' यह पांचवें महाव्रत की प्रथम भावना है । अतः उन्हें सुनने के संकल्प से जाना तो सर्वथा अकल्पनीय ही है । इस विषय का विस्तृत वर्णन १२वें उद्देशक के इन्द्रियविजय संबंधी विवेचन से जानना चाहिए । रोगनिवारणार्थ भंभा (भेरी) आदि वाद्यों की आवाज सुनने का प्रायश्चित्त नहीं आता है । ऐसे ही अन्य कारण भी समझ लेने चाहिये ।

विभिन्न स्थानों के शब्द-श्रवण एवं आसक्ति का प्रायश्चित्त

१४०-१५४. जे भिवखू वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा कणसोयवडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ । एवं वारसमुद्देशग गमेणं सव्वे सुत्ता सद्दात्तावगेणं भाणियव्वा जाव जे भिवखू बहुसगडाणि वा जाव अण्णयरणि वा विरूवरूवाणि महासवाणि कणसोयवडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

१५५. जे भिवखू—

१. इहलोइएसु वा सद्देसु, २. परतोइएसु वा सद्देसु, ३. दिट्ठेसु वा सद्देसु, ४. अदिट्ठेसु वा सद्देसु, ५. सुएसु वा सद्देसु, ६. असुएसु वा सद्देसु, ७. विण्णाएसु वा सद्देसु, ८. अविण्णाएसु वा सद्देसु सज्जइ, रज्जइ, गिज्जइ, अज्जोववज्जइ, सज्जमाणं, रज्जमाणं, गिज्जमाणं, अज्जोववज्जमाणं साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाज्जमासियं परिहारट्ठाणं उग्घायं ।

१४०-१५४. जो भिक्षु खेत यावत् भवनगृहों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है इत्यादि १२वें उद्देशक के समान यहाँ भी सभी सूत्र, 'शब्दश्रवण के आलापक' से जानना यावत् जो भिक्षु अनेक बेलगाड़ियों के यावत् अन्य अनेक प्रकार के महाप्राश्रव वाले स्थानों में शब्द सुनने के संकल्प से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१५५. जो भिक्षु—

१. इहलीकिक शब्दों में, २. पारलीकिक शब्दों में, ३. दृष्ट शब्दों में, ४. अदृष्ट शब्दों में, ५. पूर्व सुने हुए शब्दों में, ६. अश्रुत शब्दों में, ७. ज्ञात शब्दों में, ८. अज्ञात शब्दों में आसक्त, अनुरक्त, गूढ और अत्यधिक गूढ होता है या आसक्त, अनुरक्त, गूढ और अत्यधिक गूढ होने वाले का अनुमोदन करता है ।

इन १५५ सूत्रों में कहे गये स्थानों का सेवन करने पर लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—इन १६ सूत्रों का संपूर्ण विवेचन १२वें उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए, चूणिकार ने भी यही सूचन किया है ।

सत्रहवें उद्देशक का सारांश—

- सूत्र १-२ कुतूहल से प्रस प्राणी को बांधना, खोलना ।
 ३-१४ कुतूहल से मालाएं, कड़े, आभूषण और वस्त्रादि बनाना, रखना और पहनना ।
 १५-६८ साध्वी, साधु का शरीरपरिकर्म गृहस्थ द्वारा करवावे ।
 ६९-१२२ साधु, साध्वी का शरीरपरिकर्म गृहस्थ द्वारा करवावे ।
 १२३-१२४ सद्स निग्रन्ध निग्रन्धी को स्यात नहीं देना ।
 १२५-१२७ अधिक ऊँचे-नीचे स्थान में से या बड़े कोठे में से आहार लेना अथवा लेप आदि से बंद बतन खुलवाकर आहार लेना ।
 १२८-१३१ सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ आहार लेना ।
 १३२ पंखे आदि से ठंडा करके दिया गया आहार लेना ।
 १३३ तत्काल बना हुआ अचित्त दीप्तल जन (घोषण) लेना ।
 १३४ अपने आचार्यपद योग्य शारीरिक लक्षण कहना ।
 १३५ गाना, बजाना, हँसना, नृत्य करना नाटक करना, हाथी, घोड़े, सिंह आदि जानवरों के जैसे आवाज करना ।
 १३६-१३९ वितत, तत, पन और भुस्तिर वाघों की ध्वनि सुनने जाना ।
 १४०-१५५ अन्य अनेक स्थानों के शब्द सुनने के लिए जाना । शब्दों में आसक्ति रखना इत्यादि प्रवृत्तियाँ करने पर लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ।
 इस उद्देशक के २९ सूत्रों के विषयों का कथन निम्नांकित आगमो में है, यथा—
 १२५-१२७ मात्सोपहृत, कोठे में रखा और मट्टियोपनिप्त आहार लेने का निषेध ।

— प्राचा. श्रु. २, घ. १, उ. ७

- १२८-३२ पृथ्वी आदि की विराघना करके दिया गया आहार लेने का निषेध ।
—आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ७
- १३४ तत्काल बनाया हुआ अचित्त शीतल जल लेने का निषेध और चिरकाल का लेने का विधान ।
—आचा. श्रु. २, अ. १, उ. ७
- १३७-१५६ शब्दश्रवण के लिये जाने का निषेध ।
—आचा. श्रु. २, अ. ११

इस उद्देशक के १२६ सूत्रों के विषयों का कथन अन्य आगमों में नहीं है—

सूत्र १ से १२४ तक तथा सूत्र १३५, १३६ के विषयों का कथन अन्य आगमों में नहीं है, किन्तु माला, आभूषण आदि पहनने का दश. अ. ३ में सामान्य निषेध है तथा अन्य सांभोगिक साधु आ जाय, उसे शय्या-संस्कारक देने वा विधान—आचा. श्रु. २, अ. ७, उ. २ में है, किन्तु यहाँ सदृश निग्रन्थ का कथन है ।

॥ सत्रहवां उद्देशक समाप्त ॥

अठारहवां उद्देशक

नीकाविहार करने का प्रायश्चित्त

१. जे भिबलू अणट्टाए णायं दुरुइह दुरहंतं वा साइज्जइ ।
२. जे भिबलू णायं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्ट देज्जमाणं दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
३. जे भिबलू णायं पामिच्चइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चं आहट्ट देज्जमाणं दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
४. जे भिबलू णायं परिपट्टेइ, परिपट्टावेइ, परिपट्टं आहट्ट देज्जमाणं दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
५. जे भिबलू णायं अच्छेज्जं, अणिसिट्ठं, अभिहडं आहट्ट देज्जमाणं दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
६. जे भिबलू थलाओ णायं जले ओषकसावेइ, ओषकसावेंतं वा साइज्जइ ।
७. जे भिबलू जलाओ णायं थले उक्कसावेइ, उक्कसावेंतं वा साइज्जइ ।
८. जे भिबलू पुण्णं णायं उस्सिचावेइ, उस्सिचायेंतं वा साइज्जइ ।
९. जे भिबलू सण्णं णायं उप्पिलावेइ, उप्पिलावेंतं वा साइज्जइ ।
१०. जे भिबलू पडिणावियं कट्टु णायाइ दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
११. जे भिबलू उड्डगामिणिं वा णायं, अहोगामिणिं वा णायं दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
१२. जे भिबलू परं जोयणवेलागामिणिं वा परं अद्धजोयणवेलागामिणिं वा णायं दुरुइह, दुरहंतं वा साइज्जइ ।
१३. जे भिबलू णायं उक्कसेइ वा, वोक्कसेइ वा, सेवेइ वा, रज्जुए वा गहाय आकसेइ, उक्कसंतं वा, वोक्कसंतं वा सेवेंतं वा, रज्जुए वा गहाय आकसंतं वा साइज्जइ ।
१४. जे भिबलू णायं अतित्तएण वा, पक्किट्टएण वा, वंसेण वा, वलएण वा याहेइ, दाहेंतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिक्खू णावाओ उदमं भायणेण वा, पडिग्गहणेण वा, मत्तेण वा, नावाउत्तिचणेण वा उत्तिचइ, उत्तिचंतं वा साइज्जइ ।

१६. जे भिक्खू णावं उत्तिणेण उदमं आसवमाणि उवरुवरि वा कज्जलमाणि पेहाए हत्थेण वा, पाएण वा, आसत्थपत्तेण वा, कुसपत्तेण वा, मट्टियाए वा, चेलकण्णेण वा पडिपिहेइ पडिपिहेंतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिक्खू णावागओ णावागयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

१८. जे भिक्खू णावागओ जलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

१९. जे भिक्खू णावागओ पंकगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिक्खू णावागओ थलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिक्खू जलगओ णावागयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२२. जे भिक्खू जलगओ जलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२३. जे भिक्खू जलगओ पंकगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२४. जे भिक्खू जलगओ थलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२५. जे भिक्खू पंकगओ णावागयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२६. जे भिक्खू पंकगओ जलगयस्स वा असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२७. जे भिक्खू पंकगओ पंकगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिषखू पंकगजी यलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिषखू यलगजी णावागयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिषखू यलगजी जल्लगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३१. जे भिषखू यलगजी पंकगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३२. जे भिषखू यलगजी यलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु विना प्रयोजन नावा पर बंठता है या बंठने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु नावा खरीदता है, खरीदवाता है या खरीदी हुई नावा दे तो उस पर बंठता है या बंठने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु नावा उधार लेता है, उधार लिवाता है या उधार ली हुई नावा दे तो उस पर बंठता है या बंठने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु नावा को बदल-बदल करता है, करवाता है और बदल-बदल की हुई नावा दे तो उस पर बंठता है या बंठने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु छीनकर ली हुई, षोड़े समय के लिए लाकर दी हुई और सामने लाई गई नावा पर बंठता है या बंठने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु स्थल से नावा को जल में उतरवाता है या उतरवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु जल से नावा को स्थल पर रखवाता है या रखवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

८. जो भिक्षु पानी से पूर्ण भरी नावा को घाली करवाता है या घाली करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु कीचड़ में फेंकी नावा को निकलवाता है या निकलवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु प्रतिनावा करके नावा में बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।
११. जो भिक्षु ऊर्ध्वगामिनी नावा पर या अधोगामिनी नावा पर बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।
१२. जो भिक्षु एक योजन से अधिक प्रवाह में जाने वाली अथवा अर्धयोजन से अधिक प्रवाह में जाने वाली नावा पर बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।
१३. जो भिक्षु नावा को उपर की ओर (किनारे) खींचता है, नीचे की ओर (जल में) खींचता है, लंगर डाल कर बांधता है या रस्सी से कस कर बांधता है या ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।
१४. जो भिक्षु नावा को नौ-दंड (चप्पू) से, नौका पफ्फिडक (नौका चलाने के उपकरण-विशेष) से, बांस से या बल्ले से चलाता है या चलाने वाले का अनुमोदन करता है ।
१५. जो भिक्षु नाव में से भाजन द्वारा, पात्र द्वारा, मिट्टी के वर्तन द्वारा या नावा उर्सिचनक द्वारा पानी निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।
१६. जो भिक्षु नाव के छिद्र में से पानी आने पर अथवा नाव को डूबती हुई देखकर हाथ से, पैर से, पीपल के पत्ते (पत्र समूह) से, कुस के पत्ते (कुससमूह) से, मिट्टी से या वस्त्रखंड से उसके छेद को बन्द करता है या बंद करने वाले का अनुमोदन करता है ।
१७. नाव में रहा हुआ भिक्षु नाव में रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
१८. नाव में रहा हुआ भिक्षु जल में रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
१९. नाव में रहा हुआ भिक्षु कीचड़ में रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
२०. नाव में रहा हुआ भिक्षु भूमि पर रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
२१. जल में रहा हुआ भिक्षु नाव में रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
२२. जल में रहा हुआ भिक्षु जल में रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।
२३. जल में रहा हुआ भिक्षु कीचड़ में रहे हुए गृहस्थ से अशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२४. जल में रहा हुआ भिक्षु भूमि पर रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२५. कीचड़ में रहा हुआ भिक्षु नाव में रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२६. कीचड़ में रहा हुआ भिक्षु जल में रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२७. कीचड़ के रहा हुआ भिक्षु कीचड़ में रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. कीचड़ में रहा हुआ भिक्षु भूमि पर रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२९. स्थल पर रहा हुआ भिक्षु नाव में रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३०. स्थल पर रहा हुआ भिक्षु जल में रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३१. स्थल पर रहा हुआ भिक्षु कीचड़ में रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३२. स्थल पर रहा हुआ भिक्षु स्थल पर रहे हुए गृहस्थ से भ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे सपुत्रोमासी प्रायश्चित्त भ्राना है ।)

विवेचन—१. अप्काम के जीवों की विराधना का भिक्षु पूर्णतः त्यागी होता है, भ्रतः उसे नोकाविहार करना नहीं कल्पता है ।

भाचारंगमूत्र, बृहत्कल्पमूत्र तथा दशामृतस्कन्ध में अप्रयादरूप विशेष प्रयोजनों में नोका द्वारा जाने का विधान है, इसका स्पष्टीकरण १२वें उद्देशक में किया गया है ।

ठाणागं सूत्र अ. ५ में वर्षाकाल में विहार करने के कुछ कारण कहे हैं, उन कारणों से विहार करने पर कभी नौका द्वारा नदी आदि पार करना पड़े तो वह भी सकारण नौकाविहार है, अतः उसका सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

नावा देखने के लिये या नौकाविहार की इच्छापूति के लिये, ग्रामानुग्राम विचरण करने के लिए या तीर्थस्थानों में भ्रमण करने हेतु अथवा अकारण या सामान्य कारण से नावा में बैठना निष्प्रयोजन बैठना कहा जाता है, उसी का इस प्रथम सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

२-५. आगाढ (प्रबल) कारण से नौकाविहार करना पड़े तो भी सूत्रोक्त क्रीतादि दोष से युक्त नौका में जाना नहीं कल्पता है अर्थात् नाविक अपनी भावना से ले जावे, किराया नहीं लेवे तो प्रायश्चित्त नहीं आता है । क्रीतादि दोष लगने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है ।

६-९. साधु के लिये नौका को किनारे से जल में ले जावे या जल से स्थल में लावे, कीचड़ में से निकाले, नावा में से जल को निकालकर साफ करे, ऐसी नावा में जाने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है अर्थात् अन्य यात्रियों के लिये पूर्व में सब तैयारी हो जाय, वैसी नावा में जाने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

१०. यदि पार जाने वाली नौका बड़ी हो और वह किनारे से बहुत दूर हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिये स्वयं के लिये ही दूसरी छोटी (प्रतिनावा) नौका आदि साधन करके जाए तो भी प्रायश्चित्त आता है, अर्थात् जो नौका किनारे के निकट है और आचा० श्रु २, अ० ३, उ० १ में कही विधि से पदल चलकर पहुँच सकता है, ऐसी नावा में जाने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

११. जो नौका प्रवाह में या प्रवाह के सन्मुख जाने वाली हो उसमें जाना नहीं कल्पता है, किन्तु जो नदी के विस्तार को काटकर सामने तीर पर जाने वाली हो, उसी नौका में जाना कल्पता है । आचा० श्रु० २, अ० ३, उ० १ में भी उक्त नौका में जाने का निषेध है और यहाँ उसी का प्रायश्चित्त कहा है ।

१२. नदी का विस्तार कम होते हुए भी पानी के प्रवाह का वेग तीव्र होने से यदि नौका को तिरछा लम्बा भाग तय करना पड़े, जिससे नौका आघात योजन से अधिक या एक योजन से भी अधिक चले तो वैसी नावा में और वैसे समय में जाना नहीं कल्पता है । जाने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है । अतः जब जो नावा आघात योजन से कम चल कर नदी पार करे तब उस नावा में जाने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

यहाँ "जोयण" एवं "अद्धजोयण" ये दो शब्द दिए गए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से तो अर्ध योजन से अधिक चलने वाली नावा में भी नहीं जाना चाहिये, किन्तु अत्यन्त विकट स्थिति में कभी अनिवार्य रूप से जाने का प्रसंग आ जाए तो भिक्षु एक योजन चलने वाली नावा में जा सकता है, किन्तु एक योजन से अधिक जाने वाली नावा का तो उसे पूर्णतया वर्जन करना चाहिए ।

१३-१४. आचारंगसूत्र में नौकाविहार के वर्णन में कहा है कि यदि नौका में बैठने के बाद नाविक नौका चलाने में मदद करने के लिए कुछ भी कहे तो भिक्षु उसे स्वीकार न करे किन्तु मौन

पूर्वक रहे। उन्हीं प्रागे-पीछे खींचने आदि नौका चलाने सम्बन्धी प्रवृत्तियों के करने का इन सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है।

१५-१६. नौका में किसी कारण से पानी भर जाए तो उसे पात्र आदि से निकालना तथा किसी छिद्र आदि से पानी आता दीखे तो उसे किसी भी साधन से बन्द करना या नाविक को सूचना देना भिक्षु को नहीं कल्पता है। भिक्षु को वहाँ एकाग्रता पूर्वक ध्यान में लीन रहकर नान्तश्चित्त से धर्म रखते हुए समय व्यतीत करना चाहिए।

परिस्थितिवश नौका सम्बन्धी ये कार्य करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है।

१७-३२. १. नदी के किनारे स्थल में (सचित्त भूमि में), २. कीचड़ में, ३. जल में, ४. नाया में, —इन चार स्थानों में रहा हुआ भिक्षु इन चार स्थानों में रहे हुए गृहस्थ से ब्राह्मण ग्रहण नहीं कर सकता है।

प्राचा० श्रु० २, अ० ३, उ० १ में विधान है कि जब भिक्षु नदी किनारे नौकाविहार के लिए पहुँचे तब चारों प्रकार के ब्राह्मण का त्याग करके साधारण संन्यास कर ले एवं साथ में ब्राह्मणों को न ले, किन्तु सभी वस्त्र-पात्रादि को एक साथ बाँध ले। तब फिर नया ब्राह्मण ग्रहण करने का तो विकल्प ही नहीं रहता है। क्योंकि भिक्षु भ्रमण में जायें तो विराघना के स्थान पर स्थित है, उस समय उसे ब्राह्मण करना उपयुक्त नहीं है। स्थिरकाय होकर योग-प्रवृत्तियों से निवृत्त रहना होता है। सामान्यतया भी यदि गोचरी में वर्षा आदि से जल की बूँदें शरीर पर गिर जायें तो उनके सूखने तक ब्राह्मण नहीं किया जाता है।

प्रथम सूत्र के विवेचन में बताये गये कारणों से जाना आवश्यक होने पर नौका-मंथारिण जन-युक्त मार्ग होने पर अन्य कोई उपाय न होने से नौकाविहार का सूत्र में विधान है। यदि जंघासंथारिण जल हो तो उसे पार करने के लिए पैदल जाने की विधि प्रा० श्रु० २, अ० ३, उ० २ में बताई गई है।

जंघायत्न क्षीण हो जाने पर या अन्य किसी पारोक्षिक कारण से विहार न हो सके तो भिक्षु एक स्थान पर स्थिरवास रह सकता है।—अथ० उ० ८, सु० ४

सूत्रोक्त नौकाविहार का विधान प्रयत्नप्रभावना के लिए भ्रमण करने हेतु नहीं है, क्योंकि निशेष उ० १२ में तथा दशा० द० २ में महिने में दो बार और वर्ष में ९ नव बार की ही सूट है। जिसका भेदन कल्पमर्यादा पातन हेतु नदी पार करने में सम्बन्ध है। इसके विवाय प्रयत्नप्रभावना के लिए पादविहारी भिक्षु को वाहनों के प्रयोग का संकल्प करना भी संभव जीवन में अनुचित है।

उत्तम विधानों के अनुसार समयमाधना करने वाले भिक्षु को पादविहार ही प्रस्ताव है और अपवाद विधानों के अनुसार परिमित जल-मार्ग को नौका द्वारा पार करने का भाग्य में विधान है। अन्य वाहनों के उपयोग करने का निषेध प्रथम श्रु० २ अ० ५ में है। पट्टी हाथी घोड़े आदि वाहन, रथ आदि यान तथा दोली पानकी आदि वाहन का निषेध है। विशेष परिस्थिति में उनके प्रायश्चित्तिक उपयोग का निर्णय मोक्षार्थ की निष्ठा में विवेक पूर्वक करना चाहिए। यान-वाहन के कारणों से और नौकादि दोष संबंधी प्रायश्चित्तों को इन नावा सूत्रों के अनुसार जान लेना चाहिए।

विशेष कारण होने पर नोका द्वारा जल-मार्ग पार करने में अप्रकायिक जीवों की विराधना अधिक होती है और अन्य कायिक जीवों की विराधना अल्प होती है।

सकारण अन्य यानों के उपयोग में वायुकायिक जीवों की विराधना अधिक तथा तेजस्कायिक जीवों की विराधना अल्प एवं शेष कायिक जीवों की विराधना और भी अल्प होती है। उद्देशक १२, सूत्र ८ के अनुसार इन जीव-विराधनाओं का प्रायश्चित्त आता है।

अपवादों के सेवन का, उनके सेवन की सीमा का और प्रायश्चित्तों का निर्धारण तो गीतार्थ ही करते हैं।

आगमोक्त एवं व्याख्या में कहे अपवादों के अतिरिक्त यानों का उपयोग करना अकारण उपयोग माना जाता है, अतः उनके अकारण उपयोग का प्रायश्चित्त यहाँ प्रथम सूत्र के अनुसार समझना चाहिए एवं सकारण वाहन उपयोग का प्रायश्चित्त नहीं आता है। यह भी इस प्रथम सूत्र से स्पष्ट होता है।

किन्तु गवेषणा आदि दोषों का एवं विराधना सम्बन्धी दोषों का प्रायश्चित्त सकारण या अकारण दोनों प्रकार के वाहनप्रयोग में आता है, यह इन सूत्रों का तात्पर्य है।

नोकाविहार सम्बन्धी विधि-निषेध तथा उपसर्गजन्य स्थिति का विस्तृत वर्णन आचा० श्रु० २, अ० ३, उ० १-२ में स्वयं सूत्रकार ने किया है। अतः तत्सम्बन्धी अर्थ विवेचन एवं शब्दार्थ वही से जानना चाहिए।

वस्त्रसम्बन्धी दोषों के सेवन का प्रायश्चित्त—

३३-७३. जे भिक्खू वत्थं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ। एवं चउट्टसमं उट्टेसगगमेणं सत्त्वे सुत्ता वत्त्याभिलावेणं भणियत्त्वा जाव जे भिक्खू वत्तणीसाए वासावासं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं।

३३-७३. जो भिक्षु वस्त्र खरीदता है, खरीदवाता है या साधु के लिए खरीदकर लाया हुआ ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है, इत्यादि चौदहवें उद्देशक के समान सभी सूत्र वस्त्रालापक से कहने चाहिए यावत् जो भिक्षु वस्त्र के लिए (प्रतिबद्ध होकर) चानुमासि में रहता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

इन सूत्रों में कहे दोषस्थानों का सेवन करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

विवेचन—वस्त्रसम्बन्धी इन ४१ सूत्रों का विवेचन १४वें उद्देशक के पात्रसम्बन्धी ४१ सूत्रों के विवेचन के समान ही विवेकपूर्वक समझ लेना चाहिए।

४१ सूत्रों के स्थान पर चणिकार ने २५ सूत्रों का उच्चारण करने का कहा है तथा १४वें उद्देशक के समान अर्थ समझने की सूचना भी की है। चणिकार ने सूत्रसंख्या २५ कहने में—पुराने एवं दुर्गन्धयुक्त वस्त्र के प्राठ सूत्रों की संख्या को दो सूत्रों में गिना है तथा पात्र मुछाने के ग्यारह सूत्रों को भी एक सूत्र गिना है, जिससे १६ सूत्र कम हों जाने से ४१ के स्थान पर २५ ही शेष रहते हैं। इस प्रकार सूत्रसंख्या गिनने में केवल अर्थसाधेद है, किन्तु सूत्रसंख्या में कोई मौलिक अन्तर नहीं समझना चाहिए।

पात्र में जो कोरणी करने का सूत्र है, उससे यहाँ वस्त्र में कसोदा करना आदि अर्थ समझ लेना चाहिये।

अठारहवें उद्देशक का सारांश

सूत्र १	प्रत्यावश्यक प्रयोजन के बिना नौकाविहार करना या अन्य वाहन विहार करना।
२-५	क्रीतादि दोषयुक्त नौका में चढ़ना।
६-९	नौका में चढ़ने के लिये नावा को जल से स्थल में, स्थल से जल में मंगाना, कीचड़ में से निकलवाना या नावा में भरा जल निकलवाना।
१०	नौका तक जाने के लिये दूसरी नौका आदि करना।
११	अनुस्रोत या प्रतिस्रोत में जाने वाली नौका में जाना।
१२	प्राधा योजन या एक योजन से अधिक लम्बा मार्ग तय करने वाली नौका में जाना।
१३-१४	नौका चलाना या उसमें गहायता करना।
१५	नौका में घाने वाले जल को बाहर उन्नीचना।
१६	नौका में छिद्र हो जाने पर उसे बन्द करना।
१७-२२	नौकाविहार के प्रसंग में स्थल, जल, कीचड़ या नावा में आहार ग्रहण करना।
२३-७३	वस्त्रसम्बन्धी दोषों का निवृत्त करना। दर्यादि प्रवृत्तियों का मधुपीमासी प्रायश्चित्त धाना है।

इस उद्देशक के ४२ सूत्रों के विषय का कथन आचारांगसूत्र में है—

२-१६ नौकासम्बन्धी विधि निषेधों का प्रमचड वर्णन है।

—आचा. सू. २, ध. ३, उ. १-२

३३-३६ तथा इन २७ सूत्रों के विषय शीघ्र उद्देशक के सूत्र १-४ तथा ८-२० तक के समान
४०-६२ वस्त्र के लिये समझना। —आपा. सू. २, ध. ६, उ. १-२

इस उद्देशक के ३१ सूत्रों के विषय का कथन अन्य भागों में नहीं है, यथा—

१ अत्यावश्यक प्रयोजन के बिना नौका विहार का निषेध ।

१७-३२ नौका विहार के समय जल, स्थल, कीचड़ एवं नौका में आहार ग्रहण नहीं करना ।

३७-३९ } इन चौदह सूत्रों के विषय चौदहवें उद्देशक के सूत्र ५-७ तथा ३१ से ४१ तक के
६३-७३ } समान वस्त्र के लिये समझना ।

इस उद्देशक में वस्त्र एवं नौका इन दो विषयों का प्रायश्चित्त ७३ सूत्रों में कहा गया है, अन्य कोई विषय नहीं है यह इस उद्देशक की विशेषता है ।

॥ अठारहवाँ उद्देशक समाप्त ॥

उष्णीसत्वां उद्देशक

श्रीपथ सम्बन्धी श्रोतादि दोषों के प्रायश्चित्त

१. जे भिषण वियडं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिषण वियडं पामिच्चइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिषण वियडं परिपट्टइ, परिपट्टायेइ, परिपट्टियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिषण वियडं अच्चेज्जं, अणिसिट्ठं, अमिहं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

५. जे भिषण गित्ताणस्स अट्टाए परं तिण्हं वियड इतीणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

६. जे भिषण वियडं गहाय गामाणुगामं दुइज्जइ दुइज्जंतं वा साइज्जइ ।

७. जे भिषण वियडं गालेइ, गालायेइ, गालियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

१. जो भिक्षु श्रोपथ खरीदता है, खरीदवाता है या श्राधु के लिए खरीद कर देने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु श्रोपथ उधार लाता है, उधार लिवाता है या उधार लाने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु श्रोपथ को बदलता है, बदलवाता है या बदलवाकर माने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु धीनकर सार्द्धं हृद्, स्वामी की आज्ञा के बिना सार्द्धं हृद् अथवा गामने सार्द्धं हृद् श्रोपथ ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु श्रान्त के लिए तीन माना (तीन घुराक) से अधिक श्रोपथ ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु औपघ साथ में लेकर ग्रामानुग्राम विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु औपघ को स्वयं गलाता है, गलवाता है या गला कर देने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचीमासी प्रायश्चित्त आता है ।)

विद्येचन—प्रस्तुत सूत्रों में प्रयुक्त “वियड” शब्द का प्रयोग अनेक आगमों में अनेक अर्थों में हुआ है । यथा—

१. बृहत्कल्प सूत्र उद्देशक २, सु. ४-७ में—शीतल पानी, गर्म पानी, सुरा और सौवीर के विशेषण रूप में प्रयोग हुआ है, यथा—

१. सोओदग वियड कुंभे वा, २. उत्तिणोदग वियड कुंभे वा, ३. सुरा वियड कुंभे वा, ४. सौवीर वियड कुंभे वा, इत्यादि ।

२. बृहत्कल्प सूत्र उद्देशक २, सु. ११-१२ में—खुले गृह के अर्थ में “वियड” शब्द का प्रयोग हुआ है । निर्ग्रन्थ को ऐसे खुले गृह में ठहरने का विधान किया गया है और निर्ग्रन्थी को वहाँ ठहरने का निषेध किया गया है ।

३. दशाश्रुत स्कन्ध की दशा ६ में श्रावक को छट्टी प्रतिमा में दिवस भोजन के अर्थ में “वियडभोजी” शब्द प्रयुक्त है ।

४. प्रज्ञापना पद ९ में—जीवों के उत्पन्न होने के स्थान रूप एक प्रकार की “योनि” के अर्थ में “वियड” शब्द प्रयुक्त है, यथा—“वियडा जोणी” ।

५. ठाणांग सूत्र अ. ३ में—ग्लान भिक्षु के लिए किसी एक प्रकार की औपघ के अर्थ में “वियड” शब्द का प्रयोग है । वहाँ ग्लान के लिए तीन प्रकार की “वियडदत्ति” ग्रहण करने का विधान है ।

६. दशा. द. ८ में—गोचरी गए साधु के मार्ग में कहीं वर्षा आ जाने पर वहीं सुरक्षित स्थान में बैठकर आहार-पानी के सेवन कर लेने के विधान में “वियडंगं भोच्चा पेच्चा” ऐसा पाठ है ।

७. आचा. श्रु. १, अ. ९, उ. १, गा. १८ में भगवान् महावीर स्वामी ने किसी भी प्रकार का पाप कर्म न करते हुए, आघाकर्म दोष का सेवन न करते हुए “अचित्त भोजन किया था” इस अर्थ में “वियड” शब्द का प्रयोग है यथा—तं अकुब्बं वियडं भुंजित्था । यहाँ स्वतन्त्र “वियड” शब्द आहार का बोधक है ।

इस प्रकार आगमों में जहाँ “वियड” शब्द अचित्त गर्म पानी का, अचित्त शीतल पानी का विशेषण है वही सुरा-सौवीर आदि “मद्य” का भी विशेषण है । औपघ, आहार-पानी, दिवस भोजन तथा शय्या एवं योनि अर्थ में भी है ।

प्रस्तुत प्रकरण में ठाणांग सूत्र अ. ३ में कहे गए विधान से सम्बन्धित प्रायश्चित्त का विषय है । दोनों स्थलों में “वियड” ग्रहण करने का सम्बन्ध दोमार के लिए किया गया है अतः यहाँ औपघ रूप अनेक पदार्थों को ही “वियड” शब्द से समझना चाहिए ।

८. जो मित्नु प्रातःकाल संध्या में, सायंकाल संध्या में, मध्याह्न में और अर्धरात्रि में द्वा चार संध्याओं में स्वाध्याय करता है या स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे तप्तु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—मन्ध्यात् चार कही गई हैं, यथा—

१. पूर्व संध्या—सूर्योदय के समय जो पूर्व दिशा में लातिमा रहती है उसे 'पूर्व संध्या' कहा जाता है। यह रात्रि और दिवस का संधिकाल है। इसमें सूर्योदय के पूर्व अधिक समय लातिमा रहती है और सूर्योदय के बाद अल्प समय रहती है। यह समय लगभग एक मुहूर्त का होता है।

२. पश्चिम मन्ध्या—पूर्व संध्या के समान ही पश्चिम संध्या सूर्यास्त के समय समझनी चाहिए। इसमें सूर्यास्त के पूर्व लगभग दिशा कम समय रहती है और सूर्यास्त के बाद लाल दिशा अधिक समय तक रहती है। इस सम्पूर्ण लाल दिशा के काल को 'पश्चिम संध्या' कहा गया है।

३. अपरान्ह-मध्याह्न—दिवस का मध्यकाल। जितने मुहूर्त का दिन हो उसके बीच का एक मुहूर्त समय मध्याह्न कहा जाता है। उसे ही मूत्र में "अपरान्ह" कहा है। यह समय प्रायः बारह बजे से एक बजे के बीच में आता है। कभी-कभी कुछ पहले या पीछे भी हो जाता है।

४. अर्धरात्रि—रात्रि के मध्यकाल को "अर्ध रात्रि" कहा गया है। इसे "अपरान्ह" के समान समझना चाहिए।

दिवस और रात्रि का मध्यकाल लौकिक शास्त्र-वाचन के लिए भी अयोग्य काल माना जाता है। नेप दोनों संध्याकाल को ध्यागम में प्रतिप्रमण और शय्या उपधि के प्रतिप्रमण करने का समय कहा है, इस समय में स्वाध्याय करने पर द्वा आवश्यक क्रियाओं के समय का प्रतिप्रमण होता है।

ये चारों काम अन्तर देवों के अमण करने के हैं। अतः किसी प्रकार का प्रमाद होने पर उनके द्वारा उपद्रव होना सम्भव रहता है। लौकिक में भी प्रातः-सायं भजन स्मरण के और मध्याह्न एवं अर्ध रात्रि प्रेतात्माओं के अमण के माने जाते हैं।

द्वा चार कालों में मित्नु को स्वाध्याय न करने से कुछ विधान्ति भी मिल जाती है।

द्वा चारों मन्ध्याओं का काल स्थूल रूप में द्वा प्रकार है—

१. पूर्व मन्ध्या—सूर्योदय से २४ मिनट पहले और २४ मिनट बाद अथवा ३६ मिनट पूर्व और १२ मिनट बाद।

२. पश्चिम मन्ध्या—सूर्यास्त से २४ मिनट पहले और २४ मिनट बाद अथवा १२ मिनट पूर्व और ३६ मिनट बाद।

सूत्रम दृष्टि में इन मन्ध्याओं का काल माना दिना रहे जब तक होता है जो उपरोक्त काम-अधि में होनाधिक भी हो जाता है।

३-४. मध्याह्न एवं अर्ध रात्रि—अपरान्ह से स्थूल रूप में दिन और रात्रि के १२ बजे से एक बजे तक का समय माना जाता है। सूत्रम दृष्टि में दिन या रात्रि के मध्य भाग का एक मुहूर्त समय होता है।

इन चारों सन्ध्याओं में आगम के मूल पाठ का उच्चारण, वाचन एवं स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय करने पर ज्ञान के अतिचार (अकाले कर्मो सज्जाओ) का सेवन होने से तथा अन्य दोषों के होने से प्रस्तुत सूत्र के अनुसार लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।

उत्काल में कालिकश्रुत की मर्यादा-उल्लंघन का प्रायश्चित्त

९. जे भिबखू कालियसुयस्स परं तिण्हं पुच्छाणं पुच्छइ, पुच्छंतं वा साइज्जइ ।
१०. जे भिबखू दिट्ठिवायस्स परं सत्तण्हं पुच्छाणं पुच्छइ, पुच्छंतं वा साइज्जइ ।
९. जो भिक्षु कालिकश्रुत की तीन पृच्छाओं से अधिक पृच्छाएँ अकाल में पूछता है या पूछने वाले का अनुमोदन करता है।
१०. जो भिक्षु दृष्टिवाद की सात पृच्छाओं से अधिक पृच्छाएँ अकाल में पूछता है या पूछने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—कालिकश्रुत के लिए दिवस और रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर स्वाध्याय का काल है और दूसरा तीसरा प्रहर उत्काल है। अतः उत्काल के समय कालिकश्रुत का स्वाध्याय नहीं किया जाता है किन्तु नया अध्ययन कंठस्थ करने आदि की अपेक्षा से यहाँ कुछ प्रापवादिक मर्यादा बतलाई गई है, जिसमें दृष्टिवाद के लिए सात पृच्छाओं का और अन्य कालिकश्रुत आचारांग आदि के लिए ३ पृच्छाओं का विधान किया है।

तिहि सिलोगेहि एग पच्छा, तिहि पुच्छाहि णव सिलोगा भवन्ति एयं कालियसुयस्स एगतरं ।
दिट्ठिवाए सत्तसु पुच्छासु एगवीसं सिलोगा भवन्ति ॥
—चूणि भा. गा. ६०६१.

तीन श्लोकों की एक पृच्छा होती है, तीन पृच्छा से ९ श्लोक होते हैं। ये प्रत्येक कालिक सूत्र के लिए है। दृष्टिवाद के लिए सात पृच्छाओं के २१ श्लोक होते हैं। अर्थात् दृष्टिवाद के २१ श्लोक प्रमाण और अन्य कालिकश्रुत के ९ श्लोक प्रमाण पाठ का उच्चारण आदि उत्काल में किया जा सकता है। “पृच्छा” शब्द का सामान्य अर्थ प्रश्नोत्तर करना होता है। किन्तु प्रश्नोत्तर के लिए स्वाध्याय या अस्वाध्याय काल का कोई प्रश्न ही नहीं होता है अतः यहाँ इस प्रकरण में यह अर्थ प्रासंगिक नहीं है।

“पृच्छा” शब्द के अन्य अनेक वैकल्पिक अर्थ भी होते हैं, उन्हें भाष्य से जानना चाहिए।

दृष्टिवाद सूत्र में अनेक सूक्ष्म-सूक्ष्मतर विषय, भंग भेद आदि के विस्तृत वर्णन होने से उसकी पृच्छा अधिक कही गई है जिससे उसके अधिक पाठ का उच्चारण एक साथ किया जा सके।

कालिकश्रुत और उत्कालिकश्रुत की भेद-रेखा करने वाली कोई स्पष्ट परिभाषा आगमों में उपलब्ध नहीं है। किन्तु नन्दीसूत्र में कालिक और उत्कालिक सूत्रों की सूची उपलब्ध है। उससे यह तो स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि कौन से आगम कालिक हैं और कौनसे उत्कालिक हैं। किन्तु ये आगम उत्कालिक या कालिक क्यों हैं, इसका कारण वहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है।

उपलब्ध ३२ भागमों में ९ सूत्र उत्कालिक हैं यथा—

१. उपवाइसूत्र, २. रायपसेणियसूत्र, ३. जीवाजीवाभिगमसूत्र, ४. प्रज्ञापनासूत्र, ५. सूर्यप्रज्ञप्तिमूत्र, ६. दशवैकालिकसूत्र, ७. नन्दीसूत्र, ८. धनुयोगद्वारसूत्र, ९. धावश्यकसूत्र।
 गेय ग्यारह अंग आदि २३ भागम कालिकसूत्र हैं।

नन्दीसूत्र में २९ उत्कालिकसूत्रों के नाम हैं और ४२ कालिकसूत्रों के नाम हैं। धावश्यकसूत्र मिलाने से कुल ७२ सूत्र होते हैं।

धावश्यकसूत्र को धनुयोगद्वारसूत्र में उत्कालिकसूत्र कहा है। नन्दीसूत्र में १२ उपांग सूत्रों में से ५ को उत्कालिक और सात को कालिक कहा है तथा चन्द्रप्रज्ञप्ति एवं सूर्यप्रज्ञप्ति में से भी क्रमशः एक को कालिक और एक को उत्कालिक कहा है। अतः इससे भी कोई परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकती है।

गणधरों द्वारा रचित भागम तो कालिक ही होते हैं और दृष्टिवाद आदि अंगसूत्रों में से भाषा-परिवर्तन के चिन्ना ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया भागम भी कालिकसूत्र कहा जाता है, क्योंकि यह तो उन अंग सूत्रों का मौलिक रूप ही होता है। किन्तु अन्य पूर्वधरों के द्वारा अपनी भंतो में रचित भागम को उत्कालिकसूत्र समझना चाहिए। क्योंकि इसमें अपने की मौलिकता रह सकती है किन्तु सूत्र की मौलिकता नहीं रहती है।

भागमों की ३२ या ४५ संख्या मानने की परम्परा भी अलग-अलग धरोहरा से तथा किसी क्षेत्र-काल में की गई कल्पना मात्र ही समझनी चाहिए। वास्तव में नन्दीसूत्र में ७२ सूत्रों के जो नाम हैं, वह नन्दीसूत्र की रचना के समय उपलब्ध भागमों की सूची है। उगमें स्वयं नन्दीसूत्र का भी नाम है जो एक पूर्वधर श्री देवर्द्धिगणी वामा श्रमण (देव वाचक) द्वारा रचित है। तथा अन्य भी एक पूर्वधर द्वारा रचित अनेक भागमों के नाम वही दिए गये हैं।

अनेक भागमों के रचनाकाल या रचनाकार का कोई प्रामाणिक इतिहास भी नहीं मिलता है। नन्दीसूत्र में कहे गए महानिजीय आदि सूत्रों के व्यङ्गित हो जाने पर उन्हें पूरक पाठों से पूरा किया गया है।

अन्धों में भागमों की परिभाषा इस प्रकार कही गई है—

सुप्तं गणहर रद्धयं, तद्देव पत्तेय सुद्ध रद्धयं च।

सुय वेवतिणा रद्धयं, अभिप्र वस पुर्विणा रद्धयं ॥१५४॥

—पृष्ठगणधरणी

इस भाषा के अनुसार प्रत्येक सुद्ध, गणधर, १४ पूर्वों तथा मग्नूत्त दग पूर्वधरों की रचना-संकलना को सूत्र या भागम कहा जा सकता है।

नन्दीसूत्र के धनुवार भी भिन्न दग पूर्वधरों का सूत्र, मग्न्यू भी हो सकता है और अगम्य भी। किन्तु १० पूर्व मग्नूत्त धारण करने वालों का सूत्र (अपयोगसूत्र होने पर) मग्न्यू ही होता है।

उपलब्ध भागमों में चार धेनुसूत्र, दशवैकालिकसूत्र तथा प्रज्ञापनासूत्र के रचनाकार ज्ञान हैं जो १० पूर्व तथा १४ पूर्वधर माने जाते हैं। धावश्यकसूत्र एवं ग्यारह अंगसूत्र गणधर रचित माने जाते हैं तथापि प्रश्नव्याकरणसूत्र आदि में गणधर रचित मग्नूत्त विषय हटाकर अन्य विषय ही रख दिए गए हैं, किन्तु नन्दीसूत्र में निर्देश भी नहीं है। अन्य अनेक उपलब्ध सूत्रों के अर्थात् अज्ञान हैं

इस प्रकार आगम(सूत्र) की परिभाषा में आने वाला श्रुत बहुत ही अल्प है। वर्तमान में ३२ आगम अथवा ४५ आगम कहने की परम्परा प्रचलित है, जिसमें सूत्र को परिभाषा के अतिरिक्त अनेक आगम सम्मिलित किए जाते हैं और इनमें किसी-किसी व्याख्या ग्रन्थ को भी सूत्र गिन लिया गया है यथा— औपनिर्गुक्ति पिडनिर्गुक्ति आदि।

दस पूर्व से कम यावत् एक पूर्व तक के ज्ञानी द्वारा रचित श्रुत भी सम्यग् हो सकता है और उसे आगम कहा जा सकता है। यह नन्दीसूत्र के उत्कालिकश्रुत एवं कालिकश्रुत की सूची से स्पष्ट होता है। नन्दीसूत्र की रचना के समय उपलब्ध ७२ सूत्रों को नन्दीसूत्र के रचनाकार ने आगम रूप में स्वीकार किया है। उनमें कई एक पूर्वधारी बहुश्रुतों के द्वारा रचित या संकलित श्रुत भी हैं।

अतः इन ७२ सूत्रों में से जितने सूत्र उपलब्ध हैं और जिनमें कोई अत्यधिक परिवर्तन या क्षति नहीं हुई है, उन्हें आगम न मानना केवल दुराग्रह है, एवं उससे नन्दीसूत्रकर्ता की आसातना भी स्पष्ट है। इन ७२ सूत्रों में से उपलब्ध जिन सूत्रों में अहिंसादि मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्ररूपण प्रक्षिप्त कर दिया है उन्हें शुद्ध आगम मानना भी उचित नहीं है।

इन ७२ सूत्रों के सिवाय अन्य सूत्र, ग्रन्थ, टीका, भाष्य, निर्युक्ति, चूर्णी, निबन्धग्रन्थ या सामाचारो-ग्रन्थ आदि को आगम या आगम तुल्य मानने का आग्रह करना तो सर्वथा अनुचित है।

नन्दीसूत्र की रचना के समय ७२ सूत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूर्वधरों द्वारा रचित सूत्र, ग्रन्थ या व्याख्या-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं थे यह निश्चित है। यदि कुछ उपलब्ध होते तो उन्हें श्रुत-सूची में अवश्य समाविष्ट किया जाता, क्योंकि इस सूची में अज्ञात रचनाकारों के तथा एक पूर्वधारी बहुश्रुतों के रचित श्रुत को भी स्थान दिया गया है। तो अनेक पूर्वधारी या १४ पूर्वधारी आचार्यों द्वारा रचित और उपलब्ध श्रुत का किसी भी रूप में उल्लेख नहीं करने का कोई कारण ही नहीं हो सकता। अतः शेष सभी सूत्र, व्याख्याएं, ग्रन्थ आदि नन्दीसूत्र की रचना के बाद में रचित हैं यह स्पष्ट है। फिर भी इतिहास सम्बन्धी वर्णनों के दूषित हो जाने से व्याख्या ग्रन्थ भी चौदह पूर्वी आदि द्वारा रचित होने की भ्रांत धारणाएं प्रचलित हैं।

प्रस्तुत प्रायश्चित्त सूत्र में नन्दीसूत्र में निर्दिष्ट आगमों में से उपलब्ध कालिकसूत्रों के स्वाध्याय के विषय में तीन पृच्छाओं अर्थात् ९ श्लोक का प्रमाण समझना चाहिए।

दृष्टिवाद नामक वारहवें अंगसूत्र का अभी विच्छेद है। अतः ७ पृच्छा अर्थात् २१ श्लोक का प्रमाण वर्तमान में उपलब्ध किसी भी सूत्र के लिये नहीं समझना चाहिए। जो सूत्र दृष्टिवाद में से निर्युद्ध (उद्धृत-संकलित) किये गये हैं और वे कालिकसूत्र हैं तो उनके लिए भी स्वतन्त्र तथुसूत्र बन जाने से तीन पृच्छा [९ श्लोक] का प्रमाण ही समझना चाहिए।

इन सूत्रों के मूलपाठ का उत्काल में उच्चारण करना आवश्यक हो तो एक साथ ९ श्लोक प्रमाण उच्चारण करने पर प्रायश्चित्त नहीं आता है। इससे अधिक पाठ का उच्चारण करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त आता है।

महामहोत्सवों में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त

११. जे भिवणू चउमु महामहेसु सज्जायं करेइ, करेत्त वा साइज्जइ । तं जहा—१. इंदमहे, २. घंदमहे, ३. जवणमहे, ४. भूममहे ।

१२. जे भिवणू चउमु महापाटियणु सज्जायं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ । तंजहा—
१. आसोय-पाटियण, २. कत्तिय-पाटियण, ३. मुगिम्हण-पाटियण, ४. आसाडो-पाटियण ।

११. जो भिक्षु इन्द्रमहोत्सव, स्कन्दमहोत्सव, यक्षमहोत्सव, भूतमहोत्सव, इन चार महोत्सवों में स्वाध्याय करता है या स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१२. जो भिक्षु घास्विन प्रतिपदा, कार्तिक प्रतिपदा, चैत्री प्रतिपदा और धापाडो प्रतिपदा इन चार महाप्रतिपदाओं में स्वाध्याय करता है या स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है । [उंगे लघुचौमासी प्रायश्चित्त धाता है ।]

विवेचन—धापाडो पूर्णिमा, आसोजी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा और चैत्री पूर्णिमा के दिन और उसके दूसरे दिन की प्रतिपदा [एकम्] इन आठ दिनों में स्वाध्याय करने का इन दो सूत्रों में प्रायश्चित्त कहा गया है ।

ठापांग म. ४ में चार प्रतिपदा को स्वाध्याय करने का निषेध किया गया है । यहाँ उनके नाम इस क्रम से कहे हैं—

“आसाड पाटियण, इंदमह पाटियण, कत्तिय पाटियण, मुगिम्हण पाटियण ।”

नितीषण्य की गाथा ६०६५ में भी ऐसा ही क्रम कहा गया है, यथा—

१ आसाडो, २ इंदमहो, ३ कत्तिय, ४ मुगिम्हो य षोद्धव्यो ।

एते महा महा धनु, एतेति सेव पाटियवया ॥

ठापांग सूत्र और नितीषण्य की इस गाथा में कहा गया क्रम समान है । इनमें इन्द्र महोत्सव का द्वितीय स्थान है जो धापाड के बाद क्रम में प्रायः आसोज की पूनम एवं एकम् का होना स्पष्ट है ।

प्रस्तुत सूत्र ११ में कहे गये स्कन्द, यक्ष और भूत तीन महोत्सव क्रमशः कार्तिक, चैत्र और धापाड इन तीन पूनम-एकम् को समझ लेना उचित प्रतीत होता है । किन्तु इनका स्पष्टीकरण ठापांग टीका एवं नितीषण्य दोनों में नहीं किया गया है ।

प्रस्तुत सूत्रों के सूत्र पाठ में उपरोक्त प्रतियों में महामहोत्सवों में इन्द्र महोत्सव का क्रम पहला कहा है और महाप्रतिपदा में आसोजी पूनम (इन्द्र महोत्सव) और एकम् का क्रम तीसरा कहा है, जबकि उपरोक्त भाष्य-गाथा में ठापांग सूत्र के पाठ के अनुसार व्यवस्था की गई है । धनः नितीषण्य सूत्र का सूत्र पाठ भी ठापांग के अनुसार ही रहा होगा । इस प्रकार सूत्र में इन्द्र महोत्सव—आसोज की पूनम के दिन का प्रथम स्थान है यह स्पष्ट है और स्कन्द महोत्सव कार्तिक पूनम का द्वितीय स्थान माना जा सकता है क्योंकि स्कन्द की कार्तिकेय कहा जाता है । शेष यक्ष और भूत महोत्सव

का दिन निश्चित करने का कोई आधार नहीं मिलता है तथापि क्रम के अनुसार यक्ष महोत्सव चैत्र की पूनम एवं भूत महोत्सव आषाढ की पूनम का माना जा सकता है ।

आचा. श्रु. २, अ. १, उ. २ में अनेक महोत्सवों का कथन है । प्रस्तुत ग्यारहवें सूत्र में कहे गये चारों महोत्सवों के नाम भी वहाँ है किन्तु क्रम भिन्न है, यथा—

१. इंद महेशु वा, २. खंद महेशु वा, ३. रुद महेशु वा, ४. मुगुंद महेशु वा, ५. भूप महेशु वा, ६. जवख महेशु वा, ७. नाग महेशु वा ।

यहाँ भी महोत्सव कथन में इन्द्र और स्कन्ध महोत्सव को प्रथम एवं द्वितीय स्थान में कहा गया है । अतः निष्कर्ष यह है कि ग्यारहवें सूत्र के इन्द्र, स्कन्ध, यक्ष और भूत महोत्सव के अनुसार बारहवें सूत्र के शब्दों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए ।

आसोजी प्रतिपदा, कार्तिकी प्रतिपदा, चैत्री प्रतिपदा और आषाढी प्रतिपदा ।

इसलिए प्रस्तुत सूत्र १२ में यही क्रम स्वीकार किया है ।

ये चारों महोत्सव क्रमशः इन्द्र से, कार्तिकेय देव से, यक्ष एवं भूत व्यन्तर जाति के देवों से सम्बन्धित हैं अर्थात् इन्हें प्रसन्न रखने के लिए लोग इनकी पूजा-प्रतिष्ठा करते हुए दिन भर खाना-पीना, गाना-बजाना, नाचना-धूमना, मद्यपान करना आदि मोज शोक करते हुए प्रमोद पूर्वक रहते हैं । ये महोत्सव पूनम के दिन होते हैं । देवों का आवागमन भी इन दिनों में बना रहता है तथा अनेक लोगों का भी इधर-उधर आवागमन रहता है । प्रतिपदा के दिन भी इन महोत्सवों का कुछ कार्यक्रम शेष रह जाता है अतः उसे भी महामहोत्सव की प्रतिपदा का दिन कहा गया है ।

स्वाध्याय-निषेध का कारण यह है कि उन दिनों में भ्रमण करने वाले देव छोटे-बड़े अनेक प्रकार के होते हैं तथा भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले एवं कोतूहली भी होते हैं । वे देव स्वाध्याय में स्वलना हो जाने पर उपद्रव कर सकते हैं । स्वलना न होने पर भी अधिक श्रद्धासम्पन्न देव उपद्रव कर सकते हैं ।

मौज-शोक मनोरंजन आनन्द के दिन शास्त्रवाचन लोक में अव्यावहारिक समझा जाता है । लोग भी अनेक प्रकार के नशे में भ्रमण करते हुए कुतूहल या द्वेषवश उपद्रव कर सकते हैं । इत्यादि कारणों से इन आठ दिनों में स्वाध्याय करने की आगम आज्ञा नहीं है ।

इन चार महोत्सवों के निर्देश से आचारांगसूत्र कथित अन्य अनेक महोत्सव, जो सर्वत्र प्रचलित हैं उनके प्रमुख दिनों में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए या उच्चस्वर से नहीं करना चाहिए ।

सूत्र १२ में जो 'आषाढी प्रतिपदा' आदि शब्द हैं उनका अर्थ आषाढी पूनम के बाद आने वाली प्रतिपदा अर्थात् धावण वदी एकम ऐसा समझना ही उपयुक्त है । किन्तु 'आषाढी पूनम के बाद पुनः आषाढ वदी एकम हो' ऐसा नहीं समझना चाहिए । इसी प्रकार ज्येष्ठ तीनों प्रतिपदा भी उम महोत्सव की पूनम के बाद आने वाली प्रतिपदा की ही मानना उचित है ।

आगमों में अनेक स्थलों में कथित तीर्थकर आदि के वर्णनों में स्पष्ट रूप से प्रत्येक भाग में प्रथम कृष्णपक्ष और द्वितीय शुक्लपक्ष कहा जाता है । यथा—प्राचारांग श्रु. २, अ. १५ में—

“गिम्हाणं पढमे भासे दोच्चे पखे चेत सुद्धे, तस्सणं चेत सुद्धस्स तेरसी पखेणं”..... ।

३. विक्रयाओं तथा अन्य प्रमादों में संयम का अमूल्य समय व्यतीत होता है ।
४. संयम गुणों का नाश होता है ।
५. स्वाध्याय-तप और निर्जरा के लाभ से वंचित होना पड़ता है । परिणामतः भव-परम्परा नष्ट नहीं हो सकती है । अतः स्वाध्याय करना भिक्षु का परम कर्तव्य समझना चाहिए ।

स्वाध्याय करने से होने वाले लाभ—

१. स्वाध्याय करने से विपुल निर्जरा होती है ।
२. श्रुतज्ञान स्थिर एवं समृद्ध होता है ।
३. श्रद्धा, वैराग्य, संयम एवं तप में रुचि बढ़ती है ।
४. आत्म गुणों की पुष्टि होती है ।
५. मन एवं इन्द्रिय नियंत्रण में सफलता मिलती है ।
६. स्वाध्याय धर्म ध्यान का आलम्बन कहा गया है एवं इससे चित्त की एकाग्रता सिद्ध होती है । फलतः धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है ।

स्वाध्याय के लिए प्रेरक आगम वाक्य

१. सज्ज्ञायन्मि रओ सया—भिक्षु सदा स्वाध्याय में रत रहे । —दशव. अ. ८, गा. ४
२. भोच्चा सज्ज्ञायरए जे स भिक्खू—प्राप्त निर्दोष आहार करके जो स्वाध्याय में रत रहता है वह भिक्षु है । —दशव. अ. १०, गा. ९
३. सज्ज्ञाय-सज्ज्ञाणरयस्स ताइणो—स्वाध्याय और सद्धान में रत रहने वाले छः काय रक्षक का कर्ममल शुद्ध हो जाता है । —दशव. अ. ८, गा. ६२
४. सुत्तयं च विद्याणइ जे स भिक्खू—जो सूत्र और अर्थ का विशेष ज्ञान करता है वह भिक्षु है । —दशव. अ. १० गा. १५
५. णाणं एगमाच्चित्तो य ठिओ य ठावई परं ।
सुयाणि य अहिज्जित्ता रओ सुप समाहिए ॥

ज्ञान से चित्त एकाग्र होता है, ज्ञानी स्वयं धर्म में स्थिर होता है और अन्य को भी धर्म में स्थिर करता है अतः श्रुतों का अध्ययन करके श्रुत समाधि में लीन रहना चाहिए ।

—दशव. अ. ९. उ. ४, गा. ३

६. उत्तरा. अ. २९ में स्वाध्याय से तथा वाचना आदि पांचों भेदों से होने वाले फल की पृच्छा के उत्तर में निर्जरा आदि अनेक लाभ बताए हैं ।
७. उत्तरा. अ. २६ में साधु की दिनचर्या का वर्णन करते हुए अत्यधिक समय स्वाध्याय में ही व्यतीत करने का विधान है । उसी का विश्लेषण निशोष चूर्ण में इस प्रकार किया है—

“दिवसस्स पढम चरिमासु, गिस्सोए य पढमचरिमासु य एपासु चउसु यि कालियमुपस्स गहणं गुणणं च करेज्ज । सेसासु ति—दिवसस्स यितीयाए उक्कालियमुपस्स गहणं करेति, अत्थं या सुणेति, एसा चेव भयणा । तत्तियाए भिवखं हिडइ, अह ण हिडइ तो उक्कालियं पंडइ, पुच्चगहिं

उत्कालियं वा गुणेह, अत्यं वा सुणेह । निसिस्त वितियाए एंसा चैव भयणा, सुवह वा । निसि
ततिमाए गिद्वाविमोवखं करेइ, उक्कालियं गेणेह गुणेइ या, कालियं वा सुत्तं अत्यं वा करेइ ।

भाषार्य—चारों काल में कालिकश्रुत का स्वाध्याय करना तथा अन्य प्रहरों में उत्कालिक का स्वाध्याय करना या अर्थग्रहण करना अर्थात् वांचणी लेना । दिन के तीसरे प्रहर में निश लाना हो तो उत्कालिकश्रुत के स्वाध्याय आदि में लगे रहना । रात्रि के दूसरे प्रहर में भी स्वाध्याय करे या सोये । रात्रि के तीसरे प्रहर में निद्रा लेकर उससे निवृत्त हो जाए और उठने का समय शेष हो तो उत्कालिकश्रुत आदि का स्वाध्याय करे । फिर चौथे प्रहर में कालिकश्रुत स्वाध्याय करे ।

यह साधु की दिनचर्या एवं रात्रिचर्या का वर्णन स्वाध्याय से ही परिपूर्ण है । उत्कालिकश्रुत की रूपी में सूत्रों का स्वाध्याय, सूत्रों का अर्थ, आहार, निद्रा आदि प्रवृत्ति की जा सकती है । चारों काल, पीरूपी—में केवल स्वाध्याय ही किया जाता है । उत्तरा. घ. २६ के अनुसार स्वाध्याय के समय में यदि गुरु आदि कोई सेवा का कार्य कहें तो करना चाहिए और न पहले स्वाध्याय में ही लीन रहना चाहिए ।

यह स्वाध्याय कालिकश्रुत का है । इसमें नया कठस्य करना या उसी का पुनरावर्तन का आदि समाधिष्ठ है । जब नया कठस्य करना पूर्ण हो जाय तब उसको केवल पुनरावृत्ति करना होता है ।

व्यव. उ. ४ में साधु-साध्वी को सीसे हुए ज्ञान को कठस्य रखना आवश्यक बताया है । भूल जाने पर कठोरतम प्रायश्चित्त कहा गया है अर्थात् प्रमाद से भूल जाने पर उसे जीवन भा लिए किसी भी प्रकार की पदवी नहीं दी जाती है और पदवीधर हो तो उसे पदवी से हटा दिया जाता है । केवल बृद्ध स्वविरों को यह प्रायश्चिन् नही आता है ।

अतः श्रुत कठस्य करना और उसे स्थिर रखना, निरन्तर स्वाध्याय करते रहने में ही सकता है ।

उत्तरा. घ. २६ में स्वाध्याय को संयम न उत्तरगुण बताया है । सर्वं दुःखों से मुक्त क वाला तथा सर्वभावों को मुक्ति करने वाला कहा है ।

इन सब भागम वर्णनों को हृदय में धारण करके भिक्षु सदा स्वाध्यायशील रहे और सूत्रों प्रायश्चित्त स्थान का सेवन न करे अर्थात् स्वाध्याय के विषय विकल्पा प्रमाद आदि में समय विताने ।

अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त

१४. जे भिक्षु अस्वस्वाइए सग्गायं करेइ, करेत्तं वा नाइग्गइ ।

१४. जो भिक्षु अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना है या स्वाध्याय करने पाये अस्वस्वाइए करता है । [उसे नष्टकीर्णामी प्रायश्चित्त घाना है ।]

विवेचन—दिन में तथा रात्रि में स्वाध्याय करना आवश्यक होते हुए भी आगमों में जब जहाँ स्वाध्याय करने का निषेध किया गया है उस अस्वाध्यायकाल का सदा ध्यान रखना चाहिए।

निम्न आगमों में अस्वाध्याय स्थानों का वर्णन है—

१. ठाणांग सूत्र अ. ४ में—४ प्रतिपदाओं और ४ संध्याओं में स्वाध्याय करने का निषेध किया है।

२. ठाणांग सूत्र अ. १० में—१० आकाशीय अस्वाध्याय और १० औदारिक अस्वाध्याय कहे हैं।

३. यहाँ प्रस्तुत उद्देशक में ४ महा महोत्सव ४ प्रतिपदा और ४ संध्या में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त कहा है।

४. व्यव. उ. ७ में स्वशरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय करने का निषेध किया है।

इन सभी निषेध स्थानों का संग्रह करने से कुल ३२ अस्वाध्याय स्थान होते हैं। यथा—

आकाश सम्बन्धी	—	१०
औदारिक सम्बन्धी	—	१०
महोत्सव एवं प्रतिपदा सम्बन्धी	—	८
संध्याकाल सम्बन्धी	—	४
		३२
	कुल	३२

इनमें से १२ अस्वाध्यायों का विवेचन पूर्व सूत्रों में किया जा चुका है। शेष २० अस्वाध्याय इस प्रकार है—

१. उल्कापात—तारे का टूटना अर्थात् स्थानान्तरित होना। तारा विमान के तिथक् गमन करने पर या देव के विकुर्वणा आदि करने पर आकाश में तारा टूटने जैसा दृश्य होता है। यह कभी लम्बी रेखायुक्त गिरते हुए दिखता है, कभी प्रकाशयुक्त गिरते हुए दिखता है। सामान्यतः आकाश में तारे टूटने जैसा क्रम प्रायः सदा बना रहता है, अतः विशिष्ट प्रकाश या रेखायुक्त हो तो अस्वाध्याय समझना चाहिए। इसका एक प्रहर तक अस्वाध्याय होता है।

२. विन्दाह—पुद्गल परिणमन से एक या अनेक दिशाओं में कोई महानगर जतने जैगी अवस्था दिखाई दे उसे विन्दाह समझना चाहिए। यह भूमि से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसका एक प्रहर का अस्वाध्याय होता है।

३. गर्जन—बादलों की ध्वनि। इसका दो प्रहर का अस्वाध्याय होता है। किन्तु घातनिक्षत्र से स्वातिनक्षत्र तक के वर्षा-नक्षत्रों में अस्वाध्याय नहीं गिना जाता।

४. विद्युत्—विजली का चमकना। इसका एक प्रहर का अस्वाध्याय होता है। किन्तु उपयुक्त वर्षा के नक्षत्रों में अस्वाध्याय नहीं होता है।

५. निर्घात—दारुण—[घोर] ध्वनि के साथ विजली का चमकना। इसे विजली कड़कना या विजली गिरना भी कहा जाता है। इसका आठ प्रहर का अस्वाध्याय होता है।

६. यूपक—शुक्ल पक्ष की एकम, वीज और तीज के दिन सूर्यास्त होने एवं चन्द्र अस्त होने के समय की मिथ प्रवस्था को यूपक कहा जाता है। इन दिनों के प्रथम प्रहर में प्रस्वाध्याय होता है। इसे बालचन्द्र का प्रस्वाध्याय भी कहा जाता है।

७. यसादीप्त—आकाश में प्रकाशमान पुद्गलों की अनेक आकृतियों का दृष्टिगोचर होना। इसका एक प्रहर का प्रस्वाध्याय होता है।

८. घूमिका—अंधकारयुक्त घुंभर का गिरना। यह जब तक रहे तब तक इसका प्रस्वाध्याय-काल रहता है।

९. महिका—अंधकार रहित सामान्य घुंभर का गिरना। यह जब तक रहे तब तक इसका भी प्रस्वाध्याय रहता है। इन दोनों प्रस्वाध्यायों के समय अप्काय की विराधना से बचने के लिए प्रतिलेखन आदि कार्यात्मक-वाचिक कार्य भी नहीं किए जाते। इनके होने का समय कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास है। अर्थात् इन गर्भमासों में कभी-कभी, कहीं-कहीं घुंभर या महिका गिरती है। किन्तु वर्ष किसी क्षेत्र में नहीं भी गिरती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों के गमनागमन करते रहने के समय भी ऐसा दृश्य होता है। किन्तु उनका स्वभाव घुंभर से भिन्न होता है अतः उनका प्रस्वाध्याय नहीं होता है।

१०. रज-उदघात—आकाश में धूल का आच्छादित होना और रज का गिरना। यह जब तक रहे तब तक प्रस्वाध्याय होता है। भाष्य में बताया है कि तीन दिन संचित रज गिरती रहे तो उसके बाद प्रस्वाध्याय के निवार्य प्रतिलेखन आदि भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्वत्र संचित रज व्याप्त हो जाती है। ये दस आकाश सम्बन्धी प्रस्वाध्याय हैं।

११-१२-१३. हड्डी-मांस-धून—तिर्यंच की हड्डी या मांस ६० हाय और मनुष्य की १०० हाय के भीतर दृष्टिगत हो तो प्रस्वाध्याय होता है। हड्डियां जली हुई या धुली हुई हो तो उसका प्रस्वाध्याय नहीं होता है। अन्यथा उसका १२ वर्ष तक प्रस्वाध्याय होता है। इसी तरह दांत के लिए भी समझना चाहिए।

धून जहाँ दृष्टिगोचर हो या गंध आवे तो उसका प्रस्वाध्याय होता है अन्यथा प्रस्वाध्याय नहीं होता है। अर्थात् ६० हाय या १०० हाय की मर्यादा इसके लिए नहीं है। तिर्यंच पंचेन्द्रिय के धून का तीन प्रहर और मनुष्य के धून का अहोरात्र तक प्रस्वाध्याय होता है।

उपाश्रय के निकट के गृह में लड़की उत्पन्न हो तो आठ दिन धीरे लड़का हो तो ७ दिन प्रस्वाध्याय रहता है। इसमें दौबाल से संलग्न सात घर की मर्यादा मानी जाती है। तिर्यंच सम्बन्धी प्रसूति हो तो जरा गिरने के बाद तीन प्रहर तक प्रस्वाध्याय गमभना चाहिए।

१४. अनुचि—मनुष्य का मल जब तक सामने दोगुना हो या गंध आती हो तब तक वहाँ प्रस्वाध्याय समझना चाहिए। तिर्यंच के मल की दुर्गंध आती हो तो प्रस्वाध्याय होता है, अन्यथा नहीं। मनुष्य के मूत्र की जहाँ दुर्गंध आती हो ऐसे मूत्रानय आदि के निकट प्रस्वाध्याय होता है। जहाँ पर नगर की गालियों-गटर आदि की दुर्गंध आती हो वहाँ भी प्रस्वाध्याय होता है। अन्य कोई भी मनुष्य तिर्यंच के शारीरिक पुद्गलों की दुर्गंध आती हो तो उसका भी प्रस्वाध्याय समझना चाहिए।

१५. श्मशान—श्मशान के निकट चारों तरफ अस्वाध्याय होता है ।

१६. सूर्यग्रहण—अपूर्ण हो तो १२ प्रहर और पूर्ण हो तो १६ प्रहर तक अस्वाध्याय होता है, सूर्यग्रहण के प्रारम्भ से अस्वाध्याय का प्रारम्भ समझना चाहिए । अथवा जिस दिन हो उस पूरे दिन-रात तक अस्वाध्याय होता है, दूसरे दिन अस्वाध्याय नहीं रहता है ।

१७. चन्द्रग्रहण—अपूर्ण हो तो आठ प्रहर और पूर्ण हो तो १२ प्रहर तक अस्वाध्याय रहता है । यह ग्रहण के प्रारम्भ काल से समझना चाहिए । अथवा उस रात्रि में चन्द्रग्रहण के प्रारम्भ से अगले दिन जब तक चन्द्रोदय न हो तब तक अस्वाध्याय समझना चाहिए । उसके बाद अस्वाध्याय नहीं रहता है ।

१८. पतन—राजा मन्त्री आदि प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस नगरी में जब तक शोक रहे और नया राजा स्थापित न हो तब तक अस्वाध्याय समझना और उसके राज्य में भी एक अहोरात्र का अस्वाध्याय समझना चाहिए ।

१९. राज-व्युद्ग्रह—जहाँ राजाओं का युद्ध चल रहा हो उस स्थल के निकट या राजधानी में अस्वाध्याय रहता है । युद्ध के समाप्त होने के बाद एक अहोरात्र तक अस्वाध्याय काल रहता है ।

२०. औदारिक कलेवर—उपाश्रय में मृत मनुष्य का शरीर पड़ा हो तो १०० हाथ के भीतर अस्वाध्याय होता है । तिर्यंच का शरीर हो तो ६० हाथ तक अस्वाध्याय होता है । किन्तु परम्परा से यह मान्यता है कि औदारिक कलेवर जब तक रहे तब तक उस उपाश्रय की सीमा में अस्वाध्याय रहता है । मृत या भग्न अंडे का तीन प्रहर तक अस्वाध्याय रहता है ।

ये दस औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय है । इन सभी (२० ही) अस्वाध्यायों का विवेचन प्रायः भाष्य के आधार से किया गया है अतः प्रमाण के लिए देखें—निशीथ भाष्य गा. ६०७-६१६२; व्यव. उ. ७ भाष्य गा. २७२-३८६; अभि. रा. कोष भाग १ पृ. ८२७ 'असज्जाइय' शब्द ।

इन ३२ प्रकार के अस्वाध्यायों में स्वाध्याय करने पर जिनाज्ञा का उल्लंघन होता है और कदाचित् देव द्वारा उपद्रव भी हो सकता है । तथा ज्ञानाचार की शुद्ध आराधना नहीं होती है अपितु अतिचार का सेवन होता है ।

धूमिका, महिका में स्वाध्याय आदि करने से अष्काय की विराधना भी होती है ।

औदारिक सम्बन्धी दस अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने पर लोक व्यवहार से विरुद्ध आचरण भी होता है तथा सूत्र का सम्मान भी नहीं रहता है ।

युद्ध समय और राज मृत्यु-समय में स्वाध्याय करने पर राजा या राज कर्मचारियों को साधु के प्रति अप्रीति या द्वेष उत्पन्न हो सकता है ।

अस्वाध्याय में स्वाध्याय के निषेध करने का प्रमुख कारण यह है कि भग. श. ५, उ. ४ में देवों को अर्धमागधी भाषा कही है और यही भाषा आगम की भी है । अतः मिथ्यात्वो एवं कौतुहली देवों के द्वारा उपद्रव करने की सम्भावना बनी रहती है ।

अस्वाध्याय के इन स्थानों से यह भी ज्ञात होता है कि स्पष्ट घोष के साथ उच्चारण करते हुए आगमों की पुनरावृत्ति रूप स्वाध्याय करने की पद्धति होती है । इसी अपेक्षा से ये अस्वाध्याय कहे

है। किन्तु इनकी अनुप्रेक्षा में या भाषांतरित हुए आगम का स्वाध्याय करने में अस्वाध्याय नहीं होता है।

अस्वाध्याय के सम्बन्ध में विशेष विधान यह है कि आवश्यक सूत्र के पठन-पाठन में अस्वाध्याय नहीं होता है क्योंकि यह सदा उभयकाल संध्या समय में ही अवश्य करणीय होता है। अतः 'नमस्कार मन्त्र', 'लोगस्त' आदि आवश्यक सूत्र के पाठ भी सदा सर्वत्र पढ़े या बोले जा सकते हैं।

किसी भी अस्वाध्याय की जानकारी होने के बाद शेष रहे हुए अध्ययन या उद्देग को पूर्ण करने के लिए स्वाध्याय करने पर प्रायश्चित्त आता है।

तिर्यंच पंचेंद्रिय या मनुष्य के रक्त आदि की जल से शुद्धि करना हो तो स्वाध्याय स्वतः से ६० हाय या १०० हाय दूर जाकर करनी चाहिए। त्रिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय के धून या कलेवर का अस्वाध्याय नहीं गिना जाता है।

श्रौदारिक सम्बन्धी अणुचि पदार्थों के बीच में राजमार्ग हो तो अस्वाध्याय नहीं होता है। उपाश्रय में तथा बाहर ६० हाय तक अच्छी तरह प्रतिलेखन करके स्वाध्याय करने पर भी कोई श्रौदारिक अस्वाध्याय रह जाय तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं आता है।

अतः भिक्षु दिन में सभी प्रकार के अस्वाध्यायों का प्रतिलेखन एवं विचार करके स्वाध्याय करे और रात्रि में स्वाध्यायकाल प्रतिलेखन करने योग्य अर्थात् जहां पर खड़े होने पर सभी दिशाएं एवं आकाश स्पष्ट दिखें ऐसी तीन भूमियों का सूर्यास्त पूर्व प्रतिलेखन करे। वर्षा आदि के कारण से कभी मकान में रहकर भी काल प्रतिलेखन किया जा सकता है।

बहुत बड़े श्रमण समूह में दो साधु आचार्य की आज्ञा लेकर काल प्रतिलेखन करते हैं, फिर सूचना देने पर सभी साधु स्वाध्याय करते हैं। बीच में अस्वाध्याय का कारण ज्ञात हो जाने पर उसका पूर्ण निर्णय करके स्वाध्याय बन्द कर दिया जाता है।

स्वाध्याय आभ्यन्तर तप एवं महान् निर्जरा का साधन होते हुए भी अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने पर जिनाज्ञा का उत्लेखन होता है, मर्मादा भंग आदि से कर्मबन्ध होता है, कभी अपयश भी होता है इसलिए संयम विराधना की एवं प्रायश्चित्त की प्राप्ति होती है। —निगोधचूर्ण प्रस्तुत सूत्र।

अतः स्वाध्याय-प्रिय भिक्षु को अस्वाध्यायों के सम्बन्ध में भी सदा सावधानी रखनी चाहिए।

स्वकीय अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त—

१५. जे निवयू अप्पणो असग्गाइए सग्गायं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

१७. जो भिक्षु अपनी शारीरिक अस्वाध्याय में स्वाध्याय करता है या स्वाध्याय करने जाने का अनुमोदन करता है। (उमें लघुनीमानो प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—स्वयं का अस्वाध्याय दो प्रकार का होता है—१. अणु सम्बन्धी २. अणुप्रमं सम्बन्धी। इनमें भिक्षु के एक प्रकार का एवं भिक्षुओं के दोनों प्रकार का अस्वाध्याय होता है।

शरीर में कोष्ठे-कुन्नी, भगंदर, मसा आदि में जब रक्त या पीय बाहर आता है तब उसका अस्वाध्याय होता है। उसकी शुद्धि करके १०० हाय के बाहर परतकर स्वाध्याय किया जा सकता

है। शुद्धि करने के बाद भी रक्त आदि निकलता रहे तो स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। किन्तु उसके एक-दो उत्कृष्ट तीन पट वस्त्र के बांधकर परस्पर आगम की वांचनी ली-दी जा सकती है, तीन तट के वाहर पुनः खून दीखने लग जाए तो फिर उन्हें शुद्ध करना आवश्यक होता है।

ऋतुधर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक रहता है। किन्तु व्यवहार सूत्र के उद्देशकं ७, सूत्र १७ में अपने अस्वाध्याय में परस्पर वांचणी लेने-देने का विधान किया गया है। उसकी भाष्य में विधि इस प्रकार बताई है कि—रक्त आदि की शुद्धि करके आवश्यकतानुसार एक-दो श्रयवा उत्कृष्ट सात वस्त्र पट लगाकर साधु-साध्वी परस्पर आगमों की वांचणी दे-ले सकते हैं। प्रमाण के लिए देखें—व्यव. उ. ७, भाष्य गा. ३९०-३९४ तथा निशीथभाष्य गा. ६१६७-६१७०. तथा अभि. राजेन्द्र कोश भाग १ पृ. ८३३ “असज्जाइय” शब्द।

सूत्र १४ और १५ में वर्णित सभी अस्वाध्याय आगमों के देव वाणी में होने से उसके मूल-पाठ के उच्चारण से ही सम्बन्धित जानने चाहिए।

अतः मासिक धर्म आदि अवस्था में आगमों के अर्थ वांचना या अनुप्रेक्षा, पृच्छा, व्याख्यान श्रवण आदि करने का निषेध नहीं है तथा गृहस्थ को सामायिक आदि संवर प्रवृत्ति एवं नित्य नियम तथा प्रभ-स्तुति-स्मरण करने का निषेध भी नहीं है।

आगम स्वाध्याय के नियम यदि सामायिक प्रतिक्रमण आदि धर्म प्रवृत्तियों के लिए भी लागू किए जावें तो यह प्ररूपणा का अतिक्रमण होता है एवं समस्त धर्मक्रियाओं में अंतराय होता है। एक विषय के नियम को अन्य विषय में जोड़ना अनुचित प्रयत्न है।

व्यव. उद्देशक ७ में जब स्वर्ग आगमकार मासिक धर्म आदि के अपने अस्वाध्याय में आगम की वांचणी लेने का भी विधान करते हैं तो फिर किसी भी आचार्य के द्वारा सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रमुस्मरण, नमस्कार मन्त्र एवं लोगस्स आदि के उच्चारण का निषेध किया जाना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है।

क्योंकि इस प्रकार की आगम विपरीत मान्यता रखने पर संवत्सरी महापर्व के दिन भी सामायिक, पीपध, प्रतिक्रमण, व्याख्यानश्रवण, मुनि दर्शन एवं नमस्कार मन्त्रोच्चारण आदि सभी धार्मिक प्रवृत्तियों से वंचित रहना पड़ता है। सभी प्रकार की धर्म प्रवृत्तियों से वंचित गृहस्थ पर्व दिनों में भी सावध प्रवृत्ति एवं प्रमाद में ही संलग्न होता है इसलिए ऐसी प्ररूपणा करना सर्वथा अनुचित है।

अतः स्वकीय अस्वाध्याय में श्रावक श्राविका विवेकपूर्वक सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रिया करें तो इसमें कोई दोष नहीं समझना चाहिए और गृह कार्यों से निवृत्ति के इन तीन दिनों में उनकी संवर आदि धर्मक्रिया में ही अधिकतम समय व्यतीत करना चाहिये। साध्वियों को भी अन्य अग्र्ययन, श्रवण, सेवा, तप, आत्मचिन्तन, ध्यान आदि में समय व्यतीत करना चाहिये।

विपरीत क्रम से आगमों की वांचना देने का प्रायश्चित्त

१६. जे भिखू हेट्टिल्लाई समोसरणाई अवाएत्ता उवरिल्लाई समोसरणाई वाएइ यायंतं वा साइज्जइ ।

१७. जे भिखू णव वंभचेराई अवाएत्ता उत्तम-सुयं वाएइ वाएंतं वा साइज्जइ ।

प्रलग-प्रलग सूत्र न होने से संक्षेप में वाचनसूत्र से मूल एवं अर्थ दोनों ही प्रकार की वाचना विषयक यह प्रायश्चित्त है ऐसा समझ लेना चाहिए ।

इन दोनों सूत्रों में एवं उनके विवेचन से वाचना का क्रम इस प्रकार से समझा जा सकता है—

१. आवश्यक सूत्र
२. दशावैकान्तिक सूत्र
३. उत्तराध्ययन सूत्र
४. आचारांगसूत्र
५. निसीधसूत्र
६. सूयगटांगसूत्र
७. तीन छेदसूत्र (दशाश्रुतस्कन्धसूत्र, बृहत्कल्पसूत्र, व्यवहार सूत्र)
८. ठाणांग सूत्र, समवायांग सूत्र
९. भगवती सूत्र

जप कालिक या उत्कालिकसूत्र इस अध्ययन क्रम के मध्य में या बाद में कहीं भी योतार्थ मुनि की आज्ञा से अध्ययन करना या कराना चाहिए । इस क्रम से ही मूल और अर्थरूप भागम को कंठस्थ करने की आज्ञा प्रणाली समझनी चाहिए ।

अयोग्य को वाचना देने एवं योग्य को न देने का प्रायश्चित्त

१८. जे भिष्यु अयत्तं वाएद्, वाएतं वा साइज्जइ ।

१९. जे भिष्यु यत्तं ण वाएद्, ण वाएतं वा साइज्जइ ।

२०. जे भिष्यु अयत्तं वाएद्, वाएतं वा साइज्जइ ।

२१. जे भिष्यु यत्तं ण वाएद्, ण वाएतं वा साइज्जइ ।

१८. जो भिक्षु धपात्र (अयोग्य) को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१९. जो भिक्षु पात्र (योग्य) को वाचना नहीं देता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२०. जो भिक्षु अव्यक्त को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२१. जो भिक्षु व्यक्त को वाचना नहीं देता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।
(उने लघुचोमासी प्रायश्चित्त पात्रा है ।)

विवेचन—पूर्व भागों में, सूत्रों की तथा अध्ययन, उद्देशक आदि को प्रमपूर्वक वाचना न देने का प्रायश्चित्त कहा गया है । क्योंकि भागम निर्दिष्ट प्राथमिक सूत्र, अध्ययन या उद्देशक आदि की वाचना न देने में ही भागम के सूत्र अध्ययन या उद्देशक आदि के वाचना की योग्यता प्राप्त होती है एवं

क्रमशः योग्यता की वृद्धि भी होती है। अतः उन सूत्रों में भी अपेक्षा से वाचना के योग्यायोग्य का ही विषय है।

प्रस्तुत चार सूत्रों में भी "पात्र" और "व्यक्त" शब्द से दो प्रकार की योग्यता सूचित की गई है।

१. पात्र—जिसने कालिकसूत्रों की वाचना ग्रहण करने की पूर्ण योग्यता प्राप्त करली है अर्थात् जो वाचना के योग्य गुणों से युक्त है उसे "पात्र" कहा गया है और जो वाचना के योग्य गुणों से युक्त नहीं है उसे "अपात्र" कहा गया है।

बृहत्कल्प सूत्र के चतुर्थ उद्देशक में तीन गुणों से युक्त को वाचना देने का विधान है और तीन अवगुण वाले को वाचना देने का निषेध है—

तीन गुण

तीन अवगुण

- | | |
|--|--|
| १. विनीत। | १. अविनीत |
| २. विगयों का त्याग करने वाला। | २. विगय त्याग नहीं करने वाला। |
| ३. कपाय क्लेश को शीघ्र उपशान्त कर देने वाला। | ३. कपाय क्लेश को उपशान्त नहीं करने वाला। |

इन तीन गुणों में प्रथम विनय गुण अत्यन्त विगल है एवं धर्म का मूल भी कहा गया है। फिर भी कम से कम वाचनादाता के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति निष्ठा हो, उनके प्रति विनय का व्यवहार हो, उनसे वाचना ग्रहण करने में पूर्ण रुचि एवं प्रसन्नता हो तथा उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए अध्ययन करने का विवेक हो, ऐसा विनयी शिष्य वाचना के योग्य होता है।

नवदोक्षित शिष्यों को सर्वप्रथम प्रवर्तक मुनिराज संयम सम्बन्धी समस्त प्रवृत्तियों का ज्ञान, विनय व्यवहार एवं सामान्य ज्ञान कराते हैं। स्वविर मुनिवर उन्हें संयम गुणों से स्थिर करते हैं। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के बाद जो उपयुक्त योग्यताप्राप्त पात्र होते हैं उन्हें उपाध्याय के नेतृत्व में अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे प्रवर्तक एवं स्वविर के नेतृत्व में क्रमशः ज्ञान ध्यान की वृद्धि करते रहते हैं।

उपाध्याय के पास शुद्ध उच्चारण एवं घोषशुद्धि के साथ मूल पाठ का अध्ययन पूर्ण किया जाता है, साथ ही आचार्य उन्हें योग्यतानुसार अर्थ-परमार्थयुक्त सूत्रार्थ की वाचना देते हैं।

व्यवहार भाष्य उद्देशक १ में बताया गया है कि प्रत्येक गच्छ में पाँच पदवीधरों का होना आवश्यक है, जिनमें चार उपरिवर्णित एवं पाँचवें गणावच्छेदक होते हैं। ये गणावच्छेदक गण सम्बन्धी सभी प्रकार की सेवा आदि की व्यवस्था करने वाले होते हैं तथा आचार्य के महान् सहयोगी होते हैं। इन पाँच पदवीधरों से युक्त गच्छवासि साधुओं के ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि के आराधन की समुचित व्यवस्था हो सकती है। अतः संयम समाधि के इच्छुक भिक्षु को ऐसी व्यवस्था से युक्त गच्छ में ही रहने की प्रेरणा करते हुए वहाँ भाष्य में विस्तार से उदाहरण सहित समझाया गया है।

अपात्र के लक्षणों को संग्राहक भाष्य-गाथा इस प्रकार है—

तित्तिणि ए चत्तचित्ते, गाणंगणि ए य दुच्चल चरित्ते ।
आयरिय परिभासो, धामावट्टे य पिसुणे य ।

आहार, उपकरण, शय्या एवं स्थान आदि में आसक्ति होने के कारण मनोनुकूल लाभ न होने पर उसके लिए सात्त्विक रहने वाला एवं न मिलने पर तिनतिनाट करने वाला, छोड़े रहने में बैठने में, भावा शीर विचार में चंचल वृत्ति रखने वाला, आगमोक्त कारणों के बिना गच्छ परिश्रम करने वाला, चारित्र्य पालन में मंद उत्साह वाला, आचार्य आदि पदयोधरों के तथा रत्नाधिक के सामने बोलने वाला अर्थात् उनका तिरस्कार करने वाला, उनकी आज्ञा एवं इच्छा के विपरीत आचरण करने वाला तथा दूसरों की निन्दा चुगली करके उनका पराभव करने में भ्रान्त मानने वाला इत्यादि अवगुणों से युक्त भिक्षु वाचना के लिए अपात्र होता है।

घमण्डी, अपवाद भाषी तथा कृतघ्न आदि भी अपात्र कहे गये हैं।

बृहत्कल्प उद्दे. ४ में कहे गए विधि-निषेध का उल्लंघन करने पर प्रस्तुत प्रथम सूत्रद्विक से प्रायश्चित्त भाता है। अर्थात् पात्र को वाचना न देने वाले शीर अपात्र को वाचना देने वाले दोनों ही वाचनादाता प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

पात्र को वाचना न देने पर श्रुत का ह्रास होता है शीर अपात्र को वाचना देने का श्रुत का दुरुपयोग होता है। अतः दोनों प्रकार का विवेक रखना आवश्यक है।

२. व्यक्त—पूर्व सूत्रद्विक में भाव व्यक्त अर्थात् गुणों से व्यक्त का वर्णन “पात्र” शब्द से किया गया है शीर बाद के सूत्रद्विक में द्रव्य से व्यक्त अर्थात् शरीर से व्यक्त का कथन किया गया है।

“जाय कश्चाद्विभु रोमसंभयो न भवति ताव अश्वत्तो, तस्संभये वत्तो। अहया जाय सोल-सवरितो ताव अश्वत्तो, परतो वत्तो।” —चूणि

काण्ड, मूँछ आदि के बालों की उत्पत्ति होने पर व्यक्त कहा जाता है शीर उनके पूर्व अव्यक्त कहा जाता है। मयवा १६ वर्ष की उम्र तक अव्यक्त कहा जाता है उसके बाद व्यक्त कहा जाता है।

ऐसे अव्यक्त भिक्षु को कालिकश्रुत (अंगसूत्र तथा छेदसूत्र) की वाचना नहीं दी जाती है।

इसका कारण स्पष्ट करते हुए भाष्य में बताया है कि अल्प वय में पूर्ण रूप से श्रुत ग्रहण करने की एवं धारण करने की शक्ति अल्प होती है तथा भाष्यकार ने कच्चे घड़े का दृष्टान्त देकर भी समझाया है। जिस प्रकार कच्चे घड़े को अग्नि में रखा जाता है शीर पकाया जाता है किन्तु उसमें पानी नहीं डाला जाता है, उन्ही प्रकार अल्पवय वाले भिक्षु को जिज्ञा अव्ययन आदि में परिपक्व बनाया जाता है किन्तु उक्त आगमों की वाचना व्यक्त एवं पात्र होने पर दी जाती है।

इस सूत्रद्विक में आए “वत्त” शब्द के पात्र ना प्राप्त ऐसे दो छायाधर्म होते हैं, तथा “व्यक्त” के भी “वय प्राप्त” एवं “पर्याय प्राप्त” ऐसे दो धर्म होते हैं, १६ वर्ष यात्रा “वय प्राप्त व्यक्त” होता है शीर तीन वर्ष की दोहा पर्याय अवयव संयम गुणों में त्रिपर भिक्षु “पर्याय व्यक्त” होता है। इस प्रकार ने वैकल्पिक धर्म चूणि में किये हैं। इन वैकल्पिक धर्मों के कारण ने मयवा अल्प विनी प्राप्त परम्परा ने इन चार सूत्रों के स्थान पर कहीं छः शीर कहीं आठ सूत्र प्रतिबंधों में मिलते हैं। यहाँ “वत्त—वत्त” के सूत्रद्विक का दुबारा या त्रिबारा उच्चारण किया गया है एवं वैकल्पिक धर्मों की अल्प-अल्प सूत्रों में गम्भीरान्वित किया है।

वास्तव में चार सूत्र ही उपयुक्त हैं क्योंकि एक समान सूत्रों का एक ही प्रकरण में एक साथ पुनः पुनः उच्चारण किया जाना सूत्र रचना के योग्य नहीं होता है।

अर्थ की दृष्टि से विनय आदि योग्यता का कथन प्रथम सूत्रद्विक में एवं वय आदि की योग्यता का कथन द्वितीय सूत्रद्विक में हो जाता है। अन्य सूत्र-क्रम-प्राप्त आदि विषय का कथन पूर्व सूत्रों में हो गया है। अतः यहाँ छः या आठ सूत्रों के विकल्प वाले पाठ स्वीकार नहीं किये गए हैं।

इस प्रकार सूत्र १६ से २१ तक दो-दो सूत्रों में तीन विषय क्रम से कहे गये हैं—१. सूत्र आदि की क्रम से ही वाचना देना, २. वह भी विनय गुण आदि से योग्य की ही देना, ३. योग्य में भी वयः प्राप्त की ही वाचना देना। इन विधानों से विपरीत आचरण करने पर प्रायश्चित्त आता है।

वाचना देने से पक्षपात करने का प्रायश्चित्त

२२. जे भिखू दोण्हं सरिसगणं एक्कं संचिक्खावेइ, एक्कं न संचिक्खावेइ, एक्कं वाएइ, एक्कं न वाएइ, तं करंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु दो समान योग्यता वाले शिष्यों में से एक को शिक्षित करता है और एक को नहीं करता है, एक को वाचना देता है और एक को नहीं देता है अथवा ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—पूर्व सूत्रों में कहे गये पात्रता के एवं व्यक्तता के गुणों से युक्त तथा सूत्र का सही परिणाम करने के शुभ लक्षणों से युक्त शिष्यों को निष्पक्ष होकर समभाव से वाचना देना चाहिए।

योग्यता या अयोग्यता के निर्णय में विवेक के अतिरिक्त पदवीधरों की सभी शिष्यों के प्रति समान दृष्टि भी होनी चाहिए। किसी के साथ पूर्व या पश्चात् का कुछ सम्बन्ध हो तो राग-भाव से पक्षपात हो सकता है अथवा किसी के साथ या पश्चात् का अप्रिय सम्बन्ध हो तो द्वेष-भाव भी हो सकता है किन्तु पद प्राप्त एवं अध्यापन का दायित्व प्राप्त बहुश्रुत ऐसे रागद्वेष से युक्त व्यवहार न करे, यह इस सूत्र का तात्पर्य है।

ऐसा करने में शिष्यों में वंमनस्य एवं गच्छ में अशान्ति-अभ्यवस्था की वृद्धि होती है। अतः ऐसा करने पर वाचनादाता की सूत्रीक्त प्रायश्चित्त आता है। ऐसे प्रायश्चित्तों के देने की व्यवस्था आचार्य या गणावच्छेदक करते हैं।

अदत्त वाचना ग्रहण करने का प्रायश्चित्त

२३. जे भिखू आयरिय—उवज्जाएहिं अविदिण्णं गिरं आइयइ, आइयंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु आचार्य और उपाध्याय के दिए बिना वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है। (उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है।)

विवेचन—निर्धारित क्रम के कारण किसी सूत्रादि की वाचना न देने पर, वाचना देने के अपयोग होने से वाचना न देने पर; व्यक्त वय के अभाव में वाचना न देने पर अथवा पक्षपात की

भावना से वाचना न देने पर या कभी किसी गच्छ में योग्य वाचना देने वाला न होने पर भिक्षु को स्वयं सूत्रार्थ का अध्ययन करना नहीं कल्पता है। अथवा आचार्य उपाध्याय के निषेध कर देने पर हठपूर्वक वाचना ग्रहण करना भी नहीं कल्पता है। यदि किसी विशेष कारण से आचार्य या उपाध्याय ने मूल पाठ या ग्रंथ की वाचना लेने के लिए मना किया हो तो उनको आज्ञा प्राप्त होने के बाद ही आगम की वाचना लेनी चाहिए। जब तक आचार्यादि को आज्ञा न मिले तब तक योग्यता की प्राप्ति के लिए तप संयम में वृद्धि करनी चाहिए।

यदि आचार्यादि ने द्वेष भाव से निषेध किया हो तो उन्हें विनय के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा गच्छ के अन्य गीतार्थ गणावच्छेदक आदि से निवेदन करना चाहिए। किन्तु जब तक आज्ञा न मिले तब तक प्रविधि से श्रुत ग्रहण नहीं करना चाहिए। सामान्य या विनोप स्थिति में भी अदत्त श्रुत ग्रहण करने पर सूत्रोक्त प्रायश्चित्त तो माता ही है।

सूत्र में "गिरं" शब्द से जिनवाणी को ही आगम माना गया है, तथा आचार्य-उपाध्याय दोनों का निर्देश इनलिए किया गया है कि दोनों वाचना देने वाले होते हैं। उपाध्याय मूल सूत्रों की वाचना देने वाले होते हैं एवं आचार्य सूत्रार्थ-परमार्थ की वाचना देने वाले होते हैं।

वर्तमान में कई गच्छ और कई सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनमें कोई आचार्य एवं उपाध्याय ही नहीं हैं और जो हैं उनमें बहुश्रुत एवं उत्तरग अथवादों के विशेषज्ञ अल्प हैं। वे भी सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यस्त रहने से योग्य शिक्षियों को आगमों की नियमित वाचना दे नहीं पाते। इसलिए योग्य शिक्षियों को गुरुदेवों ने आज्ञा प्राप्त करके आगमों का वाचन-चिन्तन-मनन करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि आगमों के आधुनिक प्रकाशनों में शब्दार्थ, भावार्थ एवं विस्तृत विवेचन होते हैं इसलिए उन सूत्रों का स्वतः अध्ययन करने से विशेष लाभ ही सम्भव है।

अतः गुरुदेवों से आज्ञा प्राप्त करके अध्ययन क्रम के अनुसार सूत्रों का वाचन विवेकपूर्वक करना चाहिए।

गुरुदेवों की आज्ञा लेने के बाद स्वतः वाचन करने पर सूत्रोक्त "अदत्त वाचना" का प्रायश्चित्त भी नहीं माता है एवं श्रुत परिचय तथा स्वाध्याय का लाभ भी हो जाता है।

गृहस्थ के साथ वाचना के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त

२४. जे भिक्षू अणउत्थियं वा गारत्थियं वा सज्जादं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ।

२५. जे भिक्षू अणउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा चायनं पट्टिच्छइ, पट्टिच्छंतं वा साइज्जइ।

२४ जो भिक्षु अणुत्थीयिक या गारत्थिय की वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

२५. जो भिक्षु अणुत्थीयिक से या गृहस्थ से वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है। [उत्ते उपन्योमासी प्रायश्चित्त माता है।]

विवेचन—क्रम प्रकार दूसरे उद्देशक में गृहस्थ एवं अणुत्थीयिक शब्द का 'भिक्षापर गृहस्थ

एवं भिक्षाचर अन्त्यतीथिक' ऐसा विशिष्ट अर्थ किया गया है अर्थात् उनके साथ गोचरी आदि में गमनागमन करने पर प्रायश्चित्त कहा है, उसी प्रकार प्रस्तुत सूत्रों में भी मिथ्यात्वभावित गृहस्थ एवं अन्त्यतीथिक लिगधारी के साथ वाचना के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त समझना चाहिए।

भाष्यकार ने बताया है कि—उनके पास से वाचना ग्रहण करने पर इस प्रकार से निन्दा होती है कि—“इनके धर्म में शास्त्र-ज्ञान नहीं है इस कारण से दूसरों के पास ज्ञान लेने जाते हैं और उन्हें वाचना देने पर वे विवाद पैदा कर सकते हैं, अनुचित आक्षेप करके जिनधर्म के विरुद्ध प्रचार कर सकते हैं, कई आगम विषयों को विकृत करके प्रचार कर सकते हैं अथवा वे अपने मिथ्यात्व को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं तथा उस वाचना लेन-देन के व्यवहार का कथन करके लोगों को मिथ्यात्वी बना सकते हैं।

भाष्य कथित इन कारणों से भी यही स्पष्ट होता है कि यह निषेध सम्यग्दृष्टि या श्रमणोपासक के लिए नहीं है किन्तु मिथ्यादृष्टि के लिए है।

नन्दीसूत्र एव समवायांगसूत्र में श्रमणोपासकों के श्रुत अध्ययन करने का एवं सूत्रों के उपघान [तप] का कथन है यथा—

उवासगदसामु णं उवासगणं नगराईं जाव पोसहोववास पडिवज्जणयाओ सुय परिग्गहा,
तवोवहाणा, पडिमाओ ।
—सम.

इसी प्रकार का पाठ नन्दीसूत्र में भी है तथा आगमों में श्रमणोपासक के लिए बहुश्रुत एवं जिनमत में कोविद आदि विशेषण भी आए हैं। चार तीर्थ में और चार प्रकार के श्रमण संघ में उन्हें समाविष्ट किया गया है अतः यह प्रायश्चित्त श्रमणोपासक की अपेक्षा नहीं समझना चाहिए।

मिथ्यादृष्टि यदि धर्म के सन्मुख होने योग्य हो तो उसे योग्य उपदेश अथवा आगम वर्णन बताने एवं समझाने में भी दोष नहीं समझना चाहिए किन्तु यह कार्य गीतार्थ एवं विचक्षण भिक्षु के योग्य है, अन्यथा परिचय सम्पर्क करना भी सम्यक्त्व का अतिचार कहा गया है।

श्रमण वर्ग में वाचनादाता के अभाव में अथवा कभी आवश्यक होने पर बहुश्रुत श्रमणोपासक से वाचना ग्रहण करना भी प्रायश्चित्त योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें दोष का कोई कारण नहीं है तथा ठाणांग सूत्र के “चउव्विहे समणसधे” इस पाठ में श्रमणोपासक का बहुत सम्माननीय स्थान कहा गया है।

अतः प्रसंगानुकूल अर्थ करते हुए यहाँ मिथ्यात्व भाषित गृहस्थ आदि के साथ वाचना के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त समझना चाहिए।

पार्श्वस्थ के साथ वाचना के आदान-प्रदान का प्रायश्चित्त

२६. जे भिक्खू पासत्यस्स वायणं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

२७. जे भिक्खू पासत्यस्स वायणं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

२८. जे भिक्खू ओसणस्स वायणं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

२९. जे भिषधू ओसणस्त वायणं पडिच्छद्द, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

३०. जे भिषधू कुसीलस्त वायणं वेद्द, वेतं वा साइज्जइ ।

३१. जे भिषधू कुसीलस्त वायणं पडिच्छद्द, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

३२. जे भिषधू संसत्तस्त वायणं वेद्द, वेतं वा साइज्जइ ।

३३. जे भिषधू संसत्तस्त वायणं पडिच्छद्द, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

३४. जे भिषधू नितियस्त वायणं वेद्द, वेतं वा साइज्जइ ।

३५. जे भिषधू नितियस्त वायणं पडिच्छद्द, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

तं सेयमाणे आयज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उप्पाइयं ।

२६. जो भिक्षु पार्श्वस्थ को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२७. जो भिक्षु पार्श्वस्थ से वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

२८. जो भिक्षु भवसन्न को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

२९. जो भिक्षु भवसन्न से वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३०. जो भिक्षु कुसील को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३१. जो भिक्षु कुसील से वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३२. जो भिक्षु संसक्त को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३३. जो भिक्षु संसक्त से वाचना लेता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

३४. जो भिक्षु नित्यक को वाचना देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

३५. जो भिक्षु नित्यक से वाचना लेता है या लेने वाले अनुमोदन करता है ।

इन ३५ सूत्रों में उचित दाय स्वार्थों का लेपन करने पर लघुचोमार्ग प्रायश्चित्त घाता है ।

विशेषण—त्रिग प्रकार मिथ्यास्वी गृह्य से वाचना लेने-देने में दोषों की सम्भावना पूर्व सूत्र में बर्ती है उसी प्रकार पार्श्वस्थ आदि के साथ भी सम्भना चाहिए किन्तु यहाँ मिथ्यास्वी के श्रावण पर निमित्तवाचार का पोषण एवं ग्रहण करने सम्बन्धी दोष सम्भने चाहिए । पूर्व उद्देशों में भी इनके साथ मन्दन, आहार, शय्या आदि के सम्पर्क करने सम्बन्धी प्रायश्चित्त बदे हैं । अतः विशेष विशेषण एवं दोषों का वर्णन उद्देशक ४, १० तथा १३ से जान लेना चाहिए । यदि कभी कोई वीतार्थ मुनि पार्श्वस्थ आदि को समय में उपलब्ध होने की सम्भावना से वाचना देतो प्रायश्चित्त नहीं सम्भत्ता चाहिए ।

उन्नीसवें उद्देशक का सारांश—

- सूत्र १-७ श्रीपद्य के लिए क्रीत आदि दोष लगाना, विशिष्ट श्रीपद्य की तीन मात्रा (खुराक) से अधिक लाना, श्रीपद्य को विहार में साथ रखना तथा श्रीपद्य के परिकरमं सम्बन्धी दोषों का सेवन करना,
- ८ चार संध्या में स्वाध्याय करना,
- ९-१० कालिकसूत्र की ९ गाथा एवं दृष्टिवाद की २१ गाथाओं से ज्यादा पाठ का अस्वाध्याय काल में (अर्थात् उत्काल में) उच्चारण करना,
- ११-१२ चार महामहोत्सव एवं उनके बाद की चार महा प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करना,
- १३ कालिकसूत्र का स्वाध्याय करने के चार प्रहरों को स्वाध्याय किए बिना ही व्यतीत करना,
- १४ ३२ प्रकार के अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना,
- १५ अपने शारीरिक अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना,
- १६ सूत्रों की वाचना आगमोक्त क्रम से न देना,
- १७ आचारांग सूत्र की वाचना पूर्ण किए बिना छेदसूत्र या दृष्टिवाद की वाचना देना,
- १८-२१ अपात्र को वाचना देना और पात्र को न देना, अव्यक्त को वाचना देना और व्यक्त को वाचना न देना ।
- २२ समान योग्यता वालों को वाचना देने में पक्षपात करना,
- २३ आचार्य उपाध्याय द्वारा वाचना दिए बिना स्वयं वाचना ग्रहण करना,
- २४-२५ मिथ्यात्व भावित गृहस्थ एवं अन्यतीर्थिकों को वाचना देना एवं उनसे लेना,
- २६-३५ पार्श्वस्यादि को वाचना देना एवं उनसे लेना,

इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

उपसंहार—इस उद्देशक के प्रारम्भ में श्रीपद्य विषयक कथन किया गया है । वेप सभी सूत्रों में स्वाध्याय एवं अध्यायन-अध्यापन सम्बन्धी विषयों का कथन है । एक साथ इतनी स्पष्टता के साथ किए गए प्रायश्चित्त विधान से यहां पर श्रुत स्वाध्याय एवं अध्यापन सम्बन्धी पूर्ण विधियों का प्रतिक एवं स्पष्ट निर्देश किया गया है । इस प्रकार कुल दो विषयों में उद्देशक पूर्ण हो जाता है । इसमें स्वाध्याय सम्बन्धी अन्य आगमों में उक्त या अनुक्त सामग्री का एक साथ अनुपम संग्रह हुआ है, यह इस उद्देशक की विशेषता है ।

इस उद्देशक के १२ सूत्रों के विषयों का कथन निम्न आगमों में है, यथा—

- सूत्र ६ ग्लान के लिए श्रीपद्य की तीन दत्ति से अधिक लेने का निषेध —ठाणं ध. ३
- ८ चार संध्या में स्वाध्याय नहीं करना —ठाणं ध. ४
- १२ चार प्रतिपदा में स्वाध्याय नहीं करना, —ठाणं ध. ४

१३	चारों कानों में स्वाध्याय नहीं करना प्रतिचार कहा है	—घाय. घ. ४
१४	अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का निषेध	—अथ. उ. ७
१५	अपनी शारीरिक अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का निषेध	—अथ. उ. ७
१६-१७	आगमों के वाचना-क्रम का विधान	—अथ. उ. १०
१८-१९	अपात्र को वाचना देने का निषेध एवं पात्र को वाचना देने का विधान	—बृहत्सं. उ. ४
२०-२१	अव्यक्त को वाचना देने का निषेध और व्यक्त को वाचना देने का विधान	—अथ. उ. १०

इस उद्देशक के २३ सूत्रों के विषय का कथन अन्य आगमों में नहीं है, यथा—

सूत्र १-५, ७	श्रीगुरु सम्बन्धी उक्त गमस्त वर्णन अत्यन्त नहीं है ।
९-१०	कानिकश्रुत की ९ गाथाओं एवं दृष्टिवाद की २१ गाथाओं को उच्चारण करने का विधान
११	चार महामहोत्सवों में स्वाध्याय करने का निषेध
२२	वाचना देने में पक्षपात नहीं करना
२३	अदत्त वाचना ग्रहण नहीं करना
२४-३५	मिथ्यात्व भावित गृहस्थों को एवं पार्श्वस्थादि को वाचना नहीं देना और उनसे वाचना नहीं लेना ।

॥ उपरोक्तवा उद्देशक समाप्त ॥

बीसवां उद्देशक

कपट-सहित तथा कपट-रहित श्रालोचक को प्रायश्चित्त देने की विधि

१. जे भिक्खू मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं ।

२. जे भिक्खू दो मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स दो मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं ।

३. जे भिक्खू तेमासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं ।

४. जे भिक्खू चाउम्मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासिय ।

५. जे भिक्खू पंचमासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा अपलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं पलिउंचिय आलोएमाणस्स छम्मासियं ।

तेणं परं पलिउंचिए वा, अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ।

६. जे भिक्खू बहुसो वि मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अपलिउंचिय आलोएमाणस्स मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स दो मासियं ।

७. जे भिक्खू बहुसो वि दो मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिए आलोएमाणस्स दो मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं ।

८. जे भिक्खू बहुसो वि तेमासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं ।

९. जे भिक्खू बहुसो वि चाउम्मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं ।

१०. जे भिक्खू बहुसो वि पंचमासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स छम्मासियं ।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ।

११. जे भिषणू मासियं वा जाय पंचमासियं वा एतत्परिहारद्वानं अण्यपरं परिहारद्वानं पडितेयिता आलोएग्जा अपलिउंचिय आलोएमाणस्त मासियं वा जाय पंचमासियं वा ।

पलिउंचिय आलोएमाणस्त दो मासियं वा जाय द्दम्मासियं वा ।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव द्दम्मासा ।

१२. जे भिषणू बहूतो वि मासियं वा जाय बहूतो वि पंचमासियं वा एतत्परिहारद्वानं अण्यपरं परिहारद्वानं पडितेयिता आलोएग्जा—

अपलिउंचिय आलोएमाणस्त मासियं वा जाय पंचमासियं वा,

पलिउंचिय आलोएमाणस्त दो मासियं वा जाय द्दम्मासियं वा ।

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव द्दम्मासा ।

१३. जे भिषणू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा साइरेग-पंचमासियं वा, एतत्परिहारद्वानं अण्यपरं परिहारद्वानं पडितेयिता आलोएग्जा ।

अपलिउंचिय आलोएमाणस्त चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेग-पंचमासियं वा,

पलिउंचिय आलोएमाणस्त पंचमासियं वा, साइरेग पंचमासियं वा, द्दम्मासियं वा,

तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव द्दम्मासा ।

१४. जे भिषणू बहूतो वि चाउम्मासियं वा, बहूतो वि साइरेग-चाउम्मासियं वा, बहूतो वि पंचमासियं वा, बहूतो वि साइरेग-पंचमासियं वा, एतत्परिहारद्वानं अण्यपरं परिहारद्वानं पडितेयिता आलोएग्जा—

अपलिउंचिय आलोएमाणस्त चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग-पंचमासियं वा,

पलिउंचिय आलोएमाणस्त पंचमासियं वा, साइरेग-पंचमासियं वा द्दम्मासियं वा ।

तेण परं पलिउंचिए वा, अपलिउंचिए वा ते चेव द्दम्मासा ।

१. एक भिक्षु एक बार मानिक-परिहारद्वानं यो प्रतिवेदना करके धानोपना करे तो उगे माया-रहित धामोपना करने पर एक मास का प्राप्तिवत्त घाता है और माया-रहित धामोपना करने पर दो मास का प्राप्तिवत्त घाता है ।

इसके उपरान्त मायासहित या मायारहित आलोचना करने पर वही पाष्मात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

१२. जो भिक्षु मात्मिक यावत् पंचमात्मिक इन परिहारस्थानों में से किसी एक परिहारस्थान की अनेक बार प्रतिशेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर आशेषित परिहारस्थान के अनुसार मात्मिक यावत् पंचमात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है और मायासहित आलोचना करने पर आशेषित परिहारस्थान के अनुसार द्वैमात्मिक यावत् पाष्मात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

इसके उपरान्त मायासहित या मायारहित आलोचना करने पर वही पाष्मात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

१३. जो भिक्षु चातुर्मात्मिक या कुछ अधिक चातुर्मात्मिक, पंचमात्मिक या कुछ अधिक पंचमात्मिक—इन परिहारस्थानों में से किसी एक परिहारस्थान की एक बार प्रतिशेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर आशेषित परिहारस्थान के अनुसार चातुर्मात्मिक या कुछ अधिक चातुर्मात्मिक, पंचमात्मिक या कुछ अधिक पंचमात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है और मायासहित आलोचना करने पर आशेषित परिहारस्थान के अनुसार पंचमात्मिक या कुछ अधिक पंचमात्मिक या पाष्मात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

इसके उपरान्त मायासहित या मायारहित आलोचना करने पर वही पाष्मात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

१४. जो भिक्षु अनेक बार चातुर्मात्मिक या अनेक बार कुछ अधिक चातुर्मात्मिक, अनेक बार पंचमात्मिक या अनेक बार कुछ अधिक पंचमात्मिक परिहारस्थान में से किसी एक परिहारस्थान की प्रतिशेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर आशेषित परिहारस्थान के अनुसार चातुर्मात्मिक या कुछ अधिक चातुर्मात्मिक, पंचमात्मिक या कुछ अधिक पंचमात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है और मायासहित आलोचना करने पर पंचमात्मिक या कुछ अधिक पंचमात्मिक या द्वैमात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

इसके उपरान्त मायासहित या मायारहित आलोचना करने पर वही द्वैमात्मिक प्रायश्चित्त प्राप्ता है ।

विशेषण—उपरोक्त उद्देश्यों में कहे हुए दोषों के शिवन करने के बाद आलोचक की आलोचना के अनुसार प्रायश्चित्त देने के विभिन्न विकल्पों का वर्णन इन चोदक सूत्रों में किया गया है ।

आलोचना करने वाला एक प्रायश्चित्त स्थानों की एक बार या अनेक बार गया अनेक प्रायश्चित्त स्थानों की एक बार या अनेक बार भेदन करके उनकी एक साथ भी आलोचना कर सकता है और सभी भेदन-भक्षण भी ।

कोई आलोचक निरूपण स्थानों आलोचना करनेवाला होता है और कोई अदरवुक्त आलोचना करने वाला भी होगा है मतः ऐसे आलोचकों को दिए जाने वाले प्रायश्चित्त देने की विधि यहाँ कही गई है ।

उन्नीस उद्देशकों में भासिक, चौमासी और इनके गुरु या लघु यों चार प्रकार के प्रायश्चित्त का कथन है तथापि कुछ विशेष दोषों के प्रायश्चित्तों में पांच दिन, दस दिन की वृद्धि भी होती है। इसीलिए सूत्र १३-१४ में चार मास या चार मास साधिक, पांच मास या पांच मास साधिक ऐसा कथन है, किन्तु चौमासी प्रायश्चित्त स्थानों के समान पंचमासी या छमासी प्रायश्चित्त स्थानों का स्वतंत्र निर्देश आगमों में नहीं है। प्रस्तुत उद्देशक में भी उनका केवल संकेत मिलता है।

इन प्रायश्चित्त स्थानों में से किसी एक प्रायश्चित्त स्थान का एक बार या अनेक बार सेवन करके एक साथ आलोचना करने पर प्रायश्चित्त स्थान वही रहता है किन्तु तप की हीनाधिकता हो जाती है।

यदि प्रायश्चित्त स्थान अनेक हों तो उन सभी स्थानों के प्रायश्चित्त की प्राप्ति होती है और उन सभी प्रायश्चित्त स्थानों के अनुसार यथा योग्य तप प्रायश्चित्त दिया जाता है।

सरल मन से आलोचना करने पर प्रायश्चित्त स्थान के अनुरूप प्रायश्चित्त आता है और कोई कपट युक्त आलोचना करे तो कपट की जानकारी हो जाने पर उस प्रायश्चित्त स्थान से एक मास अग्रिम प्रायश्चित्त आता है अर्थात् कपट करने का एक गुरु मास का प्रायश्चित्त और संयुक्त कर दिया जाता है।

९ पूर्वी से लेकर १४ पूर्व तक के श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी, केवलज्ञानी ये आगम-विहारी भिक्षु आलोचक के कपट को अपने ज्ञान से जान लेते हैं अतः इनके सम्मुख ही आलोचना एवं प्रायश्चित्त करना चाहिये। इनके अभाव में श्रुतव्यवहारी साधु तीन बार आलोचना सुनकर भाषा तथा भावों से कपट को जान सकते हैं क्योंकि वे भी अनुभवो गीतार्थ होते हैं।

यदि कपटयुक्त आलोचना करने वाले का कपट नहीं जाना जा सके तो उसकी शुद्धि नहीं होती है। इसलिए आगमों में आलोचना करने वाले को एवं सुनने वाले को योग्यता कही गई है तथा आलोचना संबंधी अन्य वर्णन भी है। यथा—

१. ठाणांग अ. १० में आलोचना करने वाले को १० गुणयुक्त होना अनिवार्य कहा गया है। यथा—

१. जातिसंपन्न, २. कुलसंपन्न, ३. विनयसंपन्न, ४. ज्ञानसंपन्न, ५. दर्शनसंपन्न, ६. चारित्र-संपन्न, ७. क्षमावान्, ८. दमनेन्द्रिय, ९. अमायी, १०. आलोचना करके पश्चात्ताप नहीं करने वाला।

२. ठाणांग अ. १० में आलोचना सुनने वाले के १० गुण इस प्रकार कहे हैं यथा—

१. आचारवान्, २. समस्त दोषों को समझ सकने वाला, ३. पांच ध्यवहारों के प्रथम का ज्ञाता, ४. संकोच-निवारण में कुशल, ५. आलोचना कराने में समर्थ, ६. आलोचना को किसी के पास प्रकट न करने वाला, ७. योग्य प्रायश्चित्त दाता, ८. आलोचना न करने के या कपटपूर्वक आलोचना करने के अनिष्ट परिणाम वताने में समर्थ। ९. प्रियधर्मी, १०. दृढधर्मी।

उत्तरा. अ. ३६ गा. २६२ में आलोचना सुनने वाले के तीन गुण कहे हैं—

१. आगमों का विशेषज्ञ, २. समाधि उत्पन्न कर सकने वाला, ३. गुणप्राही।

३. ठापांगं घ. १० में धानोचना के १० दोष इस प्रकार कहे हैं—
१. सेवा आदि में प्रसन्न करने के बाद उनके पास धानोचना करना ।
२. मेरे को प्रायश्चित्त कम देना इत्यादि अनुनय करके धानोचना करना ।
३. दूसरों के द्वारा देखे गये दोगों की धानोचना करना,
४. बड़े-बड़े दोगों की धानोचना करना,
५. छोटे-छोटे दोगों की धानोचना करना,
६. अत्यन्त अस्पष्ट बोलना,
७. अत्यन्त जोर में बोलना,
८. धनेकों के पास एक ही दोग की धानोचना करना ।
९. अमीताप के पास धानोचना करना,
१०. अपने समान दोगों का भेषन करने वाले के पास धानोचना करना ।

उपरोक्त स्थानों का योग्य विवेक रखने पर ही धानोचना शुद्ध होती है । यदि धानोचना सुनने वाला योग्य न मिले तो अनुक्रम से स्वयच्छ, अन्य गच्छ या श्रायक आदि के पास भी धानोचना की जा सकती है, अंत में अरिहंत-शिष्टों की साक्षी से भी धानोचना करने का विधान व्यव. उ. १ में किया गया है ।

ठापांग घ. ३ में कहा है कि ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की शुद्ध धाराधना के लिये धानोचना-प्रायश्चित्त किया जाता है । दोगों की धानोचना एवं प्रायश्चित्त नहीं करने वाला इहमोक और परलोक दोनों ही विगड़ता है और यह विराधक होकर धारमा को अधोगति का भागी बनाता है ।

धानोचना नहीं करने के अनेक कारणों में मुख्य कारण अथमान एवं अथमन के होने का होता है किन्तु यह विचारों की अज्ञानदशा है । क्योंकि धानोचना करके शुद्ध होने वाला इस अथ में और परमथ में पूर्ण समाधि को प्राप्त करता है और धानोचना नहीं करने वाला इस अथ में अंदर ही अंदर विगड़ होता है एवं उपलोक में अथमाधि को प्राप्त करता है और धानोचना न करके अनात्म भरण में दीर्घसंसारी होता है ।

जो भिक्षु मूलगुणों में अथवा उत्तरगुणों में एक बार या अनेक बार दोग लगाकर उन्हें छिटाये, उसे हुए दोगों की न धानोचना करे और न प्रायश्चित्त ले तो गणनायक उसे लगे हुए दोगों के संख्या में पूँछे ।

यदि वह अनात्म बोले, अपने धारको निर्दोष सिद्ध करे तो दोग भेषन करते हुए उसे देखने के लिए बिगो को निपुक्त करे और प्रमाणपूर्वक उसके दोग भेषन का उसी के सामने सिद्ध करवाकर प्रायश्चित्त दे ।

उत्तम उद्देश्यों में लेने मायावी को दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों का विधान नहीं है । इनमें केवल स्वेच्छा से धानोचना करने वालों को दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों का विधान है । उक्त मायावी भिक्षु लगे हुए दोगों की भरलता से स्वीकार न करे तो मर्जर में निकाल देना चाहिए ।

यदि वह लगे हुए दोगों की भरलता से स्वीकार कर ले, मर्जर प्रमुख को उसकी भरलता पर विचाराव हो जाये तो उसे निम्न प्रायश्चित्त देकर मर्जर में रखा जा सकता है ।

१. यदि उसने अनेक बार दोग भेषन न किए हों, अनेक बार मूषा भाषण करके उसने धारो

दोप न छिपाये हों और उसके दोप-सेवन की जानकारी जनसाधारण को न हुई तो उसे दीक्षा छेद का प्रायश्चित्त देना चाहिए ।

२. यदि उसने बार-बार ब्रह्मचर्य आदि महाव्रत भंग किया हो, बार-बार माया-मृपा भाषण किया हो, उसके बार-बार ब्रह्मचर्य आदि भंग की जानकारी जनसाधारण को हो गई हो तो उसे मूल अर्थात् नई दीक्षा देने का प्रायश्चित्त देना चाहिए ।

उत्तराध्ययन सूत्र अ. २९ में दोषों की आलोचना निंदा एवं गर्हा का अत्यंत शुभ एवं श्रेष्ठ फल कहा है ।

ठाणं० अ० १०, भगवती श० २५ उ० ७, उव० सूत्र० ३० और उत्तरा० अ० ३० में १० प्रकार के प्रायश्चित्त कहे हैं उनमें आलोचना करना प्रथम प्रायश्चित्त स्थान कहा गया है ।

प्रायश्चित्त—चारित्र्य के मूल गुणों में या उत्तर गुणों में की गई प्रतिसेवनाओं अर्थात् दोप सेवन का प्रायश्चित्त किया जाता है । निशोथसूत्र में तप-प्रायश्चित्त के चार मुख्य विभाग कहे हैं और भाष्य में उसी की विस्तार से व्याख्या करते हुए पाँच दिन के तप से लेकर छः मास तक तप तथा छेद मूल अनवस्थाप्य एवं पाराचिक प्रायश्चित्त तक का कथन किया है ।

प्रतिसेवना के भावों के अनुसार एक ही दोप-स्थान के प्रायश्चित्तों की वृद्धि या कमी की जाती है ।

भगवती श० २५ उ० ७ एवं ठाणांग अ० १० में प्रतिसेवना दस प्रकार की कही है । यथा—

१. दर्प से (आशक्ति एव घृष्टता से), २. आलस्य से, ३. असावधानी से, ४. भ्रूष व्यास आदि की आतुरता से, ५. मंकट आने पर ६ क्षेत्र आदि की संकीर्णता से, ७. भूल से, ८. भय से, ९. रोप से या द्वेष से, १०. शिष्य आदि की परीक्षा के लिए ।

प्रत्येक दोप-सेवन के पीछे इनमें से कोई भी एक या अनेक कारण होते हैं ।

इन कारणों में से किसी कारण से लगे दोप की केवल आलोचना से ही शुद्धि हो सकती है तो किसी की आलोचना और प्रतिक्रमण से शुद्धि होती है और किसी की तप छेद आदि से शुद्धि होती है ।

दोप-सेवन के बाद आत्मशुद्धि का इच्छुक आलोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है । जिम प्रकार वस्त्र में लगे मूल की शुद्धि धोने से हो जाती है उसी प्रकार आत्मा के (मंयमादि में) लगे दोषों की शुद्धि प्रायश्चित्त से हो जाती है ।

उत्तरा० अ० २९ में कहा है कि प्रायश्चित्त करने से दोषों की विगुद्धि हो जाती है, चरित्र निरतिचार हो जाता है, तथा सम्यग् प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला मोक्षमार्ग एवं आचार का आराधक होता है ।

दस प्रकार का प्रायश्चित्त—

१. आलोचना के योग्य—क्षेत्रादि के कारण आपवादिक व्यवहार प्रवृत्ति आदि की केवल आलोचना से शुद्धि होती है ।

२. प्रतिक्रमण के योग्य—असावधानी से होने वाली अयतना की शुद्धि केवल प्रतिक्रमण में (मिच्छामि दुबकड़ से) होती है ।

३. ठाणांग अ. १० में आलोचना के १० दोष इस प्रकार कहे हैं—
१. सेवा आदि से प्रसन्न करने के बाद उसके पास आलोचना करना ।
२. भेरे को प्रायश्चित्त कम देना इत्यादि अनुनय करके आलोचना करना ।
३. दूसरों के द्वारा देखे गये दोषों की आलोचना करना,
४. बड़े-बड़े दोषों की आलोचना करना,
५. छोटे-छोटे दोषों की आलोचना करना,
६. अत्यंत अस्पष्ट बोलना,
७. अत्यन्त जोर से बोलना,
८. अनेकों के पास एक ही दोष की आलोचना करना ।
९. अगीतार्थ के पास आलोचना करना,
१०. अपने समान दोषों का सेवन करने वाले के पास आलोचना करना ।

उपरोक्त स्थानों का योग्य विवेक रखने पर ही आलोचना शुद्ध होती है । यदि आलोचना सुनने वाला योग्य न मिले तो अनुक्रम से स्वगच्छ, अन्य गच्छ या धावक आदि के पास भी आलोचना की जा सकती है, अंत में अरिहंत-सिद्धों की साक्षी से भी आलोचना करने का विधान व्यव. उ. १ में किया गया है ।

ठाणांग अ. ३ में कहा है कि ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की शुद्ध आराधना के लिये आलोचना-प्रायश्चित्त किया जाता है । दोषों की आलोचना एवं प्रायश्चित्त नहीं करने वाला इहलोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ता है और वह विराघक होकर आत्मा को अधोगति का भागी बनाता है ।

आलोचना नहीं करने के अनेक कारणों में मुख्य कारण अपमान एवं अपयश के होने का होता है किन्तु यह विचारों की अज्ञानदशा है । क्योंकि आलोचना करके शुद्ध होने वाला इस भव में और परभव में पूर्ण समाधि को प्राप्त करता है और आलोचना नहीं करने वाला इस भव में अंदर ही अंदर खिन्न होता है एवं उभयलोक में असमाधि को प्राप्त करता है और आलोचना न करके सगत्य मरण से दीर्घसंसारी होता है ।

जो भिक्षु मूलगुणों में अथवा उत्तरगुणों में एक बार या अनेक बार दोष लगाकर उन्हें छिपावे, लगे हुए दोषों की न आलोचना करे और न प्रायश्चित्त ले तो गणनायक उसे लगे हुए दोषों के संबंध में पूछे ।

यदि वह असत्य बोले, अपने आपको निर्दोष सिद्ध करे तो दोष सेवन करते हुए उसे देखने के लिए किसी को नियुक्त करे और प्रमाणपूर्वक उसके दोष सेवन का उसी के सामने सिद्ध करवाकर प्रायश्चित्त दे ।

उन्नीस उद्देशकों में ऐसे मायावी को दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों का विधान नहीं है । इनमें केवल स्वेच्छा से आलोचना करने वालों को दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों का विधान है । उक्त मायावी भिक्षु लगे हुए दोषों को सरलता से स्वीकार न करे तो गच्छ से निकाल देना चाहिए ।

यदि वह लगे हुए दोषों को सरलता से स्वीकार कर ले, गच्छ प्रमुख को उसकी सरलता पर विश्वास हो जावे तो उसे निम्न प्रायश्चित्त देकर गच्छ में रखा जा सकता है ।

१. यदि उसने अनेक बार दोष सेवन न किए हों, अनेक बार मूया भाषण करके उसने अपने

दोष न छिपाये हों और उसके दोष-सेवन की जानकारी जनसाधारण को न हुई तो उसे दीक्षा छेद का प्रायश्चित्त देना चाहिए ।

२. यदि उसने बार-बार ब्रह्मचर्य आदि महाव्रत भंग किया हो, बार-बार माया-मूपा भाषण किया हो, उसके बार-बार ब्रह्मचर्य आदि भंग की जानकारी जनसाधारण को हो गई हो तो उसे मूल अर्थात् नई दीक्षा देने का प्रायश्चित्त देना चाहिए ।

उत्तराध्ययन सूत्र अ. २९ में दोषों की आलोचना निंदा एवं गर्हा का अत्यंत शुभ एवं श्रेष्ठ फल कहा है ।

ठाण० अ० १०, भगवती श० २५ उ० ७, उव० सूत्र० ३० और उत्तरा० अ० ३० में १० प्रकार के प्रायश्चित्त कहे हैं उनमें आलोचना करना प्रथम प्रायश्चित्त स्थान कहा गया है ।

प्रायश्चित्त—चरित्र के मूल गुणों में या उत्तर गुणों में की गई प्रतिसेवनाओं अर्थात् दोष सेवन का प्रायश्चित्त किया जाता है । निशोथसूत्र में तप-प्रायश्चित्त के चार मुख्य विभाग कहे हैं और भाष्य में उसी की विस्तार से व्याख्या करते हुए पाँच दिन के तप से लेकर छः मास तक तप तथा छेद मूल अनवस्थाप्य एव पाराचिक प्रायश्चित्त तक का कथन किया है ।

प्रतिसेवना के भावों के अनुसार एक ही दोष-स्थान के प्रायश्चित्तों की वृद्धि या कमी की जाती है ।

भगवती श० २५ उ० ७ एव ठाणाग अ० १० में प्रतिसेवना दस प्रकार की कही है । यथा—

१. दर्प से (आश्रित एव घृष्टता से), २. आलस्य से, ३. असावधानी से, ४. भूख प्यास आदि की आतुरता से, ५. संकट आने पर ६. क्षत्र आदि की संकीर्णता से, ७. भूल से, ८. भय से, ९. रोप से या द्वेष से, १०. शिष्य आदि की परीक्षा के लिए ।

प्रत्येक दोष-सेवन के पीछे इनमें से कोई भी एक या अनेक कारण होते हैं ।

इन कारणों में से किसी कारण से लगे दोष की केवल आलोचना से ही शुद्धि हो सकती है तो किसी की आलोचना और प्रतिक्रमण से शुद्धि होती है और किसी की तप छेद आदि से शुद्धि होती है ।

दोष-सेवन के बाद आत्मशुद्धि का इच्छुक आलोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है । जिन प्रकार वस्त्र में लगे मल की शुद्धि धोने से हो जाती है उसी प्रकार आत्मा के (संयमादि में) लगे दोषों की शुद्धि प्रायश्चित्त से हो जाती है ।

उत्तरा० अ० २९ में कहा है कि प्रायश्चित्त करने से दोषों की विमुक्ति हो जाती है, चरित्र निरतिचार हो जाता है, तथा सम्यग् प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला मोक्षमार्ग एवं आचार का आराधक होता है ।

दस प्रकार का प्रायश्चित्त—

१. आलोचना के योग्य—क्षेत्रादि के कारण घापवादिः व्यवहार प्रवृत्ति आदि की केवल आलोचना से शुद्धि होती है ।

२. प्रतिक्रमण के योग्य—असावधानी से होने वाली घयतना की शुद्धि केवल प्रतिक्रमण में (मिच्छामि दुबकड़ से) होती है ।

परिहार तप एवं शुद्ध तप किन-किन को दिया जाता है यह वर्णन भाष्य गाथा—६५८६ से ९१ तक में है । वहाँ पर यह भी कहा है कि साध्वी को एवं अगीतार्थ, दुर्बल और अंतिम तीन संघयण वाले भिक्षु को शुद्ध तप प्रायश्चित्त ही दिया जाता है ।

२० वर्ष की दोक्षा पर्यायवाले को, २९ वर्ष की उम्र से अधिक वय वाले को, उत्कृष्ट गीतार्थ अर्थात् ९ पूर्व के ज्ञानी को, प्रथम संहनन वाले को तथा अनेक अभिग्रह तप साधना के अभ्यासी को परिहार तप दिया जाता है । भाष्य गाथा. ६५९२ में परिहार तप देने को पूर्ण विधि का वर्णन किया गया है ।

सूत्र १ से ५ तक एक मासिक प्रायश्चित्त स्थान से लेकर पांच मासिक प्रायश्चित्त स्थान के एक वार सेवन का तथा सूत्र ६ से १० तक अनेक वार सेवन का सामान्य प्रायश्चित्त कहा गया है साथ ही कपटयुक्त आलोचना का एक गुरुमास प्रायश्चित्त विशेष देने का कहा गया है ।

सूत्र ११ से १४ में इन्हीं प्रायश्चित्त स्थानों में से अनेक स्थानों के सेवन से द्विसंयोगी आदि भंगयुक्त अनेक सूत्रों की सूचना की गई है, भाष्य चूर्ण में भंग-विस्तार से करोड़ों सूत्रों की गणना बताई गई है ।

सूत्र ५, १० तथा ११ से १४ तक के सूत्रों में "तेण परं—पलिउंचिय अपलिउंचिय ते चेव छम्मासा" यह वाक्य है । इसका आशय यह समझना चाहिए कि—इसके आगे कोई ६ मास या ७ मास के योग्य प्रायश्चित्त का पात्र हो—अथवा कपटसहित या कपटरहित आलोचना करने वाला हो तो भी यही छः मास का प्रायश्चित्त आता है, इससे अधिक नहीं आता है ।

सुवहुहि वि मासेहि, छण्हं मासाण परं ण दायव्वं ॥ ६५२४ ॥

चूर्ण—तचारिहेहि बहूहि मासेहि छम्मासा परं ण दिज्जइ, सव्वस्सेव एस णियमो, एत्थ कारणं जम्हा अहं बद्धमाण सामिणो एवं चेव परं पमाणं ठवितं ।

भाषार्थ—वर्द्धमान महावीर स्वामी के शासन में इतने ही प्रायश्चित्त की मर्यादा निर्धारित है और सभी साधु-साध्वी के लिए यह नियम है ।

अगीतार्थ, अतिपरिणामी, अपरिणामी साधु-साध्वी को ६ मास का तप ही दिया जाता है, छेद प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है । किन्तु दोष को पुनः पुनः सेवन करने पर या आकृष्टी बुद्धि अर्थात् मारने के सकल्प से पंचेन्द्रिय की हिंसा करने पर या दर्प से कुञ्जोल के सेवन करने पर इन्हें छेद प्रायश्चित्त दिया जा सकता है तथा छेद के प्रति उपेक्षावृत्ति रखने वालों को "मूल प्रायश्चित्त" दिया जाता है ।

अन्य अनेक छोटे बड़े दोषों के सेवन करने पर प्रथम वार में छेद या मूल प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है, किन्तु जिसे एक वार इस प्रकार की चेतावनी दे दी गई है कि "हे आर्य ! यदि बारंबार यह दोष सेवन किया तो छेद या मूल प्रायश्चित्त दिया जायेगा ।" उसे ही छेद या मूल प्रायश्चित्त दिया जा सकता है । जिसे इस प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है उसे छेद या मूल प्रायश्चित्त नहीं दिया जा सकता है । भाष्य में चेतावनी दिये गये साधु को 'विकोवित' एवं चेतावनी नहीं दिये गये साधु को "अविकोवित" कहा गया है । विकोवित को भी प्रथम वार लघु, दूसरी वार गुरु एवं तीसरी वार छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है ।

छेद प्रायश्चित्त भी उत्कृष्ट छः मास का होता है तथा तीन बार तक दिया जा सकता है उसके बाद मूल प्रायश्चित्त दिया जाता है ।

यथा— छम्मासोवरि जइ पुणो आवज्जइ तो तिणिण वारा लहु चैव छेदो वायव्वो । एस अविस्सिट्ठो वा तिणिण वारा छल्लहु छेदो ।

अहवा—जं चैव तव तियं तं छेवत्तिपि पि—मासम्भंतरं, चउमासम्भंतरं, छम्मासम्भंतरं च, जम्हा एयं तम्हा भिण्णमासादि जाव छम्मासं, तेसु छिण्णेषु छेय तियं अतिवक्तं भवति । ततो वि जति परं आवज्जति तो तिणिण वारा मूलं विज्जति ।
—चूर्णि भा. ४ पृ. ३५१-५२

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्धमान महावीर स्वामी के शासन में तप और छेद प्रायश्चित्त छः मास से अधिक देने का विधान नहीं है । अतः किसी भी दोष का छः मास तप या छेद से अधिक प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिये । क्योंकि अधिक प्रायश्चित्त देने पर 'तेण परं ...' इस सूत्रांश से एवं भाष्योक्त परम्परा से विपरीत आचरण होता है । मूल (नई दिक्षा) प्रायश्चित्त भी तीन बार दिया जा सकता है और छः मास का तप और छः मास का छेद भी तीन बार ही दिया जा सकता है । उसके बाद आगे का प्रायश्चित्त दिया जाता है । अन्त में गच्छ से निकाल दिया जाता है ।

प्रस्थापना में प्रतिसेवना करने पर आरोपण

१५. जे भिवखू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा साइरेग-पंचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा—

अपल्लिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।

ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१. पुव्वियं पडिसेवियं पुव्वियं आलोइयं,
२. पुव्वियं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुव्वियं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,

१. अपल्लिउंचिए अपल्लिउंचिय,

२. अपल्लिउंचिए पल्लिउंचियं,

३. पल्लिउंचिए अपल्लिउंचियं,

४. पल्लिउंचिए पल्लिउंचियं,

आलोएमाणस्स सत्थमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्वे सिया,

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निद्विसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१६. जे भिवखू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग-पंचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

पलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।
ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१. पुढ्विं पडिसेवियं पुढ्विं आलोइयं,
२. पुढ्विं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुढ्विं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं ।

१. अपलिउंचिए अपलिउंचियं,
२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,
३. पलिउंचिए अपलिउंचियं,
४. पलिउंचिए पलिउंचियं ।

आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्वे सिया ।

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१७. जे भिबलू बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि साइरेग-चाउम्मासियं वा, बहुसो वि पंचमासियं वा, बहुसो वि साइरेग-पंचमासियं वा, एएत्ति परिहारट्टाणाणं अन्नयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।

ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१. पुढ्विं पडिसेवियं पुढ्विं आलोइयं,
२. पुढ्विं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुढ्विं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं ।

१. अपलिउंचिए अपलिउंचियं,
२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,
३. पलिउंचिय अपलिउंचियं,
४. पलिउंचियए पलिउंचियं ।

आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्वे सिया ।

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१८. जे भिबलू बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि साइरेग-चाउम्मासियं वा, बहुसो वि पंचमासियं वा, बहुसो वि साइरेग पंचमासियं वा एएत्ति परिहारट्टाणाणं अन्नयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

छेद प्रायश्चित्त भी उत्कृष्ट छः मास का होता है तथा तीन बार तक दिया जा सकता है उसके बाद मूल प्रायश्चित्त दिया जाता है ।

यथा—छम्मासोवरि जइ पुणो आयज्जइ तो तिग्णि वारा सहु चेव छेदो वायव्यो । एस अविसिट्ठो वा तिग्णि वारा छत्तलहु छेदो ।

अहवा—जं चेव तव तियं तं छेदतिय पि—मासम्भंतरं, चउमासम्भंतरं, छम्मासम्भंतरं च, जम्हा एवं तम्हा भिण्णमासादि जाव छम्मासं, तेसु छिण्णेषु छेय तियं अतिवकंतं भवति । ततो वि जति परं आवज्जति तो तिग्णि वारा मूलं विज्जति ।

—चूणि भा. ४ पृ. ३५१-५२

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्धमान महावीर स्वामी के शासन में तप और छेद प्रायश्चित्त छः मास से अधिक देने का विधान नहीं है । अतः कितों भो दोष का छः मास तप या छेद से अधिक प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिये । क्योंकि अधिक प्रायश्चित्त देने पर 'तेण परं ...' इस सूत्रांश से एवं भाष्योक्त परम्परा से विपरीत आचरण होता है । मूल (नई दिक्षा) प्रायश्चित्त भी तीन बार दिया जा सकता है और छः मास का तप और छः मास का छेद भी तीन बार ही दिया जा सकता है । उसके बाद आगे का प्रायश्चित्त दिया जाता है । अन्त में गच्छ से निकाल दिया जाता है ।

प्रस्थापना में प्रतिसेवना करने पर आरोपण

१५. जे भिक्खू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा साइरेग-पंचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अण्णपरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा—

अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।

ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्येव आरुहेयव्ये सिया ।

१. पुठ्विं पडिसेवियं पुठ्वियं आलोइयं,
२. पुठ्विं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुठ्वियं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,

१. अपलिउंचिए अपलिउंचिय,

२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,

३. पलिउंचिए अपलिउंचियं,

४. पलिउंचिए पलिउंचियं,

आलोएमाणस्स सव्यमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्ये सिया,

जे एयाए पट्टयणाए पट्टविए निधियसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्येव आरुहेयव्ये सिया ।

१६. जे भिक्खू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं वा, साइरेग-पंचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अण्णपरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

पलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।
ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१. पुव्विं पडिसेवियं पुव्विं आलोइयं,
२. पुव्विं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुव्विं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं ।

१. अपलिउंचिए अपलिउंचियं,
२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,
३. पलिउंचिए अपलिउंचियं,
४. पलिउंचिए पलिउंचियं ।

आलोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्वे सिया ।

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१७. जे भिव्वू बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि साइरेग-चाउम्मासियं वा, बहुसो वि पंचमासियं वा, बहुसो वि साइरेग-पंचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अन्नयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।

ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१. पुव्विं पडिसेवियं पुव्विं आलोइयं,
२. पुव्विं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुव्विं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं ।

१. अपलिउंचिए अपलिउंचियं,
२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,
३. पलिउंचिय अपलिउंचियं,
४. पलिउंचियए पलिउंचियं ।

आलोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्वे सिया ।

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१८. जे भिव्वू बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि साइरेग-चाउम्मासियं वा, बहुसो वि पंचमासियं वा, बहुसो वि साइरेग पंचमासियं वा एएसि परिहारट्टाणाणं अन्नयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

पलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं ।

ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१. पुट्ठियं पडिसेवियं पुट्ठियं आलोइयं,
२. पुट्ठियं पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
३. पच्छा पडिसेवियं पुट्ठियं आलोइयं,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं ।

१. अपलिउंचिए अपलिउंचियं,
२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,
३. पलिउंचिए अपलिउंचियं,
४. पलिउंचिए पलिउंचियं ।

आलोएमाणस्स सब्बमेयं सकयं साहणिय आरुहेयव्वे सिया ।

जे एयाए पट्ठयणाए पट्ठविए निव्वित्तमाणे पडिसेवेइ, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

१५. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक—इन परिहारस्थानों में से किसी एक परिहारस्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर आसेवित प्रतिसेवना के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिये ।

यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिये ।

१. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
२. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो,
३. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
४. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पीछे से आलोचना की हो ।

१. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो ।
२. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो ।
३. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो ।
४. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो ।

इनमें से किसी प्रकार के भंग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिये ।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर बहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर देना चाहिये ।

१६. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहारस्थानों में से किसी एक परिहारस्थान को प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायासहित आलोचना करने पर आसेवित प्रतिसेवना के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उनकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिए ।

यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए ।

१. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
२. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो,
३. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
४. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो ।

१. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो,
२. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो,
३. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो,
४. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो ।

इनमें से किसी भी प्रकार के भंग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए ।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर वहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर देना चाहिए ।

१७. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक इन परिहारस्थानों में से किसी एक परिहारस्थान की अनेक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारहित आलोचना करने पर आसेवित प्रतिसेवना के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिये ।

यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिये ।

१. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
२. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो,
३. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
४. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो ।

१. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो,
२. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो,
३. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो,
४. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो ।

इनमें से किसी भी प्रकार के भंग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर बहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर देना चाहिये।

१८. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक—इन परिहारस्थानों में से किसी एक परिहारस्थान की अनेक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे मायासहित आलोचना करने पर आसेवित प्रतिसेवना के अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिये।

यदि वह परिहार तप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिये।

१. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
२. पूर्व में प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो,
३. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
४. पीछे से प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो।

१. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो,
२. मायारहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो,
३. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायारहित आलोचना की हो,
४. मायासहित आलोचना करने का संकल्प करके मायासहित आलोचना की हो।

इनमें से किसी भी प्रकार के भंग से आलोचना करने पर उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर बहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर देना चाहिए।

विवेचन—पूर्व सूत्रों में प्रायश्चित्त देने संबंधी वर्णन है और इन आगे के सूत्रों में प्रायश्चित्त बहन कराने संबंधी वर्णन है। इनमें चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आदि का कथन किया गया है फिर भी अन्त के कथन से आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए और मासिक आदि सभी भ्रसंयोगी-संयोगी विकल्पों वाले प्रायश्चित्तों के बहन करने की भी विधि इसी प्रकार समझ लेनी चाहिए।

यहाँ सर्वप्रथम प्रायश्चित्त बहन करने को 'स्थापन करना' कहा गया है और उस बहन-काल में दिए गये प्रायश्चित्त को 'प्रस्थापन करना' कहा गया है। प्रस्थापनाकाल में लगाये जाने वाले दोषों के प्रायश्चित्त को भी उसमें संयुक्त करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्रायश्चित्त संयुक्त करने का कथन इन सूत्रों में है।

प्रथम सूत्र में प्रायश्चित्त की स्थापना एक बार लगाये गये दोष के कपटरहित आलोचना की है और दूसरे सूत्र में कपटसहित आलोचना की है। आगे के दो सूत्रों में प्रायश्चित्त की स्थापना

अनेक बार लगाये गये कपटरहित एवं कपटसहित आलोचना की है। प्रायश्चित्त वहन के बीच में लगाये गए दोषों की आलोचना के सम्बन्ध में चार-चार भंग कहे गए हैं उनमें से किसी भी प्रकार से आलोचना की गई हो वह सब प्रायश्चित्त उसमें अंतर्निहित कर दिया जाता है।

प्रायश्चित्त वहनकाल में प्रायश्चित्त तप करने वाले की वैयावृत्य करने का भी इन सूत्रों में निर्देश किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उस तप काल में सेवा करना यदि आवश्यक हो तो सेवा की जाती है। प्रायश्चित्त वहनकर्ता स्वयं अपना कार्य कर सके तब तक सेवा नहीं करवाता है। यह प्रायश्चित्त वहन विधि परिहार तप की अपेक्षा से कही गई है। इससे संबंधित विशेष विवेचन चौथे उद्देशक से जानना चाहिए।

शुद्ध तप रूप प्रायश्चित्त करने वाला प्रायश्चित्त में प्राप्त हुए उपवास आदि को प्रायश्चित्त दाता द्वारा निर्दिष्ट अवधि में कभी भी पूर्ण कर सकता है। अन्य दोषों की पुनः कभी आलोचना करने पर भी उसी प्रकार प्रायश्चित्त पूर्ण करता है।

लघुमासिक, गुरुमासिक, लघुचौमासी, गुरुचौमासी, लघुछःमासी और गुरु छःमासी प्रायश्चित्त स्थानों के शुद्ध तप से प्रायश्चित्त देने की विधि प्रथम उद्देशक के पूर्व में तालिका द्वारा दी गई है, उसके अनुसार सभी प्रायश्चित्त विभाग समझ लेने चाहिए।

इस बीसवें उद्देशक के इन सूत्रों में तथा आगे के सभी सूत्रों में जो वर्णन है वह परिहार तप प्रायश्चित्त सम्बन्धी है ऐसा समझना चाहिये। इस वर्णन से या अन्य छेदसूत्रों में आये वर्णनों से इसके विच्छेद होने का फलितार्थ नहीं निकलता है, तथापि व्याख्याकार इस परिहार तप प्रायश्चित्त को प्रागमविहारी के लिए कहकर वर्तमान में इसका विच्छेद बताते हैं।

अतः यह प्रायश्चित्त की परम्परा वर्तमान नहीं है।

दो मास प्रायश्चित्त की स्थापिता आरौपणा

१९. छम्भासियं परिहारद्वान् पट्टविए अणगारे अंतरा दो मासियं परिहारद्वान् पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा वोसइराइया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेणं परं सबोसइराइया दोमासा ।

२०. पंचमासियं परिहारद्वान् पट्टविए अणगारे अंतरा दो मासियं परिहारद्वान् पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा वोसइराइया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेणं परं सबोसइराइया दो मासा ।

२१. चाउम्भासियं परिहारद्वान् पट्टविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वान् पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा वोसइराइया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेणं परं सबोसइराइया दो मासा ।

२२. तेमासियं परिहारद्वान् पट्टविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वान् पडिसेयित्ता

आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है, उसके बाद नः दोष सेवन करले तो दो मास और बीस रात्रि का प्रायश्चित्त आता है ।

विवेचन—इन सूत्रों में एक मास से लेकर छः मास तक किसी भी प्रायश्चित्त को बहन करते समय लगाये गये दो मास प्रायश्चित्त स्थान रूप दोष की सानुग्रह एवं निरनुग्रह आरोपण प्रायश्चित्त के की विधि कही गई है ।

प्रायश्चित्त बहन काल में किसी कारण से प्रथम बार दोष लगाने पर उस पर अनुग्रह करके अल्प प्रायश्चित्त दिया जाता है । वह सानुग्रह आरोपणा प्रायश्चित्त कहा जाता है । पुनः वही दोष बहन करने पर अनुग्रह न करके पूर्ण प्रायश्चित्त दिया जाता है वह निरनुग्रह आरोपणा प्रायश्चित्त कहा जाता है ।

इन सूत्रों का तात्पर्य यह है कि प्रायश्चित्त बहन काल में दिये गये सानुग्रह प्रायश्चित्त को आरोपित करने के पूर्व यदि फिर प्रायश्चित्त दिया जाए तो वह निरनुग्रह होता है ।

सानुग्रह प्रायश्चित्त की आरोपणा को बहन किये जाने वाले प्रायश्चित्त में संयुक्त न करने से पूर्व की सानुग्रह बीस दिन और बाद की निरनुग्रह दो मास आरोपणा को संयुक्त करके दो मास और बीस दिन की आरोपणा सूत्र में कही गई है ।

सानुग्रह आरोपणा प्रायश्चित्त के दिनों की संख्या निकालने की विधि—

प्रायश्चित्त स्थान के मास संख्या में दो जोड़कर पांच से गुणा करने पर जो संख्या आवे उतने दिन का प्रायश्चित्त होता है । यथा—दो मास में दो जोड़ने से चार हुए, उसे पांच से गुणा करने पर बीस हुए इस प्रकार दो मास के सानुग्रह दिन २० होते हैं । अथवा एक मास का १५ दिन, दो मास का २० दिन, तीन मास का २५ दिन, इत्यादि सानुग्रह प्रायश्चित्त के दिन समझने चाहिए ।

ठापांग सूत्र अ. ५ में आरोपणा प्रायश्चित्त पांच प्रकार के कहे गये हैं—

१. प्रस्थापिता—प्रायश्चित्त बहन करते समय अन्य प्रायश्चित्त के दिनों को जोड़ दिए जाने वाली आरोपणा ।

२. स्यापिता—बहन किये जाने वाले प्रायश्चित्त से अन्य प्रायश्चित्त के दिनों को अलग रखी जाने वाली आरोपणा ।

३. कृत्स्ना—बहन काल में लगे दोष के प्रायश्चित्त स्थान के संपूर्ण दिनों की दी जाने वाली निरनुग्रह आरोपणा ।

४. अकृत्स्ना—बहन काल में लगे दोष के प्रायश्चित्त स्थान के दिनों को कम कर दी जाने वाली सानुग्रह आरोपणा ।

५. हाडहडा—तत्काल ही बहन कराई जाने वाली आरोपणा ।

इन सूत्रों में एक साथ चार प्रकार की आरोपणा से संबंधित विषय का कथन किया गया है ।

दो मास प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता आरोग्यता एवं वृद्धि

२५. सवीसइराइयं दोमासियं परिहारद्वानं पटुविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वानं पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा दोसइराइया आरोग्यता आदिमज्जायसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं सदसराया तिण्णिमासा ।

२६. सदसराइय-तेमासियं परिहारद्वानं पटुविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वानं पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा दोसइराइया ओरोग्यता, आदिमज्जायसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं चत्तारि मासा ।

२७. चाउम्मासियं परिहारद्वानं पटुविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वानं पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा दोसइराइया आरोग्यता आदिमज्जायसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं सवीसइराइया चत्तारि मासा ।

२८. सवीसइराइय-चाउम्मासियं परिहारद्वानं पटुवोए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वानं पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा दोसइराइया आरोग्यता आदिमज्जायसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं सदसराया पंचमासा ।

२९. सदसराइय-पंचमासियं परिहारद्वानं पटुविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्वानं पडिसेयित्ता आलोएज्जा—अहावरा दोसइराइया आरोग्यता आदिमज्जायसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं छमासा ।

२५. दो मास और बीस रात्रि का प्रायश्चित्त बहून करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त बहून काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोग्यता का प्रायश्चित्त आता है । जिसे संयुक्त करने पर तीन मास और दस रात्रि की प्रस्थापना होती है ।

२६. तीन मास और दस रात्रि का प्रायश्चित्त बहून करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त बहून काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोग्यता का प्रायश्चित्त आता है । जिसे संयुक्त करने पर चार मास की प्रस्थापना होती है ।

२७. चातुर्मासिक प्रायश्चित्त बहून करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त बहून काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोग्यता का प्रायश्चित्त आता है । जिसे संयुक्त करने से चार मास और बीस रात्रि की प्रस्थापना होती है ।

२८. चार मास और बीस रात्रि का प्रायश्चित्त बहून करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त

वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से पांच मास और दस रात्रि की प्रस्थापना होती है।

२९. पांच मास और दस रात्रि का प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से छः मास की प्रस्थापना होती है।

विवेचन—पूर्व के सूत्रों में वहन काल के भीतर लगे दो मास के प्रायश्चित्त स्थान की स्थापिता आरोपणा कही गई है उसी को वहन किये जाने वाले प्रायश्चित्त के पूर्ण कर लेने के बाद में अलग से वहन कराने की विधि इन सूत्रों में कही गई है और क्रमशः प्रस्थापना-आरोपणा वृद्धि की विधि बताई गई है।

इसमें पूर्व प्राप्त दो मास के प्रायश्चित्त को वहन कराते हुए पुनः दो मास के प्रायश्चित्त स्थान का सेवन एवं उसके सानुग्रह आरोपणा का वर्णन किया गया है।

क्रमशः प्रस्थापित करके दिये गये प्रायश्चित्त में पुनः पुनः सानुग्रह आरोपणा हो सकती है यह इन सूत्रों में कहा गया है। किन्तु स्थापिता आरोपणा प्रायश्चित्त में एक बार ही सानुग्रह आरोपणा होती है यह पूर्व छः सूत्रों में कहा गया है।

इस उद्देशक के पांचवें, दसवें, उन्नीसवें आदि सूत्रों में "तेण परं" शब्द का स्वामाविक ही प्रसंग संगत अर्थ हो जाता है, किन्तु इन सूत्रों में "तेण परं" शब्द का सीधा अर्थ करना प्रसंग-संगत नहीं होता है क्योंकि यह प्रस्थापिता आरोपणा है और इसमें आगे से आगे प्रायश्चित्त दिन जोड़कर कुल छः मास तक का योग किया गया है।

चूर्णिकार ने भी यही बताया है कि यहाँ क्रमशः पूर्वं और पश्चात् के प्रायश्चित्त को जोड़ा गया है अतः इन सूत्रों में "तेण परं" शब्द से "जिसे संयुक्त करने पर"—ऐसा अर्थ करना आवश्यक हो जाता है।

संभवतः इन सूत्रों में कभी लिपि दोष से पूर्व सूत्रों के समान पाठ बन गया होगा जिसका मौलिक रूप कभी उपरोक्त किये गये अर्थ का सूचक ही रहा होगा। क्योंकि इस सूत्रांश का चूर्णिकार ने भी उपरोक्त अर्थ ही किया है।

एक मास प्रायश्चित्त की स्थापिता आरोपणा

३०. छम्मासियं परिहारद्वानं पट्टविण्ण अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पट्टसेवित्ता आलोएज्जा—अहावरा पविछया आरोपणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो।

३१. पंच मासियं परिहारद्वानं पट्टविण्ण अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पट्टसेवित्ता

आलोएज्जा—अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्टं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ।

३२. चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं पट्ठविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पड्डित्तेवित्ता आलोएज्जा—अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्टं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ।

३३. तेमासियं परिहारट्ठाणं पट्ठविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पड्डित्तेवित्ता आलोएज्जा—अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्टं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ।

३४. को मासियं परिहारट्ठाणं पट्ठविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पड्डित्तेवित्ता आलोएज्जा—अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्टं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ।

३५. मासियं परिहारट्ठाणं पट्ठविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पड्डित्तेवित्ता आलोएज्जा—अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्टं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ।

३०. छः मासिक प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है उसके बाद पुनः दोष सेवन कर ले तो डेढ़ मास का प्रायश्चित्त आता है ।

३१. पंच मासिक प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है । उसके बाद पुनः दोष सेवन कर ले तो डेढ़ मास का प्रायश्चित्त आता है ।

३२. पातुर्मासिक प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है । उसके बाद पुनः दोष सेवन कर ले तो डेढ़ मास का प्रायश्चित्त आता है ।

३३. तीन मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है । उसके बाद पुनः दोष सेवन कर ले तो डेढ़ मास का प्रायश्चित्त आता है ।

३४. दो मास प्रायश्चित्त बहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त बहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। उसके बाद पुनः दोष सेवन कर ले तो डेढ़ मास का प्रायश्चित्त आता है।

३५. मासिक प्रायश्चित्त बहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त बहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से एक मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। उसके बाद पुनः दोष सेवन कर ले तो डेढ़ मास का प्रायश्चित्त आता है।

विवेचन—इसका विवेचन सूत्र १९-२४ के समान समझना चाहिए। अन्तर यह है कि वहाँ प्रायश्चित्त बहन के मध्य में 'दो मास' के प्रायश्चित्त की स्थापिता आरोपणा का कथन है और यहाँ प्रायश्चित्त बहन के मध्य में एक मास के प्रायश्चित्त की स्थापिता-आरोपणा का कथन है।

एक मास प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता आरोपणा एवं वृद्धि

३६. दिवङ्ग-मासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं दो मासा ।

३७. दो मासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं अट्ठाइज्जा मासा ।

३८. अट्ठाइज्ज-मासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं तिण्णिमासा ।

३९. तेमासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं अद्घुट्ठा मासा ।

४०. अद्घुट्ठमासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पक्खिया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं चत्तारिमासा ।

४१. चाउम्मासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता

आलोएज्जा-अहावरा पवित्रया आरोग्यणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं अद्दुपंचमासा ।

४२. अद्दु-पंचमासियं परिहारट्ठाणं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पवित्रया आरोग्यणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं पंचमासा ।

४३. पंच-मासियं परिहारट्ठाणं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पवित्रया आरोग्यणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं अद्दुट्ठामासा ।

४४. अद्दुट्ठमासियं परिहारट्ठाणं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पवित्रया आरोग्यणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेजं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं धम्मासा ।

३६. डेढ मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त भाता है । जिसे संयुक्त करने से दो मास की प्रस्थापना होती है ।

३७. दो मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त भाता है । जिसे संयुक्त करने से ढाई मास की प्रस्थापना होती है ।

३८. ढाई मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त भाता है । जिसे संयुक्त करने से तीन मास की प्रस्थापना होती है ।

३९. तीन मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त भाता है । जिसे संयुक्त करने से साढ़े तीन मास की प्रस्थापना होती है ।

४०. साढ़े तीन मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके भ्रालोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त भाता है । जिसे संयुक्त करने से चार मास की प्रस्थापना होती है ।

४१. चार मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त-वहनकाल के प्रारम्भ, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से साढ़े चार मास की प्रस्थापना होती है।

४२. साढ़े चार मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से पांच मास की प्रस्थापना होती है।

४३. पांच मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से साढ़े पांच मास की प्रस्थापना होती है।

४४. साढ़े पांच मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से छः मास की प्रस्थापना होती है।

विवेचन—इनका विवेचन सूत्र २५ से २९ के समान समझना चाहिए अन्तर केवल यह है कि दो मास के प्रायश्चित्त स्थान की प्रस्थापिता आरोपणा के स्थान पर यहाँ एक मास के प्रायश्चित्त स्थान की प्रस्थापित आरोपणा समझना चाहिए।

मासिक और दो मासिक प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता आरोपणा एवं वृद्धि

४५. दो मासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पविछया आरोवणा आदिमज्जावसाने सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं अट्ठाइज्जा मासा।

४६. अट्ठाइज्ज-मासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा दो मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा बीसइराइया आरोवणा आदिमज्जावसाने सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं, तेण परं संपचराइया तिण्णिमासा।

४७. संपचराइय-तेमासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-अहावरा पविछया आरोवणा आदिमज्जावसाने सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं, तेण परं सवीसइराइया तिण्णि मासा।

४८. सवीसइराइय-तेमासियं परिहारद्वानं पट्टविए अणगारे अंतरा दो मासियं परिहारद्वानं

पडितेयिता आलोएज्जा-अहावरा बीसहराइया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं, तेण परं सदसराइया चत्तारि मासा ।

४९. सदसराइय-चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पडितेयिता आलोएज्जा-अहावरा पविखया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं, तेण परं पंचूणा पंचमासा ।

५०. पंचूण-पंच-मासियं परिहारट्ठाणं पट्टविए अणगारे अंतरा दो मासियं परिहारट्ठाणं पडितेयिता आलोएज्जा-अहावरा बीसहराइया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं, तेण परं अद्धछट्ठमासा ।

५१. अद्धछट्ठमासियं परिहारट्ठाणं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ठाणं पडितेयिता आलोएज्जा-अहावरा पविखया आरोवणा आदिमज्जावसाणे सअट्ठं सहेउं सकारणं अहोणमइरित्तं तेण परं छम्मासा ।

४५. दो मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त प्राप्ता है । जिसे संयुक्त करने से ढाई मास की प्रस्थापना होती है ।

४६. ढाई मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोपणा का प्रायश्चित्त प्राप्ता है । जिसे संयुक्त करने से तीन मास और पांच रात्रि की प्रस्थापना होती है ।

४७. तीन मास और पांच रात्रि प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से एक मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त प्राप्ता है । जिसे संयुक्त करने से तीन मास और बीस रात्रि की प्रस्थापना होती है ।

४८. तीन मास और बीस रात्रि प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोपणा का प्रायश्चित्त प्राप्ता है । जिसे संयुक्त करने से चार मास और दस रात्रि की प्रस्थापना होती है ।

४९. चार मास और दस रात्रि प्रायश्चित्त वहन करने वाला भ्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से एक मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त प्राप्ता है । जिसे संयुक्त करने से पांच मास में पांच रात्रि कम की प्रस्थापना होती है ।

५०. पांच मास में पांच रात्रि कम प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक बीस रात्रि की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से साढ़े पांच मास की प्रस्थापना होती है।

५१. साढ़े पांच मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भ में, मध्य में या अन्त में प्रयोजन, हेतु या कारण से एक मास प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन करके आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे संयुक्त करने से छः मास की प्रस्थापना होती है।

विवेचन—इन सूत्रों में मासिक और दो मासिक प्रायश्चित्त स्थानों की संयुक्त प्रस्थापिता आरोपणा कही गई है। शेष विवेचन पूर्व सूत्रों के समान समझ लेना चाहिये।

एक मास और दो मास के समान ही अन्य अनेक मास सम्बन्धी प्रस्थापना आरोपणा आदि के विकल्प भी यथा योग्य समझ लेने चाहिए।

बीसवें उद्देशक का सारांश—

- सूत्र १-५ एक मास प्रायश्चित्त स्थान से लेकर पांच मास तक के प्रायश्चित्त स्थान की निष्कपट आलोचना का उतने-उतने मास का प्रायश्चित्त आता है। कपट युक्त आलोचना करने पर एक गुरु मास का प्रायश्चित्त अधिक आता है। छह मास या उससे अधिक प्रायश्चित्त स्थान की आलोचना सकपट या निष्कपट करने पर भी केवल छह मास ही प्रायश्चित्त आता है। इसके आगे प्रायश्चित्त विधान नहीं है, जिस प्रकार राज्य-व्यवस्था में २० वर्ष से अधिक जेल की सजा नहीं है।
- ६-१० अनेक बार सेवन किए गए प्रायश्चित्त स्थान की आलोचना के विषय में पूर्व सूत्रवत् प्रायश्चित्त समझना चाहिए।
- ११-१२ मासिक आदि प्रायश्चित्त स्थानों की द्विक संयोगी भंगों से युक्त आलोचना के प्रायश्चित्त भी पूर्व सूत्रवत् समझना चाहिए।
- १३-१४ पूरे मास या साधिक मास स्थानों की आलोचना का प्रायश्चित्त कपट सहित या कपटरहित आदि पूर्व सूत्र के समान समझना चाहिए।
- १५ एक बार सेवित दोष स्थान की कपट रहित आलोचना के प्रायश्चित्त को वहन करते हुए पुनः लगाये जाने वाले दोषों की दो चौभंगी के किसी भी भंग से आलोचना करने पर प्रायश्चित्त की आरोपणा की जाती है।
- १६ एक बार सेवित स्थान को कपटयुक्त आलोचना का प्रायश्चित्त वहन एवं उगममें आरोपणा, पूर्व सूत्रों के समान समझ लेना चाहिए।
- १७-१८ अनेक बार सेवित स्थान सम्बन्धी सम्पूर्ण वर्णन उक्त दोनों सूत्र के समान ही इन दो सूत्रों का समझ लेना चाहिए।

- १९-२४ एक मास से लेकर छह मास तक किसी भी प्रायश्चित्त के बहूकाल में लगे दो मास स्थान की सानुग्रह स्थापिता आरोपणा बीस दिन की तथा पुनः उस स्थान की निरनुग्रह स्थापिता आरोपणा दो मास की एवं कुल दो मास और बीस दिन की स्थापिता आरोपणा दी जाती है ।
- २५-२९ स्थापिता आरोपणा के दो मास और बीस दिन के प्रायश्चित्त को बहूक करते हुए पुनः-पुनः दो मास के प्रायश्चित्त की बीस-बीस दिन की प्रस्थापिता आरोपणा बढ़ाते हुए छह मास तक की आरोपणा की जाती है ।
- ३०-३५ सूत्र १९-२४ के समान सानुग्रह और निरनुग्रह स्थापिता आरोपणा जानना किन्तु दो मास प्रायश्चित्त स्थान की जगह एक मास एवं २० दिन की आरोपणा की जगह १५ दिन तथा दो मास बीस दिन की जगह छेड़ मास समझना चाहिए ।
- ३६-४४ सूत्र २५-२९ तक के समान प्रस्थापिता आरोपणा जानना किन्तु यहाँ प्रारम्भ में दो मास बीस दिन की जगह छेड़ मास की प्रस्थापना है और २० दिन की आरोपणा की जगह एक मास प्रायश्चित्त स्थान की १५ दिन की आरोपणा वृद्धि करते हुए छह मास तक की आरोपणा का वर्णन समझना चाहिए ।
- ४५-५१ दो मास के प्रायश्चित्त को बहूक करते हुए दोप लगाने पर एक मास स्थान की १५ दिन की आरोपणा वृद्धि की जाती है । तदनन्तर दो मास स्थान की २० दिन की आरोपणा वृद्धि की जाती है । इस तरह दोनों स्थानों से आरोपणा वृद्धि करते हुए छह मास तक की प्रस्थापिता आरोपणा समझ लेनी चाहिये ।

इस प्रकार इस उद्देशक में प्रायश्चित्त स्थानों की आलोचना पर प्रायश्चित्त देने का एवं उसके बहूकाल में सानुग्रह, निरनुग्रह, स्थापिता एवं प्रस्थापिता आरोपणा का स्पष्ट कथन किया गया है ।

उपसंहार—सप्तमासिक आदि प्रायश्चित्त स्थानों के चार विभागों में जो-जो दोप स्थानों का वर्णन है तदनुसार उसके समान अन्य भी अनुक्त दोषों को समझ लेना चाहिये । दोष सेवन के भाव एवं प्रायश्चित्त ग्रहण करने वाले की योग्यता आदि कारणों से इन स्थानों में दिये जाने वाले शुद्ध तप आदि के धर्मकों विकल्प होते हैं जिन्हें गीतायें मुनि की निश्रा से या परम्परा से समझना चाहिये तथा प्रथम उद्देशक के पूर्व दी गई प्रायश्चित्त-तालिका में भी समझने का प्रयत्न करना चाहिये ।

विस्तृत विकल्पों युक्त प्रायश्चित्त विधि को समझने के लिये निश्रीय पीठिका का तथा बीसवें उद्देशक के भाष्य चूणि का अध्ययन करना चाहिये अथवा बृहत्कल्पसूत्र, व्यवहारसूत्र एवं निश्रीयसूत्र का नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका युक्त पूर्ण अध्ययन करना चाहिये ।

नियुक्ति एवं भाष्य के अनुसार निश्रीय की सूत्र संख्या २०२२ (दो हजार बाबीस) होती है । प्रस्तुत संस्करण में १४०१ सूत्र हैं । यद्यपि उपलब्ध प्रतियों में सूत्र संख्या भिन्न-भिन्न अवश्य है तो भी यह अन्तर अधिक नहीं है । किन्तु नियुक्ति एवं भाष्य में कही गई सूत्र संख्या में प्रस्तुत संस्करण की सूत्र संख्या का अन्तर ६२१ सूत्रों का है । सूत्र सूत्रों में इतना अधिक अन्तर विचारणीय है ।

प्रस्तुत संस्करण के सूत्रों का विवेचन प्रायः भाष्य एवं चूणि का आधार लेकर किया गया

, फिर भी इसके सूत्रों की संख्या भाष्यगाथा ६४६९ से ७३ तक में कही गई पूरे निशीथ के सूत्रों की वं लघु, गुरु, मासिक, त्रिमासिक एवं आरोपणा सूत्रों की संख्या से भिन्न है। उपलब्ध सूत्र-संख्या से नका समन्वय करना भी अशक्य है। यथा—

प्रथम उद्देशक में सूत्र संख्या ५८ उपलब्ध है, भाष्यचूर्ण में भी इतने ही सूत्रों की व्याख्या है, फिर भी इस उद्देशक की सूत्र संख्या उक्त गाथाओं में २५२ कही गई है। अतः २०२२ सूत्रों का कथन हृथुत गम्य है। वर्तमान के तो स्वाध्यायप्रेमियों को १४०१ सूत्रों से ही सन्तोष करना पड़ेगा। अन्वेषक चिन्तनशील आगमप्रेमी बहुश्रुत इस विषय में प्रयत्न करके समाधान प्रकट कर सकते हैं।

सोस उद्देशकों के सूत्रों की तालिका—

उद्देशक	प्रायश्चित्त-स्थान	सूत्र-संख्या	
१	गुरुमासिक	५८	
२	लघुमासिक	५७	} ३१७
३	लघुमासिक	८०	
४	लघुमासिक	१२८	
५	लघुमासिक	५२	
६	गुरुचौमासी	७८	} ३४५
७	गुरुचौमासी	९२	
८	गुरुचौमासी	१८	
९	गुरुचौमासी	२५	
१०	गुरुचौमासी	४१	
११	गुरुचौमासी	९१	
१२	लघुचौमासी	४४	} ६३०
१३	लघुचौमासी	७८	
१४	लघुचौमासी	४१	
१५	लघुचौमासी	१५४	
१६	लघुचौमासी	५०	
१७	लघुचौमासी	१५५	
१८	लघुचौमासी	७३	
१९	लघुचौमासी	३५	
२०	आरोपणा	५१	

योग १४०१ (चौदह सौ एक)

प्रस्तुत संस्करण के सूत्रों की और भाष्य निर्दिष्ट सूत्रों की तालिका
 नोट—(भाष्य में प्रत्येक उद्देशक की अलग-अलग सूत्र संख्या नहीं दी गई है ।)

उद्देशक	प्रायश्चित्तस्थान	भाष्य निर्दिष्ट सूत्र संख्या	प्रस्तुत संस्करण की सूत्र संख्या	अन्तर
१	गुरुमासिक	२५२	५८	१९४
२-५	तृणमासिक	३३२	३१७	१५
६-११	गुरुचौमासी	६४४	३४५	२९९
१२-१९	तृणचौमासी	७२४	६३०	९४
२०	आरोपणा	७०	५१	१९
	योग	२०२२	१४०१	६२१

॥ बीसवीं उद्देशक समाप्त ॥

॥ निगोपसूत्र समाप्त ॥

अनध्यायकाल

[स्व० आचार्यप्रवर श्री आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत]

स्वाध्याय के लिए आगमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। अनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है।

मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थों का भी अनध्याय माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या समुक्त होने के कारण, इनका भी आगमों में अनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि—

दसविधे अंतलिक्खिते असज्झाए पण्णत्ते, तं जहा—उक्कावाते, दिसिदाधे, गज्जिते, निग्घाते, जुवते, जक्खालित्ते, धूमित्ता, महित्ता, रयउग्घाते।

दसविधे ओरालिते असज्झातित्ते, तं जहा—अट्ठी, मंसं, सोणित्ते, असुत्तिसामंते, सुसाणसामंते, चंदोवराते, सूरिवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे।

—स्यानाङ्गसूत्र, स्थान १०

नो कप्पत्ति निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा चउहिं महापाडिवएहि सज्झायं करित्तए, तं जहा—आसाडपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तिअपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए। नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, चउहिं संभाहिं सज्झायं करेत्तए, तं जहा—पडिमाते, पच्छिमाते, मज्झण्हे, अट्ठरत्ते। कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कालं सज्झायं करेत्तए, तं जहा—पुब्बण्हे, अवरण्हे, पओसे, पच्चूसे।

—स्यानाङ्ग सूत्र, स्थान ४, उद्देश २

उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा और चार सन्ध्या इस प्रकार बत्तीस अनध्याय माने गये हैं। जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे—

आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय

१. उल्कापात-तारापतन—यदि महत् तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त नास्त्र-स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

२. दिग्दाह—जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात् ऐसा मालूम पड़े कि दिना में आग-नी लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

३-४.—गर्जित-विद्युत्—गर्जन और विद्युत् प्रायः ऋतु स्वभाव से ही होता है। अतः भार्गो से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त घनध्याय नहीं माना जाता।

५. निर्घात—विना वादल के आकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर या वादलों सहित आकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक अस्वाध्यायकाल है।

६. धूपक—शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा के मिलने को धूपक कहा जाता है। इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

७. यक्षादीप्त—कभी किसी दिना में धिजली चमकने जैसा, थोड़े थोड़े समय पीछे जो प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। अतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीघता रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

८. घूमिका कृष्ण—कार्तिक से लेकर माघ तक का समय मेघों का गर्भमास होता है। इसमें धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप पुंघ पड़ती है। वह घूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह पुंघ पड़ती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

९. मिहिकाश्वेत—घोतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप पुंघ मिहिका कहलाती है। जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है।

१०. रज उद्घात—वायु के कारण आकाश में चारों ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह धूलि फंकी रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के हैं।

औदारिक सम्बन्धी दस अन्ध्याय

११-१२-१३. हड्डी मांस और रधिर—पंचेन्द्रिय तिमिर की हड्डी, मांस और रधिर यदि सामने दिखाई दें, तो जब तक यहाँ से यह वस्तुएं उठायी न जाएं जब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार प्रास पाम के ६० हाय तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मांस और रधिर का भी अन्ध्याय माना जाता है। विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय तो हाय तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्री के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक। बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय प्रसवात् मात एवम् आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है।

१४. अमुचि—मत-भूत सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है।

१५. श्मशान—श्मशानभूमि के चारों ओर गो-सी हाय पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है।

१६. चन्द्रग्रहण—चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य घाट, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

१७. सूर्यग्रहण—सूर्यग्रहण होने पर भी प्रसवात् घाट, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त अस्वाध्यायकाल माना गया है।

१८. पतन—किसी बड़े मान्य राजा अथवा राष्ट्र पुरुष का निघन होने पर जब तक उसका दाहसंस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ न हो तब तक शनैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए।

१९. राजव्युद्ग्रह—समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, तब तक उसके पश्चात् भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें।

२०. औदारिक शरीर—उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं।

२१-२८ चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा—आषाढपूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, कार्तिक-पूर्णिमा और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाओं के पश्चात् आने वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते हैं। इसमें स्वाध्याय करने का निषेध है।

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह्न और अर्धरात्रि—प्रातः सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। मध्याह्न अर्थात् दोपहर में एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे एवं अर्धरात्रि में भी एक घड़ी आगे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।



३-४.—गर्जित-विद्युत्—गर्जन धीर विद्युत प्रायः ऋतु स्वभाय से ही होता है। अतः भाद्रों में स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय नहीं माना जाता।

५. निर्घात—बिना बादल के आकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर या बादलों सहित आकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक अस्वाध्यायकाल है।

६. भूपक—शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा धीर चन्द्रप्रभा के मिलने को भूपक कहा जाता है। इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

७. यक्षादीप्त—कभी किसी दिना में बिजली चमकने जंसा, पोड़े पोड़े समय पीछे को प्रकाश होता है यह यक्षादीप्त कहलाता है। अतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीघता रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

८. धूमिका कृष्ण—कांतिक से लेकर भाष तक का समय मेघों का गर्भमास होता है। इसमें धूझ वर्षों की सूक्ष्म जलरूप धुंध पड़ती है। यह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुंध पड़ती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

९. मिहिकाश्वेत—शीतकाल में श्वेत वर्षों की सूक्ष्म जलरूप धुंध मिहिका कहलाती है। जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है।

१०. रज उद्धात—यामु के कारण आकाश में चारों ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह धूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के हैं।

औदारिक सम्बन्धी दस अनध्याय

११-१२-१३. हड्डी मांस और रुधिर—पंचेन्द्रिय तिर्यक की हड्डी, मांस धीर रुधिर यदि सामने दिखाने दें, तो जब तक यहाँ से यह वस्तुएं उठाने न जाएँ जब तक अस्वाध्याय है। मृत्तिकार भास पाग के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मांस धीर रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय भी हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्री के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक। यामक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय त्रयसः सात एवं आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है।

१४. अशुचि—मल-मूत्र सामने दिखाने देने तक अस्वाध्याय है।

१५. श्मशान—श्मशानभूमि के चारों ओर सो-सो हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है।

१६. चन्द्रग्रहण—चन्द्रग्रहण होने पर त्रयस्य आठ, मध्यम बारह धीर उल्कापट सोनह प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

१७. सूर्यग्रहण—सूर्यग्रहण होने पर भी त्रयसः आठ, बारह धीर सोनह प्रहर पर्यन्त अस्वाध्यायकाल माना गया है।

१८. पतन—किसी बड़े मान्य राजा अथवा राष्ट्र पुरुष का निधन होने पर जब तक उसका दाहसंस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ न हो तब तक शनैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए।

१९. राजव्युद्ग्रह—समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, तब तक उसके पश्चात् भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें।

२०. औदारिक शरीर—उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं।

२१-२८ चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा—आषाढपूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, कार्तिक-पूर्णिमा और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाओं के पश्चात् आने वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते हैं। इसमें स्वाध्याय करने का निषेध है।

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह्न और अर्धरात्रि—प्रातः सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। मध्याह्न अर्थात् दोपहर में एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे एवं अर्धरात्रि में भी एक घड़ी आगे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।




अर्थसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली

महास्तम्भ

संरक्षक

- | | |
|---|---|
| १. श्री सेठ मोहनमलजी चोरड़िया, मद्रास | १. श्री विरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तलेसरा, पाली |
| २. श्री गुलाबचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, सिकन्दरावाद | २. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूधा, पाली |
| ३. श्री पुखराजजी शिशोदिया, व्यावर | ३. श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेड़ता सिटी |
| ४. श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरड़िया, बंगलोर | ४. श्री शं० जड़ावमलजी माणकचन्दजी बेताला, वागलकोट |
| ५. श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग | ५. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, व्यावर |
| ६. श्री एस. किशनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | ६. श्री मोहनलालजी नेमीचन्दजी ललवाणी, चांगाटोला |
| ७. श्री कंवरलालजी बेताला, गोहाटी | ७. श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरड़िया, मद्रास |
| ८. श्री सेठ खींवरराजजी चोरड़िया मद्रास | ८. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोधरा, चांगाटोला |
| ९. श्री गुमानमलजी चोरड़िया, मद्रास | ९. श्रीमती सिरैकुंवर वाई धर्मपत्नी स्व. श्री मुगनचन्दजी भामड, मद्रुरान्तकम् |
| १०. श्री एस. वादलचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | १०. श्री वस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा (K. G. F.) जाड़न |
| ११. श्री जे. दुलीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | ११. श्री धानचन्दजी मेहता, जोधपुर |
| १२. श्री एस. रतनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | १२. श्री भैरुदानजी साभचन्दजी सुराणा, नागौर |
| १३. श्री जे. ब्रह्मराजजी चोरड़िया, मद्रास | १३. श्री खूबचन्दजी गादिया, व्यावर |
| १४. श्री एस. सायरचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | १४. श्री मिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया व्यावर |
| १५. श्री आर. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | १५. श्री इन्द्रचन्दजी बंद, राजनांदगांव |
| १६. श्री सिरैमलजी हीराचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | १६. श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, यान्नाघाट |
| १७. श्री जे. हुनमीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | १७. श्री गणेशमनजी धर्मोचन्दजी कांकरिया, टंगला |
| स्तम्भ सब्द | |
| १. श्री अग्रचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर | १८. श्री मुगनचन्दजी बोकरिया, इन्दौर |
| २. श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर | १९. श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर |
| ३. श्री तिलोकचंदजी, सागरमलजी संचेती, मद्रास | २०. श्री रघुनाथमलजी लिप्रमीचन्दजी लोड़ा, चांगाटोला |
| ४. श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटंगी | २१. श्री सिद्धकरजी गिधरचन्दजी बंद, चांगाटोला |
| ५. श्री आर. प्रसन्नचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | |
| ६. श्री दीपचन्दजी चोरड़िया, मद्रास | |
| ७. श्री मूलचन्दजी चोरड़िया, कटंगी | |
| ८. श्री वदंमान इण्डस्ट्रीज, कानपुर | |
| ९. श्री मांगीलालजी मिश्रीलालजी संचेती, दुर्ग | |



४०. श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई
 ४१. श्री श्रोकचंदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग
 ४२. श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास
 ४३. श्री घीसूलालजी लालचंदजी पारख, दुर्ग
 ४४. श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट कं.)
 जोधपुर
 ४५. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना
 ४६. श्री प्रेमराजजी मोठालालजी कामदार,
 बंगलोर
 ४७. श्री भंवरलालजी मूया एण्ड सन्स, जयपुर
 ४८. श्री लालचंदजी मोतीलालजी गादिया, बंगलोर
 ४९. श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला,
 मेट्टूपालियम
 ५०. श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली
 ५१. श्री ग्रासकरणजी जसराजजी पारख, दुर्ग
 ५२. श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई
 ५३. श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता,
 मेड़तासिटी
 ५४. श्री घेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर
 ५५. श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर
 ५६. श्री मुन्शीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर
 ५७. श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर
 ५८. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेड़ता
 सिटी
 ५९. श्री भंवरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर
 ६०. श्री मांगीलालजी प्रकाशचंदजी रूपवाल, मंसूर
 ६१. श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कलां
 ६२. श्री हरकचंदजी जुगराजजी बाफना, बंगलोर
 ६३. श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजी मोदी, भिलाई
 ६४. श्री भींवरराजजी बाघमार, कुचेरा
 ६५. श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, अजमेर
 ६६. श्री विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेच्छा,
 राजनांदगाव
 ६७. श्री रावतमलजी छाजेड़, भिलाई
 ६८. श्री भंवरलालजी डंगरमलजी पांकरिया,
 भिलाई
 ६९. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई
 ७०. श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावकसंघ,
 दल्ली-राजहरा
 ७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफना, व्यावर
 ७२. श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी घोहरा, कुचेरा
 ७३. श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता
 ७४. श्री बालचंदजी धानचन्दजी भरट,
 कलकत्ता
 ७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर
 ७६. श्री जवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा,
 बोलारम
 ७७. श्री कानमलजी कोठारी, दादिया
 ७८. श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली
 ७९. श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला
 ८०. श्री चिम्पनसिंहजी मोहनसिंहजी लोढा, व्यावर
 ८१. श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुरट, गौहाटी
 ८२. श्री पारसमलजी महावीरचंदजी बाफना, गोठ
 ८३. श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल,
 कुचेरा
 ८४. श्री मांगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भैरुंद
 ८५. श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा
 ८६. श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरिलालजी
 कोठारी, गोठन
 ८७. श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर
 ८८. श्री चम्पालालजी हीरालालजी वागरेवा,
 जोधपुर
 ८९. श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर
 ९०. श्री इन्द्रचंदजी मुकनचन्दजी, इन्दौर
 ९१. श्री भंवरलालजी बाफना, इन्दौर
 ९२. श्री जैठमलजी मोदी, इन्दौर
 ९३. श्री बालचन्दजी धमरचन्दजी मोदी, व्यावर
 ९४. श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भंडारी, बंगलोर
 ९५. श्रीमती कमलाकांवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री
 स्व. पारसमलजी ललवाणी, गोठन
 ९६. श्री अग्नेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता
 ९७. श्री मुगनचन्दजी संघेती, राजनांदगाव

२२. श्री सागरमलजी नोरतमलजी पींचा, मद्रास
 २३. श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी वालिया,
 ब्रह्मदाबाद
 २४. श्री केसरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली
 २५. श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर
 २६. श्री धर्मोचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भूठा
 २७. श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा डोंडीलीहारा
 २८. श्री गुणचंदजी दलीचंदजी कटारिया, वेल्सारी
 २९. श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर
 ३०. श्री सी० अमरचन्दजी बोधरा, मद्रास
 ३१. श्री भंवरलालजी मूलचंदजी सुराणा, मद्रास
 ३२. श्री वादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर
 ३३. श्री लालचंदजी मोहनलालजी कोठारी, गोंठन
 ३४. श्री हीरालालजी पद्मालालजी चौपड़ा, अजमेर
 ३५. श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया,
 बेंगलोर
 ३६. श्री भंवरमलजी चोरडिया, मद्रास
 ३७. श्री भंवरलालजी गोठी, मद्रास
 ३८. श्री जालमचंदजी रिखवचंदजी वाफना, आगरा
 ३९. श्री घेवरचंदजी पुधराजजी भुरट, गोहाटी
 ४०. श्री जवरचन्दजी गेलड़ा, मद्रास
 ४१. श्री जड़ावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास
 ४२. श्री पुधराजजी विजयराजजी, मद्रास
 ४३. श्री चैनमलजी सुराणा ट्रस्ट, मद्रास
 ४४. श्री लूणकरणजी रिखवचंदजी लोढ़ा, मद्रास
 ४५. श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी मेहता, कोयल
- सहयोगी सदस्य
१. श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसा, मेड़तासिटी
 २. श्रीमती धगनीबाई विनायकिया, ब्यावर
 ३. श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर
 ४. श्री भंवरमालजी विजयराजजी कांकरिया,
 विल्लीपुरम्
 ५. श्री भंवरलालजी चौपड़ा, ब्यावर
 ६. श्री विजयराजजी रतनलालजी पतर, ब्यावर
 ७. श्री बी. गजराजजी बोकरिया, सेलम
८. श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली
 ९. श्री के. पुधराजजी वाफना, मद्रास
 १०. श्री रूपराजजी जोधराजजी मूया, दिल्ली
 ११. श्री मोहनलालजी मंगलचंदजी पगारिया, रामपुर
 १२. श्री नयमलजी मोहनलालजी लूणिया, चण्डावल
 १३. श्री भंवरलालजी गौतमचन्दजी पगारिया,
 कुशालपुरा
 १४. श्री उत्तमचंदजी मांगीलालजी, जोधपुर
 १५. श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर
 १६. श्री सुमेरमलजी मेड़तिया, जोधपुर
 १७. श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टांटिया, जोधपुर
 १८. श्री उदयरजजी पुधराजजी संचेती, जोधपुर
 १९. श्री वादरमलजी पुधराजजी बंट, कानपुर
 २०. श्रीमती सुन्दरबाई गोठी W/o श्री ताराचंदजी
 गोठी, जोधपुर
 २१. श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर
 २२. श्री घेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर
 २३. श्री भंवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास
 २४. श्री जंवरीलालजी अमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर
 २५. श्री माणकचन्दजी किदानलालजी, मेड़तासिटी
 २६. श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर
 २७. श्री जसराजजी जंवरीलालजी घारीवाल, जोधपुर
 २८. श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर
 २९. श्री नेमीचंदजी टाकलिया मेहता, जोधपुर
 ३०. श्री ताराचंदजी केवलचंदजी कर्णावट, जोधपुर
 ३१. श्री आसूमल एण्ड कं०, जोधपुर
 ३२. श्री पुधराजजी लोढ़ा, जोधपुर
 ३३. श्रीमती सुगनीबाई W/o श्री मिश्रीसालजी
 सांड, जोधपुर
 ३४. श्री बच्छराजी सुराणा, जोधपुर
 ३५. श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर
 ३६. श्री देवराजजी सामचंदजी मेड़तिया, जोधपुर
 ३७. श्री कनकराजजी मदनराजजी गौतिया,
 जोधपुर
 ३८. श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर
 ३९. श्री मांगीलालजी चोरडिया, कृनेरा

४०. श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई
 ४१. श्री श्रीकचंदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग
 ४२. श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास
 ४३. श्री धीसूलालजी लालचंदजी पारख, दुर्ग
 ४४. श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट कं.)
 जोधपुर
 ४५. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना
 ४६. श्री प्रेमराजजी मोठालालजी कामदार,
 बंगलोर
 ४७. श्री भंवरलालजी मूया एण्ड सन्स, जयपुर
 ४८. श्री लालचंदजी मोतीलालजी गादिया, बंगलोर
 ४९. श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला,
 मेट्टूपालिघम
 ५०. श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली
 ५१. श्री आसकरणजी जसराजजी पारख, दुर्ग
 ५२. श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई
 ५३. श्री ध्रुतराजजी जसवन्तराजजी मेहता,
 मेड़तासिटी
 ५४. श्री घेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर
 ५५. श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर
 ५६. श्री मुन्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर
 ५७. श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर
 ५८. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेड़ता
 सिटी
 ५९. श्री भंवरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर
 ६०. श्री मांगीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मँसूर
 ६१. श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कलां
 ६२. श्री हरकचंदजी जुगराजजी वाफना, बंगलोर
 ६३. श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजी मोदी, भिलाई
 ६४. श्री भींवरराजजी बाघमार, कुचेरा
 ६५. श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर
 ६६. श्री विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेच्छा,
 राजनांदगाव
 ६७. श्री रावतमलजी छाजेड़, भिलाई
 ६८. श्री भंवरलालजी दूंगरमलजी कांकरिया,
 भिलाई
 ६९. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई
 ७०. श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावकसंघ,
 दल्ली-राजहरा
 ७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी वाफना, ब्यावर
 ७२. श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी बोहरा, कुचेरा
 ७३. श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता
 ७४. श्री बालचंदजी धानचन्दजी भरट,
 कलकत्ता
 ७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर
 ७६. श्री जंवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा,
 बोलारम
 ७७. श्री कानमलजी कोठारी, दादिया
 ७८. श्री पद्मालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली
 ७९. श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला
 ८०. श्री चिम्मनसिंहजी मोहनसिंहजी तोडा, ब्यावर
 ८१. श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुरट, गौहाटी
 ८२. श्री पारसमलजी महावीरचंदजी वाफना, गोठ
 ८३. श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल,
 कुचेरा
 ८४. श्री मांगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भंरुंद
 ८५. श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा
 ८६. श्री धीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी
 कोठारी, गोठन
 ८७. श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर
 ८८. श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेवा,
 जोधपुर
 ८९. श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर
 ९०. श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर
 ९१. श्री भंवरलालजी वाफना, इन्दौर
 ९२. श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर
 ९३. श्री बालचन्दजी ध्रमरचन्दजी मोदी, ब्यावर
 ९४. श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भंडारी, बंगलोर
 ९५. श्रीमती कमलाकंवर नलवाणी धर्मपत्नी श्री
 स्व. पारसमलजी सनवाणी, गोठन
 ९६. श्री धनेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता
 ९७. श्री गुगनचन्दजी संचेती, राजनांदगाव

१८. श्री प्रकाशचंदजी जैन, नागौर
 १९. श्री कुशालचंदजी रिखवचन्दजी मुराणा,
 वोलारम
 १००. श्री लक्ष्मीचंदजी अशोककुमारजी श्रीश्रीमाल,
 कुचेरा
 १०१. श्री गूढङ्गलजी चम्पालालजी, गोठन
 १०२. श्री तेजराजजी कोठारी, मांगनियावास
 १०३. सम्पतराजजी चोरङ्गिया, मद्रास
 १०४. श्री अमरचंदजी छाजेड, पादु बड़ी
 १०५. श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेवा, मद्रास
 १०६. श्री पुष्पराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास
 १०७. श्रीमती कंचनदेवी व निमलादेवी, मद्रास
 १०८. श्री दुर्लैराजजी भंवरलालजी कोठारी,
 कुशालपुरा
 १०९. श्री भंवरलालजी मांगीलालजी वेताला, षेह
 ११०. श्री जीवराजजी भंवरलालजी चोरङ्गिया,
 भेरुंदा
 १११. श्री मांगीलालजी सातिलालजी ऋणवाल,
 हरसांलाव
 ११२. श्री चांदमलजी धनराजजी भोदी, अजमेर
 ११३. श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर
 ११४. श्री भूरमलजी दुलीचंदजी बोकाङ्गिया, मेड़ता
 सिटी
 ११५. श्री मोहनलालजी धागीवान, पाली
 ११६. श्रीमती रामकुंवरबाई धर्मपत्नी श्री चांद
 लोढा, बम्बई
 ११७. श्री मांगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, बें
 ११८. श्री सांचालालजी बाफणा, श्रीरंगावाद
 ११९. श्री भीष्मचन्दजी माणकचन्दजी धाबिया,
 (कुडालोर) मद्रास
 १२०. श्रीमती अनूपकुंवर धर्मपत्नी श्री चम्पालाल
 संघवी, कुचेरा
 १२१. श्री सोहनलालजी सोजतिया, धांवला
 १२२. श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता
 १२३. श्री भीष्मचन्दजी गणेशमलजी चौधरी,
 घुलिया
 १२४. श्री पुष्पराजजी किशनलालजी तातेड,
 सिकन्दरावाद
 १२५. श्री मिथीलालजी सज्जनलालजी कटारिया
 सिकन्दरावाद
 १२६. श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ,
 बगड़ीनगर
 १२७. श्री पुष्पराजजी पारसमलजी ललवाणी,
 विलादा
 १२८. श्री टी. पारसमलजी चोरङ्गिया, मद्रास
 १२९. श्री मोतीलालजी ग्रामूलालजी घोहरा
 एण्ड फं., बेंगलोर
 १३०. श्री सम्पतराजजी मुराणा, मनमाड □□

